अ़क़ाइद, मा'मूलाते अहले सुन्नत, इबादातो मुआ़मलात और मुन्जियात व
मोहलिकात पर मुश्तमिल जामेअ़ और मुदल्लल किताब ''बनाम''

फ़र्ज़ उ़लूम सीखिये

Farz Uloom Seekhiye (Hindi)

सफ़्हात 802

पेशकश :

मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या

अ़क़ाइद, मा'मूलाते अहले सुन्नत, इ़बादातो मुआ़मलात और मुन्जियात व मोहलिकात पर मुश्तमिल जामेअ़ और मुदल्लल किताब "बनाम"

फ़र्ज़ उ़लूम सीखिये

मुरत्तिबीन

मौलाना अ़ब्दुल जब्बार अ़त्त़ारी मदनी, मौलाना सय्यिद अ़दील ज़ाकिर मदनी, मौलाना ह़फ़ीज़ुर्रह़मान अ़त्त़ारी मदनी

पेशकश

अल मदीनतुल इ़ल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

नाशिर

मक्तबतुल मदीना

www.dawateislami.net

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَا رَسُوْلَ اللہ وَعَلٰی اٰلِکَ وَاَصْحٰبِکَ یَاحَبِیْبَ اللہ

नाम किताब : फ़र्ज़ उ़लूम सीखिये

पेशकश : शो'बए रसाइले दा'वते इस्लामी

कुल सफ़्ह़ात :

पहली बार : 1446 सि.हि. 2025 ई. (Jan)

ता'दाद :

नाशिर : मक्तबतुल मदीना

तस्दीक़ नामा

तारीख़ : रमज़ानुल मुबारक 1442 हि. हवाला नम्बर : 257

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ وَعَلٰی اٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ اَجْمَعِیْن

तस्दीक़ की जाती है कि किताब

"फ़र्ज़ उ़लूम सीखिये" (मत़बूआ़ मक्तबतुल मदीना)

पर शो'बए तफ़्तीशे कुतुबो रसाइल की जानिब से नज़र सानी की कोशिश की गई है। और इसे अ़क़ाइद, कुफ़्रिय्या इबारात, अख़्लाक़िय्यात, फ़िक़्ही मसाइल और अ़रबी इबारात वग़ैरा के ह़वाले से मक़्दूर भर मुलाह़ज़ा कर लिया है, अलबत्ता कम्पोज़िंग या किताबत की ग़लत़ियों का ज़िम्मा शो'बे पर नहीं।

शो'बए तफ़्तीशे कुतुबो रसाइल (दा'वते इस्लामी)

28-4-2021

इल्तिजा : किसी और को येह किताब छापने की इजाज़त नहीं

याद दाश्त

(दौराने मुत़ालआ़ ज़रूरतन अन्डर लाइन कीजिये, इशारात लिख कर सफ़ह़ा नम्बर नोट फ़रमा लीजिये। اِنْ شَآءَاللّٰہ इ़ल्म में तरक़्क़ी होगी)

उ़न्वान	सफ़ह़ा

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

"फ़ैज़ाने फ़र्ज़ उलूम" के बारह हुरूफ़ की निस्बत से इस किताब को पढ़ने की "12 निय्यतें"

फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **:** نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِه "मुसल्मान की निय्यत उस के अ़मल से बेहतर है।"(1)

मदनी फूल :

❀ ...जितनी अच्छी निय्यतें ज़ियादा, उतना सवाब भी ज़ियादा।

(1) हर बार ह़म्द व (2) सलात और (3) तअ़व्वुज़ व (4) तस्मिया से आग़ाज़ करूंगा। (इसी सफ़ह़े पर ऊपर दी हुई अ़रबी इ़बारत पढ़ लेने से इन निय्यतों पर अ़मल हो जाएगा) (5) रिज़ाए इलाही के लिये इस किताब का अव्वल ता आख़िर मुत़ालआ़ करूंगा। (6) ह़त्तल वस्अ़ इस का बा वुज़ू, क़िब्ला रू मुत़ालआ़ करूंगा (7) क़ुरआनी आयात और अह़ादीसे मुबारका की ज़ियारत करूंगा (8) जहां जहां "**अल्लाह**" का नामे पाक आएगा वहां عَزَّوَجَلَّ और (9) जहां जहां "सरकार" का इस्मे मुबारक आएगा वहां صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم पढ़ूंगा (10) इस ह़दीसे पाक "تَهَادَوْا تَحَابُّوا एक दूसरे को तोह़फ़ा दो आपस में मह़ब्बत बढ़ेगी।"(2) पर अ़मल की निय्यत से (एक या ह़स्बे तौफ़ीक़) येह किताब ख़रीद कर दूसरों को तोह़्फ़तन दूंगा (11) दूसरों को येह किताब पढ़ने की तरग़ीब दिलाऊंगा। (12) किताबत वग़ैरा में शरई ग़लत़ी मिली तो नाशिरीन को तह़रीरी त़ौर पर मुत्त़लअ़ करूंगा। اِنْ شَآءَاللّٰه (याद रखिये ! नाशिरीन को किताबों की अग़्लात़ सिर्फ़ ज़बानी बता देना ख़ास मुफ़ीद नहीं होता।)

1 ....معجم کبیر، 6/185، حدیث:5942
2 ....مؤطاامام مالک، 2/407، حدیث:1731

इज्माली फ़ेहरिस्त

मौज़ूअ़	सफ़ह़ा	मौज़ूअ़	सफ़ह़ा
तआ़रुफ़ अल मदीनतुल इ़ल्मिय्या	9	जिन्नात का बयान	109
पुर सुकून ज़िन्दगी गुज़ारने का नुस्ख़ा ह़ाज़िर है	10	तक़्दीर का बयान	112
पहला बाब : इस्लामी अ़क़ीदे		मौत और क़ब्र का बयान	115
तौह़ीदे इलाही का बयान	21	क़ियामत और इस की निशानियों का बयान	121
ज़ात व सिफ़ात का बयान	26	ह़िसाब का बयान	128
शिर्क का बयान	32	पुल सिरात़ का बयान	129
नुबुव्वत का बयान	34	ह़ौज़े कौसर का बयान	130
इमामुल अम्बिया ह़ज़रते मुह़म्मद मुस्त़फ़ा	41	जन्नत का बयान	131
मो'जिज़ात का बयान	44	दोज़ख़ का बयान	134
नूरानिय्यत व बशरिय्यते मुस्त़फ़ा का बयान	47	ईमान का बयान	137
ह़ाज़िरो नाज़िर का बयान	51	कुफ़्रिय्या कलिमात और मुरतद के अह़काम का बयान	141
इ़ल्मे ग़ैबे मुस्त़फ़ा का बयान	54	औलियाउल्लाह का बयान	163
शफ़ाअ़ते मुस्त़फ़ा का बयान	60	**दूसरा बाब : मा'मूलाते अहले सुन्नत**	
इख़्तियाराते मुस्त़फ़ा का बयान	64	या रसूलल्लाह और या नबिय्यल्लाह कहने का बयान	168
अख़्लाक़े मुस्त़फ़ा का बयान	67	ग़ैरुल्लाह से मदद मांगने न मांगने का बयान	176
वालिदैने मुस्त़फ़ा का बयान	69	वसीले का बयान	178
तआ़रुफ़ व फ़ज़ाइले अज़्वाजे मुत़ह्हरात का बयान	73	ईसाले सवाब का बयान	182
अहले बैते अत़्हार का बयान	77	बुज़ुर्गों का उ़र्स मनाने का बयान	187
ख़ुलफ़ाए राशिदीन का बयान	89	मज़ार और गुम्बद बनाने का बयान	189
इमामते कुब्रा का बयान	94	मज़ार पर फूल चादर चढ़ाने का बयान	190
अ़शरए मुबश्शरा और दीगर सह़ाबए किराम का बयान	95	ज़ियारते क़ुबूर का बयान	191
मुशाजराते सह़ाबा का बयान	97	नज़्रो नियाज़ का बयान	193
क़ुरआने मुबीन का बयान	105	तबर्रुकात का बयान	194
मलाएका बयान	106	अज़ानो इक़ामत से पहले दुरूद पढ़ने का बयान	197

अंगूठे चूमने का बयान	198	शबीने का बयान	368
क़ब्र पर अज़ान देने का बयान	200	सुनने नवाफ़िल का बयान	370
बड़ी रातों में इबादत करने का बयान	201	सूरज ग्रहन और चांद ग्रहन की नमाज़ का बयान	376
शबे मे'राज का बयान	206	इमामत का बयान	377
मीलादुन्नबी का बयान	210	क़ज़ा नमाज़ों का बयान	407
बिद्अ़त का बयान	219	नमाज़े सफ़र का बयान	411
तक़्लीद की ज़रूरत व अहम्मिय्यत का बयान	222	सज्दए तिलावत व शुक्र का बयान	414
पीरी मुरीदी की शर्ई हैसिय्यत	227	नमाज़े जुमुआ़ का बयान	419
तीसरा बाब : इबादात		नमाज़े ईद का बयान	425
त़हारत का बयान	240	मरज़ व इलाज का बयान	431
नजासतों का बयान	243	इयादत व मौत का बयान	433
हैज़ का बयान	247	ग़ुस्ले मय्यित का बयान	436
इस्तिह़ाज़ा का बयान	249	कफ़न देने का बयान	440
निफ़ास का बयान	251	नमाज़े जनाज़ा का बयान	446
इस्तिन्जा का बयान	260	तल्क़ीन का बयान	462
वुज़ू का बयान	264	ज़कात का बयान	467
ग़ुस्ल का बयान	274	सदक़े का बयान	479
तयम्मुम का बयान	280	रोज़े का बयान	487
अज़ान और इक़ामत का बयान	286	सदक़ए फ़ित्र का बयान	499
वक़्त पर नमाज़ पढ़ने का बयान	293	ह़ज का बयान	502
नमाज़ का बयान	297	उ़म्रह का बयान	515
नमाज़ के फ़राइज़ का बयान	308	ज़ब्ह़ और क़ुरबानी का बयान	516
नमाज़ का अ़मली त़रीक़ा	331	**चौथा बाब : मुआ़मलात का बयान**	
बा जमाअ़त नमाज़ पढ़ने का बयान	346	निकाह़ का बयान	524
सफ़े अव्वल में नमाज़ पढ़ने का बयान	350	जिन से निकाह़ ह़राम है	529
सफ़ें दुरुस्त करने का बयान	352	वली का बयान	531
नमाज़ में लुक़्मा देने का बयान	356	कुफ़ू का बयान	533
तरावीह़ का बयान	360	ह़क़ महर का बयान	533

वलीमे का बयान	535	इख़्लास का बयान	629
त़लाक़ का बयान	536	सब्र का बयान	631
ईला का बयान	538	हुस्ने अख़्लाक़ का बयान	633
ख़ुलअ़ का बयान	540	मुह़ासबए नफ़्स का बयान	635
ज़िहार का बयान	542	क़नाअ़त का बयान	637
लिआ़न का बयान	543	हुस्ने ज़न का बयान	639
इद्दत का बयान	546	तौबा का बयान	641
सोग का बयान	547	**अल्लाह** और रसूल की त़ाअ़त का बयान	643
बच्चे की परवरिश का बयान	549	तवक्कुल का बयान	644
नफ़क़े का बयान	551	ख़ौफ़े ख़ुदा का बयान	646
क़सम का बयान	554	उम्मीदों की कमी का बयान	648
मन्नत का बयान	557	सिद्क़ (सच बोलने) का बयान	649
अमानत का बयान	560	रजा का बयान	651
आ़रिय्यत का बयान	561	ग़नी का बयान	653
गवाही का बयान	563	माल से बे रग़्बती का बयान	654
वक़्फ़ का बयान	567	ख़ुफ़्या तदबीर से डरने का बयान	656
तौलियत का बयान	570	एह़तिरामे मुस्लिम का बयान	658
ख़रीदो फ़रोख़्त का बयान	572	शैत़ान की मुख़ालफ़त का बयान	661
ख़ियारे शर्त़ का बयान	577	शुक्र का बयान	663
ख़ियारे रूयत का बयान	580	दिल की नरमी का बयान	664
ख़ियारे ऐ़ब का बयान	581	ज़ोह्द का बयान	666
सूद का बयान	583	मह़ब्बते इलाही का बयान	668
बा'ज़ राइज ना जाइज़ तिजारतों का बयान	585	ख़ल्वत नशीनी का बयान	671
जदीद ख़रीदो फ़रोख़्त के बारे में फ़तावा जात	599	मौत को याद करने का बयान	673
पांचवां बाब : मुन्जियात		**छटा बाब : मोहलिकात का बयान**	
निय्यत का बयान	627	ह़सद का बयान	675

रियाकारी का बयान	677	मुदाहनत का बयान	715
कीने का बयान	679	धोका देही का बयान	717
बद गुमानी का बयान	680	ग़ुस्ब का बयान	719
तकब्बुर का बयान	682	बुख़्ल का बयान	721
बद शुगूनी का बयान	684	ज़ुल्म का बयान	723
मज़ाक़ उड़ाने का बयान	699	फ़र्ज़ इल्म न सीखने का बयान	726
ला'नत का बयान	701	ग़ुस्से का बयान का बयान	728
गाली का बयान	704	मुन्तख़ब आयात	730
फ़ोहूश गोई का बयान	706	ख़ुत्बात	756
राज़ छुपाने का बयान	708	तफ़्सीली फ़ेहरिस्त	772
तजस्सुस का बयान	710	मआख़िज़ो मराजेअ़	794
बद निगाही का बयान	712	☆☆☆☆☆☆	

कोई देख तो नहीं रहा !

हज़रते सय्यिदुना फ़रक़द सबख़ी رَحْمَۃُ اللہِ عَلَیْہ फ़रमाते हैं : मुनाफ़िक़ जब देखता है कि उसे कोई (आदमी) नहीं देख रहा तो वोह गुनाह कर डालता है। अफ़्सोस ! कि वोह इस बात का तो ख़याल रखता है कि लोग उसे न देखें मगर **अल्लाह** करीम देख रहा है इस बात का लिहाज़ नहीं करता। (احیاء العلوم،٥/١٣٠)

अल मदीनतुल इ़ल्मिय्या का तआ़रुफ़

आ़लमे इस्लाम की अ़ज़ीम दीनी तह़रीक दा'वते इस्लामी ने मुसल्मानों को दुरुस्त इस्लामी लिट्रेचर पहुंचाने और इस के ज़रीए इस्लाहे़ फ़र्द व मुआ़शरा के अ़ज़ीम मक़्सद के लिये 1421 हि. मुत़ाबिक़ 2001 ई. को जामिअ़तुल मदीना में अल मदीनतुल इ़ल्मिय्या के नाम से एक तह़क़ीक़ी इदारा क़ाइम किया जिस का बुन्यादी मक़्सद आ'ला ह़ज़रत इमाम अह़मद रज़ा ख़ान क़ादिरी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه की कुतुब को दौरे ह़ाज़िर के तक़ाज़ों के मुत़ाबिक़ शाएअ़ करवाना था। 1425 हि. मुत़ाबिक़ 2005 ई. में इसे मदनी मर्कज़ फ़ैज़ाने मदीना में मुन्तक़िल कर दिया गया। अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी अ़ल्लामा मुह़म्मद इल्यास अ़त्तार क़ादिरी دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه के नेकी की दा'वत, एह़याए सुन्नत और इशाअ़ते इ़ल्मे शरीअ़त का अ़ज़्म पेशे नज़र रखते हुए येह इदारा छे शो'बाजात में तक़्सीम किया गया। फिर इन में ब तदरीज इज़ाफ़ा होता रहा। इस की एक और शाख़ क़ाइम हो चुकी है, दोनों शाख़ों में 120 से ज़ाइद उ़लमा तस्नीफ़ो तालीफ़ या तरजमा व तह़क़ीक़ वग़ैरा के काम में मसरूफ़ हैं और 2021 ई. तक इस के 23 शो'बे क़ाइम किये जा चुके हैं :

(1) शो'बए फ़ैज़ाने क़ुरआन (2) शो'बए फ़ैज़ाने ह़दीस (3) शो'बए फ़िक़्ह (फ़िक़्हे ह़नफ़ी व शाफ़ेई) (4) शो'बए सीरते मुस्त़फ़ा (5) शो'बए फ़ैज़ाने सह़ाबा व अहले बैत (6) शो'बए फ़ैज़ाने सह़ाबियात व सालिह़ात (7) शो'बए फ़ैज़ाने औलिया व उ़लमा (8) शो'बए कुतुबे आ'ला ह़ज़रत (9) शो'बए तख़्रीज (10) शो'बए दर्सी कुतुब (11) शो'बए इस्लाह़ी कुतुब (12) शो'बए हफ़्तावार रिसाला (13) शो'बए बयानाते दा'वते इस्लामी (14) शो'बए तराजिमे कुतुब (15) शो'बए फ़ैज़ाने अमीरे अहले सुन्नत (16) माहनामा फ़ैज़ाने मदीना (17) शो'बए दीनी कामों की तह़रीरात (18) दा'वते इस्लामी के शबो रोज़ (19) शो'बए बच्चों की दुन्या (20) शो'बए रसाइले दा'वते इस्लामी (21) शो'बए ग्राफ़िक्स डीज़ाइनिंग (22) शो'बए राबित़ा बराए मुसन्निफ़ीन व मुह़क़्क़िक़ीन (23) शो'बए इन्तिज़ामी उमूर क़ाइम हैं।

अल मदीनतुल इ़ल्मिय्या के अग़राज़ो मक़ासिद येह हैं :

☆ बा सलाहिय्यत उ़लमाए किराम को तह़क़ीक़, तस्नीफ़ो तालीफ़ के लिये प्लेट फ़ॉर्म मुहय्या करना और उन की सलाहिय्यतों में इज़ाफ़ा करना। ☆ क़ुरआनी ता'लीमात को अ़स्री तक़ाज़ों के मुत़ाबिक़ मन्ज़रे आ़म पर लाना। ☆ इफ़ादए ख़वास व अ़वाम के लिये उ़लूमे ह़दीस और बिल ख़ुसूस शर्ह़े ह़दीस पर मुश्तमिल कुतुब तह़रीर करना। ☆ सीरते नबवी, अ़ह्दे नबवी, क़वानीने नबवी, त़िब्बे नबवी वग़ैरा पर मुश्तमिल तह़रीरें शाएअ़ करना। ☆ अहले बैत व सह़ाबए किराम और उ़लमा व बुज़ुर्गाने दीन की ह़यात व ख़िदमात से आगाह करना। ☆ बुज़ुर्गों की कुतुबो रसाइल जदीद मन्हज व उस्लूब के मुत़ाबिक़ मन्ज़रे आ़म पर लाना बिल ख़ुसूस अ़रबी मख़्त़ूत़ात (ग़ैर मत़्बूअ़) कुतुबो रसाइल को दौरे जदीद से हम आहंग तह़क़ीक़ी मन्हज पर शाएअ़ करवाना। ☆ नेकी की दा'वत का जज़्बा रखने वालों को मुस्तनद मवाद फ़राहम करना। ☆ दीनी व दुन्यावी ता'लीमी इदारों के त़लबा को मुस्तनद सिह़्ह़त मन्द मवाद की फ़राहमी नीज़ दर्से निज़ामी के त़लबा व असातिज़ा के लिये निसाबी कुतुब उ़म्दा शुरूह़ात व ह़वाशी के साथ शाएअ़ कर के उन की ज़रूरत को पूरा करना।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه ! अमीरे अहले सुन्नत دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه की शफ़्क़तो इ़नायत, तरबियत और अ़त़ा कर्दा उसूलों पर अ़मल पैरा होने का ही नतीजा है कि दुन्या व आख़िरत में काम्याबी पाने, नई नस्ल को इस्लाम की ह़क़्क़ानिय्यत से आगाह करने, उन्हें बा अ़मल मुसल्मान और एक सिह़्ह़त मन्द मुआ़शरे का बेहतरीन फ़र्द बनाने, वालिदैन व असातिज़ा और सर परस्त ह़ज़रात को अन्दाज़े तरबियत के दुरुस्त त़रीक़ों से आगाह करने और इस्लाम की नज़रिय्याती सरह़दों और दीनो ईमान की ह़िफ़ाज़त के लिये **अल मदीनतुल इ़ल्मिय्या** ने अपने आग़ाज़ से ले कर अब तक जो काम किया वोह अपनी मिसाल आप है।

अल्लाह पाक अपने फ़ज़्लो करम से ब शुमूल **अल मदीनतुल इ़ल्मिय्या** दा'वते इस्लामी के मदनी कामों, इदारों और शो'बों को मज़ीद तरक़्क़ी अ़त़ा फ़रमाए। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللہُ تعالٰی علیہ واٰلہٖ وسلَّم

तारीख़ : 15 शव्वालुल मुकर्रम 1442 हि./27 मई 2021 ई.

पुर सुकून ज़िन्दगी गुज़ारने का नुस्ख़ा हाज़िर है

सुकून और इत्मीनान वोह ख़ज़ाना है जिसे हर बेचैन शख़्स हासिल करना चाहता है, मख़्लूक़ ने इस ख़ज़ाने तक पहुंचने और इसे खोजने के बहुत से रास्ते अपनाए हुए हैं मगर वोह रास्ते ज़िन्दगी के किसी न किसी मोड़ पर मख़्लूक़ की तरह फ़ानी साबित होते हैं येह ख़ज़ाना भी नहीं मिलता अलबत्ता इसे तलाश करने वाला मायूसी के दलदल में धंस जाता है।

अल्लाह पाक ने सुकूनो इत्मीनान तक पहुंचने का सीधा रास्ता "दीने इस्लाम" अ़ता फ़रमाया है। इस्लाम में दीनी, दुन्यावी, उख़्रवी, अख़्लाक़ी, ज़ाहिरी, बातिनी, घरेलू, ख़ानदानी, मुआ़शरती और मआ़शी बल्कि हर ए'तिबार से ज़िन्दगी के तमाम शो'बाजात से वाबस्ता अफ़राद के लिये बेहतरीन उसूलो ज़वाबित और शानदार हिदायात मौजूद हैं। सिर्फ़ इस्लाम ही **अल्लाह** पाक का पसन्दीदा दीन है,

चुनान्चे पारह 6 **सूरए माइदह** की आयत नम्बर 3 में रब्बे करीम का फ़रमाने हक़ीक़त बुन्याद है :

اَلْیَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِیْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِیْ وَ رَضِیْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِیْنًاؕ

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : आज मैं ने तुम्हारे लिये तुम्हारा दीन कामिल कर दिया और तुम पर अपनी ने'मत पूरी कर दी और तुम्हारे लिये इस्लाम को दीन पसन्द किया।

इसी तरह् पारह 3 **सूरए आले इमरान** आयत नम्बर 19 में रब्बे करीम ने इर्शाद फ़रमाया :

اِنَّ الدِّیْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ۫

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : बेशक **अल्लाह** के यहां इस्लाम ही दीन है।

इन आयाते करीमा से मा'लूम होता है कि दीने इस्लाम ही वोह वाहिद मज़्हब है जिस में दुन्या व आख़िरत की भलाइयां पोशीदा हैं और हक़ीक़ी क़ल्बी सुकून भी इसी मज़्हबे हक़ की क़बूलिय्यत में है।

इन्सान की बेचैनी और बे इत्मीनानी का बड़ा बुन्यादी सबब ला इल्मी है इसी लिये दीने इस्लाम ने हर मुसल्मान मर्द व औ़रत के लिये हुसूले इल्म ज़रूरी क़रार दिया है, क्यूं कि इल्म से बेहतर कोई चीज़ नहीं, इल्म दिल को अन्धे पन से बचा कर नूरे बसीरत व हिदायत अ़ता करता है, बन्दा इस के ज़रीए नेक लोगों की मनाज़िल और बुलन्द दरजात को पा लेता है, इस में ग़ौरो फ़िक्र रोज़ा रखने के बराबर और इस का दर्स रात के क़ियाम के बराबर है, इल्म के ज़रीए ही **अल्लाह** की इबादत व फ़रमां बरदारी होती है, इसी से तमाम अख़्लाक़ी, समाजी और ज़िन्दगी से तअ़ल्लुक़ रखने वाले दीगर उमूर अन्जाम दिये जाते हैं। इल्म ही की बदौलत इन्सान के किरदार में निखार, अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास और अपने फ़राइज़ को अन्जाम देने की रग़्बत नसीब होती है। नबिय्ये अकरम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने मुआ़शरे में बसने वाले अफ़राद को इल्म की अहम्मिय्यत का एहसास किस तरह् दिलाया ? इस का अन्दाज़ा लगाने के लिये येह ह़दीस

मुलाहृज़ा कीजिये : तुम्हारा सुब्ह़ के वक़्त इल्म का एक बाब सीखने के लिये जाना सो रक्अ़त नफ़्ल नमाज़ से बेहतर है।[1] एक रिवायत में यूं इर्शाद हुवा : "ईमान बे लिबास है, इस का लिबास तक़्वा, इस की ज़ीनत ह़या और इस का फल इल्म है।"[2] और एक ह़दीस में इर्शाद फ़रमाया : اِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ या'नी इल्म सीखने से ही आता है।[3] ऐसी रिवायात को पढ़ कर इन्सान का दिल करता है कि वोह भी इल्म ह़ासिल करे लेकिन बसा अवक़ात फ़ैसला नहीं कर पाता कि क्या जानना ज़रूरी है और क्या नहीं ? कभी येह होता है कि इन्सान अपनी ज़रूरत का इल्मे दीन ह़ासिल तो करना चाहता है मगर मसरूफ़िय्यात या दीगर वुजूहात की वज्ह से वोह ऐसा करने से क़ासिर रहता है।

हुसूले इल्म की अहम्मिय्यत तो वाज़ेह़ हो गई लेकिन येह जानना भी ज़रूरी है कि कौन सा इल्म ह़ासिल करना ज़रूरी है ? तो इस्लाम ने हमें बता दिया कि जो भी एक ख़ुश गवार ज़िन्दगी गुज़ारना चाहता है वोह सब से पहले येह पांच उ़लूम : (1) अ़क़ाइद व नज़रिय्यात (2) इबादात (3) मुआ़मलात (4) मुन्जियात (या'नी अच्छे अख़्लाक़) (5) मोहलिकात (या'नी बुरे अख़्लाक़) ह़ासिल करे, इन उ़लूम का मुख़्तसर तआ़रुफ़ और अहम्मिय्यत मुलाहृज़ा कीजिये :

(1) इस्लामी अ़क़ीदे : याद रखिये ! लफ़्ज़ अ़क़ीदा "अ़क़्द" से बना है जिस का मा'ना है बांधना या गिरह लगाना जब कि लुग़वी ए'तिबार से बांधी हुई या गिरह लगाई हुई चीज़ को अ़क़ीदा कहते हैं।[4] शरीअ़त की इस्तिलाह़ में अ़क़ीदा उन दीनी उमूर का नाम है जिन पर दिल बिग़ैर किसी शको शुबे और तरद्दुद के पुख़्ता हो जाए। क्यूं कि दीन के किसी मुआ़मले में शको शुबा और तरद्दुद कुफ़्र है।[5] जिस से आदमी सह़ीहुल अ़क़ीदा सुन्नी मुसल्मान बनता है, मसलन **अल्लाह** करीम की ज़ातो सिफ़ात के क़दीम होने, अम्बियाए किराम عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام के सच्चे नबी होने, ह़ज़रत मुह़म्मद मुस्त़फ़ा, अह़मदे मुज्तबा صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के आख़िरी नबी होने के साथ साथ जिन्नात व मलाएका, करामाते औलिया, अ़ज़ाबे क़ब्र, मुन्कर नकीर के सुवाल, मरने के बा'द उठने, मीज़ान, ह़ौज़े कौसर, पुल सिरात़ और जन्नत व दोज़ख़ के ह़क़ होने का यक़ीन रखना। ह़ज़रते सय्यिदुना अबू बक्र सिद्दीक़ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ का ह़ज़राते अम्बियाए किराम عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام के बा'द सब से अफ़्ज़ल होने और तमाम सह़ाबए किराम के आ़दिल होने का ईमान रखना ज़रूरी है।

1 ... ابن ماجہ، کتاب السنۃ، باب فضل من تعلم القرآن وعلمہ، 1/143-142

2 ... مسند الفردوس، باب الالف، 1/72، حدیث:380

3 ... بخاری، کتاب العلم، باب العلم قبل القول والعمل، 1/41

4 ... لسان العرب، باب العین، 1/2698

5 ... الحدیقۃ الندیۃ، خطبۃ الکتاب، 1/30

(2) इबादात : अ़क़ाइद का इ़ल्म ह़ासिल करने के बा'द दूसरी ज़रूरत इबादात के इ़ल्म की है, लिहाज़ा इबादत करने से पहले उस के बारे में इ़ल्म होना ज़रूरी है। मसलन वुज़ू, ग़ुस्ल, नमाज़ के फ़राइज़ व वाजिबात, ह़ज करने जाना है तो ह़ज के मसाइल, **अल्लाह** पाक ने माल दिया है तो ज़कात अदा करने के मसाइल, माहे रमज़ान के रोज़े रखने के मसाइल वग़ैरा सीखना लाज़िम व अहम हैं मगर हम में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो कई कई सालों से नमाज़ें पढ़ रहे होंगे मगर हो सकता है कि उन्हें नमाज़ के फ़राइज़ व शराइत़ मा'लूम न हों, कोई नमाज़ के वाजिबात से ना वाक़िफ़ होगा, किसी की क़िराअत दुरुस्त नहीं होगी तो किसी को सज्दा करने का दुरुस्त त़रीक़ा मा'लूम नहीं होगा। येही ह़ाल रोज़ा रखने वालों का है कि मुद्दतों से हर साल माहे रमज़ान के रोज़े रखते हैं और एक रोज़ा भी छोड़ना गवारा नहीं करते मगर क्या हमें येह भी मा'लूम है कि रोज़ा किन चीज़ों से टूट जाता है ? वोह कौन से काम हैं जिन से रोज़े का कफ़्फ़ारा लाज़िम आता है या क़ज़ा और कफ़्फ़ारा दोनों वाजिब होते हैं ? इसी त़रह़ जिन ख़ुश नसीबों को ह़ज की सआ़दत नसीब होती है तो क्या उन्हें ह़ज के मसाइल, उ़म्रह करना है तो उ़म्रे के मसाइल मा'लूम होते हैं ? बा'ज़ नादान ऐसे भी होते हैं जो ह़ज की मा'लूमात ह़ासिल करने की बजाए यूं कहते हैं कि बस ह़ज के लिये चले जाओ, वहां जो सब लोग कर रहे होंगे उन्ही की देखा देखी हम भी कर लेंगे।

(3) मुआ़मलात : अगर हम भी चाहते हैं कि हम भी पुर सुकून रहें, हमारा मुआ़शरा अम्न का गहवारा बने, हमारी दियानत दारी की मिसाल दी जाए, हमारे मुआ़मलात से उम्मते मुस्लिमा को आसानी हो तो इस के लिये ज़रूरी है कि इस्लामी उसूल सीख कर उन पर अ़मल करें। दीने इस्लाम जिस त़रह़ इबादात मसलन नमाज़, रोज़ा, ह़ज और ज़कात की अदाएगी की ता'लीमो तरबियत देता है इसी त़रह़ मुआ़मलात के ह़वाले से भी मुकम्मल रहनुमाई करता है। याद रखिये ! हम जिस मुआ़शरे में रहते हैं उस में तरक़्क़ी करने के लिये एक दूसरे का ए'तिमाद ह़ासिल करना ज़रूरी है क्यूं कि एक दूसरे की मुआ़वनत के बिग़ैर दुन्या में एक क़दम भी आगे बढ़ाना मुश्किल है इस मुआ़वनत में मज़बूती पैदा करने के लिये मुआ़मलात और रोज़मर्रा की ज़रूरिय्यात में इस्लाम की रोशन ता'लीमात को सीखना भी ज़रूरी है, मुआ़मलात मसलन ख़रीदो फ़रोख़्त करने, तिजारत करने और इसी त़रह़ किसी इदारे में काम करना है तो अजीर के, अगर किसी को काम पे रखना है तो इस ह़वाले से इस्लाम की ता'लीमात को सीखना भी ज़रूरी है कि हम जो कुछ करने जा रहे हैं वोह जाइज़ है या ना जाइज़ ? इसी त़रह़ निकाह़ व त़लाक़ के अह़काम सीखना भी ज़रूरी है।

(4, 5) मुन्जियात व मोहलिकात : दीने इस्लाम ने जहां ज़ाहिरी आ'माल की इस्लाह़ के ह़वाले से इल्मे दीन ह़ासिल करना लाज़िमी क़रार दिया है वहीं दिल के साथ जिन आ'माल का तअ़ल्लुक़ है उन के बारे में भी इल्म ह़ासिल करना लाज़िमी क़रार दिया है, हुज़ूर صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने दिल की इस्लाह़ पर ज़ोर देते हुए इर्शाद फ़रमाया : इन्सान के जिस्म में गोश्त का एक टुकड़ा है अगर वोह दुरुस्त हो जाए तो इन्सान के तमाम आ'माल दुरुस्त हो जाएं और अगर येह टुकड़ा बिगड़ जाए तो तमाम आ'माल में फ़साद और बिगाड़ आ जाता है और वोह गोश्त का टुकड़ा "दिल" है।[1] मा'लूम हुवा की अगर बन्दा इस्लाम कि ह़क़ीक़त समझ ले और जान ले कि इस्लाम दिल और बदन दोनों की इस्लाह़ की दा'वत देता है, तो वोह दिल का इलाज भी ज़रूर करेगा। ह़क़ीक़तन शुरूअ़ में बन्दा अपने इन सात आ'ज़ा : (1) ज़बान (2) आंख (3) कान (4) हाथ (5) पाउं (6) पेट और (7) शर्मगाह के गुनाहों से छुटकारा पाता है। फिर इन आ'ज़ा को इ़बादत व इत़ाअ़त से मुज़य्यन करता है। क्यूं कि येही सातों आ'ज़ा दिल के रास्ते हैं, अगर इन पर गुनाहों के अंधेरे छा जाएं तो दिल को सख़्त और बे नूर कर देते हैं और अगर येह त़ाअ़तो इ़बादात के अन्वार से मुनव्वर हो जाएं, तो दिल को शिफ़ा व नूरानिय्यत नसीब हो जाती है।[2] इन्ही वुजूहात की बिना पर अस्ह़ाबे मुजाहदा व रियाज़त इस्लाहे़ क़ल्ब को ज़ियादा दुश्वार ख़याल करते हैं और अरबाबे बसीरत उस की इस्लाह़ का ज़ियादा एहतिमाम करते हैं। आ'ला ह़ज़रत, इमाम अह़मद रज़ा ख़ान "फ़तावा रज़विय्या" जिल्द 23, सफ़ह़ा 624 पर इर्शाद फ़रमाते हैं : "मुह़र्रमाते बात़िनिय्या (या'नी बात़िनी मम्नूआ़त मसलन) तकब्बुर व रिया व उ़ज्ब (या'नी ग़ुरूर) व ह़सद वग़ैरहा और इन के मुआ़लजात (या'नी इलाज) कि इन का इ़ल्म भी हर मुसल्मान पर अहम फ़राइज़ से है।"

अगर एक मुसल्मान इन फ़र्ज़ उ़लूम को ह़ासिल करे और इन्ही उसूलों के मुत़ाबिक़ ज़िन्दगी गुज़ारे तो उस की ज़िन्दगी से बे सुकूनी का ख़ातिमा हो जाएगा। اِنْ شَآءَاللّٰه

اَلْحَمْدُ لِلّٰه ! दा'वते इस्लामी दीने इस्लाम की ता'लीमात को अह़सन अन्दाज़ से दुन्या भर में फैलाने की कोशिश में सरे फ़ेहरिस्त है, ख़ास त़ौर पर इस माद्दी तरक़्क़ी के दौर में जब आए रोज़ साइन्सी ईजादात में इज़ाफ़ा हो रहा है और हर इन्सान आसानी का त़ालिब नज़र आता है, दुन्यवी आसाइशों के साथ साथ इन्सान इल्मे दीन सीखने के मुआ़मले में भी येही चाहता है कि उसे कम वक़्त में आसान अन्दाज़ में ज़रूरी

1 ... بخاری، کتاب الایمان، باب فضل من استبراء لدینہ، 1/33، حدیث:52 ملتقطا
2 ... حقائق عن التصوف، ص26

दीनी मसाइल एक जगह दस्त याब हों, दौरे हाज़िर में भी इस बात की शदीद हाजत थी कि एक ऐसी किताब मुरत्तब की जाए जिस में एक आम मुसल्मान को अ़क़ाइद व नज़रिय्यात, इबादात और मा'मूलाते अहले सुन्नत का सुबूत भी कुरआनो ह़दीस की रोशनी में मुख़्तसर दलाइल के साथ मुयस्सर आ सके।

अल्लाह पाक और उस के प्यारे ह़बीब صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के करम और अमीरे अहले सुन्नत ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना मुह़म्मद इल्यास क़ादिरी دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه के फ़ैज़ान से दा'वते इस्लामी के इदारए तस्नीफ़ो तालीफ़ अल मदीनतुल इल्मिय्या ने इस ज़रूरत को पेशे नज़र रखते हुए इस अहम काम का बीड़ा उठाया और न सिर्फ़ अ़क़ाइद, इबादात और मुआ़मलात बल्कि मा'मूलाते अहले सुन्नत और बिल ख़ुसूस वोह उ़लूम जिन का तअ़ल्लुक़ बातिन से है और उन के बारे में शरई अह़कामात सीखना एक मुसल्मान के लिये ज़रूरी है, मसलन ह़सद, तकब्बुर, रिया वग़ैरा के मुतअ़ल्लिक़ अह़कामात को भी इस किताब में यक्जा करने की कोशिश की है। इस किताब की ख़ुसूसिय्यात मुलाह़ज़ा कीजिये :

- अ़स्रे हाज़िर के तक़ाज़ों को पेशे नज़र रख कर येह किताब तरतीब दी गई है।
- हर बाब की नए सफ़्हे से इब्तिदा की गई है और बाब को समझने के लिये इब्तिदाइया भी शामिल किया गया है।
- आयाते मुबारका का तरजमा कन्ज़ुल ईमान और उन की वज़ाह़त मुस्तनद तफ़ासीर ली गई हैं।
- मौज़ूअ़ के ए'तिबार से कुरआनी आयात और अह़ादीसे त़य्यिबा और बुज़ुर्गाने दीन के अक़्वाल का ब ह़वाला एहतिमाम किया गया है।
- पढ़ने वालों की दिलचस्पी बर क़रार रखने के लिये उ़न्वानात (Headings) शामिल किये गए हैं।
- अ़क़ाइदो मा'मूलाते अहले सुन्नत, इबादातो मुआ़मलात और मुन्जियात व मोहलिकात को अलग अलग अब्वाब में तक़्सीम किया गया है।
- इस किताब के तीन अब्वाब (अ़क़ाइद, मा'मूलाते अहले सुन्नत और नमाज़ के बाब) को सुवाल व जवाब की सूरत में पेश किया गया ताकि याद करने में आसानी हो...
- इस्लामी बहनों से मुतअ़ल्लिक़ शरई मसाइल व अह़काम भी शामिले किताब हैं।
- क़ारिईन की आसानी के लिये ह़स्बे ज़रूरत मुश्किल अल्फ़ाज़ पर ए'राब लगाने का एहतिमाम किया गया है।
- बा'ज़ जगह मुफ़ीद ह़वाशी और किसी मौज़ूअ़ की तफ़्सील पढ़ने के लिये मक्तबतुल मदीना की किताब का नाम भी दिया गया है।

- आयात, अह़ादीस, तौज़ीह़ी इ़बारात और फ़िक़्ही जुज़्इय्यात के ह़वाले (References) दिये गए हैं।
- ह़वाला जात फ़ुटनोट में दिये गए हैं।
- एक ही नज़र में किताब के उ़न्वानात देखने के लिये इज्माली फ़ेह्रिस्त (Short Index) दी गई है।
- पूरी किताब के तफ़्सीली उ़न्वानात देखने के लिये तफ़्सीली फ़ेह्रिस्त (Detailed Index) दी गई है।
- आ़म क़ारिईन बिल ख़ुसूस दा'वते इस्लामी के तह़्त मुख़्तलिफ़ कोर्सिज़ करने वाले तुलबा की आसानी के लिये अस्बाक़ की नम्बरिंग कर दी गई है।
- बा'ज़ मक़ामात पर क़ारिईन को आसानी से समझाने के लिये नक़्शों का एहतिमाम किया गया है।
- इस किताब में बिल ख़ुसूस इमाम साह़िबान के लिये इमामत के मसाइल, इमाम को कैसा होना चाहिये, मुक़्तदियों की इस्लाह़ किस त़रह़ करनी चाहिये ? वग़ैरा मौज़ूआ़त भी शामिल किये गए हैं।
- दारुल इफ़्ता अहले सुन्नत से तफ़्तीश शुदा मवाद को किताब का ह़िस्सा बनाया गया है।
- अग़लात़ से बचने के लिये पूरी किताब की कई बार प्रूफ़ रीडिंग की गई है।

इस के इ़लावा दीगर ख़ुसूसिय्यात के साथ ज़िन्दगी को पुर सुकून बनाने के इस्लामी क़वानीन और उसूलों पर मुश्तमिल येह किताब ह़ाज़िर है, ख़ुद भी पढ़िये और दूसरों को भी इसे पढ़ने की दा'वत दीजिये।

अल्लाह करीम दा'वते इस्लामी के तमाम मदनी कामों, शो'बों और इदारों बिल ख़ुसूस इदारए तस्नीफ़ो तालीफ़ अल मदीनतुल इ़ल्मिय्या की इस काविश को अपनी बारगाह में क़बूल फ़रमाए और इस किताब को हर मुसल्मान के लिये नफ़्अ़ मन्द बनाए। اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللہ تعالٰی علیہ واٰلہٖ وسلَّم

मुअ़ल्लिम, उस्ताद (Teacher) इस किताब को ऐसे पढ़ाए !

अगर आप मुअ़ल्लिम (Teacher) हैं तो दर्जे ज़ैल उमूर पेशे नज़र रख कर सबक़ पढ़ाएं।

सबक़ का तआ़रुफ़ : आप सब से पहले त़लबा को सबक़ का तआ़रुफ़ कराएं। मसलन वुज़ू का सबक़ पढ़ाना है तो त़लबा को उस की ज़रूरत, अहम्मिय्यत, रूह़ानी और जिस्मानी ज़िन्दगी में उस के असरात से आगाह करें।

मक़ासिद : आप सबक़ पढ़ाने के मक़ासिद पेशे नज़र रखें। किसी सबक़ के मक़ासिद वोह होते हैं कि सबक़ ख़त्म होने पर त़लबा उन उमूर के क़ाबिल हो जाएं जो सबक़ में बताए गए हैं। हर सबक़ के अलग अलग मक़ासिद होते हैं। मसलन अज़ान के मसाइल पढ़ाने का मक़्सद येह है कि त़लबा अज़ान के मसाइल से वाक़िफ़ हों, दूसरों को मसाइल बताने और अज़ान देने के क़ाबिल हों।

त़लबा की जांच : सबक़ पढ़ाने से पहले आप त़लबा की जांच करें कि वोह सबक़ के बारे में कितना जानते हैं। ताकि आप उन्हें ह़ासिल शुदा इ़ल्म से आगे की ता'लीम दें। क्यूं कि आप पहले से ह़ासिल किये हुए इ़ल्म को दोबारा पढ़ाएंगे तो त़लबा दिलचस्पी कम लेंगे और बोरियत का शिकार होंगे। त़लबा की जांच का त़रीक़ा येह है कि आप उन से मौज़ूअ़ के बारे में सुवालात करें।

त़रीक़ए तदरीस : आप तक़रीरी अन्दाज़ और सुवाल जवाब के ज़रीए़ सबक़ समझाएं। اَلْحَمْدُ لِله ! किताब में सुवाल व जवाब का एहतिमाम किया गया है : मसलन क्या **रसूलुल्लाह** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के बा'द कोई नबी आ सकता है ? फिर जवाब दें, नहीं। त़लबा में दिलचस्पी पैदा करने के लिये आप सबक़ के दौरान त़लबा से सुवालात भी करते रहें, मौज़ूअ़ के मुत़ाबिक़ त़लबा के ज़ेहन में जो सुवाल आए उस का भी जवाब दे दीजिये।

सबक़ का दौरानिया : सबक़ पढ़ाने का जितना दौरानिया आप को दिया जाए उसी के मुत़ाबिक़ पूरा सबक़ पढ़ाएं। इस के लिये आप पहले से चन्द मरतबा सबक़ पढ़ लें ताकि पूरा सबक़ आप के ज़ेह्न नशीन हो जाए और पढ़ाते वक़्त सबक़ से ग़ैर मुतअ़ल्लिक़ उमूर से बचें। सबक़ ख़त्म होने के बा'द आप त़लबा से सुवालात पूछें। अगर कोई त़ालिबे इ़ल्म किसी सुवाल का जवाब दुरुस्त न दे तो दूसरे त़ालिबे इ़ल्म से पूछें, दोनों का जवाब सुनने के बा'द आप एक बार फिर जवाब बताएं।

फ़वाइद : आप त़लबा को बताएं कि इस सबक़ के क्या क्या फ़ाएदे हैं।

मुस्तक़्बिल में इस्ति'माल : आप त़लबा को बताएं कि सबक़ से सीखी हुई बातों का मुस्तक़्बिल में क्या क्या इस्ति'माल हो सकता है।

मुआ़विन चीज़ें : व्हाइट बोर्ड/ व्हाइट बोर्ड मार्कर/ डस्टर, नक़्शा।

सबक़ की मन्सूबा बन्दी :

तआ़रुफ़ : सबक़ का कुछ तआ़रुफ़ कराया जाए। मसलन : इस सबक़ में नमाज़ पढ़ने की अहम्मिय्यत, इस के फ़वाइद, न पढ़ने के नुक़्सानात, इस की शराइत़, फ़राइज़, वाजिबात, सुन्नतें, मुस्तह़ब्बात, मुफ़्सिदात बयान किये गए हैं।

मक़ासिद/हदफ़ : यहां सबक़ में मौजूद इ़ल्म और उस पर अ़मल का ज़िक्र किया जाए।

मसलन : वुज़ू का बयान : मक़ासिद : वुज़ू के फ़र्ज़, सुन्नतें, वुज़ू तोड़ने वाली चीज़ों का इ़ल्म हो, बयान कर्दा अह़काम पर अ़मल करें। आयत, ह़दीस और शरई इस्ति़लाह़ात से वाक़िफ़िय्यत हो।

मौज़ूआ़त : यहां ज़िम्नी मौज़ूअ़ के नाम ज़िक्र किये जाएं। मसलन : नमाज़ के अवक़ात, शराइत़, फ़राइज़, मुफ़्सिदात।

फ़ाएदा : यहां सबक़ से ह़ासिल होने वाले फ़वाइद लिखें। मसलन : शरीअ़त के मुता़बिक़ वुज़ू करने का इ़ल्म ह़ासिल होगा और दुरुस्त त़रीक़े से वुज़ू कर सकेंगे।

मुस्तक़्बिल में इस्ति'माल : घर के अफ़राद और दूसरों को इस बारे में दुरुस्त मा'लूमात दे सकेंगे और बच्चों को वुज़ू करना सिखा सकेंगे।

सबक़ का ख़ुलासा : सबक़ के आख़िर में एक पेरेग्राफ़ में ख़ुलासा बयान किया जाए। मसलन : इस सबक़ में आप ने नमाज़ की शराइत़, तक्बीरे तह़रीमा...... फ़राइज़...... सुन्नतें सीखीं।

जाएज़ा : सबक़ के इख़्तिताम पर अहम बात पर सुवाल क़ाइम किये जाएं कि आप ने क्या सीखा। मसलन :

मुन्दरिजए ज़ैल सुवालों के ज़रीए़ ख़ुद को परखें :

क्या आप को इ़ल्म है कि **अल्लाह** का कोई शरीक नहीं ? हां/ नहीं/ पता नहीं।

क्या आप जानते हैं कि **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم आख़िरी नबी व रसूल हैं ? हां/ नहीं/ पता नहीं।

इस्लामी अक़ीदे

इस बाब में आप पढ़ेंगे

1 ..... तौह़ीदे इलाही का बयान
2 ..... नुबुव्वत का बयान
3 ..... क़ियामत और इस की निशानियों का बयान
4 ..... जन्नत का बयान
5 ..... औलियाउल्लाह का बयान

ता'रीफ़ात

ईमान की ता'रीफ़	ईमान लुग़त में तस्दीक़ करने (या'नी सच्चा मानने) को कहते हैं।[1] ईमान का दूसरा लुग़वी मा'ना है : अम्न देना। चूंकि मोमिन अच्छे अक़ीदे इख़्तियार कर के अपने आप को दाइमी या'नी हमेशा वाले अ़ज़ाब से अम्न दे देता है इस लिये अच्छे अक़ीदों के इख़्तियार करने को ईमान कहते हैं।[2] और इस्तिलाहे शर्अ़ में ईमान के मा'ना हैं : सच्चे दिल से उन सब बातों की तस्दीक़ करे जो ज़रूरिय्याते दीन से हैं।[3] और आ'ला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह को हर बात में सच्चा जाने, हुज़ूर की हक़्क़ानिय्यत को सिद्क़े दिल से मानना ईमान है जो इस का मुक़िर (या'नी इक़रार करने वाला) हो उसे मुसल्मान जानेंगे जब कि उस के किसी क़ौल या फ़े'ल या हाल में **अल्लाह** व रसूल का इन्कार या तक्ज़ीब (या'नी झुटलाना) या तौहीन न पाई जाए।[4]
ज़रूरिय्याते दीन	ज़रूरिय्याते दीन, इस्लाम के वोह अह़काम हैं जिन को हर ख़ासो आ़म जानते हों, जैसे **अल्लाह** करीम की वह़दानिय्यत (या'नी उस का एक होना), अम्बियाए किराम عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام की नुबुव्वत, नमाज़, रोज़े, ह़ज, जन्नत, दोज़ख़, क़ियामत में उठाया जाना, ह़िसाबो किताब लेना वग़ैरा। मसलन येह अ़क़ीदा रखना (भी ज़रूरिय्याते दीन में से है) कि हुज़ूर नबिय्ये करीम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ख़ातमुन्नबिय्यीन हैं हुज़ूरे अकरम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के बा'द कोई नया नबी नहीं हो सकता।
कुफ़्र की ता'रीफ़	कुफ़्र का लुग़वी मा'ना है : किसी शै को छुपाना।[5] इस्तिलाह़ में किसी एक ज़रूरते दीनी के इन्कार को भी कुफ़्र कहते हैं अगर्चे बाक़ी तमाम ज़रूरिय्याते दीन की तस्दीक़ करता हो।[6] जैसे कोई शख़्स अगर तमाम ज़रूरिय्याते दीन को तस्लीम करता हो मगर नमाज़ की फ़र्ज़िय्यत या ख़त्मे नुबुव्वत का मुन्किर हो वोह काफ़िर है कि नमाज़ को फ़र्ज़

1 ...تفسیر قرطبی، پ1، البقرۃ، تحت الآیۃ:3، 1/147

2 ....तफ़्सीरे नईमी, पारह : 1, अल बक़रह, तह़्तल आयह : 3, 1/98

3 ....बहारे शरीअ़त, 1/172, ह़िस्सा : 1 माख़ूज़न

4 ....फ़तावा रज़विय्या, 29/254

5 ...المفردات، کتاب الکاف، ص433

6 ....बहारे शरीअ़त, 1/172, ह़िस्सा : 1 माख़ूज़न

	मानना और सरकारे मदीना صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم को आख़िरी नबी मानना दोनों बातें ज़रूरिय्याते दीन में से हैं।
शिर्क की ता'रीफ़	**अल्लाह** करीम के सिवा किसी को वाजिबुल वुजूद या मुस्तह़िक़्क़े इ़बादत (या'नी किसी को इ़बादत के लाइक़) जानना या'नी उलूहिय्यत में दूसरे को शरीक करना और येह कुफ़्र की सब से बद तरीन क़िस्म है। इस के सिवा कोई बात कैसी ही शदीद कुफ़्र हो ह़क़ीक़तन शिर्क नहीं।(1)
वली की ता'रीफ़	ह़ज़रते सय्यिदुना अ़ल्लामा सा'दुद्दीन मस्ऊ़द बिन उ़मर तफ़्ताज़ानी رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : वली उस शख़्स को कहते हैं जो मुम्किना ह़द तक **अल्लाह** और उस की सिफ़ात का आ़रिफ़ हो, इस त़रह़ कि **अल्लाह** की हमेशा इ़बादत करता हो और हर क़िस्म के गुनाहों से इज्तिनाब करता हो, लज़्ज़ात और शहवात में इन्हिमाक और इस्तिग़राक़ से बचता हो।(2) इमाम फ़ख़्रुद्दीन अबू अ़ब्दुल्लाह मुह़म्मद बिन उ़मर राज़ी رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه वली की ता'रीफ़ बयान करते हुए इर्शाद फ़रमाते हैं : वली वोह है जो ए'तिक़ादे सह़ीह़ मब्नी बर दलील रखता हो और आ'माले सालिह़ा शरीअ़त के मुत़ाबिक़ बजा लाता हो। मज़ीद फ़रमाते हैं : जब बन्दा **अल्लाह** का क़ुर्बे ख़ास पा लेता है और उस की मा'रिफ़त में मुस्तग़रक़ हो जाता है तो उस वक़्त उस के दिल में ज़ाते बारी तआ़ला के सिवा किसी का ख़याल तक नहीं गुज़रता और इस ह़ाल में उसे मुकम्मल विलायत ह़ासिल हो जाती है और जब उसे येह मक़ाम मिल जाता है तो फिर उस को किसी शै का ख़ौफ़ नहीं होता और न वोह किसी चीज़ के सबब ग़मगीन होता है।(3)
मो'जिज़ा	नबी से बा'दे दा'वए नुबुव्वत ख़िलाफ़े आ़दत सादिर होने वाली चीज़ को जिस से सब मुन्किरीन आ़जिज़ हो जाते हैं उसे मो'जिज़ा कहते हैं।
इरहास	नबी से जो बात ख़िलाफ़े आ़दत नुबुव्वत से पहले ज़ाहिर हो उस को इरहास कहते हैं।
करामत	वली से जो बात ख़िलाफ़े आ़दत सादिर हो उस को करामत कहते हैं।
इस्तिद्राज	बेबाक फ़ुज्जार या कुफ़्फ़ार से जो बात उन के मुवाफ़िक़ ज़ाहिर हो उस को इस्तिद्राज कहते हैं।(4)

1 ....बहारे शरीअ़त, 1/183, ह़िस्सा : 1 मुलख़्ख़सन

2 ...شرح العقائد، کرامات الاولیاء حق، ص316

3 ...تفسیر کبیر، سورۂ یونس، تحت الآیۃ:62، 6/276

4 ....बहारे शरीअ़त, 1/58, ह़िस्सा : 1 माख़ूज़न

सबक़ नम्बर 1

तौह़ीदे इलाही का बयान

इस्लाम के बुन्यादी अ़क़ीदों में से अहम तरीन अ़क़ीदा अ़क़ीदए तौह़ीद है। तौह़ीद का मा'ना दिल से तस्दीक़ करना (मानना) और ज़बान से इस अम्र का इक़रार करना कि हमें और तमाम आ़लम को पैदा करने वाली ज़ात एक है और वोह **अल्लाह** रब्बुल इ़ज़्ज़त है, उस का कोई शरीक नहीं, न ज़ात में न सिफ़ात में, न हुकूमत में न इबादत में। **अल्लाह** पाक का मौजूद होना आफ़्ताब से ज़ियादा रोशन है, उस की ज़ात का यक़ीन हर शख़्स की फ़ित्रत में दाख़िल है, ख़ुसूसन मुसीबतों में, बीमारियों में, मौत के क़रीब अक्सर येह फ़ित्रते अस्लिय्या ज़ाहिर हो जाती है और बड़े बड़े मुन्किरीन भी ख़ुदा ही की त़रफ़ रुजूअ़ करने लगते हैं और उन की ज़बानों पर भी बे साख़्ता ख़ुदा का नाम आ ही जाता है। थोड़ी सी अ़क़्ल वाला इन्सान भी दुन्या की तमाम चीज़ों पर नज़र कर के येह यक़ीन कर लेता है कि बेशक येह आस्मान व ज़मीन, सितारे और सय्यारे, इन्सान व ह़ैवान और तमाम मख़्लूक़ किसी न किसी के पैदा करने से पैदा हुए हैं। आख़िर कोई तो है जिस ने इन को पैदा किया है और जिस त़रह़ चाहता है इन में तसर्रुफ़ करता है, क्यूं कि जब हम किसी तख़्त या कुरसी वग़ैरा को देखते हैं तो फ़ौरन समझ लेते हैं कि इन्हें किसी न किसी कारीगर ने बनाया है अगर्चे हम ने अपनी आंख से बनाते न देखा। अ़रब के एक बद्दू ने ख़ूब कहा कि ऊंट की मेंगनी देख कर ऊंट के गुज़रने का यक़ीन हो जाता है और नक़्शे क़दम देख कर चलने वाले का सुबूत मिलता है तो फिर इन बुर्जों वाले आस्मान और कुशादा रास्ते वाली ज़मीन को देख कर **अल्लाह** के सानेए़ आ़लम होने का यक़ीन क्यूंकर न होगा ? फ़िल वाक़ेअ़ ज़मीनो आस्मान की पैदाइश, रात दिन का इख़्तिलाफ़, सितारों का ख़ास निज़ाम, इन की मख़्सूस गर्दिश, इस बात की खुली हुई दलीलें हैं कि इन का कोई पैदा करने वाला ज़रूर है जो बड़ी ज़बर दस्त कुव्वतो कुदरत वाला और बड़ा ह़कीम और बा इख़्तियार है जिस के क़ब्ज़ए कुदरत से येह चीज़ें निकल नहीं सकतीं।

तौह़ीदे इलाही कुरआन की रोशनी में

अल्लाह करीम की वह़दानिय्यत के सुबूत, एक तो अ़क़्ली हैं या'नी इन्सानी अ़क़्ल (बशर्ते कि अ़क़्ल सह़ीह़ हो) ख़ुदाए रह़मान के एक होने का यक़ीन रखती है, इसी लिये दुन्या के बड़े बड़े हुकमा और फ़ल्सफ़ी एक ख़ुदा के क़ाइल हैं, दूसरे सुबूत वोह हैं जिन को कुरआने करीम ने मुख़्तलिफ़ मक़ामात पर बयान किया है और वोह येह हैं :

{1}

وَ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ ﴿۱۶۳﴾ (پ2،البقرۃ:163)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और तुम्हारा मा'बूद एक मा'बूद है उस के सिवा कोई मा'बूद नहीं मगर वोही बड़ी रह़मत वाला मेह्रबान।

{2}

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ وَ الْمَلٰٓىٕكَةُ وَ اُولُوا الْعِلْمِ قَآىٕمًۢا بِالْقِسْطِ ؕ (پ3،آل عمران:18)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : अल्लाह ने गवाही दी कि उस के सिवा कोई मा'बूद नहीं और फ़िरिश्तों ने और आ़लिमों ने इन्साफ़ से क़ाइम हो कर।

{3}

لَوْ كَانَ فِیْهِمَاۤ اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا ۚ (پ17،الانبیاء:22)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : अगर आस्मान व ज़मीन में **अल्लाह** के सिवा और ख़ुदा होते तो ज़रूर वोह तबाह होते।

{4}

اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍۭ بِمَا خَلَقَ وَ لَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا یَصِفُوْنَ ﴿۹۱﴾ (پ18،المؤمنون:91)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : यूं होता तो हर ख़ुदा अपनी मख़्लूक़ ले जाता और ज़रूर एक दूसरे पर अपनी तअ़ल्ली (बरतरी) चाहता पाकी है **अल्लाह** को उन बातों से जो येह बनाते हैं।

इन आयात से मा'लूम हुवा कि **अल्लाह** पाक के एक होने का यक़ीन हर शख़्स को होना चाहिये। आइये ! अब जानते हैं कि **अल्लाह** करीम के मुतअ़ल्लिक़ हमारे अ़क़ाइद क्या हैं :

सुवाल तौह़ीद किसे कहते हैं ?

जवाब तौह़ीद का लुग़वी मा'ना "एक मानना" है, शरीअ़त में तौह़ीद से मुराद दिल से तस्दीक़ (मानना) और ज़बान से इस अम्र का इक़्रार करना कि हमारी और तमाम आ़लम की पैदा करने वाली ज़ात एक है और वोह ज़ात **अल्लाह** रब्बुल इ़ज़्ज़त है, उस का कोई शरीक नहीं, न ज़ात में, न हुकूमत में, न इ़बादत में।[1]

[1]... हमारा इस्लाम, हिस़्सा : 3, स. 93

सुवाल **अल्लाह** पाक के मौजूद होने पे क्या दलील है ?

जवाब **अल्लाह** पाक का मौजूद होना आफ़्ताब से ज़ियादा रोशन है। उस की हस्ती का यक़ीन हर शख़्स की फ़ित्रत में दाख़िल है। ख़ुसूसन मुसीबतों में, बीमारियों में, मौत के क़रीब, अक्सर येह फ़ित्रते अस्लिय्या ज़ाहिर हो जाती है और बड़े बड़े मुन्किरीन भी ख़ुदा ही की त़रफ़ रुजूअ़ करने लगते हैं और उन की ज़बानों पर भी बे साख़्ता ख़ुदा का नाम आ ही जाता है।

सुवाल दुन्या की किन चीज़ों से ख़ुदा की हस्ती का पता चलता है ?

जवाब थोड़ी सी अ़क़्ल वाला इन्सान भी दुन्या की तमाम चीज़ों पर नज़र कर के यक़ीन कर लेगा कि बेशक येह आस्मान व ज़मीन, सितारे और सय्यारे, इन्सान व ह़ैवान और तमाम मख़्लूक़ किसी न किसी के पैदा करने से पैदा हुए हैं। आख़िर कोई हस्ती तो है जिस ने इन को पैदा किया और जिस त़रह़ चाहता है इन में तसर्रुफ़ करता है, जब हम किसी तख़्त या कुरसी वग़ैरा बनी हुई चीज़ों को देखते हैं तो फ़ौरन समझ लेते हैं कि इन को किसी न किसी कारीगर ने बनाया है। अगर्चे हम ने अपनी आंख से बनाते न देखा। एक अ़रब के बद्दू (दीहाती) ने क्या ख़ूब कहा कि ऊंट की मेंगनी देख कर ऊंट का यक़ीन हो जाता है और नक़्शे क़दम देख कर चलने वाले का सुबूत मिलता है तो फिर इन बुर्जों वाले आस्मान और कुशादा रास्तों वाली ज़मीन को देख कर **अल्लाह** पाक के सानेए़ आ़लम (जहान को पैदा करने वाला) होने का यक़ीन क्यूंकर न होगा ? फ़िल वाक़ेअ़ आस्मान व ज़मीन की पैदाइश, रात दिन का इख़्तिलाफ़, सितारों का ख़ास निज़ाम, इन की मख़्सूस गर्दिश, इस बात की खुली हुई दलीलें हैं कि इन का कोई पैदा करने वाला ज़रूर है, जो बड़ी ज़बर दस्त कुव्वतो कुदरत वाला और बहुत बड़ा ह़कीम और बा इख़्तियार है, जिस के क़ब्ज़ए कुदरत से येह चीज़ें निकल नहीं सकतीं।[1]

सुवाल तौह़ीद के कितने मर्तबे हैं ?

जवाब तौह़ीद के चार मर्तबे हैं :

(1) **अल्लाह** पाक के सिवा किसी को वाजिबुल वुजूद न समझना। (2) तमाम रूह़ानी और माद्दी आ़लम का ख़ालिक़ सिवाए **अल्लाह** पाक के किसी को न जानना। (3) आस्मान और ज़मीन और इन के दरमियान की चीज़ों में तमाम तदबीर व तसर्रुफ़ को **अल्लाह** करीम ही की ज़ात के साथ मख़्सूस समझना। (4) **अल्लाह** पाक के सिवा किसी को मुस्तह़िक़्क़े इबादत न समझना।[2]

1... हमारा इस्लाम, हिस्सा : 3, स. 93
2... हमारा इस्लाम, हिस्सा : 3, स. 95

सुवाल **अल्लाह** पाक का ज़ाती और सिफ़ाती नाम क्या है ?

जवाब ख़ुदाए पाक का ज़ाती नाम **अल्लाह** है, इस को इस्मे ज़ात भी कहते हैं और लफ़्ज़ **अल्लाह** के सिवा और नाम जो उस की किसी सिफ़त को ज़ाहिर करे उसे सिफ़ाती नाम या अस्माए सिफ़ात कहते हैं।

सुवाल रब्बे करीम के कितने नाम हैं ?

जवाब उस के नाम बे शुमार हैं और ह़दीस शरीफ़ में है कि **अल्लाह** करीम के निनानवे नाम जिस किसी ने याद कर लिये वोह जन्नती हुवा।[1]

सुवाल इन नामों के इ़लावा और नाम ख़ुदा के लिये बोले जा सकते हैं या नहीं ?

जवाब **अल्लाह** करीम के लिये ऐसा नाम मुक़र्रर करना जो क़ुरआनो ह़दीस में न आया हो जाइज़ नहीं जैसे कि ख़ुदा को सख़ी या रफ़ीक़ कहना, इसी त़रह़ दूसरी क़ौमों में जो उस के नाम मुक़र्रर हैं और ख़राब मा'ना रखते हैं येह भी उस के लिये मुक़र्रर करना ना जाइज़ है, जैसे कि ख़ुदा को राम या परमात्मा कहना।[2]

सुवाल क्या येह दुन्या हमेशा से है ?

जवाब नहीं, क्यूं कि यहां की हर चीज़ के लिये एक उ़म्र है। पहले वोह पैदा होती है और जब तक उस की उ़म्र है बाक़ी रहती है, फिर फ़ना हो जाती है।[3]

सुवाल दुन्या की चीज़ें पैदा और फ़ना करने वाला कौन है ?

जवाब **अल्लाह** पाक।

सुवाल क्या अकेले उसी ने सारी दुन्या बना डाली या और कोई भी उस के साथ शरीक है ?

जवाब कोई उस का शरीक नहीं, सब उस के बन्दे और उस के पैदा किये हुए हैं, वोह अकेला तमाम जहान का पैदा करने वाला है, उस की क़ुदरत वाला है, कोई ज़र्रा उस के हुक्म के बिग़ैर हिल नहीं सकता।[4]

---

1 ... مسلم، کتاب الذکر والدعاء... الخ، باب فی اسماء اللہ... الخ، ص1104، حدیث:6809

2... हमारा इस्लाम, हिस्सा : 3, स. 96

3... किताबुल अ़क़ाइद, स. 14

4... किताबुल अ़क़ाइद, स. 14

सुवाल क्या मां बाप से बढ़ कर भी कोई मेह्रबान है ?

जवाब **अल्लाह** पाक मां बाप से बढ़ कर बल्कि सब से ज़ियादा मेह्रबान और रह्म फ़रमाने वाला है।

सुवाल **अल्लाह** पाक के बारे में यहूदी, ईसाई और मुश्रिकीन क्या कहते हैं ?

जवाब यहूदी ह़ज़रते उ़ज़ैर عَلَیْہِ السَّلَام को और ईसाई ह़ज़रते ईसा عَلَیْہِ السَّلَام को **अल्लाह** पाक का बेटा कहते हैं, इसी त़रह़ मुश्रिकीन फ़िरिश्तों को **अल्लाह** पाक की बेटियां कहते हैं और उस के साथ मख़्लूक़ में से किसी न किसी को शरीक ठहराते हैं। येह सब कुफ़्र है और मुसल्मानों के अ़क़ीदे के ख़िलाफ़ है। कुफ़्फ़ारो मुश्रिकीन जैसा उसे मानने का ह़क़ है सच्चे दिल से इस त़रह़ नहीं मानते, कुफ़्रिय्या व शिर्किय्या अक़्वाल व अफ़्आ़ल में मुब्तला रहते हैं, बुरे अ़क़ीदे रखते हैं और हां नबिय्ये करीम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم की नुबुव्वत का भी इन्कार करते हैं। इन पर ईमान ला कर और इन की लाई हुई शरीअ़त की हर हर बात को सच्चे दिल से क़त़ई (यक़ीनी) तस्दीक़ करना ही इस्लाम में दाख़िल होने और नजात के लिये ज़रूरी है, इस से इन्कार करते हैं।[1]

सुवाल मुसल्मान **अल्लाह** पाक के बारे में क्या कहते हैं ?

जवाब मुसल्मानों का अ़क़ीदा है कि **अल्लाह** पाक यक्ता है, वोह न किसी का बाप, न बेटा, न उस की कोई बीवी, न रिश्तेदार, वोह सब से बे नियाज़ है और सारी मख़्लूक़ उस की पैदा कर्दा और उसी की मोह़ताज है वोह सारे आ़लम का पाक परवर्दगार है उस का कोई शरीक नहीं।[2]

सुवाल हम **अल्लाह** पाक की इ़बादत क्यूं करते हैं ?

जवाब **अल्लाह** पाक के सिवा कोई इ़बादत के लाइक़ ही नहीं। उस की ने'मतें और उस के एह़सान बे इन्तिहा हैं, उस की ज़ात ही इस बात की मुस्तह़िक़ है कि उस की इ़बादत की जाए, वोह आ़लमीन का रब है, सारे आ़लम का ख़ालिक़ व मालिक है, वोही इ़बादत के लाइक़ है, उस के सिवा कोई इ़बादत के लाइक़ नहीं है।[3]

सुवाल **अल्लाह** पाक के बारे में कुछ और अ़क़ाइद भी बताएं जिन का जानना ज़रूरी है।

1... बुन्यादी अ़क़ाइद और मा'मूलाते अहले सुन्नत, स. 10

2... बुन्यादी अ़क़ाइद और मा'मूलाते अहले सुन्नत, स. 10

3... बुन्यादी अ़क़ाइद और मा'मूलाते अहले सुन्नत, स. 10

जवाब वोह हर कमाल व ख़ूबी का जामेअ़ और हर ऐ़ब व नुक़्सान और बुराई से पाक है। वोह ज़ाहिर और छुपी हर चीज़ को जानता है, कोई चीज़ उस के इ़ल्म से बाहर नहीं। जैसे उस की ज़ात या'नी वोह ख़ुद हमेशा से है उस की तमाम सिफ़ात (ख़ूबियां) भी हमेशा से हैं। **अल्लाह** पाक हमेशा से ज़िन्दा, क़ुदरत वाला, सुनने वाला, देखने वाला, कलाम करने वाला, इरादा फ़रमाने वाला है, वोही तमाम जहान का बनाने वाला है। आस्मान, ज़मीन, चांद, तारे, आदमी, जानवर और जितनी चीज़ें हैं सब को उसी ने पैदा किया। वोही पालता है सब उसी के मोहताज हैं।(1)

सबक़ नम्बर 2

ज़ात व सिफ़ात का बयान

सुवाल क़दीम किसे कहते हैं ?

जवाब क़दीम वोह जो हमेशा से है और अज़ली के भी येही मा'ना हैं। और जिस त़रह़ उस की ज़ात क़दीम, अज़ली व अबदी है, इसी त़रह़ उस की सिफ़ात भी क़दीम, अज़ली व अबदी हैं और ज़ात व सिफ़ात के सिवा सब चीज़ें ह़ादिस हैं।(2) जो आ़लम में से किसी चीज़ को क़दीम माने या उस के ह़ादिस होने में शक करे वोह काफ़िर व मुश्रिक है जैसे आर्य, कि रूह़ और माद्दा को क़दीम मानते हैं यक़ीनन वोह मुश्रिक हैं। (ह़ादिस वोह शै होती है जो पहले न हो और फिर किसी के पैदा करने से हो, इसी को मुम्किन भी कहते हैं।)(3)

सुवाल बाक़ी के मा'ना क्या हैं ?

जवाब बाक़ी वोह जो हमेशा रहेगा और इसी को अबदी भी कहते हैं।(4) और येह तमाम सिफ़ात सिर्फ़ **अल्लाह** पाक ही की ज़ात के लिये साबित हैं।(5)

सुवाल रब्बे करीम की ज़ात के सिवा और क्या चीज़ें क़दीम हैं ?

जवाब जिस त़रह़ उस की ज़ात क़दीम, अज़ली, अबदी है उस की सिफ़ात भी क़दीम

1... बुन्यादी अ़क़ाइद और मा'मूलाते अहले सुन्नत, स. 11

2 ... منح الروض الروض الازہر فی شرح الاکبر، ص23، شرح العقائد النسفیہ، ص24

3... हमारा इस्लाम, ह़िस्सा : 3, स. 95, 96 मुल्तक़त़न

4 ... پ20سورۃ القصص، آیت:88، المسامرۃ بشرح المسایرۃ، الاصل الثانی والثالث، ص22-24

5... हमारा इस्लाम, ह़िस्सा : 3, स. 95

अज़ली, अबदी हैं और ज़ातो सिफ़ात के सिवा सब चीज़ें ह़ादिस हैं, जो आ़लम में से किसी चीज़ को क़दीम माने या उस के ह़ादिस होने में शक करे, वोह काफ़िर व मुश्रिक है जैसे आर्य कि वोह रूह़ और माद्दा को क़दीम जानते हैं यक़ीनन मुश्रिक हैं।[1]

सुवाल **अल्लाह** के मा'ना क्या हैं ?

जवाब **अल्लाह**, ख़ुदा के लिये इस्मे ज़ात है, जो वाजिबुल वुजूद है और हर कमाल व ख़ूबी का जामेअ़ और हर उस चीज़ से जिस में ऐ़ब व नक़्स है, पाक है, तमाम सिफ़ाते कमालिया उस में मौजूद हैं।[2]

सुवाल सिफ़ाते कमालिया के क्या मा'ना हैं ?

जवाब रब्बे करीम वाजिबुल वुजूद है, उस की ज़ात तमाम कमालात और ख़ूबियों से आरास्ता और हर क़िस्म के उ़यूबो नक़ाइस और कमज़ोरियों से पाक है, तो इस कमाले ज़ाती के लिये जिन जिन सिफ़ात से उस की ज़ात का मुत्तसिफ़ (मौसूफ़) होना ज़रूरी है उन सिफ़ात को सिफ़ाते कमालिया कहते हैं।[3]

सुवाल सिफ़ाते कमालिया कितनी हैं ?

जवाब **अल्लाह** करीम की ज़ात में बहुत सी सिफ़तें हैं जिन में अहम सिफ़तें नव हैं, बाक़ी सिफ़ात इन्ही नव सिफ़्तों में से किसी न किसी के तह़्त आ जाती हैं और वोह नव सिफ़्तें येह हैं : (1) ह़यात (2) क़ुदरत (3) इरादा व मशिय्यत (4) इ़ल्म (5) सम्अ़ (6) बसर (7) कलाम (8) तक्वीन व तख़्लीक़ (9) रज़्ज़ाक़िय्यत।[4]

सुवाल ह़यात के क्या मा'ना हैं ?

जवाब वोह ह़य्य है या'नी ख़ुद ज़िन्दा है और तमाम चीज़ों को ज़िन्दगी बख़्शने वाला, फिर जब चाहता है उन को फ़ना कर देता है।[5]

सुवाल **अल्लाह** पाक क़ुदरत वाला है इस बारे में कुछ बयान करें।

1.... हमारा इस्लाम, हि़स्सा : 3, स. 96
2.... हमारा इस्लाम, हि़स्सा : 3, स. 167
3.... हमारा इस्लाम, हि़स्सा : 3, स. 167
4.... हमारा इस्लाम, हि़स्सा : 4, स. 168
5.... हमारा इस्लाम, हि़स्सा : 4, स. 168

जवाब सारे इख़्तियारात का मालिक **अल्लाह** पाक ही है। रोज़ी देना, ज़िन्दगी देना, मौत देना उस के इख़्तियार में है। वोह सब का मालिक है, जो चाहे करे उस के हुक्म में कोई ख़लल नहीं डाल सकता, गुनाह मुआ़फ़ फ़रमाने वाला, तौबा क़बूल फ़रमाने वाला है। उस की पकड़ निहायत सख़्त है जिस से बिग़ैर उस के छोड़े कोई छूट नहीं सकता। इ़ज़्ज़त, ज़िल्लत उस के इख़्तियार में है, जिसे चाहे इ़ज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़लील करे, जिसे चाहे अमीर करे, जिसे चाहे फ़क़ीर करे। जो कुछ करता है ह़िक्मत है, इन्साफ़ है, उस का हर काम ह़िक्मत है, बन्दों की समझ में आए या न आए।[1]

सुवाल क्या **अल्लाह** पाक झूट बोलने पर भी क़ादिर है ?

जवाब **अल्लाह** पाक हर उस चीज़ से जिस में ऐ़ब व नुक़्सान हो पाक है। या'नी ऐ़ब व नुक़्सान का उस में पाया जाना मुह़ाल (ना मुम्किन) है। मसलन झूट, दग़ा, ख़ियानत, ज़ुल्म, जह्ल (ना जानना), बे ह़याती वग़ैरहा उ़यूब उस पर क़त्अ़न मुह़ाल (ना मुम्किन) हैं।[2] और येह कहना कि झूट पर क़ुदरत है ब ईं मा'ना कि वोह ख़ुद झूट बोल सकता है मुह़ाल (ना मुम्किन) को मुम्किन ठहराना और ख़ुदा को ऐ़बी बताना बल्कि ख़ुदा से इन्कार करना है। और किज़्ब (झूट), झूट तो ऐसा गन्दा, नापाक ऐ़ब है जिस से थोड़ी ज़ाहिरी इ़ज़्ज़त वाला भी बचना चाहता है, बल्कि भंगी, चमार भी अपनी त़रफ़ इस की निस्बत से शरमाता है। तो क्या कोई मुसल्मान अपने रब पर ऐसा गुमान कर सकता है।[3]

सुवाल इरादा व मशिय्यत के क्या मा'ना हैं ?

जवाब **अल्लाह** पाक मुरीद है या'नी उस में इरादे की सिफ़त पाई जाती है, उस की मशिय्यत व इरादे के बिग़ैर कुछ नहीं हो सकता, तमाम चीज़ों को अपने इरादे से पैदा फ़रमाता है और उन में अपने इरादे ही से तसर्रुफ़ फ़रमाता है, येह नहीं कि बे इरादा उस से फ़े'ल सादिर हो जाते हों, **अल्लाह** पाक के अज़ली इरादे के मा तह़्त ही हर चीज़ का ज़ुहूर होता है। उस पर कोई चीज़ वाजिब व ज़रूरी नहीं कि जिस के करने पर मजबूर हो। मालिक है जो चाहे करे, जो चाहे हुक्म दे।[4] मालिक अ़लल इत़्लाक़ है जो चाहे करे जो चाहे हुक्म दे।

1.... किताबुल अ़क़ाइद, स. 12 बतग़य्युर कलील

2... المسامرۃ بشرح المسایرۃ، ص393

3.... हमारा इस्लाम, हि़स्सा : 4, स. 168 मुल्तक़त़न

4.... हमारा इस्लाम, हि़स्सा : 4, स. 169 मुल्तक़त़न

सुवाल सिफ़्ते इल्म के क्या मा'ना हैं ?

जवाब **अल्लाह** पाक अ़लीम है या'नी उस को सिफ़्ते इल्म ह़ासिल है, उस का इल्म हर शै को मुह़ीत़ है, हर चीज़ की उस को ख़बर है, जो कुछ हो रहा है या हो चुका या आइन्दा होने वाला है, पूरी तफ़्सील के साथ उन सब को अज़ल में जानता था, अब (भी) जानता है और अबद तक जानेगा। अश्या बदलती हैं, उस का इल्म नहीं बदलता, एक ज़र्रा भी उस से पोशीदा नहीं, उस के इल्म की कोई इन्तिहा नहीं, वोह ग़ैब व शहादत सब को यक्सां जानता है, इल्मे ज़ाती उस का ख़ास्सा है।(1)

सुवाल सिफ़्ते सम्अ़ व बसर से क्या मुराद है ?

जवाब **अल्लाह** पाक समीअ़ व बसीर है या'नी उस में सिफ़्ते समाअ़त व सिफ़्ते बसारत है। हर पस्त से पस्त आवाज़ तक को सुनता है और हर बारीक से बारीक को देखता है, वोह हर मौजूद को सुनता और हर मौजूद को देखता है।(2)

सुवाल सिफ़्ते कलाम से क्या मुराद है ?

जवाब **अल्लाह** पाक मुतकल्लिम है या'नी उस को कलाम करने की सिफ़्त ह़ासिल है, जिस चीज़ को चाहता है ख़बर देता है, अम्बिया से जब चाहता है कलाम करता है और जिस त़रह़ वोह बे कान के सुनता है और बे आंख के देखता है उसी त़रह़ वोह बिग़ैर ज़बान के बोलता है कि येह सब अज्साम हैं और अज्साम से वोह पाक। उस का कलाम आवाज़ से पाक है और मिस्ल दीगर सिफ़ात के उस का कलाम भी क़दीम है, तमाम आस्मानी किताबें और येह क़ुरआने अ़ज़ीम जिस को हम अपनी ज़बान से तिलावत करते और मसाह़िफ़ में लिखते हैं, उसी का कलाम क़दीम बिला सौत (बिग़ैर आवाज़) है, और येह हमारा पढ़ना लिखना, सुनना और ह़िफ़्ज़ करना ह़ादिस है, और जो हम ने पढ़ा लिखा और सुना और जो हम ने ह़िफ़्ज़ किया वोह क़दीम है।(3)

सुवाल येह सात सिफ़ात जो ऊपर गुज़रीं उन्हें क्या कहते हैं ?

जवाब ह़यात, क़ुदरत, सम्अ़, बसर, इल्म, इरादा और कलाम, **अल्लाह** तआ़ला की सिफ़ाते ज़ातिया कहलाती हैं।(4)

1.... हमारा इस्लाम, ह़िस्सा : 4, स. 169
2.... हमारा इस्लाम, ह़िस्सा : 4, स. 170 मुल्तक़त़न
3.... हमारा इस्लाम, ह़िस्सा : 4, स. 170
4.... فقہ الاکبر، ص15-19-الحدیقۃ الندیۃ، 1/251-256

सुवाल तक्वीन व तख़्लीक़ से क्या मुराद है ?

जवाब तक्वीन व तख़्लीक़ सारे जहान को पैदा करने का नाम है, **अल्लाह** पाक सारे जहान का ख़ालिक़ है या'नी तमाम आ़लम उसी का पैदा किया हुवा है और आइन्दा भी हर चीज़ वोही पैदा करेगा। छोटे से छोटा ज़र्रा और आ़लम का माद्दा (आग, पानी, हवा, ख़ाक जिन्हें अ़नासिरे अर्बआ़ कहते हैं) सब उसी की मख़्लूक़ है, चीज़ों के पैदा करने में वोह किसी आले का मोह़ताज नहीं, न उस को किसी मदद की ज़रूरत है। जिस चीज़ को पैदा करना चाहता है तो उस को कुन (हो जा) कह कर पैदा कर देता है। इन्सानों के काम और अ़मल भी सब उस के मख़्लूक़ हैं, ज़वात हों, ख़्वाह अफ़्आ़ल, सब उसी के पैदा किये हुए हैं।(1) मारना, जिलाना (ज़िन्दा करना), सिह़्ह़त देना, बीमार (कर) डालना, ग़नी करना, फ़क़ीर करना, वग़ैरहा सिफ़ात जिन का तअ़ल्लुक़ मख़्लूक़ से है और जिन्हें सिफ़ाते फ़े'लिया भी कहते हैं, इन सब को सिफ़ाते तक्वीन की तफ़्सील समझना चाहिये।(2)

सुवाल सिफ़ते रज़्ज़ाक़िय्यत से क्या मुराद है ?

जवाब **अल्लाह** पाक रज़्ज़ाक़ है, वोही तमाम ज़ी रूह़ को रिज़्क़ देने वाला है। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मख़्लूक़ को वोही रोज़ी देता है, वोही हर चीज़ की परवरिश करता है, वोही सारी काएनात की तरबियत फ़रमाता और हर चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता ब तदरीज उस के कमाले मिक़्दार तक पहुंचाता है। वोह रब्बुल आ़लमीन है या'नी तमाम आ़लम का परवरिश करने वाला, ह़क़ीक़तन रोज़ी पहुंचाने वाला वोही है, मलाएका वग़ैरहुम वसीले और वासित़े हैं।(3)

सुवाल सिफ़ाते सल्बिया किस को कहते हैं ?

जवाब सिफ़ाते सल्बिया वोह हैं जिन से **अल्लाह** पाक की ज़ात मुबर्रा और पाक है। मसलन वोह जाहिल नहीं, बे इख़्तियार व बेकस नहीं, किसी बात से मा'ज़ूर व आ़जिज़ नहीं, अन्धा नहीं, बहरा नहीं, गूंगा नहीं, ज़ालिम नहीं, मुजस्सम या'नी जिस्म वाला नहीं, ज़मानी व मकानी, जिहत व मकान व ज़बान व ह़रकत व सुकून व शक्लो सूरत और तमाम ह़वादिस से पाक है। खाने पीने और तमाम ह़वाइजे बशरी (इन्सानी ह़ाजतों) और हर क़िस्म के तग़य्युरो तबद्दुल, हुदूस व एह़तियाज से पाक है। न वोह किसी चीज़

---

1 ...پ13،سورالرعد،آیت:16،پ23،سورۃ الصافات،آیت:96،شرح العقائد النسفیہ،ص76

2 ...हमारा इस्लाम, हि़स्सा : 4, स. 170

3 ...پ27،سورۃ الذٰریٰت،آیت:58،تفسیر بغوی،پ30،تحت الآیۃ:فالمدبرات امرا،4/411 हमारा इस्लाम, हि़स्सा : 4, स. 171

में हुलूल किये हुए हैं कि किसी चीज़ में समा जाए, न उस में कोई चीज़ हुलूल किये हुए कि उस में पैवस्त हो जाए, यूंही वोह ज़ात किसी के साथ मुत्तहिद भी नहीं जैसे कि बर्फ़ पानी में घुल कर एक हो जाती है, न वोह किसी का बाप है, न किसी का बेटा, न उस के लिये बीबी है, न उस का कोई हमसर व बराबर।(1)

सुवाल रब्बे करीम का दीदार मुम्किन है या नहीं ?

जवाब दुन्या की ज़िन्दगी में **अल्लाह** करीम का दीदार नबी صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के लिये ख़ास है और आख़िरत में हर सुन्नी मुसल्मान के लिये मुम्किन बल्कि वाक़ेअ़ है।(2)

जिस से अहले जन्नत की आंखें रोशन होंगी और दीदारे इलाही से बढ़ कर उन्हें कोई ने'मतो दौलत प्यारी न होगी। रहा क़ल्बी दीदार या ख़्वाब में तो येह दीगर अम्बिया عَلَيْهِمُ السَّلَام बल्कि औलिया के लिये भी ह़ासिल है। हमारे इमामे आ'ज़म رَضِیَ اللّٰهُ عَنْه को ख़्वाब में सो बार ज़ियारत हुई। **अल्लाह** पाक येह दौलत हमें भी मुयस्सर फ़रमाए, आमीन।(3)

सुवाल क्या **अल्लाह** पाक को अपने अफ़्आ़ल में किसी ग़रज़ या सबब की एह़तियाज होती है ?

जवाब **अल्लाह** करीम के हर फे़'ल में कसीर ह़िक्मतें और मस्लह़तें हैं, जिन की तफ़्सील वोही ख़ूब जानता है, ख़्वाह हम को मा'लूम हों या न हों और उस के फे़'ल के लिये कोई ग़रज़ नहीं कि ग़रज़ उस फ़ाएदे को कहते हैं जो फ़ाइल की त़रफ़ रुजूअ़ करे और न उस के अफ़्आ़ल इ़ल्लत व सबब के मोह़ताज हैं। उस ने अपनी ह़िक्मते बालिग़ा के मुत़ाबिक़ एक चीज़ को दूसरी चीज़ के लिये सबब बना दिया है। आंख देखती है, कान सुनता है, आग जलाती है, पानी प्यास बुझाता है, वोह चाहे तो आंख सुने, कान देखे, पानी जलाए, आग प्यास बुझाए, न चाहे तो लाख आंखें हों, दिन को पहाड़ न सूझे, करोड़ आगें हों एक तिन्के पर दाग़ न आए। किस क़हर की आग थी जिस में इब्राहीम عَلَيْهِ السَّلَام को काफ़िरों ने डाला, कोई पास भी न जा सकता था, उसे इर्शाद हुवा : ऐ आग ठन्डी और सलामती वाली हो जा, इब्राहीम पर और वोह आग गुलज़ार बन गई।(4)

1...हमारा इस्लाम, हिस्सा : 4, स. 171

2...فقہ اکبر، ص83

3...हमारा इस्लाम, हिस्सा : 4, स. 172

4...हमारा इस्लाम, हिस्सा : 4, स. 172

सबक़ नम्बर 3

शिर्क का बयान

शिर्क एक ऐसा घिनावना फ़े'ल है कि जो किसी एक शरीअ़त में भी एक लम्हे के करोड़वें हि़स्से के लिये भी जाइज़ क़रार नहीं दिया गया। जाइज़ क़रार भी कैसे दिया जा सकता था कि शिर्क तो अक्बरुल कबाइर (कबीरा गुनाहों में सब से बड़ा गुनाह) है। शिर्क ईमान की ज़िद है। जैसे अंधेरा उजाला, रात दिन एक जगह जम्अ़ नहीं हो सकते ऐसे ही शिर्क और ईमान इस्लाम की छत्री के नीचे हरगिज़ हरगिज़ जम्अ़ नहीं हो सकते। क़ुरआने पाक में मुश्रिक के अन्जाम को एक मिसाल के ज़रीए़ वाज़ेह़ किया गया है कि जो शख़्स किसी बुलन्दो बाला मक़ाम से ज़मीन पर गिर पड़े तो परिन्दे उस की बोटी बोटी नोच कर ले जाते हैं या फिर हवा उस के आ'ज़ा को अ़लाह़दा अ़लाह़दा कर के दूर किसी वादी में फेंक देती है और येह हलाकत की इ़ब्रत नाक और बद तरीन सूरत है। इसी त़रह़ जो शख़्स ईमान के बा'द शिर्क करता है तो वोह ईमान की बुलन्दी से कुफ़्र की वादी में गिर पड़ता है फिर बोटी बोटी ले जाने वाले परिन्दे की त़रह़ नफ़्सानी ख़्वाहिशात उस की फ़िक्रों को मुन्तशिर कर देती हैं या हवा की त़रह़ आने वाले शैत़ानी वस्वसे उसे गुमराही की वादी में फेंक देते हैं यूं मुश्रिक अपने आप को बद तरीन हलाकत में डाल देता है। **अल्लाह** पाक मुश्रिक की मग़्फ़िरत नहीं फ़रमाएगा, जैसा कि

रब्बे करीम इर्शाद फ़रमाता है :

اِنَّ اللّٰهَ لَا یَغْفِرُ اَنْ یُّشْرَكَ بِهٖ وَ یَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ یَّشَآءُ ؕ وَ مَنْ یُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًۢا بَعِیْدًا ﴿۱۱۶﴾ (پ5، النساء:116)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : अल्लाह इस बात को नहीं बख़्शता कि उस के साथ किसी को शरीक ठहराया जाए और इस से नीचे जो कुछ है जिसे चाहे मुआ़फ़ फ़रमा देता है और जो **अल्लाह** का शरीक ठहराए वोह दूर की गुमराही में जा पड़ा।

याद रखिये ! शिर्क ऐसी बीमारी है कि जो बन्दे पर जन्नत के दरवाज़े हमेशा के लिये बन्द करवा देती है और दोज़ख़ को दाइमी ठिकाना बना देती है। जैसा कि **अल्लाह** पाक इर्शाद फ़रमाता है :

اِنَّهٗ مَنْ یُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَیْهِ الْجَنَّةَ وَ مَاْوٰىهُ النَّارُ ؕ وَ مَا لِلظّٰلِمِیْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ﴿۷۲﴾ (پ6، المائدہ:72)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : बेशक जो **अल्लाह** का शरीक ठहराए तो **अल्लाह** ने उस पर जन्नत ह़राम कर दी और उस का ठिकाना दोज़ख़ है और ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं।

शिर्क अह़ादीस की रोशनी में

हमारे प्यारे नबी صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने ह़ज़रते मुआ़ज़ बिन जबल رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ को यूं नसीह़त फ़रमाई : لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَاِنْ قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ या'नी **अल्लाह** के साथ किसी शै को शरीक न ठहरा अगर्चे तुझे क़त्ल कर दिया जाए या जला दिया जाए।(1)

प्यारे आक़ा, मदीने वाले मुस्त़फ़ा صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم का फ़रमाने आ़लीशान है : क्या मैं तुम्हें अक्बरुल कबाइर (या'नी सब से बड़े कबीरा गुनाहों) के बारे में न बताऊं ? वोह गुनाह **अल्लाह** करीम का शरीक ठहराना और वालिदैन की ना फ़रमानी करना हैं।(2)

अल्लाह पाक के आख़िरी नबी, मुह़म्मदे अ़रबी صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم का फ़रमान है : ऐ लोगो ! शिर्क से बचते रहना क्यूं कि येह च्यूंटी की आवाज़ से ज़ियादा मख़्फ़ी है। सह़ाबए किराम عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان ने अ़र्ज़ की : **या रसूलल्लाह** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ! हम शिर्क से किस त़रह़ बच सकते हैं ? तो आप صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : येह दुआ़ पढ़ लिया करो : اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُبِكَ اَنْ نُّشْرِكَ بِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهٗ وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُهٗ या'नी ऐ **अल्लाह** ! हम दानिस्ता त़ौर पर किसी को तेरा शरीक ठहराने से तेरी पनाह चाहते हैं और ना दानिस्ता त़ौर पर ऐसा करने पर तुझ से मग़्फ़िरत चाहते हैं।(3)

सुवाल शिर्क के क्या मा'ना हैं ?

जवाब शिर्क का मा'ना है : **अल्लाह** पाक के सिवा किसी को वाजिबुल वुजूद या मुस्तह़िक़्क़े इ़बादत (इ़बादत के लाइक़) जानना या'नी उलूहिय्यत में दूसरे को शरीक करना और येह कुफ़्र की सब से बद तरीन क़िस्म है। इस के सिवा कोई बात कैसी ही शदीद कुफ़्र हो ह़क़ीक़तन शिर्क नहीं।

सुवाल ऊपर वाजिबुल वुजूद की इस्तिलाह़ बयान की उस के मा'ना भी बता दीजिये।(4)

जवाब वाजिबुल वुजूद ऐसी ज़ात को कहते हैं जिस का वुजूद (या'नी "होना") ज़रूरी और अ़दम मुह़ाल (या'नी न होना ग़ैर मुम्किन) है या'नी (वोह ज़ात) हमेशा से है और हमेशा रहेगी, जिस को कभी फ़ना

1 ...مسند امام احمد، مسند الانصار، 8/249، حدیث:22136

2 ...بخاری، کتاب الشہادات، باب ما قیل فی شہادۃ الزور، 2/194، حدیث:2654 ملتقطا

3 ...معجم اوسط، 2/340، حدیث:3479

4 ... बहारे शरीअ़त, 1/183, ह़िस्सा : 1 मुलख़्ख़सन

नहीं, किसी ने उस को पैदा नहीं किया बल्कि उसी ने सब को पैदा किया है। जो ख़ुद अपने आप से मौजूद है और येह सिर्फ़ **अल्लाह** पाक की ज़ात है।[(1)]

सुवाल शिर्क की कितनी अक़्साम हैं ?

जवाब शिर्क की तीन अक़्साम हैं : (1) जिस त़रह़ **अल्लाह** करीम वुजूद में किसी का मोह़ताज नहीं हमेशा से है हमेशा रहेगा उस की सिफ़ात भी हमेशा से हैं हमेशा रहेंगी इस त़रह़ किसी का वुजूद मानना शिर्क है। (2) जिस त़रह़ **अल्लाह** काएनात का ख़ालिक़ है उसी त़रह़ किसी और को काएनात का ख़ालिक़ या इस की तख़्लीक़ में शरीक मानना शिर्क है। (3) **अल्लाह** पाक के इलावा किसी को इ़बादत के लाइक़ समझना शिर्क है।

सुवाल जाइज़ उमूर को शिर्क कहने वालों से मेलजोल रखना कैसा ?

जवाब जो मुसल्मान को मुश्रिक व काफ़िर कहे ह़दीस शरीफ़ में आया कि कुफ़्र कहने वाले की त़रफ़ लौटता है।[(2)] इस लिये मुसल्मानों पर लाज़िम है कि ऐसों से (जो बिला वज्ह मुसल्मानों को बात बात पर शिर्क व बिद्अ़त के हुक्म लगाते हैं) दूर रहें कि ह़दीसे मुबारका में बद मज़्हबों से दूर रहने और उन के साथ उठने बैठने, सलाम करने वग़ैरा दीगर मुआ़मलात से मन्अ़ फ़रमाया गया है। **रसूलुल्लाह** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : "बद मज़्हब से दूर रहो और उन को अपने से दूर रखो कहीं वोह तुम्हें गुमराह न कर दें और कहीं वोह तुम्हें फ़ित्ने में न डाल दें।"[(3)]

सबक़ नम्बर 4 — नुबुव्वत का बयान

अल्लाह करीम ने लोगों को कुफ़्रो शिर्क, गुमराही और बद अ़मली से बचाने, ईमान वालों को जन्नत की बिशारत देने, कुफ़्र व इन्कार पर अ़ज़ाब की वई़द सुनाने के लिये अपने मुक़र्रब व मह़बूब बन्दों को नुबुव्वत व रिसालत का मन्सब अ़त़ा फ़रमा कर इस दुन्या में मब्ऊ़स फ़रमाया, क्यूं कि अम्बियाए किराम काएनात की अ़ज़ीम तरीन हस्तियां और इन्सानों में हीरे मोतियों की त़रह़ जगमगाती शख़्सिय्यात हैं, इन्हें ख़ुदा ने वह़ी के नूर से रोशनी बख़्शी, ह़िक्मतों के सरचश्मे इन के दिलों में जारी फ़रमाए और और सीरतो किरदार की वोह बुलन्दियां अ़त़ा फ़रमाईं जिन की ताबानी से मख़्लूक़ की आंखें ह़ैरत में हैं, इन की रब्बानी सीरतों राहे ख़ुदा में काविशों और ख़ुदाई पैग़ाम पहुंचाने में उठाई गई मशक़्क़तों में तमाम इन्सानिय्यत के

1.... हमारा इस्लाम, ह़िस्सए सिवुम, स. 87

2 ... مسلم، کتاب الایمان، باب بیان حال ایمان من قال لاخیہ المسلم: یاکافر، ص54، حدیث:216

3 ... مسلم، مقدمۃ، باب النہی عن روایۃ عن الضعفاء... الخ، ص17، حدیث:16

लिये अ़ज़्मत, शौकत, किरदार, हिम्मत, हौसले और इस्तिक़ामत का अ़ज़ीम दर्स मौजूद है। इन की सीरत का मुत़ालआ़ आंखों को रोशनी, रूह़ को कुव्वत, दिलों को हिम्मत, अ़क़्ल को नूर, सोच को वुस्अ़त, किरदार को हुस्न, ज़िन्दगी को मा'नविय्यत, बन्दों को नियाज़ और क़ौमों को उ़रूज बख़्शता है।(1) (2)

सुवाल नबी किसे कहते हैं ?

जवाब **अल्लाह** करीम ने मख़्लूक़ की हिदायत और रहनुमाई के लिये जिन पाक बन्दों को अपने अह़काम पहुंचाने के लिये भेजा उन को "नबी" कहते हैं और अम्बिया عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام ही वोह बशर (इन्सान) हैं जिन के पास **अल्लाह** करीम की त़रफ़ से वह़ी आती है।

सुवाल रसूल किसे कहते हैं ?

जवाब अम्बियाए किराम عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام में से जो नई शरीअ़त लाए उसे रसूल कहते हैं।

सुवाल वह़ी क्या होती है ?

जवाब वह़ी का लुग़वी मा'ना है पैग़ाम भेजना, दिल में बात डालना, ख़ुफ़्या बात करना। शरीअ़त की इस्त़िलाह़ में वह़ी उस कलाम को कहते हैं जो किसी नबी पर **अल्लाह** पाक की त़रफ़ से नाज़िल हुवा हो।

सुवाल पैग़म्बरों और दूसरे इन्सानों में क्या फ़र्क़ है ?

जवाब इन में ऐसा ही फ़र्क़ है जैसा कि ज़मीन व आस्मान में फ़र्क़ है। नबी व रसूल, ख़ुदा के ख़ास और मा'सूम बन्दे होते हैं, इन की निगरानी और तरबियत ख़ुद **अल्लाह** पाक फ़रमाता है। सग़ीरा कबीरा गुनाहों से बिल्कुल पाक होते हैं। आ़ली नसब, आ़ली ह़सब (या'नी बुलन्द सिल्सिलए ख़ानदान) इन्सानिय्यत के आ'ला मर्तबे पर पहुंचे हुए, ख़ूब सूरत, नेक सीरत, इ़बादत गुज़ार, परहेज़ गार, तमाम अख़्लाक़े ह़सना से आरास्ता और हर क़िस्म की बुराई से दूर रहने वाले होते हैं। इन्हें अ़क़्ले कामिल अ़त़ा की जाती है जो औरों की अ़क़्ल से दरजों बुलन्दो बाला होती है। किसी ह़कीम और किसी फ़ल्सफ़ी की अ़क़्ल किसी साइन्स दान की फ़ह्मो फ़िरासत उस के लाखवें ह़िस्से तक भी नहीं पहुंच सकती(3) और अ़क़्ल की ऐसी बुलन्दी क्यूं

1... सीरतुल अम्बिया, स. 27, 28 ब तग़य्युरे क़लील

2...अम्बियाए किराम عَلَيْهِمُ السَّلَام की सीरतो किरदार का मुत़ालआ़ करने के लिये मक्तबतुल मदीना की 869 सफ़ह़ात की किताब "सीरतुल अम्बिया" का मुत़ालआ़ करना बेहद मुफ़ीद है।

3...बहारे शरीअ़त, 1/37, ह़िस्सा : 1 माख़ूज़न

न हो कि येह **अल्लाह** पाक के लाडले बन्दे और उस के मह़बूब होते हैं। **अल्लाह** करीम इन्हें हर ऐसी बात से दूर रखता है जो बाइसे नफ़रत हो, इसी लिये अम्बियाए किराम عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام के जिस्मों का बरस (सफ़ेद दाग़), जुज़ाम (कोढ़) वग़ैरा ऐसी बीमारियों से पाक होना ज़रूरी है जिस से लोग नफ़रत करते हैं। फिर तमाम मख़्लूक़ में सारे नबियों में सब से बढ़ कर अ़क्ले कामिलो अक्मल हमारे नबिय्ये मुकर्रम ह़ज़रत मुह़म्मद मुस्त़फ़ा صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم को अ़त़ा फ़रमाई गई है।[1] चुनान्चे ह़ज़रते वह्ब बिन मुनब्बेह رَضِىَ اللّٰهُ عَنْه फ़रमाते हैं : मैं ने इक्हत्तर (71) आस्मानी किताबों में लिखा देखा है कि रोज़े अव्वल से क़ियामत क़ाइम होने तक तमाम जहान के लोगों को जितनी अ़क्ल अ़त़ा की गई है वोह सब मिल कर ह़ज़रत मुह़म्मद صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की अ़क्ल के आगे ऐसी है जैसे दुन्या के तमाम रेगिस्तान के सामने रेत का एक दाना (ज़र्रा)।[2]

सुवाल नबियों को ग़ैब का इ़ल्म होता है या नहीं ?

जवाब अम्बिया عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام ग़ैब की ख़बर देने के लिये ही आते हैं। ह़िसाब किताब, जन्नत व दोज़ख़, सवाब व अ़ज़ाब, ह़श्र नश्र, फ़िरिश्ते वग़ैरा ग़ैब नहीं तो और क्या हैं ? येह वोही बताते हैं जिन की अ़क्ल कामिल हो मगर येह इ़ल्मे ग़ैब कि उन को है **अल्लाह** पाक के दिये से है लिहाज़ा उन का इ़ल्म अ़त़ाई (**अल्लाह** पाक का दिया हुवा) है और **अल्लाह** पाक का इ़ल्म ज़ाती है जिस की कोई ह़द नहीं और उस की सिफ़त है हमेशा से है। इस त़रह़ इ़ल्मे ग़ैब नबियों और रसूलों के लिये मानने वाले को शिर्क का इल्ज़ाम देना भी ह़माक़त और ख़ुद कुफ़्रो शिर्क के मा'ना से ही जहालत और सख़्त गुमराही की बात है बल्कि मुत़्लक़न अम्बियाए किराम के लिये इ़ल्मे ग़ैब का इन्कार करना तो क़ुरआने करीम की नस्से क़त़्ई के इन्कार की वज्ह से कुफ़्र है।

सुवाल क्या कोई इ़बादतो रियाज़त से नुबुव्वत ह़ासिल कर सकता है ?

जवाब हरगिज़ नहीं, नुबुव्वत बहुत बुलन्द और बड़ा मर्तबा है। कोई शख़्स इ़बादत वग़ैरा से येह मर्तबा ह़ासिल नहीं कर सकता, चाहे उ़म्र भर रोज़ादार रहे, रात भर सज्दों में रोया करे, तमाम मालो दौलत ख़ुदा की राह में सदक़ा कर दे, अपने आप भी उस के दीन पर फ़िदा हो जाए या'नी जान क़ुरबान कर दे मगर इस से नुबुव्वत नहीं पा सकता। नुबुव्वत **अल्लाह** पाक का फ़ज़्ल है जिसे चाहे अ़त़ा फ़रमाए हमारे प्यारे आक़ा व मौला صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **अल्लाह** करीम के आख़िरी नबी हैं।

सुवाल किसी नबी की ता'ज़ीमो तौक़ीर न करना कैसा ?

1... बुन्यादी अ़क़ाइद और मा'मूलाते अहले सुन्नत, स. 9, 10

2... फ़तावा रज़विय्या, 30/149 मुलख़्ख़सन

जवाब अम्बिया عَلَيۡهِمُ الصَّلٰوۃُوَالسَّلَام तमाम मख़्लूक़ से अफ़्ज़ल हैं, इन की ता'ज़ीमो तौक़ीर या'नी इ़ज़्ज़तो एहतिराम फ़र्ज़ और इन की अदना तौहीन या'नी गुस्ताख़ी या तक्ज़ीब या'नी झुटलाना कुफ़्र है। आदमी जब तक सब अम्बिया عَلَيۡهِمُ الصَّلٰوۃُوَالسَّلَام को न माने मोमिन नहीं हो सकता। शैत़ान **अल्लाह** पाक के प्यारे नबी आदम عَلَيۡهِ السَّلَام की बे अदबी और गुस्ताख़ी करने ही की वज्ह से मल्ऊ़न क़रार दिया गया। पता चला कि अम्बियाए किराम عَلَيۡهِمُ الصَّلٰوۃُوَالسَّلَام की बे अदबी शैत़ानी काम है।

सुवाल **अल्लाह** पाक की बारगाह में अम्बियाए किराम عَلَيۡهِمُ الصَّلٰوۃُوَالسَّلَام का क्या मक़ाम है ?

जवाब **अल्लाह** पाक के दरबार में अम्बिया عَلَيۡهِمُ الصَّلٰوۃُوَالسَّلَام की बहुत इ़ज़्ज़त और बड़ा मक़ाम है। वोह **अल्लाह** पाक के प्यारे उस के मह़बूब होते हैं, उन पर वह़ी नाज़िल होती है, उन्हें त़रह़ त़रह़ के कमालात व मो'जिज़ात अ़त़ा किये जाते हैं, सारी मख़्लूक़ में सब से अफ़्ज़ल रुत्बा अम्बियाए किराम عَلَيۡهِمُ الصَّلٰوۃُوَالسَّلَام ही का होता है यहां तक कि फ़िरिश्तों से भी अफ़्ज़ल होते हैं।

सुवाल **अल्लाह** पाक तक पहुंचने का क्या रास्ता है ?

जवाब ख़ुदा की राह अम्बिया عَلَيۡهِمُ الصَّلٰوۃُوَالسَّلَام ही के ज़रीए मिलती है और इन्सान की नजात का दारो मदार (इन्ह़िसार) इन्हीं की फ़रमां बरदारी पर है।

सुवाल क्या जिन्न और फ़िरिश्ते भी नबी होते हैं ?

जवाब नहीं, नबी सिर्फ़ इन्सानों में से होते हैं और इन में से भी फ़क़त़ मर्द, कोई औ़रत नबी नहीं हो सकती। अलबत्ता रसूल इन्सानों के साथ ही ख़ास नहीं बल्कि फ़िरिश्तों में भी रसूल हैं।

सुवाल क़ुरआने मजीद में किन अम्बिया عَلَيۡهِمُ الصَّلٰوۃُوَالسَّلَام का ज़िक्र है ?

जवाब **अल्लाह** पाक ने ह़ज़रते आदम عَلَيۡهِ السَّلَام से हमारे आक़ा ह़ुज़ूर सय्यिदे आ़लम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم तक बहुत नबी भेजे। क़ुरआने पाक में जिन का ज़िक्र है, उन के अस्माए मुबारका येह हैं : ह़ज़रते आदम عَلَيۡهِ السَّلَام, ह़ज़रते नूह़ عَلَيۡهِ السَّلَام, ह़ज़रते इब्राहीम عَلَيۡهِ السَّلَام, ह़ज़रते यूसुफ़ عَلَيۡهِ السَّلَام, ह़ज़रते इस्माईल عَلَيۡهِ السَّلَام, ह़ज़रते इस्ह़ाक़ عَلَيۡهِ السَّلَام, ह़ज़रते या'क़ूब عَلَيۡهِ السَّلَام, ह़ज़रते मूसा عَلَيۡهِ السَّلَام, ह़ज़रते हारून عَلَيۡهِ السَّلَام, ह़ज़रते शुऐ़ब عَلَيۡهِ السَّلَام, ह़ज़रते लूत़ عَلَيۡهِ السَّلَام, ह़ज़रते हूद عَلَيۡهِ السَّلَام, ह़ज़रते दावूद عَلَيۡهِ السَّلَام, ह़ज़रते सुलैमान عَلَيۡهِ السَّلَام, ह़ज़रते अय्यूब عَلَيۡهِ السَّلَام, ह़ज़रते ज़करिय्या عَلَيۡهِ السَّلَام, ह़ज़रते यह़्या عَلَيۡهِ السَّلَام, ह़ज़रते ई़सा عَلَيۡهِ السَّلَام, ह़ज़रते इल्यास عَلَيۡهِ السَّلَام, ह़ज़रते अल्यसअ़ عَلَيۡهِ السَّلَام, ह़ज़रते यूनुस عَلَيۡهِ السَّلَام, ह़ज़रते इदरीस

عَلَیْہِ السَّلَام, ह़ज़रते ज़ुल किफ़्ल عَلَیْہِ السَّلَام, ह़ज़रते उ़ज़ैर عَلَیْہِ السَّلَام, ह़ज़रते सालेह़ عَلَیْہِ السَّلَام, हु़ज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन मुह़म्मदुर्रसूलुल्लाह صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ।

सुवाल क्या ग़ैरे नबी के पास भी वह़ी आती है ?

जवाब वह़्ये नुबुव्वत ग़ैरे नबी के पास नहीं आती, जो इस का क़ाइल या'नी मानने वाला हो वोह काफ़िर है।

सुवाल क्या अम्बिया के सिवा और कोई भी मा'सूम होता है ?

जवाब हां, फ़िरिश्ते भी मा'सूम होते हैं।

सुवाल मा'सूम किस को कहते हैं ?

जवाब जो **अल्लाह** पाक की ह़िफ़ाज़त में हो और इस वज्ह से उस का गुनाह करना ना मुम्किन हो।

सुवाल क्या इमाम और वली भी मा'सूम होते हैं ?

जवाब अम्बिया عَلَیْہِمُ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام और फ़िरिश्तों के सिवा मा'सूम कोई भी नहीं होता, औलिया को **अल्लाह** पाक अपने करम से गुनाहों से बचाता है मगर मा'सूम सिर्फ़ अम्बिया और फ़िरिश्ते ही हैं।

सुवाल दुन्या में सब से पहले आने वाले नबी कौन हैं ?

जवाब दुन्या में सब से पहले आने वाले नबी आदम عَلَیْہِ السَّلَام हैं, इन से पहले आदमियों का सिल्सिला न था। सब से पहले **अल्लाह** पाक ने इन्हें अपनी क़ुदरते कामिला से बिग़ैर मां बाप के पैदा किया और अपना ख़लीफ़ा या'नी नाइब बनाया और इ़ल्मे अस्मा इनायत किया। फ़िरिश्तों को इन के सज्दे का हुक्म दिया, इन्हीं से इन्सानी नस्ल चली, तमाम आदमी इन्हीं की औलाद हैं।

सुवाल इ़ल्मे अस्मा किस को कहते हैं ?

जवाब **अल्लाह** पाक ने जो ह़ज़रते आदम عَلَیْہِ السَّلَام को हर चीज़ और उस के नामों का इ़ल्म अ़ता फ़रमाया था उस को इ़ल्मे अस्मा कहते हैं।

सुवाल फ़िरिश्तों ने ह़ज़रते आदम عَلَیْہِ السَّلَام को कैसा सज्दा किया था ?

जवाब येह सज्दए ता'ज़ीमी था जो ख़ुदा के हुक्म से मलाएका ने किया और सज्दए ता'ज़ीमी पहली शरीअ़तों में जाइज़ था हमारी शरीअ़त में जाइज़ नहीं और सज्दए इ़बादत पहली शरीअ़तों में भी ख़ुदा के सिवा किसी और के लिये जाइज़ नहीं हुवा। जो मख़्लूक़ में से किसी को सज्दए इ़बादत करेगा काफ़िर हो जाएगा और ता'ज़ीमन सज्दा करेगा तो सख़्त गुनहगार और अ़ज़ाबे नार का ह़क़दार होगा कि हमारी शरीअ़त में सज्दए ता'ज़ीमी भी ह़राम है।

सुवाल नबी को मुर्दा कह सकते हैं या नहीं ?

जवाब अम्बियाए किराम عَلَیْہِمُ السَّلَام अपनी क़ब्रों में उसी त़रह़ ज़िन्दा हैं जैसे दुन्या में थे, खाते पीते हैं,[1] जहां चाहें आते जाते हैं, तस्दीक़े वा'दए इलाहिय्यह (या'नी **अल्लाह** ने वा'दा फ़रमाया है कि हर ज़ी रूह़ को मौत का मज़ा चखना है इस) के लिये एक आन को उन पर मौत त़ारी हुई, फिर ब दस्तूर ज़िन्दा हो गए, उन की ह़यात, ह़याते शुहदा से बहुत अर्फ़अ़ो आ'ला है।[2] जो उन्हें मुर्दा कहे गुमराह बद दीन,[3] शैत़ान के रास्ते पर चलने वाला है, उस के तो साए से भी दूर रहना चाहिये।

सुवाल क्या अम्बियाए किराम में से कोई ऐसे हैं जिन की अभी वफ़ात नहीं हुई ?

जवाब याद रखिये ! यूं तो हर नबी ज़िन्दा है। (जैसा कि ह़दीसे मुबारका में है :) اِنَّ اللہَ حَرَّمَ عَلَی الْاَرْضِ اَنْ تَاْکُلَ اَجْسَادَ الْاَنْبِیَاءِ فَنَبِیُّ اللہِ حَیٌّ یُّرْزَقُ या'नी बेशक **अल्लाह** (पाक) ने ह़राम किया है ज़मीन पर कि अम्बिया के जिस्मों को ख़राब करे तो **अल्लाह** पाक के नबी ज़िन्दा हैं रोज़ी दिये जाते हैं।[4] मगर चार अम्बियाए किराम ऐसे हैं जिन को (वफ़ात की सूरत में) वा'दए इलाही अभी नहीं आया, उन चारों में से दो आस्मान पर हैं, ह़ज़रते इदरीस व ईसा और दो ज़मीन पर ह़ज़रते ख़िज़्र व इल्यास عَلَیْہِمَا السَّلَام।[5]

सुवाल ह़ज़रते ईसा عَلَیْہِ السَّلَام के बारे में क़ादियानियों का बात़िल अ़क़ीदा क्या है ? और उस का रद बयान करें।

जवाब सूरए आले इमरान की आयत 55 में ह़ज़रते ईसा عَلَیْہِ السَّلَام को चार बातें फ़रमाई गईं :

اِذْ قَالَ اللّٰهُ یٰعِیْسٰۤى اِنِّیْ مُتَوَفِّیْكَ وَ رَافِعُكَ اِلَیَّ وَ مُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا وَ جَاعِلُ الَّذِیْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْۤا اِلٰى یَوْمِ الْقِیٰمَةِۚ ثُمَّ اِلَیَّ مَرْجِعُكُمْ فَاَحْكُمُ بَیْنَكُمْ فِیْمَا كُنْتُمْ فِیْهِ

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : याद करो जब **अल्लाह** ने फ़रमाया ऐ ईसा मैं तुझे पूरी उ़म्र तक पहुंचाऊंगा और तुझे अपनी त़रफ़ उठा लूंगा और तुझे काफ़िरों से पाक कर दूंगा और तेरे पैरवों को क़ियामत तक तेरे मुन्किरों पर ग़लबा दूंगा फिर तुम सब

1... ابن ماجہ، کتاب الجنائز، باب ذکر وفاتہ ودفنہ، 2/290، حدیث: 1636 ماخوذا

2... تکمیل الایمان، ص 122

3... फ़तावा रज़विय्या, 29/110

4... ابن ماجہ، کتاب الجنائز، باب ذکر وفاتہ، دفنہ، 2/291، حدیث: 1637

5... फ़तावा रज़विय्या, 29/109, 110 मुलख़्ख़सन

تَخۡتَلِفُوۡنَ ﴿۵۵﴾ (پ3،آل عمران:55) मेरी त़रफ़ पलट कर आओगे तो मैं तुम में फ़ैसला फ़रमा दूंगा जिस बात में झगड़ते हो।

(1) पहली बात تَوَفّٰی है, क़ादियानियों ने आयते पाक के इन अल्फ़ाज़ को बुन्याद बना कर यहूदो नसारा की पैरवी में ह़ज़रते ईसा की वफ़ात का दा'वा किया और येह सरासर ग़लत़ है क्यूं कि पहली बात तो येह है कि تَوَفّٰی का ह़क़ीक़ी मा'ना है "पूरा करना" जैसे क़ुरआने पाक में है :

وَ اِبۡرٰهِیۡمَ الَّذِیۡ وَفّٰۤی ﴿۳۷﴾ (پ27،النجم:37) **तरजमए कन्ज़ुल ईमान :** और इब्राहीम के जो अह़काम पूरे बजा लाया।

और येह मौत के मा'ना में भी इस्ति'माल होता है, लेकिन येह इस का मजाज़ी मा'ना है और जब तक कोई वाज़ेह़ क़रीना मौजूद न हो उस वक़्त तक लफ़्ज़ का ह़क़ीक़ी मा'ना छोड़ कर मजाज़ी मा'ना मुराद नहीं लिया जा सकता, और यहां कोई ऐसा क़रीना मौजूद नहीं कि تَوَفّٰی का मा'ना मौत किया जाए बल्कि इस का ह़क़ीक़ी मा'ना मुराद लेने पर वाज़ेह़ क़राइन भी मौजूद हैं और वोह क़राइन अह़ादीसे मुबारका हैं जिन में येह बयान है कि ह़ज़रते ईसा عَلَیْہِ السَّلَام ज़िन्दा आस्मान पर उठाए गए और क़ुर्बे क़ियामत में वापस तशरीफ़ लाएंगे, लिहाज़ा इस आयत से ह़ज़रते ईसा عَلَیْہِ السَّلَام की वफ़ात साबित नहीं होती। बिलफ़र्ज़ अगर تَوَفّٰی का मा'ना "वफ़ात देना" ही है तो इस से येह कहां साबित हुवा कि ह़ज़रते ईसा عَلَیْہِ السَّلَام वफ़ात पा चुके हैं। सिर्फ़ येह फ़रमाया है कि "ऐ ईसा ! मैं तुझे वफ़ात दूंगा।" तो येह बात तो हम भी मानते हैं कि ह़ज़रते ईसा عَلَیْہِ السَّلَام भी वफ़ात पाएंगे, येह मा'ना नहीं है कि हम ने तुझे फ़ौत कर दिया। अब येह बात कि आयत में تَوَفّٰی या'नी वफ़ात देने का पहले तज़्किरा है और उठाए जाने का बा'द में और चूंकि ह़ज़रते ईसा عَلَیْہِ السَّلَام उठाए जा चुके हैं लिहाज़ा इन की वफ़ात भी पहले साबित हो गई तो इस का जवाब येह है कि आयत में "مُتَوَفِّیۡكَ" और "رَافِعُكَ" के दरमियान में "वाव" है और अ़रबी ज़बान में "वाव" तरतीब के लिये नहीं आती कि जिस का मत़लब येह निकले कि वफ़ात पहले हुई और उठाया जाना बा'द में, जैसे क़ुरआने पाक में ह़ज़रते मरयम رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا से फ़रमाया गया : وَاسۡجُدِیۡ وَارۡكَعِیۡ (پ3،آل عمران:43) **तरजमए कन्ज़ुल इरफ़ान :** "और सज्दा और रुकूअ़ कर।" यहां सज्दे का पहले तज़्किरा है और रुकूअ़ का बा'द में, तो क्या इस का येह मत़लब है कि ह़ज़रते मरयम رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا रुकूअ़ बा'द में करती थीं और सज्दा पहले, हरगिज़ नहीं। लिहाज़ा जैसे यहां "वाव" का आना तरतीब के लिये नहीं है ऐसे ही मज़्कूरा बाला आयत में "वाव" तरतीब के लिये नहीं है।

(2) दूसरी बात ह़ज़रते ईसा عَلَیْہِ السَّلَام का उठाया जाना है। फ़रमाया गया कि हम तुम्हें बिग़ैर मौत के उठा कर आस्मान पर इ़ज़्ज़त की जगह और फ़िरिश्तों की जाए क़रार में पहुंचा देंगे। रसूले अकरम ने

फ़रमाया : हज़रते ईसा मेरी उम्मत पर ख़लीफ़ा हो कर नाज़िल होंगे, सलीब तोड़ेंगे, ख़िन्ज़ीरों को क़त्ल करेंगे, चालीस साल रहेंगे, निकाह़ फ़रमाएंगे, औलाद होगी और फिर आप का विसाल होगा। वोह उम्मत कैसे हलाक हो जिस का अव्वल मैं हूं और आख़िर हज़रते ईसा और वस्त़ में मेरे अहले बैत में से महदी।[1]

मुस्लिम शरीफ़ की ह़दीस में है कि हज़रते ईसा عَلَيْهِ السَّلَام मनारए शर्क़ी दिमश्क़ पर नाज़िल होंगे।[2] और येह भी ह़दीस में है कि "हुज़ूरे अक्दस के हुजरे में मदफ़ून होंगे।"[3]

(3) तीसरी बात कि कुफ़्फ़ार से नजात दिलाऊंगा। इस त़रह़ कि कुफ़्फ़ार के नरग़े से तुम्हें बचा लूंगा और वोह तुम्हें सूली न दे सकेंगे।

(4) चौथी बात मानने वालों को मुन्किरों पर ग़लबा देना। इस से मुराद न यहूदी हैं क्यूं कि वोह तो वैसे ही हज़रते ईसा के दुश्मन हैं और न ईसाई हैं क्यूं कि वोह उन्हें ख़ुदा मानते हैं तो येह "मानना" तो बद तरीन क़िस्म का "न मानना" है कि हज़रते ईसा फ़रमाएं कि **अल्लाह** के सिवा किसी को मा'बूद न मानो और येह कहें, नहीं, हम तो आप को भी मा'बूद मानेंगे। हज़रते ईसा के मानने वालों से मुराद है "इन को सह़ीह़ त़ौर पर मानने वाले" और सह़ीह़ मानने वाले यक़ीनन सिर्फ़ मुसल्मान हैं।

सबक़ नम्बर 5 — इमामुल अम्बिया हज़रते मुहम्मदे मुस्तफ़ा

यक़ीनन तमाम नबियों की ज़ात मख़्लूक़ में सब से अफ़्ज़लो आ'ला और हर त़रह़ से मुमताज़ है, **अल्लाह** करीम ने इन्हें मुख़्तलिफ़ ख़ूबियों से मुज़य्यन और बे शुमार औसाफ़ से नवाज़ा है, मगर इन तमाम अम्बियाए किराम में सय्यिदे आ़लम, नूरे मुजस्सम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की अ़ज़मतो शान के क्या कहने कि रब्बे करीम ने जो ख़ूबियां दीगर अम्बियाए किराम عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام को अ़त़ा फ़रमाईं वोह सब की सब आप صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की ज़ात में जम्अ़ फ़रमा दीं। किसी शाइ़र ने क्या ख़ूब कहा है कि :

कोई मिस्ल मुस्त़फ़ा का कभी था न है न होगा   किसी और का येह रुत्बा कभी था न है न होगा

सुवाल तमाम नबियों के सरदार कौन हैं ?

जवाब तमाम नबियों के सरदार हमारे प्यारे आक़ा हज़रत मुहम्मदे मुस्त़फ़ा صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم हैं।

1 ... تفسیر مدارک، پ3، ال عمران، تحت الآیۃ:55، جز:3/383، ابن عساکر، رقم:5519، عیسی بن مریم، 47/522، حدیث:10341

2 ... مسلم، کتاب الفتن واشراط الساعۃ، باب ذکر الدجال وصفتہ ومامعہ، ص1201، حدیث:8383

3 ... ابن عساکر، رقم:5519، عیسی بن مریم، 47/522، حدیث:10344 ماخوذا

सुवाल हुज़ूर صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم का मक़ाम सब से बुलन्द और आ'ला क्यूं है ?

जवाब तमाम अम्बिया عَلَیْہِمُ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام को जो कमालात जुदा जुदा इनायत हुए वोह सब **अल्लाह** पाक ने हुज़ूर صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم की ज़ाते आली में जम्अ फ़रमा दिये और हुज़ूर صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के ख़ास कमालात जो दूसरे अम्बिया में नहीं थे वोह भी बहुत ज़ाइद हैं। हुज़ूर صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم तमाम अम्बियाए किराम عَلَیْہِمُ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام के भी सरदार हैं, फ़िरिश्तों के भी सरदार हैं और सारी मख़्लूक़ में सब से अफ़्ज़ल हैं।

इमामे अहले सुन्नत رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ फ़तावा रज़विय्या शरीफ़ में इर्शाद फ़रमाते हैं : इमाम अ़ल्लामा जलालुद्दीन सुयूती رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ ने "ख़साइसे कुब्रा" में अढ़ाई सो के क़रीब हुज़ूर صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के ख़साइस जम्अ किये और येह सिर्फ़ उन का इल्म था, उन से ज़ियादा इल्म वाले ज़ियादा जानते थे फिर जिस क़दर हुज़ूर صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم अपने फ़ज़ाइल व ख़साइस जानते हैं दूसरा क्या जानेगा और हुज़ूर صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم से ज़ियादा इल्म वाला उन का मालिको मौला (है)।[1]

सुवाल सब से आख़िरी नबी कौन हैं ?

जवाब हुज़ूर صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ख़ातमुन्नबिय्यीन हैं या'नी **अल्लाह** पाक ने नुबुव्वत का सिलसिला हुज़ूर صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم पर ख़त्म फ़रमा दिया। इस लिये हुज़ूर صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم **अल्लाह** पाक के आख़िरी नबी हैं।

सुवाल जो कहे कि हुज़ूर صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के बा'द भी कोई नबी आ सकता है, उस के बारे में क्या हुक्म है ?

जवाब हुज़ूर صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के बा'द किसी को नुबुव्वत नहीं मिल सकती। "बुख़ारी शरीफ़" में है : हज़रते इस्माईल رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ फ़रमाते हैं : मैं ने हज़रते इब्ने अबी औफ़ा رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ से पूछा : आप ने (नबी صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के बेटे) हज़रते इब्राहीम رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ को देखा है ? फ़रमाया : उन का बचपन में इन्तिक़ाल हो गया था, अगर मुहम्मद صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के बा'द नबी होना होता तो हज़रते इब्राहीम ज़िन्दा रहते लेकिन हमारे आक़ा, मुहम्मद मुस्तफ़ा صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के बा'द कोई नबी नहीं।[2]

सुवाल अक़ीदए ख़त्मे नुबुव्वत क्या है ? इस को तफ़्सीलन बयान कीजिये।

1... फ़तावा रज़विय्या, 30/253 मुल्तक़तन

2... بخاری، کتاب الادب، باب من سمی باسماء الانبیاء، 4/153 حدیث:6194

जवाब ख़त्मे नुबुव्वत से मुराद येह मानना है कि हमारे आक़ा व मौला हुज़ूर صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم "आख़िरी नबी" हैं। या'नी **अल्लाह** करीम ने हुज़ूर صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की ज़ात पर सिल्सिलए नुबुव्वत को ख़त्म फ़रमा दिया। हुज़ूर के ज़माने में या इस के बा'द क़ियामत तक कोई नया नबी नहीं हो सकता।(1) आप صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के बा'द नया नबी आना मुहाल है, आप صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم से कम रुत्बा या फ़ैज़ याफ़्ता हो कर भी अब कोई नबी नहीं आ सकता, हज़रते इब्राहीम رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ ऐसे आ'ला औसाफ़ वाले हो कर भी जब नबी न हुए तो किसी और का नबी बन जाना ज़रूर ना मुम्किन और यक़ीनन मुहाल है।

तीस कज़्ज़ाब

सच येह है कि अब नुबुव्वत का दा'वा करने वाला ख़्वाह कोई हो, झूटा कज़्ज़ाब है। हज़रते सौबान رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ से रिवायत है, हमारे प्यारे नबी, रसूले हाशिमी صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : मेरी उम्मत में 30 कज़्ज़ाब (बहुत बड़े झूटे) होंगे, उन में हर एक गुमान करेगा कि वोह नबी है हालां कि मैं ख़ातमुन्नबिय्यीन हूं, मेरे बा'द कोई नबी नहीं।(2)

हकीमुल उम्मत, मुफ़्ती अहमद यार ख़ान नईमी رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : येह तीस (30) झूटे नबी वोह हैं जिन्हें लोगों ने नबी मान लिया और उन का फ़साद फैल गया, दूसरी क़िस्म के मुद्दइये नुबुव्वत (नुबुव्वत का दा'वा करने वाले) जिन्हें किसी ने न माना वोह बक्वास कर के मर गए वोह तो बहुत हैं, देखो ! हमारे मुल्क में मिरज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी मुद्दइये नुबुव्वत का फ़ितना बहुत फैला इस के इलावा हम ने बहुत से मुद्दइये नुबुव्वत देखे जिन की तरफ़ किसी ने तवज्जोह ही न दी अपने को नबी कहते कहते मर गए।(3)

अक़ीदए ख़त्मे नुबुव्वत की मुख़्तसर वज़ाहत

"अक़ीदए ख़त्मे नुबुव्वत" का वोही दरजा है जो "अक़ीदए तौहीद" का है या'नी दोनों ही ज़रूरिय्याते दीन से हैं। लिहाज़ा मुसल्मान के लिये जिस तरह لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه मानना लाज़िम है, ऐसे ही हज़रत मुहम्मद صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم को ख़ातमुन्नबिय्यीन मानना भी लाज़िम है।

पारह 22, सूरतुल अह्ज़ाब, आयत : 40 में इर्शाद होता है :

وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ

(پ22، الاحزاب:40)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : हां **अल्लाह** के रसूल हैं और सब नबियों के पिछले।

1 ... ترمذی، کتاب الفتن، باب ماجاء لا تقوم الساعۃ... الخ، 4/93، حدیث:6226 ماخوذا

2 ... मिरआतुल मनाजीह, 7/219

ख़ातमुन्नबिय्यीन का दुरुस्त मा'ना

हुज़ूरे अक़्दस صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, तमाम सहाबा बल्कि पूरी उम्मत ने "ख़ातमुन्नबिय्यीन" का सिर्फ़ एक मा'ना बताया है : "آخِرُ الْاَنْبِيَآء"।[1] या'नी हुज़ूर صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के साथ या आप صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के बा'द क़ियामत तक किसी को नुबुव्वत मिलनी मुहाल है। आयत के इस मा'ना में किसी क़िस्म की तावील या तख़्सीस कुफ़्र है।[2]

ख़ातमुन्नबिय्यीन के पांच कुफ़्रिय्या मआ़नी

(1) जो कहे : "ख़ातमुन्नबिय्यीन का मत़लब है : नई शरीअ़त वाला नबी, लिहाज़ा इसी इस्लामी शरीअ़त पर अ़मल करने वाला नबी आ सकता है।" कहने वाला काफ़िर है। (2) जो "ख़ातमुन्नबिय्यीन" का मा'ना "नबी बिज़्ज़ात (अस्ली नबी)" करे, काफ़िर है। (3) जो इस का मा'ना अफ़्ज़लुन्नबिय्यीन (सब नबियों से अफ़्ज़ल) बताए, काफ़िर है।[3] वाज़ेह़ रहे ! हमारे आक़ा صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم बेशक सब नबियों से अफ़्ज़ल हैं, मगर "ख़ातमुन्नबिय्यीन" का येह मा'ना करना कुफ़्र है कि क़ुरआन की तह़रीफ़ है। (4) जो कहे : "इस ज़मीन पर तो नहीं मगर और जगह (मसलन सातों ज़मीनों या सातों आस्मानों में कहीं) कोई नबी आ सकता है" कहने वाला काफ़िर है। (5) जो कहे : "इन्सानों में नया नबी नहीं आ सकता, अलबत्ता दूसरी मख़्लूक़ में अब भी नबी आ सकता है" क़ाइल (कहने वाला) काफ़िर है।

नोट : "ख़ातमुन्नबिय्यीन" के ऐसे मा'ना करने वाला भी काफ़िर है, जो उसे काफ़िर न जाने या उस के कुफ़्र में शक करे वोह भी काफ़िर, मुरतद, इस्लाम से ख़ारिज है।[4]

सबक़ नम्बर 6

मो'जिज़ात का बयान

अल्लाह करीम ने अम्बियाए किराम عَلَيْهِمُ السَّلَام को बे शुमार कमालात और ख़ुसूसिय्यात से नवाज़ा, जिन में से एक मो'जिज़ा भी है। मो'जिज़ा नबी की नुबुव्वत की दलील होता है, मो'जिज़े के ज़रीए सच्चे

1... तह़क़ीक़ात, स. 273 माख़ूज़न
2... फ़तावा रज़विय्या, 14/333 मुलख़्ख़सन
3... फ़तावा रज़विय्या, 14/333 माख़ूज़न
4... फ़तावा रज़विय्या, 14/338 माख़ूज़न

और झूटे नबी में फ़र्क़ होता है। हमारे प्यारे नबी صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : हर नबी को इस क़दर मो'जिज़ात दिये गए जिन की वज्ह से इन्सान उन पर ईमान ले आए।[1] क़ुरआने पाक की कई आयात में इस बात का ज़िक्र है कि अम्बियाए किराम عَلَیْہِمُ السَّلَام को मो'जिज़ात अ़ता फ़रमाए गए, जैसा कि

पारह 16 सूरए ताहा में ह़ज़रते मूसा عَلَیْہِ السَّلَام के मो'जिज़ात बयान किये गए कि आप के दौर में जादूगरों के जादूई कारनामे उ़रूज पर थे, इस लिये **अल्लाह** पाक ने आप को "यदे बैज़ा" और "अ़सा" के मो'जिज़ात अ़ता फ़रमाए, जिन से आप ने जादूगरों पर ऐसा ग़लबा ह़ासिल फ़रमाया कि तमाम जादूगर सज्दे में गिर पड़े और आप पर ईमान ले आए।

इसी त़रह़ पारह 3 सूरए आले इमरान 49 में ह़ज़रते ईसा عَلَیْہِ السَّلَام के मो'जिज़ात बयान किये गए कि आप के ज़माने में त़बीबों ने बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज कर के इन्सानों को मुतअस्सिर किया इस लिये **अल्लाह** करीम ने ह़ज़रते ईसा عَلَیْہِ السَّلَام को मादर ज़ाद अन्धों, कोढ़ के मरीज़ों को शिफ़ा देने और मुर्दों को ज़िन्दा कर देने का मो'जिज़ा अ़ता फ़रमाया।

इसी त़रह़ पारह 8 सूरए आ'राफ़ आयत नम्बर 73 में ह़ज़रते सालेह़ عَلَیْہِ السَّلَام का मो'जिज़ा बयान किया गया कि जब क़ौमे समूद को ईमान लाने की दा'वत दी तो उन्हों ने आप عَلَیْہِ السَّلَام से एक ऐसी अनोखी ऊंटनी का मुत़ालबा किया जो पैदा न हुई हो बल्कि पहाड़ से निकली हो। **अल्लाह** करीम ने ह़ज़रते सालेह़ عَلَیْہِ السَّلَام को ऐसी ऊंटनी का मो'जिज़ा अ़ता फ़रमाया।

इसी त़रह़ हमारे प्यारे नबी صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم चूंकि तमाम नबियों से अफ़्ज़ल हैं इस लिये **अल्लाह** करीम ने आप صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم को पहले अम्बियाए किराम عَلَیْہِمُ السَّلَام के तमाम मो'जिज़ात अ़ता फ़रमाए और बे शुमार ऐसे मो'जिज़ात भी अ़ता फ़रमाए जो किसी नबी व रसूल को अ़ता नहीं किये गए। मसलन "मे'राज शरीफ़ का मो'जिज़ा",[2] "चांद के दो टुकड़े करना",[3] रसूले अकरम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के मश्हूर मो'जिज़ात हैं। हमारे प्यारे नबी صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم का सब से बड़ा मो'जिज़ा क़ुरआने मजीद है क्यूं कि **रसूलुल्लाह** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के दूसरे मो'जिज़ात तो अपने वक़्त पर ज़ाहिर हुए और आप صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के ज़माने ही के लोगों ने वोह मो'जिज़ात मुलाह़ज़ा किये मगर "क़ुरआने मजीद" आप صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم का क़ियामत तक बाक़ी रहने वाला मो'जिज़ा है।[4]

1 ... بخاری، کتاب فضائل القرآن، باب کیف نزول الوحی واول مانزل، 3/396، حدیث 4981
2 ... پارہ15، سورہ بنی اسرائیل، آیت:1
3 ... پارہ27، سورہ قمر، آیت:1
4 ... مدارج النبوت، 1/175

सुवाल मो'जिज़ा किसे कहते हैं ?

जवाब वोह अ़जीबो ग़रीब काम जो आ़म तौ़र पर या'नी आ़दतन ना मुम्किन हों और ऐसी बातें अगर नुबुव्वत का दा'वा करने वाले से उस की ताईद में ज़ाहिर हों तो उन को "मो'जिज़ा" कहते हैं[1] जैसे ह़ज़रते मूसा عَلَيْهِ السَّلَام के अ़सा का अज़्दहा बन जाना, ह़ज़रते सुलैमान عَلَيْهِ السَّلَام का मीलों दूर से च्यूंटी की आवाज़ सुन लेना, ह़ज़रते दावूद عَلَيْهِ السَّلَام के हाथ में लोहे का मोम की त़रह़ नर्म हो जाना, ह़ज़रते ईसा عَلَيْهِ السَّلَام का मुर्दों को ज़िन्दा करना, हमारे प्यारे आक़ा صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم का डूबे हुए सूरज को वापस लौटाना, चांद के दो टुकड़े करना वग़ैरा।

सुवाल क्या कोई नुबुव्वत का झूटा दा'वा कर के मो'जिज़ा नहीं दिखा सकता ?

जवाब नुबुव्वत का झूटा दा'वा करने वाला मो'जिज़ा हरगिज़ नहीं दिखा सकता और क़ुदरत उस की ताईद नहीं फ़रमाती।

सुवाल मे'राज के मो'जिज़े के बारे में कुछ बताइये।

जवाब हुज़ूर صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم रात के थोड़े से ह़िस्से में मक्कए मुअ़ज़्ज़मा से बैतुल मुक़द्दस तशरीफ़ ले गए, वहां अम्बिया عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام की इमामत फ़रमाई। बैतुल मुक़द्दस से आस्मानों पर तशरीफ़ ले गए। **अल्लाह** पाक के क़ुर्ब का वोह मर्तबा पाया कि कभी किसी इन्सान या फ़िरिश्ते, नबी या रसूल ने न पाया था। ख़ुदावन्दे आ़लम का जमाले पाक अपनी मुबारक आंखों से देखा, कलामे इलाही सुना, आस्मान व ज़मीन के तमाम मुल्क मुलाह़ज़ा फ़रमाए या'नी देखे, जन्नतों की सैर की, दोज़ख़ का मुआ़यना फ़रमाया या'नी अपनी आंखों से देखा, मक्कए मुअ़ज़्ज़मा से बैतुल मुक़द्दस तक रास्ते में जो क़ाफ़िले मिले थे सुब्ह़ को उन के ह़ालात बयान फ़रमाए।[2]

सुवाल क्या नबी के इ़लावा भी किसी से मो'जिज़ा ज़ाहिर हो सकता है ?

जवाब जी नहीं, मो'जिज़ा सिर्फ़ नबी के साथ ख़ास है।

सुवाल मो'जिज़ा और करामत में क्या फ़र्क़ है ?

जवाब वोह अ़जीबो ग़रीब काम जो आ़दतन ना मुम्किन हो जिसे नबी अपनी नुबुव्वत के सुबूत में पेश

1... किताबुल अ़क़ाइद, स. 19 मुल्तक़तन

2... मे'राज शरीफ़ के बारे में तफ़्सीली मा'लूमात मा'मूलाते अहले सुन्नत में आएगी।

करे और उस से मुन्किरीन आ़जिज़ हो जाएं वोह मो'जिज़ा है और वली से ज़ाहिर हो तो करामत है।[1]

सबक़ नम्बर 7 नूरानिय्यत व बशरिय्यते मुस्त़फ़ा

अल्लाह करीम ने नबिय्ये रह़मत, शफ़ीए़ उम्मत صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم को जहां बे मिसाल बशर होने का शरफ़ अ़ता फ़रमाया वहीं ह़िस्सी व मा'नवी नूरानिय्यत से भी नवाज़ा। ह़कीमुल उम्मत, मुफ़्ती अह़मद यार ख़ान رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : हुज़ूर صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم बशर भी हैं और नूर भी या'नी नूरानी बशर हैं। ज़ाहिरी जिस्म शरीफ़ बशर है और ह़क़ीक़त नूर है।[2]

सुवाल मख़्लूक़ में सब से पहले किस चीज़ की तख़्लीक़ हुई ?

जवाब ह़ज़रते सय्यिदुना जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह अन्सारी رَضِىَ اللّٰهُ عَنْه फ़रमाते हैं कि मैं ने अ़र्ज़ की : **या रसूलल्लाह** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ! मेरे मां बाप आप (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) पर क़ुरबान ! मुझे बताइये कि सब से पहले **अल्लाह** करीम ने क्या चीज़ बनाई ? तो आप صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : ऐ जाबिर ! बेशक बिल यक़ीन, **अल्लाह** करीम ने तमाम मख़्लूक़ात से पहले तेरे नबी का नूर अपने नूर से पैदा फ़रमाया।[3]

सुवाल नूर व बशर होने के ए'तिबार से सरकारे मदीना صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के मुतअ़ल्लिक़ हमारा अ़क़ीदा क्या है ?

जवाब नूर व बशर होने के ए'तिबार से सरकारे मदीना صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के मुतअ़ल्लिक़ हमारा अ़क़ीदा येह है कि हमारे मदनी आक़ा صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم नूर भी हैं और बशर भी। या'नी ह़क़ीक़त के ए'तिबार से नूर और सूरत के ए'तिबार से बे मिस्ल बशर हैं।

सुवाल क्या सरकारे मदीना صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم का नूर होना क़ुरआने पाक से साबित है ?

जवाब जी हां ! सरकारे मदीना صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم का नूर होना क़ुरआने पाक से साबित है। चुनान्चे पारह 6 सूरए माइदह की आयत नम्बर 15 में इर्शाद होता है :

قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّ كِتٰبٌ مُّبِيْنٌۙ (۱۵)
(پ6،المائدہ:15)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : बेशक तुम्हारे पास **अल्लाह** की त़रफ़ से एक नूर आया और रोशन किताब।

1... क़ानूने शरीअ़त, स. 25
2... रिसालए नूर मअ़ रसाइले नईमिय्या, स. 39, 40
3... الجزء المفقود من الجزء الاول من المصنف، ص63حدیث:18

तफ़्सीरे रूहुल मआ़नी में इस आयत के तह़्त है : या'नी नूरे अ़ज़ीम और वोह नूरों का नूर, नबिय्ये मुख़्तार صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم हैं।(1) और फ़तावा रज़विय्या शरीफ़ में है कि उ़लमा फ़रमाते हैं : यहां नूर से मुराद मुह़म्मद صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم हैं।(2)

सुवाल क्या सरकारे मदीना صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने अपने नूर होने का ज़िक्र ख़ुद भी फ़रमाया है ?

जवाब ह़ज़रते सय्यिदुना इमाम ज़ैनुल आ़बिदीन رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ फ़रमाते हैं : नबिय्ये करीम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : मैं आदम عَلَيْهِ السَّلَام की तख़्लीक़ से चौदह हज़ार साल पहले **अल्लाह** करीम के हां नूर था।(3) हुज़ूर नबिय्ये अकरम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : जब **अल्लाह** करीम ने ह़ज़रते आदम عَلَيْهِ السَّلَام को पैदा फ़रमाया तो उन के बेटों को बाहम फ़ज़ीलत दी। आप عَلَيْهِ السَّلَام ने उन की एक दूसरे पर फ़ज़ीलत मुलाह़ज़ा फ़रमाई। (फिर हुज़ूरे अकरम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया :) आदम عَلَيْهِ السَّلَام ने सब से आख़िर में मुझे एक बुलन्द नूर की सूरत में देखा तो बारगाहे इलाही में अ़र्ज़ की : ऐ मेरे रब येह कौन है ? **अल्लाह** करीम ने इर्शाद फ़रमाया : येह तुम्हारा बेटा अह़मद है, येह अव्वल भी है, आख़िर भी है और येही सब से पहले शफ़ाअ़त करने वाला है।(4)

सुवाल सह़ाबए किराम رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَجْمَعِیْن ने हुज़ूर صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की नूरानिय्यत को कैसे बयान फ़रमाया ?

जवाब सह़ाबए किराम رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَجْمَعِیْن ने नबिय्ये पाक صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की नूरानिय्यत के जल्वों को देखा तो सब ने अपने अपने अन्दाज़ में इज़्हार किया :

(1) ह़ज़रते सय्यिदुना अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا ने फ़रमाया : हुज़ूरे अन्वर صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के सामने के मुबारक दांतों में कुशादगी थी, जब आप गुफ़्तगू फ़रमाते तो उन में से नूर दिखाई देता था।(5)

शैख़ुल इस्लाम अ़ल्लामा अ़ब्दुर्रऊफ़ मुनावी رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه इस ह़दीस के तह़्त फ़रमाते हैं : येह नूर मह़सूस होता था और आप صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की कुल ज़ाते शरीफ़ा ज़ाहिरी व बात़िनी त़ौर पर नूर थी ह़त्ता कि आप صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم अपने अस्ह़ाब में से जिस को चाहते उसे नूर अ़त़ा फ़रमाते, जैसा कि ह़ज़रते सय्यिदुना तुफ़ैल बिन अ़म्र दौसी رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ को अ़त़ा फ़रमाया।(6)

1... تفسیر روح المعانی، پ6، المائدۃ، تحت الآیۃ:15، 3/367

2... फ़तावा रज़विय्या, 30/707

3... المواہب اللدنیہ، 1/39

4... دلائل النبوۃ للبیہقی، 5/483

5... جامع صغیر، ص403، حدیث:6481

6... فیض القدیر، 5/93، تحت الحدیث:6482 ملخصا

(2) ह़ज़रते सय्यिदतुना आ़इशा सिद्दीक़ा رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا फ़रमाती हैं : ब वक़्ते सह़र खो जाने वाली सूई हुज़ूर नबिय्ये अकरम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के चेह़रए अन्वर की रोशनी की किरन से मिल गई ।[1]

(3) ह़ज़रते सय्यिदुना अबू हुरैरा رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ फ़रमाते हैं : जब नबिय्ये करीम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم मुस्कुराते तो दरो दीवार रोशन हो जाया करते थे ।[2]

सुवाल नूरानिय्यते मुस्त़फ़ा صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के बारे में बुज़ुर्गाने दीन رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِم क्या अ़क़ीदा रखते थे ?

जवाब जलीलुल क़द्र मुफ़स्सिरीन, मुह़द्दिसीन, ड़लमाए रब्बानिय्यीन और औलियाए कामिलीन ने भी नबिय्ये करीम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के नूर होने को बयान फ़रमाया । जैसा कि क़ुरआने मजीद की आयत :

قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّ كِتٰبٌ مُّبِیْنٌ ﴿۱۵﴾

(پ6،المائدۃ:15)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : बेशक तुम्हारे पास **अल्लाह** की तरफ़ से एक नूर आया और रोशन किताब ।

के तह़त इमाम अबू जा'फ़र मुह़म्मद बिन जरीर त़बरी, इमाम अबू मुह़म्मद हुसैन बग़वी, इमाम फ़ख़्रुद्दीन राज़ी, इमाम नासिरुद्दीन अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर बैज़ावी, अ़ल्लामा अबुल बरकात अ़ब्दुल्लाह नसफ़ी, अ़ल्लामा अबुल ह़सन अ़ली बिन मुह़म्मद ख़ाज़िन, इमाम जलालुद्दीन सुयूत़ी शाफ़ेई رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِم اَجْمَعِیْن समेत कसीर मुफ़स्सिरीन ने फ़रमाया कि इस आयते त़य्यिबा में मौजूद लफ़्ज़ "नूर" से मुराद नबिय्ये करीम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم की ज़ाते बा बरकात है । ह़ज़रते अ़ल्लामा क़ाज़ी इयाज़ मालिकी رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ फ़रमाते हैं : हुज़ूरे अन्वर صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم का साया सूरज चांद की रोशनी में ज़मीन पर नहीं पड़ता था क्यूं कि आप صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم नूर हैं ।[3]

सुवाल क्या ऐसा मुम्किन है कि कोई नूर भी हो और बशर भी ?

जवाब जी हां ! ऐसा बिल्कुल मुम्किन है क्यूं कि नूरानिय्यत और बशरिय्यत एक दूसरे की ज़िद नहीं हैं । ह़ज़रते सय्यिदुना जिब्राईल عَلَیْہِ السَّلَام नूरी मख़्लूक़ होने के बा वुजूद ह़ज़रते सय्यिदतुना मरयम رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا के सामने इन्सानी शक्ल में जल्वा गर हुए थे ।

जैसा कि फ़रमाने बारी है :

1 ...القول البدیع،ص302ملخصا
2 ...مصنف عبد الرزاق،کتاب الجامع،باب صفۃ النبی،10/242،حدیث:20657
3 ...الشفا،1/368

فَاَرْسَلْنَاۤ اِلَیْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِیًّا﴿۱۷﴾
(پ16،مریم:17)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : तो उस की त़रफ़ हम ने अपना रूहानी भेजा वोह उस के सामने एक तन्दुरुस्त आदमी के रूप में ज़ाहिर हुवा।

सुवाल सरकारे मदीना صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم की बशरिय्यत का इन्कार करना कैसा ?

जवाब सरकारे मदीना صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم की बशरिय्यत का मुत्लक़न इन्कार कुफ़्र है।[1] बल्कि इस में शक करना भी कुफ़्र है क्यूं कि शफ़ीए उम्मत صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم की बशरिय्यत कुरआने मजीद की नस्से क़त़ई से साबित है। हां अपने जैसा बशर न कहे ख़ैरुल बशर, सय्यिदुल बशर कहे।[2] क्यूं कि तमाम अम्बियाए किराम عَلَیْہِمُ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام बशर ही थे।

जैसा कि फ़रमाने बारी है :

وَمَاۤ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا
(پ13،یوسف:109)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और हम ने तुम से पहले जितने रसूल भेजे सब मर्द ही थे।

सुवाल सरकारे मदीना صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم को अपने जैसा बशर कहना कैसा है ?

जवाब सरकारे मदीना صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم को अपने जैसा बशर कहना अहले ईमान का त़रीक़ा नहीं, यक़ीनन आप صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم बशर भी हैं लेकिन आप की बशरिय्यत आ़म इन्सानों की त़रह़ नहीं, लिहाज़ा आप की बशरिय्यत को आ़म इन्सानों की त़रह़ क़रार देना मुसल्मानों का शेवा नहीं बल्कि कुरआने करीम में मुख़्तलिफ़ मक़ामात पर इसे काफ़िरों का त़रीक़ा बताया गया है कि वोह अपने नबी को अपने जैसा बशर समझते थे। चुनान्चे फ़रमाने बारी है :

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ یٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَیْرُهٗ ؕ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ﴿۲۳﴾ فَقَالَ الْمَلَؤُا الَّذِیْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا هٰذَاۤ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۙ (پ18،المؤمنون:24،23)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और बेशक हम ने नूह़ को उस की क़ौम की त़रफ़ भेजा तो उस ने कहा ऐ मेरी क़ौम **अल्लाह** को पूजो उस के सिवा तुम्हारा कोई ख़ुदा नहीं तो क्या तुम्हें डर नहीं तो उस की क़ौम के जिन सरदारों ने कुफ़्र किया बोले येह तो नहीं मगर तुम जैसा आदमी।

1... फ़तावा रज़विय्या, 14/358

2... कुफ़्रिय्या कलिमात के बारे में सुवाल जवाब, स. 224

मा'लूम हुवा नबी की शान घटाने के लिये बशर बशर की रट लगाना कुफ़्फ़ारे ना हन्जार का त़रीक़ा है और सरकारे मदीना صَلَّى اللّٰہ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم बशर तो हैं मगर हमारी मिस्ल नहीं बल्कि अफ़्ज़लुल बशर हैं।

सबक़ नम्बर 8 हाज़िरो नाज़िर होने का बयान

हाज़िरो नाज़िर होने का मा'ना येह है कि कुदसी (या'नी **अल्लाह** की दी हुई) कुव्वत वाला एक ही जगह रह कर तमाम आ़लम (या'नी सारे जहान, ज़मीनो आस्मान, अ़र्शो कुरसी, लौहो क़लम, मलको मलकूत) को अपने हाथ की हथेली की त़रह़ देखे और दूर व क़रीब की आवाजे़ं सुने या एक आन (लम्ह़ा भर) में तमाम आ़लम की सैर करे और सेंकड़ों मील दूर ह़ाजत मन्दों की ह़ाजत रवाई करे। येह रफ़्तार ख़्वाह रूह़ानी हो या जिस्मे मिसाली के साथ हो या उसी मुबारक जिस्म से हो जो क़ब्र में मदफ़ून है।[1]

सुवाल हुज़ूर صَلَّى اللّٰہ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के ह़ाज़िरो नाज़िर होने के बारे में अ़क़ीदए अहले सुन्नत क्या है ?

जवाब हमारा येह दा'वा हरगिज़ नहीं है कि हुज़ूरे अकरम, नबिय्ये मुकर्रम صَلَّى اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم का ज़ाहिरी जिस्मे अक़्दस हर हर जगह मौजूद है, अलबत्ता हुज़ूरे अकरम صَلَّى اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم बयक वक़्त एक से ज़ाइद मक़ामात पर जल्वा फ़रमा हो सकते हैं।[2] ह़ाज़िरो नाज़िर के मफ़्हूम को एक मिसाल से भी समझा जा सकता है कि जिस त़रह़ आस्मान का सूरज अपने जिस्म के साथ आस्मान पर है लेकिन अपनी रोशनी और नूरानिय्यत के साथ रूए ज़मीन पर मौजूद है इसी त़रह़ (बिला तश्बीह) आफ़्ताबे नुबुव्वत, माहताबे रिसालत صَلَّى اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم अपने जिस्मे अक़्दस के साथ मदीने शरीफ़ में अपने मज़ारे पुर अन्वार में मौजूद हैं लेकिन सारी काएनात को यूं देखते हैं जैसे हाथ की हथेली को, नीज़ उम्मतियों के आ'माल को देखते हैं और **अल्लाह** के हुक्म से तसर्रुफ़ भी फ़रमाते हैं।

सुवाल हुज़ूर صَلَّى اللّٰہ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के ह़ाज़िरो नाज़िर होने का सुबूत कुरआने करीम से भी है ?

जवाब जी हां ! कुरआने करीम में कई जगह रब्बे करीम ने अपने मह़बूब के ह़ाज़िरो नाज़िर होने के वस्फ़ को बयान किया, चुनान्चे **अल्लाह** करीम इर्शाद फ़रमाता है :

إِنَّآ أَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ۙ﴿۸﴾
(پ26،الفتح:8)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : बेशक हम ने तुम्हें भेजा ह़ाज़िरो नाज़िर और ख़ुशी और डर सुनाता।

1.... जाअल ह़क़, स. 116 मुलख़्ख़सन

2.... من عقائد اہل السنۃ، ص318 ملتقطا

ह़ज़रते अ़ल्लामा अ़लाउद्दीन अ़ली बिन मुह़म्मद ख़ाज़िन رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : ऐ प्यारे ह़बीब صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ! बेशक हम ने आप को अपनी उम्मत के आ'माल और अह़वाल का मुशाहदा फ़रमाने वाला बना कर भेजा ताकि आप क़ियामत के दिन उन की गवाही दें और दुन्या में ईमान वालों और इत़ाअ़त गुज़ारों को जन्नत की ख़ुश ख़बरी देने वाला और काफ़िरों, ना फ़रमानों को जहन्नम के अ़ज़ाब का डर सुनाने वाला बना कर भेजा है।[1]

आ'ला ह़ज़रत इमाम अह़मद रज़ा ख़ान رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه इस आयत की तफ़्सीर में फ़रमाते हैं : बेशक हम ने तुम्हें भेजा गवाह और ख़ुशी और डर सुनाता कि जो तुम्हारी ता'ज़ीम करे उसे फ़ज़्ले अ़ज़ीम की बिशारत दो और जो مَعَاذَ الله बे ता'ज़ीमी से पेश आए उसे अ़ज़ाबे अलीम का डर सुनाओ और जब वोह शाहिद व गवाह हुए और शाहिद को मुशाहदा दरकार, तो बहुत मुनासिब हुवा कि उम्मत के तमाम अफ़्आ़ल व अक़्वाल व आ'माल व अह़वाल उन के सामने हों। (और **अल्लाह** पाक ने आप को येह मर्तबा अ़त़ा फ़रमाया है जैसा कि) त़बरानी की ह़दीस में ह़ज़रते अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا से रिवायत है : **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم फ़रमाते हैं : اِنَّ اللهَ رَفَعَ لِیَ الدُّنْیَا فَاَنَا اَنْظُرُ اِلَیْهَا وَاِلٰی مَا هُوَ كَائِنٌ فِیْهَا اِلٰی یَوْمِ الْقِیَامَةِ كَاَنَّمَا اَنْظُرُ اِلٰی كَفِّیْ هٰذِهٖ बेशक **अल्लाह** करीम ने मेरे सामने दुन्या उठा ली तो मैं देख रहा हूं उसे और जो उस में क़ियामत तक होने वाला है जैसे अपनी इस हथेली को देख रहा हूं।[2]

अल्लाह करीम इर्शाद फ़रमाता है :

وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ؕ
(پ2، البقرۃ:143)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और येह रसूल तुम्हारे निगहबान व गवाह।

इस आयत की तफ़्सीर में ह़ज़रते सय्यिदुना इमाम इब्ने जरीर त़बरी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه नक़्ल करते हैं कि ह़ज़रते सय्यिदुना अबू सईद ख़ुदरी رَضِیَ اللهُ عَنْه फ़रमाते हैं : وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ؕ بِمَا عَمِلْتُمْ اَوْ فَعَلْتُمْ या'नी तुम जो जो आ'माल व अफ़्आ़ल करते हो **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم उन सब पर गवाह होंगे।[3]

सुवाल क्या अह़ादीसे मुबारका से भी ह़ुज़ूर صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم का ह़ाज़िरो नाज़िर होना साबित है ?

जवाब नबिय्ये करीम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के कसीर फ़रामीन में "ह़ाज़िरो नाज़िर" का मफ़्हूम मौजूद है। मसलन : ह़ज़रते सय्यिदुना सौबान رَضِیَ اللهُ عَنْه से रिवायत है कि **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद

1 ... تفسیر خازن، پ26، الفتح، تحت الآیۃ:8، 4/157
2 ... کنز العمال، کتاب الفضائل، باب فضائل النبی، جز:11، 6/189، حدیث:31968، فتاویٰ رضویہ، 15/168 ملخصا
3 ... تفسیر طبری، پ2، البقرۃ، تحت الآیۃ:143، 2/10، حدیث:2186

फ़रमाया : बेशक **अल्लाह** पाक ने मेरे लिये ज़मीन को समेट दिया तो मैं ने इस के मशरिक़ों और मग़रिबों (या'नी तमाम जवानिब व अत़राफ़) को देख लिया।[1]

ह़ज़रते सय्यिदुना उ़मर फ़ारूके़ आ'ज़म رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ से रिवायत है कि हुज़ूर नबिय्ये करीम, रऊफ़ुर्रह़ीम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : **अल्लाह** पाक ने मेरे सामने दुन्या पेश फ़रमा दी, मैं दुन्या और इस में पेश आने वाले क़ियामत तक के वाक़िआत को अपनी इस हथेली की त़रह़ देख रहा हूं।[2]

ह़ज़रते उ़क़्बा बिन आ़मिर رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ फ़रमाते हैं कि एक दिन ताजदारे रिसालत صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم शुहदाए उहुद पर नमाज़ पढ़ने के लिये तशरीफ़ ले गए जैसे मय्यित पर नमाज़ पढ़ी जाती है, फिर मिम्बर पर जल्वा अफ़रोज़ हो कर फ़रमाया : मैं तुम्हारा पेशरव हूं और मैं तुम पर गवाह हूं और बेशक ख़ुदा की क़सम ! मैं अपने ह़ौज़ को अब भी देख रहा हूं और मुझे ज़मीन के ख़ज़ानों की कुन्जियां या (येह फ़रमाया कि मुझे) ज़मीन की कुन्जियां अ़त़ा की गई हैं और बेशक ख़ुदा की क़सम ! मुझे तुम्हारे मुतअ़ल्लिक़ येह डर नहीं कि मेरे बा'द शिर्क करने लगोगे बल्कि मुझे अन्देशा है कि तुम दुन्या की मह़ब्बत में फंस जाओगे।[3]

सुवाल हुज़ूर صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के ह़ाज़िरो नाज़िर होने के बारे में बुज़ुर्गाने दीन के भी चन्द इर्शादात बयान फ़रमा दें।

जवाब (1) ह़ज़रते इमाम जलालुद्दीन सुयूत़ी शाफ़ेई رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ ह़ज़रते अबू मन्सूर अ़ब्दुल क़ाहिर बग़दादी رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ का क़ौल नक़्ल फ़रमाते हैं : हमारे अस्ह़ाब में से मुह़क़्क़िक़ मुतकल्लिमीन फ़रमाते हैं : बेशक हमारे नबी صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم अपनी वफ़ात के बा'द भी ज़िन्दा हैं और अपनी उम्मत की नेकियां देख कर ख़ुश होते हैं और उन की ना फ़रमानियां देख कर ग़मज़दा होते हैं।[4]

(2) शारेहे़ बुख़ारी ह़ज़रते इमाम अह़मद बिन मुह़म्मद क़स्त़लानी رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ फ़रमाते हैं : अपनी उम्मत का मुशाहदा फ़रमाने, उन के ह़ालात, दिल के इरादों और उन के राज़ जानने में नबिय्ये पाक صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم की वफ़ात और ह़यात में कोई फ़र्क़ नहीं। येह तमाम चीज़ें **रसूलुल्लाह** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के हां ज़ाहिर हैं इन में से कुछ पोशीदा नहीं।[5]

1 ... مسلم، کتاب الفتن واشراط الساعۃ، باب ہلاک ہذہ الامۃ بعضھم ببعض، ص1182، حدیث:7258
2 ... مجمع الزوائد، کتاب علامات النبوۃ، باب اخبارہ بالمغیبات، 8/510، حدیث:1467
3 ... بخاری، کتاب الجنائز، باب الصلاۃ علی الشہید، 1/452، حدیث:1344
4 ... الحاوی للفتاوی، 2/180
5 ... المواہب اللدنیۃ، 3/410

(3) शैख़े मुहक़्क़िक़ अ़ल्लामा अ़ब्दुल ह़क़ मुह़द्दिस देह्लवी رَحْمَۃُ اللہِ عَلَیْہ फ़रमाते हैं : उ़लमाए उम्मत में इस मस्अले में एक शख़्स का भी इख़्तिलाफ़ नहीं कि नबिय्ये पाक صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ह़क़ीक़ी ज़िन्दगी के साथ दाइम व बाक़ी हैं, इस बात में किसी क़िस्म का शुबा या कोई तावील नहीं और आप صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم उम्मत के ह़ालात पर ह़ाज़िरो नाज़िर हैं।[1] एक मक़ाम पर फ़रमाते हैं : शाहिद का मा'ना है उम्मत के ह़ाल, उन की नजात व हलाकत और तस्दीक़ व तक्ज़ीब पर ह़ाज़िर और आ़लिम।[2]

(4) ह़ज़रते शाह अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ मुह़द्दिस देहलवी رَحْمَۃُ اللہِ عَلَیْہ फ़रमाते हैं : ऐ लोगो ! तुम पर तुम्हारे रसूल صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم क़ियामत के दिन इस लिये गवाही देंगे कि वोह नूरे नुबुव्वत से हर परहेज़ गार के मर्तबे व मक़ाम को जानते हैं और येह भी जानते हैं कि फ़ुलां मेरा उम्मती किस दरजे पर पहुंचा हुवा है और येह कि उस के ईमान की ह़क़ीक़त क्या है और येह भी जानते हैं कि मेरे फ़ुलां उम्मती की तरक़्क़ी में फ़ुलां चीज़ रुकावट बनी हुई है। पस नबिय्ये करीम صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم तुम्हारे गुनाहों, ईमान के दरजात, अच्छे बुरे आ'माल और तुम्हारे ख़ुलूस व मुनाफ़क़त को पहचानते हैं।[3]

सबक़ नम्बर 9

इ़ल्मे ग़ैबे मुस्त़फ़ा

अल्लाह पाक ने हमारे प्यारे नबी ह़ज़रत मुह़म्मद صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم को रोज़े अव्वल से रोज़े आख़िर तक का इ़ल्म अ़त़ा फ़रमाया है। लौह़े मह़फ़ूज़ में दर्ज तमाम उ़लूम नीज़ अपनी ज़ातो सिफ़ात की मा'रिफ़त से मुतअ़ल्लिक़ बहुत और बे शुमार उ़लूम अ़त़ा फ़रमाए। उ़लूमे ख़म्सा पर मुत्त़लअ़ फ़रमाया जिस में ख़ास वक़्ते क़ियामत का इ़ल्म भी शामिल है। सारी मख़्लूक़ात के अह़वाल और तमाम मा कान (जो हो चुका) और मा यकून (जो होगा) का इ़ल्म अ़त़ा फ़रमाया। लेकिन इस के बा वुजूद हमारे प्यारे नबी صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم का इ़ल्म "अ़त़ाई (**अल्लाह** करीम का अ़त़ा किया हुवा)" होने की वज्ह से "ह़ादिस" है और **अल्लाह** पाक का इ़ल्म "ज़ाती व क़दीम"। सरकारे मदीना صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم का इ़ल्म हरगिज़ हरगिज़ **अल्लाह** के इ़ल्म के बराबर नहीं।[4]

सुवाल इ़ल्मे ग़ैब किसे कहते हैं ?

1 ...سلوک اقرب السبل مع اخبار الاخیار، ص155

2 ...مدارج النبوۃ، 1/260

3 ...تفسیر عزیزی، پ2، البقرۃ، تحت الآیۃ: 143، 1/636

4 ... मक़ालाते काज़िमी, 2/111 मुलख़्ख़सन

जवाब ग़ैब के (लफ़्ज़ी) मा'ना हैं : ग़ाइब या'नी छुपी हुई चीज़। ग़ैब वोह है जो हम से पोशीदा हो और हम अपने ह़वासे ख़म्सा या'नी देखने, सुनने, सूंघने, चखने और छूने से न जान सकें और ग़ौरो फ़िक्र से अ़क़्ल उसे मा'लूम न कर सके।(1) जैसे जन्नत और दोज़ख़ वग़ैरा हमारे लिये इस वक़्त ग़ैब हैं क्यूं कि इन्हें हम ह़वास (या'नी आंख, नाक, कान वग़ैरा) से मा'लूम नहीं कर सकते।

सुवाल क्या इल्मे ग़ैबे मुस्त़फ़ा صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم क़ुरआने पाक से साबित है ?

जवाब क़ुरआने पाक की कई आयाते मुबारका में हमारे प्यारे नबी صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के मुबारक इल्मे ग़ैब का बयान मौजूद है चन्द आयात मुलाह़ज़ा फ़रमाइये और अपनी आंखें ठन्डी कीजिये :

(1) हमारा प्यारा रब इर्शाद फ़रमाता है :

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِيْ مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۪ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۚ وَاِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿۱۷۹﴾

(پ4، آل عمران:179)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और **अल्लाह** की शान येह नहीं कि ऐ आ़म लोगो तुम्हें ग़ैब का इल्म दे दे हां **अल्लाह** चुन लेता है अपने रसूलों से जिसे चाहे तो ईमान लाओ **अल्लाह** और उस के रसूलों पर और अगर ईमान लाओ और परहेज़ गारी करो तो तुम्हारे लिये बड़ा सवाब है।

इमाम शहाबुद्दीन अह़मद बिन अ़ली अल मा'रूफ़ इब्ने ह़जर अ़स्क़लानी رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه नक़्ल फ़रमाते हैं : नबिय्ये करीम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने सह़ाबए किराम से फ़रमाया : "मेरी उम्मत मुझ पर ऐसे पेश की गई जैसे ह़ज़रते आदम عَلَيْهِ السَّلَام पर पेश की गई थी तो मैं ने जान लिया कि कौन मुझ पर ईमान लाएगा और कौन मेरा इन्कार करेगा।" येह बात जब मुनाफ़िक़ीन तक पहुंची तो उन्हों ने कहा : مَعَاذَ اللّٰه मुह़म्मद (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) गुमान करते हैं कि वोह जानते हैं कौन उन पर ईमान लाएगा और कौन उन का इन्कार करेगा ह़ालां कि हम उन के साथ हैं वोह हमें नहीं जानते। इस पर येह आयते करीमा नाज़िल हुई।(2)

इमाम बग़वी, इमाम सिराजुद्दीन उ़मर ह़म्बली, इमाम मुह़म्मद बिन अह़मद शिरबीनी और इमाम अ़लाउद्दीन अ़ली बिन मुह़म्मद ख़ाज़िन رِضْوَانُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن ने कुछ अल्फ़ाज़ के इख़्तिलाफ़ के साथ मज़ीद यूं बयान फ़रमाया है कि मुनाफ़िक़ों का ए'तिराज़ सुन कर हमारे प्यारे नबी صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم मिम्बर पर खड़े

1 ...تفسیر بیضاوی، پ1، البقرۃ، تحت الآیۃ:3، 1/114 ملتقطا
2 ...العجاب فی بیان الاسباب، 2/798

हुए, **अल्लाह** करीम की ह़म्दो सना के बा'द फ़रमाया : ''उन लोगों का क्या ह़ाल है जो मेरे इ़ल्म पर ए'तिराज़ करते हैं ? तुम्हारे और क़ियामत के दरमियान जो कुछ भी है तुम मुझ से उन में से जिस किसी चीज़ के बारे में सुवाल करोगे मैं तुम्हें उस की ख़बर दूंगा।'' ह़ज़रते सय्यिदुना अ़ब्दुल्लाह बिन ह़ुज़ाफ़ा सहमी رَضِیَ اللہُ عَنْہ ने खड़े हो कर कहा : مَنْ اَبِیْ یَارَسُوْلَ اللہ؟ या'नी **या रसूलल्लाह** ! मेरा वालिद कौन है ? इर्शाद फ़रमाया : ह़ुज़ाफ़ा। फिर ह़ज़रते उ़मर رَضِیَ اللہُ عَنْہ ने खड़े हो कर अ़र्ज़ की : **या रसूलल्लाह !** हम **अल्लाह** पाक के रब होने, इस्लाम के दीन होने, क़ुरआन के इमाम व पेश्वा होने और आप صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के नबी होने पर राज़ी हुए, **अल्लाह** पाक आप के दरजात बुलन्द फ़रमाए हमें मुआ़फ़ फ़रमा दीजिये। नबिय्ये करीम صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने दो मरतबा फ़रमाया : فَھَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَھُوْنَ तो क्या तुम बाज़ आए, तो क्या तुम बाज़ आए, फिर मिम्बर से नीचे तशरीफ़ ले आए इस पर **अल्लाह** पाक ने येह आयत नाज़िल फ़रमाई।[(1)]

(2) हमारे प्यारे नबी صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के इ़ल्मे ग़ैब का बयान क़ुरआने पाक के पारह पांच में यूं है :

وَ عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ؕ وَ كَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَیْكَ عَظِیْمًا ﴿۱۱۳﴾ (پ5،النساء:113)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और तुम्हें सिखा दिया जो कुछ तुम न जानते थे और **अल्लाह** का तुम पर बड़ा फ़ज़्ल है।

येह आयते मुबारका हमारे प्यारे नबी صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم की अ़ज़ीम मद्ह़ और ता'रीफ़ पर मुश्तमिल है। **अल्लाह** करीम ने अपने ह़बीब صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم को किताब और ह़िक्मत अ़त़ा फ़रमाई और आप को दीन के उमूर, शरीअ़त के अह़काम और ग़ैब के वोह तमाम उ़लूम अ़त़ा फ़रमा दिये जो आप न जानते थे। चुनान्चे इस आयते करीमा की तफ़्सीर में इमाम अबू जा'फ़र मुह़म्मद बिन जरीर त़बरी رَحْمَۃُ اللہِ عَلَیْہ लिखते हैं : **अल्लाह** पाक ने आप صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم को अव्वलीनो आख़िरीन की ख़बरें दीं और जो कुछ हो चुका और जो होगा उस सब का इ़ल्म अ़त़ा फ़रमा दिया और येह सब कुछ आप पर आप के रब का फ़ज़्ल है।[(2)] याद रहे ''مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ'' में वोह सब कुछ दाख़िल है जो हमारे प्यारे नबी صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم पहले न जानते थे।[(3)]

1... تفسیر خازن، پ4، آل عمران، تحت الآیۃ:179، 1/328

2... تفسیر طبری، پ5، النساء، تحت الآیۃ:113، 4/275

3... तफ़्सीर अल बह़रुल मुह़ीत़ जिल्द 3 सफ़्ह़ा 362, ज़ादुल मसीर फ़ी इ़ल्मुत्तफ़्सीर, जिल्द 1 जुज़ सानी, सफ़्ह़ा 118 और रूहु़ल मआ़नी जिल्द 3 सफ़्ह़ा 187 में इस की तस्रीह़ और वज़ाह़त मुलाह़ज़ा की जा सकती है।

(3) **अल्लाह** रब्बुल इ़ज़्ज़त इर्शाद फ़रमाता है :

اَلرَّحْمٰنُۙ(۱) عَلَّمَ الْقُرْاٰنَؕ(۲) خَلَقَ الْاِنْسَانَۙ(۳) عَلَّمَهُ الْبَیَانَ(۴) (پ27،الرحمٰن:1تا4)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : रह़मान ने अपने मह़बूब को क़ुरआन सिखाया, इन्सानिय्यत की जान मुह़म्मद को पैदा किया। मा कान व मा यकून का बयान उन्हें सिखाया।

इस आयत में ‘‘इन्सान’’ और ‘‘बयान’’ के मिस्दाक़ के बारे में मुफ़स्सिरीन के मुख़्तलिफ़ अक़्वाल हैं, तफ़्सीरे ख़ाज़िन में एक क़ौल इस त़रह़ है : اَرَادَ بِالْاِنْسَانِ مُحَمَّدًا صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم यहां इन्सान से मुराद मुह़म्मदे मुस्त़फ़ा صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم हैं और ‘‘बयान’’ से ‘‘मा कान व मा यकून’’ या’नी जो कुछ हो चुका और जो कुछ आइन्दा होगा, का बयान मुराद है, क्यूं कि नबिय्ये करीम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم अव्वलीनो आख़िरीन और क़ियामत के दिन की ख़बरें देते थे।[1] इमाम हुसैन बिन मस्ऊ़द बग़वी ने तफ़्सीरे मआ़लिमुत्तन्ज़ील जिल्द 4 सफ़ह़ा 243 पर, इमाम अ़ब्दुर्रह़मान इब्ने जूज़ी ने तफ़्सीरे ज़ादुल मसीर जिल्द 4, जुज़ अव्वल पर, अ़ल्लामा सनाउल्लाह नक़्शबन्दी ने तफ़्सीरे मज़्हरी जिल्द 9 सफ़ह़ा 123 पर, अ़ल्लामा अह़मद सावी ने तफ़्सीरे सावी जिल्द 6 सफ़ह़ा 2074 पर इसी आयत के तह़्त हमारे प्यारे नबी صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के लिये इ़ल्मे मा कान व मा यकून का क़ौल ज़िक्र फ़रमाया है।

(4) **अल्लाह** करीम इर्शाद फ़रमाता है :

عٰلِمُ الْغَیْبِ فَلَا یُظْهِرُ عَلٰی غَیْبِهٖۤ اَحَدًاۙ(۲۶) اِلَّا مَنِ ارْتَضٰی مِنْ رَّسُوْلٍ فَاِنَّهٗ یَسْلُكُ مِنْۢ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهٖ رَصَدًا(۲۷) (پ29،الجن:26-27)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : ग़ैब का जानने वाला तो अपने ग़ैब पर किसी को मुसल्लत़ नहीं करता सिवाए अपने पसन्दीदा रसूलों के कि उन के आगे पीछे पहरा मुक़र्रर कर देता है।

(5) **अल्लाह** पाक फ़रमाता है :

وَمَا هُوَ عَلَی الْغَیْبِ بِضَنِیْنٍ(۲۴) (پ30،التکویر:24)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और येह नबी ग़ैब बताने में बख़ील नहीं।

सुवाल क्या हुज़ूर صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के इ़ल्मे ग़ैब पर अह़ादीसे मुबारका से दलाइल हैं ?

जवाब जी हां ! कई अह़ादीसे त़य्यिबा हुज़ूर के इ़ल्मे ग़ैब पर दलालत करती हैं : (1) अमीरुल मुअमिनीन ह़ज़रते सय्यिदुना उ़मर फ़ारूक़े आ’ज़म رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ फ़रमाते हैं : एक दिन रसूले अकरम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم हमारे दरमियान खड़े थे तो आप صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने हमें मख़्लूक़ की पैदाइश से बताना

[1]... تفسیر خازن، پ27، الرحمٰن، تحت الآیۃ:3-4، 4/223

शुरूअ़ किया ह़त्ता कि जन्नती अपनी मनाज़िल पर जन्नत में दाख़िल हो गए और जहन्नमी जहन्नम में अपने ठिकाने पर पहुंच गए। जिस ने इस बयान को याद रखा उस ने याद रखा जो भूल गया सो भूल गया।[1]

(2) ह़ज़रते सय्यिदुना अ़म्र बिन अख़्त़ब अन्सारी رَضِیَ اللہُ عَنْہ से रिवायत है : एक दिन नबिय्ये करीम صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने नमाज़े फ़ज्र से ग़ुरूबे आफ़्ताब तक ख़ुत़्बा इर्शाद फ़रमाया, दरमियान में ज़ोह्र व अ़स्र की नमाज़ों के इ़लावा कोई काम न किया। ह़ज़रते अ़म्र बिन अख़्त़ब फ़रमाते हैं : जो कुछ हो चुका था और क़ियामत तक जो कुछ होना था नबिय्ये करीम صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने वोह सब कुछ बयान फ़रमा दिया। हम में ज़ियादा इ़ल्म वाला वोह है जिसे ज़ियादा याद रहा।[2]

(3) ह़ज़रते सय्यिदुना अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊ़द رَضِیَ اللہُ عَنْہ फ़रमाते हैं : सुल्ह़े ह़ुदैबिया से वापसी पर एक जगह नबिय्ये पाक صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم और सह़ाबए किराम عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان के ऊंट मुन्तशिर हो गए, सब अपने अपने ऊंट वापस ले आए लेकिन नबिय्ये पाक صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم की ऊंटनी न मिली, आप صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने मुझ से फ़रमाया : वहां से ऊंटनी ले आओ, तो मैं ने ऊंटनी को उसी ह़ाल में पकड़ लिया जैसा मुझ से **रसूलुल्लाह** صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया था।[3]

(4) ह़ज़रते सय्यिदुना अनस बिन मालिक رَضِیَ اللہُ عَنْہ फ़रमाते हैं : ग़ज़्वए बद्र के मौक़अ़ पर नबिय्ये करीम صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : येह फ़ुलां काफ़िर के मरने की जगह है (येह कहते जाते थे) और अपने हाथ को ज़मीन पर इधर उधर रखते थे, फिर कोई काफ़िर ह़ुज़ूर की बताई हुई जगह से ज़र्रा बराबर भी इधर उधर नहीं मरा।[4]

इस ह़दीस से साबित हुवा कि ह़ुज़ूर को येह भी मा'लूम था कि कौन कब और कहां मरेगा।

(5) ह़ज़रते सय्यिदुना अबू मूसा अश्अ़री رَضِیَ اللہُ عَنْہ फ़रमाते हैं : ह़ुज़ूर नबिय्ये करीम صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم से ऐसे सुवालात किये गए जो ना पसन्द थे, जब ज़ियादा किये गए तो आप नाराज़ हो गए, फिर लोगों से फ़रमाया : **سَلُوْنِیْ عَمَّا شِئْتُمْ** या'नी मुझ से जो चाहो पूछ लो। एक शख़्स अ़र्ज़ गुज़ार हुवा : **مَنْ اَبِیْ** या'नी **या रसूलल्लाह !** मेरा बाप कौन है ? इर्शाद फ़रमाया : **اَبُوْکَ حُذَافَۃُ** या'नी तुम्हारा बाप ह़ुज़ाफ़ा है। फिर दूसरे आदमी ने खड़े

1 ...بخاری، کتاب بدء الخلق، باب ماجاء فی قول اللہ:(وھو الذی یبدء الخلق ثم یعیدہ)،2/375، حدیث:3192
2 ...مسلم، کتاب الفتن واشراط الساعۃ،باب اخبار النبی فیما یکون الی قیام الساعۃ، ص1184، حدیث:7267
3 ...معجم کبیر،10/225، حدیث:10548
4 ...مسلم، کتاب الجہاد والسیر، باب غزوۃ بدر، ص759، حدیث:4621

हो कर अ़र्ज़ की : **या रसूलल्लाह !** मेरा बाप कौन है ? इर्शाद फ़रमाया : सालिम मौला शैबा तुम्हारा वालिद है। जब ह़ज़रते सय्यिदुना उ़मर फ़ारूके़ आ'ज़म رَضِیَ اللہُ عَنْہ ने आप صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के चेहरए अन्वर की ह़ालत देखी तो अ़र्ज़ की : **या रसूलल्लाह !** हम **अल्लाह** पाक की त़रफ़ तौबा करते हैं।(1)

सुवाल क्या हुज़ूर صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم को कुल्ली इल्मे ग़ैब ह़ासिल है ? इस की वज़ाह़त फ़रमा दें।

जवाब ह़ज़रते सय्यिदुना मुआ़ज़ बिन जबल رَضِیَ اللہُ عَنْہ से रिवायत है कि नबिय्ये पाक صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : मैं ने अपने रब को देखा, उस ने अपना दस्ते कु़दरत मेरे कन्धों के दरमियान रखा, जिस की ठन्डक मैं ने अपने सीने में मह़सूस की, उसी वक़्त मुझ पर हर चीज़ रोशन हो गई और मैं ने सब कुछ पहचान लिया।(2) तिरमिज़ी शरीफ़ और दीगर कुतुबे अह़ादीस में मौजूद अल्फ़ाज़ فَعَلِمْتُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ (या'नी ज़मीन व आस्मानों में जो कुछ था वोह मैं ने जान लिया) के तह़त मुह़क़्क़िक़ अ़लल इत़्लाक़, शैख़ अ़ब्दुल ह़क़ मुह़द्दिस देहलवी رَحْمَۃُ اللہِ عَلَیْہ फ़रमाते हैं : كِنَايَةٌ عَنْ حُصُولِ جَمِيعِ الْعُلُوم इस से मुराद तमाम उ़लूम ह़ासिल होना है।(3) इन अह़ादीसे मुबारका में मौजूद अल्फ़ाज़ "فَتَجَلّٰى لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ" और "فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ" हमारे प्यारे नबी صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के कुल्ली इल्मे ग़ैब का मुंह बोलता सुबूत हैं।

कुल्ली इल्मे ग़ैब का मत़लब **अल्लाह** पाक ने हमारे प्यारे नबी صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم को कुल्ली इल्मे ग़ैब अ़त़ा फ़रमाया है। शैत़ान कहीं वस्वसा न डाले कि इस का तो मत़लब है कि **अल्लाह** करीम का सारे का सारा इल्म नबिय्ये पाक صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم को भी ह़ासिल है। इस शैत़ानी वस्वसे का रद करते हुए आ'ला ह़ज़रत इमाम अह़मद रज़ा ख़ान رَحْمَۃُ اللہِ عَلَیْہ फ़रमाते हैं : हमारा येह दा'वा नहीं कि नबिय्ये करीम صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने तमाम मा'लूमाते इलाहिय्यह का इह़ात़ा कर लिया है, क्यूं कि येह तो मख़्लूक़ के लिये मुह़ाल है।(4)

ग़ज़ालिये ज़मां ह़ज़रते अ़ल्लामा सय्यिद अह़मद सईद काज़िमी رَحْمَۃُ اللہِ عَلَیْہ इसी बात की वज़ाह़त यूं फ़रमाते हैं : याद रखिये ! जब आप हमारे कलाम में हुज़ूर صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के इल्मे अक़्दस के मुतअ़ल्लिक़

---

1 ... بخاری، کتاب العلم، باب الغضب فی الموعظۃ والتعلیم اذا رأی ما یکرہ، 1/51، حدیث:92
2 ... ترمذی، کتاب التفسیر، باب ومن سورۃ ص، 5/160، حدیث:3246
3 ... لمعات التنقیح، 2/478
4 ... الدولۃ المکیۃ، ص64

लफ़्ज़ ''कुल'' देखें तो इस से कुल ग़ैर मुतनाही न समझें बल्कि कुल मख़्लूक़ात (जो मुतनाही) है।[1] और इस के इलावा मा'रिफ़ते ज़ातो सिफ़ात का इल्म कि वोह भी बिल फ़े'ल मुतनाही है हमारी मुराद होगा, वरना इल्मे इलाही की ब निस्बत हुज़ूर صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के इल्म को कुल नहीं कहते, क्यूं कि इल्मे इलाही मुहीतुल कुल और ग़ैर मुतनाही है।[2]

सबक़ नम्बर 10 शफ़ाअ़ते मुस्त़फ़ा का बयान

सुवाल शफ़ाअ़त का लुग़वी व शर्ई मा'ना बयान फ़रमा दें।

जवाब शफ़ाअ़त के लुग़वी मा'ना हैं : वसीला और त़लब जब कि शर्ई त़ौर पर ग़ैर के लिये ख़ैर मांगना शफ़ाअ़त कहलाता है।[3]

इस बात का अ़क़ीदा रखना वाजिब है कि हमारे प्यारे नबी صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ऐसे शफ़ाअ़त फ़रमाने वाले हैं जिन की शफ़ाअ़त क़बूल की जाएगी। **अल्लाह** पाक फ़रमाता है :

عَسٰۤى اَنْ یَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا ﴿۷۹﴾
(پ15، بنی اسرآءیل:79)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : क़रीब है कि तुम्हें तुम्हारा रब ऐसी जगह खड़ा करे जहां सब तुम्हारी ह़म्द करें।

सुवाल क़ियामत के दिन सब से पहले कौन शफ़ाअ़त करेगा, हुज़ूर صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की शफ़ाअ़त किस त़रह़ की होगी ?

जवाब जब तक हमारे हुज़ूरे पुरनूर صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم शफ़ाअ़त का दरवाज़ा नहीं खोलेंगे किसी को भी शफ़ाअ़त की इजाज़त न होगी।[4] इस बात पर ईमान रखना भी वाजिब है कि नबिय्ये करीम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के इलावा अम्बिया व मलाएका और उ़लमा व शुहदा, सालिह़ीन और कसीर मोमिनीन, क़ुरआने मजीद, रोज़े, का'बतुल्लाह और इन के इलावा वोह चीज़ें जिन के मुतअ़ल्लिक़ ह़दीस में शफ़ाअ़त का ज़िक्र है, सब शफ़ाअ़त करेंगे।[5] याद रहे ! शफ़ाअ़त धोंस (ज़ोर ज़बर दस्ती) की न होगी लिहाज़ा जो बिल्कुल शफ़ाअ़त का इन्कारी हो वोह बे ईमान है और जो मुश्रिकीने अ़रब की त़रह़ धोंस की शफ़ाअ़त माने वोह भी बे दीन है।[6]

1... ग़ैर मुतनाही : न ख़त्म होने वाला। मुतनाही : ख़त्म होने वाला
2... मक़ालाते काज़िमी, 2/117
3... شرح الصاوی علی جوہرۃ التوحید، ص400
4... अल मो'तक़दुल मुन्तक़द, स. 127
5... अल मो'तक़दुल मुन्तक़द, स. 129
6... नूरुल इरफ़ान, पारह : 3, अल बक़रह : 255

सुवाल शफ़ाअ़त की कितनी क़िस्में हैं ?

जवाब मुफ़्ती अह़मद यार ख़ान नईमी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : शफ़ाअ़त दो क़िस्म की है : शफ़ाअ़ते कुब्रा और शफ़ाअ़ते सुग़रा । शफ़ाअ़ते कुब्रा सिर्फ़ हुज़ूर (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) करेंगे, इस शफ़ाअ़त का फ़ाएदा सारी ख़ल्क़त ह़त्ता कि कुफ़्फ़ार को भी पहुंचेगा कि इस शफ़ाअ़त की बरकत से ह़िसाब किताब शुरूअ़ हो जाएगा और क़ियामत के मैदान से नजात मिलेगी, येह शफ़ाअ़त हुज़ूर ही करेंगे, उस वक़्त कोई नबी इस शफ़ाअ़त की जुर्अत न फ़रमाएंगे । शफ़ाअ़ते सुग़रा ज़ुहूरे फ़ज़्ल के वक़्त होगी, येह शफ़ाअ़त बहुत लोग बल्कि क़ुरआन, रमज़ान, ख़ानए का'बा भी करेंगे । हुज़ूर صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم रफ़्ए़ दरजात के लिये सालिह़ीन ह़त्ता कि नबियों की भी शफ़ाअ़त फ़रमाएंगे और गुनाहों की मुआ़फ़ी के लिये हम गुनहगारों की शफ़ाअ़त करेंगे लिहाज़ा आप की शफ़ाअ़त से अम्बियाए किराम भी फ़ाएदा उठाएंगे । اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا شَفَاعَةَ حَبِيْبِكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (या'नी ऐ **अल्लाह** ! हमें अपने ह़बीब की शफ़ाअ़त नसीब फ़रमा) हुज़ूर की शफ़ाअ़त हम गुनहगारों का सहारा है ।[1]

सदरुश्शरीअ़ह, ह़ज़रत मुफ़्ती मुह़म्मद अमजद अ़ली आ'ज़मी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : क़ियामत के दिन मर्तबए शफ़ाअ़ते कुब्रा हुज़ूर (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) के ख़साइस से है । शफ़ाअ़ते कुब्रा मोमिन, काफ़िर, मुत़ीअ़, आ़सी सब के लिये है कि वोह इन्तिज़ारे ह़िसाब जो सख़्त जांगुज़ा होगा, जिस के लिये लोग तमन्नाएं करेंगे कि काश जहन्नम में फेंक दिये जाते और इस इन्तिज़ार से नजात पाते, इस बला से छुटकारा कुफ़्फ़ार को भी हुज़ूर (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) की बदौलत मिलेगा, जिस पर अव्वलीन व आख़िरीन, मुवाफ़िक़ीन व मुख़ालिफ़ीन, मोमिनीन व काफ़िरीन सब हुज़ूर (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) की ह़म्द करेंगे, इसी का नाम मक़ामे मह़मूद है ।[2]

ह़दीस शरीफ़ में है : नबिय्ये पाक صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم से अ़र्ज़ की गई : मक़ामे मह़मूद क्या है ? फ़रमाया هُوَ الشَّفَاعَةُ या'नी वोह शफ़ाअ़त है ।[3]

हमारे प्यारे नबी صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : रूए ज़मीन पर जितने दरख़्त और पथ्थर हैं मैं क़ियामत के दिन उन सब की ता'दाद के बराबर आदमियों की शफ़ाअ़त फ़रमाऊंगा ।[4]

सुवाल क्या शफ़ाअ़ते मुस्त़फ़ा صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ह़ासिल करने के लिये इस पर ईमान रखना भी ज़रूरी है ?

1... मिरआतुल मनाजीह़, 7/403, 404 मुल्तक़त़न

2... बहारे शरीअ़त, 1/70, ह़िस्सा : 1

3.. ترمذی، کتاب التفسیر، باب ومن سورۃ بنی اسرائیل، 5/93، حدیث:3148

4.. مسند امام احمد، مسند الانصار، 9/7، حدیث:23004

जवाब शफ़ाअ़त उसे मिलेगी जो नबिय्ये पाक صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم की शफ़ाअ़त पर ईमान रखता होगा कि इब्ने मनीअ़ ह़ज़रते सय्यिदुना ज़ैद बिन अरक़म वग़ैरा चौदह सह़ाबए किराम عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان से रावी हैं कि हुज़ूर नबिय्ये करीम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم फ़रमाते हैं : **شَفَاعَتِیْ یَوْمَ الْقِیَامَۃِ حَقٌّ فَمَنْ لَّمْ یُؤْمِنْ بِھَا لَمْ یَکُنْ مِنْ اَھْلِھَا** या'नी मेरी शफ़ाअ़त रोज़े क़ियामत ह़क़ है जो इस पर ईमान न लाएगा वोह इस (शफ़ाअ़त पाने) का अह्ल न होगा।[1]

इस ह़दीसे पाक को नक़्ल करने के बा'द इमामे अहले सुन्नत, इमाम अह़मद रज़ा ख़ान رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ यूं दुआ़ करते हैं : ऐ **अल्लाह** ! तू जानता है, बेशक तू ने हिदायत अ़त़ा फ़रमाई है, तो हम तेरे ह़बीब मुह़म्मदे मुस्त़फ़ा صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم की शफ़ाअ़त पर ईमान लाए हैं। ऐ **अल्लाह** करीम ! हमें दुन्या व आख़िरत में लाइक़े शफ़ाअ़त बना दे।[2]

इमामे अहले सुन्नत शाह अह़मद रज़ा ख़ान رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ, **اَنَا صَاحِبُ شَفَاعَتِھِمْ** का एक लत़ीफ़ मा'ना यूं ज़िक्र फ़रमाते हैं : **अल्लाह** पाक की बारगाह में बिला वासित़ा शफ़ाअ़त क़ुरआने करीम और नबिय्ये पाक صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم की होगी। इसी लिये रोज़े क़ियामत तमाम शफ़ाअ़त करने वाले फ़िरिश्ते, अम्बियाए किराम, औलिया व उ़लमा, हुफ़्फ़ाज़ व शुहदा और हुज्जाज व सुलह़ा عَلَیْہِمُ الصَّلٰوۃُ وَالثَّنَاء की शफ़ाअ़त नबिय्ये पाक صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم की बारगाह में होगी। इन की रसाई इन्ही तक होगी, नबिय्ये करीम उन लोगों की शफ़ाअ़त भी फ़रमाएंगे जिन का ज़िक्र इन ह़ज़रात ने किया होगा और उन की भी शफ़ाअ़त फ़रमाएंगे जिन का ज़िक्र न किया होगा। हमारे नज़्दीक येह मा'ना अह़ादीस से मुअक्कद है।[3]

सुवाल शफ़ाअ़ते मुस्त़फ़ा صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم कितनी त़रह़ की होगी ?

जवाब हमारे प्यारे नबी صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم की शफ़ाअ़तें कई त़रह़ की होंगी। चुनान्चे

ह़ज़रते अ़ल्लामा शैख़ अ़ब्दुल ह़क़ मुह़द्दिस देहलवी رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ शफ़ाअ़त की क़िस्में बयान करते हुए फ़रमाते हैं : शफ़ाअ़त की पहली क़िस्म शफ़ाअ़ते उ़ज़्मा है। दूसरी क़िस्म की शफ़ाअ़त एक क़ौम को बे ह़िसाब जन्नत में दाख़िल करवाने के लिये होगी और येह शफ़ाअ़त भी हमारे नबिय्ये पाक صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के लिये साबित है और बा'ज़ उ़लमाए किराम के नज़्दीक येह शफ़ाअ़त हुज़ूरे अन्वर صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ही के साथ ख़ास है। तीसरी क़िस्म की शफ़ाअ़त उन लोगों के बारे में होगी कि जिन की नेकियां और बुराइयां

1 ... جامع صغیر، ص301، حدیث:4896

2 ... फ़तावा रज़विय्या, 29/585

3 ... المعتقد المنتقد مع شرح المستند المعتمد بناجاۃ الابد، ص127

बराबर बराबर होंगी और शफ़ाअ़त की मदद से जन्नत में दाख़िल होंगे। चौथी क़िस्म की शफ़ाअ़त उन लोगों के लिये होगी जो कि दोज़ख़ के ह़क़दार हो चुके होंगे तो ह़ुज़ूरे पुरनूर, शाफ़ेए़ यौमुन्नुशूर صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم शफ़ाअ़त फ़रमा कर उन को जन्नत में लाएंगे। पांचवीं क़िस्म की शफ़ाअ़त मर्तबे की बुलन्दी और बुज़ुर्गी के इज़ाफ़े के लिये होगी। छटी क़िस्म की शफ़ाअ़त उन गुनहगारों के बारे में होगी जो कि जहन्नम में पहुंच चुके होंगे और शफ़ाअ़त की वज्ह से निकल आएंगे और इस त़रह़ की शफ़ाअ़त दीगर अम्बियाए किराम عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام, फ़िरिश्ते, उ़लमा और शुहदा भी फ़रमाएंगे। सातवीं क़िस्म की शफ़ाअ़त जन्नत का दरवाज़ा खोलने के बारे में होगी। आठवीं क़िस्म की शफ़ाअ़त ख़ास कर मदीनए मुनव्वरह زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا वालों और नबिय्ये करीम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के रौज़ए अन्वर की ज़ियारत करने वालों के लिये ख़ुसूसी त़रीक़े पर होगी।[(1)]

सुवाल शफ़ाअ़त का इन्कार करना कैसा ?

जवाब मुत़्लक़न शफ़ाअ़त का इन्कार हुक्मे क़ुरआनी का इन्कार और कुफ़्र है। चुनान्चे

क़ुरआने करीम की मश्हूरो मा'रूफ़ आयते करीमा "आयतुल क़ुरसी" में है :

مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ
(پ3،البقرة:255)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : वोह कौन है जो उस के यहां सिफ़ारिश करे बे उस के हुक्म के।

सदरुल अफ़ाज़िल ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना सय्यिद मुह़म्मद नईमुद्दीन मुरादआबादी رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : इस में मुश्रिकीन का रद है जिन का गुमान था कि बुत शफ़ाअ़त करेंगे। उन्हें बता दिया गया कि कुफ़्फ़ार के लिये शफ़ाअ़त नहीं। **अल्लाह** करीम के ह़ुज़ूर माज़ूनीन (या'नी इजाज़त याफ़्तगान) के सिवा कोई शफ़ाअ़त नहीं कर सकता और इज़्न वाले (या'नी इजाज़त याफ़्ता) अम्बिया व मलाएका व मोमिनीन हैं।[(2)] जो नबी صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की शफ़ाअ़त का मुन्किर हो या किरामन कातिबीन का मुन्किर हो या रूयते बारी (या'नी दीदारे इलाही) का इन्कार करता हो उस के पीछे नमाज़ जाइज़ नहीं इस लिये कि वोह काफ़िर है।[(3)]

---

1 ... اشعة اللمعات، 4/404ملتقطا

2 ... तफ़्सीरे ख़ज़ाइनुल इरफ़ान, पारह : 3, अल बक़रह, तह़्तल आयह : 255

3 ... البحر الرائق، کتاب الصلوٰۃ، باب الامامۃ، 1/611

सबक़ नम्बर 11 इख़्तियाराते मुस्तफ़ा का बयान

सारी काएनात का ख़ालिक़ व मालिक **अल्लाह** है और सब उस के मोहताज हैं, कोई चीज़ भी उस के क़ब्ज़ा व इख़्तियार से बाहर नहीं, मगर उस ने अपने फ़ज़्लो करम से मख़्लूक़ में से अपने ख़ास बन्दों मसलन अम्बियाए किराम عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام को भी मुख़्तलिफ़ इख़्तियारातो कमालात से नवाज़ा है। इस बात को यूं समझिये कि जो जिस मर्तबे का मालिक था, उसे उसी के मुताबिक़ इख़्तियारात अ़ता किये गए हैं। बिला शुबा अम्बियाए किराम عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام वोह क़ाबिले एह़तिराम और मुक़द्दस हस्तियां हैं कि जिन का मक़ाम मख़्लूक़ में सब से बुलन्दो बाला है, लिहाज़ा उन को अ़ता कर्दा मो'जिज़ात, कमालात और इख़्तियारात भी दीगर मख़्लूक़ से अफ़्ज़लो आ'ला होते हैं, फिर उन में भी ताजदारे अम्बिया, मह़बूबे किब्रिया صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم को जो मर्तबा व मक़ाम ह़ासिल है, वोह किसी मुसल्मान से ढका छुपा नहीं, लिहाज़ा आप صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के इख़्तियारात, दीगर अम्बियाए किराम عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام के इख़्तियारात से ज़ाइद व नुमायां हैं। जैसा कि रब्बे करीम ने कुरआने करीम में मुख़्तलिफ़ मक़ामात पर अपने मह़बूब के इख़्तियारात को बयान किया, चुनान्चे

पारह 5 सूरतुन्निसाअ की आयत नम्बर 65 में **अल्लाह** पाक इर्शाद फ़रमाता है :

فَلَا وَرَبِّكَ لَا یُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى یُحَكِّمُوْكَ فِیْمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لَا یَجِدُوْا فِیْۤ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَیْتَ وَ یُسَلِّمُوْا تَسْلِیْمًا ﴿۶۵﴾ (پ22، الاحزاب:36)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : तो ऐ मह़बूब तुम्हारे रब की क़सम वोह मुसल्मान न होंगे जब तक अपने आपस के झगड़े में तुम्हें ह़ाकिम न बनाएं फिर जो कुछ तुम हुक्म फ़रमा दो अपने दिलों में उस से रुकावट न पाएं और जी से मान लें।

पारह 10 सूरतुत्तौबह की आयत नम्बर 29 में इर्शादे ख़ुदावन्दी है :

قَاتِلُوا الَّذِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ لَا بِالْیَوْمِ الْاٰخِرِ وَ لَا یُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗ (پ10، التوبۃ:29)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : लड़ो उन से जो ईमान नहीं लाते **अल्लाह** पर और क़ियामत पर और ह़राम नहीं मानते उस चीज़ को जिस को ह़राम किया **अल्लाह** और उस के रसूल ने।

पारह 28 सूरतुल ह़श्र की आयत नम्बर 7 में इर्शादे ख़ुदावन्दी है :

وَ مَاۤ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُۗ-وَ مَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْاۚ (پ28، الحشر:7)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और जो कुछ तुम्हें रसूल अ़ता फ़रमाएं वोह लो और जिस से मन्अ़ फ़रमाएं बाज़ रहो।

पारह 22 सूरतुल अह्ज़ाब की आयत नम्बर 36 में इर्शादे खुदावन्दी है :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗۤ اَمْرًا اَنْ یَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ
(پ22،الاحزاب:36)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और किसी मुसल्मान मर्द न मुसल्मान औरत को पहुंचता है कि जब **अल्लाह** व रसूल कुछ हुक्म फ़रमा दें तो उन्हें अपने मुआमले का कुछ इख़्तियार रहे।

सदरुल अफ़ाज़िल हज़रते अल्लामा मौलाना मुफ़्ती सय्यिद मुहम्मद नईमुद्दीन मुरादआबादी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं कि इस से मा'लूम हुवा कि आदमी को रसूले करीम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की फ़रमां बरदारी करना हर मुआमले में वाजिब है और नबी عَلَيْهِ السَّلَام के मुक़ाबले में कोई अपनी ज़ात का भी ख़ुद मुख़्तार नहीं।[1]

सुवाल अहादीसे मुबारका की रोशनी में इख़्तियाराते मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم बयान कीजिये।

जवाब जब **अल्लाह** ने अपने बन्दों पर हज फ़र्ज़ फ़रमाया और रहमते आलम, नूरे मुजस्सम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने खुत्बे में हज की फ़र्ज़िय्यत का ए'लान करते हुए फ़रमाया : **اَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا** या'नी ऐ लोगो ! **अल्लाह** पाक ने तुम पर हज को फ़र्ज़ फ़रमा दिया है, लिहाज़ा हज किया करो। तो एक सहाबिये रसूल (हज़रते सय्यिदुना अक़्रअ़ बिन हाबिस رَضِيَ اللهُ عَنْه) ने अर्ज़ की : **या रसूलल्लाह** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ! क्या हर साल हज करना फ़र्ज़ है ? 3 मरतबा उन्हों ने येही सुवाल किया, मगर हर मरतबा रसूलों के सालार, नबिय्ये मुख़्तार صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने ख़ामोशी ही इख़्तियार फ़रमाई फिर इर्शाद फ़रमाया : **لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ لَوَجَبَتْ** अगर मैं ने "हां" कह दिया होता तो हर साल हज करना फ़र्ज़ हो जाता।[2]

याद रहे कि ! हज ज़िन्दगी में एक बार ही फ़र्ज़ है, जैसा कि हदीसे पाक में है कि जब सहाबिये रसूल हज़रते सय्यिदुना अक़्रअ़ बिन हाबिस رَضِيَ اللهُ عَنْه ने **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم से हर साल हज फ़र्ज़ होने के बारे में सुवाल किया तो आप صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : **بَلْ مَرَّةً وَّاحِدَةً فَمَنْ زَادَ فَتَطَوُّعٌ** या'नी हज एक ही मरतबा (फ़र्ज़) है, जो एक से ज़ाइद करेगा वोह नफ़्ली होगा।[3]

1... तफ़्सीरे ख़ज़ाइनुल इरफ़ान, पारह : 22, अल अह्ज़ाब, तह्तल आयह : 36 ब तग़य्युर

2... مسلم، کتاب الحج، باب فرض الحج مرۃ فی العمر، ص536، حدیث:3257

3... مستدرک، کتاب التفسیر، فرضیۃ الحج فی العمر مرۃ واحدۃ، 3/10، حدیث:3210

सुवाल हुज़ूर صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने अपने इख़्तियारात के ज़रीए उम्मत पर जो आसानियां फ़रमाईं उस की कुछ मिसालें बयान फ़रमा दें।

जवाब कई मवाक़ेअ़ पर सरकारे नामदार, उम्मत के ग़म ख़्वार صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने हम गुनाहगारों की मशक़्क़त व दुश्वारी का लिहाज़ करते हुए शर्ई मसाइल में हमारी आसानियों का ख़ास ख़याल फ़रमाया। चार रिवायात मुलाहज़ा कीजिये :

(1) इर्शाद फ़रमाया : لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰی اُمَّتِیْ لَفَرَضْتُ عَلَیْہِمُ السِّوَاکَ کَمَا فَرَضْتُ عَلَیْہِمُ الْوُضُوْءَ अगर मुझे अपनी उम्मत की दुश्वारी का ख़याल न होता तो मैं ज़रूर उन पर मिस्वाक को उसी त़रह फ़र्ज़ कर देता, जिस त़रह मैं ने उन पर वुज़ू फ़र्ज़ किया है।[1]

(2) इर्शाद फ़रमाया : لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰی اُمَّتِیْ لَاَمَرْتُہُمْ اَنْ یُّؤَخِّرُوا الْعِشَاءَ اِلٰی ثُلُثِ اللَّیْلِ اَوْ نِصْفِہٖ अगर मुझे अपनी उम्मत की मशक़्क़त का ख़याल न होता तो मैं इ़शा की नमाज़ को तिहाई या आधी रात तक मुअख़्ख़र करने का ज़रूर हुक्म देता।[2]

(3) इर्शाद फ़रमाया : وَلَوْلَا ضَعْفُ الضَّعِیْفِ وَسُقْمُ السَّقِیْمِ لَاَخَّرْتُ ہٰذِہِ الصَّلَاۃَ اِلٰی شَطْرِ اللَّیْلِ अगर बूढ़ों की कमज़ोरी और मरीज़ों की बीमारी का ख़याल न होता तो इस नमाज़ (या'नी नमाज़े इ़शा) को आधी रात तक ज़रूर मुअख़्ख़र कर देता।[3]

(4) ह़ज़रते सय्यिदुना बराअ बिन आ़ज़िब رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ से मरवी है कि ह़ज़रते सय्यिदुना अबू बुर्दा رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ने नमाज़े ई़द से पहले ही क़ुरबानी कर ली तो नबिय्ये करीम, रऊफ़ुर्रह़ीम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि इस के बदले दूसरी क़ुरबानी करो (कि वोह क़ुरबानी न हुई) तो उन्हों ने अ़र्ज़ की : **या रसूलल्लाह** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ! अब तो मेरे पास छे (6) महीने का बकरी का बच्चा है जो कि एक साल की बकरी से बेहतर है। नबिय्ये पाक صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : اِجْعَلْہَا مَکَانَہَا، وَلَنْ تَجْزِیَ عَنْ اَحَدٍ بَعْدَکَ या'नी उस की जगह इसे ज़ब्ह़ कर दो, मगर तुम्हारे बा'द किसी और के लिये ऐसा करना हरगिज़ काफ़ी न होगा।[4]

इसी त़रह़ **अल्लाह** करीम ने बाहमी लेनदेन के मुआ़मलात में दो (2) मर्दों को गवाह बनाने का हुक्म देते हुए पारह 3 सूरतुल बक़रह की आयत नम्बर 282 में इर्शाद फ़रमाया :

---

1 ...مسند امام احمد، مسند الفضل بن عباس، 1/459، حدیث:1835

2 ...ترمذی، کتاب الصلوۃ، باب ماجاء فی تاخیر صلوۃ العشاء الآخرۃ، 1/214، حدیث:167

3 ...ابوداود، کتاب الصلوۃ، باب وقت العشاء الآخرۃ، 1/185، حدیث:422

4 ...مسلم، کتاب الاضاحی، باب وقتہا، ص835، حدیث:5077

وَ اسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ (پ۳،البقرۃ:۲۸۲)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और दो गवाह कर लो अपने मर्दों में से।

मा'लूम हुवा कि किसी भी मुआमले में तन्हा मर्द की गवाही शरअ़न क़बूल नहीं, येही **अल्लाह** पाक का हुक्म है जो तमाम मुसल्मानों के लिये है, मगर हुज़ूर عَلَيْهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام ने अपनी मरज़िये मुबारक से हज़रते सय्यिदुना ख़ुज़ैमा رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ को इस हुक्मे आ़म से बरी और आज़ाद क़रार देते हुए किसी भी मुआमले में इन की तन्हा गवाही को दो मर्दों की गवाही के बराबर कर दिया और इर्शाद फ़रमाया : مَنْ شَهِدَ لَهٗ خُزَيْمَةُ أَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ या'नी ख़ुज़ैमा (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ) किसी के ह़क़ में गवाही दें या किसी के ख़िलाफ़ गवाही दें, इन की तने तन्हा गवाही काफ़ी है।[1] (या'नी इन के गवाही दे देने के बा'द गवाही का निसाब पूरा करने के लिये किसी दूसरे गवाह की ज़रूरत नहीं)।

जो चाहेंगे जिसे चाहेंगे येह उसे देंगे
करीम हैं येह ख़ज़ाने लुटाने आए हैं
इन्हें ख़ुदा ने किया अपने मुल्क का मालिक
इन्हीं के क़ब्ज़े में रब के ख़ज़ाने आए हैं
सुनोगे ला न ज़बाने करीम से नूरी
येह फ़ैज़ो जूद के दरिया बहाने आए हैं

सबक़ नम्बर 12
अख़्लाक़े मुस्त़फ़ा का बयान

हुज़ूरे अकरम, नूरे मुजस्सम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की सीरते मुबारका हर मुसल्मान के लिये बेहतरीन नमूना है, जिसे भरपूर अन्दाज़ में अपनाते हुए हर मुसल्मान दुन्या व आख़िरत की काम्याबियां ह़ासिल कर सकता है, प्यारे आक़ा, मक्की मदनी मुस्त़फ़ा صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की सीरते मुबारका का एक बेहतरीन पहलू, आप के अख़्लाक़े ह़सना भी हैं जिन की बुलन्दी व अ़ज़मत को **अल्लाह** करीम ने क़ुरआने करीम के उन्तीसवें (29वें) पारे की सूरए क़लम की आयत नम्बर 4 में यूं बयान फ़रमाया :

وَ اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ۝ (پ۲۹،القلم:۴)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और बेशक तुम्हारी ख़ू बू बड़ी शान की है।

1... سنن الکبری،کتاب الشھادات،باب الامر بالاشھاد،۱۰/۲۴۶،حدیث:۲۰۵۱۶

हमारे प्यारे आक़ा, मदीने वाले मुस्त़फ़ा صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने अपनी बि'सत का मक़्सद और हुस्ने अख़्लाक़ की अहम्मिय्यत वाज़ेह़ करते हुए इर्शाद फ़रमाया : بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ حُسْنَ الْاَخْلَاقِ या'नी मुझे अख़्लाक़ के हुस्नो ख़ूबी को मुकम्मल करने के लिये ही भेजा गया है।[1] नबिय्ये करीम के अख़्लाक़े ह़सना के बारे में मज़ीद मा'लूमात सुवालन जवाबन मुलाह़ज़ा कीजिये :

सुवाल ह़ज़रते आ़इशा सिद्दीक़ा رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا ने हुज़ूर صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के अख़्लाक़ के बारे में क्या इर्शाद फ़रमाया ?

जवाब सा'द बिन हिशाम ने हुज़ूर के ख़ुल्क़ के बारे में पूछा तो आप رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا ने इर्शाद फ़रमाया : كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآن या'नी आप صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم का ख़ुल्क़ क़ुरआन था, क्या तू ने **अल्लाह** पाक का येह फ़रमान नहीं पढ़ा :[2] ﴿وَ اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِیْمٍ﴾ **तरजमए कन्ज़ुल ईमान :** "और बेशक तुम्हारी ख़ू बू (या'नी आ़दत) बड़ी शान की है।"[3] मेरे आक़ा आ'ला ह़ज़रत मौलाना शाह इमाम अह़मद रज़ा ख़ान رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ बारगाहे रिसालत में अ़र्ज़ करते हैं :

तेरे ख़ुल्क़ को ह़क़ ने अ़ज़ीम कहा, तेरी ख़िल्क़ को ह़क़ ने जमील किया

कोई तुझ सा हुवा है न होगा शहा, तेरे ख़ालिक़े हुस्नो अदा की क़सम ![4]

सुवाल हुज़ूर صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने जादू करने वाले और ज़हर देने वाली यहूदिय्या के साथ क्या सुलूक किया ?

जवाब **अल्लाह** पाक के प्यारे और आख़िरी रसूल صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم पर लबीद बिन आ'सम ने जादू किया तो हुस्ने अख़्लाक़ के पैकर, तमाम नबियों के सरवर صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इस का बदला नहीं लिया, उस यहूदिय्या को भी मुआ़फ़ फ़रमा दिया जिस ने आप صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم को ज़हर दिया था।[5]

सुवाल हुज़ूर صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के अख़्लाक़े ह़सना के बारे में **अल्लाह** पाक ने क्या इर्शाद फ़रमाया ?

जवाब **अल्लाह** पाक पारह 21 सूरतुल अह़ज़ाब की आयत नम्बर 21 में इर्शाद फ़रमाता है : ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِیْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ **तरजमए कन्ज़ुल ईमान :** बेशक तुम्हें **रसूलुल्लाह** की पैरवी बेहतर है।

1...موطا امام مالک، کتاب حسن الخلق، باب ماجاء فی حسن الخلق، ۲/۴۰۴، حدیث:۱۷۲۳

2...پ29، القلم:4

3...مسند امام احمد، مسند السیدۃ عائشۃ، 9/380، حدیث:24655

4...ह़दाइक़े बख़्शिश, स. 80

5...المواہب اللدنیہ، المقصد الثالث، الفصل الثانی فیما اکرمہ اللہ...الخ، 2/91

सुवाल हुज़ूर صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के चन्द अख़्लाक़े ह़सना बयान फ़रमा दें।

जवाब ❀ **अल्लाह** पाक के आख़िरी नबी, मक्की मदनी صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ऐसी कोई बात या काम न करते जिस से नफ़रत पैदा हो ❀ लोगों को **अल्लाह** पाक के ख़ौफ़ की तल्क़ीन फ़रमाते[1] ❀ लोगों की इस्लाह़ से कभी भी पीछे न रहते ❀ आप صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم उठते बैठते (या'नी हर वक़्त) ज़िक्रुल्लाह करते रहते ❀ जब कहीं तशरीफ़ ले जाते तो जहां जगह मिल जाती वहीं बैठ जाते और दूसरों को भी इसी की तल्क़ीन फ़रमाते ❀ मांगने वाले को अ़ता फ़रमाते ❀ आप صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की मजलिस में शोरो गुल होता न किसी की बे इ़ज़्ज़ती ❀ अपने पास बैठने वाले के हुक़ूक़ का लिहाज़ रखते ❀ जब किसी से हाथ मिलाते तो अपना हाथ खींचने में पहल न फ़रमाते[2] ❀ सलाम में पहल फ़रमाते[3] ❀ जो आप صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم को पुकारता, जवाब में "लब्बैक" (या'नी मैं ह़ाज़िर हूं) फ़रमाते[4] ❀ किसी को ऐ़ब न लगाते और न ही किसी का ऐ़ब तलाश करते।

सबक़ नम्बर 13 वालिदैने मुस्त़फ़ा का बयान

सुवाल हुज़ूर صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के वालिदे मोह़तरम का नाम और कुन्यत क्या थी ?

जवाब ह़ज़रते सय्यिदुना अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्दुल मुत्त़लिब رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا, नूर वाले आक़ा صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के वालिदे मोह़तरम हैं, आप का नाम मुबारक अ़ब्दुल्लाह (رَضِیَ اللّٰهُ عَنْه), कुन्यत अबू मुह़म्मद, अबू अह़मद और अबू क़ुसम (या'नी ख़ैरो बरकत समेटने वाला) है। आप رَضِیَ اللّٰهُ عَنْه अपने वालिदे मोह़तरम ह़ज़रते अ़ब्दुल मुत्त़लिब رَضِیَ اللّٰهُ عَنْه के तमाम बेटों में सब से ज़ियादा लाडले और प्यारे थे।

सुवाल हुज़ूर صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के दादाजान का नाम क्या है ?

जवाब हुज़ूर صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के दादाजान का नाम ह़ज़रते सय्यिदुना "अ़ब्दुल मुत्त़लिब" है।

सुवाल हुज़ूर صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की वालिदए मोह़तरमा का नाम क्या है ?

जवाब हुज़ूर صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की वालिदए मोह़तरमा का नाम मुबारक ह़ज़रते आमिना है।

---

1 ...الشفاء، القسم الاول، الباب الثانی فی تکمیل محاسنہ، فصل واما حسن عشرتہ... الخ، 1/120

2 ...ابوداود، کتاب الادب، باب فی حسن العشرۃ، 4/330، حدیث:4794

3 ...ترمذی، الشمائل المحمدیۃ، باب ماجاء فی خلق رسول اللہ، 5/504، حدیث:8

4 ...وسائل الوصول، ص207

सुवाल हज़रते सय्यिदुना अ़ब्दुल्लाह رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ की कोई करामत बयान फ़रमा दें।

जवाब एक दिन हज़रते सय्यिदुना अ़ब्दुल्लाह رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ जंगल में गए, मुल्के शाम के यहूदी चन्द अ़लामतों से पहचान गए कि **अल्लाह** पाक के आख़िरी नबी صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के वालिदे मोह़तरम येही हैं। चुनान्चे उन्हों ने हज़रते सय्यिदुना अ़ब्दुल्लाह رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ को बारहा क़त्ल (या'नी शहीद) करने की कोशिश की मगर **अल्लाह** पाक ने अपने फ़ज़्लो करम से बचा लिया। आ़लमे ग़ैब से अचानक चन्द ऐसे सुवार आए जो इस दुन्या के लोगों की त़रह़ न थे, उन्हों ने आ कर यहूदियों को मार भगाया और हज़रते सय्यिदुना अ़ब्दुल्लाह رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ को ब हिफ़ाज़त उन के मकान तक पहुंचा दिया।

सुवाल हुज़ूर صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के नानाजान का नाम क्या है ?

जवाब हुज़ूर صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के नानाजान का नाम हज़रते वह्ब बिन मनाफ़ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ है।

सुवाल हज़रते सय्यिदुना अ़ब्दुल्लाह और हज़रते आमिना رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا का निकाह़ कब हुवा ?

जवाब 24 साल की उ़म्र में हज़रते सय्यिदुना अ़ब्दुल्लाह رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ का हज़रते बीबी आमिना رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا से निकाह़ हो गया और नूरे मुह़म्मदी हज़रते सय्यिदुना अ़ब्दुल्लाह رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ से मुन्तक़िल (या'नी Transfer) हो कर हज़रते बीबी आमिना رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا के मुबारक पेट में तशरीफ़ ले आया।

सुवाल हुज़ूर صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के वालिदे मोह़तरम हज़रते अ़ब्दुल्लाह رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ का इन्तिक़ाल कब हुवा ?

जवाब जब ह़म्ल शरीफ़ को दो महीने पूरे हो गए तो हज़रते सय्यिदुना अ़ब्दुल मुत्त़लिब رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ने हज़रते सय्यिदुना अ़ब्दुल्लाह رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ को खजूरें लेने के लिये मदीनए मुनव्वरह भेजा या तिजारत के लिये मुल्के शाम रवाना किया। वहां से वापस लौटते हुए मदीनए पाक में अपने वालिद (या'नी हज़रते सय्यिदुना अ़ब्दुल मुत्त़लिब) के ननिहाल "बनू अ़दी बिन नज्जार" में एक माह बीमार रह कर 25 बरस की उ़म्र में हज़रते सय्यिदुना अ़ब्दुल्लाह رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ वफ़ात पा गए और वहीं "दारे नाबिग़ा" में दफ़्न हुए या'नी आप का मज़ार शरीफ़ बना।[1]

सुवाल हज़रते आमिना رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا का इन्तिक़ाल कब हुवा ?

जवाब **अल्लाह** पाक के प्यारे नबी صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم की जब उ़म्रे मुबारक 5 या 6 बरस की हुई तो आप की अम्मीजान हज़रते बीबी आमिना رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا आप को साथ ले कर मदीनए मुनव्वरह में आप के

1 ...مدارج النبوت، 14/2

दादाजान हज़रते सय्यिदुना अब्दुल मुत्तलिब के ननिहाल बनू अदी बिन नज्जार में मिलने गईं, उम्मे ऐमन رَضِیَ اللہُ عَنْھَا आप की ख़ादिमा भी साथ थीं, जब वापस आईं तो रास्ते में मक़ामे अब्वा में हज़रते बीबी आमिना رَضِیَ اللہُ عَنْھَا इन्तिक़ाल फ़रमा गईं और वहीं दफ़्न हुईं।

सुवाल क्या हुज़ूर صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने अपने वालिदैन को ज़िन्दा किया ?

जवाब इमाम अबुल क़ासिम अब्दुर्रहमान सुहैली "अर्रौज़ुल उनुफ़" में नक़्ल करते हैं कि उम्मुल मुअमिनीन हज़रते बीबी आइशा सिद्दीक़ा رَضِیَ اللہُ عَنْھَا रिवायत करती हैं, सरकारे मदीना صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने दुआ मांगी : "**या अल्लाह**! मेरे मां बाप को ज़िन्दा कर दे।" **अल्लाह** पाक ने अपने हबीब صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم की दुआ क़बूल फ़रमाते हुए दोनों हज़रात (या'नी वालिदैन) को ज़िन्दा कर दिया और वोह दोनों **अल्लाह** पाक के आख़िरी नबी صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم पर ईमान लाए और फिर अपने अपने मज़ाराते मुबारका में तशरीफ़ ले गए।[1]

सुवाल क्या हुज़ूर صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के वालिदैन का इन्तिक़ाल हालते कुफ़्र में हुवा ?

जवाब ख़बरदार! इस से कोई येह न समझे कि वालिदैने करीमैन رَضِیَ اللہُ عَنْھُمَا, مَعَاذَ اللہ हालते कुफ़्र में फ़ौत हुए थे और अज़ाबे क़ब्र में मुब्तला थे, इस लिये नूर वाले आक़ा صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने उन को कलिमा पढ़ा कर मुसल्मान किया ताकि अज़ाब से नजात पाएं। हरगिज़ हरगिज़ ऐसा नहीं था बल्कि वोह दोनों तौहीद पर क़ाइम थे (या'नी **अल्लाह** पाक को एक मानने वाले थे) और कभी भी उन्हों ने बुत परस्ती नहीं की थी। रसूले पाक صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने उन्हें अपनी उम्मत में शामिल करने के लिये दोबारा ज़िन्दा फ़रमा कर कलिमा पढ़ाया।

सुवाल क्या हुज़ूर صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के वालिदैने करीमैन के मोमिन होने पर क़ुरआने पाक से कोई दलील है ?

जवाब हज़रते मुफ़्ती अहमद यार ख़ान رَحْمَۃُ اللہِ عَلَیْہ फ़रमाते हैं : हज़रते आमिना ख़ातून رَضِیَ اللہُ عَنْھَا का ईमान क़ुरआने करीम की वाज़ेह आयत से साबित है। हज़रते इब्राहीम عَلَیْہِ السَّلَام ने दुआ की थी : [2] ﴿وَمِنْ ذُرِّیَّتِنَآ اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ۪﴾ (**तरजमए कन्ज़ुल ईमान :** और हमारी औलाद में से एक उम्मत तेरी फ़रमां बरदार।) फिर बारगाहे ख़ुदावन्दी में अर्ज़ की : [3] ﴿رَبَّنَا وَابْعَثْ فِیْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ﴾ (**तरजमए कन्ज़ुल ईमान :** ऐ रब हमारे और भेज उन में एक रसूल उन्हीं में से।) ख़ुदाया मेरी औलाद में हमेशा एक मोमिन जमाअत

1 ...الروض الانف، وفاۃ آمنۃ وحال رسول اللہ...الخ، 1/299

2 ...پ1، البقرۃ:128

3 ...پ1، البقرۃ:129

रहे और ऐ मौला इसी मोमिन जमाअ़त में नबिय्ये आख़िरुज़्ज़मान (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) को भेज, ह़ज़रते सय्यिदुना इब्राहीम ख़लीलुल्लाह عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام की येह दुआ़ यक़ीनन क़बूल हुई, हुज़ूर صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के तमाम आबाओ अज्दाद (या'नी बाप, दादा, परदादा ऊपर तक) सब के सब अहले ईमान मोमिन थे।(1)

सुवाल हुज़ूर صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के वालिदैने करीमैन के मोमिन होने पर ह़दीसे पाक से भी कोई दलील है ?

जवाब मोह़तरम नबी, मक्की मदनी صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : मैं हमेशा पाक पुश्तों से पाक रेह़्मों में मुन्तक़िल होता रहा।(2)

सुवाल हुज़ूर صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के वालिदैने करीमैन के मोमिन होने के बारे में अक़्वाले अइम्मा बयान फ़रमा दीजिये।

जवाब आ'ला ह़ज़रत इमाम अह़मद रज़ा ख़ान رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه के फ़तावा रज़विय्या जिल्द 30 सफ़ह़ा 299 पर मौजूद कलाम का ख़ुलासा येह है : "कसीर अकाबिर उ़लमा का मज़्हब येही है कि हुज़ूरे अकरम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के प्यारे प्यारे वालिदैन मुसल्मान हैं और आख़िरत में उन की नजात (या'नी छुटकारे) का फ़ैसला हो चुका है।"(3) ह़ज़रते इमाम जलालुद्दीन सुयूती़ शाफ़ेई رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه ने वालिदैने मुस्त़फ़ा या'नी हमारे प्यारे आक़ा صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के मां बाप के ईमान के मुतअ़ल्लिक़ सात रसाइल लिखे हैं और उन का ईमान साबित किया है।(4) क़ाज़ी इमाम अबू बक्र इब्नुल अ़रबी मालिकी رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه से येह सुवाल किया गया कि एक शख़्स येह कहता है कि हुज़ूर صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के आबाओ अज्दाद (या'नी बाप दादा सब) जहन्नम में हैं مَعَاذَ اللّٰه तो आप ने फ़रमाया कि येह (या'नी ऐसा बकने वाला) शख़्स मल्ऊ़न (या'नी ला'नती) है।(5)

सुवाल ह़ज़रते सय्यिदुना अ़ब्दुल्लाह رَضِیَ اللّٰهُ عَنْه की क़ब्रे मुबारक खुलने का वाक़िआ़ क्या है ?

जवाब 21 जनवरी 1978 ई. के अख़्बार नवाए वक़्त के मुताबिक़ मदीनए मुनव्वरह زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا में मस्जिदे नबवी عَلٰی صَاحِبِهَا الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام की तौसीअ़ (Extension) के सिलसिले में की जाने वाली खुदाई के दौरान सरकारे मदीना صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के वालिदे माजिद ह़ज़रते सय्यिदुना अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्दुल मुत्त़लिब رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا का जिस्मे मुबारक जिस को दफ़्न हुए 14 सो साल से ज़ियादा अ़र्सा गुज़र चुका था, (क़ब्र शरीफ़ से) बिल्कुल तरो ताज़ा ह़ालत में निकला।

1... मिरआतुल मनाजीह़, 2/524

2... دلائل النبوة لابی نعیم، الفصل الثانی ذکر فضیلته...الخ، ص28، حدیث:15

3... फ़तावा रज़विय्या, 30/299 माख़ूज़न

4... اتحاف السادة المتقین، 10/433

5... تفسیر روح البیان، پ1، البقرة، تحت الآیة:119، 1/218

सबक़ नम्बर 14

तआ़रुफ़ व फ़ज़ाइल अज़्वाजे मुत़ह्हरात

हमारे प्यारे नबी صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने कितने निकाह़ फ़रमाए और उन ख़ुश नसीब ख़वातीन की ता'दाद क्या है जो आप صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के साथ रिश्तए इज़्दिवाज में मुन्सलिक हो कर उम्महातुल मुअमिनीन के आ'ला मन्सब पर फ़ाइज़ हुईं...? इस सिल्सिले में जिन पर सब का इत्तिफ़ाक़ है वोह ग्यारह सह़ाबियात رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُنَّ हैं। उन में से छे 6 तो क़बीलए क़ुरैश के ऊंचे घरानों की चश्मो चराग़ थीं, जिन के अस्माए गिरामी येह हैं :

(1)... ह़ज़रते ख़दीजा बिन्ते ख़ुवैलिद
(2)... ह़ज़रते आ़इशा बिन्ते सिद्दीक़
(3)... ह़ज़रते ह़फ़्सा बिन्ते उ़मर फ़ारूक़
(4)... ह़ज़रते उम्मे ह़बीबा बिन्ते अबू सुफ़्यान
(5)... ह़ज़रते उम्मे सलमा बिन्ते अबू उमय्या
(6)... ह़ज़रते सौदह बिन्ते ज़म्आ़ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُنَّ

चार का तअ़ल्लुक़ क़बीलए क़ुरैश से नहीं था बल्कि अ़रब के दूसरे क़बाइल से तअ़ल्लुक़ रखती थीं, वोह येह हैं :

(1)... ह़ज़रते ज़ैनब बिन्ते जह़्श
(2)... ह़ज़रते मैमूना बिन्ते ह़ारिस
(3)... ह़ज़रते ज़ैनब बिन्ते ख़ुज़ैमा
(4)... ह़ज़रते जुवैरिया बिन्ते ह़ारिस رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُنَّ

और एक ग़ैर अ़रबिय्या थीं, जिन का तअ़ल्लुक़ बनी इसराईल से था। येह ह़ज़रते सफ़िय्या बिन्ते हुयय رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا हैं। आप رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا क़बीलए बनी नज़ीर से थीं।

इन ग्यारह में से दो 2 अज़्वाजे मुत़ह्हरात ह़ज़रते ख़दीजा बिन्ते ख़ुवैलिद और ह़ज़रते ज़ैनब बिन्ते ख़ुज़ैमा رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا तो नबिय्ये पाक صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की ह़याते ज़ाहिरी में ही दारे आख़िरत को कूच कर गई थीं जब कि बक़िय्या नव 9 अज़्वाजे मुत़ह्हरात رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُنَّ ने प्यारे आक़ा صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के बा'द इन्तिक़ाल फ़रमाया।[1]

सुवाल अज़्वाजे मुत़ह्हरात رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُنَّ का क्या मर्तबा है ?

जवाब क़ुरआने मजीद से येह साबित है कि नबिय्ये करीम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की मुक़द्दस बीबियां رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُنَّ मर्तबे में सब से ज़ियादा हैं और इन का अज्र सब से बढ़ कर है। दुन्या जहान की औ़रतों में कोई इन की हमसर और हम मर्तबा नहीं। जैसा कि

(1) फ़रमाने रब्बे करीम है :

1 ...المواہب اللدنیہ، المقصد الثانی، الفصل الثالث فی ذکر ازواجہ الخ، 1/401 بتقدم وتاخر

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ (پ22،الاحزاب:32)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : ऐ नबी की बीबियो तुम और औ़रतों की त़रह़ नहीं हो।

सदरुल अफ़ाज़िल ह़ज़रते अ़ल्लामा मुफ़्ती सय्यिद मुह़म्मद नईमुद्दीन मुरादआबादी رَحْمَۃُ اللہِ عَلَیْہ इस आयत की तफ़्सीर में फ़रमाते हैं : (या'नी) तुम्हारा मर्तबा सब से ज़ियादा है और तुम्हारा अज्र सब से बढ़ कर, जहान की औ़रतों में कोई तुम्हारी हमसर नहीं।[1]

(2) **अल्लाह** पाक इर्शाद फ़रमाता है :

اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَ اَزْوَاجُهٗۤ اُمَّهٰتُهُمْ (پ21،الاحزاب:6)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : येह नबी मुसल्मानों का उन की जान से ज़ियादा मालिक है और इस की बीबियां उन की माएं हैं।

अ़ल्लामा सय्यिद मह़मूद आलूसी رَحْمَۃُ اللہِ عَلَیْہ आयत की तफ़्सीर में फ़रमाते हैं (कि इन का मोमिनीन की माएं होना दो 2 हुक्मों में हैं) : (1)... निकाह़ के ह़राम होने में। (2)... ता'ज़ीम की ह़क़दार होने में। इस के इ़लावा दूसरे अह़काम मसलन विरासत और पर्दे वग़ैरा के सिल्सिले में इन का वोही हुक्म है जो अजनबी औ़रतों का। नीज़ (शरई़ अह़काम में) इन की बेटियों को मोमिनीन की बहनें और इन के भाइयों को मोमिनीन के मामूं न कहा जाएगा।[2]

सुवाल क्या अज़्वाजे मुत़ह्हरात رَضِیَ اللہُ عَنْهُنَّ से مَعَاذَ الله गुनाह सरज़द हुए ?

जवाब इन के लिये गुनाहों की नजासत से आलूदा न होने की बिशारत है। **अल्लाह** पाक इर्शाद फ़रमाता है :

اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا (پ22،الاحزاب:33)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : अल्लाह तो येही चाहता है ऐ नबी के घर वालो कि तुम से हर नापाकी दूर फ़रमा दे और तुम्हें पाक कर के खूब सुथरा कर दे।

मश्हूर मुफ़स्सिर, ह़कीमुल उम्मत मुफ़्ती अह़मद यार ख़ान नई़मी رَحْمَۃُ اللہِ عَلَیْہ इस आयत की तफ़्सीर करते हुए फ़रमाते हैं : इस त़रह़ कि तुम को गुनाहों और बद अख़्लाक़ियों की नजासत में आलूदा न होने दे। येह मत़लब नहीं कि مَعَاذَ الله अब तक गुनाह थे अब पाकी अ़त़ा हुई। इस आयत से दो 2 मस्अले मा'लूम हुए : एक येह कि हुज़ूर की अज़्वाज व औलाद गुनाहों से पाक है। दूसरे येह कि अज़्वाज यक़ीनन

1... तफ़्सीरे ख़ज़ाइनुल इरफ़ान, पारह : 22, अल अह़ज़ाब, तह़तल आयह : 32

2... تفسیر روح المعانی، پ21، الاحزاب، تحت الآیۃ:6، 21/202 ملتقطا

हुज़ूर (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) के अहले बैत हैं क्यूं कि येह तमाम आयात अज़्वाजे मुत़ह्हरात (رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُنّ) से ही मुख़ात़िब हैं।[(1)]

सुवाल ''اَلسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ'' में कौन कौन सी उम्महातुल मुअमिनीन رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُنّ शामिल हैं ?

जवाब कुरआने करीम में है :

وَ السّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِیْنَ وَ الْاَنْصَارِ وَ الَّذِیْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍۙ رَّضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوْا عَنْهُ وَ اَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِیْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِیْنَ فِیْهَاۤ اَبَدًاؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِیْمُ (پ11، التوبۃ:100)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और सब में अगले पहले मुहाजिर और अन्सार और जो भलाई के साथ उन के पैरव (पैरवी करने वाले) हुए, **अल्लाह** उन से राज़ी और वोह **अल्लाह** से राज़ी और उन के लिये तय्यार कर रखे हैं बाग़ जिन के नीचे नहरें बहें हमेशा हमेशा उन में रहें, येही बड़ी काम्याबी है।

सदरुल अफ़ाज़िल ह़ज़रते अ़ल्लामा मुफ़्ती सय्यिद मुह़म्मद नईमुद्दीन मुरादआबादी رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه आयत की तफ़्सीर में लिखते हैं : (मुहाजिरीन में اَلسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ वोह हैं) जिन्हों ने दोनों क़िब्लों की त़रफ़ नमाज़ें पढ़ीं या अहले बद्र या अहले बैअ़ते रिज़्वान (और अन्सार में से) अस्ह़ाबे बैअ़ते अ़क़बए ऊला जो छे 6 ह़ज़रात थे और अस्ह़ाबे बैअ़ते अ़क़बए सानिया जो बारह थे और अस्ह़ाबे बैअ़ते अ़क़बए सालिसा जो सत्तर अस्ह़ाब हैं।[(2)] इस ए'तिबार से बा'ज़ उम्महातुल मुअमिनीन رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُنّ भी इस फ़ज़ीलत में दाख़िल हैं यहां सिर्फ़ उन के अस्माए गिरामी ज़िक्र किये जाते हैं जिन का दोनों क़िब्लों की त़रफ़ नमाज़ पढ़ना मा'लूम है :

(1) उम्मुल मुअमिनीन ह़ज़रते सय्यिदतुना सौदह बिन्ते ज़म्आ़ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا (2) उम्मुल मुअमिनीन ह़ज़रते सय्यिदतुना आ़इशा सिद्दीक़ा رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا (3) उम्मुल मुअमिनीन ह़ज़रते सय्यिदतुना ह़फ़्सा बिन्ते उ़मर رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا (4) उम्मुल मुअमिनीन ह़ज़रते सय्यिदतुना ज़ैनब बिन्ते ख़ुज़ैमा رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا (5) उम्मुल मुअमिनीन ह़ज़रते सय्यिदतुना उम्मे सलमा رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا (6) उम्मुल मुअमिनीन ह़ज़रते सय्यिदतुना ज़ैनब बिन्ते जह़्श رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا (7) उम्मुल मुअमिनीन ह़ज़रते सय्यिदतुना उम्मे ह़बीबा رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا। याद रहे कि येह तमाम उम्महातुल मुअमिनीन رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُنّ हिजरते मदीना से पहले ही इस्लाम क़बूल कर चुकी थीं जब कि तब्दीलिये क़िब्ला हिजरत के अठ्ठारह माह बा'द (या'नी दो 2 हिजरी, माहे शा'बान, मंगल के दिन) हुई।[(3)(4)]

1... तफ़्सीरे नूरुल इरफ़ान, पारह : 22, अल अह़ज़ाब, तह़्तल आयह : 33 मुल्तक़त़न

2... तफ़्सीरे ख़ज़ाइनुल इरफ़ान, पारह : 11, अत्तौबह, तह़्तल आयह : 100

3... तफ़्सीरे नईमी, पारह : 11, अत्तौबह, तह़्तल आयह : 100, 11/37

4... उम्महातुल मुअमिनीन की सीरत तफ़्सील से पढ़ने के लिये दा'वते इस्लामी के मक्तबतुल मदीना से शाएअ़ शुदा किताब ''फ़ैज़ाने उम्महातुल मुअमिनीन'' का मुत़ालआ़ कीजिये।

हुज़ूर की अज़्वाज

01 हज़रते ख़दीजा बिन्ते ख़ुवैलिद

02 हज़रते आइशा बिन्ते अबू बक्र सिद्दीक़

03 हज़रते हफ़्सा बिन्ते उमर फ़ारूक़

04 हज़रते उम्मे हबीबा बिन्ते अबू सुफ़्यान

05 हज़रते उम्मे सलमा बिन्ते अबू उमय्या

06 हज़रते सौदह बिन्ते ज़म्आ

07 हज़रते ज़ैनब बिन्ते जह्श

08 हज़रते मैमूना बिन्ते हारिस

09 हज़रते ज़ैनब बिन्ते ख़ुज़ैमा

10 हज़रते जुवैरिया बिन्ते हारिस

11 हज़रते सफ़िय्या बिन्ते हुयय

رضی اللہ عنہن

सबक़ नम्बर 15

अहले बैते अत़्हार का बयान

हुज़ूर ताजदारे मदीना صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के नसब और क़राबत के लोगों को अहले बैत कहा जाता है। अहले बैत में प्यारे आक़ा صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم की अज़्वाजे मुत़ह्हरात, आप के शहज़ादे और शहज़ादियां, ह़ज़रते सय्यिदुना मौला अ़ली और ह़ज़रते सय्यिदुना इमामे ह़सन व ह़ज़रते सय्यिदुना इमामे ह़ुसैन رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُم सब दाख़िल हैं। अहले बैते किराम رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُم से **अल्लाह** पाक ने रिज्स व नापाकी को दूर फ़रमाया, उन्हें ख़ूब पाक किया और जो चीज़ उन के मर्तबे के लाइक़ नहीं उस से उन के परवर्दगार ने उन्हें मह़फ़ूज़ रखा, अहले बैत رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُم पर दोज़ख़ की आग ह़राम की, सदक़ा उन पर ह़राम किया गया क्यूं कि सदक़ा, देने वालों का मैल होता है। अव्वल गुरौह जिस की हुज़ूर शफ़ीए़ मह़शर صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم शफ़ाअ़त फ़रमाएंगे वोह आप صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के अहले बैत رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُم हैं। अहले बैत رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُم की मह़ब्बत फ़राइज़े दीन से है और जो शख़्स इन से बुग़्ज़ रखे वोह मुनाफ़िक़ है। अहले बैत رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُم की मिसाल ह़ज़रते सय्यिदुना नूह़ عَلَیۡہِ السَّلَام की कश्ती की त़रह़ है कि जो इस में सुवार हुवा उस ने नजात पाई और जो इस से कतराया, हलाक व बरबाद हुवा।

सुवाल कुरआने करीम में अहले बैत की शान कौन से पारे में बयान की गई है ?

जवाब कुरआने करीम में अहले बैत की शान **अल्लाह** पाक ने पारह 22 सूरए अह़ज़ाब में कुछ इस त़रह़ बयान फ़रमाई है :

اِنَّمَا یُرِیۡدُ اللّٰہُ لِیُذۡہِبَ عَنۡکُمُ الرِّجۡسَ اَہۡلَ الۡبَیۡتِ وَ یُطَہِّرَکُمۡ تَطۡہِیۡرًا ﴿ۚ۳۳﴾
(پ22،الاحزاب:33)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : अल्लाह तो येही चाहता है ऐ नबी के घर वालो कि तुम से हर नापाकी दूर फ़रमा दे और तुम्हें पाक कर के ख़ूब सुथरा कर दे।

सुवाल इस आयते करीमा में अहले बैत से कौन कौन सी हस्तियां मुराद हैं ?

जवाब येह आयत ह़ज़रते सय्यिदुना अ़लिय्युल मुर्तज़ा, ह़ज़रते सय्यिदतुना फ़ात़िमा, ह़ज़रते सय्यिदुना इमामे ह़सन और ह़ज़रते सय्यिदुना इमामे ह़ुसैन رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُم के ह़क़ में नाज़िल हुई।

सुवाल इन ह़ज़रात के साथ और कौन कौन अहले बैत में शामिल हैं ?

जवाब हुज़ूर जाने आ़लम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इन ह़ज़रात के साथ अपनी बाक़ी साह़िब ज़ादियों,

क़राबत दारों और अज़्वाजे मुत़ह्हरात को भी अपने अहले बैत में शामिल फ़रमाया।[1]

सुवाल इस आयत से क्या साबित होता है ?

जवाब येह आयते करीमा अहले बैते किराम के फ़ज़ाइल का मम्बअ़ है और मा'लूम होता है कि तमाम अख़्लाक़े दनिय्या (घटिया अख़्लाक़) व अह़वाले मज़्मूमा (ना पसन्दीदा अह़वाल) से उन की तत़्हीर (पाकी व त़हारत) फ़रमाई गई। बा'ज़ अह़ादीस में मरवी है कि अहले बैत, नार पर ह़राम (या'नी अहले बैत जन्नती) हैं और येही इस तत़्हीर का फ़ाएदा और समरा है और जो चीज़ उन के अह़वाले शरीफ़ा के लाइक़ न हो उस से उन का परवर्दगार उन्हें मह़फ़ूज़ रखता और बचाता है।[2]

सुवाल अहले बैत की ख़िदमत और इन्हें ख़ुश करने से हमें क्या फ़ाएदा ह़ासिल होगा ?

जवाब क़ियामत के दिन शफ़ाअ़त नसीब होगी। **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : जो शख़्स वसीला ह़ासिल करना चाहता है और येह चाहता है कि मेरी बारगाह में उस की कोई ख़िदमत हो, जिस के सबब मैं क़ियामत के दिन उस की शफ़ाअ़त करूं, उसे चाहिये कि मेरे अहले बैत की ख़िदमत करे और उन्हें ख़ुश करे।[3]

सुवाल अहले बैत से बुग़्ज़ और दुश्मनी करने का क्या नुक़्सान है ?

जवाब **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : ख़बरदार ! जो शख़्स अहले बैत की बुग़्ज़ो अ़दावत पर मरा, वोह क़ियामत के दिन इस ह़ाल में आएगा कि उस की दोनों आंखों के दरमियान लिखा होगा : येह **अल्लाह** पाक की रह़मत से ना उम्मीद है।[4] जो शख़्स अहले बैत से बुग़्ज़ या ह़सद करेगा, उसे क़ियामत के दिन ह़ौज़े कौसर से आग के चाबुकों से दूर किया जाएगा।[5]

हुज़ूर के शहज़ादे और शहज़ादियां

सुवाल हमारे प्यारे नबी صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की कितनी औलाद थीं ?

जवाब हमारे प्यारे नबी صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के 3 शहज़ादे और 4 शहज़ादियां थीं।

1 ...صواعق محرقۃ، الباب الحادی عشر، الفصل الاول، ص144

2 ... सवानेह़े करबला, स. 82 मुल्तक़त़न

3 ... बरकाते आले रसूल, स. 110

4 ... الشرف المؤبد، ص79

5 ... کنز العمال، کتاب الفضائل، باب فی فضل اہل بیت، جز:6،2/48، حدیث:34198

सुवाल उन के नाम क्या हैं ?

जवाब शहज़ादों के नाम ह़ज़रते क़ासिम, ह़ज़रते इब्राहीम, ह़ज़रते अ़ब्दुल्लाह رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ और शहज़ादियों के नाम ह़ज़रते ज़ैनब, ह़ज़रते रुक़य्या, ह़ज़रते उम्मे कुल्सूम, ह़ज़रते फ़ात़िमा رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُنَّ ।(1)

ह़ज़रते क़ासिम رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ

सुवाल **रसूलुल्लाह** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के सब से पहले बेटे का क्या नाम है ?

जवाब **रसूलुल्लाह** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के सब से पहले बेटे का नाम ह़ज़रते क़ासिम رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ है ।

सुवाल ह़ज़रते क़ासिम की वालिदा का क्या नाम है ?

जवाब ह़ज़रते ख़दीजा رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا

सुवाल ह़ज़रते क़ासिम رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ कब पैदा हुए ?

जवाब ए'लाने नुबुव्वत से पहले पैदा हुए ।

सुवाल इन की वफ़ात किस उ़म्र में हुई ?

जवाब इन की वफ़ात 17 महीने या 2 साल की उ़म्र में हुई ।

ह़ज़रते अ़ब्दुल्लाह رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ

सुवाल हमारे प्यारे नबी صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के दूसरे बेटे का क्या नाम है ?

जवाब ह़ज़रते अ़ब्दुल्लाह رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ।

सुवाल ह़ज़रते अ़ब्दुल्लाह رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ कब पैदा हुए ?

जवाब ए'लाने नुबुव्वत से पहले मक्का में पैदा हुए ।

सुवाल इन की वालिदा का क्या नाम है ?

जवाब ह़ज़रते ख़दीजा رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا ।

1 ... شرح الزرقانی علی المواھب، الفصل الثانی فی ذکر اولادہ... الخ، 4/313-314 ملتقطا

सुवाल इन का लक़ब क्या है ?

जवाब त़य्यिब और त़ाहिर।

सुवाल इन की वफ़ात कब हुई ?

जवाब येह बचपन ही में वफ़ात पा गए थे।

ह़ज़रते इब्राहीम رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ

सुवाल हमारे प्यारे नबी صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के सब से छोटे बेटे का क्या नाम है ?

जवाब ह़ज़रते इब्राहीम رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ।

सुवाल इन की वालिदा का क्या नाम है ?

जवाब ह़ज़रते मारिया क़िब्त़िया رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا।

सुवाल येह कब पैदा हुए ?

जवाब ज़ुल हिज्जा के महीने में 8 हिजरी को मदीने में पैदा हुए। **रसूलुल्लाह** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم इन से बहुत ज़ियादा मह़ब्बत करते थे।

सुवाल इन की वफ़ात कब हुई ?

जवाब वफ़ात के वक़्त इन की उ़म्र 17 या 18 महीने थी।

सुवाल इन की वफ़ात के वक़्त ह़ुज़ूर صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने क्या फ़रमाया ?

जवाब फ़रमाया : आंख आंसू बहाती है और दिल ग़मज़दा है मगर हम वोही बात ज़बान से निकालते हैं जिस से हमारा रब खुश हो जाए और बिला शुबा ऐ इब्राहीम ! हम तुम्हारी जुदाई से बहुत ज़ियादा ग़मगीन हैं।[1]

सुवाल ह़ज़रते इब्राहीम رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ को कहां दफ़्न किया गया ?

जवाब ह़ुज़ूर صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने ह़ज़रते इब्राहीम رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ को जन्नतुल बक़ीअ़ में ह़ज़रते उ़स्मान बिन मज़्ऊ़न رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ की क़ब्र के पास दफ़्न फ़रमाया और अपने दस्ते मुबारक से इन की क़ब्र पर पानी का छिड़काव किया।

1 ...بخاری، کتاب الجنائز، باب قول النبی "اناّ بک لمحزونون"، 1/441، حدیث:1303

हज़्रते ज़ैनब رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا

सुवाल हमारे प्यारे नबी صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم की सब से बड़ी बेटी का क्या नाम है ?

जवाब हज़्रते ज़ैनब رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا ।

सुवाल येह कब पैदा हुईं ?

जवाब ए'लाने नुबुव्वत से दस साल क़ब्ल जब कि हुज़ूर صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم की उ़म्र शरीफ़ तीस साल की थी, मक्कए मुकर्रमा में इन की विलादत हुई ।

सुवाल येह कब मुसल्मान हुईं ?

जवाब येह इब्तिदाए इस्लाम ही में मुसल्मान हो गई थीं ।

सुवाल इन की शादी कब और किस से हुई ?

जवाब ए'लाने नुबुव्वत से क़ब्ल ही इन की शादी इन के ख़ालाज़ाद भाई अबुल आ़स बिन रबीअ़ से हो गई थी । अबुल आ़स हज़्रते बीबी ख़दीजा رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا की बहन हज़्रते हाला رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا के बेटे थे । हुज़ूरे अकरम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने हज़्रते ख़दीजा رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا की सिफ़ारिश से हज़्रते ज़ैनब رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا का अबुल आ़स के साथ निकाह़ फ़रमा दिया था ।

सुवाल अबुल आ़स कब मुसल्मान हुए ?

जवाब अबुल आ़स 7 हिजरी में मुसल्मान हुए ।

सुवाल हज़्रते ज़ैनब رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا की वफ़ात कब हुई ?

जवाब 8 हिजरी में ।

सुवाल इन्हें किस ने ग़ुस्ले मय्यित दिया ?

जवाब हज़्रते उम्मे ऐमन, हज़्रते सौदह बिन्ते ज़म्आ़ और हज़्रते उम्मे सलमा رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُنَّ ने इन को ग़ुस्ल दिया ।

सुवाल इन्हें कफ़न दफ़्न किस ने किया ?

जवाब हुज़ूरे अक़्दस صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इन के कफ़न के लिये अपना तहबन्द शरीफ़ अ़ता फ़रमाया और अपने दस्ते मुबारक से इन को क़ब्र में उतारा ।

ह़ज़रते रुक़य्या رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا

सुवाल हमारे प्यारे नबी صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم की दूसरी बेटी का क्या नाम है ?

जवाब ह़ज़रते रुक़य्या رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا ।

सुवाल येह कब पैदा हुईं ?

जवाब येह ए'लाने नुबुव्वत से 7 साल पहले पैदा हुईं ।

सुवाल येह कब मुसल्मान हुईं ?

जवाब इब्तिदाए इस्लाम ही में मुसल्मान हो चुकी थीं ।

सुवाल इन का पहला निकाह़ किस से हुवा था ?

जवाब अबू लहब के बेटे उ़त्बा से । मगर रुख़्सती से पहले ही त़लाक़ हो गई थी ।

सुवाल दूसरा निकाह़ किन से हुवा ?

जवाब ह़ज़रते उ़स्माने ग़नी رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ से ।

सुवाल इन की वफ़ात कब हुई ?

जवाब जंगे बद्र की फ़त्ह़ के दिन सख़्त बीमारी की वज्ह से 20 साल की उ़म्र में आप رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا ने वफ़ात पाई ।

सुवाल इन के बेटे का क्या नाम है ?

जवाब ह़ज़रते अ़ब्दुल्लाह رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ । येह अपनी वालिदा के बा'द 4 हिजरी में 6 साल की उ़म्र में फ़ौत हो गए थे ।

ह़ज़रते उम्मे कुल्सूम رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا

सुवाल हमारे प्यारे नबी صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم की तीसरी बेटी का क्या नाम है ?

जवाब ह़ज़रते उम्मे कुल्सूम رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا ।

सुवाल इन का पहला निकाह़ किस से हुवा था ?

जवाब अबू लहब के बेटे उ़तैबा से । मगर रुख़्सती से पहले ही त़लाक़ हो गई थी ।

सुवाल इन का दूसरा निकाह़ किन से हुवा ?

जवाब हज़रते बीबी रुक़य्या رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا की वफ़ात के बा'द रबीउ़ल अव्वल के महीने में 3 हिजरी में हुज़ूरे अक्दस صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने हज़रते बीबी उम्मे कुल्सूम رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا का हज़रते उ़स्माने ग़नी رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہ से निकाह़ कर दिया। मगर इन के शिकमे मुबारक से कोई औलाद नहीं हुई।

सुवाल हज़रते उम्मे कुल्सूम رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا ने कब वफ़ात पाई ?

जवाब शा'बान के महीने में 9 हिजरी में वफ़ात पाई।

सुवाल इन की नमाज़े जनाज़ा किस ने पढ़ाई ?

जवाब हुज़ूरे अक्दस صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इन की नमाज़े जनाज़ा पढ़ाई और येह जन्नतुल बक़ीअ़ में दफ़्न की गईं।

हज़रते फ़ातिमा ज़हरा رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا

सुवाल हमारे प्यारे नबी صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم की सब से छोटी और लाडली बेटी का क्या नाम है ?

जवाब हज़रते फ़ातिमा ज़हरा बतूल رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا।

सुवाल इन का लक़ब क्या है ?

जवाब ज़हरा और बतूल।

सुवाल येह कब पैदा हुईं ?

जवाब ए'लाने नुबुव्वत से 5 साल पहले।

सुवाल इन का नाम फ़ातिमा रखने की क्या वज्ह है ?

जवाब **रसूलुल्लाह** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : इस का नाम फ़ातिमा इस लिये रखा गया कि **अल्लाह** पाक ने इस को और इस से मह़ब्बत करने वालों को दोज़ख़ से आज़ाद किया है।(1)

हुज़ूर صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : बेशक फ़ातिमा ने पाक दामनी इख़्तियार की और **अल्लाह** पाक ने इस की औलाद को दोज़ख़ पर ह़राम फ़रमा दिया है।(2)

सुवाल इन्हें बतूल क्यूं कहा जाता है ?

(1) ...کنز العمال، کتاب الفضائل، الفصل الثانی فضل اہل البیت، جزء:12، 6/50، حدیث:34222

(2) ...مستدرک، کتاب معرفۃ الصحابہ، باب فاطمۃ...الخ، 4/135، حدیث:4779

जवाब चूंकि आप رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا दुन्या में रहते हुए भी दुन्या से अलग थीं लिहाज़ा बतूल लक़ब हुवा।

सुवाल इन्हें ज़हरा क्यूं कहा जाता है ?

जवाब ज़हरा के मा'ना हैं कली। आप رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا जन्नत की कली थीं और आप رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا की कभी ऐसी कैफ़िय्यत न हुई जिस से ख़वातीन दो चार होती हैं और आप رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا के जिस्म से जन्नत की ख़ुश्बू आती थी जिसे हुज़ूर صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم सूंघा करते थे। इस लिये आप का लक़ब ज़हरा हुवा।[(1)]

सुवाल इन्हें ताहिरा और ज़ाकिया क्यूं कहा जाता है ?

जवाब ताहिरा व ज़ाकिया का मत़लब है, पाको साफ़। चूंकि आप رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا बचपन ही से अपने बाबाजान रह़मते आ़लमिय्यान صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم की नज़रे रह़मत और फ़ैज़ान से ज़ाहिरी और बात़िनी त़हारत व पाकी ह़ासिल कर चुकी थीं यहां तक कि आप رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا हैज़ो निफ़ास से भी मुनज़्ज़ा व मुबर्रा (या'नी पाक साफ़) थीं जैसा कि **रसूलुल्लाह** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : मेरी बेटी फ़ात़िमा इन्सानी शक्ल में हूरों की त़रह़ हैज़ो निफ़ास से पाक है।[(2)]

सुवाल इन का हुस्नो जमाल कैसा था ?

जवाब ह़ज़रते अनस बिन मालिक رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ कहते हैं कि मैं ने अपनी वालिदा से ह़ज़रते फ़ात़िमा ज़हरा رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا के बारे में पूछा तो उन्हों ने फ़रमाया : كَانَتْ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ या'नी सय्यिदह चौदहवीं रात के चांद की त़रह़ ह़सीनो जमील थीं।[(3)]

सुवाल हमारे प्यारे नबी صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने ह़ज़रते फ़ात़िमा ज़हरा رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا के लिये क्या फ़रमाया ?

जवाब ❀ जनाबे सादिक़ो अमीन صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने ह़ज़रते फ़ात़िमा رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا से इर्शाद फ़रमाया : तुम्हारे ग़ज़ब से ग़ज़बे इलाही होता है और तुम्हारी रिज़ा से रिज़ाए इलाही।[(4)] ❀ फ़रमाया : "फ़ात़िमा मेरे जिस्म का हि़स्सा (टुकड़ा) है जो इसे ना गवार, वोह मुझे ना गवार जो इसे पसन्द वोह मुझे

1... मिरआतुल मनाजीह़, 8/452

2... کنز العمال، کتاب الفضائل، الفصل الثانی فضل اہل البیت مفصلا، جز:12، 6/50، الحدیث:34221

3... مستدرک، کتاب معرفۃ الصحابہ، ذکر ما ثبت عندنا...الخ، 4/149، حدیث:4813

4... مستدرک، کتاب معرفۃ الصحابۃ، باب نداء یوم المحشر...الخ، 4/137، حدیث:4783

पसन्द, रोज़े क़ियामत सिवाए मेरे नसब, मेरे सबब और मेरे इज़्दिवाजी रिश्तों के तमाम नसब ख़त्म हो जाएंगे।''[1] ❀ फ़रमाया : फ़ातिमा तमाम जहानों की औ़रतों और सब जन्नती औ़रतों की सरदार हैं।[2] ❀ फ़रमाया : फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है जिस ने इसे नाराज़ किया उस ने मुझे नाराज़ किया। ❀ और एक रिवायत में है : इन की परेशानी मेरी परेशानी और इन की तक्लीफ़ मेरी तक्लीफ़ है।[3]

सुवाल हज़रते फ़ातिमा ज़हरा رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا का निकाह़ कब और किन से हुवा ?

जवाब 2 हिजरी में हज़रते अ़ली शेरे ख़ुदा رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ से इन का निकाह़ हुवा।

सुवाल इन की कितनी औलाद हैं ?

जवाब इन की 6 औलादें हुईं, 3 लड़के और 3 लड़कियां।

सुवाल लड़के और लड़कियों के नाम क्या हैं ?

जवाब लड़कों के नाम हैं : (1) हज़रते ह़सन, (2) हज़रते हुसैन और (3) हज़रते मुह़स्सिन رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُم। और लड़कियों के नाम हैं : (4) हज़रते ज़ैनब, (5) हज़रते उम्मे कुल्सूम और (6) हज़रते रुक़य्या رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُنَّ।

सुवाल कौन से बच्चे बचपन ही में वफ़ात पा गए थे ?

जवाब हज़रते मुह़स्सिन رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ और हज़रते रुक़य्या رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا।

सुवाल हज़रते फ़ातिमा ज़हरा رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا की वफ़ात कब हुई ?

जवाब हुज़ूरे अक़्दस صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के विसाल शरीफ़ का हज़रते बीबी फ़ातिमा رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا के क़ल्बे मुबारक पर बहुत ही सदमा गुज़रा। चुनान्चे विसाले अक़्दस के बा'द हज़रते फ़ातिमा رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا कभी हंसती हुई नहीं देखी गईं। यहां तक कि विसाले नबवी के 6 महीने बा'द 3 रमज़ान 11 हिजरी मंगल की रात में आप ने दाइये अजल को लब्बैक कहा।

सुवाल हज़रते फ़ातिमा رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا की नमाज़े जनाज़ा किस ने पढ़ाई ?

जवाब हज़रते सय्यिदुना इब्ने उ़मर رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا से मन्क़ूल है कि हज़रते फ़ातिमतुज़्ज़हरा

1 ... مستدرک، کتاب معرفۃ الصحابۃ، باب دعاء دفع الفقر... الخ، 4/144، حدیث:4801

2 ... بخاری، کتاب الاستئذان، باب من ناجی بین یدی الناس، 4/184، حدیث:6285

3 ... مشکاۃ، کتاب المناقب، باب مناقب اہل بیت النبی... الخ، 2/436، حدیث:6139

رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا की नमाज़े जनाज़ा ह़ज़रते सय्यिदुना अबू बक्र सिद्दीक़ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ ने पढ़ाई।[1] और आप का मज़ारे मुबारक जन्नतुल बक़ीअ़ में है।

इमामे ह़सन رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ

सुवाल इमामे ह़सन رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ का हु़ज़ूर صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم से क्या रिश्ता है ?

जवाब इमामे ह़सन رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ हु़ज़ूर صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के नवासे हैं।

सुवाल इन की विलादत कब हुई ?

जवाब इन की विलादत 15 रमज़ान की रात 3 हिजरी में मदीनए मुनव्वरह में हुई।

सुवाल इन की कुन्यत और लक़ब क्या है ?

जवाब इन की कुन्यत अबू मुह़म्मद, लक़ब तक़ी और सय्यिद और सिब्ते **रसूलुल्लाह** और सिब्ते अक्बर के नाम से मा'रूफ़ हैं।

सुवाल इन का नाम किस ने रखा ?

जवाब हु़ज़ूर صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इन का नाम ह़सन रखा। येह जन्नती नाम है। जो इन से पहले किसी का नहीं रखा गया।

सुवाल विलादत के बा'द इन के कान में अज़ान और तक्बीर किस ने दी ?

जवाब **रसूलुल्लाह** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने।

सुवाल आप رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ मुसल्मानों के कौन से ख़लीफ़ा हैं ?

जवाब आप رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ मुसल्मानों के पांचवें ख़लीफ़ा हैं।

सुवाल हु़ज़ूर صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इन की फ़ज़ीलत में क्या इर्शाद फ़रमाया ?

जवाब ह़ज़रते बराअ इब्ने आ़ज़िब رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ कहते हैं : मैं ने सय्यिदे आ़लम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم की ज़ियारत की, शहज़ादए बुलन्द इक़्बाल ह़ज़रत इमामे ह़सन رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ आप صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के दोशे अक़्दस (कन्धों) पर थे और हु़ज़ूर صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم फ़रमा रहे थे : या रब ! मैं इस को मह़बूब रखता हूं तो तू भी मह़बूब रख।[2] ह़ज़रते अबू बकरह رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ फ़रमाते हैं कि हु़ज़ूर सरवरे आ़लम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم मिम्बर पर जल्वा

1 ... کنز العمال، کتاب الموت، باب فی اشیاء قبل الدفن، جزء:15، 8/303، حدیث:42856

2 ... بخاری، کتاب فضائل اصحاب النبی، باب مناقب الحسن والحسین، 2/547، حدیث:3749

अफ़्रोज़ थे। ह़ज़रत इमामे ह़सन رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ आप صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के पहलू में थे। हु़ज़ूर صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم एक मरतबा लोगों की त़रफ़ नज़र फ़रमाते और एक मरतबा इस फ़रज़न्दे जमील की त़रफ़। मैं ने सुना हु़ज़ूर صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया कि येह मेरा फ़रज़न्द सय्यिद है और **अल्लाह** पाक इस की बदौलत मुसल्मानों की दो जमाअ़तों में सुल्ह़ करेगा।[1]

सुवाल इमामे ह़सन رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ की शहादत किस त़रह़ हुई ?

जवाब आप رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ को ज़हर दिया गया था जो आप की शहादत का सबब बना।

सुवाल आप رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ की वफ़ात कब हुई ?

जवाब आप رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ की उ़म्र शरीफ़ 45 साल थी कि आप ने 5 रबीउ़ल अव्वल, 49 हिजरी में इस दारे ना पाएदार से मदीनए त़य्यिबा में रेह़लत फ़रमाई।

सुवाल आप رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ को कहां दफ़्न किया गया ?

जवाब जन्नतुल बक़ीअ़ में ह़ज़रते सय्यिदह फ़ात़िमा ज़हरा رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا के पहलू में।

सुवाल आप के जनाज़े में कितने लोग थे ?

जवाब ह़ज़रते सा'लबा बिन अबी मालिक رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ने कहा : मैं ने जन्नतुल बक़ीअ़ में लोगों का इस क़दर मज्मअ़ देखा कि अगर सूई भी फेंकी जाती तो वोह भी ज़मीन पर नहीं गिरती बल्कि किसी न किसी इन्सान के सर पर गिरती।

सुवाल आप رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ की कुल औलाद कितनी है ?

जवाब शहज़ादों की ता'दाद 15, एक क़ौल के मुत़ाबिक़ 12 और शहज़ादियों की ता'दाद 8 है।

इमामे हु़सैन رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ

सुवाल इमामे हु़सैन رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ का हु़ज़ूर صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم से क्या रिश्ता है ?

जवाब इमामे हु़सैन رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ हु़ज़ूर صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के नवासे हैं ?

1 ... بخاری،کتاب فضائل اصحاب النبی،باب مناقب الحسن والحسین،2/546،حدیث:3746

सुवाल इन की विलादत कब हुई ?

जवाब इन की विलादत 5 शा'बान, 4 हिजरी में मदीनए मुनव्वरह में हुई।

सुवाल इन का नाम किस ने रखा ?

जवाब **रसूलुल्लाह** صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इन का नाम हुसैन और शब्बीर रखा।

सुवाल इन की कुन्यत और लक़ब क्या है ?

जवाब इन की कुन्यत अबू अ़ब्दुल्लाह, लक़ब सिब्ते़ **रसूलुल्लाह** और रैह़ानतुर्रसूल है।

सुवाल आप رَضِیَ اللہُ عَنْہ की शहादत कब हुई ?

जवाब 10 मुह़र्रम 61 हिजरी में 56 साल की उ़म्र में शहादत पाई।

सुवाल आप رَضِیَ اللہُ عَنْہ का मज़ार कहां है ?

जवाब करबला में।

सुवाल आप رَضِیَ اللہُ عَنْہ की कुल औलाद कितनी है ?

जवाब 4 शहज़ादे और 2 शहज़ादियां हैं।

सुवाल इमामे ह़सन और इमामे हुसैन رَضِیَ اللہُ عَنْہُمَا के क्या क्या फ़ज़ाइल हैं ?

जवाब **रसूलुल्लाह** صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया :

(1)... ह़सन व हुसैन दुन्या में मेरे दो फूल हैं।[1]

(2)... ह़सन और हुसैन जन्नती नौ जवानों के सरदार हैं।[2]

(3)... जिस ने इन दोनों (ह़सन व हुसैन) से मह़ब्बत की उस ने मुझ से मह़ब्बत की और जिस ने इन से अ़दावत की उस ने मुझ से अ़दावत की।[3]

1 ...بخاری، کتاب الادب، باب رحمۃ الولد وتقبیلہ ومعانقتہ، 4/99، حدیث:5994

2 ...ترمذی، کتاب المناقب، باب مناقب ابی محمد حسن...الخ، 5/426، حدیث:3793

3 ...ابن ماجہ، کتاب السنۃ، باب فی فضائل اصحاب رسول اللہ، 1/96، حدیث:143

(4)... ह़ज़रते उ़मर फ़ारूक़े आ'ज़म رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ से रिवायत है कि मैं ने ह़ज़रत इमामे ह़सन और ह़ज़रत इमामे ह़ुसैन رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا को नबिय्ये अकरम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के कन्धों पर सुवार देखा तो कहा : आप दोनों की सुवारी कैसी शानदार है ! तो आप صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : और सुवार भी तो कैसे ला जवाब हैं ।(1)

सबक़ नम्बर 16 — ख़ुलफ़ाए राशिदीन

सुवाल सह़ाबी किसे कहते हैं ?

जवाब ह़ज़रते अ़ल्लामा हाफ़िज़ इब्ने ह़जर अ़स्क़लानी رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ फ़रमाते हैं : जिन ख़ुश नसीबों ने ईमान की ह़ालत में नबिय्ये अकरम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم से मुलाक़ात की हो और ईमान ही पर उन का इन्तिक़ाल हुवा, उन ख़ुश नसीबों को सह़ाबी कहते हैं ।(2)

सुवाल क्या कोई मुसल्मान इ़बादतो रियाज़त कर के किसी सह़ाबी के मर्तबे को पहुंच सकता है ?

जवाब कोई वली, कोई ग़ौस, कोई क़ुत़्ब चाहे कितनी ही इ़बादत कर ले मर्तबे में किसी सह़ाबी के बराबर नहीं हो सकता ।

सुवाल सह़ाबए किराम में सब से अफ़्ज़ल कौन से सह़ाबा हैं ?

जवाब सह़ाबए किराम में सब से अफ़्ज़ल ख़ुलफ़ाए राशिदीन हैं ।

सुवाल ख़ुलफ़ाए राशिदीन से क्या मुराद है ?

जवाब ह़ुज़ूर नबिय्ये करीम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के बा'द ख़लीफ़ए बरह़क़ ह़ज़रते अबू बक्र सिद्दीक़ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ फिर ह़ज़रत उ़मरे फ़ारूक़ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ फिर ह़ज़रते उ़स्मान رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ फिर ह़ज़रत अ़लिय्युल मुर्तज़ा رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ फिर छे माह के लिये ह़ज़रते इमामे ह़सन मुज्तबा رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ख़लीफ़ा हुए इन ह़ज़रात को ख़ुलफ़ाए राशिदीन और इन्ही की ख़िलाफ़त को "ख़िलाफ़ते राशिदा" कहते हैं ।

सुवाल इन ख़ुलफ़ाए राशिदीन में सब से अफ़्ज़ल कौन हैं ?

जवाब ख़ुलफ़ाए राशिदीन में से सब से अफ़्ज़ल ह़ज़रते अबू बक्र सिद्दीक़ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ फिर ह़ज़रत उ़मरे फ़ारूक़ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ फिर ह़ज़रते उ़स्मान رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ फिर ह़ज़रत अ़लिय्युल मुर्तज़ा رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ हैं ।

---

1 ...تاریخ ابن عساکر، رقم:1566، حسین بن علی، حدیث:3492

2 ...نخبۃ الفکر، ص111

सुवाल अगर कोई कहे कि ह़ज़रते अबू बक्र सिद्दीक़ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ या ह़ज़रत उ़मरे फ़ारूक़ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ से ह़ज़रत अ़लिय्युल मुर्तज़ा رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ अफ़्ज़ल हैं तो उस के बारे में क्या कहेंगे ?

जवाब ऐसा कहने वाला शख़्स गुमराह बद मज़्हब है।

सुवाल ह़ज़रते अबू बक्र सिद्दीक़ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ या ह़ज़रत उ़मरे फ़ारूक़ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ की ख़िलाफ़त के मुन्किर का क्या हुक्म है ?

जवाब ह़ज़रते अबू बक्र सिद्दीक़ या ह़ज़रते उ़मर رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا की ख़िलाफ़त या सह़ाबिय्यत का इन्कार करने वाला भी काफ़िर है।[(1)]

पहले ख़लीफ़ा ह़ज़रते अबू बक्र सिद्दीक़

सुवाल मुसल्मानों के सब से पहले ख़लीफ़ा का नाम बताइये।

जवाब ह़ज़रते सय्यिदुना अबू बक्र सिद्दीक़ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ।

सुवाल सब से पहले किस ने इस्लाम क़बूल किया ?

जवाब आज़ाद मर्दों में ह़ज़रते सय्यिदुना अबू बक्र सिद्दीक़ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ ने।

सुवाल ह़ज़रते सय्यिदुना अबू बक्र सिद्दीक़ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ का मुख़्तसर तआ़रुफ़ बताइये।

जवाब आप رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ का इस्मे मुबारक अ़ब्दुल्लाह बिन अबू क़ुह़ाफ़ा है। आप رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ का रंग गोरा, जिस्म दुबला पतला, रुख़्सार रस्ते हुए, आंखें ह़ल्क़ा दार, पेशानी उभरी हुई थी। आप رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ के वालिदैन, बेटे और पोते सब सह़ाबी हैं और येह फ़ज़ीलत सह़ाबए किराम رِضْوَانُ اللّٰہِ عَلَیْہِمْ اَجْمَعِیْن में किसी को ह़ासिल नहीं। आ़मुल फ़ील के दो बरस चार माह बा'द मक्कए मुकर्रमा में आप رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ की विलादत हुई। अपनी उ़म्र शरीफ़ में हुज़ूर صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم की जुदाई कभी गवारा न की। आप رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ के बहुत फ़ज़ाइल हैं, अह़ादीस में बहुत ता'रीफ़ें आई हैं। आप رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ का लक़ब सिद्दीक़ व अ़तीक़ है। ह़ज़रते अनस बिन मालिक رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ से मरवी है कि अम्बियाओ मुरसलीन عَلَیْہِمُ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام के सिवा किसी शख़्स ने ह़ज़रते अबू बक्र सिद्दीक़ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ के बराबर फ़ज़्लो शरफ़ नहीं पाया।[(2)] 22 जुमादल आख़िर 13 हि. शबे सह शम्बा (मंगल) मदीनए मुनव्वरह मग़रिब व इशा के दरमियान त्रेसठ साल की उ़म्र में आप

1 ... حلبی کبیر، باب الامامۃ، ص515
2 ... مسند الفردوس، 2/328، حدیث:6581 مفہوما

رَضِیَ اللہُ عَنْہ का विसाल हुवा। हज़रते उमर बिन ख़त्ताब رَضِیَ اللہُ عَنْہ ने नमाज़े जनाज़ा पढ़ाई। आप رَضِیَ اللہُ عَنْہ की ख़िलाफ़त 2 साल 4 माह रही।[1]

सुवाल हज़रते अबू बक्र सिद्दीक़ رَضِیَ اللہُ عَنْہ को यारे ग़ार क्यूं कहा जाता है ?

जवाब जब आक़ा صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने मक्कए मुकर्रमा से मदीनए मुनव्वरह हिजरत फ़रमाई तो रास्ते में ग़ारे सौर में तीन दिन तक आक़ा صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के साथ क़ियाम फ़रमाया और इसी निस्बत से "यारे ग़ार" कहलाए।

सुवाल हज़रते अबू बक्र सिद्दीक़ رَضِیَ اللہُ عَنْہ का हुज़ूर صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم से क्या रिश्ता है ?

जवाब हज़रते अबू बक्र सिद्दीक़ رَضِیَ اللہُ عَنْہ, हुज़ूर صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم की ज़ौजए मुतहहरा उम्मुल मुअमिनीन हज़रते आइशा सिद्दीक़ा رَضِیَ اللہُ عَنْہَا के वालिद हैं।[2]

दूसरे ख़लीफ़ा हज़रते उमर फ़ारूक़े आ'ज़म

सुवाल ख़ुलफ़ाए राशिदीन رَضِیَ اللہُ عَنْہُم में से दूसरे ख़लीफ़ा कौन हैं, इन का तआरुफ़ बयान कीजिये।

जवाब हज़रते अबू बक्र सिद्दीक़ رَضِیَ اللہُ عَنْہ के बा'द दूसरे ख़लीफ़ा हज़रते उमर رَضِیَ اللہُ عَنْہ का मर्तबा है और वोह बाक़ी सब से अफ़्ज़ल हैं। आप رَضِیَ اللہُ عَنْہ का नामे नामी उमर बिन ख़त्ताब, लक़ब फ़ारूक़, कुन्यत अबू हफ़्स है। आप رَضِیَ اللہُ عَنْہ नुबुव्वत के छटे साल चालीस मर्दों और ग्यारह औरतों के बा'द ईमान लाए और आप رَضِیَ اللہُ عَنْہ के इस्लाम लाने के दिन से इस्लाम का ग़लबा शुरूअ़ हुवा। सब से पहले आप رَضِیَ اللہُ عَنْہ ही का लक़ब अमीरुल मुअमिनीन हुवा। आप رَضِیَ اللہُ عَنْہ का रंग सफ़ेद सुर्ख़ी माइल, दराज़ क़द, चश्मे मुबारक सुर्ख़ थीं। आप رَضِیَ اللہُ عَنْہ के अ़हदे ख़िलाफ़त में बहुत फ़ुतूहात हुईं।[3]

सुवाल क्या हज़रते उमर رَضِیَ اللہُ عَنْہ की कोई करामात भी मश्हूर हैं ?

जवाब जी हां ! आप की बहुत सी करामात मश्हूर हैं जैसे आप का हज़ारों मील दूर मौजूद इस्लामी फ़ौज के सिपह सालार हज़रते सारिया رَضِیَ اللہُ عَنْہ को आवाज़ देना और उन का सुन लेना, दरियाए नील का आप के ख़त़ डालने से जारी हो जाना वग़ैरा।

1... किताबुल अ़क़ाइद, स. 44

2... अबू बक्र सिद्दीक़ رَضِیَ اللہُ عَنْہ के फ़ज़ाइल और दीगर मा'लूमात हासिल करने के लिये किताब "फ़ैज़ाने सिद्दीक़े अक्बर" (मक्तबतुल मदीना की किताब) का मुतालआ फ़रमाएं।

3... किताबुल अ़क़ाइद, स. 44

सुवाल हज़रते उ़मर رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ का हुज़ूर صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم से क्या रिश्ता है ?

जवाब आप رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ की साहिब ज़ादी हज़रते हफ़्सा رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا हुज़ूर صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم की ज़ौजए मोह़तरमा थीं।

सुवाल हज़रते सय्यिदुना उ़मरे फ़ारूक़ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ की कब और कैसे शहादत हुई ?

जवाब आप رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ मदीनए तृय्यिबा में आख़िरे ज़िल हिज्जा 23 हिजरी में साढ़े दस साल ख़िलाफ़त कर के त्रेसठ साल की उ़म्र में एक मजूसी ग़ुलाम अबू लूलू फ़ीरोज़ के हाथों शहीद हुए।[1]

सुवाल कौन से दो सह़ाबए किराम رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا के मज़ारात हुज़ूर صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के मज़ारे मुबारक के बराबर में सुनहरी जालियों के अन्दर हैं ?

जवाब हज़रते सय्यिदुना अबू बक्र सिद्दीक़ और हज़रते सय्यिदुना उ़मरे फ़ारूक़ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا के और क़ियामत के क़रीब हज़रते ईसा عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام तशरीफ़ लाएंगे और बा'दे वफ़ात इसी रौज़ए अन्वर में मदफ़ून होंगे।

तीसरे ख़लीफ़ा ह़ज़रत उ़स्माने ग़नी

सुवाल हज़रते सय्यिदुना उ़मरे फ़ारूक़ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ के बा'द ख़लीफ़ा कौन हैं ? उन के कुछ ह़ालात बयान कीजिये।

जवाब हज़रते सय्यिदुना उ़मरे फ़ारूक़ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ के बा'द ख़लीफ़ए सिवुम हज़रते उ़स्मान बिन अ़फ़्फ़ान رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ का मर्तबा है। आप رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ का इस्मे मुबारक उ़स्मान बिन अ़फ़्फ़ान है। आप رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ का रंग गोरा, जिल्द नाज़ुक, चेहरा ह़सीन, सीना चौड़ा और दाढ़ी बड़ी थी। आप यकुम मुह़र्रम 24 हिजरी को ख़लीफ़ा बनाए गए।[2]

सुवाल हज़रते उ़स्मान رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ "ग़नी" क्यूं मश्हूर हुए ?

जवाब आप رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ बहुत मालदार थे और हमेशा अपना माल ख़िदमते इस्लाम में ख़र्च करते रहते थे।

सुवाल हज़रते उ़स्मान رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ को ज़ुन्नूरैन क्यूं कहा जाता है ?

जवाब हुज़ूरे अक़्दस صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم की शहज़ादियां हज़रते रुक़य्या व हज़रते उम्मे कुल्सूम رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا

1... फ़ारूक़े आ'ज़म رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ के फ़ज़ाइल और दीगर मा'लूमात ह़ासिल करने के लिये किताब "फ़ैज़ाने फ़ारूक़े आ'ज़म" (मक्तबतुल मदीना की किताब) का मुत़ालआ़ फ़रमाएं।

2... किताबुल अ़क़ाइद, स. 44

यके बा'द दीगरे आप رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ के निकाह़ में आईं इसी वज्ह से आप رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ को ज़ुन्नूरैन या'नी दो नूरों वाला कहते हैं।

सुवाल ह़ज़रत उ़स्माने ग़नी رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ की वफ़ात कैसे हुई ?

जवाब आप رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ क़रीब बारह साल के ख़िलाफ़त फ़रमा कर मदीनए त़य्यिबा में बयासी साल की उ़म्र में 18 ज़ुल ह़िज्जा 35 हि. में सबाई बाग़ियों के हाथों शहीद हुए जो अ़ब्दुल्लाह बिन सबा यहूदी मुनाफ़िक़ के पैरौकार थे।

सुवाल नौ उ़म्रों में सब से पहले किस ने इस्लाम क़बूल किया ?

जवाब नौ उ़म्रों में ह़ज़रते सय्यिदुना अ़लिय्युल मुर्तज़ा رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ सब से पहले इस्लाम लाए। इस्लाम लाने के वक़्त आप رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ की उ़म्र शरीफ़ पन्दरह या सोलह साल या इस से कुछ कम व ज़ियादा थी।

चौथे ख़लीफ़ा ह़ज़रत अ़लिय्युल मुर्तज़ा शेरे ख़ुदा

सुवाल मुसल्मानों के चौथे ख़लीफ़ा कौन हैं ? उन के बारे में कुछ बताइये।

जवाब ख़लीफ़ए चहारुम अमीरुल मुअमिनीन ह़ज़रते अ़ली बिन अबी त़ालिब رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ हैं। आप का इस्मे मुबारक अ़ली और कुन्यत अबुल ह़सन और अबू तुराब है। आप का रंग गन्दुमी, आंखें बड़ी, क़द मुबारक ग़ैर त़वील, दाढ़ी चौड़ी और सफ़ेद थी। आप رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ह़ज़रते उ़स्मान رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ की वफ़ात के दिन ख़लीफ़ा बनाए गए।[1]

सुवाल ह़ज़रते अ़ली رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ का लक़ब क्या है ?

जवाब असदुल्लाह या'नी **अल्लाह** का शेर।

सुवाल ह़ज़रत अ़लिय्युल मुर्तज़ा رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ का हुज़ूर صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم से क्या रिश्ता है ?

जवाब हुज़ूर नबिय्ये करीम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم की साह़िब ज़ादी ख़ातूने जन्नत ह़ज़रते फ़ात़िमतुज़्ज़हरा رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہا आप رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ की ज़ौजए मोह़तरमा थीं। और आप رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ रसूले अकरम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के चचाज़ाद भाई भी थे।

सुवाल ह़ज़रते सय्यिदुना अ़ली मुश्किल कुशा رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ की वफ़ात कब हुई ?

जवाब आप رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ 21 रमज़ान 40 हिजरी को चार साल नव महीने और चन्द रोज़ ख़िलाफ़त

1... किताबुल अ़क़ाइद, स. 45

फ़रमा कर त्रेसठ साल की उ़म्र में एक ख़ारिजी अ़ब्दुर्रह़मान इब्ने मुल्जिम के हाथों कूफ़ा में शहीद हुए।

सबक़ नम्बर 17 इमामते कुब्रा का बयान

सुवाल इमामत की कितनी क़िस्में हैं ?

जवाब इमामत की दो क़िस्में हैं :

(1)... इमामते सुग़रा, इस से मुराद इमामते नमाज़ है।

(2)... इमामते कुब्रा, इस से मुराद हुज़ूर صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की नियाबते मुत़्लक़ा है कि मुसल्मानों के तमाम दीनी व दुन्यवी उमूर में शरीअ़त के मुत़ाबिक़ तसर्रुफ़े आ़म का इख़्तियार रखे जैसे ख़ुलफ़ाए राशिदीन رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُم की ख़िलाफ़त और यहां इसी इमामते कुब्रा का बयान है।

सुवाल एक इमाम में किन किन शराइत़ का पाया जाना ज़रूरी है ?

जवाब इमाम के लिये ज़रूरी है कि वोह ज़ाहिर हो, इमाम क़ुरैशी, मुसल्मान, मर्द, आज़ाद, आ़क़िल, बालिग़ और अपनी राय, तदबीर और शौकतो क़ुव्वत से मुसल्मानों के उमूर में तसर्रुफ़ या'नी तब्दीली कर सकता हो या'नी साह़िबे सियासत हो। अपने इ़ल्म, अ़द्ल और शुजाअ़तो बहादुरी से अह़काम नाफ़िज़ करने और दारुल इस्लाम की सरह़दों की ह़िफ़ाज़त और ज़ालिमो मज़्लूम के इन्साफ़ पर क़ादिर हो।

सुवाल इमाम के लिये ज़ाहिर होना क्यूं ज़रूरी है ?

जवाब इस लिये कि अगर इमाम लोगों से पोशीदा होगा तो वोह काम अन्जाम न दे सकेगा जिन के लिये इमाम की ज़रूरत है।

सुवाल क्या क़ुरैश के इ़लावा किसी क़बीले से इमाम हो सकता है ?

जवाब क़ुरैशी के इ़लावा किसी की इमामत जाइज़ नहीं।

सुवाल एक इमाम के ज़िम्मे क्या क्या चीज़ें लाज़िम हैं ?

जवाब मुसल्मानों के लिये एक ऐसा इमाम ज़रूरी है जो उन में शर्अ़ के अह़काम जारी करे, ह़दें क़ाइम करे, लश्कर तरतीब दे, सदक़ात वुसूल करे, चोरों, लुटेरों, ह़म्ला आवरों को मग़लूब करे, जुमुआ़ व ईदैन क़ाइम करे, मुसल्मानों के झगड़े काटे, हुक़ूक़ पर जो गवाहियां क़ाइम हों वोह क़बूल करे, उन बेकस यतीमों

के निकाह़ करे जिन के वली न रहे हों और इन के सिवा वोह काम अन्जाम दे जिन को हर एक आदमी अन्जाम नहीं दे सकता।

सुवाल इमाम की इत़ाअ़त के बारे में क्या हुक्म है ?

जवाब इमाम की इत़ाअ़त मुत़्लक़न हर मुसल्मान पर फ़र्ज़ है जब कि उस का हुक्म शरीअ़त के ख़िलाफ़ न हो, ख़िलाफ़े शरीअ़त (हुक्म) में किसी की इत़ाअ़त जाइज़ नहीं।[1]

सबक़ नम्बर 18 अ़शरए मुबश्शरा और दीगर सह़ाबए किराम का बयान

सुवाल अ़शरए मुबश्शरा किसे कहते हैं ?

जवाब हुज़ूर عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام के वोह दस अस्ह़ाब जिन के जन्नती होने की दुन्या में ख़बर दे दी गई उन्हें "अ़शरए मुबश्शरा" कहते हैं।

सुवाल येह दस सह़ाबए किराम عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان कौन हैं ?

जवाब इन में चार तो येही ख़ुलफ़ाए राशिदीन رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُم या'नी ह़ज़रत सिद्दीक़े अक्बर, ह़ज़रत फ़ारूक़े आ'ज़म, ह़ज़रत उ़स्माने ग़नी, ह़ज़रत अ़लिय्युल मुर्तज़ा رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُم हैं। इन के इलावा बाक़ी ह़ज़रात के अस्माए गिरामी येह हैं : ह़ज़रते त़ल्ह़ा, ह़ज़रते ज़ुबैर, ह़ज़रते अ़ब्दुर्रह़मान बिन औ़फ़, ह़ज़रते सा'द बिन अबी वक़्क़ास, ह़ज़रते सईद बिन ज़ैद, ह़ज़रते अबू उ़बैदा बिन जर्राह़ رِضْوَانُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن।

सुवाल क्या अ़शरए मुबश्शरा رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُم के इलावा भी किसी को जन्नत की बिशारत दी गई है ?

जवाब जी हां ! अह़ादीसे मुबारका में बा'ज़ और सह़ाबए किराम عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان को भी जन्नत की बिशारत दी गई है चुनान्चे ख़ातूने जन्नत ह़ज़रते फ़ात़िमा ज़हरा رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا के ह़क़ में वारिद है कि वोह जन्नत की बीबियों की सरदार हैं और ह़ज़रत इमामे ह़सन और ह़ज़रत इमामे ह़ुसैन رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا के ह़क़ में वारिद है कि वोह जन्नत के जवानों के सरदार हैं, इसी त़रह़ अस्ह़ाबे बद्र और अस्ह़ाबे बैअ़तुर्रिज़्वान के ह़क़ में भी जन्नत की बिशारतें हैं और उ़मूमी त़ौर पर तमाम सह़ाबा से ही जन्नत का वा'दा किया गया है।

सुवाल अस्ह़ाबे बद्र رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُم से कौन मुराद हैं ?

जवाब वोह सह़ाबए किराम رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُم जो 2 हिजरी में बद्र के मक़ाम पर कुफ़्फ़ारे मक्का के ख़िलाफ़ इस्लाम की सब से पहली लड़ाई में शरीक हुए "अस्ह़ाबे बद्र" कहलाते हैं, उन की ता'दाद 313 थी।

1... बहारे शरीअ़त, 1/240 हिस्सा : 1

अ़शरए मुबश्शरा

हु़ज़ूर عَلَیْہِ السَّلَام के वोह दस अस्ह़ाब जिन के जन्नती होने की दुन्या में ख़बर दे दी गई थी।

01 ह़ज़्रत सिद्दीक़े अक्बर

02 ह़ज़्रते उ़मर फ़ारूक़े आ'ज़म

03 ह़ज़्रते उ़स्माने ग़नी

04 ह़ज़्रते अ़लिय्युल मुर्तज़ा

05 ह़ज़्रते त़ल्ह़ा

06 ह़ज़्रते ज़ुबैर

07 ह़ज़्रते अ़ब्दुर्रह़मान बिन औ़फ़

08 ह़ज़्रते सा'द बिन अबी वक़्क़ास

09 ह़ज़्रते सई़द बिन ज़ैद

10 ह़ज़्रते अबू उ़बैदा बिन जर्राह़ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن

सुवाल अस्ह़ाबे बैअ़ते रिज़्वान رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُم कौन हैं ?

जवाब इन से मुराद वोह सह़ाबए किराम رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُم हैं जिन्हों ने 6 हिजरी में हुदैबिया के मक़ाम पर आक़ा صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के दस्ते मुबारक पर कुफ़्फ़ारे मक्का के ख़िलाफ़ मर मिटने के लिये बैअ़त की और **अल्लाह** करीम ने इस पर उन्हें अपनी रिज़ा की ख़ुश ख़बरी दी, उन की ता'दाद 1400 थी।

सुवाल सह़ाबए किराम عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان के बारे में एक मुसल्मान को कैसा अ़क़ीदा रखना चाहिये ?

जवाब हुज़ूर नबिय्ये करीम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के तमाम सह़ाबा رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُم मुत्तक़ी व परहेज़ गार हैं इन का ज़िक्र अदब, मह़ब्बत और तौक़ीर के साथ लाज़िम है, तमाम सह़ाबए किराम رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُم जन्नती हैं, रोज़े मह़शर फ़िरिश्ते इन का इस्तिक़्बाल करेंगे।

सुवाल किसी सह़ाबी رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ के बारे में ज़बान दराज़ी करने के बारे में क्या हुक्म है ?

जवाब किसी सह़ाबी رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ से बद अ़क़ीदगी या किसी की शान में बदगोई करना इन्तिहाई दरजे की बद नसीबी और गुमराही है। वोह फ़िर्क़ा निहायत बद बख़्त और बद दीन है जो सह़ाबा رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُم पर ला'न ता'न या'नी बुरा भला कहने को अपना मज़्हब बनाए, इन की दुश्मनी को सवाब का ज़रीआ़ समझे। सह़ाबए किराम رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُم की बड़ी शान है, इन की तक्लीफ़ से हुज़ूर صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم को ईज़ा होती है।

सबक़ नम्बर 19

मुशाजराते सह़ाबा का बयान

सह़ाबए किराम عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان नबिय्ये करीम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के सच्चे जां निसार और मुख़्लिस इताअ़त गुज़ार थे। **अल्लाह** ने इन्हें न सिर्फ़ बे शुमार अ़ज़्मतों और रिफ़्अ़तों से नवाज़ा, बल्कि हर एक से भलाई का वा'दा भी फ़रमाया है। आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत इमाम अह़मद रज़ा ख़ान رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہ के फ़रामीन का ख़ुलासा है : **अल्लाह** ने सह़ाबए किराम عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان की दो क़िस्में फ़रमाई : एक वोह कि जिन्हों ने फ़त्ह़े मक्का से क़ब्ल राहे ख़ुदा में ख़र्च व क़िताल किया। दूसरे वोह जिन्हों ने बा'दे फ़त्ह़ (राहे ख़ुदा में ख़र्च व क़िताल किया)। फिर फ़रमा दिया कि दोनों फ़रीक़ों से **अल्लाह** ने भलाई का वा'दा फ़रमाया और साथ ही फ़रमा दिया कि **अल्लाह** को तुम्हारे कामों की ख़ूब ख़बर है कि तुम क्या क्या करने वाले हो इस के बा वुजूद उस ने तुम सब से हुस्ना (या'नी भलाई) का वा'दा फ़रमाया। यहां क़ुरआने अ़ज़ीम ने उन बेबाकों, बे अदब नापाकों के मुंह में पथ्थर दे दिया जो सह़ाबए किराम عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان के अफ़्आ़ल से उन पर ता'न (या'नी ए'तिराज़ करना) चाहते हैं वोह (अफ़्आ़ल) बशर्ते सिह़्ह़त **अल्लाह** को मा'लूम थे फिर भी

उन सब से हुस्ना (या'नी भलाई) का वा'दा फ़रमाया, तो अब जो ए'तिराज़ करता है वोह **अल्लाह** वाहि़दे क़ह्हार पर ए'तिराज़ करता है, जन्नत और मदारिजे आ़लिया (या'नी बुलन्द दरजात) उस ए'तिराज़ करने वाले के हाथ में नहीं बल्कि **अल्लाह** के हाथ हैं। मो'तरिज़ अपना सर खाता रहेगा और **अल्लाह** (पाक) ने जो हुस्ना का वा'दा उन से फ़रमाया है ज़रूर पूरा फ़रमाएगा और (सहा़बए किराम عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان पर) ए'तिराज़ करने वाला जहन्नम में सज़ा पाएगा। कु़रआने मजीद में है :

لَا یَسْتَوِیْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَ قٰتَلَ ؕ اُولٰٓىٕكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِیْنَ اَنْفَقُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَ قٰتَلُوْا ؕ وَ كُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِیْرٌ۠ ﴿۱۰﴾ (پ27،الحدید:10)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : तुम में बराबर नहीं वोह जिन्हों ने फ़त्ह़े मक्का से क़ब्ल ख़र्च और जिहाद किया वोह मर्तबे में उन से बड़े हैं जिन्हों ने बा'द फ़त्ह़ के ख़र्च और जिहाद किया और उन सब से **अल्लाह** जन्नत का वा'दा फ़रमा चुका और **अल्लाह** को तुम्हारे कामों की ख़बर है।

अब जिन के लिये **अल्लाह** करीम ने हुस्ना का वा'दा फ़रमा लिया उन का ह़ाल भी कु़रआने अ़ज़ीम से सुनिये :

اِنَّ الَّذِیْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰۤى ۙ اُولٰٓىٕكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ ﴿۱۰۱﴾ لَا یَسْمَعُوْنَ حَسِیْسَهَا ۚ وَ هُمْ فِیْ مَا اشْتَهَتْ اَنْفُسُهُمْ خٰلِدُوْنَ ﴿۱۰۲﴾ لَا یَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ وَ تَتَلَقّٰىهُمُ الْمَلٰٓىٕكَةُ ؕ هٰذَا یَوْمُكُمُ الَّذِیْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ﴿۱۰۳﴾ (پ17،الانبیاء:101تا103)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : बेशक वोह जिन के लिये हमारा वा'दा भलाई का हो चुका वोह जहन्नम से दूर रखे गए हैं वोह उस की भिनक (हलकी सी आवाज़ भी) न सुनेंगे और वोह अपनी मन मानती ख़्वाहिशों में हमेशा रहेंगे उन्हें ग़म में न डालेगी वोह सब से बड़ी घबराहट और फ़िरिश्ते उन की पेशवाई को आएंगे कि येह है तुम्हारा वोह दिन जिस का तुम से वा'दा था।

येह है नबिय्ये करीम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के तमाम सहा़बए किराम عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان के लिये कु़रआने करीम की शहादत। अमीरुल मुअमिनीन, मौलल मुस्लिमीन, अ़लिय्युल मुर्तज़ा मुश्किल कुशा رَضِیَ اللّٰهُ عَنْه क़िस्मे अव्वल में दाखि़ल हैं जिन को फ़रमाया : اُولٰٓىٕكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً उन के मर्तबे क़िस्मे दुवुम वालों से बड़े हैं। और अमीरे मुआ़विया رَضِیَ اللّٰهُ عَنْه क़िस्मे दुवुम में हैं और हुस्ना का वा'दा और येह तमाम बिशारतें सब को शामिल।

सुवाल सहा़बए किराम رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُم اَجْمَعِیْن के मुशाजरात (आपसी नाराज़गियों) के बारे में जो बातें मन्क़ूल हैं वोह किस क़दर दुरुस्त हैं ?

जवाब इमामे अहले सुन्नत رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ के बयान का खुलासा है : मुशाजराते सहा़बा में सीरत व तारीख़ की बे सरो पा हि़कायतें क़त्अ़न मरदूद हैं। आज कल के बद मज़्हब मरीजु़ल क़ल्ब मुनाफ़िक़ उन सीरत व तारीख़ की बेतुकी रिवायात से ह़ज़राते आ़लिया खुलफ़ाए राशिदीन, उम्मुल मुअमिनीन सय्यिदतुना आ़इशा सिद्दीक़ा, सय्यिदुना त़ल्ह़ा, सय्यिदुना जु़बैर, सय्यिदुना मुआ़विया, सय्यिदुना अ़म्र बिन आ़स और सय्यिदुना मुग़ीरा बिन शो'बा رِضْوَانُ اللّٰہِ عَلَیْہِمْ اَجْمَعِیْن नीज़ अहले बैत व सहा़बा رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُم के मुतअ़ल्लिक़ मरदूद इल्ज़ामात और इन के बाहमी मुशाजरात में ऐसी फुज़ूल व बेहूदा हि़कायात जिन में अक्सर तो सिरे से झूटी व बे बुन्याद हैं और बहुत सी खुद साख़्ता नाजे़बा इबारात रवाफ़िज़ छांट लाते हैं और उन इबारात के ज़रीए़ कु़रआने अ़ज़ीम, इर्शादाते मुस्त़फ़ा صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم, इज्माए उम्मत और जलीलुल क़द्र अइम्मए किराम का मुक़ाबला करना चाहते हैं। बे इल्म लोग उन्हें सुन कर परेशान होते या जवाब देने की फ़िक्र में पड़ जाते हैं। उन का पहला जवाब येही है कि ऐसी बेतुकी रिवायात किसी अदना मुसल्मान को भी गुनहगार ठहराने के लिये मस्मूअ़ (या'नी क़ाबिले क़बूल) नहीं तो उन मह़बूबाने खुदा पर इन फुज़ूल रिवायात से ए'तिराज़ कैसे क़ाबिले क़बूल होगा कि जिन की इज्माली व तफ़्सीली ता'रीफ़ों और मह़ासिन से कलामुल्लाह और कलामे **रसूलुल्लाह** मालामाल हैं।

हुज्जतुल इस्लाम, मुह़म्मद बिन मुह़म्मद बिन मुह़म्मद ग़ज़ाली رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ एह़याउल उ़लूम शरीफ़ में फ़रमाते हैं : बिग़ैर तह़क़ीक़ किसी मुसल्मान को किसी कबीरा गुनाह की त़रफ़ मन्सूब करना जाइज़ नहीं, हां येह कहना जाइज़ है कि इब्ने मुल्जिम बद बख़्त ख़ारिजी ने अमीरुल मुअमिनीन मौला अ़ली رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ को शहीद किया कि येह ब तवातुर साबित है।[1]

सुवाल क्या ह़ज़रते सय्यिदुना अमीरे मुआ़विया رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ को बाग़ी कह सकते हैं ?

जवाब किसी सहा़बी को बाग़ी कहना या इस क़िस्म का कोई अ़क़ीदए फ़ासिदा रखना बहुत बड़ी गुमराही और जुर्अत की बात है। उ़लमाए किराम ने इस क़िस्म का अ़क़ीदा रखने से सख़्ती से मन्अ़ फ़रमाया है। बा'ज़ कुतुब में जो इन के लिये बग़ावत का लफ़्ज़ इस्ति'माल हुवा तो वोह लुग़वी ए'तिबार से है न कि इस्तिलाह़ी ! और लुग़वी मा'ना में बग़ावत का लफ़्ज़ गुनाह व इस्यान को लाज़िम नहीं, जैसा कि सदरुश्शरीअ़ह, बदरुत्तरीक़ह मुफ़्ती मुह़म्मद अमजद अ़ली आ'ज़मी رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ फ़रमाते हैं : गुरौहे अमीरे मुआ़विया رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ पर ह़स्बे इस्तिलाहे़ शर्अ़ इत़्लाक़ फ़ए बाग़िया (बाग़ी गुरौह) आया है, मगर

1 ..... احیاء علوم الدین، کتاب آفات اللسان، الآفۃ الثامنۃ اللعن، ۳/۱۵۴-فتاویٰ رضویہ، 5/582 ملخصا

अब कि बाग़ी ब मा'ना मुफ़्सिद (फ़साद करने वाला) व मुआ़निदो सरकश (दुश्मन, ना फ़रमान) हो गया और दुश्नाम (गाली) समझा जाता है, अब किसी सहा़बी पर इस का इत़्लाक़ (या'नी उन्हें बाग़ी कहना) जाइज़ नहीं।[1]

सुवाल हज़रते सय्यिदुना अमीरे मुआ़विया رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ को ख़त़ा के बा वुजूद गुनाहगार क्यूं नहीं कह सकते ?

जवाब ताजुल फ़ुहूल, हज़रते शाह अ़ब्दुल क़ादिर बदायूनी رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ फ़रमाते हैं : हज़रते सय्यिदुना अमीरे मुआ़विया رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ की ता'ज़ीमो तक्रीम शरफ़े सहा़बिय्यत की वज्ह से ज़रूरी व लाज़िमी है इस लिये शर्अ़न वोह बग़ावत व ख़त़ा जो अ़मदन (जान बूझ कर) वाक़ेअ़ न हुई हो फ़िस्क़ व इस्यान (गुनाह) को मुस्तल्ज़म (लाज़िम) नहीं, हु़ज़ूर صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم का इर्शादे गिरामी رُفِعَ عَنْ اُمَّتِی الْخَطَاءُ وَالنِّسْیَانُ (मेरी उम्मत से ख़त़ा व निस्यान को उठा लिया गया है) इस पर शाहिद (गवाह) है और सहा़बए किराम عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان की ख़त़ाएं मुआ़फ़ हैं, क्यूं कि येह ह़ज़रात न तो मा'सूम हैं और न ही मा'ज़ूर बल्कि इन्दल्लाह माजूर (सवाब दिये गए) हैं, इस ख़त़ा की वज्ह से उन की शान में बे अदबी करना और उन की ता'ज़ीमो तक्रीम से रुकना अहले सुन्नत से ख़ारिज होना है और मज़्हबे अहले सुन्नत में येह है कि ह़ज़रते अ़ली رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ फ़रमाते हैं कि اِخْوَانُنَا بَغَوْا عَلَیْنَا (हमारे भाइयों ने हम पर बग़ावत की) इस से ज़ियादा त़ा'न जनाबे मुर्तज़वी رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ पर त़ा'न (ला'नत व मलामत करना) है।[2]

सुवाल हज़रते सय्यिदुना अ़लिय्युल मुर्तज़ा और हज़रते सय्यिदुना अमीरे मुआ़विया رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ के माबैन होने वाली जंग के बारे में क्या अ़क़ीदा रखना चाहिये ?

जवाब सहा़बए किराम عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان के माबैन जो जंगें हुईं उन पर गुफ़्तगू करने के बजाए ख़ामोश रहने ही में आ़फ़िय्यत है कि अगर सहा़बए किराम عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان के बारे में बद गुमानी पैदा हुई तो इस का भी हि़साब लिया जाएगा नीज़ हज़रते सय्यिदुना अमीरे मुआ़विया رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ने अमीरुल मुअमिनीन हज़रते सय्यिदुना अ़लिय्युल मुर्तज़ा رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ से जो जंगें लड़ीं वोह अमीरुल मुअमिनीन हज़रते सय्यिदुना उ़स्माने ग़नी رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ के क़िसास की त़लब के लिये थी न कि हु़सूले ख़िलाफ़त के लिये और न ही हज़रते सय्यिदुना अमीरे मुआ़विया رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ अपने आप को हज़रते सय्यिदुना अ़लिय्युल मुर्तज़ा رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ से बेहतर समझते थे। जैसा कि ताजुल फ़ुहूल हज़रते सय्यिदुना अ़ब्दुल क़ादिर बदायूनी رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ फ़रमाते हैं : इस बात का

1... बहारे शरीअ़त, 1/260, हि़स्सा : 1
2... दिफ़ाए सय्यिदुना अमीरे मुआ़विया, स. 28 ब तसर्रुफ़

ए'तिक़ाद रखना भी वाजिब है कि वोह इन्दल्लाह माजूर हैं (या'नी उन्हें बारगाहे इलाही से अज्र दिया जाएगा) और ब इत्तिफ़ाक़े अहले सुन्नत तमाम सहाबा आ़दिल व मुन्सिफ़ (इन्साफ़ करने वाले) हैं जो उन फ़ितनों में शरीक हुए या कनारा कश रहे और उन के तमाम झगड़ों को इज्तिहाद पर मह़मूल किया जाए वरना उन के बारे में बुरे गुमान का हिसाब लिया जाएगा, इस लिये कि इन उमूर का मन्शा (मक़्सद) उन ह़ज़रात पर ऐबजूई करना है और येह बात भी है कि हर मुज्तहिद मुसीब (दुरुस्त फ़ैसला करने वाला) दो अज्र पाएगा और मुख़्ती (ख़त़ा करने वाला) मा'ज़ूर व माजूर (सवाब याफ़्ता) होगा।

इसी त़रह ह़ज़रते अ़ल्लामा कमाल इब्ने अबी शरीफ़ رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡه फ़रमाते हैं : ह़ज़रते अ़ली رَضِىَ اللّٰهُ عَنۡه और ह़ज़रते मुआ़विया رَضِىَ اللّٰهُ عَنۡه के माबैन इख़्तिलाफ़ का मक़्सद हुकूमत व अमारत का इस्तिह़क़ाक़ (मुस्तह़िक़ होना) नहीं था, बल्कि इख़्तिलाफ़े मुनाज़अ़त (झगड़े) का सबब क़त्ले उ़स्मान رَضِىَ اللّٰهُ عَنۡه का क़िसास था।

अमीरुल मुअमिनीन ह़ज़रते सय्यिदुना अ़लिय्युल मुर्तज़ा رَضِىَ اللّٰهُ عَنۡه क़िसास में ताख़ीर को ज़ियादा मुनासिब समझते थे और उन का ख़याल था जल्दी करने से हुकूमत में इन्तिशार व इज़्तिराब पड़ेगा और ह़ज़रते मुआ़विया رَضِىَ اللّٰهُ عَنۡه क़िसास में ता'जील (जल्दी) ज़ियादा मुनासिब समझते थे, दोनों मुज्तहिद इन्दल्लाह माजूर व मुसाब (सवाब दिये गए) हैं, इन दोनों बुज़ुर्गों का मन्शाए इख़्तिलाफ़ येही था।[1]

सुवाल सहाबए किराम رَضِىَ اللّٰهُ عَنۡهُم के बारे में कोई हलकी बात हमारे इ़ल्म में आए तो हमें क्या करना चाहिये ?

जवाब अगर कोई ऐसी चीज़ हमारे इ़ल्म में आए जिस से सहाबए किराम رِضۡوَانُ اللّٰهِ عَلَيۡهِمۡ اَجۡمَعِيۡن की अ़दालत (आ़दिल होने) पर ऐ़ब लग रहा हो तो हमें चाहिये कि हम उन की सोह़बते रसूल को याद करें और बा'ज़ सीरत निगारों ने जो लिखा है वोह क़ाबिले इल्तिफ़ात नहीं है, इस लिये कि वोह रिवायात सह़ीह़ नहीं हैं और अगर सह़ीह़ भी हों तो उन की मा'क़ूल तावील भी हो सकती है। येह मक़ामे ग़ौर है कि येह कैसे जाइज़ हो सकता है कि हम अपने दीन के ह़ामिलीन (या'नी **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم से दीन ले कर हम तक पहुंचाने वालों) पर त़ा'न करें, हमें **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم से जो कुछ भी मिला उन के वासित़े और ज़रीए़ से मिला तो जिस ने सहाबए किराम عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان पर त़ा'नो तश्नीअ़ (ला'नत और बुरी बात) की गोया कि उस ने ख़ुद अपने दीन पर त़ा'नो तश्नीअ़ की, सिर्फ़ ह़ज़रते मुआ़विया رَضِىَ اللّٰهُ عَنۡه और ह़ज़रते अ़म्र

1... दिफ़ाए़ सय्यिदुना अमीरे मुआ़विया, स. 31, 32 मुल्तक़त़न

बिन आ़स رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ के बारे में नहीं बल्कि तमाम सह़ाबए किराम عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان के बारे में ज़बाने त़ा'नो तश्नीअ़ दराज़ न की जाए।

सुवाल क्या ह़ज़रत अमीरे मुआ़विया رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ने ह़ज़रते सय्यिदुना सा'द बिन अबी वक़्क़ास رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ को हुक्म दिया कि वोह مَعَاذَ الله ह़ज़रते सय्यिदुना अ़लिय्युल मुर्तज़ा رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ को गालियां दें ?

जवाब मुफ़स्सिरे कुरआन, ह़कीमुल उम्मत मुफ़्ती अह़मद यार ख़ान नईमी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : ह़ज़रते सय्यिदुना अमीरे मुआ़विया رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ने ह़ज़रते सय्यिदुना सा'द رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ को ह़ज़रते सय्यिदुना अ़ली رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ को गाली देने का हुक्म न दिया बल्कि वज्ह पूछी कि तुम अ़लिय्युल मुर्तज़ा की कोई ग़लती या ख़त़ा क्यूं नहीं बयान करते ? और मन्शा येह था कि ह़ज़रते सा'द (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ) ह़ज़रते अ़ली (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ) के फ़ज़ाइल बयान करें और ह़ज़रते अ़ली (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ) को बुरा कहने वाले लोग सुनें और आयिन्दा इस से बाज़ रहें इसी लिये ह़ज़रते सा'द (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ) ने जब ह़ज़रते अ़ली رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ के फ़ज़ाइल बयान किये तो आप ख़ामोश रहे। अगर बुरा कहलवाना मक़्सूद होता तो कुछ उ़यूब सच्चे झूटे बना कर आप ही बयान कर देते मगर आप ने ऐसा न किया।[1] मा'लूम हुवा कि ह़ज़रते सय्यिदुना अमीरे मुआ़विया رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ के दिल में ह़ज़रते सय्यिदुना अ़लिय्युल मुर्तज़ा رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ के ख़िलाफ़ कोई बुग़्ज़ो कीना न था वरना आप ह़ज़रते सय्यिदुना अ़ली رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ के फ़ज़ाइल सुनना पसन्द न फ़रमाते तो जब सह़ाबए किराम عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ कोई बद गुमानी नहीं करते थे तो हमारी क्या मजाल कि हम किसी सह़ाबी के बारे में बद गुमानी करें।

बाक़ी रही बात ह़ज़रते सय्यिदुना अमीरे मुआ़विया رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ की तो वोह ह़ज़रते सय्यिदुना अ़ली رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ से बे पनाह मह़ब्बत फ़रमाते इसी लिये बारहा आप ने अपने दरबार में ह़ज़रते सय्यिदुना अ़ली رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ के फ़ज़ाइल सुनने की फ़रमाइश की बा'ज़ अवक़ात येह फ़ज़ाइल ख़ुद भी सुनते और लोगों को भी सुनवाते, चुनान्चे

एक मरतबा ह़ज़रते सय्यिदुना अमीरे मुआ़विया رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ने ह़ज़रते सय्यिदुना सा'द बिन अबी वक़्क़ास رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ से फ़रमाया : अबू तुराब (ह़ज़रते सय्यिदुना अ़ली رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ) को बुरा भला कहने से तुम्हें किस बात ने रोक रखा है ? उन्हों ने अ़र्ज़ की : वोह तीन बातें जो नबिय्ये करीम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने ह़ज़रते सय्यिदुना अ़ली رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ के बारे में इर्शाद फ़रमाई थीं जब तक मुझे वोह याद हैं मैं हरगिज़ उन्हें बुरा नहीं कहूंगा क्यूं कि उन में से हर एक मुझे सुर्ख़ ऊंटों से भी ज़ियादा पसन्दीदा है (1) एक ग़ज़्वे में नबिय्ये करीम

1... अमीरे मुआ़विया, स. 82 ब तसर्रुफ़

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने ह़ज़रते सय्यिदुना अ़ली رَضِىَ اللهُ عَنْه को अपना नाइब बना कर पीछे रोक दिया (जंग में शरीक न किया) तो ह़ज़रते सय्यिदुना अ़ली رَضِىَ اللهُ عَنْه ने अ़र्ज़ की : **या रसूलल्लाह !** आप मुझे औ़रतों और बच्चों के पास छोड़ कर जा रहे हैं ? नबिय्ये करीम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : क्या तुम इस बात पर राज़ी नहीं कि जो मक़ाम ह़ज़रते हारून عَلَيْهِ السَّلَام का ह़ज़रते मूसा عَلَيْهِ السَّلَام के लिये था तुम्हारा मेरे नज़्दीक भी वोही मक़ाम हो ? मगर येह कि मेरे बा'द कोई नया नबी नहीं आएगा। (2) और मैं ने ग़ज़्वए ख़ैबर के दिन नबिय्ये करीम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم को येह फ़रमाते सुना : मैं येह झन्डा उस शख़्स को दूंगा जो **अल्लाह** पाक और उस के रसूल से मह़ब्बत रखता है और **अल्लाह** करीम और उस का रसूल भी उसे मह़बूब रखते हैं। वोह फ़रमाते हैं कि मेरा इन्तिज़ार त़वील हो गया तो नबिय्ये करीम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : अ़ली को मेरे पास बुलाओ, उन को बुलाया गया ह़ालां कि उन की आंख में तक्लीफ़ थी । नबिय्ये करीम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने उन की आंख में लुआ़बे दहन डाला और झन्डा आप رَضِىَ اللهُ عَنْه को इनायत फ़रमाया पस **अल्लाह** करीम ने उन के हाथ पर फ़त्ह़ अ़त़ा फ़रमाई । (3) जब येह आयते मुबारका नाज़िल हुई فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَآءَنَا وَ اَبْنَآءَكُمْ وَ نِسَآءَنَا وَ نِسَآءَكُمْ[1] तो नबिय्ये करीम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने ह़ज़रते सय्यिदुना अ़ली, फ़ात़िमा और ह़सन व ह़ुसैन رَضِىَ اللهُ عَنْهُم को बुलाया और फ़रमाया : ऐ **अल्लाह** पाक ! येह मेरे अह्ल हैं।[2] **अल्लाह** पाक हमें तमाम गुमराहियों और शैत़ानी वस्वसों और गुमराहों से मह़फ़ूज़ फ़रमाए, आमीन।

ह़ज़रते अबू सुफ़्यान का मुख़्तसर तआ़रुफ़

सुवाल ह़ज़रत अमीरे मुआ़विया और इन के वालिदे मोह़तरम का मुख़्तसर तआ़रुफ़ बयान कर दीजिये।

जवाब ह़ज़रत अमीरे मुआ़विया के वालिदे मोह़तरम का नाम ह़ज़रते अबू सुफ़्यान رَضِىَ اللهُ عَنْه है और वोह सह़ाबिये रसूल हैं। वोह फ़त्हे मक्का के दिन इस्लाम लाए। **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने उन के घर को दारुल अमान या'नी अम्न का घर फ़रमाया। ग़ज़्वए त़ाइफ़ में एक आंख और जंगे यरमूक में दूसरी आंख शहीद हुई। ह़ज़रते अबू सुफ़्यान رَضِىَ اللهُ عَنْه की बेटी उम्मे ह़बीबा رَضِىَ اللهُ عَنْهَا का निकाह़ **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم से हुवा। आप رَضِىَ اللهُ عَنْه का नमाज़े जनाज़ा आप के बेटे ह़ज़रत अमीरे मुआ़विया رَضِىَ اللهُ عَنْه ने पढ़ाया।[3]

ह़ज़रत अमीरे मुआ़विया का मुख़्तसर तआ़रुफ़

जवाब ह़ज़रत अमीरे मुआ़विया رَضِىَ اللهُ عَنْه कौन हैं ?

1...پ3،آلِ عمران:61

2...ترمذی،کتاب المناقب،باب مناقب علی بن ابی طالب،5/407،حدیث:3745

3... फ़ैज़ाने अमीरे मुआ़विया, स. 18, 19 मुलख़्ख़सन

जवाब सह़ाबिये रसूल, कातिबे वह़ी और इस्लाम में पहले बादशाह हैं।

सुवाल ह़ज़रते अमीर मुआ़विया को ख़िलाफ़त किस ने दी ?

जवाब नवासए रसूल, शहज़ादए अ़लिय्युल मुर्तज़ा, ह़ज़रत इमामे ह़सन رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ने।

सुवाल **रसूलुल्लाह** ने ह़ज़रते अमीर मुआ़विया رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ के बारे में क्या फ़रमाया ?

जवाब **रसूलुल्लाह** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : ऐ **अल्लाह**! इन्हें हादी (हिदायत देने वाला) महदी (हिदायत याफ़्ता) बना दे और इन के ज़रीए से लोगों को हिदायत दे।[1] फ़रमाया : अभी तुम्हारे दरमियान एक शख़्स आएगा, वोह जन्नती है। तो इतने में ह़ज़रते मुआ़विया رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ दाख़िल हुए।[2]

सुवाल क्या आप رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ह़ज़रते मौला अ़ली رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ से मह़ब्बत करते थे ?

जवाब जी हां। एक मरतबा ह़ज़रते अ़ली رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ बारगाहे रिसालत में ह़ाज़िर हुए तो नबिय्ये करीम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने ह़ज़रत अमीरे मुआ़विया से फ़रमाया : ऐ मुआ़विया ! क्या तुम अ़ली से मह़ब्बत करते हो ? उन्हों ने अ़र्ज़ की : उस ज़ात की क़सम जिस के सिवा कोई मा'बूद नहीं मैं **अल्लाह** पाक के लिये इन से बहुत मह़ब्बत करता हूं। नबिय्ये पाक صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : बेशक अ़न्क़रीब तुम दोनों के दरमियान आज़्माइश होगी। अमीरे मुआ़विया رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ने अ़र्ज़ की : **या रसूलल्लाह !** उस के बा'द क्या होगा ? नबिय्ये करीम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : **अल्लाह** पाक की मुआ़फ़ी, उस की रिज़ा मन्दी और जन्नत में दाख़िला। ह़ज़रत अमीरे मुआ़विया رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ने अ़र्ज़ की : हम **अल्लाह** पाक के फ़ैसले पर राज़ी हैं।[3]

सुवाल आप رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ की वफ़ात कब हुई ?

जवाब आप رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ की वफ़ात बरोज़ जुमे'रात, 22 रजब, 60 हिजरी में मुल्के शाम के मश्हूर शह्र दिमश्क़ में हुई।[4] उस वक़्त आप की उ़म्र 78 साल थी। मज़ार दिमश्क़ में बाबुस्सग़ीर के पास है।[5]

1 ...ترمذی، کتاب المناقب، باب مناقب معاویۃ بن ابی سفیان، 5/455، حدیث:3868

2 ...تاریخ ابن عساکر، رقم:7510، معاویہ بن صخر، 59/99، حدیث:12311

3 ...تاریخ ابن عساکر، رقم:7510، معاویہ بن صخر، 59/139، حدیث:12333

4 ...تاریخ ابن عساکر، رقم:7519، معاویہ بن صخر، 59/241

5 ...تاریخ الخلفاء، ص158

सुवाल हज़रते अमीर मुआविया رضی اللہ عنہ के कफ़न में क्या क्या तबर्रुकात थे ?

जवाब आप رضی اللہ عنہ के पास **रसूलुल्लाह** صلی اللہ علیہ والہٖ وسلم का कुरता मुबारक, एक तहबन्द शरीफ़, एक चादरे पाक, नाखुन शरीफ़ और चन्द मूए मुबारक (या'नी बाल शरीफ़) थे। आप رضی اللہ عنہ ने वफ़ात के वक़्त वसिय्यत की, कि इन मुक़द्दस कपड़ों में मुझे कफ़न दिया जाए और नाखुन शरीफ़ और मूए मुबारक मेरे मुंह और नाक पर रख दिये जाएं और मेरे सीने पर फैला दिये जाएं और फिर मुझे अरहमुर्राहिमीन के सिपुर्द कर दिया जाए।[1]

सबक़ नम्बर 20 कुरआने मुबीन का बयान

सुवाल क्या दुन्या में अब कोई आस्मानी किताब भी है ?

जवाब जी हां ! कुरआन शरीफ़।

सुवाल आस्मानी किताब से क्या मत़लब है ?

जवाब खुदा की किताब।

सुवाल कुरआने मजीद में किस चीज़ का बयान है ?

जवाब कुरआने मजीद में सारे इल्म हैं।

सुवाल वोह किताब किस लिये आई है ?

जवाब बन्दों की रहनुमाई के लिये ताकि बन्दे **अल्लाह** पाक और उस के रसूल صلی اللہ علیہ والہٖ وسلم को जानें और उन की मरज़ी के काम करें।

सुवाल कुरआन शरीफ़ किस पर उतरा ?

जवाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा صلی اللہ علیہ والہٖ وسلم पर। आप की ज़ाहिरी हयाते तय्यिबा के ज़माने में अब से तक़रीबन चौदह सो साल पहले।

सुवाल क्या कुरआन शरीफ़ के सिवा **अल्लाह** पाक ने कोई और किताब भी उतारी थी ?

1 ... تاریخ ابن عساکر، رقم:7510، معاویہ بن صخر، 229/59

जवाब जी हां। सब किताबों के नाम तो मा'लूम नहीं, अलबत्ता मश्हूर किताबें येह हैं : तौरात शरीफ़, इन्जील शरीफ़, ज़बूर शरीफ़।

सुवाल येह किताबें किन किन अम्बिया عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام पर नाज़िल हुईं ?

जवाब तौरात ह़ज़रते मूसा عَلَيْهِ السَّلَام पर, ज़बूर ह़ज़रते दावूद عَلَيْهِ السَّلَام पर, इन्जील ह़ज़रते ईसा عَلَيْهِ السَّلَام पर नाज़िल हुई।

सुवाल क्या सह़ीह़ तौरात, सह़ीह़ इन्जील और सह़ीह़ ज़बूर आज कल कहीं मिलती है ?

जवाब जी नहीं। क्यूं कि ईसाइयों और यहूदियों ने इन किताबों में अपनी मरज़ी से घटा बढ़ा कर कुछ का कुछ कर दिया, बहुत सा मज़्मून बदल दिया है येह अपनी अस्ल शक्ल में बाक़ी नहीं हैं।

सुवाल क्या सह़ीह़ क़ुरआन शरीफ़ मिलता है ?

जवाब जी हां, क़ुरआन शरीफ़ हर जगह सह़ीह़ मिलता है। वोह नहीं बदल सकता। उस में एक ह़र्फ़ का भी फ़र्क़ नहीं हो सकता। क्यूं कि उस का निगहबान **अल्लाह** पाक है और क़ुरआने पाक में उस की ह़िफ़ाज़त का ज़िम्मा **अल्लाह** करीम ने ख़ुद अपने ज़िम्मए करम पर लिया है।

सुवाल क़ुरआन शरीफ़ कहां मिलता है ?

जवाब हर शह्‌र और हर गाउं में, हर मुसल्मान के घर में होता है और मुसल्मानों के बच्चों को भी याद होता है।

सुवाल तुम ने कैसे जाना कि वोह ख़ुदा की किताब है ?

जवाब जैसे ख़ुदा की बनाई हुई चीज़ों की त़रह़ कोई चीज़ किसी से नहीं बन सकती ऐसे ही क़ुरआन शरीफ़ की त़रह़ कोई किताब किसी से नहीं बन सकी। इस से हम ने जाना कि वोह ख़ुदा की किताब है। आदमी की होती तो कोई और भी वैसी ही बना सकता।

सबक़ नम्बर 21 — मलाएका का बयान

सुवाल फ़िरिश्ते किसे कहते हैं ?

जवाब "फ़िरिश्ते" नूरी मख़्लूक़ हैं। **अल्लाह** पाक ने इन्हें नूर से पैदा किया और हमारी नज़रों से पोशीदा कर दिया और इन्हें ऐसी त़ाक़त दी कि जिस शक्ल में चाहें ज़ाहिर हो जाएं। "फ़िरिश्ते" हुक्मे इलाही के ख़िलाफ़ कुछ नहीं करते। येह हर क़िस्म के सग़ीरा, कबीरा गुनाहों से पाक होते हैं। किसी "फ़िरिश्ते" की अदना सी गुस्ताख़ी भी कुफ़्र है। "फ़िरिश्तों" के वुजूद का इन्कार करना या येह कहना

फ़िरिश्तों के मुतअ़ल्लिक़ अ़क़ाइद

- येह नूरी मख़्लूक़ हैं
- जिस शक्ल में चाहें ज़ाहिर हो जाएं
- इन की ता'दाद बहुत ज़ियादा है
- हुक्मे इलाही के ख़िलाफ़ कुछ नहीं करते
- इन को क़ब्रों में मुर्दे भी देखते हैं
- अम्बिया عَلَيْهِمُ السَّلَام इन्हें मुलाहज़ा फ़रमाते हैं
- हर क़िस्म के गुनाह से पाक होते हैं
- येह आ़म इन्सान को नज़र नहीं आते
- इन के वुजूद का इन्कार कुफ़्र है
- इन की अदना सी गुस्ताख़ी भी कुफ़्र है
- मश्हूर फ़िरिश्ते : जिब्राईल, मीकाईल, इसराफ़ील, इज़राईल عَلَيْهِمُ السَّلَام

कि ''फ़िरिश्ता'' नेकी की कुव्वत को कहते हैं और इस के सिवा कुछ नहीं, येह कुफ़्र है।[1]

सुवाल फ़िरिश्तों के ज़िम्मे क्या क्या काम हैं ?

जवाब वोह जुदागाना कामों पर मुक़र्रर हैं। बा'ज़ जन्नत पर, बा'ज़ दोज़ख़ पर, बा'ज़ आदमियों के अ़मल लिखने पर, बा'ज़ रोज़ी पहुंचाने पर, बा'ज़ पानी बरसाने पर, बा'ज़ मां के पेट में बच्चे की सूरत बनाने पर, बा'ज़ आदमियों की हि़फ़ाज़त पर, बा'ज़ रूह़ क़ब्ज़ करने पर, बा'ज़ क़ब्र में सुवाल करने पर, बा'ज़ अ़ज़ाब पर, बा'ज़ रसूल عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام के दरबार में मुसल्मानों के दुरूदो सलाम पहुंचाने पर, बा'ज़ अम्बिया عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام के पास वह़ी लाने पर।

सुवाल मलाएका के पास किस क़दर त़ाक़त होती है ?

जवाब मलाएका को **अल्लाह** पाक ने बड़ी कुव्वत अ़त़ा फ़रमाई है, वोह ऐसे काम कर सकते हैं जिसे लाखों आदमी मिल कर भी नहीं कर सकते।

सुवाल मश्हूर फ़िरिश्ते कौन कौन से हैं ?

जवाब तमाम फ़िरिश्तों में से येह चार फ़िरिश्ते बहुत मश्हूर और बड़ी अ़ज़्मत रखते हैं : ह़ज़रते जिब्राईल عَلَيْهِ السَّلَام, ह़ज़रते मीकाईल عَلَيْهِ السَّلَام, ह़ज़रते इसराफ़ील عَلَيْهِ السَّلَام, ह़ज़रते इ़ज़राईल عَلَيْهِ السَّلَام।

सुवाल क्या फ़िरिश्ते देखने में आते हैं ?

जवाब हमें तो नज़र नहीं आते मगर जिन्हें **अल्लाह** पाक चाहता है वोह फ़िरिश्तों को देखते हैं। अम्बिया عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام इन्हें मुलाह़ज़ा फ़रमाते हैं, इन से कलाम होता है। क़ब्रों में मुर्दे भी फ़िरिश्तों को देखते हैं और भी जिसे **अल्लाह** पाक चाहे, देख सकता है।

सुवाल हर आदमी के साथ एक ही फ़िरिश्ता उ़म्र भर उस के अ़मल लिखा करता है या कई फ़िरिश्ते लिखते हैं ?

जवाब नेकी और बदी के लिखने वाले अ़लाह़दा अ़लाह़दा हैं और रात के अ़लाह़दा और दिन के अ़लाह़दा हैं।

सुवाल नामए आ'माल लिखने वाले फ़िरिश्तों को क्या कहते हैं ?

1... बहारे शरीअ़त, 1/90, हि़स्सा 1 माख़ूज़न

जवाब किरामन कातिबीन।

सुवाल कुल कितने फ़िरिश्ते हैं ?

जवाब बहुत हैं, हमें इन की ता'दाद मा'लूम नहीं।

सबक़ नम्बर 22 जिन्नात का बयान

सुवाल जिन्नात कौन हैं और इन को किस चीज़ से पैदा किया गया है ?

जवाब जिन्नात एक मख़्लूक़ है, **अल्लाह** पाक ने इन्हें आग के शो'ले से पैदा फ़रमाया है, चुनान्चे पारह 14 सूरए हिज्र आयत नम्बर 27 में इर्शाद फ़रमाया :

وَالْجَآنَّ خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُوْمِ ﴿۲۷﴾

(پ14،الحجر:27)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और जिन्न को उस से पहले बनाया बे धूएं की आग से।

और पारह 27 सूरतुर्रह़मान आयत नम्बर 15 में इर्शाद फ़रमाया :

وَخَلَقَ الْجَآنَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ ﴿۱۵﴾

(پ27،الرحمٰن:15)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और जिन्न को पैदा फ़रमाया आग के लूके से।

हुज़ूर नबिय्ये करीम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : फ़िरिश्तों को नूर से, जिन्नात को आग के शो'ले से और आदम عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام को मिट्टी से पैदा किया गया।[1] इन में नेक भी हैं और बद भी, येह ऐसे अ़जीबो ग़रीब और मुश्किल काम करने की त़ाक़त रखते हैं जिन्हें करना आ़म इन्सान के बस की बात नहीं।

सुवाल जिन्न को जिन्न क्यूं कहते हैं ?

जवाब लुग़त में जिन्न का मा'ना है "सत्र और ख़फ़ा" और जिन्न को इसी लिये जिन्न कहते हैं कि वोह आ़म लोगों की निगाहों से पोशीदा होता है।

सुवाल जिन्नात के वुजूद का इन्कार करना कैसा ?

जवाब जिन्नात के वुजूद का इन्कार या बदी की कुव्वत का नाम जिन्न या शैत़ान रखना कुफ़्र है।

सुवाल क्या जिन्नात का सुबूत क़ुरआने करीम में भी है ?

1 ...مسلم،کتاب الذہد والرقائق،باب فی احادیث متفرقۃ،حدیث4795،ص1221

जवाब जी हां ! जिन्नात का सुबूत क़ुरआने मजीद से है। चुनान्चे पारह 19 सूरए नम्ल की आयत नम्बर 39 में है :

قَالَ عِفْرِيْتٌ مِّنَ الْجِنِّ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ ۚ وَاِنِّيْ عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ اَمِيْنٌ ﴿۳۹﴾

(پ19، النمل:39)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : एक बड़ा ख़बीस जिन्न बोला कि वोह तख़्त हुज़ूर में हाज़िर कर दूंगा क़ब्ल इस के कि हुज़ूर इज्लास बरख़ास्त करें और मैं बेशक इस पर क़ुव्वत वाला अमानत दार हूं।

सुवाल **अल्लाह** पाक ने इन्सानों और जिन्नात में से पहले किस को पैदा फ़रमाया ?

जवाब जिन्नों को इन्सानों से पहले पैदा फ़रमाया, ह़ज़रते सय्यिदुना आदम عَلَیْہِ السَّلَام की तख़्लीक़ से दो हज़ार साल पहले ज़मीन पर जिन्नात रहते थे।

सुवाल जिन्नात कितनी ता'दाद में हैं ?

जवाब इन्सानों के मुक़ाबले में जिन्नात की ता'दाद 9 गुना है।

सुवाल बुरे जिन्नात को क्या कहा जाता है ?

जवाब बुरे जिन्नात को शयात़ीन कहा जाता है।

सुवाल जिन्नात से ह़िफ़ाज़त के लिये क़ुरआने पाक की किन सूरतों और आयात की तिलावत की जाए ?

जवाब (1) आयतुल कुरसी (2) यासीन शरीफ़ (3) सूरए मुअमिनून की आख़िरी आयात (4) सूरए मुअमिन की इब्तिदाई आयत (5) सूरतुल बक़रह (6) सूरए आले इमरान (7) सूरतुल आ'राफ़ (8) सूरए ह़श्र की आख़िरी आयात (9) सूरए इख़्लास (10) सूरतुल फ़लक़ और सूरतुन्नास।

सुवाल क्या इन्सानों की त़रह़ जिन्नात पर शरई अह़काम लागू होते हैं ?

जवाब जी हां ! जिन्नात भी शरीअ़ते मुत़ह्हरा के पाबन्द हैं। मुसल्मान जिन्नात नमाज़ पढ़ते, रोज़ा रखते, ह़ज करते, तिलावते क़ुरआन करते और इन्सानों से दीनी उ़लूम और रिवायते ह़दीस ह़ासिल करते हैं अगर्चे इन्सानों को पता न चले।

सुवाल क्या जिन्नात ने भी **रसूलुल्लाह** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم की विलादत की ख़ुशी मनाई थी ?

जवाब जी हां ! जब हुज़ूर नबिय्ये करीम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की विलादते बा सआ़दत हुई तो जबले अबी क़ुबैस और ह़जून के पहाड़ पर जिन्न ने क़सम खा कर येह निदा की : ''इन्सानों में से किसी औ़रत ने ऐसा बच्चा नहीं जना जैसा फ़ख़्रो सिफ़ात वाला बच्चा ह़ज़रते आमिना رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا ने जना है।''

सुवाल मदीनए मुनव्वरह में **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की तशरीफ़ आवरी की ख़बर सब से पहले किस ने दी थी ?

जवाब येह ख़बर मदीनए मुनव्वरह में सब से पहले एक जिन्न ने दी थी।

सुवाल वोह कौन सी मस्जिद है जिस की ता'मीर जिन्नात से करवाई गई ?

जवाब बैतुल मुक़द्दस (यरोशलम)।

सुवाल **अल्लाह** पाक ने जिन्नात को किस दिन पैदा फ़रमाया ?

जवाब जुमे'रात के दिन।

सुवाल जिन्नात की कितनी क़िस्में हैं ?

जवाब ह़दीसे पाक में है : जिन्नात की तीन क़िस्में हैं : (1) वोह जिन के पर होते हैं और वोह हवा में उड़ते हैं, (2) वोह जो सांप और कुत्ते की शक्ल में होते हैं और (3) वोह जो सफ़र करते और क़ियाम करते हैं।

सुवाल इन्सानों के साथ रहने वाले जिन्न को क्या कहते हैं ?

जवाब इन्सानों के साथ रहने वाले जिन्न को ''आ़मिर'' कहते हैं।

सुवाल जिन्नात क्या खाते हैं ?

जवाब जिन्नात की ख़ूराक ''हड्डी'' और ''गोबर'' है। ह़दीस शरीफ़ में है कि जिन्नात हड्डी पर गोश्त और गोबर में दाने पाते हैं।

सुवाल जिन्नात नमाज़ कहां पढ़ते हैं ?

जवाब ह़दीसे पाक में है कि तुम लोग ज़मीन के हमवार और चट्यल हिस्सों पर क़ज़ाए ह़ाजत न करो क्यूं कि येह जिन्नात के नमाज़ पढ़ने की जगह है।

सुवाल हमज़ाद कौन होता है ?

जवाब हमज़ाद शयातीन की एक क़िस्म है। येह हर वक़्त आदमी के साथ रहता है और मुत्लक़न काफ़िर मल्ऊ़ने अबदी है, सिवाए हुज़ूर नबिय्ये रह़मत صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के हमज़ाद के क्यूं कि वोह सोह़बते अक़्दस की बरकत से मुसल्मान हो गया था।

सुवाल जिन्नात में सब से ख़त़रनाक जिन्न कौन सा है ?

जवाब "इफ़्रीत" सब से ख़त़रनाक और ख़बीस जिन्न है किसी से मानूस नहीं होता, जंगलात में रहता है उ़मूमन मुसाफ़िरों को दिखाई देता है और उन्हें रास्ते से भटकाता है।

सबक़ नम्बर 23 — तक़्दीर का बयान

दुन्या में जो कुछ होता है और बन्दे जो कुछ करते हैं नेकी, बदी वोह सब **अल्लाह** पाक के इ़ल्मे अज़ली के मुत़ाबिक़ होता है। जो कुछ होने वाला है वोह सब **अल्लाह** पाक के इ़ल्म में है और उस के पास लिखा हुवा है, इसी को तक़्दीर कहते हैं। हर भलाई बुराई उस ने अपने इ़ल्मे अज़ली के मुवाफ़िक़ मुक़द्दर फ़रमा दी है जैसा होने वाला था और जो जैसा करने वाला था अपने इ़ल्म से जाना और वोही लिख लिया तो येह नहीं कि जैसा उस ने लिख दिया वैसा हम को करना पड़ता है बल्कि जैसा हम करने वाले थे वैसा उस ने लिख दिया ज़ैद के ज़िम्मे बुराई लिखी इस लिये कि ज़ैद बुराई करने वाला था अगर ज़ैद भलाई करने वाला होता वोह उस के लिये भलाई लिखता तो उस के इ़ल्म या उस के लिख देने ने किसी को मजबूर नहीं कर दिया। याद रहे कि अ़क़ीदए तक़्दीर, इस्लामी अ़क़ाइद में निहायत नाज़ुक और पेचीदा है। इस के बारे में बह़स करने, क्यूं ? और कैसे ? की त़रह़ के सुवालात करने से मन्अ़ किया गया है। जैसा कि तिरमिज़ी शरीफ़ में है : ह़ज़रते सय्यिदुना अबू हुरैरा رَضِیَ اللّٰهُ عَنْه ने फ़रमाया कि हुज़ूरे अकरम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم हमारे पास तशरीफ़ लाए ह़ालां कि हम मस्अलए तक़्दीर पर बह़स कर रहे थे तो आप صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم नाराज़ हुए ह़त्ता कि चेह्रए अन्वर सुर्ख़ हो गया गोया कि रुख़्सारों में अनार निचोड़ दिये गए हैं और फ़रमाया क्या तुम्हें इस का हुक्म दिया गया है ? या मैं इसी के साथ तुम्हारी त़रफ़ भेजा गया हूं ? तुम से पहले लोगों ने जब इस मस्अले में झगड़े किये तो हलाक ही हो गए, मैं तुम पर लाज़िम करता हूं कि इस मस्अले में न झगड़ो।[1]

---

1 ... ترمذی، کتاب القدر، باب ماجاء من التشدید... الخ، 4/51، حدیث: 2140

तक़्दीर का सुबूत

तक़्दीर का सुबूत क़ुरआनो ह़दीस में मौजूद है जैसा कि इस आयते मुबारका में है :

﴿اِنَّا كُلَّ شَیْءٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ ۴۹﴾ (پ27، القمر:49) **तरजमए कन्ज़ुल ईमान :** बेशक हम ने हर चीज़ एक अन्दाज़े से पैदा फ़रमाई।

हुज़ूरे अकरम, नूरे मुजस्सम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने ईमान के मुतअ़ल्लिक़ पूछने वाले के जवाब में छे चीज़ें इर्शाद फ़रमाईं : (1) **अल्लाह** (2) फ़िरिश्तों (3) **अल्लाह** की नाज़िल कर्दा किताबों (4) रसूलों (5) क़ियामत के दिन और (6) अच्छी या बुरी तक़्दीर का **अल्लाह** पाक की त़रफ़ से होने पर ईमान लाना।[1]

सुवाल तक़्दीर के इन्कार का क्या हुक्म ?

जवाब तक़्दीर का इन्कार कुफ़्र है।[2] हुज़ूरे अकरम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने तक़्दीर का इन्कार करने वालों को इस "उम्मत का मजूस" क़रार दिया है।[3]

सुवाल तक़्दीर की कितनी क़िस्में हैं क्या तक़्दीर बदल भी जाती है ?

जवाब तक़्दीर की तीन क़िस्में हैं : (1) मुब्रमे ह़क़ीक़ी (2) मुअ़ल्लक़े मह़्ज़ (3) मुअ़ल्लक़े शबीह ब मुबरम।

1) मुब्रमे ह़क़ीक़ी : येह वोह क़िस्म है कि जो **अल्लाह** पाक के इ़ल्म और हुक्म में अटल है और किसी की दुआ़ या कोई नेक काम करने से तब्दील नहीं होती। जैसा कि फ़रमाने बारी है : ﴿مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَیَّ﴾ **तरजमए कन्ज़ुल ईमान :** मेरे यहां बात बदलती नहीं।[4] **अल्लाह** पाक के मह़्बूब बन्दे अकाबिरीन भी इत्तिफ़ाक़न इस में कुछ अ़र्ज़ करते हैं तो उन्हें इस ख़याल से रोक दिया जाता है।

2) मुअ़ल्लक़ शबीह ब मुबरम : येह क़िस्म तब्दील तो हो सकती है लेकिन इस की तब्दीली सिर्फ़ **अल्लाह** पाक के इ़ल्म में होती है मुक़र्रब फ़िरिश्ते भी इस की तब्दीली से ला इ़ल्म होते हैं, जिस की वज्ह से येह मुबरम के मुशाबेह होती है। हां **अल्लाह** पाक के ख़ास बन्दों की दुआ़ और इल्तिजा के सबब

1... مسلم، کتاب الایمان، باب الایمان والاسلام... الخ، ص33، حدیث:93ماخوذا

2... मिरआतुल मनाजीह़, 1/115

3... ابوداود، کتاب السنہ، باب الدلیل علی زیادۃ الایمان ونقصانہ، 4/294، حدیث:4691

4... पारह : 26, ق : 29

तब्दील हो जाती है। हुज़ूर सय्यिदुना ग़ौसे आ'ज़म رَحْمَۃُ اللہِ عَلَیْہ इसी को फ़रमाते हैं : "मैं क़ज़ाए मुबरम को रद कर देता हूं।"(1) और इसी की निस्बत ह़दीस में इर्शाद हुवा : اِنَّ الدُّعَاءَ یَرُدُّ الْقَضَاءَ بَعْدَ مَا اُبْرِمَ(2) "बेशक दुआ़ क़ज़ाए मुबरम को टाल देती है।"(3)

3) मुअ़ल्लक़े मह़्ज़ : इस में तब्दीली इल्मे इलाही के साथ साथ फ़िरिश्तों के इल्म और उन के सुहुफ़ (रजिस्टरों) में मज़्कूर होती है। लिहाज़ा वालिदैन या औलिया की दुआ़ या नेक काम व सदक़ा व ख़ैरात करने से टल जाती है।(4)

सुवाल क्या तक्दीर के मुवाफ़िक़ काम करने पर आदमी मजबूर होता है, इस बारे में क्या अ़क़ीदा रखना चाहिये ?

जवाब नहीं। बन्दे को **अल्लाह** पाक ने नेकी, बदी के करने पर इख़्तियार दिया है। वोह अपने इख़्तियार से जो कुछ करता है वोह सब **अल्लाह** पाक के यहां लिखा हुवा है जैसा कि पहले बयान किया गया है। याद रहे कि क़ज़ाओ क़दर के मसाइल आ़म अ़क़्लों में नहीं आ सकते, इन में ज़ियादा ग़ौरो फ़िक्र करना सबबे हलाकत है। सिद्दीक़े अक्बर व फ़ारूक़े आ'ज़म رَضِیَ اللہُ عَنْہُمَا को इस मस्अले में बह़्स करने से मन्अ़ फ़रमाया गया था तो हम और आप किस गिनती में हैं....! इतना समझ लिया जाए कि **अल्लाह** पाक ने आदमी को पथ्थर और दीगर जमादात की त़रह़ बे ह़िस्सो ह़रकत नहीं पैदा किया, बल्कि इस को एक नौए इख़्तियार (या'नी एक त़रह़ का मह़दूद इख़्तियार) दिया है कि एक काम चाहे करे, चाहे न करे और इस के साथ ही अ़क़्ल भी दी है कि भले, बुरे, नफ़्अ़, नुक़्सान को पहचान सके और हर क़िस्म के सामान और अस्बाब मुहय्या कर दिये हैं कि जब कोई काम करना चाहता है उसी क़िस्म के सामान मुहय्या हो जाते हैं और इसी बिना पर उस पर मुआख़ज़ा होता है। इस सच्चे अ़क़ीदे को याद रखा जाए और दिल में बसा लिया जाए, इसी पर क़ाइम रहा जाए ग़ैर ज़रूरी ग़ौरो ख़ौज़ से बाज़ रहा जाए तो वस्वसों से छुटकारा मिल जाता है। येह अ़क़ीदा भी याद रहे कि अपने आप को बिल्कुल मजबूर समझना या बिल्कुल मुख़्तार समझना दोनों गुमराही की बातें हैं।(5)

1 ... مکتوبات امام ربانی، دفتر اول، حصہ سوم، مکتوب:217، 1/123-124 ملخصا
2 ... مسند الفردوس، 5/364، حدیث:8448، بتغیر
3 .... बहारे शरीअ़त, ह़िस्सा : 1, 1/12, 16 मुलख़्ख़सन
4 .... बहारे शरीअ़त, 1/14, ह़िस्सा : 1 माख़ूज़न
5 .... बहारे शरीअ़त, 1/18, ह़िस्सा : 1 ब तग़य्युर

सुवाल तक़्दीर पर ईमान के क्या फ़वाइद हैं ?

जवाब तक़्दीर पर ईमान के फ़वाइद येह हैं : (1) मसाइब व बीमारियों में सब्र करना और ख़ुदकुशी जैसे ह़राम काम से मह़फ़ूज़ रहना, क्यूं कि इन का आना तक़्दीर के मुत़ाबिक़ और आज़्माइश है। (2) **अल्लाह** पाक की तक़्सीम और मशिय्यत पर राज़ी रहना। (3) इन्सान माज़ी की मह़रूमियों पर पुर मलाल, ह़ाल के ह़ालात में परेशान और मुस्तक़्बिल से ख़ौफ़ज़दा नहीं रहता। (4) तक़्दीर पर ईमान लाने वाला मख़्लूक़ के बजाए ख़ालिक़ से लौ लगाता है। (5) तक़्दीर पर ईमान "ह़सद" का बेहतरीन इ़लाज है।

सुवाल बा'ज़ लोग बुरा काम कर के कहते हैं कि तक़्दीर में ऐसा ही लिखा था, उन के बारे में क्या हुक्म है ?

जवाब बुरा काम कर के तक़्दीर की त़रफ़ निस्बत करना और मशिय्यते इलाही के ह़वाले करना बहुत बुरी बात है। बल्कि हुक्म येह है कि जो अच्छा काम करे उसे मिन जानिबिल्लाह (**अल्लाह** की त़रफ़ से) कहे और जो बुराई सरज़द हो उसे शामते नफ़्स (अपना क़ुसूर) तसव्वुर करे।[1]

सबक़ नम्बर 24 मौत और क़ब्र का बयान

सुवाल क्या किसी शख़्स की उ़म्र बढ़ या कम हो सकती है ?

जवाब हर शख़्स की जो उ़म्र मुक़र्रर है न उस से कम हो सकती है और न बढ़ सकती है।

सुवाल जब वोह उ़म्र पूरी हो जाती है फिर क्या मुआ़मला होता है ?

जवाब मलकुल मौत या'नी ह़ज़रते इ़ज़्राईल عَلَيْهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام उस की जान निकाल लेते हैं, मौत के वक़्त मरने वाले के दाहने, बाएं जहां तक नज़र जाती है फ़िरिश्ते ही फ़िरिश्ते दिखाई देते हैं। मुसल्मान के पास रह़मत के फ़िरिश्ते, काफ़िर के पास अ़ज़ाब के। मुसल्मानों की रूह़ को फ़िरिश्ते इ़ज़्ज़त के साथ ले जाते हैं और काफ़िरों की रूह़ को फ़िरिश्ते ह़क़ारत के साथ ले कर जाते हैं।

सुवाल रूह़ क्या चीज़ है ?

जवाब रूह़ अम्रे रब्बी है। **अल्लाह** पाक ने फ़रमाया : ﴿قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّیْ وَ مَاۤ اُوْتِیْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِیْلًا(۸۵)﴾ (پ15، بنی اسرآئیل:85) **तरजमए कन्ज़ुल ईमान :** तुम फ़रमाओ रूह़ मेरे रब के हुक्म से एक चीज़ है और तुम्हें इ़ल्म न मिला मगर थोड़ा।

1... बहारे शरीअ़त, 1/19, ह़िस्सा : 1

सुवाल क्या मरने के बा'द रूह़ फ़ना हो जाती है ?

जवाब रूह़ के जिस्म से जुदा होने का नाम मौत है, न येह कि रूह़ मर जाती है, जो रूह़ को फ़ना माने, बद मज़्हब है।(1) मौत के बा'द रूह़ की जानने, सुनने और देखने की सलाह़िय्यत न सिर्फ़ बाक़ी रहती है बल्कि पहले से बढ़ जाती है।(2)

सुवाल क्या मरने के बा'द रूह़ का जिस्म से तअ़ल्लुक़ बाक़ी रहता है ?

जवाब मरने के बा'द भी रूह़ का तअ़ल्लुक़ बदने इन्सान के साथ बाक़ी रहता है, अगर्चे रूह़ बदन से जुदा हो गई मगर बदन पर जो गुज़रेगी रूह़ ज़रूर उस से आगाह व मुतअस्सिर होगी जिस त़रह़ ह़याते दुन्या में होती है, बल्कि उस से ज़ाइद।(3)

सुवाल मरने के बा'द रूह़ कहां जाती है ?

जवाब रूहों के रहने के लिये मक़ामात मुक़र्रर हैं, नेकों के लिये अ़लाह़िदा और बुरों के लिये अ़लाह़िदा जहां वोह अपने मर्तबे के मुत़ाबिक़ चली जाती हैं।

सुवाल रूह़ के मक़ामात के बारे में कुछ मज़ीद बता दीजिये।

जवाब काफ़िरों की रूहें मख़्सूस जगहों पर क़ैद होती हैं जब कि मुसल्मानों की रूहों के मुख़्तलिफ़ मक़ामात भी मुक़र्रर हैं और उन्हें और मक़ामात पर जाने की इजाज़त भी होती है। जैसा कि

ह़ज़रते सय्यिदुना इमाम मालिक رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ फ़रमाते हैं : मोमिनों की अरवाह़ आज़ाद होती हैं जहां चाहती हैं जाती हैं।(4) नबिय्ये करीम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : मोमिनीन की अरवाह़ सब्ज़ परिन्दों में होती हैं, जन्नत में जहां चाहें सैर करती हैं। अ़र्ज़ की गई : और काफ़िरों की रूहें ? इर्शाद फ़रमाया : सिज्जीन में क़ैद होती हैं।(5) सिज्जीन सातवीं ज़मीन के नीचे एक जगह है जो इब्लीस और उस के लश्करों का मक़ाम है। मरने के बा'द मुसल्मान की रूह़ ह़स्बे मर्तबा मुख़्तलिफ़ मक़ामों में रहती है, बा'ज़ की क़ब्र पर, बा'ज़

1.... बहारे शरीअ़त, 1/104, ह़िस्सा : 1
2.... फ़तावा रज़विय्या, 9/658 मफ़्हूमन
3.... बहारे शरीअ़त, 1/100, ह़िस्सा : 1

4...الاستذکار، کتاب الجنائز، باب جامع الجنائز، 2/617، تحت الحدیث:292
5...اھوال القبور لابن رجب، ص182

की चाहे ज़मज़म शरीफ़ (या'नी ज़मज़म शरीफ़ के कूंएं) में, बा'ज़ की आस्मान व ज़मीन के दरमियान, बा'ज़ की पहले, दूसरे, सातवें आस्मान तक और बा'ज़ की आस्मानों से भी बुलन्द और बा'ज़ की रूहें ज़ेरे अ़र्श क़िन्दीलों में और बा'ज़ की आ'ला इ़ल्लिय्यीन में, मगर कहीं हों अपने जिस्म से उन का तअ़ल्लुक़ ब दस्तूर रहता है। जो कोई क़ब्र पर आए उसे देखती, पहचानती, उस की बात सुनती हैं बल्कि रूह़ का देखना कुर्बे क़ब्र ही से मख़्सूस नहीं, इस की मिसाल ह़दीस में येह फ़रमाई है कि एक ता़इर (परिन्दा) पहले क़फ़स (पिंजरे) में बन्द था और अब आज़ाद कर दिया गया।[1] काफ़िरों की रूहों के भी मक़ाम मुक़र्रर हैं, वोह आज़ाद नहीं घूमतीं बल्कि बा'ज़ की उन के मरघट (मुर्दे जलाने की जगह) या क़ब्र पर रहती हैं, बा'ज़ की चाहे बरहूत में कि यमन में एक नाला (या'नी वादी) है, बा'ज़ की पहली, दूसरी, सातवीं ज़मीन तक, बा'ज़ की उस के भी नीचे सिज्जीन में और वोह कहीं भी हो, जो उस की क़ब्र या मरघट पर गुज़रे उसे देखती, पहचानती, बात सुनती हैं, मगर कहीं जाने आने का इख़्तियार नहीं, कि क़ैद हैं।

सुवाल जानवरों की रूह़ कहां जाती हैं ?

जवाब जानवरों की अरवाह़ हवा में मुअ़ल्लक़ रहती हैं या जहां **अल्लाह** पाक को मन्ज़ूर होता है वहां रहती हैं और उन का अपने जिस्मों से कोई तअ़ल्लुक़ नहीं होता।[2]

सुवाल आवागोन किसे कहते हैं ?

जवाब येह ख़याल कि मौत के बा'द रूह़ किसी दूसरे बदन में चली जाती है ख़्वाह वोह बदन आदमी का हो या किसी जानवर का, इसे तनासुख़ या आवागोन कहते हैं, येह मह़ज़ बाति़ल है और इस का मानना कुफ़्र है।

सुवाल मुन्कर नकीर किसे कहते हैं ?

जवाब जब दफ़्न करने वाले दफ़्न कर के वापस हो जाते हैं तो दो फ़िरिश्ते ज़मीन चीरते आते हैं, उन की सूरतें डराउनी, आंखें नीली काली होती हैं। एक का नाम मुन्कर, दूसरे का नाम नकीर है। वोह मुर्दे को उठा कर बिठाते हैं और उस से सुवाल करते हैं।

1... बहारे शरीअ़त, 1/101, हिस्सा : 1

2... روح المعانی، پ15، بنی اسرائیل، تحت الآیۃ:85، 8/208

सुवाल क़ब्र में मुर्दे से कितने और कौन कौन से सुवालात किये जाते हैं ?

जवाब क़ब्र में मुर्दे से तीन सुवालात होते हैं :

(1)... तेरा रब कौन है ?

(2)... तेरा दीन क्या है ?

(3)... हुज़ूर صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की त़रफ़ इशारा कर के पूछते हैं : तू इन के ह़क़ में क्या कहता था ?

सुवाल मुसल्मान इन सुवालों का क्या जवाब देता है ?

जवाब मुसल्मान जवाब देता है : मेरा रब **अल्लाह** है । मेरा दीन इस्लाम है । येह **अल्लाह** के रसूल हैं । اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ फ़िरिश्ते कहते हैं : हम जानते थे कि तू येही जवाब देगा ।[1]

सुवाल क़ब्र के सुवाल व जवाब में काम्याब होने वाले मुसल्मान के साथ क्या सुलूक किया जाता है ?

जवाब उस की क़ब्र कुशादा और रोशन कर दी जाती है । आस्मान से मुनादी पुकारता है : मेरे बन्दे ने सच कहा, इस के लिये जन्नती फ़र्श बिछाओ, जन्नती लिबास पहनाओ, जन्नत की त़रफ़ दरवाज़े खोलो । चुनान्चे दरवाज़े खोल दिये जाते हैं जिस से जन्नत की हवा और ख़ुश्बू आती रहती है और फ़िरिश्ते उस से कहते हैं कि अब तू आराम कर ।

सुवाल काफ़िर से क़ब्र में क्या सुलूक किया जाएगा ?

जवाब काफ़िर इन सुवालों का जवाब नहीं दे सकता, हर सुवाल के जवाब में कहता है : मैं नहीं जानता । आस्मान से निदा करने वाला निदा करता है कि येह झूटा है, इस के लिये आग का बिछोना बिछाओ, आग का लिबास पहनाओ और दोज़ख़ की त़रफ़ का दरवाज़ा खोल दो । चुनान्चे दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो उस से दोज़ख़ की गरमी और लपट आती है, फिर उस पर फ़िरिश्ते मुक़र्रर कर दिये जाते हैं जो लोहे के बड़े बड़े गुर्ज़ों या'नी हथोड़ों से मारते हैं और अ़ज़ाब करते हैं ।

सुवाल क्या क़ब्र हर मुर्दे को दबाती है ?

जवाब अम्बियाए किराम عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام के सिवा क़ब्र सब मुसल्मानों को भी दबाती है और काफ़िरों

1... किताबुल अ़क़ाइद, स. 25

को भी लेकिन मुसल्मानों को दबाना शफ़्क़त के साथ होता है जैसे मां बच्चे को सीने से लगा कर चिपटाए और काफ़िर को सख़्ती से यहां तक कि पस्लियां इधर से उधर हो जाती हैं।

सुवाल क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन से क़ब्र में सुवाल नहीं होता ?

जवाब हां। जिन को ह़दीस शरीफ़ में मुस्तस्ना किया गया है जैसे अम्बिया عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام और जुमुअ़तुल मुबारक और रमज़ानुल मुबारक में मरने वाले मुसल्मान।

सुवाल क़ब्र में अ़ज़ाब फ़क़त़ काफ़िर पर होता है या मुसल्मान पर भी ?

जवाब काफ़िर तो अ़ज़ाब ही में रहेंगे और बा'ज़ गुनहगार मुसल्मानों पर भी अ़ज़ाब होता है। मुसल्मानों के सदक़ात, दुआ़, तिलावते क़ुरआन और दूसरे सवाब पहुंचाने के त़रीक़ों से उस में तख़्फ़ीफ़ या'नी कमी हो जाती है और **अल्लाह** पाक अपने करम से उस अ़ज़ाब को उठा देता है। बा'ज़ के नज़्दीक मुसल्मान पर से क़ब्र का अ़ज़ाब जुमुआ़ की रात आते ही उठा दिया जाता है।

सुवाल जो मुर्दे दफ़्न नहीं किये जाते उन से भी सुवालात होते हैं ?

जवाब जी हां। ख़्वाह दफ़्न किया जाए या न किया जाए या उसे कोई जानवर खा जाए, हर ह़ाल में उस से सुवालात होते हैं और अगर क़ाबिले अ़ज़ाब है तो अ़ज़ाब भी होता है।

सुवाल अ़ज़ाबे क़ब्र के बारे में अहले सुन्नत का अ़क़ीदा क्या है ?

जवाब अहले सुन्नत का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि अ़ज़ाबे क़ब्र और तन्ईमे क़ब्र रूह़ और जिस्म दोनों को होता है।[1] ह़ज़रते सय्यिदुना इमाम अह़मद बिन ह़म्बल رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ لَا يُنْكِرُهُ اِلَّا ضَالٌّ مُضِلٌّ या'नी अ़ज़ाबे क़ब्र ह़क़ है इस का इन्कार गुमराह और गुमराह गर के सिवा कोई नहीं करेगा।[2]

सुवाल क्या अ़ज़ाबे क़ब्र क़ुरआनो ह़दीस से साबित है ?

जवाब क़ुरआने पाक में है : ﴿سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّوْنَ اِلٰى عَذَابٍ عَظِيْمٍ﴾ **तरजमए कन्ज़ुल ईमान :**

1... बहारे शरीअ़त, 1/111, ह़िस्सा : 1 मुलख़्ख़सन

2... طبقات الحنابلہ، 1/166

जल्द हम उन्हें दो बार अ़ज़ाब करेंगे फिर बड़े अ़ज़ाब की त़रफ़ फेरे जाएंगे।[1] **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : عَذَابُ الْقَبْرِحَقٌّ या'नी अ़ज़ाबे क़ब्र ह़क़ है।[2]

सुवाल क्या अ़ज़ाबे क़ब्र से मह़फ़ूज़ रहने वाले भी लोग होंगे ?

जवाब जी हां ! शहीद अ़ज़ाबे क़ब्र से मह़फ़ूज़ रहता है।[3] रमज़ानुल मुबारक में फ़ौत होने वाला।[4] इसी त़रह़ रोज़े जुमुआ़ या शबे जुमुआ़ इन्तिक़ाल करने वाला।[5] रोज़ाना रात में تَبٰرَكَ الَّذِیْ بِیَدِهِ الْمُلْكُ (पूरी सूरत) पढ़ने वाला।[6] तिलावते क़ुरआन करने वाला।[7] इसी त़रह़ हर वोह मुसल्मान जिस से क़ब्र के सुवालात नहीं होंगे उसे अ़ज़ाबे क़ब्र भी नहीं होगा।[8] इमाम उ़मर नसफ़ी رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه ने फ़रमाया : फ़रमां बरदार मुसल्मान को अ़ज़ाबे क़ब्र नहीं होगा लेकिन उसे क़ब्र दबाएगी और वोह उस की तक्लीफ़ और ख़ौफ़ को मह़सूस भी करेगा।[9]

सुवाल बरज़ख़ किसे कहते हैं ?

जवाब मौत के वक़्त से दोबारा उठाए जाने तक दुन्या व आख़िरत के दरमियान बरज़ख़ या'नी पर्दा है पस जो फ़ौत हुवा वोह बरज़ख़ में दाख़िल हुवा।[10]

सुवाल बरज़ख़ पर क्या सुबूत है ?

1... पारह : 11, अत्तौबह : 101

2... بخاری، کتاب الجنائز، باب ماجاء فی عذاب القبر، 1/463، حدیث: 1372

3... ابن ماجہ، کتاب الجہاد، باب فضل الشہادۃ فی سبیل اللہ، 3/360، حدیث: 2799

4... बहारे शरीअ़त, 1/109, हिस्सा : 1 मफ़्हूमन

5... حلیۃ الاولیاء، محمد بن المنکدر، 3/181، رقم: 3629

6... ترمذی، کتاب فضائل القرآن، باب ماجاء فی فضل سورۃ الملک، 4/407، حدیث: 2900-2901 ماخوذا

7... معجم اوسط، 6/470، حدیث: 9438 مفہوما

8... تحفۃ المرید علی جوہرۃ التوحید، ص403

9... بحر الکلام، المبحث الاول سوال القبر وعذابہ، ص250

10... تفسیر قرطبی، پ18، المؤمنون، تحت الآیۃ: 100، 6/113

जवाब बरज़ख़ का सुबूत कुरआने पाक से है : ﴿وَمِنۡ وَّرَآئِهِمۡ بَرۡزَخٌ اِلٰى يَوۡمِ يُبۡعَثُوۡنَ﴾[1] **तरजमए कन्ज़ुल ईमान :** और उन के आगे एक आड़ है उस दिन तक जिस में उठाए जाएंगे। इमाम मुजाहिद رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡه ने इस आयत की तफ़्सीर में फ़रमाया : مَا بَيۡنَ الۡمَوۡتِ اِلَى الۡبَعۡثِ या'नी बरज़ख़ मौत और दोबारा ज़िन्दा किये जाने की दरमियानी मुद्दत है।[2]

सबक़ नम्बर 25 क़ियामत और इस की निशानियों का बयान

सुवाल क़ियामत किसे कहते हैं ?

जवाब जैसे हर चीज़ की एक उ़म्र मुक़र्रर है, उस के पूरे होने के बा'द वोह चीज़ फ़ना हो जाती है। ऐसे ही दुन्या की भी एक उ़म्र **अल्लाह** करीम के इ़ल्म में मुक़र्रर है। उस के पूरा होने के बा'द दुन्या फ़ना हो जाएगी। ज़मीन व आस्मान, आदमी, जानवर कोई भी बाक़ी न रहेगा। इस को "क़ियामत" कहते हैं जैसे आदमी के मरने से पहले बीमारी की शिद्दत, जान निकलने की अ़लामात ज़ाहिर होती हैं। ऐसे ही क़ियामत से पहले इस की निशानियां हैं।

सुवाल क़ियामत आने से पहले इस की क्या क्या अ़लामात ज़ाहिर होंगी ?

जवाब क़ियामत के आने से पहले दुन्या से इ़ल्म उठ जाएगा, आ़लिम बाक़ी न रहेंगे, जहालत फैल जाएगी, बदकारी और बे ह़याई ज़ियादा होगी, औ़रतों की ता'दाद मर्दों से बढ़ जाएगी। बड़े दज्जाल के सिवा तीस दज्जाल और होंगे, हर एक उन में से नुबुव्वत का दा'वा करेगा बा वुजूद येह कि हुज़ूर पुरनूर सय्यिदुल अम्बिया صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم पर नुबुव्वत ख़त्म हो चुकी। उन में से बा'ज़ दज्जाल तो गुज़र चुके जैसे मुसैलमा कज़्ज़ाब, अस्वद अ़नसी, मिरज़ा अ़ली मुह़म्मद बाब, मिरज़ा अ़ली हुसैन बहाउल्लाह, मिरज़ा ग़ुलाम अह़मद क़ादियानी, बा'ज़ और बाक़ी हैं वोह भी ज़रूर होंगे, माल की कसरत होगी, अ़रब में खेती, बाग़, नहरें हो जाएंगी, दीन पर क़ाइम रहना मुश्किल होगा। वक़्त बहुत जल्द गुज़रेगा, ज़कात देना लोगों को दुश्वार होगा, इ़ल्म को लोग दुन्या के लिये पढ़ेंगे, मर्द औ़रतों की इताअ़त करेंगे। मां बाप की ना फ़रमानी ज़ियादा होगी, शराब नोशी आ़म हो जाएगी, ना अहल सरदार बनाए जाएंगे, नहरे फ़ुरात से सोने का ख़ज़ाना खुलेगा। ज़मीन अपने अन्दर दफ़्न शुदा ख़ज़ाने उगल देगी, अमानत ग़नीमत या'नी मुफ़्त का माल समझी जाएगी, मस्जिदों में शोर मचेंगे, फ़ासिक़ सरदारी करेंगे, फ़ितना अंगेज़ों की इ़ज़्ज़त की जाएगी,

1.... पारह : 18, अल मुअमिनून : 100

2... تفسیرِ طبری،پ18،المومنون،تحت الآیۃ:100، 9/99، 243، حدیث:25658

गाने बाजे की कसरत होगी। पहले बुज़ुर्गों को लोग बुरा भला कहेंगे, कोड़े की नोक और जूते के तस्मे बातें करेंगे, दज्जाल, दाब्बतुल अर्द़ और याजूज माजूज निकलेंगे। ह़ज़रते इमाम महदी رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ज़ाहिर होंगे, ह़ज़रते ईसा عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام आस्मान से उतरेंगे, सूरज मग़रिब से तुलूअ़ होगा और तौबा का दरवाज़ा बन्द हो जाएगा।

सुवाल दज्जाल कौन है ?

जवाब दज्जाल का मा'ना है बहुत ज़ियादा झूटा शख़्स क्यूं कि दज्जाल भी ह़क़ के साथ बात़िल को मिला कर झूट बोलेगा इस लिये इसे दज्जाल कहा गया है, येह अव्वलन ख़ुद को मोमिन ज़ाहिर करेगा और लोगों को भलाई की त़रफ़ बुलाएगा लेकिन फिर नुबुव्वत का और आख़िर कार उलूहिय्यत (ख़ुदाई) का दा'वा करेगा, मश्हूर है कि इस की अस्ल यहूद से होगी।[1] ह़कीमुल उम्मत मुफ़्ती अह़मद यार ख़ान नईमी رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ फ़रमाते हैं : "दज्जाल दो क़िस्म के हैं : छोटे और बड़े। छोटे दज्जाल बहुत हुए और होंगे, हर झूटा नबी, झूटा मौलवी, सूफ़ी, जो लोगों को गुमराह करें वोह दज्जाल हैं। बड़ा दज्जाल सिर्फ़ एक है जो दा'वाए ख़ुदाई करेगा।"[2]

सुवाल दज्जाल के आने से पहले दुन्या में क्या हो रहा होगा ?

जवाब दज्जाल के निकलने से पहले दुन्या की बहुत बुरी ह़ालत होगी जैसा कि अह़ादीसे मुबारका के मज़ामीन से पता चलता है कि उस के निकलने से तीन साल पहले ही दुन्या में आ़म क़ह़त़ फैल जाएगा, पहले साल आस्मान एक तिहाई बारिश और ज़मीन एक तिहाई पैदावार रोक लेगी, दूसरे साल आस्मान दो तिहाई बारिश और ज़मीन दो तिहाई पैदावार जब कि तीसरे साल आस्मान सारी बारिश और ज़मीन सारी पैदावार रोक लेगी, ह़त्ता कि आस्मान शीशे का और ज़मीन तांबे की हो जाएगी, (इस ख़ुश्क साली के सबब) तमाम चौपाए हलाक हो जाएंगे, फ़ित्ने और क़त्लो ग़ारत गरी आ़म हो जाएगी, आदमी एक दूसरे को क़त्ल और जला वत़न कर रहे होंगे तब दज्जाल मशरिक़ की सम्त एक अस्बहान या ख़ुरासान नामी शह्‌र से निकलेगा। ग़िज़ाई क़ह़त़ के इलावा इल्मी व रूह़ानी क़ह़त़ भी बरपा होगा, दीन के सिल्सिले में लोगों में ज़ो'फ़ पैदा हो चुका होगा उ़लमा और दीनदार लोगों की क़िल्लत होगी।[3]

1... मिरआतुल मनाजीह़, 7/276
2... मिरआतुल मनाजीह़, 7/276
3... ترمذی، کتاب الفتن،باب ماجاء فی باب ماجاء من این یخرج الدجال،4/102،حدیث:2244-التذکرۃ للقرطبی، ص610،615

सुवाल दज्जाल का फ़ितना कैसा होगा ?

जवाब दज्जाल का फ़ितना तारीख़े इन्सानी की इब्तिदा से ले कर इन्तिहा तक के तमाम फ़ितनों से बड़ा और ख़तरनाक फ़ितना है, जिस की बड़ाई और शिद्दत का अन्दाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हर एक नबी عَلَیْہِ السَّلَام ने अपनी अपनी उम्मत को दज्जाल के फ़ितने से डराया था।[1]

सुवाल दज्जाल कितना अर्से रहेगा ?

जवाब दज्जाल ज़मीन पर चालीस दिन रहेगा जिन में से एक दिन एक साल के बराबर, एक दिन एक माह के बराबर और एक दिन एक हफ़्ते के बराबर जब कि बाक़ी अय्याम साल के आम दिनों की तरह होंगे।[2]

सुवाल दज्जाल की मौत कैसे होगी ?

जवाब **अल्लाह** पाक हज़रते ईसा عَلَیْہِ السَّلَام को आस्मान से नाज़िल फ़रमाएगा, आप عَلَیْہِ السَّلَام को देखते ही दज्जाल ऐसे घुलेगा जैसे पानी में नमक घुलता है और आप عَلَیْہِ السَّلَام दज्जाल को मक़ामे लुद पर क़त्ल करेंगे और उस के पैरौकारों में से किसी एक को भी ज़िन्दा न छोड़ेंगे।[3]

सुवाल दज्जाल के ख़ुरूज के बारे में ए'तिक़ाद रखने का क्या हुक्म है ?

जवाब दज्जाल और (क़ुर्बे क़ियामत) इस के ज़ाहिर होने पर ए'तिक़ाद रखना बरहक़ और येही अहले सुन्नत बिल उमूम फ़ुक़हाए किराम और मुहद्दिसीने इज़ाम का मस्लक है।[4]

सुवाल दाब्बतुल अर्द क्या चीज़ है ?

जवाब दाब्बतुल अर्द एक अजीब शक्ल का जानवर है जो कोहे सफ़ा से ज़ाहिर हो कर तमाम शहरों में निहायत जल्द फिरेगा, फ़साहत के साथ कलाम करेगा। हर शख़्स पर एक निशानी लगाएगा, ईमानदारों

---

1 ... ترمذی، کتاب الفتن باب ماجاء فی الدجّال، 4/100، حدیث: 2241 ماخوذا
2 ... مسلم، کتاب الفتن واشراط الساعۃ، باب ذکر الدجال وصفتہ ومامعہ، ص1200، حدیث: 7373
3 ... مسلم، کتاب الفتن واشراط الساعۃ، باب ذکر الدجال وصفتہ ومامعہ، ص1200، حدیث: 7373 ماخوذا
4 ... التذکرۃ للقرطبی، ص612

की पेशानी पर अ़साए मूसा عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام से एक नूरानी ख़त़ खींचेगा। काफ़िर की पेशानी पर ह़ज़रते सुलैमान عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام की अंगुश्तरी या'नी अंगूठी से काली मोहर करेगा।

सुवाल याजूज माजूज कौन हैं ?

जवाब येह याफ़िस बिन नूह़ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام की औलाद में से फ़सादी गुरोह हैं, इन की ता'दाद बहुत ज़ियादा है। वोह ज़मीन में फ़साद करते थे, अय्यामे रबीअ़ या'नी फ़स्ल पकने के ज़माने में निकलते, सब्ज़ा ज़रा न छोड़ते, आदमियों को खा लेते और जंगल के दरिन्दों, वह़शी जानवरों, सांपों, बिच्छूओं को खा जाते थे, ह़ज़रते सिकन्दर ज़ुल क़रनैन ने लोहे की दीवार खींच कर इन की आमद बन्द कर दी। ह़ज़रते ईसा عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام के नुज़ूल के बा'द जब आप दज्जाल को क़त्ल कर के ब हुक्मे इलाही मुसल्मानों को कोहे तूर पर ले जाएंगे उस वक़्त वोह दीवार तोड़ कर निकलेंगे और ज़मीन में फ़साद करेंगे, क़त्लो ग़ारत करेंगे **अल्लाह** पाक उन्हें ह़ज़रते ईसा عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام की दुआ़ से हलाक करेगा।

सुवाल ह़ज़रते इमाम महदी رَضِىَ اللّٰهُ عَنْه का कुछ ह़ाल बयान फ़रमाइये।

जवाब ह़ज़रते इमाम महदी رَضِىَ اللّٰهُ عَنْه ख़लीफ़तुल्लाह हैं। आप رَضِىَ اللّٰهُ عَنْه हु़ज़ूर नबिय्ये करीम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की आल में से ह़सनी सय्यिद होंगे, जब दुन्या में कुफ़्र फैल जाएगा और इस्लाम ह़रमैने शरीफ़ैन या'नी मक्कए मुकर्रमा और मदीनए मुनव्वरह की त़रफ़ सिमट जाएगा, औलिया व अब्दाल वहां को हिजरत कर जाएंगे। माहे रमज़ान में अब्दाल का'बे शरीफ़ के त़वाफ़ में मश्ग़ूल होंगे वहां औलिया ह़ज़रते महदी رَضِىَ اللّٰهُ عَنْه को पहचान कर उन से बैअ़त की दरख़्वास्त करेंगे। आप رَضِىَ اللّٰهُ عَنْه इन्कार फ़रमाएंगे, ग़ैब से निदा आएगी : هٰذَا خَلِيْفَةُ اللّٰهِ الْمَهْدِىُّ فَاسْمَعُوْا لَهٗ وَاَطِيْعُوْهُ "येह **अल्लाह** पाक के ख़लीफ़ा महदी हैं इन का हुक्म सुनो और इत़ाअ़त करो।" लोग आप رَضِىَ اللّٰهُ عَنْه के दस्ते मुबारक पर बैअ़त करेंगे वहां से मुसल्मानों को साथ ले कर शाम तशरीफ़ ले जाएंगे। आप का ज़माना बड़ी ख़ैरो बरकत का होगा, ज़मीन अ़दलो इन्साफ़ से भर जाएगी।

सुवाल ह़ज़रते मसीह़ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام के नुज़ूल का मुख़्तसर ह़ाल बयान कीजिये।

जवाब जब दज्जाल का फ़ितना इन्तिहा को पहुंच चुकेगा और वोह मल्ऊ़न तमाम दुन्या में फिर कर मुल्के शाम में जाएगा उस वक़्त ह़ज़रते ईसा عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام दिमश्क़ की जामेअ़ मस्जिद के शर्क़ी मनारे पर नुज़ूल फ़रमाएंगे। आप عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام की नज़र जहां तक जाएगी वहां तक ख़ुश्बू पहुंचेगी और आप عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام की ख़ुश्बू से दज्जाल पिघलने लगेगा और भागेगा। आप عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام दज्जाल को बैतुल

मुक़द्दस के क़रीब मक़ामे लुद में क़त्ल करेंगे। इन का ज़माना बड़ी ख़ैरो बरकत का होगा, माल की कसरत होगी। ज़मीन अपने ख़ज़ाने निकाल कर बाहर करेगी। लोगों को माल से रग़बत न रहेगी, यहूदिय्यत, नसरानिय्यत और तमाम बातिल दीनों को आप عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام मिटा डालेंगे। आप عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام के अ़हदे मुबारक में एक दीन होगा, इस्लाम। तमाम काफ़िर ईमान ले आएंगे और सारी दुन्या अहले सुन्नत होगी। अम्नो अमान का येह आ़लम होगा कि शेर बकरी एक साथ चरेंगे। बच्चे सांपों से खेलेंगे। बुग़्ज़ो ह़सद का नामो निशान न रहेगा। जिस वक़्त आप عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام का नुज़ूल होगा फ़ज्र की जमाअ़त खड़ी होती होगी। ह़ज़रते इमाम महदी رَضِیَ اللّٰهُ عَنْه आप عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام को देख कर आप से इमामत की दरख़्वास्त करेंगे। आप उन्हीं को आगे बढ़ाएंगे और ह़ज़रते इमाम महदी رَضِیَ اللّٰهُ عَنْه के पीछे नमाज़ अदा फ़रमाएंगे। एक रिवायत में है कि ह़ज़रते ईसा عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام ने हुज़ूर सय्यिदुल अम्बिया عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام की शान व सिफ़त और आप صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की उम्मत की इ़ज़्ज़तो करामत देख कर उम्मते मुह़म्मदी عَلٰى صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام में दाख़िल होने की दुआ़ की। **अल्लाह** पाक ने आप عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام की दुआ़ क़बूल फ़रमाई और आप عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام को वोह बक़ा अ़ता फ़रमाई कि आख़िर ज़माने में उम्मते मुह़म्मदिय्यह عَلٰى صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام के इमाम हो कर नुज़ूल फ़रमाएंगे आप عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام नुज़ूल के बा'द बरसों दुन्या में रहेंगे, निकाह़ करेंगे फिर वफ़ात पा कर हुज़ूर सय्यिदे अम्बिया صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के पहलू में मदफ़ून होंगे।

सुवाल आफ़्ताब के मग़रिब से तुलूअ़ करने और तौबा का दरवाज़ा बन्द होने की कैफ़िय्यत बयान फ़रमाइये।

जवाब रोज़ाना आफ़्ताब बारगाहे इलाही में सज्दा कर के इज़्न चाहता है, इज़्न होता है तब तुलूअ़ करता है। क़ुर्बे क़ियामत जब दाब्बतुल अर्द़ निकलेगा, ह़स्बे मा'मूल आफ़्ताब सज्दा कर के तुलूअ़ होने की इजाज़त चाहेगा। इजाज़त न मिलेगी और हुक्म होगा कि वापस जा। तब आफ़्ताब मग़रिब से तुलूअ़ होगा और निस्फ़ आस्मान तक आ कर लौट जाएगा और जानिबे मग़रिब ग़ुरूब करेगा। इस के बा'द फिर पहले की त़रह़ मशरिक़ से तुलूअ़ किया करेगा, आफ़्ताब के मग़रिब से तुलूअ़ करते ही तौबा का दरवाज़ा बन्द कर दिया जाएगा फिर किसी का ईमान लाना मक़्बूल न होगा।

सुवाल क़ियामत कब क़ाइम होगी।

जवाब इस का इ़ल्म तो ख़ुदा को है और उस के बताने से हुज़ूर صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم को है। हमें इस क़दर मा'लूम है कि जब येह सब अ़लामतें ज़ाहिर हो चुकेंगी और रूए ज़मीन पर कोई ख़ुदा का नाम लेने वाला

बाक़ी न रहेगा तब ह़ज़रते इसराफ़ील عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام ब हुक्मे इलाही सूर फूंकेंगे। उस की आवाज़ शुरूअ़ शुरूअ़ में तो बहुत नर्म होगी और आहिस्ता आहिस्ता बुलन्द होती चली जाएगी। लोग उस को सुनेंगे और बेहोश हो कर गिर पड़ेंगे और मर जाएंगे, ज़मीनो आस्मान और तमाम जहान फ़ना हो जाएगा। फिर जब **अल्लाह** करीम चाहेगा ह़ज़रते इसराफ़ील को ज़िन्दा करेगा और दोबारा सूर फूंकने का हुक्म देगा। सूर फूंकते ही फिर सब कुछ मौजूद हो जाएगा। मुर्दे क़ब्रों से उठेंगे। नामए आ'माल उन के हाथों में दे कर मह़शर में लाए जाएंगे। वहां जज़ा और ह़िसाब के लिये मुन्तज़िर खड़े होंगे। आफ़्ताब निहायत तेज़ी पर और सरों से बहुत क़रीब ब क़दर एक मील होगा। शिद्दते गरमी से दिमाग़ खौलते होंगे, इस कसरत से पसीना निकलेगा कि सत्तर गज़ ज़मीन में जज़्ब हो जाएगा फिर जो पसीना ज़मीन न पी सकेगी वोह ऊपर चढ़ेगा, किसी के टख़्नों तक होगा, किसी के घुटनों तक, किसी के कमर, किसी के सीने, किसी के गले तक, और काफ़िर के तो मुंह तक चढ़ कर मिस्ल लगाम के जकड़ जाएगा। हर शख़्स ह़स्बे ह़ाल व आ'माल होगा, फिर पसीना भी निहायत बदबूदार होगा।

सुवाल ह़श्रो नश्र या'नी क़ियामत के बारे में क्या अ़क़ीदा है ?

जवाब ह़श्रो नश्र का अ़क़ीदा ज़रूरिय्याते दीन में से है। इस बात पर उम्मत का इज्माअ़ है कि ह़श्रो नश्र का इन्कार करने वाला काफ़िर है।(1)

सुवाल क़ियामत की मुसीबत से लोगों को कैसे नजात मिलेगी ?

जवाब इस ह़ालत में तवील अ़र्सा गुज़रेगा। पचास हज़ार साल का तो वोह दिन होगा और इस ह़ालत में आधा गुज़र जाएगा। लोग सिफ़ारिशी तलाश करेंगे जो इस मुसीबत से नजात दिलाए और जल्द ह़िसाब शुरूअ़ हो। अम्बिया عَلَیْہِمُ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام की बारगाह में ह़ाज़िरी होगी लेकिन मक़्सद पूरा न होगा। आख़िर में हुज़ूरे पुरनूर, सय्यिदे अम्बिया, रह़मते आ़लम, मुह़म्मदे मुस्तफ़ा صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के हुज़ूर में फ़रियाद लाएंगे और शफ़ाअ़त या'नी सिफ़ारिश की दरख़्वास्त करेंगे। हुज़ूरे पुरनूर صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم फ़रमाएंगे : "اَنَا لَهَا" मैं इस के लिये मौजूद हूं। येह फ़रमा कर हुज़ूर صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم बारगाहे इलाही में सज्दा करेंगे। **अल्लाह** पाक की त़रफ़ से इर्शाद होगा يَا مُحَمَّدُ اِرْفَعْ رَاْسَكَ قُلْ تُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَهْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ "ऐ मुह़म्मद صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم सज्दे से सर उठाइये, बात कहिये सुनी जाएगी, शफ़ाअ़त कीजिये, क़बूल की जाएगी।" हुज़ूर صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم की येह शफ़ाअ़त तो तमाम अहले मह़शर के लिये है जो शदीद डर और ख़ौफ़ की वज्ह

1 ...المعتقد المنتقد مع المعتمد، ص180 ملخصا

से फ़रियाद कर रहे होंगे और येह चाहते होंगे कि ह़िसाब फ़रमा कर उन के लिये हुक्म दे दिया जाए। अब ह़िसाब शुरूअ़ होगा। मीज़ाने अ़मल में आ'माल तोले जाएंगे, आ'माल नामे हाथों में होंगे। अपने ही हाथ, पाउं, बदन के आ'ज़ा अपने ख़िलाफ़ गवाहियां देंगे। ज़मीन के जिस ह़िस्से पर कोई अ़मल किया था वोह भी गवाही देने को तय्यार होगा। अ़जीब परेशानी का वक़्त होगा कोई यार न ग़म गुसार। न बेटा बाप के काम आ सकेगा न बाप बेटे के। आ'माल की पुरसिश या'नी पूछगछ है। ज़िन्दगी भर का किया हुवा सब सामने है। न गुनाह से मुकर सकता है, न कहीं से नेकियां मिल सकती हैं।[1]

सुवाल इस मुश्किल घड़ी में हुज़ूर صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم अपने चाहने वालों की कैसे मदद फ़रमाएंगे ?

जवाब इस बे कसी के वक़्त में बे कसों के मददगार, हुज़ूरे पुरनूर, मह़बूबे ख़ुदा, मुह़म्मदे मुस्त़फ़ा صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم काम आएंगे और अपने नियाज़ मन्दों और उम्मीद वारों की शफ़ाअ़त फ़रमाएंगे। हुज़ूर صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की शफ़ाअ़तें कई त़रह़ की होंगी बहुत लोग तो आप की शफ़ाअ़त से बे ह़िसाब दाख़िले जन्नत होंगे और बहुत लोग जो दोज़ख़ के मुस्तह़िक़ होंगे हुज़ूर صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की शफ़ाअ़त से दुख़ूले दोज़ख़ से बचेंगे और जो गुनाहगार मोमिन दोज़ख़ में पहुंच चुके होंगे वोह हुज़ूर صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की शफ़ाअ़त से दोज़ख़ से निकाले जाएंगे। अहले जन्नत भी आप صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की शफ़ाअ़त से फ़ैज़ पाएंगे उन के दरजात बुलन्द किये जाएंगे। बाक़ी और अम्बियाओ मुरसलीन عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام व सह़ाबए किराम व शुहदा व उ़लमा व औलिया رِضْوَانُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن अपने मुतवस्सिलीन या'नी वसीला ढूंडने वालों की शफ़ाअ़त करेंगे। लोग उ़लमा को अपने तअ़ल्लुक़ात याद दिलाएंगे, अगर किसी ने आ़लिम को दुन्या में वुज़ू के लिये पानी ला कर दिया होगा तो वोह भी याद दिला कर शफ़ाअ़त की दरख़्वास्त करेगा और वोह उस की शफ़ाअ़त करेंगे।

सुवाल मह़शर की होलनाकियों, आफ़्ताब की नज़्दीकी से भेजे खौलने, बदबूदार पसीनों की तकालीफ़ और इन मुसीबतों में हज़ारहा बरस की मुद्दत तक मुब्तला और परेशान रहने का जो बयान फ़रमाया येह सब के लिये है या **अल्लाह** पाक के कुछ बन्दे इस से मुस्तस्ना भी हैं या'नी इस में शामिल नहीं ?

जवाब इन अहवाल में से कुछ भी अम्बिया عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام व औलिया व अत्क़िया (परहेज़ गार) व सुलह़ा (नेक) رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُم को न पहुंचेगा वोह **अल्लाह** पाक के करम से इन सब आफ़्तों और मुसीबतों से

1... किताबुल अ़क़ाइद, स. 33 तसहीलन

मह़फ़ूज़ होंगे । क़ियामत का पचास हज़ार बरस का दिन जिस में न एक लुक़्मा खाने को मुयस्सर होगा, न एक क़त्‌रा पीने को, न एक झोंका हवा का । ऊपर से आफ़्ताब की गरमी भून रही होगी, नीचे ज़मीन की तपिश, अन्दर से भूक की आग लगी होगी । प्यास से गरदनें टूटी जाती होंगी, सालहा साल की मुद्दत खड़े खड़े बदन कैसा दुखा हुवा होगा, शिद्दते ख़ौफ़ से दिल फटे जाते होंगे । इन्तिज़ार में आंखें उठी होंगी, बदन का पुरज़ा पुरज़ा लरज़ता कांपता होगा, वोह त़वील दिन **अल्लाह** पाक के फ़ज़्ल से उस के ख़ास बन्दों के लिये एक फ़र्ज़ नमाज़ के वक़्त से ज़ियादा हलका और आसान होगा ।

सबक़ नम्बर 26 — ह़िसाब का बयान

ह़िसाब ह़क़ है, या'नी क़ुरआनो सुन्नत और इज्माअ़ से साबित है । मोमिन, काफ़िर, इन्सान और जिन्नात सब का ह़िसाब होगा सिवाए उन के जिन का इस्तिस्ना किया गया है ।(1) ह़िसाब का मुन्किर काफ़िर है ।(2)

सुवाल मीज़ान से क्या मुराद है ?

जवाब मीज़ान से मुराद वोह तराज़ू है जिस में क़ियामत के दिन बन्दों के आ'माल तोले जाएंगे, नेक भी बद भी, क़ौल भी फ़े'ल भी, काफ़िरों के भी मोमिनों के भी ।

सुवाल ह़िसाब क्या है ?

जवाब ह़िसाब का लुग़वी मा'ना है "शुमार करना" और इस्तिलाही मा'ना है "**अल्लाह** पाक का लोगों को मह़शर से पलटने से पहले उन के आ'माल से आगाह करना ।"(3)

सुवाल क्या क़ियामत के दिन सब का ह़िसाब लिया जाएगा ?

जवाब **अल्लाह** के बा'ज़ मुसल्मान बन्दे ऐसे भी होंगे जो बिग़ैर ह़िसाब के जन्नत में जाएंगे ।

सुवाल फ़िरिश्ते जो आ'माल नामे दुन्या में लिखते हैं उन का क्या बनेगा ?

1 ... تحفۃ المرید علی جوہرۃ التوحید، ص413 ملتقطا
2 ... شرح الصّاوی علی جوہرۃ التوحید، ص378
3 ... شرح الصّاوی علی جوہرۃ التوحید، ص376

जवाब क़ियामत के दिन हर शख़्स को उस का नामए आ'माल दिया जाएगा जो फ़िरिश्ते लिखते हैं, नेकों के नामए आ'माल दाह्ने हाथ में दिये जाएंगे और बदों के बाएं में।

सबक़ नम्बर 27 पुल सिरात़ का बयान

सुवाल सिरात़ किसे कहते हैं ?

जवाब जहन्नम के ऊपर एक पुल है उस को "सिरात़" कहते हैं। येह बाल से ज़ियादा बारीक तल्वार से ज़ियादा तेज़ है।

सुवाल पुल सिरात़ के बारे में अहले सुन्नत का अ़क़ीदा क्या है ?

जवाब सिरात़ ह़क़ है। इस पर ईमान लाना वाजिब[1] और इस का इन्कार गुमराही है।[2]

सुवाल पुल सिरात़ की मसाफ़त कितनी है ?

जवाब पुल सिरात़ का सफ़र तीन हज़ार साल की राह है, एक हज़ार साल ऊपर चढ़ने के, हज़ार साल नीचे उतरने के और हज़ार साल उस की सत़्ह़ पर चलने के।[3] जब कि ह़ज़रते फ़ुज़ैल बिन इयाज़ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه से मन्क़ूल है : पुल सिरात़ का सफ़र पन्दरह हज़ार साल की राह है, पांच हज़ार साल ऊपर चढ़ने के, पांच हज़ार साल नीचे उतरने के और पांच हज़ार साल (उस की पुश्त पर) चलने के।[4]

सुवाल क्या कोई पुल सिरात़ से गुज़रे बिग़ैर भी जन्नत में जा सकता है ?

जवाब नहीं, सब को उस पर से गुज़रना है, जन्नत का येही रास्ता है।

﴿وَ اِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَاۚ كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِیًّا﴾ **तरजमए कन्ज़ुल ईमान :** और तुम में कोई ऐसा नहीं जिस का गुज़र दोज़ख़ पर न हो तुम्हारे रब के ज़िम्मे पर येह ज़रूर ठहरी हुई बात है।[5] ह़ज़रते सय्यिदुना अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊ़द, ह़ज़रते सय्यिदुना ह़सन और ह़ज़रते सय्यिदुना क़तादा رَضِیَ اللهُ عَنْهُم से रिवायत है कि जहन्नम

1... شرح الصاوی علی جوہرۃ التوحید، ص389

2... المعتقد مع المعتمد، ص335

3... تفسیر قرطبی، پ30، البلد، تحت الآیۃ:11، 10/47

4... البدور السافرۃ، ص334

5... पारह : 16, मरयम : 71

पर वारिद होने से मुराद पुल सिरात़ पर से गुज़रना है जो कि जहन्नम के ऊपर बिछाया गया है।[1]

सुवाल पुल सिरात़ से गुज़रने में सब की ह़ालत एक जैसी होगी या मुख़्तलिफ़ ?

जवाब इस पुल पर गुज़रने में लोगों की ह़ालत जुदागाना होगी, जिस दरजे का शख़्स होगा उस के लिये ऐसी ही आसानी या दुश्वारी होगी बा'ज़ तो बिजली चमक्ने की त़रह़ गुज़र जाएंगे। अभी इधर थे, अभी उधर पहुंचे। बा'ज़े हवा की त़रह़, बा'ज़े तेज़ घोड़े की त़रह़, बा'ज़े आहिस्ता आहिस्ता, बा'ज़े गिरते पड़ते लरज़ते लंगड़ाते और बा'ज़े जहन्नम में गिर जाएंगे। कुफ़्फ़ार के लिये बड़ी ह़सरत का वक़्त होगा जब वोह पुल से गुज़र न सकेंगे और जहन्नम में गिर पड़ेंगे और ईमानदारों को देखेंगे कि वोह उसी पुल पर बिजली की त़रह़ गुज़र गए या तेज़ हवा की त़रह़ उड़ गए या सरीउ़स्सैर या'नी तेज़ रफ़्तार घोड़े की त़रह़ दौड़ गए।

सबक़ नम्बर 28

ह़ौज़े कौसर का बयान

सुवाल ह़ौज़े कौसर क्या चीज़ है ?

जवाब येह एक ह़ौज़ है जिस की तह मुश्क या'नी कस्तूरी की है, याक़ूत और मोतियों पर जारी है, दोनों किनारे सोने के हैं और उन पर मोतियों के क़ुब्बे या'नी गुम्बद नस्ब हैं उस के बरतन (कूज़े) आस्मान के सितारों से ज़ियादा हैं।

सुवाल ह़ौज़े कौसर का पानी कैसा होगा ?

जवाब उस का पानी दूध से ज़ियादा सफ़ेद, शहद से ज़ियादा शीरीं, मुश्क से ज़ियादा ख़ुश्बूदार है। जो एक मरतबा पियेगा फिर कभी प्यासा न होगा।

सुवाल येह ह़ौज़ किसे अ़त़ा किया जाएगा ?

जवाब **अल्लाह** पाक ने येह ह़ौज़ अपने ह़बीबे अकरम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم को अ़त़ा फ़रमाया है। ह़ुज़ूर صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم उस से अपनी उम्मत को सैराब फ़रमाएंगे।

सुवाल आख़िरत में **रसूलुल्लाह** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم को जो ह़ौज़ अ़त़ा किया जाएगा उस के बारे में अ़क़ीदए अहले सुन्नत क्या है ?

1 ... تفسیر البحر المحیط، مریم، تحت الآیۃ:71، 6/197

जवाब इस पर ईमान रखना वाजिब है, जो इस का इन्कार करे वोह फ़ासिक़ व बिद्अ़ती है।[1]

सुवाल हि़साब के बा'द आदमी कहां जाएंगे ?

जवाब मुसल्मान जन्नत में और काफ़िर दोज़ख़ में।

सुवाल क्या सब मुसल्मान जन्नत में जाएंगे और सब काफ़िर दोज़ख़ में ? और येह दोनों जन्नत और दोज़ख़ में कितना अ़र्सा रहेंगे ?

जवाब नेक मुसल्मान और वोह गुनाहगार मुसल्मान जिन के गुनाह **अल्लाह** करीम अपने करम और अपने मह़बूब صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की और दीगर नेक बन्दों की शफ़ाअ़त से बख़्श दे वोह सब के सब जन्नत में रहेंगे और बा'ज़ गुनहगार मुसल्मान जो दोज़ख़ में जाएंगे वोह भी जितना अ़र्सा ख़ुदा चाहे दोज़ख़ के अ़ज़ाब में मुब्तला रह कर आख़िर कार नजात पाएंगे और काफ़िर सब के सब जहन्नम में जाएंगे और हमेशा उसी में रहेंगे।

सुवाल क्या जन्नत और दोज़ख़ पैदा हो चुकी हैं या पैदा की जाएंगी ?

जवाब जन्नत और दोज़ख़ पैदा हो चुकी हैं और हज़ारों बरस से मौजूद हैं।

सबक़ नम्बर 29

जन्नत का बयान

सुवाल इस दुन्या के बा'द भी क्या कोई दार या'नी मकान है ?

जवाब जी हां ! **अल्लाह** पाक ने इस दुन्या के सिवा दो और अ़ज़ीमुश्शान दार पैदा किये हैं एक दारुन्नईम या'नी ने'मत की जगह है उस का नाम "जन्नत" है। एक दारुल अ़ज़ाब या'नी अ़ज़ाब की जगह है उस को "दोज़ख़" कहते हैं।

सुवाल जन्नत क्या है ?

जवाब जन्नत एक मकान है जो **अल्लाह** करीम ने ईमान वालों के लिये बनाया है।

सुवाल जन्नत के बारे में क्या अ़क़ीदा है ?

जवाब जन्नत बरह़क़ है जिस का मुन्किर काफ़िर है, यूं ही जो शख़्स जन्नत को तो माने मगर इस के नए मा'ना घड़े (मसलन सवाब के मा'ना अपनी ह़सनात को देख कर ख़ुश होना) वोह ह़क़ीक़तन जन्नत का

1 ...شرح الصاوی علی جوہرۃ التوحید، ص398، تحفۃ المرید، ص442

मुन्किर है और ऐसा शख़्स भी काफ़िर है।[1] जन्नत पैदा हो चुकी है और अब भी मौजूद है, येह नहीं कि अभी तक पैदा न हुई और बरोज़े क़ियामत पैदा की जाएगी।[2]

सुवाल जन्नत में किस तरह की ने'मतें हैं ?

जवाब जन्नत में **अल्लाह** पाक ने अपने ईमानदार बन्दों के लिये अन्वाओ़ अक़्साम की ऐसी ने'मतें जम्अ़ फ़रमाई हैं जिन तक आदमी का वहमो ख़याल नहीं पहुंचता, न ऐसी ने'मतें किसी आंख ने देखीं, न किसी कान ने सुनीं, न किसी दिल में उन का ख़याल गुज़रा। उन का वस्फ़ पूरी तरह बयान में नहीं आ सकता। **अल्लाह** पाक अ़ता फ़रमाए तो वहीं उन की क़द्र मा'लूम होगी।

सुवाल दारोग़ए जन्नत या'नी जन्नत के निगरान का क्या नाम है ?

जवाब ह़ज़रते रिज़्वान عَلَيْهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام है।

सुवाल जन्नत कितनी बड़ी है ?

जवाब जन्नत की वुस्अ़त का येह बयान है कि उस में सो दरजे हैं हर दरजे से दूसरे दरजे तक इतना फ़ासिला है जितना आस्मान व ज़मीन के दरमियान। अगर तमाम जहां एक दरजे में जम्अ़ हो तो एक दरजा सब के लिये किफ़ायत करे। दरवाज़े इतने वसीअ़ कि एक बाज़ू से दूसरे तक तेज़ घोड़े की सत्तर बरस की राह है।[3]

सुवाल जन्नतियों की कितनी अक़्साम हैं ?

जवाब जन्नती अफ़्राद की तीन क़िस्में होंगी : कस्बी, वह्बी, अ़ताई। (1) कस्बी जन्नती वोह हैं जो आ'माल की बरकत से जन्नत में जाएंगे, (2) वह्बी वोह जो किसी जन्नती के तुफ़ैल जन्नत में जाएंगे जैसे मुसल्मानों के छोटे बच्चे और (3) अ़ताई जन्नती वोह मख़्लूक़ होगी जिसे **अल्लाह** पाक जन्नत को भरने के लिये पैदा फ़रमाएगा।[4]

सुवाल क्या जन्नत में इन्सानों के इ़लावा भी कोई होगा ?

1... बहारे शरीअ़त, 1/150, 151, हिस्सा : 1 माख़ूज़न

2... منح الروض الازہر، ص176 ماخوذاً

3... किताबुल अ़क़ाइद, स. 38

4... मिरआतुल मनाजीह़, 7/475, 476 माख़ूज़न

जवाब जन्नत में **अल्लाह** पाक के नेक बन्दों के इ़लावा उन की ख़िदमत के लिये हूरो ग़िल्मान होंगे।

सुवाल ग़िल्मान किसे कहते हैं ?

जवाब जन्नत के वोह नौ उ़म्र, पाकीज़ा सूरत व लिबास वाले लड़के जो हर वक़्त जन्नतियों की ख़िदमत पर मामूर होंगे, जो बिहिश्ती ने'मतों के जाम व साग़र या'नी पैमाने और पियाले लिये जन्नत की हूरों और जन्नतियों के पास गर्दिश कर रहे होंगे।

सुवाल जन्नत में और क्या चीज़ें होंगी ?

जवाब इस का मुख़्तसर सा बयान येह है कि जन्नत में साफ़, शफ़्फ़ाफ़, चमकदार सफ़ेद मोती के बड़े बड़े ख़ैमे नस्ब हैं, उन में रंगारंग, अ़जीबो ग़रीब, नफ़ीस फ़र्श हैं उन पर याक़ूते सुर्ख़ के मिम्बर हैं। शहद व शराब की नहरें जारी हैं उन के किनारों पर मुरस्सअ़ या'नी नगीने जड़े तख़्त बिछे हैं। जन्नत के बाग़ात के दरमियान याक़ूत के क़ुसूर व मह़ल्लात बनाए गए हैं उन में येह हूरें जल्वा गर हैं। परवर्दगारे करीम की त़रफ़ से हर घड़ी अन्वाओ़ अक़्साम के तोह़फ़े और हदिय्ये पहुंचते हैं। हमेशा की ज़िन्दगी अ़त़ा की गई। हर ख़्वाहिश बिला ताख़ीर पूरी होती है। दिल में जिस चीज़ का ख़याल आया वोह फ़ौरन ह़ाज़िर। किसी क़िस्म का ख़ौफ़ व ग़म नहीं। हर साअ़त हर आन ने'मतों में हैं। जन्नती नफ़ीस व लज़ीज़ ग़िज़ाएं, लत़ीफ़ मेवे खाते हैं। बिहिश्ती नहरों से दूध शराब शहद वग़ैरा पीते हैं। उन नहरों की ज़मीन चांदी की, संगरेज़े जवाहिरात के, मिट्टी ख़ालिस मुश्क की, सब्ज़ा ज़ा'फ़रान का है। उन नहरों से नूरानी पियाले भर कर वोह जाम पेश करते हैं जिन से आफ़्ताब शरमाए।

सुवाल क्या जन्नती जन्नत में हमेशा रहेंगे ?

जवाब जी हां ! एक मुनादी अहले जन्नत को निदा करेगा ऐ बिहिश्त वालो ! तुम्हारे लिये सिह़्ह़त है कभी बीमार न होगे। तुम्हारे लिये ह़यात है कभी न मरोगे। तुम्हारे लिये जवानी है बूढ़े न होगे। तुम्हारे लिये ने'मतें हैं कभी मोह़ताज न होगे।

सुवाल जन्नत में जन्नतियों के लिये सब से बड़ी ने'मत क्या होगी ?

जवाब तमाम ने'मतों से बढ़ कर सब से प्यारी दौलत ह़ज़रते रब्बुल इ़ज़्ज़त का दीदार है जिस से अहले जन्नत की आंखें मुस्तफ़ीद होती रहेंगी।

सुवाल सब से कम दरजे के जन्नती को क्या मिलेगा ?

जवाब सब से कम दरजे वाले जन्नती को भी बाग़ात, तख़्त, हूरें और ख़ुद्दाम मिलेंगे।

सबक़ नम्बर 30

दोज़ख़ का बयान

सुवाल दोज़ख़ क्या है ?

जवाब येह एक मकान है जो ज़ालिमों, सरकशों के अ़ज़ाब के लिये बनाया गया है, इस में सख़्त अंधेरा और तेज़ आग है। इस में सत्तर हज़ार वादियां हैं, हर वादी में सत्तर हज़ार घाटियां, हर घाटी में सत्तर हज़ार अज़्दहे बहुत बड़े सांप और सत्तर हज़ार बिच्छू हैं। हर काफ़िर व मुनाफ़िक़ को उन घाटियों में ज़रूर पहुंचना है।

सुवाल दोज़ख़ कहां है और उस की गहराई कितनी है ?

जवाब दोज़ख़ सातवीं ज़मीन के नीचे है।[1] दोज़ख़ की ह़क़ीक़ी गहराई तो **अल्लाह** पाक ही जानता है या उस के बताए से नबिय्ये करीम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, अलबत्ता ह़दीसे पाक में इतना फ़रमाया गया है कि अगर पथ्थर की चटान जहन्नम के किनारे से उस में फेंकी जाए तो सत्तर बरस में भी तह तक न पहुंचेगी[2] और अगर इन्सान के सर के बराबर सीसे का गोला आस्मान से ज़मीन की त़रफ़ फेंका जाए तो रात आने से पहले ज़मीन तक पहुंच जाएगा, ह़ालां कि येह पांच सो बरस की राह है।[3]

सुवाल ह़िसाबो किताब के बा'द लोगों पर क्या मुसीबत त़ारी होगी ?

जवाब क़ियामत की मुसीबतें झेल कर अभी लोग उस की तक्लीफ़ और ख़ौफ़ में मुब्तला होंगे कि अचानक उन को अंधेरियां घेर लेंगी और लपट मारने वाली आग उन पर छा जाएगी और उस के ग़ैज़ो ग़ज़ब की आवाज़ सुनने में आएगी। उस वक़्त बदकारों को अ़ज़ाब का यक़ीन होगा और लोग घुटनों के बल गिर पड़ेंगे और फ़िरिश्ते निदा करेंगे कहां है फ़ुलां फ़ुलां का बेटा ! जिस ने दुन्या में लम्बी उम्मीदें बांध कर अपनी ज़िन्दगी को बदकारी में ज़ाएअ़ किया। अब येह मलाएका उन लोगों को आहनी गुर्ज़ों या'नी लोहे के हथोड़ों से हंकाते दोज़ख़ में ले जाएंगे।

सुवाल जहन्नम में काफ़िरों की क्या ह़ालत होगी ?

---

1 ... منح الروض الازہر شرح الفقہ الاکبر، 177

2 ... ترمذی، کتاب صفۃ جہنم، باب ماجاء فی صفۃ قعر جہنم، 4/260، حدیث:2584

3 ... ترمذی، کتاب صفۃ جہنم، باب (6)، 4/265، حدیث:2597

जवाब काफ़िर उस में हमेशा क़ैद रखे जाएंगे और आग की तेज़ी उन पर दम ब दम ज़ियादती करेगी, पीने को उन्हें गर्म पानी मिलेगा और इस क़दर गर्म कि जिस से मुंह फट जाए और ऊपर का होंट सुकड़ कर आधे सर तक पहुंचे और नीचे का फट कर लटक आए, उन का ठिकाना जहीम (दोज़ख़ का एक त़ब्क़ा) है, मलाएका उन को मारेंगे। वोह ख़्वाहिश करेंगे कि किसी त़रह़ वोह हलाक हो जाएं और उन की रिहाई की कोई सूरत न होगी, क़दम पेशानियों से मिला कर बांध दिये जाएंगे, गुनाहों की सियाही से मुंह काले होंगे, जहन्नम के अत़राफ़ो जवानिब शोर मचाते और फ़रियाद करते होंगे कि ऐ मालिक (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) ! अ़ज़ाब का वा'दा हम पर पूरा हो चुका है। ऐ मालिक (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) ! लोहे के बोझ ने हमें चक्ना चूर कर दिया। ऐ मालिक (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) ! हमारे बदनों की खालें जल गईं। ऐ मालिक (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) ! हम को इस दोज़ख़ से निकाल। हम फिर ऐसी ना फ़रमानी न करेंगे। फ़िरिश्ते कहेंगे : दूर हो ! अब अम्न नहीं और इस ज़िल्लत के घर से रिहाई न मिलेगी, इसी में ज़लील पड़े रहो और हम से बात न करो। उस वक़्त उन की उम्मीदें टूट जाएंगी और दुन्या में जो कुछ सरकशी वोह कर चुके हैं उस पर अफ़्सोस करेंगे लेकिन उस वक़्त उ़ज़्र व नदामत कुछ काम न आएगा, अफ़्सोस कुछ फ़ाएदा न देगा बल्कि वोह हाथ पाउं बांध कर चेहरों के बल आग में धकेल दिये जाएंगे। उन के ऊपर भी आग होगी नीचे भी आग। दाह्ने भी आग बाएं भी आग। आग के समुन्दर में डूबे होंगे। खाना आग और पीना आग, पहनावा आग और बिछोना आग, हर त़रह़ आग ही आग, इस पर गुर्ज़ों की मार और भारी बेड़ियों का बोझ। आग उन्हें इस त़रह़ खौलाएगी जिस त़रह़ हांडियां खौलती हैं, वोह शोर मचाएंगे, उन के सरों पर से खौलता पानी डाला जाएगा जिस से उन के पेट की आंतें और बदनों की खालें पिघल जाएंगी, लोहे के गुर्ज़ मारे जाएंगे जिस से पेशानियां पिचक जाएंगी, मूंहों से पीप जारी होगी, प्यास से जिगर कट जाएंगे, आंखों के ढेले बह कर रुख़्सारों पर आ पड़ेंगे, रुख़्सारों के गोश्त गिर जाएंगे, हाथ पाउं के बाल और खाल गिर जाएंगे और न मरेंगे, चेहरे जल भुन कर सियाह कोएले हो जाएंगे, आंखें अन्धी और ज़बानें गूंगी हो जाएंगी, पीठ टेढ़ी हो जाएगी, नाकें और कान कट जाएंगे, खाल पारा पारा हो जाएगी, हाथ गरदन से मिला कर बांध दिये जाएंगे और पाउं पेशानी से, आग पर मुंह के बल चलाए जाएंगे और लोहे के कांटों पर आंख के ढेलों से राह चलेंगे, आग की लपट बदन के अन्दर सरायत कर जाएगी और दोज़ख़ के सांप बिच्छू बदन पर लिपटते, डसते, काटते होंगे।

सुवाल जुब्बे हु़ज़्न क्या है ?

जवाब जहन्नम में एक वादी है जिस से जहन्नम भी रोज़ाना सत्तर हज़ार बार पनाह मांगता है, हुज़ूर صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने "जुब्बे हुज़्न" से पनाह मांगने का हुक्म फ़रमाया है।

अल्लाह पाक अपने ग़ज़ब व अ़ज़ाब से पनाह दे और हमें और सब मुसल्मानों को अपने अ़फ़्वो करम से बख़्शे, आमीन।[1]

सुवाल जब तमाम जन्नती जन्नत में पहुंच जाएंगे और दोज़ख़ में फ़क़त़ वोही लोग रह जाएंगे जिन को हमेशा वहां रहना है, फिर क्या होगा ?

जवाब उस वक़्त जन्नत और दोज़ख़ के दरमियान मेंढे की शक्ल में मौत लाई जाएगी और तमाम जन्नतियों और दोज़ख़ियों को दिखा कर ज़ब्ह़ कर दी जाएगी और फ़रमा दिया जाएगा कि ऐ अहले जन्नत ! तुम्हारे लिये हमेशा हमेशा जन्नत और उस की ने'मतें हैं और ऐ अहले दोज़ख़ ! तुम्हारे लिये हमेशा अ़ज़ाब है मौत ज़ब्ह़ कर दी गई अब हमेशा की ज़िन्दगी है, हलाक व फ़ना नहीं। उस वक़्त अहले जन्नत के फ़रह़ व सुरूर की इन्तिहा न होगी इसी त़रह़ दोज़ख़ियों के रन्जो ग़म की।

सुवाल ह़ज़रते मालिक عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام कौन हैं ?

जवाब येह दारोग़ए जहन्नम या'नी दोज़ख़ के निगरान हैं।

सुवाल जहन्नम तो अ़ज़ाब की जगह है फिर उस में फ़िरिश्ते कैसे आ सकते हैं ?

जवाब फ़िरिश्ते उस में अ़ज़ाब सहने के लिये नहीं बल्कि अ़ज़ाब देने के लिये होंगे जैसे जेल में पोलीस के सिपाही और जेलर होते हैं।

सुवाल जहन्नम में आग की गर्मी का अ़ज़ाब सुना है तो क्या सर्दी का भी अ़ज़ाब होगा ?

जवाब जी हां, जहां आग से क़रीब होने की वज्ह से गर्मी का अ़ज़ाब होगा वहीं उस से दूरी की वज्ह से सर्दी का अ़ज़ाब होगा।

सुवाल जहन्नमी के लिये सब से हलका अ़ज़ाब क्या होगा ?

जवाब जहन्नम में सब से हलका अ़ज़ाब जिस को होगा उस को आग की जूतियां पहनाई जाएंगी जिस से उस का दिमाग़ खौलेगा और वोह समझेगा कि सब से ज़ियादा उसी को अ़ज़ाब हो रहा है ह़ालां कि उसे सब से कम अ़ज़ाब हो रहा होगा।

1.... किताबुल अ़क़ाइद, स. 41 मुलख़्ख़सन

सुवाल अगर कोई हिसाब और जन्नत व दोज़ख़ का इन्कार करे, उस के बारे में क्या कहेंगे ?

जवाब हिसाब और जन्नत व दोज़ख़ हक़ हैं, इन का इन्कार करने वाला काफ़िर है।[1]

सबक़ नम्बर 31 ईमान का बयान

सुवाल ईमान की ता'रीफ़ बताइये।

जवाब ईमान लुग़त में तस्दीक़ करने (या'नी सच्चा मानने) को कहते हैं।[2] ईमान का दूसरा लुग़वी मा'ना है : अम्न देना। चूंकि मोमिन अच्छे अक़ीदे इख़्तियार कर के अपने आप को दाइमी या'नी हमेशा वाले अ़ज़ाब से अम्न दे देता है इस लिये अच्छे अक़ीदों के इख़्तियार करने को ईमान कहते हैं।[3] और इस्तिलाहे शरअ़ में ईमान के मा'ना हैं : "सच्चे दिल से उन सब बातों की तस्दीक़ करे जो ज़रूरिय्याते दीन से हैं।"[4] और आ'ला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم को हर बात में सच्चा जाने, हुज़ूर की हक़्क़ानिय्यत को सिद्क़े दिल से मानना ईमान है जो इस का मुक़िर (या'नी इक़रार करने वाला) हो उसे मुसल्मान जानेंगे जब कि उस के किसी क़ौल या फ़े'ल या हाल में **अल्लाह** व रसूल (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) का इन्कार या तक्ज़ीब (या'नी झुटलाना) या तौहीन न पाई जाए।[5]

सुवाल क्या दिल से तस्दीक़ के साथ ज़बान से इक़रार करना भी ज़रूरी है ?

जवाब मुसल्मान होने के लिये दिल की तस्दीक़ के साथ ज़बान से इक़रार करना भी शर्त़ है ताकि दूसरे लोग उसे मुसल्मान समझें और मुसल्मान उस के साथ मुसल्मानों जैसा सुलूक करें। इस की तफ़्सील येह है कि अगर तस्दीक़ के बा'द इज़्हार का मौक़अ़ न मिला तो इन्दल्लाह मोमिन है और अगर मौक़अ़ मिला

1... बहारे शरीअ़त, 1/150, हिस्सा : 1

2... تفسیر قرطبی، پ1، البقرہ، تحت الآیۃ:3، 1/147

3... तफ़्सीरे नईमी, पारह : 1, अल बक़रह, तह़तल आयह : 3, 1/8

4... बहारे शरीअ़त, 1/172, हिस्सा : 1 माख़ूज़न

5... फ़तावा रज़विय्या, 29/254

और उस से मुतालबा किया गया और इक़रार न किया तो काफ़िर है और अगर मुतालबा न किया गया तो अह़कामे दुन्या में काफ़िर समझा जाएगा न उस के जनाज़े की नमाज़ पढ़ेंगे न मुसल्मानों के क़ब्रिस्तान में दफ़्न करेंगे मगर इन्दल्लाह मोमिन है अगर कोई अम्र ख़िलाफ़े इस्लाम ज़ाहिर न किया हो।

तम्बीह : मुसल्मान होने के लिये येह भी शर्त़ है कि ज़बान से किसी ऐसी चीज़ का इन्कार न करे जो ज़रूरिय्याते दीन से है, अगर्चे बाक़ी बातों का इक़रार करता हो, अगर्चे वोह येह कहे कि सिर्फ़ ज़बान से इन्कार है दिल में इन्कार नहीं कि बिला इक्राहे शर्ई मुसल्मान कलिमए कुफ़्र सादिर नहीं कर सकता, वोही शख़्स ऐसी बात मुंह पर लाएगा जिस के दिल में इतनी ही वुक़्अ़त है कि जब चाहा इन्कार कर दिया और ईमान तो ऐसी तस्दीक़ है जिस के ख़िलाफ़ की अस्लन गुन्जाइश नहीं।

सुवाल अगर कोई जान से मार डालने की धम्की दे और वोह इस डर की वज्ह से ज़बान से कलिमए कुफ़्र बक दे, दिल ईमान पर मुत़्मइन हो तो क्या वोह मोमिन ही रहेगा ?

जवाब हां ! अगर वाक़ेई ऐसी ह़ालत है कि जान का ख़ौफ़ है और तस्दीक़े क़ल्बी में कुछ ख़लल या'नी ख़राबी न आए या'नी ईमान पर दिल मुत़्मइन रहे तो ऐसा शख़्स मोमिन होगा अगर्चे उस को मजबूरी की ह़ालत में ज़बान से कलिमए कुफ़्र कहना भी पड़ जाए मगर बेहतर येही है कि ऐसी ह़ालत में भी कलिमए कुफ़्र ज़बान पर न लाए।

सुवाल क्या कबीरा गुनाह करने से बन्दा ईमान से ख़ारिज हो जाता है ?

जवाब गुनाहे कबीरा करने से आदमी काफ़िर और ईमान से ख़ारिज नहीं होता।

सुवाल कबीरा गुनाह क्या होता है ?

जवाब वोह गुनाह जिस के बारे में क़ुरआनो ह़दीस में ह़द (सज़ा) या वई़द बयान की गई हो। याद रहे कि सग़ीरा गुनाह भी इसरार (या'नी बिग़ैर तौबा के बार बार करने) से कबीरा हो जाता है यूंही हलका जान कर करने से भी कबीरा हो जाता है।

सुवाल वोह कौन से गुनाह हैं जो कभी न बख़्शे जाएंगे ?

जवाब शिर्क व कुफ़्र कभी न बख़्शे जाएंगे और मुश्रिक व काफ़िर जिस की मौत कुफ़्रो शिर्क पर हो उस की हरगिज़ मग़्फ़िरत न होगी। इन के सिवा **अल्लाह** पाक जिस गुनाह को चाहेगा अपने मह़बूब बन्दों की शफ़ाअ़त से या मह़ज़ अपने करम से बख़्श देगा।

सुवाल कुफ़्र के क्या मा'ना हैं ?

जवाब कुफ़्र का लुग़वी मा'ना है : किसी शै को छुपाना।[1] और इस्तिलाह में किसी एक ज़रूरते दीनी के इन्कार को भी कुफ़्र कहते हैं अगर्चे बाक़ी तमाम ज़रूरिय्याते दीन की तस्दीक़ करता हो।[2] जैसे कोई शख़्स अगर तमाम ज़रूरिय्याते दीन को तस्लीम करता हो मगर नमाज़ की फ़र्ज़िय्यत या ख़त्मे नुबुव्वत का मुन्किर हो वोह काफ़िर है। कि नमाज़ को फ़र्ज़ मानना और सरकारे मदीना صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم को आख़िरी नबी मानना दोनों बातें ज़रूरिय्याते दीन में से हैं।

सुवाल ज़रूरिय्याते दीन किसे कहते हैं ?

जवाब ज़रूरिय्याते दीन, इस्लाम के वोह अह़काम हैं, जिन को हर ख़ासो आ़म जानते हों, जैसे **अल्लाह** पाक की वह़दानिय्यत (या'नी उस का एक होना), अम्बियाए किराम عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام की नुबुव्वत, नमाज़, रोज़े, ह़ज, जन्नत, दोज़ख़, क़ियामत में उठाया जाना, ह़िसाबो किताब लेना वग़ैरहा। मसलन येह अ़क़ीदा रखना (भी ज़रूरिय्याते दीन में से है) कि हुज़ूर صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم "ख़ातमुन्नबिय्यीन" हैं हुज़ूरे अकरम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के बाद कोई नया नबी नहीं हो सकता। अ़वाम से मुराद वोह मुसल्मान हैं जो उ़लमा के त़ब्क़े में शुमार न किये जाते हों मगर उ़लमा की सोह़बत में बैठने वाले हों और इ़ल्मी मसाइल का ज़ौक़ रखते हों। वोह लोग मुराद नहीं जो दूर दराज़ जंगलों पहाड़ों में रहने वाले हों जिन्हें सह़ीह़ कलिमा पढ़ना भी न आता हो कि ऐसे लोगों का ज़रूरिय्याते दीन से ना वाक़िफ़ होना इस दीनी ज़रूरी को ग़ैर ज़रूरी न कर देगा। अलबत्ता ऐसे लोगों के मुसल्मान होने के लिये येह बात ज़रूरी है कि ज़रूरिय्याते दीन के मुन्किर (या'नी इन्कार करने वाले) न हों और येह अ़क़ीदा रखते हों कि इस्लाम में जो कुछ है ह़क़ है। इन सब पर इज्मालन ईमान लाए हों।[3]

ज़रूरिय्याते दीन की मज़ीद वज़ाह़त के लिये "नुज़्हतुल क़ारी शर्हे सह़ीह़ुल बुख़ारी" जिल्द अव्वल सफ़्ह़ा 239 से इक़्तिबास मुलाह़ज़ा हो, चुनान्चे शारेह़े बुख़ारी ह़ज़रते अ़ल्लामा मुफ़्ती मुह़म्मद शरीफ़ुल ह़क़ अमजदी رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : ईमान की ता'रीफ़ में ज़रूरिय्याते दीन का (जो) लफ़्ज़ आया है, उस से मुराद वोह दीनी बातें हैं जिन का दीन से होना ऐसी क़त़्ई यक़ीनी दलील से साबित हो जिस में ज़र्रा बराबर शुबा न हो और उन का दीनी बात होना हर आ़म व ख़ास को मा'लूम हो। ख़वास से मुराद उ़लमा हैं और अ़वाम से मुराद वोह लोग हैं जो आ़लिम नहीं मगर ! उ़लमा की सोह़बत में रहते हों। इस

1... المفردات، کتاب الکاف، ص433
2... बहारे शरीअ़त, 1/172, ह़िस्सा : 1 माख़ूज़न
3... बहारे शरीअ़त, 1/172, ह़िस्सा : 1 मुलख़्ख़सन

बिना पर वोह दीनी बातें जिन का दीनी बात होना सब को मा'लूम है मगर उन का सुबूत क़त्ई नहीं तो वोह ज़रूरिय्याते दीन से नहीं मसलन अ़ज़ाबे क़ब्र, आ'माल का वज़्न। यूंही वोह बातें जिन का सुबूत क़त्ई है मगर उन का दीन से होना अ़वाम व ख़्वास सब को मा'लूम नहीं तो वोह भी ज़रूरिय्याते दीन से नहीं, जैसे सुल्बी बेटी[1] के साथ अगर पोती हो तो पोती को छटा हिस्सा मिलेगा।

जिन दीनी बातों का सुबूत क़त्ई हो और वोह ज़रूरिय्याते दीन से न हों उन का मुन्किर (या'नी इन्कार करने वाला) अगर उस के सुबूत के क़त्ई होने को जानता हो तो काफ़िर है और अगर न जानता हो तो उसे बताया जाए, बताने पर अगर हक़ माने तो मुसल्मान और बताने के बा'द भी अगर इन्कार करे तो काफ़िर।[2]

वोह बातें जिन का दीन से होना सब को मा'लूम है मगर उन का सुबूत क़त्ई नहीं उन का मुन्किर काफ़िर नहीं अगर येह बातें ज़रूरिय्याते मज़्हबे अहले सुन्नत से हों तो (इन्कार करने वाला) गुमराह और अगर इस से भी न हो तो ख़ाती (या'नी ख़ताकार)।

सुवाल क्या कुफ़्र कुछ अफ़्आ़ल करने से भी सरज़द हो जाता है या सिर्फ़ ज़बान से बोलने या दिल से ही मानने से होता है ?

जवाब बा'ज़ अफ़्आ़ल जो इस्लाम की तक्ज़ीब व इन्कार की अ़लामात हैं उन पर भी हुक्मे कुफ़्र दिया जाता है जैसे ज़ुन्नार पहनना, क़श्क़ा लगाना वग़ैरा।

सुवाल मुसल्मानों और काफ़िरों का आख़िर कार अन्जाम क्या होगा ?

जवाब काफ़िर हमेशा दोज़ख़ में रहेंगे और मुसल्मान कितना भी गुनहगार हो कभी न कभी ज़रूर नजात पाएगा।

सुवाल मुसल्मान कौन है ?

जवाब जो ज़बान से इस्लाम का इक़रार और दिल से इस की तस्दीक़ करे और ज़रूरिय्याते दीन में से किसी का इन्कार न करे।

सुवाल जो ज़बान से इक़रार करे लेकिन दिल से तस्दीक़ न करे, क्या वोह भी मुसल्मान है ?

1... नुज़्हतुल क़ारी के नुस्ख़ों में इस जगह "बेटी" के बजाए "बेटियों" लिखा है जो किताबत की ग़लती मा'लूम होती है क्यूं कि हज़रते अ़ल्लामा इब्ने हुमाम رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه "अल मुसायरह" सफ़्हा 360 पर तह़रीर फ़रमाते हैं : जिन का सुबूत क़त्ई है मगर वोह ज़रूरिय्याते दीन की ह़द को न पहुंचा हो जैसे (मीरास में) सुल्बी बेटी के साथ अगर पोती हो तो पोती को छटा हिस्सा मिलने का हुक्म इज्माए उम्मत से साबित है...اِلخ (المسایرۃ ص360)

2... درمختار، کتاب الصلوۃ، باب الامامۃ، 2/ 358

जवाब वोह मुनाफ़िक़ है जो काफ़िर से भी बदतर है और उस का ठिकाना दोज़ख़ का सब से नीचे वाला तब्क़ा है।

सुवाल जो न दिल से तस्दीक़ करे न ज़बान से इक़रार करे उसे क्या कहेंगे ?

जवाब वोह भी यक़ीनन काफ़िर है।

सुवाल जो दिल से तस्दीक़ भी करे और ज़बान से इक़रार भी और हर त़रह़ के कुफ़्रो शिर्क से बचे लेकिन गुनाह करे उस के बारे में क्या हुक्म है ?

जवाब वोह मुसलमान तो है लेकिन फ़ासिक़ (गुनहगार व ना फ़रमान) है।

सबक़ नम्बर 32 कुफ़्रिय्या कलिमात व अह़कामे मुरतद का बयान

कुफ़्रो शिर्क से बदतर कोई गुनाह नहीं और वोह भी इरतिदाद कि येह कुफ़्रे अस्ली से भी ब ए'तिबारे अह़काम सख़्त तर है, जैसा कि इस के अह़काम से मा'लूम होगा। मुसल्मान को चाहिये कि इस से पनाह मांगता रहे कि शैत़ान हर वक़्त ईमान की घात में है और ह़दीस में फ़रमाया कि शैत़ान इन्सान के बदन में ख़ून की त़रह़ गर्दिश करता है।[1] आदमी को कभी अपने ऊपर या अपनी त़ाअ़तो आ'माल पर भरोसा न चाहिये हर वक़्त ख़ुदा पर ए'तिमाद करे और उसी से बक़ाए ईमान की दुआ़ चाहे कि उसी के हाथ में क़ल्ब है और क़ल्ब को क़ल्ब इसी वज्ह से कहते हैं कि लोट पोट होता रहता है, ईमान पर साबित रहना उसी की तौफ़ीक़ से है जिस के दस्ते क़ुदरत में क़ल्ब है और ह़दीस में फ़रमाया कि शिर्क से बचो कि वोह च्यूंटी की चाल से ज़ियादा मख़्फ़ी है।[2] और इस से बचने की ह़दीस में एक दुआ़ इर्शाद फ़रमाई इसे हर रोज़ तीन मरतबा पढ़ लिया करो, हुज़ूरे अक़्दस صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم का इर्शाद है कि शिर्क से मह़फ़ूज़ रहोगे, वोह दुआ़ येह है :

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْٓ اَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ اُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَّاَنَا اَعْلَمُ وَاَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا اَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ[3] या'नी ऐ **अल्लाह** ! मैं तेरी पनाह मांगता हूं कि जान बूझ कर तेरे साथ किसी को शरीक बनाऊं और तुझ से बख़्शिश मांगता हूं (उस शिर्क से) जिसे मैं नहीं जानता बेशक तू दानाए ग़ुयूब है।[4]

सुवाल निफ़ाक़ की क्या ता'रीफ़ है ?

1 ...ترمذی،کتاب الرضاع،باب ماجاء کراہیة...الخ،2/391،حدیث:1175

2 ...مسند امام احمد،مسند الکوفیین،حدیث أبی موسی الأشعری،7/146،حدیث:19625

3 ...الدر المختار و رد المحتار،کتاب الجهاد،باب المرتد،مطلب:فی حکم من شتم...الخ،6/354

4 ... बहारे शरीअ़त, 2/454, हिस्सा : 9 ब तग़य्युरे क़लील

जवाब ज़बान से इस्लाम का दा'वा करना और दिल में इस्लाम से इन्कार करना निफ़ाक़ है। येह भी ख़ालिस कुफ़्र है बल्कि ऐसे लोगों के लिये जहन्नम का सब से निचला त़ब्क़ा है। सरवरे काएनात, शहन्शाहे मौजूदात صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَالِهٖ وَسَلَّم की ज़ाहिरी ह़यात के ज़माने में इस सिफ़त के कुछ अफ़राद बत़ौरे मुनाफ़िक़ीन मशहूर हुए, उन के बात़िनी कुफ़्र को क़ुरआने मजीद में बयान किया गया है। नीज़ सुल्त़ाने मदीना صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَالِهٖ وَسَلَّم ने ब अ़त़ाए इलाही अपने वसीअ़ इ़ल्म से एक एक को पहचाना और नाम बनाम फ़रमा दिया कि येह येह मुनाफ़िक़ हैं। अब इस ज़माने में किसी मख़्सूस शख़्स की निस्बत यक़ीन से कहना कि वोह मुनाफ़िक़ है मुम्किन नहीं कि हमारे सामने जो इस्लाम का दा'वा करे हम उसे मुसल्मान ही समझेंगे जब तक कि ईमान के मुनाफ़ी (या'नी ईमान के उलट) कोई क़ौल (बात) या फ़े'ल (काम) उस से सरज़द न हो। अलबत्ता निफ़ाक़ या'नी मुनाफ़क़त की एक शाख़ इस ज़माने में भी पाई जाती है कि बहुत से बद मज़हब अपने आप को मुसल्मान कहते हैं और देखा जाए तो इस्लाम के दा'वे के साथ साथ बहुत से ज़रूरिय्याते दीन का इन्कार भी करते हैं।[1]

मुरतद की ता'रीफ़ और चन्द मख़्सूस अह़काम

अल्लाह करीम के करोड़हा करोड़ एह़सान कि उस ने हमें इन्सान बनाया, मुसल्मान किया और अपने ह़बीबे मुकर्रम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَالِهٖ وَسَلَّم का दामने करम हमारे हाथों में दिया। इस में कोई शक नहीं कि हम मुसल्मान हैं मगर हम में से किसी के पास इस बात की कोई ज़मानत नहीं कि वोह मरते दम तक मुसल्मान ही रहेगा। जिस त़रह़ बे शुमार कुफ़्फ़ार ख़ुश क़िस्मती से मुसल्मान हो जाते हैं उसी त़रह़ मुतअ़द्दद बद नसीब मुसल्मानों का مَعَاذَ اللّٰه ईमान से मुन्ह़रिफ़ हो जाना (या'नी फिर जाना) भी साबित है। और जो ईमान से फिर कर या'नी मुरतद हो कर मरेगा वोह हमेशा हमेशा के लिये दोज़ख़ में रहेगा। चुनान्चे पारह 2 सूरतुल बक़रह आयत नम्बर 217 में फ़रमाने बारी है :

وَ مَنْ یَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِیْنِهٖ فَیَمُتْ وَ هُوَ كَافِرٌ فَاُولٰٓىٕكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِی الدُّنْیَا وَ الْاٰخِرَةِۚ وَ اُولٰٓىٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِیْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿۲۱۷﴾
(پ2،البقرۃ:217)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और तुम में जो कोई अपने दीन से फिरे, फिर काफ़िर हो कर मरे, तो उन लोगों का किया अकारत गया दुन्या में और आख़िरत में, और वोह दोज़ख़ वाले हैं, उन्हें उस में हमेशा रहना।

1... बहारे शरीअ़त, 1/182, हिस्सा : 1 मुलख़्ख़सन

सुवाल मुरतद कौन होता है ?

जवाब मुरतद वोह शख़्स है कि इस्लाम के बा'द किसी ऐसे अम्र का इन्कार करे जो ज़रूरिय्याते दीन से हो या'नी ज़बान से ऐसा कलिमए कुफ़्र बके जिस में तावीले सह़ीह़ की गुन्जाइश न हो। यूंही बा'ज़ अफ़्आ़ल भी ऐसे हैं जिन से काफ़िर हो जाता है मसलन बुत को सज्दा करना। मुस्ह़फ़ शरीफ़ को नजासत की जगह फेंक देना।

याद रहे कि जो बत़ौरे तमस्ख़ुर और ठठ्ठे के (या'नी मज़ाक़ मस्ख़री में) कुफ़्र करेगा वोह भी मुरतद है अगर्चे कहता है कि ऐसा ए'तिक़ाद नहीं रखता।

सुवाल मुरतद की सज़ा क्या है ?

जवाब जो शख़्स مَعَاذَاللہ मुरतद हो गया तो मुस्तह़ब है कि ह़ाकिमे इस्लाम उस पर इस्लाम पेश करे और अगर वोह कुछ शुब्हा बयान करे तो उस का जवाब दे और अगर मोहलत मांगे तो तीन दिन क़ैद में रखे और हर रोज़ इस्लाम की तल्क़ीन करे। यूंही अगर उस ने मोहलत न मांगी मगर उम्मीद है कि इस्लाम क़बूल कर लेगा जब भी तीन दिन क़ैद में रखा जाए फिर अगर मुसल्मान हो जाए फ़बिहा वरना क़त्ल कर दिया जाए बिग़ैर इस्लाम पेश किये उसे क़त्ल कर डालना मक्रूह है। मुरतद को क़ैद करना और इस्लाम न क़बूल करने पर क़त्ल कर डालना बादशाहे इस्लाम का काम है और इस से मक़्सूद येह है कि ऐसा शख़्स अगर ज़िन्दा रहा और उस से तअ़र्रुज़ (पूछगछ) न किया गया तो मुल्क में त़रह़ त़रह़ के फ़साद पैदा होंगे और फ़ितने का सिल्सिला रोज़ बरोज़ तरक़्क़ी पज़ीर होगा जिस की वज्ह से अम्ने आ़म्मा में ख़लल पड़ेगा लिहाज़ा ऐसे शख़्स को ख़त्म कर देना ही मुक़्तज़ाए ह़िक्मत था। अब चूंकि ह़ुकूमते इस्लाम हिन्दूस्तान में बाक़ी नहीं कोई रोकथाम करने वाला बाक़ी न रहा हर शख़्स जो चाहता है बकता है और आए दिन मुसल्मानों में फ़साद पैदा होता है, नए नए मज़हब पैदा होते रहते हैं एक ख़ानदान बल्कि बा'ज़ जगह एक घर में कई मज़हब हैं और बात बात पर झगड़े लड़ाई हैं। इन तमाम ख़राबियों का बाइ़स येही नया मज़हब है ऐसी सूरत में सब से बेहतर तरकीब वोह है जो ऐसे वक़्त के लिये क़ुरआनो ह़दीस में इर्शाद हुई अगर मुसल्मान उस पर अ़मल करें तमाम क़िस्सों से नजात पाएं, दुन्या व आख़िरत की भलाई हाथ आए। वोह येह कि ऐसे लोगों से बिल्कुल मेलजोल छोड़ दें, सलाम कलाम तर्क कर दें, उन के पास उठना बैठना, उन के साथ खाना पीना, उन के यहां शादी बियाह करना, ग़रज़ हर क़िस्म के तअ़ल्लुक़ात उन से क़त़्अ़ कर दें, गोया समझें कि वोह अब रहा ही नहीं, وَاللہُ الْمُوَفِّق।

सुवाल औ़रत या ना बालिग़ समझदार बच्चा मुरतद हो जाएं तो उन की सज़ा क्या है ?

जवाब औ़रत या ना बालिग़ समझवाल बच्चा मुरतद हो जाए तो क़त्ल न करेंगे बल्कि क़ैद करेंगे यहां तक कि तौबा करे और मुसल्मान हो जाए।

सुवाल क्या मुरतद की इरतिदाद से तौबा क़बूल है ? अगर हां तो क्या हर मुरतद का येही हुक्म है ?

जवाब मुरतद अगर इरतिदाद से तौबा करे तो उस की तौबा मक़्बूल है मगर बा'ज़ मुरतद्दीन मसलन किसी नबी की शान में गुस्ताख़ी करने वाला कि उस की तौबा मक़्बूल नहीं। तौबा क़बूल करने से मुराद येह है कि तौबा करने के बा'द बादशाहे इस्लाम उसे क़त्ल न करेगा।

सुवाल मुरतद इरतिदाद से मुन्किर हो तो उस की सज़ा के बारे में क्या हुक्म है ?

जवाब मुरतद अगर अपने इरतिदाद से इन्कार करे तो येह इन्कार ब मन्ज़िलए तौबा है अगर्चे गवाहाने आ़दिल से उस का इरतिदाद साबित हो या'नी इस सूरत में येह क़रार दिया जाएगा कि इरतिदाद तो किया मगर अब तौबा कर ली लिहाज़ा क़त्ल न किया जाएगा और इरतिदाद के बाक़ी अह़काम जारी होंगे मसलन उस की औ़रत निकाह़ से निकल जाएगी, जो कुछ आ'माल किये थे सब अकारत हो जाएंगे, ह़ज की इस्तिताअ़त रखता है तो अब फिर ह़ज फ़र्ज़ है कि पहला ह़ज जो कर चुका था बेकार हो गया। अगर उस क़ौल से इन्कार नहीं करता मगर ला या'नी तक़रीरों से उस अम्र को सह़ीह़ बताता है जैसा ज़मानए ह़ाल के मुरतद्दीन का शेवा है तो येह न इन्कार है न तौबा मसलन क़ादियानी कि नुबुव्वत का दा'वा करता है और ख़ातमुन्नबिय्यीन के ग़लत़ मा'ने बयान कर के अपनी नुबुव्वत को बर क़रार रखना चाहता है या ह़ज़रते सय्यिदुना मसीह़ ईसा عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام की शाने पाक में सख़्त सख़्त ह़म्ले करता है फिर ह़ीले घड़ता है...... ऐसी बातों से कुफ़्र नहीं हट सकता कुफ़्र उठाने का जो निहायत आसान त़रीक़ा है काश ! उसे बरत्ते तो इन ज़ह़मतों में न पड़ते और अ़ज़ाबे आख़िरत से भी اِنْ شَآءَاللّٰه रिहाई की सूरत निकलती वोह सिर्फ़ तौबा है कि कुफ़्रो शिर्क सब को मिटा देती है, मगर इस में वोह अपनी ज़िल्लत समझते हैं ह़ालां कि येह ख़ुदा को मह़बूब, उस के मह़बूबों को पसन्द, तमाम उ़क़ला के नज़्दीक इस में इ़ज़्ज़त।

सुवाल इरतिदाद से तौबा का क्या त़रीक़ा है ?

जवाब किसी दीने बात़िल को इख़्तियार किया मसलन यहूदी या नसरानी हो गया ऐसा शख़्स मुसल्मान उस वक़्त होगा कि उस दीने बात़िल से बेज़ारी व नफ़्रत ज़ाहिर करे और दीने इस्लाम क़बूल करे। और अगर ज़रूरिय्याते दीन में से किसी बात का इन्कार किया हो तो जब तक उस का इक़रार न करे जिस से इन्कार किया है मह़ज़ कलिमए शहादत पढ़ने पर उस के इस्लाम का हुक्म न दिया जाएगा कि कलिमए शहादत का उस ने ब ज़ाहिर इन्कार न किया था मसलन नमाज़ या रोज़े की फ़र्ज़िय्यत से इन्कार करे या

शराब और सुअर की हुर्मत न माने तो उस के इस्लाम के लिये येह शर्त है कि जब तक ख़ास उस अम्र का इक़रार न करे उस का इस्लाम क़बूल नहीं या **अल्लाह** करीम और **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की जनाब में गुस्ताख़ी करने से काफ़िर हुवा तो जब तक उस से तौबा न करे मुसल्मान नहीं हो सकता।

सुवाल तज्दीदे ईमान का त़रीक़ा भी बता दीजिये।

जवाब जिस कुफ़्र से तौबा मक़्सूद है वोह उसी वक़्त मक़्बूल होगी जब कि वोह उस कुफ़्र को कुफ़्र तस्लीम करता हो और दिल में उस कुफ़्र से नफ़्रत व बेज़ारी भी हो। जो कुफ़्र सरज़द हुवा तौबा में उस का तज़्किरा भी हो। मसलन जिस ने वीज़ा फ़ॉर्म पर अपने आप को क्रिस्चेन लिख दिया वोह इस त़रह़ कहे : "**या अल्लाह !** मैं ने जो वीज़ा फ़ॉर्म में अपने आप को क्रिस्चेन ज़ाहिर किया है उस कुफ़्र से तौबा करता हूं। لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (**अल्लाह** के सिवा कोई इ़बादत के लाइक़ नहीं मुह़म्मद صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **अल्लाह** के रसूल हैं)" इस त़रह़ मख़्सूस कुफ़्र से तौबा भी हो गई और तज्दीदे ईमान भी। अगर مَعَاذَ اللّٰه कई कुफ़्रिय्यात बके हों और याद न हो कि क्या क्या बका है तो यूं कहे : "**या अल्लाह !** मुझ से जो जो कुफ़्रिय्यात सादिर हुए हैं मैं उन से तौबा करता हूं।" फिर कलिमा पढ़ ले। (अगर कलिमा शरीफ़ का तरजमा मा'लूम है तो ज़बान से तरजमा दोहराने की ह़ाजत नहीं) अगर येह मा'लूम ही नहीं कि कुफ़्र बका भी है या नहीं तब भी अगर एह़तियात़न तौबा करना चाहें तो इस त़रह़ कहिये : "**या अल्लाह !** अगर मुझ से कोई कुफ़्र हो गया हो तो मैं उस से तौबा करता हूं।" येह कहने के बा'द कलिमा पढ़ लीजिये।

मुरतद से मुतअ़ल्लिक़ चन्द फ़िक़्ही अह़काम

सुवाल मुरतद मुसल्मान हो गया, अब इरतिदाद से पहले जो इ़बादात अदा की थीं क्या उन को दोबारा अदा करना होगा ? और जो इ़बादात इरतिदाद से पहले क़ज़ा थीं क्या उन की अदाएगी अब भी लाज़िम है ?

जवाब ज़मानए इस्लाम में कुछ इ़बादात क़ज़ा हो गईं और अदा करने से पहले मुरतद हो गया फिर मुसल्मान हुवा तो उन इ़बादात की क़ज़ा करे और जो अदा कर चुका था अगर्चे इरतिदाद से बात़िल हो गईं मगर उस की क़ज़ा नहीं अलबत्ता अगर साहि़बे इस्तित़ाअ़त हो तो ह़ज दोबारा फ़र्ज़ होगा।

सुवाल मर्द ने कुफ़्रे क़त़ई किया तो उस के निकाह़ का क्या हुक्म है ?

जवाब अगर कुफ़्रे क़त़ई हो तो औ़रत निकाह़ से निकल जाएगी फिर इस्लाम लाने के बा'द अगर औ़रत राज़ी हो तो दोबारा उस से निकाह़ हो सकता है वरना जहां पसन्द करे निकाह़ कर सकती है, उस को कोई ह़क़ नहीं कि औ़रत को दूसरे के साथ निकाह़ करने से रोक दे और अगर इस्लाम लाने के बा'द औ़रत को

ब दस्तूर रख लिया दोबारा निकाह़ न किया तो क़ुर्बत ज़िना होगी और बच्चे वलदुज़्ज़िना और अगर कुफ़्रे क़त़्ई न हो या'नी बा'ज़ उ़लमा काफ़िर बताते हों और बा'ज़ नहीं या'नी फ़ुक़हा के नज़्दीक काफ़िर हो और मुतकल्लिमीन के नज़्दीक नहीं तो इस सूरत में भी तज्दीदे इस्लाम व तज्दीदे निकाह़ का हुक्म दिया जाएगा।

सुवाल औ़रत मुरतद हो गई तो उस के निकाह़ का क्या हुक्म है ?

जवाब औ़रत मुरतद हो गई फिर इस्लाम लाई तो शौहरे अव्वल से निकाह़ करने पर मजबूर की जाएगी येह नहीं हो सकता है कि दूसरे से निकाह़ करे इसी पर फ़तवा है।

सुवाल मुरतद के निकाह़ का क्या हुक्म है ? उस का निकाह़ किस से हो सकता है ?

जवाब मुरतद का निकाह़ बिल इत्तिफ़ाक़ बाति़ल है वोह किसी औ़रत से निकाह़ नहीं कर सकता, न मुस्लिमा से न काफ़िरा से न मुरतद्दा से न हु़र्रा से न कनीज़ से।

सुवाल तज्दीदे निकाह़ कैसे किया जाए ?

जवाब तज्दीदे निकाह़ का मा'ना है : "नए महर से नया निकाह़ करना।" इस के लिये लोगों को इकठ्ठा करना ज़रूरी नहीं। निकाह़ नाम है ईजाब व क़बूल का। हां ब वक़्ते निकाह़ बतौ़रे गवाह कम अज़ कम दो मर्द मुसल्मान या एक मर्द मुसल्मान और दो मुसल्मान औ़रतों का ह़ाज़िर होना लाज़िमी है। ख़ुत़्बए निकाह़ शर्त़ नहीं बल्कि मुस्तह़ब है। ख़ुत़्बा याद न हो तो अऊ़ज़ुबिल्लाह और बिस्मिल्लाह शरीफ़ के बा'द सूरए फ़ातिह़ा भी पढ़ सकते हैं। कम अज़ कम दस दिरहम या'नी दो तोला साढ़े सात माशा चांदी (मौजूदा वज़्न के ह़िसाब से 30 ग्राम 618 मिली ग्राम चांदी) या उस की रक़म महर वाजिब है। मसलन आप ने 786 रुपै उधार महर की निय्यत कर ली है (मगर येह देख लीजिये कि महर मुक़र्रर करते वक़्त मज़्कूरा चांदी की क़ीमत 786 रुपै से ज़ाइद तो नहीं) तो अब मज़्कूरा गवाहों की मौजूदगी में आप "ईजाब" कीजिये या'नी औ़रत से कहिये : "मैं ने 786 रुपै महर के बदले आप से निकाह़ किया।" औ़रत कहे : "मैं ने क़बूल किया।" निकाह़ हो गया। येह भी हो सकता है कि औ़रत ही ख़ुत़्बा या सूरए फ़ातिह़ा पढ़ कर "ईजाब" करे और मर्द कहे : "मैं ने क़बूल किया", निकाह़ हो गया। बा'दे निकाह़ अगर औ़रत चाहे तो महर मुआ़फ़ भी कर सकती है। मगर मर्द बिला ह़ाजते शरई़ औ़रत से महर मुआ़फ़ करने का सुवाल न करे।

सुवाल मुरतद के ज़बीह़े का क्या हुक्म है ?

जवाब मुरतद का ज़बीह़ा मुर्दार है अगर्चे बिस्मिल्लाह कह के ज़ब्ह़ करे। यूंही कुत्ते या बाज़ या तीर

से जो शिकार किया है वोह भी मुर्दार है, अगर्चे छोड़ने के वक़्त بِسۡمِ اللّٰہ कह ली हो।

सुवाल मुरतद की गवाही और उस के वारिस बनने के मुतअ़ल्लिक़ क्या शर्ई हुक्म है ?

जवाब मुरतद किसी मुआ़मले में गवाही नहीं दे सकता और किसी का वारिस नहीं हो सकता और ज़मानए इरतिदाद में जो कुछ कमाया है उस में मुरतद का कोई वारिस नहीं।

सुवाल मुरतद के माल का क्या हुक्म है ? दोबारा इस्लाम क़बूल करने या न करने की सूरत में क्या हुक्म होगा ?

जवाब इरतिदाद से मिल्क जाती रहती है या'नी जो कुछ उस के अम्लाक व अम्वाल थे सब उस की मिल्क से ख़ारिज हो गए मगर जब कि फिर इस्लाम लाए और कुफ़्र से तौबा करे तो ब दस्तूर मालिक हो जाएगा और अगर कुफ़्र ही पर मर गया या दारुल ह़र्ब को चला गया तो ज़मानए इस्लाम के जो कुछ अम्वाल हैं उन से अव्वलन उन दुयून को अदा करेंगे जो ज़मानए इस्लाम में उस के ज़िम्मे थे, उस से जो बचे वोह मुसल्मान वुरसा को मिलेगा और ज़मानए इरतिदाद में जो कुछ कमाया है उस से ज़मानए इरतिदाद के दुयून अदा करेंगे इस के बा'द जो बचे वोह फ़ए है।

सुवाल बीवी की इ़द्दत में मुरतद हो कर दारुल ह़र्ब चला गया या इसी ह़ालत में क़त्ल कर दिया गया तो क्या औ़रत वारिस होगी ?

जवाब औ़रत को त़लाक़ दी थी वोह अभी इ़द्दत ही में थी कि शौहर मुरतद हो कर दारुल ह़र्ब को चला गया या ह़ालते इरतिदाद में क़त्ल किया गया तो वोह औ़रत वारिस होगी।

वोह सूरतें जो कुफ़्रिय्या नहीं हैं

सुवाल ज़बान फिसल्ने की वज्ह से कुफ़्रिय्या बात निकल गई तो क्या हुक्म है ?

जवाब कहना कुछ चाहता था और ज़बान से कुफ़्र की बात निकल गई तो काफ़िर न हुवा या'नी जब उस अम्र से इज़्हारे नफ़्रत करे कि सुनने वालों को भी मा'लूम हो जाए कि ग़लती से येह लफ़्ज़ निकला है और अगर बात की पच की तो अब काफ़िर हो गया कि कुफ़्र की ताईद करता है।

सुवाल कुफ़्रिय्या बात का दिल में ख़याल पैदा हुवा तो क्या काफ़िर हो जाएगा ?

जवाब कुफ़्रिय्या बात का दिल में ख़याल पैदा हुवा और ज़बान से बोलना बुरा जानता है तो येह कुफ़्र नहीं बल्कि ख़ास ईमान की अ़लामत है कि दिल में ईमान न होता तो उसे बुरा क्यूं जानता।

कलिमाते कुफ़्रिय्या का बयान

सुवाल कलिमाते कुफ़्र की कितनी क़िस्में हैं ?

जवाब कलिमाते कुफ़्र की दो क़िस्में हैं : (1) लुज़ूमे कुफ़्र (2) इल्तिज़ामे कुफ़्र ।

चुनान्चे ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना मुफ़्ती मुह़म्मद अमजद अ़ली आ'ज़मी رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ फ़रमाते हैं : अक़्वाले कुफ़्रिय्या दो क़िस्म के हैं : (1) एक वोह जिस में किसी मा'निये सह़ीह़ का भी एह़तिमाल (या'नी पहलू) हो (2) दूसरे वोह कि उस में कोई ऐसे मा'ना नहीं बनते जो क़ाइल को कुफ़्र से बचावे । इस में अव्वल को लुज़ूमे कुफ़्र कहा जाता है और क़िस्मे दुवुम को इल्तिज़ामे कुफ़्र । लुज़ूमे कुफ़्र की सूरत में भी फ़ुक़हाए किराम (رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِم اَجْمَعِیْن) ने हुक्मे कुफ़्र दिया मगर मुतकल्लिमीन رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِم[1] इस से सुकूत करते (या'नी ख़ामोशी इख़्तियार फ़रमाते) हैं । और फ़रमाते हैं जब तक इल्तिज़ाम की सूरत न हो क़ाइल को काफ़िर कहने से सुकूत किया जाएगा और अह़्वत (या'नी ज़ियादा मोह़तात़) येही मज़्हबे मुतकल्लिमीन رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِم اَجْمَعِیْن है । وَاللّٰہُ اَعْلَم[2]

सुवाल लुज़ूमे कुफ़्र और इल्तिज़ामे कुफ़्र की मज़ीद तफ़्सील बयान कर दीजिये ।

जवाब लुज़ूमे कुफ़्र की ता'रीफ़ का ख़ुलासा येह है कि वोह बात ऐ़ने कुफ़्र नहीं मगर कुफ़्र तक पहुंचाने वाली है और इल्तिज़ामे कुफ़्र येह है कि ज़रूरिय्याते दीन में से किसी चीज़ का सराह़तन (या'नी वाज़ेह़ त़ौर पर) ख़िलाफ़ करे ।

चुनान्चे आ'ला ह़ज़रत इमाम अह़मद रज़ा ख़ान رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ लुज़ूम व इल्तिज़ाम के मुतअ़ल्लिक़ फ़रमाते हैं : सय्यिदुल आ़लमीन, मुह़म्मदुर्रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم जो कुछ अपने रब्बे करीम के पास से लाए उन सब में उन की तस्दीक़ करना और सच्चे दिल से उन की एक एक बात पर यक़ीन लाना ईमान है और مَعَاذَ اللّٰہ उन में से किसी बात का झुटलाना और उस में अदना शक लाना कुफ़्र (है) । फिर येह इन्कार जिस से ख़ुदा मुझे और सब मुसल्मानों को पनाह दे, दो त़रह़ होता है : (1) लुज़ूमी (2) इल्तिज़ामी । इल्तिज़ामी येह कि ज़रूरिय्याते दीन से किसी शै का तस्रीह़न (या'नी साफ़ साफ़) ख़िलाफ़ करे येह क़त़्अ़न इज्माअ़न कुफ़्र है अगर्चे (ख़िलाफ़ करने वाला) नामे कुफ़्र से चिड़े और कमाले इस्लाम का दा'वा करे । जैसे त़ाइफ़ा तालिफ़ा नयाचरा (या'नी हलाको बरबाद होने वाले नेचरी फ़िर्क़े वालों) का, वुजूदे मलक व जिन्न व शैत़ान व आस्मान व नार व जिनान व मो'जिज़ाते अम्बिया عَلَیْہِم اَفْضَلُ الصَّلٰوۃِ وَالسَّلَام से उन मआ़नी पर कि अहले इस्लाम के नज़्दीक हुज़ूर صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم से मुतवातिर हैं इन्कार करना और अपनी तावीलाते बात़िला व तवह्हुमाते आ़त़िला (या'नी झूटी तावीलों और ख़ाली वहमों) को ले मरना । न हरगिज़ हरगिज़

1... जो उ़लमाए किराम इल्मे कलाम या'नी इल्मे अ़क़ाइद के माहिर होते हैं और नक़्ली या'नी शरई दलाइल के साथ साथ अ़क़्ली दलाइल से भी अ़क़ाइद को साबित करते हैं उन्हें मुतकल्लिमीन कहा जाता है ।

2... फ़तावा अमजदिय्या, 4/512, 513

इन तावीलों के शोशे उन्हें कुफ़्र से बचाएंगे, न मह़ब्बते इस्लाम व हमदर्दी के झूटे दा'वे काम आएंगे...... और लुज़ूमी येह कि जो बात उस ने कही ऐ़ने कुफ़्र नहीं मगर मुन्जिर बि कुफ़्र (या'नी कुफ़्र की त़रफ़ ले जानी वाली) होती है, या'नी मआले सुख़न व लाज़िमे हुक्म को तरतीबे मुक़द्दमात व तत्मीमे तक़रीबात करते ले चलिये तो अन्जामे कार उस से किसी ज़रूरिये दीन का इन्कार लाज़िम आए।(1)

सुवाल सरकारे आ'ला ह़ज़रत رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه के मुबारक फ़तवे के बयान कर्दा इक्तिबास का आसान लफ़्ज़ों में ख़ुलासा कर दीजिये।

जवाब आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत, शाह इमाम अह़मद रज़ा ख़ान رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه अपने मुबारक फ़तवे के मज़्कूरा इक्तिबास में ईमान व कुफ़्र की ता'रीफ़ बयान करने के बा'द कुफ़्र की दो अक़्साम लुज़ूम व इल्तिज़ाम का ज़िक्र करते हुए फ़रमाते हैं :

(1) इल्तिज़ामे कुफ़्र या'नी ज़रूरिय्याते दीन में से किसी एक चीज़ का भी ख़िलाफ़ करना। चाहे वोह ख़िलाफ़ करने वाला ब ज़ाहिर इस्लाम का कैसा ही शैदाई बनता हो और बेशक कुफ़्र के नाम से चिड़ता हो मगर उस पर हुक्मे कुफ़्र है और वोह इस्लाम से ख़ारिज है। जैसा कि नेचरी फ़िर्क़े वाले जो कि ब ज़ाहिर इस्लाम और मिल्लते इस्लामिया की मह़ब्बतों का ख़ूब दम भरते और बढ़ चढ़ कर अपने आप को मुसल्मानों में खपाते हैं मगर कई ज़रूरिय्याते दीन का ख़िलाफ़ करते हैं मसलन मलाएका, जिन्नात, शैत़ान, आस्मान, जन्नत, दोज़ख़ और मो'जिज़ाते अम्बियाए किराम عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام के वोह मआ़नी जो कि हमारे मक्की मदनी आक़ा صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم से ब तवातुर साबित हैं और सभी अहले इस्लाम का जिन पर इत्तिफ़ाक़ है उन को तस्लीम करने के बजाए उलटी सीधी तावीलों के ज़रीए़ अपने मन घड़त जुदागाना मा'ना बयान करते हैं। लिहाज़ा नेचरियों को उन के मह़ब्बते इस्लाम के दा'वे हरगिज़ कुफ़्र से नहीं बचा सकते।

(2) लुज़ूमे कुफ़्र ऐ़न कुफ़्र तो नहीं होता मगर कुफ़्र तक ले जाने वाला होता है। या'नी कलाम का अन्जाम और हुक्म का लाज़िम कुफ़्रे ह़क़ीक़ी है। मुराद येह कि अगर मुक़द्दमात को तरतीब दिया जाए और तक़रीबात को मुकम्मल करते जाएं तो बिल आख़िर किसी ज़रूरते दीनी का इन्कार लाज़िम आए। इस की बहुत सी सूरतें होती हैं।

सुवाल ऐसे शख़्स के बारे में क्या हुक्म है जिस के "क़ौल" के कुफ़्र होने न होने में अइम्मए दीन या'नी फ़ुक़हा और मुतकल्लिमीन का इख़्तिलाफ़ हो ?

1... फ़तावा रज़विय्या, 15/431

जवाब ऐसा शख़्स अगर्चे इस्लाम से ख़ारिज नहीं, ताहम उस के लिये तौबा व तज्दीदे ईमान व निकाह़ का हुक्म है। चुनान्चे आ'ला ह़ज़रत, इमाम अह़मद रज़ा ख़ान رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : फिर जब कि अइम्मए दीन (या'नी फ़ुक़हा और मुतकल्लिमीन) उन के कुफ़्र में मुख़्तलिफ़ हो गए तो राह येह है कि अगर अपना भला चाहें जल्द अज़ सरे नौ कलिमए इस्लाम पढ़ें। चन्द सुतूर बा'द मज़ीद फ़रमाते हैं : इस के बा'द अपनी औ़रतों से तज्दीदे निकाह़ करें कि कुफ़्रे ख़िलाफ़ी (या'नी जिस क़ौल या फे़'ल के कुफ़्र होने में फ़ुक़हा और मुतकल्लिमीन का इख़्तिलाफ़ हो उस) का हुक्म येही है।[1]

सुवाल अगर कुफ़्र क़त़ई हो (मसलन क़ादियानी का कुफ़्र) और कोई मुफ़्ती उस में इख़्तिलाफ़ करे तो क्या हुक्म है ?

जवाब वोह "मुफ़्ती" ही नहीं जो क़त़ई कुफ़्र में इख़्तिलाफ़ करे बल्कि अ़वाम के साथ साथ ऐसे मुफ़्ती का हुक्म भी फ़ुक़हाए किराम رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام के नज़्दीक येह है : مَنْ شَكَّ فِيْ عَذَابِهٖ وَكُفْرِهٖ فَقَدْ كَفَرَ। या'नी जो उस (क़त़ई कुफ़्र बकने वाले काफ़िर) के अ़ज़ाब और कुफ़्र में शक करे वोह ख़ुद काफ़िर है।[2]

सुवाल किसी सुन्नी सह़ीहुल अ़क़ीदा मुसल्मान को काफ़िर कहना कैसा है ?

जवाब सदरुश्शरीअ़ह, बदरुत्त़रीक़ह ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना मुफ़्ती मुह़म्मद अमजद अ़ली आ'ज़मी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : किसी मुसल्मान को काफ़िर कहा तो ता'ज़ीर (या'नी सज़ा) है। रहा येह कि वोह क़ाइल (या'नी मुसल्मान को काफ़िर कहने वाला) ख़ुद काफ़िर होगा या नहीं, इस में दो सूरतें हैं :

(1) अगर उसे मुसल्मान जानता है तो काफ़िर न हुवा और (2) अगर उसे काफ़िर ए'तिक़ाद करता (या'नी येह अ़क़ीदा रखता है कि येह काफ़िर है) तो ख़ुद काफ़िर है कि मुसल्मान को काफ़िर जानना दीने इस्लाम को कुफ़्र जानना है और दीने इस्लाम को कुफ़्र जानना कुफ़्र है। हां अगर उस शख़्स में कोई ऐसी बात पाई जाती है जिस की बिना पर तक्फ़ीर हो सके और इस ने उसे काफ़िर कहा और जाना तो (कहने वाला) काफ़िर न होगा।[3]

नीज़ फ़रमाया : (मुसल्मान को बत़ौरे गाली) बद मज़्हब, मुनाफ़िक़, ज़िन्दीक़, यहूदी, नसरानी, नसरानी का बच्चा, काफ़िर का बच्चा कहने पर भी ता'ज़ीर (सज़ा) है।[4] अलबत्ता जो वाक़ेई काफ़िर है उस को काफ़िर ही कहेंगे।

1... फ़तावा रज़विय्या, 15/445, 446

2... درمختار، کتاب الجہاد، باب المرتد، 6/356

3... درمختار مع ردالمحتار، کتاب الحدود، باب التعزیر، مطلب فی الجرح المجرد، 6/111

4... बहारे शरीअ़त, 2/409, हिस्सा : 9 मुलख़्ख़सन درمختار، کتاب الحدود، باب التعزیر، 6/111

सुवाल अगर कोई ना बालिग़ बच्चा कलिमए कुफ़्र बक दे तो क्या उस पर भी हुक्मे कुफ़्र लागू हो जाता है ? अगर हां तो फिर जब बालिग़ होने के बा'द उस को पता चले कि मैं ने ना बालिग़ी में कुफ़्र बका था और जो कुफ़्र बका था कुछ कुछ याद है सह़ीह़ त़रह़ याद भी नहीं तो अब किस त़रह़ तौबा करे ?

जवाब ना बालिग़ समझदार का कुफ़्र व इस्लाम मो'तबर है। मेरे आक़ा आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत मौलाना शाह अह़मद रज़ा ख़ान رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : समझदार बच्चा अगर इस्लाम के बा'द कुफ़्र करे तो हमारे नज़्दीक वोह मुरतद होगा।[1]

मा'लूम हुवा बालिग़ या समझदार ना बालिग़ कुफ़्र करे तो मुरतद हो जाएगा। अगर बालिग़ होने के बा'द एह़सास हुवा और अगर कुफ़्रिय्या क़ौल याद है तो ख़ास उस से तौबा करे और अगर शक है या याद नहीं तो उस मश्कूक कुफ़्रिय्या कलिमे समेत हर क़िस्म के कुफ़्र से तौबा करे। या'नी इस त़रह़ कहे : मैं तमाम कुफ़्रिय्यात से तौबा करता हूं। फिर कलिमा पढ़ ले।

सुवाल घर के फ़र्द या दोस्त वग़ैरा की कोई बात सुन या देख कर क्या आ़म आदमी भी उस को काफ़िर कह सकता है ?

जवाब जब किसी बात के कुफ़्र होने के बारे में यक़ीनी त़ौर पर मा'लूम हो मसलन किसी मुफ़्ती साह़िब ने बताया हो या किसी मो'तबर किताब मसलन बहारे शरीअ़त या फ़तावा रज़विय्या शरीफ़ वग़ैरा में पढ़ा हो तब तो उस कुफ़्री बात को कुफ़्र ही समझे वरना सिर्फ़ अपनी अट्कल से हरगिज़ हरगिज़ हरगिज़ किसी मुसल्मान को काफ़िर न कहे। क्यूं कि कई जुम्ले ऐसे होते हैं जिन के बा'ज़ पहलू कुफ़्र की त़रफ़ जा रहे होते हैं और बा'ज़ इस्लाम की त़रफ़ और कहने वाले की निय्यत का भी मा'लूम नहीं होता कि उस ने कौन सा पहलू मुराद लिया है। मेरे आक़ा आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत मौलाना शाह अह़मद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن फ़रमाते हैं : हमारे अइम्मा رَحِمَهُمُ الله ने हुक्म दिया है कि अगर किसी कलाम में 99 एह़तिमाल कुफ़्र के हों और एक इस्लाम का तो वाजिब है कि एह़तिमाले इस्लाम पर कलाम मह़मूल किया जाए जब तक उस का ख़िलाफ़ साबित न हो।[2]

सदरुश्शरीअ़ह, बदरुत्त़रीक़ह ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना मुफ़्ती मुह़म्मद अमजद अ़ली आ'ज़मी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : किसी कलाम में चन्द मा'ना बनते हैं बा'ज़ कुफ़्र की त़रफ़ जाते हैं बा'ज़ इस्लाम की त़रफ़ तो उस शख़्स की तक्फ़ीर नहीं की जाएगी हां अगर मा'लूम हो कि क़ाइल (कहने वाले) ने मा'निये

1... फ़तावा अफ़्रीक़ा, स. 16 माख़ूज़न
2... फ़तावा रज़विय्या, 14 /604, 605

कुफ़्र का इरादा किया मसलन वोह ख़ुद कहता है कि मेरी मुराद येही (कुफ़्रिय्या मा'ना वाली) है तो (अब) कलाम का मोह्‌तमल होना (या'नी कलाम में तावील का पाया जाना) नफ़्अ़ न देगा। यहां से मा'लूम हुवा कि कलिमे के कुफ़्र होने से क़ाइल का काफ़िर होना ज़रूर नहीं।[1]

सुवाल क्या येह ख़याल दुरुस्त है कि किसी शख़्स में एक बात भी इस्लाम की हो तो उसे काफ़िर न कहा जाए ?

जवाब किसी कलाम में चन्द मा'ना बनते हैं बा'ज़ कुफ़्र की त़रफ़ जाते हैं बा'ज़ इस्लाम की त़रफ़ तो उस शख़्स की तक्फ़ीर नहीं की जाएगी। हां अगर मा'लूम हो कि क़ाइल ने मा'नए कुफ़्र का इरादा किया मसलन वोह ख़ुद कहता है कि मेरी मुराद येही है तो कलाम का मोह्‌तमल होना नफ़्अ़ न देगा। यहां से मा'लूम हुवा कि कलिमे के कुफ़्र होने से क़ाइल का काफ़िर होना ज़रूर नहीं। आज कल बा'ज़ लोगों ने येह ख़याल कर लिया है कि किसी शख़्स में एक बात भी इस्लाम की हो तो उसे काफ़िर न कहेंगे येह बिल्कुल ग़लत़ है क्या यहूदो नसारा में इस्लाम की कोई बात नहीं पाई जाती ह़ालां कि क़ुरआने अ़ज़ीम में उन्हें काफ़िर फ़रमाया गया।

बल्कि बात येह है कि उ़लमा ने फ़रमाया येह था कि अगर किसी मुसल्मान ने ऐसी बात कही जिस के बा'ज़ मा'ना इस्लाम के मुत़ाबिक़ हैं तो काफ़िर न कहेंगे इस को उन लोगों ने येह बना लिया। एक येह वबा भी फैली हुई है कहते हैं कि "हम तो काफ़िर को भी काफ़िर न कहेंगे कि हमें क्या मा'लूम कि उस का ख़ातिमा कुफ़्र पर होगा" येह भी ग़लत़ है क़ुरआने अ़ज़ीम ने काफ़िर को काफ़िर कहा और काफ़िर कहने का हुक्म दिया। ﴿قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَۙ۝۱﴾[2] और अगर ऐसा है तो मुसल्मान को भी मुसल्मान न कहो तुम्हें क्या मा'लूम कि इस्लाम पर मरेगा ख़ातिमे का ह़ाल तो ख़ुदा जाने मगर शरीअ़त ने काफ़िर व मुस्लिम में इम्तियाज़ रखा है अगर काफ़िर को काफ़िर न जाना जाए तो क्या उस के साथ वोही मुआ़मलात करोगे जो मुस्लिम के साथ होते हैं ह़ालां कि बहुत से उमूर ऐसे हैं जिन में कुफ़्फ़ार के अह्‌काम मुसल्मानों से बिल्कुल जुदा हैं मसलन उन के जनाज़े की नमाज़ न पढ़ना, उन के लिये इस्तिग़्फ़ार न करना, उन को मुसल्मानों की त़रह़ दफ़्न न करना, उन को अपनी लड़कियां न देना वग़ैरा वग़ैरा।

बा'ज़ जाहिल येह कहते हैं कि "हम किसी को काफ़िर नहीं कहते, आ़लिम लोग जानें वोह काफ़िर कहें" मगर क्या येह लोग नहीं जानते कि अ़वाम के तो वोही अ़क़ाइद होंगे जो क़ुरआनो ह़दीस वग़ैरहुमा

1... बहारे शरीअ़त, 2/455, हिस्सा : 9
2... पारह : 30, अल काफ़िरून : 1

से उ़लमा ने उन्हें बताए या अ़वाम के लिये कोई शरीअ़त जुदागाना है जब ऐसा नहीं तो फिर आ़लिमे दीन के बताए पर क्यूं नहीं चलते नीज़ येह कि ज़रूरिय्यात का इन्कार कोई ऐसा अम्र नहीं जो उ़लमा ही जानें अ़वाम जो उ़लमा की सोह़बत से मुशर्रफ़ होते रहते हैं वोह भी उन से बे ख़बर नहीं होते फिर ऐसे मुआ़मले में पहलू तही और ए'राज़ के क्या मा'ना।

यहां चन्द दीगर कलिमाते कुफ़्र जो लोगों से सादिर होते हैं बयान किये जाते हैं ताकि उन का भी इ़ल्म ह़ासिल हो और ऐसी बातों से तौबा की जाए और इस्लामी ह़ुदूद की मुह़ाफ़ज़त की जाए।

ईमान व इस्लाम से मुतअ़ल्लिक़ कुफ़्रिय्या कलिमात

सुवाल किसी शख़्स को अपने ईमान में शक हो तो ऐसे के बारे में क्या हुक्म है ?

जवाब जिस शख़्स को अपने ईमान में शक हो या'नी कहता है कि मुझे अपने मोमिन होने का यक़ीन नहीं या कहता है मा'लूम नहीं मैं मोमिन हूं या काफ़िर वोह काफ़िर है। हां अगर उस का मत़लब येह हो कि मा'लूम नहीं मेरा ख़ातिमा ईमान पर होगा या नहीं तो काफ़िर नहीं। जो शख़्स ईमान व कुफ़्र को एक समझे या'नी कहता है कि सब ठीक है ख़ुदा को सब पसन्द है वोह काफ़िर है। यूंही जो शख़्स ईमान पर राज़ी नहीं या कुफ़्र पर राज़ी है वोह भी काफ़िर है।

सुवाल इस्लाम को बुरा कहने वाले के बारे में क्या हुक्म है ?

जवाब एक शख़्स गुनाह करता है लोगों ने उसे मन्अ़ किया तो कहने लगा इस्लाम का काम इसी त़रह़ करना चाहिये या'नी जो गुनाह व मा'सियत को इस्लाम कहता है वोह काफ़िर है। यूंही किसी ने दूसरे से कहा : मैं मुसल्मान हूं, उस ने जवाब में कहा : तुझ पर भी ला'नत और तेरे इस्लाम पर भी ला'नत, ऐसा कहने वाला काफ़िर है।

अल्लाह पाक की ज़ाते मुबारका से मुतअ़ल्लिक़ कुफ़्रिय्या कलिमात

सुवाल **अल्लाह** पाक की ज़ाते मुबारका से मुतअ़ल्लिक़ बोले जाने वाले चन्द कुफ़्रिय्या कलिमात बता दें ?

जवाब (1) अगर येह कहा : ख़ुदा मुझे इस काम के लिये हुक्म देता जब भी न करता तो काफ़िर है। (2) एक ने दूसरे से कहा : मैं और तुम ख़ुदा के हुक्म के मुवाफ़िक़ काम करें दूसरे ने कहा : मैं ख़ुदा का हुक्म नहीं जानता, या कहा : यहां किसी का हुक्म नहीं चलता। (3) कोई शख़्स बीमार नहीं होता या बहुत बूढ़ा है मरता नहीं उस के लिये येह कहना कि इसे **अल्लाह** मियां भूल गए हैं। (4) किसी ज़बान दराज़ आदमी से येह कहना कि ख़ुदा तुम्हारी ज़बान का मुक़ाबला कर ही नहीं सकता मैं किस त़रह़ करूं येह कुफ़्र है। (5) एक ने दूसरे से कहा : अपनी औ़रत को क़ाबू में नहीं रखता, उस ने कहा : औ़रतों पर ख़ुदा को तो क़ुदरत है नहीं, मुझ को कहां से होगी।

सुवाल **अल्लाह** करीम के लिये मकान साबित करने का क्या हुक्म है ?

जवाब ख़ुदा के लिये मकान साबित करना कुफ़्र है कि वोह मकान से पाक है येह कहना कि ऊपर ख़ुदा है नीचे तुम येह कलिमए कुफ़्र है।

सुवाल "रोज़ी देने वाला या इन्साफ़ करने वाला ऊपर बैठा है।" कहना कैसा ?

जवाब येह कलिमए कुफ़्र है क्यूं कि इस में **अल्लाह** करीम के लिये सम्त व मकान साबित किये गए हैं। सदरुश्शरीअ़ह, बदरुत्तरीक़ह ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना मुफ़्ती मुह़म्मद अमजद अ़ली आ'ज़मी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : **अल्लाह** करीम के लिये मकान साबित करना कुफ़्र है कि वोह मकान से पाक है, येह कहना कि "ऊपर ख़ुदा है नीचे तुम" येह कलिमए कुफ़्र है।(1)

सुवाल अपने बच्चों को बा'ज़ लोग येही ज़ेह्न देते हैं कि **अल्लाह** ऊपर है। लिहाज़ा उन बच्चों को जब प्यार से पूछा जाए कि **अल्लाह** पाक कहां है ? तो फ़ौरन आस्मान की त़रफ़ उंगली उठा देते हैं। ऐसा सिखाना कैसा ?

जवाब इस त़रह़ वोही सिखाता होगा जिस का अपना ज़ेह्न भी येही होता होगा कि مَعَاذَ الله "**अल्लाह** पाक ऊपर है या ऊपर उस का मकान है जिस में वोह रहता है" येह दोनों बातें कुफ़्र हैं। **अल्लाह** पाक जिहत (या'नी सम्त) से भी पाक है और मकान से भी। बच्चे को इशारा मत सिखाइये बल्कि जूं ही बोलने के लाइक़ हो सब से पहले उस की ज़बान से लफ़्ज़ "**अल्लाह**" निकलवाने की कोशिश फ़रमाइये। इस के बा'द لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ कहना सिखाइये। नीज़ उस को येह कहना भी सिखाइये : **अल्लाह** हमारी जान से भी क़रीब है। पारह 26 सूरए قٓ आयत नम्बर 16 में **अल्लाह** पाक इर्शाद फ़रमाता है : وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ ﴿۱۶﴾ **तरजमए कन्ज़ुल ईमान :** और हम दिल की रग से भी उस से ज़ियादा नज़्दीक हैं।

सदरुल अफ़ाज़िल ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना सय्यिद मुह़म्मद नईमुद्दीन मुरादआबादी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : येह कमाले इ़ल्म का बयान है कि हम बन्दे के ह़ाल को ख़ुद उस से ज़ियादा जानने वाले हैं, "वरीद" वोह रग है जिस में ख़ून जारी हो कर बदन के हर हर जुज़्व (या'नी ह़िस्से) में पहुंचता है, येह रग गरदन में है। मा'ना येह हैं कि इन्सान के अज्ज़ा एक दूसरे से पर्दे में हैं मगर **अल्लाह** पाक से कोई चीज़ पर्दे में नहीं।(2)

1... बहारे शरीअ़त, 2/462, ह़िस्सा : 9

2... तफ़्सीरे ख़ज़ाइनुल इ़रफ़ान, पारह : 26, قٓ, तह़तल आयह : 16

सुवाल आज कल गूंगे बहरों को तरबियत देने वाले "**अल्लाह**" का इशारा आस्मान की त़रफ़ उंगली उठवा कर सिखाते हैं येह कहां तक दुरुस्त है ?

जवाब येह त़रीक़ा क़त्अ़न ग़लत़ है। उन बेचारों के ज़ेह्न में येही नज़्रिय्यात बैठ जाते होंगे कि "**अल्लाह** पाक ऊपर है या ऊपर उस का मकान है जिस में वोह रहता है" येह दोनों बातें कुफ़्र हैं" **अल्लाह** पाक जिहत (या'नी सम्त) से भी पाक है और मकान से भी। आस्मान की त़रफ़ इशारा करने के बजाए उन को हाथ के ज़रीए़ लफ़्ज़ "**अल्लाह**" बनाना सिखाना चाहिये और इस का त़रीक़ा निहायत ही आसान है। सीधे हाथ की उंग्लियां मा'मूली सी कुशादा कर के अंगूठे का सिरा ऊपर की त़रफ़ थोड़ा सा बढ़ा कर शहादत की उंगली के पहलू के वस्त़ में लगा लीजिये अब सीधी हथेली की पुश्त की त़रफ़ देखिये तो लफ़्ज़ الله मह़सूस होगा। इसी त़रह़ कर के उलटे हाथ की हथेली की अगली त़रफ़ देखेंगे तो "**अल्लाह** (الله)" लिखा हुवा नज़र आएगा।

सुवाल किसी से यूं कहना कैसा है कि "ऊपर **अल्लाह** का सहारा, ज़मीन पर आप का सहारा"।

जवाब कुफ़्र है कि इस में **अल्लाह** पाक के लिये मकान व सम्त को साबित किया जा रहा है।

सुवाल किसी ने कहा : "**अल्लाह** पाक हर जगह है, का'बे में भी है, मस्जिद में भी है, मन्दिर में भी है और गिरजा में भी है" कहने वाले के लिये क्या हुक्म है ?

जवाब कहने वाले पर लुज़ूमे कुफ़्र का हुक्म है क्यूं कि इस में **अल्लाह** पाक के लिये मकान साबित किया गया है। इस त़रह़ के कलिमात ह़म्दिया कलाम में बा'ज़ ना'त ख़्वान पढ़ते हैं, उन को तौबा व तज्दीदे ईमान व तज्दीदे निकाह़ करना चाहिये।

सुवाल **अल्लाह** पाक को "ह़ाज़िरो नाज़िर" कहना जाइज़ है या नहीं है ?

जवाब बेशक हर चीज़ **अल्लाह** पाक पर इ़यां है और वोह हर चीज़ को देखता भी है लेकिन **अल्लाह** पाक की इन सिफ़ात को बयान करने के लिये "ह़ाज़िरो नाज़िर" के अल्फ़ाज़ इस्ति'माल नहीं कर सकते क्यूं कि एक तो येह अल्फ़ाज़ **अल्लाह** पाक के अस्मा में से नहीं हैं और दूसरा येह कि इन लफ़्ज़ों के अ़रबी लुग़त में जो मआ़नी बयान किये गए वोह **अल्लाह** करीम की शान के लाइक़ नहीं हैं इसी लिये उ़लमाए किराम फ़रमाते हैं कि इन अल्फ़ाज़ का **अल्लाह** पाक के लिये इस्ति'माल मन्अ़ है। लिहाज़ा **अल्लाह** करीम की इन सिफ़ात को बयान करने के लिये "ह़ाज़िरो नाज़िर" के बजाए "शहीदो बसीर" कहा जाए। जैसा कि **अल्लाह** करीम ने ख़ुद इर्शाद फ़रमाया है :

إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ ﴿١٧﴾ (پ17، الحج:17) **तरजमए कन्ज़ुल ईमान :** बेशक हर चीज़ **अल्लाह** के सामने है।

एक और जगह इर्शादे बारी है :

إِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌۢ بَصِيرٌ ﴿٧٥﴾ (پ17، الحج:75) तरजमए कन्ज़ुल ईमान : बेशक **अल्लाह** सुनता देखता है।

मुफ़्ती वक़ारुद्दीन क़ादिरी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه लिखते हैं : "ह़ाज़िरो नाज़िर के जो मा'ना लुग़त में हैं उन मआ़नी के ए'तिबार से **अल्लाह** पाक की ज़ात पर इन अल्फ़ाज़ का बोलना जाइज़ नहीं है।" "ह़ाज़िर" का मा'ना अ़रबी लुग़त की मा'रूफ़ व मो'तबर कुतुब अल मुन्जिद और मुख़्तारुस्सिह़ाह़ वग़ैरा में येह लिखे हैं : नज़्दीकी, सह़्न, ह़ाज़िर होने की जगह, जो चीज़ खुल्लम खुल्ला बे ह़िजाब आंखों के सामने हो उसे ह़ाज़िर कहते हैं। और "नाज़िर" के मा'ना मुख़्तारुस्सिह़ाह़ में आंख के ढेले की सियाही जब कि नज़र के मा'ना किसी अम्र में तफ़क्कुरो तदब्बुर करना, किसी चीज़ का अन्दाज़ा करना और आंख से किसी चीज़ में तअम्मुल करना लिखे हैं। इन दोनों लफ़्ज़ों के लुग़वी मा'ना के ए'तिबार से **अल्लाह** करीम को पाक समझना वाजिब है। बिग़ैर तावील इन अल्फ़ाज़ को **अल्लाह** करीम पर नहीं बोला जा सकता। इसी लिये अस्माए ह़ुस्ना में "ह़ाज़िरो नाज़िर" बतौरे इस्म या सिफ़त शामिल नहीं हैं। क़ुरआनो ह़दीस में येह अल्फ़ाज़ **अल्लाह** पाक के लिये आए हैं और न ही सह़ाबए किराम और ताबिई़न या अइम्मए मुज्तहिदीन ने येह अल्फ़ाज़ **अल्लाह** पाक के लिये इस्ति'माल किये हैं।"[1]

फ़तावा फ़ैज़ुर्रसूल में है : "अगर ह़ाज़िरो नाज़िर ब मा'ना शहीद व बसीर ए'तिक़ाद रखते हैं या'नी हर मौजूद **अल्लाह** करीम के सामने है और वोह हर मौजूद को देखता है, तो येह अ़क़ीदा ह़क़ है मगर इस अ़क़ीदे की ता'बीर लफ़्ज़ ह़ाज़िरो नाज़िर से करना या'नी **अल्लाह** पाक के बारे में ह़ाज़िरो नाज़िर का लफ़्ज़ इस्ति'माल करना नहीं चाहिये लेकिन फिर भी कोई शख़्स इस लफ़्ज़ को **अल्लाह** पाक के बारे में बोले तो वोह कुफ़्र न होगा।[2]" और मुफ़्ती शरीफ़ुल ह़क़ अमजदी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه लिखते हैं : "**अल्लाह** पाक को ह़ाज़िरो नाज़िर कहने वाला काफ़िर तो नहीं मगर **अल्लाह** करीम को ह़ाज़िर व नाज़िर कहना मन्अ़ है कि **अल्लाह** करीम के अस्मा तौक़ीफ़ी हैं या'नी शरीअ़त ने जिन अस्मा का इत़्लाक़ रब्बे करीम पर किया है उसी का इत़्लाक़ दुरुस्त और जिन अस्मा का इत़्लाक़ नहीं फ़रमाया उन से एह़तिराज़ चाहिये।"[3]

सुवाल **अल्लाह** पाक को इन्सान की त़रह़ बदन वाला मानना कैसा है ?

जवाब ऐसा कहने या मानने वाला काफ़िर है। आ'ला ह़ज़रत इमाम अह़मद रज़ा ख़ान رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه

1... वक़ारुल फ़तावा, 1/66
2... फ़तावा फ़ैज़ुर्रसूल, 1/43
3... फ़तावा शारेह़े बुख़ारी, 1/305

फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 14, सफ़्हा 250 पर "दुर्रे मुख़्तार" के हवाले से नक़्ल करते हैं : अगर ज़रूरिय्याते दीन से किसी चीज़ का मुन्किर हो तो काफ़िर है जैसे येह कहना कि **अल्लाह** पाक अज्साम के मानिन्द जिस्म है।(1)

सुवाल किसी से यूं कहना कैसा है कि "ऊपर **अल्लाह** का सहारा, ज़मीन पर आप का सहारा।"

जवाब कुफ़्र है कि इस में **अल्लाह** पाक के लिये मकान व सम्त को साबित किया जा रहा है।

सुवाल **अल्लाह** मियां कहना कैसा ?

जवाब **अल्लाह** पाक के साथ "मियां" का लफ़्ज़ बोलना मम्नूअ़ है। **अल्लाह** पाक, **अल्लाह** तआ़ला, और **अल्लाह** तबारक व तआ़ला वग़ैरा बोलना चाहिये। आ'ला ह़ज़रत رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ फ़रमाते हैं : "(**अल्लाह** पाक के लिये) मियां का इत़्लाक़ न किया जाए (या'नी न बोला जाए) कि वोह तीन मा'ना रखता है, उन में दो (2) रब्बुल इ़ज़्ज़त के लिये मुह़ाल (या'नी ना मुम्किन) हैं, मियां (या'नी) आक़ा और शौहर और मर्द व औ़रत में ज़िना का दलाल, लिहाज़ा इत़्लाक़ मम्नूअ़।"(2)

सुवाल **अल्लाह** पाक को सख़ी कह सकते हैं या नहीं ?

जवाब **अल्लाह** पाक को सख़ी नहीं जवाद कहना चाहिये। आ'ला ह़ज़रत इमाम अह़मद रज़ा ख़ान رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ फ़तावा रज़विय्या जिल्द 27 सफ़्हा 165 पर फ़रमाते हैं : अस्माए इलाहिय्यह तौक़ीफ़िया (या'नी क़ुरआनो ह़दीस की त़रफ़ से **अल्लाह** पाक के ठहराए हुए नाम) हैं, यहां तक कि **अल्लाह** पाक का जवाद होना अपना ईमान मगर उसे सख़ी नहीं कह सकते कि शरअ़ में वारिद नहीं। मुफ़स्सिरे क़ुरआन ह़कीमुल उम्मत ह़ज़रते मुफ़्ती अह़मद यार ख़ान رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ फ़रमाते हैं : मुह़ावरए अ़रब में उ़मूमन सख़ी उसे कहते हैं जो ख़ुद भी खाए औरों को भी खिलाए। जवाद वोह जो ख़ुद न खाए औरों को खिलाए। इसी लिये **अल्लाह** पाक को सख़ी नहीं कहा जाता है। सख़ी के मुक़ाबिल (OPPOSITE) बख़ील है (और बख़ील वोह है) जो ख़ुद खाए औरों को न खिलाए। जवाद का मुक़ाबिल (OPPOSITE) मुम्सिक है (और मुम्सिक वोह है) जो न खाए न खाने दे। **अल्लाह** पाक की तमाम दुन्यवी उख़्रवी ने'मतें दुन्या के लिये हैं उस (की अपनी ज़ात) के लिये नहीं।(3)

1... درمختار، کتاب الصلوۃ، باب الامامۃ، 2/358

2... फ़तावा रज़विय्या, 14/613

3... मिरआतुल मनाजीह़, 1/22

सुवाल जो कहे मैं जहन्नम से या अ़ज़ाब से नहीं डरता उस के बारे में क्या हुक्म है ?

जवाब किसी से कहा : गुनाह न कर, वरना खुदा तुझे जहन्नम में डालेगा, उस ने कहा : मैं जहन्नम से नहीं डरता, या कहा : खुदा के अ़ज़ाब की कुछ परवा नहीं। या एक ने दूसरे से कहा : तू खुदा से नहीं डरता ? उस ने गुस्से में कहा : नहीं, या कहा : खुदा क्या कर सकता है इस के सिवा क्या कर सकता है कि दोज़ख़ में डाल दे। या कहा : खुदा से डर, उस ने कहा : खुदा कहां है ? येह सब कुफ़्र के कलिमात हैं।

सुवाल अगर कोई येह कहे मैं اِنْ شَآءَاللّٰه के बिग़ैर काम करूंगा तो क्या हुक्म है ?

जवाब किसी से कहा : اِنْ شَآءَاللّٰه तुम इस काम को करोगे, उस ने कहा : मैं बिग़ैर اِنْ شَآءَاللّٰه करूंगा या एक ने दूसरे पर ज़ुल्म किया मज़्लूम ने कहा : खुदा ने येही मुक़द्दर किया था, ज़ालिम ने कहा : मैं बिग़ैर **अल्लाह** (पाक) के मुक़द्दर किये करता हूं, येह कुफ़्र है।

सुवाल क्या मोहताजी कुफ़्र है ?

जवाब किसी मिस्कीन ने अपनी मोहताजी को देख कर येह कहा : ऐ खुदा ! फ़ुलां भी तेरा बन्दा है उस को तू ने कितनी ने'मतें दे रखी हैं और मैं भी तेरा बन्दा हूं मुझे किस क़दर रन्जो तक्लीफ़ देता है आख़िर येह क्या इन्साफ़ है ऐसा कहना कुफ़्र है। ह़दीस में ऐसे ही के लिये फ़रमाया : "كَادَ الْفَقْرُ اَنْ يَّكُوْنَ كُفْرًا"[1] मोह़ताजी कुफ़्र के क़रीब है कि जब मोह़ताजी के सबब ऐसे ना मुलायम कलिमात सादिर हों जो कुफ़्र हैं तो गोया खुद मोह़ताजी क़रीब ब कुफ़्र है।

सुवाल **अल्लाह** पाक के नाम की तसग़ीर करना कैसा है ?

जवाब **अल्लाह** पाक के नाम की तसग़ीर करना कुफ़्र है, जैसे किसी का नाम अ़ब्दुल्लाह या अ़ब्दुल ख़ालिक़ या अ़ब्दुर्रह़मान हो उसे पुकारने में आख़िर में अलिफ़ वग़ैरा ऐसे हुरूफ़ मिला दें जिस से तसग़ीर समझी जाती है।

1 ... شعب الایمان، باب فی الحث علی ترک الغل والحسد، 5/267، حدیث:6612

सुवाल तेरा बाप **अल्लाह अल्लाह** करता है येह कहना कैसा है ?

जवाब एक शख़्स नमाज़ पढ़ रहा है उस का लड़का बाप को तलाश कर रहा था और रोता था किसी ने कहा : चुप रह तेरा बाप **अल्लाह अल्लाह** करता है येह कहना कुफ़्र नहीं क्यूं कि इस के मा'ना येह हैं कि ख़ुदा की याद करता है और बा'ज़ जाहिल येह कहते हैं कि لَا إِلٰهَ पढ़ता है येह बहुत क़बीह़ है कि येह नफ़्ये मह्ज़ है, जिस का मत़लब येह हुवा कि कोई ख़ुदा नहीं और येह मा'ना कुफ़्र हैं।

अम्बियाए किराम से मुतअ़ल्लिक़ कुफ़्रिय्या कलिमात

सुवाल अम्बियाए किराम عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام की त़रफ़ बे ह़याई की निस्बत करने का क्या हुक्म है ?

जवाब अम्बिया عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام की तौहीन करना, इन की जनाब में गुस्ताख़ी करना या इन को फ़वाह़िश व बे ह़याई की त़रफ़ मन्सूब करना कुफ़्र है, मसलन مَعَاذَ الله यूसुफ़ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام को ज़िना की त़रफ़ निस्बत करना।

सुवाल नबिय्ये अकरम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم को ख़ातमुन्नबिय्यीन न जानने वाले नीज़ आप صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم से मन्सूब अश्या की तौहीन करने वाले के बारे में क्या हुक्म है ?

जवाब जो शख़्स हुज़ूरे अक्दस صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم को तमाम अम्बिया में आख़िर नबी न जाने या हुज़ूर (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) की किसी चीज़ की तौहीन करे या ऐ़ब लगाए, आप के मूए मुबारक को तह़क़ीर से याद करे, आप के लिबास मुबारक को गन्दा और मैला बताए, हुज़ूर (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) के नाख़ुन बड़े बड़े कहे येह सब कुफ़्र है, बल्कि अगर किसी के इस कहने पर कि हुज़ूर (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) को कद्दू पसन्द था कोई येह कहे मुझे पसन्द नहीं तो बा'ज़ उ़लमा के नज़्दीक काफ़िर है और ह़क़ीक़त येह कि अगर इस हैसिय्यत से उसे ना पसन्द है कि हुज़ूर (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) को पसन्द था तो काफ़िर है। यूंही किसी ने येह कहा कि हुज़ूरे अक्दस صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم खाना तनावुल फ़रमाने के बा'द तीन बार अंगुश्त हाए मुबारका चाट लिया करते थे, इस पर किसी ने कहा : येह अदब के ख़िलाफ़ है या किसी सुन्नत की तह़क़ीर करे, मसलन दाढ़ी बढ़ाना, मूंछें कम करना, इमामा बांधना या शम्ला लटकाना, इन की इहानत कुफ़्र है जब कि सुन्नत की तौहीन मक़्सूद हो।

सुवाल अपने आप को पैग़म्बर कहने वाले का क्या हुक्म है ?

जवाब अब जो अपने को कहे मैं पैग़म्बर हूं और इस का मत़लब येह बताए कि मैं पैग़ाम पहुंचाता हूं वोह काफ़िर है या'नी येह तावील मस्मूअ़ नहीं कि उ़र्फ़ में येह लफ़्ज़ रसूल व नबी के मा'ना में है।

सह़ाबए किराम से मुतअ़ल्लिक़ कुफ़्रिय्या कलिमात

सुवाल ह़ज़रते अबू बक्र सिद्दीक़ व ह़ज़रते उ़मर फ़ारूके़ आ'ज़म رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا की ख़िलाफ़त के इन्कार का क्या हुक्म है ?

जवाब ह़ज़राते शैख़ैन رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا की शाने पाक में सब्बो शत्म करना, तबर्रा कहना या ह़ज़रते सिद्दीके़ अक्बर رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ की सोह़बत या इमामत व ख़िलाफ़त से इन्कार करना कुफ़्र है। ह़ज़रते उम्मुल मुअमिनीन सिद्दीक़ा رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا की शाने पाक में क़ज़्फ़ जैसी नापाक तोहमत लगाना यक़ीनन क़त़्अ़न कुफ़्र है।

फ़िरिश्तों से मुतअ़ल्लिक़ कुफ़्रिय्या कलिमात

सुवाल दुश्मन या ना पसन्द शख़्स को मलकुल मौत कहने का क्या हुक्म है ?

जवाब दुश्मन व मबग़ूज़ को देख कर येह कहना मलकुल मौत आ गए या कहा : उसे वैसा ही दुश्मन जानता हूं जैसा मलकुल मौत को, इस में अगर मलकुल मौत को बुरा कहना है तो कुफ़्र है और मौत की ना पसन्दीदगी की बिना पर है तो कुफ़्र नहीं। यूंही जिब्रईल या मीकाईल या किसी फ़िरिश्ते को जो शख़्स ऐ़ब लगाए या तौहीन करे काफ़िर है।

सुवाल क़ुरआने पाक की किसी आयत को मज़ाक़ के त़ौर पर पढ़ना कैसा है ?

जवाब क़ुरआन की किसी आयत को ऐ़ब लगाना या उस की तौहीन करना या उस के साथ मस्ख़रा पन करना कुफ़्र है मसलन दाढ़ी मुंडाने से मन्अ़ करने पर अक्सर दाढ़ी मुन्डे कह देते हैं ﴿كَلَّا سَوۡفَ تَعۡلَمُوۡنَ ۙ﴾[1] जिस का येह मत़लब बयान करते हैं कि कल्ला साफ़ करो येह क़ुरआने मजीद की तह़रीफ़ व तब्दील भी है और इस के साथ मज़ाक़ और दिललगी भी और येह दोनों बातें कुफ़्र, इसी त़रह़ अक्सर बातों में क़ुरआने मजीद की आयतें बे मौक़अ़ पढ़ दिया करते हैं और मक़्सूद हंसी करना होता है जैसे किसी को नमाज़े जमाअ़त के लिये बुलाया, वोह कहने लगा मैं जमाअ़त से नहीं बल्कि तन्हा पढूंगा, क्यूं कि **अल्लाह** पाक फ़रमाता है : [2]﴿اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنۡهٰى﴾

सुवाल मज़ामीर के साथ क़ुरआन पढ़ना कैसा ?

जवाब मज़ामीर के साथ क़ुरआन पढ़ना कुफ़्र है।

1... पारह : 30, अत्तकासुर : 3
2... पारह : 21, अल अ़न्कबूत : 45

नमाज़, अज़ान, रोज़ा वग़ैरा से मुतअ़ल्लिक़ कुफ़्रिय्या कलिमात

सुवाल नमाज़ से मुतअ़ल्लिक़ चन्द कुफ़्रिय्या कलिमात बता दीजिये।

जवाब किसी से नमाज़ पढ़ने को कहा : उस ने जवाब दिया नमाज़ पढ़ता तो हूं मगर उस का कुछ नतीजा नहीं या कहा : तुम ने नमाज़ पढ़ी क्या फ़ाएदा हुवा या कहा : नमाज़ पढ़ के क्या करूं किस के लिये पढ़ूं मां बाप तो मर गए या कहा : बहुत पढ़ ली अब दिल घबरा गया या कहा : पढ़ना न पढ़ना दोनों बराबर है ग़रज़ इसी क़िस्म की बात करना जिस से फ़र्ज़िय्यत का इन्कार समझा जाता हो या नमाज़ की तह़क़ीर होती हो येह सब कुफ़्र है। कोई शख़्स सिर्फ़ रमज़ान में नमाज़ पढ़ता है बा'द में नहीं पढ़ता और कहता येह है कि येही बहुत है या जितनी पढ़ी येही ज़ियादा है क्यूं कि रमज़ान में एक नमाज़ सत्तर नमाज़ के बराबर है ऐसा कहना कुफ़्र है इस लिये कि इस से नमाज़ की फ़र्ज़िय्यत का इन्कार मा'लूम होता है।

सुवाल अज़ान की आवाज़ सुन कर येह कहना कि "क्या शोर मचा रखा है" कैसा है ?

जवाब अगर येह क़ौल बर वज्हे इन्कार हो कुफ़्र है।

सुवाल रोज़ा वोह रखे जिसे खाना न मिले येह कहने का क्या हुक्म है ?

जवाब रोज़ए रमज़ान नहीं रखता और कहता येह है कि रोज़ा वोह रखे जिसे खाना न मिले या कहता है जब ख़ुदा ने खाने को दिया है तो भूके क्यूं मरें या इसी क़िस्म की और बातें जिन से रोज़ा की हत्क व तह़क़ीर हो कहना कुफ़्र है।

सुवाल इ़ल्मे दीन या उ़लमा की तौहीन का क्या हुक्म है ?

जवाब इ़ल्मे दीन और उ़लमा की तौहीन बे सबब या'नी मह़ज़ इस वज्ह से कि आ़लिमे इ़ल्मे दीन है कुफ़्र है। यूंही आ़लिमे दीन की नक़्ल करना मसलन किसी को मिम्बर वग़ैरा किसी ऊंची जगह पर बिठाएं और उस से मसाइल बतौ़रे इस्तिह्ज़ा दरयाफ़्त करें फिर उसे तक्ये वग़ैरा से मारें और मज़ाक़ बनाएं येह कुफ़्र है। यूंही शरअ़ की तौहीन करना मसलन कहे मैं शरअ़ वरअ़ नहीं जानता या आ़लिमे दीन मोह़तात़ का फ़तवा पेश किया गया उस ने कहा : मैं फ़तवा नहीं मानता या फ़तवे को ज़मीन पर पटख़ दिया। किसी शख़्स को शरीअ़त का हुक्म बताया कि इस मुआ़मले में येह हुक्म है उस ने कहा : हम शरीअ़त पर अ़मल नहीं करेंगे हम तो रस्म की पाबन्दी करेंगे ऐसा कहना बा'ज़ मशाइख़ के नज़्दीक कुफ़्र है।

सुवाल शराब पीते वक़्त या ज़िना करते वक़्त या जूआ खेलते वक़्त या चोरी करते वक़्त "بِسْمِ اللّٰہ" कहने का क्या हुक्म है ?

जवाब शराब पीते वक़्त या ज़िना करते वक़्त या जूआ खेलते वक़्त या चोरी करते वक़्त "بِسْمِ اللّٰہ" कहना कुफ़्र है। दो शख़्स झगड़ रहे थे एक ने कहा : "لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّۃَ اِلَّا بِاللّٰہ" दूसरे ने कहा : लाह़ौल का क्या

काम है या लाह़ौल को मैं क्या करूं या लाह़ौल रोटी की जगह काम न देगा। यूंही سُبۡحٰنَ اللّٰہ और لَآاِلٰہَ اِلَّا اللّٰہ के मुतअ़ल्लिक़ इसी क़िस्म के अल्फ़ाज़ कहना कुफ़्र हैं।

सुवाल बीमारी में घबरा कर येह कहना कि तुझे इख़्तियार है चाहे काफ़िर मार या मुसल्मान मार, इस का क्या हुक्म है ?

जवाब बीमारी में घबरा कर कहने लगा तुझे इख़्तियार है चाहे काफ़िर मार या मुसल्मान मार, येह कुफ़्र है। यूंही मसाइब में मुब्तला हो कर कहने लगा तू ने मेरा माल लिया और औलाद ले ली और येह लिया वोह लिया अब क्या करेगा और क्या बाक़ी है जो तू ने न किया इस त़रह़ बकना कुफ़्र है।

सुवाल मुसल्मान को कलिमाते कुफ़्र की ता'लीमो तल्क़ीन करने का क्या हुक्म है ?

जवाब मुसल्मान को कलिमाते कुफ़्र की ता'लीमो तल्क़ीन करना कुफ़्र है अगर्चे खेल और मज़ाक़ में ऐसा करे।

अफ़्आ़ले कुफ़्रिय्या का बयान

सुवाल होली दीवाली पूजने का क्या हुक्म है नीज़ कुफ़्फ़ार के मज़्हबी तेहवारों में शिर्कत करना कैसा है ?

जवाब होली और दीवाली पूजना कुफ़्र है कि येह इ़बादते ग़ैरुल्लाह है। कुफ़्फ़ार के मेलों तेहवारों में शरीक हो कर उन के मेले और जुलूसे मज़्हबी की शानो शौकत बढ़ाना कुफ़्र है जैसे रामलीला और जन्माष्टमी और राम नवमी वग़ैरा के मेलों में शरीक होना। यूंही इन के तेहवारों के दिन मह़ज़ इस वज्ह से चीजें ख़रीदना कि कुफ़्फ़ार का तेहवार है येह भी कुफ़्र है जैसे दीवाली में खिलोने और मिठाइयां ख़रीदी जाती हैं कि आज ख़रीदना दीवाली मनाने के सिवा कुछ नहीं। यूंही कोई चीज़ ख़रीद कर उस रोज़ मुश्रिकीन के पास हदिय्या करना जब कि मक़्सूद उस दिन की ता'ज़ीम हो तो कुफ़्र है।

नसीह़त : मुसल्मानों पर अपने दीनो मज़्हब का तह़फ़्फ़ुज़ लाज़िम है, दीनी ह़मिय्यत और दीनी ग़ैरत से काम लेना चाहिये, काफ़िरों के कुफ़्री कामों से अलग रहें, मगर अफ़्सोस कि मुश्रिकीन तो मुसल्मानों से इज्तिनाब करें और मुसल्मान हैं कि उन से इख़्तिलात़ रखते हैं, इस में सरासर मुसल्मानों का नुक़्सान है। इस्लाम ख़ुदा की बड़ी ने'मत है इस की क़द्र करो और जिस बात में ईमान का नुक़्सान है, उस से दूर भागो ! वरना शैत़ान गुमराह कर देगा और येह दौलत तुम्हारे हाथ से जाती रहेगी फिर कफ़े अफ़्सोस मलने के सिवा कुछ हाथ न आएगा।(1) ऐ **अल्लाह** ! तू हमें सिरात़े मुस्तक़ीम पर क़ाइम रख और अपनी नाराज़ी के कामों

---

(1)... कुफ़्रिय्या कलिमात के बारे में मज़ीद मा'लूमात ह़ासिल करने के लिये अमीरे अहले सुन्नत دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ की किताब "कुफ़्रिय्या कलिमात के बारे में सुवाल जवाब" पढ़ना बहुत मुफ़ीद है।

से बचा और जिस बात में तू राज़ी है उस की तौफ़ीक़ दे, तू हर दुश्वारी को दूर करने वाला है और हर सख़्ती को आसान करने वाला।

सबक़ नम्बर 33 औलियाउल्लाह का बयान

लफ़्ज़े "वली" विलाअ से बना है जिस का मा'ना कुर्ब और नुसरत है। वलिय्युल्लाह वोह है जो फ़राइज़ की अदाएगी से **अल्लाह** पाक का कुर्ब ह़ासिल करे और रब्बे करीम की इत़ाअ़त में मश्ग़ूल रहे और उस का दिल **अल्लाह** पाक के नूरे जलाल की मा'रिफ़त में मुस्तग़रक़ हो, जब देखे क़ुदरते इलाही के दलाइल को देखे और जब सुने **अल्लाह** करीम की आयतें ही सुने और जब बोले तो अपने रब की सना ही के साथ बोले और जब ह़रकत करे, इत़ाअ़ते इलाही में ह़रकत करे और जब कोशिश करे तो उसी काम में कोशिश करे जो कुर्बे इलाही का ज़रीआ़ हो, **अल्लाह** के ज़िक्र से न थके और चश्मे दिल से ख़ुदा के सिवा ग़ैर को न देखे। येह सिफ़त औलिया की है, बन्दा जब इस ह़ाल पर पहुंचता है तो **अल्लाह** उस का वली व नासिर और मुईनो मददगार होता है।[1] ऐसे ही लोगों के बारे में **अल्लाह** करीम इर्शाद फ़रमाता है :

اَلَاۤ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿۶۲﴾ (پ11،یونس:62)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : सुन लो बेशक **अल्लाह** के वलियों पर न कुछ ख़ौफ़ है न कुछ ग़म।

सुवाल विलायत कैसे ह़ासिल हो सकती है ?

जवाब विलायत या'नी **अल्लाह** पाक का मुक़र्रब व मक़्बूल बन्दा होना मह़्ज़ **अल्लाह** करीम का अ़त़िय्या है जो कि मौला करीम अपने बरगुज़ीदा बन्दों को अपने फ़ज़्लो करम से नवाज़ता है। हां इ़बादतो रियाज़त भी कभी कभी इस का ज़रीआ़ बन जाती है और बा'ज़ों को इब्तिदाअन भी मिल जाती है।

सुवाल वलिय्युल्लाह की चन्द अ़लामात बयान करें।

जवाब ह़ज़रते अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا ने फ़रमाया कि वली वोह है जिस को देखने से **अल्लाह** पाक याद आए, येही त़बरी की ह़दीस में भी है। इब्ने ज़ैद ने कहा कि वली वोही है जिस में वोह सिफ़त हो जो इस से अगली आयत में मज़्कूर है। "اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ كَانُوْا يَتَّقُوْنَ" या'नी ईमान व तक़्वा दोनों का जामेअ़ हो। बा'ज़ उ़लमा ने फ़रमाया कि वली वोह हैं जो ख़ालिस **अल्लाह** के लिये मह़ब्बत

[1]... तफ़्सीरे सिरातुल जिनान, पारह : 11, सूरए यूनुस, तह़्तल आयह : 62, 4/342

करें।[1] बा'ज़ बुज़ुर्गाने दीन ने फ़रमाया : वली वोह हैं जो ताअ़त या'नी फ़रमां बरदारी से क़ुर्बे इलाही की त़लब करते हैं और **अल्लाह** पाक करामत से उन की कारसाज़ी फ़रमाता है या वोह जिन की हिदायत का दलील के साथ **अल्लाह** करीम कफ़ील हो और वोह **अल्लाह** पाक का हक़्क़े बन्दगी अदा करने और उस की मख़्लूक़ पर रह़म करने के लिये वक़्फ़ हो गए।[2]

सुवाल क्या बे इ़ल्म भी वली बन सकता है ?

जवाब नहीं, विलायत बे इ़ल्म को नहीं मिलती। वली के लिये इ़ल्म ज़रूरी है ख़्वाह ज़ाहिर ह़ासिल करे या इस मर्तबे तक पहुंचने से पहले ही **अल्लाह** पाक उस का सीना खोल दे और वोह आ़लिम बन जाए।

सुवाल अगर कोई शख़्स शरीअ़त पर अ़मल न करे तो क्या वोह वली बन सकता है ?

जवाब जब तक अ़क़्ल सलामत है कोई कैसे ही बड़े मर्तबे का हो अह़कामे शरीअ़त की पाबन्दी से हरगिज़ आज़ाद नहीं हो सकता और जो ख़ुद को शरीअ़त से आज़ाद समझे वली नहीं।

सुवाल जो ऐसे शख़्स को वली समझे, उस के बारे में क्या हुक्म है ?

जवाब वोह गुमराह है।

सुवाल औलियाए किराम क्या कुछ कर सकते हैं ?

जवाब **अल्लाह** करीम की अ़त़ा से औलियाए किराम बहुत कुछ कर सकते हैं, उन से करामतें ज़ाहिर होती हैं मसलन आन की आन में मशरिक़ से मग़रिब में पहुंच जाना, पानी पर चलना, हवा में उड़ना, जमादात या'नी बेजान चीज़ों और ह़ैवानात से कलाम करना, बलाओं और मुसीबतों को टालना, दूर दराज़ के ह़ालात उन पर ज़ाहिर होना। औलिया की करामतें दर ह़क़ीक़त इन अम्बिया عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام के मो'जिज़ात हैं जिन के वोह उम्मती हों।

सुवाल औलियाए किराम की कितनी क़िस्में हैं ?

जवाब औलियाए किराम की अक़्साम के बारे में अकाबिर उ़लमा व मुह़द्दिसीन ने बड़ा तफ़्सीली कलाम फ़रमाया है। अ़ल्लामा सुयूत़ी رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه ने क़ुत़्ब, अब्दाल वग़ैरहुमा के वुजूद पर एक किताब

1... तफ़्सीरे सिरातुल जिनान, पारह : 11, सूरए यूनुस, तह़तल आयह : 62, 4/342

2... تفسیر خازن، یونس، تحت الآیۃ:62، 2/322-323

तस्नीफ़ फ़रमाई है। अ़ल्लामा नब्हानी رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ की इस मौज़ूअ़ पर मश्हूर किताब ''जामेअ़ करामाते औलिया'' ज़ख़ीम तरीन किताब है। अ़ल्लामा नब्हानी رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ के कलाम की रोशनी में यहां चन्द मश्हूर अक़्साम बयान की जाती हैं :

(1) अक़्ताब । येह क़ुत़्ब की जम्अ़ है। क़ुत़्ब उसे कहते हैं कि जो ख़ुद या किसी के नाइब के त़ौर पर ह़ाल और मक़ाम दोनों का जामेअ़ हो। **(2) अइम्मा ।** येह वोह ह़ज़रात हैं कि जो क़ुत़्ब के इन्तिक़ाल के बा'द उस के ख़लीफ़ा बनते हैं और वोह क़ुत़्ब के लिये वज़ीर की त़रह़ होते हैं। हर ज़माने में इन की ता'दाद दो होती है। **(3) अवताद ।** हर ज़माने में इन की ता'दाद चार होती है, इस से कम या ज़ियादा नहीं होते। इन में से एक के ज़रीए़ **अल्लाह** पाक मशरिक़ की ह़िफ़ाज़त फ़रमाता है, दूसरे की ज़रीए़ मग़रिब की, तीसरे के ज़रीए़ शिमाल की और चौथे के ज़रीए़ जुनूब की ह़िफ़ाज़त फ़रमाता है और इन में से हर एक की अपने ह़िस्से में विलायत होती है। **(4) अब्दाल ।** इन की ता'दाद सात होती है, इस से कम या ज़ियादा नहीं होते, **अल्लाह** पाक इन के ज़रीए़ सातों बर्रे आ'ज़म की ह़िफ़ाज़त फ़रमाता है, इन्हें अब्दाल इस लिये कहते हैं कि जब येह किसी जगह से कूच करते हैं और किसी मस्लह़त और क़ुर्बत की वज्ह से उस जगह अपना क़ाइम मक़ाम छोड़ने का इरादा करते हैं तो वहां ऐसे आदमी को नामज़द करते हैं कि जो उन का हम शक्ल हो और जो कोई भी उस हम शक्ल को देखे तो वोह उसे अस्ली शख़्स ही समझे ह़ालां कि वोह एक रूह़ानी शख़्सिय्यत होता है जिसे अब्दाल में से कोई बदल क़स्दन वहां ठहराता है। जिन औलिया में येह क़ुव्वत होती है, उन्हें अब्दाल कहते हैं। **(5) रिजालुल ग़ैब ।** अहलुल्लाह की इस्तिलाह़ में येह वोह लोग हैं जो रब की बारगाह में इन्तिहाई आ़जिज़ी का इज़्हार करते हैं और तजल्लियाते रह़मान के ग़लबे के सबब आहिस्ता आवाज़ के सिवा कुछ कलाम नहीं करते, हमेशा इसी ह़ाल में रहते हैं, छुपे हुए होते हैं पहचाने नहीं जाते, **अल्लाह** पाक के सिवा किसी से मुनाजात नहीं करते और उस के सिवा किसी के मुशाहदे में मश्ग़ूल नहीं होते। बा'ज़ अवक़ात इस से मुराद वोह लोग होते हैं कि जो इन्सानी निगाहों से पोशीदा हों और कभी इस का इत़्लाक़ नेक और मोमिन जिन्नात पर होता है। बा'ज़ अवक़ात इन से मुराद वोह लोग होते हैं जो ज़ाहिरी ह़वास से इल्म और रिज़्क़ वग़ैरा नहीं लेते उन्हें ग़ैब से येह चीज़ें अ़त़ा होती हैं।[1]

---

1 ...جامع کرامات اولیاء، القسم الاول فی ذکر مراتب الولایۃ...الخ، 1/ 69-74

सुवाल औलियाए किराम से हमें क्या मिलता है ?

जवाब औलियाउल्लाह की मह़ब्बत दोनों जहानों की सआ़दत और रिज़ाए इलाही का सबब है। इन की बरकत से **अल्लाह** करीम मख़्लूक़ की ह़ाजतें पूरी करता है। इन की दुआ़ओं से मख़्लूक़ फ़ाएदा उठाती है। इन के मज़ारों की ज़ियारत, इन के उ़र्सों में शिर्कत से बरकात ह़ासिल होती हैं, इन के वसीले से दुआ़ करना क़बूलिय्यत का ज़रीआ़ है। इन की सीरतों से रहनुमाई ह़ासिल कर के गुमराही से बच कर सिराते़ मुस्तक़ीम पर इस्तिक़ामत के साथ चला जा सकता है इन की पैरवी करने में नजात है।

सुवाल करामत किसे कहते हैं ?

जवाब औलियाउल्लाह से जो बात ख़िलाफ़े आ़दत ज़ाहिर हो उसे करामत कहते हैं।

सुवाल क्या वली वोही है जिस से करामत ज़ाहिर हो ?

जवाब अक्सर औलियाए किराम से करामात ज़ाहिर होती हैं, औलियाए किराम अपनी विलायत और करामात को छुपाते हैं, हां जब **अल्लाह** पाक की त़रफ़ से हुक्म पाते हैं तो ज़ाहिर कर देते हैं। इस का मत़लब येह हरगीज़ नहीं कि जिस से करामत ज़ाहिर न हो वोह वली ही नहीं।

सुवाल क्या किसी वली से बा'दे विसाल भी करामत ज़ाहिर हो सकती है ?

जवाब जी हां। औलियाए किराम के इन्तिक़ाल के बा'द भी इन की करामात ज़ाहिर होती हैं जिसे हर आंख वाला देखता और मानता है।

सुवाल चन्द एक मश्हूर औलियाए किराम के नाम बता दीजिये।

जवाब ह़ज़रते अ़ब्दुल्लाह शाह ग़ाज़ी, ह़ज़रते दाता गन्ज बख़्श अ़ली हिजवेरी, हु़ज़ूर शैख़ अ़ब्दुल क़ादिर जीलानी, ह़ज़रते शैख़ शिहाबुद्दीन सोह्रवर्दी, ह़ज़रते ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती, ह़ज़रते बाबा फ़रीदुद्दीन गन्जे शकर, शैख़ बहाउद्दीन ज़करिय्या मुलतानी, शैख़े अक्बर मुह़युद्दीन इब्नुल अ़रबी, ह़ज़रत मुजद्दिदे अल्फ़ेसानी, शैख़ अ़ब्दुल ह़क़ मुह़द्दिस देह्लवी, ताजदारे गोलड़ा पीर मेह्र अ़ली शाह गोलड़वी, आ'ला ह़ज़रत इमाम अह़मद रज़ा ख़ान رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِم।

दूसरा बाब

मा'मूलाते अहले सुन्नत

इस बाब में आप जानेंगे

1 ... ग़ैरुल्लाह से मदद मांगने का बयान

2 ... अज़ान व इक़ामत से पहले दुरूदे पाक पढ़ना

3 ... बड़ी रातों में इबादत का बयान

4 ... तक़्लीद की ज़रूरत व अहम्मिय्यत

5 ... पीरी मुरीदी की शरई हैसिय्यत

सबक़ नम्बर 1 या रसूलल्लाह और या नबिय्यल्लाह कहने का बयान

नबियों के सरवर, महबूबे रब्बे दावर صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم को **या रसूलल्लाह, या नबिय्यल्लाह !** वग़ैरा अल्फ़ाज़ व अल्क़ाब के साथ नज़्दीक व दूर से पुकारना बिल्कुल जाइज़ है शिर्क नहीं। कुरआने करीम में बहुत से मक़ामात पर **अल्लाह** पाक ने हुज़ूर صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم को निदा फ़रमाई। ﴿يَاۤ اَيُّهَا النَّبِىُّ﴾, ﴿يَاۤ اَيُّهَا الرَّسُوْلُ﴾, ﴿يَاۤ اَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ﴾, ﴿يَاۤ اَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ﴾ वग़ैरा इन तमाम आयात में हर्फ़े निदा "या" के साथ हुज़ूर عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام को ख़िताब फ़रमाया है।

अहादीसे मुबारका से सुबूत

सहीह मुस्लिम में हज़रते सय्यिदुना बराअ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ से रिवायत है जो हुज़ूरे अक़्दस صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के मदीनए पाक में दाख़िले का मन्ज़र बयान करते हुए फ़रमाते हैं: "औरतें और मर्द घरों की छतों पर चढ़ गए और बच्चे और गुलाम गली कूचों में मुतफ़र्रिक़ हो गए। ना'रे लगाते फिरते थे, يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُوْلَ اللهِ، يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُوْلَ اللهِ।"(1)

नबिय्ये करीम, रऊफ़ुर्रहीम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने एक नाबीना सहाबी رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ को दुआ ता'लीम फ़रमाई जिस में अपने नामे नामी इस्मे गिरामी के साथ लफ़्ज़े "या" इर्शाद फ़रमाया: चुनान्चे हज़रते सय्यिदुना उस्मान बिन हुनैफ़ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ से रिवायत है कि एक नाबीना सहाबी رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ नबिय्ये करीम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم की बारगाहे अज़ीम में हाज़िर हुए और अर्ज़ की: (**या रसूलल्लाह** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم !) **अल्लाह** पाक से दुआ कीजिये कि वोह मुझे आफ़ियत दे (या'नी मेरी बीनाई लौटा दे), आप صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया: "अगर तू चाहे तो दुआ करूं और चाहे तो सब्र कर और येह तेरे लिये बेहतर है।" उन्हों ने अर्ज़ की: दुआ फ़रमा दीजिये। आप صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने उन्हें अच्छी तरह वुज़ू करने और दो रक्अत नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया और फ़रमाया येह दुआ करना: اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ، وَاَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ نَّبِىِّ الرَّحْمَةِ، يَا مُحَمَّدُ(2) اِنِّىْ قَدْ تَوَجَّهْتُ بِكَ اِلٰى رَبِّىْ فِىْ حَاجَتِىْ هٰذِهٖ لِتُقْضٰى، اَللّٰهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِىَّ या'नी ऐ **अल्लाह** पाक! मैं तुझ से सुवाल करता हूं और तेरी तरफ़ मुतवज्जेह होता हूं तेरे नबी मुहम्मद

(1)...مسلم، کتاب الزہد والرقائق، باب فی حدیث الہجرۃ...الخ، ص1228 حدیث:7522

(2)... हदीसे पाक में "يَا مُحَمَّدُ" है मगर इस की जगह "يَا رَسُوْلَ الله" कहना चाहिये कि हुज़ूरे अक़्दस صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم को नाम ले कर निदा करना जाइज़ नहीं। उलमा फ़रमाते हैं: अगर रिवायत में वारिद हो जब भी तब्दील कर लें। मज़ीद तफ़्सीलात जानने के लिये आ'ला हज़रत رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه के फ़तावा रज़विय्या जिल्द 30 में मौजूद रिसाले "تَجَلِّی الْیَقِیْن بِاَنَّ نَبِیَّنَا سَیِّدُ الْمُرْسَلِیْن" सफ़हा 156 ता 157 का मुतालआ कीजिये।

صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के ज़रीए से जो नबिय्ये रह़मत हैं, **या रसूलल्लाह** صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ! मैं आप के ज़रीए से अपने रब की त़रफ़ इस ह़ाजत के बारे में मुतवज्जेह होता हूं ताकि मेरी येह ह़ाजत पूरी हो, ऐ **अल्लाह** पाक ! इन की शफ़ाअ़त मेरे ह़क़ में क़बूल फ़रमा।[1] ह़ज़रते सय्यिदुना उ़स्मान बिन हुनैफ़ رَضِیَ اللہُ عَنْہ फ़रमाते हैं : فَوَاللّٰهِ مَا تَفَرَّقْنَا وَطَالَ بِنَا الْحَدِيْثُ حَتّٰى دَخَلَ عَلَيْنَا الرَّجُلُ كَاَنَّهٗ لَمْ يَكُنْ بِهٖ ضُرٌّ قَطُّ ख़ुदा की क़सम ! हम उठने भी न पाए थे और न ही हमारी गुफ़्त्गू ज़ियादा त़वील हुई थी कि वोह हमारे पास आए, गोया कभी नाबीना ही न हुए।[2] मा'लूम हुवा कि ग़ैरुल्लाह को लफ़्ज़े "या" के साथ पुकारना शिर्क नहीं अगर येह शिर्क होता तो क़ुरआनो ह़दीस में ग़ैरुल्लाह के साथ लफ़्ज़े "या" न आता और ख़ल्क़ के रहबर, शाफ़ेए़ मह़शर صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم हरगिज़ इस की ता'लीम इर्शाद न फ़रमाते और न ही सह़ाबए किराम عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان इस पर अ़मल पैरा होते।

सुवाल क़ुरआने मजीद और ह़दीसे पाक में तो रसूले अकरम صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم को उन की ह़याते ज़ाहिरी में पुकारने का ज़िक्र है, क्या ह़ुज़ूर नबिय्ये करीम صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के इस दुन्या से पर्दा फ़रमाने के बा'द भी पुकारना साबित है ?

जवाब जी हां ! आप صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के विसाले ज़ाहिरी के बा'द भी सह़ाबए किराम عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان और सलफ़ सालिह़ीन आप صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم को पुकारते रहे हैं। इस की सब से बड़ी दलील तो अत्तह़िय्यात के ज़िम्न में नबिय्ये अकरम صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم को पुकारने की है। क्यूं कि हर नमाज़ी नमाज़ में तशह्हुद पढ़ता है और नबिय्ये करीम صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم की बारगाहे अक़्दस में इन अल्फ़ाज़ "اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ"[3] के साथ सलाम पेश करता है। इस सलाम में पुकारना भी है और आप صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم को मुख़ात़ब करना भी। आप صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم की ह़याते ज़ाहिरी में भी दूरो नज़्दीक से येह सलाम आप की बारगाहे अक़्दस में पेश किया जाता था और विसाले ज़ाहिरी के बा'द भी पेश किया जा रहा है और ता क़ियामत पेश किया जाता रहेगा। आप صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم **अल्लाह** पाक की अ़त़ा से इस सलाम व पुकार को सुनते हैं और जवाब भी अ़त़ा फ़रमाते हैं, जैसा कि ह़ज़रते सय्यिदुना शैख़ यूसुफ़ बिन इस्माईल नब्हानी رَحْمَۃُ اللہِ عَلَیْہ फ़रमाते हैं : बा'ज़ औलिया ने बत़ौरे करामत अपने क़ौल "اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ" के जवाब में नबिय्ये करीम صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم का जवाब अ़त़ा

1 ...ابن ماجہ، کتاب اقامۃ الصلاۃ، باب ماجاء فی صلاۃ الحاجۃ، 2/156، حدیث:1385

2 ...معجم کبیر، 9/31، حدیث:8311

3 ... या'नी सलाम हो आप पर ऐ नबी और **अल्लाह** पाक की रह़मतें और बरकतें

फ़रमाना सुना है और येह मुहाल नहीं है क्यूं कि **अल्लाह** पाक ने आप صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم को ग़ैब पर मुत्तलअ़ फ़रमाया है और हर उस शख़्स का कलाम सुनने की ताक़त अ़ता फ़रमाई है जो दूरो नज़्दीक से आप صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم से मुख़ातिब होता है और **अल्लाह** पाक के हां इस बात में भी कोई फ़र्क़ नहीं कि येह कलाम सुनना आप صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की ह़याते ज़ाहिरी में हो या विसाले ज़ाहिरी के बा'द। तह़क़ीक़ येह बात दुरुस्त है कि आप صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم अपनी क़ब्रे अन्वर में ज़िन्दा हैं।[1]

नीज़ ह़ज़रते अबू बक्र सिद्दीक़ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ के ज़माने में नुबुव्वत के झूटे दा'वेदार मुसैलिमा कज़्ज़ाब के ख़िलाफ़ मुसल्मानों और मुरतद्दीन के दरमियान जंगे यमामा हुई जिस में मुसल्मानों का ना'रा "يَا مُحَمَّدَاه" था।[2]

सुवाल क्या हमारे बुज़ुर्गाने दीन भी नबिय्ये करीम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم को पुकारा करते थे ?

जवाब जी हां ! ह़ज़रते अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا का पाउं सो गया, किसी ने कहा : उन्हें याद कीजिये जो आप को सब से ज़ियादा मह़बूब हैं। ह़ज़रत ने ब आवाज़े बुलन्द कहा : "**يَا مُحَمَّدَاه**" फ़ौरन पाउं ठीक हो गया।[3]

शारेह़े सह़ीह़ मुस्लिम इमाम नववी رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه ने किताबुल अज़्कार में इस की मिस्ल ह़ज़रते अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا से नक़्ल फ़रमाया कि ह़ज़रते अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا के पास किसी आदमी का पाउं सो गया तो अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا ने फ़रमाया : तू उस शख़्स को याद कर जो तुम्हें सब से ज़ियादा मह़बूब है तो उस ने "**يَا مُحَمَّدَاه**" कहा, अच्छा हो गया।

आ'ला ह़ज़रत इमाम अह़मद रज़ा ख़ान رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه इर्शाद फ़रमाते हैं : "और येह अम्र इन दो सह़ाबियों के सिवा औरों से भी मरवी हुवा। अहले मदीना में क़दीम से इस "**يَا مُحَمَّدَاه**" कहने की आ़दत चली आती है।"[4]

फ़ाएदा : अहले सुन्नत व जमाअ़ते अहले ह़क़ का येह अ़क़ीदा है कि अम्बियाए किराम عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام अपने मज़ाराते त़य्यिबा में ज़िन्दा हैं उन्हें रोज़ी दी जाती है जैसा कि ह़दीस शरीफ़ से भी येह बात साबित है तो सय्यिदुल अम्बिया की ह़यात में फिर कैसे शुबा हो सकता है। इस लिह़ाज़ से **या रसूलल्लाह** कह कर पुकारने के जवाज़ में किसी क़िस्म का शक किया ही नहीं जा सकता कि **अल्लाह** की अ़त़ा से ज़िन्दा

1 ...شواہد الحق، فصل فی ردما منعہ ابن القیم...الخ، الفصل الثانی، ص211

2 ...تاریخ الطبری، ذکر بقیۃ خبر مسیلمۃ الکذاب...الخ، 513/2

3 ...الشفاء، فصل فیما روی عن السلف والائمۃ (من محبتہم للنبی وشوقہم لہ)، 23/2

4 ... फ़तावा रज़विय्या, 29/553

भी हैं और फ़रियाद करने वाले की फ़रियाद सुनते भी हैं और **अल्लाह** की अ़ता से मदद करने पर क़ादिर भी हैं तो इन तमाम बातों में से कोई बात ख़िलाफ़े शरअ़ नहीं सब जाइज़ व दुरुस्त और उ़लमाए ह़क़ की तसरीह़ात से इन का जवाज़ साबित है। बा'ज़ इन्कार करने वाले इस अ़क़ीदए ह़क़्क़ा साबिता से ग़ाफ़िल होने की बिना पर भी इन्कार करते हैं और बा'ज़ जानते बूझते इनादन इन्कार करते हैं और फ़ज़ाइले मुस्त़फ़ा صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم से चिड़ते हैं **अल्लाह** पाक ऐसों को हिदायत नसीब फ़रमाए।

सुवाल क्या लफ़्ज़े "या" के साथ दूर वालों को भी पुकार सकते हैं ? नीज़ वोह दूर से सुनते और देखते हैं या नहीं ?

जवाब जी हां जिस त़रह़ लफ़्ज़े "या" के साथ क़रीब वालों को पुकार सकते हैं ऐसे ही दूर वालों को भी पुकार सकते हैं, **अल्लाह** पाक की अ़त़ा से उस के मक़्बूल बन्दे दूर से सुनते, देखते और ह़ाजत रवाई फ़रमाते हैं। ह़ज़रते सय्यिदुना अबू हुरैरा رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ से रिवायत है कि रसूले अकरम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि **अल्लाह** पाक फ़रमाता है : जो मेरे किसी वली से दुश्मनी करे, उस से मैं ने लड़ाई का ए'लान कर दिया और मेरा बन्दा किसी शै से मेरा इस क़दर क़ुर्ब ह़ासिल नहीं करता जितना फ़राइज़ से करता है और मेरा बन्दा नवाफ़िल के ज़रीए़ से हमेशा क़ुर्ब ह़ासिल करता रहता है यहां तक कि मैं उसे मह़बूब बना लेता हूं और जब उस से मह़ब्बत करने लगता हूं तो मैं उस के कान बन जाता हूं जिन से वोह सुनता है और मैं उस की आंख बन जाता हूं जिस से वोह देखता है और उस का हाथ बन जाता हूं जिस के साथ वोह पकड़ता है और उस का पैर बन जाता हूं जिस के साथ वोह चलता है और अगर वोह मुझ से सुवाल करे तो ज़रूर उसे दूंगा और पनाह मांगे तो ज़रूर उसे पनाह दूंगा।(1)

ह़ज़रते सय्यिदुना इमाम फ़ख़्रुद्दीन राज़ी رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ फ़रमाते हैं : जब **अल्लाह** पाक का नूरे जलाल बन्दए मह़बूब के कान बन जाता है तो वोह दूरो नज़्दीक की आवाज़ सुन लेता है, और जब उस की आंखें नूरे जलाल से मुनव्वर हो जाती हैं तो वोह दूरो नज़्दीक को देख लेता है, और जब येही नूर बन्दए मह़बूब के हाथों में जल्वा गर होता है तो उसे मुश्किल व आसान और दूरो नज़्दीक में तसर्रुफ़ करने की क़ुदरत ह़ासिल हो जाती है।(2)

ह़दीसे पाक में है : जब तुम में से किसी की कोई चीज़ गुम हो जाए या तुम में से कोई मदद मांगना चाहे और वोह ऐसी जगह हो जहां उस का कोई पुरसाने ह़ाल न हो तो उसे चाहिये कि यूं कहे :

(1)...بخاری، کتاب الرقاق، باب التواضع، 4/248، حدیث:6502

(2)...تفسیر کبیر، پ15، الکہف، تحت الآیۃ:12، 7/436

''يَاعِبَادَاللهِ اَغِيْثُوْنِ،يَاعِبَادَاللهِ اَغِيْثُوْنِ ऐ **अल्लाह** के बन्दो ! मेरी मदद करो, ऐ **अल्लाह** के बन्दो ! मेरी मदद करो ।'' **अल्लाह** पाक के कुछ बन्दे हैं जिन्हें येह नहीं देखता (वोह इस की मदद करेंगे) ।[(1)]

सुवाल क्या बा'दे वफ़ात भी मक़्बूलाने बारगाह को लफ़्ज़े ''या'' के साथ पुकार सकते हैं ?

जवाब जी हां । बा'दे वफ़ात भी मक़्बूलाने बारगाह को लफ़्ज़े ''या'' के साथ पुकार सकते हैं इस में कोई मुज़ायक़ा नहीं । **अल्लाह** पाक के मक़्बूल बन्दों की शान तो बहुत बुलन्दो बाला है आ़म मुर्दों को भी बा'दे वफ़ात लफ़्ज़ **''या''** के साथ पुकारा जाता है और वोह सुनते हैं जैसा कि ह़दीसे पाक में है : हुज़ूरे अकरम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم जब मदीनए मुनव्वरह के क़ब्रिस्तान में तशरीफ़ ले जाते तो क़ब्रों की त़रफ़ अपना रुख़े अन्वर कर के यूं फ़रमाते : اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُوْرِ! يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ، اَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْاَثَرِ या'नी ऐ क़ब्र वालो ! तुम पर सलाम हो **अल्लाह** पाक हमारी और तुम्हारी मग़्फ़िरत फ़रमाए, तुम लोग हम से पहले चले गए और हम तुम्हारे बा'द आने वाले हैं ।[(2)] इस ह़दीसे पाक में बा'दे वफ़ात अहले क़ुबूर को लफ़्ज़े ''या'' के साथ पुकारा भी गया है और उन्हें सलाम भी किया गया है, सलाम उसे किया जाता है जो सुनता हो और जवाब भी देता हो जैसा कि

मश्हूर मुफ़स्सिर, ह़कीमुल उम्मत ह़ज़रते मुफ़्ती अह़मद यार ख़ान رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه इस ह़दीस के तह़त फ़रमाते हैं : क़ब्रिस्तान में जा कर पहले सलाम करना फिर येह अ़र्ज़ करना सुन्नत है, इस के बा'द अहले क़ुबूर को ईसाले सवाब किया जाए । इस से मा'लूम हुवा कि मुर्दे बाहर वालों को देखते पहचानते हैं और उन का कलाम सुनते हैं वरना इन्हें सलाम जाइज़ न होता क्यूं कि जो सुनता न हो या सलाम का जवाब न दे सकता हो उसे सलाम करना जाइज़ नहीं, देखो सोने वाले और नमाज़ पढ़ने वाले को सलाम नहीं कर सकते ।[(3)]

ह़नफ़ियों के अ़ज़ीम पेश्वा ह़ज़रते सय्यिदुना अ़ल्लामा अ़ली क़ारी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : अम्बियाए किराम عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام की दोनों ह़ालतों (ज़िन्दगी और मौत) में कोई फ़र्क़ नहीं, इसी लिये कहा गया है कि **अल्लाह** पाक के वली (और नबी) मरते नहीं बल्कि एक घर से दूसरे घर की त़रफ़ मुन्तक़िल हो जाते हैं ।[(4)]

ज़ाहिरी विसाल से इन नुफ़ूसे क़ुदसिय्या की क़ुव्वतें और सलाह़िय्यतें ख़त्म नहीं हो जातीं बल्कि

(1)... كنز العمال، كتاب السفر، الجزء:6، 3/300، حديث:17494

(2)... ترمذی، كتاب الجنائز، باب ما يقول الرجل اذا دخل المقابر، 2/329، حديث:1055

(3)... मिरआतुल मनाजीह़, 2/524

(4)... مرقاة، كتاب الصلاة، باب الجمعة، الفصل الثالث، 3/459، تحت الحديث:1366

इन में मज़ीद इज़ाफ़ा हो जाता है क्यूं कि दुन्या में तो येह क़ैद में थे विसाले ज़ाहिरी के बा'द उस क़ैद से आज़ाद हो जाते हैं लिहाज़ा इन की क़ुव्वत में भी इज़ाफ़ा हो जाता है जैसा कि ह़दीसे पाक में है : दुन्या मोमिन का क़ैदख़ाना और काफ़िर के लिये जन्नत है, जब मोमिन मर जाता है तो उस की राह खोल दी जाती है कि जहां चाहे सैर करे।[1] सय्यिदी आ'ला ह़ज़रत इमाम अह़मद रज़ा ख़ान رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : बा'द मरने के सम्अ़, बसर, इदराक (या'नी देखना, सुनना और समझना) आ़म लोगों का यहां तक कि कुफ़्फ़ार का ज़ाइद हो जाता है और येह तमाम अहले सुन्नत व जमाअ़त का इज्माई अ़क़ीदा है।[2]

सुवाल क्या दूर से देखना और सुनना **अल्लाह** पाक की सिफ़त नहीं ?

जवाब दूर से देखना और सुनना हरगिज़ **अल्लाह** पाक की सिफ़त नहीं क्यूं कि दूर से तो वोह देखता और सुनता है जो पुकारने वाले से दूर हो जब कि **अल्लाह** पाक तो अपने बन्दों के क़रीब है, जैसा कि

पारह 2 सूरतुल बक़रह की आयत नम्बर 186 में ख़ुदाए रह़मान का फ़रमाने तक़र्रुब निशान है :

وَ اِذَا سَاَلَكَ عِبَادِیْ عَنِّیْ فَاِنِّیْ قَرِیْبٌؕ

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और ऐ मह़बूब जब तुम से मेरे बन्दे मुझे पूछें तो मैं नज़्दीक हूं।

इसी त़रह़ पारह 26 सूरए قٓ की आयत नम्बर 16 में इर्शादे रब्बुल इ़बाद है :

وَ نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیْدِ۝۱۶

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और हम दिल की रग से भी उस से ज़ियादा नज़्दीक हैं।

जब **अल्लाह** पाक इल्मो क़ुदरत के ए'तिबार से अपने बन्दों के क़रीब है तो फिर दूर से देखना और सुनना उस की सिफ़त कैसे हो सकती है !

दूर से देखने और सुनने के वाक़िआ़त

सुवाल मक़्बूलाने बारगाहे इलाही के दूर से देखने, सुनने और तसर्रुफ़ फ़रमाने के चन्द वाक़िआ़त बयान फ़रमा दीजिये।

जवाब **अल्लाह** करीम ने अपने बरगुज़ीदा बन्दों को दूर से देखने, सुनने और तसर्रुफ़ करने की त़ाक़त अ़त़ा फ़रमाई है लिहाज़ा वोह **अल्लाह** करीम की अ़त़ा से दूर से देखते, सुनते और तसर्रुफ़ भी फ़रमाते हैं, जैसा कि

1 ... كشف الخفاء، حرف الدال المهملة، 1/363، حديث:1316 ملتقطا

2 ... मल्फ़ूज़ाते आ'ला ह़ज़रत, स. 363

हज़रते सय्यिदुना अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास رَضِیَ اللہُ عَنۡہُمَا से रिवायत है कि नबिय्ये करीम صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के ज़मानए मुबारक में सूरज को ग्रहन लगा, तो आप صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने नमाज़ पढ़ी, (दौराने नमाज़ हाथ बढ़ा कर कुछ लेना चाहा लेकिन फिर दस्ते मुबारक नीचे कर दिया, नमाज़ के बा'द) सहाबए किराम عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان ने अ़र्ज़ की : **या रसूलल्लाह** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ! हम ने देखा कि आप अपनी जगह से किसी चीज़ को पकड़ रहे थे, फिर हम ने देखा कि आप पीछे हटे। आप صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : **اِنِّیۡ اُرِیۡتُ الۡجَنَّۃَ فَتَنَاوَلۡتُ مِنۡہَا عُنۡقُوۡدًا وَلَوۡ اَخَذۡتُہٗ لَاَکَلۡتُمۡ مِنۡہُ مَا بَقِیَتِ الدُّنۡیَا** मुझे जन्नत दिखाई गई तो मैं उस में से एक ख़ोशा तोड़ने लगा, अगर मैं उस ख़ोशे को तोड़ लेता तो तुम रहती दुन्या तक उस में से खाते रहते।[1]

हकीमुल उम्मत, हज़रते मुफ़्ती अहमद यार ख़ान رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہ फ़रमाते हैं : इस हदीस से दो मस्अले मा'लूम हुए : एक येह कि हुज़ूर صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم जन्नत और वहां के फलों वगै़रा के मालिक हैं कि ख़ोशा तोड़ने से रब ने मन्अ़ न किया ख़ुद न तोड़ा, क्यूं न हो कि रब्बे करीम फ़रमाता है : ﴿اِنَّاۤ اَعۡطَیۡنٰکَ الۡکَوۡثَرَ ؕ﴾[2] इसी लिये हुज़ूर صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने सहाबा को कौसर का पानी बारहा पिलाया। दूसरे येह कि हुज़ूर صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم को रब्बे करीम ने वोह ताक़त दी है कि मदीने में खड़े हो कर जन्नत में हाथ डाल सकते हैं और वहां तसर्रुफ़ कर सकते हैं, जिन का हाथ मदीने से जन्नत में पहुंच सकता है क्या उन का हाथ हम जैसे गुनहगारों की दस्त गीरी के वासिते नहीं पहुंच सकता और अगर येह कहो कि जन्नत क़रीब आ गई थी तो जन्नत और वहां की ने'मतें हर जगह हाज़िर हुईं। बहर हाल इस हदीस से या हुज़ूर صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم को हाज़िर मानना पड़ेगा या जन्नत को।[3] हदीसे पाक और इस की शर्ह से वाज़ेह तौर पर येह बात साबित होती है कि हमारे प्यारे सरकार, मक्के मदीने के ताजदार صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने ब अ़ताए परवर्दगार ज़मीन पर खड़े हो कर सातों आस्मानों से भी ऊपर जन्नत को न सिर्फ़ देख लिया बल्कि अपना दस्ते मुबारक भी जन्नत के ख़ोशे तक पहुंचा दिया।

सरकार صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के सदक़े में सहाबए किराम عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان और बुज़ुर्गाने दीन رَحِمَہُمُ اللہُ الۡمُبِیۡن को भी दूर से देखने, सुनने और तसर्रुफ़ करने की क़ुव्वत हासिल है। चुनान्चे हज़रते सय्यिदुना उ़मर बिन हारिस رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ से रिवायत है कि अमीरुल मुअमिनीन हज़रते सय्यिदुना उ़मर फ़ारूके़ आ'ज़म

1 ... بخاری، کتاب الاذان، باب رفع البصر الی الامام فی الصلوۃ، 1/265، حدیث:748

2 ... तरजमए कन्ज़ुल ईमान : ऐ महबूब बेशक हम ने तुम्हें बे शुमार ख़ूबियां अ़ता फ़रमाईं। (पारह : 30, अल कौसर : 1)

3 ... मिरआतुल मनाजीह, 2/382

رَضِیَ اللہُ عَنْہ ने ह़ज़रते सय्यिदुना सारिया رَضِیَ اللہُ عَنْہ को इस्लामी लश्कर का सिपह सालार बना कर नहावन्द[1] भेजा, आप رَضِیَ اللہُ عَنْہ जिहाद में मसरूफ़ थे, इधर मदीनए त़य्यिबा زَادَھَا اللہُ شَرَفًاوَّتَعْظِیْمًا में अमीरुल मुअमिनीन ह़ज़रते सय्यिदुना उ़मर फ़ारूक़े आ'ज़म رَضِیَ اللہُ عَنْہ जुमुआ़ का ख़ुत़्बा फ़रमा रहे थे, यकायक आप رَضِیَ اللہُ عَنْہ ने ख़ुत़्बा छोड़ कर तीन बार फ़रमाया : ''یَاسَارِیَۃُ الْجَبَل या'नी ऐ सारिया ! पहाड़ की त़रफ़ जाओ ।'' फिर इस के बा'द ख़ुत़्बा शुरूअ़ फ़रमा दिया, बा'दे नमाज़ ह़ज़रते सय्यिदुना अ़ब्दुर्रह़मान बिन औ़फ़ رَضِیَ اللہُ عَنْہ ने इस पुकार की वज्ह दरयाफ़्त की तो आप رَضِیَ اللہُ عَنْہ ने फ़रमाया : मैं ने मुसल्मानों को देखा कि वोह पहाड़ के पास लड़ रहे हैं और कुफ़्फ़ार ने उन्हें आगे पीछे से घेर रखा है, येह देख कर मुझ से ज़ब्त़ न हो सका और मैं ने कह दिया : ''یَاسَارِیَۃُ الْجَبَل या'नी ऐ सारिया ! पहाड़ की त़रफ़ जाओ ।'' इस वाक़िए़ के कुछ रोज़ बा'द ह़ज़रते सय्यिदुना सारिया رَضِیَ اللہُ عَنْہ का क़ासिद एक ख़त़ ले कर आया जिस में लिखा था कि हम लोग जुमुआ़ के दिन कुफ़्फ़ार से लड़ रहे थे और क़रीब था कि हम शिकस्त खा जाते कि ऐ़न जुमुआ़ की नमाज़ के वक़्त हम ने किसी की आवाज़ सुनी : ''یَاسَارِیَۃُ الْجَبَل या'नी ऐ सारिया ! पहाड़ की त़रफ़ जाओ ।'' उस आवाज़ को सुन कर हम पहाड़ की त़रफ़ चले गए तो **अल्लाह** ने कुफ़्फ़ार को शिकस्त दी हम ने उन्हें क़त्ल कर डाला, इस त़रह़ हमें फ़त्ह़ ह़ासिल हो गई ।[2]

ह़ज़रते सय्यिदुना अ़ल्लामा अ़फ़ीफ़ुद्दीन अ़ब्दुल्लाह याफ़ेई यमनी رَحْمَۃُ اللہِ عَلَیْہ फ़रमाते हैं : इस ह़दीस शरीफ़ से अमीरुल मुअमिनीन ह़ज़रते सय्यिदुना उ़मर फ़ारूक़े आ'ज़म رَضِیَ اللہُ عَنْہ की दो करामतें ज़ाहिर हुईं : (1) आप رَضِیَ اللہُ عَنْہ ने मदीनए मुनव्वरह زَادَھَا اللہُ شَرَفًاوَّتَعْظِیْمًا से (चौदह सो (1400) मील दूर) मक़ाम नहावन्द में मौजूद लश्करे इस्लाम और उन के दुश्मन को मुलाह़ज़ा फ़रमा लिया और (2) मदीनए त़य्यिबा زَادَھَا اللہُ شَرَفًاوَّتَعْظِیْمًا से इतनी दूर आवाज़ पहुंचा दी ।[3]

ह़ज़रते सय्यिदुना शैख़ आ़रिफ़ अबुल क़ासिम رَحْمَۃُ اللہِ عَلَیْہ फ़रमाते हैं : एक मरतबा ह़ज़रते सय्यिदुना शैख़ अ़ब्दुल क़ादिर जीलानी رَحْمَۃُ اللہِ عَلَیْہ दौराने वा'ज़ इस्तिग़राक़ की ह़ालत में हो गए यहां तक कि आप رَحْمَۃُ اللہِ عَلَیْہ के इमामे का बल (या'नी पेच) खुल गया तो तमाम ह़ाज़िरीन ने भी अपनी टोपियां और इमामे ग़ौसे आ'ज़म رَحْمَۃُ اللہِ عَلَیْہ की कुरसी की त़रफ़ फेंक दिये । जब आप वा'ज़ से फ़ारिग़ हुए तो अपने इमामे शरीफ़ को दुरुस्त फ़रमाया और मुझे हुक्म दिया कि ऐ अबुल क़ासिम ! लोगों को उन के

1... नहावन्द ईरान में सूबा आज़र बाएजान के पहाड़ी शहरों में से है और मदीनए मुनव्वरह زَادَھَا اللہُ شَرَفًاوَّتَعْظِیْمًا से इतना दूर है कि एक माह चल कर भी आदमी वहां नहीं पहुंच सकता । (حاشیۃ اشعۃ اللمعات، 4/615 کوئٹہ)

2 ... کنز العمال، کتاب الفضائل، فضائل الصحابۃ، فضائل الفاروق، الجزء: 12، 6/256، حدیث: 35783-35785 ملخصا

3 ... روض الریاحین، ص 39 ماخوذا

इमामे और टोपियां दे दो। मैं ने सब लोगों को उन के इमामे और टोपियां दे दीं लेकिन आख़िर में एक दोपट्टा रह गया मैं नहीं जानता था कि येह किस का है ? हालां कि मजलिस में कोई भी ऐसा न बचा था जिस का कुछ रह गया हो। हुज़ूरे ग़ौसे आ'ज़म رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه ने मुझ से फ़रमाया : येह मुझे दे दो। मैं ने वोह दोपट्टा आप رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه को दे दिया। आप ने उसे अपने कन्धे पर रखा तो वोह ग़ाइब हो गया। मैं हैरानगी से दम बख़ुद रह गया। फ़रमाया : ऐ अबुल क़ासिम ! जब मजलिस में लोगों ने अपने इमामे उतार दिये तो हमारी एक बहन ने अस्बहान से अपना दोपट्टा उतार कर फेंक दिया था। फिर जब मैं ने उस दोपट्टे को अपने शानों पर रखा तो उस ने अस्बहान से अपना हाथ बढ़ाया और अपने दोपट्टे को उठा लिया।[1]

मा'लूम हुवा कि **अल्लाह** करीम के नेक और बरगुज़ीदा बन्दे दूर से देखते, सुनते और तसर्रुफ़ भी फ़रमाते हैं। देखिये ! आज के इस तरक़्क़ी याफ़्ता दौर में साइन्सी आलात (मोबाइल, रेडियो और टीवी वग़ैरा) के ज़रीए ब यक वक़्त एक ही लम्हे में दुन्या के कोने कोने में आवाज़ और शबीह को सुना और देखा भी जा सकता है। जब साइन्सी आलात के ज़रीए येह सब कुछ हो सकता है तो रूहानी राबिते (Connection) के ज़रीए क्यूं नहीं हो सकता ? रूहानी राबिता तो साइन्सी राबिते से ज़ियादा ताक़त वर (Powerfull) है। साइन्स वाला दूर की आवाज़ और शबीह सुना और दिखा दे तो किसी को वस्वसा नहीं आता और **अल्लाह** पाक अपनी अ़ता से अपने मह़बूब बन्दों को दूर की आवाज़ सुना दे तो वस्वसे आने शुरूअ़ हो जाते हैं।[2] **अल्लाह** पाक हमें अपने मक़्बूल बन्दों की मह़ब्बत नसीब फ़रमाए और इन के फ़ज़ाइलो कमालात मानने की तौफ़ीक़ अ़ता फ़रमाए। اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللہ تعالٰی علیہ والہٖ وسلَّم

सबक़ नम्बर 2 गै़रुल्लाह से मदद मांगने का बयान

अल्लाह पाक को ह़क़ीक़ी मददगार जानते हुए अम्बियाए किराम عَلَیْہِمُ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام और औलियाउल्लाह رَحْمَۃُ اللہِ عَلَیْہِم से मदद मांगना "इस्तिम्दाद" कहलाता है और "इस्तिआ़नत" का भी येही मत़लब है। अम्बियाए किराम عَلَیْہِمُ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام और औलियाउल्लाह से मदद मांगना बिला शुबा जाइज़ है जब कि अ़क़ीदा येह हो कि ह़क़ीक़ी इमदाद तो रब्बे करीम ही की है और येह सब ह़ज़रात उस की दी हुई क़ुदरत से मदद करते हैं क्यूं कि हर शै का ह़क़ीक़ी मालिको मुख़्तार सिर्फ़ **अल्लाह** पाक ही है और **अल्लाह** पाक की अ़ता के बिग़ैर कोई मख़्लूक़ किसी ज़र्रे की भी मालिको मुख़्तार नहीं होती।

1 ... بہجۃ الاسرار، ذکر وعظہ، ص185 ملتقطا

2 ... अम्बिया व औलिया को पुकारना कैसा ? स. 2, 3 (मदनी मुज़ाकरा, क़िस्त़ : 25)

अल्लाह पाक ने अपनी ख़ास अ़ता और फ़ज़्ले अ़ज़ीम से अपने प्यारे ह़बीब صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم को कौनैन का ह़ाकिम व मुख़्तार बनाया है और हुज़ूर صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم और दीगर अम्बियाए किराम عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام व औलियाए इ़ज़ाम رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِم **अल्लाह** पाक की अ़ता से (या'नी उस की दी हुई क़ुदरत से) मदद कर सकते हैं। जैसा कि सूरतुत्तह़रीम पारह 28 की आयत 4 में **अल्लाह** पाक का फ़रमान है :

فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلٰىهُ وَ جِبْرِیْلُ وَ صَالِحُ الْمُؤْمِنِیْنَۚ وَ الْمَلٰٓىٕكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِیْرٌ ۝ (پ28، التحریم:4)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : तो बेशक **अल्लाह** उन का मददगार है और जिब्रील और नेक ईमान वाले और इस के बा'द फ़िरिश्ते मदद पर हैं।

ह़दीस शरीफ़ में ह़ज़रते सय्यिदुना उ़त्बा बिन ग़ज़वान رَضِیَ اللهُ عَنْه से रिवायत है कि हुज़ूरे पुरनूर सय्यिदुल आ़लमीन صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم फ़रमाते हैं : जब तुम में से किसी की कोई चीज़ गुम हो जाए और मदद चाहे और ऐसी जगह हो जहां कोई हमदम नहीं तो उसे चाहिये यूं पुकारे : ऐ **अल्लाह** के बन्दो ! मेरी मदद करो, ऐ **अल्लाह** के बन्दो ! मेरी मदद करो कि **अल्लाह** के कुछ बन्दे हैं जिन्हें येह नहीं देखता।[1]

सुवाल क्या अम्बियाए किराम عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام और औलियाउल्लाह से उन की वफ़ात के बा'द भी मदद मांगी जा सकती है ?

जवाब जी हां ! जिस त़रह़ ज़िन्दगी में इन से तवस्सुल करना और मदद मांगना जाइज़ है इसी त़रह़ इन के विसाल के बा'द भी जाइज़ है। **अल्लाह** पाक के प्यारे नबी और वली अपनी क़ुबूर में ज़िन्दा होते हैं।

सुवाल मदद फ़रमाने के सुबूत में कोई वाक़िआ़ हो तो बयान करें।

जवाब इस पर एक नहीं बल्कि बे शुमार वाक़िआ़त ज़िक्र किये जा सकते हैं। यहां एक वाक़िआ़ मुलाह़ज़ा हो, चुनान्चे

इमाम त़बरानी, अ़ल्लामा इब्नुल मुक़री और इमाम अबुश्शैख़। येह तीनों ह़दीस के बहुत बड़े इमाम गुज़रे हैं और येह तीनों एक ही ज़माने में मदीनए मुनव्वरह की एक दर्सगाह में ह़दीस का इ़ल्म ह़ासिल करते थे। एक बार इन तीनों त़ुलबाए इ़ल्मे ह़दीस पर एक वक़्त ऐसा गुज़रा कि इन के पास खाने को कुछ नहीं था, रोज़े पर रोज़े रखते रहे, मगर जब भूक से निढाल हो गए और हिम्मत जवाब दे गई तो तीनों ने रह़मते आ़लम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के रौज़ए अत़्हर पर ह़ाज़िर हो कर फ़रियाद की : **या रसूलल्लाह !** हम लोग भूक से बेताब हैं। येह अ़र्ज़ कर के इमाम त़बरानी तो आस्तानए मुबारका ही पर बैठे रहे और कहा : इस दर पर मौत आएगी या रोज़ी अब यहां से नहीं उठूंगा। इमाम अबुश्शैख़ और

[1] ...معجم کبیر، 15/117، حدیث:290

इब्नुल मुक़री अपनी क़ियाम गाह पर लौट आए, थोड़ी देर बा'द किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, दोनों ने दरवाज़ा खोल कर देखा तो अ़लवी ख़ानदान के एक बुज़ुर्ग दो ग़ुलामों क साथ खाना ले कर तशरीफ़ फ़रमा हैं और येह फ़रमा रहे हैं कि आप صَلَّی اللّٰہ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने अभी अभी मुझे ख़्वाब में अपनी ज़ियारत से मुशर्रफ़ फ़रमा कर हुक्म फ़रमाया कि मैं आप लोगों के पास खाना पहुंचा दूं चुनान्चे जो कुछ मुझ से फ़िल वक़्त हो सका ह़ाज़िर है।[1]

सबक़ नम्बर 3 वसीला बनाने का बयान

बारगाहे इलाही में नेक बन्दों का वसीला पेश करना दुआ़ओं की क़बूलिय्यत, मुश्किलात के ह़ल, मसाइबो आलाम से छुटकारे और दीनी व दुन्यवी भलाइयों के ह़ुसूल का आसान ज़रीआ़ है। क़ुरआनो ह़दीस और अक़्वाल व अफ़्आ़ले बुज़ुर्गाने दीन से वसीला इख़्तियार करने का सुबूत मिलता है। चुनान्चे **अल्लाह** रब्बुल इ़ज़्ज़त का फ़रमान है :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوْۤا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ ﴿۳۵﴾ (پ6، المائدہ:35)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : ऐ ईमान वालो **अल्लाह** से डरो और उस की त़रफ़ वसीला ढूंडो।

वसीले के बारे में 3 अह़ादीसे मुबारका

(1) : हमारे प्यारे मदनी आक़ा صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم मुसल्मान फ़ुक़रा के वसीले से दुआ़ फ़रमाया करते थे। चुनान्चे त़बरानी शरीफ़ में है : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِحُ وَيَسْتَنْصِرُ بِصَعَالِيكِ الْمُسْلِمِينَ या'नी नबिय्ये पाक صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم मुसल्मान फ़ुक़रा के वसीले से फ़त्ह़ो नुसरत त़लब फ़रमाते थे।[2]

(2) : सरकार صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने ख़ुद एक नाबीना शख़्स को एक दुआ़ के ज़रीए़ वसीले की ता'लीम इर्शाद फ़रमाई, चुनान्चे तिरमिज़ी शरीफ़ में ह़ज़रते उ़स्मान बिन ह़ुनैफ़ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ से रिवायत है : एक नाबीना बारगाहे रिसालत صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم में ह़ाज़िरे ख़िदमत हुवा और अ़र्ज़ की, कि आप صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم **अल्लाह** पाक से दुआ़ करें कि वोह मुझे आंख वाला कर दे। ह़ुज़ूर صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : अगर तू चाहे तो मैं तेरे लिये दुआ़ करूं और अगर तू चाहे तो सब्र कर कि वोह तेरे लिये बेहतर है। अ़र्ज़ की, कि दुआ़ फ़रमाएं, ह़ुज़ूर صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने उसे हुक्म दिया कि अच्छा वुज़ू करो, दो रक्अ़त

1 ... تذکرۃ الحفاظ، رقم:913، 3/121 ملخصاً
2 ... معجم کبیر، 1/292، حدیث:859

नमाज़ पढ़ो और येह दुआ़ करो : ऐ **अल्लाह** ! मैं तुझ से मांगता हूं और तेरी त़रफ़ मुह़म्मद صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के वसीले से तवज्जोह करता हूं जो नबिय्ये रह़मत صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم हैं, **या रसूलल्लाह** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ! मैं आप के वसीले से अपने रब की त़रफ़ अपनी इस ह़ाजत में तवज्जोह करता हूं तो उसे पूरी फ़रमा दे। ऐ **अल्लाह** ! मेरे बारे में हु़ज़ूर صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم की शफ़ाअ़त क़बूल फ़रमा।[1] (रावी बयान फ़रमाते हैं) कि वोह शख़्स जब आप صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के फ़रमाने के मुत़ाबिक़ दुआ़ कर के खड़ा हुवा तो वोह आंख वाला हो गया।[2]

(3) : नबिय्ये करीम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने ह़ज़रते सय्यिदुना अ़लिय्युल मुर्तज़ा رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ की वालिदा के लिये यूं दुआ़ की : اِغْفِرْ لِاُمِّی فَاطِمَةَ بِنْتِ اَسَدٍ وَلَقِّنْهَا حُجَّتَهَا وَوَسِّعْ عَلَيْهَا مَدْخَلَهَا بِحَقِّ نَبِيِّكَ وَالْاَنْبِيَاءِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِي । **तरजमा :** (ऐ **अल्लाह** !) मेरी मां फ़ात़िमा बिन्ते असद की मग़्फ़िरत फ़रमा और उन्हें उन की ह़ुज्जत सिखा और मेरे और मुझ से पहले नबियों के ह़क़ के वसीले से उस की क़ब्र को वसीअ़ फ़रमा !।[3]

सुवाल अम्बियाए किराम عَلَیْہِمُ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام व औलियाए इ़ज़ाम رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِم से तवस्सुल का क्या मत़लब है ?

जवाब इन से तवस्सुल का मत़लब येह है कि ह़ाजतों के बर आने (पूरा होने) और मत़ालिब के ह़ासिल होने के लिये इन मह़बूब हस्तियों को **अल्लाह** पाक की बारगाह में वसीला और वासित़ा बनाया जाए क्यूं कि इन्हें **अल्लाह** पाक की बारगाह में हमारी निस्बत ज़ियादा क़ुर्ब ह़ासिल है, **अल्लाह** पाक इन की दुआ़ पूरी फ़रमाता है और इन की शफ़ाअ़त क़बूल फ़रमाता है।

सुवाल अम्बियाए किराम عَلَیْہِمُ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام से तवस्सुल का क्या ह़ुक्म है ?

जवाब इमाम तक़िय्युद्दीन सुबुकी शाफ़ेई رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ (साले वफ़ात 756 हि.) लिखते हैं : नबिय्ये करीम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के वसीले से दुआ़ करना जाइज़ व मुस्तह़सन है, चाहे विलादते बा सआ़दत से क़ब्ल हो, ह़याते ज़ाहिरी में हो या विसाले मुबारक के बा'द हो। इसी त़रह़ आप عَلَیْہِ السَّلَام से ख़ास निस्बत रखने वाले बुज़ुर्गों को वसीला बनाना भी जाइज़ व मुस्तह़सन है।[4] ह़ज़रते सय्यिदुना आदम عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام ने ह़ज़रत मुह़म्मदे मुस्त़फ़ा صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के वसीले से दुआ़ की तो इर्शादे बारी हुवा :

1 ...ترمذی، احادیث شتی، باب118، 5/336، حدیث:3589
2 ...معجم کبیر، 9/31، حدیث:8311
3 ...معجم کبیر، 24/351، حدیث:871
4 ...شفاء السقام، ص357، 358 ملتقطا

बेशक ! मुह़म्मद (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) तमाम मख़्लूक़ में मेरे नज़्दीक सब से ज़ियादा मह़बूब हैं और अब कि तू ने इन के ह़क़ के वासिते़ से सुवाल किया है तो मैं ने तुम्हारी मग़्फ़िरत कर दी और अगर मुह़म्मद (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) न होते तो मैं तुम्हें भी पैदा न करता।[1] लिहाज़ा मा'लूम हुवा कि दुन्यावी और उख़्रवी ह़ाजतों को पूरा करने के लिये **अल्लाह** पाक की बारगाह में इन से तवस्सुल शरअ़न जाइज़ है।

सुवाल क्या दुन्या से रेह़लत कर जाने वालों से तवस्सुल जाइज़ है ?

जवाब उ़लमाए किराम رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِم फ़रमाते हैं कि **अल्लाह** पाक की मह़बूब हस्तियों से तवस्सुल जाइज़ है ख़्वाह वोह दुन्यावी ज़िन्दगी में हों या बरज़ख़ी ज़िन्दगी की त़रफ़ मुन्तक़िल हो चुके हों। बुज़ुर्गाने दीन भी अपनी दुआ़ओं में वसीला इख़्तियार किया करते थे, मसलन (1) अमीरुल मुअमिनीन ह़ज़रते सय्यिदुना उ़मर फ़ारूक़े आ'ज़म رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ क़ह़त़ के वक़्त यूं दुआ़ किया करते : ऐ **अल्लाह** ! पहले हम तेरे नबी के वसीले से दुआ़ करते थे, अब अपने नबी के चचा अ़ब्बास के वसीले से दुआ़ करते हैं, हमें बारिश अ़ता फ़रमा ! ।[2]

(2) ह़ज़रते सय्यिदुना अमीरे मुआ़विया رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ह़ज़रते सय्यिदुना इब्ने अस्वद जुरशी رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا के वसीले से बारिश की दुआ़ मांगा करते थे।[3]

(3) अ़ल्लामा इब्ने आ़बिदीन शामी رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ नबिय्ये करीम, रऊफ़ुर्रह़ीम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم, इमामे आ'ज़म और दीगर सालिह़ीन رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِم के वसीले से दुआ़ करते थे।[4]

(4) फ़रमाने ग़ौसे आ'ज़म رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ : مَنْ تَوَسَّلَ بِیْ اِلَی اللّٰہِ فِیْ حَاجَۃٍ قُضِیَتْ حَاجَتُہٗ या'नी जो मुझे वसीला बना कर **अल्लाह** से कोई ह़ाजत त़लब करे उस की ह़ाजत पूरी की जाती है।[5]

सुवाल इस की क्या दलील है कि वफ़ात के बा'द भी किसी नबी या वली को वसीला बनाना जाइज़ है ?

जवाब इस के सुबूत में कई रिवायात पेश की जा सकती हैं, ऊपर नाबीना के तवस्सुल करने के बारे में जो ह़दीस बयान की गई है उस के बारे में ह़दीस की मुस्तनद किताबों में है कि सह़ाबए किराम

1 ...دلائل النبوۃ للبیہقی، 5/489

2 ...بخاری، کتاب الاستسقاء، باب سوال الناس الامام اذا قحطوا، 1/346، حدیث:1010

3 ...طبقات ابن سعد، رقم:3825، یزید بن الاسود، 7/309 ملخصا

4 ...رد المحتار، مقدمۃ المولف، 1/18 ملخصا

5 ...نزہۃ الخاطر الفاتر، ص67

عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان नबिय्ये करीम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के इस दुन्या से विसाले ज़ाहिरी फ़रमाने के बा'द भी लोगों को इस पर अ़मल की ता'लीम दिया करते थे।[1]

इसी त़रह़ मिश्कात बाबुल करामात में ह़ज़रते अबुल जूज़ा رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ से है, फ़रमाते हैं कि मदीने के लोग सख़्त क़ह़त़ में मुब्तला हो गए तो उन्हों ने ह़ज़रते आ़इशा رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا से शिकायत की। उन्हों ने फ़रमाया कि नबिय्ये करीम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم की क़ब्र की त़रफ़ ग़ौर करो उस से एक त़ाक़ आस्मान की त़रफ़ बना दो यहां तक कि क़ब्रे अन्वर और आस्मान के दरमियान छत न रहे तो लोगों ने ऐसा किया तो ख़ूब बरसाए गए यहां तक कि चारा उग गया और ऊंट मोटे हो गए यहां तक कि चरबी से गोया कि फट पड़े तो उस साल का नाम फटन का साल रखा गया।[2]

सुवाल क्या तवस्सुल के ह़वाले से आइम्मए मुज्तहिदीन के वाक़िआ़त भी मिलते हैं ?

जवाब जी हां ! आइम्मए अर्बआ़ व दीगर फ़ुक़हाए किराम رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِم भी बारगाहे इलाही में वसीला पेश करते रहे हैं :

इमामे आ'ज़म का अ़मल

इमामे आ'ज़म رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہ अपने मश्हूर क़सीदए नो'मानिया में हुज़ूर صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم की बारगाह में यूं अ़र्ज़ करते हैं :

اَنۡتَ الَّذِی لَمَّا تَوَسَّلَ بِكَ اٰدَمُ مِنۡ زِلَّةٍ فَازَ وَ ھُوَ اَبَاكَ

या'नी आप صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ही वोह हैं जब ह़ज़रते आदम عَلَیۡہِ السَّلَام ने आप को वसीला बनाया तो वोह काम्याब हुए क़बूलिय्यते दुआ़ से ह़ालां कि वोह आप صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के वालिद थे।

इमामे शाफ़ेई का अ़मल

इमामे शाफ़ेई رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہ भी **अल्लाह** पाक की बारगाह में वसीला पेश करने के क़ाइल थे। चुनान्चे

ख़त़ीब बग़दादी رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہ नक़्ल फ़रमाते हैं : ह़ज़रते इमाम शाफ़ेई رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہ ह़ज़रत इमामे आ'ज़म رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہ से तवस्सुल करते, उन की क़ब्र पर ह़ाज़िर हो कर ज़ियारत करते, फिर अपनी ह़ाजत पूरी होने के लिये **अल्लाह** पाक की बारगाह में उन्हें वसीला बनाते।[3]

1 ... مجمع الزوائد، کتاب الصلاۃ، باب صلاۃ الحاجۃ، 2/565، حدیث:3668

2 ... دارمی، مقدمۃ، باب ما اکرم اللہ نبیہ بعد موتہ، 1/56، حدیث:92، مشکاۃ، کتاب احوال القیامۃ، باب الکرامات، 2/400، حدیث:5950

3 ... تاریخ بغداد، باب ما ذکر فی مقابر بغداد المخصوصۃ، 1/135

सबक़ नम्बर 4

ईसाले सवाब

ईसाले सवाब के लफ़्ज़ी मा'ना हैं : "सवाब पहुंचाना" इस को "सवाब बख़्शना" भी कहते हैं मगर बुज़ुर्गों के लिये "सवाब बख़्शना" कहना मुनासिब नहीं, "सवाब नज़्र करना" कहना अदब के ज़ियादा क़रीब है।[1] आ'ला ह़ज़रत इमाम अह़मद रज़ा ख़ान رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : हुज़ूरे अक़्दस عَلَيْهِ اَفْضَلُ الصَّلٰوةِ وَالتَّسْلِيْم ख़्वाह और नबी या वली को "सवाब बख़्शना" कहना बे अदबी है, बख़्शना बड़े की त़रफ़ से छोटे को होता है बल्कि नज़्र करना या हदिय्या करना कहे।[2] इसी त़रह़ मय्यित के लिये ज़िन्दों का दुआ़ करना क़ुरआने करीम से साबित है जो कि "ईसाले सवाब" की अस्ल है। चुनान्चे

पारह 28 सूरतुल ह़श्र आयत 10 में इर्शादे रब्बे करीम है :

وَ الَّذِيْنَ جَآءُوْ مِنْۢ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَ لِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ (پ28،الحشر:10)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और वोह जो उन के बा'द आए अ़र्ज़ करते हैं ऐ हमारे रब हमें बख़्श दे और हमारे भाइयों को जो हम से पहले ईमान लाए।

ईसाले सवाब के मुतअ़ल्लिक़ 3 अह़ादीसे मुबारका

(1) : ह़ज़रते आ़इशा رَضِیَ اللهُ عَنْهَا से रिवायत है कि एक शख़्स ने नबिय्ये करीम صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की ख़िदमत में अ़र्ज़ किया कि मेरी वालिदा का अचानक इन्तिक़ाल हो गया और मेरा गुमान है कि अगर वोह कुछ कहतीं तो सदक़े का कहतीं पस अगर मैं उन की त़रफ़ से सदक़ा करूं तो क्या उन्हें सवाब पहुंचेगा ? फ़रमाया : "हां।"[3]

(2) : ह़ज़रते सा'द बिन उ़बादा رَضِیَ اللهُ عَنْه से मरवी है कि उन्हों ने हुज़ूर صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की बारगाह में अ़र्ज़ की : **या रसूलल्लाह** صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ! मेरी मां का इन्तिक़ाल हो गया है, उन के लिये कौन सा सदक़ा अफ़्ज़ल है ? हुज़ूर صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : "पानी।" तो ह़ज़रते सा'द رَضِیَ اللهُ عَنْه ने एक कूंवां खुदवाया और कहा कि येह कूंवां सा'द की मां के लिये है।[4]

1... फ़ातिह़ा और ईसाले सवाब का त़रीक़ा, स. 12

2... फ़तावा रज़विय्या, 26/609

3... بخاری، کتاب الجنائز، باب موت الفجاۃ البغتۃ، 1/468، حدیث:1388

4... ابوداود، کتاب الزکاۃ، باب فی فضل سقی الماء، 2/180، حدیث:1681

या'नी इस का सवाब उन की रूह़ को मिले।

(3) : फ़रमाने मुस्त़फ़ा صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم : जो कोई तमाम मोमिन मर्दों और औ़रतों के लिये दुआ़ए मग़्फ़िरत करता है, **अल्लाह** पाक उस के लिये हर मोमिन मर्द व औ़रत के इ़वज़ एक नेकी लिख देता है।[1]

सुवाल किस किस चीज़ का सवाब बख़्शा जा सकता है ?

जवाब इन्सान अपने किसी भी नेक अ़मल का सवाब किसी दूसरे शख़्स को पहुंचा सकता है जैसे फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नत, नफ़्ल, नमाज़, रोज़ा, ज़कात, ह़ज, तिलावत, ना'त शरीफ़, ज़िक्रुल्लाह, दुरूद शरीफ़, बयान, दर्स, दीनी किताब का मुत़ालआ़ वग़ैरा हर नेक काम का ईसाले सवाब कर सकते हैं।

सुवाल क्या इस से मुर्दों को फ़ाएदा पहुंचता है ?

जवाब जी हां ! इस से नेक लोगों के दरजात बुलन्द होते हैं, गुनाहगारों के गुनाह मुआ़फ़ होते हैं और अहले क़ब्र सख़्ती या अ़ज़ाब में मुब्तला हों तो नजात मिल जाती है या उस में तख़्फ़ीफ़ हो जाती है और येह सब **अल्लाह** पाक के चाहने से होता है।

सुवाल क्या ईसाले सवाब करने वाले को भी कुछ मिलता है ?

जवाब ईसाले सवाब करने वाला भी अज्रो सवाब से मह़रूम नहीं रहता उस के अ़मल का अज्र उस के लिये भी बाक़ी रहता है बल्कि उन सब की गिनती के बराबर नेकियां मिलती हैं जिन को उस ने ईसाले सवाब किया होता है।

सुवाल ईसाले सवाब के बारे में कोई वाक़िआ़ भी पेश फ़रमा दीजिये।

जवाब शाह वलिय्युल्लाह मुह़द्दिस देहलवी رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ जो कि नज़्रो नियाज़, चालीसवां, तीजा, दसवां ईसाले सवाब के क़ाइल थे, लिखते हैं : "शाह अ़ब्दुर्रह़ीम साह़िब رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ फ़रमाते हैं कि **रसूलुल्लाह** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के यौमे विसाल में उन के पास नियाज़ देने के लिये कोई चीज़ मुयस्सर न थी। आख़िर कार कुछ भुने हुए चने और गुड़ पर नियाज़ दी। रात मैं ने देखा कि नबी عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام के पास अन्वाओ़ अक़्साम के खाने ह़ाज़िर हैं और उन में वोह गुड़ और चने भी हैं, आप صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने कमाले मसर्रत व ख़ुशी से उन की त़रफ़ इल्तिफ़ात फ़रमाया, उन्हें त़लब फ़रमाया और उन में से कुछ आप صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

1 ...مسند الشامیین للطبرانی، 3/234، حدیث 2155

ने तनावुल फ़रमाए और बाक़ी आप صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने अस्ह़ाब में तक़्सीम कर दिये।"[1]

सुवाल क्या ईसाले सवाब किसी मुक़र्ररा दिन ही करना चाहिये या किसी भी दिन हो सकता है ?

जवाब ईसाले सवाब के लिये न किसी वक़्त को मुअ़य्यन करना ज़रूरी है न किसी अ़मल को। बिग़ैर किसी क़ैद के जब भी चाहें, कोई नेक अ़मल कर के मय्यित को ईसाले सवाब कर सकते हैं, चाहे कोई सदक़ा करे या मद्रसा व मस्जिद बना दे, मय्यित की त़रफ़ से ह़ज करे, क़ुरआने पाक की तिलावत कर के सवाब पहुंचाए। येही काम किसी दिन को मुअ़य्यन कर के किये जाएं इस में भी ह़रज नहीं कि दिन मुअ़य्यन करने से मक़्सूद येह होता है कि लोग जम्अ़ हो जाएं और एहतिमाम के साथ अ़मले ख़ैर किया जाए ता'यीन शर्अ़न मन्अ़ नहीं है जैसा कि नमाज़े बा जमाअ़त में लोगों की आसानी के लिये एक वक़्त मुक़र्रर कर देना, किसी दीनी इज्तिमाअ़ मह़ाफ़िल या शादी बियाह वग़ैरा के लिये दिन व तारीख़ मुअ़य्यन कर देना जाइज़ है। हां अलबत्ता इसी ता'यीन को ज़रूरी समझना कि इस के बिग़ैर ईसाले सवाब न होगा येह दुरुस्त नहीं जाहिलाना ख़याल है इस से बाज़ रहना ज़रूरी है।

सुवाल तीजा, दसवां और चालीसवां क्या हैं ?

जवाब फ़ौत शुदा मुसल्मानों के ईसाले सवाब के लिये उ़मूमन क़ुरआन ख़्वानी और मह़फ़िले ज़िक्रो ना'त का एहतिमाम किया जाता है नीज़ खाना वग़ैरा भी पका कर तक़्सीम किया जाता है, अगर इस त़रह़ का एहतिमाम फ़ौत होने के दूसरे रोज़ हो तो उसे दूजा, तीसरे रोज़ हो तो तीजा, दसवें रोज़ हो तो दसवां, चालीसवें रोज़ हो तो चालीसवां या चेह्लम और साल के बा'द हो तो बरसी कहते हैं। एक दो दिन आगे पीछे भी हो जाएं तो दसवां, बीसवां या चालीसवां ही कहलाता है।

सुवाल ईसाले सवाब का खाना कौन कौन खा सकता है ?

जवाब ईसाले सवाब का खाना ख़ुद भी खा सकते हैं और अपने अ़ज़ीज़ो अक़्रिबा व अह़िब्बा, अग़्निया व फ़ुक़रा सब को खिला सकते हैं।

सुवाल क्या फ़ातिह़ा में खाने का सामने होना ज़रूरी है ?

जवाब खाने का सामने होना ज़रूरी नहीं। सामने खाना रखे बिग़ैर भी फ़ातिह़ा पढ़ी जा सकती है। लेकिन खाने का सामने होना मन्अ़ भी नहीं, मा'मूल है और पढ़ कर उस पर दम भी किया जाता है जिस से वोह बा बरकत हो जाता है, इस में ह़रज नहीं।

---

1 ...انفاس العارفین، ص76

सुवाल मुहर्रमुल ह़राम में पानी या शरबत की सबील लगाना कैसा है ?

जवाब पानी या शरबत की सबील लगाना जब कि निय्यत अच्छी हो और मक़्सूद ख़ालिस **अल्लाह** पाक की रिज़ा और अरवाहे़ त़य्यिबा आइम्मए अत़्हार को सवाब पहुंचाना हो तो बिला शुबा बेहतर व मुस्तह़ब व कारे सवाब है ।[1] ह़दीस में है : **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم फ़रमाते हैं : जब तेरे गुनाह ज़ियादा हो जाएं तो पानी पर पानी पिला, तो तेरे गुनाह इस त़रह़ झड़ जाएंगे जैसे सख़्त आंधी में पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं ।[2]

सुवाल क्या ग्यारहवीं शरीफ़ की नियाज़ करना जाइज़ है ?

जवाब ग्यारहवीं शरीफ़ की नियाज़ दिलाना जाइज़ है। येह हम हुज़ूर सय्यिदुना ग़ौसे पाक رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه की बारगाह में ईसाले सवाब करने के लिये करते हैं और येह अ़मल जाइज़ व मुस्तह़सन और बाइसे अज्रो सवाब है। बुज़ुर्गों से निस्बत व मह़ब्बत की अ़लामत है जो सआ़दत मन्दी की दलील है।

सुवाल रजबुल मुरज्जब में कूंडों की नियाज़ दिलवाने का रवाज है, क्या येह जाइज़ है ?

जवाब जी हां ! रजबुल मुरज्जब में ह़ज़रते सय्यिदुना इमाम जा'फ़रे सादिक़ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْه और ह़ज़रते जलाल बुख़ारी رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه के ईसाले सवाब के लिये नियाज़ की जाती है जिस में चावल, खीर या पूरियां वग़ैरा पका कर उन के कूंडे भरते हैं, फिर उन पर ख़त्म दिलवाया जाता है लिहाज़ा इसे कूंडे का ख़त्म या नियाज़ कहते हैं। येह भी ईसाले सवाब की एक सूरत है और ईसाले सवाब करना जाइज़ व मुस्तह़सन है।

सुवाल कूंडों के ख़त्म में कौन सी बातें मन्अ़ हैं ?

जवाब (1) कूंडों की नियाज़ के मौक़अ़ पर जो कहानी आ़म त़ौर पर सुनाई जाती है वोह मन घड़त है, उस की कोई अस्ल नहीं लिहाज़ा वोह कहानी पढ़ी जाए न सुनी जाए। (2) बा'ज़ जगह येह क़ैद लगाते हैं कि यहीं खाओ कहीं और न ले जाओ, येह क़ैद भी बे जा है। इन बातों से इज्तिनाब किया जाए। (3) इसी त़रह़ बा'ज़ येह क़ैद लगाते हैं कि मिट्टी के बरतन वग़ैरा में कूंडे की नियाज़ ज़रूरी है, येह क़ैद भी ज़रूरी नहीं।

1... बुन्यादी अ़क़ाइद और मा'मूलाते अहले सुन्नत, स. 94, 95

2... تاریخ بغداد، رقم:3464، اسحاق بن محمد، 6/400

फ़ातिह़ा व ईसाले सवाब का त़रीक़ा

सुवाल ईसाले सवाब करने का क्या त़रीक़ा है ?

जवाब आज कल मुसल्मानों में ख़ुसूसन खाने पर ईसाले सवाब या'नी फ़ातिह़ा का जो त़रीक़ा राइज है वोह भी बहुत अच्छा है, जिन खानों का ईसाले सवाब करना है वोह सारे खाने या सब में से थोड़ा थोड़ा नीज़ एक गिलास में पानी भर कर सब को सामने रख लें अब अऊ़ज़ु और बिस्मिल्लाह शरीफ़ पढ़ कर قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ एक बार, قُلْ هُوَ اللّٰه शरीफ़ तीन बार, सूरए फ़लक़, सूरए नास और सूरए फ़ातिह़ा एक एक बार, फिर الٓمّٓ ता مُفْلِحُوْنَ पढ़ने के बा'द येह पांच आयात पढ़ें :

(1) وَ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ﴿۱۶۳﴾ (پ2، البقرۃ:163)

(2) اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۵۶﴾ (پ8، الاعراف:56)

(3) وَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۰۷﴾ (پ17، الانبیاء:107)

(4) مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَاۤ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ﴿۴۰﴾ (پ22، الاحزاب:40)

(5) اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ؕ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴿۵۶﴾ (پ22، الاحزاب:56)

अब दुरूद शरीफ़ के बा'द पढ़े :

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿۱۸۰﴾ وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ﴿۱۸۱﴾ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۸۲﴾ (پ23، الصّٰفّٰت:180تا182)

फिर ईसाले सवाब करे और यूं दुआ़ मांगे :

ईसाले सवाब के लिये दुआ़ का त़रीक़ा

या अल्लाह ! जो कुछ पढ़ा गया (अगर खाना वग़ैरा है तो इस त़रह़ से भी कहिये) और जो कुछ खाना वग़ैरा पेश किया गया है इस का सवाब हमारे नाक़िस अ़मल के लाइक़ नहीं बल्कि अपने करम के शायाने शाम मर्ह़मत फ़रमा । और इसे हमारी जानिब से अपने प्यारे मह़बूब صَلَّی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की बारगाह में नज़्र पहुंचा । सरकारे मदीना صَلَّی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के तवस्सुत़ से तमाम अम्बियाए किराम عَلَيْهِمُ السَّلَام तमाम सह़ाबए किराम عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان तमाम औलियाए इ़ज़ाम رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام की जनाब में नज़्र पहुंचा । सरकारे मदीना صَلَّی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के तवस्सुत़ से सय्यिदुना आदम عَلٰی نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام से ले कर अब

तक जितने इन्सान व जिन्नात मुसल्मान हुए या क़ियामत तक होंगे सब को पहुंचा। इस दौरान बेहतर येह है कि जिन जिन बुज़ुर्गों को ख़ुसूसन ईसाले सवाब करना है उन का नाम भी लेते जाइये। अपने मां बाप और दीगर रिश्तेदारों और अपने पीरो मुर्शिद को भी नाम ब नाम ईसाले सवाब कीजिये। (फ़ौत शुदगान में से जिन जिन का नाम लेते हैं उन को ख़ुशी हासिल होती है अगर किसी का भी नाम न लें सिर्फ़ इतना ही कह लें कि **या अल्लाह !** इस का सवाब आज तक जितने भी अहले ईमान हुए उन सब को पहुंचा तब भी हर एक को पहुंच जाएगा। اِنْ شَآءَاللّٰہ) अब ह़स्बे मा'मूल दुआ़ ख़त्म कर दीजिये। (अगर थोड़ा थोड़ा खाना और पानी निकाला था तो वोह दूसरे खानों और पानी में डाल दीजिये)[1]

सबक़ नम्बर 5

किसी बुज़ुर्ग का उ़र्स मनाना

सुवाल उ़र्स किसे कहते हैं ?

जवाब किसी बुज़ुर्ग की याद मनाने के लिये और उन को ईसाले सवाब करने के लिये उन के मुह़िब्बीन व मुरीदीन वग़ैरा का उन की यौमे वफ़ात पर सालाना इज्तिमाअ़ "उ़र्स" कहलाता है।

सुवाल किसी बुज़ुर्ग का उ़र्स मनाना कैसा ?

जवाब बुज़ुर्गाने दीन औलियाए किराम رَحِمَهُمُ الله का उ़र्स मनाने से मक़्सूद उन की याद मनाना और उन को ईसाले सवाब करना होता है इस लिये उन के उ़र्स का इन्इ़क़ाद करना शरअ़न जाइज़ व मुस्तह़सन और अज्रो सवाब का ज़रीआ़ है।

सुवाल इस के जाइज़ होने की क्या दलील है ?

जवाब बुज़ुर्गाने दीन के आ'रास में ज़िक्रुल्लाह, ना'त ख़्वानी और क़ुरआने पाक की तिलावत और इस के इ़लावा दीगर नेक काम कर के उन को ईसाले सवाब किया जाता है और ईसाले सवाब के जाइज़ और मुस्तह़सन होने के दलाइल ऊपर ज़िक्र किये जा चुके हैं।

सुवाल मज़ारात पर ह़ाज़िर होने का क्या सुबूत है ?

जवाब मज़ारात पर ह़ाज़िरी देना ज़मानए क़दीम से मुसल्मानों में राइज है बल्कि ख़ुद **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم हर साल शुहदाए उहुद के मज़ारात पर बरकात लुटाने के लिये तशरीफ़ लाते थे। अ़ल्लामा इब्ने आ़बिदीन शामी رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه लिखते हैं कि इब्ने अबी शैबा ने रिवायत किया है कि हुज़ूर सय्यिदे दो आ़लम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم शुहदाए उहुद के मज़ारात पर हर साल के शुरूअ़ में तशरीफ़ ले

1... बुन्यादी अ़क़ाइद और मा'मूलाते अहले सुन्नत, स. 96,97

जाया करते थे ।(1)

सुवाल बुज़ुर्गाने दीन के मज़ार पर क्यूं जाते हैं इस ज़िम्न में कोई वाक़िआ़ हो तो वोह भी इर्शाद फ़रमा दें।

जवाब औलियाउल्लाह رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِم के मज़ारात पर जाना बाइसे बरकत और रफ़्ए ह़ाजात (ह़ाजात पूरा होने) का ज़रीआ़ है। इस लिये बुज़ुर्गाने दीन का येह त़रीक़ा रहा है कि वोह औलियाए किराम رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِم की क़ुबूर पर जाते और **अल्लाह** पाक की बारगाह में अपनी ह़ाजात के लिये दुआ़ करते(2) जैसा कि अ़ल्लामा इब्ने आ़बिदीन शामी رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه इस बारे में मुक़द्दमए रद्दुल मुह़तार में इमाम शाफ़ेई رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه से नक़्ल फ़रमाते हैं : "मैं इमाम अबू ह़नीफ़ा رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه से बरकत ह़ासिल करता हूं और उन की क़ब्र पर आता हूं अगर मुझे कोई ह़ाजत दरपेश होती है तो दो रक्अ़त पढ़ता हूं और उन की क़ब्र के पास जा कर **अल्लाह** पाक से दुआ़ करता हूं तो जल्द ह़ाजत पूरी हो जाती है।"(3)

सुवाल बा'ज़ लोग कहते हैं कि उ़र्स पर ग़ैर शर्ई कामों का इरतिकाब किया जाता है लिहाज़ा वहां जाना और उ़र्स मनाना जाइज़ नहीं, येह कहां तक दुरुस्त है ?

जवाब اَلْحَمْدُ لِلّٰه ! उ़र्स का मस्अला क़ुरआनो ह़दीस, सह़ाबए किराम عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان और औलियाए सालिह़ीन رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِم के अ़मल से वाज़ेह़ हो चुका है और हमारी मुराद भी वोही उ़र्स हैं जो शरीअ़ते मुत़ह्हरा के मुत़ाबिक़ मनाए जाते हैं। हां ! ग़ैर शर्ई उमूर तो वोह हर जगह ना जाइज़ हैं और येह ना जाइज़ काम उ़र्स के इ़लावा भी हों तो ना जाइज़ हैं और शरीअ़त के अह़काम की मा'मूली सी समझ बूझ रखने वाला मुसल्मान इन्हें जाइज़ नहीं कह सकता, इन ख़ुराफ़ात से दूर रहना चाहिये और ह़त्तल मक़्दूर दूसरे मुसल्मानों को भी इस से बचाना चाहिये।

सुवाल किसी बुज़ुर्ग के नाम का जानवर ज़ब्ह़ करना कैसा ?

जवाब किसी बुज़ुर्ग के नाम का जानवर ज़ब्ह़ करने में शर्अ़न कोई ह़रज नहीं जब कि ज़ब्ह़ करते वक़्त **अल्लाह** पाक का नाम ले कर ज़ब्ह़ किया जाए। क्यूं कि अगर ज़ब्ह़ के वक़्त **अल्लाह** पाक के सिवा किसी दूसरे का नाम लिया तो वोह जानवर ह़राम हो जाएगा लेकिन कोई मुसल्मान इस त़रह़ नहीं करता, हमारे यहां लोग उ़मूमन जानवर ख़रीदते या पालते वक़्त कह देते हैं कि येह ग्यारहवीं शरीफ़ का

1... ردالمحتار، کتاب الصلاة، مطلب فی زیارة القبور، 177/3

2... बुन्यादी अ़क़ाइद और मा'मूलाते अहले सुन्नत, स. 98

3... ردالمحتار، مقدمة الکتاب، مطلب یجوز تقلید المفضول مع وجود الافضل، 135/1

बकरा है या फुलां बुज़ुर्ग का बकरा है या भेंस है जिसे बा'द में उस मौक़अ़ पर ज़ब्ह़ कर दिया जाता है, और ज़ब्ह़ के वक़्त उस पर **अल्लाह** पाक का नाम ही लिया जाता है और उस ज़ब्ह़ से मक़्सूद उस बुज़ुर्ग के लिये ईसाले सवाब ही होता है, इस में ह़रज नहीं।[1]

सबक़ नम्बर 6 पुख़्ता मज़ार और क़ुब्बा बनाना

अम्बियाए किराम عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام और मशाइख़ व उ़लमा व औलियाए इ़ज़ाम رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِم की क़ब्रों पर मज़ार बनाया जा सकता है शरअ़न इस में कोई ह़रज नहीं।[2] अ़ल्लामा इस्माईल ह़क़्क़ी رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه क़ुरआने करीम की आयत ﴿اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ﴾ (پ10،التوبۃ: 18) के तह़त फ़रमाते हैं : "उ़लमा और औलियाए सालिह़ीन की क़ब्रों पर इ़मारत बनाना जाइज़ काम है जब कि उस से मक़्सूद लोगों की निगाहों में अ़ज़मत पैदा करना हो कि लोग उस क़ब्र वाले को ह़क़ीर न जानें।"[3] अ़ल्लामा इब्ने आ़बिदीन शामी رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : "अगर मय्यित मशाइख़ और उ़लमा और सादाते किराम में से हो तो उस की क़ब्र पर इ़मारत बनाना मक्रूह नहीं है।"[4]

सुवाल क्या येह काम सिर्फ़ बर्रे सग़ीर में होता है ?

जवाब اَلْحَمْدُ لِلّٰه ! पूरी दुन्या में औलियाए किराम رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِم के मज़ारात व मक़ाबिर सदियों से मौजूद हैं जो सलफ़ सालिह़ीन के अ़मल पर शाहिद हैं। ख़ुद हमारे प्यारे आक़ा व मौला मुह़म्मदे मुस्त़फ़ा صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के रौज़ए मुबारका पर सब्ज़ सब्ज़ गुम्बद क़ाइम है इस से बढ़ कर जवाज़ की और क्या दलील चाहिये। उ़लमा व सुलह़ा सदियों से वहां ह़ाज़िर होते हैं और उन के सामने येह गुम्बद बना हुवा है जो बिला शुबा जवाज़ की दलील है। बा'ज़ नादान मुसल्मानों के ज़ेह्नों में इस ह़वाले से शुबुहात व वसाविस डालने की कोशिश करते हैं।

सुवाल क्या क़ब्र को पुख़्ता बना सकते हैं ?

1... बुन्यादी अ़क़ाइद और मा'मूलाते अहले सुन्नत, स. 99
2... बुन्यादी अ़क़ाइद और मा'मूलाते अहले सुन्नत, स. 100
3... تفسیر روح البیان،التوبۃ،تحت الآیۃ:18، 3/400
4... رد المحتار،کتاب الصلاۃ،مطلب فی دفن المیت، 3/170

जवाब मय्यित के साथ क़ब्र के मुत्तसिल ह़िस्से को पुख़्ता करना मक्रूह है। अगर क़ब्र बाहर से पुख़्ता और अन्दर से कच्ची हो तो इस में ह़रज नहीं।

सुवाल क्या क़ब्र पर निशानी के लिये कतबा या पथ्थर वग़ैरा लगा सकते हैं ?

जवाब मुसल्मानों का अपने अ़ज़ीज़ो अक़ारिब की क़ब्रों पर निशानी व पहचान के लिये कतबा लगाना जाइज़ है। जैसा कि अबू दावूद की रिवायत है कि "जब हु़ज़ूर صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने ह़ज़रते उ़स्मान बिन मज़्ऊन رَضِیَ اللّٰهُ عَنْه को दफ़्न फ़रमाया तो उन की क़ब्र के सिरहाने एक पथ्थर नस्ब फ़रमाया और फ़रमाया कि मैं इस (पथ्थर) से अपने भाई को जानता रहूंगा और इन की क़ब्र के साथ मेरे घर वालों में से जिन का इन्तिक़ाल होगा उन्हें दफ़्न करूंगा।"(1)

इस ह़दीस शरीफ़ से मा'लूम हुवा कि क़ब्र पर याद दाश्त के लिये पथ्थर लगाने में कोई ह़रज नहीं। हां आ़म कुबूर पर लगाए गए कतबे पर कोई मुक़द्दस कलाम नहीं लिखना चाहिये कि कहीं बे अदबी न हो जब कि मज़ारात पर उ़मूमन इमारत होती है जिस से बे अदबी का अन्देशा भी नहीं होता। लिहाज़ा जहां ह़िफ़ाज़त का अच्छा इन्तिज़ाम हो वहां कतबे पर कोई मुक़द्दस कलाम लिखने में भी ह़रज नहीं।(2)

सबक़ नम्बर 7 — मज़ारात पर फूल चादर डालना

मज़ारों पर फूल डालना जाइज़ और मुस्तह़सन है। इस के जाइज़ होने की दलील मिश्कात शरीफ़ की ह़दीसे पाक है कि एक मरतबा हु़ज़ूर صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم का दो क़ब्रों पर गुज़र हुवा, फ़रमाया कि दोनों मय्यितों को अ़ज़ाब हो रहा है, इन में एक तो पेशाब की छींटों से नहीं बचता था और दूसरा चुग़ली किया करता था। फिर आप صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने एक तर शाख़ ली और उस के दो ह़िस्से किये और फिर हर एक क़ब्र पर एक ह़िस्सा गाड़ दिया। लोगों ने अ़र्ज़ किया कि आप ने ऐसा क्यूं किया ? फ़रमाया : जब तक येह ख़ुश्क न हों तब तक इन के अ़ज़ाब में कमी रहेगी।(3)

---

1 ...ابوداود، کتاب الجنائز، باب فی جمع الموتی فی قبر والقبر یُعلم، 3/285، حدیث:3206ملتقطا

2 ... बुन्यादी अ़क़ाइद और मा'मूलाते अहले सुन्नत, स. 101

3 ...مشکاۃ، کتاب الطہارۃ، باب آداب الخلاء، الفصل الاول، 1/81، حدیث:338ملتقطا

शर्हे हदीस

कहा गया है कि इस लिये अ़ज़ाब कम होगा कि जब तक तर रहेंगे तस्बीह़ पढ़ेंगे ।(1) अशिअ़्अ़तुल्लम्आ़त में इसी ह़दीस के तह़्त है : इस ह़दीस से एक जमाअ़त दलील पकड़ती है कि क़ब्रों पर सब्ज़ा और गुल व रैह़ान डालना जाइज़ है ।(2) मिरक़ात में इस ह़दीस की शर्ह़ में है : हमारे बा'ज़ मुतअख़्ख़िरीन अस्ह़ाब ने इस ह़दीस की वज्ह से फ़तवा दिया कि फूल और खजूर की टहनी चढ़ाने की जो आ़दत है वोह सुन्नत है ।(3)

सुवाल मज़ारात पर चादर डालना कैसा है ?

जवाब शरीअ़ते मुत़ह्हरा में क़ुबूर पर चादर चढ़ाना बिला शुबा जाइज़ और मुस्तह़सन अ़मल है कि इस से साह़िबे मज़ार की ता'ज़ीमो अ़ज़्मत का इज़्हार होता है ।

सुवाल क़ब्र पर पानी छिड़क्ना कैसा है ?

जवाब दफ़्न करने के बा'द क़ब्र पर पानी छिड़क्ना मस्नून है । इसी त़रह़ क़ब्र की ख़ाक बिखर गई हो और अब दोबारा उस पर मिट्टी डाली गई या इस बात का अन्देशा है कि मिट्टी बिखर जाएगी तो उस पर पानी डाल सकते हैं ताकि क़ब्र की निशानी बाक़ी रहे, बिला वज्ह (जैसा कि दस मुहर्रमुल ह़राम के दिन अ़वाम में राइज है) हरगिज़ न डाला जाए कि इसराफ़ है ।

सबक़ नम्बर 8

ज़ियारते क़ुबूर

मज़ाराते औलियाउल्लाह पर जाना जाइज़ और सुन्नत से साबित है कि सरकार صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ख़ुद शुहदाए उहुद के मज़ार पर तशरीफ़ ले जाते थे । जैसा कि ह़दीसे पाक में है : "बेशक नबिय्ये पाक صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم हर साल शुहदाए उहुद के मज़ारात पर तशरीफ़ ले जाते ।"(4) मज़ीद तिरमिज़ी शरीफ़ की रिवायत में है : "**रसूलुल्लाह** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया कि "मैं ने तुम को क़ब्रों की ज़ियारत से मन्अ़ किया था तो अब मुह़म्मद صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم को इजाज़त दे दी गई है अपनी वालिदा की क़ब्र की

(1) ... مرقاۃ، کتاب الطہارۃ، باب آداب الخلاء، الفصل الاول، 2/58، تحت الحدیث:338
(2) ... اشعۃ اللمعات، 1/215
(3) ... مرقاۃ، کتاب الطہارۃ، باب آداب الخلاء، الفصل الاول، 2/59، تحت الحدیث:338
(4) ... مصنف عبد الرزاق، کتاب الجنائز، باب فی زیارۃ القبور، 3/381، حدیث:6745

ज़ियारत की, लिहाज़ा तुम भी क़ब्रों की ज़ियारत करो बेशक वोह आख़िरत की याद दिलाती है।"(1)

सुवाल मज़ारात पर जाने से क्या ह़ासिल होता है ?

जवाब मज़ारात व क़ुबूर की ज़ियारत करने से दुन्या से बे रग़बती पैदा होती और आख़िरत की याद आती है। ह़दीसे पाक में है : सय्यिदुना बरीदा رَضِیَ اللہُ عَنْہ से रिवायत है कि सरकारे मदीना, सुरूरे क़ल्बो सीना صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : "मैं ने तुम्हें क़ब्रों की ज़ियारत से मन्अ़ किया था अब ज़ियारत किया करो।(2) क्यूं कि येह दुन्या में बे रग़बती और आख़िरत की याद पैदा करती है।"(3)

सुवाल क्या मज़ार का बोसा ले सकते हैं ?

जवाब ज़ियारत करने वाले को मज़ार का बोसा नहीं लेना चाहिये, उ़लमा का इस में इख़्तिलाफ़ है लिहाज़ा बचना बेहतर है और इसी में अदब ज़ियादा है।(4)

सुवाल मज़ार पर ह़ाज़िरी का त़रीक़ा क्या है ?

जवाब आ'ला ह़ज़रत इमाम अह़मद रज़ा ख़ान رَحْمَۃُ اللہِ عَلَیْہ मज़ारात पर ह़ाज़िरी की तफ़्सील यूं इर्शाद फ़रमाते हैं : "मज़ाराते शरीफ़ा पर ह़ाज़िर होने में पाइंती की त़रफ़ से जाए और कम अज़ कम चार हाथ के फ़ासिले पर मुवाजहा में खड़ा हो और मुतवस्सित़ आवाज़ ब अदब सलाम अ़र्ज़ करे : اَلسَّلَامُ عَلَیْكَ یَا سَیِّدِی وَرَحْمَۃُ اللہِ وَبَرَكَاتُہٗ, फिर दुरूदे ग़ौसिया तीन बार, अल ह़म्द शरीफ़ एक बार, आयतुल कुरसी एक बार, सूरए इख़्लास सात बार, फिर दुरूदे ग़ौसिया सात बार और वक़्त फ़ुरसत दे तो सूरए यासीन और सूरए मुल्क भी पढ़ कर **अल्लाह** पाक से दुआ़ करे कि इलाही ! इस क़िराअत पर मुझे इतना सवाब दे जो तेरे करम के क़ाबिल है न इतना जो मेरे अ़मल के क़ाबिल है और उसे मेरी त़रफ़ से फ़ुलां बन्दए ख़ुदा को नज़्र पहुंचा। फिर अपना जो मत़लब जाइज़ शरई हो उस के लिये दुआ़ करे और साह़िबे मज़ार की रूह़ को **अल्लाह** पाक की बारगाह में अपना वसीला क़रार दे, फिर उसी त़रह़ सलाम

1 ... ترمذی، کتاب الجنائز، باب ماجاء فی الرخصۃ فی زیارۃ القبور، 2/330، حدیث: 1056
2 ... مسلم، کتاب الجنائز، باب استئذان النبی ربہ...الخ، ص377، حدیث: 2260
3 ... ابن ماجہ، کتاب الجنائز، باب ماجاء فی زیارۃ القبور، 2/252، حدیث: 1571
4 ... फ़तावा रज़विय्या, 22/475 माख़ूज़न

कर के वापस आए, मज़ार को न हाथ लगाए न बोसा दे और त़वाफ़ बिल इत्तिफ़ाक़ ना जाइज़ है और सज्दा ह़राम।''[1]

सबक़ नम्बर 9 नज़्रो नियाज़

हमारे हां मन्नत के दो त़रीक़े राइज हैं : (1) एक मन्नते शर्ई़ और (2) एक मन्नते उ़र्फ़ी। (1) मन्नते शर्ई़ येह है कि **अल्लाह** पाक के लिये कोई चीज़ अपने ज़िम्मे लाज़िम कर लेना। इस की कुछ शराइत़ होती हैं अगर वोह पाई जाएं तो मन्नत को पूरा करना वाजिब होता है और पूरा न करने से आदमी गुनाहगार होता है। इस गुनाह की नुह़ूसत से अगर कोई मुसीबत आ पड़े तो कुछ बई़द नहीं। (2) दूसरी मन्नते उ़र्फ़ी वोह येह कि लोग नज़्र मानते हैं कि अगर फ़ुलां काम हो जाए तो फ़ुलां बुज़ुर्ग के मज़ार पर चादर चढ़ाएंगे या ह़ाज़िरी देंगे येह नज़्रे उ़र्फ़ी है इसे पूरा करना वाजिब नहीं बेहतर है।

सुवाल क्या किसी नबी या वली की नज़्रे उ़र्फ़ी मान सकते हैं ?

जवाब अज़ रूए शर्अ़ **अल्लाह** पाक के सिवा किसी नबी या वली की नज़्रे उ़र्फ़ी मानना जाइज़ है और अमीर ग़रीब और सादाते किराम सभी के लिये खाना भी जाइज़ है। इसी को नज़्रे उ़र्फ़ी या नियाज़ कहते हैं। अलबत्ता नज़्रे शर्ई़ **अल्लाह** पाक के सिवा किसी के लिये मानना मम्नूअ़ है।[2]

सुवाल नज़्र मानने में कौन सी एह़तियातें मल्ह़ूज़े ख़ात़िर रखी जाएं ?

जवाब इस बारे में सदरुश्शरीअ़ह, बदरुत्त़रीक़ह अ़ल्लामा मुफ़्ती मुह़म्मद अमजद अ़ली आ'ज़मी رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : ''मस्जिद में चराग़ जलाने या त़ाक़ भरने या फ़ुलां बुज़ुर्ग के मज़ार पर चादर चढ़ाने या ग्यारहवीं की नियाज़ दिलाने या ग़ौसे आ'ज़म رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه का तोशा या शाह अ़ब्दुल ह़क़ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه का तोशा करने या ह़ज़रते जलाल बुख़ारी رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه का कूंडा करने या मुह़र्रम की नियाज़ या शरबत या सबील लगाने या मीलाद शरीफ़ करने की मन्नत मानी तो येह शर्ई़ मन्नत नहीं मगर येह काम मन्अ़ नहीं हैं, करे तो अच्छा है। हां अलबत्ता इस का ख़याल रहे कि कोई बात ख़िलाफ़े शर्अ़ उस के साथ न मिलाए मसलन त़ाक़ भरने में रतजगा होता है जिस में कुम्बे और रिश्ते की औ़रतें इकठ्ठा हो कर गाती बजाती हैं कि येह ह़राम है या चादर चढ़ाने के लिये लोग ताशे बाजे के साथ जाते हैं येह ना जाइज़ है या मस्जिद में चराग़ जलाने में बा'ज़ लोग आटे का चराग़ जलाते हैं येह ख़्वाह म ख़्वाह माल ज़ाएअ़

1... फ़तावा रज़विय्या, 9/522 ब तग़य्युरे क़लील
2... बुन्यादी अ़क़ाइद और मा'मूलाते अहले सुन्नत, स. 105

करना है और ना जाइज़ है, मिट्टी का चराग़ काफ़ी है और घी की भी ज़रूरत नहीं, मक़्सूद रोशनी है वोह तेल से ह़ासिल है। रहा येह कि मीलाद शरीफ़ में फ़र्श व रोशनी का अच्छा इन्तिज़ाम करना और मिठाई तक़्सीम करना या लोगों को बुलावा देना और इस के लिये तारीख़ मुक़र्रर करना और पढ़ने वालों का ख़ुश इल्ह़ानी से पढ़ना येह सब बातें जाइज़ हैं। अलबत्ता ग़लत़ और झूटी रिवायतों का पढ़ना मन्अ़ है, पढ़ने वाले और सुनने वाले दोनों गुनहगार होंगे।"[1]

सबक़ नम्बर 10 तबर्रुकात की ता 'ज़ीम

तबर्रुक से मुराद (अम्बियाए किराम عَلَيۡهِمُ السَّلَام, सह़ाबए किराम عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان) बुज़ुर्गाने दीन की वोह चीज़ें जो बरकत के तौ़र पर रखी जाएं।[2] प्यारे प्यारे आक़ा, मदीने वाले मुस्त़फ़ा صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के जिस्म से मस (Touch) होने वाली और निस्बत रखने वाली हर हर चीज़ भी मुतबर्रक है, इसी त़रह़ सह़ाबए किराम व बुज़ुर्गाने दीन رِضۡوَانُ اللّٰهِ عَلَيۡهِمۡ اَجۡمَعِيۡن के मुबारक अज्साम से छू जाने वाली (और निस्बत रखने वाली) हर चीज़ भी मुतबर्रक है।[3] क़ुरआने पाक की कई आयात में तबर्रुकात की अहम्मिय्यत और पिछली उम्मतों के तबर्रुकात से फ़ैज़ पाने के वाक़िआ़त का ज़िक्र किया गया है। ताबूते सकीना (वोह मुतबर्रक सन्दूक़ जिस में अम्बियाए किराम عَلَيۡهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام के तबर्रुकात रखे जाते थे) से बनी इसराईल का बरकतें लेना, मेह़राबे मरयम में ह़ज़रते सय्यिदुना ज़करिय्या عَلَيۡهِ السَّلَام का दुआ़ मांगना और उस का क़बूल होना। जैसा कि

अल्लाह करीम इर्शाद फ़रमाता है :

وَ قَالَ لَهُمۡ نَبِیُّهُمۡ اِنَّ اٰیَةَ مُلۡكِهٖۤ اَنۡ یَّاۡتِیَكُمُ التَّابُوۡتُ فِیۡهِ سَكِیۡنَةٌ مِّنۡ رَّبِّكُمۡ وَ بَقِیَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوۡسٰى وَ اٰلُ هٰرُوۡنَ تَحۡمِلُهُ الۡمَلٰٓئِكَةُ ؕ اِنَّ فِیۡ ذٰلِكَ لَاٰیَةً لَّكُمۡ اِنۡ كُنۡتُمۡ مُّؤۡمِنِیۡنَ ﴿۲۴۸﴾

(پ2،البقرة:248)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और उन से उन के नबी ने फ़रमाया उस की बादशाही की निशानी येह है कि आए तुम्हारे पास ताबूत जिस में तुम्हारे रब की त़रफ़ से दिलों का चैन है और कुछ बची हुई चीज़ें हैं मुअ़ज़्ज़ज़ मूसा और मुअ़ज़्ज़ज़ हारून के तर्के की उठाते लाएंगे उसे फ़िरिश्ते बेशक इस में बड़ी निशानी है तुम्हारे लिये अगर ईमान रखते हो।

1... बहारे शरीअ़त, 2/317, ह़िस्सा : 9

2... तबर्रुकात का सुबूत, स. 2 ब तग़य्युर

3... तबर्रुकात का सुबूत, स. 3, 4 मुल्तक़त़न

सुवाल अम्बियाए किराम عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام व औलियाए किराम رَحِمَهُمُ الله की त़रफ़ मन्सूब अश्या से बरकत व फ़ाएदा ह़ासिल करना कैसा है ?

जवाब अम्बियाए किराम عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام व औलियाए किराम رَحِمَهُمُ الله की त़रफ़ मन्सूब अश्या से बरकत व फ़ाएदा ह़ासिल करना जाइज़ है।

सुवाल इस का क्या सुबूत है ?

जवाब इस के सुबूत में क़ुरआनो ह़दीस की ब कसरत नुसूस पेश की जा सकती हैं, चुनान्चे

(1) ताबूते सकीना जिस में ह़ज़रते मूसा व हारून عَلَيْهِمَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام के तबर्रुकात थे उन से बनी इसराईल का बरकत व फ़ाएदा ह़ासिल करने का ज़िक्र दूसरे पारे में मौजूद है।

(2) ह़ज़रते यूसुफ़ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام की क़मीसे मुबारक से ह़ज़रते या'क़ूब عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام की आंखों का सह़ीह़ हो जाना सूरए यूसुफ़ में मज़्कूर है।

(3) ह़ुज़ूर नबिय्ये करीम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के बाल मुबारक, वुज़ू के बचे हुए पानी, नाख़ुनों के तराशे, चादर मुबारक, तहबन्द मुबारक, पियाला मुबारक, अंगूठी मुबारक से सह़ाबए किराम का बरकत ह़ासिल करना ब कसरत अह़ादीस से साबित है।

सुवाल क्या क़ब्र में तबर्रुकात वग़ैरा रख सकते हैं ?

जवाब जी हां ! क़ब्र के अन्दर तबर्रुकात वग़ैरा रखना जाइज़ व बाइसे सवाब और मय्यित के लिये दफ़्ए़ अ़ज़ाब का सबब बनता है और येह सह़ाबए किराम عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان व सलफ़ सालिह़ीन के अ़मल से साबित है।[1] ह़ज़रत अमीरे मुआ़विया رَضِیَ اللهُ عَنْه की वसिय्यत थी कि ह़ुज़ूर صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की क़मीसे मुबारका मेरे कफ़न के नीचे बदन से मुत्तसिल रखना और मूए मुबारक व नाख़ुनहाए मुक़द्दसा को मेरे मुंह और आंखों और पेशानी वग़ैरा मवाज़ेए़ सुजूद पर रख देना।[2]

सुवाल इस ज़िम्न में अगर कोई वाक़िआ़ हो तो बयान फ़रमा दें।

जवाब सह़ीह़ बुख़ारी की ह़दीसे पाक में है ह़ज़रते अ़ब्दुल्लाह बिन मस्लमा رَضِیَ اللهُ عَنْه ने अपनी सनद के साथ ह़ज़रते सहल رَضِیَ اللهُ عَنْه से ह़दीस बयान की, कि एक औ़रत ह़ुज़ूर صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की ख़िदमत

1... बुन्यादी अ़क़ाइद और मा'मूलाते अहले सुन्नत, स. 107

2... फ़तावा रज़विय्या, 9/117 मुलख़्ख़सन

में एक ख़ूब सूरत चादर लाई और अ़र्ज़ किया : आप को पहनने के लिये पेश कर रही हूं, आप उस को तहबन्द की सूरत में पहन कर बाहर तशरीफ़ लाए तो एक सहाबी ने उस चादर की तह्सीन की और सुवाल भी कर लिया तो सहाबए किराम عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان ने उसे कहा कि तू ने अच्छा नहीं किया कि हुज़ूर صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने उसे अपने लिये पसन्द फ़रमाया है और येह भी तुम्हें मा'लूम है कि आप साइल को मह़रूम नहीं फ़रमाते इस के बा वुजूद सुवाल कर लिया तो उस सहाबी ने कहा कि मैं ने इस को पहनने के लिये नहीं त़लब किया बल्कि अपने कफ़न के लिये सुवाल किया है, ह़ज़रते सह्ल رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡه फ़रमाते हैं कि वोह चादर उस साइल का कफ़न बनी ।[1]

सुवाल तबर्रुकात की बे अदबी करने का नुक़्सान बयान कीजिये ।

जवाब याद रहे ! जिस त़रह़ तबर्रुकात की ता'ज़ीम और एह़तिराम करने से कई फ़ाएदे मिलते हैं और बरकतें नसीब होती हैं, इसी त़रह़ अगर उन की ता'ज़ीम न की जाए और उन की बे अदबी और तौहीन की जाए तो बसा अवक़ात दुन्या में ही इस की सज़ा भी मिल जाती है । इस की सब से वाज़ेह़ मिसाल ताबूते सकीना है, चुनान्चे

मक्तबतुल मदीना की किताब "अ़जाइबुल क़ुरआन मअ़ ग़राइबुल क़ुरआन" के सफ़ह़ा नम्बर 52, 53 पर है : (ताबूते सकीना) शमशाद की लकड़ी का एक सन्दूक़ था जो ह़ज़रते आदम عَلَيۡهِ السَّلَام पर नाज़िल हुवा, आप عَلَيۡهِ السَّلَام की आख़िरे ज़िन्दगी तक आप के पास ही रहा, फिर बत़ौरे मीरास यके बा'द दीगरे आप عَلَيۡهِ السَّلَام की औलाद को मिलता रहा, येह बड़ा ही मुक़द्दस और बा बरकत सन्दूक़ (Box) था । बनी इसराईल में जब कोई इख़्तिलाफ़ पैदा होता था तो लोग इसी सन्दूक़ से फ़ैसला कराते थे, सन्दूक़ से फ़ैसले की आवाज़ और फ़त्ह़ की बिशारत सुनी जाती थी, बनी इसराईल इस सन्दूक़ को वसीला बना कर दुआएं मांगते थे तो उन की दुआएं मक़्बूल होती थीं, बलाओं की मुसीबतें और वबाओं की आफ़तें टल जाया करती थीं, अल ग़रज़ येह सन्दूक़ बनी इसराईल के लिये ताबूते सकीना, बरकतो रह़मत का ख़ज़ीना और नुस्रते ख़ुदावन्दी के नुज़ूल का निहायत मुक़द्दस और बेहतरीन ज़रीआ़ था । मगर जब बनी इसराईल त़रह़ त़रह़ के गुनाहों में मुलव्वस हो गए और उन लोगों में मआ़सी व तुग़्यान और सरकशी व इस्यान का दौरदौरा हो गया तो उन की बद आ'मालियों की नुहूसत से उन पर ख़ुदा का येह ग़ज़ब नाज़िल हो गया कि क़ौमे अ़मालिक़ा के कुफ़्फ़ार ने एक लश्करे जर्रार के साथ उन लोगों पर ह़म्ला

1 ...بخاری، کتاب الجنائز، باب من استعد الکفن... الخ، 1/431، حدیث:1277 ملخصا

कर दिया, उन काफ़िरों ने बनी इसराईल का क़त्ले आ़म कर के उन की बस्तियों को तबाहो बरबाद कर डाला। इमारतों को तोड़ फोड़ कर सारे शहर को तहस नहस कर डाला और इस मुतबर्रक सन्दूक़ को भी उठा कर ले गए। इस मुक़द्दस तबर्रुक को नजासतों के कूड़ेख़ाने में फेंक दिया। लेकिन इस बे अदबी का क़ौमे अ़मालिक़ा पर येह वबाल पड़ा कि येह लोग त़रह़ त़रह़ की बीमारियों और बलाओं के हुजूम में झन्झोड़ दिये गए। चुनान्चे क़ौमे अ़मालिक़ा के 5 शह्र बिल्कुल बरबाद और वीरान हो गए। यहां तक कि उन काफ़िरों को यक़ीन हो गया कि येह सन्दूक़े रह़मत की बे अदबी का अ़ज़ाब हम पर पड़ गया है तो उन काफ़िरों की आंखें खुल गईं। चुनान्चे उन लोगों ने इस मुक़द्दस सन्दूक़ को एक बैलगाड़ी पर लाद कर बैलों को बनी इसराईल की बस्तियों की त़रफ़ हांक दिया।[1]

सबक़ नम्बर 11 — अज़ानो इक़ामत से क़ब्ल दुरूदे पाक पढ़ना

सुवाल अज़ानो इक़ामत से पहले या बा'द में दुरूदे पाक पढ़ना कैसा है ?

जवाब अज़ानो इक़ामत से पहले या बा'द में दुरूदे पाक पढ़ना बिल्कुल जाइज़ और मुस्तह़ब है।

सुवाल इस का क्या सुबूत है ?

जवाब कुरआने पाक में फ़रमाने बारी है :

اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰٓىٕكَتَهٗ یُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِیِّ ؕ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَیْهِ وَ سَلِّمُوْا تَسْلِیْمًا ۝۵۶
(پ22،الاحزاب:56)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : बेशक **अल्लाह** और उस के फ़िरिश्ते दुरूद भेजते हैं उस ग़ैब बताने वाले (नबी) पर ऐ ईमान वालो, उन पर दुरूद और ख़ूब सलाम भेजो।

कुरआने पाक की इस आयते मुबारका में **अल्लाह** करीम ने दुरूदे पाक पढ़ने का हुक्म दिया और इस में न तो कोई अल्फ़ाज़ मुक़र्रर फ़रमाए कि इन्हीं अल्फ़ाज़ के साथ दुरूद पढ़ो और न ही किसी वक़्त की क़ैद लगाई है कि इस वक़्त पढ़ो और उस वक़्त न पढ़ो।

ह़दीस शरीफ़ में है : "जिस ने इस्लाम में एक अच्छा त़रीक़ा ईजाद किया तो उस के लिये उस का अज्र है और जो उस पर अ़मल करेगा उस का अज्र ईजाद करने वाले को भी मिलेगा।"[2]

اَلْحَمْدُ لِلّٰہ ! अज़ान से क़ब्ल दुरूद शरीफ़ पढ़ना भी मुसल्मानों के अन्दर राइज है और अगर येह किसी ह़दीस शरीफ़ से साबित न भी हो तब भी कारे सवाब है कि दीने इस्लाम में जिस ने अच्छा काम

1... अ़जाइबुल कुरआन मअ़ ग़राइबुल कुरआन, स. 52, 53 मुल्तक़त़न

2... مسلم، کتاب الزکاۃ، باب الحث علی الصدقۃ... الخ، ص394 حدیث:2351

शुरूअ़ किया **अल्लाह** पाक उसे नेक अ़मल का सवाब अ़त़ा फ़रमाएगा और जितने लोग उस पर अ़मल करेंगे उन के बराबर भी उस शख़्स को सवाब अ़त़ा किया जाएगा।[1]

सुवाल किन मवाक़ेअ़ पर दुरूद शरीफ़ पढ़ना मुस्तह़ब है ?

जवाब ह़ज़रते अ़ल्लामा सय्यिद इब्ने आ़बिदीन शामी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه दुरूद शरीफ़ पढ़ने के मुस्तह़ब मवाक़ेअ़ बयान करते हुए फ़रमाते हैं : उ़लमाए किराम ने बा'ज़ मवाक़ेअ़ पर दुरूदे पाक पढ़ने के मुस्तह़ब होने पर नस्स फ़रमाई है उन में से चन्द येह हैं : रोज़े जुमुआ़ और शबे जुमुआ़, हफ़्ता इतवार और सोमवार के दिन, सुब्ह़ व शाम, मस्जिद में जाते और निकलते वक़्त, ब वक़्ते ज़ियारत रौज़ए अत़्हर, सफ़ा व मर्वह पर, ख़ुत़्बए जुमुआ़ के वक़्त, जवाबे अज़ान के बा'द, ब वक़्ते इक़ामत, दुआ़ के अव्वल आख़िर और बीच में, दुआ़ए क़ुनूत के बा'द, तल्बिया कहने के बा'द, कान बजने के वक़्त और किसी चीज़ के भूल जाने के वक़्त।[2]

सुवाल बा'ज़ लोग कहते हैं कि अज़ानो इक़ामत से क़ब्ल दुरूद शरीफ़ न पढ़ा जाए कि अ़वामुन्नास कहीं दुरूद शरीफ़ को अज़ानो इक़ामत का ह़िस्सा न समझ लें, क्या येह बात दुरुस्त है ?

जवाब इस का ह़ल येह नहीं कि एक मुस्तह़सन काम बन्द कर दिया जाए, उ़लमाए किराम ने इस का ह़ल येह पेश फ़रमाया है कि अज़ानो इक़ामत से पहले दुरूद में येह एह़तियात़ करनी चाहिये कि दुरूद शरीफ़ पढ़ने के बा'द कुछ वक़्फ़ा करे फिर अज़ान या इक़ामत कहे ताकि दुरूद शरीफ़ और अज़ानो इक़ामत के दरमियान फ़ासिला हो जाए या दुरूद शरीफ़ की आवाज़ अज़ानो इक़ामत की आवाज़ से पस्त रहे ताकि दोनों के दरमियान फ़र्क़ रहे और दुरूद शरीफ़ को इक़ामत का जुज़ न समझें। इस त़रह़ अज़ानो इक़ामत पढ़ने वाला ख़ुश नसीब सलातो सलाम की बरकतों से भी मुस्तफ़ीद होता रहेगा।[3]

सबक़ नम्बर 12

अंगूठे चूमना

सुवाल अज़ान में हुज़ूर नबिय्ये करीम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के इस्मे गिरामी मुह़म्मद صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم को सुन कर अपने अंगूठे चूम कर अपनी आंखों से लगाना कैसा है ?

1... बुन्यादी अ़क़ाइद और मा'मूलाते अहले सुन्नत, स. 108, 109

2...ردالمحتار، کتاب الصلاۃ، مطلب نص العلماء علی استحباب...الخ، 2/281

3... बुन्यादी अ़क़ाइद और मा'मूलाते अहले सुन्नत, स. 110

जवाब जाइज़ व मुस्तहसन व मूजिबे अज्रो सवाब है और सरकारे दो जहां, रहमते आलमिय्यां, शफ़ीए मुज़्निबां صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की महब्बत की अलामत है।[1]

सुवाल इस का क्या सुबूत है ?

जवाब अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : मुस्तहब येह है कि जब पहली शहादत सुने तो कहे : صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه और जब दूसरी सुने तो दोनों अंगूठे अपनी दोनों आंखों पर लगाने के बा'द कहे : قُرَّتْ عَيْنِيْ بِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه फिर येह कहे : اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنِيْ بِالسَّمْعِ وَالْبَصَر तो हुज़ूर صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم जन्नत की तरफ़ उस के क़ाइद होंगे जैसा कि **कन्जुल इबाद** और **अल फ़तावस्सूफ़ियह** में है और **किताबुल फ़िरदौस** में है कि जिस ने अज़ान में اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰه सुनने के बा'द अपने दोनों अंगूठों को बोसा दिया तो जन्नत की सफ़ों में, मैं उस का क़ाइद और दाख़िल करने वाला होउंगा।[2]

सुवाल अंगूठे चूमने के बारे में कोई वाक़िआ हो तो वोह बयान फ़रमा दें।

जवाब आ'ला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه मुस्नदुल फ़िरदौस के हवाले से फ़रमाते हैं : हज़रते अबू बक्र सिद्दीक़ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْه से मरवी है कि जब आप رَضِىَ اللّٰهُ عَنْه ने मुअज़्ज़िन को اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰه कहते सुना येह दुआ पढ़ी और दोनों कलिमे की उंग्लियों के पोरे जानिबे ज़ेरीं से चूम कर आंखों से लगाए, इस पर हुज़ूरे अक़्दस صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : जो ऐसा करे जैसा मेरे प्यारे ने किया उस के लिये मेरी शफ़ाअत हलाल हो जाए।[3]

सुवाल अगर येह दलाइल न होते तो क्या फिर भी ऐसा करना जाइज़ होता ?

जवाब जी हां ! अगर इस के लिये कोई ख़ास दलील न भी हो तो शरीअत की तरफ़ से इस की मुमानअत न होना ही इस के जाइज़ होने के लिये काफ़ी है क्यूं कि येह चीज़ें अस्ल के ए'तिबार से जाइज़ हैं जब तक कि शरीअत मन्अ न कर दे। येही वज्ह है कि अज़ान के इलावा भी महब्बतो ता'ज़ीम की

1... बुन्यादी अक़ाइद और मा'मूलाते अहले सुन्नत, स. 110

2... ردالمحتار، کتاب الصلاة، مطلب فی کراھۃ تکرار الجماعۃ فی المسجد، 2/84

3... फ़तावा रज़विय्या, 5/432

वज्ह से हुज़ूर सरवरे दो आ़लम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم का नामे मुबारक सुन कर अंगूठे चूम कर आंखों से लगाना जाइज़ व मुस्तह़सन है।(1)

सबक़ नम्बर 13

क़ब्र पर अज़ान

क़ब्र पर अज़ान देने का जवाज़ यक़ीनी है क्यूं कि शरीअ़ते मुत़हहरा ने इस से मन्अ़ नहीं फ़रमाया और जिस काम से शर्ए़ मुत़हहरा मन्अ़ न फ़रमाए अस्लन मम्नूअ़ नहीं हो सकता। नीज़ अह़ादीस से साबित है कि जब मुर्दे को क़ब्र में उतारने के बा'द मुन्कर नकीर उस के पास आ कर सुवालात करते हैं तो शैत़ान जो कि इन्सान का अज़ली दुश्मन है, मुसल्मान को बहकाने के लिये वहां भी आ पहुंचता है और येह बात भी अह़ादीस से साबित है कि शैत़ान क़ब्र में आता और मुसल्मान को सुवालात के जवाबात देने में परेशानी में मुब्तला करता है ताकि येह सुवालात के जवाबात न दे कर ख़ाइबो ख़ासिर हो और जब अज़ान दी जाती है तो शैत़ान भाग खड़ा होता है।(2)

चुनान्चे रिवायत में है : "जब मुर्दे से सुवाल होता है कि तेरा रब कौन है ? शैत़ान उस पर ज़ाहिर होता है और अपनी त़रफ़ इशारा करता है या'नी मैं तेरा रब हूं।" इस लिये हुक्म आया कि मय्यित के लिये जवाब में साबित क़दम रहने की दुआ़ करें।(3)

और येह अम्र भी अह़ादीसे सह़ीह़ा से साबित है कि अज़ान देने से शैत़ान भागता है जूंही अज़ान की आवाज़ उस के कान में पड़ती है जिस जगह अज़ान दी जा रही हो वहां से कोसों दूर भाग जाता है चुनान्चे सह़ीह़ मुस्लिम में ह़ज़रते जाबिर رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ से मरवी कि हुज़ूर صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم फ़रमाते हैं : "शैत़ान जब अज़ान सुनता है इतनी दूर भागता है जैसे रौह़ा।" और रौह़ा मदीने से 36 मील के फ़ासिले पर है।(4)

सुवाल क्या अज़ान नमाज़ के साथ ख़ास है ?

जवाब नहीं, ऐसा नहीं कि अज़ान नमाज़ के साथ ख़ास है। बा'ज़ लोगों को अज़ाने क़ब्र के ना जाइज़ होने का शैत़ानी वस्वसा शायद इस बिना पर आता है कि लोग अज़ान को नमाज़ के साथ ख़ास समझते

(1)... बुन्यादी अ़क़ाइद और मा'मूलाते अहले सुन्नत, स. 112
(2)... बुन्यादी अ़क़ाइद और मा'मूलाते अहले सुन्नत, स. 112
(3)... फ़तावा रज़विय्या, 5/655
(4)... مسلم، کتاب الصلاۃ، باب فضل الاذان... الخ، ص163، حدیث:854

हैं हालां कि ऐसा नहीं है बल्कि शरीअ़ते मुत़ह्हरा ने नमाज़ के इलावा कसीर मक़ामात पर अज़ान को मुस्तह़सन जाना है जैसे नौ मौलूद के कान और दफ़्ए़ वबा व बला वग़ैरा मवाक़ेअ़ में।[1]

सबक़ नम्बर 14 बड़ी रातों में इ़बादत का बयान

बड़ी रातों में जम्अ़ हो कर इ़बादत करना जाइज़ व मुस्तह़सन है। फ़तावा रज़विय्या में ब ह़वाला लत़ाइफ़ुल मआ़रिफ़ है : "अहले शाम में आइम्मए ताबिईन मिस्ल ख़ालिद बिन मा'दान व इमाम मक्ह़ूल व लुक़्मान बिन आ़मिर वग़ैरहुम (رَحْمَۃُ اللہِ عَلَیْہِم) शबे बराअत की ता'ज़ीम और इस रात इ़बादत में कोशिशे अ़ज़ीम करते और इन्हीं से लोगों ने इस का फ़ज़्ल मानना और इस की ता'ज़ीम करना अख़्ज़ किया है।"[2]

सुवाल इन रातों में मसाजिद को सजाना कैसा है ?

जवाब जाइज़ व मुस्तह़सन है, क्यूं कि इस से मक़्सूद इस रात की ता'ज़ीम होता है और ब ह़वाला लत़ाइफ़ुल मआ़रिफ़ गुज़र चुका कि अइम्मए ताबिईन इस रात की ता'ज़ीम किया करते थे।

सुवाल साल में कितनी रातें अफ़्ज़ल रातें हैं ?

जवाब यूं तो हर वोह रात ही जिस में नेकियां की जाएं वोह अफ़्ज़ल रात है, लेकिन आ़रिफ़ बिल्लाह शैख़ अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ दीरीनी رَحْمَۃُ اللہِ عَلَیْہ फ़रमाते हैं : साल की रातों में अफ़्ज़ल रातें उन्तीस हैं कि सलफ़ सालिह़ीन इन रातों में इ़बादत करना पसन्द करते और फ़ज़्लो करम के उम्मीद वार होते थे। इन उन्तीस रातों में शा'बानुल मुअ़ज़्ज़म की पन्दरहवीं रात भी है। वोह उन्तीस रातें येह हैं : रमज़ानुल मुबारक के आख़िरी अ़शरे की दस रातें और इस की सत्तरहवीं रात कि जिस की सुब्ह़ को ग़ज़्वए बद्र था, माहे ज़ुल ह़ज के पहले अ़शरे की दस रातें, ईदुल फ़ित्र की रात, ईदुल अज़्ह़ा की रात, मुह़र्रमुल ह़राम की पहली रात, आ़शूरा (10 मुह़र्रमुल ह़राम) की रात, रजबुल मुरज्जब की पहली, पन्दरहवीं और सत्ताईसवीं रात जिस में नबिय्ये करीम صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم को मे'राज कराई गई और शा'बानुल मुअ़ज़्ज़म की पन्दरहवीं रात।[3]

सुवाल शबे बराअत की फ़ज़ीलत व अहम्मिय्यत क्या है ?

जवाब इस की फ़ज़ीलत में मुतअ़द्दद अह़ादीस मरवी हैं ह़ज़रते अ़ली رَضِیَ اللہُ عَنْہُ से रिवायत है, रसूले

1... बुन्यादी अ़क़ाइद और मा'मूलाते अहले सुन्नत, स. 113
2... फ़तावा रज़विय्या, 7/433
3... طہارۃ القلوب، الفصل الثانی عشر فی التقوی، ص126

करीम ﷺ ने इर्शाद फ़रमाया कि जब शा'बान की पन्दरहवीं रात हो तो रात को जागा करो और उस के दिन में रोज़ा रखो जब सूरज ग़ुरूब होता है तो उस वक़्त से **अल्लाह** करीम आस्माने दुन्या की त़रफ़ नुज़ूले रह़मत फ़रमाता है और ए'लान करता है कि है कोई मग़्फ़िरत त़लब करने वाला ताकि मैं उस को बख़्श दूं, है कोई रिज़्क़ त़लब करने वाला ताकि मैं उस को रिज़्क़ दूं, है कोई मुसीबत ज़दा ताकि मैं उस को उस से नजात दूं। येह ए'लान तुलूए़ फ़ज्र तक होता रहता है।[1]

इसी त़रह़ उम्मुल मुअमिनीन ह़ज़रते आ़इशा सिद्दीक़ा رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا से मरवी है फ़रमाती हैं कि एक रात मैं ने हु़ज़ूर को अपने बिस्तर पर न पाया तो मैं हु़ज़ूर ﷺ की तलाश में निकली, मैं ने हु़ज़ूर عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام को जन्नतुल बक़ीअ़ में पाया, हु़ज़ूर सरवरे काएनात ﷺ ने फ़रमाया : "**अल्लाह** करीम निस्फ़ शा'बान की रात को आस्माने दुन्या की त़रफ़ नुज़ूले रह़मत फ़रमाता है और क़बीलए बनी कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज़ियादा लोगों को बख़्श देता है।"[2]

सुवाल क्या शबे बराअत में कोई बख़्शिश से मह़रूम भी रहता है ?

जवाब शबे बराअत बेह़द अहम रात है, इसे किसी सूरत ग़फ़्लत में न गुज़ारा जाए, इस रात रह़मतों की ख़ूब बरसात होती है। इस मुबारक शब में **अल्लाह** पाक "बनी कल्ब" की बकरियों के बालों से भी ज़ियादा लोगों को जहन्नम से आज़ाद फ़रमाता है। किताबों में लिखा है : "**क़बीलए बनी कल्ब**" क़बाइले अ़रब में सब से ज़ियादा बकरियां पालता था। आह ! कुछ बद नसीब ऐसे भी हैं जिन पर शबे बराअत या'नी छुटकारा पाने की रात भी न बख़्शे जाने की वई़द है। ह़ज़रते सय्यिदुना इमाम बैहक़ी शाफ़ेई رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ "फ़ज़ाइलुल अवक़ात" में नक़्ल करते हैं : **रसूलुल्लाह** ﷺ का फ़रमाने इब्रत निशान है : छे आदमियों की इस रात भी बख़्शिश नहीं होगी : (1) शराब का आ़दी (2) मां बाप का ना फ़रमान (3) ज़िना का आ़दी (4) क़त़्ए़ तअ़ल्लुक़ करने वाला (5) तस्वीर बनाने वाला और (6) चुग़ल ख़ोर। इसी त़रह़ काहिन, जादूगर, तकब्बुर के साथ पाजामा या तह़बन्द टख़्नों के नीचे लटकाने वाले और किसी मुसल्मान से बिला इजाज़ते शर्ई बुग़्ज़ो कीना रखने वाले पर भी इस रात मग़्फ़िरत की सआ़दत से मह़रूमी की वई़द है, चुनान्चे तमाम मुसल्मानों को चाहिये कि मुतज़क्करा (या'नी बयान कर्दा) गुनाहों

1 ... ابن ماجہ، کتاب اقامۃ الصلاۃ، باب ماجاء فی لیلۃ النصف من شعبان، 2/160، حدیث:1388

2 ... ترمذی، کتاب الصوم، باب ماجاء فی لیلۃ النصف من شعبان، 2/183، حدیث:739

में से अगर مَعَاذَاللّٰہ किसी गुनाह में मुलव्वस हों तो वोह बिल ख़ुसूस उस गुनाह से और बिल उ़मूम हर गुनाह से शबे बराअत के आने से पहले बल्कि आज और अभी सच्ची तौबा कर लें और अगर बन्दों की ह़क़ तलफ़ियां की हैं तो तौबा के साथ साथ उन की मुआ़फ़ी तलाफ़ी की तरकीब फ़रमा लें।(1)

लैलतुल क़द्र के फ़ज़ाइल

सुवाल लैलतुल क़द्र को लैलतुल क़द्र क्यूं कहते हैं ?

जवाब लैलतुल क़द्र इन्तिहाई बरकत वाली रात है इस को लैलतुल क़द्र इस लिये कहते हैं कि इस में साल भर के अह़काम नाफ़िज़ किये जाते हैं और फ़िरिश्तों को साल भर के कामों और ख़िदमात पर मामूर किया जाता है और येह भी कहा गया है कि इस रात की दीगर रातों पर शराफ़तो क़द्र के बाइ़स इस को लैलतुल क़द्र कहते हैं और येह भी मन्क़ूल है कि चूंकि इस शब में नेक आ'माल मक़्बूल होते हैं और बारगाहे इलाही में उन की क़द्र की जाती है इस लिये इस को लैलतुल क़द्र कहते हैं।(2)
और भी मुतअ़द्दिद शराफ़तें इस मुबारक रात को ह़ासिल है।

सुवाल लैलतुल क़द्र में इ़बादत करने की क्या फ़ज़ीलत है ?

जवाब बुख़ारी शरीफ़ में है, फ़रमाने मुस्त़फ़ा صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم : "जिस ने लैलतुल क़द्र में ईमान और इख़्लास के साथ क़ियाम किया (या'नी नमाज़ पढ़ी) तो उस के गुज़श्ता (सग़ीरा) गुनाह मुआ़फ़ कर दिये जाएंगे।"(3)

इस मुक़द्दस रात को हरगिज़ हरगिज़ ग़फ़्लत में नहीं गुज़ारना चाहिये, इस रात इ़बादत करने वाले को एक हज़ार माह या'नी तिरासी साल चार माह से भी ज़ियादा इ़बादत का सवाब अ़त़ा किया जाता है और इस "ज़ियादा" का इ़ल्म **अल्लाह** पाक जाने या उस के बताए से उस के प्यारे ह़बीब صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم जानें कि कितना है। इस रात में ह़ज़रते सय्यिदुना जिब्रील عَلَيْهِ السَّلَام और फ़िरिश्ते नाज़िल होते हैं और फिर इ़बादत करने वालों से मुसाफ़ह़ा करते हैं। इस मुबारक शब का हर एक लम्ह़ा सलामती ही सलामती है और येह सलामती सुब्ह़े सादिक़ तक बर क़रार रहती है। येह **अल्लाह** पाक का ख़ासुल ख़ास करम है कि येह अ़ज़ीम रात सिर्फ़ अपने प्यारे ह़बीब صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

1... आक़ा का महीना, स. 11

2... تفسیر خازن، پ30، القدر، تحت الآیۃ1، 4/424

3... بخاری، کتاب فضل لیلۃ القدر، باب فضل لیلۃ القدر، 1/660حدیث2014

को और आप صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के सदके़ में आप صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की उम्मत को अ़ता की गई है। **अल्लाह** पाक कु़रआने पाक में इर्शाद फ़रमाता है :

إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ۝١ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ۝٢ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝٣ تَنَزَّلُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ۝٤ سَلَٰمٌ هِىَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ۝٥ (پ30،القدر)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : बेशक हम ने इसे शबे क़द्र में उतारा और तुम ने क्या जाना क्या शबे क़द्र शबे क़द्र हज़ार महीनों से बेहतर इस में फ़िरिश्ते और जिब्रील उतरते हैं अपने रब के हुक्म से हर काम के लिये वोह सलामती है सुब्ह़ चमक्ने तक।

ह़ज़रते सय्यिदुना इमाम मुजाहिद رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : बनी इसराईल का एक शख़्स सारी रात इ़बादत करता और सारा दिन जिहाद में मसरूफ़ रहता था और इस त़रह़ उस ने हज़ार महीने गुज़ारे थे, तो **अल्लाह** पाक ने येह आयते मुबारका नाज़िल फ़रमाई : "لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ" **तरजमए कन्ज़ुल ईमान :** (शबे क़द्र हज़ार महीनों से बेहतर) या'नी शबे क़द्र का क़ियाम उस आ़बिद (या'नी इ़बादत गुज़ार) की एक हज़ार महीने की इ़बादत से बेहतर है।[1]

और "तफ़्सीरे अ़ज़ीज़ी" में है : ह़ज़राते सह़ाबए किराम عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ने जब ह़ज़रते शम्ऊ़न رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه की इ़बादात व जिहाद का तज़्किरा सुना तो उन्हें ह़ज़रते शम्ऊ़न رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه पर बड़ा रश्क आया और मुस्त़फ़ा जाने रह़मत صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की ख़िदमते बा बरकत में अ़र्ज़ किया : "**या रसूलल्लाह** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ! हमें तो बहुत थोड़ी उ़म्रें मिली हैं, इस में भी कुछ ह़िस्सा नींद में गुज़रता है तो कुछ त़लबे मआ़श में, खाने पकाने में और दीगर उमूरे दुन्यवी में भी कुछ वक़्त सर्फ़ हो जाता है। लिहाज़ा हम तो ह़ज़रते शम्ऊ़न رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه की त़रह़ इ़बादत कर ही नहीं सकते, यूं बनी इसराईल हम से इ़बादत में बढ़ जाएंगे।" उम्मत के ग़म ख़्वार आक़ा صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم येह सुन कर ग़मगीन हो गए। उसी वक़्त ह़ज़रते सय्यिदुना जिब्रईले अमीन عَلَيْهِ السَّلَام सूरतुल क़द्र ले कर ह़ाज़िरे ख़िदमते बा बरकत हो गए और तसल्ली दे दी गई कि प्यारे ह़बीब (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) रन्जीदा न हों, आप صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की उम्मत को हम ने हर साल में एक ऐसी रात इनायत फ़रमा दी कि अगर वोह उस रात में इ़बादत करेंगे तो (ह़ज़रते) शम्ऊ़न رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه की हज़ार माह की इ़बादत से भी बढ़ जाएंगे।[2]

1 ... تفسیر طبری،پ30،القدر،تحت الآیۃ:1-5، 12/653
2 ... ماخوذ از تفسیر عزیزی،پ30،القدر، 3/257

सुवाल शबे क़द्र रमज़ानुल मुबारक की कौन सी रात है ?

जवाब अगर्चे बुज़ुर्गाने दीन और मुफ़स्सिरीन व मुहद्दिसीन رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِم اَجْمَعِين का शबे क़द्र के तअ़य्युन में इख़्तिलाफ़ है, ताहम भारी अक्सरिय्यत की राय येही है कि हर साल माहे रमज़ानुल मुबारक की सत्ताईसवीं शब ही शबे क़द्र है। सय्यिदुल अन्सार, सय्यिदुल कुर्रा, ह़ज़रते उबय बिन का'ब رَضِىَ اللهُ عَنْه के नज़्दीक सत्ताईसवीं शबे रमज़ान ही "शबे क़द्र" है।[1]

ह़ज़रते सय्यिदुना शाह अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ मुह़द्दिस देह्लवी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه भी फ़रमाते हैं कि शबे क़द्र रमज़ान शरीफ़ की सत्ताईसवीं रात होती है। अपने बयान की ताईद के लिये उन्हों ने दो दलाइल बयान फ़रमाए हैं :

(1) "लैलतुल क़द्र" में नव हुरूफ़ हैं और येह कलिमा सूरतुल क़द्र में तीन मरतबा है, इस त़रह़ "तीन" को "नव" से ज़र्ब देने से ह़ासिले ज़र्ब "सत्ताईस" आता है जो कि इस बात की त़रफ़ इशारा करता है कि शबे क़द्र सत्ताईसवीं रात है।

(2) इस सूरए मुबारका में तीस कलिमात (या'नी तीस अल्फ़ाज़) हैं। सत्ताईसवां कलिमा "هِيَ" है जिस का मर्कज़ लैलतुल क़द्र है। गोया **अल्लाह** पाक की त़रफ़ से नेक लोगों के लिये येह इशारा है कि रमज़ान शरीफ़ की सत्ताईसवीं शबे क़द्र होती है।[2]

रिज़ाए इलाही के ख़्वाहिश मन्दो ! हो सके तो सारा ही साल हर रात एहतिमाम के साथ कुछ न कुछ नेक अ़मल कर लेना चाहिये कि न जाने कब शबे क़द्र हो जाए। हर रात में दो फ़र्ज़ नमाज़ें आती हैं, दीगर नमाज़ों के साथ साथ मग़रिब व इशा की नमाज़ों की जमाअ़तों का भी ख़ूब एहतिमाम होना चाहिये कि अगर शबे क़द्र में इन दोनों की जमाअ़त नसीब हो गई तो اِنْ شَآءَ الله बेड़ा ही पार है, बल्कि इसी त़रह़ पांचों नमाज़ों के साथ साथ रोज़ाना इशा व फ़ज्र की जमाअ़त की भी ख़ुसूसिय्यत के साथ आ़दत डाल लीजिये। दो फ़रामीने मुस्त़फ़ा صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم मुलाह़ज़ा हों :

(1) जिस ने इशा की नमाज़ बा जमाअ़त पढ़ी उस ने गोया आधी रात क़ियाम किया और जिस ने फ़ज्र की नमाज़ बा जमाअ़त अदा की उस ने गोया पूरी रात क़ियाम किया।[3]

1 ... مسلم، کتاب صلوۃ المسافرین وقصرہا، باب الترغیب فی قیام رمضان وہو التراویح، ص299، حدیث:1785

2 ... تفسیر عزیزی، پ30، القدر، 3/259 ملخّصا

3 ... مُسلم، کتاب المساجد ومواضع الصلوۃ، باب فضل صلوۃ العشاء والصبح فی جماعۃ، ص258، حدیث1491

(2) जिस ने इशा की नमाज़ बा जमाअ़त पढ़ी तह़क़ीक़ उस ने लैलतुल क़द्र से अपना ह़िस्सा ह़ासिल कर लिया ।[1]

सबक़ नम्बर 15 मे'राजे मुस्त़फ़ा

सुवाल शबे मे'राज में इ़बादत करना कैसा है और इस की क्या फ़ज़ीलत है ?

जवाब शबे मे'राज शरीफ़ में इ़बादत करना जाइज़ व मुस्तह़सन है, इस में इ़बादत करने की फ़ज़ीलत बयान करते हुए आ़रिफ़ बिल्लाह शैखे़ मुह़क़्क़िक़ शैख़ अ़ब्दुल ह़क़ मुह़द्दिस देहलवी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه ह़दीस नक़्ल फ़रमाते हैं : "रजब में एक ऐसी रात है जिस में इ़बादत करने वाले के लिये सो साल की नेकियों का सवाब लिखा जाता है और येह रजब की सत्ताईसवीं रात है, जो इस रात बारह रक्अ़त नवाफ़िल इस त़रह़ अदा करे कि हर रक्अ़त में सूरए फ़ातिह़ा पढ़े और سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَر सो दफ़्आ़ पढ़े और **अल्लाह** से सो दफ़्आ़ इस्तिग़फ़ार करे और नबिय्ये पाक صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم पर सो बार दुरूद पढ़े और अपने लिये दुन्या व आख़िरत में से जो चाहे मांगे और सुब्ह़ को रोज़ा रखे तो बेशक **अल्लाह** पाक उस की सब दुआ़ओं को क़बूल फ़रमाएगा, सिवाए उस दुआ़ के जो गुनाह की हो, इस रिवायत को इमाम बैहक़ी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه ने "शुअ़बुल ईमान" में अबान से और उन्हों ने ह़ज़रते सय्यिदुना अनस رَضِيَ اللهُ عَنْه से रिवायत किया ।"[1]

सुवाल मे'राज से क्या मुराद है ?

जवाब ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे नबुव्वत صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم को **अल्लाह** पाक ने मक्कए मुकर्रमा से बैतुल मुक़द्दस तक, फिर वहां से सातों आस्मानों और अ़र्शो कुरसी तक और वहां से ऊपर जहां तक **अल्लाह** पाक को मन्ज़ूर हुवा रात के थोड़े से ह़िस्से में सैर कराई । इस रात बारगाहे ख़ुदावन्दी में आप صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم को वोह क़ुर्बे ख़ास ह़ासिल हुवा कि किसी नबी और फ़िरिश्ते को न कभी ह़ासिल हुवा न कभी होगा । हुज़ूर صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के इस आस्मानी सफ़र को "मे'राज" कहते हैं ।[3]

सुवाल मे'राज शरीफ़ कब हुई ?

जवाब मे'राज शरीफ़ रजबुल मुरज्जब की 27वीं रात को हुई ।

1 ... معجم کبیر، 8/179، حدیث:7745

2 ... شعب الایمان، باب فی الصیام، تخصیص شہر رجب بالذکر، 3/374، حدیث:3812

3 ... تفسیرات احمدیہ، بنی اسرآئیل، تحت الآیۃ:1-مسئلۃ المعراج، ص502-505ملتقطا-نبراس، بیان المعراج، ص292-295ملتقطا

सुवाल मे'राज शरीफ़ का तज़्किरा कुरआने करीम की किस सूरत में है ?

जवाब मे'राज शरीफ़ का तज़्किरा कुरआने करीम के पारह नम्बर 15, सूरए बनी इसराईल की पहली आयत में कुछ यूं है :

سُبۡحٰنَ الَّذِیۡۤ اَسۡرٰی بِعَبۡدِہٖ لَیۡلًا مِّنَ الۡمَسۡجِدِ الۡحَرَامِ اِلَی الۡمَسۡجِدِ الۡاَقۡصَا الَّذِیۡ بٰرَکۡنَا حَوۡلَہٗ لِنُرِیَہٗ مِنۡ اٰیٰتِنَا ؕ اِنَّہٗ ہُوَ السَّمِیۡعُ الۡبَصِیۡرُ ① (پ15،بنی اسرآئیل:1)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : पाकी है उसे जो रातों रात अपने बन्दे को ले गया मस्जिदे ह़राम (ख़ानए का'बा) से मस्जिदे अक़्सा (बैतुल मुक़द्दस) तक जिस के गिर्दा गिर्द हम ने बरकत रखी कि हम उसे अपनी अ़ज़ीम निशानियां दिखाएं, बेशक वोह सुनता देखता है ।

सुवाल शबे मे'राज सरकारे मदीना صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने क्या क्या देखा ?

जवाब शबे मे'राज सरकारे मदीना صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने अ़र्शो कुरसी, लौह़ो क़लम, जन्नतो दोज़ख़, ज़मीनो आस्मान का ज़र्रा ज़र्रा और **अल्लाह** पाक की दीगर बे शुमार बड़ी बड़ी निशानियों को देखा, सब से बढ़ कर आप صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इस रात अपने सर की आंखों से जमाले इलाही का दीदार किया और बिग़ैर किसी वासिते़ के **अल्लाह** पाक का कलाम सुना ।[1]

सुवाल शबे मे'राज किस आस्मान पर सरकारे मदीना صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم की मुलाक़ात किस नबी عَلَیْہِ السَّلَام से हुई ?

जवाब शबे मे'राज सरकारे मदीना صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم की मुलाक़ात ☆ पहले आस्मान पर ह़ज़रते सय्यिदुना आदम عَلَیْہِ السَّلَام से हुई । ☆ दूसरे आस्मान पर ह़ज़रते सय्यिदुना यह़्या व ह़ज़रते सय्यिदुना ईसा عَلَیْہِمَا السَّلَام से हुई । ☆ तीसरे आस्मान पर ह़ज़रते सय्यिदुना यूसुफ़ عَلَیْہِ السَّلَام से हुई । ☆ चौथे आस्मान पर ह़ज़रते सय्यिदुना इदरीस عَلَیْہِ السَّلَام से हुई । ☆ पांचवें आस्मान पर ह़ज़रते सय्यिदुना हारून عَلَیْہِ السَّلَام से हुई । ☆ छटे आस्मान पर ह़ज़रते सय्यिदुना मूसा عَلَیْہِ السَّلَام से हुई । ☆ सातवें आस्मान पर ह़ज़रते सय्यिदुना इब्राहीम عَلَیْہِ السَّلَام से हुई ।[2]

सुवाल सरकारे मदीना صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के इस आस्मानी सफ़र का इन्कार करने वाले के लिये क्या हुक्म है ?

1... बहारे शरीअ़त, 1/67, हि़स्सा : 1 माख़ूज़न

2... सीरते मुस्त़फ़ा, स. 733 ब तग़य्युरे क़लील

जवाब सफ़रे मे'राज के तीन हिस्से हैं : (1) अस्रा (2) मे'राज (3) ए'राज या ड़रूज। चुनान्चे

(1) अस्रा या'नी मक्कए मुकर्रमा से हुज़ूरे पुरनूर صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم का बैतुल मुक़द्दस तक शब के थोड़े से हिस्से में तशरीफ़ ले जाना नस्से कुरआनी (या'नी कुरआने पाक की वाज़ेह़ आयत और रोशन दलील) से साबित है। इस का मुन्किर (इन्कार करने वाला) काफ़िर है।

(2) मे'राज या'नी आस्मानों की सैर और मनाज़िले कुर्ब में पहुंचना अह़ादीसे सह़ीह़ा मो'तमदा मश्हूरा से साबित है, इस का मुन्किर (इन्कार करने वाला) गुमराह है।

(3) ड़रूज या ए'राज या'नी सरकारे नामदार صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के सर की आंखों से दीदारे इलाही करने और फ़ौकुल अ़र्श (अ़र्श से ऊपर) जाने का मुन्किर (इन्कार करने वाला) ख़ाती़ या'नी ख़त़ाकार है।[1]

सुवाल शबे मे'राज सरकारे मदीना صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने बैतुल मुक़द्दस में किस नमाज़ की इमामत फ़रमाई ?

जवाब शबे मे'राज सरकारे मदीना صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने बैतुल मुक़द्दस में जिस नमाज़ की इमामत फ़रमाई वोह नमाज़ तहि़य्यतुल मस्जिद थी। चुनान्चे ह़ज़रते अ़ल्लामा अ़ली क़ारी رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : मदनी आक़ा صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने दो रक्अ़त तहि़य्यतुल मस्जिद अदा की और ज़ाहिर येही है कि येही वोह नमाज़ है जिस में आप صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की अम्बियाए किराम عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام ने इक़्तिदा की और आप صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم अस्फ़िया के इमाम बने।[2]

सुवाल क्या मे'राज का सफ़र नींद की ह़ालत में हुवा था ?

जवाब जी नहीं, बल्कि ऐन बेदारी की ह़ालत में हुवा था।

सुवाल येह मे'राज जिस्मे अत़्हर के साथ थी या फ़क़त़ रूह़ की थी ?

जवाब येह मे'राज जिस्मे अत़्हर और रूह़ दोनों के साथ हुई थी, जैसा कि इमामे अहले सुन्नत सय्यिदी आ'ला ह़ज़रत رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : मे'राज शरीफ़ यक़ीनन क़त़्अ़न इसी जिस्मे मुबारक के साथ हुवा न कि फ़क़त़ रूह़ानी।[3]

1... कुफ़्रिय्या कलिमात के बारे में सुवाल जवाब, स. 226, 227 मुल्तक़त़न

2... مرقاة، کتاب الفضائل، باب فی المعراج، 10/167، تحت الحدیث: 5863

3... फ़तावा रज़विय्या, 15/74

सुवाल क्या अहादीसे मुबारका में शबे मे'राज इबादत करने के फ़ज़ाइल भी हैं ?

जवाब जी हां ! हज़रते सय्यिदुना अनस رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ से मरवी है कि **रसूलुल्लाह** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : रजब में एक रात है कि उस में नेक अ़मल करने वाले के लिये 100 बरस की नेकियों का सवाब लिखा जाता है और वोह रजब की सत्ताईसवीं शब है। जो इस में बारह रक्अ़त इस त़रह़ पढ़े कि हर रक्अ़त में सूरए फ़ातिह़ा और कोई सी एक सूरत और हर दो रक्अ़त पर अत्तहिय्यात पढ़े और 12 पूरी होने पर सलाम फेरे, इस के बा'द 100 बार سُبْحَانَ اللّٰہِ وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ وَلَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَاللّٰہُ اَکْبَر, 100 बार इस्तिग़फ़ार, 100 बार दुरूद शरीफ़ पढ़े और अपनी दुन्या व आख़िरत से मुतअ़ल्लिक़ जिस चीज़ की चाहे दुआ़ मांगे और सुब्ह़ को रोज़ा रखे तो **अल्लाह** पाक उस की सब दुआ़एं क़बूल फ़रमाए सिवाए उस दुआ़ के जो गुनाह के लिये हो।(1)

हज़रते सय्यिदुना सलमान फ़ारसी رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ से रिवायत है कि नबिय्ये करीम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : रजब में एक दिन और रात है जो उस दिन रोज़ा रखे और रात को क़ियाम (इबादत) करे तो गोया उस ने सो साल के रोज़े रखे और वोह सत्ताईस रजब है।(2)

मश्हूर मुफ़स्सिरे क़ुरआन ह़कीमुल उम्मत मुफ़्ती अह़मद यार ख़ान नईमी رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ फ़रमाते हैं : सत्ताईसवीं रजब को मे'राजुन्नबी صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم की ख़ुशी में जल्से करें, ख़ुशियां मनाएं, रात को जाग कर नवाफ़िल पढ़ें।(3)

इसी त़रह़ शैख़ुल ह़दीस ह़ज़रते अ़ल्लामा अ़ब्दुल मुस्त़फ़ा आ'ज़मी رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ मे'राज शरीफ़ के इज्तिमाए ज़िक्रो ना'त के मुतअ़ल्लिक़ फ़रमाते हैं : 26, 27 रजब को मे'राज शरीफ़ का बयान करने के लिये जो जल्सा किया जाता है उस को रजबी शरीफ़ की मजलिस कहते हैं, मीलाद शरीफ़ की त़रह़ येह भी बहुत ही मुबारक जल्सा है, इस जल्से को करने वाले और ह़ाज़िरीन व सामिईन सब सवाब के मुस्तह़िक़ हैं। ज़ाहिर है कि ह़ुज़ूरे अकरम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के फ़ज़ाइलो कमालात और इन के मो'जिज़ात में से एक बहुत ही अ़ज़ीमुश्शान मो'जिज़ा या'नी मे'राजे जिस्मानी का ज़िक्रे जमील किस क़दर ख़ुदावन्दे जलील की रह़मतों और बरकतों के नुज़ूल का बाइ़स होगा ? इस लिये मुसल्मानों को चाहिये कि ज़ियादा से ज़ियादा ता'दाद में और बड़े से बड़े एहतिमाम के साथ इस मजलिसे ख़ैरो बरकत को मुन्अ़क़िद करें और ज़िक्रे मे'राज सुनने के लिये कसीर ता'दाद में ह़ाज़िर हो कर अन्वारो बरकात की

1 ... شعب الایمان، باب الصیام...الخ، 3/374، حدیث:3812
2 ... شعب الایمان، باب فی الصیام...الخ، 3/373، حدیث:3811
3 ... इस्लामी ज़िन्दगी, स. 133

सआ़दतों से सरफ़राज़ हों और इस मुक़द्दस रात में नवाफ़िल पढ़ कर और सदक़ातो ख़ैरात कर के सवाबे दारैन की दौलतों से मालामाल हों।(1)

सबक़ नम्बर 16 मीलाद शरीफ़ मनाना

अय्यामुल्लाह को याद रखने का हुक्म कुरआने करीम में है और अय्यामुल्लाह में से सब से मुक़द्दस ''नबिय्ये करीम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم का यौमे मीलाद'' है, क्यूं कि तमाम अय्याम इसी मुबारक दिन के सबब बा बरकत हुए। कुरआने करीम हमें रह़मते इलाही पर ख़ुशी मनाने का हुक्म देता है :

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَ بِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْیَفْرَحُوْاؕ هُوَ خَیْرٌ مِّمَّا یَجْمَعُوْنَ (پ11، یونس:58)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : तुम फ़रमाओ **अल्लाह** ही के फ़ज़्ल और उसी की रह़मत और इसी पर चाहिये कि ख़ुशी करें वोह उन के सब धन दौलत से बेहतर है।

हुज़ूर नबिय्ये करीम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **अल्लाह** के सब से बड़े फ़ज़्ल और ने'मत हैं और ने'मते इलाही का शुक्र अदा करने के ह़वाले से कुरआने करीम पारह 30 सूरतुद्दुहा आयत नम्बर 12 है :

وَ اَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (پ30، الضحیٰ:11)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और अपने रब की ने'मत का ख़ूब चरचा करो।

मीलाद अह़ादीस की रोशनी में

हमारे प्यारे आक़ा मक्की मदनी मुस्त़फ़ा صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم पीर शरीफ़ को रोज़ा रख कर अपना यौमे विलादत मनाते थे जैसा कि ह़ज़रते सय्यिदुना अबू क़तादा رَضِیَ اللّٰهُ عَنْه फ़रमाते हैं : बारगाहे रिसालत صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم में पीर के रोज़े के बारे में दरयाफ़्त किया गया तो इर्शाद फ़रमाया : ''इसी दिन मेरी विलादत हुई और इसी रोज़ मुझ पर वह़ी नाज़िल हुई।''(2)

इसी त़रह़ जब अबू लहब मर गया तो उस के बा'ज़ घर वालों ने उसे ख़्वाब में बुरे ह़ाल में देखा। पूछा : क्या मिला ? बोला : तुम से जुदा हो कर मुझे कोई ख़ैर नसीब न हुई। फिर अपने अंगूठे के नीचे मौजूद सूराख़ की त़रफ़ इशारा करते हुए कहने लगा : सिवाए इस के कि इस में से मुझे पानी पिला दिया जाता है क्यूं कि मैं ने सुवैबा लौंडी को आज़ाद किया था।(3)

इस रिवायत के तह़त शैख़ अ़ब्दुल ह़क़ मुह़द्दिस देहलवी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِی फ़रमाते हैं : इस वाक़िए में मीलाद शरीफ़ वालों के लिये बड़ी दलील है जो ताजदारे रिसालत صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की शबे विलादत

1... जन्नती ज़ेवर, स. 469

2... مسلم، کتاب الصیام، باب صیام ثلاثۃ... الخ، ص455، حدیث:2750

3... مصنف عبد الرزاق، کتاب الوصایا، باب الصدقۃ عن المیت، 9/9، حدیث:16661- عمدۃ القاری، کتاب النکاح، باب وامہٰتکم الخ، 14/44، تحت الحدیث:510

में ख़ुशियां मनाते और माल ख़र्च करते हैं, या'नी अबू लहब जो कि काफ़िर था जब वोह ताजदारे नुबुव्वत صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهٖ وَسَلَّم की विलादत की ख़बर पा कर ख़ुश होने और अपनी लौंडी (सुवैबा) को दूध पिलाने की ख़ातिर आज़ाद करने पर बदला दिया गया। तो उस मुसल्मान का क्या ह़ाल होगा जो मह़ब्बत और ख़ुशी से भरा हुवा है और माल ख़र्च कर रहा है। लेकिन येह ज़रूरी है कि मह़फ़िले मीलाद शरीफ़ गाने बाजों से और आलाते मूसीक़ी से पाक हो।[1]

सुवाल मीलाद शरीफ़ में होता क्या है ?

जवाब जश्ने विलादत वोह मुबारक इज्तिमाअ़ है कि जिस में मो'तबर कुतुब से नबिय्ये करीम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهٖ وَسَلَّم के फ़ज़ाइल व मो'जिज़ात, सियर (ख़स्लतें), ह़ालात, ह़यात, रिज़ाअ़त और बि'सत के वाक़िआ़त बयान किये जाएं।[2]

सदरुश्शरीअ़ह मुफ़्ती मुह़म्मद अमजद अ़ली आ'ज़मी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : इन चीज़ों (या'नी नबिय्ये करीम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهٖ وَسَلَّم के फ़ज़ाइल व मो'जिज़ात वग़ैरा) का ज़िक्र अह़ादीस में भी है और क़ुरआने मजीद में भी। अगर मुसल्मान अपनी मह़फ़िल में बयान करें बल्कि ख़ास इन बातों के बयान करने के लिये मह़फ़िल मुन्अ़क़िद करें तो इस के ना जाइज़ होने की कोई वज्ह नहीं। इस मजलिस के लिये लोगों को बुलाना और शरीक करना ख़ैर की त़रफ़ बुलाना है, जिस त़रह़ वा'ज़ और जल्सों के ए'लान किये जाते हैं, इश्तिहारात छपवा कर तक़्सीम किये जाते हैं, अख़्बारात में इस के मुतअ़ल्लिक़ मज़ामीन शाएअ़ किये जाते हैं और इन की वज्ह से वोह वा'ज़ और जल्से ना जाइज़ नहीं हो जाते, इसी त़रह़ ज़िक्रे पाक के लिये बुलावा देने से इस मजलिस को ना जाइज़ व बिद्अ़त नहीं कहा जा सकता।[3]

याद रहे! जिस तारीख़ को मुल्क आज़ाद हुवा हो हर साल उस तारीख़ को जश्न मनाया जाता और जुलूस निकाला जाता है और जो इस पर तन्क़ीद करे उसे मुल्क का ग़द्दार कहा जाता है तो जिस तारीख़ को दो जहां के सरदार صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهٖ وَسَلَّم दुन्या में तशरीफ़ लाएं वोह क्यूं न सब से बढ़ कर ख़ुशी का दिन होगा ? लिहाज़ा मीलाद शरीफ़ मनाना हुक्मे क़ुरआनी पर अ़मल करना है। क्या येह ए'तिराज़ करने वाला रसूले पाक صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهٖ وَسَلَّم की विलादत **अल्लाह** पाक की ने'मत, फ़ज़्ले इलाही और रह़मते ख़ुदावन्दी नहीं मानता या मह़फ़िले मीलाद को इस ने'मते इलाही का चरचा और इस फ़ज़्लो रह़मत की ख़ुशी नहीं समझता या वोह येह बताए कि क़ुरआनो ह़दीस में कहीं मह़फ़िले मीलाद शरीफ़ मन्अ़ है ???

ख़ाक हो जाएं अ़दू जल कर मगर हम तो रज़ा   दम में जब तक दम है ज़िक्र उन का सुनाते जाएंगे

---

1 ... مدارج النبوۃ، قسم دوم، باب اول، ذکر نسب... الخ، 2/19

2 ... سبل الہدی والرشاد، الباب الثالث عشر فی اقوال العلماء... الخ، 1/363 ماخوذا

3 ... बहारे शरीअ़त, 3/644, हिस्सा : 16

मीलाद मनाना आज की ईजाद नहीं मुसल्मान सदियों से मीलाद मनाते आए हैं, चुनान्चे मुल्ला अ़ली क़ारी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه और अ़ल्लामा बुरहानुद्दीन ह़लबी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه लिखते हैं : "मुसल्मान तमाम मक़ामात और बड़े बड़े शहरों में हमेशा नबिय्ये करीम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की विलादत के महीने में महाफ़िल मुन्अ़क़िद करते रहे हैं।"(1)

सुवाल सह़ाबए किराम عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ने कभी जश्ने विलादत नहीं मनाया तो क्या तुम उन से ज़ियादा आ़शिक़े रसूल हो ?

जवाब क़ुरआने करीम के बा'द सब से ज़ियादा क़ाबिले ए'तिमाद किताब "सह़ीह़ बुख़ारी" है और इस को तक़रीबन सभी मुसल्मान मानते हैं, इमाम बुख़ारी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه हर ह़दीसे मुबारका लिखने से पहले ग़ुस्ल करते और दो रक्अ़त नफ़्ल अदा फ़रमाते।(2)

ह़ालां कि सह़ाबए किराम عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان में ऐसी कोई रिवायत नहीं मिलती कि वोह ह़दीसे पाक बयान करने से पहले ग़ुस्ल फ़रमाते और दो रक्अ़त नमाज़ पढ़ते तो क्या येह कहा जाएगा कि इमाम बुख़ारी सह़ाबए किराम عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان से बड़े आ़शिक़े रसूल हैं ? या आप رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه के दिल में सह़ाबए किराम عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان से ज़ियादा ह़दीसे पाक का अदब है ? मज़ीद सुनिये ! करोड़ों मालिकिय्यों के अ़ज़ीम पेश्वा ह़ज़रते सय्यिदुना इमाम मालिक رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه मदीनए पाक की गलियों में नंगे पैर चला करते थे और ता'ज़ीमे ख़ाके मदीना की ख़ातिर मदीनए मुनव्वरह में कभी भी क़ज़ाए ह़ाजत नहीं की, इस के लिये हमेशा ह़रमे मदीना से बाहर तशरीफ़ ले जाते थे, अलबत्ता ह़ालते मरज़ में मजबूर थे।(3) तो क्या अब येह कहा जाएगा कि इमामे मालिक رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه सह़ाबए किराम عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان से बड़े आ़शिक़े रसूल हैं ? हरगिज़ नहीं, क़ुरआने करीम में उसूल बयान फ़रमा दिया गया है और वोह येह है : "وَتُعَزِّرُوْهُ وَ تُوَقِّرُوْهُ" **तरजमए कन्ज़ुल ईमान :** और रसूल की ता'ज़ीमो तौक़ीर करो" इस आयते मुबारका की तफ़्सीर में मुफ़स्सिरीन ने फ़रमाया है कि ता'ज़ीमे मुस्त़फ़ा صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم का जो भी त़रीक़ा राइज हो और वोह शरीअ़त से न टकराता हो वोह इस आयत में दाख़िल है, यहां ता'ज़ीमो तौक़ीर के लिये किसी क़िस्म की कोई क़ैद बयान नहीं की गई, चाहे खड़े हो कर सलातो सलाम पढ़ना हो या कोई दूसरा त़रीक़ा सरकारे

1 ...المورد الروی فی المولد النبوی، ص26

2 ... नुज़्हतुल क़ारी, 1/130

3 ...بستان المحدثین، ص19

दो आ़लम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की हर वोह ता'ज़ीम जो ख़िलाफ़े शरअ़ न हो, की जाएगी।[(1)] बे शुमार ऐसे काम किये जा रहे हैं जो कि सह़ाबए किराम عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان और ताबिईन رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِم के दौर में न थे मगर दीन में जारी हैं और जश्ने विलादत से मन्अ़ करने वाले लोग भी येह काम करते हैं जैसे मुरव्वजा दर्से निज़ामी का कोर्स, मुरव्वजा मद्रसों का निज़ाम, हि़फ़्ज़ो नाज़िरा की अलग अलग क्लासिज़, तनख़्वाह दे कर पढ़ने के लिये उस्ताद मुक़र्रर करना और इस तनख़्वाह के लिये चन्दा मांगना, इफ़्तिताहे़ बुख़ारी, ख़त्मे बुख़ारी बल्कि ख़ुद सह़ीह़ बुख़ारी, सह़ाबए किराम عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان व ताबिईन बल्कि तब्ए़ ताबिईन رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِم के ज़माने के बहुत बा'द लिखी गई, हवाई जहाज़ के ज़रीए़ सफ़रे ह़ज व उ़म्रह वग़ैरा हज़ारों दीनी काम हैं जो किये जा रहे हैं, कोई इन से मन्अ़ नहीं करता। अपने अपने नसीब की बात है जिस को जिस से मह़ब्बत होती है वोह उस की ख़ूब याद मनाता, घरों को रोशन करता है और कोई ह़ीले बहाने बना कर दिल जलाता रहता है।

जश्ने विलादत मनाने का हुक्म

अहले सुन्नत के मज़हब में मजलिसे मीलादे पाक अफ़्ज़ल तरीन मन्दूबात (मुस्तह़ब्बात) और आ'ला तरीन मुस्तह़्सनात (नेक कामों में) से है।[(2)]

सुवाल 12 रबीउ़ल अव्वल विलादत शरीफ़ का दिन नहीं है, इस में इख़्तिलाफ़ है और येह फ़तावा रज़विय्या में भी है, लिहाज़ा 12 रबीउ़ल अव्वल शरीफ़ को जश्ने मीलादुन्नबी صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم नहीं मनाना चाहिये।

जवाब इस सुवाल का एक जवाब तो येह है कि फ़तावा रज़विय्या में मेरे आक़ा आ'ला ह़ज़रत इमामे अहले सुन्नत رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : अश्हर व अक्सर व माख़ूज़ व मो'तबर बारहवीं है। (या'नी सब से ज़ियादा मश्हूर, क़ाबिले ए'तिबार और मक़्बूल बात 12 रबीउ़ल अव्वल ही है।)[(3)]

दूसरा जवाब येह है कि अगर आप 12 रबीउ़ल अव्वल शरीफ़ को जश्ने विलादत नहीं मनाते तो कोई और तारीख़ मसलन दो, आठ या दस रबीउ़ल अव्वल के क़ौल ही को मान लीजिये और ख़ूब धूमधाम से आमिना के लाल, मह़बूबे रब्बे ज़ुल जलाल صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم का जश्ने विलादत मनाइये।

सुवाल इस्लाम में सिर्फ़ दो ही ईदों का ज़िक्र है, लिहाज़ा ईदे मीलादुन्नबी صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم नहीं मनाना चाहिये ?

1... तफ़्सीरे सिरातुल जिनान, 6/81 ब तक़द्दुम व तअख़्ख़ुर

2... अल ह़क़्क़ुल मुबीन, स. 100

3... फ़तावा रज़विय्या, 26/411

जवाब सिहाह सित्ता (या'नी हदीसे पाक की मश्हूर छे कुतुब) में है **अल्लाह** पाक के रसूल صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : "जुमुआ ईद का दिन है।" इस हिसाब से तो पूरे साल में कमो बेश 48 ईदें हुई और ईदुल फ़ित्र व ईदुल अज़्हा मिला कर 50 और येह ईदें जिस ईद के सदके में मिलीं वोह है "12 रबीउल अव्वल शरीफ़" है। اَلْحَمْدُ لِلّٰه ! येह आशिक़ाने रसूल के लिये ईदों की भी ईद है क्यूं कि हुज़ूरे अन्वर صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهٖ وَسَلَّم दुन्या में तशरीफ़ न लाते तो कोई ईद, ईद होती, न कोई शब, शबे बराअत। कौनो मकान की तमाम तर रौनक़ो शान **अल्लाह** पाक के आख़िरी रसूल صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهٖ وَسَلَّم के क़दमों की धूल का सदक़ा है। हदीस में है : (**अल्लाह** पाक फ़रमाता है) ऐ मेरे हबीब मैं ने दुन्या और दुन्या वालों को इस लिये पैदा किया कि जो इ़ज़्ज़तो मन्ज़िलत तुम्हारी मेरे यहां है मैं उन को इस की पहचान करवा दूं और ऐ मेरे हबीब अगर तुम न होते तो मैं दुन्या को न पैदा करता।[1]

वोह जो न थे तो कुछ न था वोह जो न हों तो कुछ न हो   जान हैं वोह जहान की जान है तो जहान है

सुवाल 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकालना बिद्अ़त है और हर बिद्अ़त गुमराही और जहन्नम में ले जाने वाली है, लिहाज़ा जुलूसे मीलाद निकालना और इस में जाना जाइज़ नहीं है ?

जवाब "बिद्अ़त" का मत़लब है नया काम, जिस त़रह हर नया काम बुरा नहीं होता इसी त़रह हर बिद्अ़त बुरी नहीं होती, बल्कि जो नया काम कुरआनो सुन्नत के ख़िलाफ़ हो वोह बिद्अ़ते सय्यिआ या'नी बुरी बिद्अ़त है, और हदीसे पाक " كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ " से मुराद बुरी बिद्अ़त है, जो नया काम कुरआनो सुन्नत, आसारे सहाबा या इज्माए उम्मत के ख़िलाफ़ न हो वोह बुरा नहीं है। जैसे तरावीह की जमाअ़त जो तक़रीबन हर मस्जिद में क़ाइम की जाती है इस को तो खुद हज़रते सय्यिदुना उ़मर फ़ारूक़े आ'ज़म رَضِیَ اللهُ عَنْه ने अच्छी बिद्अ़त फ़रमाया है। कई बिद्अ़तें मुस्तहब बल्कि वाजिब होती हैं।

आज से तक़रीबन पांच सो साल पहले लिखी जाने वाली किताब "ऐ़नुल इ़ल्म" में है : जिस चीज़ से शुरूअ़ से मन्अ़ न फ़रमाया गया हो और सहाबा व ताबिईन के ज़माने के बा'द लोगों में जारी हुई हो उस में मुवाफ़क़त कर के मुसल्मानों का दिल खुश करना बेहतर है अगर्चे वोह चीज़ बिद्अ़त (या'नी वोह नया काम) ही हो, इस पर दलील वोह हदीस है जो हज़रते सय्यिदुना अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊ़द رَضِیَ اللهُ عَنْه ने नबी صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهٖ وَسَلَّم के इर्शाद और खुद इन के क़ौल से मरवी हुई कि मुसल्मान

1 ...لمعات التنقیح، 9/220-المواھب اللدنیہ، 1/44

जिस चीज़ को अच्छा समझें वोह ख़ुदा के नज़्दीक भी नेक है।[1]

तक़रीबन साढ़े चार सो साल पुराने बुज़ुर्ग ह़ज़रते सय्यिदुना अ़ल्लामा इब्ने ह़जर رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : बिद्अ़ते ह़सना (या'नी वोह नेक काम जो क़ुरआनो सुन्नत के ख़िलाफ़ न हो) के मुस्तह़ब होने पर इत्तिफ़ाक़ है और मौलूद शरीफ़ मनाना और इस के लिये लोगों का जम्अ़ होना इसी क़िस्म से है। (या'नी मीलाद शरीफ़ मनाना मुस्तह़ब नेक और अच्छा काम है।)[2] ह़ज़रत मौलाना अ़ली शामी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : इस का इन्कार वोही करेगा जिस के दिल पर ख़ुदा ने मोह्र कर दी।[3]

लाख शैतां हम को रोके फ़ज़्ले रब से ता अबद — जश्न, आक़ा की विलादत का मनाते जाएंगे

सुवाल पुराने बुज़ुर्गों ने मीलाद शरीफ़ मनाने के बारे में कुछ नहीं फ़रमाया लिहाज़ा मीलाद शरीफ़ नहीं मनाना चाहिये।

जवाब कम अज़ कम पांच सो साल पहले के चन्द बुज़ुर्गों के फ़रामीन और उन की किताबों के बारे में पढ़िये : आज से तक़रीबन साढ़े आठ सो साल पहले ह़ज़रते सय्यिदुना अ़ल्लामा अ़ब्दुर्रह़मान इब्ने जौज़ी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه ने एक किताब बनाम "मौलिदुल उ़रूस" लिखी उस में फ़रमाते हैं : ह़ज़रते सय्यिदुना अह़मदे मुज्तबा, मुह़म्मदे मुस्त़फ़ा صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم का जश्ने विलादत मनाने वाले को बरकत, इ़ज़्ज़त, भलाई और फ़ख़्र मिलेगा, मोतियों का इमामा और सब्ज़ हुल्ला (या'नी Green Robe) पहन कर वोह दाख़िले जन्नत होगा।[4]

923 हिजरी (या'नी तक़रीबन पांच सो साल पहले) के अ़ज़ीम बुज़ुर्ग इमाम अह़मद बिन मुह़म्मद क़स्त़लानी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : सरवरे दो जहां صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की विलादत के महीने में मुसल्मान हमेशा से मह़फ़िले मीलाद करते आए हैं और विलादत की ख़ुशी में दा'वतें देते, खाने पकवाते और ख़ूब सदक़ा व ख़ैरात देते आए हैं। ख़ूब ख़ुशी का इज़्हार करते और दिल खोल कर ख़र्च करते हैं नीज़ आप صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की विलादते बा सआ़दत के ज़िक्र का एहतिमाम करते आए हैं चुनान्चे उन पर **अल्लाह** पाक के बहुत बड़े फ़ज़्ल और बरकतों का नुज़ूल होता है मीलाद शरीफ़ मनाने से दिली मुरादें पूरी होती

1 ... عین العلم، ص509-510

2 ... سیرت الحلبیہ، باب تسمیتہ محمد اواحمدا، 1/123

3 ... फ़तावा रज़विय्या, 26/519

4 ... مجموع لطیف النبی فی صیغ المولد النبوی القدسی، ص281

हैं, **अल्लाह** पाक उस पर रह़मतें नाज़िल फ़रमाए जिस ने विलादत शरीफ़ की रातों को ईद (या'नी ख़ुशी का दिन) बना लिया। (मज़ीद फ़रमाते हैं :) मीलाद शरीफ़ की ख़ुशी उस के लिये सख़्त मुसीबतें हैं जिस के दिल में बीमारी और इ़नाद है।(1)

ह़ज़रते सय्यिदुना इमाम अबू शाम्मा رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه (जो कि इमाम नववी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه के उस्ताज़ हैं) फ़रमाते हैं : हमारे ज़माने में जो नया काम किया जाता है वोह येह है कि लोग हर साल **अल्लाह** पाक के रह़मत वाले नबी صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के मीलाद के दिन सदक़ातो ख़ैरात और ख़ुशी का इज़्हार करने के लिये अपने घरों और गलियों को सजाते हैं क्यूं कि इस में कई फ़ाएदे हैं सब से बड़ी बात येह है कि **अल्लाह** पाक ने अपने मह़बूब صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم को पैदा फ़रमा कर और रह़मतुल्लिल आ़लमीन बना कर भेजा है येह उस का अपने बन्दों पर बहुत बड़ा एह़सान है जिस का शुक्र अदा करने के लिये ख़ुशी का इज़्हार किया जाता है।(2)

सुवाल 12 रबीउ़ल अव्वल को बहुत ज़ियादा लाइटिंग कर के इसराफ़ किया जाता है अगर येह रक़म ग़रीबों में बांट दी जाए तो कितनों का भला हो जाएगा ?

जवाब सब से पहले तो येह क़ाइदा ज़ेह्न में बिठा लीजिये कि उ़लमाए किराम फ़रमाते हैं : لَا خَيْرَ فِي الْاِسْرَافِ وَلَا اِسْرَافَ فِي الْخَيْرِ या'नी इसराफ़ में कोई भलाई नहीं और भलाई के कामों में ख़र्च करने में कोई इसराफ़ नहीं। अ़ज़ीम ताबिई़ बुज़ुर्ग ह़ज़रते सय्यिदुना इमाम मुजाहिद رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : अगर कोई शख़्स उहुद पहाड़ के बराबर भी माल इत़ाअ़ते इलाही में ख़र्च करे तब भी वोह इसराफ़ करने वालों में से न होगा।(3) ऊपर बयान कर्दा रिवायात से जब येह बात साबित हो गई कि जश्ने विलादत मनाना नेकी और सवाब का काम है तो सवाब के काम में माल जितना ज़ियादा ख़र्च किया जाए वोह कम ही है न कि इसराफ़।

एक ख़बर के मुत़ाबिक़ हर साल 20 से 25 मिलियन रियाल से ग़िलाफ़े का'बा तय्यार किया जाता है ? शादियों और नित नए फ़न्कशन्ज़ पर करोड़ों के अख़्राजात किये जाते हैं कोई इन को जा कर समझाए कि यहां ख़र्च करने की बजाए ग़रीबों में रक़म बांट दो तो पता चले बल्कि ख़ुद अपने ही घर के डेकोरेशन और एक से एक नए मोडल की गाड़ियां, मोबाइल्ज़ वग़ैरा को देख लीजिये, ज़रा इन को

---

1 ... زرقانی علی المواہب، 1/261-262
2 ... السیرۃ الحلبیہ، باب تسمیتہ محمدا واحمد، 1/123
3 ... حلیۃ الاولیاء، مجاہد بن جبر، 3/333، رقم: 4165

ग़रीबों में बांट कर चन्द हज़ार वाली बाईक और मोबाइल फ़ोन इस्ति'माल कर के ग़रीबों का भला कीजिये तो पता चले अल ग़रज़ बीसियों काम ऐसे किये जा रहे हैं जिन में करोड़ों, अरबों रुपै हर साल ख़र्च होते हैं मगर इस से कोई मन्अ़ नहीं करता, गुज़श्ता कुछ अ़र्से में कोरोना वायरस की वज्ह से होने वाले लॉकडाउन में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई कि देखो ! ग़रीबों में राशन वोही बांट रहे हैं जो जश्ने विलादत पर लाइटिंग करते हैं तो ख़ैर ग़रीबों की मदद भी कीजिये और जश्ने विलादत भी मनाइये आख़िर सिर्फ़ जश्ने विलादत के मौक़अ़ पर ही येह वस्वसा ज़ेह्न में क्यूं आता है, बात कुछ और तो नहीं ? नफ़्से अम्मारा और शैत़ान को लाह़ौल शरीफ़ पढ़ कर मरह़बा या मुस्त़फ़ा का ना'रा लगा कर भगाइये और ख़ूब धूमधाम से जश्ने विलादत मनाइये ।

लहराओ सब्ज़ परचम ऐ आक़ा के आ़शिक़ो !   घर घर करो चराग़ां कि सरकार आ गए

ह़दीस शरीफ़ में है, सय्यिदुल मुरसलीन صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : “जिस शख़्स ने इस्लाम में नेक त़रीक़ा निकाला उस को त़रीक़ा निकालने का भी सवाब मिलेगा और उस पर अ़मल करने वालों का भी सवाब मिलेगा और अ़मल करने वालों के अपने सवाब में कुछ कमी न की जाएगी और जिस ने इस्लाम में बुरा त़रीक़ा निकाला तो उस पर वोह त़रीक़ा निकालने का भी गुनाह होगा और उस त़रीक़े पर अ़मल करने वालों का भी गुनाह होगा और उन अ़मल करने वालों के अपने गुनाह में कुछ कमी न की जाएगी ।”[(1)]

सुवाल 12 रबीउ़ल अव्वल की लाइटिंग में बिजली की चोरी और बहुत ऊंची आवाज़ से ना'तें चला कर दूसरों को तक्लीफ़ पहुंचाई जाती है नीज़ लंगर इस त़रह़ लुटाया जाता है जिस से रिज़्क़ की बे हुर्मती होती है । लिहाज़ा जश्ने ईदे मीलादुन्नबी صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم नहीं मनाना चाहिये ?

जवाब एक उसूल ज़ेह्न में बिठा लीजिये कि नाक पर मख्खी बैठे तो मख्खी को हटाते हैं न कि नाक ही को काट देते हैं । येह बताइये ! ऐन शरीअ़त के मुत़ाबिक़ शादी कहां हो रही है ? तो क्या किसी ने येह कहा कि शादी करना छोड़ दो कि इस की वज्ह से बहुत सारे गुनाह करने पड़ते हैं । जब हम जश्ने आज़ादी मनाते हैं कोई इस से मन्अ़ नहीं करता कि जश्ने आज़ादी न मनाओ, फिर आख़िर जश्ने ईदे मीलादुन्नबी صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم से क्यूं परेशानी होती है ? कहीं मस्अला कुछ और तो नहीं ???

सुवाल मीलाद शरीफ़ मनाने से क्या बरकतें नसीब होती हैं ?

जवाब जश्ने विलादत मनाने वालों को **अल्लाह** करीम की त़रफ़ से बे शुमार दीनी व दुन्यावी रह़मतें मिलती हैं, जैसा कि

1 ... مسلم، کتاب الزکاۃ، باب الحث علی الصدقۃ...الخ، ص394، حدیث:2351

हज़रते सय्यिदुना इमाम अब्दुर्रहमान इब्ने जौज़ी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : जश्ने विलादत पर फ़रहतो मसर्रत करने वाले के लिये येह ख़ुशी जहन्नम से रुकावट बनेगी, जो जश्ने विलादत की ख़ुशी में एक दिरहम ख़र्च करे तो नबिय्ये करीम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم उस की शफ़ाअ़त फ़रमाएंगे, **अल्लाह** करीम उसे एक दिरहम के बदले दस दिरहम अ़ता फ़रमाएगा। ऐ उम्मते महबूब ! तुम्हारे लिये ख़ुश ख़बरी हो तुम दुन्या व आख़िरत में ख़ैरे कसीर के हक़दार क़रार पाए। हज़रते सय्यिदुना अहमदे मुज्तबा صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم का जश्ने विलादत मनाने वाले को बरकत, इ़ज़्ज़त, भलाई और फ़ख़्र मिलेगा, मोतियों का इमामा और सब्ज़ हुल्ला पहन कर वोह दाख़िले जन्नत होगा, बे शुमार महल्लात उसे अ़ता किये जाएंगे और हर महल में हूर होगी। नबिय्ये ख़ैरुल अनाम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم पर ख़ूब दुरूद पढ़िये, जश्ने विलादत मना कर इसे ख़ूब आ़म किया जाए।(1)

हाफ़िज़ुल ह़दीस इमाम अबुल ख़ैर मुहम्मद बिन अ़ब्दुर्रहमान सख़ावी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : जश्ने विलादत मनाने वालों पर इस अ़मल की बरकात से फ़ज़्ले अ़ज़ीम ज़ाहिर होता है।(2)

हज़रते सय्यिदुना इमाम अहमद बिन मुहम्मद क़स्तलानी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : ''विलादते बा सआ़दत के अय्याम में महफ़िले मीलाद करने के ख़वास (फ़वाइद) से येह अम्र मुजर्रब (या'नी तजरिबा शुदा) है कि इस साल अम्नो अमान रहता है। **अल्लाह** करीम उस शख़्स पर रहमत नाज़िल फ़रमाए जिस ने माहे विलादत की रातों को ईद बना लिया।''(3)

शैख़े मुहक़्क़िक़, हज़रते शाह अ़ब्दुल हक़ मुहद्दिस देहलवी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : सरकारे मदीना صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की विलादत की रात ख़ुशी मनाने वालों की जज़ा येह है कि **अल्लाह** करीम उन्हें अपने फ़ज़्लो करम से जन्नातुन्नईम में दाख़िल फ़रमाएगा। मुसल्मान हमेशा से महफ़िले मीलाद मुन्अ़क़िद करते आए हैं और विलादत की ख़ुशी में दा'वतें देते, खाने पकवाते और ख़ूब सदक़ा व ख़ैरात देते आए हैं। ख़ूब ख़ुशी का इज़्हार करते और दिल खोल कर ख़र्च करते हैं नीज़ आप صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की विलादते बा सआ़दत के ज़िक्र का एहतिमाम करते हैं और अपने मकानों को सजाते हैं और इन तमाम अफ़आ़ले हसना (अच्छे कामों) की बरकत से उन लोगों पर **अल्लाह** करीम की रहमतों का नुज़ूल होता है।(4)

---

1 ... مجموع لطیف النبی فی صیغ المولد النبوی القدسی، ص281

2 ... سبل الہدیٰ والرشاد، الباب الثالث عشر فی اقوال العلماء...الخ، 1/362

3 ... مواہب اللدنیہ، المقصد الاول، ذکر رضاعہ، 1/148

4 ... ماثبت من السنۃ، ص74 ملخصا

हज़रते सय्यिदुना इमाम अ़ब्दुर्रह़मान इब्ने जौज़ी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : इस फ़े'ल (या'नी जश्ने विलादत मनाने) में शैतान की तज़्लील और अहले ईमान की तक़्वियत के सिवा कुछ नहीं ।(1)

इमाम जलालुद्दीन अ़ब्दुर्रह़मान सुयूती رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : जश्ने विलादत मनाने वाला सवाब पाता है कि इस में नबिय्ये करीम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की ता'ज़ीम और विलादते बा सआ़दत पर ख़ुशी व शादमानी का इज़्हार है ।(2)

शारेहे़ बुख़ारी हज़रते सय्यिदुना अह़मद बिन ह़जर अ़स्क़लानी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : हमारे ह़क़ में मुस्तह़ब है कि जश्ने विलादत पर इज़्हारे शुक्र के लिये इज्तिमाअ़ करें, खाना खिलाएं और इसी त़रह़ की दीगर नेकियां और इज़्हारे मसर्रतो सुरूर बजा लाएं ।(3)

अमीरे अहले सुन्नत, हज़रत अ़ल्लामा मौलाना अबू बिलाल मुह़म्मद इल्यास अ़त्तार क़ादिरी دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه के रिसाले सुब्हे़ बहारां से ख़ुलासतन मुन्तख़ब मदनी फूल मुलाह़ज़ा कीजिये : ﴿1﴾ ☞ हमारे प्यारे प्यारे आक़ा صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم पीर शरीफ़ को रोज़ा रख कर अपना यौमे विलादत मनाते रहे। आप भी यादे मुस्त़फ़ा में 12 रबीउ़ल अव्वल शरीफ़ को रोज़ा रख लीजिये। ﴿2﴾ ☞ ग्यारह की शाम को वरना 12वीं शब को ग़ुस्ल कीजिये। हो सके तो इस ईदों की ईद की ता'ज़ीम की निय्यत से ज़रूरत की तमाम चीज़ें नई ख़रीद लीजिये। ﴿3﴾ ☞ जश्ने विलादत की ख़ुशी में कोई भी ऐसा काम मत कीजिये जिस से हु़क़ूक़ुल इ़बाद पामाल हों। ﴿4﴾ ☞ तमाम इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें जश्ने विलादत की ख़ुशी में सुन्नतों के मुत़ाबिक़ ज़िन्दगी गुज़ारने की निय्यत कर लीजिये। ﴿5﴾ ☞ जश्ने विलादत की ख़ुशी में मस्जिदों, घरों और दुकानों पर सब्ज़ सब्ज़ परचम लहराइये, ख़ूब चराग़ां कीजिये लेकिन बिजली फ़राहम करने वाले इदारे से राबित़ा कर के जाइज़ ज़राएअ़ से चराग़ां करने की तरकीब बनाइये। ﴿6﴾ ☞ जुलूस में ह़त्तल इम्कान बा वुज़ू रहिये और नमाज़े बा जमाअ़त की पाबन्दी का ख़याल रखिये ।(4)

सबक़ नम्बर 17

बिद्अ़त

बिद्अ़त से मुराद हर वोह नया काम है जो सरकार صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के मुबारक दौर में न था बा'द में किसी ने उस को शुरूअ़ किया, अब अगर येह काम शरीअ़त से टकराता है तो इस बिद्अ़त को

1 ... سبل الھدی والرشاد، الباب الثالث عشر فی اقوال العلماء... الخ، 1/363

2 ... الحاوی للفتاوی، حسن المقصد فی عمل المولد، 1/222

3 ... الحاوی للفتاوی، حسن المقصد فی عمل المولد، 1/230

4... मज़ीद मा'लूमात के लिये अमीरे अहले सुन्नत हज़रत अ़ल्लामा मौलाना मुह़म्मद इल्यास अ़त्तार क़ादिरी دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه के रिसाले "सुब्हे़ बहारां" का मुत़ालआ़ कीजिये ।

बिद्अ़ते सय्यिआ या'नी बुरी बिद्अ़त कहते हैं, इसी के बारे में सरकार صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया कि येह मरदूद है और वोह नया काम जो कुरआनो सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं है उस को बिद्अ़ते मुबाह़ा या ह़सना या'नी अच्छी बिद्अ़त कहते हैं या'नी हुक्म के ए'तिबार से मुबाह़ है तो मुबाह़ा और मुस्तह़सन है तो ह़सना बल्कि बा'ज़ बिद्आ़ते ह़सना तो वाजिबा भी होती हैं।

सुवाल अच्छी बिद्अ़त पर अ़मल करना कैसा ?

जवाब अच्छी बिद्अ़त को बिद्अ़ते ह़सना कहा जाता है इस पर अ़मल करना कभी वाजिब, कभी मुस्तह़ब होता है और अच्छा त़रीक़ा जारी करने वाला अज्रो सवाब का ह़क़दार है जैसा कि ह़दीसे मुबारका में है : "जो कोई इस्लाम में अच्छा त़रीक़ा जारी करे उस को उस का सवाब मिलेगा और उस का भी जो उस पर अ़मल करेंगे और उन के सवाब में भी कमी न होगी और जो शख़्स इस्लाम में बुरा त़रीक़ा जारी करे उस पर उस का गुनाह होगा और उन का भी जो उस पर अ़मल करें और उन के गुनाह में भी कुछ कमी न आएगी।"[1]

सुवाल अच्छी बिद्अ़त या'नी बिद्अ़ते ह़सना पर कोई वाक़िआ़ भी इर्शाद फ़रमा दें।

जवाब ह़ज़रते सय्यिदुना उ़मरे फ़ारूक़ رَضِیَ اللہُ عَنْہ के ज़माने तक मुसल्मान तन्हा अकेले अकेले नमाज़े तरावीह़ पढ़ा करते थे, ह़ज़रत उ़मरे फ़ारूक़ رَضِیَ اللہُ عَنْہ मस्जिद के पास से गुज़रे और उन को तन्हा तरावीह़ पढ़ते देखा तो सब को एक जगह जम्अ़ किया और तरावीह़ की जमाअ़त शुरूअ़ करवाई और ह़ज़रते उबय बिन का'ब رَضِیَ اللہُ عَنْہ को उन का इमाम मुक़र्रर किया और फिर येह अल्फ़ाज़ इर्शाद फ़रमाए : نِعْمَتِ الْبِدْعَۃُ ھٰذِہٖ या'नी येह क्या ही अच्छी बिद्अ़त है।[2]

सुवाल बिद्अ़त की कितनी अक़्साम हैं ?

जवाब बिद्अ़त की तीन क़िस्में हैं : (1) बिद्अ़ते ह़सना (2) बिद्अ़ते सय्यिआ (3) बिद्अ़ते मुबाह़ा।

बिद्अ़ते ह़सना

वोह बिद्अ़त है जो कुरआनो ह़दीस के उसूलो क़वाइद के मुत़ाबिक़ हो और शरीअ़त की निगाह में उस पर अ़मल करना ज़रूरी हो या बेहतर, इस की दो क़िस्में हैं :

1 ... مسلم، کتاب الزکاۃ، باب الحث علی الصدقۃ۔۔۔ الخ، ص394، الحدیث:2351
2 ... مشکاۃ، کتاب الصلاۃ، باب قیام شھر رمضان، 1/254، حدیث:1301، ملخصا

(1) बिद्अ़ते वाजिबा जैसे : क़ुरआन व ह़दीस समझने के लिये इल्मे नह़्व का सीखना और गुमराह फ़िर्क़ों पर रद के लिये दलाइल क़ाइम करना।

(2) बिद्अ़ते मुस्तह़ब्बा जैसे : मद्रसों की ता'मीर और हर वोह नेक काम जिस का रवाज इब्तिदाई ज़माने में नहीं था जैसे मह़फ़िले मीलाद शरीफ़ वग़ैरा।

बिद्अ़ते सय्यिआ

वोह बिद्अ़त है जो क़ुरआनो ह़दीस के उसूलो क़वाइद के मुख़ालिफ़ हो, इस की भी दो क़िस्में हैं :

(1) बिद्अ़ते मुह़र्रमा, जैसे बुरे अ़क़ाइद।

(2) बिद्अ़ते मक्रूहा, जैसे गुनाहों के नित नए अन्दाज़।

बिद्अ़ते मुबाह़ा

वोह बिद्अ़त है जो हुज़ूर عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام के ज़ाहिरी ज़माने में न हो और हुक्मे शरीअ़त के ख़िलाफ़ न हो और करने वाला सवाब का ह़क़दार भी न हो जैसे उ़म्दा उ़म्दा खाने वग़ैरा।

सुवाल कुछ ऐसे मुआ़मलात की मिसालें बयान फ़रमा दें जो अ़हदे रिसालत में न थीं और मुसल्मानों ने बा'द में ईजाद कीं और उस को अच्छा भी समझते हैं।

जवाब इस की चन्द मिसालें मुलाह़ज़ा फ़रमाएं :

(1) ह़ज़रते उ़मर رَضِیَ اللہُ عَنْہ ने तरावीह़ की जमाअ़त शुरूअ़ करवाई लेकिन हुज़ूर صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم और ह़ज़रते अबू बक्र رَضِیَ اللہُ عَنْہ के मुबारक ज़माने में ऐसा नहीं हुवा था।

(2) क़ुरआने पाक के ऊपर नुक़्ते व ए'राब ह़ज्जाज बिन यूसुफ़ के दौर में लगे हैं चारों सह़ाबा عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ने येह काम नहीं किया जो इस ने करवाया और इस पर किसी आ़लिम ने इन्कार भी नहीं किया, उ़लमाए ह़क़ की इजाज़तो तह़सीन की बिना पर येह अ़मल भी मुस्तह़सन है।

(3) मस्जिद में इमाम के खड़े होने के लिये मेह़राब बनाना वलीद मरवानी के दौर में सय्यिदुना उ़मर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه ने ईजाद किया था।

(4) छे कलिमे, इस त़रह़ हुज़ूर صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के मुक़द्दस दौर में मुरत्तब न थे। लेकिन इन कामों को कोई गुनाह नहीं कहता और न ही कोई मन्अ़ करता है आख़िर क्यूं ?
इस की वज्ह येह है कि मुमानअ़त की दलील मौजूद नहीं है अगर्चे हुज़ूर صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم या सह़ाबए किराम عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان के ज़माने में बा'ज़ काम नहीं हुए मगर चूंकि आप صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم और सह़ाबए किराम عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ने इन से मन्अ़ भी तो नहीं फ़रमाया है, लिहाज़ा येह काम करना जाइज़ है।

सबक़ नम्बर 18 तक़्लीद की ज़रूरत व अहम्मिय्यत

तक़्लीद के लुग़वी मा'ना गले में हार या कोई चीज़ डालना, या किसी की पैरवी करने के हैं।[(1)]
उ़लमाए उसूल ने तक़्लीद की ह़क़ीक़त बयान करते हुए इस की कई ता'रीफ़ात ज़िक्र की हैं, उन में से बा'ज़ उ़लमाए उसूल का येह क़ौल है कि किसी कहने वाले की बात दलील जाने बिग़ैर क़बूल करना तक़्लीद कहलाता है।[(2)]

अह़काम की अक़्साम

अह़काम की दो क़िस्में हैं : (1) एक अ़क़्ली (2) और दूसरी शर्ई
अह़कामे अ़क़्लिया : अ़क़्ली अह़काम में तक़्लीद जाइज़ नहीं, जैसे सानेए़ आ़लम (ख़ालिक़े काएनात) और उस की सिफ़ात की मा'रिफ़त, इसी त़रह़ **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم और हुज़ूर صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के सच्चे होने की मा'रिफ़त वग़ैरा।[(3)]

अह़कामे शर्इय्या और इस की क़िस्में

अह़कामे शर्इय्या की दो क़िस्में हैं : (1) पहली क़िस्म : ज़रूरिय्याते दीन, जैसे पांच नमाज़ें, रोज़ा, ह़ज, ज़कात, इसी त़रह़ ज़िना और शराब की हु़र्मत वग़ैरा के अह़काम। लिहाज़ा इन अह़काम में तक़्लीद जाइज़ नहीं क्यूं कि इन के जानने में सारे लोग बराबर हैं इस लिये इन अह़काम में तक़्लीद की कोई ज़रूरत नहीं।

1 ... القاموس المحيط، باب الدال، فصل القاف، 1/452–غياث اللغات، باب التاء مع الدال، فصل تاۓ فوقانی مع قاف، 1/161
2 ... مسلّم الثبوت مع فواتح الرحموت، خاتمة، فصل التقليد، 2/432
3 ... الفقيه والمتفقه، باب الكلام في التقليد وما يسوغ منه، 2/128

(2) दूसरी क़िस्म : दीन के वोह अह्काम जिन्हें नज़र व इस्तिद्लाल के बिग़ैर नहीं जाना जा सकता, जैसे इबादात, मुआमलात और निकाह़ वग़ैरा के फ़ुरूई मसाइल में इज्तिहाद की ज़रूरत होती है, लिहाज़ा इन मसाइल में तक़्लीद की जाती है।[1]

सुवाल तक़्लीद की ह़क़ीक़त और इस के ज़रूरी होने पर क़ुरआने करीम से दलाइल बयान कर दीजिये।

जवाब क़ुरआने पाक में **अल्लाह** करीम इर्शाद फ़रमाता है :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ اُولِي الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ (پ5،النساء:59)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : ऐ ईमान वालो हुक्म मानो **अल्लाह** का और हुक्म मानो रसूल का और उन का जो तुम में हुकूमत वाले हैं।

एक और मक़ाम पर इर्शाद फ़रमाता है :

فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآىِٕفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ وَ لِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْۤا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ۠ ﴿۱۲۲﴾ (پ11،التوبۃ:122)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : तो क्यूं न हुवा कि उन के हर गुरोह में से एक जमाअ़त निकले कि दीन की समझ ह़ासिल करें और वापस आ कर अपनी क़ौम को डर सुनाएं इस उम्मीद पर कि वोह बचें।

अह़ादीसे मुबारका से दलाइल

ह़ज़रते सय्यिदुना जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ से रिवायत है कि हम एक सफ़र में थे कि एक साथी के सर में पथ्थर आ कर लगा, जिस से उस का सर शदीद ज़ख़्मी हो गया, फिर उसे इसी ह़ालत में एह़तिलाम भी हुवा, उस ने दीगर साथियों से पूछा कि क्या मेरे लिये शरीअ़त में तयम्मुम की इजाज़त है ? उन्हों ने कहा कि हमारी मा'लूमात के मुत़ाबिक़ आप तयम्मुम नहीं कर सकते क्यूं कि पानी मौजूद है, सो उस ने ग़ुस्ल किया जिस के बाइ़स वोह वफ़ात पा गया, जब हम ने नबिय्ये करीम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم की बारगाह में ह़ाज़िर हो कर इस बात का ज़िक्र किया तो आप صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : **अल्लाह** उन्हें मारे जिन्हों ने उसे मार डाला ! जब उन्हें मा'लूम नहीं था तो अहले इ़ल्म से मस्अला क्यूं नहीं पूछ लिया कि मरज़े जह्ल का इलाज पूछने में है।[2]

1 ... الفقیہ والمتفقہ، باب الکلام فی التقلید وما یسوغ منہ، 132/2

2 ... ابوداود، کتاب الطہارۃ، باب فی المجروح یتیمم، 154/1، حدیث:336

हज़रते सय्यिदुना हुज़ैफ़ा رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ से रिवायत है, **रसूलुल्लाह** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : [1] اِقْتَدُوْا بِاللَّذَیْنِ مِنْ بَعْدِیْ اَبِیْ بَکْرٍ وَّ عُمَرَ मेरे बा'द अबू बक्र व उ़मर होंगे, इन की पैरवी करना।

तक़्लीद अक़्वाले आइम्मा की रोशनी में

अ़ल्लामा अबुल अ़ब्बास शिहाबुद्दीन क़राफ़ी رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ फ़रमाते हैं कि आ़म आदमी पर मो'तबर मुज्तहिद की तक़्लीद वाजिब है।[2]

अ़ल्लामा इब्ने नुजैम मिस्री رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ फ़रमाते हैं कि इस बात पर उम्मत का इज्माअ़ मुन्अ़क़िद हो चुका है कि जो हुक्म चारों आइम्मा के मज़ाहिब के ख़िलाफ़ हो उस पर अ़मल न किया जाए।[3]

शाह वलिय्युल्लाह मुहद्दिस देहलवी رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ फ़रमाते हैं कि मज़ाहिबे हक़ सिर्फ़ चार बाक़ी रह गए हैं, लिहाज़ा अब इन का इत्तिबाअ़ सवादे आ'ज़म का इत्तिबाअ़ है, और इन से इख़्तिलाफ़ सवादे आ'ज़म से इख़्तिलाफ़ है।[4]

सुवाल चारों आइम्मा में से किसी एक की तक़्लीद क्यूं वाजिब है, जब चारों हक़ पर हैं तो चारों की तक़्लीद की इजाज़त होनी चाहिये, जब चाहें जिस इमाम की तक़्लीद करें ?

जवाब बिला शुबा चारों इमाम (इमाम अबू ह़नीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई, और इमाम अह़मद बिन ह़म्बल رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمْ اَجْمَعِیْن) ह़क़ पर हैं लेकिन इन में से किसी एक इमाम की पैरवी इस लिये ज़रूरी है कि अगर ऐसा न हो तो हर शख़्स अपने नफ़्स की पैरवी करेगा और जब दिल चाहेगा जिस इमाम का मस्अला आसान और नफ़्स की ख़्वाहिश के मुत़ाबिक़ उसे मह़सूस होगा उस पर अ़मल कर लेगा और येह शरीअ़ते मुत़हहरा का मज़ाक़ उड़ाना है क्यूं कि बहुत से मसाइल ऐसे हैं कि बा'ज़ आइम्मा के नज़्दीक ह़लाल और वोही मसाइल बा'ज़ आइम्मा के नज़्दीक ह़राम हैं और येह नफ़्स का पैरौकार सुब्ह़ एक इमाम की पैरवी करते हुए एक मस्अले को ह़राम समझ कर इस लिये अ़मल न करेगा कि इस में उस के नफ़्स का मफ़ाद नहीं है और जब शाम को बल्कि उसी लम्ह़े उस में अपना मफ़ाद नज़र आएगा तो दूसरे इमाम का मज़्हब इख़्तियार करते हुए उसी मस्अले को अपने लिये ह़लाल कर लेगा और इस त़रह़ फ़क़त़ ख़्वाहिशे नफ़्स की बुन्याद पर अह़कामे शरइय्या को खेल बना कर पामाल करता फिरेगा इस लिये इन्सान को ख़्वाहिशे नफ़्स पर अ़मल करने के बजाए दीन व शरीअ़त पर अ़मल करने के लिये

1 ...ترمذی، ابواب المناقب، باب فی مناقب أبی بکر و عمر کلیهما، 5/374، حدیث:3672
2 ...شرح تنقیح الفصول، الباب السادس عشر، الفصل العاشر، ص295
3 ...الاشباہ والنظائر، القاعدۃ الاولی، ص164
4 ...عقد الجید فی أحکام الاجتہاد والتقلید، المقدمۃ، ص41

किसी एक इमाम मुज्तहिद का मुक़ल्लिद होना ज़रूरी है वरना वोह फ़लाह़ व हिदायत हरगिज़ न पा सकेगा।

इस को एक दुन्यावी मिसाल से यूं समझें कि अगर किसी मन्ज़िल पर पहुंचने के मुख़्तलिफ़ रास्ते हों तो मन्ज़िल पर वोही शख़्स पहुंचेगा जो उन में से किसी एक को इख़्तियार करे और जो कभी एक रास्ते पर चले, कभी दूसरे रास्ते पर, फिर तीसरे पर फिर चौथे पर तो ऐसा शख़्स रास्ता ही नापता रह जाएगा कभी मन्ज़िल तक नहीं पहुंच सकेगा येही ह़ाल उस शख़्स का होगा जो किसी एक इमाम की तक़्लीद का दामन न थाम ले बल्कि किसी मस्अले में कभी किसी इमाम की पैरवी करे और कभी दूसरे की, फिर तीसरे की फिर चौथे की तो वोह मन्ज़िले आख़िरत जो कि जन्नत है उस तक नहीं पहुंच सकेगा बल्कि ख़्वाहिशे नफ़्स की ख़ातिर रास्ता ही नापता रह जाएगा और राहे मन्ज़िल से गुम हो कर गुमराही व अंधेरे में जा पड़ेगा।

सुवाल अगर तक़्लीद ज़रूरी है तो सह़ाबए किराम رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُم के ज़माने में तक़्लीद क्यूं नहीं हुई ?

जवाब सह़ाबए किराम رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُم हुज़ूर صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم की ज़ाहिरी ज़िन्दगी में दरपेश मसाइल से मुतअ़ल्लिक़ नबिय्ये करीम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم से उस का हुक्म पूछ लिया करते थे और बसा अवक़ात जब आप صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم से सुवाल करना मुम्किन न होता तो सह़ाबए किराम رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُم इज्तिहाद कर के हुक्मे शरई पर अ़मल फ़रमाते थे। इज्तिहाद की अस्ल मश्हूर ह़दीस शरीफ़ है कि ह़ज़रते मुआ़ज़ बिन जबल رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ से मरवी है कि **रसूलुल्लाह** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने जब उन्हें यमन भेजा तो फ़रमाया : जब तुम्हें कोई मस्अला दरपेश हो तो किस त़रह़ फ़ैसले करोगे ? अ़र्ज़ किया : **अल्लाह** की किताब से फ़ैसला करूंगा। फ़रमाया : अगर तुम **अल्लाह** की किताब में न पाओ ? अ़र्ज़ किया : तो **रसूलुल्लाह** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم की सुन्नत से फ़ैसला करूंगा। फ़रमाया : अगर तुम **रसूलुल्लाह** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم की सुन्नत में भी न पाओ ? अ़र्ज़ किया : अपनी राय से क़ियास करूंगा और कोताही न करूंगा। फ़रमाते हैं : तब **रसूलुल्लाह** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने उन के सीने पर हाथ मारा (थपकी दी) और फ़रमाया : शुक्र है उस का जिस ने **रसूलुल्लाह** के रसूल (क़ासिद) को उस की तौफ़ीक़ दी जिस से **रसूलुल्लाह** राज़ी हैं।[1]

मज़ीद मुफ़्ती अह़मद यार ख़ान नईमी رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ इर्शाद फ़रमाते हैं : सह़ाबए किराम को किसी की तक़्लीद की ज़रूरत न थी वोह तो हुज़ूर عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام की सोह़बत की बरकत से तमाम मुसल्मानों

1 ...مشکاۃ، کتاب الامارۃ والقضاء، باب العمل فی القضاء... الخ، 2/14، حدیث:3737

के इमाम और पेश्वा हैं कि आइम्मए दीन इमामे आ'ज़म अबू ह़नीफ़ा व शाफ़ेई वग़ैरा वग़ैरा رَضِیَ اللہُ عَنۡھُم इन की पैरवी करते हैं।

मिश्कात, बाब फ़ज़ाइलुस्सह़ाबा में है : ''اَصۡحَابِیۡ کَالنُّجُوۡمِ فَبِاَیِّھِمۡ اِقۡتَدَیۡتُمۡ اِھۡتَدَیۡتُمۡ'' या'नी मेरे सह़ाबा सितारों की त़रह़ हैं तुम जिन की पैरवी करोगे हिदायत पा लोगे।[1] ''عَلَیۡکُمۡ بِسُنَّتِیۡ وَسُنَّۃِ الۡخُلَفَاءِ الرَّاشِدِیۡنَ'' तुम लाज़िम पकड़ो मेरी और मेरे ख़ुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत।[2]

येह सुवाल तो ऐसा है जैसे कोई कहे हम किसी के उम्मती नहीं, क्यूं कि हमारे नबी عَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام किसी के उम्मती न थे तो उम्मती न होना सुन्नते **रसूलुल्लाह** है, उस से येह ही कहा जाएगा कि हुज़ूर عَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام तो ख़ुद नबी हैं, सब आप की उम्मत हैं, वोह किस के उम्मती होते, हम को उम्मती होना ज़रूरी है ऐसे ही सह़ाबए किराम رَضِیَ اللہُ عَنۡھُم तमाम के इमाम हैं इन का कौन मुसल्मान इमाम होता। नह्‌र से पानी उस खेत को दिया जावेगा जो दरिया से दूर हो, मुकब्बिरीन की आवाज़ पर वोही नमाज़ पढ़ेगा जो इमाम से दूर हो, लबे दरिया के खेतों को नह्‌र की ज़रूरत नहीं, सफ़े अव्वल के मुक़्तदियों को मुकब्बिरीन की ज़रूरत नहीं, सह़ाबए किराम رَضِیَ اللہُ عَنۡھُم सफ़े अव्वल के मुक़्तदी हैं वोह बिला वासित़ा सीनए पाके मुस्त़फ़ा عَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام से फ़ैज़ लेने वाले हैं, हम चूंकि उस बह़्‌र से दूर हैं लिहाज़ा किसी नह्‌र के ह़ाजत मन्द हैं, फिर समुन्दर से हज़ारहा दरिया जारी होते हैं जिन सब में पानी तो समुन्दर ही का है मगर उन सब के नाम और रास्ते जुदा हैं कोई गंगा कहलाता है कोई जमना, ऐसे ही हुज़ूर عَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام आबे रह़मत के समुन्दर हैं, इस सीने में से जो नह्‌र इमाम अबू ह़नीफ़ा رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ के सीने से होती हुई आई उसे ह़नफ़ी कहा गया जो इमाम मालिक رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ के सीने से आई वोह मज़्हबे मालिकी कहलाया, पानी सब का एक है मगर नाम जुदागाना और इन नहरों की हमें ज़रूरत पड़ी न कि सह़ाबए किराम رَضِیَ اللہُ عَنۡھُم को जैसे ह़दीस की अस्नाद हमारे लिये है सह़ाबए किराम رَضِیَ اللہُ عَنۡھُم के लिये नहीं।[3]

सुवाल चारों आइम्मा के इ़लावा किसी और इमाम की तक़्लीद अब क्यूं नहीं हो सकती ?

जवाब चारों आइम्मा में से किसी एक इमाम का मुक़ल्लिद होना ज़रूरी है, क्यूं कि अब ह़क़ इन्हीं चारों में मुन्ह़सिर है, क्यूं कि इन आइम्मए अर्बआ़ के अक़्वाल ही सह़ीह़ अस्नाद के साथ मरवी हैं और सिर्फ़ इन के मज़ाहिब ही मुनक़्क़ह़ हैं जब कि सलफ़ में आइम्मए अर्बआ़ के इ़लावा दीगर मुज्तहिदीन के अक़्वाल न तो अस्नादे सह़ीह़ के साथ मरवी हैं न कुतुबे मश्हूरा में जम्इय्यत के साथ मुदव्वन हैं कि

---

1 ... مشکاۃ، کتاب المناقب، باب مناقب الصحابۃ، 2/414، حدیث:6018

2 ... مشکاۃ، کتاب الایمان، باب الاعتصام بالکتاب والسنۃ، 1/53، حدیث:165

3 ... जाअल ह़क़, ह़िस्सए अव्वल, स. 31

उन पर ए'तिमाद सह़ीह़ हो और न ही उन के मज़ाहिब मुनक़्क़ह़ हैं इसी वज्ह से सिर्फ़ आइम्मए अर्बअ़ा ही के मज़ाहिब लाइके़ ए'तिमाद व क़ाबिले अ़मल हैं।

जैसा कि अ़ल्लामा सय्यिद अह़मद मिस्री त़ह़त़ावी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه लिखते हैं :

هٰذِهِ الطَّائِفَةُ النَّاجِيَةُ، قَدِ اجْتَمَعَتِ الْيَوْمَ فِيْ مَذَاهِبِ اَرْبَعَةٍ وَهُمُ الْحَنَفِيُّوْنَ وَالْمَالِكِيُّوْنَ وَالشَّافِعِيُّوْنَ وَالْحَنْبَلِيُّوْنَ رَحِمَهُمُ اللهُ وَمَنْ كَانَ خَارِجًا عَنْ هٰذِهِ الْاَرْبَعَةِ فِيْ هٰذَا الزَّمَانِ فَهُوَ مِنْ اَهْلِ الْبِدْعَةِ وَالنَّارِ"

या'नी अहले सुन्नत का गुरौहे नाजी अब चार मज़हब में मुज्तमअ़ है वोह ह़नफ़ी, मालिकी, शाफ़ेई और ह़म्बली हैं, इन सब पर **अल्लाह** पाक की रह़मत हो, आज के दौर में जो इन चार मज़ाहिब से ख़ारिज हो बिद्अ़ती और जहन्नमी है।(1)

सबक़ नम्बर 19 पीरी मुरीदी की शरई ह़ैसिय्यत

सुवाल बैअ़त लेना और बैअ़त करना कैसा है ? नीज़ पीरी मुरीदी की शरई ह़ैसिय्यत भी बयान फ़रमा दीजिये।

जवाब बैअ़त का लुग़वी मा'ना बिक जाना और इस्तिलाहे़ शर्अ़ व तसव्वुफ़ में इस की मुतअ़द्दद सूरतें हैं जिन में एक येह है कि किसी पीरे कामिल के हाथों में हाथ दे कर गुज़श्ता गुनाहों से तौबा करने, आइन्दा गुनाहों से बचते हुए नेक आ'माल का इरादा करने और इसे **अल्लाह** करीम की मा'रिफ़त का ज़रीआ़ बनाने का नाम बैअ़त है। येह सुन्नत है, आज कल के उ़र्फ़े आ़म में इसे "पीरी मुरीदी" कहा जाता है। बैअ़त का सुबूत कुरआने करीम में मौजूद है चुनान्चे पारह 15 सूरए बनी इसराईल की आयत नम्बर 71 में ख़ुदाए पाक का फ़रमाने आ़लीशान है :

يَوْمَ نَدْعُوْا كُلَّ اُنَاسٍۭ بِاِمَامِهِمْ ۚ
(پ15، بنی اسرائیل:71)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : जिस दिन हम हर जमाअ़त को उस के इमाम के साथ बुलाएंगे।

इस आयते मुबारका के तह़्त मश्हूर मुफ़स्सिर ह़कीमुल उम्मत मुफ़्ती अह़मद यार ख़ान رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : इस से मा'लूम हुवा कि दुन्या में किसी सालेह़ (नेक) को अपना इमाम बना लेना चाहिये शरीअ़त में "तक़्लीद" कर के और त़रीक़त में "बैअ़त" कर के ताकि ह़श्र अच्छों के साथ हो। अगर सालेह़ (नेक) इमाम न होगा तो उस का इमाम शैत़ान होगा। इस आयत में तक़्लीद, बैअ़त

1 ... حاشیۃ الطحطاوی علی الدر المختار، کتاب الذبائح، 4/153

और मुरीदी सब का सुबूत है।(1)

आ'ला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ फ़रमाते हैं : बैअ़त बेशक सुन्नते महबूबा (पसन्दीदा सुन्नत) है, इमामे अजल, शैख़ुश्शुयूख़ शिहाबुल हक़्क़े वद्दीन उ़मर رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ की अ़वारिफ़ शरीफ़ से शाह वलिय्युल्लाह देहलवी की "क़ौलुल जमील" तक इस की तस्रीह़ और अइम्मा व अकाबिर का इस पर अ़मल है और रब्बे करीम फ़रमाता है :

اِنَّ الَّذِیْنَ یُبَایِعُوْنَكَ اِنَّمَا یُبَایِعُوْنَ اللّٰهَؕ یَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَیْدِیْهِمْۚ (پ26،الفتح:10)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : वोह जो तुम्हारी बैअ़त करते हैं वोह तो **अल्लाह** ही से बैअ़त करते हैं उन के हाथों पर **अल्लाह** का हाथ है।

और फ़रमाता है :

لَقَدْ رَضِیَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِیْنَ اِذْ یُبَایِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ (پ26،الفتح:18)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : बेशक **अल्लाह** राज़ी हुवा ईमान वालों से जब वोह उस पेड़ के नीचे तुम्हारी बैअ़त करते थे।

और बैअ़त को ख़ास ब जिहाद समझना जहालत है, **अल्लाह** करीम फ़रमाता है :

یٰۤاَیُّهَا النَّبِیُّ اِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ یُبَایِعْنَكَ عَلٰۤى اَنْ لَّا یُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَیْــٴًـا وَّ لَا یَسْرِقْنَ وَ لَا یَزْنِیْنَ وَ لَا یَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ وَ لَا یَاْتِیْنَ بِبُهْتَانٍ یَّفْتَرِیْنَهٗ بَیْنَ اَیْدِیْهِنَّ وَ اَرْجُلِهِنَّ وَ لَا یَعْصِیْنَكَ فِیْ مَعْرُوْفٍ فَبَایِعْهُنَّ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ۝۱۲ (پ28،الممتحنۃ:12)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : ऐ नबी जब तुम्हारे हुज़ूर मुसल्मान औ़रतें हाज़िर हों इस पर बैअ़त करने को कि **अल्लाह** का शरीक कुछ न ठहराएंगी और न चोरी करेंगी और न बदकारी और न अपनी औलाद को क़त्ल करेंगी और न वोह बोहतान लाएंगी जिसे अपने हाथों और पाउं के दरमियान या'नी मौज़ए विलादत में उठाएं और किसी नेक बात में तुम्हारी ना फ़रमानी न करेंगी तो उन से बैअ़त लो और **अल्लाह** से उन की मग़्फ़िरत चाहो बेशक **अल्लाह** बख़्शने वाला मेहरबान है।(2)

1... नूरुल इरफ़ान, पारह : 15, बनी इसराईल, तह़्तल आयह : 71

2... फ़तावा रज़विय्या, 26/586

अह़ादीसे मुबारका में बैअ़त का ज़िक्र

सुवाल क्या अह़ादीसे मुबारका में भी बैअ़त का ज़िक्र आया है ?

जवाब जी हां ! अह़ादीसे मुबारका में भी बैअ़त का ज़िक्र आया है और येह बैअ़त मुख़्तलिफ़ चीज़ों मसलन कभी तक़्वा व इत़ाअ़त पर, कभी लोगों की ख़ैर ख़्वाही और कभी ग़ैरे मा'सियत (या'नी गुनाह के इलावा) वाले कामों में अमीर की इत़ाअ़त वग़ैरा पर हुवा करती थी। इस के इलावा दीगर कामों पर भी सह़ाबए किराम عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان का हुज़ूर सय्यिदे आ़लम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم से बैअ़त होना साबित है चुनान्चे ह़ज़रते सय्यिदुना उ़बादा बिन सामित رَضِیَ اللهُ عَنْه फ़रमाते हैं : हम ने **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم से मुश्किल और आसानी में, ख़ुशी और नाख़ुशी में ख़ुद पर तरजीह़ दिये जाने की सूरत में, सुनने और इत़ाअ़त करने पर बैअ़त की और इस पर बैअ़त की, कि हम किसी से उस के इक़्तिदार के ख़िलाफ़ जंग नहीं करेंगे और हम जहां भी हों ह़क़ के सिवा कुछ न कहेंगे और **अल्लाह** करीम के बारे में मलामत करने वाले की मलामत से नहीं डरेंगे।(1)

ह़ज़रते सय्यिदुना उ़बादा बिन सामित رَضِیَ اللهُ عَنْه बयान करते हैं कि हम **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के साथ एक मजलिस में थे, आप صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : तुम लोग मुझ से इस पर बैअ़त करो कि तुम **अल्लाह** के साथ किसी को शरीक नहीं करोगे और ज़िना नहीं करोगे और चोरी नहीं करोगे और जिस शख़्स को **अल्लाह** पाक ने क़त्ल करना ह़राम कर दिया है उसे बे गुनाह क़त्ल नहीं करोगे, तुम में से जिस शख़्स ने इस अ़ह्द को पूरा किया उस का अज्र **अल्लाह** करीम पर है और जिस ने इन मुह़र्रमात में से किसी का इरतिकाब किया और उस को सज़ा दी गई वोह उस का कफ़्फ़ारा है और जिस ने इन में से किसी ह़राम को किया और **अल्लाह** करीम ने उस का पर्दा रखा तो उस का मुआ़मला **अल्लाह** के सिपुर्द है अगर वोह चाहे तो उसे मुआ़फ़ कर दे और अगर चाहे तो उसे अ़ज़ाब दे।(2)

इमाम फ़ख़रुद्दीन राज़ी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه तफ़्सीरे कबीर में नक़्ल फ़रमाते हैं : जब मक्कए मुकर्रमा زَادَهَا اللّٰه شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا में लैलतुल अ़क़बा को 70 सह़ाबए किराम عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ने **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم से बैअ़त की तो ह़ज़रते सय्यिदुना अ़ब्दुल्लाह बिन रवाह़ा رَضِیَ اللهُ عَنْه ने अ़र्ज़ की : **या रसूलल्लाह** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ! आप अपने रब्बे करीम के लिये और अपनी ज़ात के लिये जो शर्त़ चाहें मनवा लें।

1 ... مسلم، کتاب الامارۃ، باب وجوب طاعۃ الامراء... الخ، ص790، حدیث:4771

2 ... مسلم، کتاب الحدود، باب الحدود کفارات لاھلہا... الخ، ص725، حدیث:4461

रसूलुल्लाह صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : तेरे रब्बे करीम के लिये येह शर्त़ है कि तुम उस की इ़बादत करो और उस के साथ किसी को शरीक न ठहराओ और मेरे लिये येह शर्त़ है कि तुम अपनी जानों और मालों को जिन चीज़ों से बाज़ रखते हो उन से मुझ को भी बाज़ रखना (या'नी जिस त़रह़ अपनी जानों और मालों की ह़िफ़ाज़त करते हो इसी त़रह़ मेरी ह़िफ़ाज़त करना) तो सह़ाबए किराम عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ने अ़र्ज़ की : **या रसूलल्लाह** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ! जब हम ऐसा कर लेंगे तो हमें क्या सिला मिलेगा ? तो **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : "जन्नत।" सह़ाबए किराम عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ने अ़र्ज़ की : येह तो नफ़्अ़ मन्द बैअ़त है, हम इस बैअ़त को न तोड़ेंगे और न ही तोड़ने का मुत़ालबा करेंगे। इस मौक़अ़ पर येह आयते करीमा नाज़िल हुई, **अल्लाह** करीम इर्शाद फ़रमाता है :

﴿اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ﴾(پ11، التوبۃ:111) **तरजमए कन्ज़ुल ईमान :** बेशक **अल्लाह** ने मुसल्मानों से उन के माल और जान ख़रीद लिये हैं इस बदले पर कि उन के लिये जन्नत है।[1]

बैअ़त होने के फ़वाइदो बरकात

सुवाल बैअ़त होने से क्या क्या फ़वाइदो बरकात ह़ासिल होते हैं ?

जवाब किसी पीरे कामिल के हाथ में हाथ दे कर बैअ़त होने से पीरे कामिल से निस्बत ह़ासिल हो जाती है जिस की बदौलत बात़िन की इस्लाह़ के साथ साथ नेकियों से मह़ब्बत और गुनाहों से नफ़रत का जज़्बा बेदार होता है। पीरे कामिल की सोह़बत और इस के फ़वाइद बयान करते हुए ह़ज़रते सय्यिदुना फ़क़ीह अ़ब्दुल वाह़िद बिन आ़शिर رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : आ़रिफ़े कामिल की सोह़बत इख़्तियार करो। वोह तुम्हें हलाकत के रास्ते से बचाएगा। उस का देखना तुम्हें **अल्लाह** पाक की याद दिलाएगा और वोह बड़े नफ़ीस त़रीक़े से नफ़्स का मुह़ासबा कराते हुए और "ख़त़राते क़ल्ब" (या'नी दिल में पैदा होने वाले शैत़ानी वसाविस) से मह़फ़ूज़ फ़रमाते हुए तुम्हें **अल्लाह** पाक से मिला देगा। उस की सोह़बत के सबब तुम्हारे फ़राइज़ व नवाफ़िल मह़फ़ूज़ हो जाएंगे। "तस्फ़ियए क़ल्ब" (या'नी दिल की सफ़ाई) के साथ "ज़िक्रे कसीर" की दौलत मुयस्सर आएगी और वोह **अल्लाह** पाक से मुतअ़ल्लिक़ा सारे उमूर में तुम्हारी मदद फ़रमाएगा।[2]

आ'ला ह़ज़रत इमाम अह़मद रज़ा ख़ान رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه की बारगाह में सुवाल हुवा कि "मुरीद होना वाजिब है या सुन्नत ? नीज़ मुरीद क्यूं हुवा करते हैं ? मुर्शिद की क्यूं ज़रूरत है और इस से क्या क्या

1... تفسیر کبیر، پ11، التوبۃ، تحت الآیۃ:111، 6/150

2... आदाबे मुर्शिदे कामिल, स. 82

फ़वाइद ह़ासिल होते हैं ?'' तो आप رَحْمَۃُاللہِ عَلَیْہ ने जवाबन इर्शाद फ़रमाया : मुरीद होना सुन्नत है और इस से फ़ाएदा हुज़ूर सय्यिदे आ़लम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم से इत्तिसाले मुसल्सल ﴿صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ﴾ (پ1، الفاتحۃ:6) **तरजमए कन्ज़ुल ईमान :** ''रास्ता उन का जिन पर तू ने एह़सान किया।'' में इस की त़रफ़ हिदायत है, यहां तक फ़रमाया गया : مَنْ لَّا شَیْخَ لَہٗ فَشَیْخُہُ الشَّیْطٰن जिस का कोई पीर नहीं उस का पीर शैत़ान है।[(1)] सिह़्ह़ते अ़क़ीदत के साथ सिल्सिलए सह़ीह़ा मुत्तसिला में अगर इन्तिसाब बाक़ी रहा तो नज़र वाले तो इस के बरकात अभी देखते हैं जिन्हें नज़र नहीं वोह नज़्अ़ में, क़ब्र में, ह़श्र में इस के फ़वाइद देखेंगे।[(2)]

बैअ़त होने के फ़वाइद में से येह भी है कि येह पीराने उ़ज़्ज़ाम या इन सिल्सिलों के अकाबिरीन व बानियान अपने मुरीदीन व मुतअ़ल्लिक़ीन से किसी भी वक़्त ग़ाफ़िल नहीं रहते और मुश्किल मक़ाम पर उन की मदद फ़रमाते हैं चुनान्चे ह़ज़रते सय्यिदुना इमाम अ़ब्दुल वह्हाब शा'रानी رَحْمَۃُاللہِ عَلَیْہ फ़रमाते हैं : बेशक सब अइम्मा व औलिया व उ़लमाए रब्बानिय्यीन (व मशाइख़े किराम رَحِمَہُمُ اللّٰہُ السَّلَام) अपने पैरौकारों और मुरीदों की शफ़ाअ़त करते हैं, जब उन के मुरीद की रूह़ निकलती है, जब मुन्कर नकीर उस से क़ब्र में सुवाल करते हैं, जब ह़श्र में उस का नामए आ'माल खुलता है, जब उस से ह़िसाब लिया जाता है, जब उस के आ'माल तोले जाते हैं और जब वोह पुल सिरात़ पर चलता है तो इन तमाम मराह़िल में वोह उस की निगह्बानी करते हैं और किसी भी जगह उस से ग़ाफ़िल नहीं होते।[(3)]

मुरीद होने का मक़्सद

सुवाल मुरीद होने का अस्ल मक़्सद भी इर्शाद फ़रमा दीजिये।

1... इस की वज़ाह़त करते हुए आ'ला ह़ज़रत رَحْمَۃُاللہِ عَلَیْہ फ़रमाते हैं : हर बद मज़्हब फ़लाह़ से दूर हलाकत में चूर है, मुत्लक़न बे पीरा है और इब्लीस उस का पीर, अगर्चे ब ज़ाहिर किसी इन्सान का मुरीद हो बल्कि ख़ुद पीर बने राहे सुलूक में क़दम रखे न रखे हर त़रह़ لَایُفْلِحُ وَشَیْخُہُ الشَّیْطَان (फ़लाह़ नहीं पाएगा और उस का पीर शैत़ान है) का मिस्दाक़ है। सुन्नी सह़ीह़ुल अ़क़ीदा कि राहे सुलूक न पड़ा अगर फ़िस्क़ करे फ़लाह़ पर नहीं मगर फिर भी न बे पीरा है न उस का पीर शैत़ान, बल्कि जिस शैख़े जामेए़ शराइत़ का मुरीद हो उस का मुरीद है वरना मुर्शिदे आ़म का। (या'नी कलामुल्लाह व कलामुर्रसूल व कलामे अइम्मए शरीअ़तो त़रीक़त व कलामे उ़लमाए दीन अहले रुश्दो हिदायत है इसी सिल्सिलए सह़ीह़ा पर कि अ़वाम का हादी कलामे उ़लमा, उ़लमा का रहनुमा कलामे अइम्मा, अइम्मा का मुर्शिद कलामे रसूल, रसूल का पेश्वा कलामुल्लाह جَلَّ وَعَلَا وَصَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم ।) (फ़तावा रज़विय्या, 21/505, 519)

2... फ़तावा रज़विय्या, 26/570 मुल्तक़त़न

3... میزان الکبری، 1/65

जवाब मुरीद होने का अस्ल मक़्सद येह है कि इन्सान मुर्शिदे कामिल की रहनुमाई और बातिनी तवज्जोह की बरकत से सीधे रास्ते पर चल कर अपनी ज़िन्दगी शरीअ़तो सुन्नत के मुताबिक़ गुज़ार सके और अगर राहे बातिनो मा'रिफ़त पर चलना हो तो फिर बैअ़त होना ज़रूरी है क्यूं कि येह रास्ता इन्तिहाई कठिन और बारीक है जिसे बिग़ैर किसी रहबर के तै करना अपने आप को हलाकत पर पेश करना है लिहाज़ा इस रास्ते को काम्याबी व कामरानी के साथ तै करने के लिये इन्सान को मुर्शिदे कामिल की ज़रूरत होती है। हुज्जतुल इस्लाम हज़रते सय्यिदुना इमाम मुहम्मद ग़ज़ाली رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : मुरीद को किसी मुर्शिद व उस्ताद की हाजत होती है जो उस की सीधे रास्ते की तरफ़ रहनुमाई करे क्यूं कि दीन का रास्ता इन्तिहाई बारीक है जब कि इस के मुक़ाबले में शैतानी रास्ते ब कसरत और नुमायां हैं तो जिस का कोई मुर्शिद न हो जो उस की तरबियत करे तो यक़ीनन शैतान उसे अपने रास्ते की तरफ़ ले जाता है। जो पुर ख़तर वादियों में बिग़ैर किसी की रहनुमाई के चलता है वोह ख़ुद को हलाकत पर पेश करता है जैसे ख़ुद ब ख़ुद उगने वाला पौदा जल्द ही सूख जाता है और अगर वोह लम्बे अ़र्से तक बाक़ी भी रहे तो उस के पत्ते तो निकल आएंगे लेकिन वोह फलदार नहीं होगा। मुरीद पर ज़रूरी है कि वोह मुर्शिद का दामन इस तरह थाम ले जिस तरह अन्धा नहर के किनारे अपनी जान नहर पार कराने वाले के हवाले कर देता है और उस की इत्तिबाअ़ में किसी क़िस्म की मुख़ालफ़त नहीं करता और न ही उसे छोड़ता है।[1]

मुर्शिदे कामिल के लिये चार शराइत़

सुवाल मुर्शिदे कामिल कि जिस के हाथ पर बैअ़त करना दुरुस्त हो उस की क्या शराइत़ हैं ?

जवाब मुर्शिदे कामिल कि जिस के हाथ पर बैअ़त करना दुरुस्त हो उस की शराइत़ बयान करते हुए आ'ला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अह़मद रज़ा ख़ान رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : बैअ़त लेने और मस्नदे इर्शाद पर बैठने के लिये चार शर्तें ज़रूरी हैं : एक येह कि सुन्नी सहीहुल अ़क़ीदा हो इस लिये कि बद मज़हब दोज़ख़ के कुत्ते हैं और बद तरीन मख़्लूक़, जैसा कि ह़दीस में आया है। दूसरी शर्त़ ज़रूरी इ़ल्म का होना, इस लिये कि बे इ़ल्म ख़ुदा को पहचान नहीं सकता। तीसरी येह कि कबीरा गुनाहों से परहेज़ करना इस लिये कि फ़ासिक़ की तौहीन वाजिब है और मुर्शिद वाजिबुत्ता'ज़ीम है दोनों चीज़ें कैसे इकठ्ठी होंगी। चौथी इजाज़ते सह़ीह़ मुत्तसिल हो जैसा कि इस पर अहले बातिन का इज्माअ़

---

1 ... احیاء العلوم، کتاب ریاضۃ النفس وتہذیب الاخلاق، بیان شروط الارادۃ...الخ، 3/93

है। जिस शख़्स में इन शराइत़ में से कोई एक शर्त़ न हो तो उस को पीर नहीं पकड़ना चाहिये।[1]

सदरुश्शरीअ़ह, बदरुत्त़रीक़ह ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना मुफ़्ती मुह़म्मद अमजद अ़ली आ'ज़मी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : जब मुरीद होना हो तो अच्छी त़रह़ तफ़्तीश कर लें, वरना अगर (किसी ऐसे को पीर बना लिया जो) बद मज़्हब हुवा तो ईमान से भी हाथ धो बैठेंगे।

اے بسا اِبلیس آدم روئے ہست   پس بہر دستے نباید داد دست[2]

(या'नी कभी इब्लीस आदमी की शक्ल में आता है, लिहाज़ा हर हाथ में हाथ नहीं देना चाहिये (या'नी हर किसी से बैअ़त नहीं करनी चाहिये।)

ख़त़ या टेलीफ़ोन के ज़रीए़ बैअ़त

सुवाल क्या ख़त़, टेलीफ़ोन या इज्तिमाए़ आ़म में लाउड स्पीकर के ज़रीए़ बैअ़त हो सकती है ?

जवाब आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत, शाह इमाम अह़मद रज़ा ख़ान رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : ब ज़रीअ़ए क़ासिद (नुमाइन्दा) या ख़त़ मुरीद हो सकता है।[3] जब नुमाइन्दे या ख़त़ के ज़रीए़ मुरीद हो सकता है तो टेलीफ़ोन और लाउड स्पीकर पर तो ब दरजए औला बैअ़त हो सकती है।

साबिक़ा मुर्शिद से तज्दीदे बैअ़त

सुवाल अगर किसी से कुफ़्र सरज़द हो गया हो तो उसे अपने कुफ़्र से तौबा करने के बा'द अपने साबिक़ा मुर्शिद से ही तज्दीदे बैअ़त करना ज़रूरी है ?

जवाब कुफ़्र बकने से जिस त़रह़ पिछले तमाम नेक आ'माल मसलन नमाज़, रोज़ा और ह़ज वग़ैरा ज़ाएअ़ हो जाते हैं ऐसे ही बैअ़त भी ख़त्म हो जाती है, तौबा करने के बा'द साबिक़ा मुर्शिद या किसी भी जामेए़ शराइत़ पीर का मुरीद हुवा जा सकता है, साबिक़ा मुर्शिद से ही बैअ़त करना ज़रूरी नहीं।[4]

दूसरों को अपने पीर की बैअ़त की तरग़ीब दिलाना कैसा ?

सुवाल ज़ैद को अपने पीर साहि़ब से बहुत अ़क़ीदत है लिहाज़ा जो किसी के मुरीद नहीं हैं वोह उन्हें

1... फ़तावा रज़विय्या, 21/491, 492
2... बहारे शरीअ़त, 1/277, हि़स्सा : 1
3... फ़तावा रज़विय्या, 26/585
4... पीरी मुरीदी की शरई़ हैसिय्यत, स. 16

अपने पीर साहिब से बैअत होने की तरगीब दिलाता है। बक्र इस पर ज़ैद को बुरा भला कहता है और ए'तिराज़ करता है कि तरगीब न दिलाओ जिसे मुरीद होना होगा वोह ख़ुद ही हो जाएगा। दोनों में हक़ ब जानिब कौन है ?

जवाब पीर उमूरे आख़िरत के लिये बनाया जाता है ताकि उस की रहनुमाई और बातिनी तवज्जोह की बरकत से मुरीद **अल्लाह** और उस के प्यारे रसूल صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم की नाराज़ी वाले कामों से बचते हुए अपनी ज़िन्दगी के शबो रोज़ गुज़ार सके। अब ग़ौर कर लिया जाए कि येह बात नेकी है या बदी ? अगर नेकी है और यक़ीनन नेकी है तो इस की तरगीब दिलाने वाला नेकी की दा'वत देने वाला हुवा और इस का येह फ़े'ल हुक्मे क़ुरआनी (پ6،المائدۃ:2) ﴿وَتَعَاوَنُوْا عَلَی الْبِرِّ وَالتَّقْوٰی﴾ **तरजमए कन्ज़ुल ईमान :** "और नेकी और परहेज़ गारी पर एक दूसरे की मदद करो।" में दाख़िल है लिहाज़ा ज़ैद सवाब का मुस्तहिक़ है। अगर इस के तरगीब दिलाने पर कोई मुरीद हो कर नेकी के रास्ते पर गामज़न हो गया तो اِنْ شَآءَاللّٰہ ज़ैद के लिये सवाबे जारिया का सामान होगा।[1]

मुरीद होते हुए किसी दूसरे पीर का मुरीद होना

सुवाल एक पीर के मुरीद होते हुए किसी दूसरे पीर से भी मुरीद हो सकते हैं या नहीं ? नीज़ किसी दूसरे पीर साहिब से तालिब होना कैसा है ?

जवाब एक पीर के मुरीद होते हुए किसी दूसरे पीर से मुरीद नहीं हो सकते चुनान्चे हज़रते सय्यिदुना अली बिन वफ़ा رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ फ़रमाते हैं : जिस तरह जहान के दो मा'बूद नहीं, एक शख़्स के दो दिल नहीं, औरत के ब यक वक़्त दो शौहर नहीं इसी तरह मुरीद के दो शैख़ नहीं।[2] अलबत्ता दूसरे जामेए शराइत पीर से बैअते बरकत करते हुए तालिब होने में हरज नहीं है। इसी तरह के एक सुवाल के जवाब में आ'ला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ फ़रमाते हैं : जो शख़्स किसी शैख़े जामेए शराइत के हाथ पर बैअत हो चुका हो तो दूसरे के हाथ पर बैअत न चाहिये। अकाबिरे तरीक़त फ़रमाते हैं : "لَا یُفْلِحُ مُرِیْدٌ بَیْنَ شَیْخَیْن जो मुरीद दो पीरों के दरमियान मुश्तरक हो वोह काम्याब नहीं होता।" ख़ुसूसन जब कि उस से कुशूदे कार (या'नी मतलब का हुसूल) भी हो चुका हो,

1... पीरी मुरीदी की शरई हैसिय्यत, स. 17

2... المنن الکبریٰ، الباب الثامن، ص346

ह़दीस में इर्शाद हुवा : ''مَنْ رُزِقَ فِیْ شَیْءٍ فَلْیَلْزَمْهُ जिसे **अल्लाह** पाक किसी शै में रिज़्क़ दे वोह उस को लाज़िम पकड़े।''[1] दूसरे जामेए़ शराइत़ से त़लबे फ़ैज़ में ह़रज नहीं अगर्चे वोह किसी सिल्सिलए सरीह़ा का हो मगर अपनी इरादत शैखे़ अव्वल ही से रखे और उस से जो फ़ैज़ ह़ासिल हो उसे भी अपने शैख़ ही का फ़ैज़ जाने।[2]

हां ! अगर कोई सिल्सिलए आ़लिया क़ादिरिय्या में बैअ़त हो तो उसे किसी और से त़ालिब होना ज़रूरी नहीं क्यूं कि सिल्सिलए आ़लिया क़ादिरिय्या तमाम सलासिल से अफ़्ज़ल है और तमाम सलासिल इसी की त़रफ़ राजेअ़ हैं। फ़तावा रज़विय्या में है : उन (या'नी ख़ानदाने मदारिया वालों) से त़ालिब होना हरगिज़ कुछ ज़रूर नहीं, बल्कि जब अफ़्ज़लुस्सलासिल सिल्सिलए उ़ल्या, आ़लिया, सह़ीह़ा, मुत्तसिला, क़ादिरिय्या, त़य्यिबा में शैखे़ जामेए़ शराइत़ के हाथ पर फ़ख्रे़ बैअ़त नसीब हो चुका है तो इसे दूसरी त़रफ़ अस्लन तवज्जोह व परेशान नज़र ही न चाहिये।[3] **अल्लाह** पाक हमें अपने पीरो मुर्शिद का हमेशा वफ़ादार बनाए और इन्हें राज़ी रखने की तौफ़ीक़ अ़त़ा फ़रमाए।

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللّٰہ تعالٰی علیہ واٰلہٖ وسلَّم

पीरो मुर्शिद से फ़ैज़ ह़ासिल करने का त़रीक़ा

सुवाल फ़ैज़ किसे कहते हैं ? नीज़ पीरो मुर्शिद से फ़ैज़ ह़ासिल करने का क्या त़रीक़ा है ?

जवाब फ़ैज़ की ता'रीफ़ करते हुए मेरे आक़ा आ'ला ह़ज़रत رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : फ़ैज़ बरकात और नूरानिय्यत का दूसरे पर इल्क़ा फ़रमाना है।[4] फ़ैज़ ह़ासिल करने का त़रीक़ा येह है कि मुरीद अपने पीरो मुर्शिद से कामिल मह़ब्बत करे। उस के अह़काम बजा लाए और हर वोह जाइज़ काम करे जिस से वोह ख़ुश व राज़ी हो। उस की कामिल ता'ज़ीमो तौक़ीर करे और अपने अक़्वालो अफ़्आ़ल व ह़रकातो सकनात में उस की हिदायात के मुत़ाबिक़ (जो शरीअ़त के ख़िलाफ़ न हों) पाबन्द रहे ताकि उस से फ़ुयूज़ो बरकात ह़ासिल करने में काम्याब हो सके।

पीरो मुर्शिद से फ़ैज़ ह़ासिल करने के लिये ज़रूरी है कि मुरीद हमेशा अपने आप को कमालात से ख़ाली समझे अगर्चे कितना ही इल्मो फ़ज़्ल वाला क्यूं न हो कि कुछ होने की समझ इन्सान को कहीं का नहीं रहने देती चुनान्चे ह़ज़रते सय्यिदुना शैख़ सा'दी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه के फ़रमान का ख़ुलासा है : भर लेने

1... شعب الایمان، باب التوکل والتسلیم، 2/89، حدیث:1241
2... फ़तावा रज़विय्या, 26/579
3... फ़तावा रज़विय्या, 26/557, 558
4... फ़तावा रज़विय्या, 26/564

www.dawateislami.net

वाले को चाहिये कि जब किसी चीज़ के ह़ासिल करने का इरादा करे तो अगर्चे कमालात से भरा हुवा हो मगर कमालात को दरवाज़े पर ही छोड़ दे (या'नी आ़जिज़ी इख़्तियार करे) और येह ख़याल करे कि मैं कुछ जानता ही नहीं। ख़ाली हो कर आएगा तो कुछ पाएगा और जो अपने आप को भरा हुवा समझेगा तो याद रहे कि भरे बरतन में कोई और चीज़ नहीं डाली जा सकती।[1]

अल्लाह करीम हमें औलियाए किराम رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام की सच्ची मह़ब्बत नसीब करे और इन के फ़ुयूज़ो बरकात से मालामाल फ़रमाए। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللّٰہ تعالٰی علیہ واٰلہٖ وسلَّم

मुरीद और त़ालिब में फ़र्क़

सुवाल मुरीद और त़ालिब में क्या फ़र्क़ है ?

जवाब मुरीद और त़ालिब में फ़र्क़ बयान करते हुए आ'ला ह़ज़रत رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 26 सफ़ह़ा 558 पर फ़रमाते हैं : मुरीद ग़ुलाम है और त़ालिब वोह कि ग़ैबते शैख़ (या'नी मुर्शिद की ग़ैर मौजूदगी) में ब ज़रूरत या बा वुजूदे शैख़ किसी मस्लह़त से, जिसे शैख़ जानता है या मुरीदे शैख़ ग़ैरे शैख़ से इस्तिफ़ादा करे। इसे जो कुछ उस से ह़ासिल हो वोह भी फ़ैज़े शैख़ ही जाने।[2]

स्पीकर पर बैअ़त का शरई हुक्म

सुवाल क्या हाथ में हाथ दिये बिग़ैर स्पीकर पर बैअ़त दुरुस्त है ? जिस ने स्पीकर पर बैअ़त की क्या वोह मुरीद हुवा ? नीज़ उसे बैअ़त की बरकतें मिलेंगी या नहीं ?

जवाब हाथों में हाथ दिये बिग़ैर स्पीकर, ख़त़्तो किताबत, टेलीफ़ोन, इन्टरनेट और क़ासिद वग़ैरा के ज़रीए़ बैअ़त करना दुरुस्त है। इसी त़रह़ के एक सुवाल के जवाब में आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अह़मद रज़ा ख़ान رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : बैअ़त ब ज़रीअ़ए ख़त़्तो किताबत भी मुम्किन है। येह (बैअ़त होने वाला) उसे (पीर साह़िब को) दरख़्वास्त लिखे वोह क़बूल करे और अपने क़बूल की उस दरख़्वास्त दिहन्दा (या'नी बैअ़त होने वाले) को इत्तिलाअ़ दे और उस के नाम का शजरा भी भेज दे (तो येह) मुरीद हो गया कि अस्ल इरादत फ़े'ले क़ल्ब है (या'नी अस्ल बैअ़त होना दिली इरादे का नाम है)।[3] मज़ीद एक और जगह इर्शाद फ़रमाते हैं : ब ज़रीअ़ए क़ासिद या ख़त़ मुरीद हो सकता

---

1 ... بوستانِ سعدی، ص140

2 ... पीरी मुरीदी के बारें में मज़ीद तफ़्सीलात जानने के लिये दा'वते इस्लामी के मक्तबतुल मदीना की 275 सफ़ह़ात की किताब "आदाबे मुर्शिदे कामिल" का मुत़ालआ़ कीजिये।

3 ... फ़तावा रज़विय्या, 26/568

है।[1] मा'लूम हुवा कि अस्ल बैअ़त दिली इरादे का नाम है, जब येह ख़त्तो किताबत और क़ासिद के ज़रीए हो सकती है तो फिर स्पीकर के ज़रीए ब दरजए औला हो सकती है, क्यूं कि स्पीकर पर बैअ़त करने वाला दिली इरादे के साथ साथ ज़बान से भी इक़रार करता है। जब स्पीकर पर बैअ़त दुरुस्त हुई तो मुरीद होना भी दुरुस्त हुवा और اِنْ شَآءَاللّٰه बैअ़त की बरकतें भी ज़रूर मिलेंगी।

मुरीद होने के लिये हाथों में हाथ देना शर्त़ नहीं

याद रखिये ! मुरीद होने के लिये हाथों में हाथ देना शर्त़ नहीं, इस के बिग़ैर भी मुरीद हो सकते हैं। "हाथों में हाथ देना" येह मुह़ावरे के त़ौर पर भी इस्ति'माल होता है जैसा कि दा'वते इस्लामी के माह़ोल में बोला जाता है "हाथों हाथ मदनी क़ाफ़िले में सफ़र करें" तो इस से मुराद येह नहीं होती कि एक दूसरे के हाथ पकड़ कर सफ़र करें बल्कि येह मुराद होती है कि बिला ताख़ीर अभी सफ़र करें। इसी त़रह़ "हाथ में हाथ देने" से मुराद मुरीद होना भी होता है, जैसा कि बरादरे आ'ला ह़ज़रत, शहन्शाहे सुख़न, उस्तादे ज़मन ह़ज़रते मौलाना ह़सन रज़ा ख़ान رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه बारगाहे ग़ौसिय्यत मआब में अ़र्ज़ करते हैं :

तेरे हाथ में हाथ मैं ने दिया है *तेरे हाथ है लाज या ग़ौसे आ'ज़म*[2]

इस शे'र के पहले मिस्रए़ "तेरे हाथ में हाथ" से ज़ाहिरी त़ौर पर हाथ में हाथ देना मुराद नहीं बल्कि मुरीद होना मुराद है, ऐसे ही दूसरे मिस्रए़ में "तेरे हाथ है लाज" से मुराद भरम रखना है क्यूं कि लाज कोई माद्दी चीज़ नहीं जिसे हाथ में पकड़ा जा सके।

वकील के ज़रीए बैअ़त

सुवाल वकील के ज़रीए बैअ़त हो सकती है या नहीं ?

जवाब वकील के ज़रीए भी बैअ़त हो सकती है क्यूं कि वकालत का मा'ना होता है जो तसर्रुफ़ बन्दा ख़ुद करता हो उस में किसी दूसरे को अपना नाइब मुक़र्रर कर दे और येह किताबो सुन्नत और इज्माए़ उम्मत से साबित है, चुनान्चे

1... फ़तावा रज़विय्या, 26/585
2... ज़ौक़े ना'त, स. 180

सदरुश्शरीअ़ह, बदरुत्त़रीक़ह ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना मुफ़्ती मुह़म्मद अमजद अ़ली आ'ज़मी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : वकालत के जवाज़ पर इज्माए़ उम्मत भी मुन्अ़क़िद लिहाज़ा किताबो सुन्नत व इज्माअ़ से इस का जवाज़ साबित। वकालत के येह मा'ना हैं कि जो तसर्रुफ़ ख़ुद करता उस में दूसरे को अपने क़ाइम मक़ाम कर देना।[1] अगर पीर साह़िब ने किसी को अपना वकील बनाया हो कि तुम जिस को चाहो मेरा मुरीद बना सकते हो तो वोह वकील भी लोगों को पीर साह़िब के सिल्सिले में दाख़िल कर सकता है और येह शर्अ़न भी जाइज़ है। वकील के ज़रीए़ बैअ़त कर के किसी पीर साह़िब का मुरीद होने वाला ऐसा ही है जैसे उस ने ख़ुद बराहे रास्त पीर साह़िब से बैअ़त की हो।

मज़ारात पर ह़ाज़िरी

ह़ज़रते सय्यिदुना ला'ल शहबाज़ क़लन्दर عَلَيْهِ رَحْمَة त़रीक़त की मनाज़िल तै करने में मसरूफ़ थे और इस दौरान अपने अपने वक़्त के बरगुज़ीदा औलियाए किराम से रूह़ानी फ़ैज़ ह़ासिल करने के लिये उन के मज़ारात पर ह़ाज़िरी भी देते रहते चुनान्चे मश्हद शरीफ़ में **ह़ज़रते सय्यिदुना इमाम अ़ली रज़ा** رَضِيَ اللهُ عَنْهُ और कूफ़ा (बग़दाद) में इमामुल अइम्मा, सिराजुल उम्मह, ह़ज़रते सय्यिदुना इमामे आ'ज़म **अबू ह़नीफ़ा नो'मान बिन साबित** رَضِيَ اللهُ عَنْهُ **के मज़ारे अक़्दस पर ह़ाज़िरी दे कर फ़ुयूज़ो बरकात ह़ासिल किये।**

(**अल्लाह** के ख़ास बन्दे अ़ब्दुह, स. 529)

[1]... बहारे शरीअ़त, 2/974, ह़िस्सा : 12

तीसरा बाब

इबादात

इस बाब में आप जानेंगे

1 नजासतों का बयान

2 नमाज़ का बयान

3 इमामे मस्जिद को कैसा होना चाहिये ?

4 नमाज़े जनाज़ा का बयान

5 ज़कात का बयान

6 ह़ज व उ़म्रह का बयान

सबक़ नम्बर 1

त़हारत का बयान

पाकीज़गी और पाकीज़ा लोग **अल्लाह** पाक को पसन्द हैं । चुनान्चे इर्शाद होता है : وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ﴿۱۰۸﴾ (پ11،التوبۃ:108) तरजमए कन्ज़ुल ईमान : "और सुथरे **अल्लाह** को प्यारे हैं ।" इस के साथ ही नापाकी को इतना ना पसन्द किया गया कि बिग़ैर वुज़ू क़ुरआने पाक को हाथ तक लगाने से मन्अ़ फ़रमा दिया गया, चुनान्चे इर्शाद हुवा : لَّا يَمَسُّهٗۤ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ﴿ؕ۷۹﴾ (پ27،الواقعۃ:79) तरजमए कन्ज़ुल ईमान : "इसे न छूएं मगर बा वुज़ू ।"

सुवाल अह़ादीसे मुबारका में सफ़ाई की क्या अहम्मिय्यत बयान हुई है ?

जवाब अह़ादीसे मुबारका में सफ़ाई सुथराई की बहुत ज़ियादा अहम्मिय्यत बयान हुई है इस के मुतअ़ल्लिक़ 3 फ़रामीने मुस्त़फ़ा صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم मुलाह़ज़ा कीजिये :

(1) इर्शाद फ़रमाया : "त़हारत निस्फ़ ईमान है ।"[1]

(2) इर्शाद फ़रमाया : बेशक इस्लाम साफ़ सुथरा (दीन) है तो तुम भी सफ़ाई सुथराई ह़ासिल किया करो, क्यूं कि जन्नत में साफ़ सुथरा रहने वाला ही दाख़िल होगा ।[2]

(3) इर्शाद फ़रमाया : जो चीज़ तुम्हें मिल जाए उस से सफ़ाई सुथराई ह़ासिल करो, **अल्लाह** करीम ने इस्लाम की बुन्याद सफ़ाई पर रखी है और जन्नत में साफ़ सुथरे रहने वाले ही दाख़िल होंगे ।[3]

सुवाल त़हारत की कितनी क़िस्में हैं ?

जवाब त़हारत की दो क़िस्में हैं : (1) त़हारते सुग़रा (2) त़हारते कुब्रा । त़हारते सुग़रा से मुराद वुज़ू और त़हारते कुब्रा से मुराद ग़ुस्ल है ।[4]

सुवाल हर शख़्स को त़हारत के किस क़दर मसाइल व अह़काम सीखना ज़रूरी हैं ?

---

1 ...مسلم،کتاب الطہارۃ،باب فضل الوضوء،ص115،حدیث:534

2 ...کنز العمال،کتاب الطہارۃ،باب فی فضل الطہارۃ،جز9،5/123،حدیث:25996

3 ...جمع الجوامع،4/115،حدیث:10624

4 ... बहारे शरीअ़त, 1/282, ह़िस्सा : 2

जवाब हर आ़क़िल व बालिग़ मुसल्मान मर्द व औ़रत के लिये त़हारत के वोह अह़काम सीखने फ़र्ज़े ऐ़न हैं जिन से नमाज़ दुरुस्त हो सके।(1)

सुवाल त़हारत के बिग़ैर नमाज़ पढ़ने वाले का क्या हुक्म है ?

जवाब बिला उ़ज़्र जान बूझ कर बिग़ैर त़हारत के नमाज़ पढ़ना कुफ़्र है जब कि इसे जाइज़ समझे या इस्तिह्ज़ाअन (या'नी मज़ाक़ उड़ाते हुए) येह फ़े'ल करे।(2)

सुवाल वोह त़हारत जो नमाज़ की शर्त़ है इस से क्या मुराद है ?

जवाब इस से मुराद येह है कि नमाज़ी का बदन, उस के कपड़े और वोह जगह जहां नमाज़ पढ़नी है नजासत से पाक हो।(3)

सुवाल मश्कूक पानी से क्या मुराद है ?

जवाब इस से मुराद वोह पानी है जिस के वुज़ू के क़ाबिल होने में शक हो, गधे, ख़च्चर का जूठा मश्कूक है, लिहाज़ा इस से वुज़ू नहीं हो सकता क्यूं कि बे वुज़ू होना यक़ीनी है और यक़ीनी नापाकी मश्कूक चीज़ से ज़ाइल नहीं हो सकती।(4)

सुवाल मश्कूक पानी का हुक्म बयान कीजिये।

जवाब अच्छा पानी होते हुए मश्कूक से वुज़ू व ग़ुस्ल जाइज़ नहीं और अगर अच्छा पानी न हो तो उसी से वुज़ू व ग़ुस्ल कर ले और तयम्मुम भी और बेहतर येह है कि वुज़ू पहले कर ले और अगर अ़क्स किया या'नी पहले तयम्मुम किया फिर वुज़ू जब भी ह़रज नहीं और इस सूरत में वुज़ू और ग़ुस्ल में निय्यत करनी लाज़िमी है और अगर वुज़ू किया और तयम्मुम न किया या तयम्मुम किया और वुज़ू न किया तो नमाज़ न होगी।(5)

सुवाल क्या त़हारत के बा'द बच जाने वाले पानी से वुज़ू किया जा सकता है ?

जवाब त़हारत के बचे हुए पानी से वुज़ू कर सकते हैं, बा'ज़ लोग जो इस को फेंक देते हैं येह न चाहिये (या'नी ऐसा नहीं करना चाहिये क्यूं कि ऐसा करना) इसराफ़ में दाख़िल है।(6)

1... नजासतों का बयान मअ़ कपड़े पाक करने का त़रीक़ा, स. 1

2... منح الروض الازہر، ص172

3... شرح وقایۃ، کتاب الصلوۃ، باب شروط الصلوۃ، الجزء الاول، 1/156

4... فتاوی ہندیہ، کتاب الطہارۃ، الباب الثالث فی المیاہ، 1/24، माख़ूज़ अज़ बहारे शरीअ़त, 1/343, ह़िस्सा : 2

5... فتاوی ہندیہ، کتاب الطہارۃ، الباب الثالث فی المیاہ، 1/24

6... फ़तावा रज़विय्या, 4/575 माख़ूज़न

सुवाल वोह कौन सा हौज़ है जो मुकम्मल भरा हो तो नापाक है लेकिन कम भरा हो तो पाक है ?

जवाब कोई हौज़ ऐसा है कि ऊपर से तंग और नीचे कुशादा है या'नी ऊपर दह दर दह (या'नी सो हाथ/ पच्चीस गज़/ दो सो पच्चीस फ़ुट) नहीं और नीचे दह दर दह या ज़ियादा है अगर ऐसा हौज़ ऊपर तक भरा हुवा हो और नजासत पड़े तो नापाक है, फिर अगर उस का पानी घट गया और वोह दह दर दह हो गया तो पाक हो गया ।[1]

सुवाल नापाक कारपेट (CARPET) को कैसे पाक किया जाए ?

जवाब कारपेट का नापाक हिस्सा एक बार धो कर लटका दीजिये यहां तक कि पानी टपक्ना मौक़ूफ़ हो जाए फिर दोबारा धो कर लटकाइये हत्ता कि पानी टपक्ना बन्द हो जाए फिर तीसरी बार इसी त़रह धो कर लटका दीजिये जब पानी टपक्ना बन्द हो जाएगा तो कारपेट पाक हो जाएगा । चटाई, चमड़े के चप्पल और मिट्टी के बरतन वग़ैरा जिन चीज़ों में पतली नजासत जज़्ब हो जाती हो इसी त़रीक़े पर पाक कीजिये ।[2]

सुवाल दूसरे के कपड़े पर नजासत लगी देखी तो क्या किया जाए ?

जवाब किसी दूसरे मुसल्मान के कपड़े में नजासत लगी देखी और ग़ालिब गुमान है कि इस को ख़बर करेगा तो पाक कर लेगा तो ख़बर करना वाजिब है । (ऐसी सूरत में ख़बर नहीं देगा तो गुनहगार होगा ।)[3]

सुवाल इमाम ग़ज़ाली رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه ने त़हारत के कितने मरातिब बयान फ़रमाए हैं ?

जवाब हुज्जतुल इस्लाम इमाम मुह़म्मद ग़ज़ाली رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : त़हारत के 4 मरातिब हैं : (1) अपने ज़ाहिर को अह़दास (या'नी ना पाकियों और नजासतों) से पाक करना (2) आ'ज़ा को जराइम और गुनाहों से पाक करना (3) अपने दिल को बुरे अख़्लाक़ से पाक करना और (4) अपने बात़िन को **अल्लाह** पाक के ग़ैर से पाक रखना ।[4]

सुवाल दिल की त़हारत किस त़रह़ ह़ासिल होती है ?

जवाब हुज्जतुल इस्लाम इमाम मुह़म्मद ग़ज़ाली رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه इर्शाद फ़रमाते हैं : ज़ाहिरी वुज़ू कर लेने वाले को येह बात याद रखनी चाहिये कि दिल की त़हारत (या'नी सफ़ाई) तौबा करने और गुनाहों को छोड़ने और उ़म्दा अख़्लाक़ अपनाने से होती है । जो शख़्स दिल को गुनाहों की आलूदगियों से पाक

1... فتاوی ہندیہ، کتاب الطہارۃ، الباب الثالث فی المیاہ، 1/19

2... इस्लामी बहनों की नमाज़, स. 263

3... बहारे शरीअ़त, 1/405, हिस्सा : 2

4... لباب الاحیاء، الباب الثالث فی اسرار الطہارۃ، ص47

नहीं करता फ़क़त ज़ाहिरी त़हारत (या'नी सफ़ाई) और ज़ेबो ज़ीनत पर इक्तिफ़ा करता है उस की मिसाल उस शख़्स की सी है जो बादशाह को मदऊ़ करता है और अपने घरबार को बाहर से ख़ूब चमकाता है और रंगो रोग़न करता है मगर मकान के अन्दरूनी हिस्से की सफ़ाई पर कोई तवज्जोह नहीं देता। फिर जब बादशाह उस के मकान के अन्दर आ कर गन्दगियां देखेगा तो वोह नाराज़ होगा या राज़ी येह हर ज़ी शुऊ़र ख़ुद समझ सकता है।[1]

सुवाल घर से वुज़ू कर के फ़र्ज़ नमाज़ के लिये मस्जिद में जाने वाले का क्या इन्आ़म है ?

जवाब ह़ज़रते सय्यिदुना अबू हुरैरा رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ से मरवी है कि ह़ुज़ूर ताजदारे दो जहान صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : जो शख़्स अपने घर में त़हारत (या'नी वुज़ू व ग़ुस्ल) कर के फ़र्ज़ अदा करने के लिये मस्जिद को जाता है तो एक क़दम पर एक गुनाह मिट जाता है और दूसरे पर एक दरजा बुलन्द होता है।[2] और एक ह़दीस शरीफ़ में येह फ़रमाया : जो त़हारत कर के अपने घर से फ़र्ज़ नमाज़ के लिये निकला उस का अज्र ऐसा है जैसा एह़राम वाले ह़ाजी का।[3]

सुवाल रात में उठ कर त़हारत कर के दुआ़ मांगने की क्या फ़ज़ीलत है ?

जवाब ह़ुज़ूरे पुरनूर صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : मेरा जो उम्मती रात को बेदार हो कर ख़ुद को त़हारत की त़रफ़ माइल करता है ह़ालां कि उस पर शैत़ान गिरहें लगा चुका होता है, जब वोह अपने हाथ धोता है तो एक गिरह खुल जाती है, जब वोह चेहरा धोता है तो दूसरी गिरह खुल जाती है, जब वोह अपने सर का मस्ह़ करता है तो तीसरी गिरह खुल जाती है और जब वोह पाउं धोता है तो चौथी गिरह खुल जाती है तब **अल्लाह** करीम ह़िजाब के पीछे मौजूद फ़िरिश्तों से फ़रमाता है : "देखो मेरे इस बन्दे को जो ख़ुद को मुझ से सुवाल करने पर माइल करता है येह बन्दा मुझ से जो कुछ मांगेगा वोह इसे अ़त़ा किया जाएगा।"[4]

सबक़ नम्बर 2 — नजासतों का बयान

नजासत की अक़्साम व अह़काम

सुवाल नजासत की कितनी और कौन कौन सी क़िस्में हैं ?

---

1 ... احیاءعلوم الدین، کتاب الطھارۃ، القسم الثانی فی طھارۃ الاحداث، 1/185، ماخوذا

2 ... مسلم، کتاب المساجد، باب المشی الصلوۃ تمحی بہ... الخ، ص263، حدیث:1521

3 ... ابوداود، کتاب الصلوۃ، باب ماجاء فی فضل المشی الی الصلوۃ، 1/331، حدیث:558

4 ... ابن حبان، کتاب الطھارۃ، باب فضل الوضوء، 2/194، حدیث:1049

जवाब नजासत की दो क़िस्में हैं : (1) नजासते ह़क़ीक़िया (2) नजासते ह़ुक्मिया ।[1]

सुवाल नजासते ह़क़ीक़िया से क्या मुराद है ?

जवाब नजासते ह़क़ीक़िया वोह नापाक चीज़ है जो कपड़े या बदन वग़ैरा पर लग जाए तो ज़ाहिर तौर पर मा'लूम हो जाती है जैसे पाख़ाना पेशाब वग़ैरा ।

सुवाल नजासते ह़ुक्मिया से क्या मुराद है ?

जवाब नजासते ह़ुक्मिया वोह है जो नज़र नहीं आती या'नी सिर्फ़ शरीअ़त के ह़ुक्म से उसे नापाकी कहते हैं जैसे बे वुज़ू होना या ग़ुस्ल की ह़ाजत होना ।

सुवाल नजासते ह़क़ीक़िया की कितनी क़िस्में हैं ?

जवाब नजासते ह़क़ीक़िया की दो क़िस्में हैं : (1) नजासते ग़लीज़ा (2) नजासते ख़फ़ीफ़ा ।[2]

सुवाल नजासते ग़लीज़ा किसे कहते हैं ?

जवाब इन्सान के बदन से जो ऐसी चीज़ निकले कि उस से ग़ुस्ल या वुज़ू वाजिब हो नजासते ग़लीज़ा है जैसे पाख़ाना, पेशाब, बहता ख़ून, पीप, मुंह भर क़ै वग़ैरा ।[3]

सुवाल नजासते ग़लीज़ा का ह़ुक्म बयान कीजिये ।

जवाब नजासते ग़लीज़ा का ह़ुक्म येह है कि अगर कपड़े या बदन पर एक दिरहम से ज़ियादा लग जाए तो उस का पाक करना फ़र्ज़ है, बिग़ैर पाक किये अगर नमाज़ पढ़ ली तो नमाज़ न होगी और इस सूरत में जान बूझ कर नमाज़ पढ़ना सख़्त गुनाह है और अगर दिरहम के बराबर कपड़े या बदन पर लगी हुई हो तो उस का पाक करना वाजिब है अगर बिग़ैर पाक किये नमाज़ पढ़ ली तो नमाज़ मक्रूहे तह़रीमी होगी और ऐसी सूरत में कपड़े या बदन को पाक कर के दोबारा नमाज़ पढ़ना वाजिब है, (और अगर) दिरहम से कम कपड़े या बदन पर लगी हुई है तो उस का पाक करना सुन्नत है अगर बिग़ैर पाक किये नमाज़ पढ़ ली तो नमाज़ हो जाएगी, मगर ख़िलाफ़े सुन्नत, ऐसी नमाज़ को दोहरा लेना बेहतर है ।[4]

---

1 ... مجمع الانہر، کتاب الطہارۃ، باب الانجاس، 1/86

2 ... فتاوی ہندیہ، کتاب الطہارۃ، الباب السابع فی النجاسۃ واحکامہا، 1/45

3 ... فتاوی ہندیہ، کتاب الطہارۃ، الباب السابع فی النجاسۃ واحکامہا، 1/46

4 ... बहारे शरीअ़त, 1/389, ह़िस्सा : 2

सुवाल नजासत का एक दिरहम की मिक़्दार होने से क्या मुराद है ?

जवाब नजासते ग़लीज़ा का दिरहम या इस से कम या ज़ियादा होने से मुराद येह है कि नजासते ग़लीज़ा अगर गाढ़ी हो मसलन पाख़ाना, लीद वग़ैरा तो दिरहम से मुराद वज़्न में साढ़े चार माशा (या'नी 4.374 ग्राम) है, लिहाज़ा अगर नजासत दिरहम से ज़ियादा या कम है तो इस से मुराद वज़्न में साढ़े चार माशे से कम या ज़ियादा होना है और अगर नजासते ग़लीज़ा पतली हो जैसे पेशाब वग़ैरा तो दिरहम से मुराद लम्बाई चौड़ाई है या'नी हथेली को ख़ूब फैला कर हमवार रखिये और उस पर आहिस्तगी से इतना पानी डालिये कि उस से ज़ियादा पानी न रुक सके, अब जितना पानी का फैलाव है उतना बड़ा दिरहम समझा जाएगा ।[1]

सुवाल अगर कपड़े या बदन पर चन्द मक़ामात पर एक दिरहम से कम नजासत लगी हो तो क्या हुक्म है ?

जवाब किसी कपड़े या बदन पर चन्द जगह नजासते ग़लीज़ा लगी और किसी जगह दिरहम के बराबर नहीं, मगर मज्मूआ़ दिरहम के बराबर है, तो दिरहम के बराबर समझी जाएगी और ज़ाइद है तो ज़ाइद ।[2]

सुवाल मछली, मच्छर या मख्खी वग़ैरा का ख़ून अगर कपड़ों पर लग जाए तो क्या हुक्म है ?

जवाब मछली और पानी के दीगर जानवरों और खटमल और मच्छर का ख़ून और ख़च्चर और गधे का लुआ़ब और पसीना पाक है ।[3]

सुवाल बिल्ली अगर पानी में मुंह डाल दे तो उस पानी का क्या हुक्म है ?

जवाब घर में रहने वाले जानवर जैसे बिल्ली, चूहा, सांप, छिपकली का झूटा मक्रूह है ।[4]

सुवाल कुत्ते का लुआ़ब क्या हुक्म रखता है ?

जवाब कुत्ते का लुआ़ब नापाक है ।[5]

सुवाल अगर जिस्म या कपड़े से कुत्ता छू जाए तो क्या हुक्म है ?

जवाब कुत्ता बदन या कपड़े से छू जाए तो अगर्चे उस का जिस्म तर हो बदन और कपड़ा पाक है, हां अगर उस के बदन पर नजासत लगी हो तो और बात है या उस का लुआ़ब लगे तो

1... बहारे शरीअ़त, 1/389, हिस्सा : 2

2... در مختار مع ردالمحتار، کتاب الطہارۃ، باب الانجاس، مطلب اذا صرح... الخ، 1/582

4... बहारे शरीअ़त, 1/392, हिस्सा : 2

4... فتاوی ہندیہ، کتاب الطہارۃ، الباب الثالث فی المیاہ، الفصل الثانی، 1/24

5... ردالمحتار، کتاب الطہارۃ، مطلب فی السؤر، 1/425

नापाक कर देगा ।[1]

सुवाल जिन जानवरों का जूठा नापाक है उन के पसीने का क्या हुक्म है ?

जवाब जिस का जूठा नापाक है उस का पसीना और लुआ़ब भी नापाक है और जिस का जूठा पाक उस का पसीना और लुआ़ब भी पाक और जिस का जूठा मक्रूह उस का लुआ़ब और पसीना भी मक्रूह ।[2]

सुवाल किन परिन्दों की बीट पाक है ?

जवाब जो परिन्दे ह़लाल ऊंचे उड़ते हैं जैसे कबूतर, मैना, मुर्ग़ाबी, इन की बीट पाक है ।[3]

सुवाल क्या दूध पीते बच्चे का पेशाब पाक होता है ?

जवाब जी नहीं, एक दिन के दूध पीते बच्चे का पेशाब भी इसी त़रह़ नापाक है जिस त़रह़ आ़म लोगों का ।[4]

सुवाल इन्सानी जिस्म से निकलने वाली रत़ूबत कब पाक है ?

जवाब जो रत़ूबत इन्सानी बदन से निकले और वुज़ू न तोड़े वोह नजिस नहीं । मसलन ख़ून या पीप बह कर न निकले या थोड़ी क़ै कि मुंह भर न हो पाक है ।[5] ख़ारिश या फुड़ियों में अगर बहने वाली रत़ूबत न हो सिर्फ़ चिपक हो और कपड़ा उस से बार बार छू कर चाहे कितना ही सन जाए पाक है ।[6]

सुवाल मुख़्तलिफ़ जानवरों के पेशाब और उन की बीट का क्या हुक्म है ?

जवाब जिन जानवरों का गोश्त ह़लाल है (जैसे भेंस, बकरी, ऊंट वग़ैरहा) इन का पेशाब, नीज़ घोड़े का पेशाब और जिस परिन्दे का गोश्त ह़राम है, ख़्वाह शिकारी हो या नहीं (जैसे कव्वा, चील, शिक्रा, बाज़) उस की बीट नजासते ख़फ़ीफ़ा है ।[7]

सुवाल नजासते ख़फ़ीफ़ा का हुक्म बताइये ?

1... فتاوی ہندیہ، کتاب الطهارة، الباب السابع فی النجاسة واحکامها، 1/48

2... فتاوی ہندیہ، کتاب الطهارة، الباب الثالث فی المیاه، 1/23، بہار شریعت، 1/344، حصہ:2

3... बहारे शरीअ़त, 1/391, हि़स्सा : 2

4... در مختار، کتاب الطهارة، باب الانجاس، 1/574

5... در مختار مع رد المحتار، کتاب الطهارة، مطلب فی حکم کی الحمصة، 1/294

6... बहारे शरीअ़त, 1/310, हि़स्सा : 2

7... فتاوی ہندیہ، کتاب الطهارة، الباب السابع فی النجاسة واحکامها، 1/46

जवाब नजासते ख़फ़ीफ़ा का हुक्म येह है कि कपड़े के जिस हिस्से या बदन के जिस उ़ज़्व में लगी है अगर उस की चौथाई से कम है तो मुआ़फ़ है, मसलन आस्तीन में नजासते ख़फ़ीफ़ा लगी हुई है तो अगर आस्तीन की चौथाई से कम है या दामन में लगी है तो दामन की चौथाई से कम है या इसी त़रह़ हाथ में लगी है तो हाथ की चौथाई से कम है तो मुआ़फ़ है या'नी इस सूरत में पढ़ी गई नमाज़ हो जाएगी। अलबत्ता अगर पूरी चौथाई में लगी हो तो बिग़ैर पाक किये नमाज़ न होगी।[(1)]

सुवाल किसी के मुंह से इतना ख़ून निकला कि थूक में सुर्ख़ी आ गई और उस ने फ़ौरन पानी पी लिया तो उस के जूठे पानी का क्या हुक्म है ?

जवाब येह जूठा (पानी) नापाक है और सुर्ख़ी जाती रहने के बा'द उस पर लाज़िम है कि कुल्ली कर के मुंह पाक करे और अगर कुल्ली न की और चन्द बार थूक का गुज़र मौज़ए नजासत (या'नी नापाक हिस्से) पर हुवा ख़्वाह निगलने में या थूकने में यहां तक कि नजासत का असर न रहा तो त़हारत हो गई इस के बा'द अगर पानी पियेगा तो पाक रहेगा अगर्चे ऐसी सूरत में थूक निगलना सख़्त नापाक बात और गुनाह है।[(2)]

सुवाल अगर नजासत का रंग कपड़े पर बाक़ी रह जाए तो क्या हुक्म है ?

जवाब अगर नजासत दूर हो गई मगर उस का कुछ असर रंग या बू बाक़ी है तो उसे भी ज़ाइल करना लाज़िम है हां अगर उस का असर ब दिक़्क़त (या'नी दुश्वारी से) जाए तो असर दूर करने की ज़रूरत नहीं तीन मरतबा धो लिया पाक हो गया, साबुन या खटाई या गर्म पानी (या किसी क़िस्म के केमीकल वग़ैरा) से धोने की ह़ाजत नहीं।[(3)]

सबक़ नम्बर 3 — हैज़ का बयान

अल्लाह पाक इर्शाद फ़रमाता है :

وَ یَسْــٴَـلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِیْضِ ؕ قُلْ هُوَ اَذًىۙ فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِی الْمَحِیْضِۙ وَ لَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى یَطْهُرْنَۚ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ مِنْ حَیْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ ؕ

(پ2،البقرۃ:222)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और तुम से पूछते हैं हैज़ का हुक्म तुम फ़रमाओ वोह नापाकी है, तो औ़रतों से अलग रहो हैज़ के दिनों और उन से नज़्दीकी न करो, जब तक पाक न हो लें, फिर जब पाक हो जाएं तो उन के पास जाओ जहां से तुम्हें **अल्लाह** ने हुक्म दिया।

1... فتاوی ہندیہ، کتاب الطہارۃ، الباب السابع فی النجاسۃ واحکامہا، 1/46, बहारे शरीअ़त, 1/389, हिस्सा : 2

2... बहारे शरीअ़त, 1/341, हिस्सा : 2

3... बहारे शरीअ़त, 1/397, हिस्सा : 2

सदरुल अफ़ाज़िल ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना सय्यिद मुह़म्मद नईमुद्दीन मुरादआबादी رَحْمَۃُ اللہِ عَلَیْہ इस आयत के तह़्त तफ़्सीरे ख़ज़ाइनुल इरफ़ान में लिखते हैं : अ़रब के लोग यहूद व मजूस की त़रह़ ह़ाएज़ा औ़रतों से कमाल नफ़्रत करते थे। साथ खाना पीना एक मकान में रहना गवारा न था बल्कि शिद्दत यहां तक पहुंच गई थी कि उन की त़रफ़ देखना और उन से कलाम करना भी ह़राम समझते थे और नसारा (या'नी क्रिस्चेन) इस के बर अ़क्स ह़ैज़ के अय्याम में औ़रतों के साथ बड़ी मह़ब्बत से मश्ग़ूल होते थे और इख़्तिलात़ (मेलजोल) में बहुत मुबालग़ा करते थे। मुसल्मानों ने ह़ुज़ूर صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم से ह़ैज़ का हुक्म दरयाफ़्त किया, इस पर येह आयत नाज़िल हुई और इफ़्रातो तफ़्रीत़ (या'नी बढ़ाने घटाने) की राहें छोड़ कर ए'तिदाल (मियाना रवी) की ता'लीम फ़रमाई गई और बता दिया गया कि ह़ालते ह़ैज़ में औ़रतों से मुजामअ़त (या'नी सोह़बत) मम्नूअ़ है।[1]

सुवाल ह़ैज़ किसे कहते हैं ?

जवाब बालिग़ा औ़रत के आगे के मक़ाम से जो ख़ून आ़दत के त़ौर पर निकलता है और बीमारी या बच्चा पैदा होने के सबब से न हो तो उसे ह़ैज़ कहते हैं।[2]

ह़ैज़ के लिये माहवारी, अय्याम, अय्याम से होना, महीना, महीना आना, महीने से होना, बारी के दिन और MONTHLY COURSE (मंथली कोर्स) वग़ैरा अल्फ़ाज़ भी बोले जाते हैं।

सुवाल ह़ैज़ के ख़ून के कितने रंग होते हैं ?

जवाब ह़ैज़ के छे रंग हैं : (1) सियाह (2) सुर्ख़ (3) सब्ज़ (4) ज़र्द (5) गदला (6) मटियाला। सफ़ेद रंग की रत़ूबत ह़ैज़ नहीं।[3]

याद रहे कि औ़रत के अगले मक़ाम से जो ख़ालिस रत़ूबत बे आमेज़िश ख़ून निकलती है उस से वुज़ू नहीं टूटता अगर कपड़े में लग जाए तो कपड़ा पाक है।[4] **नोट :** ह़म्ल वाली औ़रत को जो ख़ून आया वोह **इस्तिह़ाज़ा** है।[5]

सुवाल ह़ैज़ क्यूं आता है इस की क्या ह़िक्मत है ?

1... तफ़्सीरे ख़ज़ाइनुल इरफ़ान, पारह : 2, अल बक़रह, तह़तल आयह : 222
2... बहारे शरीअ़त, 1/371, ह़िस्सा : 2
3... बहारे शरीअ़त, 1/373, ह़िस्सा : 2
4... बहारे शरीअ़त, 1/304, ह़िस्सा : 2
5... درمختار، کتاب الطہارۃ، باب الحیض، 1/524

जवाब बालिग़ा औ़रत के बदन में फ़ित़्रतन ज़रूरत से कुछ ज़ियादा ख़ून पैदा होता है कि ह़म्ल की ह़ालत में वोह ख़ून बच्चे की ग़िज़ा में काम आए और बच्चे के दूध पीने के ज़माने में वोही ख़ून दूध हो जाए अगर ऐसा न हो तो ह़म्ल और दूध पिलाने के ज़माने में इस की जान पर बन जाए येही वज्ह है कि ह़म्ल और इब्तिदाए शीर ख़्वारगी (या'नी दूध पिलाने) में ख़ून नहीं आता और जिस ज़माने में न ह़म्ल हो और न दूध पिलाना तब वोह ख़ून अगर बदन से न निकले तो क़िस्म क़िस्म की बीमारियां हो जाएं ।[1]

सुवाल हैज़ ज़ियादा से ज़ियादा कितने दिन तक आता है ?

जवाब हैज़ की कम से कम मुद्दत तीन दिन और तीन रातें या'नी पूरे 72 घन्टे हैं। अगर एक मिनट भी कम हुवा तो वोह हैज़ नहीं बल्कि इस्तिह़ाज़ा या'नी बीमारी का ख़ून है और ज़ियादा से ज़ियादा मुद्दत दस दिन और दस रातें या'नी 240 घन्टे हैं।

सुवाल येह कैसे मा'लूम होगा कि येह इस्तिह़ाज़ा है ?

जवाब अगर दस दिन और दस रात से ज़ियादा ख़ून आया तो अगर येह हैज़ पहली मरतबा आया है तो दस दिन तक हैज़ माना जाएगा। और इस के बा'द जो ख़ून आया वोह इस्तिह़ाज़ा है, और अगर पहले औ़रत को हैज़ आ चुके हैं और इस की आ़दत दस दिन से कम थी तो आ़दत से जितने दिन ज़ियादा ख़ून आया वोह इस्तिह़ाज़ा है, मिसाल के तौ़र पर किसी औ़रत को हर महीने में पांच दिन हैज़ आने की आ़दत थी अब की मरतबा दस दिन आया तो येह दसों दिन हैज़ के माने जाएंगे अलबत्ता अगर बारह दिन ख़ून आया तो आ़दत वाले पांच दिन हैज़ के माने जाएंगे और सात दिन इस्तिह़ाज़े के और अगर एक आ़दत मुक़र्रर न थी बल्कि किसी महीने चार दिन तो किसी महीने सात दिन हैज़ आता था तो पिछली मरतबा जितने दिन हैज़ के थे वोही अब भी हैज़ के दिन माने जाएंगे, और बाक़ी इस्तिह़ाज़े का ख़ून होगा।

सबक़ नम्बर 4 इस्तिह़ाज़ा का बयान

सुवाल इस्तिह़ाज़ा किसे कहते हैं ?

जवाब जो ख़ून बीमारी की वज्ह से आए। उस को इस्तिह़ाज़ा कहते हैं।[2]

1... बहारे शरीअ़त, 1/371, हिस्सा : 2

2... बहारे शरीअ़त, 1/371, हिस्सा : 2

उम्मुल मुअमिनीन ह़ज़रते सय्यिदतुना उम्मे सलमा رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا से रिवायत है कि रसूले अकरम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के अ़ह्दे मुबारक में एक औ़रत के अगले मक़ाम से ख़ून बहता रहता था। उस के लिये उम्मुल मुअमिनीन ह़ज़रते सय्यिदतुना उम्मे सलमा رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا ने हुज़ूरे अकरम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم से फ़तवा पूछा। इर्शाद फ़रमाया : इस बीमारी से पहले महीने में जितने दिन और रातें हैज़ आता था, उन की गिनती शुमार कर के महीने में उन ही की मिक़्दार नमाज़ छोड़ दे और जब वोह दिन जाते रहें तो ग़ुस्ल करे और शर्मगाह पर कपड़ा बांध कर नमाज़ पढ़े।[1]

इस्तिह़ाज़ा के अह़काम

(1) इस्तिह़ाज़े में न नमाज़ मुआफ़ है न रोज़ा, न ऐसी औ़रत से सोह़बत ह़राम।[2]

(2) मुस्तह़ाज़ा (या'नी इस्तिह़ाज़े वाली) का का'बे शरीफ़ में दाख़िल होना, त़वाफ़े का'बा, वुज़ू कर के क़ुरआन शरीफ़ को हाथ लगाना और उस की तिलावत करना येह तमाम उमूर भी जाइज़ हैं।[3]

(3) इस्तिह़ाज़ा अगर इस ह़द तक पहुंच गया कि (बार बार ख़ून आने के सबब) उस को इतनी मोहलत नहीं मिलती कि वुज़ू कर के फ़र्ज़ नमाज़ अदा कर सके तो नमाज़ का पूरा एक वक़्त शुरूअ़ से आख़िर तक इसी ह़ालत में गुज़र जाने पर उस को मा'ज़ूर कहा जाएगा, एक वुज़ू से उस वक़्त में जितनी नमाज़ें चाहे पढ़े, ख़ून आने से उस का वुज़ू न जाएगा।[4]

(4) अगर कपड़ा वग़ैरा रख कर इतनी देर तक ख़ून रोक सकती है कि वुज़ू कर के फ़र्ज़ पढ़ ले, तो उ़ज़्र साबित न होगा। (या'नी ऐसी सूरत में "मा'ज़ूर" नहीं कहलाएगी)।[5]

हैज़ की कम अज़ कम और इन्तिहाई उ़म्र

सुवाल हैज़ आना किस उ़म्र से शुरूअ़ और किस उ़म्र में रुकता है ?

1... موطاامام مالک، 1/77-78حدیث:140
2... فتاوی ہندیہ، کتاب الطہارۃ، باب فی الدماء المختصۃ بالنساء، 1/39
3... ردالمحتار، کتاب الطہارۃ، مطلب لو افتی مفت بشیٔ...الخ، 1/544
4... बहारे शरीअ़त, 1/385, हिस्सा : 2
5... बहारे शरीअ़त, 1/385, हिस्सा : 2

जवाब कम से कम 9 बरस की उ़म्र से हैज़ शुरूअ़ होगा और हैज़ आने की इन्तिहाई उ़म्र पचपन साल है। इस उ़म्र वाली को आइसा (या'नी हैज़ व औलाद से ना उम्मीद होने वाली) कहते हैं।[1]

नव बरस की उ़म्र से पहले जो ख़ून आएगा वोह हैज़ नहीं बल्कि इस्तिह़ाज़ा है यूं ही 55 बरस की उ़म्र के बा'द जो आएगा वोह भी इस्तिह़ाज़ा है। लेकिन अगर किसी को 55 बरस की उ़म्र के बा'द भी ख़ालिस ख़ून बिल्कुल ऐसे ही रंग का आया जैसा कि हैज़ के ज़माने में आया करता था तो उस को हैज़ मान लिया जाएगा।

सुवाल दो हैज़ों के दरमियान कितना फ़ासिला होता है ?

जवाब दो हैज़ों के दरमियान कम से कम पूरे 15 दिन का फ़ासिला ज़रूरी है।[1]

औ़रत को चाहिये कि वोह हैज़ आने की मुद्दत अच्छी त़रह़ याद रखे या लिख ले ताकि शरीअ़ते मुत़ह्हरा पर अह़्सन त़रीक़े से अ़मल कर सके, मुद्दते हैज़ याद न रखने की सूरत में बहुत सी पेचीदगियां हो जाती हैं।

अहम मस्अला : येह ज़रूरी नहीं कि मुद्दत में हर वक़्त ख़ून जारी रहे जब ही हैज़ हो बल्कि अगर बा'ज़ बा'ज़ वक़्त भी आए, जब भी हैज़ है।[3]

सबक़ नम्बर 5 — निफ़ास का बयान

सुवाल निफ़ास किसे कहते हैं ?

जवाब बच्चा होने के बा'द औ़रत के आगे के मक़ाम से जो ख़ून आता है वोह निफ़ास कहलाता है।[4]

अक्सर ख़्वातीन में येह मश्हूर है कि बच्चा जनने के बा'द इस्लामी बहन 40 दिन तक लाज़िमी त़ौर पर नापाक रहती है येह बात बिल्कुल ग़लत़ है। बराए करम ! निफ़ास की ज़रूरी वज़ाह़त पढ़ लीजिये :

निफ़ास की ज़ियादा से ज़ियादा मुद्दत 40 दिन है या'नी अगर 40 दिन के बा'द भी बन्द न हो तो मरज़ है। लिहाज़ा 40 दिन पूरे होते ही ग़ुस्ल कर ले और 40 दिन से पहले बन्द हो जाए ख़्वाह बच्चे की विलादत के बा'द एक मिनट ही में बन्द हो जाए तो जिस वक़्त भी बन्द हो ग़ुस्ल कर ले और नमाज़

1... बहारे शरीअ़त, 1/372, ह़िस्सा : 2

2... درِمختار، کتاب الطہارۃ، باب الحیض، 1/524

3... درِمختار مع ردالمحتار، کتاب الطہارۃ، باب الحیض، 1/523

4... فتاوی ہندیہ، کتاب الطہارۃ، باب الدماء المختصۃ بالنساء، 1/37

व रोज़ा शुरूअ़ हो गए। अगर 40 दिन के अन्दर अन्दर दोबारा ख़ून आ गया तो शुरूए़ विलादत से ख़त्मे ख़ून तक सब दिन निफ़ास ही के शुमार होंगे। मसलन विलादत के बा'द दो मिनट तक ख़ून आ कर बन्द हो गया और ग़ुस्ल कर के नमाज़ रोज़ा वग़ैरा करती रही, 40 दिन पूरे होने में फ़क़त़ दो मिनट बाक़ी थे कि फिर ख़ून आ गया तो सारा चिल्ला या'नी मुकम्मल 40 दिन निफ़ास के ठहरेंगे। जो भी नमाज़ें पढ़ीं या रोज़े रखे सब बेकार गए, यहां तक कि अगर इस दौरान फ़र्ज़ व वाजिब नमाज़ें या रोज़े क़ज़ा किये थे तो वोह भी फिर से अदा करे।[1]

निफ़ास के मुतअ़ल्लिक़ कुछ ज़रूरी मसाइल

सुवाल निफ़ास के मुतअ़ल्लिक़ कुछ मसाइल बयान कीजिये।

जवाब किसी औ़रत को 40 दिन व रात से ज़ियादा निफ़ास का ख़ून आया, अगर पहला बच्चा पैदा हुवा है तो 40 दिन रात निफ़ास है, बाक़ी जितने अय्याम 40 दिन रात से ज़ियादा हुए हैं वोह इस्तिह़ाज़े के हैं। और अगर इस से पहले भी बच्चा तो पैदा हुवा था मगर येह याद नहीं रहा कि कितने दिन ख़ून आया था तो इस सूरत में भी येही मस्अला होगा या'नी 40 दिन रात निफ़ास के और बाक़ी इस्तिह़ाज़े के और अगर पहले बच्चे के पैदा होने पर ख़ून आने के दिन याद हैं मसलन पहले जो बच्चा पैदा हुवा था तो 30 दिन रात ख़ून आया था तो इस सूरत में 30 दिन रात निफ़ास के हैं बाक़ी इस्तिह़ाज़े के मसलन पहले बच्चे के पैदा होने पर 30 दिन रात ख़ून आया था और दूसरे बच्चे की पैदाइश पर 50 दिन रात ख़ून आया तो 30 दिन निफ़ास के होंगे बाक़ी 20 दिन रात इस्तिह़ाज़े के।[2]

ह़म्ल साक़ित़ हो गया और उस का कोई उ़ज़्व बन चुका है जैसे हाथ, पाउं या उंग्लियां, तो येह ख़ून निफ़ास है।[3] वरना अगर तीन दिन रात तक रहा और इस से पहले पन्दरह दिन पाक रहने का ज़माना गुज़र चुका है तो ह़ैज़ है और जो तीन दिन से पहले ही बन्द हो गया, या अभी पूरे पन्दरह दिन त़हारत के नहीं गुज़रे हैं तो इस्तिह़ाज़ा है।[4]

बच्चा जनने के बा'द से ले कर निफ़ास से पाक होने तक औ़रत ज़च्चा कहलाती है ऐसी औ़रत या'नी ज़च्चा को ज़च्चाख़ाने से निकलना जाइज़ है। इस को साथ खिलाने या इस का झूटा खाने में कोई

1... फ़तावा रज़विय्या, 4/354 ता 356 माख़ूज़न

2... बहारे शरीअ़त, 1/377, हि़स्सा : 2

3... فتاوی ہندیہ، کتاب الطہارۃ، باب الدماء المختصۃ بالنساء 1/37

4... बहारे शरीअ़त, 1/377, हि़स्सा : 2

ह़रज नहीं, बा'ज़ इस्लामी बहनें ज़च्चा के बरतन तक अलग कर देती हैं बल्कि उन बरतनों को مَعَاذَاللّٰہ एक त़रह़ से नापाक समझती हैं ऐसी बेहूदा रस्मों से एह़तियात़ लाज़िम है। इसी त़रह़ येह मस्अला भी मन घड़त है कि ज़च्चा (निफ़ास वाली) जब ग़ुस्ल करे तो वोह चालीस लोटों के पानी से ग़ुस्ल करे वरना ग़ुस्ल नहीं उतरेगा। सह़ीह़ मस्अला येह है कि अपनी ज़रूरत के मुत़ाबिक़ पानी इस्ति'माल करे।

हैज़ व निफ़ास के 21 अह़काम

सुवाल हैज़ व निफ़ास के अह़काम बयान कीजिये ?

जवाब (1) इस (हैज़ व निफ़ास की) ह़ालत में नमाज़ पढ़ना और रोज़ा रखना ह़राम है[1]

(2) इन दिनों में नमाज़ें मुआ़फ़ हैं इन की क़ज़ा भी नहीं। अलबत्ता रोज़ों की क़ज़ा दूसरे दिनों में रखना फ़र्ज़ है।[2] इस मुआ़मले में ख़वातीन इम्तिह़ान में पड़ जाती हैं। एक ता'दाद है जो रोज़े क़ज़ा नहीं करती। मेह्रबानी कर के लाज़िमी रोज़े क़ज़ा करें वरना जहन्नम का अ़ज़ाब सहा न जाएगा।

(3) हैज़ व निफ़ास वाली को क़ुरआने मजीद पढ़ना ह़राम है ख़्वाह देख कर पढ़े या ज़बानी पढ़े। यूं ही क़ुरआने मजीद का छूना भी ह़राम है। हां अगर जुज़्दान में क़ुरआने मजीद हो तो उस जुज़्दान को छूने में कोई ह़रज नहीं।[3]

(4) क़ुरआने मजीद पढ़ने के इ़लावा दूसरे तमाम अवरादो वज़ाइफ़ कलिमा शरीफ़ और दुरूद शरीफ़ वग़ैरा हैज़ व निफ़ास की ह़ालत में इस्लामी बहन बिला कराहत पढ़ सकती है बल्कि मुस्तह़ब है कि नमाज़ों के अवक़ात में वुज़ू कर के इतनी देर तक दुरूद शरीफ़ और दूसरे वज़ाइफ़ पढ़ लिया करे जितनी देर में नमाज़ पढ़ सकती थी ताकि आ़दत बाक़ी रहे।[4]

(5) हैज़ व निफ़ास की ह़ालत में हम बिस्तरी ह़राम है। इस ह़ालत में नाफ़ से घुटने तक औ़रत के बदन को मर्द अपने किसी उ़ज़्व से न छूए कि येह भी ना जाइज़ है जब कि कपड़ा वग़ैरा ह़ाइल न हो शह्वत से हो या बे शह्वत और अगर ऐसा ह़ाइल हो कि बदन की गरमी मह़सूस न होगी तो ह़रज

1... बहारे शरीअ़त, 1/380, ह़िस्सा : 2
2... बहारे शरीअ़त, 1/380, ह़िस्सा : 2
3... बहारे शरीअ़त, 1/379, ह़िस्सा : 2
4... बहारे शरीअ़त, 1/379, ह़िस्सा : 2 मफ़्हूमन

नहीं। हां नाफ़ से ऊपर और घुटने के नीचे के बदन को छूना और बोसा वग़ैरा देना जाइज़ है।[1] इस हालत में औ़रत मर्द के हर हिस्सए बदन को हाथ लगा सकती है।[2]

(6) हैज़ व निफ़ास की ह़ालत में औ़रत को मस्जिद में जाना ह़राम है। हां अगर चोर या दरिन्दे से डर कर या किसी भी शदीद मजबूरी से मजबूर हो कर मस्जिद में चली जाए तो जाइज़ है मगर उस को चाहिये कि तयम्मुम कर के मस्जिद में जाए।[3]

(7) हैज़ व निफ़ास वाली औ़रत अगर ईदगाह में दाख़िल हो जाए तो कोई ह़रज नहीं।[4]

(8) हैज़ व निफ़ास की ह़ालत में अगर मस्जिद के बाहर रह कर और हाथ बढ़ा कर मस्जिद से कोई चीज़ उठा ले या मस्जिद में कोई चीज़ रख दे तो जाइज़ है।[5]

(9) हैज़ व निफ़ास वाली को ख़ानए का'बा के अन्दर जाना और उस का त़वाफ़ करना अगर्चे मस्जिदुल ह़राम के बाहर से हो ह़राम है।[6]

(10) हैज़ व निफ़ास की ह़ालत में बीवी को अपने बिस्तर पर सुलाने में ग़लबए शह्वत या अपने को क़ाबू में न रखने का अन्देशा हो तो शौहर के लिये लाज़िम है कि बीवी को अपने बिस्तर पर न सुलाए बल्कि अगर गुमान ग़ालिब हो कि शह्वत पर क़ाबू न रख सकेगा तो शौहर को ऐसी ह़ालत में बीवी को अपने साथ सुलाना गुनाह है।[7]

(11) हैज़ व निफ़ास की ह़ालत में बीवी के साथ हम बिस्तरी को ह़लाल समझना कुफ़्र है और ह़राम समझते हुए कर लिया तो सख़्त गुनहगार हुवा उस पर तौबा करना फ़र्ज़ है। और अगर शुरूए हैज़ व निफ़ास में ऐसा कर लिया तो एक दीनार और अगर क़रीबे ख़त्म के किया तो निस्फ़ (या'नी आधा) दीनार ख़ैरात करना मुस्तह़ब है[8] अ़जब नहीं कि यहां सोना देना ही अन्सब (या'नी मुनासिब तर) हो।[9] ताकि ख़ुदा के ग़ज़ब से अमान पाए। इस का मत़लब हरगिज़ येह नहीं कि

1... बहारे शरीअ़त, 1/382 हिस्सा : 2
2... बहारे शरीअ़त, 1/383 हिस्सा : 2
3... बहारे शरीअ़त, 1/379 हिस्सा : 2 मफ़्हूमन
4... बहारे शरीअ़त, 1/380 हिस्सा : 2 मफ़्हूमन
5... बहारे शरीअ़त, 1/380 हिस्सा : 2 मफ़्हूमन
6... बहारे शरीअ़त, 1/380 हिस्सा : 2 मफ़्हूमन
7... बहारे शरीअ़त, 1/383 हिस्सा : 2 मफ़्हूमन
8... बहारे शरीअ़त, 1/382 हिस्सा : 2 मफ़्हूमन
9... फ़तावा रज़विय्या, 4/364

ख़ैरात कर देने का ज़ेह्न बना कर مَعَاذَاللہ जान बूझ कर जिमाअ़ में मुब्तला हो, अगर ऐसा किया तो सख़्त गुनहगार और जहन्नम का ह़क़दार है। दुर्रे मुख़्तार में है : इस का मसरफ़ वोही है जो ज़कात का है। क्या औ़रत पर भी सदक़ा करना मुस्तह़ब है ? ज़ाहिर बात येह है कि औ़रत पर येह हुक्म नहीं है।[1]

(12) रोजे़ की ह़ालत में अगर हैज़ व निफ़ास शुरूअ़ हो गया तो वोह रोज़ा जाता रहा उस की क़ज़ा रखे, फ़र्ज़ था तो क़ज़ा फ़र्ज़ है और नफ़्ल था तो क़ज़ा वाजिब है।[2]

(13) (हैज़ अगर) पूरे दस दिन पर ख़त्म हुवा तो पाक होते ही उस से जिमाअ़ करना जाइज़ है अगर्चे अब तक ग़ुस्ल न किया हो लेकिन मुस्तह़ब येह है कि नहाने के बा'द सोह़बत करे।[3]

(14) अगर दस दिन से कम में हैज़ बन्द हो गया तो जब तक ग़ुस्ल न करे या वोह वक़्ते नमाज़ जिस में पाक हुई न गुज़र जाए सोह़बत करना जाइज़ नहीं।[4]

(15) हैज़ व निफ़ास की ह़ालत में सज्दए तिलावत भी ह़राम है और सज्दे की आयत सुनने से उस पर सज्दा वाजिब नहीं।[5]

(16) रात को सोते वक़्त औ़रत पाक थी और सुब्ह़ को सो कर उठी तो हैज़ का असर देखा तो उसी वक़्त से हैज़ का हुक्म दिया जाएगा रात से ह़ाइज़ा नहीं मानी जाएगी।[6]

(17) हैज़ वाली सुब्ह़ को सो कर उठी और गद्दी पर कोई निशान हैज़ का नहीं तो रात ही से पाक मानी जाएगी।[7]

(18) जब तक औ़रत को ख़ून आए नमाज़ छोड़े रखे अलबत्ता अगर ख़ून बहना दस दिन रात कामिल से आगे बढ़ जाए तो ग़ुस्ल कर के नमाज़ पढ़ना शुरूअ़ कर दे येह इस सूरत में है कि पिछला हैज़ भी दस दिन रात आया हो और अगर पिछला हैज़ दस दिन से कम था। मसलन 6 दिन का था तो

1... درمختار، کتاب الطہارۃ، باب الحیض، 1/543

2... बहारे शरीअ़त, 1/382, ह़िस्सा : 2

3... बहारे शरीअ़त, 1/383, ह़िस्सा : 2

4... बहारे शरीअ़त, 1/383, ह़िस्सा : 2 ब तग़य्युरे क़लील

5... बहारे शरीअ़त, 1/382, ह़िस्सा : 2

6... बहारे शरीअ़त, 1/382, ह़िस्सा : 2 मुलख़्ख़सन

7... बहारे शरीअ़त, 1/382, ह़िस्सा : 2 ब तग़य्युरे क़लील

अब ग़ुस्ल कर के चार दिन की क़ज़ा नमाज़ें पढ़े और अगर पिछला हैज़ चार दिन का था तो अब छे दिन की क़ज़ा नमाज़ें पढ़ेगी।[1]

(19) जो हैज़ अपनी पूरी मुद्दत या'नी दस दिन कामिल से कम में ख़त्म हो जाए उस में दो सूरतें हैं :

(1) या तो औ़रत की आ़दत से भी कम मुद्दत में ख़त्म हुवा या'नी इस से पहले महीने में जितने दिन हैज़ आया था उतने दिन भी अभी नहीं गुज़रे थे कि ख़ून बन्द हो गया। लिहाज़ा इस सूरत में सोहबत अभी जाइज़ नहीं अगर्चे ग़ुस्ल भी कर ले।

(2) और अगर आ़दत से कम मुद्दत हैज़ नहीं आया। मसलन पहले महीने सात दिन हैज़ आया था अब भी सात दिन या आठ दिन हैज़ आ कर ख़त्म हो गया या येह पहला ही हैज़ है जो इस औ़रत को आया और दस दिन से कम में ख़त्म हुवा तो इन सूरतों में सोहबत जाइज़ होने के लिये दो बातों में से एक बात ज़रूरी है :

पहली बात : या तो औ़रत ग़ुस्ल कर ले और अगर ब वज्हे मरज़ या पानी न होने के तयम्मुम करना हो तो तयम्मुम कर के नमाज़ भी पढ़ ले सिर्फ़ तयम्मुम काफ़ी नहीं।

दूसरी बात : या औ़रत ग़ुस्ल करे तो इतना हो कि उस औ़रत पर कोई नमाज़े फ़र्ज़, फ़र्ज़ हो जाए या'नी नमाज़े पन्जगाना से किसी नमाज़ का वक़्त गुज़र जाए जिस में कम से कम उस ने इतना वक़्त पाया हो जिस में वोह नहा कर सर से पाउं तक एक चादर ओढ़ कर तक्बीरे तह़रीमा कह सकती है तो इस सूरत में बिग़ैर त़हारत या'नी ग़ुस्ल के बिग़ैर भी उस से सोहबत जाइज़ हो जाएगी।[2]

(20) निफ़ास में ख़ून जारी होता है अगर पानी जारी हो तो वोह कोई चीज़ नहीं लिहाज़ा चालीस दिन के अन्दर जब भी ख़ून लौटेगा शुरूए विलादत से ख़त्मे ख़ून तक सब दिन निफ़ास ही के गिने जाएंगे। जो दिन बीच में ख़ून न आने की वज्ह से ख़ाली रह गए वोह भी निफ़ास ही में शुमार होंगे मसलन बच्चे की विलादत के बा'द दो मिनट तक ख़ून आ कर बन्द हो गया। औ़रत ने त़हारत का गुमान कर के ग़ुस्ल किया और नमाज़, रोज़ा वग़ैरा अदा करती रही मगर चालीस दिन पूरे होने में अभी दो मिनट बाक़ी थे कि फिर ख़ून आ गया तो येह सारे दिन निफ़ास ही के ठहरेंगे, नमाज़ें बेकार गईं, फ़र्ज़ या वाजिब रोज़े या अगली क़ज़ा नमाज़ें जितनी पढ़ी हों उन्हें फिर फेरे।[3]

1... फ़तावा रज़विय्या, 4/350
2... फ़तावा रज़विय्या, 4/352
3... फ़तावा रज़विय्या, 4/354

(21) हैज़ वाली औरत के हाथ का पका हुवा खाना भी जाइज़ और उसे अपने साथ खाना खिलाना भी जाइज़, इन बातों से एहतिराज़ व इज्तिनाब यहूद व मजूस[1] का मस्अला है कि वोह ऐसा करते हैं।[2]

हैज़ व निफ़ास की ह़ालत में मुअ़ल्लिमा क़ुरआन कैसे पढ़ाए ?

सुवाल हैज़ व निफ़ास की ह़ालत में मुअ़ल्लिमा क़ुरआन पढ़ा सकती ? अगर पढ़ा सकती है तो क्या त़रीक़ा है ? तोड़ तोड़ कर कैसे पढ़ाए ? और ऑन लाइन या घरों में पढ़ाने वालियों को भी क्या इजाज़त है ?

जवाब शरई़ उ़ज़्र (हैज़ व निफ़ास) की ह़ालत में क़ुरआने पाक पढ़ना जाइज़ नहीं है, हां मुअ़ल्लिमा के लिये मख़्सूस त़रीक़े से क़ुरआन पढ़ाने की इजाज़त है चाहे वोह घर में पढ़ाए या किसी इदारे वग़ैरा में पढ़ाए। मख़्सूस त़रीक़े से मुराद येह है कि मुअ़ल्लिमा दो कलिमे एक सांस में अदा न करे बल्कि एक कलिमा पढ़ा कर सांस तोड़ दे फिर दूसरा कलिमा पढ़ाए और पढ़ते वक़्त येह निय्यत करे कि मैं क़ुरआन नहीं पढ़ रही बल्कि मसलन यूं निय्यत करे कि अ़रबी ज़बान के अल्फ़ाज़ अदा कर रही हूं, और जो एक एक ह़र्फ़ कर के हिज्जे करवाए जाते हैं उस में अस्लन कोई ह़रज नहीं बल्कि एक कलिमे के मुख़्तलिफ़ ह़ुरूफ़ एक सांस में भी पढ़ सकते हैं, हां एक कलिमे से ज़ियादा एक सांस में पढ़ने की इजाज़त नहीं।[3]

नोट : वाज़ेह़ रहे कि वोह आयात जिन में दुआ़ या ह़म्दो सना के मा'ना पाए जाते हैं उन को शरई़ उ़ज़्र की ह़ालत में दुआ़ व ह़म्दो सना की निय्यत से पढ़ना हर औ़रत के लिये जाइज़ है चाहे वोह मुअ़ल्लिमा हो या न हो।

सुवाल मद्रसतुल मदीना लिल बनात के हिफ़्ज़े क़ुरआन की बालिग़ात त़ालिबात अय्यामे मख़्सूसा में अपना सबक़ याद करने की निय्यत से क़ुरआने अ़ज़ीम पढ़ सकती हैं ?

जवाब अय्यामे मख़्सूसा में सबक़ याद करने की निय्यत से भी क़ुरआने अ़ज़ीम नहीं पढ़ सकतीं कि इन दिनों में क़ुरआने अ़ज़ीम की तिलावत करना ह़राम है अलबत्ता क़ुरआन देख और सुन सकती हैं, लिहाज़ा उ़ज़्र के दिनों में अपनी मन्ज़िल को देख लिया करें या किसी से सुन लिया करें।[4]

1... मजूसी या'नी आतश परस्त, मजूसी की जम्अ़ मजूस है।

2... फ़तावा रज़विय्या, 4/355

3... मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 29

4... मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 30

हैज़ की ह़ालत में औ़रत कुरआन की तिलावत सुन सकती है ?

सुवाल क्या हैज़ (Menses) की ह़ालत में औ़रत कुरआन शरीफ़ की तिलावत सुन सकती है ? नीज़ अगर उस ने आयते सज्दा सुनी तो उस पर सज्दए तिलावत लाज़िम होगा या नहीं ?

जवाब ह़ाएज़ा औ़रत कुरआने मजीद की तिलावत सुन सकती है, मुमानअ़त सिर्फ़ कुरआने मजीद पढ़ने या उस को बिला ह़ाइल छूने की है, सुनने की कहीं मुमानअ़त नहीं है। नीज़ ह़ाएज़ा औ़रत ने अगर आयते सज्दा सुनी तो उस पर सज्दए तिलावत वाजिब नहीं होता क्यूं कि आयते सज्दा पढ़ने या सुनने वाले पर सज्दा उस वक़्त वाजिब होता है जब कि वोह वुजूबे नमाज़ का अह्ल हो और ह़ाएज़ा औ़रत वुजूबे नमाज़ की अहलिय्यत नहीं रखती या'नी उस पर न उन अय्याम में नमाज़ फ़र्ज़ होती है और न ही बा'द में क़ज़ा लाज़िम होती है।(1)

वक़्ते नमाज़ शुरूअ़ होने के बा'द अगर औ़रत को हैज़ आ जाए ?

सुवाल अगर नमाज़ का वक़्त शुरूअ़ हो चुका हो और औ़रत को हैज़ आ जाए, तो क्या औ़रत पर पाक होने के बा'द उस वक़्त की नमाज़ क़ज़ा करना लाज़िम है ?

जवाब नमाज़ का वक़्त दाख़िल हो चुका और औ़रत ने अभी तक नमाज़ अदा न की, कि उसे हैज़ या निफ़ास आ गया तो पाक होने के बा'द औ़रत पर उस नमाज़ की क़ज़ा लाज़िम नहीं, क्यूं कि फ़र्ज़िय्यते नमाज़ का सबबे ह़क़ीक़ी हुक्मे इलाही और सबबे ज़ाहिरी वक़्त है, इस के किसी भी जुज़ में नमाज़ अदा की जाए तो फ़र्ज़ ज़िम्मे से साक़ित़ हो जाता है, इब्तिदाए वक़्त में ही नमाज़ अदा करना लाज़िमी नहीं, इस इख़्तियार के सबब अगर किसी ने अव्वल वक़्त में नमाज़ अदा न की यहां तक कि उसे ऐसा उ़ज़्र लाह़िक़ हो गया जिस की वज्ह से नमाज़ साक़ित़ हो जाए तो उस वक़्त की नमाज़ मुआ़फ़ और उस की क़ज़ा भी लाज़िम नहीं होती।(2)

औ़रत के मख़्सूस अय्याम में फ़र्ज़ त़वाफ़ का हुक्म

सुवाल ह़ज के मौक़अ़ पर अगर किसी औ़रत को 8 ज़ुल ह़िज्जतिल ह़राम के दिन माहवारी आए और माहवारी ख़त्म होने से पहले उस की वापसी की टिकट हो और उस ने त़वाफ़े ज़ियारत न किया हो, टिकट मन्सूख़ करवाने में शदीद दुश्वारी का सामना हो तो इस सूरत में उस के लिये शरीअ़ते मुत़ह्हरा

1... मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 31
2... मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 67

की रोशनी में क्या ह़ल है ?

जवाब ऐसी औ़रत अपनी टिकट मन्सूख़ करवाए और पाक होने के बा'द त़वाफ़े फ़र्ज़ अदा करे, अगर्चे बारहवीं के बा'द ही पाक हो, अगर टिकट मन्सूख़ करवाने में अपनी या हम सफ़रों की सख़्त तक्लीफ़ व दुश्वारी का सामना हो तब भी ऐसी औ़रत के लिये इस नापाकी की ह़ालत में मस्जिद में दाख़िल होना ना जाइज़ व गुनाह है। और अगर वोह इसी ह़ालत में दाख़िल हो गई और उस ने त़वाफ़ भी कर लिया तो गुनाहगार होगी अलबत्ता इस सूरत में त़वाफ़ वाला फ़र्ज़ अदा हो जाएगा और उस पर इस गुनाह से तौबा करना लाज़िम होगी और नापाकी की ह़ालत में त़वाफ़ करने के सबब ह़रम में एक बदना (या'नी भेंस या ऊंट की क़ुरबानी) देना उस पर लाज़िम होगा, फिर बा'द में अगर बारहवीं के ग़ुरूबे आफ़्ताब तक त़हारत कर के त़वाफ़ुज़्ज़ियारह का इआ़दा करने में काम्याबी हो गई तो कफ़्फ़ारा साक़ित़ हो गया और बारहवीं के बा'द अगर पाक होने के बा'द मौक़अ़ मिल गया और इआ़दा कर लिया तो बदना साक़ित़ हो गया मगर दम देना होगा।[1]

क्या औ़रत ह़ज व उ़म्रह के लिये ह़ैज़ रोकने वाली गोलियां खा सकती है ?

सुवाल औ़रत ह़ज व उ़म्रह के लिये ह़ैज़ रोकने वाली गोलियां खा सकती है या नहीं ?

जवाब जी हां ! इस्ति'माल कर सकती है बशर्ते़ कि जिस्मानी तौ़र पर किसी बड़े और फ़ौरी ज़रर का सबब न बनें। और अगर जिस्मानी तौ़र पर किसी बड़े और फ़ौरी ज़रर का सबब बनें तो इजाज़त नहीं, **अल्लाह** पाक क़ुरआने पाक में इर्शाद फ़रमाता है :

﴿وَلَا تُلْقُوْا بِاَیْدِیْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۚۛ﴾

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और अपने हाथों हलाकत में न पड़ो। (पारह : 2, अल बक़रह : 195)[2]

ह़ालते ह़ैज़ में सई का ह़ुक्म

सुवाल उ़म्रह के लिये जाने वाली औ़रत अगर ह़ैज़ की ह़ालत में हो तो उस को त़वाफ़ की इजाज़त तो नहीं है। क्या येह दुरुस्त होगा कि वोह पहले सई कर ले और जब ह़ैज़ से पाक हो जाए तो त़वाफ़ करे और तक़्सीर कर के एह़राम से बाहर आ जाए ?

जवाब ह़ैज़ की वज्ह से औ़रत जब त़वाफ़ नहीं कर सकती तो उस की सई भी दुरुस्त नहीं होगी क्यूं कि सई के लिये अगर्चे त़हारत शर्त़ नहीं मगर येह शर्त़ है कि सई पूरे त़वाफ़ या इस के अक्सर या'नी चार फेरों के बा'द हो।[3]

1... मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 115
2... मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 116
3... मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 117

सबक़ नम्बर 6

इस्तिन्जा का बयान

✽ इस्तिन्जा ख़ाने में जिन्नात और शयातीन रहते हैं अगर जाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाए तो इस की बरकत से वोह सित्र देख नहीं सकते। ह़दीसे पाक में है : जिन्न की आंखों और लोगों के सित्र के दरमियान पर्दा येह है कि जब पाख़ाने को जाए तो बिस्मिल्लाह कह ले।[(1)] या'नी जैसे दीवार और पर्दे लोगों की निगाह के लिये आड़ बनते हैं ऐसे ही येह **अल्लाह** पाक का ज़िक्र जिन्नात की निगाहों से आड़ बनेगा कि जिन्नात उस को देख न सकेंगे।[(2)] ✽ इस्तिन्जा ख़ाने में दाख़िल होने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिये बल्कि बेहतर है कि येह दुआ़ पढ़ लीजिये : (अव्वल व आख़िर दुरूद शरीफ़) بِسۡمِ اللّٰہِ اَللّٰھُمَّ اِنِّیۡ اَعُوۡذُبِکَ مِنَ الۡخُبُثِ وَالۡخَبَائِثِ या'नी **अल्लाह** के नाम से शुरूअ़, **या अल्लाह** ! मैं गन्दी और नापाक चीज़ों से तेरी पनाह मांगता हूं।[(3)] ✽ फिर पहले उलटा क़दम इस्तिन्जा ख़ाने में रख कर दाख़िल हों ✽ सर ढांप कर इस्तिन्जा करें ✽ नंगे सर इस्तिन्जा ख़ाने में दाख़िल होना मम्नूअ़ है ✽ जब पेशाब करने या क़ज़ाए ह़ाजत के लिये बैठें तो मुंह और पीठ दोनों में से कोई भी क़िब्ले की त़रफ़ न हो अगर भूल कर क़िब्ले की त़रफ़ मुंह या पुश्त कर के बैठ गए तो याद आते ही फ़ौरन क़िब्ले की त़रफ़ से इस त़रह़ रुख़ बदल दे कि कम अज़ कम 45 डिग्री से बाहर हो जाए इस में उम्मीद है कि फ़ौरन उस के लिये मग़्फ़िरत व बख़्शिश फ़रमा दी जाए। ✽ बच्चों को भी क़िब्ले की त़रफ़ मुंह या पीठ करा के पेशाब या पाख़ाना न कराएं, अगर किसी ने ऐसा किया तो वोह गुनहगार होगा। ✽ जब तक क़ज़ाए ह़ाजत के लिये बैठने के क़रीब न हो कपड़ा बदन से न हटाए और न ही ज़रूरत से ज़ियादा बदन खोले। ✽ फिर दोनों पाउं ज़रा कुशादा (या'नी खुले) कर के बाएं (या'नी उलटे) पाउं पर ज़ोर दे कर बैठे कि इस त़रह़ बड़ी आंत का मुंह खुलता है और इजाबत आसानी से होती है ✽ किसी दीनी मस्अले पर ग़ौर न करे कि मह़रूमी का बाइ़स है ✽ उस वक़्त छींक ✽ सलाम या अज़ान का जवाब : ज़बान से न दे। ✽ अगर ख़ुद छींके तो ज़बान से اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ न कहे, दिल में कह ले। ✽ बातचीत न करे। ✽ अपनी शर्मगाह की त़रफ़ न देखे। ✽ उस नजासत को न देखे जो बदन से निकली है। ✽ ख़्वाह म ख़्वाह देर तक इस्तिन्जा ख़ाने में न बैठे कि बवासीर होने का अन्देशा है। ✽ पेशाब में न थूके, न नाक साफ़ करे, न बिला ज़रूरत

1... ترمذی، کتاب السفر، باب ماذکر من التسمیة عند دخول الخلاء، 2/113 حدیث:606

2...मिरआतुल मनाजीह़, 1/268

3... کتاب الدعاء للطبرانی، باب القول عند دخول الخلاء، ص132، حدیث:357

बैतुल ख़ला में दाख़िल होने के आदाब

दाख़िल होने से पहले सर ढांपना

दुआ पढ़ना :

بِسۡمِ اللّٰہِ اَللّٰھُمَّ اِنِّیۡ اَعُوۡذُبِکَ مِنَ الۡخُبُثِ وَالۡخَبَائِثِ

पहले उलटा क़दम बैतुल ख़ला में दाख़िल करना

किसी क़िस्म की बातचीत न करना

निकलते वक़्त पहले सीधा क़दम बाहर निकालना

निकलने के बा'द दुआ पढ़ना :

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ الَّذِیۡ اَذۡھَبَ عَنِّی الۡاَذٰی وَعَافَانِیۡ

खन्कारे, न बार बार इधर उधर देखे, न बेकार बदन छूए, न आस्मान की त़रफ़ निगाह करे, बल्कि शर्म के साथ सर झुकाए रहे। ✽ क़ज़ाए ह़ाजत से फ़ारिग़ होने के बा'द पहले पेशाब का मक़ाम धोए फिर पाख़ाने का मक़ाम ✽ पानी से इस्तिन्जा करने का मुस्तह़ब त़रीक़ा येह है कि ज़रा कुशादा (या'नी खुला) हो कर बैठे और सीधे हाथ से आहिस्ता आहिस्ता पानी डाले और उलटे हाथ की उंग्लियों के पेट से नजासत के मक़ाम को धोए उंग्लियों का सिरा न लगे और पहले बीच की उंगली ऊंची रखे फिर इस के बराबर वाली इस के बा'द छोटी उंगली को ऊंची रखे, लोटा ऊंचा रखे कि छींटें न पड़ें, सीधे हाथ से इस्तिन्जा करना मक्रूह है और धोने में मुबालग़ा करे या'नी सांस का दबाव नीचे की जानिब डाले यहां तक कि अच्छी त़रह़ नजासत का मक़ाम धुल जाए या'नी इस त़रह़ कि चिक्नाई का असर बाक़ी न रहे अगर रोज़ादार हो तो फिर मुबालग़ा न करे। ✽ त़हारत ह़ासिल होने के बा'द हाथ भी पाक हो गए लेकिन बा'द में साबुन वग़ैरा से भी धो ले।[(1)] ✽ जब इस्तिन्जा ख़ाने से निकले तो पहले सीधा क़दम बाहर निकाले और बाहर निकलने के बा'द (अव्वल आख़िर दुरूद शरीफ़ के साथ) येह दुआ़ पढ़े : اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَذْھَبَ عَنِّی الْاَذٰی وَعَافَانِیْ या'नी **अल्लाह** पाक का शुक्र है जिस ने मुझ से तक्लीफ़ देह चीज़ को दूर किया और मुझे आ़फ़ियत (राह़त) बख़्शी।[(2)]

बेहतर येह है कि साथ में येह दुआ़ भी मिला ले इस त़रह़ दो ह़दीसों पर अ़मल हो जाएगा : غُفْرَانَكَ **तरजमा :** मैं **अल्लाह** पाक से मग़्फ़िरत का सुवाल करता हूं।[(3)]

इस्तिन्जा के ढेलों के अह़काम

✽ आगे पीछे से जब नजासत निकले तो ढेलों से इस्तिन्जा करना सुन्नत है और अगर सिर्फ़ पानी ही से त़हारत कर ली तो भी जाइज़ है, मगर मुस्तह़ब येह कि ढेले लेने के बा'द पानी से त़हारत करे। ✽ आगे और पीछे से पेशाब, पाख़ाने के सिवा कोई और नजासत, मसलन ख़ून, पीप वग़ैरा निकले, या उस जगहे ख़ारिज से नजासत लग जाए तो भी ढेले से साफ़ कर लेने से त़हारत हो जाएगी, जब कि उस मौज़ेअ़ (या'नी जगह) से बाहर न हो मगर धो डालना मुस्तह़ब है ✽ ढेलों की कोई ता'दाद मुअ़य्यन (या'नी मुक़र्ररा ता'दाद) सुन्नत नहीं, बल्कि जितने से सफ़ाई हो जाए, तो अगर एक से सफ़ाई हो गई सुन्नत अदा हो गई और अगर तीन ढेले लिये और सफ़ाई न हुई सुन्नत अदा न हुई, अलबत्ता

1...बहारे शरीअ़त, 1/408 ता 413, ह़िस्सा : 2

2... ابن ماجہ، کتاب الطہارۃ وسننہا، باب مایقول اذا خرج من الخلاء، 1/193، حدیث:301

3... ترمذی، ابواب الطہارۃ، باب مایقول اذا خرج من الخلاء، 1/87، حدیث:7

मुस्तहब येह है कि ताक़ (मसलन एक, तीन, पांच) हों और कम से कम तीन हों तो अगर एक या दो से सफ़ाई हो गई तो तीन की गिनती पूरी करे, और अगर चार से सफ़ाई हो तो एक और ले, कि ताक़ हो जाएं ✱ ढेलों से त़हारत उस वक़्त होगी कि नजासत से मख़्रज (या'नी ख़ारिज होने की जगह) के आस पास की जगह एक दिरहम[1] से ज़ियादा आलूदा न हो और अगर दिरहम से ज़ियादा सन जाए तो धोना फ़र्ज़ है, मगर ढेले लेना अब भी सुन्नत रहेगा। ✱ कंकर, पथ्थर, फटा हुवा कपड़ा, येह सब ढेले के हुक्म में हैं, इन से भी साफ़ कर लेना बिला कराहत जाइज़ है (बेहतर येह है कि फटा कपड़ा या दरज़ी की बे क़ीमत कतरन सूती (COTTON) हो ताकि जल्द जज़्ब कर ले) ✱ हड्डी और खाने और गोबर और पक्की ईंट और ठीकरी और शीशा और कोएले और जानवर के चारे से और ऐसी चीज़ से जिस की कुछ क़ीमत हो, अगर्चे एकआध पैसा सही, इन चीज़ों से इस्तिन्जा करना मक्रूह है। ✱ काग़ज़ से इस्तिन्जा मन्अ़ है, अगर्चे उस पर कुछ लिखा न हो, या अबू जह्ल ऐसे काफ़िर का नाम लिखा हो। ✱ दाह्ने (या'नी सीधे) हाथ से इस्तिन्जा करना मक्रूह है, अगर किसी का बायां हाथ बेकार हो गया तो उसे दह्ने, (या'नी सीधे) हाथ से जाइज़ है। ✱ जिस ढेले से एक बार इस्तिन्जा कर लिया उसे दोबारा काम में लाना मक्रूह है, मगर दूसरी करवट उस की साफ़ हो तो उस से कर सकते हैं ✱ मर्द के लिये पीछे के मक़ाम के लिये ढेलों के इस्ति'माल का त़रीक़ा येह है कि गरमी के मौसिम में पहला ढेला आगे से पीछे को ले जाएं, दूसरा पीछे से आगे को और तीसरा आगे से पीछे को, सर्दियों में पहला ढेला पीछे से आगे, दूसरा आगे से पीछे को और तीसरा पीछे से आगे को ले जाएं। ✱ पाक ढेले दाह्नी (या'नी सीधी) जानिब रखना और बा'द काम में लाने के, बाएं (उलटे हाथ की) त़रफ़ डाल देना, इस त़रह़ पर कि जिस रुख़ में नजासत लगी हो नीचे हो, मुस्तह़ब है।[2] ✱ टॉयलेट पेपर के इस्ति'माल की उ़लमा ने इजाज़त दी है क्यूं कि येह इसी मक़्सद के लिये बनाया गया है और लिखने में काम नहीं आता। अलबत्ता बेहतर मिट्टी का ढेला है।

इस्तिन्जा ख़ाने का रुख़ दुरुस्त रखिये

अगर ख़ुदा न ख़्वास्ता आप के घर के इस्तिन्जा ख़ाने का रुख़ ग़लत़ है या'नी बैठते वक़्त क़िब्ले की त़रफ़ मुंह या पीठ होती है तो इस को दुरुस्त करने की फ़ौरन तरकीब कीजिये। मगर येह ज़ेह्न में

1... दिरहम की मिक़्दार बहारे शरीअ़त मक्तबतुल मदीना की मत़्बूआ़ जिल्द 1 सफ़ह़ा 389 पर मुलाहज़ा फ़रमाइये।
2... बहारे शरीअ़त, 1/410 ता 412, ह़िस्सा : 2

रहे कि मा'मूली सा तिरछा करना काफ़ी नहीं। W.C. इस त़रह़ हो कि बैठते वक़्त मुंह या पीठ क़िब्ले से 45 डिग्री के बाहर रहे। आसानी इसी में है कि क़िब्ले से 90 डिग्री पर रुख़ रखिये। या'नी नमाज़ के बा'द दोनों बार सलाम फेरने में जिस त़रफ़ मुंह करते हैं उन दोनों सम्तों में से किसी एक जानिब W.C. का रुख़ रखिये।

रफ़्ए ह़ाजत के लिये बैठने का त़रीक़ा

क़ज़ाए ह़ाजत का इस्लामी त़रीक़ा येह है : ह़ज़रते सय्यिदुना सुराक़ा बिन मालिक رَضِیَ اللہُ عَنْہ फ़रमाते हैं, हमें ताजदारे रिसालत, सरापा अ़ज़्मतो शराफ़त صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने हुक्म दिया कि हम रफ़्ए ह़ाजत के वक़्त बाएं (उलटे) पाउं पर वज़्न दें और दायां पाउं खड़ा रखें।[1]

बाएं पाउं पर वज़्न डालने की ह़िक्मत

रफ़्ए ह़ाजत के वक़्त उकड़ू बैठ कर दायां (सीधा) पाउं खड़ा या'नी अपनी अस्ली ह़ालत पर (NORMAL) रख कर बाएं या'नी उलटे पाउं पर वज़्न देने से बड़ी आंत जो कि उलटी त़रफ़ होती है और उसी में फ़ुज़्ला होता है उस का मुंह अच्छी त़रह़ खुल जाता और ब आसानी फ़राग़त हो जाती और पेट अच्छी त़रह़ साफ़ हो जाता है और जब पेट साफ़ हो जाएगा तो बहुत सारी बीमारियों से तह़फ़्फ़ुज़ ह़ासिल रहेगा।

सबक़ नम्बर 7

वुज़ू का बयान

वुज़ू के मुतअ़ल्लिक़ क़ुरआने पाक में **अल्लाह** करीम इर्शाद फ़रमाता है :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَ اَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَ امْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَ اَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِؕ (پ6، المائدة:6)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : ऐ ईमान वालो जब नमाज़ को खड़े होना चाहो तो अपना मुंह धोओ और कोहनियों तक हाथ और सरों का मस्ह़ करो और गट्टों तक पाउं धोओ।

इस आयते मुबारका में वुज़ू के फ़राइज़ का बयान है और वोह येह हैं : (1) मुंह धोना

1 ... مجمع الزوائد، کتاب الطهارة، باب کیف الجلوس للحاجة، 1/488، حدیث:1020

(2) कोहनियों समेत दोनों हाथों का धोना (3) सर का मस्ह़ करना (4) टख़्नों समेत दोनों पाउं का धोना ।[1]

सुवाल ह़दीसे पाक में वुज़ू की क्या फ़ज़ीलत आई है ?

जवाब हुज़ूरे अकरम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : ''जब आदमी वुज़ू करता है तो हाथ धोने से हाथों के और चेहरा धोने से चेहरे के और सर का मस्ह़ करने से सर के और पाउं धोने से पाउं के गुनाह झड़ जाते हैं ।''[2] एक और ह़दीसे पाक में हुज़ूर जाने आ़लम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : जन्नत की कुन्जी नमाज़ है और नमाज़ की कुन्जी वुज़ू है ।[3]

सुवाल हमेशा बा वुज़ू रहने वाले को कौन सी सात फ़ज़ीलतें मिलती हैं ?

जवाब (1) मलाएका उस की सोह़बत में रग़बत करें (2) क़लम उस की नेकियां लिखता रहे (3) उस के आ'ज़ा तस्बीह़ करें (4) उस से तक्बीरे ऊला फ़ौत न हो (5) जब सोए **अल्लाह** पाक कुछ फ़िरिश्ते भेजे कि जिन्नो इन्स के शर से उस की ह़िफ़ाज़त करें (6) सकराते मौत उस पर आसान हो (7) जब तक बा वुज़ू हो अमाने इलाही में रहे ।[4]

सुवाल वुज़ू का अ़मली त़रीक़ा बयान कीजिये ।

वुज़ू का अ़मली त़रीक़ा (ह़नफ़ी)

जवाब

01	वुज़ू से पहले निय्यत करना और बिस्मिल्लाह शरीफ़ पढ़ना
02	मिस्वाक करना
03	पानी चुपड़ना (या'नी अच्छी त़रह़ मल लेना) ख़ुसूसन सर्दियों में
04	हाथ पहुंचों (या'नी कलाई) तक 3 बार धोना
05	3 मरतबा कुल्ली करना
06	3 मरतबा सूंघ कर नाक में पानी चढ़ाना (इस एह़तियात़ से कि पानी दिमाग़ तक न चढ़ जाए, क्यूं कि येह नुक़्सान देह है)

1... बहारे शरीअ़त, 1/288, ह़िस्सा : 2

2... مسند احمد، مسند عثمان بن عفان، 1/130، حدیث:415

3... مسند احمد، مسند جابر بن عبد اللہ، 5/103، حدیث:14668

4... फ़तावा रज़विय्या, 1/495

वुज़ू का त़रीक़ा

- निय्यत करना और बिस्मिल्लाह पढ़ना
- मिस्वाक करना
- दोनों हाथ कलाइयों तक 3 बार धोना
- 3 मरतबा कुल्ली करना
- 3 मरतबा नाक में पानी चढ़ाना
- 3 मरतबा चेहरा धोना
- पूरे सर का मस्ह़ करना
- टख़्नों समेत दोनों पाउं 3 मरतबा धोना
- वुज़ू के बा'द की दुआ़ पढ़ना

वुज़ू के फ़राइज़

(1) चेहरा धोना

(2) कोहनियों समेत दोनों हाथों का धोना

(3) सर का मस्ह़ करना

(4) टख़्नों समेत दोनों पाउं का धोना

07	3 मरतबा चेहरा धोना
08	3 मरतबा कोहनियों समेत दोनों हाथ धोना
09	पूरे सर का मस्ह़ करना
10	टख़्नों समेत दोनों पाउं 3 मरतबा धोना
11	वुज़ू के बा'द की दुआ़ पढ़ना

वुज़ू की सुन्नतें

सुवाल वुज़ू की सुन्नतें बयान कीजिये ?

जवाब ❋ निय्यत करना ❋ बिस्मिल्लाह पढ़ना । ❋ दोनों हाथ पहुंचों तक तीन बार धोना ❋ तीन बार मिस्वाक करना ❋ तीन चुल्लू से तीन बार कुल्ली करना ❋ रोज़ा न हो तो ग़रग़रा करना ❋ तीन चुल्लू से तीन बार नाक में पानी चढ़ाना ❋ दाढ़ी हो तो (एह़राम में न होने की सूरत में) उस का ख़िलाल करना ❋ हाथ और ❋ पाउं की उंग्लियों का ख़िलाल करना ❋ पूरे सर का एक ही बार मस्ह़ करना ❋ कानों का मस्ह़ करना ❋ फ़राइज़ में तरतीब क़ाइम रखना (या'नी फ़र्ज़ आ'ज़ा में पहले मुंह फिर हाथ कोहनियों समेत धोना फिर सर का मस्ह़ करना और फिर पाउं धोना) और ❋ पै दर पै वुज़ू करना या'नी एक उ़ज़्व सूखने न पाए कि दूसरा उ़ज़्व धो लेना ।(1)

वुज़ू तोड़ने वाली चीज़ें

सुवाल वुज़ू तोड़ने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं ?

जवाब पहले एक ह़दीसे मुबारका मुलाह़ज़ा कीजिये, मालिको मुख़्तार आक़ा صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم का फ़रमान है : तुम में से किसी का वुज़ू टूट जाए तो जब तक वुज़ू नहीं करेगा उस का नमाज़ पढ़ना जाइज़ नहीं होगा ।(2)

इन चीज़ों की वज्ह से वुज़ू टूट जाता है और नमाज़ पढ़ने या क़ुरआने करीम छूने की इजाज़त नहीं होती ।

01	पेशाब करना
02	पाख़ाना करना

1... बहारे शरीअ़त, 1/293, 294, हि़स्सा : 2 मुलख़्ख़सन

2... مسلم، کتاب الطہارۃ، باب وجوب الطہارۃ للصلاۃ، ص115، حدیث:537

03	हवा ख़ारिज करना
04	बदन से ख़ून या पीप का निकल कर बह जाना (आंख या कान के अन्दर दाना फटा और पीप बाहर न निकली तो वुज़ू नहीं टूटेगा)
05	ख़ून या पीप वग़ैरा की ऐसी उलटी होना जिसे उ़मूमन रोका नहीं जा सकता
06	बीमारी या किसी और वज्ह से बेहोश हो जाना
07	रुकूअ़ व सज्दे वाली नमाज़ में क़ह्क़हा मार कर हंसना
08	दर्द या मरज़ की वज्ह से आंख से आंसू बहना
09	मुंह से ऐसा थूक निकलना जो ख़ून की वज्ह से लाल रंग का हो गया हो
10	इन्जेक्शन/ड्रिप लगवाने की सूरत में बहती मिक़्दार में ख़ून निकलना (उ़मूमन इन्जेक्शन/ड्रिप लगाने में पहले कुछ ख़ून निकालते हैं जो इतना होता है कि अगर जिस्म पर निकलता तो बह जाता, अगर ऐसा है तो वुज़ू टूट गया)
11	ख़ून के टेस्ट करवाना (ख़ून टेस्ट के लिये उ़मूमन इतना ख़ून निकालते हैं कि अगर जिस्म पर निकलता तो बह जाता, अगर ऐसा है तो वुज़ू टूट गया)
12	छाले से पानी बहना (आंख या कान के अन्दर छाला हुवा और पानी बाहर न निकला तो वुज़ू नहीं टूटा)
13	ग़फ़्लत की नींद इस त़रह़ सोना कि दोनों सुरीन (Buttocks) जमे हुए न हों
14	मर्द/औ़रत के आगे या पीछे वाली जगह से किसी चीज़ का निकलना[(1)]

मुतफ़र्रिक़ मसाइल

सुवाल किसी उ़ज़्व को धोने के क्या मा'ना हैं ?

जवाब किसी उ़ज़्व के धोने के येह मा'ना हैं कि उस उ़ज़्व के हर हिस्से पर कम से कम दो बूंद पानी बह जाए। भीग जाने या तेल की त़रह़ पानी चुपड़ लेने या एकआध बूंद बह जाने को धोना नहीं कहेंगे न इस से वुज़ू या ग़ुस्ल अदा हो।[(2)]

सुवाल वुज़ू करते हुए क्या निय्यत होनी चाहिये ?

जवाब वुज़ू पर सवाब पाने के लिये हुक्मे इलाही बजा लाने की निय्यत से वुज़ू करना ज़रूरी है वरना

(1)... बहारे शरीअ़त, 1/302 ता 308, हिस्सा : 2 मुल्तक़त़न

(2)... बहारे शरीअ़त, 1/288, हिस्सा : 2

वुज़ू हो जाएगा मगर सवाब न पाएगा।[1]

सुवाल वुज़ू और गुस्ल के दौरान दाढ़ी धोने का क्या हुक्म है ?

जवाब दाढ़ी ख़्वाह घनी हो या छिदरी या'नी हलकी, गुस्ल फ़र्ज़ होने की सूरत में इस के हर हर बाल का नोक से जड़ तक खाल समेत धोना फ़र्ज़ है अलबत्ता वुज़ू में चेहरे की हुदूद में दाढ़ी के बाल घने न हों या'नी बालों की जड़ें और खाल भी ज़ाहिर होती हो तो अब चेहरे की हद में मौजूद दाढ़ी के बाल मअ़ खाल धोना फ़र्ज़ है और जो बाल चेहरे के हुदूद से नीचे हों उन बालों का धोना फ़र्ज़ नहीं, उन का मस्ह़ सुन्नत है और धोना मुस्तह़ब है। अगर दाढ़ी के बाल घने हों कि घने पन की वज्ह से बालों की जड़ें और खाल नज़र न आती हो तो अब बालों की जड़ें और खाल का धोना फ़र्ज़ नहीं, बालों का धोना फ़र्ज़ है। और अगर कुछ हिस्से में घने बाल हों और कुछ छिदरे, तो जहां घने हों वहां बाल और जहां छिदरे हैं उस जगह जिल्द का धोना फ़र्ज़ है।[2]

नमाज़े जनाज़ा के वुज़ू से दीगर नमाज़ें पढ़ सकते हैं ?

सुवाल नमाज़े जनाज़ा के वुज़ू से दीगर नमाज़ें पढ़ सकते हैं या नहीं ? अ़वाम में मश्हूर है कि जनाज़े के वुज़ू से दीगर नमाज़ नहीं पढ़ सकते क्या येह दुरुस्त है ?

जवाब नमाज़े जनाज़ा के वुज़ू से बिला शुबा दीगर तमाम नमाज़ें फ़र्ज़ व वाजिब और नफ़्ल व सुन्नत पढ़ सकते हैं, इस में कोई ह़रज नहीं है। अ़वाम में जो मश्हूर है कि नमाज़े जनाज़ा के वुज़ू से दीगर नमाज़ें नहीं पढ़ सकते, येह बात मह़ज़ ग़लत़ व बात़िल और बे अस्ल है।

इमामे अहले सुन्नत अह़मद रज़ा ख़ान رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه इसी त़रह़ के एक सुवाल के जवाब में फ़रमाते हैं : "येह मस्अला कि जुह्हाल में मश्हूर है कि वुज़ूए जनाज़ा से और नमाज़ नहीं पढ़ सकते मह़ज़ ग़लत़ व बात़िल व बे अस्ल है। मस्अला सिर्फ़ इस क़दर है कि अगर नमाज़े जनाज़ा क़ाइम हुई और बा'ज़ अश्ख़ास आए तन्दुरुस्त हैं पानी मौजूद है मगर वुज़ू करें तो नमाज़ हो चुकेगी और नमाज़े जनाज़ा की क़ज़ा नहीं, न एक मय्यित पर दो नमाज़ें, इस मजबूरी में उन्हें इजाज़त है कि तयम्मुम कर के नमाज़ में शरीक हो जाएं इस तयम्मुम से और नमाज़ें नहीं पढ़ सकते न मसे मुस्ह़फ़ वग़ैरा वोह काम जिन के लिये

1... ردالمحتار، کتاب الطہارۃ، مطلب الفرق بین الطاعۃ والقربۃ والعبادۃ، 1/238

2... मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 17

तहारत ज़रूरी है बजा ला सकते हैं कि येह तयम्मुम ब हालते सिह्हत व वुजूदे माअ एक ख़ास उज़्र के लिये किया गया था जो उस नमाज़े जनाज़ा तक महदूद था तो दीगर सलवात व अफ़आल के लिये वोह तयम्मुम महज़ बे उज़्र व बे असर रहेगा हुक्म येह था कि अवाम ने इसे कशां कशां (खींचते हो) कहां तक पहुंचाया।''(1)

सुवाल किसी शख़्स ने अगर अपनी दाढ़ भरवाई हो तो क्या उस का वुज़ू व ग़ुस्ल हो जाएगा ? जब कि दाढ़ भरवाई हो तो उस को निकाला नहीं जा सकता।

जवाब दाढ़ भरवाना शरई तौर पर जाइज़ है और अगर किसी ने दाढ़ भरवाई हो तो उस का वुज़ू व ग़ुस्ल बिला कराहत हो जाएगा और उस के नीचे पानी न पहुंचाने को वुज़ू में तर्के सुन्नत और ग़ुस्ल में तर्के फ़र्ज़ क़रार न दिया जाएगा क्यूं कि ऐसी हालत में उस के नीचे पानी बहाना ना मुम्किन होता है और जिस जगह तक पानी पहुंचाना मुतअज़्ज़िर हो या मशक़्क़त व हरज का बाइस हो वहां तक पानी पहुंचाने का शरीअत ने मुकल्लफ़ नहीं किया।

इस की नज़ीर हिलता हुवा दांत है कि अगर तार से बांधा हो या किसी मसाले वग़ैरा से जमाया हो या दांतों में चूना या मिस्सी की रेखें जम गई हों तो शरई तौर पर उस के नीचे पानी बहाना ज़रूरी नहीं यूंही मस्नूई दांत लगवाने की सूरत में अगर दांत को उतारना हरज व मशक़्क़त का बाइस हो तो उतार कर नीचे पानी बहाने की हाजत नहीं।(2)

सुवाल वुज़ू के बा'द याद आया कि कोई उज़्व धोने से रह गया है मगर याद नहीं कि कौन सा तो अब क्या करे ?

जवाब ऐसी सूरत में बायां (या'नी उलटा) पाउं धो लिया जाए।(3)

सुवाल किस सूरत में बे वुज़ू शख़्स दह दर दह (या'नी सो हाथ/पच्चीस गज़/ दो सो पच्चीस फ़ुट) से कम पानी में बे धुला हाथ डाल दे तो पानी मुस्ता'मल नहीं होगा ?

जवाब अगर पानी बड़े बरतन में हो और कोई छोटा बरतन भी नहीं कि उस में पानी उंडेल कर हाथ धोए तो उसे चाहिये कि बाएं हाथ की उंग्लियां मिला कर सिर्फ़ वोह उंग्लियां पानी में डाले, हथेली का कोई हिस्सा पानी में न पड़े और पानी निकाल कर दहना हाथ गिट्टे तक तीन बार धोए फिर दहने हाथ

---

(1)...मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 17, फ़तावा रज़विय्या, 3/305

(2)...मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 18

(3)...در مختار، کتاب الطہارۃ، 1/310

को जहां तक धोया है बिला तकल्लुफ़ पानी में डाल सकता है ।[(1)]

सुवाल हाथ वगै़रा से ख़ून निकलने के बा वुजूद कब वुज़ू नहीं टूटता ?

जवाब ख़ून निकला लेकिन बहा नहीं तो येह वुज़ू को नहीं तोड़ता ।[(2)]

सुवाल ख़ून निकल कर बह गया मगर वुज़ू न टूटा, इस की क्या सूरत है ?

जवाब अगर ख़ून बहा मगर बह कर ऐसी जगह नहीं पहुंचा जिस का वुज़ू या गु़स्ल में धोना फ़र्ज़ हो मसलन ख़ून निकल कर आंख या कान में बहा मगर उन से बाहर नहीं आया तो वुज़ू नहीं टूटा ।[(3)]

सुवाल दुखती आंख से निकलने वाले आंसूओं का क्या हुक्म है ?

जवाब आंख की बीमारी के सबब जो आंसू बहा वोह नापाक है और वुज़ू भी तोड़ देगा ।[(4)]

सुवाल इन्जेक्शन लगाने से वुज़ू टूटेगा या नहीं ?

जवाब गोश्त में इन्जेक्शन लगाने में सिर्फ़ उसी सूरत में वुज़ू टूटेगा जब कि बहने की मिक्दार में ख़ून निकले ।[(5)]

सुवाल क्या नस का इन्जेक्शन लगाने या टेस्ट के लिये ख़ून निकालने से वुज़ू टूट जाएगा ?

जवाब नस का इन्जेक्शन लगा कर पहले ऊपर की त़रफ़ ख़ून खींचते हैं जो कि बहने की मिक्दार में होता है लिहाज़ा वुज़ू टूट जाता है यूंही सिरिन्ज के ज़रीए़ टेस्ट करने के लिये ख़ून निकालने से वुज़ू टूट जाता है क्यूं कि येह बहने की मिक्दार में होता है ।

सुवाल क्या ग्लूकोज़ वगै़रा की ड्रिप लगवाने से वुज़ू टूट जाता है ?

जवाब ग्लूकोज़ वगै़रा की ड्रिप नस में लगवाने से वुज़ू टूट जाएगा क्यूं कि बहने की मिक्दार में ख़ून निकल कर नल्की में आ जाता है ।

सुवाल वुज़ू में बित्तरतीब आ'ज़ा धोने से कौन सा त़िब्बी फ़ाएदा ह़ासिल होता है ?

1...बहारे शरीअ़त, 1/293, हिस्सा : 2

2 ... فتاوی ہندیہ، کتاب الطہارۃ، الباب الاول فی الوضوء، الفصل الخامس، 10/1

3 ... فتاوی ہندیہ، کتاب الطہارۃ، الباب الاول فی الوضوء، الفصل الرابع، فی المکروھات، 11/1

4 ... در مختار ورد المحتار، کتاب الطہارۃ، 290/1

5... दिलचस्प मा'लूमात, हिस्सा : 1, स. 43

जवाब वुज़ू में पहले हाथ धोने फिर कुल्ली करने फिर नाक में पानी डालने फिर चेहरा और दीगर आ'ज़ा धोने की तरतीब फ़ालिज की रोकथाम के लिये मुफ़ीद है।[1]

सुवाल बेसिन पर खड़े खड़े वुज़ू करना कैसा है ?

जवाब बेसिन पर खड़े खड़े वुज़ू करना ख़िलाफ़े मुस्तहब है।

सुवाल ऐसी कोई एक सूरत बताएं जिस में बालिग़ शख़्स नमाज़ में क़हक़हा लगाए फिर भी उस का वुज़ू बाक़ी रहे ?

जवाब बालिग़ ने नमाज़े जनाज़ा में क़हक़हा लगाया तो नमाज़ टूट गई मगर वुज़ू बाक़ी है।[2]

सुवाल क्या मिस्वाक नमाज़ के लिये सुन्नत है या वुज़ू के लिये ?

जवाब मिस्वाक नमाज़ के लिये सुन्नत नहीं बल्कि वुज़ू के लिये (सुन्नत है), तो जो एक वुज़ू से चन्द नमाज़ें पढ़े, उस से हर नमाज़ के लिये मिस्वाक का मुतालबा नहीं, जब तक तग़य्युरे राइहा (सांस बदबूदार) न हो गया हो, वरना इस के दफ़्अ़ के लिये मुस्तक़िल सुन्नत है।[3]

मिस्वाक के तिब्बी फ़वाइद

क्या आप जानते हैं ? मिस्वाक से कुव्वते हाफ़िज़ा बढ़ती, दर्दे सर दूर होता और सर की रगों को सुकून मिलता है, इस से बल्ग़म दूर, नज़र तेज़, मे'दा दुरुस्त और खाना हज़्म होता है, अ़क़्ल बढ़ती, बच्चों की पैदाइश में इज़ाफ़ा होता, बुढ़ापा देर में आता और पीठ मज़बूत होती है।[4]

औ़रतें सर का मस्ह़ किस त़रह़ करेंगी ?

सुवाल वुज़ू में औ़रतें सर का मस्ह़ किस त़रह़ करेंगी, क्या मर्दों की त़रह़ इन के लिये भी गरदन से वापस पेशानी तक हथेलियों से मस्ह़ करना ज़रूरी है, क्यूं कि बाल बड़े होने की वज्ह से इस में मुश्किल पेश आती है, अगर नहीं करेंगी तो क्या वुज़ू हो जाएगा ? बराए करम शरई रहनुमाई फ़रमाएं।

1...दिलचस्प मा'लूमात, हिस्सा : 2, स. 54

2...حاشیۂ طحطاوی، کتاب الطہارۃ، ص92

3...बहारे शरीअ़त, 1/295, हिस्सा : 2

4...حاشیۂ طحطاوی، کتاب الطہارۃ، فصل فی سنن الوضوء، ص69

जवाब मर्द व औ़रत दोनों के लिये वुज़ू में चौथाई सर का मस्ह़ करना फ़र्ज़ और पूरे सर का मस्ह़ करना सुन्नत है, अगर किसी ने पूरे सर का मस्ह़ न किया बल्कि इस से कम किया तो वुज़ू हो जाएगा लेकिन बिला उ़ज़्र इस की आ़दत बना लेने से वोह गुनहगार होगा, क्यूं कि पूरे सर का मस्ह़ करना सुन्नते मुअक्कदा है और कुतुबे फ़िक़्ह में पूरे सर का मस्ह़ करने के दो त़रीक़े मन्क़ूल हैं : (1) दोनों हाथों के अंगूठे और कलिमे की उंग्लियां छोड़ कर बक़िय्या तीन तीन उंग्लियों के सिरे मिला कर पेशानी पर रखे, फिर उन को गुद्दी की त़रफ़ इस त़रह़ खींच कर लाए कि हथेलियां सर से जुदा रहें, फिर फ़क़त़ हथेलियों से सर की दोनों जानिबों का मस्ह़ करता हुवा पेशानी तक ले आए (2) अंगूठे और कलिमे की उंग्लियों के इलावा दोनों हाथों की तीन तीन उंग्लियां और हथेलियां, पेशानी से गुद्दी की त़रफ़ इस त़रह़ खींच कर लाए कि पूरे सर का मस्ह़ हो जाए। फिर बयान कर्दा दोनों त़रीक़ों में अंगूठों के साथ कानों के बैरूनी ह़िस्से, और कलिमे की उंग्लियों से अन्दरूनी ह़िस्से का मस्ह़ करे।

लिहाज़ा अगर औ़रत सर के मस्ह़ में दूसरे त़रीक़े को अपनाए तो मुश्किल से बचने के साथ साथ पूरे सर का मस्ह़ करने वाली सुन्नत पर भी अ़मल हो जाएगा।[1]

वुज़ू के बा'द नाख़ुन पॉलिश लगाने और आर्टीफ़िशल ज्वेलरी पहन कर नमाज़ पढ़ने का ह़ुक्म

सुवाल (1) वुज़ू करने के बा'द नाख़ुनों पर नाख़ुन पॉलिश (Nail Polish) लगाने से वुज़ू टूट जाता है या नहीं ? (2) अस्ली सोने का ज़ेवर होने के बा वुजूद आर्टीफ़िशल ज्वेलरी (Artificial jewellery) पहन कर औ़रत अगर नमाज़ पढ़े तो नमाज़ हो जाती है या नहीं ?

जवाब (1) नाख़ुन पॉलिश लगाने से वुज़ू नहीं टूटता अलबत्ता अगर नाख़ुन पॉलिश लगी हो और फिर वुज़ू किया जाए तो वुज़ू नहीं होगा क्यूं कि नाख़ुन पॉलिश पानी को नाख़ुन तक पहुंचने से मानेअ़ है।

(2) आर्टीफ़िशल ज़ेवर (Artificial jewellery) पहन कर औ़रत नमाज़ पढ़े तो उस की नमाज़ हो जाएगी अगर्चे उस के पास अस्ली ज़ेवर मौजूद हो, क्यूं कि उ़लमा ने उ़मूमे बल्वा की वज्ह से आर्टीफ़िशल ज्वेलरी पहनना औ़रत के लिये जाइज़ क़रार दिया है, तो जिस ज़ेवर का पहनना उस के

1 ...मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 24

लिये जाइज़ है उस को पहन कर नमाज़ पढ़ना भी जाइज़ है।[1]

क्या औ़रत का सर नंगा होने से वुज़ू टूट जाता है ?

सुवाल अगर बा वुज़ू ख़ातून सर से दोपट्टा उतार ले तो क्या उस का वुज़ू टूट जाता है ?

जवाब सर का बरहना (या'नी नंगा) हो जाना नवाक़िज़े वुज़ू (वुज़ू तोड़ने वाली चीज़ों) से नहीं है इस लिये सर से दोपट्टा उतारने से वुज़ू नहीं टूटता, अलबत्ता इस बात का ख़याल रहे कि ग़ैर मह़रम के सामने सर के बालों का ज़ाहिर करना जाइज़ नहीं।[2]

वुज़ू के बा'द की दुआ़एं

सुवाल वुज़ू के बा'द सूरतुल क़द्र पढ़ने की फ़ज़ीलत और फ़ाएदा बयान कीजिये।

जवाब ह़दीसे मुबारका में है : जो वुज़ू के बा'द एक मरतबा सूरतुल क़द्र पढ़े वोह सिद्दीक़ीन में से है और जो दो मरतबा पढ़े वोह शुहदा में शुमार किया जाए और जो तीन मरतबा पढ़ेगा **अल्लाह** पाक मैदाने मह़शर में उसे अपने अम्बिया के साथ रखेगा।[3] नीज़ जो वुज़ू के बा'द आस्मान की त़रफ़ देख कर सूरए اِنَّاۤ اَنۡزَلۡنٰهُ (सूरतुल क़द्र) पढ़ लिया करे اِنْ شَآءَاللہ उस की नज़र कभी कमज़ोर न होगी।[4]

सुवाल वुज़ू के बा'द कौन सी दुआ़ पढ़ी जाती है ?

जवाब اَللّٰھُمَّ اجْعَلْنِیْ مِنَ التَّوَّابِیْنَ وَاجْعَلْنِیْ مِنَ الْمُتَطَھِّرِیْنَ **तरजमा :** ऐ **अल्लाह** ! मुझे कसरत से तौबा करने वालों में बना दे और मुझे पाकीज़ा रहने वालों में शामिल कर दे।[5]

सबक़ नम्बर 8 गु़स्ल का बयान

गु़स्ल के मुतअ़ल्लिक़ कुरआने करीम में इर्शाद होता है :

1... मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 66
2... मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 26
3... کنز العمال، کتاب الطہارۃ، الفصل الثانی فی اداب الوضوء، ج5، 9/132، حدیث:26085
4... मसाइलुल कुरआन, स. 291
5... ترمذی، کتاب الطہارۃ، باب فیما یقال بعد الوضوء، 1/121، حدیث:55

وَ اِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ؕ (پ6، المائدۃ:6)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और अगर तुम्हें नहाने की हाजत हो तो खूब सुथरे हो लो ।

एक और आयत में इर्शाद होता है :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَ اَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَ لَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِيْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا ؕ (پ5، النساء:43)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : ऐ ईमान वालो नशे की हालत में नमाज़ के पास न जाओ जब तक इतना होश न हो कि जो कहो उसे समझो और न नापाकी की हालत में बे नहाए मगर मुसाफ़िरी में

2 फ़रामीने मुस्त़फ़ा

(1) फ़िरिश्ते उस घर में नहीं आते जिस में कोई जुनुबी (या'नी ऐसा शख़्स जिस पर ग़ुस्ल करना फ़र्ज़ हो) मौजूद हो ।[1] (2) जिस ने फ़र्ज़ ग़ुस्ल करते हुए एक बाल के बराबर जिस्म का कोई हिस्सा न धोया उसे आग का अ़ज़ाब दिया जाएगा ।[2]

ग़ुस्ल के फ़राइज़

सुवाल ग़ुस्ल के कितने फ़राइज़ हैं ?

जवाब नहाने के दौरान इन 3 चीज़ों का करना ज़रूरी है, वरना ग़ुस्ल नहीं होगा और येह ही चीज़ें ग़ुस्ल के फ़राइज़ कहलाती हैं :

01	कुल्ली करना	02	नाक में पानी चढ़ाना	03	तमाम बदन पर पानी बहाना[3]

सुवाल कुल्ली करने, नाक में पानी चढ़ाने और तमाम बदन पर पानी बहाने का त़रीक़ा बयान कीजिये ।

जवाब कुल्ली करने का त़रीक़ा : सीधे हाथ में पानी ले कर मुंह में डालिये और अच्छी त़रह़ मुंह के ऊपर, नीचे, दाएं और बाएं घुमा कर ह़ल्क़ के शुरूअ़ तक पानी पहुंचा कर फेंक दीजिये । येह काम 3 मरतबा कीजिये, ताकि मुंह के अन्दर का हर हिस्सा ह़ल्क़ तक अच्छी त़रह़ धुल जाए और दांतों में जो चीज़ फंसी हो निकल जाए ।

1 ... ابوداوٗد، کتاب الطہارۃ، باب فی الجنب یؤخرا لغسل، 1/109، حدیث:227 ملتقطا
2 ... ابوداوٗد، کتاب الطہارۃ، باب فی الغسل من الجنابۃ، 1/117، حدیث:249
3 ... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الطہارۃ، الباب الثانی فی الغسل، الفصل الاول فی فرائضہ، 1/13

नाक में पानी चढ़ाने का त़रीक़ा : ग़ुस्ल में नाक के अन्दर का नर्म हिस्सा सख़्त हड्डी तक धोना ज़रूरी है, इस के लिये सीधे हाथ में पानी ले कर नाक के क़रीब लाइये और आहिस्ता से पानी सूंघ कर नाक की हड्डी तक चढ़ाइये। येह काम 3 मरतबा कीजिये, ताकि नाक अच्छी त़रह़ धुल जाए और रींठ वग़ैरा सब निकल जाए। नाक के बाल धुलना भी ज़रूरी है। याद रहे ! अगर नाक में मैल जमा हुवा हो तो उसे निकाल कर पानी चढ़ाना लाज़िम है।

तमाम बदन पर पानी बहाने का त़रीक़ा : सर के बालों से पाउं के तल्वों तक जिस्म के हर हिस्से, खाल और हर बाल पर पानी बहाना ज़रूरी है। सर्दी का मौसिम हो तो पहले पानी मल लीजिये, फिर पानी बहाइये, ताकि जिस्म का कोई हिस्सा ख़ुश्क न रह जाए। याद रहे ! बाल बराबर भी जिस्म का कोई हिस्सा धुलने से रह गया तो ग़ुस्ल नहीं होगा। बिल ख़ुसूस येह एह़तियातें ज़रूर कीजिये : ❋ मर्द सर के बाल खोल कर जड़ से नोक तक पानी बहाए ❋ अगर कानों में बाली या नाक में नथ का छेद (सूराख़) हो और वोह बन्द न हो तो उस में भी पानी बहाइये ❋ भंवों, मूंछों, दाढ़ी और कान का हर हिस्सा अच्छी त़रह़ धोइये ❋ कानों के पीछे के बाल हटा कर, ठोड़ी और गले का जोड़ उठा कर, पेट की बल्टें उठा कर और हाथों को उठा कर बग़लें धोइये ❋ नाफ़ में भी पानी डालिये ❋ जिस्म का हर बाल जड़ से नोक तक धोइये ❋ अगर ख़तना न हुवा हो और खाल चढ़ सकती हो तो चढ़ा कर धोइये और खाल के अन्दर पानी चढ़ाइये।[1]

ग़ुस्ल का त़रीक़ा

सुवाल ग़ुस्ल करने का त़रीक़ा क्या है ?

जवाब बिग़ैर ज़बान हिलाए दिल में इस त़रह़ निय्यत कीजिये कि मैं पाकी ह़ासिल करने के लिये ग़ुस्ल करता हूं। पहले दोनों हाथ पहुंचों तक तीन तीन बार धोइये, फिर इस्तिन्जे की जगह धोइये ख़्वाह नजासत हो या न हो, फिर जिस्म पर अगर कहीं नजासत हो तो उस को दूर कीजिये फिर नमाज़ का सा वुज़ू कीजिये मगर पाउं न धोइये, हां अगर चोकी वग़ैरा पर ग़ुस्ल कर रहे हैं तो पाउं भी धो लीजिये, फिर बदन पर तेल की त़रह़ पानी चुपड़ लीजिये, ख़ुसूसन सर्दियों में (इस दौरान साबुन भी लगा सकते हैं) फिर तीन बार सीधे कन्धे पर पानी बहाइये, फिर तीन बार उलटे कन्धे पर, फिर सर पर और तमाम बदन पर

1... बहारे शरीअ़त, 1/317 ता 318, हिस्सा : 2 माख़ूज़न

तीन बार, फिर गुस्ल की जगह से अलग हो जाइये, अगर वुज़ू करने में पाउं नहीं धोए थे तो अब धो लीजिये। नहाने में क़िब्ला रुख़ न हों, तमाम बदन पर हाथ फेर कर मल कर नहाइये। ऐसी जगह नहाना चाहिये जहां किसी की नज़र न पड़े अगर येह मुम्किन न हो तो मर्द अपना सित्र (नाफ़ से ले कर दोनों घुटनों समेत) किसी मोटे कपड़े से छुपा ले, मोटा कपड़ा न हो तो ह़स्बे ज़रूरत दो या तीन कपड़े लपेट ले क्यूं कि बारीक कपड़ा होगा तो पानी से बदन पर चिपक जाएगा और مَعَاذَاللّٰه घुटनों या रानों वग़ैरा की रंगत ज़ाहिर होगी। औ़रत को तो और भी ज़ियादा एह़तियात़ की ह़ाजत है। दौराने गुस्ल किसी क़िस्म की गुफ़्त्गू मत कीजिये, कोई दुआ़ भी न पढ़िये, नहाने के बा'द तोलिये वग़ैरा से बदन पोंछने में ह़रज नहीं। नहाने के बा'द फ़ौरन कपड़े पहन लीजिये। अगर मक्रूह वक़्त न हो तो दो रक्अ़त नफ़्ल अदा करना मुस्तह़ब है।[(1)]

गुस्ल फ़र्ज़ करने वाली चीज़ें

सुवाल गुस्ल फ़र्ज़ करने वाली कितनी और कौन सी चीज़ें हैं ?

जवाब पहले एक ह़दीसे मुबारका मुलाह़ज़ा कीजिये, मदीने वाले आक़ा صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ने फ़रमाया : उस घर में रह़मत के फ़िरिश्ते नहीं आते जिस घर में तस्वीर, कुत्ता या वोह शख़्स मौजूद हो जिस पर गुस्ल फ़र्ज़ हो।[(2)]

इन चीज़ों की वज्ह से गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, ऐसी ह़ालत में मस्जिद में आने, तिलावत करने, क़ुरआने पाक छूने और नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं।

01	मनी का शह्वत के साथ जुदा हो कर उ़ज़्व से निकलना[(3)]
02	सोते हुए मनी का निकल जाना[(4)]
03	औ़रत की शर्मगाह में मर्द की शर्मगाह का दाख़िल होना (अगर मर्द की शर्मगाह का सिर्फ़ ऊपर का हिस्सा दाख़िल हुवा तब भी दोनों पर गुस्ल फ़र्ज़ हो गया अगर्चे दोनों में से किसी को भी इन्ज़ाल न हो)।[(5)]

1 ...فتاویٰ ہندیہ، کتاب الطہارۃ، الباب الثانی فی الغسل، الفصل الاول، 1/14 ماخوذا

2 ...ابو داؤد، کتاب الطہارۃ، باب فی الجنب یؤخر الغسل، 1/109، حدیث:227

3 ... बहारे शरीअ़त, 1/321, हिस्सा : 2

4 ...خلاصۃ الفتاوی، 1/13

5 ...مراقی الفلاح مع حاشیۃ الطحطاوی، ص97

04	औ़रत का हैज़ ख़त्म होना[1]
05	औ़रत का निफ़ास ख़त्म होना[2]

मुतफ़र्रिक़ मसाइल

सुवाल मर्द के बाल अगर गुंधे हुए हों तो गुस्ल किस त़रह़ होगा ?

जवाब अगर मर्द के सर के बाल गुंधे हुए हों तो उन्हें खोल कर जड़ से नोक तक पानी बहाना फ़र्ज़ है।[3]

सुवाल औ़रत के बाल अगर गुंधे हुए हों तो इस के लिये क्या हुक्म है ?

जवाब औ़रत पर सिर्फ़ बालों की जड़ तर कर लेना ज़रूरी है खोलना ज़रूरी नहीं, हां अगर चोटी इतनी सख़्त गुंधी हुई हो कि बे खोले जड़ें तर न होंगी तो खोलना ज़रूरी है।[4]

सुवाल अगर नाख़ुन पर नेल पॉलिश लगी हुई हो तो क्या गुस्ल हो जाएगा ?

जवाब अगर नेल पॉलिश नाख़ुनों पर लगी हुई है तो उस का छुड़ाना फ़र्ज़ है वरना गुस्ल नहीं होगा।[5]

सुवाल अगर हाथ में सियाही की तह लगी रह जाए तो क्या गुस्ल हो जाएगा ?

जवाब पकाने वाले के नाख़ुन में आटा, लिखने वाले के नाख़ुन में सियाही का जिर्म, आ़म लोगों के लिये मख्खी, मच्छर की बीट लगी हुई रह गई और तवज्जोह न रही तो गुस्ल हो जाएगा, हां मा'लूम हो जाने के बा'द जुदा करना और उस जगह का धोना ज़रूरी है पहले जो नमाज़ पढ़ी वोह हो गई।[6]

सुवाल बहते पानी में गुस्ल का क्या त़रीक़ा है ?

जवाब अगर बहते पानी मसलन दरिया या नहर में गुस्ल किया तो थोड़ी देर उस में रुकने से तीन

1 ... مراقی الفلاح معہ حاشیۃ الطحطاوی، ص100

2 ... مراقی الفلاح معہ حاشیۃ الطحطاوی، ص100

3 ... فتاوی ہندیہ، کتاب الطہارۃ، الباب الثانی فی الغسل، الفصل الاول، 1/13

4 ... فتاوی ہندیہ، کتاب الطہارۃ، الباب الثانی فی الغسل، الفصل الاول، 1/13

5... मिरआतुल मनाजीह़, 6/175

6... फ़तावा रज़विय्या, 1/607 मुल्तक़त़न

बार धोने, तरतीब और वुज़ू येह सब सुन्नतें अदा हो गईं ।[1]

सुवाल जिन पर ग़ुस्ल फ़र्ज़ हो क्या वोह अज़ान का जवाब दे सकते हैं ?

जवाब जिन पर ग़ुस्ल फ़र्ज़ हो उन को अज़ान का जवाब देना जाइज़ है ।[2]

सुवाल नापाकी की ह़ालत में दुरूद शरीफ़ पढ़ सकते हैं ?

जवाब जिन पर ग़ुस्ल फ़र्ज़ हो उन को दुरूद शरीफ़ और दुआ़एं पढ़ने में ह़रज नहीं, मगर बेहतर येह है कि वुज़ू या कुल्ली कर के पढ़ें ।[3]

सुवाल ऐसे दिन ग़ुस्ल फ़र्ज़ हुवा जिस दिन ग़ुस्ल करना सुन्नत या मुस्तह़ब है तो क्या उसे फ़र्ज़ के साथ दूसरा ग़ुस्ल अलग से करना होगा ?

जवाब जिस पर चन्द ग़ुस्ल हों मसलन ईद भी है और जुमुआ़ का दिन भी मज़ीद फ़र्ज़ ग़ुस्ल भी हो तो तीनों की निय्यत कर के एक ग़ुस्ल कर लिया, सब अदा हो गए और सब का सवाब मिलेगा ।[4]

सुवाल किन अय्याम में ग़ुस्ल करना सुन्नत है ?

जवाब जुमुआ़, ईदुल फ़ित्र, बक़र ईद, अ़रफ़ा के दिन (या'नी 9 ज़ुल ह़िज्जतिल ह़राम) और एह़राम बांधते वक़्त नहाना सुन्नत है ।[5]

सुवाल किन मवाक़ेअ़ पर ग़ुस्ल करना मुस्तह़ब है ?

जवाब (1) वुक़ूफ़े अ़रफ़ात (2) वुक़ूफ़े मुज़्दलिफ़ा (3) ह़ाज़िरिये ह़रम (4) ह़ाज़िरिये सरकारे आ'ज़म صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم (5) दुख़ूले मिना (6) जमरों पर कंकरियां मारने के लिये तीनों दिन (7) शबे बराअत (8) शबे क़द्र (9) त़वाफ़ (10) अ़रफ़ा की रात (11) मजलिसे मीलाद शरीफ़ (12) दीगर मजालिसे ख़ैर में ह़ाज़िरी के लिये (13) मुर्दा नहलाने के बा'द (14) मज्नून को जुनून जाने के बा'द (15) ग़शी से इफ़ाक़ा के बा'द ।[6]

1... درمختار وردالمحتار، کتاب الطہارۃ، 1/320-321، मुल्तक़त़न बहारे शरीअ़त, 1/320, ह़िस्सा : 2

2... فتاوی ہندیہ، کتاب الطہارۃ، الباب السادس، الفصل الرابع، 1/38

3... बहारे शरीअ़त, 1/327, ह़िस्सा : 2

4... ردالمحتار، کتاب الطہارۃ، مطلب یوم عرفۃ افضل ... الخ، 1/341

5... فتاوی ہندیہ، الباب الثالث، الفصل الاول، 1/16

6... बहारे शरीअ़त, 1/324, 325, ह़िस्सा : 2, درمختار وردالمحتار، 1/341-343

सुवाल जिस्म के ग़ैर ज़रूरी बाल साफ़ करने से ग़ुस्ल फ़र्ज़ होता है या नहीं ?

जवाब जिस्म के ग़ैर ज़रूरी बाल साफ़ करने से ग़ुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता क्यूं कि ग़ुस्ल फ़र्ज़ होने के चन्द मख़्सूस अस्बाब हैं जो आ़म तौर पर मा'रूफ़ व मश्हूर हैं जिन में सुवाल में ज़िक्र कर्दा बात शामिल नहीं है। किसी ने जहालत की वज्ह से ऐसी ग़लत् बात की है इस की शर्अ़न कोई ह़क़ीक़त नहीं।[1]

सबक़ नम्बर 9 — तयम्मुम का बयान

क़ुरआने पाक में तयम्मुम के बारे में **अल्लाह** करीम इर्शाद फ़रमाता है :

وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰۤى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآىٕطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ (پ6،المائدۃ:6)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और अगर तुम बीमार या सफ़र में हो या तुम में कोई क़ज़ाए ह़ाजत से आया या तुम ने औ़रतों से सोह़बत की और इन सूरतों में पानी न पाया तो पाक मिट्टी से तयम्मुम करो तो अपने मुंह और हाथों का उस से मस्ह़ करो।

इसी त़रह़ ह़दीसे पाक में तयम्मुम के मुतअ़ल्लिक़ नबिय्ये पाक صَلَّى اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : "पाक मिट्टी मुसल्मान का वुज़ू है अगर्चे दस बरस पानी न पाए।"[2]

सुवाल तयम्मुम का हुक्म कब और किस मक़ाम पर नाज़िल हुवा ?

जवाब तयम्मुम का हुक्म हिजरत के पांचवें साल मक़ामे बैदा या ज़ातुल जैश में नाज़िल हुवा।[3]

तयम्मुम का त़रीक़ा

सुवाल तयम्मुम का त़रीक़ा बयान कीजिये।

जवाब तयम्मुम की निय्यत कीजिये (निय्यत दिल के इरादे का नाम है, ज़बान से भी कह लें तो बेहतर है। मसलन यूं कहिये : बे वुज़ूई या बे ग़ुस्ली या दोनों से पाकी ह़ासिल करने और नमाज़ जाइज़ होने के लिये तयम्मुम करता हूं) बिस्मिल्लाह पढ़ कर दोनों हाथों की उंग्लियां कुशादा कर के किसी ऐसी पाक चीज़

1... मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 20

2... مسند احمد، مسند ابی ذر غفاری، 8/86، حدیث:21429

3... بخاری، کتاب التیمم، باب التیمم، 1/133، حدیث:334

पर जो ज़मीन की क़िस्म (मसलन पथ्थर, चूना, ईंट, दीवार, मिट्टी वग़ैरा) से हो मार कर लौट लीजिये (या'नी आगे बढ़ाइये और पीछे लाइये) । और अगर ज़ियादा गर्द लग जाए तो झाड़ लीजिये और उस से सारे मुंह का इस त़रह़ मस्ह़ कीजिये कि कोई ह़िस्सा रह न जाए अगर बाल बराबर भी कोई जगह रह गई तो तयम्मुम न होगा । फिर दूसरी बार इसी त़रह़ हाथ ज़मीन पर मार कर दोनों हाथों का नाख़ुनों से ले कर कोहनियों समेत मस्ह़ कीजिये, इस का बेहतर त़रीक़ा येह है कि उलटे हाथ के अंगूठे के इ़लावा चार उंग्लियों का पेट सीधे हाथ की पुश्त पर रखिये और उंग्लियों के सिरों से कोहनियों तक ले जाइये और फिर वहां से उलटे ही हाथ की हथेली से सीधे हाथ के पेट को मस करते हुए गिट्टे तक लाइये और उलटे अंगूठे के पेट से सीधे अंगूठे की पुश्त का मस्ह़ कीजिये । इसी त़रह़ सीधे हाथ से उलटे हाथ का मस्ह़ कीजिये । और अगर एक दम पूरी हथेली और उंग्लियों से मस्ह़ कर लिया तब भी तयम्मुम हो गया चाहे कोहनी से उंग्लियों की त़रफ़ लाए या उंग्लियों से कोहनी की त़रफ़ ले गए मगर सुन्नत के ख़िलाफ़ हुवा । तयम्मुम में सर और पाउं का मस्ह़ नहीं है ।[1]

तयम्मुम के फ़राइज़ और इस की सुन्नतें

सुवाल तयम्मुम के कितने और कौन कौन से फ़राइज़ हैं ?

जवाब तयम्मुम में तीन फ़राइज़ हैं : (1) निय्यत (2) सारे मुंह पर हाथ फेरना (3) दोनों हाथों का कोहनियों समेत मस्ह़ करना ।[2]

सुवाल तयम्मुम की कितनी और कौन कौन सी सुन्नतें हैं ?

जवाब तयम्मुम की दस सुन्नतें हैं : (1) बिस्मिल्लाह शरीफ़ कहना (2) हाथों को ज़मीन पर मारना (3) ज़मीन पर हाथ मार कर लौट देना (या'नी आगे बढ़ाना और पीछे लाना) (4) उंग्लियां खुली हुई रखना (5) हाथों को झाड़ लेना (6) पहले मुंह फिर हाथों का मस्ह़ करना (7) दोनों का मस्ह़ पै दर पै होना (8) पहले सीधे फिर उलटे हाथ का मस्ह़ करना (9) दाढ़ी का ख़िलाल करना (10) उंग्लियों का ख़िलाल करना जब कि ग़ुबार पहुंच गया हो ।[3]

1... बहारे शरीअ़त, 1/353, 354, 356, ह़िस्सा : 2 मुलख़्ख़सन
2... बहारे शरीअ़त, 1/353 ता 355, ह़िस्सा : 2
3... बहारे शरीअ़त, 1/356, ह़िस्सा : 2

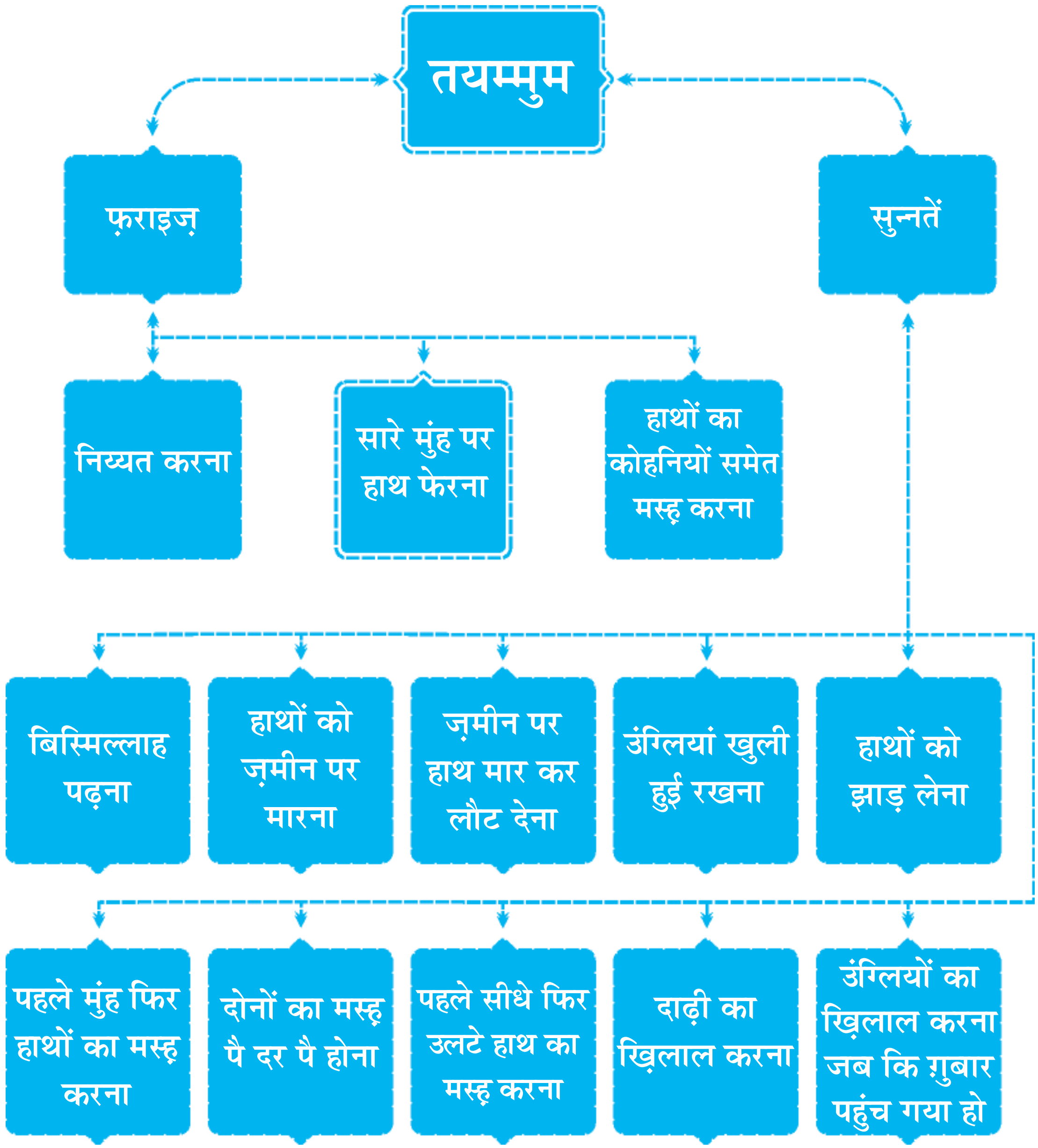
तयम्मुम
फ़राइज़
सुन्नतें
निय्यत करना
सारे मुंह पर हाथ फेरना
हाथों का कोहनियों समेत मस्ह़ करना
बिस्मिल्लाह पढ़ना
हाथों को ज़मीन पर मारना
ज़मीन पर हाथ मार कर लौट देना
उंग्लियां खुली हुई रखना
हाथों को झाड़ लेना
पहले मुंह फिर हाथों का मस्ह़ करना
दोनों का मस्ह़ पै दर पै होना
पहले सीधे फिर उलटे हाथ का मस्ह़ करना
दाढ़ी का ख़िलाल करना
उंग्लियों का ख़िलाल करना जब कि ग़ुबार पहुंच गया हो

मुतफ़र्रिक़ मसाइल

सुवाल कितनी मसाफ़त तक पानी न मिले तो तयम्मुम जाइज़ होगा ?

जवाब चारों त़रफ़ एक एक मील तक पानी का पता नहीं (तो तयम्मुम जाइज़ है) अगर येह गुमान हो कि एक मील के अन्दर पानी होगा तो तलाश कर लेना ज़रूरी है। बिला तलाश किये तयम्मुम जाइज़ नहीं।(1)

सुवाल तयम्मुम किस चीज़ से करना जाइज़ है ?

जवाब जो चीज़ आग से जल कर न राख होती है न पिघल्ती है न नर्म होती है वोह ज़मीन की जिन्स (या'नी क़िस्म) से है उस से तयम्मुम जाइज़ है।(2)

सुवाल क्या नमक से तयम्मुम जाइज़ है ?

जवाब जो नमक पानी से बनता है उस से तयम्मुम जाइज़ नहीं और जो कान से निकलता है जैसे सेंधा नमक उस से जाइज़ है।(3)

सुवाल क्या गद्दे या दरी वग़ैरा से तयम्मुम किया जा सकता है ?

जवाब गद्दे और दरी वग़ैरा में ग़ुबार है तो उस से तयम्मुम कर सकता है अगर्चे वहां मिट्टी मौजूद हो जब कि ग़ुबार इतना हो कि हाथ फेरने से उंग्लियों का निशान बन जाए।(4)

सुवाल तयम्मुम किन चीज़ों से टूट जाता है ?

जवाब जिन चीज़ों से वुज़ू टूट जाता है या ग़ुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है उन से तयम्मुम भी टूट जाता है और पानी पर क़ादिर होने से भी तयम्मुम टूट जाता है।(5)

सुवाल वुज़ू और ग़ुस्ल के तयम्मुम में क्या फ़र्क़ है ?

---

1 ... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الطہارۃ، الباب الرابع فی التیمم، الفصل الاول، 1/29

2 ... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الطہارۃ، الباب الرابع فی التیمم، الفصل الاول، 1/26

3 ... बहारे शरीअ़त, 1/358, हिस्सा : 2

4 ... बहारे शरीअ़त, 1/359, हिस्सा : 2, फ़तावा रज़विय्या, 3/302

5 ... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الطہارۃ، الباب الرابع فی التیمم، الفصل الاول، 1/29

जवाब वुज़ू और ग़ुस्ल दोनों के तयम्मुम का एक ही त़रीक़ा है।[1]

सुवाल किस क़िस्म की बीमारी में वुज़ू या ग़ुस्ल की जगह तयम्मुम करने की इजाज़त है ?

जवाब ऐसी बीमारी हो कि वुज़ू या ग़ुस्ल से उस (बीमारी) के ज़ियादा होने या देर में अच्छा होने का सह़ीह़ अन्देशा हो ख़्वाह यूं कि उस ने ख़ुद आज़्माया हो कि जब वुज़ू या ग़ुस्ल करता है तो बीमारी बढ़ती है या यूं कि किसी मुसल्मान अच्छे लाइक़ ह़कीम ने जो ज़ाहिरन फ़ासिक़ न हो कह दिया हो कि पानी नुक़्सान करेगा (तो ऐसी सूरत में तयम्मुम की इजाज़त है)।[2]

सुवाल सर्दी के सबब किस सूरत में तयम्मुम जाइज़ होगा ?

जवाब इतनी सर्दी हो कि नहाने से मर जाने या बीमार होने का क़वी अन्देशा हो और लिह़ाफ़ वग़ैरा कोई ऐसी चीज़ उस के पास नहीं जिसे नहाने के बा'द ओढ़े और सर्दी के ज़रर (नुक़्सान) से बचे, न आग है जिसे ताप सके तो तयम्मुम जाइज़ है।[3]

सुवाल किस सूरत में पानी पर क़ुदरत के बा वुजूद तयम्मुम जाइज़ है ?

जवाब अगर किसी के पास पानी है मगर वुज़ू या ग़ुस्ल में इस्ति'माल करेगा तो ख़ुद या दूसरा मुसल्मान या अपना या उस का जानवर अगर्चे वोह कुत्ता जिस का पालना जाइज़ है, प्यासा रह जाएगा और अपनी या उन में से किसी की प्यास ख़्वाह फ़िलह़ाल मौजूद हो या आइन्दा इस का सह़ीह़ अन्देशा हो कि वोह राह ऐसी है कि दूर तक पानी का पता नहीं तो तयम्मुम जाइज़ है।[4]

सुवाल ग़ुस्ल फ़र्ज़ हो लेकिन पानी सिर्फ़ वुज़ू जितना है तो क्या हुक्म है ?

जवाब इतना पानी मिला जिस से वुज़ू हो सकता है और उसे नहाने की ज़रूरत है तो उस पानी से वुज़ू कर लेना चाहिये और ग़ुस्ल के लिये तयम्मुम करे।[5]

सुवाल क्या ज़मज़म शरीफ़ के इ़लावा दूसरा पानी न होने की सूरत में तयम्मुम किया जा सकता है ?

जवाब अगर इतना आबे ज़मज़म शरीफ़ पास है जो वुज़ू के लिये काफ़ी है तो तयम्मुम जाइज़ नहीं।[6]

1 ... الجوہرۃ النیرۃ، کتاب الطہارۃ، باب التیمم، ص28
2 ... فتاوی ہندیہ، کتاب الطہارۃ، الباب الرابع فی التیمم، 1/28
3 ... درمختار مع ردالمحتار، کتاب الطہارۃ، باب التیمم، 1/443، بہار شریعت، 1/348، حصہ:2
4 ... فتاوی ہندیہ، کتاب الطہارۃ، الباب الرابع فی التیمم، 1/28
5 ... فتاوی تاتارخانیہ، کتاب الطہارۃ، الفصل الخامس فی التیمم، 1/255
6 ... فتاوی تاتارخانیہ، کتاب الطہارۃ، الفصل الخامس فی التیمم، نوع آخر فی بیان شرائطہم، 1/234

सुवाल क़ैदी को जेल में वुज़ू न करने दिया जाए तो वोह क्या करे ?

जवाब क़ैदी को क़ैदख़ाने वाले वुज़ू न करने दें तो तयम्मुम कर के नमाज़ पढ़ ले और इआ़दा करे और अगर वोह दुश्मन या क़ैदख़ाने वाले नमाज़ भी न पढ़ने दें तो इशारे से पढ़े फिर इआ़दा करे।[1]

सुवाल ऐसी जगह जहां पानी मिले न पाक मिट्टी तो नमाज़ कैसे अदा की जाए ?

जवाब अगर कोई ऐसी जगह है जहां न पानी मिलता है न पाक मिट्टी तो उसे चाहिये कि वक़्ते नमाज़ में नमाज़ की सी सूरत बनाए या'नी तमाम ह़रकाते नमाज़ बिला निय्यते नमाज़ बजा लाए।[2]

सुवाल किस तयम्मुम से एक नमाज़ के बा'द दूसरी नमाज़ पढ़ना जाइज़ नहीं ?

जवाब नमाज़े जनाज़ा या ईदैन या सुन्नतों के लिये इस ग़रज़ से तयम्मुम किया हो कि वुज़ू में मश्ग़ूल होगा तो येह नमाज़ें फ़ौत हो जाएंगी तो उस तयम्मुम से उस ख़ास नमाज़ के सिवा कोई दूसरी नमाज़ जाइज़ नहीं।[3]

सुवाल कोई तयम्मुम कर के नमाज़ पढ़ रहा था कि किसी के पास पानी देखा अब क्या करे ?

जवाब अगर गुमाने ग़ालिब है कि वोह पानी दे देगा तो चाहिये कि नमाज़ तोड़ दे और उस से पानी मांगे, अगर नहीं मांगा और नमाज़ पूरी कर ली और बा'द में उस ने पानी दे दिया तो नमाज़ का इआ़दा लाज़िम है।[4]

सुवाल किस सूरत में नमाज़े जनाज़ा के लिये तयम्मुम करने की इजाज़त है ?

जवाब ग़ैरे वली को नमाज़े जनाज़ा फ़ौत हो जाने का ख़ौफ़ हो तो तयम्मुम जाइज़ है वली को नहीं कि इस का लोग इन्तिज़ार करेंगे। ख़ौफ़े फ़ौत के येह मा'ना हैं कि चारों तक्बीरें जाती रहने का अन्देशा हो और अगर येह मा'लूम हो कि एक तक्बीर भी मिल जाएगी तो तयम्मुम जाइज़ नहीं।[5]

सुवाल किस सूरत में मुर्दे को तयम्मुम करवाया जाए ?

1... فتاوی ہندیہ، کتاب الطہارۃ، الباب الرابع فی التیمم، 1/28

2... बहारे शरीअ़त, 1/353, हिस्सा : 2

3... बहारे शरीअ़त, 1/354, हिस्सा : 2

4... فتاوی ہندیہ، کتاب الطہارۃ، الباب الرابع فی التیمم، 1/29

5... فتاوی ہندیہ، کتاب الطہارۃ، الباب الرابع فی التیمم، 1/31، बहारे शरीअ़त, 1/351, हिस्सा : 2

जवाब मुर्दे को अगर ग़ुस्ल न दे सकें ख़्वाह इस वज्ह से कि पानी नहीं या इस वज्ह से कि उस के बदन को हाथ लगाना जाइज़ नहीं जैसे अजनबी औ़रत या अपनी औ़रत कि मरने के बा'द उसे छू नहीं सकता तो उसे तयम्मुम कराया जाए, ग़ैर मह़रम को अगर्चे शौहर हो औ़रत को तयम्मुम कराने में कपड़ा ह़ाइल होना चाहिये ।[1]

मा'ज़ूर का तयम्मुम करना और बा'दे सिह़्ह़त उन नमाज़ों का इआ़दा करना

सुवाल अगर कोई ग़रीब शख़्स मा'ज़ूर हो उस के दोनों घुटने टूटे हों जिस के सबब वोह चल न सकता हो, वोह पानी तक ख़ुद भी न जा सकता हो और कोई शख़्स उस को वुज़ू कराने वाला न हो, न ही पानी देने वाला हो और न ही पानी ख़रीदने की वोह त़ाक़त रखता हो, अल ग़रज़ उस को पानी तक किसी त़रह़ क़ुदरत न हो तो क्या वोह नमाज़ के वक़्त तयम्मुम कर सकता है ? नीज़ जब ऐसा उ़ज़्र वाला शख़्स तन्दुरुस्त हो जाए तो क्या उस के लिये उन नमाज़ों का जो तयम्मुम के साथ अदा की गईं उन का इआ़दा करना ज़रूरी होगा ?

जवाब पूछी गई सूरत में ऐसे मा'ज़ूर शख़्स को तयम्मुम कर के नमाज़ अदा करने की इजाज़त है और तयम्मुम के साथ अदा की गई नमाज़ों का बा'द में इआ़दा (या'नी लौटाना) भी नहीं कि शरीअ़ते मुत़ह्हरा के क़वानीन की रू से अगर कोई शख़्स ऐसा मा'ज़ूर हो जो पानी तक न जा सकता हो और उस के पास कोई ऐसा शख़्स न हो जो उस को पानी ला कर दे न ख़िदमतन न हुक्मन न उज्रतन या उजरत पर लाने वाला हो और वोह इतनी उजरत देने पर क़ादिर न हो या उजरत देने पर क़ादिर है लेकिन वोह मज़दूर उजरते मिस्ल[2] से ज़ियादा त़लब करता है तो ऐसे शख़्स को शर्अ़न तयम्मुम कर के नमाज़ अदा करने की इजाज़त होती है और इआ़दा (या'नी नमाज़ लौटाना) भी लाज़िम नहीं होता ।[3]

सबक़ नम्बर 10 अज़ान व इक़ामत का बयान

अल्लाह पाक क़ुरआने करीम में अज़ान के मुतअ़ल्लिक़ इर्शाद फ़रमाता है :

وَ اِذَا نَادَیْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ اتَّخَذُوْهَا هُزُوًا وَّ لَعِبًاؕ
ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا یَعْقِلُوْنَ ﴿۵۸﴾ (پ6، المائدۃ:58)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और जब तुम नमाज़ के लिये अज़ान दो तो उसे हंसी खेल बनाते हैं येह इस लिये कि वोह निरे बे अ़क़्ल लोग हैं ।

1... बहारे शरीअ़त, 1/352, ह़िस्सा : 2
2... उजरते मिस्ल के बारे में जानने के लिये मक्तबतुल मदीना की मत़्बूआ़ बहारे शरीअ़त, जिल्द 2, इस्त़िलाह़ात सफ़ह़ा 12 इस्लाह़ात पढ़िये ।
3... मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 27 ता 28

तफ़्सीरे सिरातुल जिनान में इस आयत के तह़त है : सरकारे दो आ़लम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم का मुअज़्ज़िन अज़ान कहता, मुसल्मान उठते तो इस पर यहूदी हंसते और तमस्ख़ुर करते या'नी मज़ाक़ उड़ाते, इस पर येह आयत नाज़िल हुई।[(1)] मा'लूम हुवा कि नमाज़े पन्जगाना के लिये अज़ान होनी चाहिये, इस आयत से अज़ान का सुबूत भी है।[(2)]

अज़ान अ़ज़ाबे इलाही से अमान है

सुवाल किसी जगह अज़ान देने की क्या फ़ज़ीलत है ?

जवाब ह़ज़रते सय्यिदुना अनस رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ से रिवायत है, प्यारे आक़ा, मक्की मदनी मुस्त़फ़ा صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : जब किसी बस्ती में अज़ान दी जाती है तो **अल्लाह** पाक उस दिन उस बस्ती को अपने अ़ज़ाब से अमान अ़त़ा फ़रमा देता है।[(3)]

सुवाल दीने इस्लाम में अज़ान को क्या अहम्मिय्यत ह़ासिल है ?

जवाब अज़ान की अहम्मिय्यत का अन्दाज़ इस बात से लगाइये कि पांचों फ़र्ज़ नमाज़ें ब शुमूल जुमुआ़ मुबारक जब जमाअ़ते मुस्तह़ब्बा के साथ मस्जिद में वक़्त पर अदा की जाएं तो उन के लिये अज़ान सुन्नते मुअक्कदा है और इस का हुक्म मिस्ले वाजिब है कि अगर अज़ान न कही तो वहां के सब लोग गुनहगार होंगे। "फ़तावा ख़ानिया" में है : अज़ान शआ़इरे इस्लाम में से है ह़त्ता कि अगर किसी शहर, बस्ती या मह़ल्ले के लोग अज़ान कहना छोड़ दें तो ह़ाकिम उन्हें इस पर मजबूर करेगा और अगर वोह फिर भी न मानें तो उन से लड़ाई करेगा।[(4)]

सुवाल क्या प्यारे आक़ा صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم से अज़ान देना साबित है ?

जवाब जी हां ! हु़ज़ूर नबिय्ये करीम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم से सफ़र में अज़ान देना साबित है जिस में आप صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने कलिमाते शहादत यूं इर्शाद फ़रमाए : اَشْھَدُ اَنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰہ ।[(5)]

1... تفسیر بغوی، پ6، المائدۃ، تحت الآیۃ:58، 2/39
2... तफ़्सीरे सिरातुल जिनान, पारह : 6, अल माइदह, तह़तल आयह : 58, 2/457
3... معجم کبیر، 1/257، حدیث:746
4... बहारे शरीअ़त, 1/464, हिस्सा : 3 माख़ूज़न, فتاوی ہندیہ، کتاب الصلاۃ، الباب الثانی فی الاذان، 1/53
5... جد الممتار، باب الاذان، 3/81، फ़तावा रज़विय्या, 5/375

सुवाल अज़ान कहने की क्या फ़ज़ीलत है ?

जवाब (1) मुअज़्ज़िन की जहां तक आवाज़ पहुंचती है, उस के लिये मग़्फ़िरत कर दी जाती है और हर तर व ख़ुश्क जिस ने आवाज़ सुनी उस के लिये गवाही देगा।[1] (2) सवाब की त़लब में अज़ान देने वाला ख़ून में लतपत शहीद की त़रह़ है, मरने के बा'द क़ब्र में उस के बदन में कीड़े नहीं पड़ेंगे।[2] (3) अगर लोगों को मा'लूम होता कि अज़ान कहने में कितना सवाब है तो इस पर बाहम तलवार चलती।[3]

सुवाल अज़ान देने वाला कैसा हो ?

जवाब मुस्तह़ब येह है कि मुअज़्ज़िन मर्द, आ़क़िल, सालेह़, परहेज़ गार, आ़लिम बिस्सुन्नह, ज़ी वजाहत, लोगों के अह़वाल का निगरां और जो जमाअ़त से रह जाने वाले हों, उन को ज़ज्र करने वाला हो, अज़ान पर मुदावमत (हमेशगी) करता हो और सवाब के लिये अज़ान कहता हो।[4]

सुवाल हुज़ूर नबिय्ये करीम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के कितने मुअज़्ज़िन थे ?

जवाब हुज़ूर नबिय्ये करीम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के पांच मुअज़्ज़िन थे (1) ह़ज़रते सय्यिदुना बिलाल बिन रबाह़ رَضِیَ اللهُ عَنْه (2) ह़ज़रते सय्यिदुना अ़म्र बिन उम्मे मक्तूम رَضِیَ اللهُ عَنْه (3) ह़ज़रते सय्यिदुना सा'द बिन आइज़ رَضِیَ اللهُ عَنْه (4) ह़ज़रते सय्यिदुना अबू मह़ज़ूरा رَضِیَ اللهُ عَنْه और (5) ह़ज़रते सय्यिदुना ज़ियादा बिन ह़ारिस सुदाई رَضِیَ اللهُ عَنْه।[5]

सुवाल क्या अज़ान सिर्फ़ नमाज़ों के लिये दी जा सकती है ?

जवाब जी नहीं ! बल्कि दर्जे ज़ैल मवाक़ेअ़ पर भी अज़ान देना मुस्तह़ब है (1) बच्चे (2) ग़मगीन (3) मिर्गी वाले (4) ग़ज़ब नाक और बद मिज़ाज आदमी और (5) बद मिज़ाज जानवर के कान में (6) लड़ाई की शिद्दत के वक़्त (7) आग लगने के वक़्त (8) मय्यित दफ़्न करने के बा'द (9) जिन्न की सरकशी के वक़्त (या किसी पर जिन्न सुवार हो) (10) उस वक़्त जब जंगल में रास्ता भूल जाएं और कोई बताने वाला न हो।[6] और (11) वबा के ज़माने में भी अज़ान देना मुस्तह़ब है।[7]

1 ... مسند احمد، مسند ابی ہریرۃ، 3/420، حدیث:9546
2 ... معجم کبیر، 12/322، حدیث:13554
3 ... مسند احمد، مسند ابی سعید الخذری، 4/59، حدیث:11241
4 ... فتاوی ہندیہ، کتاب الصلاۃ، الباب الثانی فی الاذان، الفصل الاول، 1/53
5 ... مجموعہ رسائل اللکنوی، خیر الخبر فی اذان خیر البشر، 4/328
6 ... बहारे शरीअ़त, 1/466, हिस्सा : 3
7 ... फ़तावा रज़विय्या, 5/370

सुवाल कौन से दो सहाबए किराम को ख़्वाब में अज़ान सिखाई गई ?

जवाब अमीरुल मुअमिनीन हज़रते सय्यिदुना फ़ारूक़े आ'ज़म और हज़रते सय्यिदुना अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन अ़ब्दे रब्बिह رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا को अज़ान ख़्वाब में ता'लीम हुई, हुज़ूर नबिय्ये ग़ैबदान صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : "येह ख़्वाब हक़ है" और अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ से फ़रमाया : "जाओ बिलाल को तल्क़ीन करो, वोह अज़ान कहें कि वोह तुम से ज़ियादा बुलन्द आवाज़ हैं।"(1)

सुवाल बैठ कर अज़ान कहना या क़िब्ले के इलावा किसी और सम्त मुंह कर के अज़ान कहना कैसा ?

जवाब ऐसा करना मक्रूह है, अगर इस तरह़ कही तो दोबारा दी जाए।(2)

सुवाल वोह कौन सी अज़ान है जिस का जवाब नहीं दिया जाएगा ?

जवाब मुक़्तदियों को ख़ुत़्बे की अज़ान का जवाब ज़बान से हरगिज़ नहीं देना चाहिये येही अह़्वत़ (या'नी एह़तियात़ से क़रीब) है। हां अगर दिल से जवाब दिया जाए तो कोई ह़रज नहीं।(3)

सुवाल अगर अज़ान या इक़ामत कहते हुए कलिमात आगे पीछे हो जाएं तो क्या करे ?

जवाब अगर कलिमाते अज़ान या इक़ामत में किसी जगह तक़्दीम व ताख़ीर हो गई (या'नी कलिमात आगे पीछे हो गए) तो उतने को सह़ीह़ कर ले। शुरूअ़ से दोहराने की ज़रूरत नहीं और अगर सह़ीह़ न किये और नमाज़ पढ़ ली तो नमाज़ दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं।(4)

सुवाल बच्चे के कान में अज़ान व इक़ामत कितनी मरतबा कही जाती है ?

जवाब दह्ने कान में चार मरतबा अज़ान और बाएं में तीन मरतबा इक़ामत कही जाए।(5)

सुवाल मुअज़्ज़िन के इलावा किसी और शख़्स का इक़ामत कहना कैसा ?

जवाब अगर मुअज़्ज़िन मौजूद है तो उस की इजाज़त से दूसरा कह सकता है कि येह उसी का ह़क़ है और अगर बे इजाज़त कही और मुअज़्ज़िन को ना गवार हो तो मक्रूह है। अगर मुअज़्ज़िन मौजूद नहीं तो जो चाहे इक़ामत कह ले और बेहतर इमाम है।(6)

---

1 ... ابوداود، کتاب الصلٰوۃ، باب کیف الاذان، 1/210، حدیث:499
2 ... فتاوی ہندیہ، کتاب الصلٰوۃ، الباب الثانی فی الاذان، 1/54۔ درمختار، کتاب الصلٰوۃ، باب الاذان، 2/69
3 ... درمختار، کتاب الصلٰوۃ، باب الاذان، 2/87، मुल्तक़त़न फ़तावा रज़विय्या, 8/301
4 ... فتاوی ہندیہ، کتاب الصلٰوۃ، الباب الثانی فی الاذان، 1/56
5 ... बहारे शरीअ़त, 3/355, हिस्सा : 15
6 ... فتاوی ہندیہ، کتاب الصلٰوۃ، الباب الثانی فی الاذان، 1/54، बहारे शरीअ़त, 1/470, हिस्सा : 3

सुवाल इक़ामत में कब खड़ा होना चाहिये ? حَیَّ عَلَی الْفَلَاح पर खड़े होने को सुन्नत कह सकते हैं ? नीज़ कुछ लोग खड़े हो कर इक़ामत सुनते हैं इस का क्या हुक्म है ?

जवाब अह़नाफ़ के नज़्दीक इस बारे में हुक्म येह है कि इमाम व मुक़्तदी जब मस्जिद में मौजूद हों तो इस सूरत में इमाम व मुक़्तदी सब حَیَّ عَلَی الْفَلَاح पर खड़े हों और حَیَّ عَلَی الْفَلَاح पर खड़ा होना सुन्नते मुस्तह़ब्बा और इसे सिर्फ़ सुन्नत ही कह लिया जाए तो भी कुछ ह़रज नहीं और यूं भी ठीक है कि حَیَّ عَلَی الصَّلٰوۃ पर खड़ा होना शुरूअ़ करें और حَیَّ عَلَی الْفَلَاح पर मुकम्मल खड़े हो जाएं।[(1)]

सुवाल इक़ामत के वक़्त कोई शख़्स आया तो उस का खड़े हो कर इन्तिज़ार करना कैसा ?

जवाब इक़ामत के वक़्त कोई शख़्स आया तो उसे खड़े हो कर इन्तिज़ार करना मक्रूह है बल्कि बैठ जाए जब इक़ामत कहने वाला حَیَّ عَلَی الْفَلَاح पर पहुंचे उस वक़्त खड़ा हो। यूंही जो लोग मस्जिद में मौजूद हैं, वोह भी बैठे रहें, उस वक़्त उठें, जब इक़ामत कहने वाला حَیَّ عَلَی الْفَلَاح पर पहुंचे, येही हुक्म इमाम के लिये है।[(2)]

सुवाल अज़ान का जवाब देने का त़रीक़ा क्या है ?

जवाब मुअज़्ज़िन जो कहे वोही आप भी कहते जाइये। حَیَّ عَلَی الصَّلٰوۃ और حَیَّ عَلَی الْفَلَاح के जवाब में (चारों बार) कहना है : لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّۃَ اِلَّا بِاللّٰہ। बेहतर येह है कि जवाब में मसलन حَیَّ عَلَی الصَّلٰوۃ भी कहिये और लाह़ौल भी पढ़िये। फ़ज्र की अज़ान में "اَلصَّلٰوۃُ خَیْرٌ مِّنَ النَّوْمِ" का जवाब याद कर लीजिये : صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ وَبِالْحَقِّ نَطَقْتَ **तरजमा :** तू सच्चा और नेकोकार है और तू ने ह़क़ कहा है।[(3)]

अंगूठे चूम कर आंखों से लगाना

सुवाल अज़ान में हुज़ूर नबिय्ये करीम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के इस्मे गिरामी मुह़म्मद صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم को सुन कर अपने अंगूठे चूम कर अपनी आंखों से लगाना कैसा है ?

---

1 ...मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 33... इस मस्अले की तफ़्सील के लिये दा'वते इस्लामी के मक्तबतुल मदीना से "मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत (क़िस्त़ अव्वल)" ह़ासिल कर के सफ़ह़ा 33 ता 36 का मुत़ालआ़ कीजिये।

2 ... فتاوی ہندیہ، کتاب الصلاۃ، الباب الثانی فی الاذان، الفصل الثانی، 1/57

3 ... ردالمحتار، کتاب الصلوۃ، مطلب فی کراہۃ تکرار الجماعۃ فی المسجد، 2/83

जवाब जाइज़ व मुस्तह़सन व मूजिबे अज्रो सवाब है और सरकारे दो जहां, रह़मते आ़लमिय्यां صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की मह़ब्बत की अ़लामत है।

सुवाल इस का क्या सुबूत है ?

जवाब अ़ल्लामा इब्ने आ़बिदीन शामी رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : मुस्तह़ब येह है कि जब पहली शहादत सुने तो कहे : صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه और जब दूसरी सुने तो दोनों अंगूठे अपनी दोनों आंखों पर लगाने के बा'द कहे : قُرَّتْ عَيْنِيْ بِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ फिर येह कहे : اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنِيْ بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ तो हुज़ूर صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم जन्नत की त़रफ़ उस के क़ाइद होंगे जैसे कि "कन्ज़ुल इबाद" और "अल फ़तावस्सूफ़ियह" में है और "किताबुल फ़िरदौस" में है कि जिस ने अज़ान में اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰه सुनने के बा'द अपने दोनों अंगूठों को बोसा दिया तो जन्नत की सफ़ों में, मैं उस का क़ाइद और दाख़िल करने वाला होउंगा।[1]

सुवाल अंगूठे चूमने के बारे में कोई वाक़िआ़ हो तो वोह बयान फ़रमा दें।

जवाब आ'ला ह़ज़रत इमामे अहले सुन्नत अह़मद रज़ा ख़ान رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه "मुस्नदुल फ़िरदौस" के ह़वाले से फ़रमाते हैं : ह़ज़रते अबू बक्र सिद्दीक़ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْه से मरवी है कि जब आप رَضِىَ اللّٰهُ عَنْه ने मुअज़्ज़िन को اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰه कहते सुना येह दुआ़ पढ़ी और दोनों कलिमे की उंग्लियों के पोरे जानिबे ज़ेरीं (निचली जानिब) से चूम कर आंखों से लगाए, इस पर हुज़ूरे अक़्दस صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : जो ऐसा करे जैसा मेरे प्यारे ने किया उस के लिये मेरी शफ़ाअ़त ह़लाल हो जाए।[1]

अज़ान व इक़ामत और इन के जवाब के मुतअ़ल्लिक़ मुख़्तलिफ़ अह़काम

सुवाल अज़ान व इक़ामत और इन के जवाब के मुतअ़ल्लिक़ कुछ अह़काम बयान कीजिये।

जवाब (1) अज़ान सुन्नते मुअक्कदा और शिआ़रे इस्लाम (इस्लाम की निशानी) है[2] (2) इस का हुक्म मिस्ले वाजिब है कि अगर अज़ान न कही तो वहां के सब लोग गुनहगार होंगे।[3] (3) अज़ान के बिग़ैर जमाअ़ते ऊला मक्रूह[4] (4) वक़्त शुरूअ़ होने से पहले अज़ान कह दी या वक़्त से पहले शुरूअ़

1... ردالمحتار، کتاب الصلوۃ، مطلب فی کراہۃ تکرار الجماعۃ فی المسجد، 2/84

2... फ़तावा रज़विय्या, 5/432

3... बहारे शरीअ़त, 1/464, ह़िस्सा : 3

4... फ़तावा रज़विय्या, 16/430 ब तग़य्युरे क़लील

की और दौराने अज़ान वक़्त आ गया, दोनों सूरतों में अज़ान दोबारा कहिये ।[1] (5) जब अज़ान हो तो उतनी देर के लिये सलाम कलाम और जवाबे सलाम, तमाम काम मौक़ूफ़ कर दे यहां तक कि क़ुरआने मजीद की तिलावत में अज़ान की आवाज़ आए, तो तिलावत मौक़ूफ़ कर दे और अज़ान को ग़ौर से सुने और जवाब दे ।[2] (6) रास्ता चल रहा था कि अज़ान की आवाज़ आई तो उतनी देर खड़ा हो जाए, सुने और जवाब दे । (7) इक़ामत का जवाब मुस्तह़ब है ।[3] (8) अगर चन्द अज़ानें सुने, तो उस पर पहली ही का जवाब है और बेहतर येह कि सब का जवाब दे । (9) अगर ब वक़्ते अज़ान जवाब न दिया तो अगर ज़ियादा देर न हुई हो, अब दे ले ।[4] ख़ुत्बे की अज़ान का जवाब ज़बान से देना, मुक़्तदियों को जाइज़ नहीं ।[5] अज़ाने नमाज़ के इलावा दीगर अज़ानों का जवाब भी दिया जाएगा मसलन बच्चे की पैदाइश पर दी जाने वाली अज़ान ।[6] (10) इक़ामत अज़ान से भी ज़ियादा ताकीदी सुन्नत है ।[7] (11) इक़ामत के कलिमात जल्द जल्द कहिये और दरमियान में सक्ता (ठहराव) मत कीजिये ।[8]

अज़ान व इक़ामत से बे परवाई के नुक़्सानात

सुवाल अज़ान व इक़ामत से बे परवाई के क्या नुक़्सानात हैं ?

जवाब ✽ अज़ान की तौहीन कुफ़्र है ।[9] ✽ अज़ान से भागना शैत़ानी अ़मल है । ह़दीसे पाक में है : जब नमाज़ के लिये अज़ान दी जाती है तो शैत़ान पीठ फेर कर भागता है उस का ह़ाल येह होता है कि जब तक अज़ान होती हो गूज़ मारता (या'नी हवा ख़ारिज करता) रहता है ताकि अज़ान की आवाज़ न सुन सके ।[10] ✽ जो अज़ान के वक़्त बातों में मश्ग़ूल रहे उस का مَعَاذَاللّٰہ ख़ातिमा बुरा होने का ख़ौफ़ है ।[11] अज़ान से मुतअ़ल्लिक़ तफ़्सीली मा'लूमात ह़ासिल करने के लिये शैख़े त़रीक़त, अमीरे अहले सुन्नत ह़ज़रत अ़ल्लामा मौलाना मुह़म्मद इल्यास अ़त्तार क़ादिरी रज़वी دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ का रिसाला "फ़ैज़ाने अज़ान" पढ़िये ।

1... الہدایہ شرح بدایۃ المبتدی، کتاب الصلوۃ، باب الاذان، 1/45، बहारे शरीअ़त, 1/465, ह़िस्सा : 3
2... فتاوی ہندیہ، کتاب الصلوۃ، باب الاذان، ص57 ماخوذا، ردالمحتار، کتاب الصلوۃ، مطلب فی کراہۃ تکرار الجماعۃ فی المسجد، 2/86 ماخوذا
3... فتاوی ہندیہ، کتاب الصلوۃ، باب الاذان، 1/57 ملتقطا
4... बहारे शरीअ़त, 1/473, ह़िस्सा : 3
5... ردالمحتار، کتاب الصلوۃ، مطلب فی کراہۃ تکرار الجماعۃ فی المسجد، 2/87
6... درمختار مع ردالمحتار، کتاب الصلوۃ، باب الاذان، مطلب فی کراہۃ تکرار الجماعۃ فی المسجد، 2/82
7... درمختار، کتاب الصلوۃ، باب الاذان، ص68
8... बहारे शरीअ़त, 1/470, ह़िस्सा : 3 ब तग़य्युरे क़लील
9... कुफ़्रिय्या कलिमात के बारे में सुवाल जवाब, स. 359 माख़ूज़न
10... بخاری، کتاب الاذان، باب فضل التاذین، 1/222، حدیث:608
11... बहारे शरीअ़त, 1/473, ह़िस्सा : 3

सबक़ नम्बर 11

वक़्त पर नमाज़ पढ़ने का बयान

नमाज़ मुसल्मानों पर वक़्त बांधा हुवा फ़र्ज़ है

पारह 5, सूरतुन्निसाअ, आयत : 103 में **अल्लाह** पाक इर्शाद फ़रमाता है :

اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِیْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا ﴿۱۰۳﴾
(پ5،النساء:103)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : बेशक नमाज़ मुसल्मानों पर वक़्त बांधा हुवा फ़र्ज़ है।

तफ़्सीरे सिरातुल जिनान जिल्द 2 सफ़्हा 292 पर इस आयते मुबारका के तह़्त है : नमाज़ के अवक़ात मुक़र्रर हैं लिहाज़ा लाज़िम है कि इन अवक़ात की रिआयत (या'नी हर नमाज़ उस के वक़्त में अदा) की जाए।

वक़्त पर नमाज़ पढ़ना पसन्दीदा अ़मल है

रसूले करीम صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم की ख़िदमत में सुवाल हुवा : कौन सा अ़मल **अल्लाह** पाक को ज़ियादा पसन्द है ? इर्शाद फ़रमाया : वक़्त पर नमाज़ पढ़ना।[1]

सुवाल फ़र्ज़ नमाज़ों के अवक़ात क्या हैं ?

जवाब (1) फ़ज्र का वक़्त : सुब्हे सादिक़ नुमूदार होने से सूरज की किरन चमकने तक।[2] सुब्हे सादिक़ की वज़ाहत : सुब्हे सादिक़ एक रोशनी है जो मशरिक़ की जानिब जहां से आज सूरज निकलना है, उस के ऊपर आस्मान के कनारे में दिखाई देती है और बढ़ती जाती है यहां तक कि तमाम आस्मान पर फैल जाती है और ज़मीन पर उजाला हो जाता है[3] ✲ सूरज निकलने से 20 मिनट तक "वक़्ते मक्रूह" है।[4]

(2) ज़ोहर और जुमुआ़ का वक़्त : ज़वाल (या'नी सूरज ऐन सर पर आ कर जब मग़रिब की त़रफ़ ढलना

1...بخاری،کتاب مواقیت الصلوۃ،باب فضل الصلوۃ لوقتہا،1/196،حدیث:527

2... बहारे शरीअ़त, 1/447, हिस्सा : 3 मुलख़्ख़सन

3... बहारे शरीअ़त, 1/447, हिस्सा : 3 ब तग़य्युरे क़लील

4... बहारे शरीअ़त, 1/454, हिस्सा : 3 मुलख़्ख़सन

शुरूअ़ करे, उस) से ले कर उस वक़्त तक है कि हर चीज़ का साया दोगुना हो जाए।[1] साया दोगुना होने की वज़ाह़त : मसलन चार फ़िट की लकड़ी ज़मीन में गाड़ दीजिये, जब सूरज ऐन सर पर आ जाए तो देखिये कि इस का साया कितना है, बिलफ़र्ज़ चार फ़िट की लकड़ी का साया उस वक़्त आठ फ़िट हो तो जब येह साया 20 फ़िट (दो गुना साया : 8+8, लकड़ी : 4 फ़िट, कुल साया : 20 फ़िट) हो जाए, उस वक़्त ज़ोहर का वक़्त ख़त्म और अ़स्र का शुरूअ़ हो गया।[2] ✱ ज़वाल का वक़्त शुरूअ़ होने से 20 मिनट तक का वक़्त "वक़्ते मक्रूह" है। (3) अ़स्र का वक़्त : ज़ोहर का वक़्त ख़त्म होने से सूरज डूबने तक।[3] ✱ नमाज़े अ़स्र पढ़ने के बा'द कोई नफ़्ल नमाज़ नहीं पढ़ सकते।[4] ✱ सूरज डूबने से 20 मिनट पहले का वक़्त "वक़्ते मक्रूह" है।[5] (4) मग़रिब का वक़्त : सूरज डूबने से शफ़क़ ख़त्म होने तक।[6] शफ़क़ किसे कहते हैं : सूरज डूबने के बा'द मग़रिब की जानिब शुमालन जुनूबन फैली हुई सुर्ख़ रोशनी दिखाई देती है, इस के बा'द इसी जगह सफ़ेद रोशनी फैल जाती है, इस सफ़ेद रोशनी को शफ़क़ कहते हैं।[7] (5) इशा का वक़्त : मग़रिब का वक़्त ख़त्म होने से ले कर सुब्हे सादिक़ नुमूदार होने से पहले तक।[8]

नोट : मक्रूह वक़्त में कोई नमाज़ पढ़ना जाइज़ नहीं, न फ़र्ज़ न वाजिब न नफ़्ल, न अदा, न क़ज़ा। हां ! उस रोज़ अगर अ़स्र की नमाज़ नहीं पढ़ी तो अगर्चे सूरज डूबता हो, पढ़ ले मगर इतनी देर करना ह़राम है।[9]

वक़्त पर नमाज़ पढ़ने के मुतअ़ल्लिक़ मुख़्तलिफ़ अह़काम

(1) फ़र्ज़ नमाज़ें उन के वक़्त ही में पढ़ना फ़र्ज़ है।[10] (2) वक़्त से पहले नमाज़ बाति़ल (या'नी

1... बहारे शरीअ़त, 1/449, हिस्सा : 3 मुलख़्ख़सन
2... क़ानूने शरीअ़त, स. 145 मुफ़स्सलन
3... बहारे शरीअ़त, 1/450, हिस्सा : 3 ब तग़य्युरे क़लील
4... बहारे शरीअ़त, 1/456, हिस्सा : 3 मुलख़्ख़सन
5... बहारे शरीअ़त, 1/452, हिस्सा : 3 मुलख़्ख़सन
6... बहारे शरीअ़त, 1/450, हिस्सा : 3 मुलख़्ख़सन
7... बहारे शरीअ़त, 1/451, हिस्सा : 3 मुफ़स्सलन
8... बहारे शरीअ़त, 1/451, हिस्सा : 3 मुलख़्ख़सन
9... बहारे शरीअ़त, 1/454, हिस्सा : 3 ब तग़य्युरे क़लील
10... फ़तावा रज़विय्या, 5/270, ब तग़य्युरे क़लील

हुई ही नहीं) और जान बूझ कर नमाज़ क़ज़ा कर देना या'नी उस का वक़्त गुज़ार देना ह़राम है।[1] (3) जो नमाज़ उस के वक़्त में अदा न की, वोह ज़िम्मे पर बाक़ी है, "उस पर फ़र्ज़ है कि उस की क़ज़ा पढ़े और सच्चे दिल से तौबा भी करे।"[2] (4) वक़्त पहचानना (या'नी नमाज़, रोज़े वग़ैरा के अवक़ात की मा'लूमात रखना) हर मुसल्मान पर फ़र्ज़े ऐन (या'नी हर आ़क़िल व बालिग़ मुसल्मान पर लाज़िम व ज़रूरी) है।[3]

अवक़ाते नमाज़ मा'लूम करने का एक आसान ज़रीआ़

✽ आ़शिक़ाने रसूल की मदनी तह़रीक दा'वते इस्लामी के इशाअ़ती इदारे मक्तबतुल मदीना से "अवक़ाते नमाज़" का नक़्शा ख़रीद लीजिये और वक़्तन फ़ वक़्तन बल्कि रोज़ाना ही कम अज़ कम एक मरतबा उस दिन की नमाज़ों के अवक़ात देख लिया कीजिये। ✽ Play Store/App Store से दा'वते इस्लामी के शो'बे "मजलिसे तौक़ीत" की तय्यार कर्दा मोबाइल एप्लीकेशन Prayer Time डाउनलोड कर लीजिये। इस एप्लीकेशन (Application) के ज़रीए اَلْحَمْدُ لِلّٰہ ! दुन्या भर के तक़रीबन 27 लाख मक़ामात के लिये सह़र व इफ़्त़ार और नमाज़ों के अवक़ात मा'लूम किये जा सकते हैं।

वक़्त पर नमाज़ पढ़ने के फ़ाएदे और सवाबात

✽ सुस्ती व काहिली जो कि बात़िनी मरज़ है, नमाज़ों के अवक़ात मुक़र्रर करने में इस का इलाज है।[4] ✽ पांचों नमाज़ें वक़्त पर पाबन्दी के साथ पढ़ने में "ग़फ़्लत" का इलाज है।[5] ✽ जिस का दिल मस्जिद में मुअ़ल्लक़ रहे (या'नी जो एक नमाज़ पढ़ कर दूसरी का मुन्तज़िर रहे) वोह रोज़े क़ियामत अ़र्श के साए में होगा।[6] पांच नमाज़ों के अलग अलग फ़ाएदे : ✽ फ़ज्र अदा करने वाला ख़ुश ख़ुश और तरो ताज़ा हो कर सुब्ह़ करता है,[7] शाम तक **अल्लाह** पाक की अमान में रहता है,[8]

1... फ़तावा रज़विय्या, 5/284 मफ़्हूमन
2... क़ज़ा नमाज़ों का त़रीक़ा, स. 7, मक्तबतुल मदीना
3... फ़तावा रज़विय्या, 10/569

4... جواہر البیان فی اسرار الارکان، ص58، والضحی پبلی کیشنز
5... حجۃ اللہ البالغہ، اوقات الصلوۃ، ص317 مفہوما
6... بخاری، کتاب الاذان، باب من جلس فی المسجد...الخ، 1/260 ملتقطا
7... بخاری، کتاب التہجد، باب عقد الشیطان...الخ، 1/236، حدیث:660
8... معجم اوسط، 2/335، حدیث3464، دار الفکر عمان

उस के लिये दुन्या के मुश्किल काम आसान हो जाते हैं।[(1)] ✻ फ़ज्र व अ़स्र के वक़्त मसरूफ़े इ़बादत रहने से रिज़्क़ और अ़मल में बरकत दी जाती है।[(2)] ✻ नमाज़े फ़ज्र व अ़स्र पाबन्दी के साथ पढ़ने से रोज़े क़ियामत दीदारे इलाही की क़ाबिलिय्यत पैदा होती है।[(3)] ✻ नमाज़े अ़स्र व इ़शा की पाबन्दी करने से "ज़ोहद" पैदा होता है और नफ़्स को नफ़्सानी ख़्वाहिशात की पैरवी से नजात मिलती है।[(4)] ✻ नमाज़े अ़स्र पढ़ने वाले के लिये आस्मान व ज़मीन के फ़िरिश्ते मग़्फ़िरत चाहेंगे।[(5)] ✻ मग़रिब पढ़ने वाले के लिये आस्मान के दरवाज़े खोल दिये जाते हैं, वोह जिस ह़ाजत का सुवाल करे पूरा होगा।[(6)] ✻ नमाज़े इ़शा पढ़ने वाला गुनाहों से ऐसे निकल जाता है जैसे अभी मां के पेट से पैदा हुवा।[(7)]

वक़्त पर नमाज़ न पढ़ने के नुक़्सानात

सुवाल वक़्त पर नमाज़ न पढ़ने के क्या नुक़्सानात हैं ?

जवाब ✻ जो जान बूझ कर एक वक़्त की नमाज़ छोड़े, उस का नाम जहन्नम के उस दरवाज़े पर लिख दिया जाता है जिस से वोह जहन्नम में दाख़िल होगा।[(8)] ✻ जिस ने क़स्दन (जान बूझ कर) एक वक़्त की (नमाज़) छोड़ी, हज़ारों बरस जहन्नम में रहने का मुस्तह़िक़ हुवा, जब तक तौबा न करे और उस की क़ज़ा न कर ले।[(9)] ✻ जो नमाज़ में सुस्ती करे और वक़्त के बा'द क़ज़ा कर के पढ़े, उस का ठिकाना "वैल" है। "वैल" जहन्नम की एक वादी है, अगर उस में दुन्या के पहाड़ डाले जाएं तो वोह भी उस की गरमी से पिघल जाएं।[(10)] ✻ जो फ़ज्र न पढ़े ग़मगीन दिल और सुस्ती के साथ सुब्ह़ करता है।[(11)]

1... فیض القدیر، 1/85، تحت الحدیث:26
2... عمدۃ القاری، کتاب مواقیت الصلوۃ، باب فضل صلاۃ العصر، 4/65، حدیث:555
3... मिरआतुल मनाजीह़, 7/518 ब तग़य्युरे क़लील
4... فیض القدیر، 1/85، تحت الحدیث:26
5... फ़तावा रज़विय्या, 5/53 मुलख़्ख़सन
6... फ़तावा रज़विय्या, 5/53 ब तग़य्युरे क़लील
7... फ़तावा रज़विय्या, 5/53 ब तग़य्युरे क़लील
8... جمع الجوامع، 7/129، حدیث:21641
9... फ़तावा रज़विय्या, 9/158
10... الکبائر للذہبی، الکبیرۃ الرابعۃ، ص19 ملخصا
11... फ़ैज़ाने नमाज़, स. 89 ता 90 मुलख़्ख़सन

सबक़ नम्बर 12

नमाज़ का बयान

हर आ़क़िल बालिग़ मुसल्मान पर रोज़ाना पांच वक़्त की नमाज़ फ़र्ज़ है। **अल्लाह** पाक पारह 2 सूरए बक़रह की आयत नम्बर 238 में इर्शाद फ़रमाता है :

حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى ۗ وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ ﴿۲۳۸﴾

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : निगह्बानी करो सब नमाज़ों और बीच की नमाज़ की और खड़े हो **अल्लाह** के हुज़ूर अदब से।

सदरुल अफ़ाज़िल ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना सय्यिद मुह़म्मद नईमुद्दीन मुरादआबादी رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه इस आयते मुबारका के तह़्त लिखते हैं : या'नी पन्जगाना फ़र्ज़ नमाज़ों को उन के अवक़ात पर अरकान व शराइत़ के साथ अदा करते रहो इस में पांचों नमाज़ों की फ़र्ज़िय्यत का बयान है।[1]

नमाज़ की अहम्मिय्यत पर दो अह़ादीसे मुबारका

सुवाल नमाज़ की अहम्मिय्यत पर दो अह़ादीसे मुबारका बयान कीजिये।

जवाब (1) ह़ज़रते उ़बादा बिन सामित رَضِیَ اللّٰهُ عَنْه से रिवायत है, हुज़ूरे अकरम, नूरे मुजस्सम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : पांच नमाज़ें **अल्लाह** पाक ने बन्दों पर फ़र्ज़ कीं, जिस ने अच्छी त़रह़ वुज़ू किया और वक़्त में पढ़ीं और रुकूअ़ व ख़ुशूअ़ को पूरा किया तो उस के लिये **अल्लाह** पाक ने अपने ज़िम्मए करम पर अ़ह्द कर लिया है कि उसे बख़्श दे, और जिस ने न किया उस के लिये अ़ह्द नहीं, चाहे बख़्श दे, चाहे अ़ज़ाब करे।[2]

(2) एक शख़्स ने रह़ीमो करीम आक़ा صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم की बारगाह में अ़र्ज़ की : **या रसूलल्लाह** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ! इस्लाम की क्या चीज़ **अल्लाह** पाक को सब से ज़ियादा पसन्द है ? इर्शाद फ़रमाया : नमाज़ वक़्त पर अदा करना।[3]

नमाज़ पढ़ने के फ़वाइद

सुवाल नमाज़ पढ़ने के क्या क्या फ़वाइद हैं ?

---

1 ...तफ़्सीरे ख़ज़ाइनुल इरफ़ान, पारह : 1, अल बक़रह, तह़तल आयह : 238

2 ... ابوداود، کتاب الصلاۃ، باب المحافظۃ علی وقت الصلوات، 1/186، حدیث:425

3 ... شعب الایمان، الباب الحادی والعشرین، باب فی الصلوات، 3/39، حدیث:2807

जवाब नमाज़ अंधेरी क़ब्र का चराग़ है। ❋ नमाज़ अ़ज़ाबे क़ब्र से बचाती है। ❋ नमाज़ क़ियामत की धूप में साया है। ❋ नमाज़ पुल सिरात़ के लिये आसानी है। ❋ नमाज़ जहन्नम के अ़ज़ाब से बचाती है। ❋ नमाज़ से रह़मत नाज़िल होती है। ❋ नमाज़ से गुनाह मुआ़फ़ होते हैं। ❋ नमाज़ दुआ़ओं की क़बूलिय्यत का सबब है। ❋ नमाज़ बीमारियों से बचाती है। ❋ नमाज़ से बदन को राह़त मिलती है। ❋ नमाज़ से रोज़ी में बरकत होती है। ❋ नमाज़ बे ह़याई और बुरे कामों से बचाती है।[(1)] ❋ "नमाज़" में सेंकड़ों बीमारियों का इलाज भी है मसलन नमाज़ दिल, मे'दा और आंतों वग़ैरा के मरज़ में शिफ़ा देती है। ❋ दर्द व ग़म का एह़सास भुला देती या कम कर देती है। ❋ नज़्ला ज़ुकाम के मरीज़ के लिये त़वील (या'नी लम्बा) सज्दा निहायत मुफ़ीद है। ❋ सज्दे से बन्द नाक खुलती है। ❋ आंतों में जम्अ़ होने वाले ग़ैर ज़रूरी मवाद को ह़रकत दे कर निकालने में सज्दा काफ़ी मददगार साबित होता है। ❋ नमाज़ से ज़ेहन साफ़ होता और ग़ुस्से की आग बुझ जाती है।[(2)] ❋ नमाज़ी के लिये सब से बड़ी ने'मत येह है कि उसे बरोज़े क़ियामत **अल्लाह** पाक का दीदार होगा।[(3)]

नोट : कामिल फ़वाइद उसी सूरत में ह़ासिल हो सकते हैं जब नमाज़ इत़्मीनान से दुरुस्त त़रीक़े पर अदा की जाए।

नमाज़ न पढ़ने के नुक़्सानात

सुवाल नमाज़ न पढ़ने के क्या नुक़्सानात हैं ?

जवाब बे नमाज़ी की उ़म्र से बरकत ख़त्म कर दी जाती है। ❋ उस के चेहरे से नेक बन्दों की निशानी मिटा दी जाएगी। ❋ उस की कोई दुआ़ आस्मान तक न पहुंचेगी। ❋ नेक बन्दों की दुआ़ओं में उस का कोई ह़िस्सा न होगा। ❋ दुन्या में उस से मख़्लूक़ नफ़रत करेगी। ❋ बे नमाज़ी ज़लील हो कर मरेगा। ❋ भूका मरेगा। ❋ प्यासा मरेगा, अगर उसे दुन्या भर के समुन्दर पिला दिये जाएं फिर भी उस की प्यास न बुझेगी। ❋ उस की क़ब्र को इतना तंग कर दिया जाएगा कि उस की पस्लियां एक दूसरे में दाख़िल हो जाएंगी। ❋ उस की क़ब्र में आग भड़का दी जाएगी फिर वोह दिन रात अंगारों पर उलट पलट होता रहेगा। ❋ बे नमाज़ी का ह़िसाब सख़्ती से लिया जाएगा। ❋ रब्बे क़ह्हार उस से नाराज़ होगा। ❋ बे

1... फ़ैज़ाने नमाज़, स. 10 मुल्तक़त़न
2... फ़ैज़ाने नमाज़, स. 29 मुल्तक़त़न
3... फ़ैज़ाने नमाज़, स. 11

नमाज़ी को जहन्नम में डाल दिया जाएगा।[1]

मदनी मश्वरा : नमाज़ी बनने और नमाज़ से मुतअ़ल्लिक़ मा'लूमात के लिये शैखे़ त़रीक़त, अमीरे अहले सुन्नत ह़ज़रत अ़ल्लामा मौलाना मुह़म्मद इल्यास अ़त्तार क़ादिरी रज़वी دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه की किताब "फै़ज़ाने नमाज़" और "नमाज़ के अह़काम" पढ़िये। नीज़ दा'वते इस्लामी की मजलिस मदनी कोर्सिज़ के तह़्त होने वाले "फै़ज़ाने नमाज़ कोर्स" में दाखि़ला ले लीजिये। اِنْ شَآءَاللهُ الْعَزِيْز ! नमाज़ के मुतअ़ल्लिक़ बहुत सारी ग़लतियों की इस्लाह़ होगी और इ़ल्मे दीन भी सीखने को मिलेगा।

कलामे अमीरे अहले सुन्नत دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

हर इबादत से बरतर इबादत नमाज़
सारी दौलत से बढ़ कर है दौलत नमाज़
क़ल्बे ग़मगीं का सामाने फ़रह़त नमाज़
है मरीज़ों को पौग़ामे सिह़्ह़त नमाज़
नारे दोज़ख़ से बेशक बचाएगी येह
रब से दिलवाएगी तुम को जन्नत नमाज़
प्यारे आक़ा की आंखों की ठन्डक है येह
क़ल्बे शाहे मदीना की राह़त नमाज़
भाइयो ! गर ख़ुदा की रिज़ा चाहिये
आप पढ़ते रहें बा जमाअ़त नमाज़
आओ मस्जिद में झुक जाओ रब के हु़ज़ूर
तुम को दिलवाएगी ह़क़ से रिफ़्अ़त नमाज़
ऐ ग़रीबो ! न घबराओ सज्दे करो
देगी बरकत, मिटाएगी ग़ुरबत नमाज़
सब्र से और नमाज़ों से चाहो मदद
पूरी करवाए हर एक ह़ाजत नमाज़
ख़ूब नफ़्लों के सज्दों में मांगो दुआ़
पूरी करवाएगी रब से ह़ाजत नमाज़
क्यूं नमाज़ी जहन्नम में जाए भला !
इस को दिलवाएगी बाग़े जन्नत नमाज़
जो मुसल्मान पांचों नमाज़ें पढ़ें
ले चलेगी उन्हें सूए जन्नत नमाज़
होगी दुन्या ख़राब आख़िरत भी ख़राब
भाइयो ! तुम कभी छोड़ना मत नमाज़
बे नमाज़ी जहन्नम का ह़क़दार है
भाइयो ! तुम कभी छोड़ना मत नमाज़
क़ब्र में सांप बिच्छू लिपट जाएंगे
भाइयो ! तुम कभी छोड़ना मत नमाज़
सह सकोगे न दोज़ख़ का हरगिज़ अ़ज़ाब
भाइयो ! तुम कभी छोड़ना मत नमाज़
देखो ! अल्लाह नाराज़ हो जाएगा
भाइयो ! तुम कभी छोड़ना मत नमाज़
या ख़ुदा तुझ से अ़त्तार की है दुआ़
मुस्त़फ़ा की पढ़े प्यारी उम्मत नमाज़

1... फै़ज़ाने नमाज़, स. 426, 427 ब तग़य्युरे क़लील

सबक़ नम्बर 13

नमाज़ की शराइत़

सुवाल नमाज़ की कितनी और कौन कौन सी शराइत़ हैं ?

जवाब पहले एक ह़दीसे मुबारका मुलाह़ज़ा कीजिये, रह़मत वाले आक़ा صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم का फ़रमान है : जिस ने ऐसा वुज़ू किया जैसा करने का हुक्म है और ऐसी नमाज़ पढ़ी जैसी पढ़ने का हुक्म है, तो जो कुछ पहले किया है मुआ़फ़ कर दिया जाएगा ।[1]

कोई भी नमाज़ पढ़ने से पहले इन 6 चीज़ों का पूरा होना ज़रूरी है, वरना नमाज़ शुरूअ़ ही नहीं होगी ।

नम्बर शुमार	शर्त़	तफ़्सील
01	त़हारत	नमाज़ पढ़ने वाले का (1) बदन (2) लिबास और (3) नमाज़ पढ़ने की जगह नापाकी (गन्दगी) से पाक हो । नमाज़ पढ़ने वाले पर ग़ुस्ल फ़र्ज़ न हो और वोह बा वुज़ू हो ।
02	सत्रे औ़रत	मर्द का नाफ़ के नीचे से घुटने समेत सारा ह़िस्सा और औ़रत का हथेलियों, पाउं के तल्वों और चेहरे के इ़लावा अपना सारा जिस्म छुपाना । (औ़रत के हाथ कलाइयों तक और पैर टख़्नों तक ज़ाहिर हों तब भी नमाज़ हो जाएगी)
03	इस्तिक़्बाले क़िब्ला	नमाज़ में ख़ानए का'बा की त़रफ़ सीना कर के खड़ा होना ।
04	वक़्त	जो नमाज़ पढ़नी है उस का वक़्त होना ज़रूरी है । अगर वक़्त से पहले नमाज़ पढ़ी तो अदा नहीं होगी बल्कि वक़्त में दोबारा पढ़नी होगी । नमाज़े फ़ज्र को वक़्त के अन्दर मुकम्मल करना भी ज़रूरी है । जान बूझ कर नमाज़ का वक़्त गुज़ार देना और नमाज़ अदा न करना सख़्त गुनाह है ।
05	निय्यत	"निय्यत" दिल के पक्के इरादे को कहते हैं । किसी भी नमाज़ को अदा करने के लिये पहले उस नमाज़ का दिल में पक्का इरादा करना ज़रूरी है । अगर ज़बान से भी कह ले कि मसलन : "मैं फ़ज्र की 2 रक्अ़त फ़र्ज़ नमाज़ अदा करने की निय्यत करता हूं" तो ज़ियादा अच्छा है ।
06	तक्बीरे तह़रीमा	या'नी नमाज़ शुरूअ़ करना, "اَللّٰهُ اَكْبَر" कह कर नमाज़ शुरूअ़ करेंगे ।[2]

1 ... نسائی، کتاب الطہارۃ، باب ثواب من توضا کما امر، ص32، حدیث:144

2 ... हमारा इस्लाम, 133 माख़ूज़न

नमाज़

शराइत़

- त़हारत
- सत्रे औ़रत
- इस्तिक़्बाले क़िब्ला
- वक़्त
- निय्यत
- तक्बीरे तह़्रीमा

मुतफ़र्रिक़ मसाइल

सुवाल नमाज़ी के पैरों तले कितनी नजासत हो तो नमाज़ नहीं होगी ?

जवाब नमाज़ी के एक पाउं के नीचे दिरहम की मिक्दार से ज़ियादा नजासत हो तो नमाज़ न होगी।(1) यूंही अगर दोनों पाउं के नीचे थोड़ी थोड़ी नजासत है कि जम्अ़ करने से एक दिरहम हो जाएगी (तो नमाज़ मक्रूहे तह़रीमी वाजिबुल इआ़दा और दिरहम से ज़ाइद हो तो नमाज़ नहीं होगी)।(2)

सुवाल नजासत पर रखे शीशे के ऊपर खड़े हो कर नमाज़ पढ़ी तो क्या हुक्म है ?

जवाब नमाज़ हो जाएगी अगर्चे नुमायां हो।(3)

सुवाल वोह कौन सा पाको साफ़ कपड़ा है जिसे पहन कर नमाज़ पढ़ना जाइज़ नहीं ?

जवाब चुराया हुवा कपड़ा या धोबी वग़ैरा के यहां से बदला हुवा कपड़ा अगर्चे पाको साफ़ हो मगर उसे पहन कर नमाज़ पढ़ना मक्रूहे तह़रीमी, ना जाइज़ और गुनाह है, नमाज़ वाजिबुल इआ़दा होगी और ऐसे कपड़े का पहनना मर्द व औ़रत सब को ह़राम है।(4)

सुवाल वोह कौन है जो पानी पर क़ुदरत और याद होते हुए बिग़ैर वुज़ू नमाज़ पढ़े तो गुनाहगार नहीं ?

जवाब ना बालिग़ बच्चा ऐसा करे तो गुनाहगार नहीं क्यूं कि ना बालिग़ पर वुज़ू फ़र्ज़ नहीं।(5) मगर इन से वुज़ू कराना चाहिये ताकि आ़दत हो और वुज़ू करना आ जाए और मसाइले वुज़ू से आगाह हो जाएं।

सुवाल वोह कौन सी ज़मीन है जिस से तयम्मुम नहीं कर सकता लेकिन वहां नमाज़ पढ़ सकता है ?

जवाब ऐसी नजिस ज़मीन जो धूप या हवा से पाक हो गई उस पर मुसल्ला बिछाए बिग़ैर नमाज़ पढ़ना जाइज़ है मगर उस से तयम्मुम करना जाइज़ नहीं।(6)

1... در مختار مع رد المحتار، کتاب الصلوٰۃ، باب شروط الصلوٰۃ، 92/2

2... बहारे शरीअ़त, 1/477, ह़िस्सा : 3

3... رد المحتار، کتاب الصلوٰۃ، باب شروط الصلوٰۃ، 92/2

4... फ़तावा रज़विय्या, 7/298, 394 मुल्तक़तन

5... رد المحتار، کتاب الطہارۃ، مطلب فی اعتبارات المرکب التام، 202/1

6... شرح وقایۃ، کتاب الطہارۃ، باب التیمم، الجزء 1، 98/1

सुवाल नमाज़ में मर्द व औ़रत के जिस्म का कितना हि़स्सा सत्रे औ़रत में शामिल है ?

जवाब मर्द के लिये नाफ़ के नीचे से घुटनों के नीचे तक सत्रे औ़रत है। नाफ़ इस में दाख़िल नहीं और घुटने दाख़िल हैं।(1) और औ़रत के लिये सिवाए मुंह की टिक्ली और हथेलियों और पाउं के तल्वों के सारा बदन सत्र है। औ़रत के सर के लटक्ते हुए बाल, गरदन और कलाइयां भी सत्र में दाख़िल हैं।(2) अलबत्ता अगर दोनों हाथ (गट्टों तक), पाउं (टख़्नों तक) मुकम्मल ज़ाहिर हों तो एक मुफ़्ता बिही क़ौल पर नमाज़ दुरुस्त है।(3)

सुवाल जिन आ'ज़ा का छुपाना फ़र्ज़ है उन में से कोई उ़ज़्व नमाज़ में खुल गया तो क्या हुक्म है ?

जवाब अगर चौथाई हि़स्से से कम खुला तो नमाज़ हो गई और अगर चौथाई उ़ज़्व खुल गया और फ़ौरन छुपा लिया जब भी हो गई और अगर तीन मरतबा سُبْحٰنَ اللہ कहने की मिक़्दार बराबर खुला रहा या जान बूझ कर खोला अगर्चे फ़ौरन छुपा लिया तो नमाज़ जाती रही।(4)

सुवाल ऐसे कपड़ों में नमाज़ पढ़ी जिस में बदन नज़र आता हो तो नमाज़ का क्या हुक्म है ?

जवाब इतना बारीक कपड़ा जिस में बदन चमक्ता हो सत्र के लिये काफ़ी नहीं उस में नमाज़ पढ़ी तो नमाज़ न होगी।(5)

सुवाल जहां क़िब्ले की सम्त (Qibla Direction) पता न हो और न ही मा'लूम करने का कोई ज़रीआ़ तो वहां नमाज़ में मुंह किस त़रफ़ किया जाए ?

जवाब ऐसी जगह नमाज़ पढ़ने वाले के लिये हुक्म है कि तह़र्री करे (या'नी सोचे, जिधर क़िब्ला होना दिल पर जमे उधर ही मुंह करे) उस के ह़क़ में वोही क़िब्ला है।(6)

सुवाल जिहते का'बा की त़रफ़ मुंह होने से क्या मुराद है ?

जवाब जिहते का'बा की त़रफ़ मुंह होने के येह मा'ना हैं कि चेहरे की सत़ह़ का कोई जुज़ का'बे की सम्त में वाक़ेअ़ हो। इस की मिक़्दार 45 दरजे (45^0) रखी गई है लिहाज़ा अगर कोई 45 दरजे से ज़ियादा क़िब्ले से फिरा तो नमाज़ नहीं होगी।(7)

1... درمختار مع ردالمحتار، کتاب الصلوٰۃ، باب شروط الصلوٰۃ، مطلب فی ستر العورۃ، 2/93تا94

2... درمختار، کتاب الصلوٰۃ، باب شروط الصلوٰۃ، 2/95

3... इस्लामी बहनों की नमाज़, स. 91

4... درمختار مع ردالمحتار، کتاب الصلوٰۃ، باب شروط الصلوٰۃ، مطلب فی النظر الی وجہ الامرد، 2/100

5... فتاوی ہندیہ، کتاب الصلوٰۃ، الباب الثالث فی شروط الصلوٰۃ، الفصل الاول فی الطہارۃ وستر العورۃ، 1/58

6... درمختار مع ردالمحتار، کتاب الصلوٰۃ، مطلب مسائل التحری فی القبلۃ، 2/143

7... درمختار مع ردالمحتار، کتاب الصلوٰۃ، 2/135، बहारे शरीअ़त, 1/487, हि़स्सा : 3

सुवाल किस शख़्स के लिये नमाज़ में ऐ़न का'बे की त़रफ़ मुंह करना फ़र्ज़ है ?

जवाब जो ऐ़न का'बे की सम्त ख़ास तह़क़ीक़ कर सकता है, अगर्चे का'बा आड़ में हो, जैसे मक्कए मुअ़ज़्ज़मा के मकानों में जब कि मसलन छत पर चढ़ कर का'बे को देख सकते हैं तो ऐ़न का'बे की त़रफ़ मुंह करना फ़र्ज़ है, जिहत काफ़ी नहीं और जिसे येह तह़क़ीक़ ना मुम्किन हो, अगर्चे ख़ास मक्कए मुअ़ज़्ज़मा में हो उस के लिये जिहते का'बा को मुंह करना काफ़ी है ।(1)

सुवाल वोह कौन सी जगह है जहां किसी भी त़रफ़ मुंह कर के नमाज़ पढ़ी जा सकती है ?

जवाब का'बा शरीफ़ की इमारत के अन्दर या इस की छत पर नमाज़ पढ़े तो जिस त़रफ़ भी चाहे मुतवज्जेह हो कर नमाज़ पढ़ना जाइज़ है ।(2)

मक्रूह अवक़ात

सुवाल मक्रूह अवक़ात कितने और कौन कौन से हैं ?

जवाब मक्रूह अवक़ात तीन हैं : (1) तुलूए़ आफ़्ताब से ले कर 20 मिनट बा'द तक (2) गुरूबे आफ़्ताब से 20 मिनट पहले (3) निस्फ़ुन्नहार या'नी ज़ह़्वए कुब्रा से ले कर ज़वाले आफ़्ताब तक ।(3) इन तीनों वक़्तों में कोई नमाज़ जाइज़ नहीं न फ़र्ज़ न वाजिब न नफ़्ल न अदा न क़ज़ा, यूंही सज्दए व सज्दए सह्व भी ना जाइज़ है, अलबत्ता उस रोज़ अगर अ़स्र की नमाज़ नहीं पढ़ी तो अगर्चे आफ़्ताब डूबता हो पढ़ ले, मगर इतनी ताख़ीर करना ह़राम है । ह़दीस में इस को मुनाफ़िक़ की नमाज़ फ़रमाया ।(4)

सुवाल अगर किसी ने नमाज़ की यूं निय्यत की, कि "मैं चार रक्अ़त मग़रिब की या तीन रक्अ़त ज़ोहर की अदा करता हूं" नमाज़ हो जाएगी ?

जवाब जी हां नमाज़ हो जाएगी क्यूं कि निय्यत में ता'दादे रक्आ़त की ज़रूरत नहीं अलबत्ता अफ़्ज़ल ज़रूर है ।(5)

सुवाल इमाम ने अगर किसी मख़्सूस शख़्स के मुतअ़ल्लिक़ येह क़स्द कर लिया कि "मैं फ़ुलां का इमाम नहीं हूं" तो ऐसी सूरत में उस शख़्स की नमाज़ होगी या नहीं ?

---

(1)... बहारे शरीअ़त, 1/487, ह़िस्सा : 3

(2)... فتاوی ہندیہ، کتاب الصلاۃ، الباب الثالث فی شروط الصلاۃ، الفصل الثالث فی استقبال القبلۃ، 1/63

(3)... در مختار و رد المحتار، کتاب الصلاۃ، مطلب: یشترط العلم بدخول الوقت، 2/37-40

(4)... बहारे शरीअ़त, 1/454, ह़िस्सा : 3

(5)... در مختار و رد المحتار، کتاب الصلٰوۃ، باب شروط الصلٰوۃ، مطلب فی حضور القلب والخشوع، 2/121

जवाब उस शख़्स की नमाज़ हो जाएगी क्यूं कि इमाम को निय्यते इमामत करना ज़रूरी नहीं ।[(1)]

सुवाल इमाम को नमाज़ में पाया और मा'लूम नहीं कि नमाज़े इशा है या तरावीह़ तो किस निय्यत से इक्तिदा की जाए ?

जवाब उसे चाहिये कि फ़र्ज़ की निय्यत करे कि अगर फ़र्ज़ की जमाअ़त थी तो फ़र्ज़, वरना नफ़्ल हो जाएंगे ।[(2)]

सुवाल क्या नफ़्ल, सुन्नत और तरावीह़ में मुत़्लक़ नमाज़ की निय्यत काफ़ी है ?

जवाब तरावीह़ में तरावीह़ या सुन्नते वक़्त की निय्यत करे और बाक़ी सुन्नतों में सुन्नत या हु़ज़ूर नबिय्ये करीम صَلَّى اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم की मुताबअ़त (पैरवी) की निय्यत करे । नफ़्ल नमाज़ में मुत़्लक़ नमाज़ की निय्यत काफ़ी है ।[(3)]

क्या औ़रत स्कर्ट पहन कर नमाज़ पढ़ सकती है ?

सुवाल ख़्वातीन का स्कर्ट पहन कर नमाज़ पढ़ना कैसा है ?

जवाब स्कर्ट में औ़रत के बाज़ू और पिंडलियां खुली रहती हैं और ऐसा लिबास औ़रत को पहनना जाइज़ नहीं और न ही स्कर्ट पहन कर नमाज़ हो सकती है इस लिये कि नमाज़ में सत्रे औ़रत फ़र्ज़ है और बाज़ू पिंडलियां औ़रत के सत्र में दाख़िल हैं । जब सत्र में शामिल किसी भी उ़ज़्व का चौथाई हि़स्सा खुला हो या मुतअ़द्दद आ'ज़ाए सत्र खुले होने की सूरत में उन में जो सब से छोटा उ़ज़्व है उस का चौथाई हि़स्सा खुला हो तो ऐसी ह़ालत में नमाज़ शुरूअ़ ही नहीं होती बल्कि ज़िम्मे पर बाक़ी रहती है तो ऐसा लिबास जो **अल्लाह** पाक के ह़क़ को पूरा करने में रुकावट बने वोह किस क़दर बुरा लिबास है अन्दाज़ा लगाया जा सकता है । लिहाज़ा न तो नमाज़ ऐसा लिबास पहन कर पढ़ी जा सकती है और न ही नमाज़ के इ़लावा ऐसा लिबास पहनना जाइज़ है ।[(4)]

नमाज़ में औ़रत के बाल नज़र आ रहे हों तो ?

सुवाल नमाज़ में औ़रत के बाल नज़र आ रहे हों तो क्या औ़रत की नमाज़ हो जाएगी ?

जवाब औ़रत के बाल आ'ज़ाए सत्र में से हैं, औ़रत पर इन का पर्दा फ़र्ज़ है और आ'ज़ाए सत्र में से कोई उ़ज़्व ह़ालते नमाज़ में ज़ाहिर हो तो नमाज़ दुरुस्त होने या न होने में उस की चौथाई का ए'तिबार

1 ... فتاوی ہندیہ، کتاب الصلوٰۃ، الباب الثالث فی شروط الصلوٰۃ، الفصل الرابع فی النیۃ، 1/66

2 ... در مختار، کتاب الصلوٰۃ، باب شروط الصلوٰۃ، 2/153

3 ... बहारे शरीअ़त, 1/493, हि़स्सा : 3

4 ... मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 62

है। लिहाज़ा चौथाई से कम बाल खुले हुए हों तो नमाज़ हो जाएगी और अगर चौथाई या इस से ज़ियादा मिक़्दार में बाल खुले हुए हैं या चादर, दोपट्टा बारीक होने की वज्ह से चौथाई की मिक़्दार बालों की रंगत ज़ाहिर हो रही है तो इस बिना पर नमाज़ न होने की दो सूरतें हैं : (1) अगर औ़रत ने नमाज़ ही इस ह़ालत में शुरूअ़ की, कि इस क़दर बाल खुले हुए थे या उन की रंगत ज़ाहिर हो रही थी तो नमाज़ शुरूअ़ ही नहीं हुई (2) अगर येह ह़ालत नमाज़ शुरूअ़ होने के बा'द पैदा हुई और औ़रत ने इसी ह़ालत में कोई रुक्न अदा कर लिया या एक रुक्न या'नी तीन मरतबा سُبۡحٰنَ اللّٰہ कहने की मिक़्दार (देर) गुज़र गई तो नमाज़ फ़ासिद हो गई और अगर एक रुक्न (या'नी तीन मरतबा سُبۡحٰنَ اللّٰہ कहने) की मुद्दत गुज़रने से पहले ही बाल छुपा लिये तो नमाज़ हो गई।

याद रहे कि येह तफ़्सील चौथाई की मिक़्दार बिला क़स्द (बिग़ैर इरादे के) खुल जाने की सूरत में है, अगर कोई औ़रत क़स्दन (जान बूझ कर) ह़ालते नमाज़ में चौथाई की मिक़्दार बाल खोल ले तो फ़ौरन नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी अगर्चे एक रुक्न की मिक़्दार ताख़ीर न की हो।

तम्बीह : औ़रत के आ'ज़ाए सत्र में सर और सर से जो बाल लटक रहे होते हैं येह दो अलग अलग उ़ज़्व की ह़ैसिय्यत रखते हैं। सर की ता'रीफ़ येह है कि पेशानी से ऊपर जहां से आ़दतन बाल उगना शुरूअ़ होते हैं वहां से ले कर गरदन की शुरूअ़ तक तूल में और एक कान से दूसरे कान तक अ़र्ज़ में (या'नी आ़दतन जहां बाल उगते हैं) येह सर है। लिहाज़ा अगर नज़र आने वाले बाल सर की ह़द में हों मसलन पेशानी की जानिब से बाल नज़र आ रहे हों तो उस में सर की चौथाई का लिह़ाज़ होगा और अगर सर से लटकने वाले बालों में से कुछ ज़ाहिर हों तो सिर्फ़ उन लटकने वाले बालों की चौथाई देखी जाएगी।

क्या औ़रत अंधेरे में नंगे सर नमाज़ पढ़ सकती है ?

सुवाल गरमी के मौसिम में इस्लामी बहन कमरे में अंधेरा होने की सूरत में नंगे सर नमाज़ पढ़ सकती है या नहीं ? नीज़ ऐसी सूरत में उसे कोई ग़ैर मह़रम तो क्या मह़रम भी नहीं देख रहा होता ?

जवाब नमाज़ के लिये औ़रत का सर और उस के लटकते बाल भी सत्रे औ़रत में शामिल हैं लिहाज़ा अगर औ़रत ने लिबास होने के बा वुजूद दौराने नमाज़ अपना सर न छुपाया तो नमाज़ न होगी और कमरे में अंधेरा होने और किसी के न देखने से कोई फ़र्क़ नहीं पड़ेगा। नमाज़ के लिये सत्र का एहतिमाम करना फ़र्ज़ है।

सदरुश्शरीअह, बदरुत्तरीक़ह मुफ़्ती मुहम्मद अमजद अ़ली आ'ज़मी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه इर्शाद फ़रमाते हैं : सत्रे औ़रत हर हाल में वाजिब है, ख़्वाह नमाज़ में हो या नहीं, तन्हा हो या किसी के सामने, बिला किसी ग़रज़े सहीह के तन्हाई में भी खोलना जाइज़ नहीं और लोगों के सामने या नमाज़ में तो सत्र बिल इज्माअ़ फ़र्ज़ है। यहां तक कि अगर अंधेरे मकान में नमाज़ पढ़ी, अगर्चे वहां कोई न हो और उस के पास इतना पाक कपड़ा मौजूद है कि सत्र का काम दे और नंगे पढ़ी, बिल इज्माअ़ न होगी।[1]

औ़रत का जूड़ा बांध कर नमाज़ पढ़ना

सुवाल अहादीसे त़य्यिबा में जूड़ा बांध कर (या'नी बालों को इकठ्ठा कर के सर के पीछे गिरह दे कर) नमाज़ पढ़ने से मुमानअ़त वारिद हुई है, तो आज कल औ़रतें केचर (Catcher) लगा कर बालों को ऊपर की त़रफ़ फ़ोल्ड कर लेती हैं, क्या केचर (Catcher) या किसी और चीज़ के ज़रीए़ जूड़ा बने बालों से नमाज़ पढ़ना औ़रतों के लिये मन्अ़ है ?

जवाब अहादीसे त़य्यिबा में सरकारे दो आ़लम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने जूड़ा बंधे बालों के साथ नमाज़ पढ़ने की जो मुमानअ़त फ़रमाई है वोह मर्दों के साथ ख़ास है जिस की सराह़त ख़ुद ह़दीसे पाक में मौजूद है, औ़रतों के लिये येह मुमानअ़त नहीं है। मर्दों के लिये मुमानअ़त की ह़िक्मत शारिह़ीने ह़दीस ने येह बयान फ़रमाई ताकि मर्द के सर के साथ साथ उस के बाल भी ज़मीन पर गिरें और रब्बे करीम के ह़ुज़ूर सज्दा रेज़ हों, फिर इस पर फ़ुक़हाए किराम ने येह मस्अला बयान फ़रमाया कि जूड़ा बांध कर नमाज़ पढ़ना मर्दों के लिये मक्रूहे तह़रीमी है।

जब कि औ़रत के बाल सत्रे औ़रत में दाख़िल हैं या'नी ग़ैर मह़रम के सामने और बिल ख़ुसूस नमाज़ में इन को छुपाना फ़र्ज़ है, अगर औ़रतें जूड़ा न बांधें तो ह़ालते नमाज़ में उन के बाल बिखर सकते हैं, जिस से उन के बालों की बे सत्री का अन्देशा है, जिस से नमाज़ पर असर भी पड़ेगा, लिहाज़ा अगर औ़रतें अपने बालों को सर के पीछे इकठ्ठा कर के गिरह लगा लें या उन को केचर (Catcher) वग़ैरा के ज़रीए़ गिरिफ़्त में ले लें तो बालों को छुपाने में मुआ़विन साबित होंगे।

औ़रत का दूध कपड़ों पर लग जाए तो

सुवाल अगर किसी औ़रत का दूध ज़ियादा होने की वज्ह से ख़ुद ही निकल पर कपड़ों के साथ लगता रहे, तो क्या वोह उन कपड़ों के साथ नमाज़ पढ़ सकती है ?

1... बहारे शरीअ़त, 1/479, मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 63

जवाब इन्सानी दूध लगे कपड़ों में नमाज़ पढ़ना दुरुस्त है, कि इन्सान का दूध पाक है।[1]

सबक़ नम्बर 14 नमाज़ के फ़राइज़

सुवाल नमाज़ के फ़राइज़ कितने और कौन कौन से हैं ?

जवाब पहले एक ह़दीसे मुबारका मुलाह़ज़ा कीजिये, प्यारे आक़ा صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم का फ़रमान है : जिस ने 2 रक्अ़त नमाज़ अदा की और उस में कोई ग़लती नहीं की, **अल्लाह** पाक उस के पिछले छोटे गुनाह मुआ़फ़ फ़रमा देगा।[2]

नमाज़ के दौरान इन 7 चीज़ों का करना ज़रूरी है, वरना नमाज़ नहीं होगी।

नम्बर शुमार	फ़राइज़	तफ़्सील
01	तक्बीरे तह़रीमा	या'नी नमाज़ शुरूअ़ करना "اَللّٰہُ اَکْبَر" कह कर नमाज़ शुरूअ़ करेंगे। (तक्बीरे तह़रीमा वैसे तो नमाज़ की शर्त़ है, लेकिन चूंकि येह नमाज़ के साथ मिली हुई है, इस लिये इसे फ़र्ज़ भी कहा गया है)
02	क़ियाम	क़िराअत में बिल्कुल सीधा खड़ा होना या कम अज़ कम ऐसे खड़ा होना कि हाथ बढ़ाए तो घुटनों तक न पहुंचें
03	क़िराअत	जितना क़ुरआन पढ़ना लाज़िम है उतना क़ुरआन पढ़ना। सूरतुल फ़ातिह़ा मुकम्मल पढ़ेंगे, इस के बा'द तीन छोटी आयात या एक बड़ी आयत जो तीन छोटी आयात के बराबर हो या कोई एक छोटी सूरत पढ़ेंगे। (फ़र्ज़ नमाज़ की तीसरी और चौथी रक्अ़त में क़िराअत करना ज़रूरी नहीं)
04	रुकूअ़	या'नी कम अज़ कम इतना झुकना कि हाथ बढ़ाए तो घुटनों तक पहुंच जाएं। अच्छा रुकूअ़ येह है कि झुक कर घुटने पकड़ ले और कमर बिल्कुल सीधी बिछा दे
05	सुजूद	या'नी पेशानी को ज़मीन पर अच्छी त़रह़ जमाना। इस के इ़लावा हाथ, पाउं ज़मीन पर लगेंगे, नाक की बीच की हड्डी लगेगी और पैर की तीन तीन उंग्लियों के पीछे वाला उभरा हुवा ह़िस्सा भी

1... मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 61 ता 62

2... مسند احمد، مسند الانصار، 8/162، حدیث:21479

		ज़मीन पर लगेगा। हर रक्अ़त के 2 सज्दे फ़र्ज़ हैं।
06	क़ा'दए अख़ीरा	या'नी नमाज़ की सब रक्अ़तें पूरी होने के बा'द "अत्तहिय्यात" के लिये बैठना। मुकम्मल "अत्तहिय्यात" पढ़ना लाज़िम है।
07	ख़ुरूजे बि सुन्इही	या'नी लफ़्ज़े "सलाम" के ज़रीए़ नमाज़ को ख़त्म करना।[(1)]

मुतफ़र्रिक़ मसाइल

सुवाल क़िराअत की जगह सिर्फ़ बिस्मिल्लाह पढ़ ली तो क्या नमाज़ हो जाएगी ?

जवाब नमाज़ नहीं होगी क्यूं कि सिर्फ़ बिस्मिल्लाह पढ़ने से फ़र्ज़ अदा न होगा।[(2)]

सुवाल अगर किसी ने पहली रक्अ़त में सूरतुन्नास पढ़ ली तो दूसरी में क्या पढ़े ?

जवाब पहली रक्अ़त में सूरतुन्नास अ़मदन (जान बूझ कर) नहीं पढ़नी चाहिये ताकि तक्रार की ज़रूरत न पड़ जाए अगर सह्वन (भूल कर) या अ़मदन पढ़ चुका तो अब दूसरी रक्अ़त में वोही सूरत या'नी सूरतुन्नास दोबारा पढ़े क्यूं कि तरतीब बदल कर पढ़ना तक्रार से भी सख़्त है ब ख़िलाफ़ ख़त्मे कुरआन की सूरत के कि इस में पहली रक्अ़त में सूरतुन्नास तक पढ़ना और दूसरी रक्अ़त में الٓمّٓ ता مُفْلِحُوْنَ पढ़ना जाइज़ और दुरुस्त है।[(3)]

सुवाल अगर इस में शक हो जाए कि इमाम से पहले तक्बीर कही या बा'द में तो क्या करे ?

जवाब अगर ग़ालिब गुमान है कि इमाम से पहले कही (तो नमाज़) न हुई और अगर ग़ालिब गुमान है कि इमाम से पहले नहीं कही तो (नमाज़) हो गई और अगर किसी त़रफ़ ग़ालिब गुमान न हो तो एह़तियात़ येह है कि (नमाज़) क़त्अ़ करे (या'नी तोड़ दे) और फिर से तह़रीमा बांधे।[(4)]

सुवाल गूंगा या वोह शख़्स जिस की ज़बान बन्द हो वोह तक्बीरे तह़रीमा किस त़रह़ कहें ?

जवाब इन पर तलफ़्फ़ुज़ वाजिब नहीं, दिल में इरादा कर लेना काफ़ी है।[(5)]

---

(1)... हमारा इस्लाम, स. 138 माख़ूज़न

(2)... درمختار، کتاب الصلوٰۃ، باب صفۃ الصلاۃ، 2/236، بہارِ شریعت، 1/512، حصہ:3

(3)... फ़तावा रज़विय्या, 6/266 ता 267

(4)... درمختار مع ردالمحتار، کتاب الصلوٰۃ، باب صفۃ الصلوٰۃ، 2/219

(5)... درمختار، کتاب الصلوٰۃ، باب صفۃ الصلوٰۃ، 2/220

नमाज़

फ़राइज़

- तक्बीरे तह़रीमा
- क़ियाम
- क़िराअत
- रुकूअ़
- सुजूद
- क़ा'दए अख़ीरा
- ख़ुरूजे बि सुन्इ़ही

सुवाल नमाज़ में कितनी देर तक क़ियाम ज़रूरी है ?

जवाब क़ियाम इतनी देर तक है जितनी देर क़िराअत है, या'नी ब क़दरे क़िराअते फ़र्ज़, क़ियाम भी फ़र्ज़, ब क़दरे वाजिब, वाजिब और ब क़दरे सुन्नत, सुन्नत।(1) लेकिन पहली रक्अ़त में क़ियामे फ़र्ज़ में मिक़्दारे तक्बीरे तह़रीमा भी शामिल होगी।(2)

सुवाल कौन सी नमाज़ों में तक्बीरे तह़रीमा के लिये खड़े होना फ़र्ज़ है ?

जवाब जिन नमाज़ों में क़ियाम फ़र्ज़ है उन में तक्बीरे तह़रीमा के लिये क़ियाम फ़र्ज़ है, तो अगर बैठ कर اَللّٰهُ اَكْبَر कहा फिर खड़ा हो गया, नमाज़ शुरूअ़ ही न हुई।(3)

सुवाल वोह कौन सी नमाज़ें हैं जिन में क़ियाम फ़र्ज़ है ?

जवाब फ़र्ज़, वित्र, ईदैन और सुन्नते फ़ज्र में क़ियाम फ़र्ज़ है। अगर बिला उ़ज़्रे सह़ीह़ कोई येह नमाज़ें बैठ कर अदा करेगा तो न होंगी।(4)

सुवाल किस सूरत में खड़े हो कर नमाज़ पढ़ने की त़ाक़त होने के बा वुजूद बैठ कर नमाज़ पढ़ना बेहतर है ?

जवाब जो शख़्स क़ियाम पर क़ादिर है मगर सज्दा नहीं कर सकता या'नी ज़मीन पर या ज़मीन पर इतनी ऊंची रखी हुई चीज़ पर जिस की ऊंचाई बारह (12) उंगल से ज़ियादा न हो सज्दा करने से आ़जिज़ हो तो उस शख़्स से क़ियाम साक़ित़ हो जाएगा उस के लिये बेहतर येह है कि बैठ कर इशारे से नमाज़ पढ़े लेकिन खड़े हो कर भी पढ़ सकता है।(5)

सुवाल वोह कौन सी आयत है जिसे पढ़ने से क़िराअत का फ़र्ज़ अदा नहीं होगा ?

जवाब सूरतों के शुरूअ़ में بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم एक पूरी आयत है, मगर सिर्फ़ इस के पढ़ने से फ़र्ज़ अदा न होगा।(6)

1... در مختار، کتاب الصلوة، باب صفۃ الصلوۃ، 2/163

2... बहारे शरीअ़त, 1/510, हिस्सा : 3

3... فتاوی ہندیہ، کتاب الصلوۃ، الباب الرابع فی صفۃ الصلوۃ، 1/68

4... در مختار مع رد المحتار، کتاب الصلوۃ، باب صفۃ الصلوۃ، بحث القیام، 2/164

5... در مختار، کتاب الصلوۃ، باب صفۃ الصلوۃ، بحث القیام، 2/164، कुरसी पर नमाज़ पढ़ने के अह़काम, स. 4

6... در مختار، کتاب الصلوۃ، باب صفۃ الصلوۃ، 2/236

सुवाल मुक़्तदी ने तक्बीरे तह़रीमा इमाम से पहले ख़त्म कर ली तो नमाज़ का क्या हुक्म होगा ?

जवाब मुक़्तदी ने तक्बीरे तह़रीमा का लफ़्ज़े "**अल्लाह**" इमाम के साथ कहा मगर "अक्बर" इमाम से पहले ख़त्म कर लिया तो नमाज़ न होगी ।(1)

सुवाल नमाज़ में क़िराअत किस त़रह़ करनी चाहिये ?

जवाब क़िराअत इस त़रह़ करनी चाहिये कि तमाम हुरूफ़ मख़ारिज से अदा किये जाएं कि हर ह़र्फ़ दूसरे से सह़ीह़ त़ौर पर मुमताज़ (नुमायां) हो जाए ।(2)

सुवाल अगर किसी शख़्स ने रुकूअ़ करने से पहले सज्दा कर लिया तो क्या हुक्म है ?

जवाब क़ियाम, रुकूअ़, सुजूद और क़ा'दए अख़ीरा में तरतीब फ़र्ज़ है, अगर रुकूअ़ से पहले सज्दा कर लिया फिर रुकूअ़ किया तो वोह सज्दा जाता रहा, अगर रुकूअ़ के बा'द दोबारा सज्दा करेगा तो नमाज़ हो जाएगी वरना नहीं ।(3)

सुवाल जो रुकूअ़ में "سُبْحٰنَ رَبِّیَ الْعَظِیْم" का "عظیم" सह़ीह़ अदा न कर सके वोह क्या पढ़े ?

जवाब उसे चाहिये कि वोह "سُبْحٰنَ رَبِّیَ الْکَرِیْم" पढ़े ।(4)

सुवाल रुकूअ़ का अदना दरजा क्या है ?

जवाब इतना झुकना कि हाथ बढ़ाए तो घुटने को पहुंच जाए, येह रुकूअ़ का अदना दरजा है ।(5)

सुवाल रुकूअ़ का मुकम्मल दरजा क्या है ?

जवाब इतना झुकना कि पीठ सीधी बिछा दे येह रुकूअ़ का पूरा दरजा है ।(6)

सुवाल हर रक्अ़त में कितनी बार सज्दा फ़र्ज़ है ?

जवाब हर रक्अ़त में दो बार सज्दा फ़र्ज़ है ।(7)

---

(1) ... فتاوی ہندیہ، کتاب الصلاۃ، الباب الرابع، الفصل الاول، 1/68-69
(2) ... فتاوی ہندیہ، کتاب الصلاۃ، الباب الرابع فی صفۃ الصلاۃ، الفصل الاول، 1/69 مفہوما
(3) ... درمختار مع ردالمحتار، کتاب الصلوۃ، باب صفۃ الصلوۃ، 2/172
(4) ... ردالمحتار، کتاب الصلاۃ، باب صفۃ الصلاۃ، مطلب: قراءۃ البسملۃ... الخ، 2/242
(5) ... درمختار، کتاب الصلاۃ، باب صفۃ الصلاۃ، 2/165 تا 166
(6) ... حاشیۃ طحطاوی علی المراقی الفلاح، کتاب الصلاۃ، باب شروط الصلاۃ وارکانہا، ص229
(7) ... درمختار مع ردالمحتار کتاب الصلاۃ باب صفۃ الصلوۃ، بحث الرکوع والسجود، 2/167

सुवाल एक आदमी तन्हा नमाज़ अदा कर रहा है, अगर दौराने नमाज़ किसी रक्अ़त में भूल कर उस ने सिर्फ़ एक सज्दा किया और अगली रक्अ़त में उसे याद आया कि मैं ने एक ही सज्दा किया था तो वोह क्या करे और अगर नमाज़ का सलाम फेरने के बा'द याद आया तो क्या करे ?

जवाब किसी रक्अ़त का सज्दा रह गया तो नमाज़ के अन्दर जब याद आए कर ले और आख़िर में सज्दए सह्व करे, अगर रुकूअ़ में याद आया कि नमाज़ का कोई सज्दा रह गया है और वहीं से सज्दे को चला गया या सज्दे में याद आया और सर उठा कर वोह सज्दा कर लिया तो बेहतर येह है कि उस रुकूअ़ व सुजूद का इआ़दा करे और सज्दए सह्व करे और अगर उस वक़्त न किया बल्कि आख़िरे नमाज़ में किया तो उस रुकूअ़ व सुजूद का इआ़दा नहीं सज्दए सह्व करना होगा।

और अगर सलाम के बा'द याद आया तो अगर कोई काम मुनाफ़िये नमाज़ नहीं किया या'नी कोई गुफ़्तगू नहीं की, क़स्दन वुज़ू न तोड़ा वग़ैरा, तो याद आते ही नमाज़ का रह जाने वाला सज्दा करे फिर सर उठा कर तशह्हुद पढ़े, इस के बा'द सज्दए सह्व करे और तशह्हुद मुकम्मल पढ़ कर सलाम फेर दे।[1]

सुवाल क़ा'दए अख़ीरा में ग़लती से खड़ा हो जाए तो क्या करे ?

जवाब जो शख़्स नमाज़ का आख़िरी क़ा'दा भूल कर खड़ा हो जाए उसे हुक्म है कि जब तक उस ज़ाइद रक्अ़त का सज्दा न किया हो लौट आए और क़ा'दा कर के सज्दए सह्व करे और अपनी नमाज़ मुकम्मल करे, नमाज़ दुरुस्त हो जाएगी। बिग़ैर क़ा'दा किये पांचवीं के लिये खड़े हो जाने के बा'द अगर वापस न लौटा और पांचवीं रक्अ़त का सज्दा कर लिया तो फ़र्ज़ बातिल हो जाएंगे, अलबत्ता नमाज़ फ़ासिद नहीं होगी बल्कि नफ़्ल हो जाएगी और उसे हुक्म होगा कि मज़ीद एक रक्अ़त मिला ले, और फ़र्ज़ नए सिरे से पढ़ेगा।[2]

सुवाल कारपेट पर सज्दा करते वक़्त किस चीज़ की एह़तियात ज़रूरी है नीज़ क्या स्प्रिंग वाले गद्दे पर सज्दा किया जा सकता है ?

जवाब कारपेट पर सज्दा करते वक़्त इस बात का ख़ास ख़याल रखना है कि पेशानी अच्छी त़रह़ जम जाए वरना नमाज़ न होगी और नाक की हड्डी न दबी तो नमाज़ मक्रूहे तह़रीमी वाजिबुल इआ़दा होगी। स्प्रिंग वाले गद्दे पर पेशानी ख़ूब नहीं जमती लिहाज़ा (इस पर सज्दा करने से) नमाज़ न होगी।[3]

1... मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 64

2... मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 49

3... बहारे शरीअ़त, 1/514, हिस्सा : 3 मुलख़्ख़सन

सुवाल सज्दे में पेशानी जमने का क्या मत़लब है ?

जवाब जमने के मा'ना येह हैं कि ज़मीन की सख़्ती मह़सूस हो अगर किसी ने इस त़रह़ सज्दा किया कि पेशानी न जमी तो सज्दा न होगा।[1]

सुवाल सज्दे की जगह क़दमों वाली जगह से ऊंची हो तो क्या सज्दा हो जाएगा ?

जवाब ऐसी जगह सज्दा किया जो क़दम की ब निस्बत बारह उंगल से ज़ियादा ऊंची है तो सज्दा नहीं होगा और बारह उंगल से कम या सिर्फ़ बारह उंगल ऊंची है तो हो जाएगा।[2]

रफ़्ए़ यदैन

सुवाल नमाज़ में तक्बीरे तह़रीमा और तक्बीरे क़ुनूत के इलावा रफ़्ए़ यदैन (हाथ उठाना) कैसा है ?

जवाब अह़नाफ़ के नज़्दीक नमाज़ में तक्बीरे तह़रीमा और तक्बीरे क़ुनूत के सिवा कहीं भी रफ़्ए़ यदैन (हाथ उठाना) जाइज़ नहीं। इस पर अह़ादीसे रसूल और बुज़ुर्गाने दीन के अक़्वाल मौजूद हैं। आइये दो अह़ादीस मुलाह़ज़ा कीजिये :

(1) ह़ज़रते सय्यिदुना जाबिर बिन समुरह رَضِیَ اللہُ عَنْہ कहते हैं कि एक दिन **रसूलुल्लाह** صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم हमारे पास तशरीफ़ लाए और इर्शाद फ़रमाया : "مَالِی اَرَاکُمْ رَافِعِی اَیْدِیکُمْ کَاَنَّھَا اَذْنَابُ خَیْلٍ شُمْسٍ اُسْکُنُوْا فِی الصَّلَاۃِ" या'नी येह क्या बात है कि मैं तुम्हें हाथ उठाते देखता हूं, जैसे सरकश घोड़ों की दुमें ? नमाज़ में सुकून के साथ रहो।[3]

(2) ह़ज़रते सय्यिदुना अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊ़द رَضِیَ اللہُ عَنْہ फ़रमाते हैं : "اَلَا اُصَلِّی بِکُمْ صَلَاۃَ رَسُوْلِ اللہِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ فَصَلّٰی، فَلَمْ یَرْفَعْ یَدَیْہِ اِلَّا فِی اَوَّلِ مَرَّۃٍ" या'नी क्या मैं तुम्हें **रसूलुल्लाह** صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم की नमाज़ पढ़ कर न दिखाऊं ? फिर आप ने नमाज़ पढ़ी और सिर्फ़ एक बार तक्बीरे तह़रीमा के वक़्त हाथ उठाए।

मश्हूर मुफ़स्सिर ह़कीमुल उम्मत ह़ज़रते मुफ़्ती अह़मद यार ख़ान رَحْمَۃُ اللہِ عَلَیْہ फ़रमाते हैं : ह़क़ येह है कि रफ़्ए़ यदैन मन्सूख़ है। चुनान्चे ऐ़नी शर्ह़े बुख़ारी में है कि सय्यिदुना अ़ब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर ने एक शख़्स को रुकूअ़ में जाते आते रफ़्ए़ यदैन करते देखा तो फ़रमाया ऐसा न किया करो येह वोह

1 ... فتاوی ہندیہ، کتاب الصلاۃ، الباب الرابع، الفصل الاول، 1/ 70

2 ... درمختار مع ردالمحتار، کتاب الصلوٰۃ، باب صفۃ الصلوٰۃ، مطلب فی اطالۃ الرکوع للجانی، 2/ 257

3 ... مسلم، کتاب الصلاۃ، باب الامر بالسکون فی الصلاۃ، ص 181، حدیث: 968

4 ... ترمذی، ابواب الصلاۃ، باب ماجاء ان النبی لم یرفع... الخ، 1/ 292، حدیث: 257

काम है जिसे हुज़ूर صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने अव्वलन किया था फिर छोड़ दिया नीज़ सय्यिदुना इब्ने मस्ऊ़द, उ़मर इब्ने ख़त्ताब, अ़लिय्युल मुर्तज़ा, बराअ इब्ने आ़ज़िब, ह़ज़रते अ़ल्क़मा वग़ैरा बहुत सह़ाबा से कि वोह रफ़्ए़ यदैन न करते थे और करने वालों को मन्अ़ करते थे नीज़ इब्ने अबी शैबा और त़ह़ावी ने ह़ज़रते मुजाहिद से रिवायत की, कि मैं ने ह़ज़रते इब्ने उ़मर के पीछे नमाज़ पढ़ी आप ने सिवा तक्बीरे ऊला के किसी वक़्त हाथ न उठाए, मा'लूम हुवा कि सय्यिदुना इब्ने उ़मर के नज़्दीक भी रफ़्ए़ यदैन मन्सूख़ है।[1]

इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ने का त़रीक़ा

पहले 4 फ़रामीने मुस्त़फ़ा मुलाह़ज़ा कीजिये : (1) जिस ने अच्छी त़रह़ वुज़ू किया और फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने के लिये चला, फिर इमाम के साथ नमाज़ पढ़ी, उस के गुनाह मुआ़फ़ कर दिये जाएंगे।[2] (2) जमाअ़त के साथ नमाज़ पढ़ने के लिये चल कर न आने वाला अगर जानता कि जमाअ़त के साथ नमाज़ पढ़ने के लिये चल कर आने वाले के लिये क्या अज्र है तो वोह ज़रूर आता, अगर्चे उसे घिसटते हुए आना पड़ता।[3] (3) हमारी भलाई चाहने वाले आक़ा صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم का फ़रमान है : जो शख़्स (रुकूअ़ और सज्दे वग़ैरा में) इमाम से पहले अपना सर उठाता है क्या वोह इस बात से नहीं डरता कि **अल्लाह** पाक उस का सर गधे के सर जैसा कर दे ![4] (4) एक मरतबा आप صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : इमाम तो इस लिये होता है कि ताकि उस की इक़्तिदा की जाए, तो जब वोह तक्बीर कहे तो तुम भी तक्बीर कहो और जब वोह तिलावत करे तो तुम ख़ामोश रहो।[5]

तक्बीरे तह़रीमा की 4 अहम बातें :

01	जो नमाज़ पढ़नी हो उस की दिल में निय्यत करना। मसलन : निय्यत करता हूं 2 रक्अ़त नमाज़े फ़ज्र फ़र्ज़, वासिते़ **अल्लाह** पाक के, मुंह मेरा का'बा शरीफ़ की त़रफ़, पीछे इस इमाम के। और येह भी काफ़ी है कि "फ़ुलां नमाज़ की निय्यत करता हूं।"

1...मिरआतुल मनाजीह़, 2/16

2... صحیح ابن خزیمۃ، کتاب الامامۃ فی الصلوٰۃ، باب فضل المشی الی الجماعۃ متوضیا...الخ، 2/373، حدیث:1489

3... معجم کبیر، عثمان بن ابی العاتکۃ، 8/224، حدیث:7886

4... مسلم، کتاب الصلوٰۃ، باب النہی عن سبق الامام برکوع او سجود ونحوہما، ص181، حدیث:963

5... ابن ماجہ، کتاب اقامۃ الصلوٰۃ، باب اذا قرا الامام فانصتوا، 1/462، حدیث:846

	(येह अल्फ़ाज़ ज़बान से भी कह लिये जाएं तो ज़ियादा अच्छा है)
02	इमाम के "اَللّٰهُ اَكْبَر" कहने के बा'द "اَللّٰهُ اَكْبَر" कहना
03	इतनी आवाज़ से "اَللّٰهُ اَكْبَر" कहना कि अपने कान सुन लें, साथ वालों को आवाज़ न जाए
04	दोनों हाथ कानों तक उठा कर नाफ़ के नीचे बांधना

क़ियाम की 2 अहम बातें :

01	"सना" या'नी سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ (मुकम्मल) पढ़ना
02	"सना" के इलावा कुछ न पढ़ना और चुप खड़ा रहना

इमाम चाहे बुलन्द आवाज़ से क़िराअत कर रहा हो या आहिस्ता आवाज़ से, मुक़्तदी को ख़ामोश रहना लाज़िमी है। कुरआने करीम में पारह 9 सूरतुल आ'राफ़ आयत नम्बर 204 में **अल्लाह** पाक इर्शाद फ़रमाता है :

وَ اِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَ اَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿۲۰۴﴾ (پ9،الاعراف:204)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और जब कुरआन पढ़ा जाए तो उसे कान लगा कर सुनो और ख़ामोश रहो कि तुम पर रह्म हो।

इसी तरह हदीसे पाक में नबिय्ये पाक صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : इमाम तो इस लिये बनाया गया है कि उस की इक़्तिदा की जाए, वोह जब तक्बीर कहे तुम भी तक्बीर कहो और जब वोह क़िराअत करे तुम चुप रहो।[(1)]

रुकूअ़ की 2 अहम बातें :

01	इमाम के "اَللّٰهُ اَكْبَر" कह कर रुकूअ़ में जाने के वक़्त, "اَللّٰهُ اَكْبَر" कहते हुए रुकूअ़ में जाना
02	3 बार "سُبْحٰنَ رَبِّيَ الْعَظِيْم" कहना

क़ौमा की 2 अहम बातें :

01	इमाम के "سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ" कह कर खड़े होने के वक़्त "اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْد" कहते हुए खड़ा होना

1 ...ابن ماجہ،ابواب اقامۃ الصلوات...الخ،باب اذا قرا الامام فانصتوا،1/461،حدیث:846

02	खड़े हो कर कुछ न पढ़ना, दो तीन सेकन्ड ठहरना और हाथ लटके हुए रखना

सज्दे की 2 अहम बातें :

01	इमाम "اَللّٰهُ اَكْبَر" कह कर सज्दे में जाए तो "اَللّٰهُ اَكْبَر" कहते हुए सज्दे में जाना
02	3 बार "سُبْحٰنَ رَبِّیَ الْاَعْلٰی" कहना

जल्से की 2 अहम बातें :

01	इमाम "اَللّٰهُ اَكْبَر" कह कर बैठे तो "اَللّٰهُ اَكْبَر" कहते हुए बैठना
02	मुकम्मल बैठने के बा'द "اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِیْ" कहना

दूसरे सज्दे की 2 अहम बातें :

01	इमाम "اَللّٰهُ اَكْبَر" कह कर सज्दे में जाए तो "اَللّٰهُ اَكْبَر" कहते हुए सज्दे में जाना
02	3 बार "سُبْحٰنَ رَبِّیَ الْاَعْلٰی" कहना

नोट : जहां लिखा है कि 3 मरतबा येह पढ़ें, वहां येह बात याद रखें कि अगर इमाम साहिब नमाज़ में आगे बढ़ गए तो हम 3 तस्बीह़ मुकम्मल किये बिग़ैर इमाम से मिल जाएंगे (चाहे हम ने एक तस्बीह़ पढ़ी हो) । एक तस्बीह़ पढ़ने में जितना वक़्त लगता है उतना ठहरना वाजिब है, इस लिये उतना ज़रूर ठहरेंगे, अगर्चे इमाम साहिब नमाज़ में आगे बढ़ जाएं ।

दूसरी रक्अ़त के लिये उठने की 1 अहम बात :

01	इमाम के "اَللّٰهُ اَكْبَر" कह कर खड़े होते वक़्त "اَللّٰهُ اَكْبَر" कहते हुए खड़ा होना

नोट : अब पहली रक्अ़त की त़रह़ दूसरी रक्अ़त मुकम्मल कर लीजिये ।

दूसरी रक्अ़त के दूसरे सज्दे के बा'द क़ा'दे की 2 अहम बातें :

01	दूसरी रक्अ़त के दूसरे सज्दे के बा'द जब इमाम "اَللّٰهُ اَكْبَر" कह कर बैठे तो "اَللّٰهُ اَكْبَر" कहते हुए बैठना
02	इतनी आवाज़ से अत्तहिय्यात पढ़ना कि अपने कान सुन लें

नोट : ✲ अगर हम ने अत्तहिय्यात मुकम्मल नहीं पढ़ी थी और इमाम साहिब आगे बढ़ गए तब भी हम अत्तहिय्यात मुकम्मल करेंगे ✲ अगर 3 या 4 रक्अत वाली फ़र्ज़ नमाज़ें हैं, जैसे : मग़रिब या ज़ोहर, अ़स्र और इशा, तो हम पहली और दूसरी रक्अ़त की त़रह़ तीसरी और चौथी रक्अ़त अदा करेंगे ✲ किसी भी फ़र्ज़ नमाज़ की तीसरी और चौथी रक्अ़त में इमाम साहिब बुलन्द आवाज़ से क़िराअत नहीं करते फिर भी हम बिल्कुल ख़ामोश रहेंगे।

क़ा'दए अख़ीरा की 4 अहम बातें :

01	आख़िरी रक्अ़त के दूसरे सज्दे के बा'द जब इमाम "اَللّٰهُ اَكْبَر" कह कर बैठे तो "اَللّٰهُ اَكْبَر" कहते हुए बैठना
02	इतनी आवाज़ से अत्तहिय्यात पढ़ना कि अपने कान सुन लें
03	अत्तहिय्यात के बा'द दुरूद शरीफ़ पढ़ना
04	इस के बा'द दुआ़ पढ़ना

नोट : 4 रक्अ़त वाली नमाज़ (जैसे : ज़ोहर, अ़स्र, इशा) की तीसरी रक्अ़त के 2 सज्दों के बा'द नहीं बैठेंगे।

सलाम फेरने की 2 अहम बातें :

01	इमाम के सीधी जानिब सलाम फेरने के बा'द सीधी जानिब गरदन फेरना और "اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰه" कहना
02	इमाम के उलटी त़रफ़ सलाम फेरने के बा'द उलटी त़रफ़ गरदन फेरना और "اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰه" कहना

नोट : अगर अत्तहिय्यात मुकम्मल नहीं पढ़ी और इमाम ने सलाम फेर दिया तब भी हम अत्तहिय्यात मुकम्मल कर के सलाम फेरेंगे।

दूसरी, तीसरी और चौथी रक्अ़त में शामिल होने वाला शख़्स अपनी बक़िय्या नमाज़ इस त़रह़ पढ़े :

सुवाल दूसरी, तीसरी और चौथी रक्अ़त बल्कि क़ा'दए अख़ीरा में शामिल होने वाला शख़्स अपनी बक़िय्या रक्अ़तें किस त़रह़ मुकम्मल करेगा ?

जवाब जमाअ़त में शरीक मुक़्तदी जिस की कुछ रक्अ़तें निकल गई हों, मस्बूक़ कहलाता है। इमाम के सलाम फेरने के बा'द फ़ौत शुदा रक्अ़तों की अदाएगी का त़रीक़ा दर्जे ज़ैल है :

अगर चारों रक्अ़तें निकल गई हों तो इमाम के सलाम फेरने के बा'द मस्बूक़ खड़ा हो कर इस त़रह़ नमाज़ पढ़े जिस त़रह़ मुन्फ़रिद या'नी अकेला शख़्स नमाज़ पढ़ता है या'नी खड़ा हो कर पहली रक्अ़त में सना, तअ़व्वुज़ व तस्मिया के बा'द क़िराअत करे और ह़स्बे मा'मूल बक़िय्या नमाज़ आ़म त़रीक़े कार से मुकम्मल करे।

अगर इस की तीन रक्अ़तें छूटी हों तो इमाम के सलाम फेरने के बा'द खड़ा हो कर पहली रक्अ़त की त़रह़ एक रक्अ़त अदा करे इस में क़ा'दा भी करे फिर खड़ा हो कर एक रक्अ़त सूरए फ़ातिह़ा और सूरत के साथ पढ़े इस में क़ा'दा नहीं करेगा फिर इस के बा'द एक और रक्अ़त सूरए फ़ातिह़ा पढ़ कर अदा करे।

और अगर दो रक्अ़तें निकली हों तो इमाम के सलाम फेरने के बा'द खड़ा हो कर दो रक्अ़तें सूरए फ़ातिह़ा और सूरत के साथ पढ़े जिस की पहली रक्अ़त में सना, तअ़व्वुज़ और तस्मिया भी पढ़े। अगर मग़्रिब की नमाज़ में दो रक्अ़तें रह गई हों तो अपनी एक रक्अ़त अदा करने के बा'द क़ा'दा भी करना होगा। अगर एक रक्अ़त निकली हो तो खड़ा हो कर सना, तअ़व्वुज़ और तस्मिया के बा'द सूरए फ़ातिह़ा और सूरत की क़िराअत कर के रक्अ़त मुकम्मल करे।[1]

क़ा'दए अख़ीरा में शामिल होने से पहले इमाम ने सलाम फेर दिया तो नमाज़ी क्या करे ?

सुवाल ज़ैद आया, اَللّٰہُ اَکْبَر कह कर निय्यत बांधी और तशह्हुद में बैठने के लिये ह़द्दे रुकूअ़ तक भी न झुका था कि इमाम ने सलाम फेर दिया, अब ज़ैद के लिये क्या हुक्म है ? क़ा'दा करे और तशह्हुद पढ़ कर खड़ा हो या खड़ा रह कर ही पहली रक्अ़त से नमाज़ का आग़ाज़ करे ?

जवाब पूछी गई सूरत में ज़ैद को जमाअ़त नहीं मिली और न ही उस की अपनी अकेले की नमाज़ शुरूअ़ हुई बल्कि उस को नए सिरे से नमाज़ पढ़नी होगी। इस की वज्ह येह है कि इक़्तिदा का मत़लब है मुक़्तदी का इमाम की नमाज़ में शरीक होना और शिर्कत उसी सूरत में होगी कि इमाम जिस रुक्ने नमाज़ को अदा कर रहा है नमाज़ के उस ह़िस्से और रुक्न में मुक़्तदी भी शरीक हो जाए, तो चूंकि ज़ैद के तशह्हुद (या'नी अत्तह़िय्यात) में बैठने से क़ब्ल ही इमाम ने सलाम फेर दिया तो मुक़्तदी को क़ा'दा इमाम के साथ न मिल सका इस लिये उस की इक़्तिदा दुरुस्त न हुई और चूंकि उस ने अपनी उस नमाज़ को अकेले पढ़ने के बजाए मुक़्तदी की ह़ैसिय्यत से शुरूअ़ किया था और इक़्तिदा दुरुस्त न हुई इस लिये

1... मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 41

उस की अपनी इन्फ़िरादी नमाज़ भी शुरूअ़ नहीं हुई ।(1)

सुवाल फ़र्ज़ नमाज़ के बा'द हाथ उठा कर इज्तिमाई दुआ़ करना कैसा है ?

जवाब कई अहादीस में फ़र्ज़ नमाज़ के दुआ़ की तरग़ीब दिलाई गई है, चुनान्चे ह़ज़रते सय्यिदुना अबू उमामा बाहिली رَضِیَ اللہُ عَنْه कहते हैं मैं ने अ़र्ज़ की : اَیُّ الدُّعَاءِ اَسْمَعُ या'नी कौन सी दुआ़ (ज़ियादा) सुनी जाती है ? हुज़ूर صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : वोह जो अख़ीरे शब के दरमियान हो और फ़र्ज़ नमाज़ों के बा'द ।(2)

ह़ज़रते आ़इशा सिद्दीक़ा رَضِیَ اللہُ عَنْھَا से रिवायत है कि उन्हों ने नबिय्ये करीम صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم को हाथ उठा कर दुआ़ करते हुए देखा ।(3)

सबक़ नम्बर 15 सुतरा के मसाइल

सुवाल नमाज़ी के आगे से गुज़रने की क्या वईद है ?

जवाब नबिय्ये करीम صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : अगर कोई जानता कि नमाज़ पढ़ने वाले अपने मुसल्मान भाई के सामने से गुज़रने में क्या (गुनाह) है तो सो बरस खड़ा रहना उस एक क़दम चलने से बेहतर समझता ।(4)

सुवाल सुतरा किसे कहते हैं और इस की मिक़्दार कितनी हो ?

जवाब नमाज़ी के आगे किसी ऐसी चीज़ का होना जिस से आड़ हो जाए उसे सुतरा कहते हैं। सुतरा ब क़दर एक हाथ के ऊंचा और उंगली बराबर मोटा हो ।(5)

सुवाल किस सूरत में दौराने जमाअ़त एक शख़्स नमाज़ियों के आगे से गुज़रने के बा वुजूद गुनाहगार नहीं होता ?

जवाब जब इमाम के आगे सुतरा मौजूद हो तो अब इमाम का सुतरा मुक़्तदियों के लिये भी सुतरा है, इन के लिये अलग सुतरे की हाजत नहीं, इस सूरत में कोई मुक़्तदियों के आगे से गुज़रा तो गुनाहगार नहीं ।(6)

1... मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 50

2... ترمذی، کتاب الدعوات، 5/300، حدیث:3510

3... مسند احمد، مسند السیدة عائشة، 10/116، حدیث:26278

4... ابن ماجہ، کتاب اقامة الصلاة، باب المرور بین یدی المصلی، 1/506، حدیث:946

5... बहारे शरीअ़त, 1/615, हिस्सा : 3

6... ردالمحتار، کتاب الصلاة، باب مایفسد الصلاة ومایکرہ فیہا، مطلب اذا قرا قولہ... الخ، 2/487

सबक़ नम्बर 16

नमाज़ के वाजिबात

सुवाल नमाज़ के वाजिबात कितने हैं और कौन कौन से हैं ?

जवाब पहले एक ह़दीसे मुबारका मुलाह़ज़ा कीजिये : एक मरतबा प्यारे नबी صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم मस्जिद में तशरीफ़ फ़रमा थे, एक सह़ाबी आए, नमाज़ पढ़ी और बारगाहे रिसालत में ह़ाज़िर हो कर सलाम अ़र्ज़ किया। आप صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ने सलाम का जवाब दे कर फ़रमाया : जा कर दोबारा नमाज़ पढ़ो, तुम्हारी नमाज़ नहीं हुई। वोह गए और नमाज़ पढ़ कर दोबारा आए। आप صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ने फिर येही फ़रमाया कि जा कर दोबारा नमाज़ पढ़ो, तुम्हारी नमाज़ नहीं हुई। वोह फिर गए और नमाज़ पढ़ कर आए। ऐसा 3 मरतबा हुवा। वोह सह़ाबी अ़र्ज़ करने लगे : उस ज़ात की क़सम जिस ने आप को ह़क़ अ़त़ा फ़रमा कर भेजा है ! मुझे इस से अच्छी नमाज़ अदा करना नहीं आती, आप मुझे सिखा दीजिये। येह सुन कर आप صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ने फ़रमाया : जब नमाज़ के लिये खड़े होना चाहो तो अच्छी त़रह़ वुज़ू कर के का'बे शरीफ़ की त़रफ़ मुंह करो और "اَللّٰهُ اَكْبَر" कहो, फिर जो क़ुरआन आता हो उस की तिलावत करो, उस के बा'द इत़्मीनान के साथ रुकूअ़ करो, फिर बिल्कुल सीधे खड़े हो जाओ, इस के बा'द इत़्मीनान के साथ सज्दा करो, फिर इत़्मीनान के साथ बैठ जाओ और इसी त़रह़ सारी नमाज़ में करो।[1]

इन चीज़ों को नमाज़ में करना ज़रूरी है। अगर इन में से कोई चीज़ जान बूझ कर छोड़ी तो नमाज़ दोबारा पढ़ी जाएगी नीज़ ऐसा शख़्स गुनाहगार भी होगा और अगर कोई चीज़ ग़लती से छूट गई तो "सज्दए सह्व"[2] करना होगा। हां अगर इमाम के पीछे भूले से कोई वाजिब छूटा तो अब मुक़्तदी पर सज्दए सह्व लाज़िम नहीं।

नोट : हर वाजिब छोड़ने का येह हुक्म नहीं है कि नमाज़ दोबारा पढ़नी हो या सज्दए सह्व लाज़िम हो।

1 ... مسلم، کتاب الصلاۃ، باب وجوب قراءۃ الفاتحۃ فی کل رکعۃ، ص168، حدیث:885-886 ملخصا

2 ... "सज्दए सह्व" का त़रीक़ा आगे आ रहा है।

01	तक्बीरे तह़रीमा में लफ़्ज़ "اَللّٰهُ اَكْبَر" कहना	02	हर रक्अ़त में सूरए फ़ातिह़ा पढ़ना
03	सूरतुल फ़ातिह़ा के बा'द 1 छोटी सूरत/ 1 बड़ी आयत/3 छोटी आयतें कि जो एक बड़ी आयत के बराबर हो पढ़ना[1]	04	सूरए फ़ातिह़ा को सूरत से पहले पढ़ना
06	क़िराअत के फ़ौरन बा'द रुकूअ़ करना	05	सूरए फ़ातिह़ा और सूरत के दरमियान "आमीन" और "बिस्मिल्लाह" के इलावा कुछ न पढ़ना[2]
07	रुकूअ़ के बा'द बिल्कुल सीधा खड़ा होना	08	हर रक्अ़त में 1 ही मरतबा रुकूअ़ करना
09	तरतीब के मुत़ाबिक़ एक सज्दे के बा'द बैठना फिर दूसरा सज्दा करना	10	दो सज्दों के दरमियान बिल्कुल सीधा बैठना
		11	हर रक्अ़त में 2 बार सज्दा करना
12	रुकूअ़, क़ौमा, सज्दा और जल्सा में कम अज़ कम 1 बार "سُبْحٰنَ اللّٰه" कहने के बराबर ठहरना	13	दूसरी रक्अ़त से पहले क़ा'दा न करना
		14	क़ा'दए ऊला करना
15	क़ा'दए ऊला और क़ा'दए अख़ीरा में "अत्तह़िय्यात" मुकम्मल पढ़ना	16	फ़र्ज़, वित्र और सुन्नते मुअक्कदा के क़ा'दए ऊला में "अत्तह़िय्यात" के बा'द कुछ न पढ़ना
17	4 रक्अ़त वाली नमाज़ में तीसरी रक्अ़त के बा'द क़ा'दा न करना	18	हर फ़र्ज़ और वाजिब को उसी की जगह अदा करना
19	दोनों त़रफ़ सलाम फेरने में लफ़्ज़ "अस्सलाम" कहना	20	2 फ़र्ज़/2 वाजिब/फ़र्ज़ व वाजिब के दरमियान 3 बार "سُبْحٰنَ اللّٰه" कहने के बराबर वक़्फ़ा न होना
21	इमाम जब क़िराअत कर रहा हो चाहे बुलन्द आवाज़ से हो या आहिस्ता, तो मुक़्तदी का चुप रहना[3]	22	सज्दए सह्व वाजिब हो तो सज्दए सह्व करना[4]
		✻	✻ ✻ ✻

1... चार रक्अ़त वाली फ़र्ज़ नमाज़ (ज़ोहर, अ़स्र, इशा) की तीसरी और चौथी रक्अ़त में सूरए फ़ातिह़ा पढ़ना वाजिब है।
2... "आमीन" और "बिस्मिल्लाह" का पढ़ना वाजिब नहीं।
3... در مختار، کتاب الصلوۃ، باب واجبات الصلوۃ، 2/202
4... सज्दए सह्व वाजिब हुवा और न किया तो नमाज़ दोबारा पढ़नी होगी।

नोट : ग़लती से जितने वाजिब भी छूट जाएं एक ही मरतबा "सज्दए सह्व" करना काफ़ी है।

सज्दए सह्व का त़रीक़ा

क़ा'दए अख़ीरा में जब नमाज़ की आख़िरी रक्अ़त मुकम्मल कर के बैठें तो "अत्तहि़य्यात" पढ़ कर सीधी त़रफ़ सलाम फेरिये और 2 बार सज्दा कीजिये, जिस त़रह़ दो सज्दों के दरमियान बैठते हैं उसी त़रह़ यहां भी बैठना होगा। इस के बा'द दोबारा क़ा'दा कीजिये या'नी बैठिये और "अत्तहि़य्यात" "दुरूद शरीफ़" और "दुआ़" पढ़ कर सलाम फेर दीजिये।[1]

मुतफ़र्रिक़ मसाइल

सुवाल वाजिबाते नमाज़ में से अगर कोई वाजिब भूले से रह जाए तो क्या हुक्म है ?

जवाब वाजिबाते नमाज़ में से अगर कोई वाजिब भूले से रह जाए तो सज्दए सह्व वाजिब है।[2]

सुवाल अगर दाहनी त़रफ़ सलाम फेरे बिग़ैर सज्दए सह्व कर लिया तो क्या हुक्म है ?

जवाब अगर बिग़ैर सलाम फेरे सज्दए सह्व कर लिया तो नमाज़ हो जाएगी लेकिन ऐसा करना मक्रूहे तन्ज़ीही है।[3]

सुवाल सज्दए सह्व के बा'द अत्तहि़य्यात पढ़ने का क्या हुक्म है ?

जवाब सज्दए सह्व के बा'द भी अत्तहि़य्यात पढ़ना वाजिब है।[4]

सुवाल क़ियाम में कोई शख़्स सूरए फ़ातिह़ा पढ़ कर कुछ देर सोचता रहा कि कौन सी सूरत पढ़ूं तो क्या हुक्म है ?

जवाब अगर ब क़दरे अदाए रुक्न या'नी जितनी देर में 3 बार "سُبْحٰنَ اللہ" कह लेता उतने वक़्त तक सोचता रहा तो सज्दए सह्व लाज़िम है।[5]

सुवाल अगर सज्दए सह्व वाजिब होने के बा वुजूद न किया तो क्या हुक्म है ?

जवाब अस्ल हुक्म येह है (कि) सज्दए सह्व वाजिब हुवा अगर न किया नमाज़ मक्रूहे तह़रीमी हुई जिस का इआ़दा वाजिब (है)।[6]

1... बहारे शरीअ़त, 1/710, हिस्सा : 4 मफ़्हूमन

2... در مختار و رد المحتار، کتاب الصلاۃ، باب سجود السہو، 2/651-655

3... در مختار، کتاب الصلاۃ، باب سجود السہو، 2/653

4... فتاوی ہندیہ، کتاب الصلاۃ، الباب الثانی عشر فی سجود السہو، 1/125 ماخوذا

5... फ़तावा रज़विय्या, 8/177 मुल्तक़त़न

6... फ़तावा रज़विय्या, 8/178 मुल्तक़त़न

सुवाल जान बूझ कर वाजिब तर्क किया तो क्या हुक्म है ?

जवाब जान बूझ कर वाजिब तर्क किया तो सज्दए सह्व काफ़ी नहीं बल्कि नमाज़ दोबारा लौटाना वाजिब है।[1]

सुवाल फ़र्ज़ तर्क हो गया तो क्या सज्दए सह्व से इस की तलाफ़ी हो जाएगी ?

जवाब फ़र्ज़ तर्क हो जाने से नमाज़ जाती रहती है सज्दए सह्व से इस की तलाफ़ी नहीं हो सकती लिहाज़ा दोबारा पढ़िये।[2]

सुवाल नमाज़ में क़ुरआने पाक पढ़ने से कब सज्दए सह्व वाजिब होता है ?

जवाब क़ियाम के इलावा दीगर अरकान में क़ुरआने मजीद पढ़ने से सज्दए सह्व वाजिब होता है।[3]

सुवाल क़ा'दए ऊला में तशह्हुद के बा'द अगर बे ख़याली में اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ या اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا कह लिया तो इस से नमाज़ पर क्या असर पड़ेगा ?

जवाब फ़र्ज़, वित्र और सुन्नते मुअक्कदा के क़ा'दए ऊला में तशह्हुद के बा'द अगर बे ख़याली में ऐसा हुवा तो सज्दए सह्व वाजिब हो जाएगा और अगर जान बूझ कर कहा तो नमाज़ लौटाना वाजिब है।[4]

सुवाल किस सूरत में नमाज़ी सलाम फेरने के बा वुजूद नमाज़ से बाहर नहीं होता ?

जवाब जिस पर सज्दए सह्व वाजिब हो मगर सह्व होना याद न हो तो इस सूरत में सलाम फेरने के बा वुजूद नमाज़ के बाहर नहीं ब शर्ते कि सज्दए सह्व कर ले लिहाज़ा जब तक कोई फ़े'ल मुनाफ़िये नमाज़ न किया हो उसे हुक्म है कि सज्दए सह्व करे और तशह्हुद वग़ैरा पढ़ कर नमाज़ पूरी करे।[5]

सुवाल वोह कौन सी सूरत है कि सह्व होने के बा वुजूद सज्दए सह्व न करना औला है ?

जवाब इस सूरत में जब कि जुमुआ व ईदैन में हाज़िरीन कसीर हों और फ़ितने का ख़ौफ़ हो तो सज्दए सह्व न करना औला है।[6]

---

1 ...در مختار مع رد المحتار، کتاب الصلاۃ، باب سجود السھو، 655/2

2 ...در مختار مع رد المحتار، کتاب الصلاۃ، باب سجود السھو، 655/2

3 ...رد المحتار، کتاب الصلاۃ، باب سجود السھو، 657/2، बहारे शरीअ़त, 1/713, हिस्सा : 4

4 ...در مختار ورد المحتار، کتاب الصلاۃ، باب سجود السھو، 657/2 مفھوما

5 ...در مختار ورد المحتار، کتاب الصلاۃ، باب سجود السھو، 670-671/2

6 ...در مختار مع رد المحتار، کتاب الصلاۃ، باب سجود السھو، 675/2

सुवाल किस सूरत में इमाम के सज्दए सह्व के लिये सलाम फेरने पर मुक़्तदी ने सलाम फेर दिया तो उस की नमाज़ टूट जाएगी ?

जवाब मस्बूक़ या'नी वोह शख़्स जो पहली रक्अ़त के बा'द जमाअ़त में शामिल हुवा जब तक अपनी रक्अ़तें मुकम्मल न कर ले सलाम नहीं फेर सकता लिहाज़ा अगर इमाम ने सज्दए सह्व से पहले या बा'द सलाम फेरा और मस्बूक़ ने भी क़स्दन सलाम फेरा तो उस की नमाज़ टूट जाएगी हां अगर भूल कर फेरा तो नहीं टूटेगी ।(1)

सुवाल मस्बूक़ ने भूल कर इमाम के साथ सलाम फेरा तो उस पर सज्दए सह्व है या नहीं ?

जवाब अगर मस्बूक़ ने (भूल कर) इमाम के साथ मअ़न बिला वक़्फ़ा सलाम फेरा तो उस पर सज्दए सह्व नहीं और अगर सलाम इमाम के कुछ भी बा'द फेरा तो खड़ा हो जाए अपनी नमाज़ पूरी कर के सज्दए सह्व करे ।(2)

सुवाल फ़ातिहा के बा'द सूरत पढ़ना भूल गया और रुकूअ़ या सज्दे में याद आया तो क्या करे ?

जवाब जो सूरत मिलाना भूल गया अगर उसे रुकूअ़ में याद आया तो फ़ौरन खड़े हो कर सूरत पढ़े फिर रुकूअ़ दोबारा करे फिर नमाज़ तमाम कर के सज्दए सह्व करे और अगर रुकूअ़ के बा'द सज्दे में याद आया तो सिर्फ़ अख़ीर में सज्दए सह्व कर ले नमाज़ हो जाएगी ।(3)

सुवाल इमाम ने रुकूअ़ से उठते वक़्त سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَه की जगह اَللّٰهُ اَكْبَر कहा और सज्दए सह्व नहीं किया तो नमाज़ हो गई या नहीं ?

जवाब नमाज़ हो गई और सज्दए सह्व की अस्लन ह़ाजत नहीं ।(4)

सुवाल अगर किसी ने क़ियाम की ह़ालत में तशह्हुद पढ़ा या क़ा'दए ऊला में एक से ज़ियादा मरतबा तशह्हुद पढ़ा तो क्या हुक्म है ?

जवाब पहली दो रक्अ़तों के क़ियाम में अल ह़म्द के बा'द तशह्हुद पढ़ा (तो) सज्दए सह्व वाजिब है और अल ह़म्द से पहले पढ़ा तो नहीं । पिछली (या'नी आख़िरी) रक्अ़तों के क़ियाम में तशह्हुद पढ़ा तो सज्दा वाजिब न हुवा और अगर क़ा'दए ऊला में चन्द बार तशह्हुद पढ़ा सज्दा वाजिब हो गया ।(5)

---

1 ...ردالمحتار، کتاب الصلاۃ، باب سجود السہو، 2/659
2 ...ردالمحتار، کتاب الصلاۃ، باب سجود السہو، 2/659
3 ... फ़तावा रज़विय्या, 8/196
4 ... फ़तावा रज़विय्या, 8/216
5 ... बहारे शरीअ़त, 1/713, हिस्सा : 4

सुवाल अगर किसी ने दो बार सूरए फ़ातिहा पढ़ कर फिर कोई सूरत पढ़ी तो क्या हुक्म है ?

जवाब फ़र्ज़ की पहली दो रक्अ़तों में और नफ़्ल व वित्र की किसी रक्अ़त में सूरत से पहले दो बार सूरए फ़ातिहा पढ़ी तो सज्दए सह्व वाजिब है।[(1)]

सुवाल मस्बूक़ इमाम के साथ सज्दए सह्व करेगा या आख़िर में ?

जवाब मस्बूक़ इमाम के साथ सज्दए सह्व करे और अगर इमाम के साथ सज्दा न किया और बक़िय्या रक्अ़तें पढ़ने खड़ा हो गया तो आख़िर में सज्दए सह्व करे।[(2)] मगर बिला ज़रूरत इमाम के सलाम फेरने से पहले खड़ा होना मक्रूहे तह्रीमी है।[(3)]

सुवाल वोह कौन सी सूरत है कि इमाम के सज्दए सह्व से पहले जो लोग जमाअ़त में शरीक हुए उन की नमाज़ हो गई और जो सज्दए सह्व के बा'द शरीक हुए उन की न हुई ?

जवाब जब मुक़्तदी सज्दए सह्व के बा'द इमाम के साथ मिलें और बा'द में उन्हें पता चले कि इमाम पर सज्दए सह्व वाजिब नहीं था तो उन मुक़्तदियों की नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी।[(4)]

सुवाल किसी ने सज्दए सह्व कर के फ़ौरन सलाम फेर दिया तो क्या हुक्म है ?

जवाब सज्दए सह्व करने से पहला क़ा'दा बातिल न हुवा मगर तशह्हुद वाजिब है या'नी अगर सज्दए सह्व कर के सलाम फेर दिया तो फ़र्ज़ अदा हो गया मगर गुनाहगार हुवा और नमाज़ का इआ़दा वाजिब है।[(5)]

सुवाल सज्दए सह्व करने के बा'द बिग़ैर तशह्हुद पढ़े सलाम फेर दिया तो क्या हुक्म है ?

जवाब फ़र्ज़ अदा हो जाएगा लेकिन ऐसा करने से गुनाहगार होगा और नमाज़ फिर से पढ़नी वाजिब होगी।[(6)]

नमाज़ के मक्रूहात

सुवाल नमाज़ के मक्रूहात बयान कीजिये।

1... فتاوی ہندیہ، کتاب الصلاۃ، الباب الثانی عشر فی سجود السہو، 1/126

2... ردالمحتار، کتاب الصلاۃ، باب سجود السہو، 2/659

3... बहारे शरीअ़त, 1/591, हिस्सा : 3

4... فتاوی قاضی خان، کتاب الصلاۃ، باب افتتاح الصلاۃ، 1/49

5... درمختار مع ردالمحتار، کتاب الصلاۃ، مطلب کل شفع من النفل صلاۃ، 2/193، बहारे शरीअ़त, 1/516, हिस्सा : 3

6... درمختار، کتاب الصلاۃ، 2/193، बहारे शरीअ़त, 1/516, हिस्सा : 3

जवाब पहले 2 फ़रामीने मुस्त़फ़ा صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم मुलाह़ज़ा कीजिये : (1) उन लोगों का क्या ह़ाल है जो नमाज़ में आस्मान की त़रफ़ नज़र उठाते हैं ? उन्हें चाहिये कि ऐसा न करें, वरना उन की आंखें छीन ली जाएंगी ।[1] (2) नमाज़ की ह़ालत में अपनी उंग्लियां न चटख़ाओ ![2]

नमाज़ के मक्रूहे तह़रीमी में से कोई चीज़ अगर नमाज़ के दौरान हो जाए तो नमाज़ दोबारा पढ़नी होगी । जान बूझ कर जिस ने नमाज़ मक्रूहे तह़रीमी की वोह गुनाहगार भी होगा । इस सूरत में तौबा करना भी लाज़िम है ।

नोट : हर मक्रूहे तह़रीमी का येह हुक्म नहीं है कि नमाज़ दोबारा पढ़ना लाज़िम हो ।

01	दाढ़ी/बदन/ लिबास के साथ खेलना	02	कपड़ा समेटना[3]
03	कपड़ा लटकाना[4]	04	किसी भी आस्तीन का आधी कलाई से ऊपर होना
05	शिद्दत से पेशाब/पाख़ाना/रीह़ आना	06	कंकरियां (छोटे पथ्थर) हटाना[5]
07	किसी वाजिब को जान बूझ कर छोड़ देना[6]	08	एक हाथ की उंग्लियां दूसरे हाथ की उंग्लियों में डालना
09	कमर पर हाथ रखना		
10	आस्मान की त़रफ़ निगाह उठाना	11	इधर उधर मुंह फेर कर देखना चाहे थोड़ा मुंह फिरे या ज़ियादा
12	मर्द का सज्दे में कलाइयां बिछाना		
13	किसी शख़्स के मुंह के सामने नमाज़ पढ़ना	14	नमाज़ में नाक और मुंह छुपाना
15	बिला ज़रूरत बल्ग़म वग़ैरा निकालना	16	जान बूझ कर जमाही लेना

1 ... بخاری، کتاب الاذان، باب رفع البصر الی السماء فی الصلاۃ، 1/265، حدیث:750

2 ... ابن ماجہ، کتاب اقامۃ الصلاۃ، باب مایکرہ فی الصلاۃ، 1/514، حدیث:965

3... अगर कपड़ा बदन से चिपक जाए तो एक हाथ से छुड़ाने में ह़रज नहीं ।

4... मसलन : कन्धे पर ऐसे चादर डालना कि दोनों किनारे लटक रहे हों । अगर एक किनारा दूसरे कन्धे पर डाल दिया तो ठीक है ।

5... अगर कंकरी हटाए बिग़ैर फ़र्ज़/वाजिब अदा न होता हो तो हटाना ज़रूरी है ।

6... मसलन क़ौमा और जल्सा में पीठ सीधी होने से पहले ही रुकूअ़ या दूसरे सज्दे में चले जाना ।

17	क़िराअत रुकूअ़ में पहुंच कर ख़त्म करना	18	क़ियाम के इलावा किसी और मक़ाम पर क़ुरआन पढ़ना
19	उंग्लियां चटख़ाना	20	इमाम से पहले रुकूअ़/सज्दे में चले जाना या इमाम से पहले सर उठा देना
21	जानदार की तस्वीर वाले लिबास में नमाज़ पढ़ना		
22	उलटा क़ुरआन पढ़ना[1]	✻	✻ ✻ ✻[2]

मुतफ़र्रिक़ मसाइल

सुवाल तश्बीक किसे कहते हैं और इस का हुक्म बयान कीजिये।

जवाब एक हाथ की उंग्लियां दूसरे हाथ की उंग्लियों में डालना तश्बीक है। दौराने नमाज़ या (तवाबेए़ नमाज़ में, मसलन) नमाज़ के लिये जाते हुए या नमाज़ का इन्तिज़ार करते हुए तश्बीक करना मक्रूहे तह़रीमी है, ख़ारिजे नमाज़ में (जब कि तवाबेए़ नमाज़ में भी न हो) बिला ज़रूरत ऐसा करना मक्रूहे तन्ज़ीही है और ख़ारिजे नमाज़ में उंग्लियों को आराम देने या किसी ज़रूरत के लिये येह मुबाह़ (या'नी बिला कराहत जाइज़) है।[3]

सुवाल नमाज़ में इमाम से पहले सर उठाना और झुकाना कैसा है ?

जवाब इमाम से पहले रुकूअ़ व सुजूद में जाना या उस से पहले सर उठाना मक्रूह है।[4] हुज़ूर नबिय्ये अकरम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : जो इमाम से पहले सर उठाता और झुकाता है उस की पेशानी के बाल शैत़ान के हाथ में हैं।[5]

सुवाल एक पाउं पर खड़े हो कर नमाज़ पढ़ी तो क्या हुक्म है ?

जवाब बिला ज़रूरत एक पाउं पर खड़े हो कर नमाज़ पढ़ी तो मक्रूह है, हां जिस जगह पाउं रखना

1... मसलन पहले सूरतुन्नास फिर सूरतुल फ़लक़ पढ़ना। येह नमाज़ का मक्रूहे तह़रीमी नहीं बल्कि क़िराअत का मक्रूहे तह़रीमी है, जान बूझ कर जिस ने ऐसा किया गुनाहगार हुवा मगर नमाज़ दोबारा पढ़ने का हुक्म नहीं।

2... बहारे शरीअ़त, 1/624, 629, हिस्सा : 3 मुल्तक़तन

3... درمختار مع ردالمحتار، کتاب الصلاۃ، باب مایفسد الصلاۃ ومایکرہ فیہا، 2/493

4... बहारे शरीअ़त, 1/629, हिस्सा : 3

5... موطاامام مالک، کتاب الصلاۃ، باب مایفعل من رفع راسہ قبل الامام، 1/102، حدیث:212

है वोह जगह नापाक है तो एक पाउं उठा कर नमाज़ पढ़ सकता है।[1]

सुवाल सज्दे में पेशानी पाक जगह जब कि नाक नजिस जगह पर हो तो क्या नमाज़ हो जाएगी ?

जवाब जी हां नमाज़ हो जाएगी कि नाक दिरहम से कम जगह पर लगती है लेकिन बिला ज़रूरत येह भी मक्रूह है।[2]

सुवाल अगर नमाज़ की ह़ालत में सिर्फ़ मुंह क़िब्ले से फेर दिया तो क्या हुक्म है ?

जवाब अगर मुंह क़िब्ले से फेरा तो वाजिब है कि फ़ौरन क़िब्ले की जानिब कर ले इस सूरत में नमाज़ फ़ासिद न होगी, लेकिन बिला ज़रूरत येह भी मक्रूह है।[3]

सुवाल नमाज़ में तक्बीरे तह़रीमा की बजाए سُبْحَانَ الله कह कर नमाज़ शुरूअ़ की तो क्या हुक्म है ?

जवाब इस सूरत में नमाज़ शुरूअ़ हो जाएगी लेकिन اَللهُ اَكْبَر की जगह سُبْحَانَ الله कहना मक्रूहे तह़रीमी है।[4]

शलवार के साथ शर्ट पहन कर नमाज़ पढ़ना कैसा ?

सुवाल नमाज़ में शलवार के साथ शर्ट पहनी हो तो इस में कोई ह़रज तो नहीं है ?

जवाब फुल आस्तीन की शर्ट हो या निस्फ़ आस्तीन की, इसे शलवार के साथ आ़म तौ़र पर आदमी घर में सोते वक़्त या कामकाज के वक़्त पहन लेता है लेकिन इसे पहन कर बुज़ुर्गों के सामने जाना मा'यूब (बुरा) समझता और शर्म मह़सूस करता है। कुतुबे फ़िक़्ह में इस नौइय्यत के लिबास पहन कर नमाज़ पढ़ने को मक्रूहे तन्ज़ीही क़रार दिया गया है या'नी ऐसा लिबास पहन कर नमाज़ पढ़ने से बचना बेहतर है।

नमाज़ी को चाहिये कि **अल्लाह** करीम के दरबार की ह़ाज़िरी के वक़्त या'नी नमाज़ अदा करने के लिये अच्छा व उ़म्दा लिबास पहने कि **अल्लाह** करीम का दरबार इस बात का ज़ियादा ह़क़ रखता है कि बन्दा उस की बारगाह में ह़ाज़िरी के लिये ज़ीनत इख़्तियार करे। आ'ला ह़ज़रत इमाम अह़मद रज़ा ख़ान رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه फ़तावा रज़विय्या में इर्शाद फ़रमाते हैं : मुतून व शुरूह़ व फ़तावा तमाम कुतुबे मज़्हब में बिला ख़िलाफ़े तसरीह़ साफ़ है कि सियाबे ज़िल्लतो महन्त या'नी वोह कपड़े जिन को आदमी अपने घर में कामकाज के वक़्त पहने रहता है जिन्हें मैल कुचैल से बचाया नहीं जाता उन्हें पहन कर नमाज़ पढ़नी मक्रूह है।[5]

1 ... ردالمحتار، کتاب الصلاۃ، باب شروط الصلاۃ، 2/92 مفہوما

2 ... ردالمحتار، کتاب الصلاۃ، باب شروط الصلاۃ، 2/92

3 ... غنیۃ المتملی، الشرط الرابع وہو استقبال القبلۃ، ص 224-225

4 ... فتاوی ہندیہ، کتاب الصلاۃ، الباب الرابع فی صفۃ الصلاۃ، الفصل الاول فی فرائض الصلاۃ، 1/68

5 ... फ़तावा रज़विय्या, 7/377

www.dawateislami.net

ऐसे कपड़ों में नमाज़ को मक्रूहे तन्ज़ीही क़रार देते हुए अ़ल्लामा शामी رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه इर्शाद फ़रमाते हैं : وَالظَّاهِرُ اَنَّ الْكَرَاهَةَ تَنْزِيْهِيَّةٌ या'नी ज़ाहिर येही है कि इन कपड़ों में नमाज़ पढ़ना मक्रूहे तन्ज़ीही है।(1)

नमाज़ तोड़ने वाली चीज़ें

सुवाल किन चीज़ों से नमाज़ टूट जाती है ?

जवाब पहले एक ह़दीसे मुबारका मुलाह़ज़ा कीजिये, मदीने वाले आक़ा صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : नमाज़ में लोगों का कोई भी बात करना सह़ीह़ नहीं, नमाज़ तो तस्बीह़, तक्बीर और क़ुरआन की तिलावत करने का नाम है।(2)

इन चीज़ों की वज्ह से नमाज़ टूट जाती है : ❋ बातचीत करना ❋ सलाम करना ❋ सलाम का जवाब देना ❋ दर्द या मुसीबत की वज्ह से ''आह'' ''ऊह'' या ''उफ़'' वग़ैरा कहना ❋ क़ुरआने करीम में देख कर तिलावत करना ❋ अ़मले कसीर या'नी नमाज़ में कोई ऐसा काम करना कि देखने वाला समझे कि येह नमाज़ नहीं पढ़ रहा (आ़म तौर पर इस तरह़ के काम से नमाज़ टूट जाती है) ❋ नमाज़ में ऐसी चीज़ खाना या पीना जो पहले से मुंह में न हो ❋ 3 क़दम चलना ❋ क़ह्क़हा मार कर हंसना कि आस पास वालों तक आवाज़ पहुंचे ❋ एक रुक्न या'नी क़ियाम या रुकूअ़ वग़ैरा में 3 बार खुजाना ❋ ''اَللّٰهُ اَكْبَر'' के ''अलिफ़'' को लम्बा करना या'नी ''**आल्लाह**'' कहना या ''अक्बर'' के ''ب'' के बा'द ''अलिफ़'' बढ़ा देना या'नी ''**अक्बार**'' कहना ❋ क़ुरआने करीम या अज़्कारे नमाज़ (या'नी जो कुछ नमाज़ में पढ़ा जाता है) में ऐसी ग़लती करना जिस से मा'ना बिगड़ जाएं मसलन : ''سُبْحٰنَ رَبِّيَ الْعَظِيْم'' में ''عَظِيْم'' को ''عَزِيْم'' कहना।(3)

मुतफ़र्रिक़ मसाइल

सुवाल अ़मले कसीर क्या है और कब इस से नमाज़ फ़ासिद होती है ?

जवाब अ़मले कसीर कि न आ'माले नमाज़ से हो न नमाज़ की इस्लाह़ के लिये किया गया हो, नमाज़ फ़ासिद कर देता है, जिस काम के करने वाले को दूर से देख कर उस के नमाज़ में न होने का शक न रहे, बल्कि गुमान ग़ालिब हो कि नमाज़ में नहीं तो वोह अ़मले कसीर है।(4)

1... ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب مايفسد الصلوة ويكره فيها، مطلب فى الخشوع، 2/491

2... مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام... الخ، ص215، حديث:1199

3... हमारा इस्लाम, स. 215, 216 माख़ूज़न

4... बहारे शरीअ़त, 1/609, हिस्सा : 3 मुल्तक़तन

सुवाल कब आमीन कहने से नमाज़ टूट जाती है इस की कोई सूरत बयान करें।

जवाब नमाज़ पढ़ने वाले को छींक आई तो दूसरे ने कहा : يَرْحَمُكَ الله, इस पर छींक वाले ने आमीन कहा तो इस सूरत में आमीन कहने से नमाज़ टूट जाती है।[1]

सबक़ नम्बर 17 नमाज़ का अ़मली त़रीक़ा

सुवाल नमाज़ का अ़मली त़रीक़ा बयान कीजिये।

जवाब **तक्बीरे तह़रीमा की 5 अहम बातें :**

01	दोनों पाउं के दरमियान 4 उंगल (या'नी उंग्लियों की मोटाई के बराबर) का फ़ासिला
02	निगाह सामने की त़रफ़ होना
03	कान की लौ (या'नी कान के आख़िर के नर्म हिस्से) तक हाथ उठाना
04	उंग्लियों को अपने ह़ाल पर (Normal) छोड़ना, हथेलियों और उंग्लियों का पेट क़िब्ला रुख़ होना
05	सर झुका हुवा न होना

क़ियाम की 7 अहम बातें :

01	लफ़्ज़ "اَللهُ اَكْبَر" कहते हुए हाथ छोड़ना
02	उलटे हाथ की कलाई (Wrist) पर सीधे हाथ की तीन उंग्लियां (रखना) और छोटी उंगली और अंगूठा (कलाई के) अग़ल बग़ल (या'नी दाएं बाएं रखना)
03	सना पढ़ना : سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ ط
04	तअ़व्वुज़ पढ़ना : اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ○

[1] ...غنية المتملی، کتاب الصلاة، فصل فيما يفسد الصلاة، ص439

05	तस्मिया पढ़ना : بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ○
06	मुकम्मल सूरए फ़ातिहा पढ़ना : اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ ۙ﴿۱﴾ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ۙ﴿۲﴾ مٰلِکِ یَوۡمِ الدِّیۡنِ ؕ﴿۳﴾ اِیَّاکَ نَعۡبُدُ وَ اِیَّاکَ نَسۡتَعِیۡنُ ؕ﴿۴﴾ اِہۡدِنَا الصِّرَاطَ الۡمُسۡتَقِیۡمَ ۙ﴿۵﴾ صِرَاطَ الَّذِیۡنَ اَنۡعَمۡتَ عَلَیۡہِمۡ ۬ۙ غَیۡرِ الۡمَغۡضُوۡبِ عَلَیۡہِمۡ وَ لَا الضَّآلِّیۡنَ ٪﴿۷﴾
07	कोई सूरत पढ़ना या कुरआने पाक की एक बड़ी आयत जो छोटी तीन आयतों के बराबर हो या तीन छोटी आयतें पढ़ना। मसलन सूरए इख़्लास पढ़िये : قُلۡ ہُوَ اللّٰہُ اَحَدٌ ۚ﴿۱﴾ اَللّٰہُ الصَّمَدُ ۚ﴿۲﴾ لَمۡ یَلِدۡ ۬ۙ وَ لَمۡ یُوۡلَدۡ ۙ﴿۳﴾ وَ لَمۡ یَکُنۡ لَّہٗ کُفُوًا اَحَدٌ ٪﴿۴﴾

रुकूअ़ की 5 अहम बातें

01	''اَللّٰہُ اَکۡبَر'' कहते हुए रुकूअ़ में जाना
02	पीठ (Back) अच्छी त़रह़ बिछी हुई होना
03	घुटनों (Knees) को हाथों से पकड़ना और उंगलियां फैली हुई रखना
04	सर ऊंचा नीचा न होना, नज़र क़दमों पर होना, टांगें सीधी होना
05	तीन बार ''سُبۡحٰنَ رَبِّیَ الۡعَظِیۡم'' कहना

क़ौमा की 2 अहम बातें

01	''سَمِعَ اللّٰہُ لِمَنۡ حَمِدَہٗ'' कहते हुए खड़े होना
02	खड़े हो कर ''اَللّٰہُمَّ رَبَّنَا وَلَکَ الۡحَمۡد'' कहना

सज्दे की 7 अहम बातें :

01	"اَللّٰهُ اَكْبَر" कहते हुए सज्दे में जाना
02	पहले दोनों घुटने एक साथ रखना फिर हाथ, इस के बा'द दोनों हाथों के बीच में नाक और फिर पेशानी रखना
03	हथेलियां ज़मीन पर रखना कि उंग्लियां मिली हुई और क़िब्ला रुख़ हों
04	पिंडलियां (Calves) रानों (Thighs) से, रानें पेट (Belly) से, कलाइयां (Wrists) ज़मीन से, बाज़ू (Arms) करवटों (Sides) से जुदा हों (अगर सफ़ में हों तो बाज़ू करवटों से मिलाना)
05	सज्दे (Prostration) में पेशानी और नाक की हड्डी (Nasal Bone) जमाना कि ज़मीन की सख़्ती मह़सूस हो और नज़र नाक पर रखना
06	पाउं की दसों उंग्लियों का पेट (उंग्लियों के तल्वों के उभरे हुए हिस्से) क़िब्ला रुख़ ज़मीन पर लगाना
07	3 बार "سُبْحٰنَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى" कहना

जल्से की 5 अहम बातें :

01	तक्बीर कहते हुए जल्से में जाना
02	पहले पेशानी फिर नाक और फिर हाथ उठाना
03	सीधा क़दम खड़ा कर के उलटा क़दम बिछा कर उस पर बैठना
04	सीधे पाउं की उंग्लियां क़िब्ला रुख़ होना, दोनों हाथ रानों (Thighs) पर रखना, नज़र गोद (Lap) में रखना
05	"اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ" कहना

दूसरी रक्अ़त के लिये उठने की 2 अहम बातें :

01	तक्बीर कहते हुए पन्जों (Toes) के बल घुटनों पर हाथ रख कर खड़ा होना
02	क़ा'दए अख़ीरा तक बक़िय्या नमाज़ मुकम्मल करना

क़ा'दे की 3 अहम बातें :

01	जल्से की त़रह़ बैठना
02	अत्तहि़य्यात पढ़ना : اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰتُ وَالطَّيِّبَاتُ ؕ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ ؕ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ ○ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ○
03	शहादत का इशारा करना या'नी "اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ" में "لَا" से पहले छुंगल्या (Little Finger) और पास वाली को बन्द करना, अंगूठे (Thumb) और बीच की उंगली (Middle Finger) का ह़ल्क़ा बनाना, "لَا" पर कलिमे की उंगली उठाना और "اِلَّا" पर गिराना और सब उंगलियां सीधी कर देना

क़ा'दए अख़ीरा की 4 अहम बातें :

01	अत्तहि़य्यात पढ़ना
02	शहादत का इशारा करना
03	दुरूद शरीफ़ पढ़ना : اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰۤى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰۤى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰۤى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ؕ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰۤى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰۤى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰۤى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ؕ
04	कोई सी दुआ़ए मासूरा (क़ुरआनो ह़दीस की दुआ़ को दुआ़ए मासूरा कहते हैं) पढ़ना, मसलन येह दुआ़ पढ़ लीजिये : (اَللّٰهُمَّ) رَبَّنَاۤ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۲۰۱﴾ (پ2، البقرۃ:201)

सलाम फेरने की 2 अहम बातें :

01	पहले सीधी त़रफ़ गरदन फेरना और नज़र कन्धों पर रखना फिर (फ़िरिश्तों को सलाम करने की निय्यत से) "اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ" कहना

02	फिर उलटी त़रफ़ गरदन फेरना और नज़र कन्धों पर रखना फिर (फ़िरिश्तों को सलाम करने की निय्यत से) "اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله" कहना

नमाज़ की रक्अ़तों की ता'दाद

नम्बर शुमार	नमाज़	फ़र्ज़ रक्अ़तें	सुन्नते मुअक्कदा	सुन्नते ग़ैर मुअक्कदा	नफ़्ल	वाजिब	टोटल
01	फ़ज्र	2	2	---	--	---	4
02	ज़ोहर	4	6	---	2	---	12
03	अ़स्र	4	---	4	--	---	8
04	मग़रिब	3	2	---	2	---	7
05	इशा	4	2	4	4	3 (वित्र)	17[(1)]

5 नमाज़ों की रक्अ़तों की तफ़्सील

नम्बर शुमार	नमाज़	तफ़्सील
01	फ़ज्र	पहले 2 रक्अ़त सुन्नते मुअक्कदा, फिर 2 रक्अ़त फ़र्ज़
02	ज़ोहर	पहले 4 रक्अ़त सुन्नते मुअक्कदा, फिर 4 रक्अ़त फ़र्ज़, इस के बा'द 2 रक्अ़त सुन्नते मुअक्कदा, फिर 2 रक्अ़त नफ़्ल
03	अ़स्र	पहले 4 रक्अ़त सुन्नते ग़ैर मुअक्कदा, फिर 4 रक्अ़त फ़र्ज़
04	मग़रिब	पहले 3 रक्अ़त फ़र्ज़, फिर 2 रक्अ़त सुन्नते मुअक्कदा, इस के बा'द 2 रक्अ़त नफ़्ल
05	इशा	पहले 4 रक्अ़त सुन्नते ग़ैर मुअक्कदा, फिर 4 रक्अ़त फ़र्ज़, इस के बा'द 2 रक्अ़त सुन्नते मुअक्कदा, फिर 2 रक्अ़त नफ़्ल, इस के बा'द 3 रक्अ़त वित्र, फिर 2 रक्अ़त नफ़्ल[(2)]

(1)...हमारा इस्लाम, स. 26, 27 माख़ूज़न । याद रहे ! फ़र्ज़ और वाजिब सब से अहम नमाज़ें हैं, छोड़ेंगे तो गुनाह मिलेगा । सुन्नते मुअक्कदा पढ़ना भी ज़रूरी है । (2)...हमारा इस्लाम, स. 26, 27 माख़ूज़न

इस्लामी बहनों की नमाज़ का त़रीक़ा (ह़नफ़ी)

बा वुज़ू क़िब्ला रू इस त़रह़ खड़ी हों कि दोनों पाउं के पन्जों में चार उंगल का फ़ासिला रहे और दोनों हाथ कन्धों तक (इस त़रह़) उठाइये कि उंगलियां न मिली हुई हों न ख़ूब खुली बल्कि अपनी ह़ालत पर (Normal) रखिये और हथेलियां क़िब्ले की त़रफ़ हों नज़र सज्दे की जगह हो। अब जो नमाज़ पढ़नी है उस की निय्यत या'नी दिल में उस का पक्का इरादा कीजिये साथ ही ज़बान से भी कह लीजिये कि ज़ियादा अच्छा है (मसलन निय्यत की मैं ने आज की ज़ोहर की चार रक्अ़त फ़र्ज़ नमाज़ की) अब तक्बीरे तह़रीमा या'नी اَللّٰہُ اَکْبَر (या'नी **अल्लाह** सब से बड़ा है) कहती हुई हाथ नीचे लाइये और उलटी हथेली सीने पर छाती के नीचे रख कर उस के ऊपर सीधी हथेली रखिये।

क़ियाम की 6 अहम बातें :

01	अब सना पढ़िये
02	तअ़व्वुज़ पढ़िये
03	तस्मिया पढ़िये
04	फिर मुकम्मल सूरए फ़ातिह़ा पढ़िये
05	सूरए फ़ातिह़ा ख़त्म कर के आहिस्ता से आमीन कहिये।
06	तीन आयात या एक बड़ी आयत जो तीन छोटी आयतों के बराबर हो या कोई सूरत पढ़िये।

रुकूअ़ की 2 अहम बातें :

01	अब اَللّٰہُ اَکْبَر कहती हुई रुकूअ़ में जाइये। रुकूअ़ में थोड़ा झुकिये या'नी इतना कि घुटनों पर हाथ रख दें ज़ोर न दीजिये और घुटनों को न पकड़िये और उंगलियां मिली हुई रखिये।[1]
02	कम अज़ कम तीन बार रुकूअ़ की तस्बीह़ या'नी سُبْحٰنَ رَبِّیَ الْعَظِیْم पढ़िये

1 ... فتاوی عالمگیری، کتاب الصلاۃ، الباب الرابع فی صفۃ الصلاۃ، الفصل الثالث فی سنن الصلاۃ و آدابہا و کیفیتہا، 1/74

क़ौमा की 2 अहम बातें :

01	फिर तस्मीअ़ या'नी سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ कहती हुई बिल्कुल सीधी खड़ी हो जाइये
02	इस के बा'द اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْد कहिये

सज्दे की 3 अहम बातें :

01	फिर اَللّٰهُ اَكْبَر कहती हुई सज्दे में जाइये। पहले घुटने ज़मीन पर रखिये फिर हाथ फिर दोनों हाथों के बीच में इस तरह़ सर रखिये कि पहले नाक फिर पेशानी और येह ख़ास ख़याल रखिये कि नाक की सिर्फ़ नोक नहीं बल्कि हड्डी लगे (और येह नाक पर बिल्कुल मा'मूली सा ज़ोर देने से हो जाएगा बहुत ज़ियादा मत दबाइये) और पेशानी ज़मीन पर जम जाए, नज़र नाक पर रहे।
02	सज्दा सिमट कर कीजिये या'नी बाज़ू करवटों से, पेट रान से, रान पिंडलियों से और पिंडलियां ज़मीन से मिला दीजिये, और दोनों पाउं सीधी त़रफ़ निकाल दीजिये।
03	अब कम अज़ कम तीन बार सज्दे की तस्बीह़ या'नी سُبْحٰنَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى पढ़िये।

सज्दे से उठने की 3 अहम बातें :

01	फिर सर इस त़रह़ उठाइये कि पहले पेशानी फिर नाक फिर हाथ उठें
02	दोनों पाउं सीधी त़रफ़ निकाल दीजिये और उलटी सुरीन पर बैठिये और सीधा हाथ सीधी रान के बीच में और उलटा हाथ उलटी रान के बीच में रखिये। दोनों सज्दों के दरमियान बैठने को जल्सा कहते हैं।
03	कम अज़ कम एक बार سُبْحٰنَ اللّٰه कहने की मिक़्दार ठहरिये

दूसरे सज्दे में जाने और वापस खड़े होने की 2 अहम बातें :

01	फिर اَللّٰهُ اَكْبَر कहती हुई पहले सज्दे ही की त़रह़ दूसरा सज्दा कीजिये।

02	अब उसी त़रह़ पहले सर उठाइये फिर हाथों को घुटनों पर रख कर पन्जों के बल खड़ी हो जाइये।

येह आप की एक रक्अ़त पूरी हुई।

दूसरी रक्अ़त की 1 अहम बात :

अब दूसरी रक्अ़त में بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ○ पढ़ कर अल ह़म्द और सूरह पढ़िये और पहले की त़रह़ रुकूअ़ और सज्दे कीजिये दूसरे सज्दे से सर उठाने के बा'द दोनों पाउं सीधी त़रफ़ निकाल दीजिये और उलटी सुरीन पर बैठिये और सीधा हाथ सीधी रान के बीच में और उलटा हाथ उलटी रान के बीच में रखिये।

क़ा'दे की 2 अहम बातें :

अब तशह्हुद (या'नी अत्तह़िय्यात) पढ़िये
शहादत का इशारा कीजिये या'नी "اَشۡهَدُ اَنۡ لَّاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ" में "لَا" से पहले छुंगल्या (Little Finger) और पास वाली को बन्द करना, अंगूठे (Thumb) और बीच की उंगली (Middle Finger) का ह़ल्क़ा बनाना, "لَا" पर कलिमे की उंगली उठाना और "اِلَّا" पर गिराना और सब उंग्लियां सीधी कर देना।

अगर दो रक्अ़तें पढ़नी हैं तो तशह्हुद के बा'द

01	दुरूदे इब्राहीमी पढ़िये
02	दुआ़ए मासूरा पढ़िये
03	पहले दाएं (सीधे) कन्धे की त़रफ़ मुंह कर के اَلسَّلَامُ عَلَيۡكُمۡ وَرَحۡمَةُ اللّٰهِ कहिये
04	इसी त़रह़ बाएं (उलटे) त़रफ़। अब नमाज़ ख़त्म हुई।(1)

1... बहारे शरीअ़त, 1/506, ह़िस्सा : 3 वग़ैरा माख़ूज़न

और अगर दो से ज़ियादा रक्अ़तें पढ़नी हैं तो اَللّٰهُ اَكْبَر कहती हुई खड़ी हो जाइये। अगर फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ रही हैं तो तीसरी और चौथी रक्अ़त के क़ियाम में بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ○ और अल ह़म्द शरीफ़ पढ़िये सूरत मिलाने की ज़रूरत नहीं (और तीन तस्बीह़ पढ़ना, या इतनी देर ख़ामोश रहना बल्कि फ़क़त़ एक ही तस्बीह़ पढ़ना या इस की मिक़्दार ख़ामोश रहना भी दुरुस्त है।) बाक़ी अफ़्आ़ल ह़स्बे मा'मूल बजा लाइये और अगर सुन्नत व नफ़्ल हों तो सूरए फ़ातिह़ा के बा'द सूरत भी मिलाइये फिर चार रक्अ़तें पूरी कर के क़ा'दए अख़ीरा में तशह्हुद के बा'द दुरूदे इब्राहीमी और दुआ़ए मासूरा पढ़ कर सलाम फेर दीजिये।

औ़रतों और मर्दों की नमाज़ में फ़र्क़

सुवाल मर्दों और औ़रतों की नमाज़ के त़रीक़े में फ़र्क़ दलाइल के साथ ज़िक्र करें।

जवाब ख़वातीन की नमाज़ का त़रीक़ा मर्दों की नमाज़ के त़रीक़े से चन्द वुजूहात की बिना पर अलग है।

(1) मर्दों के लिये नंगे सर नमाज़ पढ़ना जाइज़ है जब कि ख़वातीन की नमाज़ सर और बाल छुपाए बिग़ैर अदा ही नहीं होती। चुनान्चे

ह़ज़रते सय्यिदतुना आ़इशा सिद्दीक़ा त़य्यिबा त़ाहिरा رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا फ़रमाती हैं कि सरकार صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : ''لَا تُقْبَلُ صَلٰوةُ الْحَائِضِ اِلَّا بِخِمَارٍ''[1] या'नी बालिग़ा औ़रत की नमाज़ बिग़ैर सर ढांपे क़बूल नहीं होती।

(2) ख़वातीन को तक्बीरे तह़रीमा में सीने तक हाथ उठाने का हुक्म है जब कि मर्दों को कानों की लौ तक हाथ उठाने का हुक्म है। इस ह़वाले से दो रिवायात मुलाह़ज़ा कीजिये :

1. ह़ज़रते सय्यिदुना वाइल बिन हुजर رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ से रिवायत है कि हुज़ूर सय्यिदे आ़लम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने मुझ से इर्शाद फ़रमाया : ''يَا وَائِلُ بْنَ حُجْرٍ اِذَا صَلَّيْتَ فَاجْعَلْ يَدَيْكَ حِذَاءَ اُذُنَيْكَ وَالْمَرْاَةُ تَجْعَلُ يَدَيْهَا حِذَاءَ ثَدْيَيْهَا''[2] या'नी ऐ वाइल बिन हुजर ! जब नमाज़ पढ़ो तो अपने हाथ कानों तक उठाओ, और औ़रत अपने हाथ सीने तक उठाए।

2. ह़ज़रते सय्यिदुना अ़त़ा बिन अबू रबाह़ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ से पूछा गया कि क्या औ़रत भी तक्बीरे तह़रीमा कहते वक़्त मर्दों की त़रह़ हाथों से इशारा करेगी ? इर्शाद फ़रमाया :

"لَا تَرْفَعُ بِذٰلِكَ يَدَيْهَا كَالرِّجَالِ وَاَشَارَ فَخَفَضَ يَدَيْهِ جِدًّا وَجَمَعَهُمَا اِلَيْهِ وَقَالَ: اِنَّ لِلْمَرْاَةِ هَيْئَةً لَيْسَتْ لِلرَّجُلِ"[3]

या'नी औ़रत तक्बीरे तह़रीमा के वक़्त मर्दों की त़रह़ हाथ नहीं उठाएगी, फिर फ़रमाया :

---

1 ...ترمذی، ابواب الصلوۃ، ماجاء لا تقبل صلوۃ المرأۃ الا بخمار، 1/389، حدیث:377

2 ...معجم کبیر، 22/19-20، حدیث:28

3 ...مصنّف عبد الرزاق، کتاب الصلوۃ، باب تکبیر المرأۃ بیدیہا...الخ، 3/49، حدیث:5080

हज़रते सय्यिदुना अ़ता رَضِیَ اللہُ عَنْہ ने इशारा कर के बताया, जिस में हाथों को बहुत थोड़ा सा उठाया और दोनों हाथों को मिला लिया, फिर फ़रमाया कि नमाज़ में औ़रत की हैअत (सूरत) मर्द जैसी नहीं।

(3) ख़्वातीन को ज़मीन से मिल और सिमट कर सज्दा करने का हुक्म है जब कि मर्दों के लिये येह हुक्म नहीं है। इस ह़वाले से तीन रिवायात मुलाह़ज़ा कीजिये :

1. हज़रते सय्यिदुना अ़ता बिन अबू रबाह़ رَضِیَ اللہُ عَنْہ फ़रमाते हैं : रुकूअ़ करते वक़्त जितना मुम्किन हो औ़रत अपना जिस्म समेट ले और अपने हाथों को पेट से चिमटा ले, और जब सज्दा करे तो जहां तक मुम्किन हो अपने हाथों को पेट से चिमटाए रखे और पेट सीने और रानों से मिलाए रखे।[1]

2. हज़रते सय्यिदुना यज़ीद बिन अबू ह़बीब رَضِیَ اللہُ عَنْہ से रिवायत है कि मुस्त़फ़ा जाने रह़मत صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم दो औ़रतों के पास से गुज़रे, जो नमाज़ पढ़ रही थीं, आप صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : जब तुम सज्दा करो तो अपने जिस्म का कुछ ह़िस्सा ज़मीन से चिमटा लो क्यूं कि इस मुआ़मले में ख़्वातीन का हुक्म मर्दों की त़रह़ नहीं।[2]

3. हज़रते सय्यिदुना अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर رَضِیَ اللہُ عَنْہ से रिवायत है कि हुज़ूरे अकरम صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : जब औ़रत नमाज़ में बैठे तो अपनी रान दूसरी पर रख ले और जब सज्दा करे तो अपने पेट को रानों से चिमटा ले, इस त़ौर पर कि उस के लिये ज़ियादा से ज़ियादा पर्दा हो जाए। यक़ीनन **अल्लाह** करीम ऐसी औ़रत की त़रफ़ नज़रे रह़मत से देख कर फ़रमाता है, कि ऐ फ़िरिश्तो ! मैं तुम्हें गवाह बनाता हूं इस बात पर कि मैं ने इस की बख़्शिश कर दी।[3]

बुन्यादी त़ौर पर मर्द व ख़्वातीन की नमाज़ में फ़र्क़ की वज्ह येह है कि इस्लाम में ख़्वातीन के पर्दे का बहुत ज़ियादा ख़याल रखा गया है, लिहाज़ा जहां जहां ख़्वातीन की बे पर्दगी का अन्देशा हुवा, वहां वहां मर्दों और ख़्वातीन की नमाज़ में फ़र्क़ किया गया है। बयान कर्दा फ़र्क़ और त़रीक़े में ख़्वातीन के पर्दे का ज़ियादा एहतिमाम है।

नमाज़े वित्र का त़रीक़ा

पहले 2 फ़रामीने मुस्त़फ़ा صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم मुलाह़ज़ा कीजिये : (1) बिला शुबा **अल्लाह** पाक ने एक नमाज़ से तुम्हारी मदद फ़रमाई है जो तुम्हारे लिये सुर्ख़ ऊंटों से बेहतर है, और वोह नमाज़े वित्र है जिसे

1 ... مصنّف عبد الرزاق، کتاب الصلوۃ، باب تکبیر المرأۃ بیدیہا... الخ، 3/50، حدیث: 5083
2 ... سنن کبریٰ، کتاب الصلوۃ، باب مایستحب للمرأۃ... الخ، 2/315، حدیث: 3201
3 ... السنن الکبری للبیہقی، جماع ابواب الصلوۃ، باب مایستحب للمرأۃ من ترک التجافی فی الرکوع والسجود، 2/315، حدیث: 3199

अल्लाह पाक ने इशा और सूरज निकलने के दरमियान रखा है।[1]

(2) एक ह़दीस में इर्शाद फ़रमाया : वित्र ह़क़ है, तो जो वित्र न पढ़े वोह हम में से नहीं। वित्र ह़क़ है, तो जो वित्र न पढ़े वोह हम में से नहीं। वित्र ह़क़ है, तो जो वित्र न पढ़े वोह हम में से नहीं।[2]

7 मदनी फूल :

01	3 रक्अ़त नमाज़े वित्र की निय्यत कर के नमाज़ शुरूअ़ करना
02	आ़म नमाज़ की त़रह़ दूसरी रक्अ़त तक नमाज़ पढ़ कर क़ा'दए ऊला करना
03	क़ा'दए ऊला में "अत्तह़िय्यात" पढ़ कर तीसरी रक्अ़त के लिये खड़ा होना
04	सूरए फ़ातिह़ा और सूरत की तिलावत के बा'द हाथ उठा कर "اَللّٰهُ اَكْبَر" कह कर दोबारा हाथ बांधना
05	दुआ़ए क़ुनूत पढ़ना اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِىْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّىْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ ط
06	"اَللّٰهُ اَكْبَر" कह कर रुकूअ़ करना फिर पहले की त़रह़ तीसरी रक्अ़त मुकम्मल कर के क़ा'दए अख़ीरा करना[3]
07	"अत्तह़िय्यात" "दुरूद शरीफ़" और "दुआ़" पढ़ कर सलाम फेर देना

मुतफ़र्रिक़ मसाइल

सुवाल नमाज़े वित्र का वक़्त कब से कब तक है ?

जवाब वित्र का वक़्त इशा के फ़र्ज़ों के बा'द से सुब्ह़े सादिक़ तक है।[4]

1 ...ابوداؤد، کتاب الوتر، باب استحباب الوتر، 2/88، حدیث:1418

2 ...ابوداؤد، کتاب الوتر، باب استحباب الوتر، 2/89، حدیث:1419

3 ...حاشیہ طحاوی، ص376

4 ...مراقی الفلاح وحاشیۃ طحطاوی، ص178

सुवाल वित्र की कितनी रक्अ़तें हैं ?

जवाब वित्र की तीन रक्अ़तें हैं। ह़ज़रते सय्यिदुना अ़ली رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ फ़रमाते हैं : ह़ुज़ूर नबिय्ये करीम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم तीन रक्आ़त वित्र अदा किया करते थे।[(1)]

इसी त़रह़ ह़ज़रते सय्यिदतुना आ़इशा सिद्दीक़ा رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا फ़रमाती हैं : ह़ुज़ूर नबिय्ये रह़मत, शफ़ीए उम्मत صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم तीन रक्आ़त वित्र पढ़ा करते थे और सलाम आख़िरी रक्आ़त में फेरते थे।[(2)]

सुवाल नमाज़े वित्र कब अदा करना अफ़्ज़ल है ?

जवाब जो सो कर उठने पर क़ादिर हो उस के लिये अफ़्ज़ल है कि रात के आख़िरी ह़िस्से में उठ कर पहले तहज्जुद अदा करे फिर वित्र।[(3)] ह़दीसे पाक में है : "जिस शख़्स को येह ख़दशा हो कि वोह रात के पिछले पहर नहीं उठ सकेगा वोह वित्र पढ़ कर सोया करे और जिस शख़्स को रात के उठने पर ए'तिमाद हो वोह रात के पिछले पहर वित्र पढ़े।"[(4)]

सुवाल नमाज़े वित्र का हुक्म क्या है ?

जवाब नमाज़े वित्र वाजिब है।[(5)] अगर येह छूट जाए तो इस की क़ज़ा लाज़िम है।[(6)] ह़ज़रते सय्यिदुना ज़ैद बिन अस्लम رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ से रिवायत है कि रसूले करीम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : "مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِہٖ فَلْیُصَلِّ اِذَا اَصْبَحَ" या'नी जिस की नमाज़े वित्र फ़ौत हो जाए वोह सुब्ह़ उस की क़ज़ा पढ़ ले।[(7)]

सुवाल वित्र में तक्बीरे क़ुनूत कहने का क्या हुक्म है ?

जवाब तीसरी रक्अ़त में क़िराअत के बा'द तक्बीरे क़ुनूत कहना वाजिब है।[(8)]

---

1 ...مسند احمد، مسند علی بن ابی طالب، 1/194، حدیث:685

2 ...مستدرک الحاکم، کتاب الوتر، 1/607-608، حدیث:1181

3 ...غنیۃ المتملی، ص403

4 ...مسلم، کتاب صلاۃ المسافرین وقصرہا، باب من خاف ان لایقوم... الخ، ص296-297، حدیث:1766

5 ...بحر الرائق، کتاب الصلاۃ، باب الوتر والنوافل، 2/66

6 ...در مختار مع رد المحتار، کتاب الصلاۃ، مطلب: فی منکر الوتر... الخ، 2/532

7 ...ترمذی، کتاب الوتر، باب ماجاء فی الرجل ینام عن الوتر او ینساہ، 2/13، حدیث:465

8 ...در مختار ورد المحتار، کتاب الصلاۃ، مطلب: فی منکر الوتر... الخ، 2/533

सुवाल जो शख़्स दुआए क़ुनूत न पढ़ सके तो वोह क्या पढ़े ?

जवाब वोह येह पढ़े : "(اَللّٰهُمَّ) رَبَّنَاۤ اٰتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَّ فِی الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۲۰۱﴾" या तीन मरतबा येह पढ़े : "اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِیْ" [1]

सुवाल अगर दुआए क़ुनूत पढ़ना भूल जाएं तो क्या करें ?

जवाब अगर दुआए क़ुनूत पढ़ना भूल गए और रुकूअ़ में चले गए तो वापस न लौटिये बल्कि सज्दए सह्व कर लीजिये ।[2]

सुवाल दुआए क़ुनूत बुलन्द आवाज़ से पढ़ी जाए या आहिस्ता ?

जवाब दुआए क़ुनूत आहिस्ता आवाज़ से पढ़े इमाम हो या मुन्फ़रिद या मुक़्तदी, अदा हो या क़ज़ा, रमज़ान में हो या और दिनों में ।[3]

सुवाल किस शख़्स को वित्र की नमाज़ में दुआए क़ुनूत पढ़ना मन्अ़ है ?

जवाब जो शख़्स वित्र की जमाअ़त में तीसरी रक्अ़त के रुकूअ़ में शामिल हुवा और इमाम के साथ क़ुनूत न पढ़ सका वोह अपनी बक़िय्या नमाज़ में भी क़ुनूत नहीं पढ़ेगा ।[4]

सुवाल मुक़्तदी की दुआए क़ुनूत ख़त्म होने से क़ब्ल इमाम रुकूअ़ में चला गया तो मुक़्तदी के लिये क्या हुक्म है ?

जवाब अगर मुक़्तदी दुआए क़ुनूत से फ़ारिग़ न हुवा था कि इमाम रुकूअ़ में चला गया तो मुक़्तदी भी इमाम की इत्तिबाअ़ करते हुए रुकूअ़ में चला जाए ।[5]

सुवाल क्या वित्र के इलावा किसी और नमाज़ में दुआए क़ुनूत पढ़ सकते हैं ?

जवाब वित्र के सिवा और किसी नमाज़ में क़ुनूत न पढ़े ।[6]

सुवाल क़ा'दए अख़ीरा के इलावा नमाज़ में कब दुरूद शरीफ़ पढ़ना मुस्तहब है ?

---

1 ... مراقی الفلاح، کتاب الصلاۃ، باب الوتر واحکامہ، ص197

2 ... فتاوی ہندیہ، کتاب الصلاۃ، الباب الثامن فی صلاۃ الوتر، 111/1

3 ... در مختار ورد المحتار، کتاب الصلاۃ، باب الوتر والنوافل، مطلب فی منکر الوتر... الخ، 536/2

4 ... فتاوی ہندیہ، کتاب الصلاۃ، الباب الثامن فی صلاۃ الوتر، 111/1

5 ... فتاوی ہندیہ، کتاب الصلاۃ، الباب الثامن فی صلاۃ الوتر، 111/1

6 ... در مختار ورد المحتار، کتاب الصلاۃ، باب الوتر والنوافل، مطلب فی القنوت للنازلۃ... الخ، 541/2

जवाब क़ा'दए अख़ीरा के इलावा नमाज़ में दुआए कुनूत के बा'द दुरूद शरीफ़ पढ़ना मुस्तहब है।[1]

सुवाल नमाज़े वित्र न पढ़ने वाले के मुतअ़ल्लिक़ क्या वईद आई है ?

जवाब हुज़ूर नबिय्ये रहमत, शफ़ीए़ उम्मत صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : वित्र ह़क़ है जो वित्र न पढ़े वोह हम में से नहीं, वित्र ह़क़ है जो वित्र न पढ़े वोह हम में से नहीं, वित्र ह़क़ है जो वित्र न पढ़े वोह हम में से नहीं।[2]

सुवाल अगर किसी शख़्स ने वित्र की निय्यत में वाजिब की निय्यत न की तो उस के वित्र अदा हो जाएंगे ?

जवाब वित्र में फ़क़त़ वित्र की निय्यत काफ़ी है, अगर्चे इस के साथ निय्यते वुजूब न हो, हां निय्यते वाजिब बेहतर है और अगर वाजिब न होने की निय्यत है तो काफ़ी नहीं।[3]

सुवाल माहे रमज़ान में वित्र की जमाअ़त तर्क करना कैसा है ?

जवाब जमाअ़ते वित्र न वाजिब न सुन्नते मुअक्कदा, इस के तर्क में कोई गुनाह नहीं।[4]

सुवाल नमाज़े वित्र की रक्अ़तों में शक हो जाए तो क्या हुक्म है ?

जवाब वित्र में शक हुवा कि दूसरी है या तीसरी तो उस में कुनूत पढ़ कर क़ा'दे के बा'द एक रक्अ़त और पढ़े और उस में भी कुनूत पढ़े और सज्दए सह्व करे।[5]

सुवाल क्या वित्र की तीनों रक्आ़त में फ़ातिह़ा के बा'द सूरत मिलाना ज़रूरी है ?

जवाब नमाज़े वित्र की तीनों रक्अ़तों में मुत़्लक़न क़िराअत फ़र्ज़ है और हर एक में फ़ातिह़ा के बा'द सूरत मिलाना वाजिब है।[6]

सुवाल नमाज़े वित्र में कौन कौन सी सूरतें पढ़ना बेहतर है ?

जवाब बेहतर येह है कि पहली में "سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى" या "اِنَّا اَنْزَلْنَا" दूसरी में "قُلْ يٰاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ"

1... बहारे शरीअ़त, 1/455, हिस्सा : 4

2... ابوداود، کتاب الوتر، باب فیمن لم یوتر، 2/89، حدیث:1419

3... درمختار مع ردالمحتار، کتاب الصلاۃ، مطلب فی منکر الوتر والسنن اوالاجماع، 2/537

4... फ़तावा रज़विय्या, 7/483

5... فتاوٰی ہندیہ، کتاب الصلاۃ، الباب الثانی عشر فی سجود السہو، 1/131

6... बहारे शरीअ़त, 1/654, हिस्सा : 4

तीसरी में "قُلْ هُوَاللّٰهُ اَحَدٌ" पढ़े और कभी कभी और सूरतें भी पढ़ ले ।[1]

सुवाल क्या रमज़ान के इलावा नमाज़े वित्र जमाअ़त के साथ पढ़ सकते हैं ?

जवाब नहीं पढ़ना चाहिये। दुर्रे मुख़्तार में है : रमज़ान शरीफ़ के इलावा और दिनों में वित्र जमाअ़त से न पढ़े और अगर तदाई के तौ़र पर हो तो मक्रूह है ।[2]

सुवाल वित्र के बा'द कितने नवाफ़िल पढ़े जाएं और उन में कौन सी सूरतें पढ़ें ?

जवाब वित्र के बा'द दो रक्अ़त नफ़्ल पढ़ना बेहतर है, इस की पहली रक्अ़त में اِذَا زُلْزِلَتْ (सूरए ज़िलज़ाल) दूसरी में قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ (सूरए काफ़िरून) पढ़ना बेहतर है। ह़दीस में है कि अगर रात में न उठा तो येह तहज्जुद के क़ाइम मक़ाम हो जाएंगे ।[3]

सुवाल तक्बीरे क़ुनूत के लिये नमाज़ी किस सूरत में हाथ न उठाए ?

जवाब वित्र की क़ज़ा में तक्बीरे क़ुनूत के लिये हाथ न उठाए जब कि लोगों के सामने पढ़ता हो कि लोग उस की तक़्सीर व कोताही पर मुत्तलअ़ होंगे ।[4]

सुवाल अगर भूल कर वित्र की पहली या दूसरी रक्अ़त में दुआ़ए क़ुनूत पढ़ ली तो क्या हुक्म है ?

जवाब भूल कर पहली या दूसरी में दुआ़ए क़ुनूत पढ़ ली तो तीसरी में फिर पढ़े येही राजेह़ है ।[5]

सुवाल इशा से पहले वित्र पढ़ लिये तो किस सूरत में हो जाएंगे ?

जवाब इशा से पहले वित्र पढ़े तो नहीं होंगे, हां अगर भूल कर वित्र पहले पढ़ लिये तो हो गए ।[6]

---

1 ... बहारे शरीअ़त, 1/654, हिस्सा : 4

2 ... درمختار، کتاب الصلاۃ، باب الوتر والنوافل، 2/604

3 ... غنیۃ المتملی، صلاۃ الوتر، ص424، بہارِ شریعت، حصہ:4، 1/658

4 ... ردالمحتار، کتاب الصلاۃ، باب الوتر والنوافل، 2/533

5 ... غنیۃ المتملی، صلاۃ الوتر، ص421

6 ... درمختار، کتاب الصلاۃ، 2/23

सबक़ नम्बर 18 जमाअ़त के साथ नमाज़ पढ़ने का बयान

कुरआने मजीद में बा जमाअ़त नमाज़ का हुक्म

पारह 1, सूरतुल बक़रह की आयत 43 में इर्शाद होता है :

وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِیْنَ (پ1،البقرۃ:43)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और रुकूअ़ करने वालों के साथ रुकूअ़ करो ।

मुफ़स्सिरे कुरआन, मुफ़्ती अह़मद यार ख़ान رَحْمَۃُ اللہِ عَلَیْہ तफ़्सीरे नईमी में इस आयत के तह़्त फ़रमाते हैं : या'नी नमाज़ अपने घरों में अकेले ही न पढ़ लिया करो बल्कि पन्जगाना जमाअ़त में शामिल हो कर नमाज़ियों के साथ अदा किया करो ताकि तुम को दीन की बरकतें और अन्वार ह़ासिल हों ।[1]

पांच नमाज़ों की जमाअ़त की अ़ज़ीमुश्शान फ़ज़ीलत

सरकारे मदीना, राह़ते क़ल्बो सीना صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : जिस ने "फ़ज्र" की नमाज़ बा जमाअ़त पढ़ी, फिर बैठ कर **अल्लाह** पाक का ज़िक्र करता रहा, यहां तक कि सूरज निकल आया उस के लिये जन्नतुल फ़िरदौस में सत्तर (70) दरजे होंगे, हर दो दरजों के दरमियान इतना फ़ासिला होगा जितना एक सधाया हुवा (या'नी Trained) तेज़ रफ़्तार उ़म्दा नस्ल का घोड़ा सत्तर (70) साल में तै करता है और जिस ने "ज़ोह्र" की नमाज़ बा जमाअ़त पढ़ी उस के लिये जन्नते अ़दन में पचास (50) दरजे होंगे, हर दो दरजों के दरमियान इतना फ़ासिला होगा जितना एक सधाया हुवा (या'नी Trained) तेज़ रफ़्तार उ़म्दा नस्ल का घोड़ा पचास (50) साल में तै करता है और जिस ने "अ़स्र" की नमाज़ बा जमाअ़त पढ़ी उस के लिये औलादे इस्माईल में से ऐसे आठ गुलाम आज़ाद करने का सवाब होगा जो बैतुल्लाह (या'नी का'बा शरीफ़) की देखभाल करने वाले हों और जिस ने "मग़रिब" की नमाज़ बा जमाअ़त पढ़ी उस के लिये ह़ज्जे मबरूर (या'नी मक़्बूल ह़ज) और मक़्बूल उ़म्रे का सवाब होगा और जिस ने "इशा" की नमाज़ बा जमाअ़त पढ़ी उस के लिये लैलतुल क़द्र में क़ियाम (या'नी इबादत) करने के बराबर सवाब होगा ।[2]

1... तफ़्सीरे नईमी, पारह : 1, अल बक़रह, तह़्तल आयह : 43, 1/292

2... شعب الایمان، باب فی الصبر علی المصائب، 7/137-138، حدیث: 9761

जमाअ़त के साथ नमाज़ पढ़ने का मत़लब

इमाम की इक्तिदा या'नी पैरवी में नमाज़ अदा करने को "जमाअ़त के साथ नमाज़ पढ़ना" कहते हैं।

जमाअ़त के साथ नमाज़ पढ़ने के मुतअ़ल्लिक़ मुख़्तलिफ़ अह़काम

(1) पांचों वक़्त की नमाज़ मस्जिद में जमाअ़त के साथ (अदा करना) वाजिब है।[1] (2) मुदरिक या'नी पूरी जमाअ़त पाने वाला वोह है जो सारी रक्अ़तें इमाम के साथ अदा करे।[2] (3) अगर इमाम के साथ अहले मह़ल्ला की जमाअ़त हो गई और कुछ लोग इत्तिफ़ाक़न या किसी सह़ीह़ मजबूरी के सबब रह गए तो उन को अज़ान देने की इजाज़त नहीं और मेह़राब में इमाम के खड़े होने की जगह उन के इमाम को खड़ा होना मक्रूह है, अज़ान दोबारा न कहें और मेह़राब से हट कर जमाअ़त करें, येही अफ़्ज़ल है।[3]

नोट : ❋ जिन्हें पहली जमाअ़त न मिल सकी, अगर जमाअ़त कर सकते हों तो तर्के जमाअ़त न करें।[4] ❋ इस ए'तिमाद पर कि हम अपनी जमाअ़त दोबारा कर लेंगे, शरई मजबूरी के बिग़ैर जमाअ़ते ऊला जान बूझ कर तर्क करना गुनाह है।[5] ❋ ऐसी जगह जमाअ़ते सानी या'नी दूसरी जमाअ़त हरगिज़ न की जाए जहां फ़ितना व नफ़रत की फ़ज़ा क़ाइम होती हो मसलन इमाम साह़िब या दीगर नमाज़ी येह समझते हुए ए'तिराज़ करते हों कि जान बूझ कर ऐसा किया जा रहा है।[6]

बा जमाअ़त नमाज़ से नेक बन्दों की मह़ब्बत

❋ ह़ज़रते अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर رَضِیَ اللہُ عَنْہ की (शरई मजबूरी से) कभी जमाअ़त निकल जाती तो दूसरी नमाज़ तक नफ़्लें पढ़ते रहते।[7] ❋ ह़ज़रते सईद बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ رَحْمَۃُ اللہِ عَلَیْہ की जमाअ़त निकल जाती तो अपनी दाढ़ी पकड़ कर रोने बैठ जाते।[8]

1... फ़तावा रज़विय्या, 7/194

2... بحر الرائق، کتاب الصلاۃ، باب الامامۃ، 1/623

3... फ़तावा रज़विय्या, 7/199 ब तग़य्युरे क़लील

4... फ़तावा रज़विय्या, 7/199 ब तग़य्युरे क़लील

5... फ़तावा रज़विय्या, 7/199 मुल्तक़त़न

6... फ़ैज़ाने नमाज़, स. 173

7... الاصابۃ، رقم:4752، عبد اللہ بن عمر، 4/160 بتقدم و تاخر

8... تاریخ ابن عساکر، رقم 2514 سعید بن عبد العزیز... الخ، 21/203

✻ ह़ज़रते मुह़म्मद बिन सिमाआ رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ की 40 साल में सिर्फ़ एक मरतबा तक्बीरे ऊला फ़ौत हुई।[1] ✻ ताबेई बुज़ुर्ग ह़ज़रते सईद बिन मुसय्यब رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ की 40 साल में एक भी जमाअ़त फ़ौत न हुई।[2] ✻ ह़ज़रते आ'मश رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ की 70 साल में कभी तक्बीरे ऊला फ़ौत नहीं हुई।[3] ✻ ह़ज़रते यह़्या बिन सईद क़त़्त़ान رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ को जमाअ़त की तलाश में कभी नहीं देखा गया (या'नी आप की जमाअ़त फ़ौत ही न होती)।[4] ✻ ह़ज़रते सुवैद बिन ग़फ़ला رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ की उ़म्र 126 साल थी लेकिन आप जमाअ़त से नमाज़ पढ़ने के लिये मस्जिद तशरीफ़ ले जाते।[5] ✻ आ'ला ह़ज़रत इमाम अह़मद रज़ा ख़ान رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ बचपन ही से नमाज़े बा जमाअ़त के पाबन्द थे, एक मरतबा पाउं का अंगूठा पक गया, डॉक्टर ने ह़रकत करने और मस्जिद जाने से मन्अ़ किया, इस के बा वुजूद आप رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ नमाज़ बा जमाअ़त ही पढ़ते रहे, चार आदमी कुरसी पर बिठा कर आप رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ को मस्जिद ले जाते।[6] ✻ बहारे शरीअ़त के मुसन्निफ़ मुफ़्ती अमजद अ़ली आ'ज़मी رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ नमाज़े बा जमाअ़त के सख़्ती से पाबन्द थे, अगर किसी वक़्त मुअज़्ज़िन वक़्त पर न पहुंचते तो अज़ान भी ख़ुद देते।[7] ✻ मुफ़स्सिरे क़ुरआन, मुफ़्ती अह़मद यार ख़ान رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ की चालीस पचास साल तक मुसल्सल तक्बीरे ऊला भी फ़ौत न हुई।[8] ✻ अमीरे अहले सुन्नत, ह़ज़रत अ़ल्लामा मौलाना मुह़म्मद इल्यास अ़त्त़ार क़ादिरी دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ फ़रमाते हैं : जमाअ़त तर्क कर देना मेरी लुग़त में ही नहीं, यहां तक कि जब मेरी वालिदा का इन्तिक़ाल हुवा तो उस वक़्त घर में दूसरा कोई मर्द न था मगर اَلْحَمْدُ لِلّٰہ ! मां की मय्यित घर छोड़ कर मस्जिद में नमाज़ पढ़ाने की सआ़दत पाई।[9]

जमाअ़त की मौला इनायत हो उल्फ़त　　करम हो पए मुस्त़फ़ा जाने रह़मत

सुवाल बा जमाअ़त नमाज़ पढ़ने का क्या सवाब है ?

1... फ़ैज़ाने नमाज़, स. 143 मुलख़्ख़सन
2... फ़ैज़ाने नमाज़, स. 496
3... फ़ैज़ाने नमाज़, स. 502
4... फ़ैज़ाने नमाज़, स. 503
5... फ़ैज़ाने नमाज़, स. 504
6... फ़ैज़ाने नमाज़, स. 553 मुलख़्ख़सन
7... तज़्किरए सदरुश्शरीअ़ह, स. 31
8... फ़ैज़ाने मुफ़्ती अह़मद यार ख़ान नईमी, स. 29
9... सुन्नते निकाह़, स. 19

जवाब **अल्लाह** पाक बा जमाअ़त नमाज़ पढ़ने वालों को मह़बूब (या'नी प्यारा) रखता है। ❋ नमाज़े बा जमाअ़त तन्हा (या'नी अकेले) पढ़ने से 27 दरजे अफ़्ज़ल है। ❋ **अल्लाह** पाक और उस के फ़िरिश्ते बा जमाअ़त नमाज़ पढ़ने वालों पर दुरूद भेजते हैं। ❋ बा जमाअ़त नमाज़ पढ़ने वाला पुल सिरात़ से बिजली की मानिन्द गुज़रेगा। ❋ बा जमाअ़त नमाज़ पढ़ने वालों की शानो शौकत देख कर अहले मह़शर रश्क करेंगे। ❋ मस्जिद की त़रफ़ जाने वाले के हर क़दम पर एक दरजा बुलन्द होता है और ❋ एक गुनाह मिटा दिया जाता है। ❋ **अल्लाह** करीम उस के लिये सुब्ह़ो शाम जन्नत में मेहमानी का एहतिमाम फ़रमाएगा।[1] ❋ अगर जमाअ़त में एक की नमाज़ क़बूल हो गई तो सब की क़बूल है।[2] ❋ जमाअ़त से आदमी को दीनी पेश्वा उ़लमा सूफ़िया का अदब सिखाया जाता है।[3] ❋ बा जमाअ़त नमाज़ पढ़ने वाले के लिये इ़ल्मे दीन ह़ासिल करने के मवाक़ेअ़ बढ़ जाते हैं। ❋ बा जमाअ़त नमाज़ पढ़ने में दुन्यवी फ़ाएदे भी हैं : मसलन

❋ जमाअ़त की बरकत से क़ौम में तन्ज़ीम (Discipline) रहती है। ❋ जमाअ़त से आपस में इत्तिफ़ाक़ बढ़ता है। ❋ क़ौम में पाबन्दिये अवक़ात की आ़दत पड़ जाती है कि सब लोग वक़्ते जमाअ़त पर दौड़ते (या'नी जल्दी जल्दी) आते हैं। ❋ जमाअ़त से मुतकब्बिरीन (या'नी मग़रूरों) का ग़ुरूर टूटता है कि यहां बादशाह को फ़क़ीर के साथ खड़ा होना पड़ता है।[4]

ख़ुदा सब नमाज़ें पढ़ूं बा जमाअ़त करम हो पए ताजदारे रिसालत

जमाअ़त के साथ नमाज़ न पढ़ने के नुक़्सानात

❋ शरई़ मजबूरी के बिग़ैर एक बार भी जमाअ़त छोड़ने वाला गुनाहगार है। ❋ जमाअ़त छोड़ने वाले पर शैत़ान ग़ालिब आ जाता है और उस पर अपना क़ब्ज़ा जमा लेता है (तजरिबे से मा'लूम है कि जमाअ़त निकल जाने की सूरत में कुछ लोग टाल मटोल करने लगते हैं, नतीजा येह होता है कि مَعَاذَ اللّٰه ! कभी उन की नमाज़ ही क़ज़ा हो जाती है)। ❋ जो तक्बीर (या'नी इक़ामत) सुन कर जमाअ़त के लिये ह़ाज़िर न हो, ह़दीसे पाक में उसे बद बख़्त, ना मुराद, ज़ालिम, अज़्लम (बहुत बड़ा ज़ालिम) और मुनाफ़िक़ फ़रमाया गया।[5] ❋ तन्हा नमाज़ पढ़ने वाला, बा जमाअ़त नमाज़ पढ़ने वाले का दरजा नहीं पा सकता ख़्वाह एक नमाज़ को 27 मरतबा ही क्यूं ना पढ़ ले।

1... फ़ैज़ाने नमाज़, स. 139
2... रसाइले नई़मिय्या, असरारुल अह़काम, स. 288
3... रसाइले नई़मिय्या, असरारुल अह़काम, स. 288
4... रसाइले नई़मिय्या, असरारुल अह़काम, स. 288 मुल्तक़त़न
5... फ़तावा रज़विय्या, 7/102 मुल्तक़त़न

नोट : नमाज़े बा जमाअ़त के फ़ज़ाइल और इस बारे में तफ़्सीली अह़काम जानने के लिये शैख़े त़रीक़त अमीरे अहले सुन्नत ह़ज़रत अ़ल्लामा मौलाना मुह़म्मद इल्यास अ़त्त़ार क़ादिरी रज़वी دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه की किताब "फ़ैज़ाने नमाज़" सफ़ह़ा 137 ता 230 और "बहारे शरीअ़त" जिल्द अव्वल, सफ़ह़ा 574 ता 594 पढ़िये।

सबक़ नम्बर 19 पहली सफ़ में नमाज़ पढ़ने का बयान

पारह 14, सूरतुल ह़िज्र, आयत : 24 में है :

وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنْكُمْ وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَاْخِرِيْنَ ﴿۲۴﴾ (پ14،الحجر:24)

तजरमए कन्ज़ुल ईमान : और बेशक हमें मा'लूम हैं जो तुम में आगे बढ़े और बेशक हमें मा'लूम हैं जो तुम में पीछे रहे।

ह़ज़रते इब्ने अ़ब्बास رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا से रिवायत है, नबिय्ये करीम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने "पहली सफ़" के फ़ज़ाइल बयान फ़रमाए तो सह़ाबए किराम عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان सफ़े अव्वल ह़ासिल करने में निहायत कोशिश करने लगे और उन का इज़्दिह़ाम (हुजूम) होने लगा और जिन ह़ज़रात के मकान मस्जिद शरीफ़ से दूर थे वोह अपने मकान बेच कर क़रीब ख़रीदने पर आमादा हो गए ताकि सफ़े अव्वल में जगह मिलने से कभी मह़रूम न हों। इस पर येह आयते करीमा नाज़िल हुई और उन्हें तसल्ली दी गई कि सवाब निय्यतों पर है और **अल्लाह** पाक अगलों को भी जानता है और जो मजबूरी से पीछे रह गए हैं उन को भी जानता है और उन की निय्यतों से भी ख़बरदार है और उस पर कुछ मख़्फ़ी नहीं।[1]

सुवाल पहली सफ़ में नमाज़ पढ़ने के बारे में ह़दीसे पाक में क्या इर्शाद फ़रमाया गया ?

जवाब ह़ज़रते अबू हुरैरा رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ से रिवायत है, रसूले अकरम, नूरे मुजस्सम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : अगर लोगों को मा'लूम हो जाए कि अज़ान देने और पहली सफ़ में बैठने का कितना अज्र है और उन्हें क़ुरआ अन्दाज़ी करने के सिवा इन कामों का मौक़अ़ न मिले तो वोह ज़रूर क़ुरआ अन्दाज़ी करेंगे।[2]

सुवाल पहली सफ़ का क्या मत़लब है ?

1... तफ़्सीरे ख़ज़ाइनुल इरफ़ान, पारह : 14, अल ह़िज्र, तह़्तल आयह : 24 ब तग़य्युरे क़लील

2... بخاری، کتاب الشہادات، باب القرعۃ فی المشکلات، 2/208، حدیث:2689

जवाब इमाम से मिली हुई सफ़ पहली सफ़ है। इस से मस्जिद की पहली सफ़ मुराद नहीं।

पहली सफ़ में नमाज़ पढ़ने के मुतअ़ल्लिक़ मुख़्तलिफ़ अह़काम

सुवाल पहली सफ़ में नमाज़ पढ़ने के मुतअ़ल्लिक़ कुछ अह़काम बताइये।

जवाब (1) आ़म नमाज़ में पहली सफ़ अफ़्ज़ल है और नमाज़े जनाज़ा में आख़िरी सफ़ अफ़्ज़ल है।[1] (2) जब तक पहली सफ़ दोनों कोनों तक पूरी न हो जाए, जान बूझ कर पीछे नमाज़ शुरूअ़ कर देना ना जाइज़ और गुनाह है।[2] (3) पहली सफ़ में जगह बाक़ी है और लोगों ने दूसरी सफ़ बना ली, अब जो शख़्स आया उसे इजाज़त है कि दूसरी सफ़ को चीर कर जाए और पहली सफ़ की ख़ाली जगह पुर करे।[3]

पहली सफ़ में नमाज़ पढ़ने के फ़ाएदे और सवाबात

सुवाल पहली सफ़ नमाज़ पढ़ने के फ़ाएदे बयान करें।

जवाब ❋ पहली सफ़ फ़िरिश्तों की सफ़ की मिस्ल है।[4] ❋ **अल्लाह** पाक और फ़िरिश्ते सफ़े अव्वल पर दुरूद भेजते हैं।[5] ❋ रसूले करीम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم सफ़े अव्वल के लिये तीन बार दुआ़ए मग़्फ़िरत करते।[6] ❋ रह़मते इलाही पहले इमाम पर उतरती है फिर सफ़े अव्वल में उस पर जो इमाम के बिल्कुल पीछे हो, फिर सफ़े अव्वल में सीधी जानिब के लोगों पर, फिर उलटी जानिब के लोगों पर।[7] ❋ पहली सफ़ पाने के ह़रीस हो जाइये, اِنْ شَآءَ اللّٰه ! इस की बरकत से तर्के जमाअ़त के गुनाह से बच जाएंगे।

1... फ़तावा रज़विय्या, 9/204 ब तग़य्युरे क़लील
2... फ़तावा रज़विय्या, 7/220 मफ़्हूमन
3... फ़तावा रज़विय्या, 7/220 मुलख़्ख़सन

4... ابوداود، کتاب الصلاۃ، باب فی فضل صلاۃ الجماعۃ، 1/230، حدیث:554
5... معجم اوسط، 6/115، حدیث:8198
6... معجم اوسط، 6/294، حدیث:8819

7... फ़तावा रज़विय्या, 5/424 ब तग़य्युरे क़लील

सफ़े अव्वल से ग़फ़्लत बरत्ने का नुक़्सान

सुवाल सफ़े अव्वल से ग़फ़्लत बरत्ने का क्या नुक़्सान है ?

जवाब ❋ सफ़े अव्वल से ग़फ़्लत बरत्ना ज़िक्र किये गए सवाबात से महरूमी का सबब है। ❋ पहली सफ़ से ग़फ़्लत करने वाला नेकियों का हरीस नहीं। ❋ हदीसे पाक में है : हमेशा सफ़े अव्वल से लोग पीछे होते रहेंगे यहां तक कि **अल्लाह** पाक उन्हें (अपनी रहमत से) दूर कर के जहन्नम में डाल देगा।[1] मश्हूर मुफ़स्सिरे कुरआन मुफ़्ती अहमद यार ख़ान رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه इस हदीसे पाक की शर्ह में फ़रमाते हैं : या'नी सुस्ती की वज्ह से सफ़े अव्वल में आने में तअम्मुल (या'नी टाल मटोल) करेंगे या सफ़े अव्वल में जगह होते हुए पीछे खड़े होंगे तो वोह दीन के सारे कामों में सुस्त हो जाएंगे और बुराइयों पर दिलेर हो जाएंगे जिस का नतीजा येह होगा कि जहन्नम में जाएंगे और वहां देर तक रहेंगे।[2]

मदनी मश्वरा : पहली सफ़ की फ़ज़ीलत और इस बारे में तफ़्सीली मा'लूमात के लिये शैख़े तरीक़त, अमीरे अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुहम्मद इल्यास अत्तार क़ादिरी دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه की किताब "फ़ैज़ाने नमाज़" सफ़्हा 193 ता 221 पढ़िये।

सबक़ नम्बर 20 सफ़ें दुरुस्त करने का बयान

अल्लाह पाक ने कुरआने मजीद में सफ़ बांधने वालों की क़सम याद फ़रमाई, इर्शाद होता है :

وَ الصّٰٓفّٰتِ صَفًّا ۙ﴿۱﴾ (پ23،الصّٰفّٰت:1)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : क़सम उन की, कि बा क़ाइदा सफ़ बांधें।

"तफ़्सीरे मावरदी" में है : यहां सफ़ बांधने वालों से मुराद फ़िरिश्ते हैं या मुसल्मान कि सफ़ बांध कर नमाज़ पढ़ते हैं या मुजाहिदीन जो सफ़ बांध कर जिहाद करते हैं।[3] यहां सफ़ बांधने वालों की क़सम इर्शाद फ़रमाने से मा'लूम हुवा कि सफ़ बांधना बहुत अहम्मिय्यत और फ़ज़ीलत का बाइस है।[4]

1... ابوداود،کتاب الصلاۃ،باب صف النساء...الخ،1/269،حدیث:679

2... मिरआतुल मनाजीह, 2/186

3... تفسیر ماوردی،پ23،الصافات،تحت الآیۃ:1، 5/36

4... तफ़्सीरे सिरातुल जिनान, पारह : 23, अस्साफ़्फ़ात, तहतल आयह : 1, 8/288

सुवाल हदीसे पाक में नमाज़ का हुस्न किस को कहा गया ?

जवाब नमाज़ में सफ़ बांधने के बारे में हज़रते सय्यिदुना अबू हुरैरा رَضِیَ اللہُ عَنْہ से रिवायत है, मालिके जन्नत, रसूले रहमत صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : (ऐ लोगो !) नमाज़ में सफ़ को क़ाइम करो क्यूं कि सफ़ को क़ाइम करना नमाज़ के हुस्न में से है।[1]

सुवाल सफ़ें दुरुस्त करने का क्या मत़लब है ?

जवाब सफ़ के वाजिबात पूरे करना (सफ़ सीधी रखना, पूरी करना और ख़ूब मिले मिले खड़े होना) सफ़ दुरुस्त करना है।

सफ़ें दुरुस्त करने के मुतअ़ल्लिक़ मुख़्तलिफ़ अह़काम

सुवाल सफ़ें दुरुस्त करने के मुतअ़ल्लिक़ चन्द अह़काम बयान कीजिये।

जवाब (1) : नमाज़ में सफ़ से मुतअ़ल्लिक़ तीन बातें वाजिब हैं ❋ तस्वियए सफ़ : सफ़ सीधी करना या'नी तमाम सफ़ वालों का अपनी गरदनें, कन्धे और टख़्ने एक सीध में रखना (गरदनों का क़ुदरती त़ौर पर ऊंचा नीचा होना मुआ़फ़ है कि बा'ज़ लम्बे और बा'ज़ पस्ता क़द होते हैं)।[2] ❋ इत्मामे सफ़ : सफ़ पूरी करना कि जब तक अगली सफ़ पूरी न हो, दूसरी सफ़ शुरूअ़ न करें। ❋ तुरास्से सफ़ : ख़ूब मिल कर खड़ा होना कि कन्धे से कन्धा मस (Touch) हो।[3] (2) : सुन्नत येह है कि इमाम पहले सफ़ें सीधी करवाए फिर तक्बीरे तह़रीमा कहे।[4]

सफ़ें दुरुस्त करने के फ़ाएदे और सवाबात

सुवाल सफ़ें दुरुस्त करने के फ़ाएदे और सवाबात बताइये।

जवाब ❋ सफ़ सीधी रखना नमाज़ का हुस्न है।[5] ❋ अगली सफ़ों से मिलने वालों पर **अल्लाह**

1... بخاری،کتاب الاذان،باب اقامۃ الصف من تمام الصلاۃ،1/257،حدیث:722

2... मिरआतुल मनाजीह़, 2/185

3... फ़तावा रज़विय्या, 7/219, 222

4... मिरआतुल मनाजीह़, 2/187

5... بخاری،کتاب الاذان،باب اقامۃ الصف من تمام الصلاۃ،1/257،حدیث:722

पाक और फ़िरिश्ते दुरूद भेजते हैं।[1] ❁ सफ़ पूरी करने के लिये उठने वाले क़दम **अल्लाह** पाक को महबूब (प्यारे) हैं।[2] ❁ सफ़ पूरी करना मग़्फ़िरत पाने, जन्नत हासिल करने और दरजात की बुलन्दी का सबब है। दो फ़रामीने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم : ❁ जो सफ़ की ख़ाली जगह पुर करे, उस की मग़्फ़िरत हो जाएगी।[3] ❁ जो सफ़ की ख़ाली जगह पुर करे, **अल्लाह** पाक उस का एक दरजा बुलन्द फ़रमाएगा और उस के लिये जन्नत में एक घर बनाएगा।[4] ❁ सफ़ मिलाने से ज़ियादा नेकियों की तौफ़ीक़ मिलती है, हदीसे पाक : "जो सफ़ मिलाए **अल्लाह** पाक उसे मिलाए" इस के तहत फ़ैज़ुल क़दीर में है : या'नी **अल्लाह** पाक उस की नेकी में इज़ाफ़ा फ़रमाता और उसे अपनी रहमत में दाख़िल फ़रमाता है।[5] ❁ सफ़ पूरी करना वस्वसों से बचाता है।[6] ❁ सफ़ सीधी करना दिलों को सीधा रखता है।[7] ❁ सफ़ में मिल कर खड़े होने से दिल मिलते, इत्तिहाद बढ़ता और शैतान से हिफ़ाज़त मिलती है।

सफ़ें दुरुस्त न करने के नुक़्सानात

सुवाल सफ़ें दुरुस्त न करने के नुक़्सानात क्या हैं ?

जवाब ❁ सफ़ें दुरुस्त न करना तर्के वाजिब, ना जाइज़ और गुनाह है।[8] ❁ सफ़ दुरुस्त न करने से नमाज़ नाक़िस रह जाती है।[9] ❁ सफ़ दुरुस्त न करना नमाज़ में वस्वसे आने का सबब है, हदीसे पाक में है : कुशादगी भरो ! क्यूं कि शैतान तुम्हारे दरमियान भेड़िये के बच्चे की तरह घुस जाता है।[10] ❁ सफ़ सीधी न करने में चेहरा बिगड़ने का अन्देशा है, हज़रते सय्यिदुना अबू उमामा رَضِیَ اللهُ عَنْهُ से रिवायत है, रसूले करीम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : ज़रूर तुम सफ़ें सीधी करोगे या तुम्हारी शक्लें बिगाड़ दी

1 ... ابوداود، کتاب الصلاۃ، باب فی الصلاۃ تقام ولم یأت الامام... الخ، 1/227، حدیث:543
2 ... ابوداود، کتاب الصلاۃ، باب فی الصلاۃ تقام ولم یأت الامام... الخ، 1/227، حدیث:543
3 ... مسند بزار، مسند ابی جحیفہ، 10/159-160، حدیث:4232
4 ... معجم اوسط، 4/225، حدیث:5797
5 ... فیض القدیر، 6/306، تحت الحدیث:9076
6 ... لوافح الانوار القدسیہ فی بیان العہود المحمدیہ، ص72 ماخوذا
7 ... معجم اوسط، 4/35، حدیث:5121
8 ... عمدۃ القاری، کتاب الاذان، باب تسویۃ الصفوف... الخ، 4/354، تحت الحدیث:718 ماخوذا
9 ... मिरआतुल मनाजीह, 2/183 मुलख़्ख़सन
10 ... مسند احمد، مسند ابی امامۃ الباہلی، 8/295، حدیث:22326

जाएंगी या आंखें उचक ली जाएंगी।[1] ❋ सफ़ें दुरुस्त न करना रह़मत से दूरी का सबब है, ह़दीसे पाक : जो सफ़ तोड़े **अल्लाह** पाक उसे तोड़े, इस के तह़्त फ़ैज़ुल क़दीर में है : या'नी **अल्लाह** पाक उसे सवाब और रह़मत से दूर कर देता है या उसे मज़ीद नेकी की तौफ़ीक़ नहीं मिलती।[2] ❋ सफ़ टेढ़ी होने से दिल टेढ़े होते, इख़्तिलाफ़ बढ़ता और लड़ाई झगड़े पैदा होते हैं। दो फ़रामीने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم : ❋ सीधे रहो अलग अलग न रहो वरना तुम्हारे दिल अलग हो जाएंगे।[3] ❋ **अल्लाह** के बन्दो ! अपनी सफ़ें सीधी करो ! वरना **अल्लाह** पाक तुम्हारे दरमियान इख़्तिलाफ़ डाल देगा।[4]

सुतूनों के दरमियान सफ़ बनाना

सुवाल बा'ज़ जगह मस्जिद की एक सफ़ के दरमियान दो सुतून आते हैं जिस की वज्ह से क़त्ए़ सफ़ लाज़िम आता है। ऐसी सफ़ में नमाज़ियों का सफ़ बनाना कैसा ?

जवाब बिला ज़रूरत सुतूनों के दरमियान सफ़ बनाना मक्रूह व ना जाइज़ है कि इस से क़त्ए़ सफ़ लाज़िम आता है जो कि ना जाइज़ है। हां अगर कोई उ़ज़्र हो कि नमाज़ियों की कसरत की वज्ह से जगह तंग हो या बाहर बारिश हो तो सुतूनों के दरमियान खड़े हो सकते हैं।[5]

बच्चों को सफ़ में कहां खड़ा करें ?

सुवाल बच्चों को मस्जिद की सफ़ में खड़ा नहीं किया जाता इस का शरई़ मस्अला क्या है ?

जवाब वोह बच्चे जो अ़क़्लमन्द और नमाज़ की समझ बूझ रखते हैं ऐसे बच्चों के मुतअ़ल्लिक़ शरई़ हुक्म येह है कि इन की सफ़ मर्दों की सफ़ के बा'द अ़लाह़दा से बनाई जाए। हां अगर बच्चा सिर्फ़ एक है तो उस के लिये अलग से सफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि वोह मर्दों की सफ़ में भी खड़ा हो सकता है, चाहे सफ़ के दरमियान में खड़ा हो या कोने में, दोनों में कोई ह़रज नहीं। और वोह बच्चे जो

1... مسند احمد، مسند ابی امامۃ الباہلی، 8/288، حدیث:22288
2... فیض القدیر، 6/306، تحت الحدیث:9076
3... مسلم، کتاب الصلاۃ، باب تسویۃ الصفوف واقامتھا...الخ، ص182، حدیث:972
4... مسلم، کتاب الصلاۃ، باب تسویۃ الصفوف واقامتھا...الخ، ص183، حدیث:979
5... मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 44

इतने छोटे हैं कि उन को नमाज़ की भी समझ बूझ नहीं तो उन को सफ़ में खड़ा नहीं कर सकते, चाहे एक हो या ज़ियादा क्यूं कि ऐसे बच्चों की नमाज़ ही मो'तबर नहीं और सफ़ में जहां ऐसा बच्चा खड़ा होगा गोया वहां से सफ़ ख़ाली रहेगी और येह शर्अ़न मम्नूअ़ व ना जाइज़ है।

नोट : येह भी वाज़ेह़ रहे कि ऐसे छोटे बच्चे जो नमाज़ की समझ बूझ नहीं रखते, मस्जिद में आ कर उलटी सीधी ह़रकतें करते, भागते दौड़ते और शोर मचाते हैं उन को मस्जिद में लाने की भी शर्अ़न इजाज़त नहीं। ह़दीसे पाक में हुक्म दिया गया है कि मसाजिद को बच्चों और पागलों से बचाओ।[1]

सबक़ नम्बर 21 — नमाज़ में लुक़्मा देने के मसाइल

सुवाल नमाज़ में लुक़्मा देने और इमाम को लुक़्मा लेने से मुतअ़ल्लिक़ शरीअ़त के क्या अह़काम हैं?

जवाब क़वानीने शरीअ़त के मुताबिक़ नमाज़ में अपने इमाम को लुक़्मा देना बा'ज़ सूरतों में फ़र्ज़ है, बा'ज़ सूरतों में वाजिब और बा'ज़ सूरतों में जाइज़ है। यूं ही बा'ज़ सूरतों में ह़राम है, बा'ज़ सूरतों में मक्रूह। बसा अवक़ात लुक़्मे का तअ़ल्लुक़ इमाम की क़िराअत के साथ होता है तो बसा अवक़ात इन्तिक़ालाते इमाम के साथ।

नमाज़ में लुक़्मे से मुतअ़ल्लिक़ अह़काम

(1) इमाम जब ऐसी ग़लती करे जो मूजिबे फ़सादे नमाज़ हो (वोह ग़लती जिस से नमाज़ टूट जाती हो) तो उस का बताना और इस्लाह़ करना हर मुक़्तदी पर फ़र्ज़े किफ़ाया है उन में से जो बता देगा सब पर से फ़र्ज़ उतर जाएगा और कोई न बताएगा तो जितने जानने वाले थे सब मुर्तकिबे ह़राम होंगे और सब की नमाज़ बातिल हो जाएगी क्यूं कि ग़लती जब मुफ़्सिदे नमाज़ हो तो उस की इस्लाह़ करने के बजाए ख़ामोश रहना नमाज़ को बातिल कर देगा और नमाज़ बातिल कर देना ह़राम है **अल्लाह** पाक के इस फ़रमान की वज्ह से कि "अपने आ'माल बातिल न करो।"[2]

1... मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 45
2... फ़तावा रज़विय्या, 7/280

(2) अगर ग़लत़ी ऐसी है जिस से वाजिब तर्क हो कर नमाज़ मक्रूहे तह़रीमी हो तो उस का बताना हर मुक़्तदी पर वाजिबे किफ़ाया होगा और अगर एक बता देगा और उस के बताने से कार रवाई हो जाए तो सब पर से वाजिब उतर जाएगा वरना सब गुनहगार रहेंगे।(1)

(3) मुह़ीत़ व आ़लमगीरी में है : अगर इमाम को कुछ भूल वाके़अ़ हुई और मुक़्तदी ने लुक़्मा देते हुए سُبْحٰنَ اللہ कहा तो कोई ह़रज नहीं।(2)

(4) इमाम ग़लत़ी कर के ख़ुद मुतनब्बेह (बा ख़बर) हो गया और याद नहीं आता, याद करने के लिये रुका, अगर तीन बार سُبْحٰنَ اللہ कहने की मिक़्दार रुकेगा तो नमाज़ मक्रूहे तह़रीमी हो जाएगी और सज्दए सह्व वाजिब होगा, तो इस सूरत में जब उसे रुका देखें, मुक़्तदियों पर बताना वाजिब होगा कि ख़ामोशी क़दरे ना जाइज़ तक न पहुंचे। या'नी इमाम को तीन मरतबा سُبْحٰنَ اللہ की मिक़्दार ख़ामोश रहने का मौक़अ़ न दिया जाए।(3)

(5) बा'ज़ ना वाक़िफ़ों की आ़दत होती है कि जब ग़लत़ी करते हैं याद नहीं आता तो इज़्त़िरारन उन से बा'ज़ कलिमात बे मा'ना सादिर हो जाते हैं कोई "ऊं ऊं" कहता है कोई कुछ और, इस से नमाज़ बात़िल हो जाती है। तो जिस की येह आ़दत मा'लूम है जब रुकने पर आए मुक़्तदियों पर वाजिब है कि फ़ौरन बता दें क़ब्ल इस के कि वोह अपनी आ़दत के ह़ुरूफ़ निकाल कर नमाज़ तबाह करे।(4)

(6) इमाम तरावीह़ में अटके और आगे न पढ़ पाए या ऐसा हो कि रवानी में पढ़ते हुए कोई आयत या आयत का ह़िस्सा छोड़ कर बिग़ैर रुके या अटके आगे निकल जाए और ना जाइज़ मिक़्दार तक ख़ामोश रहना भी न पाया जाए, न ही मा'ना फ़ासिद होते हों तब भी मुक़्तदी को बताना चाहिये क्यूं कि इमाम के न ठहरने का फ़सादे मा'ना न होने के सबब अगर्चे नमाज़ पर असर नहीं पड़ेगा लेकिन चूंकि तरावीह़ में पूरे क़ुरआने अ़ज़ीम का ख़त्म करना मक़्सूद होता है और कुछ ह़िस्सा रह जाने से येह मक़्सूद पूरा नहीं होगा। चुनान्चे इमामे अहले सुन्नत رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ फ़तावा रज़विय्या शरीफ़ में फ़रमाते हैं :

तरावीह़ में ख़त्मे क़ुरआने अ़ज़ीम हो तो मुक़्तदी को बताना चाहे जब कि इमाम से न निकले या वोह आगे रवां हो जाए अगर्चे उस ग़लत़ी से नमाज़ में कुछ ख़राबी न हो कि मक़्सूद ख़त्मे किताबे अ़ज़ीज़ है और वोह किसी ग़लत़ी के साथ पूरा न होगा।(5)

1... फ़तावा रज़विय्या, 7/280

2... عالمگیری، کتاب الصلوۃ، باب فیما یفسد الصلوۃ وما یکرہ فیہا 1/ 99

3... फ़तावा रज़विय्या, 7/281 माख़ूज़न

4... फ़तावा रज़विय्या, 7/281

5... फ़तावा रज़विय्या, 7/282

(7) बालिग़ मुक़्तदियों की त़रह़ तमीज़ दार बच्चा भी लुक़्मा दे सकता है।[1] जब कि नमाज़ आती हो।

(8) जिसे सामेअ़ मुक़र्रर किया गया उस के इ़लावा दूसरा मुक़्तदी भी लुक़्मा दे सकता है जैसा कि इमामे अहले सुन्नत इमाम अह़मद रज़ा ख़ान رَحۡمَۃُاللّٰہِ عَلَیۡہ फ़तावा रज़विय्या शरीफ़ में इर्शाद फ़रमाते हैं : क़ौम का किसी को सामेअ़ मुक़र्रर कर देने के येह मा'ना नहीं होते कि उस के ग़ैर को बताने की इजाज़त नहीं और अगर कोई अपने जाहिलाना ख़यालात से येह क़स्द करे भी तो उस की मुमानअ़त से वोह ह़क़ कि शर्ए़ मुत़ह्हरा ने आ़म मुक़्तदियों को दिया क्यूंकर सल्ब (ख़त्म) हो सकता है।[2]

(9) जो शख़्स भी लुक़्मा दे उस को चाहिये कि लुक़्मा देते वक़्त वोह क़िराअत की निय्यत न करे बल्कि लुक़्मा देने की निय्यत से वोह अल्फ़ाज़ कहे जैसा कि फ़तावा आ़लमगीरी में है : लुक़्मा देने वाला क़िराअत की निय्यत न करे बल्कि लुक़्मा देने की निय्यत से वोह अल्फ़ाज़ कहे।

(10) देखा गया है कि एक तरावीह़ पढ़ाने वाले के पीछे कई कई ह़ाफ़िज़ खड़े लुक़्मे दे रहे होते हैं, उन्हें अपनी निय्यत के बारे में मोह़तात़ रहना चाहिये, अगर उन की निय्यत ह़ाफ़िज़ साह़िब को परेशान करने की हुई तो ऐसा करना ह़राम होगा। इमामे अहले सुन्नत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, इमाम अह़मद रज़ा ख़ान رَحۡمَۃُاللّٰہِ عَلَیۡہ फ़तावा रज़विय्या शरीफ़ में फ़रमाते हैं : क़ारी (पढ़ने वाले) को परेशान करने की निय्यत ह़राम है, **रसूलुल्लाह** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم इर्शाद फ़रमाते हैं : ''بَشِّرُوۡا وَ لَاتُنَفِّرُوۡا وَیَسِّرُوۡا وَلَا تُعَسِّرُوۡا'' या'नी लोगों को ख़ुश ख़बरियां सुनाओ नफ़रत न दिलाओ, आसानी पैदा करो तंगी न करो। और बेशक आज बहुत से हुफ़्फ़ाज़ का येह शेवा है, येह बताना नहीं बल्कि ह़क़ीक़तन यहूद के इस फ़े'ल में दाख़िल है :

لَا تَسۡمَعُوۡا لِهٰذَا الۡقُرۡاٰنِ وَ الۡغَوۡا فِیۡهِ
(پ24،حٰمٓ السجدہ:26)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : (काफ़िर बोले) येह क़ुरआन न सुनो और इस में बेहूदा ग़ुल (शोर) करो।[3]

(11) अपने मुक़्तदी के सिवा दूसरे का लुक़्मा लेना भी मुफ़्सिदे नमाज़ है अलबत्ता अगर उस के बताते वक़्त इसे ख़ुद याद आ गया उस के बताने से नहीं या'नी अगर वोह न बताता जब भी इसे याद आ जाता उस के बताने को दख़्ल नहीं तो इस का पढ़ना मुफ़्सिद नहीं। फ़तावा शामी में है : ऐसी सूरत में अगर इमाम को लुक़्मे की वज्ह से याद आया तो मुत़लक़न नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी ख़्वाह इमाम ने लुक़्मा ख़त्म होने से पहले तिलावत शुरूअ़ कर दी हो या लुक़्मा ख़त्म होने के बा'द शुरूअ़ की हो,

1... फ़तावा रज़विय्या, 7/284, عالمگیری، کتاب الصلوۃ، باب فیما یفسد الصلوۃ وما یکرہ فیہا، 1/99
2... फ़तावा रज़विय्या, 7/284
3... फ़तावा रज़विय्या, 7/287

तअ़ल्लुम के पाए जाने की वज्ह से और अगर इसे ख़ुद ही याद आ गया हो न कि लुक़्मे की वज्ह से या'नी अगर लुक़्मा न आता तब भी इसे याद आ जाता तो ऐसी सूरत में मुत़्लक़न नमाज़ न टूटेगी। येह बात ज़ाहिर है कि जब येह साबित हो जाए कि लुक़्मा अज़ ख़ुद आया है तो लुक़्मे का आना नमाज़ पर असर नहीं डालेगा और अज़ ख़ुद याद आने या न आने का मुआ़मला दियानत पर मौक़ूफ़ है न कि क़ज़ा पर कि ज़ाहिर पर हुक्म लगाएं ऐसा नहीं हो सकता। क्या तू नहीं देखता कि अगर कोई अपने इमाम के इ़लावा ग़ैर को तिलावत की निय्यत करते हुए लुक़्मा दे तो उस की नमाज़ फ़ासिद न होगी अगर्चे कि ज़ाहिरी ह़ालत अ़मले ता'लीम को ज़ाहिर करती है।[1]

(12) मुक़्तदी को शुबा हुवा कि इमाम कुछ छोड़ गया है मगर उसे यक़ीन ह़ासिल नहीं इस शुबे की कैफ़िय्यत में उस वक़्त लुक़्मा देना जाइज़ होगा कि जब उसे येह गुमान हो कि इमाम ने जो छोड़ा है अगर न बताया गया तो नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी तो यक़ीन न होने के बा वुजूद लुक़्मा देना जाइज़ होगा अगर फ़सादे नमाज़ का पहलू न हो तो फिर मह़ज़ शुबे पर बताना हरगिज़ जाइज़ नहीं। जैसा कि इमामे अहले सुन्नत رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ फ़तावा रज़विय्या शरीफ़ में इर्शाद फ़रमाते हैं : जब ग़लती मुफ़्सिदे नमाज़ न हो तो मह़ज़ शुबे पर बताना हरगिज़ जाइज़ नहीं बल्कि सब्र वाजिब है। आगे मज़ीद इर्शाद फ़रमाते हैं : हु़र्मत की वज्ह ज़ाहिर है कि फ़त्ह़ (लुक़्मा) ह़क़ीक़तन कलाम है और नमाज़ में कलाम ह़राम व मुफ़्सिदे नमाज़ मगर ब ज़रूरत इजाज़त हुई जब इसे ग़लती होने पर ख़ुद यक़ीन नहीं तो मुबीह़ में शक वाक़ेअ़ हुवा और मोह़रिम मौजूद है लिहाज़ा ह़राम हुवा जब इसे शुबा है मुम्किन कि इसी की ग़लती हो और ग़लत़ बताने से इस की नमाज़ जाती रहेगी और इमाम अख़्ज़ करेगा तो उस की और सब की नमाज़ फ़ासिद होगी तो ऐसे अम्र पर इक़्दाम जाइज़ नहीं हो सकता।[2]

(13) मुक़्तदी को शक हुवा कि इमाम ने कुछ छोड़ दिया है ह़ालां कि इमाम ने दुरुस्त पढ़ा था लिहाज़ा इस ने लुक़्मा दिया और इमाम ने ले लिया सब की नमाज़ जाती रही अगर इमाम ने न लिया तो सिर्फ़ लुक़्मा देने वाले की गई जैसा कि आ'ला ह़ज़रत इमाम अह़मद रज़ा ख़ान رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ फ़तावा रज़विय्या में इर्शाद फ़रमाते हैं : जब इसे शुबा हो तो मुम्किन है कि इसी की ग़लती हो और ग़लत़ बताने से इस की नमाज़ जाती रहेगी और इमाम अख़्ज़ करेगा तो उस की और सब की नमाज़ फ़ासिद होगी।

(14) तरावीह़ में सहवन ग़लत़ बताना मुफ़्सिदे नमाज़ नहीं तैसीरन येही हुक्म है।[3]

1... ردالمحتار، کتاب الصلوۃ، مطلب المواضع التی لایجب فیہا رد السلام، 2/461

2... फ़तावा रज़विय्या, 7/287

3... फ़तावा रज़विय्या, 7/285 माख़ूज़न

(15) फ़ौरन ही लुक़्मा देना मक्रूह है बल्कि थोड़ा तवक़्क़ुफ़ चाहिये कि शायद इमाम ख़ुद निकाल ले।[1] मगर जब कि उस की आ़दत इसे मा'लूम हो कि रुकता है तो बा'ज़ ऐसे हुरूफ़ निकलते हैं जिन से नमाज़ फ़ासिद हो जाती है तो फ़ौरन बताए।[2]

(16) यूं ही इमाम को मक्रूह है कि मुक़्तदियों को लुक़्मा देने पर मजबूर करे बल्कि किसी दूसरी सूरत की त़रफ़ मुन्तक़िल हो जाए या दूसरी आयत शुरूअ़ कर दे बशर्ते कि उस का वस्ल (मिलाना) मुफ़्सिदे नमाज़ न हो और अगर ब क़दरे ह़ाजत पढ़ चुका है तो रुकूअ़ करे मजबूर करने के येह मा'ना हैं कि बार बार पढ़े या साकित (ख़ामोश) खड़ा रहे। जैसा कि फ़तावा आ़लमगीरी में है : इमाम को चाहिये कि मुक़्तदी को लुक़्मा देने की त़रफ़ मजबूर न करे क्यूं कि वोह इन को अपने पीछे क़िराअत करने पर मजबूर करेगा और येह मजबूर करना मक्रूह है बल्कि उसे चाहिये कि अगर इतनी क़िराअत कर चुका था जो नमाज़ के सह़ीह़ होने के लिये काफ़ी थी तो रुकूअ़ कर ले या किसी और आयत की त़रफ़ मुन्तक़िल हो जाए और इन को मजबूर करने के मा'ना येह हैं कि वोह बार बार आयत की तक्रार करता रहा या फिर ख़ामोश खड़ा रहा।[3]

सबक़ नम्बर 22 — तरावीह़

सुवाल तरावीह़ का हुक्म बयान कीजिये।

जवाब रमज़ानुल मुबारक की ख़ुसूसी इ़बादत नमाज़े तरावीह़ है। तरावीह़ हर आ़क़िल व बालिग़ मर्द व औ़रत के लिये सुन्नते मुअक्कदा है।[4] इस का तर्क जाइज़ नहीं।[5]

तरावीह़ की रक्अ़तें

सुवाल तरावीह़ की कितनी रक्अ़तें हैं ?

जवाब ह़ज़रते अ़ब्दुल्लाह इब्ने अ़ब्बास رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡھُمَا से रिवायत है : नबिय्ये करीम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم रमज़ानुल मुबारक में 20 रक्अ़त (तरावीह़) और वित्र पढ़ा करते थे।[6] अमीरुल मुअमिनीन ह़ज़रते सय्यिदुना फ़ारूक़े आ'ज़म رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ का अपने दौरे ख़िलाफ़त में 20 रक्अ़त तरावीह़ को राइज फ़रमाना,

---

1 ...ردالمحتار، کتاب الصلوۃ، مطلب المواضع التی لایجب فیہا رد السلام، 2/462

2 ... बहारे शरीअ़त, 1/607, हि़स्सा : 3

3 ...عالمگیری، کتاب الصلوۃ، باب فیما یفسد الصلوۃ وما یکرہ فیہا، 1/99

4 ...درمختار، کتاب الصلوۃ، باب الوتر والنوافل، 2/597

5 ... बहारे शरीअ़त, 1/688, हि़स्सा : 4

6 ...مصنف ابن ابی شیبۃ، کتاب الصلوۃ، باب فی صلوۃ رمضان، 5/225، حدیث: 7774

सह़ाबा व ताबिईन, अइम्मए मुज्तहिदीन और अइम्मए मुह़द्दिसीन رِضْوَانُ اللّٰہِ عَلَیْھِمْ اَجْمَعِیْن का 20 रक्अ़त तरावीह़ पर हमेशा अ़मल करना और 20 से कम पर राज़ी न होना इस ह़दीस को तक़्वियत के आ'ला मक़ाम पर पहुंचा देता है। अ़ल्लामा अ़ली क़ारी رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ फ़रमाते हैं : सह़ाबए किराम عَلَیْھِمُ الرِّضْوَان का इस बात पर इज्माअ़ (या'नी मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला) है कि तरावीह़ की 20 रक्अ़त हैं।[1] बीस रक्अ़त तरावीह़ की ह़िक्मत येह है कि रात और दिन में कुल 20 रक्अ़त फ़र्ज़ व वाजिब हैं। 17 रक्अ़त फ़र्ज़ और तीन वित्र। लिहाज़ा रमज़ानुल मुबारक में 20 रक्अ़त तरावीह़ मुक़र्रर की गई ताकि फ़र्ज़ व वाजिब के मदारिज और बढ़ जाएं और इन की ख़ूब तक्मील हो जाए।[2]

तरावीह़ का अ़ज़ीम फ़ाएदा

सुवाल तरावीह़ का क्या फ़ाएदा है ?

जवाब तरावीह़ क़ुरआने पाक को याद रखने और इस की ह़िफ़ाज़त करने का एक बेहतरीन ज़रीआ़ है। इस के ज़रीए़ जहां क़ुरआने पाक की दोहराई हो जाती है वहां क़ुरआने पाक की ह़िफ़ाज़त का भी एहतिमाम होता है। अगर तरावीह़ न होती तो ह़िफ़्ज़े क़ुरआन का रवाज भी ख़त्म हो चुका होता।

तरावीह़ पढ़ने, पढ़ाने वाले इन बातों का लिह़ाज़ रखें

सुवाल तरावीह़ पढ़ने, पढ़ाने वाले किन बातों का ख़याल रखें ?

जवाब (1) तरावीह़ में क़ुरआने पाक पढ़ा जाता है और "क़ुरआने मजीद पढ़ा जाए उसे कान लगा कर ग़ौर से सुनना और ख़ामोश रहना फ़र्ज़ है।"[3]

(2) तरावीह़ में पूरा क़ुरआन पढ़ना और सुनना सुन्नते मुअक्कदा अ़लल किफ़ाया है लिहाज़ा अगर चन्द लोगों ने मिल कर तरावीह़ में ख़त्मे क़ुरआन का एहतिमाम कर लिया तो बक़िय्या अ़लाक़े वालों के लिये किफ़ायत करेगा।

(3) सलाम फेरने के बा'द बा'ज़ लोग सफ़ में बैठे रहते हैं, या खड़े खड़े इधर उधर देखते या पीछे जा कर बातें करने या बिला वज्ह पानी पीने वग़ैरा में मश्ग़ूल हो जाते हैं जैसे ही इमाम साह़िब रुकूअ़ में जाते हैं तो फ़ौरन आ कर निय्यत बांध लेते हैं उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिये।

1... مرقاۃ المفاتیح، 3/382، تحت الحدیث:1303

2... फ़तावा फ़ैज़ुर्रसूल, 1/380

3... फ़तावा रज़विय्या, 23/352

(4) यूं ही बा'ज़ लोग सिह़्ह़त मन्द और तन्दुरुस्त होने के बा वुजूद कुर्सियों पर बैठ कर, कुछ लोग बा'ज़ रक्अ़तें खड़े खड़े और बा'ज़ ज़मीन पर बैठे बैठे अदा करते हैं ऐसा भी नहीं करना चाहिये। बिला उ़ज़्र तरावीह़ बैठ कर पढ़ना मक्रूह है बल्कि बा'ज़ फ़ुक़हाए किराम رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام के नज़्दीक तो होती ही नहीं।

(5) कुछ लोग आठ या दस तरावीह़ पढ़ कर चले जाते हैं, इस त़रह़ अगर्चे वोह इतनी रक्अ़तों पर तो अ़मल कर बैठते हैं लेकिन चूंकि तरावीह़ की 20 रक्अ़त सुन्नते मुअक्कदा हैं इस के तर्क करने के बाइ़स गुनाहगार होते हैं। लिहाज़ा मुकम्मल 20 तरावीह़ पढ़ने की सआ़दत ह़ासिल कीजिये।

(6) रमज़ान शरीफ़ में वित्र जमाअ़त से पढ़ना अफ़्ज़ल है, मगर जिस ने इ़शा के फ़र्ज़ बिग़ैर जमाअ़त के पढ़े वोह वित्र भी तन्हा पढ़े। अलबत्ता अगर किसी ने नमाज़े इ़शा जमाअ़त से न पढ़ी और वित्र जमाअ़त के साथ पढ़ लिये तो भी उस के वित्र हो जाएंगे।

(7) इफ़्त़ार पार्टियों, दा'वतों, नियाज़ों और ना'त ख़्वानियों वग़ैरा की वज्ह से फ़र्ज़ नमाज़ों की मस्जिद की जमाअ़ते ऊला (या'नी पहली जमाअ़त) तर्क करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं, यहां तक कि जो लोग घर या हॉल या बंगले के कम्पाउन्ड वग़ैरा में तरावीह़ की जमाअ़त क़ाइम करते हैं और क़रीब मस्जिद मौजूद है तो उन पर भी वाजिब है कि पहले फ़र्ज़ रक्अ़तें जमाअ़ते ऊला के साथ मस्जिद में अदा करें।

(8) ख़त्मे क़ुरआन के बा'द रमज़ानुल मुबारक की बक़िय्या रातों में भी तरावीह़ पढ़ते रहिये। बा'ज़ लोग तीन रोज़ा, पांच रोज़ा या दस रोज़ा तरावीह़ पढ़ लेते हैं फिर इस के बा'द तरावीह़ नहीं पढ़ते और कहते सुनाई देते हैं कि हम ने तो तीन रोज़ा, पांच रोज़ा या दस रोज़ा तरावीह पढ़ ली है तो ऐसों की ख़िदमत में मदनी इल्तिजा है कि तीन रोज़ा, पांच रोज़ा या दस रोज़ा तरावीह़ पढ़ने से आप की तरावीह़ में क़ुरआने पाक पढ़ने और सुनने की सुन्नत अदा हुई है, बक़िय्या रमज़ानुल मुबारक की रातों की तरावीह़ पढ़ना मुआ़फ़ नहीं हुई।

(9) तरावीह़ पढ़ाने वाले का हिफ़्ज़े क़ुरआन पक्का होना चाहिये।

(10) बा'ज़ हुफ़्फ़ाज़ तरावीह़ की इब्तिदाई रक्अ़तों में बहुत ज़ियादा पढ़ते हैं और आख़िरी रक्अ़तों में इन्तिहाई कम। इस से भी लोग येह समझ कर कि बक़िय्या रक्अ़तें भी इतनी ही बड़ी होंगी

वोह अधूरी तरावीह़ छोड़ कर चले जाते हैं लिहाज़ा ह़ुफ़्फ़ाज़ को चाहिये कि तरावीह़ की हर रक्अ़त में एक रुकूअ़ पढ़ें, ऐसा करने से रमज़ान की सत्ताईसवीं शब में बा आसानी क़ुरआन ख़त्म हो जाएगा।

(11) तरावीह़ की नमाज़ हो या कोई और नमाज़ इस के लिये ऐसे शख़्स का इन्तिख़ाब किया जाए जो इमामत का अह्ल हो।

(12) तरावीह़ के लिये इमामत का मे'यार अच्छी और सुरीली आवाज़ नहीं बल्कि दुरुस्त क़िराअत है। हां अच्छी क़िराअत के साथ साथ आवाज़ भी अच्छी हो तो सोने पे सुहागा है, लिहाज़ा ख़ुश इल्ह़ानी देखने के साथ साथ दुरुस्त ख़्वानी भी ज़रूर देखनी चाहिये।

(13) बा'ज़ ह़ुफ़्फ़ाज़ ऐसे होते हैं जो مَعَاذَاللّٰہ दाढ़ी मुंडाते या एक मुट्ठी से कम कराते हैं उन्हें भी हरगिज़ इमाम न बनाया जाए कि उन के पीछे नमाज़ पढ़नी गुनाह और उस नमाज़ को दोबारा लौटाना वाजिब होता है।

(14) अगर शराइत़ पर पूरा उतरने वाला ह़ाफ़िज़ न मिल सके या किसी वज्ह से ख़त्म न हो सके तो तरावीह़ में कोई सी भी सूरतें पढ़ लीजिये अगर चाहें तो اَلَمْ تَرَ से وَالنَّاس दो बार पढ़ लीजिये, इस त़रह़ बीस रक्अ़तें याद रखना आसान रहेगा।

तरावीह़ के इवज़ रक़म, मिठाई, ग़ल्ले वग़ैरा का तै कर के या बिग़ैर तै किये लेनदेन

सुवाल तरावीह़ के इवज़ लेनदेन करना कैसा ?

जवाब (1) तरावीह़ की उजरत का भी लेनदेन न हो। तै करने ही को उजरत नहीं कहते बल्कि अगर यहां तरावीह़ पढ़ाने आते इसी लिये हैं कि मा'लूम है कि यहां कुछ मिलता है अगर्चे तै न हुवा हो, तो येह भी उजरत ही है। उजरत रक़म ही का नाम नहीं बल्कि कपड़े या ग़ल्ले (या'नी अनाज) वग़ैरा की सूरत में भी उजरत, उजरत ही है। हां अगर ह़ाफ़िज़ साह़िब निय्यत के साथ साफ़ साफ़ कह दें कि मैं कुछ नहीं लूंगा या पढ़वाने वाला कह दे कि कुछ नहीं दूंगा। फिर बा'द में ह़ाफ़िज़ साह़िब की ख़िदमत कर दें तो ह़रज नहीं।

(2) मस्जिद कमेटी वाले उजरत तै कर के ह़ाफ़िज़ साह़िब को माहे रमज़ानुल मुबारक में नमाज़े इशा के लिये इमामत पर रख लें और ह़ाफ़िज़ साह़िब बित्तब्अ़ या'नी साथ ही साथ तरावीह़ भी पढ़ा दिया करें क्यूं कि रमज़ानुल मुबारक में तरावीह़ भी नमाज़े इ़शा के साथ ही शामिल होती है। (पहले से मौजूद इमाम साह़िब दिल बरदाश्ता न हों इस का भी ख़याल रखा जाए, पूरे माहे रमज़ान में नमाज़े इ़शा की इमामत की छुट्टी के सबब इमाम साह़िब को मस्जिद के चन्दे से उस माह की इ़शा की नमाज़ों की तनख़्वाह दे सकते हैं क्यूं कि हमारे हां इसी त़रह़ का उ़र्फ़ या'नी मा'मूल जारी है।)

(3) यूं करें कि माहे रमज़ानुल मुबारक में रोज़ाना दो या तीन घन्टे के लिये (मसलन रात 8 ता 11) ह़ाफ़िज़ साहि़ब को नोकरी की ऑफ़र करते हुए कहें कि हम जो काम देंगे वोह करना होगा, तनख़्वाह की रक़म भी बता दें, अगर ह़ाफ़िज़ साहि़ब मन्ज़ूर फ़रमा लेंगे तो वोह मुलाज़िम हो गए। अब रोज़ाना ह़ाफ़िज़ साहि़ब की इन तीन घन्टों के अन्दर ड्यूटी लगा दें कि वोह तरावीह़ पढ़ा दिया करें।

(4) ह़ाफ़िज़ साहि़ब को मुत़ालबे के बिग़ैर अपनी मरज़ी से तै शुदा से ज़ाइद मस्जिद के चन्दे से नहीं बल्कि अपने पल्ले से या इसी मक़्सद के लिये जम्अ़ की हुई रक़म दे दें तब भी जाइज़ है। जो ह़ाफ़िज़ साहि़बान या ना'त ख़्वान बिग़ैर पैसों के तरावीह़, क़ुरआन ख़्वानी या ना'त ख़्वानी में हि़स्सा नहीं ले सकते वोह शर्म की वज्ह से ना जाइज़ काम का इरतिकाब न करें। बचना और दुआ़ए इख़्लास करते रहना ऐसे मवाक़ेअ़ पर मुफ़ीद होता है।

नमाज़े तरावीह़ की हि़फ़ाज़त की फ़िक्र कीजिये

तफ़्सीरे सिरातुल जिनान में है : फ़ी ज़माना हुफ़्फ़ाज़ का तो जो ह़ाल हो चुका है वोह तो एक त़रफ़ अ़वाम और मसाजिद की इन्तिज़ामिया का ह़ाल येह हो चुका है कि तरावीह़ के लिये उस ह़ाफ़िज़ को मुन्तख़ब करते हैं जो क़ुरआने पाक तेज़ी से पढ़े और जितना जल्दी हो सके तरावीह़ ख़त्म हो जाए और उस इमाम के पीछे तरावीह़ पढ़ने से जो तज्वीद के मुत़ाबिक़ क़ुरआन पढ़ता है इस लिये दूर भागते हैं कि येह देर में तरावीह़ ख़त्म करेगा और बा'ज़ जगह तो यूं होता है कि तरावीह़ पढ़ाने वाले को मस्जिद इन्तिज़ामिया की त़रफ़ से टाइम बता दिया जाता है कि इतने मिनट में आप को तरावीह़ ख़त्म करनी है और अगर उस वक़्त से 5 मिनट भी लेट हो जाए तो ह़ाफ़िज़ साहि़ब को सुना दिया जाता है कि ह़ज़रत आज आप ने इतने मिनट लेट कर दी आइन्दा ख़याल रखियेगा। ऐ काश कि मुसल्मान अपने वक़्त का ख़याल करने की बजाए अपनी नमाज़ की हि़फ़ाज़त की फ़िक्र करें। **अल्लाह** पाक मुसल्मानों को हिदायत अ़त़ा फ़रमाए, आमीन।[1]

मुतफ़र्रिक़ मसाइल

सुवाल बा क़ाइदा तौर पर तरावीह़ की जमाअ़त कब से शुरूअ़ हुई ?

जवाब ह़ज़रते सय्यिदुना उ़मर बिन ख़त्ताब رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ के दौरे ख़िलाफ़त में।[2]

सुवाल मौलाए काएनात शेरे ख़ुदा کَرَّمَ اللّٰہُ وَجْهَهُ الْکَرِیْم ने इस मुबारक काम पर क्या दुआ़इया कलिमात इर्शाद फ़रमाए ?

1... सिरातुल जिनान, 10/415

2... بخاری، کتاب صلاۃ التراویح، باب فضل من قام رمضان، 1/658، حدیث:2010 مفہوما

जवाब ‘‘**अल्लाह** पाक ह़ज़रते उ़मर رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ की क़ब्र को रोशन व मुनव्वर फ़रमाए जैसे उन्हों ने हमारी मस्जिदों को मुनव्वर कर दिया।’’(1)

सुवाल तरावीह़ में पूरा क़ुरआने मजीद पढ़ने या सुनने की शरई ह़ैसिय्यत क्या है ?

जवाब तरावीह़ में पूरा कलामुल्लाह शरीफ़ पढ़ना और सुनना सुन्नते मुअक्कदा है।(2)

सुवाल उन पहले ह़ाफ़िज़े क़ुरआन का नाम बताएं जिन्हों ने तरावीह़ में क़ुरआने पाक की तिलावत फ़रमाई ?

जवाब ह़ज़रते सय्यिदुना उबय बिन का'ब رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ।(3)

सुवाल क्या बालिग़ अफ़राद ना बालिग़ इमाम के पीछे तरावीह़ पढ़ सकते हैं ?

जवाब जी नहीं ! ना बालिग़ के पीछे बालिग़ अफ़राद की तरावीह़ (बल्कि कोई भी नमाज़) नहीं होगी।(4)

सुवाल तरावीह़ में “بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ” बुलन्द आवाज़ से पढ़ना चाहिये या आहिस्ता ?

जवाब तरावीह़ में “بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ” एक बार ऊंची आवाज़ से पढ़ना सुन्नत है और हर सूरह की इब्तिदा में आहिस्ता पढ़ना मुस्तह़ब है।(5)

सुवाल क्या तरावीह़ बैठ कर पढ़ सकते हैं ?

जवाब जी नहीं ! तरावीह़ बिला उ़ज़्र बैठ कर पढ़ना मक्रूहे (तन्ज़ीही) है, बल्कि बा'ज़ फ़ुक़हाए किराम عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان के नज़्दीक तो (बिला उ़ज़्र बैठ कर) तरावीह़ होती ही नहीं।(6)

सुवाल इ़शा के फ़र्ज़ों से पहले तरावीह़ अदा कर ली तो हो जाएगी ?

जवाब तरावीह़ का वक़्त इ़शा के फ़र्ज़ पढ़ने के बा'द से सुब्ह़े सादिक़ तक है। अगर इ़शा के फ़र्ज़

1... تاریخ ابن عساکر، رقم:5206، عمر بن الخطاب، 280/44

2... फ़तावा रज़विय्या, 7/458

3... بخاری، کتاب صلاۃ التراویح، باب فضل من قام رمضان، 658/1، حدیث:2010 مفہوما

4... فتاوٰی ہندیہ، کتاب الصلاۃ، الباب الخامس، 243/1

5... बहारे शरीअ़त, 1/694, ह़िस्सा : 4

6... در مختار، کتاب الصلاۃ، باب الوتر والنوافل، 603/2

अदा करने से पहले पढ़ ली तो न होगी।[1]

सुवाल क्या नमाज़े वित्र पढ़ने के बा'द तरावीह़ पढ़ी जा सकती है ?

जवाब आ़म तौ़र पर तरावीह़ वित्रों से पहले पढ़ी जाती है लेकिन अगर कोई वित्र पहले पढ़ ले तो तरावीह़ बा'द में भी पढ़ सकता है।[2]

ख़त्मे कुरआन में सूरए बक़रह की इब्तिदाई पांच आयात पढ़ने की ह़िक्मत

सुवाल ख़त्मे कुरआन में सूरए बक़रह की इब्तिदाई पांच आयात क्यूं पढ़ी जाती हैं ?

जवाब बारगाहे रिसालत में अ़र्ज़ की गई : **अल्लाह** पाक को सब से मह़बूब अ़मल क्या है ? हुज़ूर नबिय्ये करीम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : मन्ज़िल पर पहुंचना और कूच करना। अ़र्ज़ की : मन्ज़िल पर पहुंचना और कूच करना क्या है ? इर्शाद फ़रमाया : येह कि बन्दा कुरआने करीम को शुरूअ़ से आख़िर तक पढ़े और हर बार ख़त्म करते ही फिर शुरूअ़ कर दे।[3] सय्यिदी आ'ला ह़ज़रत رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : जब वोह एक पारह पढ़ चुकता है शैत़ान कहता है अब शायद रुक जाए न पढ़े। जब दूसरा पारह ख़त्म करता है तो कहता है अब शायद न पढ़े। इसी त़रह़ हर पारे पर कहता है, यहां तक कि जब तीसों पारे ख़त्म हो जाते हैं कहता है अब न पढ़ेगा अब ख़त्म कर चुका। फिर "اَلْمُفْلِحُوْن" तक पढ़ता है। कहता है : येह न मानेगा पढ़ता ही रहेगा। मायूस हो जाता है, उस की उम्मीद टूट जाती है।[4]

सुवाल एक ही ह़ाफ़िज़ साह़िब का दो मस्जिदों में तरावीह़ पढ़ाना कैसा है ?

जवाब एक इमाम दो मस्जिदों में तरावीह़ पढ़ाता है अगर दोनों में पूरी पूरी पढ़ाए तो ना जाइज़ है और अगर घर में तरावीह़ पढ़ कर मस्जिद में आया और इमामत की तो मक्रूह है।[5]

सुवाल इमाम के सलाम फेरने के बा'द रक्अ़तों की ता'दाद में शक हो जाए तो क्या हुक्म है ?

जवाब सलाम फेरने के बा'द कोई कहता है दो हुई कोई कहता है तीन तो इमाम के इ़ल्म में जो हो उस का ए'तिबार है और इमाम को किसी बात का यक़ीन न हो तो जिस को सच्चा जानता हो उस

1 ... فتاوٰی ہندیہ، کتاب الصلاۃ، الباب التاسع، فصل فی التراویح، 1/115

2 ... تنویر الابصار مع در مختار، کتاب الصلاۃ، باب الوتر والنوافل، مبحث صلاۃ التراویح، 2/597

3 ... ترمذی، کتاب القراءات، باب ماجاء انزل القرآن علی سبعۃ احرف، تابع باب:13، 4/437، حدیث:2957

4 ... मल्फ़ूज़ाते आ'ला ह़ज़रत, स. 524

5 ... فتاوٰی ہندیہ، کتاب الصلاۃ، الباب التاسع فی النوافل، فصل فی تراویح، 1/116

के क़ौल पर ए'तिबार करे। अगर इस में लोगों को शक हो कि बीस हुई या अठ्ठारह तो दो रक्अ़त तन्हा तन्हा पढ़ें।[1]

सुवाल क़ा'दे में सो गया और इमाम अगली दो रक्अ़तों के क़ा'दे में पहुंच गया तो अब क्या हुक्म है ?

जवाब क़ा'दे में मुक़्तदी सो गया, इमाम सलाम फेर कर और दो रक्अ़त पढ़ कर क़ा'दे में आया अब येह बेदार हुवा तो अगर मा'लूम हो गया तो सलाम फेर कर शामिल हो जाए और इमाम के सलाम फेरने के बा'द जल्द पूरी कर के इमाम के साथ हो जाए।[2]

सुवाल क्या मुक़्तदा (पेश्वा) शख़्स तन्हा तरावीह़ की नमाज़ पढ़ सकता है ?

जवाब जो शख़्स मुक़्तदा हो कि उस के होने से जमाअ़त बड़ी होती है और छोड़ देगा तो लोग कम हो जाएंगे उसे बिला उ़ज़्र जमाअ़त छोड़ने की इजाज़त नहीं।[3]

तरावीह़ की 20 रक्अ़त एक सलाम के साथ

सुवाल तरावीह़ की 20 रक्अ़तें एक ही सलाम के साथ पढ़ना कैसा है ?

जवाब तरावीह़ की 20 रक्अ़तें दस सलाम के साथ पढ़े या'नी हर दो रक्अ़त पर सलाम फेरे और अगर किसी ने 20 पढ़ कर आख़िर में सलाम फेरा तो अगर हर दो रक्अ़त पर क़ा'दा करता रहा तो हो जाएगी मगर कराहत के साथ और अगर क़ा'दा न किया था तो दो रक्अ़त के क़ाइम मक़ाम हुईं।[4]

सुवाल अगर तरावीह़ फ़ौत हो गई तो इस की क़ज़ा कब करे ?

जवाब तरावीह़ अगर वक़्त में न पढ़ी और फ़ौत हो गई तो इस की क़ज़ा नहीं, न जमाअ़त से न तन्हा और अगर कोई क़ज़ा कर भी लेता है तो येह जुदागाना नफ़्ल हो जाएंगे, तरावीह़ से उन का तअ़ल्लुक़ न होगा।[5]

---

1 ...فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلاۃ، الباب التاسع فی النوافل، فصل فی تراویح، 1/117

2 ...فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلاۃ، الباب التاسع فی النوافل، فصل فی تراویح، 1/119

3 ...فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلاۃ، الباب التاسع فی النوافل، فصل فی تراویح، 1/116

4 ...در مختار، کتاب الصلاۃ، باب الوتر والنوافل، 2/599

5 ...در مختار، کتاب الصلاۃ، باب الوتر والنوافل، 2/598

सुवाल नमाज़े तरावीह़ फ़ासिद हो जाने पर उस में की गई तिलावत का क्या हुक्म है ?

जवाब अगर किसी वज्ह से नमाज़े तरावीह़ फ़ासिद हो जाए तो जितना कु़रआने मजीद उन रक्अ़तों में पढ़ा है उसे दोबारा पढ़ा जाए ताकि ख़त्मे कु़रआन में कमी न रहे।(1)

हाफ़िज़ सज्दए तिलावत बताना भूल जाए तो ?

सुवाल हाफ़िज़ सज्दए तिलावत बताना भूल जाए तो क्या करे ?

जवाब कु़रआने पाक में 14 आयाते सज्दा हैं। दौराने तरावीह़ जब कोई आयते सज्दा आती है तो हुफ़्फ़ाज़े किराम पहले बता देते हैं कि फ़ुलां रक्अ़त में आयते सज्दा है। बसा अवक़ात हुफ़्फ़ाज़े किराम बताना भूल जाते हैं और नमाज़ शुरूअ़ कर देते हैं, अब जब आयते सज्दा पर पहुंचते हैं तो शशो पन्ज में पड़ जाते हैं कि अब क्या करें ? बा'ज़ हुफ़्फ़ाज़ तो आयते सज्दा पढ़ते ही नहीं रुकूअ़ में चले जाते हैं, अगर येह दूसरी रक्अ़त हो तो फ़बिहा वरना दूसरी रक्अ़त में किसी और मक़ाम से चन्द आयात पढ़ कर उसे पूरा करते हैं। कुछ हुफ़्फ़ाज़ आयते सज्दा पढ़ कर सज्दे में चले जाते हैं, मुक़्तदियों को मा'लूम न होने की वज्ह से कुछ रुकूअ़ में होते हैं तो कुछ सज्दे में, एक अ़जीब सा माह़ोल बन जाता है, हाफ़िज़ साहि़ब को भी नदामत होने लगती है। ऐसी सूरते ह़ाल में हाफ़िज़ साहि़ब को चाहिये कि वोह आयते सज्दा पढ़ कर फ़ौरन नमाज़ का रुकूअ़ कर लें और उस रुकूअ़ से सज्दए तिलावत की निय्यत हरगिज़ न करें, फिर क़ौमा के बा'द सज्दा करें और उस में सज्दए तिलावत की निय्यत करें, अब उस सज्दे से सज्दए नमाज़ भी अदा हो जाएगा और सज्दए तिलावत भी और मुक़्तदियों ने सज्दए तिलावत की निय्यत न की तो भी उन का सज्दए तिलावत अदा हो जाएगा।

सबक़ नम्बर 23 — शबीना पढ़ने के मसाइल

शबीना की शरई हैसिय्यत

सुवाल शबीना की शरई हैसिय्यत नीज़ शबीना में मुमानअ़त या कराहत किस सूरत में आएगी ?

जवाब आ'ला ह़ज़रत इमाम अह़मद रज़ा ख़ान رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : शबीना फ़ी नफ़्सिही क़त़्अ़न जाइज़ व रवा है। अकाबिर अइम्मए दीन का मा'मूल रहा है, इसे ह़राम कहना शरीअ़त पर इफ़्तिरा

(1) ... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلاۃ، الباب التاسع فی النوافل، فصل فی تراویح، 118/1

है। इमामुल अइम्मा सय्यिदुना इमामे आ'ज़म رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ने तीस बरस कामिल हर रात एक रक्अ़त में कुरआने मजीद ख़त्म किया है। उ़लमाए किराम ने फ़रमाया है : सलफ़ सालिहीन में बा'ज़ अकाबिर दिन रात में दो ख़त्म फ़रमाते बा'ज़ चार बा'ज़ आठ। इमाम अ़ब्दुल वह्हाब शा'रानी رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ की मीज़ानुश्शरीअ़ह में है : सय्यिदी अ़ली मरसफ़ी رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ ने एक रात दिन में तीन लाख साठ हज़ार ख़त्म फ़रमाए। आसार में है : अमीरुल मुअमिनीन मौला अ़ली رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ बायां पाउं रिकाब में रख कर कुरआने मजीद शुरूअ़ फ़रमाते और दह्ना पाउं रिकाब तक न पहुंचता कि कलाम शरीफ़ ख़त्म हो जाता बल्कि ख़ुद ह़दीस में इर्शाद है कि दावूद عَلَیْہِ السَّلَام अपने घोड़े की ज़ीन करने को फ़रमाते और इतनी देर से कम में ज़बूर या तौराते मुक़द्दस ख़त्म फ़रमा लेते। तौरात शरीफ़ कुरआने मजीद से ह़ज्म (या'नी ज़ख़ामत) में कई हिस्से ज़ाइद है। फ़ी नफ़्सिही येह फ़े'ल (या'नी शबीना पढ़ना) ह़सन है। कराहत या मुमानअ़त अगर आएगी तो अ़वारिज़ से और वोह यहां पांच हैं :

अव्वल : अ़दमे तफ़क्क़ोह या'नी जल्दी की वज्ह से मआ़निये कुरआने करीम में तफ़क्कुरो तदब्बुर न हो सकेगा। दुवुम : कसल। नबी صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم फ़रमाते हैं : बेशक **अल्लाह** पाक सवाब देने में कमी नहीं फ़रमाता जब तक तुम न उक्ताओ।[1] (आ'ला ह़ज़रत رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ फ़रमाते हैं :) मैं कहता हूं : येह वज्ह आ़म अ़वाम को आ़म है और अह़कामे फ़िक़्हिय्या में ग़ालिब ही का ए'तिबार होता है। मगर इस वज्ह का मफ़ाद सिर्फ़ कराहते तन्ज़ीही है और मक्रूहे तन्ज़ीही जवाज़ व इबाह़त रखता है न कि गुनाह व ह़ुर्मत। सिवुम : हज़्रमा घास काटना। बा'ज़ लोग ऐसा जल्द पढ़ते हैं عَلِیْم या حَکِیْم یَعْقِلُوْن، تَعْلَمُوْن ग़रज़ लफ़्ज़ ख़त्मे आयत के सिवा कुछ समझ में नहीं आता येह नफ़्से सुन्नत का फ़ानी (या'नी सुन्नत को मिटाने वाला) और बिद्अ़ते शनीआ़ (बुरी बिद्अ़त) और इसाअत है। चहारुम : क़िराअत के वाजिबात मसलन मद्दे मुत्तसिल वग़ैरा का तर्क करना। येह सूरत गुनाह व मक्रूहे तह़रीमी है। पन्जुम : वोह ह़ुरूफ़ जो आवाज़ में एक दूसरे के मुशाबेह हैं मसलन ث س ص، ت ط، ز ذ ظ वग़ैरहा में फ़र्क़ न करना। येह ख़ुद ह़राम व मुफ़्सिदे नमाज़ है।[2]

शबीना पढ़ना सालेह़ मुसल्मानों का दस्तूर है

सुवाल शबीना के मुतअ़ल्लिक़ मुफ़्ती अह़मद यार ख़ान رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ का क्या फ़रमान है ?

जवाब मश्हूर मुफ़स्सिर ह़कीमुल उम्मत ह़ज़रते मुफ़्ती अह़मद यार ख़ान رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ फ़रमाते हैं : हमेशा से सालेह़ मुसल्मानों का दस्तूर है कि रमज़ानुल मुबारक में शबीना करते हैं, कभी एक रात में,

1... مسلم، کتاب صلوۃ المسافرین وقصرہا، باب امر من نعس فی صلوتہ، ص308، حدیث:1833

2... फ़तावा रज़विय्या, 7/476, 480 मुलख़्ख़सन

कभी दो में और कभी तीन रातों में पूरा क़ुरआन शरीफ़ तरावीह़ में ख़त्म करते हैं। बा'ज़ बुज़ुर्गों से मन्क़ूल है कि वोह रमज़ान के इलावा भी रोज़ाना एक क़ुरआन शरीफ़ पढ़ लेते थे। येह सब कुछ जाइज़ और सवाब है, बशर्ते कि इतनी जल्दी न पढ़े कि हुरूफ़े क़ुरआन दुरुस्त अदा न हों, न सुस्ती और कसल से पढ़े।(1)

मुरव्वजा शबीना

सुवाल मुरव्वजा शबीना के बारे में सदरुश्शरीअ़ह رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه ने क्या फ़रमाया है ?

जवाब सदरुश्शरीअ़ह मुफ़्ती अमजद अ़ली आ'ज़मी رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : शबीना कि एक रात की तरावीह़ में पूरा क़ुरआन पढ़ा जाता है, जिस त़रह़ आज कल रवाज है कि कोई बैठा बातें कर रहा है, कुछ लोग लैटे हैं, कुछ लोग चाय पीने में मश्ग़ूल हैं, कुछ लोग मस्जिद के बाहर हुक़्क़ा नोशी कर रहे हैं और जब जी में आया एकआध रक्अ़त में शामिल भी हो गए येह ना जाइज़ है।(2)

सबक़ नम्बर 24 सुन्नतें और नवाफ़िल

सुवाल सब सुन्नतों में क़वी तर सुन्नत कौन सी है ?

जवाब सुन्नते फ़ज्र।(3)

सुवाल ह़दीसे पाक में फ़र्ज़ नमाज़ के बा'द सब से अफ़्ज़ल नमाज़ किसे कहा गया ?

जवाब ह़दीसे पाक में फ़र्ज़ नमाज़ के बा'द रात की नमाज़ को सब से अफ़्ज़ल कहा गया।(4)

सुवाल फ़ज्र की सुन्नतों में कौन सी सूरतें पढ़ना सुन्नत है ?

जवाब सुन्नते फ़ज्र की पहली रक्अ़त में सूरए फ़ातिह़ा के बा'द قُلْ یٰۤاَیُّهَا الْكٰفِرُوْنَ (सूरए काफ़िरून) और दूसरी में قُلْ هُوَ اللّٰهُ पढ़ना सुन्नत है।(5)

1... जाअल ह़क़, ह़िस्सए दुवुम, स. 454
2... बहारे शरीअ़त, 1/695, ह़िस्सा : 4
3... درمختار، کتاب الصلوٰۃ، باب الوتر والنوافل، 2/548
4... مسلم، کتاب الصیام، باب فضل صوم المحرم، ص456، حدیث:2755
5... مسلم، کتاب صلاۃ المسافرین وقصرھا، باب استحباب رکعتی سنۃ الفجر...الخ، ص286، حدیث:1690

सुवाल किस सूरत में ज़ोहर की दो रक्अ़त सुन्नत को ज़ोहर की चार रक्अ़त सुन्नत से पहले पढ़ना अफ़्ज़ल है ?

जवाब जब कि ज़ोहर की चार रक्अ़त सुन्नत को फ़र्ज़ से पहले न पढ़ सका हो तो इस सूरत में ज़ोहर की दो सुन्नत को ज़ोहर की चार रक्अ़त सुन्नत से पहले पढ़ना अफ़्ज़ल है ।[1]

सुवाल दिन भर में कितनी रक्अ़तें सुन्नते मुअक्कदा हैं ?

जवाब जुमुआ़ के दिन जुमुआ़ पढ़ने वाले पर सोलह रक्अ़तें और इलावा जुमुआ़ के बाक़ी दिनों में हर रोज़ बारह रक्अ़तें सुन्नते मुअक्कदा हैं : (1) दो रक्अ़त नमाज़े फ़ज्र से पहले, (2) चार ज़ोहर से पहले, दो बा'दे (ज़ोहर), (3) दो मग़रिब के बा'द, (4) दो इशा के बा'द और (5) चार जुमुआ़ से पहले, चार बा'दे (जुमुआ़) ।[2]

सुवाल सुन्नते मुअक्कदा से क्या मुराद है और इस का हुक्म क्या है ?

जवाब जिन सुन्नतों पर शरीअ़त में ताकीद आई है उन्हें सुन्नते मुअक्कदा कहते हैं, जो बिग़ैर उ़ज़्र एक बार भी तर्क करे वोह मलामत का मुस्तहि़क़ है और तर्क की आ़दत बनाए तो फ़ासिक़ है, उस की गवाही क़बूल नहीं और वोह जहन्नम का ह़क़दार है और बा'ज़ उ़लमा के नज़्दीक गुमराह और गुनहगार है, अगर्चे इस का गुनाह वाजिब के तर्क से कम है। तल्वीह़ में है कि इस का तर्क ह़राम के क़रीब है और तर्क करने वाला इस का मुस्तहि़क़ है कि مَعَاذَاللہ ! शफ़ाअ़त से मह़रूम हो जाए क्यूं कि हु़ज़ूरे अक़्दस صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : "जो मेरी सुन्नत को तर्क करेगा उसे मेरी शफ़ाअ़त न मिलेगी ।" सुन्नते मुअक्कदा को सुननुल हुदा भी कहते हैं ।[3]

सुवाल ताकीद के ए'तिबार से सुन्नते मुअक्कदा के दरजात बयान कीजिये ।

जवाब सब सुन्नतों में क़वी तर सुन्नते फ़ज्र है, यहां तक कि बा'ज़ इस को वाजिब कहते हैं। सुन्नते फ़ज्र के बा'द मग़रिब की सुन्नतों का दरजा है, फिर ज़ोहर के बा'द की, फिर इशा के बा'द की, फिर ज़ोहर से पहले की सुन्नतें हैं और ज़ियादा सह़ीह़ क़ौल के मुत़ाबिक़ सुन्नते फ़ज्र के बा'द ज़ोहर की पहली सुन्नतों का मर्तबा है कि ह़दीस में ख़ास इन के बारे में फ़रमाया कि जो इन को तर्क करेगा उसे मेरी शफ़ाअ़त न पहुंचेगी ।[4]

---

1 ... عمدۃ الرعایۃ، کتاب الصلاۃ، باب ادراک الفریضۃ، 1/214

2 ... در مختار، کتاب الصلاۃ، باب الوتر والنوافل، 2/545

3 ... बहारे शरीअ़त, 1/662, हि़स्सा : 4 माख़ूज़न

4 ... در مختار، کتاب الصلاۃ، باب الوتر والنوافل، 2/548۔ فتاوی ہندیہ، کتاب الصلاۃ، الباب التاسع فی النوافل، 1/112, बहारे शरीअ़त, 1/663, हि़स्सा : 4 मुलख़्ख़सन

सुवाल वोह कौन सी सुन्नतें हैं जिन की मशरूइय्यत का जान बूझ कर बिला शुब्हा इन्कार करना कुफ़्र है ?

जवाब फ़ज्र की सुन्नतें ।(1)

सुवाल ज़ोहर की सुन्नतें और नवाफ़िल अदा करने की क्या फ़ज़ीलत है ?

जवाब ह़दीसे पाक में है : जिस ने ज़ोहर से पहले चार और बा'द में चार (रक्अ़ात) पर मुहाफ़ज़त की **अल्लाह** करीम उसे दोज़ख़ पर ह़राम फ़रमा देगा ।(2) ह़ज़रते सय्यिदुना अ़ल्लामा इब्ने आ़बिदीन शामी قُدِّسَ سِرُّهُ السَّامِی फ़रमाते हैं : ऐसे शख़्स के लिये खुश ख़बरी है कि उस का ख़ातिमा सआ़दत पर होगा और दोज़ख़ में न जाएगा ।(3)

सुवाल वोह कौन सी नमाज़ है जो सुवारी पर पढ़ी जाए तो उस में क़िब्ले को मुंह करना शर्त़ नहीं ?

जवाब वोह नफ़्ल नमाज़ जो बैरूने शहर (जहां से मुसाफ़िर पर क़स्र वाजिब होता है) सुवारी पर अदा की जाए ।(4)

सुवाल सलातुल अव्वाबीन किसे कहते हैं ?

जवाब मग़रिब के फ़र्ज़ों के बा'द जो छे रक्अ़तें अदा की जाती हैं उन्हें सलातुल अव्वाबीन कहते हैं ।(5)

सुवाल सलातुल अव्वाबीन की फ़ज़ीलत बयान कीजिये ।

जवाब ह़ज़रते सय्यिदुना अबू हुरैरा رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ से रिवायत है कि हुज़ूर नबिय्ये पाक, साहिबे लौलाक صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : जो शख़्स मग़रिब के बा'द छे रक्अ़तें पढ़े और दरमियान में कोई बुरी बात न कहे तो येह छे रक्अ़तें 12 साल की इबादत के बराबर होंगी ।(6) और एक ह़दीस शरीफ़ में है : जो बा'दे मग़रिब छे रक्अ़तें पढ़े उस के गुनाह बख़्श दिये जाएंगे अगर्चे समुन्दर के झाग बराबर हों ।(7)

सुवाल दिन रात के नवाफ़िल में एक सलाम के साथ कितनी रक्अ़तें पढ़ी जा सकती हैं ?

1... बहारे शरीअ़त, 1/663, हिस्सा : 1

2... نسائی، کتاب قیام اللیل و تطوع النہار، باب الاختلاف علی اسماعیل بن ابی خالد، ص310، حدیث:1813

3... ردالمحتار، کتاب الصلاۃ، باب الوتر والنوافل، مطلب فی السنن والنوافل، 2/547

4... बहारे शरीअ़त, 1/671, हिस्सा : 4

5... ردالمحتار، کتاب الصلاۃ، باب الوتر والنوافل، مطلب فی السنن والنوافل، 2/547

6... ابن ماجہ، کتاب اقامۃ الصلاۃ، باب ماجاء فی الست رکعات بعد المغرب، 2/45، حدیث:1167

7... معجم اوسط، 5/255، حدیث:7245

जवाब दिन के नफ़्ल में एक सलाम के साथ चार रक्अ़त से ज़ियादा और रात में आठ रक्अ़त से ज़ियादा पढ़ना मक्रूह है और अफ़्ज़ल येह है कि दिन हो या रात हो चार चार रक्अ़त पर सलाम फेरे।[1]

सुवाल कौन सी चार रक्अ़त वाली नमाज़ की तीसरी रक्अ़त में सना और तअ़व्वुज़ पढ़ने का हुक्म है ?

जवाब फ़र्ज़ और ज़ोहर व जुमुआ़ की पहली और बा'द की चार रक्अ़त वाली सुन्नत के इलावा हर चार रक्अ़त वाली नमाज़ की तीसरी रक्अ़त में सना और तअ़व्वुज़ पढ़ने का हुक्म है।[2]

सुवाल नमाज़े चाश्त का वक़्त कब तक है और इस की कितनी रक्अ़तें हैं ?

जवाब नमाज़े चाश्त का वक़्त आफ़्ताब बुलन्द होने से ज़वाल या'नी निस्फ़ुन्नहारे शर्ई तक है, इस की कम से कम दो और ज़ियादा से ज़ियादा बारह रक्अ़तें हैं।[3]

सुवाल सलातुल्लैल किसे कहते हैं ?

जवाब नमाज़े इ़शा के बा'द जो नवाफ़िल पढ़े जाएं उन को सलातुल्लैल कहते हैं।[4]

सुवाल वोह कौन सी नफ़्ल नमाज़ है जिस के लिये सोना ज़रूरी है ?

जवाब वोह नमाज़े तहज्जुद है जो इ़शा के बा'द रात में सोने के बा'द उठ कर पढ़ी जाती है।

सुवाल सलातुत्तस्बीह़ में कौन सी तस्बीह़ पढ़ी जाती है ?

जवाब [5] سُبْحٰنَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ۔

सुवाल सलातुत्तस्बीह़ की फ़ज़ीलत बयान कीजिये।

जवाब सदरुश्शरीअ़ह मुफ़्ती अमजद अ़ली आ'ज़मी رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ फ़रमाते हैं : इस नमाज़ में बे इन्तिहा सवाब है, बा'ज़ मुहक़्क़िक़ीन फ़रमाते हैं : इस की बुज़ुर्गी सुन कर तर्क न करेगा मगर दीन में सुस्ती करने वाला। हुज़ूर ताजदारे ख़त्मे नुबुव्वत صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने ह़ज़रते सय्यिदुना अ़ब्बास رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ से

1 ... در مختار، کتاب الصلاۃ، باب الوتر والنوافل، 2/550
2 ... در مختار مع رد المحتار، کتاب الصلاۃ، باب الوتر والنوافل، 2/552
3 ... فتاوی ہندیہ، کتاب الصلاۃ، الباب التاسع فی النوافل، 1/112، بہار شریعت، حصہ:4، 1/676 ملتقطا
4 ... बहारे शरीअ़त, 1/477, हिस्सा : 4
5 ... غنیۃ المتملی، صلوۃ التسبیح، ص 431

फ़रमाया : ''ऐ चचा ! क्या मैं तुम को अ़त़ा न करूं, क्या मैं तुम को बख़्शिश न करूं, क्या मैं तुम को न दूं, तुम्हारे साथ एह़सान न करूं, दस ख़स्लतें हैं कि जब तुम करो तो **अल्लाह** पाक तुम्हारे गुनाह बख़्श देगा। अगला पिछला पुराना नया जो भूल कर किया और जो क़स्दन किया छोटा और बड़ा पोशीदा और ज़ाहिर।'' इस के बा'द सलातुत्तस्बीह़ की तरकीब ता'लीम फ़रमाई फिर फ़रमाया कि ''अगर तुम से हो सके कि हर रोज़ एक बार पढ़ो तो करो और अगर रोज़ न करो तो हर जुमुआ़ में एक बार और येह भी न करो तो हर महीने में एक बार और येह भी न करो तो साल में एक बार और येह भी न करो तो उ़म्र में एक बार ज़रूर पढ़ो।''(1)

सुवाल सलातुत्तस्बीह़ अदा करने का क्या त़रीक़ा है ?

जवाब इस नमाज़ की तरकीब येह है कि तक्बीरे तह़रीमा के बा'द सना पढ़े, फिर पन्दरह मरतबा येह तस्बीह़ पढ़े سُبْحٰنَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ, फिर सूरए फ़ातिह़ा और कोई सूरत पढ़ कर रुकूअ़ से पहले दस बार येही तस्बीह़ पढ़े फिर रुकूअ़ करे और रुकूअ़ में سُبْحٰنَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ तीन बार पढ़ कर फिर दस मरतबा येही तस्बीह़ पढ़े, फिर रुकूअ़ से सर उठाए और سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ۔ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ के बा'द फिर खड़े खड़े दस मरतबा येही तस्बीह़ पढ़े, फिर सज्दे में जाए और سُبْحٰنَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى तीन बार पढ़ कर फिर दस मरतबा येही तस्बीह़ पढ़े फिर सज्दे से सर उठाए और दोनों सज्दों के दरमियान बैठ कर दस मरतबा येही तस्बीह़ पढ़े, फिर दूसरे सज्दे में जाए और पहले की त़रह़ سُبْحٰنَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى तीन बार पढ़ कर येही तस्बीह़ दस मरतबा पढ़े, इसी त़रह़ चार रक्अ़त पढ़े और ख़याल रहे कि खड़े होने की ह़ालत में सूरए फ़ातिह़ा से पहले पन्दरह मरतबा और बाक़ी सब जगह येह तस्बीह़ दस दस बार पढ़े यूं हर रक्अ़त में 75 मरतबा तस्बीह़ पढ़ी जाएगी और चार रक्अ़तों में तस्बीह़ की गिनती तीन सो मरतबा होगी।(2)

सुवाल कब कब नवाफ़िल पढ़ना मुस्तह़ब है ?

जवाब जब तेज़ आंधी आए या दिन में सख़्त तारीकी छा जाए या रात में ख़ौफ़नाक रोशनी हो या लगातार कसरत से बारिश बरसे या ब कसरत ओले पड़ें या आस्मान सुर्ख़ हो जाए या बिज्लियां गिरें या ब कसरत तारे टूटें या त़ाऊ़न वग़ैरा वबा फैले या ज़ल्ज़ले आएं या दुश्मन का ख़ौफ़ हो या और कोई दहशत नाक अम्र पाया जाए इन सब के लिये दो रक्अ़त नमाज़ मुस्तह़ब है।(3)

---

1 ... ابن ماجہ، کتاب اقامۃ الصلاۃ، باب ماجاء فی صلاۃ التسبیح، 2/158-159 حدیث: 1387

2 ... ترمذی، کتاب الوتر، باب ماجاء فی صلاۃ التسبیح، 2/24، حدیث: 481

3 ... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلاۃ، الباب الثامن عشر فی صلاۃ الکسوف، 1/153

सुवाल कौन से अवक़ात में नवाफ़िल पढ़ना मन्अ़ है ?

जवाब बारह वक़्तों में नवाफ़िल पढ़ना मन्अ़ है : (1) तुलूए़ फ़ज्र से तुलूए़ आफ़्ताब तक (2) अपने मज़्हब (मसलन फ़िक़्हे ह़नफ़ी वालों) की जमाअ़त के लिये इक़ामत हुई तो इक़ामत से ख़त्मे जमाअ़त तक (अलबत्ता अगर नमाज़े फ़ज्र क़ाइम हो चुकी और जानता है कि सुन्नत पढ़ेगा जब भी जमाअ़त मिल जाएगी अगर्चे क़ा'दे में शिर्कत होगी तो हुक्म है कि जमाअ़त से अलग और दूर सुन्नते फ़ज्र पढ़ कर शरीके जमाअ़त हो) (3) नमाज़े अ़स्र से आफ़्ताब ज़र्द होने तक (4) ग़ुरूबे आफ़्ताब से फ़र्ज़े मग़रिब तक (5) जिस वक़्त इमाम अपनी जगह से ख़ुत़्बए जुमुआ़ के लिये खड़ा हुवा उस वक़्त से फ़र्ज़े जुमुआ़ ख़त्म होने तक (6) ऐन ख़ुत़्बे के वक़्त अगर्चे जुमुआ़ का हो या ख़ुत़्बए ईदैन या कुसूफ़ व इस्तिस्क़ा व ह़ज व निकाह़ का (7) नमाज़े ईदैन से पहले (8) नमाज़े ईदैन के बा'द जब कि ईदगाह या मस्जिद में पढ़े, घर में पढ़ना मक्रूह नहीं (9) अ़रफ़ात में जो ज़ोहर व अ़स्र मिला कर पढ़ते हैं, इन के दरमियान और बा'द में भी (10) मुज़्दलिफ़ा में जो मग़रिब व इशा जम्अ़ किये जाते हैं, फ़क़त़ इन के दरमियान, बा'द में मक्रूह नहीं (11) फ़र्ज़ का वक़्त तंग हो तो हर नमाज़ यहां तक कि सुन्नते फ़ज्र व ज़ोहर मक्रूह है (12) जिस बात से दिल बटे और दफ़्अ़ कर सकता हो उसे बे दफ़्अ़ किये हर नमाज़ मक्रूह है, कोई ऐसा अम्र दरपेश हो जिस से दिल बटे ख़ुशूअ़ में फ़र्क़ आए उन वक़्तों में भी नमाज़ पढ़ना मक्रूह है ।[1]

दो बेहतरीन ख़ूबियां

ह़ज़रते सय्यिदुना यह़्या बिन अबू कसीर رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ फ़रमाते हैं : दो चीज़ें (ख़ूबियां) जिस शख़्स में देखो तो जान लो कि इन दो के इलावा भी सारी सिफ़ात अच्छी होंगी : (1) ज़बान को क़ाबू में रखना और (2) नमाज़ की ह़िफ़ाज़त करना ।

(حسن السمت فی الصمت، ص36، رقم:80)

1 ... فتاوٰی ہندیہ، کتاب الصلاۃ، الباب الاول فی المواقیت، 1/ 52، 53-در مختار، کتاب الصلاۃ، 2/ 46-51

सबक़ नम्बर 25 सूरज गहन और चांद गहन की नमाज़

ह़दीसे पाक में गहन की नमाज़ की तरग़ीब

ह़ज़रते सय्यिदुना अबू मूसा अश्अ़री رَضِیَ اللہُ عَنْہُ से मरवी कि शहन्शाहे ख़ुश ख़िसाल, पैकरे हुस्नो जमाल صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के मुबारक ज़माने में एक मरतबा आफ़्ताब में गहन लगा, आप صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم मस्जिद में तशरीफ़ लाए और बहुत त़वील क़ियाम व रुकूअ़ व सुजूद के साथ नमाज़ पढ़ी कि मैं ने कभी ऐसा करते न देखा और येह फ़रमाया कि **अल्लाह** पाक किसी की मौत व ह़यात के सबब अपनी येह निशानियां ज़ाहिर नहीं फ़रमाता, बल्कि इन से अपने बन्दों को डराता है, लिहाज़ा जब इन में से कुछ देखो तो ज़िक्र व दुआ़ व इस्तिग़फ़ार की त़रफ़ घबरा कर उठो।(1)

सुवाल सूरज गहन की नमाज़ का हुक्म बताइये और इस की जमाअ़त की क्या शराइत़ हैं ?

जवाब सूरज गहन की नमाज़ सुन्नते मुअक्कदा है और जमाअ़त से पढ़ना मुस्तह़ब है, अगर जमाअ़त से पढ़ी जाए तो ख़ुत़्बे के सिवा तमाम शराइत़े जुमुआ़ इस के लिये शर्त़ हैं, वोही शख़्स इस की जमाअ़त क़ाइम कर सकता है जो जुमुआ़ की कर सकता है, वोह न हो तो तन्हा घर में या मस्जिद में पढ़ें।(2)

सूरज गहन की नमाज़ का वक़्त

सुवाल सूरज गहन की नमाज़ किस वक़्त पढ़ने का हुक्म है ?

जवाब गहन की नमाज़ उसी वक़्त पढ़ें जब आफ़्ताब गहना हो, गहन छूटने के बा'द नहीं और गहन छूटना शुरूअ़ हो गया मगर अभी बाक़ी है उस वक़्त भी शुरूअ़ कर सकते हैं और गहन की ह़ालत में उस पर अब्र (या'नी बादल) आ जाए जब भी नमाज़ पढ़ें। ऐसे वक़्त गहन लगा कि उस वक़्त नमाज़ मम्नूअ़ है तो नमाज़ न पढ़ें, बल्कि दुआ़ में मश्ग़ूल रहें और इसी ह़ालत में डूब जाए तो दुआ़ ख़त्म कर दें और मग़रिब की नमाज़ पढ़ें।(3)

सुवाल सूरज गहन की नमाज़ कहां पढ़ी जाए ?

---

1 ...بخاری، کتاب الکسوف، باب الذکر فی الکسوف، 1/363، حدیث:1059
2 ...در مختار مع رد المحتار، کتاب الصلوۃ، باب الکسوف، 3/77-79
3 ...جوہرۃ نیرۃ، کتاب الصلوۃ، باب الصلوۃ الکسوف، ص124

जवाब अफ़्ज़ल येह है कि ईदगाह या जामेअ़ मस्जिद में इस की जमाअ़त क़ाइम की जाए और अगर दूसरी जगह क़ाइम करें जब भी ह़रज नहीं।[(1)]

सुवाल सूरज गहन के वक़्त जनाज़ा ह़ाज़िर हो तो पहले जनाज़ा पढ़ें या सूरज ग्रहन की नमाज़ ?

जवाब सूरज गहन और जनाज़े का इज्तिमाअ़ हो तो पहले जनाज़ा पढ़े।[(2)]

हमें क्या करना चाहिये ?

जब सूरज या चांद को गहन लगे तो मुसल्मानों को चाहिये कि वोह इस नज़ारे से मह़ज़ूज़ होने (डॉक्टरों का कहना है कि ग्रहन के वक़्त सूरज को बराहे रास्त देखने से आंख की बीनाई भी जा सकती है) और तवह्हुमात का शिकार होने के बजाए बारगाहे इलाही में ह़ाज़िरी दें और गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की मुआ़फ़ी त़लब करें, उस यौमे क़ियामत को याद करें जब सूरज और चांद बे नूर हो जाएंगे और सितारे तोड़ दिये जाएंगे और पहाड़ लपेट दिये जाएंगे।[(3)]

सबक़ नम्बर 26 — मसाइले इमामत का बयान

इमामत की फ़ज़ीलतो अ़ज़मत इस से बढ़ कर क्या बयान की जाए कि येह वोह मन्सब है जिसे **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم और ख़ुलफ़ाए राशिदीन رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُم ने निभाया और इस के लिये बेहतरीन अफ़्राद को मुन्तख़ब किया। रसूले अकरम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم का फ़रमान है : रोज़े क़ियामत तीन शख़्स कस्तूरी के टीलों पर होंगे (उन में से) एक वोह शख़्स है जो क़ौम का इमाम रहा और वोह (या'नी क़ौम के लोग) उस से राज़ी थे।[(4)] एक रिवायत में है कि इमाम को इस क़दर अज्र मिलेगा जिस क़दर उस के पीछे नमाज़ अदा करने वाले सब मुक़्तदियों को मिलेगा।[(5)]

सुवाल इमाम किसे कहते हैं ?

जवाब इमाम के मा'ना हैं पेश्वा, राहबर, उम्मुन से बना, ब मा'ना क़स्द व इरादा या'नी जिस की पैरवी का लोग क़स्द करें, अब दीनी पेश्वा को कहा जाता है। (नमाज़ की) इमामत के येह मा'ना हैं कि

1... बहारे शरीअ़त, 1/788, ह़िस्सा : 4
2... बहारे शरीअ़त, 1/788, ह़िस्सा : 4
3... बद शुगूनी, स. 81
4... ترمذی، کتاب البر والصلة، باب ماجاء فی مملوک الصالح، 3/397، حدیث:1993
5... نسائی، کتاب الاذان، باب رفع الصوت بالاذان، ص112، حدیث:643

दूसरे की नमाज़ का उस की नमाज़ के साथ वाबस्ता होना।[1]

सुवाल इमामत की कितनी क़िस्में हैं ?

जवाब इमामत दो क़िस्म की है : इमामते सुग़रा या'नी नमाज़ की इमामत, इमामते कुब्रा या'नी ख़िलाफ़ते इस्लामिया, यहां इमामते सुग़रा मुराद है।[2]

सुवाल नमाज़ का इमाम कौन बन सकता है और इस की कितनी शराइत़ हैं ?

जवाब हर शख़्स इमाम नहीं बन सकता चन्द शराइत़ तो वोह हैं जिन का शर्अ़न पाया जाना लाज़िम है जब कि बहुत से औसाफ़ और कई ख़िलाफ़े मुरव्वत बातों से इज्तिनाब मन्सबे इमामत का अव्वलीन तक़ाज़ा है।

इमामत की शराइत़ येह हैं

(1) मुसल्मान होना (2) बालिग़ होना (3) आ़क़िल होना (4) मर्द होना (5) क़िराअत सह़ीह़ होना (6) शरई मा'ज़ूर न होना।[3]

सुवाल सब से ज़ियादा इमामत का ह़क़दार कौन है ?

जवाब हर जमाअ़त में सब से ज़ियादा मुस्तह़िक़्क़े इमामत वोही है जो उन सब से ज़ियादा मसाइले नमाज़ व त़हारत जानता हो अगर्चे और (दीगर) मसाइल में ब निस्बत दूसरों के कम इ़ल्म हो। मगर शर्त़ येह है कि हुरूफ़ इतने सह़ीह़ अदा करे कि नमाज़ में फ़साद न आने पाए और फ़ासिक़ व बद मज़हब न हो, जो शख़्स इन सिफ़ात का जामेअ़ हो उस की इमामत अफ़्ज़ल, अगर्चे अन्धा हो कि ज़ियादते इ़ल्म के बाइ़स कराहते नाबीनाई ज़ाइल हो जाती है।[4]

सुवाल दो शख़्स इमामत के अहल हैं तो उन में इमामत के लिये किस को तरजीह़ दी जाए ?

जवाब दो शख़्स जो जामेए़ शराइत़े इमामत, सुन्नी सह़ीह़ुल अ़क़ीदा, फ़ासिक़े मो'लिन न हों, क़ुरआने अ़ज़ीम सह़ीह़ मख़ारिज से पढ़ते हों उन दोनों में सब से मुक़द्दम वोह है जो नमाज़ व त़हारत के मसाइल का ज़ियादा इ़ल्म रखता हो। फिर अगर इस इ़ल्म में दोनों बराबर हों तो जिस की क़िराअत

1... मिरआतुल मनाजीह़, 2/196
2... मिरआतुल मनाजीह़, 2/196
3... نور الایضاح کتاب الصلوٰۃ، باب الامامۃ، ص155
4... फ़तावा रज़विय्या, 6/381

अच्छी हो। फिर जो ज़ियादा परहेज़ गार हो शुबुहात से ज़ियादा बचता हो। फिर जो उ़म्र में बड़ा हो। फिर जो ख़ुश ख़ुल्क़ हो। फिर जो तहज्जुद का ज़ियादा पाबन्द हो। यहां तक शरफ़े नसब का लिह़ाज़ नहीं। जब इन सब बातों में बराबर हों तो अब शराफ़ते नसब से तरजीह़ है।[1]

सुवाल मस्जिद का इमाम मुक़र्रर हो और उस के इ़लावा कोई उस से ज़ियादा आ़लिम या ज़ियादा इ़ल्मे तज्वीद वाला हो तो कौन इमामत का ह़क़दार है ?

जवाब इमामे मुअ़य्यन अगर जामेए़ शराइत़े इमाम है तो वोही इमामत का ह़क़दार है। अगर्चे ह़ाज़िरीन में कोई उस से ज़ियादा इ़ल्म और ज़ियादा तज्वीद वाला हो।[2]

सुवाल नमाज़ में इमाम का लम्बी क़िराअत करना और मुक़्तदियों का लम्बी क़िराअत करने पर बातें करना कैसा है ?

जवाब फ़र्ज़ नमाज़ों में क़िराअत के मुआ़मले में इमाम के लिये सुन्नत येह है कि अगर मुक़ीम होने की ह़ालत में नमाज़ का वक़्त तंग न हो और जमाअ़त में बूढ़ा, बीमार, ज़ईफ़ और ज़रूरी काम वाला कोई फ़र्द मौजूद न हो तो फ़ज्र और ज़ोहर की नमाज़ में त़िवाले मुफ़स्सल (या'नी सूरए हुजुरात से सूरए बुरूज तक), अ़स्र और इ़शा में औसात़े मुफ़स्सल (या'नी सूरए बुरूज से ले कर सूरए बय्यिनह तक) और मग़रिब में क़िसारे मुफ़स्सल (या'नी सूरए बय्यिनह से सूरए नास तक) पढ़े।

या फिर फ़ज्र और ज़ोहर की दोनों रक्अ़तों में फ़ातिह़ा के इ़लावा 40 से 50 आयात तक, अ़स्र और इ़शा में 15 से 20 आयात तक और मग़रिब में 10 आयात तक पढ़े।

और अगर नमाज़ में बूढ़ा, ज़ईफ़, बीमार और ज़रूरी काम वाला कोई फ़र्द मौजूद हो तो उन की रिआ़यत करते हुए क़िराअत में तख़्फ़ीफ़ (या'नी कमी) करे।

और इस से हट कर इमाम का क़िराअत करना बुरा और ख़िलाफ़े सुन्नत है और अगर नमाज़ियों में कोई बूढ़ा या मरीज़ या ज़रूरी काम वाला है जिस पर त़वील क़िराअत गिरां (या'नी दुश्वार) गुज़रती हो तो येह ना जाइज़ व ह़राम है।

लिहाज़ा सूरते मस्ऊला (या'नी पूछी गई सूरत) में अगर इमाम सुन्नत के मुत़ाबिक़ क़िराअत करता है तो मुक़्तदियों को इमाम के ख़िलाफ़ बातें करने की इजाज़त नहीं और अगर वोह मज़्कूरा त़रीक़े पर क़िराअत नहीं करता बल्कि उस से हट कर दीगर लम्बी सूरतें पढ़ता है तो इस सूरत में वोह क़ुसूर

1... फ़तावा रज़विय्या, 6/501 तस्हीलन

2... बहारे शरीअ़त, 1/567, हिस्सा : 3

वार है, मुक़्तदियों को चाहिये कि प्यार व महब्बत से उसे समझाएं, न येह कि उस के ख़िलाफ़ बातें करना शुरूअ़ कर दें।[1]

सुवाल आ़लिम अगर फ़ासिक़ व बद मज़्हब या दुरुस्त हुरूफ़ अदा न कर सके तो उस की इमामत का क्या हुक्म है ?

जवाब फ़ासिक़ व बद मज़्हब की इमामत बहर ह़ाल मक्रूह अगर्चे सब हाज़िरीन से ज़ियादा इल्म रखते हों। यूं ही अगर ह़र्फ़ ऐसे ग़लत़ अदा किये कि नमाज़ गई तो इमामत जाइज़ ही नहीं अगर्चे आ़लिम ही हो।[2]

सुवाल वोह बद मज़्हब जिस की बद मज़्हबी ह़द्दे कुफ़्र को पहुंच गई हो उस के पीछे नमाज़ का क्या हुक्म है ?

जवाब वोह बद मज़्हब जिस की बद मज़्हबी ह़द्दे कुफ़्र को पहुंच गई हो, जैसे राफ़िज़ी अगर्चे सिर्फ़ सिद्दीक़े अक्बर رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ की ख़िलाफ़त या सोह़बत से इन्कार करता हो, या शैख़ैन رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا की शाने अक़्दस में तबर्रा कहता हो। क़दरी, जहमी, मुशब्बा और वोह जो क़ुरआन को मख़्लूक़ बताता है और वोह जो शफ़ाअ़त या दीदारे इलाही या अ़ज़ाबे क़ब्र या किरामन कातिबीन का इन्कार करता है, इन के पीछे नमाज़ नहीं हो सकती।[3]

सुवाल हुरूफ़ को दुरुस्त अदा न करने वाले इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ने का क्या हुक्म है ?

जवाब अगर क़ुरआने मजीद ऐसा ग़लत़ पढ़ता है जिस से नमाज़ फ़ासिद होती है मसलन ا،ع या ت،ط،ث،س،ص या ح،ہ या ذ،ز،ظ،ض में फ़र्क़ नहीं करता तो उस के पीछे नमाज़ बात़िल है और इस सूरत में उस के पीछे नमाज़ न पढ़ना तर्के जमाअ़त नहीं कि वोह जमाअ़त क्या नमाज़ ही नहीं, यूंही अगर उस का वुज़ू मश्कूक रहता है जब भी उस के पीछे न पढ़ने में मुआख़ज़ा नहीं। وَاللّٰہُ اَعْلَم [4]

एक पाउं से मजबूर लंगड़े की इमामत

सुवाल ऐसा आ़लिम जो एक पाउं से लंगड़ा है, उस पाउं की एक उंगली ज़मीन पर लगा सकते है, उस की इमामत का क्या हुक्म है ?

जवाब ऐसे शख़्स की इमामत बिला शुबा जाइज़ है। फिर अगर वोह आ़लिम है तो वोही ज़ियादा मुस्तह़िक़ है। उस के होते जाहिल (ग़ैरे आ़लिम) की तक़्दीम (या'नी इमाम बनाना) हरगिज़ न चाहिये। और अगर दूसरा आ़लिम भी मौजूद है जब भी उस (लंगड़े आ़लिम) की इमामत में ह़रज नहीं मगर

1... मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 53
2... फ़तावा रज़विय्या, 6/382
3... बहारे शरीअ़त, 1/562, हिस्सा : 3
4... फ़तावा रज़विय्या, 6/543

बेहतर वोह दूसरा (आ़लिम) है। येह सब इस सूरत में (है) कि दोनों शख़्स शराइते़ सिह़्ह़त व जवाज़े इमामत के जामेअ़ हों (या'नी दोनों आ़लिमों में शराइते़ इमामत पाई जाती हों)। सह़ीह़ ख़्वां, सह़ीहु़त्त़हारह, सुन्नी सह़ीहु़ल अ़क़ीदा, ग़ैर फ़ासिक़े मो'लिन, (या'नी दुरुस्त क़िराअत करने वाला, ठीक से त़हारत करने वाला, दुरुस्त अ़क़ीदे वाला सुन्नी हो और अ़लानिया त़ौर पर गुनाहे कबीरा करने वाला न हो) वरना जो जामेए़ शराइत़ होगा वोही इमाम होगा। दुर्रे मुख़्तार में है : मुख़्तार क़ौल पर सीधा खड़े़ होने वाले की नमाज़ कुबड़े़ शख़्स के पीछे दुरुस्त है अगर्चे उस का कुबड़ा पन रुकूअ़ की ह़द तक हो। इसी त़रह़ लंगड़े़ का हु़क्म है। अलबत्ता दूसरे आदमी की इमामत अफ़्ज़ल व औला है।[1]

कानों तक हाथ न उठा सकने वाले की इमामत का हु़क्म

अगर इमाम का हाथ किसी मा'ज़ूरी की बिना पर बे ह़िस्सो ह़रकत हो गया कि तक्बीरे तह़रीमा के वक़्त कानों तक नहीं उठा सकता तो ऐसे इमाम की इमामत बिला कराहत जाइज़ है बल्कि अगर वोह क़ौम से ज़ियादा आ़लिम है तो इमामत का मुस्तह़िक़ वोही है।[2]

सुवाल इशारे से या बैठ कर नमाज़ पढ़ने वाले के पीछे नमाज़ पढ़ने का क्या हु़क्म है ?

जवाब जो रुकूअ़ व सुजूद से आ़जिज़ है या'नी वोह कि खड़े़ या बैठे रुकूअ़ व सुजूद की जगह इशारा करता हो, उस के पीछे उस की नमाज़ न होगी जो रुकूअ़ व सुजूद पर क़ादिर है और अगर बैठ कर रुकूअ़ व सुजूद कर सकता हो तो उस के पीछे खड़े़ हो कर पढ़ने वाले की हो जाएगी।[3]

चांदी की एक से ज़ाइद अंगूठी/छल्ले पहनने वाले की इमामत

सुवाल हाथ पाउं में अंगूठी छल्ले पहनना या'नी एक नग की एक अंगूठी मुवाफ़िक़े शरीअ़ते मुत़ह्हरा से ज़ाइद पहनने वाले का क्या हु़क्म है ? उस के पीछे नमाज़ पढ़ना कैसा ?

जवाब एकआध बार पहनना गुनाहे सग़ीरा और अगर पहनी और उतार डाली तो उस के पीछे नमाज़ में ह़रज नहीं। और अगर नमाज़ में पहने हो तो उसे इमाम बनाना मम्नूअ़ (ना जाइज़) और उस के पीछे

1... फ़तावा रज़विय्या, 6/554
2... फ़तावा रज़विय्या, 6/576
3... बहारे शरीअ़त, 1/573, ह़िस्सा : 3

नमाज़ मक्रूह। यूं ही जो पहना करता है उस का आ़दी है, फ़ासिक़े मो'लिन है और उस का इमाम बनाना गुनाह अगर उस वक़्त नमाज़ में न भी पहने हो।[1]

सुवाल इमाम सिर्फ़ टोपी पहन कर नमाज़ पढ़ाए तो क्या हुक्म है ?

जवाब सिर्फ़ टोपी पहन कर नमाज़ पढ़ाना जाइज़ है और मक्रूह नहीं है।[2]

सुवाल अगर इमाम दूसरी सूरत मिलाने में इतनी देर करता है कि आमीन कहने के बा'द कलिमए त़य्यिबा पढ़ लिया जाए तो इतनी देर करना जाइज़ है या नहीं ?

जवाब सूरह सोचने से इतनी देर जिस में तीन बार سُبْحٰنَ الله कह लिया जाए, तर्के वाजिब व मूजिबे सज्दए सह्व है। तो येह जिस की आ़दत है उस के पीछे नमाज़ में ज़रूर कराहत है। हां फ़ातिह़ा के बा'द इतनी देर कि दम रास्त करे (या'नी सुकून के लिये थोड़ा सांस ले), आमीन कहे, कोई सूरह इब्तिदा से पढ़नी हो तो بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم पढ़े कि येह देर भी तक़रीबन कलिमए त़य्यिबा पढ़ने के बराबर हो जाएगी, बिला शुबा मुबाह़ व सुन्नत व मुस्तह़ब है।[3]

इमाम सज्दे में सिर्फ़ एक उंगली लगाए तो इमामत का हुक्म

सुवाल इमाम सज्दे में सिर्फ़ एक उंगली ज़मीन पर लगाए तो उस की इक़्तिदा में नमाज़ दुरुस्त है ?

जवाब हिदाया में है : नमाज़ी सज्दा करते वक़्त अपने दोनों पाउं की सब उंग्लियों का रुख़ क़िब्ले की जानिब कर दे और येह बिल्कुल वाज़ेह़ मुत़ाबिक़े मुशाहदा है कि जब तक सब उंग्लियों का पेट ज़मीन से न लगा दिया जाए उस वक़्त तक उंग्लियों का रुख़ क़िब्ले की त़रफ़ न होगा। फ़तावा रज़विय्या में है : सज्दे में फ़र्ज़ है कि कम अज़ कम पाउं की एक उंगली का पेट ज़मीन पर लगा हो। और हर पाउं की अक्सर (या'नी तीन) उंग्लियों का पेट ज़मीन पर जमा होना वाजिब है। और बहारे शरीअ़त में है : सज्दे में दोनों पाउं की दसों उंग्लियों के पेट ज़मीन पर लगना सुन्नत है और हर पाउं की तीन तीन उंग्लियों के पेट ज़मीन पर लगना वाजिब और दसों का क़िब्ला रू होना सुन्नत। अब अगर इमाम साहि़ब इस मस्अले को तस्लीम कर के सज्दे में अपने हर पाउं की कम अज़ कम तीन तीन उंग्लियों का पेट ज़मीन पर जमाते रहें तो उन की इक़्तिदा में नमाज़ हो जाएगी। और अगर مَعَاذَالله इमाम साहि़ब इस

1... फ़तावा रज़विय्या, 6/601

2... फ़तावा रज़विय्या, 6/631 माख़ूज़न

3... फ़तावा रज़विय्या, 6/642

मस्अले पर अ़मल करने को तय्यार न हों तो उन की इक्तिदा में नमाज़ पढ़ना जाइज़ नहीं ।[1]

क्या इमामत की निय्यत करना ज़रूरी है ?

सुवाल क्या इमाम का मुक्तदियों की नमाज़ सहीह होने के लिये उन की इमामत की निय्यत करना ज़रूरी है ?

जवाब मुक्तदियों की नमाज़ सहीह होने के लिये उन की इमामत की निय्यत करना इमाम पर ज़रूरी नहीं । और अगर करे तो जाइज़ है, कोई ह़रज नहीं ।[2]

सुवाल एक इमाम जिन की ज़बान लक्वे के सबब मारी गई और हर्फ़ सहीह अदा नहीं होते उन के पीछे नमाज़ पढ़ना जाइज़ है या नहीं ?

जवाब जिस इमाम की ज़बान लक्वे से मारी गई है अगर पढ़ने में उन के हुरूफ़ सहीह नहीं अदा होते तो सहीह पढ़ने वालों की नमाज़ उन के पीछे नहीं होगी । ऐसे लोगों का उन के पीछे नमाज़ पढ़ना जाइज़ नहीं ।[3]

सुवाल ऐसे बालिग़ लोग जिन की दाढ़ी कुदरती तौर पर उगी ही नहीं या दाढ़ी तो है मगर एक मुश्त से कम है और आगे नहीं बढ़ती, उन के पीछे नमाज़ हो जाएगी ?

जवाब मज़्कूरा अश्ख़ास के पीछे नमाज़ हो जाएगी ।[4]

नमाज़ में इमाम का वुज़ू टूट जाए तो क्या हुक्म है ?

सुवाल नमाज़ में इमाम का वुज़ू टूट जाए तो क्या करना चाहिये ?

जवाब नमाज़ में इमाम का वुज़ू टूट जाए तो वोह दूसरे को इमामत के लिये ख़लीफ़ा बना सकता है । इस का त़रीक़ा येह है कि इमाम नाक बन्द कर के (नाक पे हाथ रख के) पीठ झुका कर पीछे हटे और इशारे से किसी को ख़लीफ़ा बनाए और किसी से बात न करे । लेकिन चूंकि ख़लीफ़ा बनाने का मस्अला

1... फ़तावा फ़ैज़ुर्रसूल, 1/311, 312 मुल्तक़तन
2... फ़तावा फ़ैज़ुर्रसूल, 1/317
3... फ़तावा फ़ैज़ुर्रसूल, 1/318
4... फ़तावा फ़ैज़ुर्रसूल, 1/319

एक ऐसा सख़्त दुश्वार मस्अला है कि जिस के लिये शराइत़ बहुत हैं और मुख़्तलिफ़ सूरतों में मुख़्तलिफ़ अह़काम हैं जिन की पूरी रिआ़यत आ़म लोगों से मुश्किल है। इस लिये जो बात अफ़्ज़ल है उसी पर अ़मल करें। या'नी वोह निय्यत तोड़ दी जाए और अज़ सरे नौ नमाज़ पढ़ी जाए। बल्कि जो लोग कि इल्मे काफ़ी रखते हैं और इस के शराइत़ की रिआ़यत पर क़ादिर हैं उन के लिये भी अज़ सरे नौ नमाज़ पढ़ना अफ़्ज़ल है।[1]

सुवाल इमाम के साथ जमाअ़त में सिर्फ़ एक मुक़्तदी हो तो वोह जमाअ़त से कैसे पढ़ें ?

जवाब अकेला नमाज़ी इमाम की दाईं जानिब खड़ा हो या'नी अगर इमाम के साथ एक मुक़्तदी हो तो वोह इमाम की दाईं जानिब खड़ा हो क्यूं कि नबिय्ये अकरम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने ह़ज़रते अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ को नमाज़ पढ़ाई तो उन को आप صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने अपनी दाईं जानिब खड़ा किया। और ज़ाहिर रिवायत के मुत़ाबिक़ वोह इमाम से पीछे खड़ा न हो। इमाम मुह़म्मद से मरवी है कि मुक़्तदी अपने पाउं की उंग्लियां इमाम की एड़ी के पास रखे।[2]

सुवाल इमाम के साथ जमाअ़त में एक ही नमाज़ी था, अब तीसरा शख़्स आ गया तो अब क्या करें ?

जवाब एक शख़्स इमाम की इक़्तिदा में नमाज़ पढ़ रहा था। फिर तीसरे ने जमाअ़त में शामिल होना चाहा तो इमाम आगे बढ़ जाए या मुक़्तदी पीछे हट जाए या आने वाला ख़ुद उस को पीछे खींच ले। येह तीनों सूरतें जाइज़ हैं। लेकिन अगर आने वाले का हुक्म मान कर आगे बढ़ा, या मुक़्तदी पीछे हटा तो नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी। और अगर हुक्मे शरअ़ पर अ़मल करने की निय्यत से ह़रकत की तो नमाज़ फ़ासिद न होगी। लिहाज़ा आने वाले के इशारे के बा'द थोड़ा ठहरिये, फिर हटे।[3]

सुवाल इमाम इतना जल्द बाज़ है कि मुक़्तदी सना या दुआ़ए मासूरा नहीं पढ़ पाता तो मुक़्तदी के लिये क्या हुक्म है ?

जवाब इमाम को इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिये कि मुक़्तदी सना या दुआ़ए मासूरा न पढ़ सकें और पढ़ने में इतनी देर भी न लगानी चाहिये कि मुक़्तदियों पर गिरां हो। अगर इमाम ने क़िराअत शुरूअ़ कर दी और मुक़्तदी सना मुकम्मल न कर सका था तो छोड़ दे। इसी त़रह़ अगर दुआ़ए मासूरा पूरी न पढ़ सका था कि इमाम ने सलाम फेर दिया तो मुक़्तदी भी इमाम के साथ सलाम फेर दे लेकिन अगर मुक़्तदी

1... फ़तावा फ़ैज़ुर्रसूल, 1/343 मुल्तक़त़न
2... फ़तावा रज़विय्या, 7/50
3... फ़तावा फ़ैज़ुर्रसूल, 1/344 मुल्तक़त़न

अत्तहिय्यात, وَرَسُوْلُه तक न पढ़ सका था कि तीसरी रक्अत के लिये इमाम खड़ा हो गया या क़ा'दए अख़ीरा में सलाम फेर दिया तो मुक़्तदी अत्तहिय्यात, وَرَسُوْلُه तक बिग़ैर पढ़े न खड़ा हो सकता है न सलाम फेर सकता है।(1)

सुवाल इमामत कौन करवा सकता है ?

जवाब इमाम ऐसे शख़्स को बनाया जाए जिस की तहारत सहीह हो, क़िराअत सहीह हो, सुन्नी सहीहुल अक़ीदा हो, फ़ासिक़ न हो, उस में कोई बात नफ़रते मुक़्तदियान की न हो (या'नी ऐसी बात उस में न हो जिस से नमाज़ियों को नफ़रत हो), मसाइले नमाज़ व तहारत से आगाह हो। जो शख़्स शराइते मज़्कूर का जामेअ़ है वोह इमाम किया जाए। अगर्चे वोह अपने आप को ना अह्ल कहे और जो वाक़ेई ना अह्ल है वोह इमाम नहीं हो सकता अगर्चे सब की राय हो।(2)

इमाम बनने के लिये ज़रूरी चीज़ें

सुवाल इमाम में क्या शर्तें होना ज़रूरी हैं ?

जवाब इमाम में चन्द शर्तें ज़रूरी हैं अव्वलन कुरआने अज़ीम ऐसा ग़लत न पढ़ता हो जिस से नमाज़ फ़ासिद हो जैसे वोह लोग कि मसलन ء، ع या ط، ت या ص، س، ث या ح، ہ، ذ، ز، ظ، ض में फ़र्क़ नहीं करते, दूसरे वुज़ू, गुस्ल, तहारत सहीह रखता हो, सिवुम सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुताबिक़ अक़ाइदे उलमाए हरमैने शरीफ़ैन हो (या'नी जिन अक़ाइद का ज़िक्र हुसामुल हरमैन में है)। चहारुम फ़ासिक़े मो'लिन न हो, इसी तरह और उमूरे मुनाफ़िये इमामत से पाक हो, इन के बा'द ज़ी इल्म होना शर्ते सिह्हतो हिल्लत नहीं शर्ते अव्वलिय्यत है अगर जाहिल है और शर्ते मज़्कूरा रखता है उस के पीछे नमाज़ हो जाएगी अगर्चे औला नहीं।(3)

कबीरा गुनाह से तौबा करने वाले की इमामत का हुक्म

सुवाल कबीरा गुनाह से तौबा करने वाले की इमामत दुरुस्त है ?

जवाब कबीरा गुनाह से तौबा करने वाले की इमामत दुरुस्त है। फ़तावा रज़विय्या में है : सच्ची तौबा के बा'द गुनाह बिल्कुल बाक़ी नहीं रहते। तौबा के बा'द उस की इमामत में अस्लन हरज नहीं, बा'दे

(1)... फ़तावा फ़ैज़ुर्रसूल, 1/346
(2)... फ़तावा रज़विय्या, 6/618
(3)... फ़तावा रज़विय्या, 6/543 मुल्तक़तन

तौबा उस पर गुनाह का ए'तिराज़ जाइज़ नहीं। हदीस में है, नबी صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم फ़रमाते हैं : जो किसी अपने भाई को ऐसे गुनाह से ऐब लगाए जिस से तौबा कर चुका है तो येह ऐब लगाने वाला न मरेगा जब तक ख़ुद उस गुनाह में मुब्तला न हो जाए।(1)

गुनाहे कबीरा की तोहमत लगने पर उस की इमामत का हुक्म

सुवाल ऐसा इमाम जिस पर तोहमते ज़िना और मस्जिद का सामान चुराने की तोहमत हो तो ऐसे इमाम की इमामत का क्या हुक्म है ?

जवाब (ज़िना और सामाने मस्जिद चुराने की) तोहमत लगाना और बद गुमानी शरअ़न जाइज़ नहीं। **रसूलुल्लाह** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : बद गुमानी से बचो क्यूं कि बद गुमानी सब से बड़ी झूटी बात होती है।(2) मगर जिस बात के मुआ़यने के गवाहान, सिक़ा बताए जाते हैं वोही मुमानअ़ते इमामत (या'नी उस की इमामत के ना जाइज़ होने के लिये काफ़ी है)।(3)

बद मज़्हबों से मेलजोल रखने वाले की इमामत का हुक्म

सुवाल अगर कोई इमाम बद मज़्हबों से मेलजोल रखता है तो ऐसे शख़्स की इमामत का क्या हुक्म है ?

जवाब अगर कोई इमाम बद मज़्हबों से मेलजोल रखता है मगर ख़ुद सुन्नी है तो इस सूरत में वोह फ़ासिक़े मो'लिन है और इमामत के लाइक़ नहीं।(4)

मां को तक्लीफ़ देने वाले की इमामत का हुक्म

सुवाल जो शख़्स अपनी वालिदा वालिद को ईज़ा दे और उन्हें मारे, उस के पीछे नमाज़ पढ़ने का क्या हुक्म है ?

जवाब ऐसा शख़्स सख़्त फ़ासिक़ो फ़ाजिर, मुर्तकिबे कबाइर, मुस्तहिक़्क़े अ़ज़ाबे नार व ग़ज़बे जब्बार है। मां को ईज़ा देना सख़्त कबीरा है न कि मारना, जिस से मुसल्मान तो मुसल्मान काफ़िर भी परहेज़ करेगा और घिन खाएगा। हदीस में इर्शाद हुवा : ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَعَدَّ مِنْهُمُ الْعَاقَّ لِوَالِدَيْهِ

1... ترمذی، کتاب صفۃ القیامۃ، باب53، 4/226، حدیث:2513, फ़तावा रज़विय्या, 6/552, मुल्तक़तन

2... بخاری، کتاب النکاح، باب لا یخطب علی خطبۃ اخیہ... الخ، 3/446، حدیث:5143

3... फ़तावा रज़विय्या, 6/553, मुल्तक़तन व मुलख़्ख़सन

4... फ़तावा रज़विय्या, 6/625

तीन शख़्स जन्नत में न जाएंगे उन में से एक वोह जो अपने मां बाप को सताए।[1] ऐसा शख़्स क़ाबिले इमामत नहीं हो सकता। फ़तावा हुज्जह व गुन्या में है : अगर फ़ासिक़ को लोगों ने इमाम बनाया तो वोह गुनाहगार होंगे। तब्यीनुल ह़क़ाइक़ वग़ैरा में है : क्यूं कि इमामत के लिये उस को मुक़द्दम करने में उस की ता'ज़ीम है ह़ालां कि शरअ़न उस की इहानत लाज़िम है। उस के पीछे नमाज़ मक्रूहे तह़रीमी है कि पढ़ना गुनाह और पढ़ी तो फेरनी वाजिब। जब वोह ऐसा बेबाक है कि मां को मारता है तो उस से क्या तअ़ज्जुब कि बे वुज़ू नमाज़ पढ़ाए या नहाने की ज़रूरत हो जाड़े (सर्दी) के सबब बे ग़ुस्ल पढ़ा दे।[2]

वालिदैन नाराज़ हों तो इमामत का हुक्म

सुवाल ऐसा इमाम जिस से उस के वालिदैन इस ह़द तक नाराज़ हों कि उस से कह दिया हो कि हमारे जनाज़े में हरगिज़ मत आना, उसे इमाम बनाने का क्या हुक्म है ?

जवाब ✽ वालिदैन अगर बिला वज्हे शरई नाह़क़ नाराज़ हों और येह उन की इस्तिर्ज़ा (राज़ी करने) में ह़द्दे मक्दूर (त़ाक़त के मुत़ाबिक़) तक कमी नहीं करता तो उस पर इल्ज़ाम नहीं और उस के पीछे नमाज़ में कोई ह़रज नहीं। ✽ और अगर येह उन को ईज़ा देता है इस वज्ह से नाराज़ हैं तो आ़क़ (ना फ़रमान) है और आ़क़, सख़्त मुर्तकिबे कबीरा है और उस के पीछे नमाज़ मक्रूहे तह़रीमी और इमाम बनाना गुनाह। ✽ और अगर नाराज़ी तो उन की बिला वज्हे शरई थी मगर इस ने इस की परवा न की, वोह खिंचे तो येह भी खिंच गया (या'नी वालिदैन नाराज़ हुए तो येह भी नाराज़ हो गया) जब भी हुक्मे ख़ुदा और रसूल के ख़िलाफ़ है, ह़ालां कि उसे हुक्म दिया गया कि उन के साथ बराबरी का बरताव करे और उन के लिये नरमी इख़्तियार करे : चुनान्चे

पारह 15 सूरए बनी इसराईल आयत नम्बर 24 में है :

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और उन के लिये आ़जिज़ी का बाज़ू बिछा नर्मदिली से

इस के ख़िलाफ़ व इसरार से भी फ़ासिक़ है और इस के पीछे नमाज़ मक्रूह।[3]

1... معجم کبیر، 12/233، حدیث:13180, फ़तावा रज़विय्या, 6/558
2... फ़तावा रज़विय्या, 6/557, 558
3... फ़तावा रज़विय्या, 6/559 ब तग़य्युरे क़लील

इमाम का ग़ैर मुअ़य्यन नमाज़ी की रिआ़यत करना

सुवाल जो इमाम जो किसी ग़ैर मुअ़य्यन शख़्स की वज्ह से नमाज़ मुख़्तसर या त़वील पढ़ाए ऐसे शख़्स की इमामत का क्या हुक्म है ?

जवाब सरकारे मदीना, क़रारे क़ल्बो सीना صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : मैं नमाज़ शुरूअ़ करता हूं और उसे दराज़ करना चाहता हूं कि बच्चे के रोने की आवाज़ सुन लेता हूं तो नमाज़ में इख़्तिसार करता हूं क्यूं कि उस के रोने से उस की मां की सख़्त घबराहट जान लेता हूं ।[(1)]

मश्हूर मुह़द्दिस, ह़कीमुल उम्मत मुफ़्ती अह़मद यार ख़ान رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ इस ह़दीसे पाक की शर्ह़ में लिखते हैं : इस से दो मस्अले मा'लूम हुए : एक येह कि नमाज़ी का बाहर की आवाज़ सुन लेना और उस का लिह़ाज़ करना ख़ुशूए़ नमाज़ के ख़िलाफ़ नहीं । दूसरे येह कि नमाज़ में ग़ैर मुअ़य्यन मुक़्तदी की रिआ़यत करना दुरुस्त है जैसे बा'ज़ सूरतों में मुक़्तदियों की वज्ह से नमाज़ हलकी की जा सकती है, ऐसे ही रुकूअ़ में मिलने वालों या वुज़ू करने वालों की वज्ह से नमाज़ दराज़ की जा सकती है, किसी मुअ़य्यन शख़्स की नमाज़ में रिआ़यत करना ह़राम बल्कि शिर्के ख़फ़ी है । येह तो ह़ुज़ूर صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم की ख़ुसूसिय्यात में से है कि सिद्दीक़े अक्बर ब ह़ालते नमाज़ आप को देख कर मुक़्तदी बन जाते थे ।[(2)]

इमाम और मुक़्तदी की आपस में कदूरत की बिना पर इमामत का हुक्म

सुवाल एक मुक़्तदी से इमामे मस्जिद ज़ाहिर और बात़िन में कदूरत (कीना) रखता है । मुक़्तदी जिस वक़्त मस्जिद में दाख़िल हो कर सलाम कहता है तो इमाम सलाम का जवाब भी नहीं देता, इस सूरत में मुक़्तदी का इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ने का क्या हुक्म है ?

जवाब मह़ज़ दुन्यवी कदूरत के सबब उस के पीछे नमाज़ (पढ़ने) में ह़रज नहीं और इस के वासित़े जमाअ़त तर्क करना ह़राम । इमाम की मुक़्तदी से कदूरत (कीना) और तर्के सलाम, अगर किसी दुन्यवी सबब से है तो तीन दिन से ज़ाइद ह़राम । और किसी दीनी सबब से है और क़ुसूर इमाम का है तो सख़्त तर ह़राम । और क़ुसूर मुक़्तदी का है तो इमाम के ज़िम्मे इल्ज़ाम नहीं मुक़्तदी ख़ुद मुजरिम है ।[(3)]

1... بخاری، کتاب الاذان، باب من اخف الصلوۃ...الخ، 1/253، حدیث:709

2... मिरआतुल मनाजीह़, 2/203 ता 204

3... फ़तावा रज़विय्या, 6/559

अपने अ़क़ाइद ज़ाहिर न करने वाले की इमामत का हुक्म

सुवाल जिस इमाम से उस के अ़क़ाइद पूछे जाएं और वोह न बताए तो उस की इक़्तिदा जाइज़ है या नहीं ?

जवाब अपना अ़क़ीदा व मज़हब दरयाफ़्त करने पर न बताने से ज़ाहिर येही है कि उस में कुछ फ़साद है वरना दीन भी कुछ छुपाने की चीज़ है। उस की इक़्तिदा हरगिज़ न की जाए कि बुत़्लाने नमाज़ का एह़्तिमाले क़वी है (या'नी नमाज़ के बात़िल होने का क़वी इम्कान है) । और नमाज़ आ'ज़म फ़राइज़े इस्लाम से है इस के लिये सख़्त एह़्तियात़ मत़्लूब ।(1)

सुवाल फ़ासिक़, फ़ाजिर और फ़ासिक़े मो'लिन किसे कहते हैं ?

जवाब फ़ासिक़ वोह कि किसी गुनाहे कबीरा का मुरतकिब हुवा और वोही फ़ाजिर है। और कभी फ़ाजिर ख़ास ज़ानी को कहते हैं। और फ़ासिक़े मो'लिन वोह जो अ़लानिया गुनाहे कबीरा का इरतिकाब या गुनाहे सग़ीरा पर इसरार करता है ।(2)

सुवाल फ़ासिक़, फ़ासिक़े मो'लिन के पीछे नमाज़ पढ़ना कैसा ?

जवाब फ़ासिक़ के पीछे नमाज़ मक्रूह है। अगर फ़ासिक़े मो'लिन न हो या'नी वोह गुनाह छुप कर करता हो, मा'रूफ़ो मश्हूर न हो तो कराहते तन्ज़ीही है या'नी ख़िलाफ़े औला (या'नी ऐसे इमाम के पीछे नमाज़ न पढ़ना बेहतर है) । और अगर फ़ासिक़े मो'लिन है तो उसे इमाम बनाना गुनाह है और उस के पीछे नमाज़ मक्रूहे तह़रीमी कि पढ़नी गुनाह और पढ़ ली हो तो फिर से नमाज़ पढ़ना वाजिब ।(3)

सुवाल जब कोई नमाज़ पढ़ाने वाला न हो तो फ़ासिक़, फ़ाजिर के पीछे नमाज़ पढ़ना जाइज़ है या नहीं ?

जवाब अगर अ़लानिया फ़िस्क़ो फ़ुजूर करता है और कोई दूसरा इमामत के क़ाबिल न मिल सके तो तन्हा नमाज़ पढ़े। क्यूं कि तक़्दीमे फ़ासिक़ (नमाज़ के लिये फ़ासिक़ को इमाम बनाना) गुनाह है और उस के पीछे नमाज़ पढ़ना मक्रूहे तह़रीमी है। और अगर कोई गुनाह छुप कर करता है तो उस के पीछे नमाज़ पढ़ें और उस के फ़िस्क़ के सबब जमाअ़त न छोड़ें। क्यूं कि जमाअ़त वाजिब है और अ़लानिया गुनाह न करने वाले फ़ासिक़ के पीछे नमाज़ पढ़ना ज़ियादा से ज़ियादा मक्रूहे तन्ज़ीही है ।(4)

1... फ़तावा रज़विय्या, 6/575
2... फ़तावा रज़विय्या, 6/601
3... फ़तावा रज़विय्या, 6/601 तस्हीलन
4... फ़तावा रज़विय्या, 6/600, 601

सुवाल जुमुआ पढ़ाने के लिये फ़ासिक़ इमाम के इलावा कोई दूसरा न हो तो क्या उस के पीछे जुमुआ पढ़ना जाइज़ है ?

जवाब फ़ासिक़ की इक़्तिदा न की जाए मगर सिर्फ़ जुमुआ में कि इस में मजबूरी है। बाक़ी नमाज़ों में दूसरी मस्जिद को चला जाए और जुमुआ अगर शहर में चन्द जगह होता हो तो इस में भी इक़्तिदा न की जाए, दूसरी मस्जिद में जा कर पढ़ें।(1)

दाढ़ी काटने या तरश्वाने वाले की इमामत का हुक्म

सुवाल जो शख़्स दाढ़ी मूंडे या एक मुठ्ठी से कम करे उस के पीछे नमाज़ पढ़ने का क्या हुक्म है ?

जवाब पूरी एक मुश्त दाढ़ी रखना वाजिब है और मुंडाना या एक मुठ्ठी से कम करवाना दोनों हराम व गुनाह हैं और ऐसा करने वाला फ़ासिके़ मो'लिन है और फ़ासिके़ मो'लिन को इमाम बनाना या उस के पीछे नमाज़ पढ़ना मक्रूहे तह़रीमी या'नी पढ़ना गुनाह है और अगर पढ़ ली हो तो उस का इआदा वाजिब है। ग़ुन्या में है : अगर किसी फ़ासिक़ को मुक़द्दम किया तो वोह गुनाहगार होंगे इस बिना पर कि फ़ासिक़ को मुक़द्दम करना मक्रूहे तह़रीमी है।(2) फ़तावा रज़विय्या में है : "दाढ़ी मुंडाना और कतरवा कर ह़द्दे शर्अ़ से कम कराना दोनों हराम व फ़िस्क़ हैं और इस का फ़िस्क़ बिल ए'लान होना ज़ाहिर कि ऐसों के मुंह पर जली क़लम से फ़ासिक़ लिखा होता है और फ़ासिके़ मो'लिन की इमामत मम्नूअ़ व गुनाह है।"(3)

सुवाल साहि़बे तरतीब किसे कहते हैं ?

जवाब साहि़बे तरतीब वोह शख़्स जिस की बुलूग़त के बा'द से लगातार पांच फ़र्ज़ नमाज़ों से ज़ाइद कोई नमाज़ क़ज़ा न हुई हो।(4)

सुवाल जिस शख़्स की नमाज़े फ़ज्र क़ज़ा हो वोह नमाज़े ज़ोहर या दीगर अवक़ात की नमाज़ों में इमाम हो सकता है या नहीं ?

जवाब अगर साहि़बे तरतीब है तो जब तक क़ज़ाए फ़ज्र अदा न कर ले ज़ोहर की इमामत नहीं कर सकता वरना कर सकता है।(5)

16 सालह अम्रद की इमामत का हुक्म

सुवाल बालिग़ अम्रद जिस की उ़म्र सोलह साल है, उस के पीछे नमाज़ पढ़ना जाइज़ है ?

1... बहारे शरीअ़त, 1/569, हिस्सा : 3

2... حلبی کبیر، فصل فی الامامة، 513

3... फ़तावा रज़विय्या, 6/505

4... बहारे शरीअ़त, इस्तिलाहात, 1/51

5... फ़तावा रज़विय्या, 6/603

सुवाल हां जाइज़ है बशर्ते कि कोई मानेए शर्ई मौजूद न हो क्यूं कि वोह शर्ई तौर पर बालिग़ है अगर्चे बुलूग़ के आसार ज़ाहिर न हुए हों अलबत्ता अगर वोह अम्रदे ख़ूब सूरत है तो फिर नमाज़ मक्रूह होगी क्यूं कि वोह महल्ले फ़ितना होता है।[1] इसी तरह चौदह बरस की उ़म्र का लड़का जब कहे कि मैं बालिग़ हूं उस का क़ौल वाजिबुल क़बूल है (या'नी उस की येह बात मानना लाज़िम है) और उसे बालिग़ माना जाएगा और उस के पीछे नमाज़ जाइज़ होगी जब कि ज़ाहिरे ह़ाल उस की तक्ज़ीब न करता हो, और ना बालिग़ हमारे अइम्मा के नज़्दीक बालिग़ का इमाम नहीं हो सकता कि वोह मुतनफ़्फ़िल (नफ़्ल पढ़ने वाला) है और येह (बालिग़) मुफ़्तरिज़ (फ़र्ज़ पढ़ने वाला), और नफ़्ल मुतज़म्मने फ़र्ज़ नहीं हो सकता।[2]

सुवाल ना बालिग़ इमामत करा सकता है ?

जवाब ना बालिग़ अगर समझदार हो तो वोह सिर्फ़ ना बालिग़ों का इमाम बन सकता है।

सुवाल बहरा जो ऊंचा सुनता है उस के पीछे नमाज़ पढ़ना जाइज़ है ?

जवाब बहरे के पीछे नमाज़ पढ़ना जाइज़ है।

सुवाल इमामत किन किन शख़्सों की जाइज़ है और किन किन की ना जाइज़ और मक्रूह, और सब से बेहतर इमामत किस शख़्स की है ?

जवाब ❋ जो क़िराअत ग़लत़ पढ़ता हो जिस से मा'ना मुफ़्सिद हों या वुज़ू या ग़ुस्ल सह़ीह़ न करता हो या ज़रूरिय्याते दीन (जैसे नमाज़, रोज़ा, ज़कात, ह़ज में) से किसी चीज़ का मुन्किर हो या वोह जो उन (ज़रूरिय्याते दीन का इन्कार करने वालों) में से किसी के अ़क़ाइद पर मुत्तलअ़ हो कर उस के कुफ़्र में शक करे या उस के काफ़िर कहने में तअम्मुल करे उन के पीछे नमाज़ मह़ज़ बात़िल है (या'नी नमाज़ होगी ही नहीं)।

❋ और जिस की गुमराही ह़द्दे कुफ़्र तक न पहुंची हो, उन के पीछे नमाज़ ब कराहते शदीदा तह़रीमिया मक्रूह है कि उन्हें इमाम बनाना ह़राम उन के पीछे नमाज़ पढ़नी गुनाह और जितनी पढ़ी हों सब का फेरना वाजिब।

❋ और इन्हीं के क़रीब है फ़ासिक़े मो'लिन मसलन दाढ़ी मुन्डा या ख़श्ख़ाशी रखने वाला या कतरवा कर ह़द्दे शर्अ़ से कम करने वाला या कन्धों से नीचे औरतों के से बाल रखने वाला ख़ुसूसन वोह जो चोटी गुंधवाए और उस में मूबाफ़ डाले या रेशमी कपड़े पहने या साढ़े चार माशे ज़ाइद की अंगूठी या कई नग की अंगूठी या एक नग की दो अंगूठी अगर्चे मिल कर साढ़े चार माशे से कम वज़्न की हों या सूदख़ोर या नाच देखने वाला उन के पीछे भी नमाज़ मक्रूहे तह़रीमी है।

1... फ़तावा रज़विय्या, 6/612

2... फ़तावा रज़विय्या, 6/625

✻ इमाम उसे किया जाए जो सुन्नी सहीहुल अक़ीदा, सहीहुत्तहारह, सहीहुल क़िराअत, मसाइले नमाज़ व तहारत का आलिम, ग़ैरे फ़ासिक़ हो, न उस में कोई ऐसा जिस्मानी या रूहानी ऐब हो जिस से लोगों को तनफ़्फ़ुर (नफ़रत) हो।[1]

सुवाल इमाम पर गुस्ल लाज़िम हो और उस को कोई मरज़ हो जिस की वज्ह से वोह गुस्ल किये बिग़ैर, सिर्फ़ तयम्मुम कर के नमाज़ पढ़ाए तो उस के पीछे नमाज़ पढ़ने का क्या हुक्म है ?

जवाब जिसे बिलफ़े'ल (वाक़ेई में) ऐसा मरज़ मौजूद हो जिस में नहाना नुक़्सान देगा या नहाने में किसी मरज़ के पैदा हो जाने का ख़ौफ़ है और येह नुक़्सान व ख़ौफ़ या तो अपने तजरिबे से मा'लूम हों या तबीबे हाज़िक़ (माहिर तबीब) मुसल्मान, ग़ैरे फ़ासिक़ के बताए से, तो उस वक़्त उसे तयम्मुम से नमाज़ जाइज़ होगी और अब उस के पीछे सब मुक़्तदियों की नमाज़ सहीह है। ग़रज़ इमाम का तयम्मुम और मुक़्तदियों का पानी की तहारत से होना सिह्हते इमामत में ख़लल अन्दाज़ नहीं।[2]

सुवाल अगर इमाम ने उज़्र की वज्ह से तयम्मुम किया या ज़ख़्म पर बंधी पट्टी पर मस्ह किया या मोज़े पर मस्ह किया तो उस के पीछे नमाज़ पढ़ना जाइज़ है ?

जवाब जिस ने वुज़ू किया है, तयम्मुम वाले (इमाम) की और पाउं धोने वाला, मोज़े पर मस्ह करने वाले (इमाम) की, और आ'ज़ाए वुज़ू का धोने वाला पट्टी पर मस्ह करने वाले (इमाम) की, इक़्तिदा कर सकता है। या'नी उस के पीछे नमाज़ पढ़ना जाइज़ है।[3]

सुवाल अगर इमाम ने भूल कर बिग़ैर तहारत के नमाज़ पढ़ा दी या नमाज़ की कोई शर्त या रुक्न अदा करने से रह गया तो इमाम क्या करे ?

जवाब इमाम ने अगर बिला तहारत नमाज़ पढ़ाई या कोई और शर्त या रुक्न न पाया गया जिस से उस की इमामत सहीह न हो, तो उस पर लाज़िम है कि इस अम्र की मुक़्तदियों को ख़बर कर दे जहां तक भी मुम्किन हो, ख़्वाह ख़ुद कहे या कहला भेजे, या ख़त (या कॉल वग़ैरा) के ज़रीए से। और मुक़्तदी अपनी अपनी नमाज़ का इआदा करें।[4]

दुकानदार आदमी की इमामत का हुक्म

सुवाल अगर इमाम दुकानदार हो तो उस की इमामत जाइज़ है या नहीं ?

1... फ़तावा रज़विय्या, 6/625, 626 मुल्तक़तन

2... फ़तावा रज़विय्या, 6/638

3... فتاوی ہندیہ، کتاب الصلوۃ، الباب الخامس فی الامامۃ، 1/84

4... बहारे शरीअत, 1/574, हिस्सा : 3

जवाब जाइज़ चीज़ बेचना और जाइज़ तौर पर बेचना कुछ हरज नहीं रखता, न उस के सबब इमामत में कोई ख़लल आए, हां अगर ना जाइज़ चीज़ बेचे या मक्र (धोका), फ़रेब, किज़्ब (झूट) या उक़ूदे फ़ासिदा मिस्ले रिबा (सूद) वग़ैरा का इरतिकाब करे तो फ़ासिक़ है और फ़ासिक़ के पीछे नमाज़ मक्रूह ।[1]

सुवाल फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नते मुअक्कदा, मुस्तहब और मुबाह़ काम तर्क करने वाले की इमामत का क्या हुक्म है ?

जवाब फ़र्ज़ के एक बार तर्क से फ़ासिक़ है और तर्के वाजिब की आ़दत से । सुन्नते मुअक्कदा हुक्म में क़रीबे वाजिब है, फ़ासिक़ के पीछे नमाज़ मक्रूह है, और फ़िस्क़ बिल ए'लान हो तो उसे इमाम बनाना गुनाह और उस के पीछे नमाज़ मक्रूहे तह़रीमी कि पढ़नी गुनाह और फेरनी वाजिब, मुस्तह़ब व मुबाह़ के तर्क में कुछ गुनाह नहीं, न इन के तारिक (छोड़ने वाले) की इमामत में कुछ नक़्स ।[2]

सुवाल ऐसा शख़्स जिसे पेशाब के क़त़रे आने, या हर वक़्त पेट से गेस ख़ारिज होने, या हर वक़्त ज़ख़्म और फोड़े से ख़ून और ज़र्द पानी की बीमारी हो, उस की इमामत दुरुस्त है ?

जवाब ऐसे शख़्स की इमामत दुरुस्त नहीं है ।[3]

सुवाल इमाम फ़र्ज़े ज़ोहर के पहले की चार रक्अ़त सुन्नत पढ़े बिग़ैर इमामत कर सकता है या नहीं ?

जवाब बिला उ़ज़्र चार रक्अ़त सुन्नत पढ़े बिग़ैर ज़ोहरे फ़र्ज़ की इमामत करना मक्रूह है और बिल्कुल तर्क कर देने या'नी बा'दे फ़र्ज़ भी न पढ़ने वाले के लिये वई़द है, जैसा कि ह़दीस शरीफ़ में है हुज़ूर नबिय्ये करीम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : مَنْ تَرَكَ اَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ لَمْ تَنَلْهُ شَفَاعَتِیْ या'नी जिस ने ज़ोहर से पहले की चार रक्अ़तों को छोड़ दिया तो उसे मेरी शफ़ाअ़त नसीब न होगी ।[4]

सुवाल अगर इमाम की लड़की लड़के का चाल चलन दुरुस्त न हो तो उस की इमामत का क्या हुक्म है ?

जवाब इमाम की लड़की और लड़के का चाल चलन अगर वाक़ेई ख़राब है और इमाम उन की ह़ालतों पर मुत्तलअ़ हो कर ब क़दरे क़ुदरत उन्हें मन्अ़ नहीं करता बल्कि लड़ता है तो वोह दय्यूस और फ़ासिक़ है । उस के पीछे नमाज़ पढ़ना मक्रूहे तह़रीमी, ना जाइज़ और गुनाह है जो नमाज़ें पढ़ी गईं उन

1... फ़तावा रज़विय्या, 6/623
2... फ़तावा रज़विय्या, 6/641
3... फ़तावा रज़विय्या, 6/495
4... फ़तावा फ़ैज़ुर्रसूल, 1/262

को फिर से पढ़ना वाजिब है। (अगर इमाम उन्हें ब क़दरे कुदरत मन्अ़ करता है तो इस में इमाम का कोई कुसूर नहीं उस के पीछे नमाज़ जाइज़ होगी) । अगर इमाम के लड़के और लड़की की चाल चलन ख़राब नहीं है बल्कि अज़ रूए दुश्मनी लोग इल्ज़ाम लगाते हैं तो इमामे मज़्कूर के पीछे सब को नमाज़ पढ़ना जाइज़ है।[1]

सुवाल मा'ज़ूर अपने जैसे मा'ज़ूर या अपने से ज़ाइद उ़ज़्र वाले की इमामत कर सकता है या नहीं ?

जवाब मा'ज़ूर अपने मिस्ल या अपने से ज़ाइद उ़ज़्र वाले की इमामत कर सकता है, कम उ़ज़्र वाले की इमामत नहीं कर सकता और अगर इमाम व मुक़्तदी दोनों को दो क़िस्म के उ़ज़्र हों, मसलन एक को रियाह़ का मरज़ है, दूसरे को क़त्रा आने का, तो एक दूसरे की इमामत नहीं कर सकता।[2]

सुवाल मा'ज़ूर अपने जैसे मा'ज़ूर की इक़्तिदा कर सकता है या नहीं नीज़ एक उ़ज़्र वाला दो उ़ज़्र वाले की इक़्तिदा कर सकता ?

जवाब मा'ज़ूर अपने मिस्ल मा'ज़ूर की इक़्तिदा कर सकता है और एक उ़ज़्र वाला दो उ़ज़्र वाले की इक़्तिदा नहीं कर सकता, न एक उ़ज़्र वाला दूसरे उ़ज़्र वाले की और दो उ़ज़्र वाला एक उ़ज़्र वाले की इक़्तिदा कर सकता है, जब कि वोह एक उ़ज़्र उसी के दो में से हो।[3]

शराइते इक़्तिदा

सुवाल इक़्तिदा की कितनी और कौन कौन सी शराइत़ हैं ?

जवाब इक़्तिदा की तेरह (13) शर्तें हैं : (1) निय्यते इक़्तिदा। (2) और उस निय्यते इक़्तिदा का तह़रीमा के साथ होना या तह़रीमा पर मुक़द्दम होना, बशर्ते कि सूरते तक़द्दुम में कोई अजनबी निय्यत व तह़रीमा में फ़ासिल न हो। (3) इमाम व मुक़्तदी दोनों का एक मकान में होना। (4) दोनों की नमाज़ एक हो या इमाम की नमाज़, नमाज़े मुक़्तदी को मुतज़म्मन हो। (5) इमाम की नमाज़ मज़्हबे मुक़्तदी पर सह़ीह़ होना। और (6) इमाम व मुक़्तदी दोनों का उसे सह़ीह़ समझना। (7) औ़रत का मह़ाज़ी (या'नी बराबर) न होना उन शुरूत़ के साथ जो मज़्कूर होंगी। (8) मुक़्तदी का इमाम से मुक़द्दम (या'नी आगे) न होना। (9) इमाम के इन्तिक़ालात का इ़ल्म होना। (10) इमाम का मुक़ीम या मुसाफ़िर होना मा'लूम हो। (11) अरकान की अदा में शरीक होना। (12) अरकान की अदा में मुक़्तदी इमाम के मिस्ल हो या कम। (13) यूंही शराइत़ में मुक़्तदी का इमाम से ज़ाइद न होना।[4]

1... फ़तावा फ़ैज़ुर्रसूल, 1/292, 293 मुल्तक़त़न
2... बहारे शरीअ़त, 1/561, हिस्सा : 3
3... बहारे शरीअ़त, 1/561, हिस्सा : 3
4... बहारे शरीअ़त, 1/562, 563, हिस्सा : 3

सबक़ नम्बर 27 इमामे मस्जिद को कैसा होना चाहिये ?

इमामत का मन्सब, ज़िम्मेदारी और इस मन्सब की नज़ाकत हर शो'बे से जुदा है, अइम्मए किराम का किरदार व गुफ़्तार, रहन सहन, अख़्लाक़, अन्दाज़े ज़िन्दगी, हुस्ने मुआ़शरत ग़रज़ येह कि हर उठने वाला क़दम मस्जिद, मिम्बरो मेह़राब, दीने इस्लाम और इस्लामी अक़्दार का मुहाफ़िज़ होना चाहिये। इमाम नमाज़े बा जमाअ़त में बन्दे और ख़ालिक़ के दरमियान वासित़ा हुवा करता है, वासित़ा जिस क़दर क़वी (या'नी मज़बूत़) होगा उसी क़दर मुफ़ीद होगा। लिहाज़ा इमामे मस्जिद को चाहिये कि अपने इ़ल्मो अ़मल, किरदार, गुफ़्तार, अन्दाज़े तकल्लुम, रहन सहन, लिबास, लोगों से मुआ़मलात व दीगर उमूर में ख़ुद को दूसरों से मुमताज़ व नुमायां रखे। एक मिसाली इमामे मस्जिद को कौन से आ'ला व उ़म्दा औसाफ़ का ह़ामिल होना चाहिये, आइये मुलाह़ज़ा कीजिये :

किरदार व गुफ़्तार

❀☞ इमाम साह़िब का किरदार व गुफ़्तार मिसाली होना चाहिये। अन्दाज़े गुफ़्त्गू और बोलचाल एक इन्सान की शख़्सिय्यत की पहचान होती है, इमाम साह़िब को चाहिये कि गुफ़्त्गू में हर उस त़रीक़े से बचे जो गुफ़्त्गू को ऐ़बदार कर दे या'नी बद कलामी, गाली गलोच, झूट, ग़ीबत और चुग़ली से बहुत दूर रहे, इसी त़रह़ बोलने में नरमी, मह़ब्बत और अपनाइयत का इज़्हार करे। चूंकि एक इमाम का वासित़ा मस्जिद में मुख़्तलिफ़ ज़ेह्न व सोच रखने वाले लोगों से पड़ता है, किसी का लहजा सख़्त किसी का नर्म, कोई बहुत ज़ियादा अदब करने वाला तो किसी को बोलने का सलीक़ा नहीं आता। कोई हुसूले इ़ल्मे दीन के लिये मसाइल पूछता है तो कोई जान बूझ कर तन्क़ीद बराए तन्क़ीद करता है। इस लिये इमाम साह़िब को अपने ह़ौसले व हिम्मत को बुलन्द रखते हुए सब के साथ नरमी व शफ़्क़तो मह़ब्बत भरा रवय्या रखना चाहिये।

मुक़्तदियों की इस्लाह़ का अन्दाज़

यूं ही मस्जिद में किसी मुक़्तदी से दौराने नमाज़ या वैसे ही ग़लत़ी सरज़द हो जाने पर भी सब के सामने झाड़ने और डांट पिलाने के बजाए नरमी से समझाइये। क्यूं कि बा'ज़ अवक़ात इन्सान ज़िद की वज्ह से अपने फ़ाएदे की बात भी ठुकरा देता है। आइये ! मस्जिद में ग़लत़ी करने वाले को नरमी से समझाने की दो बेहतरीन मिसालें हुज़ूर صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के अ़मले मुबारक से मुलाह़ज़ा कीजिये :

(1) ह़ज़रते सय्यिदुना अनस رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ फ़रमाते हैं कि एक मरतबा हम सरकारे मदीना صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के साथ मस्जिद में मौजूद थे कि एक आ'राबी (या'नी दीहाती) आया और मस्जिद में

खड़े हो कर पेशाब करना शुरूअ़ कर दिया। सह़ाबए किराम عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان उस के दर पै हुए तो ह़ुज़ूर صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : इसे छोड़ दो। सह़ाबए किराम عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ख़ामोश हो गए ह़त्ता कि उस ने पेशाब कर लिया। फिर मुबल्लिग़े आ'ज़म صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने उसे बुला कर (नरमी व शफ़्क़त) से फ़रमाया : येह मसाजिद पेशाब और गन्दगी के लिये नहीं, येह तो सिर्फ़ **अल्लाह** पाक के ज़िक्र, नमाज़ और तिलावते क़ुरआन के लिये हैं। फिर आप صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने किसी को पानी लाने का हुक्म दिया, वोह पानी का डोल लाया और उस (या'नी पेशाब की जगह) पर बहा दिया।(1)

मशहूर मुह़द्दिस, ह़कीमुल उम्मत मुफ़्ती अह़मद यार ख़ान رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه इस ह़दीसे मुबारका के तह़्त फ़रमाते हैं : इस में मुबल्लिग़ीन को त़रीक़ए तब्लीग़ की ता'लीम है कि तब्लीग़ अख़्लाक़ और नरमी से होनी चाहिये।(2)

(2) ह़ज़रते सय्यिदुना अबू बक्रह رَضِیَ اللّٰهُ عَنْه नमाज़ के लिये आए। उस वक़्त आप صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم नमाज़ पढ़ा रहे थे और रुकूअ़ की ह़ालत में थे। ह़ज़रते अबू बक्रह رَضِیَ اللّٰهُ عَنْه ने सफ़ में शामिल होने से पहले ही रुकूअ़ कर दिया, फिर (ह़ालते नमाज़ ही में) चल कर सफ़ में शामिल हुए। आप صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने नमाज़ मुकम्मल की तो फ़रमाने लगे : आप लोगों में से किस ने सफ़ में शामिल होने से पहले ही रुकूअ़ कर लिया था और फिर बा'द में सफ़ में आ मिला था ? ह़ज़रते अबू बक्रह رَضِیَ اللّٰهُ عَنْه ने अ़र्ज़ की : मैं ने। तो आप صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : **अल्लाह** पाक पर तुम्हारी ह़िर्स में इज़ाफ़ा फ़रमाए, आइन्दा ऐसा न करना।(3)

तक़्वा व परहेज़ गारी

☞ तक़्वा व परहेज़ गारी तो हर मोमिन का वस्फ़े अ़ज़ीम है लिहाज़ा एक इमाम में येह लाज़िमी वस्फ़ होना चाहिये कि येह नमाज़ों की क़बूलिय्यत का अहम ज़रीआ़ भी है, फ़रमाने मुस्त़फ़ा صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم है : अगर तुम येह पसन्द करते हो कि तुम्हारी नमाज़ें क़बूल हों तो तुम्हारे भले लोग तुम्हारे इमाम होने चाहिएं।(4)

1 ... مسلم، کتاب الطہارۃ، باب وجوب غسل وغیرہ من ... الخ، ص133، حدیث:660

2... मिरआतुल मनाजीह़, 1/326

3 ... ابوداود، کتاب الصلوۃ، باب الرجل یرکع دون الصف، 1/270، حدیث:674

4 ... مستدرک، کتاب معرفۃ الصحابۃ رضی اللہ عنہم، باب ان سرکم ان تقبل، 4/237، حدیث:5034

ख़िलाफ़े शरीअ़त कामों से इज्तिनाब

❀☞ नमाज़ की इमामत नबिय्ये करीम صَلَّی اللّٰہ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم की नियाबत (या'नी नाइब होने) का एक हिस्सा है, चूंकि नबिय्ये करीम صَلَّی اللّٰہ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم तमाम औसाफ़े ह़मीदा के जामेअ़ हैं इस लिये इमाम को भी चाहिये कि उ़म्दा औसाफ़ को अपनाने की कोशिश करे और तमाम बुरी आ़दात व ख़िलाफ़े शरीअ़त कामों से बचे, बिल ख़ुसूस ऐसे मुआ़मलात जिन की वज्ह से नमाज़ की अदाएगी पर फ़र्क़ पड़ता हो, उन से बचना तो बहुत ज़रूरी है, जैसे अ़लानिया फ़िस्क़ो फ़ुजूर वाले काम करना मसलन दाढ़ी को एक मुठ्ठी से कम करवाना, सरे आ़म गाली गलोच करना वग़ैरा।

ख़िलाफ़े मुरव्वत कामों से इज्तिनाब

❀☞ इमाम साहि़ब को ऐसी आ़दात और बातों से इज्तिनाब करना चाहिये जो मुरव्वत के ख़िलाफ़ तसव्वुर की जाती हैं, जैसे रास्ते में आ़मियाना त़रीक़े से खाना, अ़वामी मक़ामात पर रोड किनारे इस्तिन्जा करना, थूकते रहना, गुटका और सिगरेट नोशी, हर दूसरे शख़्स से उधार मांगना वग़ैरा।

एक रिवायत में है कि रसूले करीम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने एक शख़्स को देखा कि उस ने क़िब्ले की त़रफ़ मुंह कर के थूका है तो इर्शाद फ़रमाया : येह तुम्हारी जमाअ़त न कराए। उस ने फिर जमाअ़त कराने का इरादा किया तो लोगों ने उस को मन्अ़ किया और उस को ख़बर दी कि रसूले करीम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने तुम्हारे पीछे नमाज़ पढ़ने से मन्अ़ फ़रमाया है। फिर हुज़ूर صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم की ख़िदमत में येह वाक़िआ़ पेश हुवा तो आप صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : हां (मैं ने मन्अ़ किया है) क्यूं कि तू ने (क़िब्ले की त़रफ़ थूक कर) **अल्लाह** पाक और उस के रसूल صَلَّی اللّٰہ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم को ईज़ा दी।[1]

मश्हूर मुह़द्दिस, ह़कीमुल उम्मत मुफ़्ती अह़मद यार ख़ान رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ इस ह़दीसे मुबारका की शर्ह़ में लिखते हैं : क्यूं कि येह का'बे का बे अदब है इस लिये हुज़ूर صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने उस से ख़िता़ब भी न किया कि वोह ख़िता़ब के लाइक़ ही न रहा। जब कि का'बे का बे अदब इमामत के लाइक़ नहीं तो हुज़ूर صَلَّی اللّٰہ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم का बे अदब और आप की शान में बक्वास करने वाला इमामत के लाइक़ कैसे हो सकता है। इस से वोह लोग इब्रत पकड़ें जो बिला तह़क़ीक़ हर फ़ासिक़ व बे अदब को इमाम बना लेते

[1] ... ابوداود، کتاب الصلوٰۃ، باب فی کراھیۃ البزاق فی المسجد، 1/203، حدیث:481

हैं। ख़याल रहे कि येह इमाम सहाबी थे, मगर इत्तिफ़ाक़न उन से येह ख़ता हो गई फिर तौबा कर ली क्यूं कि कोई सहाबी फ़ासिक़ नहीं, जब इत्तिफ़ाक़न ख़ता पर इमामत से मा'ज़ूल कर दिया गया तो जान बूझ कर बे अदबी करने वाला ज़रूर मा'ज़ूल कर दिया जाएगा। हुज़ूर صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم का येह फ़रमाना कि हर नेक व फ़ासिक़ के पीछे नमाज़ पढ़ लो उस मौक़ए के लिये है जब वोह इमाम बन गया हो और हम उसे मा'ज़ूल करने पर क़ादिर न हों। इस ह़दीस से मा'लूम हुवा कि क़ौम व सुल्त़ान इमाम को इमामत से अ़लाह़दा कर सकते हैं।[1]

लेनदेन में मोह़तात़

❀☞ लेनदेन और कारोबार के मुआ़मलात हर इन्सान के साथ जुड़े हुए हैं, यूं तो किसी के लिये भी ना जाइज़ या धोका देही पर मुश्तमिल कारोबार करना जाइज़ नहीं है और लेनदेन के मुआ़मलात में फ़्रॉड करने की इजाज़त भी नहीं है लेकिन इमाम साह़िब का ऐसे ना जाइज़ मुआ़मलात से दूर रहना बहुत ज़ियादा ज़रूरी है, क्यूं कि इमाम साह़िब एक दीनी तशख़्ख़ुस रखते हैं और आ़म मुसल्मानों के लिये मश्अ़ले राह होते हैं, इमाम साह़िब के ग़लत़ कारोबार या लेनदेन के मुआ़मलात में ग़लत़ राह चलने की सूरत में या तो लोग उ़लमा से बदज़न होंगे या फिर जाइज़ समझ कर ख़ुद भी ग़लत़ राह चलेंगे, इस लिये इमाम साह़िब कोई भी सबबे तोहमत बनने वाला काम न करें और न ही उधार और क़र्ज़ वग़ैरा के लेनदेन में ना मुनासिब अन्दाज़ इख़्तियार करें।

अहले ख़ाना की तरबियत

❀☞ हर मुसल्मान को चाहिये कि अपने अहले ख़ाना की दीनी तरबियत का ख़ास एहतिमाम करे लेकिन एक इमामे मस्जिद को इस ह़वाले से भी बहुत ज़ियादा एह़तियात़ की ज़रूरत है, इमाम साह़िब की अहलिया और बच्चों का दीनी सांचे में ढला होना और बद अख़्लाक़ी वाले तमाम मुआ़मलात से दूर रहने की भरपूर कोशिश करना भी ज़रूरी है, ताकि इमाम साह़िब को नेकी की दा'वत देने और बुराई से मन्अ़ करने में किसी रुकावट का सामना न हो।

रहन सहन और लिबास

❀☞ इमाम साह़िब का लिबास और रहन सहन भी नमाज़ियों और अहले अ़लाक़ा पर बहुत असर अन्दाज़ होता है इस लिये इमाम साह़िब को तर्ज़े ज़िन्दगी भी रसूले करीम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم जैसा ही अपनाना चाहिये और इसी में इ़ज़्ज़त है, लिबास में सादगी भी हो, वक़ार भी हो और सफ़ाई भी। ज़र्क़

1… मिरआतुल मनाजीह़, 1/459

बर्क़ और क़िस्म क़िस्म की तराश ख़राश वाले फ़ेशनेबल कपड़े पहनने से चन्द जवान और शोख़ तब्अ़ नमाज़ियों की वाह वाह तो मिल जाएगी लेकिन सन्जीदा लोगों की नज़र में इमाम साहि़ब क़ाबिले क़द्र हैसिय्यत न बना सकेंगे। और फिर ख़ुद ज़र्क़ बर्क़ लिबास पहने हुए इमाम साहि़ब, रसूले करीम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم की सादगी का बयान किस त़रह़ करेंगे। इमाम साहि़ब को चाहिये कि ह़त्तल इम्कान इ़ज़्ज़त का ताज इमामा शरीफ़ सर पर सजाए रखें।

ह़त्तल इम्कान सुवाल से इज्तिनाब

❀☞ बा'ज़ आइम्मा ह़ज़रात की आ़दत होती है कि कोई भी चीज़ मंगवानी हो तो किसी को भी रोक कर बोल देते हैं कि "फ़ुलां से बोलो, इमाम साहि़ब येह चीज़ मंगवा रहे हैं" इस आ़दत से बचना चाहिये कि बा'ज़ शरीर लोग इमाम साहि़ब का नाम इस्ति'माल कर के अपने मत़लब निकालना शुरूअ़ कर देते हैं जब कि बदनामी इमाम साहि़ब की होना शुरूअ़ हो जाती है।

सोशल मीडिया से इज्तिनाब

❀☞ मौजूदा दौर सोशल मीडिया, स्मार्ट फ़ोन्ज़ और इन्टरनेट का दौर है, कई इमाम साहि़बान भी सोशल मीडिया इस्ति'माल करते हैं, याद रखिये ! सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है कि आप का एक क्लिक या लिखा हुवा एक जुम्ला लम्ह़ा भर में लाखों अपनों और बेगानों तक पहुंच जाता है, इस लिये अव्वलन तो सोशल मीडिया से दूरी ही इख़्तियार कीजिये और अगर इस्ति'माल करना भी हो तो सिर्फ़ दीनी काम के लिये इस्ति'माल कीजिये, सोशल मीडिया पर जारी सियासी व ग़ैर सियासी किसी त़रह़ की अब्ह़ास का ह़िस्सा न बनिये, सुवाल दर सुवाल, ए'तिराज़ दर ए'तिराज़ सोशल मीडिया पर मौजूद आप के मुक़्तदियों और अहले अ़लाक़ा को आप से मुतनफ़्फ़िर भी कर सकता है। लिहाज़ा एह़तियात़ ही में आ़फ़िय्यत है।

आंखों की ह़िफ़ाज़त

❀☞ आज हमारे मुआ़शरे में बद निगाही का फ़ितना इस क़दर आ़म हो गया है कि अ़वाम व ख़वास इस में मुब्तला नज़र आते हैं। बद निगाही इब्लीस का ज़ह्र आलूद तीर है, इस के ज़रीए़ वोह बहुत से दीनदार और शरीअ़त के पाबन्द मुसल्मानों के ईमान पर ह़म्ला आवर होता है और उस के अख़्लाक़ो किरदार पर मन्फ़ी असर डालता है, इमामे मस्जिद को चाहिये कि शैत़ान के इस मोहलिक हथियार से बहुत होशियार रहे, मसाजिद में बसा अवक़ात ख़वातीन बच्चों को दम करवाने या बच्चों का नाम रखवाने वग़ैरा के लिये आ जाती हैं या बा'ज़ लोग ईसाले सवाब के लिये इमाम साहि़ब को घर पर

बुलाते हैं, ऐसे में इमाम साहि़ब को चाहिये कि अपनी निगाहों की हि़फ़ाज़त करें और अगर किसी घर में फ़ातिह़ा ख़्वानी के लिये जाएं तो हमेशा उस घर के मर्द के साथ ही जाएं।[1]

दर्स व बयान

❀☞ इमाम साहि़ब को चाहिये कि जुमुआ़ के बयान के इलावा भी मौक़अ़ ब मौक़अ़ दर्स व बयान का सिल्सिला जारी रखें बिल ख़ुसूस त़हारत, नमाज़ और महीनों के ए'तिबार से मा'लूमात व अ़क़ाइद के ह़वाले से दर्स देते रहना चाहिये, कभी सज्दए सह्व वाजिब हो जाए तो बा'दे सलाम वज्ह और मस्अला आसान अन्दाज़ में समझा कर बयान कर देना चाहिये नीज़ जिस वज्ह से सज्दए सह्व वाजिब हुवा उस मौक़अ़ पर लुक़्मा देना है या नहीं ? येह भी समझा देना चाहिये। रबीउ़ल अव्वल में सीरत व शाने मुस्त़फ़ा का बयान, रबीउ़ल आख़िर में हु़ज़ूर ग़ौसे आ'ज़म और दीगर औलिया का ज़िक्र, रमज़ान में रोज़ों के मसाइल, ईदैन के क़रीब ईद के मसाइल अल ग़रज़ जैसे दिन चल रहे हों वैसे ही मौज़ूआ़त पर दर्सो बयान का सिल्सिला जारी रखना चाहिये।

मसाइल बताने का अन्दाज़

❀☞ आइम्मए मसाजिद से मुक़्तदी बड़ी उम्मीद से सुवाल पूछते हैं, उन्हें चाहिये कि लोगों के सुवालात का मुनासिब अन्दाज़ में जवाब दें, न तो ख़ुद पर येह लाज़िम करें कि हर हर सुवाल का जवाब देना ही देना है और न ही हर सुवाल के जवाब में "لَاأَدْرِی या'नी मैं नहीं जानता" कहने को अपना वज़ीफ़ा बना लें, जो मा'लूम हो उस का मुनासिब जवाब दें और जो न पता हो उस के बारे में सीखें, मा'लूम करें, मुत़ालआ़ करें और अगले वक़्त में जवाब दे दें, येह अन्दाज़ जहां इमाम साहि़ब के इ़ल्म में इज़ाफ़े का सबब बनेगा वहीं अन्दाज़े से जवाब देने से बचाएगा और लोगों की नज़र में इ़ज़्ज़त बढ़ाएगा। हमेशा याद रखिये कि जब इमाम साहि़ब हर बात पर "मा'लूम नहीं, मैं नहीं जानता, पता नहीं" जैसे अल्फ़ाज़ कहते हैं तो लोगों की उम्मीदें टूट जाती हैं, हो सके तो कभी भी किसी को अंधेरे में न छोड़ें कोई न कोई मुनासिब जवाब और रास्ता बता दें, इसे एक मिसाल से समझिये : किसी ने इमाम साहि़ब से पूछा कि "कातिबीने वह़ी (वह़ी लिखने वालों) की ता'दाद कितनी है नाम क्या क्या हैं ?" इस सुवाल के जवाब चार त़रह़ हो सकते हैं : (1) मा'लूम नहीं (2) तफ़्सील तो याद नहीं अलबत्ता आप सीरत की किताब मदारिजुन्नुबुव्वह मुतर्जम या सीरते मुस्त़फ़ा में देख लें उस में लिखे हुए

1... माहनामा फ़ैज़ाने मदीना, शव्वालुल मुकर्रम, 1441 हि. ब मुत़ाबिक़ जून 2020, स. 19 ता 20, क़िस्त़ : 01

हैं (3) अभी याद नहीं किताब से देख कर शाम में या कल बताता हूं (4) मुकम्मल तफ़्सील बता दी जाए। चौथा जवाब अगर्चे अह्सन है लेकिन मुश्किल है जब कि दूसरा और तीसरा जवाब बहुत मुनासिब है, कम अज़् कम हर इमाम को इस अन्दाज़् पर तो लाज़िमी होना चाहिये।

सियासी व इख़्तिलाफ़ी बातों से इज्तिनाब

❁☞ कुछ लोगों की आ़दत होती है कि किसी न किसी मुख़ालिफ़ पर ए'तिराज़् करने, अपने मौक़िफ़ की ताईद लेने या अपना कोई मज़्मूम मक़्सद पूरा करने के लिये इमाम साह़िब से घुमा फिरा कर सुवाल करते हैं, इमाम साह़िब को इस ह़वाले से बेदार मग़्ज़् होना चाहिये कि अ़लाक़े या मुल्क में चलने वाले इख़्तिलाफ़ात वग़ैरा से कुछ ना कुछ आगाह रहें ताकि राय के इज़्हार में मोह़तात् रह सकें। सियासी शख़्सिय्यात के बारे में पूछे गए सुवालात के जवाब देने से परहेज़् करें, किसी भी सियासी पार्टी वग़ैरा का न तो ह़िस्सा बनें और न ही किसी क़िस्म की जानिब दारी से काम लें। कभी भी किसी सियासी पार्टी या ग्रूप वग़ैरा को सपोर्ट करने की बात न करें कि ऐसा करने से बा'ज़् लोग तो इमाम साह़िब के क़रीब आ जाएंगे लेकिन बक़िय्या सब मुख़ालफ़त का निशाना बनाएंगे, ख़ित़ाबात में मुल्की और अ़लाक़ाई ह़ालात को पेशे नज़्र रखते हुए ही गुफ़्त्गू करें।

❁☞ एक नमाज़ी किसी दूसरे नमाज़ी के बारे में ए'तिराज़ाना बात करे तो हां में हां न मिलाएं, साबिक़ा इमाम या कमेटी के बारे में या मौजूदा कमेटी के बारे में किसी भी ए'तिराज़् या चाल का ह़िस्सा न बनें, कोई ए'तिराज़् करे तो झिड़क्ने के बजाए प्यार से जवाब दें, बे जा ए'तिराज़् हो तो मुनासिब अन्दाज़् से बात को टाल दें। मुअज़्ज़िन, ख़ादिम और मस्जिद के दीगर अ़मले के बारे में भी किसी इख़्तिलाफ़ का ह़िस्सा न बनें।

❁☞ कभी कोई किसी सुन्नी आ़लिम या साबिक़ा इमाम या किसी मुफ़्ती वग़ैरा का नाम ले कर कोई मस्अला बयान करे और वोह मस्अला ग़लत़ हो तो बजाए किसी पर भी ए'तिराज़् करने के सिर्फ़ दुरुस्त मस्अला बता दें और पूछने वाले को येही कहें कि आप को सुनने में ख़त़ा हुई होगी, मस्अला यूं नहीं यूं है, किसी सुन्नी मुफ़्ती, आ़लिम या साबिक़ा इमाम साह़िब पर ए'तिराज़ात व तन्क़ीद का ह़िस्सा न बनें।[1]

इमाम को एह़सासे बरतरी का शिकार नहीं होना चाहिये

शैख़े त़रीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, ह़ज़रत अ़ल्लामा मौलाना मुह़म्मद इल्यास अ़त्त़ार क़ादिरी دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه फ़रमाते हैं : इमाम को ख़ुश उस्लूबी के साथ अपने मन्सब को निभाना और अपने आप

[1]... माहनामा फ़ैज़ाने मदीना, ज़ुल क़ा'दतिल ह़राम 1441 हि. ब मुत़ाबिक़ जूलाई 2020 ई., स. 17 ता 18, क़िस्त़ : 02

को ख़ुद पसन्दी की आफ़त से बचाना चाहिये क्यूं कि इमामत का मुस्तह़िक़ सब से ज़ियादा वोह शख़्स है जो क़ौम में अफ़्ज़ल हो, इस लिह़ाज़ से इमाम क़ौम से अफ़्ज़ल होता है मगर इसे एह़सासे बरतरी का शिकार नहीं होना चाहिये कि मैं सब से अफ़्ज़ल हूं। हमारे सह़ाबए किराम व बुज़ुर्गाने दीन رِضْوَانُ اللہِ عَلَیْہِمْ اَجْمَعِیْن ऐसी बातों से दूर रहते और अगर उन के दिलों में इस क़िस्म का कोई ख़याल पैदा होता तो वोह इमाम बनने से ही इन्कार कर देते। चुनान्चे

ह़ज़रते सय्यिदुना हु़ज़ैफ़ा رَضِیَ اللہُ عَنْہ ने एक जमाअ़त को नमाज़ पढ़ाई, जब सलाम फेरा तो फ़रमाया : कोई दूसरा इमाम तलाश करो या अकेले अकेले नमाज़ पढ़ो, इस लिये कि मेरे दिल में येह ख़याल पैदा हो गया है कि मुझ से अफ़्ज़ल कोई नहीं है।(1)

ह़ज़रते सय्यिदुना मुह़म्मद बिन अबू तौबा رَحْمَۃُ اللہِ عَلَیْہ फ़रमाते हैं : एक मरतबा ह़ज़रते सय्यिदुना मा'रूफ़ करख़ी رَحْمَۃُ اللہِ عَلَیْہ ने नमाज़ के लिये इक़ामत कही और मुझ से नमाज़ पढ़ाने को कहा। मैं ने कहा : येह नमाज़ तो मैं पढ़ा देता हूं इस के इलावा कोई नहीं पढ़ाऊंगा। येह सुन कर आप رَحْمَۃُ اللہِ عَلَیْہ ने फ़रमाया : तुम ने येह ख़याल दिल में बसा रखा है कि तुम्हें दूसरी नमाज़ भी पढ़ने को मिलेगी ? हम लम्बी उम्मीद से **अल्लाह** पाक की पनाह चाहते हैं क्यूं कि येह अ़मले ख़ैर में रुकावट बनती है।(2)

इसी त़रह़ शहज़ादए आ'ला ह़ज़रत, हु़ज़ूर मुफ़्तिये आ'ज़मे हिन्द मौलाना मुस्त़फ़ा रज़ा ख़ान رَحْمَۃُ اللہِ عَلَیْہ भी ख़ुद इमाम बनने के बजाए ह़त्तल इम्कान किसी दूसरे को इमामत का हु़क्म इर्शाद फ़रमाते थे। मेरे पीरो मुर्शिद सय्यिदी क़ुत़्बे मदीना, शैख़ुल फ़ज़ीलत ह़ज़रते मौलाना ज़ियाउद्दीन अह़मद मदनी رَحْمَۃُ اللہِ عَلَیْہ जिन्हों ने उ़म्र का बेशतर ह़िस्सा गुम्बदे ख़ज़रा के जवार में गुज़ारा और फिर जन्नतुल बक़ीअ़ को ता अबद अपना मस्कन बना लिया। मदीनए मुनव्वरह में आप के आस्तानए आ़लिया पर रोज़ाना मह़फ़िले मीलाद का इन्इ़क़ाद होता था, इस क़दर इ़ज़्ज़तो शान के बा वुजूद आप رَحْمَۃُ اللہِ عَلَیْہ की आ़जिज़ी व इन्किसारी का येह आ़लम था कि मह़फ़िल के इख़्तिताम पर ख़ुद दुआ़ करवाने के बजाए किसी दूसरे को दुआ़ करवाने का हु़क्म इर्शाद फ़रमाते थे। اَلْحَمْدُ لِلّٰہ ! मुझे भी उन के हु़क्म पर मह़फ़िले मीलाद के इख़्तिताम पर दुआ़ करवाने का शरफ़ ह़ासिल हुवा है।

मस्जिद की आबाद कारी में इमाम साह़िब का किरदार

"मस्जिद की आबाद कारी में इमाम साह़िब का किरदार और अहले अ़लाक़ा व इन्तिज़ामिया के साथ इमाम साह़िब का अन्दाज़" के ह़वाले से भी चन्द मदनी फूल मुलाह़ज़ा कीजिये :

1 ... احیاء العلوم، کتاب ذم الکبر والعجب، الشطر الاول من الکتاب فی الکبر، بیان مابہ التکبر، 3/428

2 ... منہاج القاصدین، باب فی ذکر الموت ومابعدہ وما یتعلق بہ، ص 451

❀☞ याद रखिये ! मस्जिद में नमाज़ बा जमाअ़त पढ़ाने के बा'द इमामे मस्जिद का सब से अहम और बड़ा मक़्सद मस्जिद की आबाद कारी होना चाहिये और मस्जिद की आबाद कारी नमाज़ियों से होती है इस लिये इमाम साहिब को चाहिये कि अपने दर्सो बयान और मुलाक़ात में नमाज़ का ज़िक्र करने की कोशिश करें, दा'वते इस्लामी के जामिअ़तुल मदीना से फ़ारिग़ुत्तह़सील एक मदनी इस्लामी भाई जो एक मस्जिद में इमामतो ख़िताबत की ख़िदमत सर अन्जाम देते हैं, उन का बयान है कि हमारी मस्जिद में नमाज़ियों की ता'दाद बहुत कम थी, फ़ज्र में ब मुश्किल एक सफ़ होती जब कि दीगर नमाज़ों में एक से डेढ़ सफ़ तक नमाज़ी होते थे, اَلْحَمْدُ لِلّٰه ! मैं ने रबीउ़ल अव्वल के मुबारक महीने में जहां जहां बयान का मौक़अ़ मिला, नमाज़ को इश्क़े रसूल की तक्मील के तौ़र पर बयान किया, इस्लामी भाइयों को नमाज़े बा जमाअ़त की तरग़ीब दिलाई । اَلْحَمْدُ لِلّٰه ! हमारी मस्जिद में फ़ज्र के नमाज़ी तीन से चार सफ़ों तक होने लगे और आ़म नमाज़ों में भी तीन गुना से ज़ियादा इज़ाफ़ा हुवा है । बानिये दा'वते इस्लामी ह़ज़रत अ़ल्लामा मौलाना मुह़म्मद इल्यास अ़त्तार क़ादिरी دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه को उन की इस कारकर्दगी का इ़ल्म हुवा तो बहुत ह़ौसला अफ़्ज़ाई फ़रमाई ।

❀☞ इमाम साहिब की कोशिश होनी चाहिये कि वोह अ़लाक़े में दीनी शुऊ़र बेदार करने की तदबीरें करें और अ़मली तौ़र पर भी लोगों में शौक़ व जज़्बा पैदा करने के लिये कोशां रहें । अगर आइम्मए मसाजिद चाहें तो अपने मन्सब को इस्ति'माल करते हुए अ़लाक़े में दीनी हलचल पैदा कर सकते हैं, गली मह़ल्ले में खुल्लम खुल्ला होने वाले गुनाहों को रोक सकते हैं, वोह बच्चों को अपनी औलाद के दरजे में रख कर शफ़्क़त का मुआ़मला करें, नौ जवानों को भाई समझ कर नरमी व ख़ैर ख़्वाही का पहलू अपनाएं, बूढ़ों को बाप का दरजा देते हुए इक्राम करें, इस मन्सब का तक़ाज़ा येह है कि इमामत को मह़ज़ नोकरी की नज़र से न देखें, बल्कि येह अहम दीनी ज़िम्मेदारी है, मिलनसारी और हमदर्दाना रवय्ये का ऐसा नमूना पेश करें कि लोग उन के गिरवीदा हो जाएं ।

इमामे मस्जिद का नमाज़ पढ़ाने का अन्दाज़

ऐ आ़शिक़ाने रसूल ! नमाज़ पढ़ाने का अन्दाज़ भी नमाज़ियों को क़रीब लाने या मुतनफ़्फ़िर करने का सबब बन सकता है, रसूले करीम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के मुबारक फ़रामीन और अस्लाफ़े उम्मत के मल्फ़ूज़ात से ऐसी रहनुमाई मिलती है कि इमामत में क्या अन्दाज़ होना चाहिये । इमाम को चाहिये कि नमाज़ियों की त़बीअ़त, सिह़्ह़त और उ़म्र का लाज़िमी लिह़ाज़ रखे, अगर कोई ज़ईफ़ या बीमार नमाज़ में शामिल हो तो नमाज़ को कुछ मुख़्तसर करे या'नी क़िराअत कम करे, अगर किसी नमाज़ी के लिये ज़ियादा देर बैठना दुश्वार हो तो क़ा'दे में तशह्हुद और दुरूद शरीफ़ वग़ैरा बहुत ज़ियादा आहिस्ता रफ़्तार से न पढ़े बल्कि कुछ ऐसे जल्दी पढ़े कि तलफ़्फ़ुज़ भी दुरुस्त अदा हो जाएं और नमाज़ी को ज़ियादा देर बैठने की दुश्वारी भी न हो, इस सिल्सिले में इमामुल अम्बिया صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के अ़मले

मुबारक पेशे नज़र रखिये कि ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे नुबुव्वत صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم फ़र्ज़ नमाज़ में दूसरे अइम्मा को मुख़्तसर नमाज़ पढ़ाने की तल्क़ीन करते थे और ख़ुद भी मुख़्तसर नमाज़ ही पढ़ाते थे, जैसा कि ह़ज़रते सय्यिदुना अनस رَضِیَ اللہُ عَنۡہ फ़रमाते हैं : हुज़ूरे पुरनूर صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم बड़ी हलकी मगर पूरी नमाज़ पढ़ाया करते थे।[1]

ऐ आशिक़ाने रसूल ! आप صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم से ज़ियादा पुर असर और ख़ूब सूरत क़िराअत किस की हो सकती थी ? इस के बा वुजूद आप صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم नमाज़ियों का ख़याल रखा करते थे, प्यारे आक़ा, मदीने वाले मुस्त़फ़ा صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم का फ़रमाने आलीशान है : जब तुम में से कोई एक औरों को नमाज़ पढ़ाए तो मुख़्तसर करे कि उन में बीमार, कमज़ोर और बूढ़े होते हैं और जब अपनी पढ़े तो जिस क़दर चाहे लम्बी करे।[2]

नमाज़ में तख़्फ़ीफ़ से मुराद

नमाज़ में तख़्फ़ीफ़ से मुराद ऐसी नमाज़ है जो मुख़्तसर भी हो और उस के अरकान, वाजिबात और सुनन मुकम्मल भी हों, येह मत़लब नहीं कि مَعَاذَ اللہ नमाज़ के अरकान ही पूरे अदा न हों जैसा कि मुफ़्ती अह़मद यार ख़ान नईमी رَحْمَۃُ اللہِ عَلَیۡہ फ़रमाते हैं : हलकी नमाज़ से येह मुराद नहीं कि सुन्नतें छोड़ दें या अच्छी त़रह़ अदा न करें बल्कि मुराद येह है कि नमाज़ के अरकान दराज़ न करे ब क़दरे किफ़ायत अदा करे जैसे रुकूअ़ सज्दे की तस्बीहें तीन बार कहे।[3]

लम्बी नमाज़ पढ़ाने पर इज़्हारे नाराज़ी

ह़ज़रते सय्यिदुना अबू मस्ऊ़द अन्सारी رَضِیَ اللہُ عَنۡہ फ़रमाते हैं, एक शख़्स ने अ़र्ज़ की : **या रसूलल्लाह** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ! हो सकता है कि मैं नमाज़ में शामिल न हो सकूं क्यूं कि फ़ुलां हमें बहुत लम्बी नमाज़ पढ़ाते हैं। (रावी फ़रमाते हैं कि) मैं ने नसीह़त करने में आप صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم को उस दिन से ज़ियादा कभी नाराज़ नहीं देखा था। आप صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : ऐ लोगो ! तुम मुतनफ़्फ़िर करते हो तुम में से जो लोगों को नमाज़ पढ़ाए वोह मुख़्तसर करे क्यूं कि उन में बीमार, कमज़ोर

1 ... بخاری،کتاب الاذان،باب الایجاز فی الصلوۃ واکمالہا،1/253،حدیث:706

2 ... بخاری،کتاب الاذان،باب اذا صلی لنفسہ فلیطول ماشاء،1/252،حدیث:703

3 ... मिरआतुल मनाजीह़, 2/203

और ह़ाजत मन्द भी होते हैं।[1]

मुफ़्ती अह़मद यार ख़ां नईमी رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ इस ह़दीसे पाक की शर्ह़ में फ़रमाते हैं : इस से मा'लूम हुवा कि इमाम के क़ुसूर की बिना पर अगर कोई शख़्स जमाअ़त छोड़ देगा तो गुनहगार वोह नहीं है बल्कि इमाम, नीज़ ह़ाकिम या बुज़ुर्ग के सामने इमाम की शिकायत कर देना जाइज़ है, न येह ग़ीबत है और न इमाम की सरताबी। दराज़िये नमाज़ अगर्चे इबादत है मगर जब कि उस से कोई ख़राबी न पैदा हो।[2]

इमाम साह़िब का अहले अ़लाक़ा और मस्जिद की इन्तिज़ामिया के साथ अन्दाज़

❀☞ इमाम साह़िब को चाहिये कि मस्जिद के इन्तिज़ामी मुआ़मलात में ग़ैर ज़रूरी मुदाख़लत न करें, मस्जिद इन्तिज़ामिया किसी पहलू से शरई राहनुमाई त़लब करें तो बयान कर दें या कोई ख़िलाफ़े शरीअ़त काम होता हुवा देखें तो समझा दें, हर मुआ़मले में दख़्ल देने या बात न माने जाने की सूरत में हरगिज़ न उलझें।

❀☞ महाफ़िल, बड़ी रातों, ए'तिकाफ़ और दीगर मवाक़ेअ़ पर मस्जिद, इन्तिज़ामिया और नमाज़ियों को वक़्त देने की आ़दत होनी चाहिये, हर मौक़अ़ पर "मेरे पास वक़्त नहीं" का पहाड़ा पढ़ने वाले इमाम साह़िबान मसाजिद में बहुत कम काम्याब होते हैं।

❀☞ इमाम साह़िब अगर्चे ग़ैर ह़ाज़िरियों की सूरत में अपनी तनख़्वाह से कटौती करवाते हों लेकिन याद रखिये कि जो कटौती इन्तिज़ामिया और मुक़्तदियों के दिलों में होती रहती है उस का मुदावा होना बहुत मुश्किल होता है, नमाज़ों में ग़ैर ह़ाज़िर रहने वाले इमाम साह़िब से अक्सर मुक़्तदी नालां होते हैं और पीठ पीछे चे मिगोइयां भी जारी रहती हैं, नतीजतन इमाम साह़िब को अल वदाअ़ कर दिया जाता है।

❀☞ इमाम और मुक़्तदियों के दरमियान मह़ब्बतो प्यार की फ़ज़ा ज़रूरी है ताकि नेकी व तक़्वा में बाहम तआ़वुन हो। ख़्वाहिश परस्ती और शैत़ानी अग़राज़ की इत्तिबाअ़ में अगर कीना व बुग़्ज़ पैदा हो गया हो तो उसे ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिये मुक़्तदियों के जाइज़ मुत़ालबात का एह़तिराम करे। अगर मुक़्तदी अपने घर मह़फ़िल में शिर्कत करने, ईसाले सवाब करने, किसी मुस्बत मौज़ूअ़ पर दर्सो बयान करने का मुत़ालबा करें तो मुनासिब अन्दाज़ में क़बूल कर लेना चाहिये, इसी त़रह़ मुक़्तदियों की ज़िम्मेदारी है कि वोह इमाम के ह़ुक़ूक़ का ख़याल रखें और इन की इ़ज़्ज़तो एह़तिराम दूसरों से बढ़ कर करें।

1... بخاری، کتاب العلم، باب الغضب فی الموعظۃ... الخ، 1/50، حدیث:90

2... मिरआतुल मनाजीह़, 2/204

❁☞ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इमाम साहिबान के साथ बहुत हमदर्दी दिखाते हैं, हर बात में ताईद करते हैं, बात बात पर इमाम साहिब की ता'रीफ़ें करते हैं और कुछ ही अ़र्सा बा'द इमाम साहिब से पैसे उधार मांगते हैं, एक दो बार तो पैसे मांग कर लौटा देंगे, इस के बा'द उ़मूमन नज़र नहीं आते। ऐसों से मोह़तात़ रहना चाहिये।

नमाज़ियों के दुख सुख में शिर्कत

❁☞ मुक़्तदी ह़ज़रात अक्सर ख़ुशी व ग़मी के मौक़अ़ पर इमाम साहिब की शिर्कत से ख़ुश होते हैं इस लिये चाहिये कि अगर कोई किसी ख़ुशी के मौक़अ़ पर दा'वत दे तो मुनासिब सूरत में ज़रूर जाए, कोई नमाज़ी बीमार हो जाए तो इ़यादत के लिये जाए, इसी त़रह़ अगर अ़लाक़े में कोई मय्यित हो जाए बिल ख़ुसूस किसी नमाज़ी या उस के रिश्तेदार का इन्तिक़ाल हो जाए तो नमाज़े जनाज़ा और कफ़न दफ़्न के मुआ़मलात में ज़रूर शिर्कत करनी चाहिये, येह अ़मल जहां सोगवारों के लिये दिलजूई का सबब होगा वहीं इमाम साहिब की क़द्र भी लोगों की नज़र में बढ़ेगी।

रसूले अकरम, नूरे मुजस्सम صَلَّى اللّٰہُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم भी बहुत सी दीगर मसरूफ़िय्यात के बा वुजूद नमाज़ के बा'द मुक़्तदियों से उन के ह़ालात वग़ैरा की ख़बर गीरी फ़रमाते ख़ुसूसन नमाज़े फ़ज्र के बा'द तुलूए़ आफ़्ताब तक मुसल्लाए इमामत पर तशरीफ़ फ़रमा रहते और इस दौरान सह़ाबए किराम عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان से मह़्वे गुफ़्तगू भी होते। जैसा कि ह़ज़रते सय्यिदुना जाबिर बिन समुरह رَضِیَ اللّٰہُ عَنْه से मरवी है कि एक दिन ह़ज़रते सय्यिदुना सम्माक बिन ह़र्ब رَضِیَ اللّٰہُ عَنْه ने उन से पूछा : क्या आप **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللّٰہُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की मजलिस में बैठा करते थे ? वोह कहने लगे : बहुत ज़ियादा। आप صَلَّى اللّٰہُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم तो फ़ज्र की नमाज़ से ले कर तुलूए़ आफ़्ताब तक मुसल्लाए इमामत पर तशरीफ़ फ़रमा रहते थे। इस दौरान सह़ाबए किराम عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان आप صَلَّى اللّٰہُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم से गुफ़्तो शुनीद करते और जाहिलिय्यत की बातें भी करते, फिर वोह हंसते भी। इस दौरान आप صَلَّى اللّٰہُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم मुस्कुरा रहे होते।[1]

❁☞ नमाज़े बा जमाअ़त के बा'द कई लोग बच्चों को दम करवाने के लिये आ जाते हैं। इमाम साहिब अगर बा क़ाइ़दा अवरादो वज़ाइफ़ और अ़मलिय्यात न भी करते हों तो भी मुख़्तसर अवराद जैसे "दुरूदे पाक", "یَا سَلَامُ" या "सूरतुल फ़लक़ और सूरतुन्नास" पढ़ कर दम कर देना चाहिये।[2]

1... مسلم، کتاب الفضائل، باب تبسمہ حسن عشرتہ، ص976، حدیث:6035

2... माहनामा फ़ैज़ाने मदीना, ज़ुल हिज्जतिल ह़राम 1441 हि. ब मुत़ाबिक़ अगस्त 2020, स. 21 ता 23, क़िस्त़ : 03

सबक़ नम्बर 28

क़ज़ा नमाज़ें

सुवाल जान बूझ कर नमाज़ क़ज़ा करने वालों के लिये क्या वईद है ?

जवाब क़ुरआने पाक में इर्शाद होता है : ﴿فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۙ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۙ﴾ (پ30، الماعون:4،5) "तो उन नमाज़ियों की ख़राबी है जो अपनी नमाज़ से भूले बैठे हैं।" ह़दीसे पाक में है : इस से मुराद वोह हैं जो नमाज़ का वक़्त गुज़ार कर पढ़ें।(1)

सुवाल क्या क़ज़ा नमाज़ के लिये कोई वक़्त मुअ़य्यन है और कब क़ज़ा नमाज़ पढ़ना जाइज़ नहीं ?

जवाब क़ज़ा के लिये कोई वक़्त मुअ़य्यन नहीं उ़म्र में जब पढ़ेगा बरिय्युज़्ज़िम्मा हो जाएगा मगर तुलूअ़ व ग़ुरूब और ज़वाल के वक़्त कि इन वक़्तों में नमाज़ जाइज़ नहीं।(2)

सुवाल वोह कौन सी नमाज़ है जिसे लोगों पर ज़ाहिर करना गुनाह है ?

जवाब क़ज़ा नमाज़ का लोगों पर ज़ाहिर करना गुनाह है क्यूं कि नमाज़ का तर्क करना गुनाह है और गुनाह का ज़ाहिर करना भी गुनाह है।(3)

सुवाल क़ज़ा नमाज़ों में ताख़ीर करने का गुनाह कैसे मुआ़फ़ होगा ?

जवाब क़ज़ा नमाज़ों में ताख़ीर करने का गुनाह तौबा या ह़ज्जे मक़्बूल से मुआ़फ़ हो जाएगा और जो नमाज़ छूट गई है उस की क़ज़ा ज़रूरी है।(4)

सुवाल किस अन्देशे की वज्ह से नमाज़ क़ज़ा करना जाइज़ है ?

जवाब मुसाफ़िर को चोर और डाकूओं का सह़ीह़ अन्देशा है, यूंही दाई को नमाज़ पढ़ने की वज्ह से बच्चे के मर जाने का अन्देशा है तो नमाज़ क़ज़ा करना जाइज़ है।(5)

1... سنن کبری للبیہقی، کتاب الصلوٰۃ، باب الترغیب فی حفظ... الخ، 2/304، حدیث:3163

2... बहारे शरीअ़त, 1/702, हिस्सा : 4

3... در مختار مع رد المحتار، کتاب الصلوٰۃ، باب قضاء الفوائت، مطلب اذا اسلم المرتد ہل تعود حسناتہ ام لا، 2/650

4... رد المحتار، کتاب الصلوٰۃ، باب قضاء الفوائت، 2/627

5... बहारे शरीअ़त, 1/700, हिस्सा : 4 मुलख़्ख़सन

सुवाल वोह कौन सा तन्दुरुस्त मुसल्मान है जिस से नमाज़ें फ़ौत हो जाएं तो उस पर क़ज़ा वाजिब नहीं ?

जवाब दारुल ह़र्ब में कोई मुसल्मान हुवा और उसे अह़कामे शर्इय्या नमाज़, रोज़ा और ज़कात वग़ैरा की इत्तिलाअ़ न हुई तो जब तक वहां रहा उन दिनों की क़ज़ा उस पर वाजिब नहीं।[(1)]

सुवाल वोह कौन सा मरीज़ है जिस से नमाज़ें फ़ौत हो जाएं तो उस पर क़ज़ा नहीं ?

जवाब ऐसा मरीज़ कि इशारे से भी नमाज़ नहीं पढ़ सकता अगर येह ह़ालत पूरे छे वक़्त तक रही तो इस ह़ालत में जो नमाज़ें फ़ौत हुईं उन की क़ज़ा वाजिब नहीं।[(2)]

सुवाल जिस पर क़ज़ा नमाज़ें हों क्या वोह उन्हें छोड़ कर सुनने नवाफ़िल पढ़ सकता है ?

जवाब क़ज़ा नमाज़ें नवाफ़िल से अहम हैं या'नी जिस वक़्त नफ़्ल पढ़ता है उन्हें छोड़ कर उन के बदले क़ज़ाएं पढ़े कि बरिय्युज़्ज़िम्मा हो जाए। अलबत्ता तरावीह़ और बारह रक्अ़तें सुन्नते मुअक्कदा की न छोड़े।[(3)]

सुवाल नमाज़े फ़ज्र क़ज़ा होने का अन्देशा हो तो बिला ज़रूरते शर्इय्या रात देर तक जागना कैसा ?

जवाब नमाज़े फ़ज्र क़ज़ा होने का अन्देशा हो तो बिला ज़रूरते शर्इय्या रात देर तक जागना मम्नूअ़ है।[(4)]

सुवाल एक दिन की क़ज़ा नमाज़ों की कितनी रक्अ़तें हैं ?

जवाब एक दिन की क़ज़ा नमाज़ों की 20 रक्अ़तें हैं। दो रक्अ़तें फ़ज्र की, चार ज़ोहर, चार अ़स्र, तीन मग़रिब, चार इ़शा की और तीन वित्र।[(5)]

सुवाल जिस ने कभी नमाज़ें ही न पढ़ी हों वोह क़ज़ाए उ़म्री कैसे पढ़े ?

जवाब जिस ने कभी नमाज़ें न पढ़ी हों और अब तौफ़ीक़ हुई और क़ज़ाए उ़म्री पढ़ना चाहता है वोह जब से बालिग़ हुवा है उस वक़्त से ह़िसाब लगाए और तारीख़े बुलूग़ भी नहीं मा'लूम तो एह़तियात़ इसी

1... ردالمحتار،کتاب الصلوۃ،باب قضاء الفوائت،2/647

2... बहारे शरीअ़त, 1/702, ह़िस्सा : 4

3... बहारे शरीअ़त, 4/706, ह़िस्सा : 1

4... ردالمحتار،کتاب الصلوۃ،مطلب فی طلوع الشمس من مغربہا،2/33

5... फ़तावा रज़विय्या, 8/157

में है कि औ़रत नव साल की उ़म्र से और मर्द बारह साल की उ़म्र से नमाज़ों का ह़िसाब लगाए।[1]

सुवाल जिस के ज़िम्मे क़ज़ा नमाज़ें हों वोह क्या करे ?

जवाब जिस के ज़िम्मे क़ज़ा नमाज़ें हों उन का जल्द से जल्द पढ़ना वाजिब है मगर बाल बच्चों की परवरिश और अपनी ज़रूरिय्यात की फ़राहमी के सबब ताख़ीर जाइज़ है। लिहाज़ा कारोबार भी करता रहे और फ़ुरसत का जो वक़्त मिले उस में क़ज़ा पढ़ता रहे यहां तक कि पूरी हो जाएं।[2]

सुवाल अदा और क़ज़ा की ता'रीफ़ बयान कीजिये।

जवाब जिस चीज़ का बन्दों को हुक्म है उसे वक़्त में बजा लाने को अदा कहते हैं और वक़्त के बा'द अ़मल में लाना क़ज़ा कहलाता है।[3]

सुवाल क़ज़ा नमाज़ों के गुनाह से तौबा के लिये क्या चीज़ ज़रूरी है ?

जवाब बहारे शरीअ़त, जिल्द 1, सफ़ह़ा 700 पर मज़्कूर हुक्म का ख़ुलासा है : तौबा उसी वक़्त सह़ीह़ है जब क़ज़ा भी पढ़ ले। क़ज़ा नमाज़ों को तो अदा न करे फ़क़त़ तौबा किये जाए तो येह तौबा नहीं है क्यूं कि वोह नमाज़ जो उस के ज़िम्मे थी उस का न पढ़ना तो अब भी बाक़ी है। जब गुनाह से ही बाज़ न आया तो फिर तौबा कहां हुई।[4]

सुवाल कौन सी नमाज़ों में वक़्त के अन्दर अन्दर सलाम फेर लेना ज़रूरी है ?

जवाब फ़ज्र, जुमुआ़ और ई़दैन की नमाज़ों में सलाम से पहले अगर वक़्त निकल गया तो नमाज़ न होगी इन के इ़लावा नमाज़ों में अगर वक़्त में तह़रीमा बांध लिया तो नमाज़ क़ज़ा न हुई बल्कि अदा है।[5]

सुवाल जिस शख़्स के ज़िम्मे बहुत ज़ियादा नमाज़ें हों शरीअ़ते मुत़ह्हरा में उस के लिये कोई आसानी की सूरत हो तो बताइये।

जवाब जिस पर ब कसरत क़ज़ा नमाज़ें हों वोह आसानी के लिये हर रुकूअ़ और सज्दे में "سُبْحٰنَ رَبِّيَ الْعَظِيْم" और "سُبْحٰنَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى" सिर्फ़ एक बार कहे और फ़र्ज़ों की तीसरी और चौथी रक्अ़त में

1... फ़तावा रज़विय्या, 8/154 माख़ूज़न

2... در مختار مع ردالمحتار، کتاب الصلوۃ، باب قضاء الفوائت، 2/646

3... در مختار، کتاب الصلوۃ، باب قضاء الفوائت، 2/627، 632 ملخصا

4... ردالمحتار، کتاب الصلوۃ، باب قضاء الفوائت، 2/627

5... در مختار، کتاب الصلوۃ، باب قضاء الفوائت، 2/628، بہار شریعت، 1/701، حصہ 4 ماخوذا

अल ह़म्द शरीफ़ की जगह फ़क़त़ "سُبْحٰنَ اللہ" तीन बार कह कर रुकूअ़ कर ले, तीसरी तख़्फ़ीफ़ येह कि क़ा'दए अख़ीरा में अत्तह़िय्यात के बा'द दोनों दुरूदों और दुआ़ की जगह सिर्फ़ "اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّاٰلِہٖ" कह कर सलाम फेर दे, चौथी तख़्फ़ीफ़ येह कि वित्र की तीसरी रक्अ़त में दुआ़ए क़ुनूत की जगह फ़क़त़ एक या तीन बार "رَبِّ اغْفِرْلِیْ" कहे।[(1)]

सुवाल अगर फ़ज्र की सुन्नतें क़ज़ा हो जाएं तो उन को कब पढ़ा जाए ?

जवाब फ़ज्र की सुन्नत क़ज़ा हो गई और फ़र्ज़ पढ़ लिये तो अब सुन्नतों की क़ज़ा नहीं अलबत्ता इमाम मुह़म्मद رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ फ़रमाते हैं कि तुलूए़ आफ़्ताब के बा'द पढ़ ले तो बेहतर है।[(2)] और तुलूअ़ से पेश्तर (या'नी सूरज निकलने से पहले) बिल इत्तिफ़ाक़ मम्नूअ़ है।[(3)] आज कल अक्सर अ़वाम फ़र्ज़ के बा'द फ़ौरन पढ़ लिया करते हैं येह ना जाइज़ है, पढ़ना हो तो आफ़्ताब बुलन्द होने के बा'द ज़वाल से पहले पढ़ें।[(4)]

सुवाल सफ़र में चार रक्अ़त वाली नमाज़ क़ज़ा हुई तो इक़ामत में कितनी रक्अ़त अदा करे ?

जवाब जो नमाज़ जैसी फ़ौत हुई उस की क़ज़ा वैसी ही पढ़ी जाएगी, मसलन सफ़र में नमाज़ क़ज़ा हुई तो चार रक्अ़त वाली दो ही पढ़ी जाएगी अगर्चे इक़ामत की ह़ालत में पढ़े और ह़ालते इक़ामत में फ़ौत हुई तो चार रक्अ़त वाली की क़ज़ा चार रक्अ़त है अगर्चे सफ़र में पढ़े।[(5)]

सुवाल क्या क़ज़ा नमाज़ बा जमाअ़त पढ़ी जा सकती है ?

जवाब अगर किसी अम्रे आ़म की वज्ह से जमाअ़त भर की नमाज़ क़ज़ा हो गई तो जमाअ़त से पढ़ें, येही अफ़्ज़ल व मस्नून है और मस्जिद में भी पढ़ सकते हैं और जहरी नमाज़ों में इमाम पर जह्र वाजिब है अगर्चे क़ज़ा हो और अगर किसी ख़ास वज्ह से बा'ज़ अफ़्राद की नमाज़ जाती रही तो घर में तन्हा पढ़ें कि मा'सियत का इज़्हार भी मा'सियत है।[(6)]

1... फ़तावा रज़विय्या, 8/157 ता 158 मुलख़्ख़सन

2... حلبی کبیر، فصل فی النوافل، ص397

3... ردالمحتار، کتاب الصلوۃ، باب الوتر والنوافل، مطلب فی السنن والنوافل، 2/550

4... बहारे शरीअ़त, 1/664, 665, हिस्सा : 4

5... فتاوٰی ہندیہ، کتاب الصلوۃ، الباب الحادی عشر فی قضاء الفوائت، 1/121

6... फ़तावा रज़विय्या, 8/162

सुवाल क्या जुमुअ़तुल वदाअ़ में बा जमाअ़त क़ज़ाए उ़म्री पढ़ने से उ़म्र भर की क़ज़ा अदा हो जाती है ?

जवाब नहीं, रमज़ानुल मुबारक के आख़िरी जुमुआ़ में बा'ज़ लोग बा जमाअ़त क़ज़ाए उ़म्री पढ़ते हैं और येह समझते हैं कि उ़म्र भर की क़ज़ाएं इसी एक नमाज़ से अदा हो गईं येह बाति़ले मह़्ज़ है।[1]

सुवाल पागल पन या बेहोशी की ह़ालत में रह जाने वाली नमाज़ों का क्या हुक्म है ?

जवाब जुनून या बेहोशी अगर पूरे छे वक़्त को घेर ले तो उन नमाज़ों की क़ज़ा भी नहीं, अगर्चे बेहोशी आदमी या दरिन्दे के ख़ौफ़ से हो और इस से कम हो तो क़ज़ा वाजिब है।[2]

सुवाल नमाज़ों में तरतीब से क्या मुराद है और तरतीब किस पर फ़र्ज़ है किस पर नहीं ?

जवाब पांचों फ़र्ज़ों में बाहम और फ़र्ज़ व वित्र में तरतीब ज़रूरी है कि पहले फ़ज्र फिर ज़ोहर फिर अ़स्र फिर मग़रिब फिर इशा फिर वित्र पढ़े, ख़्वाह येह सब क़ज़ा हों या बा'ज़ अदा बा'ज़ क़ज़ा, मसलन ज़ोहर की क़ज़ा हो गई तो फ़र्ज़ है कि उसे पढ़ कर अ़स्र पढ़े अगर याद होते हुए अ़स्र पढ़ ली तो ना जाइज़ है।[3] अलबत्ता जिस की छे नमाज़ें क़ज़ा हो गईं कि छटी का वक़्त ख़त्म हो गया उस पर तरतीब फ़र्ज़ नहीं, अब अगर्चे वक़्त में गुन्जाइश हो और वोह पिछली नमाज़ अदा किये बिग़ैर वक़्ती नमाज़ पढ़े तो हो जाएगी।[4]

सबक़ नम्बर 29 मुसाफ़िर की नमाज़

وَ اِذَا ضَرَبْتُمْ فِی الْاَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ ﳓ (پ5، النساء:101)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और जब तुम ज़मीन में सफ़र करो तो तुम पर गुनाह नहीं कि बा'ज़ नमाज़ें क़स्र से पढ़ो।

उम्मुल मुअमिनीन ह़ज़रते सय्यिदतुना आ़इशा सिद्दीक़ा رَضِیَ اللہُ عَنْہَا रिवायत फ़रमाती हैं : नमाज़ दो रक्अ़त फ़र्ज़ की गई, फिर जब सरकारे मदीना صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने हिजरत फ़रमाई तो चार फ़र्ज़ की गई और सफ़र की नमाज़ उसी पहले फ़र्ज़ पर छोड़ी गई।[5]

---

1 ... फ़तावा रज़विय्या, 8/154 ता 155 ब तग़य्युर

2 ... درمختار، کتاب الصلوٰۃ، باب صلوٰۃ المریض، 2/692

3 ... فتاوی ہندیہ، کتاب الصلوٰۃ، الباب الحادی عشر فی قضاء الفوائت، 1/121

4 ... درمختار مع ردالمحتار، کتاب الصلوٰۃ، باب قضاء الفوائت، مطلب فی تعریف الاعادۃ، 2/637

5 ... بخاری، کتاب مناقب الانصار، باب48، 2/604حدیث:3935

सुवाल शर्ई सफ़र की मसाफ़त क्या है ?

जवाब शर्अ़न मुसाफ़िर वोह शख़्स है जो साढ़े 57 मील (तक़रीबन 92 किलो मीटर) के फ़ासिले तक जाने के इरादे से अपने मक़ामे इक़ामत (ठहरने की जगह, वत़न) मसलन शहर या गाउं से बाहर हो गया ।(1)

सुवाल क्या सफ़र की निय्यत करते ही बन्दा शर्अ़न मुसाफ़िर बन जाएगा ?

जवाब मह़्ज़ निय्यते सफ़र से मुसाफ़िर न होगा बल्कि मुसाफ़िर का हुक्म उस वक़्त है कि बस्ती की आबादी से बाहर हो जाए, शहर में है तो शहर से, गाउं में है तो गाउं से ।(2)

सुवाल नमाज़े क़स्र किसे कहते हैं ?

जवाब सफ़र में चार फ़र्ज़ों को दो पढ़ना क़स्र कहलाता है ।(3)

सुवाल क्या मुसाफ़िर के लिये क़स्र करना ज़रूरी है ?

जवाब जी हां मुसाफ़िर पर नमाज़ में क़स्र करना वाजिब है ।(4)

सुवाल क्या मुसाफ़िर सुन्नतें भी क़स्र कर के पढ़ेगा ?

जवाब सुन्नतों में क़स्र नहीं बल्कि पूरी पढ़ी जाएंगी । अलबत्ता ख़ौफ़ और रवा रवी (घबराहट) की ह़ालत में मुआ़फ़ हैं और अम्न की ह़ालत में पढ़ी जाएं ।(5)

सुवाल अगर कोई शख़्स तीन दिन की राह पर जा रहा है लेकिन उस का दौराने मसाफ़त दो दिन की राह पर किसी काम के ह़वाले से रुकने का इरादा है तो क्या वोह भी नमाज़ क़स्र पढ़ेगा ?

जवाब जी नहीं वोह मुसाफ़िर नहीं हुवा नमाज़ पूरी पढ़ेगा, क़स्र नमाज़ के लिये उस मसाफ़त का तीन दिन पूरा और राह का मुत्तसिल (मिला हुवा, लगातार) होना ज़रूरी है ।(6)

1... फ़तावा रज़विय्या, 8/270 मुलख़्ख़सन

2... در مختار مع رد المحتار، کتاب الصلوٰۃ، باب صلاۃ المسافر، 2/722

3... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلوٰۃ، الباب الخامس عشر في صلاۃ المسافر، 1/139 مفہوما

4... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلوٰۃ، الباب الخامس عشر في صلاۃ المسافر، 1/139

5... बहारे शरीअ़त, 1/744, हिस्सा : 4

6... फ़तावा रज़विय्या, 8/270 मुलख़्ख़सन

सुवाल वत़्ने अस्ली किसे कहते हैं ?

जवाब वोह जगह जहां उस की पैदाइश हुई है या उस के घर के लोग वहां रहते हैं या वहां सुकूनत कर ली और येह इरादा है कि यहां से न जाएगा ।[1]

निय्यते इक़ामत सह़ीह़ होने की शराइत़

सुवाल निय्यते इक़ामत सह़ीह़ होने के लिये कितनी शराइत़ हैं ?

जवाब निय्यते इक़ामत सह़ीह़ होने के लिये छे शर्तें हैं : (1) चलना तर्क करे अगर चलने की ह़ालत में इक़ामत की निय्यत की तो मुक़ीम नहीं। (2) वोह जगह इक़ामत की सलाह़िय्यत रखती हो जंगल या दरिया ग़ैर आबाद टापू (जज़ीरा, ख़ुश्की के टुकड़े) में इक़ामत की निय्यत की, मुक़ीम न हुवा । (3) पन्दरह दिन ठहरने की निय्यत हो इस से कम ठहरने की निय्यत से मुक़ीम न होगा। (4) येह निय्यत एक ही जगह ठहरने की हो अगर दो मौज़ओं (जगहों) में पन्दरह दिन ठहरने का इरादा हो, मसलन एक में दस दिन दूसरे में पांच दिन का तो मुक़ीम न होगा। (5) अपना इरादा मुस्तक़िल रखता हो या'नी किसी का ताबेअ़ न हो। (6) उस की ह़ालत उस के इरादे के मुनाफ़ी न हो।[2]

वत़्ने इक़ामत की ता'रीफ़

सुवाल वत़्ने इक़ामत की ता'रीफ़ बताएं ।

जवाब वत़्ने इक़ामत वोह जगह जहां मुसाफ़िर ने 15 दिन या इस से ज़ियादा ठहरने का इरादा किया हो ।[3]

सुवाल मुसाफ़िर किसी काम के लिये या साथियों के इन्तिज़ार में दो चार रोज़ या तेरह चौदह दिन की निय्यत से ठहरा और येह इरादा है कि काम हो जाएगा तो चला जाएगा अगर इस सूरत में "आज कल आज कल करते" ज़ियादा दिन गुज़र जाएं तो नमाज़ क़स्र पढ़े या पूरी ?

जवाब इस सूरत में अगर आज कल आज कल करते कई बरस गुज़र जाएं जब भी मुसाफ़िर ही है, नमाज़ क़स्र पढ़े ।[4]

सुवाल मुसाफ़िर ने चार रक्अ़त की निय्यत कर ली तो अब क्या हुक्म होगा ?

जवाब मुसाफ़िर ने क़स्र की बजाए चार रक्अ़त फ़र्ज़ की निय्यत बांध ली फिर याद आने पर दो पर सलाम फेर दिया तो नमाज़ हो जाएगी ।[5]

---

1 ... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلوٰۃ، الباب الخامس عشر فی صلاۃ المسافر، 1/142، بہارِ شریعت، 1/750، حصہ: 4

2 ... बहारे शरीअ़त, 1/744, 745, ह़िस्सा : 4

3 ... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلوٰۃ، الباب الخامس عشر فی صلاۃ المسافر، 1/142

4 ... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلوٰۃ، الباب الخامس عشر فی صلاۃ المسافر، 1/139

5 ... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلوٰۃ، الباب الخامس عشر فی صلاۃ المسافر، 1/139 ماخوذا

सुवाल मुसाफ़िर को किस सूरत में चार रक्अ़त फ़र्ज़ पढ़ना ज़रूरी है ?

जवाब मुसाफ़िर जब कि मुक़ीम की इक़्तिदा करे तो उस को चार रक्अ़त फ़र्ज़ पढ़ना ज़रूरी है।[1]

सबक़ नम्बर 30 सज्दए तिलावत, सज्दए शुक्र

आयते सज्दा पढ़ कर सज्दा करने की फ़ज़ीलत

हुज़ूर नबिय्ये करीम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم का फ़रमाने जन्नत निशान है : जब जब आदमी आयते सज्दा पढ़ कर सज्दा करता है, शैतान हट जाता है और रो कर कहता है : हाए मेरी बरबादी ! इब्ने आदम को सज्दे का हुक्म हुवा उस ने सज्दा किया उस के लिये जन्नत है और मुझे हुक्म हुवा मैं ने इन्कार किया मेरे लिये दोज़ख़ है।[2]

सुवाल कुरआने पाक में आयाते सज्दा कितनी हैं ?

जवाब सज्दे की चौदह आयतें हैं।[3]

सज्दए तिलावत का त़रीक़ा

सुवाल सज्दए तिलावत का क्या त़रीक़ा है ?

जवाब खड़ा हो कर اَللّٰهُ اَكْبَر कहता हुवा सज्दे में जाए और कम से कम तीन बार سُبْحٰنَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى कहे फिर اَللّٰهُ اَكْبَر कहता हुवा खड़ा हो जाए, सज्दए तिलावत के लिये اَللّٰهُ اَكْبَر कहते वक़्त न हाथ उठाना है न इस में तशह्हुद है न सलाम।[4]

सुवाल क्या सज्दए तिलावत भी फ़ासिद हो जाता है ?

जवाब जी हां जो चीज़ें नमाज़ को फ़ासिद करती हैं उन से सज्दा भी फ़ासिद हो जाएगा।[5]

सुवाल सज्दए तिलावत कब वाजिब होता है ?

---

1 ... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلوٰۃ، الباب الخامس عشر فی صلاۃ المسافر، و مما یتصل بذلک... الخ، 1/142

2 ... مسلم، کتاب الایمان، باب بیان اطلاق اسم الکفر علی من ترک الصلوٰۃ، ص58، حدیث:244

3 ... ہدایۃ، کتاب الصلوٰۃ، باب سجود التلاوۃ، الجزء الاول، ص78

4 ... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلوٰۃ، الباب الثالث عشر في سجود التلاوۃ، 1/135

5 ... در مختار، کتاب الصلوٰۃ، باب سجود التلاوۃ، 2/699

जवाब आयते सज्दा पढ़ने या सुनने से सज्दा वाजिब हो जाता है, पढ़ने में येह शर्त़ है कि इतनी आवाज़ में हो कि अगर कोई उ़ज़्र न हो तो खुद सुन सके।[1]

सुवाल क्या आयते सज्दा लिखने या देखने से सज्दा वाजिब होता है ?

जवाब जी नहीं आयते सज्दा लिखने या देखने से सज्दा वाजिब नहीं होता।[2]

सुवाल अगर आयते सज्दा सुनने की निय्यत न थी बल्कि बिला क़स्द सुन ली तो क्या हुक्म होगा ?

जवाब सुनने वाले के लिये येह ज़रूरी नहीं कि बिल क़स्द सुनी हो, बिला क़स्द सुनने से भी सज्दा वाजिब हो जाता है।[3]

सुवाल अगर आयते सज्दा का तरजमा सुना तो इस सूरत में क्या हुक्म है ?

जवाब किसी भी ज़बान में आयत का तरजमा पढ़ने और सुनने वाले पर सज्दा वाजिब हो गया, सुनने वाले ने समझा हो या न समझा हो कि आयते सज्दा का तरजमा है। अलबत्ता येह ज़रूर है कि उसे न मा'लूम हो तो बता दिया गया हो कि येह आयते सज्दा का तरजमा है।[4]

सुवाल अगर नमाज़ के बाहर आयते सज्दा पढ़ी तो क्या फ़ौरन सज्दा कर लेना वाजिब है ?

जवाब आयते सज्दा नमाज़ के बाहर पढ़ी तो फ़ौरन सज्दा कर लेना वाजिब नहीं है। अलबत्ता वुज़ू हो तो (बिला उ़ज़्र) ताख़ीर करना मक्रूहे तन्ज़ीही है।[5]

सुवाल कोई शख़्स अपनी नमाज़ पढ़ते हुए आयते सज्दा सुन ले तो क्या हुक्म है ?

जवाब जो शख़्स नमाज़ में नहीं उस ने आयते सज्दा पढ़ी और नमाज़ी ने सुन ली तो नमाज़ के बा'द सज्दा करे और अगर नमाज़ ही में सज्दा कर लिया तो काफ़ी न होगा बा'दे नमाज़ फिर करना होगा।[6]

सुवाल अगर किसी ना बालिग़ बच्चे से आयते सज्दा सुनी तो क्या हुक्म होगा ?

---

1 ...فتاوٰی ہندیہ، کتاب الصلوٰۃ، الباب الثالث عشر فی سجود التلاوۃ، 1/132

2 ...حلبی کبیر، سجدۃ التلاوۃ، ص500

3 ...فتاوٰی ہندیہ، کتاب الصلوٰۃ، الباب الثالث عشر فی سجود التلاوۃ، 1/133

4 ...فتاوٰی ہندیہ، کتاب الصلوٰۃ، الباب الثالث عشر فی سجود التلاوۃ، 1/132

5 ...در مختار، کتاب الصلوٰۃ، باب سجود التلاوۃ، 2/703

6 ...فتاوٰی ہندیہ، کتاب الصلوٰۃ، الباب الثالث عشر فی سجود التلاوۃ، 1/133

जवाब ना बालिग़ से आयते सज्दा सुनने से भी सज्दए तिलावत वाजिब हो जाएगा।[1]

सुवाल ना बालिग़ ने आयते सज्दा तिलावत की तो क्या उस पर सज्दा करना वाजिब होगा या नहीं ? नीज़ ना बालिग़ ने आयते सज्दा तिलावत की और बालिग़ ने सुनी तो क्या सुनने से बालिग़ पर सज्दए तिलावत वाजिब हो जाएगा या नहीं ?

जवाब ना बालिग़ अह्कामे शर्इय्या का मुकल्लफ़ नहीं, लिहाज़ा अगर वोह आयते सज्दा तिलावत करे या सुने तो उस पर सज्दए तिलावत वाजिब नहीं होगा, अलबत्ता अगर ना बालिग़ ने तिलावत की और आ़क़िल बालिग़ मुसल्मान ने उस से आयते सज्दा की तिलावत सुनी तो सुनने वाले पर सज्दए तिलावत वाजिब हो जाएगा।

सुवाल पूरी सूरत पढ़ना और आयते सज्दा छोड़ देना कैसा है ?

जवाब मक्रूहे तह्रीमी है।[2]

सुवाल किस सूरत में आयते सज्दा पढ़े और सुने बिग़ैर सज्दए तिलावत वाजिब हो जाता है ?

जवाब इमाम ने आयते सज्दा पढ़ी तो इस सूरत में अगर्चे मुक़्तदी ने आयते सज्दा न पढ़ी और न सुनी मगर इमाम के साथ उस पर भी सज्दए तिलावत करना वाजिब है।[3]

सुवाल सज्दए तिलावत में दो सुन्नत और दो मुस्तह़ब कौन से हैं ?

जवाब सज्दए तिलावत से पहले और बा'द दोनों बार اَللّٰهُ اَكْبَر कहना सुन्नत है और खड़े हो कर सज्दे में जाना और सज्दे के बा'द खड़ा होना येह दोनों क़ियाम मुस्तह़ब हैं।[4]

सुवाल वोह क्या सूरत है कि आयते सज्दा सुनी और सज्दा किये बिग़ैर उस का सज्दा हो गया ?

जवाब अगर इमाम से आयत सुनी मगर इमाम के सज्दा करने के बा'द उसी रक्अ़त में शामिल हुवा तो इमाम का सज्दा इस के लिये भी है और दूसरी रक्अ़त में शामिल हुवा तो नमाज़ के बा'द सज्दा करे।[5]

---

1 ...درمختار، کتاب الصلوٰۃ، باب سجود التلاوۃ، 701/2

2 ...المبسوط، کتاب الصلوٰۃ، باب السجدۃ، جز:2، 5/1

3 ...فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلوٰۃ، الباب الثالث عشر فی سجود التلاوۃ، 133/1

4 ...فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلوٰۃ، الباب الثالث عشر فی سجود التلاوۃ، 135/1

5 ...درمختار مع ردالمحتار، کتاب الصلوٰۃ، باب سجود التلاوۃ، 698/2، बहारे शरीअ़त, 1/728, हिस्सा : 4

सुवाल नमाज़ में आयते सज्दा पढ़ी तो सज्दा करने में कितनी ताख़ीर करने से गुनहगार होगा ?

जवाब तीन आयत से ज़ियादा देर लगाना गुनाह है। तरावीह़ या किसी भी नमाज़ में अगर आयते सज्दा पढ़े तो फ़ौरन सज्दा वाजिब है।[1]

सुवाल नमाज़ में सज्दए तिलावत के बा'द खड़े हो कर बिग़ैर कुछ तिलावत किये रुकूअ़ करना कैसा ?

जवाब ऐसी सूरत में सज्दा अदा तो हो जाएगा मगर ऐसा करना मक्रूह है।[2]

सुवाल अगर किसी पर बहुत से सज्दए तिलावत हों और वोह उन्हें अदा किये बिग़ैर मर जाए या अदा करने से आ़जिज़ हो जाए तो उस की सबुकदोशी की क्या सूरत होगी ?

जवाब शरीअ़त में सज्दए तिलावत का कोई बदल या फ़िदया नहीं है इसी लिये जो अदा न कर सका उस पर मरते वक़्त इस बारे में कोई वसिय्यत करना लाज़िम नहीं। या तो अदा कर ले और अदा करने से आ़जिज़ हो तो तौबा। इस के इ़लावा कोई सूरत नहीं।[3]

सुवाल क्या सज्दए तिलावत में "سُبۡحٰنَ رَبِّیَ الۡاَعۡلٰی" के इ़लावा भी कुछ पढ़ा जा सकता है ?

जवाब फ़र्ज़ नमाज़ में सज्दए तिलावत किया तो "سُبۡحٰنَ رَبِّیَ الۡاَعۡلٰی" पढ़े और नफ़्ल नमाज़ में सज्दा किया तो चाहे येह पढ़े या और दुआ़एं जो अह़ादीस में वारिद हैं वोह पढ़े[4] ।[5]

सुवाल अगर आयते सज्दा पढ़ने या सुनने वाला फ़ौरन सज्दा न कर सके तो उसे क्या कह लेना चाहिये ?

जवाब उस वक़्त अगर किसी वज्ह से सज्दा न कर सके तो तिलावत करने वाले और सुनने वाले को

1... माख़ूज़ अज़ फ़तावा रज़विय्या, 8/239

2... माख़ूज़ अज़ फ़तावा रज़विय्या, 8/235

3... माख़ूज़ अज़ फ़तावा रज़विय्या, 8/238

4... मसलन येह दुआ़ पढ़े : سَجَدَ وَجۡهِیَ لِلَّذِیۡ خَلَقَهٗ وَصَوَّرَهٗ وَشَقَّ سَمۡعَهٗ وَبَصَرَهٗ بِحَوۡلِهٖ وَقُوَّتِهٖ فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحۡسَنُ الۡخَالِقِیۡنَ (**तरजमा :** मेरे चेहरे ने सज्दा किया उस के लिये जिस ने उसे पैदा किया और उस की सूरत बनाई और अपनी त़ाक़तो क़ुव्वत से कान और आंख की जगह फाड़ी बरकत वाला है **अल्लाह** करीम जो अच्छा पैदा करने वाला है।) या येह कह ले : سُبۡحٰنَ رَبِّنَاۤ اِنۡ كَانَ وَعۡدُ رَبِّنَا لَمَفۡعُوۡلًا (**तरजमा :** पाक है हमारा रब, बेशक हमारे परवर्दगार का वा'दा हो कर रहेगा।) (फ़तावा रज़विय्या, 1/732)

5 ...ردالمحتار، کتاب الصلوٰۃ، باب سجود التلاوۃ، 2/700

येह कह लेना मुस्तह़ब है "سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ"(1)

सुवाल सज्दए शुक्र किसे कहते हैं ?

जवाब ह़कीमुल उम्मत मुफ़्ती अह़मद यार ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْحَنَّان फ़रमाते हैं : दीनी या दुन्यवी ख़ुशी की ख़बर सुन कर सज्दा करने को सज्दए शुक्र कहा जाता है ।(2)

सुवाल किन मवाक़ेअ़ पर सज्दए शुक्र करना मुस्तह़ब है ?

जवाब औलाद पैदा हुई या माल पाया या गुमी हुई चीज़ मिल गई या मरीज़ ने शिफ़ा पाई या मुसाफ़िर वापस आया अल ग़रज़ किसी भी ने'मत के ह़ुसूल पर सज्दए शुक्र करना मुस्तह़ब है ।(3)

सुवाल ह़ुज़ूर नबिय्ये करीम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने किस के क़त्ल का सुना तो सज्दए शुक्र अदा किया ?

जवाब ह़ुज़ूर नबिय्ये पाक, साह़िबे लौलाक صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने अबू जह्ल के क़त्ल की ख़बर सुन कर सज्दए शुक्र अदा किया ।(4)

बे वुज़ू सज्दए शुक्र करना कैसा ?

सुवाल अगर कोई शख़्स बे वुज़ू या क़िब्ले की ता'यीन किये बिग़ैर या ज़वाल के वक़्त में सज्दए शुक्र करे तो क्या येह दुरुस्त है ? और सज्दए शुक्र का सह़ीह़ त़रीक़ा भी बता दें ।

जवाब सज्दए तिलावत और सज्दए शुक्र में भी नमाज़ की त़रह़ त़हारत और इस्तिक़्बाले क़िब्ला (क़िब्ला रुख़ होना) शर्त़ है लिहाज़ा त़हारत या क़िब्ला रू हुए बिग़ैर सज्दा अदा नहीं होगा, और चूंकि येह सज्दा वाजिब नहीं होता बल्कि नफ़्ली त़ौर पर किया जाता है इस लिये जिन जिन अवक़ात में नवाफ़िल पढ़ना मक्रूह है उन अवक़ात में येह सज्दा करना भी मक्रूह होगा । सज्दए शुक्र का त़रीक़ा येह है कि जब कोई ने'मत मिले, ख़ुशी ह़ासिल हो या कोई मुसीबत टले तो **अल्लाह** पाक का शुक्र अदा करने की निय्यत से बा त़हारत क़िब्ला रुख़ खड़े हों और तक्बीर कहते हुए सज्दे में जाएं, सज्दे में तस्बीह़ व ह़म्द वग़ैरा के अल्फ़ाज़ कहें (अल्फ़ाज़ कुछ मख़्सूस नहीं हैं कोई भी हो सकते हैं) और फिर तक्बीर कहते हुए सज्दे से उठ जाएं । मुख़्तसर येह है कि सज्दए तिलावत का जो त़रीक़ा है वोही सज्दए शुक्र का भी है ।

1... فتاویٰ تاتارخانیۃ، کتاب الصلوۃ، الفصل الحادی والعشرون فی سجدۃ التلاوۃ، 1/789

2... मिरआतुल मनाजीह़, 2/388 माख़ूज़न

3... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلوۃ، الباب الثالث عشر فی سجود التلاوۃ، 1/136

4... اشعۃ اللمعات، کتاب الصلوۃ، باب فی سجود الشکر، 1/663

सबक़ नम्बर 31

जुमुआ का बयान

हम कितने ख़ुश नसीब हैं कि **अल्लाह** पाक ने अपने प्यारे ह़बीब صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के सदके़ हमें जुमुअ़तुल मुबारक की ने'मत से सरफ़राज़ फ़रमाया। अफ़्सोस! हम ना क़द्रे जुमुआ़ शरीफ़ को भी आ़म दिनों की त़रह़ ग़फ़्लत में गुज़ार देते हैं ह़ालां कि जुमुआ़ यौमे ईद है, जुमुआ़ सब दिनों का सरदार है, जुमुआ़ के रोज़ जहन्नम की आग नहीं सुलगाई जाती, जुमुआ़ की रात दोज़ख़ के दरवाज़े नहीं खुलते, जुमुआ़ को बरोज़े क़ियामत दुल्हन की त़रह़ उठाया जाएगा, जुमुआ़ के रोज़ मरने वाला ख़ुश नसीब मुसल्मान शहीद का रुत्बा पाता और अ़ज़ाबे क़ब्र से मह़फ़ूज़ हो जाता है। मश्हूर मुफ़स्सिर ह़कीमुल उम्मत ह़ज़रते मुफ़्ती अह़मद यार ख़ान رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه के फ़रमान के मुत़ाबिक़, जुमुआ़ को ह़ज हो तो उस का सवाब सत्तर ह़ज के बराबर है, जुमुआ़ की एक नेकी का सवाब सत्तर गुना है। (चूंकि जुमुआ़ का शरफ़ बहुत ज़ियादा है लिहाज़ा) जुमुआ़ के रोज़ गुनाह का अ़ज़ाब भी सत्तर गुना है।[(1)]

जुमुअ़तुल मुबारक के फ़ज़ाइल के तो क्या कहने! **अल्लाह** पाक ने जुमुआ़ के मुतअ़ल्लिक़ एक पूरी सूरत "सूरतुल जुमुअ़ह" नाज़िल फ़रमाई है जो कि क़ुरआने करीम के 28वें पारे में जगमगा रही है। **अल्लाह** पाक सूरतुल जुमुअ़ह की आयत नम्बर 9 में इर्शाद फ़रमाता है :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝۹ (پ28، الجمعۃ:9)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : ऐ ईमान वालो! जब नमाज़ की अज़ान हो जुमुआ़ के दिन तो **अल्लाह** के ज़िक्र की त़रफ़ दौड़ो और ख़रीदो फ़रोख़्त छोड़ दो, येह तुम्हारे लिये बेहतर है अगर तुम जानो।

जुमुआ़ के मा'ना

सुवाल जुमुआ़ का मा'ना क्या है और इस को जुमुआ़ क्यूं कहते हैं ?

जवाब मुफ़स्सिरे शहीर ह़कीमुल उम्मत ह़ज़रते मुफ़्ती अह़मद यार ख़ान رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : चूंकि इस दिन में तमाम मख़्लूक़ात वुजूद में मुज्तमअ़ (या'नी इकट्ठी) हुई कि तक्मीले ख़ल्क़ इसी दिन हुई नीज़ ह़ज़रते आदम عَلَيْهِ السَّلَام की मिट्टी इसी दिन जम्अ़ हुई नीज़ इस दिन में लोग जम्अ़ हो कर नमाज़े जुमुआ़ अदा करते हैं, इन वुजूह से इसे जुमुआ़ कहते हैं। इस्लाम से पहले अहले अ़रब

1... मिरआतुल मनाजीह़, 2/323, 325, 336 मुलख़्ख़सन

इसे अ़रूबा कहते थे ।[1]

नमाज़े जुमुआ़ अदा करने की फ़ज़ीलत

सुवाल नमाज़े जुमुआ़ पढ़ने की क्या फ़ज़ीलत है ?

जवाब ह़ज़रते सय्यिदुना अबू हुरैरा رَضِیَ اللہُ عَنْہ से मरवी है कि ह़ुज़ूर नबिय्ये पाक, साह़िबे लौलाक صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : जिस ने अच्छी त़रह़ वुज़ू किया फिर जुमुआ़ पढ़ने के लिये आया, (ख़ुत़्बा) सुना और चुप रहा तो उस के वोह गुनाह बख़्श दिये जाएंगे जो इस जुमुआ़ से दूसरे जुमुआ़ के दरमियान हैं और तीन दिन मज़ीद और जिस ने कंकरी छूई उस ने लग़्व किया ।[2]

सुवाल जुमुआ़ न पढ़ने वालों के लिये क्या वईद है ?

जवाब सरवरे काएनात صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : लोग जुमुआ़ छोड़ने से बाज़ आएं वरना **अल्लाह** पाक उन के दिलों पर मोहर कर देगा फिर वोह ग़ाफ़िलों में से हो जाएंगे ।[3]

जुमुआ़ किस पर वाजिब है ?

सुवाल जुमुआ़ किस पर वाजिब है और इस के लिये क्या शराइत़ हैं ?

जवाब जुमुआ़ वाजिब होने के लिये ग्यारह शर्तें हैं : (1) शहर में मुक़ीम होना (2) सिह़्ह़त या'नी मरीज़ पर जुमुआ़ फ़र्ज़ नहीं, मरीज़ से मुराद वोह है कि मस्जिदे जुमुआ़ तक न जा सकता हो या चला तो जाएगा मगर मरज़ बढ़ जाएगा या देर में अच्छा होगा। शैख़े फ़ानी मरीज़ के हुक्म में है। (3) आज़ाद होना, ग़ुलाम पर जुमुआ़ फ़र्ज़ नहीं और उस का आक़ा मन्अ़ कर सकता है (4) मर्द होना (5) बालिग़ होना (6) आ़क़िल होना। येह दोनों शर्तें ख़ास जुमुआ़ के लिये नहीं बल्कि हर इबादत के वुजूब में अ़क़्ल व बुलूग़ शर्त़ है। (7) अंख्यारा होना (8) चलने पर क़ादिर होना (9) क़ैद में न होना (10) बादशाह या चोर वग़ैरा किसी ज़ालिम का ख़ौफ़ न होना (11) मींह या आंधी या ओले या सर्दी का न होना या'नी इस क़दर कि इन से नुक़्सान का ख़ौफ़े सह़ीह़ हो ।[4]

1... मिरआतुल मनाजीह़, 2/317

2... مسلم، کتاب الجمعۃ، باب فضل من استمع وانصت فی الخطبۃ، ص332، 333، حدیث:1988

3... مسلم، کتاب الجمعۃ، باب التغلیظ فی ترک الجمعۃ، ص334، حدیث:2002

4... बहारे शरीअ़त, 1/770, 772, ह़िस्सा : 4

जुमुआ़ की नमाज़ से पहले ज़ोहर पढ़ना कैसा है ?

सुवाल जुमुआ़ फ़र्ज़ न होने के बा वुजूद पढ़ लेना कैसा है ?

जवाब जुमुआ़ वाजिब होने के लिये ग्यारह शर्तें हैं[(1)] उन में से एक भी न पाई जाए तो फ़र्ज़ नहीं फिर भी अगर पढ़ेगा तो हो जाएगा बल्कि मर्द आ़क़िल बालिग़ के लिये जुमुआ़ पढ़ना अफ़्ज़ल है और औ़रत के लिये ज़ोहर अफ़्ज़ल और ना बालिग़ ने जुमुआ़ पढ़ा तो नफ़्ल है कि इस पर नमाज़ फ़र्ज़ ही नहीं।[(2)]

सुवाल जिस पर जुमुआ़ फ़र्ज़ है अगर उस ने जुमुआ़ की नमाज़ से पहले ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली तो क्या जुमुआ़ की नमाज़ उसे पढ़नी होगी या नहीं ?

जवाब जिस पर जुमुआ़ फ़र्ज़ है उसे शहर में जुमुआ़ हो जाने से पहले ज़ोहर पढ़ना मक्रूहे तह़रीमी है बल्कि इमाम इब्ने हुमाम رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه ने फ़रमाया : ह़राम है और पढ़ लिया जब भी जुमुआ़ के लिये जाना फ़र्ज़ है और जुमुआ़ हो जाने के बा'द ज़ोहर पढ़ने में कराहत नहीं, बल्कि अगर जुमुआ़ दूसरी जगह न मिल सके तो ज़ोहर ही पढ़ना फ़र्ज़ है मगर जुमुआ़ तर्क करने का गुनाह उस के सर रहा।[(3)]

सुवाल वोह कौन सी नमाज़ है जिसे अदा करना फ़र्ज़े ऐन है मगर उस की क़ज़ा पढ़ना ह़राम है ?

जवाब वोह नमाज़े जुमुआ़ है कि जिस का पढ़ना फ़र्ज़े ऐन है लेकिन अगर वोह छूट जाए तो उस की क़ज़ा पढ़ना ह़राम है बल्कि उस की क़ज़ा की जगह वोह ज़ोहर पढ़ेगा।[(4)]

सुवाल क्या सुस्ती के सबब जुमुआ़ में देर से पहुंचने वाले का जुमुआ़ हो जाएगा ?

जवाब जो जुमुआ़ में सुस्ती से आए और देर में पहुंचे अगर्चे उस का जुमुआ़ तो हो जाएगा मगर वोह सवाब न मिलेगा जो जल्दी पहुंचने वाले को मिलता है।[(5)]

1... जुमुआ़ वाजिब होने की येह शराइत़ दा'वते इस्लामी के इशाअ़ती इदारे मक्तबतुल मदीना की मत़्बूआ़ किताब "बहारे शरीअ़त" जिल्द अव्वल, सफ़ह़ा 770 ता 772 पर और "दिलचस्प मा'लूमात" ह़िस्सए अव्वल, सफ़ह़ा 84 पर मुलाह़ज़ा फ़रमाइये।

2... در مختار مع ردالمحتار، کتاب الصلوۃ، باب الجمعۃ، مطلب فی شروط وجوب الجمعۃ، 3/33

3... ردالمحتار، کتاب الصلوۃ، باب الجمعۃ، مطلب فی شروط وجوب الجمعۃ، 3/،33، 34 ، बहारे शरीअ़त, 1/773, ह़िस्सा : 4

4... الاشباہ والنظائر، الفن الرابع، کتاب الصلوۃ، ص342

5... मिरआतुल मनाजीह़, 2/338

सुवाल दौराने ख़ुत्बा खाने पीने या बातचीत करने का क्या हुक्म है ?

जवाब ख़ुत्बे के दौरान खाना पीना, बात करना, سُبْحٰنَ الله कहना, सलाम का जवाब देना या नेकी की बात बताना ह़राम है।(1)

सुवाल ख़ुत्बे की आवाज़ न पहुंचती हो तो क्या हुक्म है ?

जवाब जिस तक ख़ुत्बे की आवाज़ न पहुंचती हो वोह भी ख़ामोश रहे।(2)

ख़ुत्बा सुनने के आदाब

सुवाल क्या ख़ामोशी के इलावा ख़ुत्बा सुनने के कुछ और भी आदाब हैं ?

जवाब ख़ुत्बे के वक़्त सिर्फ़ ज़बान से ख़ामोशी काफ़ी नहीं बल्कि सुकूनो इत्मीनान से बैठना भी ज़रूरी है, कंकर पथ्थरों से खेलना भी मम्नूअ़ है। उ़लमा फ़रमाते हैं कि ख़ुत्बे के वक़्त दामन या पंखे से हवा करना भी मन्अ़ है अगर्चे गरमी हो, उस वक़्त हमातन ख़ुत्बे की त़रफ़ मुतवज्जेह होना ज़रूरी है।(3) इसी त़रह़ अगर ख़ुत्बा सुनने वाला अगर इमाम के सामने हो तो इमाम की त़रफ़ मुंह करे और दहने बाएं हो तो इमाम की त़रफ़ मुड़ जाए, इमाम से क़रीब होना अफ़्ज़ल है मगर येह जाइज़ नहीं कि इमाम से क़रीब होने के लिये लोगों की गरदनें फलांगे, अलबत्ता अगर इमाम अभी ख़ुत्बे को नहीं गया है और आगे जगह बाक़ी है तो आगे जा सकता है और ख़ुत्बा शुरूअ़ होने के बा'द मस्जिद में आया तो मस्जिद के कनारे ही बैठ जाए और ख़ुत्बा सुनने की ह़ालत में दो ज़ानू बैठे जैसे नमाज़ में बैठते हैं।(4)

दौराने ख़ुत्बा दुरूदे पाक पढ़ना कैसा ?

सुवाल दौराने ख़ुत्बा नामे अक़्दस صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم आने पर दुरूद का क्या हुक्म है ?

जवाब हुज़ूरे अक़्दस صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم का नामे पाक ख़त़ीब ने लिया तो ह़ाज़िरीन दिल में दुरूद शरीफ़ पढ़ें, ज़बान से पढ़ने की उस वक़्त इजाज़त नहीं।(5) यूंही सह़ाबए किराम के ज़िक्र पर उस वक़्त رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُم ज़बान से कहने की इजाज़त नहीं।(6)

1... در مختار، کتاب الصلوۃ، باب الجمعۃ، 3/39

2... تبیین الحقائق، کتاب الصلوۃ، 1/340

3... मिरआतुल मनाजीह़, 2/335

4... حلبی کبیر، فصل فی صلوۃ الجمعۃ، ص565, बहारे शरीअ़त, 1/767 ता 768, हिस्सा : 4 मुलख़्ख़सन

5... در مختار، کتاب الصلوۃ، باب الجمعۃ، 3/40

6... बहारे शरीअ़त, 1/775, हिस्सा : 4

सुवाल पहला ख़ुत्बा हाथ बांध कर और दूसरा ज़ानूओं पर हाथ रख कर सुनने का क्या अज्र है ?

जवाब बुज़ुर्गाने दीन फ़रमाते हैं कि दो ज़ानू बैठ कर ख़ुत्बा सुने, पहले ख़ुत्बे में हाथ बांधे और दूसरे में ज़ानूं पर हाथ रखे तो اِنْ شَآءَاللّٰہ दो रक्अ़त का सवाब मिलेगा।[1]

किस पर जुमुआ़ फ़र्ज़ नहीं ?

सुवाल कौन से मरीज़ और तीमार दार पर जुमुआ़ फ़र्ज़ नहीं ?

जवाब मरीज़ पर जुमुआ़ फ़र्ज़ नहीं, मरीज़ से मुराद वोह है कि मस्जिद तक न जा सकता हो या चला तो जाएगा मगर मरज़ बढ़ जाएगा या देर में अच्छा होगा।[2] जो शख़्स मरीज़ का तीमार दार हो, (अगर वोह) जानता है कि जुमुआ़ को जाएगा तो मरीज़ दिक़्क़तों में पड़ जाएगा और उस का कोई पुरसाने ह़ाल न होगा तो उस तीमार दार पर जुमुआ़ फ़र्ज़ नहीं।[3]

सुवाल किस नाबीना पर जुमुआ़ फ़र्ज़ है और किस पर नहीं ?

जवाब वोह नाबीना जो ख़ुद मस्जिदे जुमुआ़ तक बिला तकल्लुफ़ न जा सकता हो उस पर जुमुआ़ फ़र्ज़ नहीं। बा'ज़ नाबीना बिला तकल्लुफ़ बिग़ैर किसी की मदद के बाज़ारों रास्तों में चलते फिरते हैं और जिस मस्जिद में चाहें बिला पूछे जा सकते हैं उन पर जुमुआ़ फ़र्ज़ है।[4]

जुमुआ़ के लिये जाते हुए ख़रीदो फ़रोख़्त

सुवाल नमाज़े जुमुआ़ के लिये जाते हुए ख़रीदो फ़रोख़्त करना कैसा है ?

जवाब पहली अज़ान के होते ही सई वाजिब है और बैअ़ (ख़रीदो फ़रोख़्त) वग़ैरा उन चीज़ों का जो सई के मुनाफ़ी हों छोड़ देना वाजिब यहां तक कि रास्ता चलते हुए अगर ख़रीदो फ़रोख़्त की तो येह भी ना जाइज़ और मस्जिद में ख़रीदो फ़रोख़्त तो सख़्त गुनाह है।[5]

जवाब जुमुआ़ के लिये अलग जोड़ा रखने का क्या हुक्म है ?

1... मिरआतुल मनाजीह़, 2/338

2... حلبی کبیر، فصل فی صلٰوۃ الجمعۃ، ص548

3... در مختار، کتاب الصلٰوۃ، باب الجمعۃ، 3/31، बहारे शरीअ़त, 1/770, ह़िस्सा : 4

4... در مختار مع رد المحتار، کتاب الصلٰوۃ، باب الجمعۃ، مطلب فی شروط وجوب الجمعۃ، 3/32

5... در مختار مع رد المحتار، کتاب الصلٰوۃ، باب الجمعۃ، 3/42

जवाब मुस्तह़ब है कि जुमुआ़ का जोड़ा अलग रखे जो ब वक़्ते नमाज़ पहन लिया करे और बा'द में उतार दिया करे। इमाम ज़ैनुल आ़बिदीन رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ तो नमाज़े पन्जगाना के लिये अलग जोड़ा रखते थे।(1)

सुवाल यौमे जुमुआ़ में वोह मुख़्तसर घड़ी कौन सी है जिस में भलाई मांगने वाले मुसल्मान को ज़रूर दिया जाता है ?

जवाब इस बारे में अकाबिर मुह़क़्क़िक़ीन उ़लमा और कसीर अइम्मए किराम رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام के नज़्दीक राजेह़ और क़वी क़ौल दो हैं : (1) वोह रोज़े जुमुआ़ की आख़िरी साअ़त या'नी ग़ुरूबे आफ़्ताब से कुछ पहले का वक़्त है। (2) जब इमाम मिम्बर पर बैठे उस वक़्त से फ़र्ज़े जुमुआ़ के सलाम तक। अलबत्ता इमाम के मिम्बर पर आने के बा'द से फ़र्ज़े जुमुआ़ का सलाम फेरने तक किसी भी क़िस्म का कलाम मन्अ़ होने की वज्ह से दुआ़ फ़क़त़ दिल से की जा सकती है।(2)

सुवाल जुमुआ़ के दिन मस्जिद आने वाले किन अफ़राद का नाम फ़िरिश्ते नहीं लिखते ?

जवाब जब जुमुआ़ का दिन आता है फ़िरिश्ते मस्जिद के दरवाज़े पर खड़े हो जाते हैं और जल्दी आने वालों का नाम लिखते हैं। फिर जब इमाम ख़ुत़्बे के लिये मिम्बर पर आता है तो येह फ़िरिश्ते अपने दफ़्तर लपेट कर इन्सानों के साथ ख़ुत़्बा सुनने लगते हैं, अब जो उस वक़्त आएगा, न उस का नाम उन के दफ़्तर में लिखा जाएगा न उसे जल्द आने का सवाब मिलेगा।(3)

सुवाल हुज़ूर नबिय्ये करीम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने कितने जुमुआ़ अदा फ़रमाए ?

जवाब हुज़ूर नबिय्ये अकरम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने तक़रीबन पांच सो जुमुए पढ़े हैं क्यूं कि जुमुआ़ बा'दे हिजरत शुरूअ़ हुवा जिस के बा'द आप صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की ज़ाहिरी ज़िन्दगी मुबारक दस साल रही, इस अ़र्से में जुमुए इतने ही होते हैं।(4)

सुवाल नमाज़े जुमुआ़ के लिये ग़ुस्ल करने और ख़ुश्बू लगाने वाले के लिये क्या इन्आ़म है ?

जवाब ह़ज़रते सय्यिदुना सलमान फ़ारसी رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ से रिवायत है कि हुज़ूर नबिय्ये करीम, रऊफ़ुर्रहीम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : जो शख़्स जुमुआ़ के दिन नहाए, जिस त़हारत की इस्तित़ाअ़त हो करे, तेल लगाए, घर में जो ख़ुश्बू हो मले फिर नमाज़ के लिये निकले, दो शख़्सों में जुदाई न करे (या'नी दो शख़्स बैठे हुए हों उन्हें हटा कर बीच में न बैठे), जो नमाज़ उस के लिये लिखी गई है पढ़े

1... मिरआतुल मनाजीह़, 2/337

2... फ़ज़ाइले दुआ़, स. 116 ता 119 मुलख़्ख़सन

3... بخاری، کتاب الجمعۃ، باب الاستماع الی الخطبۃ، 1/319، حدیث:929، मिरआतुल मनाजीह़, 2/335

4... اشعۃ اللمعات، کتاب الصلوۃ، باب الخطبۃ والصلوۃ، الفصل الثالث، 1/631

और इमाम जब ख़ुत्बा पढ़े तो चुप रहे उस के इस जुमुआ़ और दूसरे जुमुआ़ के दरमियान होने वाले गुनाहों की मग़्फ़िरत हो जाएगी ।[1]

सुवाल नमाज़े जुमुआ़ में लोगों की गरदनें फलांगने वाले के लिये क्या वईद है ?

जवाब ह़दीसे मुबारक में है कि जिस ने जुमुआ़ के दिन लोगों की गरदनें फलांगीं उस ने जहन्नम की त़रफ़ पुल बनाया[2] ।[3]

सुवाल जुमुआ़ के दिन सूरए कह्फ़ पढ़ने की क्या फ़ज़ीलत है और ज़ियादा बेहतर किस वक़्त है ?

जवाब जुमुआ़ के दिन या रात में सूरए कह्फ़ की तिलावत अफ़्ज़ल है और ज़ियादा बुज़ुर्गी रात में पढ़ने की है । ह़दीसे मुबारका में है कि जो शख़्स जुमुआ़ के दिन सूरए कह्फ़ की तिलावत करे उस के लिये दोनों जुमुओं के दरमियान नूर रोशन होगा ।[4] नीज़ इर्शाद फ़रमाया : जो जुमुआ़ के दिन सूरए कह्फ़ पढ़े उस के क़दम से आस्मान तक नूर बुलन्द होगा जो क़ियामत में उस के लिये रोशन होगा और दो जुमुओं के दरमियान जो गुनाह हुए हैं बख़्श दिये जाएंगे ।[5]

सुवाल जुमुअ़तुल मुबारक के दिन फ़ौत होने वाले के लिये ह़दीस में क्या बिशारत है ?

जवाब हुज़ूर नबिय्ये करीम, रऊफ़ुर्रह़ीम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : जो रोज़े जुमुआ़ या शबे जुमुआ़ मरेगा अ़ज़ाबे क़ब्र से बचा लिया जाएगा और क़ियामत के दिन इस त़रह़ आएगा कि उस पर शहीदों की मोहर होगी ।[6]

सबक़ नम्बर 32

ईदैन

सुवाल ईदुल फ़ित्र और ईदुल अज़्ह़ा किन चीज़ों के शुक्राने के त़ौर पर मनाई जाती हैं ?

---

1 ...بخاری، کتاب الجمعۃ، باب الدھن للجمعۃ، 1/306، حدیث:883

2 ... ह़दीस में लफ़्ज़ اِتَّخَذَ جِسْرًا वाक़ेअ़ हुवा है इस को मा'रूफ़ व मज्हूल (या'नी اِتَّخَذَ और اُتُّخِذَ) दोनों त़रह़ पढ़ते हैं और येह तरजमा मा'रूफ़ का है और मज्हूल पढ़ें तो मत़लब येह होगा कि ख़ुद पुल बना दिया जाएगा या'नी जिस त़रह़ लोगों की गरदनें उस ने फलांगी हैं, उस को क़ियामत के दिन जहन्नम में जाने का पुल बनाया जाएगा कि उस के ऊपर चढ़ कर लोग जाएंगे । (बहारे शरीअ़त, 1/761, 762, ह़िस्सा : 4)

3 ...ترمذی، کتاب الجمعۃ، باب ماجاء فی کراھیۃ التخطی یوم الجمعۃ، 2/48، حدیث:513

4 ...سنن صغری، کتاب الصلوٰۃ، باب فضل الجمعۃ، 1/210، حدیث:608

5 ...الترغیب والترھیب، کتاب الجمعۃ، الترغیب فی قراءۃ سورۃ الکھف...الخ، 1/298، حدیث:2

6 ...ترمذی، کتاب الجنائز، باب ماجاء فیمن مات یوم الجمعۃ، 2/339، حدیث:1076، مسند الفردوس، 2/274، حدیث:5968

जवाब ईदुल फ़ित्र इबादाते रमज़ान की तौफ़ीक़ मिलने के शुक्रिय्ये की है और बक़र ईद ह़ज़रते इब्राहीम व इस्माईल عَلَيْهِمَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام की काम्याबी के शुक्रिय्ये में ।(1)

सुवाल पहली नमाज़े ईद कब अदा की गई ?

जवाब सिने 2 हिजरी में जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हुए, उसी साल नबिय्ये करीम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने पहले नमाज़े ईद पढ़ी फिर बक़र ईद ।(2)

सुवाल ईदैन की नमाज़ का हुक्म बयान करें ?

जवाब ईदैन की नमाज़ वाजिब है मगर सब पर नहीं बल्कि उन्हीं पर जिन पर जुमुआ वाजिब है ।(3)

सुवाल ईदैन की नमाज़ का मुस्तह़ब वक़्त बताइये ।

जवाब इन दोनों नमाज़ों का वक़्त सूरज के एक नेज़े की मिक़्दार बुलन्द होने (या'नी तुलूए़ आफ़्ताब के बीस मिनट बा'द) से ज़ह़्वए कुब्रा या'नी निस्फ़ुन्नहारे शर्ई़ तक है ।(4) मगर ईदुल फ़ित्र में देर करना और ईदुल अज़्हा में जल्द पढ़ना मुस्तह़ब है ।(5)

नमाज़े ईद की निय्यत

सुवाल नमाज़े ईद की निय्यत किस त़रह़ करे ?

जवाब मैं निय्यत करता हूं दो रक्अ़त नमाज़ ईदुल फ़ित्र (या ईदुल अज़्हा) की, साथ छे ज़ाइद तक्बीरों के, वासिते़ **अल्लाह** पाक के, पीछे इस इमाम के ।(6)

ईदैन की नमाज़ का त़रीक़ा

जवाब ईदैन की नमाज़ का त़रीक़ा बयान कीजिये ।

1... मिरआतुल मनाजीह़, 2/355, मुल्तक़त़न 337

2... मिरआतुल मनाजीह़, 2/355 मुलख़्ख़सन

3... درمختار، کتاب الصلوۃ، باب العیدین، 3/51

4... تبیین الحقائق، کتاب الصلوۃ، باب صلوۃ العیدین، 1/540

5... خلاصۃ الفتاوی، کتاب الصلوۃ، الفصل الرابع والعشرون فی صلوۃ العیدین، 1/214

6... बहारे शरीअ़त, 1/781, हिस्सा : 4 ब तग़य्युर

सुवाल (इमाम साहिब जब اَللّٰهُ اَكْبَر कहें तो) कानों तक हाथ उठाइये और اَللّٰهُ اَكْبَر कह कर हस्बे मा'मूल नाफ़ के नीचे बांध लीजिये और सना पढ़िये। फिर कानों तक हाथ उठाइये और اَللّٰهُ اَكْبَر कहते हुए लटका दीजिये। फिर हाथ कानों तक उठाइये और اَللّٰهُ اَكْبَر कह कर लटका दीजिये। फिर कानों तक हाथ उठाइये और اَللّٰهُ اَكْبَر कह कर बांध लीजिये या'नी पहली तक्बीर के बा'द हाथ बांधिये इस के बा'द दूसरी और तीसरी तक्बीर में लटकाइये और चौथी में हाथ बांध लीजिये। इस को यूं याद रखिये कि जहां क़ियाम में तक्बीर के बा'द कुछ पढ़ना है वहां हाथ बांधने हैं और जहां नहीं पढ़ना वहां हाथ लटकाने हैं।[1] फिर इमाम तअ़व्वुज़ और तस्मिया आहिस्ता पढ़ कर अल हम्द शरीफ़ और सूरत जह्र (या'नी बुलन्द आवाज़) के साथ पढ़े, फिर रुकूअ़ करे। दूसरी रक्अ़त में पहले अल हम्द शरीफ़ और सूरत जह्र के साथ पढ़े, फिर तीन बार कानों तक हाथ उठा कर اَللّٰهُ اَكْبَر कहिये और हाथ न बांधिये और चौथी बार बिग़ैर हाथ उठाए اَللّٰهُ اَكْبَر कहते हुए रुकूअ़ में जाइये और नमाज़ मुकम्मल कर लीजिये।[2]

नमाज़े ईद में ज़ाइद तक्बीरें

सुवाल नमाज़े ईद में कितनी तक्बीरें ज़ाइद होती हैं ?

जवाब नमाज़े ईद में छे तक्बीरें ज़ियादा कही जाती हैं।[3]

सुवाल नमाज़े ईद में ज़ाइद तक्बीरें किस वक़्त कही जाती हैं ?

जवाब ज़ाइद तक्बीरें हर रक्अ़त में तीन तीन हैं, पहली रक्अ़त में क़िराअत से पहले और तक्बीरे तह्रीमा के बा'द और दूसरी रक्अ़त में रुकूअ़ से पहले और क़िराअत के बा'द कही जाती हैं।[4]

सुवाल नमाज़े ईद में तक्बीरे तह्रीमा के इलावा हाथ कानों तक कब उठाए जाते हैं ?

जवाब नमाज़े ईद में कही जाने वाली छे ज़ाइद तक्बीरों में कानों तक हाथ उठाए जाते हैं।[5]

सुवाल नमाज़े ईद में इमाम को रुकूअ़ में पाने वाला ज़ाइद तक्बीरें कैसे कहेगा ?

---

1 ...درمختار، کتاب الصلوٰۃ، باب العیدین، 3/61
2 ...فتاوی ہندیہ، کتاب الصلوٰۃ، الباب السابع عشر فی صلوٰۃ العیدین، 1/150
3 ...درمختار، کتاب الصلوٰۃ، باب العیدین، 3/61
4 ...درمختار وردالمحتار، کتاب الصلوٰۃ، باب العیدین، 3/61-63ملتقطا
5 ...درمختار، کتاب الصلوٰۃ، باب العیدین، 3/65 مفصلا

जवाब अगर इमाम को रुकूअ़ में पाया और ग़ालिब गुमान है कि तक्बीरें कह कर इमाम को रुकूअ़ में पा लेगा तो खड़े खड़े तक्बीरें कहे फिर रुकूअ़ में जाए वरना اَللّٰهُ اَكْبَر कह कर रुकूअ़ में जाए और रुकूअ़ में तक्बीरें कहे।[1]

सुवाल मुक़्तदी रुकूअ़ में ज़ाइद तक्बीरें पूरी नहीं कर सका या फिर क़ौमा में शामिल हुवा तो अब तक्बीरें कब कहेगा ?

जवाब अगर इस ने रुकूअ़ में तक्बीरें पूरी न की थीं कि इमाम ने सर उठा लिया तो बाक़ी साक़ित हो गईं और अगर इमाम के रुकूअ़ से उठने के बा'द शामिल हुवा तो अब तक्बीरें न कहे बल्कि जब अपनी पढ़े उस वक़्त कहे और रुकूअ़ में जहां तक्बीर कहना बताया गया उस में हाथ न उठाए और अगर दूसरी रक्अ़त में शामिल हुवा तो पहली रक्अ़त की तक्बीरें अब न कहे बल्कि जब अपनी फ़ौत शुदा पढ़ने खड़ा हो उस वक़्त कहे।[2]

सुवाल इमाम साहिब ने छे से ज़ियादा तक्बीरें कह दीं तो मुक़्तदी क्या करेगा ?

जवाब इमाम ने छे तक्बीरों से ज़ियादा कहीं तो मुक़्तदी भी इमाम की पैरवी करे मगर तेरह से ज़ियादा में इमाम की पैरवी नहीं (की जाएगी कि ईदैन में तेरह तक तक्बीरें मश्रूअ़ हैं)।[3]

सुवाल पहली रक्अ़त में इमाम साहिब ने तक्बीरों से पहले क़िराअत शुरूअ़ कर दी तो क्या हुक्म है ?

जवाब पहली रक्अ़त में इमाम तक्बीरें भूल गया और क़िराअत शुरूअ़ कर दी तो क़िराअत के बा'द कह ले या रुकूअ़ में और क़िराअत का इआ़दा न करे।[4]

सुवाल वोह कौन सी नमाज़ है जिस में रुकूअ़ की तक्बीर कहना वाजिब है ?

जवाब ईदैन में दूसरी रक्अ़त के रुकूअ़ की तक्बीर कहना वाजिब है।[5]

सुवाल इमाम का ख़ुत्बए ईद से पहले और बा'द में तक्बीर कहने का हुक्म बयान कीजिये।

जवाब नमाज़े ईद में पहले ख़ुत्बे से क़ब्ल नव बार और दूसरे से पहले सात बार और मिम्बर से

---

1 ...ردالمحتار، کتاب الصلوۃ، باب العیدین، 3/64

2 ...فتاوی ہندیۃ، کتاب الصلوۃ، الباب السابع عشر فی صلوۃ العیدین، 1/151

3 ...ردالمحتار، کتاب الصلوۃ، باب العیدین، 3/63، 4 बहारे शरीअ़त, 1/782, हिस्सा : 4

4 ...فتاوی ہندیہ، کتاب الصلوۃ، الباب السابع عشر...الخ، 1/151

5 ...درمختار، کتاب الصلوۃ، باب صفۃ الصلوۃ، 2/200

उतरने से पहले चौदह बार اَللّٰہُ اَکْبَر कहना सुन्नत है ।[1]

सुवाल जिस शख़्स की नमाज़े ईद की जमाअ़त निकल जाए क्या वोह अपने तौ़र पर पढ़ सकता है ?

जवाब इमाम ने नमाज़ पढ़ ली और कोई शख़्स बाक़ी रह गया ख़्वाह वोह शामिल ही न हुवा था या शामिल तो हुवा मगर उस की नमाज़ फ़ासिद हो गई तो अगर दूसरी जगह मिल जाए पढ़ ले वरना नहीं पढ़ सकता, हां बेहतर येह है कि येह शख़्स चार रक्अ़त चाश्त की नमाज़ पढ़े ।[2]

नमाज़े ईद दूसरे दिन पढ़ने का हुक्म

सुवाल क्या नमाज़े ईद दूसरे दिन भी पढ़ी जा सकती है ?

जवाब किसी उ़ज़्र के सबब ईद के दिन नमाज़ न हो सकी (मसलन सख़्त बारिश हुई या अब्र के सबब चांद नहीं देखा गया और गवाही ऐसे वक़्त गुज़री कि नमाज़ न हो सकी या अब्र था और नमाज़ ऐसे वक़्त ख़त्म हुई कि ज़वाल हो चुका था) तो दूसरे दिन पढ़ी जाए और दूसरे दिन भी न हुई तो ईदुल फ़ित्र की नमाज़ तीसरे दिन नहीं हो सकती और दूसरे दिन भी नमाज़ का वोही वक़्त है जो पहले दिन था या'नी एक नेज़ा आफ़्ताब बुलन्द होने से निस्फ़ुन्नहारे शर्ई तक और बिला उ़ज़्र ईदुल फ़ित्र की नमाज़ पहले दिन न पढ़ी तो दूसरे दिन नहीं पढ़ सकते ।[3]

तक्बीरे तश्रीक़ और इस का हुक्म

सुवाल तक्बीरे तश्रीक़ और इस का हुक्म बयान करें ।

जवाब नवीं ज़िल हिज्जा की फ़ज्र से तेरहवीं की अ़स्र तक पांचों वक़्त की फ़र्ज़ नमाज़ें जो मस्जिद की जमाअ़ते ऊला के साथ अदा की गईं उन में (सलाम फेरने के बा'द फ़ौरन) एक बार बुलन्द आवाज़ से तक्बीर कहना वाजिब और तीन बार अफ़्ज़ल ।[4] तक्बीरे तश्रीक़ येह है : اَللّٰہُ اَکْبَرُ اَللّٰہُ اَکْبَرُ لَآ اِلٰـہَ اِلَّا اللّٰہُ وَاللّٰہُ اَکْبَرُ اَللّٰہُ اَکْبَرُ وَلِلّٰہِ الْحَمْدُ ।[5]

---

1 ...در مختار، کتاب الصلوٰۃ، باب العیدین، 3/67

2 ...در مختار، کتاب الصلوٰۃ، باب العیدین، 3/67، 68

3 ...فتاوی ہندیہ، کتاب الصلوٰۃ، الباب السابع عشر فی صلوٰۃ العیدین، 1/151، 4 : बहारे शरीअ़त, 1/784, हिस्सा

4 ...تبیین الحقائق، کتاب الصلوٰۃ، باب صلاۃ العیدین، 1/544-545ملتقطا

5 ...تنویر الابصار، کتاب الصلوٰۃ، باب العیدین، 3/72

सुवाल ईद की नमाज़ से पहले कुछ खाना चाहिये या नहीं ?

जवाब ईदुल फ़ित्र में नमाज़ से पहले चन्द खजूरें ताक़ अ़दद में तीन, पांच, सात या कोई भी मीठी शै खा लेना मुस्तह़ब है जब कि ईदुल अज़्हा (बक़र ईद) में नमाज़ से पहले कुछ न खाना मुस्तह़ब है अगर्चे कुरबानी न करे ।(1) जैसा कि ह़दीसे पाक में है कि हुज़ूर नबिय्ये करीम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ईदुल फ़ित्र के दिन कुछ खा कर नमाज़ के लिये तशरीफ़ ले जाते थे और ईदुल अज़्हा के रोज़ नहीं खाते थे जब तक नमाज़ से फ़ारिग़ न हो जाते ।(2)

सुवाल कुरबानी से पहले ह़जामत बनवाने और नाखुन तरश्वाने का क्या हुक्म है ?

जवाब कुरबानी करनी हो तो मुस्तह़ब येह है कि पहली से दसवीं ज़िल ह़िज्जा तक न ह़जामत बनवाए और न नाखुन तरश्वाए ।(3)

सुवाल ईद के दिन की मुस्तह़ब चीज़ें क्या हैं ?

जवाब गुस्ल करना, मिस्वाक करना, अच्छे कपड़े पहनना, ख़ुश्बू लगाना, ईदगाह जल्द चले जाना, ईदगाह पैदल जाना वग़ैरा ।(4)

सुवाल नमाज़े ईद के बा'द मुसाफ़ह़ा व मुआ़नक़ा करना कैसा है ?

जवाब सदरुश्शरीअ़ह, मुफ़्ती मुह़म्मद अमजद अ़ली आ'ज़मी رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : बा'द नमाज़े ईद मुसाफ़ह़ा व मुआ़नक़ा करना जैसा उ़मूमन मुसल्मानों में राइज है बेहतर है कि इस में इज़्हारे मसर्रत है ।(5)

सुवाल बक़रह ईद के दिन कौन सी नेकी **अल्लाह** पाक को सब से ज़ियादा मह़बूब है ?

जवाब हुज़ूर ताजदारे ख़त्मे नुबुव्वत صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم का फ़रमाने आ़लीशान है : इन्सान बक़रह ईद के दिन कोई ऐसी नेकी नहीं करता जो **अल्लाह** पाक को (जानवर का) ख़ून बहाने से ज़ियादा प्यारी हो, येह कुरबानी क़ियामत में अपने सींगों, बालों और खुरों के साथ आएगी (और उस की नेकियों के पलड़े में रखी जाएगी) और कुरबानी का ख़ून ज़मीन पर गिरने से पहले **अल्लाह** पाक के हां क़बूल हो जाता है लिहाज़ा कुरबानी खुशदिली से करो ।(6)

1 ... فتاوی ہندیہ، کتاب الصلوۃ، الباب السابع عشر فی صلاۃ العیدین، 1/150

2 ... ترمذی، کتاب العیدین، باب ماجاء فی الاکل یوم الفطر قبل الخروج، 2/70، حدیث: 542

3 ... ردالمحتار، کتاب الصلوۃ، باب العیدین، مطلب فی ازالۃ الشعر... الخ، 3/77

4 ... فتاوی ہندیہ، کتاب الصلوۃ، الباب السابع عشر فی صلاۃ العیدین، 1/149

5 ... बहारे शरीअ़त, 1/784, हिस्सा : 4

6 ... ترمذی، کتاب الاضاحی، باب ماجاء فی فضل الاضحیۃ، 3/162، حدیث: 1498

सुवाल बा जमाअ़त पढ़ी जाने वाली कौन सी नमाज़ों के लिये अज़ान व इक़ामत नहीं ?

जवाब वोह ईदुल फ़ित्र, बक़र ईद और जनाज़ा वग़ैरा की नमाजें हैं क्यूं कि फ़र्ज़ नमाज़ों के इलावा किसी नमाज़ में अज़ान व इक़ामत नहीं ।(1)

सबक़ नम्बर 33 बीमारी और इलाज

सुवाल ह़दीसे पाक में बुख़ार की क्या फ़ज़ीलत बयान की गई है ?

जवाब ताजदारे ख़त्मे नुबुव्वत صَلَّى اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : बुख़ार को बुरा न कहो क्यूं कि वोह बन्दए मोमिन को गुनाहों से इस त़रह़ पाक कर देता है जैसे आग लोहे का ज़ंग साफ़ कर देती है ।(2)

सुवाल ह़दीसे पाक में मरज़े त़ाऊ़न का सबब किसे फ़रमाया गया है ?

जवाब ह़दीस शरीफ़ में है : त़ाऊ़न तुम्हारे दुश्मन जिन्नात के नेज़े का ज़ख़्म है ।(3)

सुवाल "त़ाऊ़न" का मरज़ अ़ज़ाब है या रह़मत ?

जवाब "त़ाऊ़न" बनी इसराईल के ह़क़ में अ़ज़ाब था मगर उम्मते मुह़म्मदिय्यह عَلٰی صَاحِبِهَا الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام के ह़क़ में येह मरज़ रह़मत है ।(4) क्यूं कि ह़दीस शरीफ़ में आया है कि त़ाऊ़न की बीमारी में मरने वाला शहीद होता है ।(5)

सुवाल कौन सी बीमारियों को ना पसन्द करना मन्अ़ है ?

जवाब (1) आशोबे चश्म (2) ज़ुकाम (3) खांसी और (4) खुजली ।(6)

सुवाल ह़दीसे पाक की रोशनी में रात का खाना छोड़ देने का नुक़्सान बताइये ।

---

1 ... فتاوی خانیہ، کتاب الصلٰوۃ، باب الاذان، 1/ 38

2 ... مسلم، کتاب البر والصلۃ، باب ثواب المومن فیما یصیبہ ... الخ، ص1068، حدیث:6570

3 ... مسند احمد، مسند الکوفیین، حدیث ابی موسی الاشعری، 7/ 131، حدیث:19545

4 ... تفسیر صاوی، پ1، البقرۃ، تحت الآیۃ:59، 1/ 68

5 ... بخاری، کتاب الجہاد والسیر، باب الشہادۃ سبع سوی القتل، 2/ 262، حدیث:2829

6 ... شعب الایمان، باب فی عیادۃ المریض، فصل فی آداب العیادۃ، 6/ 541، حدیث:9212

जवाब मीठे मीठे आक़ा मदीने वाले मुस्तफ़ा صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم का फ़रमाने सिह़ह़त निशान है : रात का खाना न छोड़ो चाहे एक मुठ्ठी खजूर ही क्यूं न हो क्यूं कि रात का खाना तर्क करना आदमी को ज़ईफ़ कर देता है।[1]

मिर्गी से ह़िफ़ाज़त का अ़मल

सुवाल "उम्मुस्सिब्यान" किस बीमारी को कहते हैं नीज़ इस से ह़िफ़ाज़त का त़रीक़ा बताएं ?

जवाब आ'ला ह़ज़रत رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : "मिर्गी बहुत ख़बीस बला है और इसी को "उम्मुस्सिब्यान" कहते हैं।" मज़ीद फ़रमाते हैं : "अगर बच्चा पैदा होने के बा'द पहला काम येह किया जाए कि नहला कर अज़ान व इक़ामत बच्चे के कान में कह दी जाए तो اِنْ شَآءَ اللّٰه उ़म्र भर मिर्गी से मह़फ़ूज़ी है।"

सुवाल क़ै के फ़वाइद व नुक़्सानात क्या हैं ?

जवाब (1) क़ै से मे'दे की सफ़ाई होती है। (2) ज़ियादा क़ै आना नुक़्सान देह है कि इस से सीने और मे'दे में दर्द पैदा होता है (3) जब क़ै आने लगे तो उस को ज़बर दस्ती न रोका जाए कि सख़्त अमराज़ पैदा होने का ख़त़रा है।[2]

ख़ुद डॉक्टर न होने के बा वुजूद क्लीनिक खोलना या इलाज करना

सुवाल ख़ुद डॉक्टर न होने के बा वुजूद क्लीनिक खोल कर लोगों का इलाज करना शर्अ़न कैसा है ?

जवाब बा'ज़ लोग ह़क़ीक़ी मा'नों में बा क़ाइदा डॉक्टर या ह़कीम न होने के बा वुजूद क्लीनिक या मत़ब खोल कर मरीज़ों का इलाज शुरूअ़ कर देते हैं। ऐसा करना क़ानूनन जुर्म होने के साथ साथ शर्अ़न भी मम्नूअ़ है। याद रखिये ! जो माहिर त़बीब न हो उस को मरीज़ के इलाज में हाथ डालना कारे सवाब नहीं बल्कि ह़राम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। अगर कोई ऐसा ग़ैर माहिर त़बीब क्लीनिक या दवाख़ाना खोल कर मरीज़ों का इलाज करने बैठ गया हो तो फ़ौरन येह ना जाइज़ काम बन्द करना फ़र्ज़ है और तौबा के तक़ाज़े भी पूरे करने होंगे।[3]

सुवाल बा'ज़ अवक़ात दवाएं लेने के बा वुजूद भी शिफ़ा ह़ासिल नहीं होती इस की क्या वज्ह है ?

1... ابن ماجہ، کتاب الاطعمة، باب ترک العشاء، 4/50، 51، حدیث: 3355

2... घरेलू इलाज, स. 92 मुल्तक़त़न

3... घरेलू इलाज, स. 13 मुल्तक़त़न

जवाब जब **अल्लाह** पाक किसी बीमार की शिफ़ा नहीं चाहता तो दवा और मरज़ के दरमियान एक फ़िरिश्ते के ज़रीए आड़ कर देता है जिस की वज्ह से दवा मरज़ तक नहीं पहुंचती, जब शिफ़ा का इरादा होता है तो वोह पर्दा हटा दिया जाता है जिस से दवा मरज़ तक पहुंच जाती है और शिफ़ा मिल जाती है।[(1)]

सुवाल "ग़ीबत की तबाह कारियां" किताब में मज़्कूर केन्सर के दो घरेलू इलाज बयान कीजिये।

जवाब (1) पिसा हुवा काला ज़ीरा तीन तीन ग्राम दिन में तीन मरतबा पानी से इस्ति'माल कीजिये। (2) रोज़ाना चुटकी भर पिसी हुई ख़ालिस हल्दी खाने से اِنْ شَآءَاللہ कभी केन्सर नहीं होगा।[(2)]

सुवाल गुर्दे में पथरी का देसी इलाज बताइये।

जवाब हम वज़्न मूली और आलू भून कर ह़स्बे ज़रूरत सोंफ़, नमक और काली मिर्च शामिल कर के इस्ति'माल करना गुर्दे के दर्द और पथरी के लिये मुफ़ीद है।[(3)]

सुवाल जिस्म में किसी जगह दर्द हो तो इस का रूहानी इलाज बयान कीजिये।

जवाब बदन में दर्द या किसी चीज़ की शिकायत हो तो तक्लीफ़ की जगह पर सीधा हाथ रख कर बिस्मिल्लाह तीन बार और फिर सात मरतबा येह दुआ पढ़िये : اَعُوْذُ بِاللّٰہِ وَقُدْرَتِہٖ مِنْ شَرِّ مَا اَجِدُ وَ اُحَاذِرُ।[(4)] पढ़ कर दम करना ज़रूरी नहीं।

सबक़ नम्बर 34 — इयादत और मौत

सुवाल मुसल्मान की बीमार पुरसी की फ़ज़ीलत बयान कीजिये।

जवाब ह़दीसे पाक में है : जो मुसल्मान किसी मुसल्मान की इयादत के लिये सुब्ह़ को जाए तो शाम तक और शाम को जाए तो सुब्ह़ तक उस के लिये 70 हज़ार फ़िरिश्ते मग़्फ़िरत की दुआ करते हैं और जन्नत में उस के लिये एक बाग़ होगा।[(5)]

---

1 ... مرقاۃ المفاتیح، 8/289، تحت الحدیث:4515

2 ... ग़ीबत की तबाह कारियां, स. 153

3 ... घरेलू इलाज, स. 55

4 ... या'नी **अल्लाह** पाक और उस की क़ुदरत के साथ उस चीज़ के शर से पनाह चाहता हूं जिसे मैं पाता हूं और जिस से आइन्दा ख़ौफ़ करता हूं। (الحصن الحصین، ص109)

5 ... ترمذی، کتاب الجنائز، باب ماجاء فی عیادۃ المریض، 2/290، حدیث:971

सुवाल बीमारी और तक्लीफ़ में मुब्तला शख़्स को कौन से दीनी फ़वाइद हासिल होते हैं ?

जवाब फ़रामीने मुस्तफ़ा صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم : (1) जब भी मोमिन की कोई रग चढ़ जाती है तो **अल्लाह** पाक उस का एक गुनाह मिटाता, एक नेकी लिखता और एक दरजा बुलन्द फ़रमाता है।[(1)] (2) जब बन्दा बीमार होता है या सफ़र पर जाता है तो उस के वोह आ'माल भी लिखे जाते हैं जो वोह तन्दुरुस्ती की हालत में किया करता था।[(2)]

सुवाल किस सूरत में मरीज़ की इयादत (बीमार पुरसी) नहीं करनी चाहिये ?

जवाब मरीज़ की इयादत करना सुन्नत है, लेकिन अगर मा'लूम है कि इयादत करने जाएगा तो उस बीमार पर गिरां गुज़रेगा (यानी ना गवार व तक्लीफ़ देह होगा) तो ऐसी हालत में इयादत न करे।[(3)]

सुवाल इयादत के वक़्त किन चीज़ों का ख़याल रखना चाहिये ?

जवाब इयादत करने जाए और मरज़ की सख़्ती देखे तो मरीज़ के सामने येह ज़ाहिर न करे कि तुम्हारी हालत ख़राब है और न सर हिलाए जिस से हालत का ख़राब होना समझा जाता है, उस के सामने ऐसी बातें करनी चाहिएं जो उस के दिल को अच्छी मा'लूम हों, उस की मिज़ाज पुरसी करे, उस के सर पर हाथ न रखे मगर जब कि वोह ख़ुद इस की ख़्वाहिश करे।[(4)]

सुवाल येह दुआ[(5)] "اَسْئَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَنْ يَّشْفِيَكَ" किस वक़्त पढ़ी जाती है और इस का क्या फ़ाएदा है ?

जवाब येह दुआ इयादत के वक़्त पढ़ी जाती है। हदीसे पाक में है : जिस ने ऐसे मरीज़ की इयादत की जिस की मौत का वक़्त न आया हो पस इयादत करने वाला सात बार येह दुआ पढ़े तो **अल्लाह** पाक उसे उस मरज़ से शिफ़ा अता फ़रमा देगा।[(6)]

सुवाल जिन मुसल्मानों के ना बालिग़ बच्चे फ़ौत हो जाएं उन के लिये क्या अज्र है ?

जवाब हुज़ूर रहमते आलम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : जिन मुसल्मान वालिदैन के तीन बच्चे

1...مستدرک حاکم، کتاب الجنائز، باب قصۃ اعرابی لم تاخذہ الحمی...الخ، 1/668، حدیث:1324

2...مسند احمد، 7/161، حدیث:19699

3...ردالمحتار، کتاب الحظر والاباحۃ، فصل فی البیع، 9/640

4...ردالمحتار، کتاب الحظر والاباحۃ، فصل فی البیع، 9/640

5... **तरजमा :** मैं अज़मत वाले, अर्शे अज़ीम के मालिक **अल्लाह** से तेरे लिये शिफ़ा का सुवाल करता हूं।

6...ابوداود، کتاب الجنائز، باب الدعاء للمریض عند العیادۃ، 3/251، حدیث:3106

फ़ौत हो जाएं तो **अल्लाह** पाक उन वालिदैन को अपनी रह़मत से जन्नत में दाख़िल फ़रमाएगा। सह़ाबए किराम رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُم ने अ़र्ज़ की : अगर दो बच्चे फ़ौत हों तो ? इर्शाद फ़रमाया : दो हों तब भी येही फ़ज़ीलत है। अ़र्ज़ की : अगर एक बच्चा हो तो ? इर्शाद फ़रमाया : एक हो फिर भी येही फ़ज़ीलत है।(1)

सुवाल अचानक आने वाली मौत के मुतअ़ल्लिक़ ह़दीसे पाक में क्या फ़रमाया गया है ?

जवाब हुज़ूर नबिय्ये करीम, रऊफ़ुर्रह़ीम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم इर्शाद फ़रमाते हैं कि अचानक मौत मोमिन के लिये राह़त और फ़ाजिर (काफ़िर व फ़ासिक़) के लिये पकड़ है।(2)

सुवाल कौन सा शख़्स जन्नत में जा कर भी दुन्या में वापसी की तमन्ना करेगा ?

जवाब ह़दीस शरीफ़ में है कि शहीद इस बात की तमन्ना करेगा कि वोह फिर लौट कर दुन्या में जाए और दस मरतबा राहे ख़ुदा में क़त्ल हो कर शहीद हो।(3)

सुवाल ह़ज़रत उ़मरे फ़ारूक़ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ने ह़ज़रते का'ब अह़बार رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ से जब मौत की सख़्तियों के बारे में पूछा तो उन्हों ने क्या जवाब दिया ?

जवाब आप رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ने अ़र्ज़ की : ऐ अमीरुल मुअमिनीन رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ! मौत एक ऐसी कांटेदार टहनी की त़रह़ है जिसे किसी आदमी के पेट में दाख़िल किया जाए और उस का हर कांटा एक एक रग में पैवस्त हो जाए, फिर कोई त़ाक़त वर शख़्स उस टहनी को अपनी पूरी क़ुव्वत से खींचे तो उस टहनी की ज़द में आने वाली हर चीज़ कट जाए और जो ज़द में न आए वोह बच जाए।(4)

किसी की ह़ालते नज़्अ़ देख कर करने वाले काम

सुवाल किसी की ह़ालते नज़्अ़ में किन चीज़ों का ख़याल रखना चाहिये ?

जवाब जां कनी की ह़ालत में जब तक रूह़ गले को न आई उसे तल्क़ीन करें, तल्क़ीन करने वाला कोई नेक शख़्स हो, ऐसे वक़्त नेक और परहेज़ गार लोगों का उस के पास होना बहुत अच्छा है और उस

(1) ...مسند احمد، مسند معاذ بن جبل، 8/254، حدیث:22151

(2) ...شعب الایمان، باب فی الصبر علی المصائب، فصل فی النہی عن شق الثوب ولطم الوجہ، 7/255، حدیث:10218

(3) ...بخاری، کتاب الجہاد، باب تمنی المجاہد ان یرجع الی الدنیا، 2/259، حدیث:2817

(4) ...احیاء علوم الدین، کتاب ذکر الموت ومابعدہ، الباب الثالث، 5/210

वक़्त वहां सूरए यासीन शरीफ़ की तिलावत और ख़ुश्बू होना मुस्तहब है, मसलन लोबान या अगर की बत्तियां सुलगा दें। मकान में कोई तस्वीर या कुत्ता न हो, अगर येह चीज़ें हों तो फ़ौरन निकाल दी जाएं कि जहां येह होती हैं रह़मत के फ़िरिश्ते नहीं आते, उस की नज़्अ़ के वक़्त अपने और उस के लिये दुआ़ए ख़ैर करते रहें, कोई बुरा कलिमा ज़बान से न निकालें कि उस वक़्त जो कुछ कहा जाता है मलाएका उस पर आमीन कहते हैं।(1)

सुवाल मय्यित की आंखें बन्द करते वक़्त कौन सी दुआ़ पढ़नी चाहिये ?

जवाब بِسْمِ اللهِ وَعَلٰی مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ اَللّٰهُمَّ يَسِّرْ عَلَيْهِ اَمْرَهٗ وَسَهِّلْ عَلَيْهِ مَا بَعْدَهٗ وَاَسْعِدْهُ بِلِقَآئِكَ وَاجْعَلْ مَا خَرَجَ اِلَيْهِ خَيْرًا مِّمَّا خَرَجَ عَنْهُ

तरजमा : अल्लाह पाक के नाम के साथ और **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की मिल्लत पर। ऐ **अल्लाह**! तू इस के काम को इस पर आसान फ़रमा, इस के बा'द वाले मुआ़मले को इस पर आसान बना, अपनी मुलाक़ात से इसे नेक बख़्त बना और जिस (आख़िरत) की त़रफ़ येह गया है उस को इस (दुन्या) से बेहतर कर जिस से निकला है।(2)

सुवाल क्या मौत को भी मौत आएगी ?

जवाब जी हां ! जब जन्नती जन्नत में और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे तो उस वक़्त मौत को जन्नत और जहन्नम के दरमियान मेंढे की शक्ल में ला कर ज़ब्ह़ कर दिया जाएगा।(3)

सबक़ नम्बर 35 — मय्यित के ग़ुस्ल का बयान

मय्यित नहलाने की फ़ज़ीलत

सुवाल मय्यित को नहलाने देने की क्या फ़ज़ीलत है ?

जवाब ह़ज़रते सय्यिदुना जाबिर رَضِیَ اللهُ عَنْهُ से रिवायत है कि ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे नुबुव्वत صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : जिस ने किसी मय्यित को ग़ुस्ल दिया वोह अपने गुनाहों से ऐसा पाको साफ़ हो जाएगा जैसा उस दिन था जिस दिन उस की मां ने उसे जना था।(4)

---

1 ... فتاوی ہندیہ، کتاب الصلوۃ، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، 1/157، बहारे शरीअ़त, 1/808, ह़िस्सा : 4

2 ... درمختار، کتاب الصلوۃ، باب صلوۃ الجنازۃ، 3/97

3 ... بخاری، کتاب التفسیر، باب وانذرھم یوم الحسرۃ، 3/271، حدیث:4730

4 ... معجم اوسط، 6/429، حدیث 9292

ग़ुस्ले मय्यित का त़रीक़ा

सुवाल ग़ुस्ले मय्यित का त़रीक़ा बयान कीजिये।

जवाब अगरबत्तियां या लोबान जला कर तीन या पांच या सात बार ग़ुस्ल के तख़्ते को धूनी दें यानी इतनी बार तख़्ते के गिर्द फिराएं, तख़्ते पर मय्यित को इस त़रह़ लिटाएं जैसे क़ब्र में लिटाते हैं, नाफ़ से घुटनों समेत कपड़े से छुपा दें, (आज कल ग़ुस्ल के दौरान सफ़ेद कपड़ा उढ़ाते हैं और इस पर पानी लगने से मय्यित के सत्र की बे पर्दगी होती है लिहाज़ा कथ्थई या गहरे रंग का इतना मोटा कपड़ा हो कि पानी पड़ने से सत्र न चमके, कपड़े की दो तहें कर लें तो ज़ियादा बेहतर) पर्दे की तमाम तर एह़तियात़ और नरमी से मय्यित का लिबास उतार लें। अब नहलाने वाला अपने हाथ पर कपड़ा लपेट कर पहले दोनों त़रफ़ इस्तिन्जा करवाए (या'नी पानी से धोए) फिर नमाज़ जैसा वुज़ू करवाएं या'नी मुंह फिर कोहनियों समेत दोनों हाथ तीन तीन बार धुलाएं, फिर सर का मस्ह़ करें, फिर तीन बार दोनों पाउं धुलाएं, मय्यित के वुज़ू में पहले गट्टों तक हाथ धोना, कुल्ली करना और नाक में पानी डालना नहीं है, अलबत्ता कपड़े या रूई की फुरेरी भिगो कर दांतों, मसूढ़ों, होंटों और नथनों पर फेर दें। फिर सर या दाढ़ी के बाल हों तो धोएं, साबुन या शेम्पू इस्ति'माल कर सकते हैं अब बाईं (या'नी उलटी) करवट पर लिटा कर बेरी के पत्तों का जोश दिया हुवा (जो अब नीम गर्म रह गया हो) और येह न हो तो ख़ालिस नीम गर्म पानी सर से पाउं तक बहाएं कि तख़्ते तक पहुंच जाए फिर सीधी करवट लिटा कर इसी त़रह़ करें फिर टेक लगा कर बिठाएं और नरमी के साथ नीचे को पेट के निचले ह़िस्से पर हाथ फेरें और कुछ निकले तो धो डालें। दोबारा वुज़ू और ग़ुस्ल की ह़ाजत नहीं फिर आख़िर में सर से पाउं तक काफ़ूर का पानी बहाएं फिर किसी पाक कपड़े से बदन आहिस्ता से पोंछ दें। एक मरतबा सारे बदन पर पानी बहाना फ़र्ज़ है और तीन मरतबा सुन्नत, ग़ुस्ले मय्यित में बे तह़ाशा पानी न बहाएं आख़िरत में एक एक क़त़रे का ह़िसाब है येह याद रखें।[1]

इस्लामी बहन के ग़ुस्ले मय्यित का त़रीक़ा

सुवाल इस्लामी बहनों के ग़ुस्ले मय्यित का त़रीक़ा बयान कीजिये।

जवाब ग़ुस्ल व कफ़न के लिये इन चीज़ों का इन्तिज़ाम फ़रमा लें :

1... मदनी वसिय्यत नामा, स. 12 माख़ूज़न

(1) ग़ुस्ल का तख़्ता (2) अगरबत्ती (3) माचिस (4) दो मोटी चादरें (कथ्थई हो तो बेहतर है) (5) रूई (6) बड़े रूमाल की त़रह़ के दो कपड़ों के पीस (इस्तिन्जा वग़ैरा के लिये) (7) दो बाल्टियां (8) दो मग (9) साबुन (10) बेरी के पत्ते (11) दो तोलिये (12) कफ़न का बिग़ैर सिला हुवा बड़े अ़र्ज़ का कपड़ा (13) क़ैंची (14) सूई धागा (15) काफ़ूर (16) ख़ुश्बू।

अगरबत्तियां या लोबान जला कर तीन या पांच या सात बार ग़ुस्ल के तख़्ते को धूनी दें यानी इतनी बार तख़्ते के गिर्द फिराएं, तख़्ते पर मय्यित को इस त़रह़ लिटाएं जैसे क़ब्र में लिटाते हैं, सीने से घुटनों समेत कपड़े से छुपा दें, (आज कल ग़ुस्ल के दौरान सफ़ेद कपड़ा उढ़ाया जाता है और इस पर पानी लगने से मय्यित के सत्र की बे पर्दगी होती है लिहाज़ा कथ्थई या गहरे रंग का इतना मोटा कपड़ा हो कि पानी पड़ने से सत्र न चमके, कपड़े की दो तहें कर लें तो ज़ियादा बेहतर) पर्दे की तमाम तर एह़तियात़ और नरमी से मय्यित का लिबास उतारें। इसी त़रह़ कील, बुन्दे या कोई और ज़ेवर भी नरमी से उतार लें, अब नहलाने वाली अपने हाथ पर कपड़ा लपेट कर पहले दोनों त़रफ़ इस्तिन्जा करवाए (या'नी पानी से धोए) फिर नमाज़ जैसा वुज़ू करवाएं या'नी मुंह फिर कोहनियों समेत दोनों हाथ तीन तीन बार धुलाएं, फिर सर का मस्ह़ करें, फिर तीन बार दोनों पाउं धुलाएं, मय्यित के वुज़ू में पहले गट्टों तक हाथ धोना, कुल्ली करना और नाक में पानी डालना नहीं है, अलबत्ता कपड़े या रूई की फुरेरी भिगो कर दांतों, मसूढ़ों, होंटों और नथनों पर फेर दें। फिर सर धोएं, साबुन या शेम्पू या दोनों इस्ति'माल किये जा सकते हैं (लेकिन इन के ज़ियादा इस्ति'माल से बालों में उल्झाव पैदा होता है लिहाज़ा बेरी के पत्तों का जोश दिया हुवा पानी काफ़ी है)। अब बाईं (या'नी उलटी) करवट पर लिटा कर बेरी के पत्तों का जोश दिया हुवा (जो अब नीम गर्म रह गया हो) और येह न हो तो ख़ालिस नीम गर्म पानी सर से पाउं तक बहाएं कि तख़्ते तक पहुंच जाए फिर सीधी करवट लिटा कर इसी त़रह़ करें फिर टेक लगा कर बिठाएं और नरमी के साथ नीचे को पेट के निचले ह़िस्से पर हाथ फेरें और कुछ निकले तो धो डालें। दोबारा वुज़ू और ग़ुस्ल की ह़ाजत नहीं फिर आख़िर में सर से पाउं तक काफ़ूर का पानी बहाएं फिर किसी पाक कपड़े से बदन आहिस्ता से पोंछ दें। ग़ुस्ले मय्यित में बे तहाशा पानी न बहाएं आख़िरत में एक एक क़त़रे का ह़िसाब है येह याद रखें।(1)

नहलाने वाले के लिये मदनी फूल

सुवाल मय्यित को नहलाने वाले के लिये कुछ अहम बातें बताइये।

1... मदनी वसिय्यत नामा, स. 12 माख़ूज़न

जवाब ❋ नहलाने वाला बा त़हारत हो। अगर जुनुबी शख़्स (जिस पर ग़ुस्ल फ़र्ज़ हो चुका हो) ने ग़ुस्ल दिया तो कराहत है मगर ग़ुस्ल हो जाएगा।[1] ❋ अगर बे वुज़ू ने नहलाया तो कराहत नहीं।[2] ❋ बेहतर येह है कि नहलाने वाला मय्यित का सब से ज़ियादा क़रीबी रिश्तेदार हो, वोह न हो या नहलाना न जानता हो तो कोई और शख़्स जो अमानत दार और परहेज़ गार हो।[3] ❋ नहलाने वाले के पास ख़ुश्बू सुलगाना मुस्तह़ब है कि अगर मय्यित के बदन से बू आए तो उसे पता न चले वरना घबराएगा, नीज़ उसे चाहिये कि ब क़दरे ज़रूरत आ'ज़ाए मय्यित की त़रफ़ नज़र करे बिला ज़रूरत किसी उ़ज़्व की त़रफ़ न देखे कि मुम्किन है उस के बदन में कोई ऐ़ब हो जिसे वोह छुपाता था।[4] ❋ मर्द को मर्द नहलाए और औ़रत को औ़रत, मय्यित छोटा लड़का है तो उसे औ़रत भी नहला सकती है और छोटी लड़की को मर्द भी, छोटे से येह मुराद कि ह़द्दे शह्वत को न पहुंचे हों।[5] ❋ ग़ुस्ले मय्यित के बा'द ग़ुस्ल देने वाले को ग़ुस्ल करना मुस्तह़ब है।

सुवाल मय्यित को ग़ुस्ल देने के लिये मशरिक़ो मग़रिब की सम्त लिटाएं या शिमाल व जुनूब ?

जवाब हर त़रह़ दुरुस्त है, असह़्ह़ मज़हब के मुत़ाबिक़ इस बारे में कोई ता'यीन व क़ैद नहीं लिहाज़ा जो सूरत मुयस्सर हो उस पर अ़मल करें।[6]

सुवाल मय्यित के बाल काटना या कंघी करना कैसा ?

जवाब मय्यित की दाढ़ी या सर के बालों में कंघा करना या नाख़ुन तराशना या किसी जगह के बाल मूंडना, कतरना या उखाड़ना ना जाइज़ व मक्रूहे तह़रीमी है बल्कि हुक्म येह है कि जिस ह़ालत पर है उसी ह़ालत में दफ़्न कर दें, हां अगर नाख़ुन टूटा हो तो ले सकते हैं और अगर नाख़ुन या बाल तराश लिये तो कफ़न में रख दें।[7]

1... فتاوی ہندیہ، کتاب الصلوٰۃ، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، 1/159

2... فتاوی ہندیہ، کتاب الصلوٰۃ، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، 1/159

3... فتاوی ہندیہ، کتاب الصلوٰۃ، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، 1/159

4... الجوہرۃ النیرۃ، کتاب الصلوٰۃ، باب الجنائز، ص131

5... فتاوی ہندیہ، کتاب الصلوٰۃ، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، 1/160

6... फ़तावा रज़विय्या, 9/91 माख़ूज़न

7... فتاوی ہندیہ، کتاب الصلوٰۃ، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، 1/158 - ردالمحتار، کتاب الصلوٰۃ، باب صلوٰۃ الجنازۃ، مطلب فی القراٰۃ عند المیت، 3/104

सुवाल क्या शौहर अपनी फ़ौत शुदा बीवी को गुस्ल दे सकता है ?

जवाब शौहर का अपनी फ़ौत शुदा बीवी को गुस्ल देना ना जाइज़ है ।[1]

सुवाल क्या बीवी अपने फ़ौत शुदा शौहर को गुस्ल दे सकती है ?

जवाब अगर शौहर मर गया और औरत इद्दते वफ़ात में है या शौहर ने त़लाक़े रज्ई दी थी और अभी इद्दत बाक़ी थी कि उस का इन्तिक़ाल हो गया तो इन सूरतों में औरत अपने शौहर को गुस्ल दे सकती है क्यूं कि अभी वोह शौहर की ज़ौजिय्यत में है ।[2]

सुवाल बा'दे गुस्ल, मय्यित के जिस्म से नजासत निकली तो क्या गुस्ल दोबारा दिया जाएगा ?

जवाब नहीं दिया जाएगा । दोबारा गुस्ल देने की मुत़्लक़न किसी ह़ाल में ह़ाजत नहीं, अगर नजासत निकले तो वोह धो दी जाए ।[3]

सुवाल मय्यित के छोड़े हुए माल में तक़्सीम की क्या तरतीब है ?

जवाब सब से पहले कफ़न फिर क़र्ज़ फिर वसिय्यत और इस के बा'द मीरास ।[4]

सबक़ नम्बर 36 — कफ़न पहनाने का बयान

तज्हीज़ो तक्फ़ीन की फ़ज़ीलत

तज्हीज़ो तक्फ़ीन के मुतअ़ल्लिक़ दो अह़ादीस मुलाह़ज़ा कीजिये :

(1) ह़ज़रते सय्यिदुना अबू उमामा رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के सरवर صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : जिस ने किसी मय्यित को कफ़नाया (या'नी कफ़न पहनाया) तो **अल्लाह** पाक उसे सुन्दुस का लिबास (जन्नत का इन्तिहाई नफ़ीस रेशमी लिबास) पहनाएगा ।[5]

(2) अमीरुल मुअमिनीन ह़ज़रत मौलाए काएनात सय्यिदुना अ़लिय्युल मुर्तज़ा رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ से रिवायत है कि सुल्त़ाने दो जहान, रह़मते आ़लमिय्यान صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया कि जो किसी मय्यित को नहलाए, कफ़न पहनाए, खुश्बू लगाए, जनाज़ा उठाए, नमाज़ पढ़े और जो नाक़िस बात नज़र आए

---

1 ...در مختار، کتاب الصلٰوۃ، باب صلٰوۃ الجنازۃ، 3/105

2 ...در مختار مع رد المحتار، کتاب الصلٰوۃ، باب صلٰوۃ الجنازۃ، مطلب فی حدیث کل سبب... الخ، 3/106

3 ...فتاوی ہندیہ، کتاب الصلٰوۃ، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، 1/158

4 ...جوہرۃ نیرۃ، کتاب الصلٰوۃ، باب الجنائز، ص134

5 ...معجم کبیر للطبرانی، 8/281، حدیث8078

उसे छुपाए वोह गुनाहों से ऐसे ही पाक हो जाता है जैसे पैदाइश के दिन था।[1]

सुवाल तज्हीज़ो तक्फ़ीन से क्या मुराद है ?

जवाब तज्हीज़ के लुग़वी मा'ना हैं : सामाने ज़रूरत मुहय्या करना, आरास्ता करना और तक्फ़ीन के मा'ना हैं : कफ़न देना। मरने के बा'द इन्सान को जो लिबास पहनाया जाता है उसे कफ़न कहते हैं और तज्हीज़ो तक्फ़ीन से मुराद है मौत से ले कर दफ़्न तक मय्यित के लिये जिन उमूर की हाजत होती है वोह तमाम उमूर बजा लाना। इस में मय्यित का ग़ुस्ल, कफ़न, नमाज़े जनाज़ा, क़ब्र की खुदाई सब शामिल हैं।[2]

सुवाल मुसल्मान की तज्हीज़ो तक्फ़ीन का शर्ई हुक्म क्या है ?

जवाब मुसल्मान की तज्हीज़ो तक्फ़ीन फ़र्ज़े किफ़ाया है।

कफ़न के दरजे

सुवाल कफ़न के दरजे और कफ़ने ज़रूरत, कफ़ने किफ़ायत और कफ़ने सुन्नत की तफ़्सील बयान कीजिये।

जवाब कफ़न के तीन दरजे हैं :

(1) ज़रूरत (2) किफ़ायत (3) सुन्नत।

कफ़ने ज़रूरत

कफ़ने ज़रूरत मर्द व औरत दोनों के लिये येह कि जो मुयस्सर आए और कम अज़ कम इतना हो कि सारा बदन छुपा दे।[3]

कफ़ने किफ़ायत

कफ़ने किफ़ायत मर्द के लिये दो कपड़े हैं :

(1) लिफ़ाफ़ा (2) इज़ार

कफ़ने किफ़ायत औरत के लिये तीन कपड़े हैं :

(1) लिफ़ाफ़ा (2) इज़ार (3) ओढ़नी या (1) लिफ़ाफ़ा (2) क़मीस (3) ओढ़नी[4]

1... ابن ماجہ، کتاب الجنائز، باب ماجاء فی غسل المیت، 2/201، حدیث 1462

2... तज्हीज़ो तक्फ़ीन का तरीक़ा, स. 14

3... درالمختار مع ردالمحتار، کتاب الصلوۃ، باب صلاۃ الجنازۃ، 3/115

4... बहारे शरीअत, 1/817, हिस्सा : 4

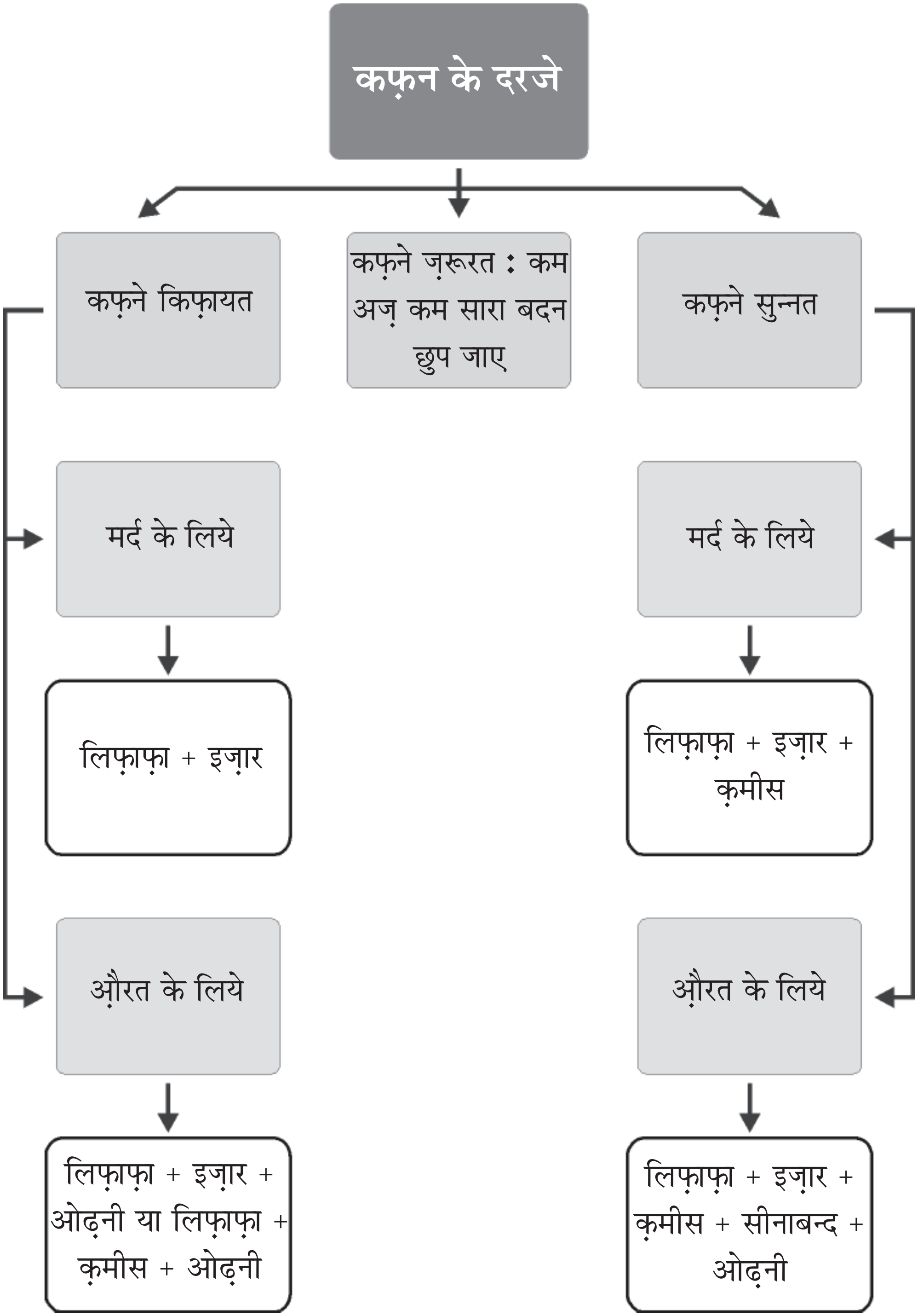

www.dawateislami.net

कफ़ने सुन्नत

मर्द के लिये कफ़ने सुन्नत तीन कपड़े हैं :

(1) लिफ़ाफ़ा (2) इज़ार (3) क़मीस

औ़रत के लिये कफ़ने सुन्नत पांच कपड़े हैं :

(1) लिफ़ाफ़ा (2) इज़ार (3) क़मीस (4) सीनाबन्द (5) ओढ़नी[1]

ख़ुन्सा मुश्किल (या'नी जिस में मर्द व औ़रत दोनों की अ़लामात हों और येह साबित न हो कि मर्द है या औ़रत) को औ़रत की त़रह़ पांच कपड़े दिये जाएं मगर कुसुम या ज़ा'फ़रान का रंगा हुवा और रेशमी कफ़न उसे ना जाइज़ है।[2]

बच्चों का कफ़न

सुवाल बच्चों को कौन सा कफ़न दिया जाए ?

जवाब जो ना बालिग़ ह़द्दे शह्वत को पहुंच गया वोह बालिग़ के हुक्म में है या'नी बालिग़ को कफ़न में जितने कपड़े दिये जाते हैं उसे भी दिये जाएं और इस से छोटे लड़के को एक कपड़ा और छोटी लड़की को दो कपड़े (लिफ़ाफ़ा और इज़ार) दे सकते हैं और लड़के को भी दो कपड़े (लिफ़ाफ़ा और इज़ार) दिये जाएं तो अच्छा है और बेहतर येह है कि दोनों को पूरा कफ़न दें अगर्चे एक दिन का बच्चा हो।[3]

कफ़न के कपड़ों की तफ़्सील

सुवाल कफ़न के कपड़ों की तफ़्सील और इन की मिक़्दार क्या है ?

जवाब कफ़न के कपड़ों की तफ़्सील येह है :

(1) लिफ़ाफ़ा या'नी चादर : मय्यित के क़द से इतनी बड़ी हो कि दोनों त़रफ़ से बांध सकें।

(2) इज़ार (या'नी तहबन्द) : चोटी (या'नी सर के सिरे) से क़दम तक या'नी लिफ़ाफ़े से इतना छोटा जो बन्दिश के लिये ज़ाइद था।

(3) क़मीस (या'नी कफ़नी) : गरदन से घुटनों के नीचे तक और येह आगे और पीछे दोनों त़रफ़

1... बहारे शरीअ़त, 1/817, हिस्सा : 4

2... فتاوی ہندیہ، کتاب الصلوۃ، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، الفصل الثالث فی التکفین، 161/1

3... ردالمحتار، کتاب الصلوۃ، باب صلاۃ الجنازۃ، مطلب: فی الکفن، 117/3

बराबर हो इस में चाक और आस्तीनें न हों। मर्द की कफ़्नी कन्धों पर चीरें और औ़रत के लिये सीने की त़रफ़।

(4) सीनाबन्द : पिस्तान से नाफ़ तक और बेहतर येह है कि रान तक हो।

(5) ओढ़नी : तीन हाथ होनी चाहिये या'नी डेढ़ गज़।[1]

मर्द को कफ़न पहनाने का त़रीक़ा

सुवाल मर्द को कफ़्न पहनाने का त़रीक़ा क्या है ?

जवाब कफ़्न को तीन या पांच या सात बार धूनी दे दें। फिर इस त़रह़ बिछाएं कि पहले लिफ़ाफ़ा या'नी बड़ी चादर उस पर तहबन्द और उस के ऊपर कफ़्नी रखें। अब मय्यित को इस पर लिटाएं और कफ़्नी पहनाएं, अब दाढ़ी पर (न हो तो ठोड़ी पर) और तमाम जिस्म पर ख़ुश्बू मलें, वोह आ'ज़ा जिन पर सज्दा किया जाता है या'नी पेशानी, नाक, हाथों, घुटनों और क़दमों पर काफ़ूर लगाएं।

फिर तहबन्द उलटी जानिब से फिर सीधी जानिब से लपेटें। अब आख़िर में लिफ़ाफ़ा भी इसी त़रह़ पहले उलटी जानिब से फिर सीधी जानिब से लपेटें ताकि सीधा ऊपर रहे। सर और पाउं की त़रफ़ बांध दें।[2]

औ़रत को कफ़न पहनाने का त़रीक़ा

सुवाल औ़रत को कफ़्न पहनाने का त़रीक़ा क्या है ?

जवाब कफ़्न को तीन या पांच या सात बार धूनी दे दें। फिर इस त़रह़ बिछाएं कि पहले लिफ़ाफ़ा या'नी बड़ी चादर उस पर तहबन्द और उस के ऊपर कफ़्नी रखें। अब मय्यित को इस पर लिटाएं और कफ़्नी पहनाएं अब उस के बालों के दो हि़स्से कर के कफ़्नी के ऊपर सीने पर डाल दें और ओढ़नी को आधी पीठ के नीचे बिछा कर सर पर ला कर मुंह पर निक़ाब की त़रह़ डाल दें कि सीने पर रहे। इस का तूल आधी पुश्त से नीचे तक और अ़र्ज़ एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक हो। बा'ज़ लोग ओढ़नी इस त़रह़ उढ़ाते हैं जिस त़रह़ औ़रतें ज़िन्दगी में सर पर ओढ़ती हैं येह ख़िलाफ़े सुन्नत है। अब तमाम जिस्म पर ख़ुश्बू मलें, वोह आ'ज़ा जिन पर सज्दा किया जाता है या'नी पेशानी, नाक, हाथों, घुटनों और क़दमों पर काफ़ूर लगाएं (सत्र के मक़ाम को न तो देख सकते हैं, न बिला ह़ाइल छू सकते

1... बहारे शरीअ़त, 1/818, हि़स्सा : 4

2... मदनी वसिय्यत नामा, स. 13

हैं)। फिर तहबन्द उलटी जानिब से फिर सीधी जानिब से लपेटें। अब आख़िर में लिफ़ाफ़ा भी इसी त़रह पहले उलटी जानिब से फिर सीधी जानिब से लपेटें ताकि सीधा ऊपर रहे। सर और पाउं की त़रफ़ बांध दें। फिर आख़िर में सीनाबन्द पिस्तान के ऊपर वाले हिस्से से रान तक ला कर किसी डोरी से बांधें। (आज कल औ़रतों के कफ़न में भी लिफ़ाफ़ा ही आख़िर में रखा जाता है तो अगर कफ़नी के बा'द सीनाबन्द रखा जाए तो भी कोई मुज़ायक़ा नहीं मगर अफ़्ज़ल है कि सीनाबन्द सब से आख़िर में हो) [(1)]

सुवाल क्या मय्यित को ज़ा'फ़रान का रंगा हुवा या रेशम का कफ़न पहनाया जा सकता है ?

जवाब ज़ा'फ़रान का रंगा हुवा या रेशम का कफ़न मर्द को मम्नूअ़ है और औ़रत के लिये जाइज़ या'नी जो कपड़ा ज़िन्दगी में पहन सकता है उस का कफ़न दिया जा सकता है और जो ज़िन्दगी में ना जाइज़ उस का कफ़न भी ना जाइज़।[(2)]

सुवाल क्या मय्यित को पुराने कपड़े का कफ़न दिया जा सकता है ?

जवाब पुराने कपड़े का भी कफ़न हो सकता है, मगर पुराना हो तो धुला हुवा हो कि कफ़न सुथरा होना या'नी पसन्दीदा है।[(3)]

अपनी ज़िन्दगी में अपने कफ़न की वसिय्यत करना

सुवाल क्या अपनी ज़िन्दगी में अपने कफ़न के लिये वसिय्यत करना जाइज़ है ?

जवाब जी हां जाइज़ है जैसा कि : जब ह़ज़रते सय्यिदुना अमीरे मुआ़विया رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ का आख़िरी वक़्त आया तो उन्हों ने वसिय्यत फ़रमाई कि उन्हें उस क़मीस में कफ़न दिया जाए जो हुज़ूर नबिय्ये अकरम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने उन्हें अ़त़ा फ़रमाई थी और येह उन के जिस्म से मुत्तसिल रखी जाए नीज़ आप के पास हुज़ूर रह़मते दो आ़लम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के नाख़ुने पाक के कुछ तराशे भी थे उन के मुतअ़ल्लिक़ वसिय्यत फ़रमाई कि बारीक कर के उन की आंखों और मुंह में रख दिये जाएं। फ़रमाया : येह काम अन्जाम देना और मुझे अर्ह़मुर्राह़िमीन के सिपुर्द कर देना।[(4)]

1 ... मदनी वसिय्यत नामा, स. 13

2 ... جوہرۃ نیرۃ، کتاب الصلوۃ، باب الجنائز، ص134، فتاوی ہندیہ، کتاب الصلوۃ، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، 161/1

3 ... جوہرۃ النیرۃ، کتاب الصلوۃ، باب الجنائز، ص135

4 ... اسد الغابۃ، رقم4977، معاویۃ بن ابی سفیان، 223/5

सबक़ नम्बर 37 नमाज़े जनाज़ा

नमाज़े जनाज़ा पढ़ने की फ़ज़ीलत

हुज़ूर सरवरे कौनैन, शहन्शाहे दारैन صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : मोमिन को सब से पहला तोह्फ़ा येह दिया जाता है कि उस की नमाज़े जनाज़ा पढ़ने वालों की मग़्फ़िरत कर दी जाती है।[1]

नमाज़े जनाज़ा का शरई हुक्म

सुवाल नमाज़े जनाज़ा का शरई हुक्म क्या है ?

जवाब नमाज़े जनाज़ा फ़र्ज़े किफ़ाया है या'नी कोई एक भी अदा कर ले तो सब बरिय्युज़्ज़िम्मा हो गए वरना जिन जिन को ख़बर पहुंची थी और नहीं आए वोह सब गुनहगार होंगे।[2] इस के लिये जमाअ़त शर्त़ नहीं, एक शख़्स भी पढ़ ले तो फ़र्ज़ अदा हो गया।[3] इस की फ़र्ज़िय्यत का इन्कार कुफ़्र है।[4]

नमाज़े जनाज़ा के अरकान और सुन्नतें

सुवाल नमाज़े जनाज़ा के अरकान और सुन्नतें कौन कौन सी हैं ?

जवाब नमाज़े जनाज़ा में दो रुक्न हैं :

(1) चार बार اَللّٰهُ اَكْبَر कहना (2) क़ियाम

नमाज़े जनाज़ा में तीन सुन्नते मुअक्कदा हैं :

(1) सना (2) दुरूद शरीफ़ (3) मय्यित के लिये दुआ़ करना[5]

1 ... نوادر الاصول، الاصل الرابع والخمسون، 1/229، حدیث:342

2 ... فتاویٰ تاتارخانیہ، کتاب الصلوۃ، الفصل الثانی والثلاثون فی الجنائز، 2/153

3 ... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلوۃ، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، 1/162

4 ... در مختار مع رد المحتار، کتاب الصلوۃ، باب صلوۃ الجنازۃ، 3/121

5 ... در مختار مع رد المحتار، کتاب الصلوۃ، باب صلاۃ الجنازۃ، 3/124

नमाज़े जनाज़ा का त़रीक़ा (ह़नफ़ी)

शैखे़ त़रीक़त, अमीरे अहले सुन्नत دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه "नमाज़े जनाज़ा का त़रीक़ा" सफ़ह़ा 8 पर जनाज़े की नमाज़ का त़रीक़ा यूं तह़रीर फ़रमाते हैं :

मुक़्तदी इस त़रह़ निय्यत करे : "मैं निय्यत करता हूं इस जनाज़े की नमाज़ की वासिते़ **अल्लाह** पाक के, दुआ़ इस मय्यित के लिये, पीछे इस इमाम के।"[1] अब इमाम व मुक़्तदी पहले कानों तक हाथ उठाएं और "اَللّٰهُ اَكْبَر" कहते हुए फ़ौरन ह़स्बे मा'मूल नाफ़ के नीचे बांध लें और सना पढ़ें। इस में "وَتَعَالٰى جَدُّكَ" के बा'द "وَجَلَّ ثَنَآءُكَ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ" पढ़ें फिर बिग़ैर हाथ उठाए "اَللّٰهُ اَكْبَر" कहें फिर दुरूदे इब्राहीम पढ़ें फिर बिग़ैर हाथ उठाए "اَللّٰهُ اَكْبَر" कहें और दुआ़ पढ़ें (इमाम तक्बीरें बुलन्द आवाज़ से कहे और मुक़्तदी आहिस्ता, बाक़ी तमाम अज़्कार इमाम व मुक़्तदी सब आहिस्ता पढ़ें) दुआ़ के बा'द फिर "اَللّٰهُ اَكْبَر" कहें और हाथ लटका दें फिर दोनों त़रफ़ सलाम फेर दें।[2]

सना

سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَجَلَّ ثَنَآءُكَ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ

तरजमा : पाक है तू ऐ **अल्लाह**! और मैं तेरी ह़म्द करता हूं, तेरा नाम बरकत वाला है और तेरी अ़ज़्मत बुलन्द है और तेरी ता'रीफ़ बरतर है और तेरे सिवा कोई मा'बूद नहीं।

दुरूदे इब्राहीम

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ط

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ط

तरजमा : ऐ **अल्लाह**! दुरूद भेज (हमारे सरदार) मुह़म्मद पर और इन की आल पर जिस त़रह़ तू ने दुरूद भेजा (सय्यिदुना) इब्राहीम पर और उन की आल पर बेशक तू ही है सब ख़ूबियों वाला इ़ज़्ज़त वाला। ऐ **अल्लाह**! बरकत नाज़िल कर (हमारे सरदार) मुह़म्मद पर और इन की आल पर जिस त़रह़ तू ने बरकत नाज़िल की (सय्यिदुना) इब्राहीम और उन की आल पर बेशक तू ही है सब ख़ूबियों वाला इ़ज़्ज़त वाला।

1... فتاوی تاتارخانیہ، کتاب الصلوۃ، الفصل الثانی والثلاثون فی الجنائز، 2/153

2... बहारे शरीअ़त, 1/835, ह़िस्सा : 4 माख़ूज़न

जनाज़ा का त़रीक़ा

(1) निय्यत

(2) तक्बीरे तह़रीमा

(3) सना

(4) اَللّٰہُ اَکْبَر

(5) दुरूदे इब्राहीमी

(6) اَللّٰہُ اَکْبَر

(7) दुआ़

(8) اَللّٰہُ اَکْبَر

(9) सलाम

बालिग़ मर्द व औ़रत के जनाज़े की दुआ़

اَللّٰھُمَّ اغْفِرْ لِحَیِّنَا وَمَیِّتِنَا وَشَاھِدِنَا وَغَآئِبِنَا وَصَغِیْرِنَا وَکَبِیْرِنَا وَذَکَرِنَا وَاُنْثَانَا ط [1]

اَللّٰھُمَّ مَنْ اَحْیَیْتَہٗ مِنَّا فَاَحْیِہٖ عَلَی الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّیْتَہٗ مِنَّا فَتَوَفَّہٗ عَلَی الْاِیْمَان

तरजमा : इलाही बख़्श दे हमारे हर ज़िन्दा को और हमारे हर फ़ौत शुदा को और हमारे हर ह़ाज़िर को और हमारे हर ग़ाइब को और हमारे हर छोटे को और हमारे हर बड़े को और हमारे हर मर्द को और हमारी हर औ़रत को। इलाही तू हम में से जिस को ज़िन्दा रखे तो उस को इस्लाम पर ज़िन्दा रख और हम में से जिस को मौत दे तो उस को ईमान पर मौत दे।

ना बालिग़ लड़के के जनाज़े की दुआ़

اَللّٰھُمَّ اجْعَلْہُ لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْہُ لَنَآ اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْہُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا [2]

तरजमा : इलाही ! इस (लड़के) को हमारे लिये आगे पहुंच कर सामान करने वाला बना दे और इस को हमारे लिये अज्र (का मूजिब) और वक़्त पर काम आने वाला बना दे और इस को हमारी सिफ़ारिश करने वाला बना दे और वोह जिस की सिफ़ारिश मन्ज़ूर हो जाए।

ना बालिग़ा लड़की के जनाज़े की दुआ़

اَللّٰھُمَّ اجْعَلْھَا لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْھَا لَنَآ اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْھَا لَنَا شَافِعَۃً وَّمُشَفَّعَۃً [3]

तरजमा : इलाही ! इस (लड़की) को हमारे लिये आगे पहुंच कर सामान करने वाली बना दे और इस को हमारे लिये अज्र (का मूजिब) और वक़्त पर काम आने वाली बना दे और इस को हमारे लिये सिफ़ारिश करने वाली बना दे और वोह जिस की सिफ़ारिश मन्ज़ूर हो जाए।

मुतफ़र्रिक़ मसाइल

नमाज़े जनाज़ा में चौथी तक्बीर के बा'द हाथ छोड़ना

सुवाल नमाज़े जनाज़ा में चौथी तक्बीर के बा'द जब इमाम सलाम फेरता है तो हाथ छोड़ने का त़रीक़ा क्या है ? या'नी दाईं त़रफ़ सलाम फेरते वक़्त दायां हाथ और बाईं त़रफ़ सलाम फेरते वक़्त बायां हाथ छोड़ें या दोनों एक साथ छोड़ दें ?

1 ... مستدرک حاکم، کتاب الجنائز، ادعیۃ صلاۃ الجنازۃ، 1/684، حدیث 1366

2 ... کنز الدقائق، کتاب الصلوۃ، باب الجنائز، ص 52

3 ... جوہرۃ النیرۃ، کتاب الصلوۃ، باب الجنائز، ص 138 ماخوذا

जवाब सह़ीह़ येह है कि जैसे ही इमाम जनाज़े की चौथी तक्बीर कहे तो दोनों हाथ छोड़ दें फिर इस के बा'द सलाम फेरें, वज्ह इस की येह है कि क़ियाम में जहां ठहरना होता है या जहां ज़िक्र व तिलावत करनी होती है वहां हाथों को बांधेंगे और जहां ऐसा मुआ़मला नहीं है वहां हाथ नहीं बांधेंगे और चौथी तक्बीर के बा'द चूंकि कुछ ज़िक्रो अज़्कार नहीं करना होता और न ही मज़ीद ठहरना होता है बल्कि तक्बीर के फ़ौरन बा'द सलाम फेरना होता है, इस लिये यहां हाथ बांधने की ह़ाजत नहीं जिस त़रह़ कि ईदैन की तक्बीराते ज़ाइदा (ज़ाइद तक्बीरों) के दौरान कुछ नहीं पढ़ना होता इस लिये वहां हाथ नहीं बांधते।[1]

ना महरम औ़रत के जनाज़े को कन्धा देने का क्या हुक्म है ?

सुवाल ग़ैर मह़रम औ़रत के जनाज़े को कन्धा दे सकते हैं ?

जवाब जनाज़े को कन्धा देना बाइ़से अज्रो सवाब काम है, जनाज़ा मर्द का हो या औ़रत का इस का कुछ फ़र्क़ नहीं। लिहाज़ा ग़ैर मह़रम औ़रत के जनाज़े को भी कन्धा दिया जा सकता है। अलबत्ता क़ब्र में उतारने वाले मह़ारिम होने चाहिएं। येह न हों तो दीगर रिश्तेदार तदफ़ीन करें और येह भी न हों तो परहेज़ गार मुसल्मान क़ब्र में उतारें।

नीज़ औ़रत के जनाज़े में मज़ीद येह एह़तियात़ भी की जाएगी कि उस के जनाज़े की चारपाई किसी कपड़े से छुपी हुई और स्लेप या तख़्तों से क़ब्र बन्द होने तक उस की क़ब्र को किसी चादर से ढांप कर रखें।[2]

क्या औ़रतें नमाज़े जनाज़ा पढ़ सकती हैं ?

सुवाल क्या औ़रतें नमाज़े जनाज़ा पढ़ने के लिये जनाज़े के साथ जा सकती हैं ?

जवाब औ़रतों का नमाज़े जनाज़ा पढ़ने के लिये जनाज़े के साथ जाना, ना जाइज़ व गुनाह है, क्यूं कि हमारे नबी صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने जनाज़े के साथ औ़रतों को जाने से मन्अ़ फ़रमाया, बल्कि ऐसी औ़रतों को सवाब से ख़ाली, गुनाह से भरी हुई फ़रमाया।

इमाम इब्ने माजह رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ अपने मज्मूअ़ए अह़ादीस "सुनने इब्ने माजह" में नक़्ल करते हैं : ह़ज़रते अ़ली رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ से मरवी है, **रसूलुल्लाह** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم तशरीफ़ लाए तो कुछ औ़रतें बैठी हुई थीं। आप ने फ़रमाया : तुम क्यूं बैठी हो ? अ़र्ज़ की : हम जनाज़े का इन्तिज़ार कर रही हैं : फ़रमाया :

1... मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 83
2... मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 84

क्या तुम ग़ुस्ल दोगी ? अ़र्ज़ की : नहीं। फ़रमाया : क्या तुम जनाज़ा उठाओगी ? अ़र्ज़ की : नहीं। फ़रमाया क्या तुम मय्यित को क़ब्र में उतारोगी ? अ़र्ज़ की : नहीं। फ़रमाया : गुनाह से भरी हुई, सवाब से ख़ाली हो कर लौट जाओ।[(1)] इमाम अ़ब्दुर्रह़मान जलालुद्दीन सुयूती رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه "अल जामिउ़स्सग़ीर" में नक़्ल करते हैं : गुनाह से भरी हुई, सवाब से ख़ाली लौट जाओ।[(2)]

औ़रतों के जनाज़े के साथ जाने का हुक्म बयान करते हुए अ़ल्लामा अ़लाउद्दीन ह़स्कफ़ी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه "दुर्रे मुख़्तार" में लिखते हैं : औ़रतों का जनाज़े के साथ जाना मक्रूहे तह़रीमी है।[(3)] औ़रतों का जनाज़ा उठाने का हुक्म बयान करते हुए "अल अश्बाहि वन्नज़ाइर" में है, औ़रत जनाज़ा नहीं उठाएगी, अगर्चे औ़रत की मय्यित हो।[(4)]

सदरुश्शरीअ़ह मुफ़्ती मुह़म्मद अमजद अ़ली आ'ज़मी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه "बहारे शरीअ़त" में लिखते हैं : औ़रतों को जनाज़े के साथ जाना, ना जाइज़ व मम्नूअ़ है।[(5)]

जनाज़ा पढ़ कर दुआ़ कीजिये

सुवाल नमाज़े जनाज़ा के बा'द दुआ़ करने के ह़वाले से आयात और अह़ादीस बयान कीजिये।

जवाब दुआ़ बहुत उ़म्दा इ़बादत है, बल्कि इ़बादतों का भी मग़्ज़ है। क़ुरआने पाक में **अल्लाह** करीम ने कई मक़ामात पर बिग़ैर किसी वक़्त की पाबन्दी के अपने बन्दों को हुक्म फ़रमाया है।

अल्लाह करीम पारह 2 सूरतुल बक़रह की आयत 186 में इर्शाद फ़रमाता है :

وَ اِذَا سَاَلَكَ عِبَادِیْ عَنِّیْ فَاِنِّیْ قَرِیْبٌؕ اُجِیْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِۙ فَلْیَسْتَجِیْبُوْا لِیْ وَ لْیُؤْمِنُوْا بِیْ لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُوْنَ ﴿۱۸۶﴾ (پ2،البقرۃ:186)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और ऐ मह़बूब जब तुम से मेरे बन्दे मुझे पूछें तो मैं नज़्दीक हूं दुआ़ क़बूल करता हूं पुकारने वाले की जब मुझे पुकारे तो उन्हें चाहिये मेरा हुक्म मानें और मुझ पर ईमान लाएं कि कहीं राह पाएं।

1... ابن ماجہ، کتاب الجنائز، باب ما جاء فی اتباع النساء الجنائز، 2/255، حدیث:1778
2... فیض القدیر، 1/605، تحت الحدیث:939
3... درمختار، کتاب الصلوۃ، باب صلوۃ الجنائز، 3/162
4... الاشباہ والنظائر، ص358
5... बहारे शरीअ़त, 1/823, ह़िस्सा : 4

इसी त़रह़ पारह 24 सुरतुल मुअमिन की आयत 60 में **अल्लाह** करीम इर्शाद फ़रमाता है :

وَ قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِیْۤ اَسْتَجِبْ لَكُمْؕ اِنَّ الَّذِیْنَ یَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِیْ سَیَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِیْنَ۠ (پ24،المومن:60)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और तुम्हारे रब ने फ़रमाया मुझ से दुआ़ करो मैं क़बूल करूंगा बेशक वोह जो मेरी इ़बादत से ऊंचे खिंचते (तकब्बुर करते) हैं अ़न्क़रीब जहन्नम में जाएंगे ज़लील हो कर।

इन आयाते मुबारका में **अल्लाह** पाक ने बिग़ैर किसी वक़्त की क़ैद के अपने बन्दों को दुआ़ का हुक्म इर्शाद फ़रमाया है, लिहाज़ा बा'द नमाज़े जनाज़ा दुआ़ करनी चाहिये।

ह़दीसे पाक में भी जनाज़ा पढ़ कर दुआ़ की तरग़ीब दिलाई गई है, चुनान्चे ह़ज़रते सय्यिदुना अबू हुरैरा رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ से रिवायत है कि सरकारे मदीना صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : जब तुम मय्यित पर नमाज़ पढ़ लो तो उस के लिये ख़ुलूसे दिल से दुआ़ करो।[1]

ह़कीमुल उम्मत मुफ़्ती अह़मद यार ख़ान नईमी رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ इस ह़दीसे पाक के तह़्त फ़रमाते हैं : दुआ़ बा'द नमाज़े जनाज़ा सुन्नते **रसूलुल्लाह** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم भी है और सुन्नते सह़ाबी भी। चुनान्चे नबी صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने शाहे ह़बशा नजाशी की नमाज़े जनाज़ा पढ़ी और बा'द में दुआ़ मांगी, ह़ज़रते अ़ब्दुल्लाह बिन सलाम एक जनाज़े पर पहुंचे नमाज़ हो चुकी थी तो आप ने ह़ाज़िरीन से फ़रमाया कि नमाज़ तो पढ़ चुके मेरे साथ मिल कर दुआ़ तो मांग लो। जिन फ़ुक़हा ने इस दुआ़ से मन्अ़ किया उस की सूरत येह है कि सलाम के बा'द यूंही खड़े खड़े दुआ़ मांगी जाए जिस से आने वाले को नमाज़ का धोका हो या बहुत लम्बी दुआ़एं मांगी जाएं जिस से बिला वज्ह दफ़्न में बहुत देर हो जाए।

सुवाल नमाज़े जनाज़ा पढ़ने वाले के लिये क्या शराइत़ हैं ?

जवाब (1) नमाज़ी का नजासते हुक्मिया व ह़क़ीक़िया[2] से पाक होना, नीज़ उस के कपड़े और जगह का पाक होना (2) सत्रे औ़रत (3) क़िब्ला रुख़ होना (4) निय्यत।[3]

सुवाल नमाज़े जनाज़ा के लिये मय्यित में किन शराइत़ का पाया जाना ज़रूरी है ?

जवाब (1) मय्यित का मुसल्मान होना (2) मय्यित के बदन और कफ़न का पाक होना (3) जनाज़े का वहां मौजूद होना या'नी (मय्यित के जिस्म का) कुल या अक्सर या निस्फ़ ह़िस्सा सर समेत मौजूद होना

1... ابوداود،کتاب الجنائز،باب الدعاء للمیت،3/282،حدیث:3199

2... इन की ता'रीफ़ात और तफ़्सील जानने के लिये इसी किताब का सफ़्ह़ा 60 मुलाह़ज़ा कीजिये।

3... ردالمحتار،کتاب الصلوۃ،باب صلوۃ الجنازۃ،مطلب فی صلوۃ الجنازۃ،3/121

(4) जनाज़ा ज़मीन पर रखा होना या हाथ पर हो मगर क़रीब हो (5) जनाज़ा नमाज़ी के आगे क़िब्ले की तरफ़ होना (6) मय्यित के बदन का वोह हिस्सा जिस का छुपाना फ़र्ज़ है उस का छुपा हुवा होना (7) मय्यित इमाम के महाज़ी हो या'नी उस के बदन का कोई हिस्सा इमाम के सामने हो।[1]

सुवाल नमाज़े जनाज़ा की इमामत का ह़क़ किस को है ?

जवाब नमाज़े जनाज़ा में इमामत का ह़क़ बादशाहे इस्लाम को है, फिर क़ाज़ी, फिर इमामे जुमुआ, फिर इमामे मह़ल्ला और फिर (मय्यित के) वली को। वली से पहले इमामे मह़ल्ला को ह़क़ होना बत़ौरे इस्तिह़बाब है और येह भी उस वक़्त है जब मह़ल्ले का इमाम वली से अफ़्ज़ल हो वरना वली बेहतर है।[2]

सुवाल क्या ख़ुदकुशी करने वाले की नमाज़े जनाज़ा पढ़ी जाएगी ?

जवाब अगर्चे ख़ुदकुशी बहुत बड़ा गुनाह है लेकिन ख़ुदकुशी करने वाले की नमाज़े जनाज़ा पढ़ी जाएगी।[3]

वोह लोग जिन की नमाज़े जनाज़ा पढ़ना मन्अ़ है

सुवाल किन लोगों की नमाज़े जनाज़ा पढ़ना मन्अ़ है ?

जवाब (1) बाग़ी जो इमामे बरह़क़ पर नाह़क़ ख़ुरूज करे और उसी बग़ावत में मारा जाए (2) वोह डाकू जो डाके में मारा गया (3) जो लोग अपनी क़ौम की नाह़क़ ह़िमायत करते हुए लड़ें और मर जाएं (4) जिस ने कई लोग गला घोंट कर मार डाले (5) जो शहर में रात को हथियार ले कर लूटमार करें (6) जिस ने अपनी मां या बाप को मार डाला (7) जो किसी का माल छीन रहा था और इस ह़ालत में मारा गया।[4]

सुवाल नमाज़े जनाज़ा में सूरए फ़ातिह़ा पढ़ना कब जाइज़ है ?

जवाब नमाज़े जनाज़ा में ह़म्दो सना की निय्यत से सूरए फ़ातिह़ा पढ़ना जाइज़ है।[5]

1 ...در مختار مع رد المحتار، کتاب الصلوۃ، باب صلوۃ الجنازۃ، مطلب فی صلوۃ الجنازۃ، 3/121 تا 123

2 ...حلبی کبیر، فصل فی الجنائز، ص584، बहारे शरीअ़त, 1/836, हिस्सा : 4

3 ...در مختار، کتاب الصلوۃ، باب صلوۃ الجنازۃ، 3/127

4 ...در مختار مع رد المحتار، کتاب الصلوۃ، باب صلوۃ الجنازۃ، مطلب ہل یسقط فرض... الخ، 3/125 تا 128۔ فتاوی ہندیۃ، کتاب الصلوۃ، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، 1/163

5 ...عمدۃ الرعایۃ، کتاب الصلوۃ، باب الجنائز، ۱/253

सुवाल जो शख़्स चौथी तक्बीर के बा'द जनाज़े में शामिल हुवा वोह क्या करे ?

जवाब जो शख़्स चौथी तक्बीर के बा'द आया तो जब तक इमाम ने सलाम न फेरा हो शामिल हो जाए और इमाम के सलाम के बा'द तीन बार اَللّٰهُ اَكْبَر कह ले ।(1)

सुवाल जब कई जनाज़े जम्अ़ हों तो एक साथ नमाज़ पढ़ी जाए या अलग अलग ?

जवाब कई जनाज़े जम्अ़ हों तो एक साथ सब की नमाज़ पढ़ सकता है या'नी एक ही नमाज़ में सब की निय्यत कर ले और अफ़्ज़ल येह है कि सब की अ़लाह़दा अ़लाह़दा पढ़े । अगर सब की एक साथ पढ़ीं तो इस बात का इख़्तियार है कि सब को आगे पीछे रखें या'नी सब का सीना इमाम के मुक़ाबिल हो या बराबर बराबर रखें या'नी एक के पाउं की त़रफ़ दूसरे का सर हो और दूसरे के पाउं की त़रफ़ तीसरे का सर हो । अगर आगे पीछे रखे तो इमाम के क़रीब उस का जनाज़ा हो जो सब में अफ़्ज़ल हो फिर उस के बा'द जो अफ़्ज़ल हो ।(2)

नमाज़े जनाज़ा दूसरी बार पढ़ना कैसा ?

सुवाल क्या एक मरतबा नमाज़े जनाज़ा पढ़ने के बा'द दोबारा पढ़ी जा सकती है ?

जवाब अगर वली नमाज़े जनाज़ा पढ़ चुका या उस की इजाज़त से एक बार नमाज़ हो चुकी तो अब दूसरों को मुत़्लक़न जाइज़ नहीं, न उन को जो पढ़ चुके न उन को जो बाक़ी रहे ।(3) मगर जब वली के सिवा किसी ऐसे शख़्स ने नमाज़ पढ़ाई जो वली पर मुक़द्दम न हो और वली ने उसे इजाज़त भी न दी थी तो अगर वली नमाज़ में शरीक न हुवा तो नमाज़ का इआ़दा कर सकता है लेकिन इस दूसरी नमाज़ में वोही लोग जनाज़ा पढ़ सकते हैं जिन्हों ने पहले न पढ़ी हो, जो पहले शरीक थे अब वली के साथ नहीं पढ़ सकते और अगर ऐसे शख़्स ने नमाज़ पढ़ाई जो वली पर मुक़द्दम है जैसे बादशाहे इस्लाम या क़ाज़ी या महल्ले का वोह इमाम जो वली से अफ़्ज़ल हो तो अब वली भी नमाज़ का इआ़दा नहीं कर सकता ।(4)

1 ...در مختار، کتاب الصلوۃ، باب صلوۃ الجنائز، 136/3

2 ...در مختار، کتاب الصلوۃ، باب صلوۃ الجنائز، 138/3

3 ... फ़तावा रज़विय्या, 9/318

4 ...در مختار مع رد المحتار، کتاب الصلوۃ، باب صلوۃ الجنازۃ، 144/3. فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلوۃ، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، 163/1

सुवाल अगर मय्यित को ग़ुस्ल दिये बिग़ैर नमाज़े जनाज़ा पढ़ ली तो क्या हुक्म है ?

जवाब ग़ुस्ल के बिग़ैर नमाज़ पढ़ी गई तो नहीं होगी लिहाज़ा मय्यित को ग़ुस्ल दे कर दोबारा नमाज़ पढ़ें और अगर क़ब्र में रख चुके मगर अभी मिट्टी नहीं डाली गई तो क़ब्र से निकालें और ग़ुस्ल दे कर नमाज़ पढ़ें और मिट्टी डाल चुके तो अब नहीं निकाल सकते लिहाज़ा अब उस की क़ब्र पर नमाज़ पढ़ें क्यूं कि ग़ुस्ल न होने की वज्ह से पहली नमाज़ हुई ही नहीं थी और अब चूंकि ग़ुस्ल ना मुम्किन है लिहाज़ा अब हो जाएगी ।(1)

सुवाल जनाज़े के साथ चलते हुए किन उमूर को पेशे नज़र रखना चाहिये ?

जवाब जनाज़े के साथ चलने वालों को ख़ामोश रहना चाहिये । मौत, क़ब्र के ह़ालात और होलनाकियों को पेशे नज़र रखें, दुन्या की बातें करें न हंसें और ज़िक्र करना चाहें तो दिल में करें । अब ह़ालाते ज़माना के पेशे नज़र उ़लमाए किराम ने ज़िक्र बिल जहर (ब आवाज़े बुलन्द ज़िक्रो दुरूद और ना'त ख़्वानी वग़ैरा) की भी इजाज़त दी है ।(2)

सबक़ नम्बर 38

क़ब्र व दफ़्न का बयान

सुवाल मय्यित को दफ़्न करने का शर्ई़ हुक्म क्या है ?

जवाब मय्यित को दफ़्न करना फ़र्ज़े किफ़ाया है और दफ़्न करने से मुराद येह है कि गढ़ा खोद कर उस में मय्यित रखें और ऊपर तख़्ते लगा कर मिट्टी भर दें, येह जाइज़ नहीं कि मय्यित को ज़मीन पर रख दें और चारों त़रफ़ से दीवारें क़ाइम कर के बन्द कर दें ।(3)

तदफ़ीन में शिर्कत की फ़ज़ीलत

जो जनाज़े में शामिल हो और तदफ़ीन तक साथ रहे तो वोह अ़ज़ीमुश्शान सवाब का ह़क़दार होगा चुनान्चे

ह़ज़रते सय्यिदुना जाबिर رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ से रिवायत है कि ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे नुबुव्वत صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : जो जनाज़े के साथ चला और तदफ़ीन तक साथ रहा **अल्लाह** पाक उस के लिये ऐसे तीन क़ीरात़ सवाब लिखेगा जिन में से हर क़ीरात़ जबले उहुद से बड़ा होगा ।(4)

1 ... در مختار مع ردالمحتار، کتاب الصلوۃ، باب صلوۃ الجنازۃ، مطلب فی صلوۃ الجنازۃ، 121/3

2 ... در مختار مع ردالمحتار، کتاب الصلوۃ، باب صلوۃ الجنائز، مطلب فی حمل المیت، 123/3

3 ... فتاوی ہندیہ، کتاب الصلوۃ، باب فی الجنائز۔۔۔ الخ، 165/1 - ردالمحتار، کتاب الصلوۃ، باب صلاۃ الجنازۃ، مطلب: فی دفن المیت، 163/3

4 ... معجم اوسط، 429/6، حدیث 9292

क़ब्र की क़िस्में

सुवाल क़ब्र की कितनी अक़्साम हैं ? मुकम्मल तफ़्सील बताइये ।

जवाब बनावट के ए'तिबार से क़ब्र की दो क़िस्में हैं :

(1) लह़द (या'नी बग़ली क़ब्र) (2) शक़ (या'नी सन्दूक़)

(1) लह़द :

इसे बग़ली क़ब्र भी कहते हैं, इस के तय्यार करने का त़रीक़ा येह है कि सन्दूक़ नुमा गढ़ा खोद कर उस में क़िब्ले की त़रफ़ दीवार में इतनी जगह खोदें जिस में मय्यित को बा आसानी रखा जा सके । ख़याल रहे लह़द सिर्फ़ सख़्त ज़मीन में ही बनाई जा सकती है नर्म ज़मीन में नहीं बन सकती ।

(2) शक़ :

येह सन्दूक़ (Box) की त़रह़ होती है । इस का त़रीक़ा येह है कि पहले एक बड़ा चौकोर गढ़ा चन्द इन्च खोदें (या'नी इतना गहरा कि उस में सिलें रखी जा सकें) फिर उस के दरमियान में दूसरा चौकोर गढ़ा उस से छोटा, जो लम्बाई में मय्यित के क़द से कुछ ज़ियादा हो, चौड़ाई में मय्यित के क़द से आधा और गहराई में आदमी के क़द के बराबर या सीने तक हो । लह़द सुन्नत है अगर ज़मीन इस क़ाबिल हो तो येही करें और नर्म तो सन्दूक़ में ह़रज नहीं ।(1)

तदफ़ीन का त़रीक़ा

सुवाल तदफ़ीन का त़रीक़ा बयान कीजिये ।

जवाब जनाज़ा क़ब्र के क़रीब क़िब्ले की जानिब रखिये कि मुस्तह़ब है और मय्यित को क़िब्ले की जानिब ही से क़ब्र में उतारें, क़ब्र की पाइंती (या'नी पाउं की जानिब वाली जगह) रख कर सर की त़रफ़ न लाएं ।(2)

✱ ह़स्बे ज़रूरत दो या तीन और बेहतर येह है कि क़वी और नेक आदमी क़ब्र में उतरें । औ़रत की मय्यित मह़ारिम उतारें या'नी वोह जिन से उस औ़रत का निकाह़ हमेशा के लिये ह़राम था जैसे भाई,

(1) ... فتاوی ہندیہ، کتاب الصلوۃ، باب فی الجنائز، 165/1
(2) ... در مختار مع رد المحتار، کتاب الصلوۃ، باب صلاۃ الجنازۃ، مطلب: فی دفن المیت، 166/3

बेटा, बाप वग़ैरा, येह न हों तो दीगर रिश्तेदार, येह भी न हों तो परहेज़ गारों से उतरवाएं।[(1)]

✱ औ़रत की मय्यित को उतारने से ले कर तख़्ते लगाने तक किसी कपड़े से छुपाए रखें।[(2)]

✱ क़ब्र में उतारते वक़्त येह दुआ़ पढ़ें :

بِسۡمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوۡلِ اللّٰه[(3)]

✱ मय्यित को सीधी करवट पर इस त़रह़ लिटाएं कि उस का मुंह और सीना क़िब्ले की त़रफ़ हो जाए।[(4)]

इस का आसान त़रीक़ा येह है कि मय्यित की पीठ के नीचे नर्म मिट्टी या रेते का तक्या सा बना दें और हाथ को करवट से अलग रखें। जहां इस में दिक़्क़त हो तो चित लिटा कर मुंह क़िब्ले को कर दें, अब अक्सर येही मा'मूल है।[(5)]

✱ अगर مَعَاذَ اللّٰه ! मुंह ग़ैरे क़िब्ला की त़रफ़ रहा और ऐसा सख़्त हो गया कि फिर नहीं सकता तो छोड़ दें और ज़ियादा तक्लीफ़ न दें।[(6)]

✱ कफ़न की बन्दिश खोल दें कि अब ज़रूरत नहीं और न खोली तो भी ह़रज नहीं।[(7)]

✱ अलबत्ता जहां कफ़न की बन्दिश खोलने से सत्र खुलने और औ़रत की बे पर्दगी का अन्देशा हो तो हरगिज़ खोलने की इजाज़त नहीं।

✱ अगर मय्यित का मुंह देखने के लिये कि क़िब्ले की जानिब हुवा या नहीं, औ़रत का चेहरा खुलवाने की ह़ाजत हो तो येह एह़तियात़ मल्ह़ूज़े ख़ात़िर रहे कि किसी ना मह़रम की नज़र चेहरे पर न पड़े।

कफ़न की गिरह खोलने वाला येह दुआ़ पढ़े : اَللّٰهُمَّ لَا تَحۡرِمۡنَا اَجۡرَهٗ وَلَا تَفۡتِنَّا بَعۡدَهٗ[(8)] **तरजमा :** ऐ **अल्लाह**! हमें इस के अज्र से मह़रूम न कर और हमें इस के बा'द फ़ित्ने में न डाल।

1... فتاوی ہندیہ، کتاب الصلوۃ، باب فی الجنائز، 1/166 ملخصا

2... ردالمحتار، کتاب الصلوۃ، باب صلاۃ الجنازۃ، مطلب: فی دفن المیت، 3/168 والجوہرۃ النیرۃ، کتاب الصلوۃ، باب الجنائز، ص140

3... تنویر الابصار، کتاب الصلوۃ، باب صلاۃ الجنازۃ، 3/166

4... در مختار مع ردالمحتار، کتاب الصلوۃ، باب صلاۃ الجنازۃ، مطلب: فی دفن المیت، 3/166 ملتقطا

5... फ़तावा रज़विय्या, 9/371 मुल्तक़त़न

6... फ़तावा रज़विय्या, 9/372

7... در مختار مع ردالمحتار، کتاب الصلوۃ، باب صلاۃ الجنازۃ، مطلب: فی دفن المیت، 3/167 والجوہرۃ النیرۃ، کتاب الصلوۃ، باب الجنائز، ص140

8... طحطاوی علی مراقی الفلاح، کتاب الصلوۃ، باب احکام الجنائز، فصل فی حملہا ودفنہا، ص609

❋ क़ब्र कच्ची ईंटों से बन्द कर दें अगर ज़मीन नर्म हो तो (लकड़ी के) तख़्ते लगाना जाइज़ है।[1]

❋ ज़हे नसीब ! सादाते किराम अपने रह़मत भरे हाथों क़ब्र में उतार कर अर्‌ह़मुर्राहि़मीन के सिपुर्द करें।[2]

क्या एक ही क़ब्र में मुतअ़द्दद मुर्दों को दफ़्न कर सकते हैं ?

सुवाल मुतअ़द्दद लाशों को ब यक वक़्त एक बड़ी क़ब्र में दफ़्न किया जा सकता है ?

जवाब अगर किसी ह़ादिसे के सबब कसीर अम्वात व शहादतें हो गई हों तब भी हुक्म येही है हर एक लाश को अलग अलग क़ब्र में दफ़्न किया जाए। बिला ज़रूरत एक क़ब्र में मुतअ़द्दद लाशें दफ़्न करना जाइज़ नहीं। अलबत्ता फ़ुक़हाए किराम ने ज़रूरत की बिना पर एक क़ब्र में मुतअ़द्दद मय्यितों को दफ़्न करने का जवाज़ भी इर्शाद फ़रमाया है वोह ज़रूरतें दर्जे ज़ैल हैं :

(1) लाशें ज़ियादा हों और दफ़्न करने वाले कम हों। (2) तदफ़ीन करने वाले ज़ईफ़ अफ़्राद हों कि हर एक के लिये अलग अलग क़ब्र नहीं खोद सकते कमज़ोरी और बढ़ जाएगी। (3) तदफ़ीन करने वाले इस से भी ज़ियादा ज़रूरी काम मसलन जंगी ह़ालात में जिहाद वग़ैरा में मसरूफ़ हों तो इस त़रह़ के ज़रूरत के मवाक़ेअ़ पर मजबूरन एक ही क़ब्र में एक से ज़ियादा मय्यितों को दफ़्न कर सकते हैं।

इस का त़रीक़ए कार येह होगा कि जानिबे क़िब्ला मय्यितों में जो अफ़्ज़ल हो उस को रखेंगे जब कि सब मर्द या सब औ़रतें हों और मर्द औ़रत बच्चों की मय्यितें हों तो जानिबे क़िब्ला मर्द को रखेंगे फिर लड़के को फिर औ़रत को फिर ना बालिग़ा बच्ची को और हर एक के दरमियान मिट्टी वग़ैरा से आड़ कर देंगे।

अलबत्ता अपने मर्ह़ूम अ़ज़ीज़ की क़ब्र या उस के बराबर वाली किसी मुसल्मान की क़ब्र को खोद कर उस में नए मुर्दे की तदफ़ीन करना जाइज़ नहीं कि किसी भी मुसल्मान की क़ब्र को बिला ज़रूरते शरइय्या खोलना ह़राम है। और अक़्रिबा या'नी रिश्तेदारों की क़ब्रों का एक जगह होना कोई ज़रूरते शरइय्या नहीं कि जिस के बाइ़स किसी मुसल्मान की क़ब्र खोलना जाइज़ हो जाए।[3]

1... ردالمحتار، کتاب الصلوٰۃ، باب صلاۃ الجنازۃ، مطلب: فی دفن المیت، 167/3

2... मदनी वसिय्यत नामा, स. 5

3... मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 87

मिट्टी डालने का त़रीक़ा

सुवाल क़ब्र पर मिट्टी डालने का मुस्तह़ब त़रीक़ा बताइये नीज़ उस वक़्त क्या पढ़ना चाहिये ?

जवाब ❋ ह़ाज़िरीने जनाज़ा में से हर एक के लिये मुस्तह़ब है कि सिरहाने की त़रफ़ से दोनों हाथों से तीन बार मिट्टी डालें। पहली बार कहें مِنۡهَا خَلَقۡنٰكُمۡ (हम ने ज़मीन ही से तुम्हें बनाया) दूसरी बार وَفِيۡهَا نُعِيۡدُكُمۡ (और इसी में तुम्हें फिर ले जाएंगे) तीसरी बार وَ مِنۡهَا نُخۡرِجُكُمۡ تَارَةً اُخۡرٰى (और इसी से तुम्हें दोबारा निकालेंगे) कहें। अब बाक़ी मिट्टी फावड़े वग़ैरा से डाल दें।[(1)]

❋ जितनी मिट्टी क़ब्र से निकली है उस से ज़ियादा डालना मक्रूह है।[(2)]

❋ हाथ में जो मिट्टी लगी है उसे झाड़ दें या धो डालें इख़्तियार है।[(3)]

सुवाल मय्यित को ताबूत में रख कर दफ़्न करना कैसा है ?

जवाब ताबूत कि मय्यित को किसी लकड़ी वग़ैरा के सन्दूक़ में रख कर दफ़्न करें येह मक्रूह है, मगर जब ज़रूरत हो मसलन ज़मीन बहुत तर है तो ह़रज नहीं और इस सूरत में ताबूत के मसारिफ़ (या'नी अख़्राजात) उस माल से लिये जाएं जो मय्यित ने छोड़ा है।[(4)]

सुवाल ताबूत में रख कर दफ़्न करने का त़रीक़ा क्या है ?

जवाब अगर ताबूत में रख कर दफ़्न करें तो सुन्नत येह है कि उस में मिट्टी बिछा दें और दाएं बाएं कच्ची ईंटें लगा दें और ऊपर मिट्टी की लिपाई कर दें, ग़रज़ येह कि अन्दर का ह़िस्सा लह़द की त़रह हो जाए।[(5)]

सुवाल मय्यित की तदफ़ीन कहां मुस्तह़ब है और क़ब्र किस जगह बनानी बेहतर है ?

जवाब जिस शहर या गाउं वग़ैरा में इन्तिक़ाल हुवा वहीं के क़ब्रिस्तान में दफ़्न करना मुस्तह़ब है अगर्चे येह वहां रहता न हो बल्कि जिस घर में इन्तिक़ाल हुवा उस घर वालों के क़ब्रिस्तान में दफ़्न

1 ...جوہرۃ النیرۃ، کتاب الصلوۃ، باب الجنائز، ص 141

2 ...فتاوٰی ہندیہ، کتاب الصلوۃ، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، الفصل السادس فی القبر والدفن...الخ، 1/166

3 ... बहारे शरीअ़त, 1/845, ह़िस्सा : 4

4 ... बहारे शरीअ़त, 1/843, ह़िस्सा : 4

5 ...ردالمحتار، کتاب الصلوۃ، باب صلاۃ الجنازۃ، 3/165 ملخصا

करें ।(1) ऐसी जगह दफ़्न करना बेहतर है जहां सालिहीन की क़ब्रें हों ।(2)

सुवाल किन जगहों पर मुर्दा दफ़्न करना ह़राम है ?

जवाब मालिक की इजाज़त के बिग़ैर उस की ज़मीन में नीज़ और जगह होते हुए पुरानी क़ब्र में मुर्दा दफ़्न करना ह़राम है। यूंही मस्जिद ता'मीर होने के बा'द मस्जिद के सह़्न में भी मुर्दे को दफ़्न करना ह़राम है ।(3)

सुवाल क़ब्र में उतरने वाले अफ़राद कितने और कैसे हों ?

जवाब क़ब्र में उतरने वाले अफ़राद दो या तीन जो मुनासिब हों, कोई ता'दाद इस में ख़ास नहीं और बेहतर येह कि क़वी व नेक व अमीन हों कि कोई बात ना मुनासिब देखें तो लोगों पर ज़ाहिर न करें ।(4)

सुवाल क़ब्र में शजरा व अ़ह्द नामा रखना कैसा नीज़ कफ़न पर लिखने की क्या बरकत है ?

जवाब शजरा या अ़ह्द नामा क़ब्र में रखना जाइज़ है और बेहतर येह है कि मय्यित के मुंह के सामने क़िब्ले की जानिब त़ाक़ खोद कर उस में रखें, बल्कि दुर्रे मुख़्तार में कफ़न पर अ़ह्द नामा लिखने को जाइज़ कहा है और फ़रमाया कि इस से मग़्फ़िरत की उम्मीद है और मय्यित के सीने और पेशानी पर بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡم लिखना जाइज़ है। यूं भी हो सकता है कि पेशानी पर बिस्मिल्लाह शरीफ़ लिखें और सीने पर कलिमए त़य्यिबा لَاۤ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ مُحَمَّدٌ رَّسُوۡلُ اللّٰہ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم मगर नहलाने के बा'द कफ़न पहनाने से पेशतर (या'नी पहले), कलिमे की उंगली से लिखें, रोशनाई से न लिखें ।(5)

सुवाल क्या मय्यित के साथ तबर्रुकात रखे जा सकते हैं ?

जवाब जी हां रखे जा सकते हैं। जैसा कि ह़ज़रते सय्यिदुना साबित बुनानी رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہ का बयान है कि ह़ज़रते सय्यिदुना अनस बिन मालिक رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہ ने मुझ से फ़रमाया : येह मूए मुबारक हु़ज़ूर सय्यिदे आ़लम, नूरे मुजस्सम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم का है इसे मेरी ज़बान के नीचे रख देना। मैं ने रख दिया और वोह

1... बहारे शरीअ़त, 1/846, 847, ह़िस्सा : 4

2... جوہرۃ نیرۃ، کتاب الصلوۃ، باب الجنائز، الجزء الاول، ص141

3... फ़तावा रज़विय्या, 9/379, 385, 407 माख़ूज़न

4... فتاوٰی ہندیہ، کتاب الصلوۃ، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، 1/166، बहारे शरीअ़त, 1/843, 844, ह़िस्सा : 4

5... در مختار مع رد المحتار، کتاب الصلوۃ، باب صلوۃ الجنازۃ، 3/185-186 ملتقطا، बहारे शरीअ़त, 1/848, ह़िस्सा : 4 मुल्तक़त़न

यूं ही दफ़्न किये गए।[1] नीज़ हज़रते सय्यिदुना अनस बिन मालिक رَضِیَ اللہُ عَنْہ के पास हुज़ूर ताजदारे दो जहान, रह़मते आलमिय्यान صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم की एक छड़ी थी वोह उन के सीने पर क़मीस के नीचे उन के साथ दफ़्न की गई।[2]

सुवाल बा'दे तदफ़ीन मय्यित के सिरहाने और पाउं की तरफ़ खड़े हो कर क्या पढ़ा जाए ?

जवाब मुस्तह़ब येह है कि दफ़्न के बा'द क़ब्र पर सूरए बक़रह का अव्वल व आख़िर पढ़ें, सिरहाने الٓمّٓ से مُفْلِحُوْنَ तक और पाइंती (पाउं की जानिब) اٰمَنَ الرَّسُوْلُ से ख़त्मे सूरत तक पढ़ें।[3]

सुवाल दफ़्न के बा'द क़ब्र के पास अज़ान देने से क्या फ़वाइद ह़ासिल होते हैं ?

जवाब दफ़्न के बा'द क़ब्र के पास अज़ान देने से मुर्दे को मुन्कर व नकीर के सुवालों का जवाब देने में आसानी होती है नीज़ मुर्दे की वह़शत और घबराहट दूर हो जाती है।[4] तदफ़ीन के बा'द मय्यित के लिये सब से बड़ा इम्तिह़ान येह होता है कि उस से मुन्कर नकीर सुवालात करते हैं, उस वक़्त शैत़ान मय्यित को सुवालात के जवाबात में बहकाता है, जब कि अज़ान देने से शैत़ान दूर भाग जाता है जैसा कि बुख़ारी शरीफ़ की ह़दीसे पाक में है :

हज़रते अबू हुरैरा رَضِیَ اللہُ عَنْہ से रिवायत है कि **अल्लाह** के प्यारे मह़बूब صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : जब मुअज़्ज़िन अज़ान कहता है तो शैत़ान गूज़ मारता हुवा भागता है।[5]

इसी त़रह़ हज़रते सय्यिदुना जाबिर رَضِیَ اللہُ عَنْہ बयान करते हैं कि हम लोग हज़रते सा'द बिन मुआज़ رَضِیَ اللہُ عَنْہ के दफ़्न में गए, जब हुज़ूर नबिय्ये पाक صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم नमाज़े जनाज़ा पढ़ा चुके और वोह क़ब्र में उतारे गए और मिट्टी बराबर कर दी गई तो **अल्लाह** के मह़बूब صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने तस्बीह़ पढ़ी और हम लोग भी देर तक तस्बीह़ पढ़ते रहे। फिर हुज़ूर सय्यिदे आलम صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने तक्बीर पढ़ी और हम भी देर तक तक्बीर पढ़ते रहे तो किसी ने अ़र्ज़ किया : **या रसूलल्लाह** صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم !

---

1 ...الاصابۃ،انس بن مالک،1/275،276،رقم:277
2 ...تاریخ ابن عساکر،رقم 829،انس بن مالک،9/378
3 ...جوہرۃ نیرۃ،کتاب الصلوۃ،باب الجنائز،الجزء الاول،ص141، बहारे शरीअ़त, 1/846, हिस्सा : 4 माख़ूज़न
4 ... फ़तावा रज़विय्या, 5/672 माख़ूज़न
5 ...بخاری،کتاب الاذان،باب فضل التاذین،1/222،حدیث:608

आप ने तस्बीह़ व तक्बीर क्यूं पढ़ी ? तो हु़ज़ूर नबिय्ये रह़मत صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया कि इस बन्दए सालेह़ पर इस की क़ब्र तंग हो गई थी यहां तक कि **अल्लाह** पाक ने कुशादा फ़रमा दी ।[1]

सुवाल तदफ़ीन के बा'द क़ब्र के पास कितनी देर तक ठहरना मुस्तह़ब है ?

जवाब दफ़्न के बा'द क़ब्र के पास इतनी देर तक ठहरना मुस्तह़ब है जितनी देर में ऊंट ज़ब्ह़ कर के गोश्त तक़्सीम कर दिया जाए कि इन के रहने से मय्यित को उन्स होगा और नकीरैन का जवाब देने में वह़शत न होगी और इतनी देर तक तिलावते कुरआन और मय्यित के लिये दुआ़ व इस्तिग़्फ़ार करें और येह दुआ़ करें कि सुवालाते नकीरैन के जवाब में साबित क़दम रहे ।[2]

सुवाल रिश्तेदार की क़ब्र पर जाने के लिये क़ब्रों पर गुज़रना और क़ब्रिस्तान में जूते पहनना कैसा ?

जवाब अपने किसी रिश्तेदार की क़ब्र तक जाना चाहता है मगर क़ब्रों पर गुज़रना पड़ेगा तो वहां तक जाना मन्अ़ है, दूर ही से फ़ातिह़ा पढ़ दे, क़ब्रिस्तान में जूतियां पहन कर न जाए ।[3] एक शख़्स को हु़ज़ूरे अक़्दस صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने जूते पहने देखा तो फ़रमाया : जूते उतार दे ।[4]

सबक़ नम्बर 39 — बा'दे तदफ़ीन तल्क़ीन का बयान

सुवाल बा'दे तदफ़ीन तल्क़ीन का मुकम्मल त़रीक़ा बयान कीजिये ।

जवाब बा'दे तदफ़ीन तल्क़ीन कीजिये कि येह सुन्नत है, ह़दीसे पाक में है : जब तुम्हारा कोई मुसल्मान भाई मरे और उस को मिट्टी दे चुको तो तुम में एक शख़्स क़ब्र के सिरहाने खड़ा हो कर कहे : या फ़ुलां बिन फ़ुलाना ! वोह सुनेगा और जवाब न देगा । फिर कहे : या फ़ुलां बिन फ़ुलाना ! वोह सीधा हो कर बैठ जाएगा । फिर कहे : या फ़ुलां बिन फ़ुलाना ! वोह कहेगा : हमें इर्शाद कर, **अल्लाह** पाक तुझ पर रह़्म फ़रमाए । मगर तुम्हें उस के कहने की ख़बर नहीं होती । फिर कहे :

اُذْکُرْ مَاخَرَجْتَ عَلَیْہِ مِنَ الدُّنْیَا شَھَادَۃَ اَنْ لَّآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُہٗ وَرَسُوْلُہٗ (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) وَاَنَّکَ

رَضِیْتَ بِاللّٰہِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِیْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) نَبِیًّا وَّبِالْقُرْاٰنِ اِمَامًا

---

1 ...مسند احمد، مسند جابر بن عبد اللہ، 5/142، حدیث:14879

2 ...جوہرۃ نیرۃ، کتاب الصلوۃ، الجزء الاول، ص141، बहारे शरीअ़त, 1/846, हि़स्सा : 4

3 ... बहारे शरीअ़त, 1/848, हि़स्सा : 4

4 ...نوادر الاصول، الاصل الحادی عشر والمائتان، 4/476، حدیث:1071

तरजमा : तू उसे याद कर, जिस पर तू दुन्या से निकला या'नी येह गवाही कि **अल्लाह** पाक के सिवा कोई मा'बूद नहीं और मुह़म्मद صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم उस के बन्दे और रसूल हैं और येह कि तू **अल्लाह** के रब और इस्लाम के दीन और मुह़म्मद صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के नबी और क़ुरआन के इमाम होने पर राज़ी था।

मुन्कर नकीर एक दूसरे का हाथ पकड़ कर कहेंगे : चलो हम उस के पास क्या बैठें जिसे लोग उस की हुज्जत सिखा चुके। इस पर किसी ने अ़र्ज़ की : **या रसूलल्लाह** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ! अगर उस की मां का नाम मा'लूम न हो ? फ़रमाया : तो ह़व्वा की त़रफ़ निस्बत करे।[1]

याद रहे ! या फ़ुलां बिन फ़ुलाना की जगह मय्यित और इस की मां का नाम ले, मसलन या मुह़म्मद इल्यास बिन अमीना और (अगर मय्यित इस्लामी बहन की हो तो मसलन) या फ़ात़िमा बिन्ते ह़लीमा वग़ैरा नीज़ तल्क़ीन सिर्फ़ अ़रबी में की जाए।

बा'ज़ अजिल्ला अइम्मए ताबिईन फ़रमाते हैं : जब क़ब्र पर मिट्टी बराबर कर चुकें और लोग वापस जाएं तो मुस्तह़ब समझा जाता था कि मय्यित से उस की क़ब्र के पास खड़े हो कर कहा जाए :

يَا فُلَان! قُلْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ (तीन बार)

तरजमा : ऐ फ़ुलां ! तू कह कि **अल्लाह** के सिवा कोई मा'बूद नहीं।

(**नोट :** यहां या फ़ुलान ! की जगह मय्यित का नाम लें मसलन या इल्यास ! और या फ़ात़िमा ! वग़ैरा) फिर कहा जाए : قُلْ رَبِّيَ اللهُ وَدِيْنِيَ الْاِسْلَامُ وَنَبِيِّي مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم[2]

तरजमा : तू कह ! मेरा रब **अल्लाह** है और मेरा दीन इस्लाम है और मेरे नबी मुह़म्मद صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم हैं।

आ'ला ह़ज़रत رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه ने इस पर इतना और इज़ाफ़ा किया :

وَاعْلَمْ اَنَّ هٰذَيْنِ الَّذَيْنِ اَتَيَاكَ اَوْيَاْتِيَانِكَ اِنَّمَا هُوَعَبْدَانِ لِلّٰهِ
لَايَضُرَّانِ وَلَايَنْفَعَانِ اِلَّا بِاِذْنِ اللهِ فَلَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ وَاشْهَدْ اَنَّ رَبَّكَ اللهُ وَدِيْنَكَ الْاِسْلَامُ وَنَبِيَّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم
ثَبَّتَنَا اللهُ وَاِيَّاكَ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ اِنَّهٗ هُوَالْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ۔

तरजमा : और जान ले कि येह दो शख़्स जो तेरे पास आए या आएंगे येह **अल्लाह** के बन्दे हैं बिग़ैर ख़ुदा के हुक्म के न ज़रर पहुंचाएं, न नफ़्अ़ पस न ख़ौफ़ कर और न ग़म कर और तू गवाही दे कि तेरा रब

1 ...معجم کبیر، 8/249، حدیث7979

2 ...شرح الصدور، باب: مایقال عند الدفن والتلقین، ص106

अल्लाह है और तेरा दीन इस्लाम है और तेरे नबी मुह़म्मद صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم हैं **अल्लाह** हम को और तुझ को क़ौले साबित पर साबित रखे, दुन्या की ज़िन्दगी में और आख़िरत में बेशक वोह बख़्शने वाला मेहरबान है।[1]

मुतफ़र्रिक़ मसाइल

क़रीबी रिश्तेदारों का मय्यित के घर रुकना

सुवाल कुछ लोगों के हां मय्यित होने पर सात दिन तक येह होता है कि दूर के रिश्तेदार चले जाते हैं, मगर क़रीबी रिश्तेदार और अहले ख़ाना घर बैठे रहते हैं, कामकाज वग़ैरा के लिये नहीं जाते, जो लोग ता'ज़ियत करने आते हैं उन से मिलते हैं और मय्यित के लिये दुआ़ करते हैं, इस दौरान बा'ज़ अवक़ात रोने धोने की नौबत भी आ जाती है। इस का क्या हुक्म है ?

जवाब बेहतर तो येह है कि ता'ज़ियत वुसूल करने के लिये किसी दिन भी न बैठा जाए और अगर बैठना ही हो तो अहले ख़ाना को तीन दिन तक ता'ज़ियत वुसूल करने के लिये घर में बैठने की बिला कराहत रुख़्सत व इजाज़त है जब कि कोई मम्नूअ़ काम न करें (मसलन उ़म्दा उ़म्दा बिछोने बिछाना, मय्यित की ता'रीफ़ में ह़द से ग़ुलू, ता'ज़ियत के वक़्त वोह बातें जो ग़मो अलम को ज़ियादा करें और मय्यित की भूली हुई बातें याद दिलाएं) और तीन दिन के बा'द इस ग़रज़ से बैठना मक्रूहे तन्ज़ीही है और मय्यित के लिये दुआ़ व ईसाले सवाब करना तो शर्ई त़ौर पर अच्छा अ़मल है, येह तो ज़ियादा से ज़ियादा होना चाहिये।[2]

सुवाल ता'ज़ियत का मक़्सद क्या है ?

जवाब ता'ज़ियत का बुन्यादी मक़्सद लवाहिक़ीन के ग़म में शरीक हो कर उन्हें ह़ौसला देना और उन्हें सब्र की तल्क़ीन करना है। ता'ज़ियत मस्नून अ़मल है और अगर क़रीबी रिश्ता हो तो सिलए रेह़मी के तक़ाज़े के पेशे नज़र ता'ज़ियत की अहम्मिय्यत मज़ीद बढ़ जाती है यूंही ह़क़्क़े पड़ोस और ह़क़्क़े रफ़ाक़त या दोस्ती या साथ काम करना वग़ैरा वोह तअ़ल्लुक़ात हैं जिन में ता'ज़ियत करना और लवाहिक़ीन को ह़ौसला देना इन्तिहाई अहम अ़मल है। इस अ़मल से एक त़रफ़ रिश्तेदारों या साथ उठने बैठने वालों से ता'ज़ियत करने, तसल्ली देने और मय्यित के लिये दुआ़ कर के लवाहिक़ीन के दिल में ख़ुशी दाख़िल करने से लवाहिक़ीन पर पहाड़ जैसे सदमे का बोझ कम होता चला जाता है। तो दूसरी त़रफ़ ता'ज़ियत करने वाला ख़ुद ग़रज़ी और मत़लब परस्ती का शिकार नहीं होता क्यूं कि जो इन्सान

1... बहारे शरीअ़त, 1/851, हिस्सा : 4 व फ़तावा रज़विय्या, 9/223

2... मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 77

अपने रिश्तेदारों, दोस्त अह्बाब और पड़ोसियों की ख़ुशी ग़मी में शरीक होता है वोह मिलनसार कहलाता है और मिलनसार होना अख़्लाक़िय्यात में एक अच्छा वस्फ़ है। फ़ैज़ुल क़दीर में है : इमाम नववी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं कि ता'ज़िय्यत का मत्लब येह है कि सब्र की तल्क़ीन की जाए और ऐसी बातें ज़िक्र की जाएं जो मय्यित के लवाहिक़ीन को तसल्ली दें और उन के ग़म और मुसीबत को हलका करें।(1)

सुवाल ता'ज़ियत करते हुए क्या अल्फ़ाज़ बोले जाएं ?

जवाब ता'ज़ियत का त़रीक़ा बयान करते हुए सदरुश्शरीअ़ह, बदरुत्तरीक़ह मुफ़्ती मुह़म्मद अमजद अ़ली आ'ज़मी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه इर्शाद फ़रमाते हैं : "ता'ज़ियत में येह कहे : **अल्लाह** पाक मय्यित की मग़्फ़िरत फ़रमाए और उस को अपनी रह़मत में ढांके और तुम को सब्र रोज़ी करे और इस मुसीबत पर सवाब अ़त़ा फ़रमाए। नबी صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इन लफ़्ज़ों से ता'ज़ियत फ़रमाई : لِلّٰهِ مَا اَخَذَ وَاَعْطٰى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهٗ بِاَجَلٍ مُّسَمًّى ख़ुदा ही का है जो उस ने लिया दिया और उस के नज़्दीक हर चीज़ एक मीआ़दे मुक़र्रर (वक़्ते मुक़र्रर) के साथ है।"(2)

मश्हूर मुफ़स्सिर, ह़कीमुल उम्मत मुफ़्ती अह़मद यार ख़ान नईमी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : "ता'ज़ियत के ऐसे प्यारे अल्फ़ाज़ होने चाहिएं जिस से उस ग़मज़दा की तसल्ली हो जाए येह अल्फ़ाज़ भी कुतुबे फ़िक़्ह में मन्क़ूल हैं। फ़क़ीर का तजरिबा है कि अगर इस मौक़अ़ पर ग़मज़दों को वाक़िआ़ते करबला याद दिलाए जाएं और कहा जाए कि हम लोग तो खा पी कर मरते हैं वोह शाहज़ादे तो तीन दिन के रोज़ादार शहीद हुए तो बहुत तसल्ली होती है।"(3)

मय्यित को सर्दख़ाने में रखना

सुवाल कभी कोई क़रीबी अ़ज़ीज़ बाहर के मुल्क में होता है तो उस को मय्यित का चेहरा दिखाने के इन्तिज़ार में मय्यित को सर्दख़ाने में रखा जाता है और बा'ज़ अवक़ात ला वारिस लाश सर्दख़ाने में रखी जाती है या मक़्तूल की लाश रखी जाती है, इन तमाम सूरतों में मय्यित को सर्दख़ाने में रखना कैसा है ?

1... فیض القدیر، 6/232، تحت الحدیث:8851

2... बहारे शरीअ़त, 1/852, हिस्सा : 4

3... मिरआतुल मनाजीह़, 2/507

नोट : ला वारिस लाश और मक़्तूल के मुतअ़ल्लिक़ मा'लूमात येह हैं कि अगर ला वारिस लाश को बिग़ैर सर्दख़ाने में रखे दफ़्न कर दिया जाए तो इस पर कोई गिरिफ़्त नहीं होती बल्कि दफ़्न कर सकते हैं यूंही मक़्तूल के वुरसा को इख़्तियार होता है वोह चाहें तो सर्दख़ाने में रखे बिग़ैर दफ़्न कर दें।

जवाब सुवाल में मज़्कूर किसी सूरत में मय्यित को सर्दख़ाने में रखना जाइज़ नहीं है। तफ़्सील इस में येह है कि जिस चीज़ से ज़िन्दा को तक्लीफ़ होती है उस चीज़ से मुर्दा को भी तक्लीफ़ होती है और जिस त़रह़ ज़िन्दा को बिला वज्हे शरई़ तक्लीफ़ देना जाइज़ नहीं है इसी त़रह़ मुर्दा को भी बिला वज्हे शरई़ तक्लीफ़ देना जाइज़ नहीं और सर्दख़ाने में अगर ज़िन्दा को थोड़ी देर के लिये रखा जाए तो उसे भी सख़्त तक्लीफ़ होती है कि वहां टेम्प्रेचर माइनस में होता है लिहाज़ा इस से मय्यित को भी तक्लीफ़ होती है और किसी क़रीबी को मय्यित का चेहरा दिखाना वग़ैरा ऐसे आ'ज़ार नहीं कि जिन के लिये मय्यित को तक्लीफ़ देना जाइज़ हो सके।

सर्दख़ाने में रखने से जो तक्लीफ़ होती है वोह क़ब्र पर पेशाब, पाख़ाने से होने वाली तक्लीफ़ और क़ब्र पर चलने की तक्लीफ़ से कहीं ज़ियादा है येह तो ब दरजए औला ना जाइज़ होगा। नीज़ इस में मय्यित की तज्हीज़ो तक्फ़ीन में बिला वज्ह की ताख़ीर है जो कि मम्नूअ़ है।[1]

बड़ा हो या छोटा मुझ से बेहतर है

ह़ज़रते सय्यिदुना बक्र बिन अ़ब्दुल्लाह मुज़नी رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ फ़रमाते हैं : अगर शैत़ान से तुम्हारा आमना सामना हो और वोह कहे कि तुझे फ़ुलां मुसल्मान पर फ़ज़ीलत ह़ासिल है तो ग़ौर करो अगर वोह उ़म्र में तुम से बड़ा हो तो कहो : येह ईमान लाने और नेक आ'माल करने में मुझ से सब्क़त ले गया, लिहाज़ा येह मुझ से बेहतर है। अगर छोटा हो तो कहो : मेरे गुनाह और ख़त़ाएं ज़ियादा हैं और मैं सज़ा का ह़क़दार हूं, लिहाज़ा येह मुझ से बेहतर है। पस मुसल्मानों में से जिसे भी तुम देखोगे ख़्वाह बड़ा हो या छोटा उसे ख़ुद से बेहतर समझोगे। मज़ीद फ़रमाते हैं : अगर देखो कि मुसल्मान तुम्हारी ता'ज़ीम करते, अदबो एह़तिराम से पेश आते और अच्छा सुलूक करते हैं तो कहो : येह ऐसी फ़ज़ीलत है जो इन के ह़िस्से में आई। अगर उन्हें जफ़ा करते और मुतनफ़्फ़िर होते देखो तो कहो : येह किसी गुनाह की वज्ह से है जो मुझ से सादिर हुवा।

(حلیۃ الاولیاء، 2/275، رقم: 2144)

1... मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 78-79

सबक़ नम्बर 40

ज़कात का बयान

ज़कात इस्लाम का बुन्यादी रुक्न है, येह सिन 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुई, एक क़ौल के मुताबिक़ कुरआने करीम में 32 मक़ामात पर नमाज़ और ज़कात का एक साथ ज़िक्र आया है।[1] पारह 1, सूरतुल बक़रह, आयत 43 में है :

وَاَقِیْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِیْنَ ۝ (پ1،البقرۃ:43)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और नमाज़ क़ाइम रखो और ज़कात दो और रुकूअ़ करने वालों के साथ रुकूअ़ करो।

ज़कात की अहम्मिय्यत पर दो फ़रामीने मुस्त़फ़ा

(1) : ज़कात इस्लाम का पुल है।[2] (2) : **अल्लाह** पाक ने इस्लाम में चार चीज़ें फ़र्ज़ की हैं, जो तीन अदा करे, वोह उसे कुछ फ़ाएदा न देंगी जब तक चारों अदा न की जाएं : ✱ नमाज़ ✱ ज़कात ✱ रोज़ा ✱ हज।[3]

सुवाल ज़कात की ता'रीफ़ क्या है ?

जवाब ज़कात से मुराद शरीअ़त के मुक़र्रर कर्दा माल के एक हिस्से को **अल्लाह** पाक के लिये किसी मुसल्मान फ़क़ीर (मुस्तहिक़) को मालिक बना देना है जो हाशिमी हो और न ही किसी हाशिमी का आज़ाद कर्दा गुलाम हो और मालिक बनाने वाला उस माल से अपना नफ़्अ़ बिल्कुल जुदा कर ले।[4]

सुवाल ज़कात की शर्ई हैसिय्यत क्या है ?

जवाब ज़कात फ़र्ज़ है, इस का मुन्किर काफ़िर और अदा में ताख़ीर करने वाला गुनहगार है।[5]

ज़कात देने के फ़ाएदे और सवाबात

सुवाल ज़कात देने के फ़ाएदे और सवाबात बयान कीजिये।

जवाब ✱ ज़कात देना जन्नत में ले जाने वाला काम है। ✱ ज़कात देना तक़्वे की अ़लामत है। ✱ ज़कात देने से ईमान की ह़लावत (या'नी मिठास) मिलती और ईमान कामिल होता है, दो फ़रामीने

1 ...در مختار مع ردالمحتار، کتاب الزکاۃ، 3/202
2 ...معجم اوسط، 6/328، حدیث:8937
3 ...مسند احمد، مسند الشامیین، 6/236، حدیث:17804
4 ...تنویر الابصار، کتاب الزکاۃ، 3/203-206
5 ...فتاویٰ ہندیہ، کتاب الزکاۃ، الباب الاول، 1/170 ملتقطا

मुस्त़फ़ा صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم : (1) तुम्हारे इस्लाम का पूरा होना येह है कि अपने माल की ज़कात अदा करो।[1] (2) जो तीन काम करे, ईमान की ह़लावत (या'नी मिठास) पा लेगा, उन में एक ख़ुशदिली से ज़कात देना भी इर्शाद फ़रमाया।[2] ❋ ज़कात देना "सिद्दीक़ीन (औलियाए किराम की बहुत आ'ला क़िस्म)" तक पहुंचने का ज़रीआ़ है, रिवायत है, एक शख़्स ने बारगाहे रिसालत में अ़र्ज़ किया : मैं **अल्लाह** पाक के एक होने और आप के **रसूलुल्लाह** होने की गवाही देता, पांचों नमाज़ें पढ़ता, रमज़ान के रोज़े रखता और ज़कात देता हूं। आप صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : जिसे इस ह़ालत पर मौत आए, वोह सिद्दीक़ीन और शुहदा के साथ होगा।[3] ❋ ज़कात देना फ़लाह़ (या'नी काम्याबी) पाने का ज़रीआ़ है। ❋ ज़कात देने से माल पाक होता है। ❋ ज़कात देने से माल की ह़िफ़ाज़त होती है, फ़रमाने मुस्त़फ़ा صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم : ज़कात दे कर अपने माल को मज़बूत़ क़ल्ओं में कर लो।[4] ❋ ज़कात देने से माल बढ़ता है। ❋ ज़कात देने से ग़रीबों की दुआ़एं मिलती हैं। ❋ ज़कात देने से बुख़्ल और लालच से नजात मिलती है। ❋ ज़कात देने से मआ़शी बोह़रान ख़त्म होता, ग़रीबों की मदद होती, मुसल्मानों में भाईचारा मज़बूत़ होता और मुआ़शरे में इज्तिमाइय्यत को फ़रोग़ मिलता है। ❋ बर वक़्त और दुरुस्त त़रीक़े से ज़कात देना बहुत से लोगों को भूक से नजात देता, कई घरों को बरबाद होने से बचाता बल्कि बहुत सारों को ख़ुदकुशी के गुनाह से बचा लेता है।

ज़कात न देने की वईदात व नुक़्सानात

सुवाल ज़कात अदा न करने की वईदात और नुक़्सानात बयान कीजिये।

जवाब क़ुरआने करीम में ज़कात अदा न करने की सख़्त वइदात बयान हुई हैं। चुनान्चे इर्शादे बारी है :

وَالَّذِیْنَ یَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا یُنْفِقُوْنَهَا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِیْمٍۙ(۳۴) یَّوْمَ

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और वोह कि जोड़ कर रखते हैं सोना और चांदी और उसे **अल्लाह** की राह में ख़र्च नहीं करते उन्हें ख़ुश ख़बरी सुनाओ दर्दनाक अ़ज़ाब की

1 ...الترغیب والترہیب، کتاب الصدقات، باب الترغیب فی اداء الزکاۃ، 1/301، حدیث:12
2 ...ابوداود، کتاب الزکاۃ، باب فی زکاۃ السائمۃ، 2/148، حدیث:1582
3 ...ابن خزیمہ، کتاب الصیام، باب فی فضل قیام رمضان...الخ، 3/340، حدیث:2212
4 ...معجم اوسط، 1/532، حدیث:1963

يُّحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ ؕ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ۝ (پ10، التوبۃ:35،34)

जिस दिन वोह तपाया जाएगा जहन्नम की आग में फिर उस से दागेंगे उन की पेशानियां और करवटें और पीठें येह है वोह जो तुम ने अपने लिये जोड़ कर रखा था अब चखो मज़ा इस जोड़ने का।

✱ ज़कात न देना ह़राम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। ✱ रोज़े क़ियामत ज़कात न देने वाले के ह़िसाब में सख़्ती की जाएगी और उसे दर्दनाक अ़ज़ाब होगा।(1)

ज़कात न देने के दर्दनाक अ़ज़ाबात का ख़ुलासा

जिस सोने चांदी की ज़कात न दी जाए, रोज़े क़ियामत जहन्नम की आग में तपा कर उस से ज़कात न देने वाले की पेशानी, करवटें और पीठ दाग़ी जाएगी, उस के सरे पिस्तान पर जहन्नम का गर्म पथ्थर रखा जाएगा कि छाती तोड़ कर कन्धे की हड्डी से निकल जाएगा, कन्धे की हड्डी पर रखा जाएगा तो हड्डियां तोड़ता सीने से निकल आएगा, पीठ तोड़ कर करवट से निकल जाएगा, गुद्दी तोड़ कर पेशानी से उभरेगा, जिस माल की ज़कात न दी जाएगी रोज़े क़ियामत पुराना ख़बीस ख़ूंख़ार अज़्दहा (या'नी बहुत बड़ा सांप) बन कर उस के पीछे दौड़ेगा, येह हाथ से रोकेगा, वोह हाथ चबा लेगा, फिर गले में तौक़ बन कर पड़ेगा, उस का मुंह अपने मुंह में ले कर चबाएगा और कहेगा : मैं हूं तेरा माल ! मैं हूं तेरा ख़ज़ाना ! फिर उस का सारा बदन चबा डालेगा। وَالْعِيَاذُ بِاللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْن (2) ✱ ज़कात न देना माल बरबाद होने और उस में बरकत न रहने का सबब है। दो फ़रामीने मुस्त़फ़ा صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم : (1) ख़ुश्की व तरी में जो माल ज़ाएअ़ होता है, ज़कात न देने के सबब तलफ़ होता है।(3) (2) ज़कात का माल जिस में मिले, उसे तबाह कर डालता है(4) (या'नी ज़कात फ़र्ज़ हुई और अदा न की और ज़कात का रुपिया अपने माल में मिलाए रखा तो येह ह़राम उस ह़लाल को हलाक कर देगा)।(5) ✱ ज़कात न देना आफ़तें आने का सबब है कि

1... معجم اوسط،2/375،حدیث:3579

2... फ़तावा रज़विय्या, 10/153 मुलख़्ख़सन

3... مجمع الزوائد،کتاب الزکاۃ،باب فرض الزکاۃ،3/200،حدیث:4335

4... شعب الایمان،باب فی الزکاۃ،3/273،حدیث:3522

5... बहारे शरीअ़त, 1/871, ह़िस्सा : 5 मुलख़्ख़सन

हदीसे मुबारका में है : जो क़ौम ज़कात न दे, **अल्लाह** पाक उसे क़ह़त़ में मुब्तला फ़रमा देगा।[1] एक रिवायत में है : जब लोग ज़कात नहीं देते **अल्लाह** पाक बारिश रोक लेता है, ज़मीन पर जानवर न होते तो आस्मान से एक क़त़रा भी पानी न गिरता।[2]

सुवाल ज़कात किस पर और कब वाजिब होती है ?

जवाब ज़कात वाजिब होने की दस शराइत़ हैं : (1) मुसल्मान होना (2) बुलूग़ (3) अ़क़्ल (4) आज़ाद होना (5) माल ब क़दरे निसाब उस की मिल्क में होना, अगर निसाब से कम है तो ज़कात वाजिब न हुई (6) पूरे तौ़र पर उस का मालिक हो या'नी उस पर क़ाबिज़ भी हो (7) निसाब का दैन से फ़ारिग़ होना (8) निसाब ह़ाजते अस्लिय्या से फ़ारिग़ हो (9) माले नामी होना या'नी बढ़ने वाला ख़्वाह ह़क़ीक़तन बढ़े या ह़ुक्मन (10) साल गुज़रना, साल से मुराद क़मरी साल है या'नी चांद के महीनों से बारह (12) महीने।[3]

सुवाल ह़ाजते अस्लिय्या से क्या मुराद है ?

जवाब ह़ाजते अस्लिय्या या'नी जिस की त़रफ़ ज़िन्दगी बसर करने में आदमी को ज़रूरत है इस में ज़कात वाजिब नहीं, जैसे रहने का मकान, जाड़े गर्मियों में पहनने के कपड़े, ख़ानादारी के सामान, सुवारी के जानवर, आलाते ह़र्ब, पेशावरों के औज़ार, अहले इल्म के लिये ह़ाजत की किताबें, खाने के लिये ग़ल्ला।[4]

सुवाल क्या ह़ाजते अस्लिय्या पूरी करने के लिये जम्अ़ की गई रक़म पर भी ज़कात है ?

जवाब ह़ाजते अस्लिय्या में ख़र्च करने के रुपै रखे हैं तो साल में जो कुछ ख़र्च किया किया और जो बाक़ी रहे अगर ब क़दरे निसाब हैं तो उन की ज़कात वाजिब है, अगर्चे इसी निय्यत से रखे हैं कि आइन्दा ह़ाजते अस्लिय्या ही में सर्फ़ होंगे और अगर साले तमाम (या'नी साल मुकम्मल होने) के वक़्त ह़ाजते अस्लिय्या में ख़र्च करने की ज़रूरत है तो ज़कात वाजिब नहीं।[5]

---

1 ... معجم اوسط، 3/275، حدیث:4577

2 ... ابن ماجہ، کتاب الفتن، باب العقوبات، 4/368، حدیث:4019

तवज्जोह फ़रमाइये ! ज़कात की तफ़्सीली मा'लूमात जानने के लिये मक्तबतुल मदीना की इन कुतुब "फ़तावा अहले सुन्नत, अह़कामे ज़कात, फ़ैज़ाने ज़कात, सदक़ए फ़ित्र और ज़कात की अहम मा'लूमात" का मुत़ालआ़ बेहद मुफ़ीद रहेगा। اِنْ شَآءَ اللّٰہ

3 ... फ़तावा अहले सुन्नत, अह़कामे ज़कात, स. 72, 73

4 ... बहारे शरीअ़त, 1/880, 881, ह़िस्सा : 5 मुल्तक़त़न

5 ... ردالمحتار، کتاب الزکاۃ، مطلب فی زکاۃ ثمن المبیع وفاء، 3/213 ملخصاً، बहारे शरीअ़त, 1/881, ह़िस्सा : 5

सुवाल ज़कात के मसारिफ़ क्या हैं ?

जवाब ज़कात के मसारिफ़ सात (7) हैं : (1) फ़क़ीर (2) मिस्कीन (3) आ़मिल (ज़कात वुसूल करने के लिये ह़ाकिमे इस्लाम का मुक़र्रर कर्दा शख़्स) (4) रिक़ाब (मुकातब ग़ुलाम) (5) ग़ारिम (मद्यून/मक़रूज़) (6) फ़ी सबीलिल्लाह (जिहाद या ह़ज का इरादा रखने वाला या त़ालिबे इ़ल्म वग़ैरा) और (7) इब्ने सबील (मुसाफ़िर जिस के पास माल न रहा) ।[1]

सुवाल क्या रिश्तेदारों को ज़कात दी जा सकती है ?

जवाब रिश्तेदारों में से कोई ह़ाजत मन्द और शरई फ़क़ीर हो तो उस को ज़कात देना अफ़्ज़ल है मगर इन को देने की चन्द शराइत़ हैं : (1) सय्यिद या हाशिमी न हो (2) वालिदैन (3) या अपनी औलाद में से न हों (4) मियां बीवी न हों (5) ऐसा ना बालिग़ न हो जिस का वालिद ग़नी (साहि़बे निसाब मालदार) हो । इन के इ़लावा भाई, बहन, सास, सुसर, बहू, दामाद, ख़ाला, फूफी, चचा, मामूं । इन सब को ज़कात देना जाइज़ है बशर्ते़ कि मुस्तह़िक़ हों (या'नी उन को ज़कात लगती हो) ।[2]

सुवाल बेंक की त़रफ़ से काटी गई ज़कात अदा हो जाएगी या नहीं ?

जवाब अदाएगिये ज़कात के लिये ज़रूरी है कि ज़कात देने की निय्यत पाई जाए और येह भी लाज़िम है कि ज़कात शरई तक़ाज़े के मुत़ाबिक़ अपने मसरफ़ पर ख़र्च हो । बेंक से ज़कात कटने पर न तो मालिक की निय्यत की शर्त़ पाई जाती है और न ही हुकूमत शरई मसरफ़ के मुत़ाबिक़ ज़कात ख़र्च करती है लिहाज़ा पूछी गई सूरत में ज़कात अदा नहीं होती ।[3]

ह़ज़रते क़िब्ला मुफ़्ती वक़ारुद्दीन رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ इस का जवाब देते हुए इर्शाद फ़रमाते हैं : हुकूमत माले ज़कात वुसूल कर के जिस त़रह़ ख़र्च करती है वोह सह़ीह़ नहीं । ज़ियादा रुपिया ऐसी जगह ख़र्च किया जाता है जहां कोई मालिक नहीं होता लिहाज़ा ज़कात अदा नहीं होती ।[4]

सुवाल क्या प्लॉट पर ज़कात होती है ?

1... फ़तावा अहले सुन्नत, अह़कामे ज़कात, स. 370

2... फ़तावा अहले सुन्नत, अह़कामे ज़कात, स. 399

3... फ़तावा अहले सुन्नत, किताबुज़्ज़काह, स. 198

4... वक़ारुल फ़तावा, 2/414

जवाब अगर प्लॉट बेचने की निय्यत से लिये थे तो उन पर ज़कात होगी वरना नहीं ।[1]

सुवाल घर में इस्लामी किताबें मौजूद हों मसलन किसी ने घर में मदनी लायब्रेरी बनाई और वोह किताबें इतनी हैं कि ज़कात के निसाब तक उन की मालिय्यत पहुंच गई तो क्या उन किताबों पर ज़कात वाजिब होगी ?

जवाब सिर्फ़ तीन क़िस्म के अम्वाल पर ज़कात फ़र्ज़ होती है : (1) समन या'नी सोना चांदी तमाम ममालिक की करन्सी और बॉन्ड्ज़ भी इसी में शामिल हैं (2) माले तिजारत (3) और चराई के जानवर ।

पूछी गई सूरत में वोह इस्लामी किताबें जैसा कि माले तिजारत नहीं हैं या'नी उन को बेचने की निय्यत से ख़रीदा नहीं गया है तो उन किताबों पर ज़कात अस्लन वाजिब नहीं चाहे वोह लाखों की मालिय्यत ही की क्यूं न हों ।[2]

सुवाल शादी करने, या हज उम्रे के लिये जाने या मकान ख़रीदने के लिये जम्अ की गई रक़म पर ज़कात है ?

जवाब अगर येह रक़म तन्हा या दूसरे माले ज़कात से मिल कर निसाब के बराबर है और इस पर साल भी गुज़र चुका है तो इस जम्अ की गई रक़म पर ज़कात है ।[3]

सुवाल क्या औरत के इस्ति'माली ज़ेवरात की भी ज़कात निकालनी होगी ?

जवाब जी हां, इन में भी ज़कात है अगर्चे वोह इस्ति'माल में हों ।[4]

सुवाल क्या मुस्तहिक़ को ज़कात देते वक़्त ज़कात कह कर देना ज़रूरी है ?

जवाब ज़कात देने में इस की ज़रूरत नहीं कि फ़क़ीर को ज़कात कह कर दे, बल्कि सिर्फ़ निय्यते ज़कात काफ़ी है यहां तक कि अगर हिबा या क़र्ज़ कह कर दे और निय्यत ज़कात ही हो अदा हो गई । बा'ज़ मोहताज ज़रूरत मन्द ज़कात का रुपिया नहीं लेना चाहते, उन्हें ज़कात कह कर दिया जाएगा तो नहीं लेंगे लिहाज़ा ज़कात का लफ़्ज़ न कहे ।[5]

1... फ़तावा अहले सुन्नत, अह्कामे ज़कात, स. 121
2... मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 91
3... फ़तावा अहले सुन्नत, अह्कामे ज़कात, स. 100, फ़ैज़ाने ज़कात, स. 47, 48
4... फ़तावा अहले सुन्नत, अह्कामे ज़कात, स. 303, نور الایضاح، کتاب الزکاۃ، ص 361
5... बहारे शरीअत, 1/890, हिस्सा : 5 मुल्तक़तन

सुवाल क्या ज़कात की निय्यत से किसी शरई फ़क़ीर को खाना खिलाने से ज़कात अदा हो जाएगी ?

जवाब मुबाह़ कर देने से ज़कात अदा न होगी मसलन फ़क़ीर को ब निय्यते ज़कात खाना खिला दिया ज़कात अदा न हुई कि मालिक कर देना नहीं पाया गया, हां अगर खाना दे दिया कि चाहे खाए या ले जाए तो अदा हो गई। यूंही ब निय्यते ज़कात फ़क़ीर को कपड़ा दे दिया या पहना दिया अदा हो गई।(1)

सुवाल कोई शै गिरवी रखवाई तो उस की ज़कात कौन अदा करेगा ?

जवाब जो चीज़ गिरवी रखवाई गई है उस की ज़कात न गिरवी रखवाने वाले पर लाज़िम है और न ही जिस के पास गिरवी रखवाई गई है उस पर लाज़िम है क्यूं कि जिस के पास वोह चीज़ गिरवी है वोह उस का मालिक नहीं और गिरवी रखवाने वाले की भी मिल्किय्यत कामिल नहीं क्यूं कि वोह चीज़ अब उस के क़ब्ज़े में ही नहीं और जब वोह चीज़ गिरवी रखवाने वाले के क़ब्ज़े में आएगी तो जितनी मुद्दत वोह चीज़ गिरवी थी उस के क़ब्ज़े में नहीं थी उस पर इतने अ़र्से की ज़कात भी लाज़िम नहीं।(2)

सुवाल क्या साल भर सदक़ा व ख़ैरात करने के बा'द उस में निय्यते ज़कात हो सकती है ?

जवाब साल भर तक ख़ैरात करता रहा, अब निय्यत की, कि जो कुछ दिया है ज़कात है तो अदा न हुई। ज़कात देते वक़्त या ज़कात के लिये माल अ़लाह़दा करते वक़्त निय्यते ज़कात शर्त़ है। निय्यत के येह मा'ना हैं कि अगर पूछा जाए तो बिला तअम्मुल बता सके कि ज़कात है।(3)

सुवाल क्या मस्जिद की ता'मीर या मय्यित की तज्हीज़ो तक्फ़ीन में ज़कात की रक़म लगाई जा सकती है ?

जवाब ज़कात का रुपिया मुर्दा की तज्हीज़ो तक्फ़ीन या मस्जिद की ता'मीर में नहीं सर्फ़ कर सकते कि तम्लीके फ़क़ीर नहीं पाई गई और इन उमूर में सर्फ़ करना चाहें तो इस का त़रीक़ा येह है कि फ़क़ीर को मालिक कर दें और वोह सर्फ़ (या'नी ख़र्च) करे और सवाब दोनों को होगा।(4)

सुवाल क्या ऐसा मक़रूज़ जो शरई फ़क़ीर भी हो उस को क़र्ज़ मुआ़फ़ कर देने से क़र्ज़ ख़्वाह की ज़कात अदा हो जाएगी ?

जवाब किसी का फ़क़ीर पर क़र्ज़ है और वोह उस क़र्ज़ को अपने माल की ज़कात में देना चाहता है या'नी येह चाहता है कि क़र्ज़ फ़क़ीर को मुआ़फ़ कर दे और वोह मेरे माल की ज़कात हो जाए तो येह

---

(1) ...درمختار مع ردالمحتار، کتاب الزکاۃ، 3/204 ملخصا، बहारे शरीअ़त, 1/874, ह़िस्सा : 5

(2) ...درمختار مع ردالمحتار، کتاب الزکاۃ، مطلب فی زکاۃ ثمن المبیع وفاء، 3/214، बहारे शरीअ़त, 1/877, ह़िस्सा : 5 मुलख़्ख़सन

(3) ...فتاوی ہندیہ، کتاب الزکاۃ، الباب الاول فی تفسیرہا وصفتہا وشرائطہا، 1/170

(4) ...درمختار مع ردالمحتار، کتاب الزکاۃ، 3/227، बहारे शरीअ़त, 1/890, ह़िस्सा : 5 मुल्तक़त़न

नहीं हो सकता। अलबत्ता येह हो सकता है कि पहले उसे ज़कात का माल दे फिर वोही माल अपने क़र्ज़ के तौर पर उस से वापस ले ले, अब अगर वोह देने से इन्कार करे तो छीन भी सकता है।[1]

सुवाल क्या एडवान्स ज़कात दी जा सकती है ?

जवाब साल पूरा होने से पहले ज़कात दी जा सकती है लेकिन इस के लिये तीन शराइत़ हैं : (1) ज़कात अदा करते वक़्त उस माल पर साल शुरूअ़ हो चुका हो (2) जिस निसाब की ज़कात अदा की वोह निसाब साल के आख़िर में कामिल तौर पर पाया जाए (3) ज़कात अदा करने और साल पूरा होने के दरमियान वोह माल हलाक न हो।[2] अगर साल पूरा होने से पहले आख़िरी दो शर्तें नहीं पाई गईं तो दी हुई ज़कात नफ़्ली सदक़ा शुमार होगी।[3]

सुवाल ज़कात को ज़ाहिर कर के देना मुस्तहब है मगर किस सूरत में छुपा कर देना मुस्तहब है ?

जवाब जब माल की ज़ियादती ज़ाहिर होने से ज़ालिमों का ख़ौफ़ हो तो इस सूरत में ज़कात को छुपा कर देना मुस्तहब है।[4]

सुवाल ज़कात को ज़ाहिर कर के देना अफ़्ज़ल क्यूं है ?

जवाब ज़कात में ए'लान इस वज्ह से है कि छुपा कर देने में लोगों को तोहमत और बद गुमानी का मौक़अ़ मिलेगा, नीज़ ए'लान औरों के लिये बाइसे तरग़ीब है कि उस को देख कर और लोग भी देंगे मगर येह ज़रूर (या'नी लाज़िमी) है कि रिया न आने पाए कि सवाब जाता रहेगा बल्कि गुनाह व इस्तिह़्क़ाक़े अ़ज़ाब है।[5]

सुवाल किस सूरत में ज़कात देते वक़्त निय्यत न होने के बा वुजूद ज़कात अदा हो जाएगी ?

जवाब (1) एक शख़्स को वकील बनाया उसे देते वक़्त तो निय्यते ज़कात न की, मगर जब वकील ने फ़क़ीर को दिया उस वक़्त मुअक्किल ने निय्यत कर ली (तो ज़कात अदा) हो गई।[6] (2) देते वक़्त निय्यत नहीं की थी, बा'द में की तो अगर वोह माल फ़क़ीर के पास मौजूद है या'नी उस की मिल्क में

1... درمختار، کتاب الزکاۃ، 3/226، बहारे शरीअ़त, 1/890, हिस्सा : 5 मुलख़्ख़सन

2... فتاوی ہندیہ، کتاب الزکاۃ، الباب الاول فی تفسیرہا وصفتہا وشرائطہا، 1/176

3... फ़तावा अहले सुन्नत, अह़कामे ज़कात, स. 165

4... الاشباہ والنظائر، الفن الرابع، کتاب الزکاۃ، ص342

5... बहारे शरीअ़त, 1/890, हिस्सा : 5

6... الجوہرۃ النیرۃ، کتاب الزکاۃ، الجزء الاول، ص149

है तो ज़कात अदा हो जाएगी वरना नहीं ।[1]

जानवरों की ज़कात से मुतअ़ल्लिक़ ज़रूरी सुवाल व जवाब

सुवाल कितनी क़िस्म के जानवरों पर ज़कात है ?

जवाब तीन क़िस्म के जानवरों पर ज़कात वाजिब है जब कि वोह साइमा हों : (1) ऊंट (2) गाय, भेंस (3) बकरा, बकरी, भेड़, दुम्बा ।[2]

सुवाल साइमा जानवर किसे कहते हैं ?

जवाब साइमा वोह जानवर है जो साल के अक्सर हिस्से में चर कर गुज़र करता हो और उस से मक़्सूद सिर्फ़ दूध और बच्चे लेना या फ़र्बा करना हो ।[3]

सुवाल क्या चर कर गुज़ारा करने वाला हर जानवर साइमा कहलाएगा ?

जवाब याद रखिये ! अगर चराने से मक़्सूद "दूध और बच्चे लेना या फ़र्बा करना" न हो बल्कि कोई और मक़्सद हो मसलन "बोझ लादना, हल वग़ैरा के काम में लाना, सुवारी में इस्ति'माल करना, गोश्त खाना" हो तो येह जानवर साइमा नहीं हैं, इन की ज़कात देना वाजिब नहीं है ।[4]

सुवाल जिन जानवरों को घर पर चारा खिलाया जाता है वोह भी साइमा हैं ?

जवाब जिन जानवरों को घर पर चारा खिलाया जाता है उन की ज़कात वाजिब नहीं है ।[5]

सुवाल क्या जानवरों की ज़कात में जानवर ही देना ज़रूरी है या रक़म भी दी जा सकती है ?

जवाब जानवरों की ज़कात में जानवर ही देना ज़रूरी नहीं बल्कि वाजिब शुदा जानवर की क़ीमत भी दी जा सकती है क्यूं कि ज़कात से मक़्सूद फ़क़ीर की मदद है और येह क़ीमत देने से भी ह़ासिल

1... درمختار، کتاب الزکاۃ، 3/222، माख़ूज़न बहारे शरीअ़त, 1/886, ह़िस्सा : 5

2... बहारे शरीअ़त, 1/897, 893, ह़िस्सा : 5

3... تنویر الابصار، کتاب الزکاۃ، باب السائمۃ، 3/232

4... درمختار و ردالمحتار، کتاب الزکاۃ، باب السائمۃ، 3/234

5... درمختار و ردالمحتار، کتاب الزکاۃ، باب السائمۃ، 3/233

हो जाती है ।[1]

सुवाल क्या बेचने के लिये ख़रीदे गए जानवरों पर भी ज़कात लाज़िम है और येह कैसे अदा की जाएगी ?

जवाब जी हां ! ज़कात तो है लेकिन माले तिजारत होने की वज्ह से उन की ज़कात क़ीमत के हिसाब से अदा की जाएगी ।[2]

सुवाल क्या ऊंट, गाय या बकरी वग़ैरा जो जानवर बेचने के लिये ख़रीदे हों और वोह जंगल में चरते हों उन पर भी ज़कात लाज़िम होगी और उन की ज़कात कैसे देंगे ?

जवाब जी हां ! उन जानवरों पर भी ज़कात वाजिब है लेकिन येह जानवर साइमा नहीं बल्कि माले तिजारत हैं लिहाज़ा इन जानवरों की कुल क़ीमत का ढाई फ़ीसद ज़कात में दिया जाएगा । तिजारत के लिये ख़रीदा था फिर साइमा की निय्यत की तो ज़कात के लिये इब्तिदाए साल इस वक़्त से है ख़रीदने के वक़्त से नहीं ।[3]

सुवाल कितनी उ़म्र के जानवरों की ज़कात वाजिब है ?

जवाब कम से कम एक साल की उ़म्र के जानवरों की ज़कात वाजिब है मसलन अगर 39 बकरे और बकरियां साल से कम उ़म्र की हैं और एक साल का हो चुका तो अब तमाम को शामिले हिसाब किया जाएगा और अगर कोई भी साल भर का नहीं तो नहीं किया जाएगा ।[4]

सुवाल अगर किसी के पास ऊंट, गाएं और बकरियां हों लेकिन उन में से कोई भी निसाब को न पहुंचता हो तो क्या वोह भी ज़कात देगा ?

जवाब अगर किसी के पास ऊंट, गाएं और बकरियां हों लेकिन उन में से कोई भी निसाब को न पहुंचता हो तो उन को नहीं मिलाया जाएगा और ऐसे शख़्स पर ज़कात नहीं होगी ।[5]

सुवाल क्या भैंसों पर भी ज़कात वाजिब है ?

जवाब जी हां ! अगर भैंसों में वुजूबे ज़कात की शराइत़ पाई जाएं तो इन पर भी ज़कात वाजिब है। और इन की ज़कात का ह़िसाब लगाने का वोही त़रीक़ा है जो गाय की ज़कात का है क्यूं कि येह भी गाय

1... फ़तावा अहले सुन्नत, किताबुज़्ज़काह, स. 564

2... درمختار وردالمحتار، کتاب الزکاۃ، باب السائمۃ، 3/234

3... درمختار وردالمحتار، کتاب الزکاۃ، باب السائمۃ، 3/235

4... बहारे शरीअ़त, 1/897, ह़िस्सा : 5 मफ़्हूमन

5... تنویرالابصار والدر المختار، کتاب الزکاۃ، باب زکاۃ المال، 3/280

के हुक्म में हैं बल्कि अगर गाय और भेंस दोनों हो तो दोनों को मिला कर ज़कात का हिसाब लगाया जाए और जिस क़िस्म की ता'दाद ज़ियादा हो उसी का बच्चा ज़कात में अदा किया जाए।[(1)]

सुवाल क्या चर कर गुज़ारा करने वाले घोड़े गधे और ख़च्चर की ज़कात वाजिब है ?

जवाब घोड़े गधे और ख़च्चर की ज़कात देना वाजिब नहीं है अगर्चे चर कर गुज़ारा करते हों, हां ! अगर तिजारत के लिये हों तो वाजिब है और क़ीमत लगा कर उस क़ीमत का ढाई फ़ीसद ज़कात में दिया जाएगा।[(2)]

सुवाल अगर साइमा जानवर मा'ज़ूर हो तो उस पर ज़कात वाजिब है ?

जवाब जी नहीं ! जिस जानवर के पाउं कटे हों उस पर ज़कात नहीं। अगर अन्धा जानवर चराई पर है तो उस पर ज़कात वाजिब होगी। नीज़ अगर निसाब में कमी हो और अन्धे जानवर को मिलाने से वोह कमी पूरी हो जाती हो तो उसे मिला कर ज़कात दी जाएगी।[(3)]

सुवाल कितने ऊंटों पर ज़कात लाज़िम होती है ?

जवाब साइमा ऊंटों पर ज़कात उस वक़्त लाज़िम होती है जब उन की ता'दाद पांच या पांच से ज़ियादा हो, अगर पांच से कम ऊंट हैं तो उन पर ज़कात वाजिब नहीं।[(4)] मज़ीद आसानी के लिये येह चार्ट मुलाहज़ा कीजिये :

ऊंट	ज़कात	ऊंट	ज़कात
5 ता 9	1 बकरी	36 ता 45	2 साल की 1 ऊंटनी
10 ता 14	2 बकरियां	46 ता 60	3 साल की 1 ऊंटनी
15 ता 19	3 बकरियां	61 ता 75	4 साल की 1 ऊंटनी
20 ता 24	4 बकरियां	76 ता 90	2 साल की 2 ऊंटनियां
25 ता 35	1 साल की 1 ऊंटनी	91 ता 120	3 साल की 2 ऊंटनियां

1... فتاوی ہندیہ، کتاب الزکاۃ، الباب الثانی فی صدقۃ السوائم، الفصل الثالث، 1/178

2... تنویر الابصار ودر مختار، کتاب الزکاۃ، باب زکاۃ الغنم، 3/244-245

3... बहारे शरीअ़त, 1/893, हिस्सा : 5 ब तसर्रुफ़

4... बहारे शरीअ़त, 1/893, हिस्सा : 5 ब तसर्रुफ़

सुवाल कितनी गाएं या भेंसें हों तो ज़कात लाज़िम होती है ?

जवाब गाय पर ज़कात उस वक़्त लाज़िम होती है जब उन की ता'दाद तीस या तीस से ज़ियादा हो, अगर तीस से कम हो तो ज़कात वाजिब नहीं।[1] मज़ीद आसानी के लिये येह चार्ट मुलाहज़ा कीजिये :

गाय/भेंस	ज़कात	गाय/भेंस	ज़कात
30 ता 39	1 सालह बछड़ा या बछिया	70 ता 79	1 साल का 1 बछड़ा और 2 साल का 1 बछड़ा
40 ता 59	2 सालह बछड़ा या बछिया	80 ता 89	2 साल के 2 बछड़े
60 ता 69	1 साल के 2 बछड़े या बछिया		

सुवाल बकरी, दुम्बा या भेड़ कितनी ता'दाद में हों तो उन पर ज़कात वाजिब होती है ?

जवाब साइमा बकरियों पर ज़कात उस वक़्त लाज़िम होती है जब उन की ता'दाद चालीस या इस से ज़ियादा हो, लिहाज़ा अगर बकरियां चालीस से कम हैं तो ज़कात वाजिब नहीं।[2] मज़ीद आसानी के लिये येह चार्ट मुलाहज़ा कीजिये :

बकरी, दुम्बा या भेड़	ज़कात	बकरी, दुम्बा या भेड़	ज़कात	बकरी, दुम्बा या भेड़	ज़कात
40 ता 120	1 बकरी	201 ता 399	3 बकरियां	400 से ज़ियादा पर	हर 100 पर 1 बकरी का इज़ाफ़ा
121 ता 200	2 बकरियां	400 पर	4 बकरियां		

सुवाल जानवरों की ज़कात अदा करने की फ़ज़ीलत और न करने की कोई वईद भी है ?

जवाब जी हां ! जानवरों की ज़कात अदा करने की फ़ज़ीलत है चुनान्चे नबिय्ये करीम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : जिस ने तीन काम किये उस ने ईमान का ज़ाएक़ा चख लिया : (1) जिस ने एक **अल्लाह** की इबादत की और येह यक़ीन रखा कि **अल्लाह** के सिवा कोई मा'बूद नहीं (2) जिस ने ख़ुशदिली से हर साल अपने माल की ज़कात अदा की (3) जिस ने ज़कात में बूढ़े और बीमार जानवर या बोसीदा कपड़े और घटिया माल की बजाए औसत् दरजे का माल दिया क्यूं कि **अल्लाह** तुम से तुम्हारा बेहतरीन माल त़लब नहीं

1... बहारे शरीअ़त, 1/895, हिस्सा : 5
2... बहारे शरीअ़त, 1/896, हिस्सा : 5

करता और न ही घटिया माल देने की इजाज़त देता है।[1] इसी त़रह़ जानवरों की ज़कात न देने की भी वई़द है, चुनान्चे नबिय्ये करीम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : जो ऊंटों वाला अपने ऊंटों की ज़कात अदा नहीं करता वोह ऊंट क़ियामत के दिन पहले से ज़ियादा ता'दाद में आएंगे और उसे एक चटियल मैदान में बिठा दिया जाएगा वोह उसे अपने अगले और पिछले पाउं से रौंदेंगे, जो गाय और भेड़ बकरियों वाला अपने जानवरों की ज़कात अदा नहीं करता वोह जानवर क़ियामत के दिन पहले से ज़ियादा ता'दाद में आएंगे और उसे अपने सींगों से मारेंगे और पिछली टांगों से रौंदेंगे उन में कोई भेड़ या बकरी बिग़ैर सींग वाली और टूटे हुए सींग वाली न होगी और जो ख़ज़ाने वाला अपने ख़ज़ाने की ज़कात अदा नहीं करता वोह ख़ज़ाना क़ियामत के दिन अश्शुजाउ़ल अक्रअ़ (गन्जे अज़्दहे) की सूरत में आएगा, मुंह खोले हुए उस का पीछा करेगा जब वोह उस के क़रीब आएगा तो येह उस से भागेगा, वोह सांप पुकारेगा कि अपना ख़ज़ाना ले जिसे तू ने छुपाया था कि मैं तो इस से ग़नी हूं, जब वोह देखेगा कि उस से बचने का कोई चारा नहीं तो दाख़िल हो जाएगा (या'नी उस के मुंह में अपना हाथ दाख़िल कर देगा पस वोह उसे सांड की त़रह़ काट डालेगा)।[2]

सबक़ नम्बर 41

सदक़े का बयान

सुवाल सदक़ा किसे कहते हैं ?

जवाब **अल्लाह** पाक की बारगाह से सवाब पाने की उम्मीद पर जो अ़त़िय्या दिया जाए उसे सदक़ा कहते हैं।[3]

सुवाल क़ुरआने करीम में सदक़ा करने की क्या फ़ज़ीलत आई है ?

जवाब राहे ख़ुदा में ख़र्च करना बहुत बड़ी सआ़दत है। जा ब जा क़ुरआने पाक में इस की तरग़ीब और फ़ज़ाइल मौजूद हैं। चुनान्चे इर्शादे बारी है :

مَثَلُ الَّذِیْنَ یُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِیْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍؕ وَ اللّٰهُ یُضٰعِفُ لِمَنْ یَّشَآءُؕ وَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِیْمٌ ﴿۲۶۱﴾ (پ3،البقرۃ:261)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : उन की कहावत जो अपने माल **अल्लाह** की राह में ख़र्च करते हैं उस दाने की त़रह़ जिस ने उगाईं सात बालें हर बाल में सो दाने और **अल्लाह** इस से भी ज़ियादा बढ़ाए जिस के लिये चाहे और **अल्लाह** वुस्अ़त वाला इ़ल्म वाला है।

1 ...ابوداؤد، کتاب الزکاۃ، فی زکاۃ السائمہ، 2/147، حدیث:1582

2 ...مسلم، کتاب الزکاۃ، باب اثم مانع الزکاۃ، ص384، حدیث:2296

3 ...کتاب التعریفات، باب الصاد، ص95

इस आयते मुबारका में **अल्लाह** पाक ने ख़र्च करने वालों की ता'रीफ़ फ़रमाई है येह ख़र्च करना तमाम अब्वाबे ख़ैर को शामिल है या'नी कि सदक़ए वाजिबा से हो या नफ़्ली सदक़ात से।[1]

एक और आयत में **अल्लाह** पाक इर्शाद फ़रमाता है :

اَلَّذِیْنَ یُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا یُتْبِعُوْنَ مَاۤ اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّ لَاۤ اَذًىۙ لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْۚ وَ لَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ ۝۲۶۲ (پ3،البقرۃ:262)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : वोह जो अपने माल **अल्लाह** की राह में ख़र्च करते हैं फिर दिये पीछे न एह़सान रखें न तक्लीफ़ दें उन का नेग (अज्रो सवाब) उन के रब के पास है और उन्हें न कुछ अन्देशा हो न कुछ ग़म।

इस आयते मुबारका में भी ख़र्च करने वालों को सवाब के ह़ुसूल और ख़ौफ़ व ह़ुज़्न दूर होने की बिशारत दी जब कि लेने वाले पर एह़सान न जतलाए कि तुम मजबूर, मुफ़्लिसो नादार थे हम ने तुम्हारी इआ़नत न की होती तो किस ह़ाल में होते वग़ैरा।[2]

लिहाज़ा सदक़ा करने वाले को चाहिये कि **अल्लाह** पाक की रिज़ा और आख़िरत में सवाब के ह़ुसूल के लिये ख़र्च करे, न कि एह़सान जतलाने, उस के इवज़ में उस से ख़िदमत लेने और अपने काम निकलवाने के लिये।

सुवाल अह़ादीस में सदक़ा करने की क्या फ़ज़ीलत आई है ?

जवाब (1) ह़ुज़ूर नबिय्ये मुकर्रम صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : सदक़ा रब्बे करीम के ग़ज़ब को बुझाता और बुरी मौत को दफ़्अ़ करता है।[3] (2) ह़ुज़ूर नबिय्ये मुकर्रम, नूरे मुजस्सम صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : बेशक सदक़ा करने वालों को सदक़ा क़ब्र की गरमी से बचाता है, और बिला शुबा मुसल्मान क़ियामत के दिन अपने सदक़े के साए में होगा।[4] (3) ह़ुज़ूर नबिय्ये करीम, रऊफ़ुर्रह़ीम صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

1... तफ़्सीरे ख़ज़ाइनुल इरफ़ान, पारह : 3, अल बक़रह, तह़तल आयह : 261 माख़ूज़न
2... तफ़्सीरे ख़ज़ाइनुल इरफ़ान, पारह : 3, अल बक़रह, तह़तल आयह : 261 माख़ूज़न
3... ترمذی، کتاب الزکاۃ، باب ماجاء فی فضل الصدقۃ، 2/146، حدیث:664
4... شعب الایمان، باب فی الزکاۃ، التحریض علی صدقۃ التطوع، 3/212، حدیث:3347

का इर्शादे पाक है : सदक़ा बुराई के 70 दरवाज़ों को बन्द कर देता है।[1] और एक मक़ाम पर इर्शाद फ़रमाया कि सदक़ा देने में जल्दी किया करो क्यूं कि बला सदक़े से आगे नहीं बढ़ सकती।[2]

सुवाल सदक़ा करने के मज़ीद फ़वाइद बयान फ़रमाइये।

जवाब सदक़ा करने के बे शुमार फ़वाइद हैं जिन में से दस येह हैं : (1) बुरी मौत से बचना (2) उ़म्र ज़ियादा होना (3) रिज़्क़ और माल में बरकत होना (4) बलाएं दूर होना (5) मददे इलाही का शामिले ह़ाल होना (6) दरजात का बुलन्द होना (7) रिज़ाए इलाही नसीब होना (8) गुनाहों का मुआ़फ़ होना (9) मह़ब्बतों में इज़ाफ़ा होना और (10) टेढ़े काम दुरुस्त होना वग़ैरा।[3]

सुवाल सदक़ा अ़लानिया करना बेहतर है या पोशीदा ?

जवाब पोशीदा सदक़ा करना बेहतर है मगर दूसरों की तरग़ीब के लिये अ़लानिया सदक़ा करना अफ़्ज़ल है।[4]

सुवाल सदक़ा कहां ख़र्च करे ?

जवाब सदक़ा रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों, मुसाफ़िरों, साइलों और ग़ुलाम लौंडियां आज़ाद कराने में ख़र्च किया जाए।

सुवाल सदक़ा व ख़ैरात किन लोगों को देना अफ़्ज़ल है ?

जवाब सदक़ा व ख़ैरात उन ग़रीब उ़लमा, त़लबा, मुदर्रिसीन और दीन के ख़ादिमों वग़ैरा को देना अफ़्ज़ल है जिन्हों ने अपनी ज़िन्दगियां ख़िदमते दीन के लिये वक़्फ़ कर दी हैं। अगर इन की ख़िदमत न की गई और येह त़लबे मआ़श के लिये मजबूरन मश्ग़ूल हुए तो दीने इस्लाम का सख़्त नुक़्सान होगा।[5]

सुवाल क्या ह़राम माल से सदक़ा किया जा सकता है ?

जवाब ह़राम माल से सदक़ा नहीं किया जा सकता, ह़ज़रते अबू हुरैरा رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ से मरवी है कि **रसूलुल्लाह** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : जो ह़राम माल जम्अ़ करे फिर उस से सदक़ा दे तो उस में उस के लिये कोई अज्र नहीं और उस का वबाल उसी पर होगा।[6]

1 ... معجم کبیر، 4/274، حدیث:4402

2 ... معجم اوسط، 4/180، حدیث:5643

3 ... ज़ियाए सदक़ात, स. 174, 175

4 ... تفسیر مدارک، پ3، البقرۃ، تحت الآیۃ:271، ص139

5 ... तफ़्सीरे नईमी, 3/134 ब तग़य्युर

6 ... صحیح ابن حبان، کتاب الزکاۃ، ذکر البیان بان المال... الخ، 5/89، حدیث:3206

सुवाल क्या बीवी अपने शौहर का माल सदक़ा कर सकती है ?

जवाब जी हां ! हुसूले सवाब की निय्यत से शौहर की रिज़ामन्दी से बीवी माल सदक़ा कर सकती है ।(1)

सुवाल क्या सदक़ा करने के बा'द वापस ले सकते हैं ?

जवाब नहीं ले सकते क्यूं कि ह़दीसे पाक में इस से मन्अ़ किया गया है ।(2)

सुवाल सदक़ाते वाजिबा, नफ़्ली सदक़ात और अवक़ाफ़ की आमदनी बनी हाशिम को देना कैसा ?

जवाब सदक़ाते वाजिबा (जैसे ज़कात, सदक़ए फ़ित्र वग़ैरा) नहीं दे सकते, सदक़ए नफ़्ल और अवक़ाफ़ की आमदनी दे सकते हैं, ख़्वाह वक़्फ़ करने वाले ने इन की ता'यीन की हो या नहीं ।(3)

सुवाल क्या किसी का दिया हुवा तोह़फ़ा सदक़ा कर सकते हैं ?

जवाब जी हां ! ह़दीस शरीफ़ में है : जब तुम्हें बिन मांगे कुछ दिया जाए तो खाओ और सदक़ा करो ।(4)

सुवाल आ़म मिस्कीन पर सदक़ा करने और रिश्तेदार पर सदक़ा करने में क्या फ़र्क़ है ?

जवाब हुज़ूर नबिय्ये पाक, साहि़बे लौलाक صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : रिश्तेदार को सदक़ा देने में दो सवाब हैं एक सदक़ा करने का और दूसरा सिलए रेह़मी करने का ।(5)

सुवाल सदक़ए नाफ़िला देते वक़्त क्या निय्यत होनी चाहिये ?

जवाब जो शख़्स नफ़्ली सदक़ा दे उस के लिये अफ़्ज़ल येह है कि तमाम अहले ईमान को सवाब पहुंचाने की निय्यत करे इस तरह़ उन्हें भी सवाब पहुंचेगा और उस का सवाब भी कम न होगा ।(6)

सुवाल छुपा कर सदक़ा करने की कोई फ़ज़ीलत बयान कीजिये ।

1... मिरआतुल मनाजीह़, 3/127 मफ़्हूमन

2... بخاری، کتاب الزکاۃ، باب ہل یشتری صدقتہ، 1/502، حدیث:1489

3... बहारे शरीअ़त, 1/931, हि़स्सा : 5

4... ابوداؤد، کتاب الزکاۃ، باب فی الاستعفاف، 2/171، حدیث:1647

5... ترمذی، کتاب الزکاۃ، باب ماجاء فی الصدقۃ علی ذی القرابۃ، 2/142، حدیث:658

6... ردالمحتار، کتاب الحج، مطلب فی اہداء ثواب الاعمال للغیر، 4/13

जवाब हुज़ूरे पुरनूर, शाफ़ेए यौमुन्नुशूर صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : सात शख़्स हैं जिन पर **अल्लाह** पाक उस दिन साया करेगा जिस दिन उस के (अ़र्श के) साए के सिवा कोई साया न होगा। (उन में से एक) वोह शख़्स है जिस ने कुछ सदक़ा किया और इसे इतना छुपाया कि बाएं हाथ को भी ख़बर न हुई कि दाएं ने क्या ख़र्च किया।[(1)]

सुवाल आदमी का अपने नफ़्स पर सदक़ा क्या है ?

जवाब हज़रते सय्यिदुना अबू ज़र رَضِیَ اللّٰهُ عَنْه से मरवी है कि हुज़ूर ताजदारे ख़त्मे नुबुव्वत صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : तुम लोगों को (अपने) शर से महफ़ूज़ रखो, येह एक सदक़ा है जो तुम अपने नफ़्स पर करोगे।[(2)]

सुवाल सदक़ा वुसूल करने वाले के लिये क्या चीज़ सुन्नत है ?

जवाब सदक़ा वुसूल करने वाले के लिये सुन्नत येह है कि सदक़ा देने वाले को दुआ़ए ख़ैर से नवाज़े।[(3)]

सुवाल दुआ़ से पहले कौन सा अ़मल किया जाए तो वोह उसे क़बूलिय्यत के ज़ियादा क़रीब कर देता है ?

जवाब **अल्लाह** करीम इर्शाद फ़रमाता है : فَقَدِّمُوْا بَیْنَ یَدَیْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقَةًؕ (پ28،المجادلۃ:12) **तरजमए कन्ज़ुल ईमान :** तो अपनी अ़र्ज़ से पहले कुछ सदक़ा दे लो। इमामे अहले सुन्नत, आ'ला हज़रत رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : सदक़ा ख़ुसूसन पोशीदा, इस अम्र में असरे तमाम रखता है (या'नी दुआ़ की क़बूलिय्यत में बहुत मुअस्सिर है)।[(4)]

सुवाल सदक़ा करने वाले को कितने शैत़ान सदक़े से रोकते हैं ?

जवाब उसे 70 शैत़ान रोकते हैं। हज़रते सय्यिदुना अबू ज़र ग़िफ़ारी رَضِیَ اللّٰهُ عَنْه से मरवी है कि ज़मीन पर जो भी सदक़ा दिया जाता है वोह 70 शैत़ानों के जबड़ों से छुड़ा कर दिया जाता है वोह सब बन्दे को सदक़ा देने से रोकते हैं।[(5)]

सुवाल माली सदक़ात के इलावा और कौन सी चीज़ें सदक़े में शामिल हैं ?

1... بخاری، کتاب الاذان، باب من جلس فی المسجد...الخ، 1/236، حدیث:660
2... بخاری، کتاب العتق، باب ای الرقاب افضل، 2/150، حدیث:2518
3... तफ़्सीरे सिरात़ुल जिनान, पारह : 11, अत्तौबह, तह़्तल आयह : 99, 4/216
4... फ़ज़ाइले दुआ़, स. 59
5... کتاب الزہد، باب الصدقۃ، ص228، حدیث:649

जवाब (1) दो लोगों के दरमियान इन्साफ़ से फ़ैसला करना (2) सुवारी पर सुवार होने में किसी की मदद करना (3) अच्छी बात कहना (4) नमाज़ की त़रफ़ उठने वाला हर क़दम[1] (5) रास्ते से तक्लीफ़ देह चीज़ दूर करना (6) मुसल्मान भाई के लिये मुस्कुराना (7) नेकी का हुक्म देना और बुराई से मन्अ़ करना (8) भटके हुए को रास्ता दिखाना[2] (9) लोगों पर मेहरबानी करना[3] (10) इल्म सीख कर दूसरों को सिखाना।[4]

सुवाल किसी भूके मुसल्मान को खिलाने और पिलाने की क्या फ़ज़ीलत है ?

जवाब ह़दीसे पाक में है : जिस ने किसी भूके मुसल्मान को खाना खिलाया, **अल्लाह** पाक उसे जन्नती फल खिलाएगा और जिस ने किसी प्यासे मुसल्मान को पानी पिलाया, **अल्लाह** पाक उसे रह़ीक़े मख़्तूम (या'नी मोहर लगी हुई पाकीज़ा शराब) पिलाएगा।[5]

सुवाल क्या ज़मीन की पैदावार पर भी ज़कात फ़र्ज़ है ?

जवाब जी हां ! उ़श्री ज़मीन से ऐसी चीज़ पैदा हुई जिस की ज़राअ़त से मक़्सूद ज़मीन से मनाफ़ेअ़ ह़ासिल करना है तो उस पैदावार की ज़कात फ़र्ज़ है और इस ज़कात का नाम उ़श्र है।[6]

सुवाल उ़श्र किस पर वाजिब है ?

जवाब उ़श्र वाजिब होने के लिये आ़क़िल, बालिग़ होना शर्त़ नहीं, मजनून और ना बालिग़ की ज़मीन में जो कुछ पैदा हुवा उस में भी उ़श्र वाजिब है।[7]

सुवाल जिस पर उ़श्र वाजिब हो उस का इन्तिक़ाल हो जाए तो क्या फिर भी उ़श्र की अदाएगी ज़रूरी है ?

जवाब जिस पर उ़श्र वाजिब हुवा, उस का इन्तिक़ाल हो गया और पैदावार मौजूद है तो उस में से उ़श्र लिया जाएगा ?[8]

---

1 ... بخاری، کتاب الجہاد، باب من اخذ بالرکاب ونحوہ، 2/306، حدیث:2989

2 ... ترمذی، کتاب البر والصلۃ، باب ماجاء فی صنائع المعروف، 3/384، حدیث:1963

3 ... شعب الایمان، باب فی حسن الخلق، فصل فی الحلم والتؤدۃ، 6/343، حدیث:8445

4 ... ابن ماجہ، کتاب السنۃ، باب ثواب معلم الناس الخیر، 1/158، حدیث:243

5 ... ابوداؤد، کتاب الزکاۃ، باب فی فضل سقی الماء، 2/180، حدیث:1682

6 ... बहारे शरीअ़त, 1/916, ह़िस्सा : 5

7 ... बहारे शरीअ़त, 1/916, ह़िस्सा : 5

8 ... बहारे शरीअ़त, 1/917, ह़िस्सा : 5

सुवाल जो ज़मीन बटाई पर दी तो उस का उ़श्र किस पर लाज़िम होगा ?

जवाब उ़श्री ज़मीन बटाई पर दी तो उ़श्र दोनों पर है।[1]

सुवाल क्या ठेके पर दी जाने वाली ज़मीन की पैदावार पर भी उ़श्र होगा ?

जवाब जी हां, ठेके पर दी जाने वाली ज़मीन की पैदावार पर भी उ़श्र होगा।[2]

सुवाल येह उ़श्र कौन अदा करेगा ?

जवाब इस उ़श्र की अदाएगी काश्त कार पर वाजिब होगी।[3]

सुवाल कौन सी ज़मीन पर उ़श्र और कौन सी पर निस्फ़ उ़श्र वाजिब होता है ?

जवाब जो खेत बारिश या नहर नाले के पानी से सैराब किया जाए, उस में उ़श्र या'नी दसवां हि़स्सा वाजिब है और जिस की आबपाशी चरसे[4] या डोल से हो, उस में निस्फ़ उ़श्र या'नी बीसवां हि़स्सा वाजिब और पानी ख़रीद कर आबपाशी हो या'नी वोह पानी किसी की मिल्क है, उस से ख़रीद कर आबपाशी की जब भी निस्फ़ उ़श्र वाजिब है और अगर वोह खेत कुछ दिनों मींह (बारिश) के पानी से सैराब किया जाता है और कुछ दिनों डोल चरसे से तो अगर अक्सर मींह (बारिश) के पानी से काम लिया जाता है और कभी कभी डोल चरसे से तो उ़श्र वाजिब है, वरना निस्फ़ उ़श्र।[5]

सुवाल क्या कुल पैदावार पर उ़श्र लिया जाएगा या ज़राअ़त के अख़्राजात, हल बैल, काम करने वालों की उजरत, बीज वगै़रा निकाल कर बक़िय्या पैदावार पर उ़श्र लिया जाएगा ?

जवाब जिस चीज़ में उ़श्र या निस्फ़ उ़श्र वाजिब हुवा उस में कुल पैदावार का उ़श्र या निस्फ़ उ़श्र लिया जाएगा, येह नहीं हो सकता कि मसारिफ़े ज़राअ़त, हल बैल, हि़फ़ाज़त करने वाले और काम करने वालों की उजरत या बीज वगै़रा निकाल कर बाक़ी का उ़श्र या निस्फ़ उ़श्र दिया जाए।[6]

1... बहारे शरीअ़त, 1/921, हि़स्सा : 5
2... उ़श्र के अह़काम, स. 20
3... उ़श्र के अह़काम, स. 20
4... या'नी चमड़े का बड़ा डोल
5... बहारे शरीअ़त, 1/917, हि़स्सा : 5
6... बहारे शरीअ़त, 1/917, हि़स्सा : 5

सुवाल साल में एक से ज़ाइद फ़स्लें उगाईं तो क्या सब पर उ़श्र लाज़िम होगा ?

जवाब उ़श्र में साल गुज़रना भी शर्त़ नहीं, बल्कि साल में चन्द बार एक खेत में ज़राअ़त हुई तो हर बार उ़श्र वाजिब है।[(1)]

सुवाल क्या उ़श्र में भी निसाब शर्त़ है ?

जवाब इस में निसाब भी शर्त़ नहीं, एक साअ़ भी पैदावार हो तो उ़श्र वाजिब है और येह शर्त़ भी नहीं कि वोह चीज़ बाक़ी रहने वाली हो और येह शर्त़ भी नहीं कि काश्त कार ज़मीन का मालिक हो यहां तक कि मुकातब व माज़ून ने काश्त की तो उस पैदावार पर भी उ़श्र वाजिब है, बल्कि वक़्फ़ी ज़मीन में ज़राअ़त हुई तो उस पर भी उ़श्र वाजिब है, ख़्वाह ज़राअ़त करने वाले अहले वक़्फ़ हों या उजरत पर काश्त की।[(2)]

सुवाल ज़मीन की किस पैदावार पर उ़श्र वाजिब है ?

जवाब जो चीज़ें ऐसी हों कि उन की पैदावार से ज़मीन का नफ़्अ़ ह़ासिल करना मक़्सूद हो ख़्वाह वोह ग़ल्ला, अनाज और फल फ्रूट हों सब्ज़ियां वग़ैरा मसलन अनाज और ग़ल्ले में गन्दुम, जव, चावल, गन्ना, कपास, जुवार, धान (चावल), बाजरा, मूंगफली, मकई और सूरज मुखी, राई, सरसों और लोसन वग़ैरा।

फलों में ख़रबूज़ा, आम, अमरूद, मालटा, लूकाट, सेब, चीकू, अनार, नाशपाती, जापानी फल, संगतरा, पपीता, और नारियल, तरबूज़, फ़ाल्सा, जामुन, लीची, लीमूं, ख़ूबानी, आड़ू, खजूर, आलू बुख़ारा, गरमा, अनन्नास, अंगूर और आलूचा वग़ैरा।

सब्ज़ियों में ककड़ी, टींडा, करेला, भिन्डी तूरी, आलू, टमाटर, घियातूरी, सब्ज़ मिर्च, शिम्ला मिर्च, पोदीना, खीरा, ककड़ी (तर) और अरवी, तूरिया, फूलगोभी, बन्दगोभी, शल्ग़म, गाजर, चुक़न्दर, मटर, पियाज़, लह्सन, पालक, धनिया और मुख़्तलिफ़ क़िस्म के साग और मेथी और बेंगन वग़ैरा। इन सब की पैदावार में से उ़श्र (या'नी दसवां ह़िस्सा) या निस्फ़ उ़श्र (या'नी बीसवां ह़िस्सा) वाजिब है।[(3)]

सुवाल किन फ़स्लों पर उ़श्र वाजिब नहीं ?

जवाब जो चीज़ें ऐसी हों कि उन की पैदावार से ज़मीन का नफ़्अ़ ह़ासिल करना मक़्सूद न हो उन में उ़श्र नहीं जैसे ईंधन, घास, बेद, सरकन्डा, झाउ (वोह पौदा जिस से टोकरियां बनाई जाती हैं),

---

1... बहारे शरीअ़त, 1/917, ह़िस्सा : 5

2... बहारे शरीअ़त, 1/917, ह़िस्सा : 5 मुल्तक़त़न

3... उ़श्र के अह़काम, स. 13

खजूर के पत्ते वग़ैरा, इन के इ़लावा हर क़िस्म की तरकारियों और फलों के बीज कि उन की खेती से तरकारियां मक़्सूद होती हैं बीज मक़्सूद नहीं होते और जो बीज दवा के त़ौर पर इस्ति'माल होते हैं मसलन कन्दर, मेथी और कलौंजी वग़ैरा के बीज, इन में भी उ़श्र नहीं है । इसी त़रह़ वोह चीजे़ं जो ज़मीन के ताबेअ़ हों जैसे दरख़्त और जो चीज़ दरख़्त से निकले जैसे गूंद, इस में उ़श्र वाजिब नहीं ।

अलबत्ता अगर घास, बेद, झाउ (वोह पौदा जिस से टोकरियां बनाई जाती हैं) वग़ैरा से ज़मीन के मनाफ़ेअ़ ह़ासिल करना मक़्सूद हो और ज़मीन उन के लिये ख़ाली छोड़ दी तो उन में भी उ़श्र वाजिब है । कपास और बेंगन के पौदों में उ़श्र नहीं मगर इन से ह़ासिल कपास और बेंगन की पैदावार में उ़श्र है ।(1)

सबक़ नम्बर 42 रोज़े का बयान

रोज़े के मुतअ़ल्लिक़ पारह 2 सूरतुल बक़रह की आयत नम्बर 183 ता 184 में **अल्लाह** पाक इर्शाद फ़रमाता है :

يَاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا كُتِبَ عَلَيۡکُمُ الصِّيَامُ کَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيۡنَ مِنۡ قَبۡلِکُمۡ لَعَلَّکُمۡ تَتَّقُوۡنَ ۙ﴿۱۸۳﴾ اَيَّامًا مَّعۡدُوۡدٰتٍ ؕ فَمَنۡ کَانَ مِنۡکُمۡ مَّرِيۡضًا اَوۡ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنۡ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ وَعَلَى الَّذِيۡنَ يُطِيۡقُوۡنَهٗ فِدۡيَةٌ طَعَامُ مِسۡکِيۡنٍ ؕ فَمَنۡ تَطَوَّعَ خَيۡرًا فَهُوَ خَيۡرٌ لَّهٗ ؕ وَاَنۡ تَصُوۡمُوۡا خَيۡرٌ لَّـکُمۡ اِنۡ كُنۡتُمۡ تَعۡلَمُوۡنَ ﴿۱۸۴﴾ (پ2،البقرۃ:183تا184)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : ऐ ईमान वालो ! तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किये गए जैसे अगलों पर फ़र्ज़ हुए थे कि कहीं तुम्हें परहेज़ गारी मिले, गिनती के दिन हैं तो तुम में जो कोई बीमार या सफ़र में हो तो इतने रोज़े और दिनों में और जिन्हें इस की त़ाक़त न हो वोह बदला दें एक मिस्कीन का खाना फिर जो अपनी त़रफ़ से नेकी ज़ियादा करे तो वोह उस के लिये बेहतर है और रोज़ा रखना तुम्हारे लिये ज़ियादा भला है अगर तुम जानो ।

1... उ़श्र के अह़काम, स. 16

2... बहारे शरीअ़त, 1/919, ह़िस्सा : 5

इस आयत में रोज़ों की फ़र्ज़िय्यत का बयान है। शरीअ़त में रोज़ा येह है कि सुब्हे़ सादिक़ से ले कर ग़ुरूबे आफ़्ताब तक रोज़े की निय्यत से खाने पीने और हम बिस्तरी से बचा जाए।[1]

रोज़ा बहुत क़दीम इबादत है

इस आयत में फ़रमाया गया "जैसे तुम से पहले लोगों पर फ़र्ज़ थे।" इस से मा'लूम होता है कि रोज़ा बहुत क़दीम इबादत है। ह़ज़रते आदम عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام से ले कर तमाम शरीअ़तों में रोज़े फ़र्ज़ होते चले आए हैं अगर्चे गुज़श्ता उम्मतों के रोज़ों के दिन और अह़काम हम से मुख़्तलिफ़ होते थे। याद रहे कि रमज़ान के रोज़े 10 शा'बान 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुए थे।[2]

अह़ादीसे मुबारका में रोज़े की फ़ज़ीलत

✽ हुज़ूर नबिय्ये रह़मत, शफ़ीए़ उम्मत صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : आदमी के हर नेक अ़मल का बदला दस से सात सो गुना तक दिया जाता है। **अल्लाह** पाक ने फ़रमाया : सिवाए रोज़े के कि रोज़ा मेरे लिये है और इस की जज़ा मैं ख़ुद दूंगा क्यूं कि बन्दा अपनी ख़्वाहिश और खाने को सिर्फ़ मेरी वज्ह से तर्क करता है, रोज़ादार के लिये दो ख़ुशियां हैं, एक इफ़्त़ार के वक़्त और एक अपने रब्बे करीम से मुलाक़ात के वक़्त और रोज़ादार के मुंह की बू **अल्लाह** करीम के नज़्दीक मुश्क से ज़ियादा पाकीज़ा है।[3] ✽ अगर बन्दों को मा'लूम होता कि रमज़ान क्या है तो मेरी उम्मत तमन्ना करती कि काश ! पूरा साल ही रमज़ान हो।[4] ✽ रोज़ा ढाल है और जहन्नम से बचाव के लिये बेहतरीन क़ल्आ़ है।[5] ✽ रोज़े रखो तन्दुरुस्त हो जाओगे।[6]

1 ... تفسیر خازن، پ2، البقرۃ، تحت الآیۃ:183، 1/119
2 ... در مختار، کتاب الصوم، 3/383
3 ... مسلم، کتاب الصیام، باب فضل الصیام، ص447، حدیث:2707
4 ... صحیح ابن خزیمہ، کتاب الصیام، باب ذکر تفضل اللہ... الخ، 3/190، حدیث:1886
5 ... مسند احمد، مسند ابی ہریرۃ، 3/367، حدیث:9236
6 ... معجم اوسط، 6/147، حدیث:8312

रोज़े के 5 उख़्रवी फ़वाइद

सुवाल रोज़ा रखने के उख़्रवी फ़वाइद और न रखने के नुक़्सानात बताइये।

जवाब रोज़ा रखने के पांच उख़्रवी फ़वाइद मुलाहज़ा कीजिये :

सुल्ताने दो जहान, शहन्शाहे कौनो मकान صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم का फ़रमाने ज़ीशान है : "मेरी उम्मत को माहे रमज़ान में पांच चीज़ें ऐसी अ़ता की गईं जो मुझ से पहले किसी नबी عَلَيْهِ السَّلَام को न मिलीं : (1) जब रमज़ानुल मुबारक की पहली रात होती है तो **अल्लाह** पाक उन की त़रफ़ रह़मत की नज़र फ़रमाता है और जिस की त़रफ़ **अल्लाह** पाक नज़रे रह़मत फ़रमाए उसे कभी भी अ़ज़ाब न देगा (2) शाम के वक़्त उन के मुंह की बू (जो भूक की वज्ह से होती है) **अल्लाह** पाक के नज़्दीक मुश्क की ख़ुश्बू से भी बेहतर है (3) फ़िरिश्ते हर रात और दिन उन के लिये मग़्फ़िरत की दुआ़एं करते रहते हैं (4) **अल्लाह** पाक जन्नत को हुक्म फ़रमाता है : मेरे (नेक) बन्दों के लिये मुज़य्यन (या'नी आरास्ता) हो जा अ़न्क़रीब वोह दुन्या की मशक़्क़त से मेरे घर और करम में राह़त पाएंगे (5) जब माहे रमज़ान की आख़िरी रात आती है तो **अल्लाह** पाक सब की मग़्फ़िरत फ़रमा देता है।" क़ौम में से एक शख़्स ने खड़े हो कर अ़र्ज़ की : **या रसूलल्लाह !** क्या येह शबे क़द्र है ? इर्शाद फ़रमाया : नहीं, क्या तुम नहीं देखते कि मज़दूर जब अपने कामों से फ़ारिग़ हो जाते हैं तो उन्हें उजरत दी जाती है।[1]

रोज़ा न रखने के 2 उख़्रवी नुक़्सानात

जिस ने माहे रमज़ान को पाया और उस के रोज़े न रखे वोह शख़्स शक़ी (या'नी बद बख़्त) है।[2] **अल्लाह** पाक ने इस्लाम में चार चीज़ें फ़र्ज़ फ़रमाई हैं : (1) नमाज़ (2) ज़कात (3) रमज़ानुल मुबारक के रोज़े और (4) बैतुल्लाह शरीफ़ का ह़ज, जो इन में से किसी एक को भी छोड़ेगा तो बक़िय्या तीन चीज़ें उसे किसी काम न आएंगी जब तक कि वोह इन तमाम को अदा न करे।[3]

रोज़ा रखने के त़िब्बी फ़वाइद

सुवाल रोज़ा रखने के कुछ त़िब्बी फ़वाइद बयान कीजिये।

---

1 ...الترغیب والترہیب، باب الترغیب فی صیام رمضان...الخ، 2/56، حدیث:7

2 ...مجمع الزوائد، کتاب الصیام، فیمن ادرک شہر رمضان...الخ، 3/340، حدیث:4773

3 ...مسند احمد، مسند الشامیین، حدیث زیاد ابن نعیم، 6/236، حدیث:17804

सुवाल ❁ जी हां, रोज़ा रखने से शूगर कन्ट्रोल, ❁ दिल की घबराहट दूर, ❁ ज़ेह्नी डिप्रेशन व नफ़्सियाती अमराज़ का ख़ातिमा होता है। ❁ नीज़ मे'दे ❁ जिगर ❁ और पठ्ठों के अमराज़ में इफ़ाक़ा होता है।[1] ❁ रोज़े के दौरान ख़ून की मिक़्दार में कमी हो जाती है और इस की वज्ह से दिल को इन्तिहाई फ़ाएदे मन्द आराम पहुंचता है। ❁ रोज़ा रखने से मोटापे में कमी वाक़ेअ़ होती और इज़ाफ़ी चरबी ख़त्म हो जाती है। ❁ रोज़ा रखने से बे औलाद ख़वातीन के हां औलाद होने के इम्कानात कई गुना बढ़ जाते हैं।[2] ❁ रोज़ा रखने से बुढ़ापा देर से आता है। ❁ रोज़े से जिल्द मज़बूत होती और झुर्रियां कम पड़ती हैं।

सुवाल रोज़ा किस पर फ़र्ज़ है ?

जवाब तौह़ीदो रिसालत का इक़्रार करने और तमाम ज़रूरिय्याते दीन पर ईमान लाने के बा'द जिस त़रह़ हर मुसल्मान पर नमाज़ फ़र्ज़ क़रार दी गई है इसी त़रह़ रमज़ान शरीफ़ के रोज़े भी हर मुसल्मान (मर्द व औ़रत) आ़क़िल व बालिग़ पर फ़र्ज़ हैं।[3]

सुवाल रोज़ा फ़र्ज़ होने की वज्ह क्या है ?

जवाब इस्लाम में अक्सर आ'माल किसी न किसी रूह़ परवर वाक़िए़ की याद ताज़ा करने के लिये मुक़र्रर किये गए हैं। मसलन सफ़ा और मर्वह के दरमियान ह़ाजियों की सई ह़ज़रते सय्यिदतुना हाजिरा رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا की यादगार है। आप رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا अपने लख़्ते जिगर ह़ज़रते सय्यिदुना इस्माईल ज़बीहुल्लाह عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام के लिये पानी तलाश करने के लिये इन दोनों पहाड़ों के दरमियान सात बार चली और दौड़ी थीं। **अल्लाह** पाक को ह़ज़रते सय्यिदतुना हाजिरा رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا की येह अदा पसन्द आ गई, लिहाज़ा इसी सुन्नते हाजिरा رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا को **अल्लाह** पाक ने बाक़ी रखते हुए ह़ाजियों और उ़म्रह करने वालों के लिये सफ़ा व मर्वह की सई को वाजिब कर दिया। इसी त़रह़ माहे रमज़ानुल मुबारक में से कुछ दिन हमारे प्यारे सरकार, मक्के मदीने के ताजदार صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने ग़ारे ह़िरा में गुज़ारे थे। इस दौरान आप صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم दिन को खाने से परहेज़ करते और रात को ज़िक्रुल्लाह में मश्ग़ूल रहते थे। तो **अल्लाह** पाक ने उन दिनों की याद ताज़ा करने के लिये रोज़े फ़र्ज़ किये ताकि उस के मह़बूब صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم की सुन्नत क़ाइम रहे।

सुवाल क्या रोज़ा रखने के लिये सह़री करना ज़रूरी है ?

1... फ़ैज़ाने सुन्नत, स. 941 मफ़्हूमन
2... तफ़्सीरे सिरातुल जिनान, पारह : 2, अल बक़रह, तह़्तल आयह : 183, 1/293
3... फ़ैज़ाने रमज़ान, स. 73

जवाब ज़रूरी तो नहीं, हां सुन्नत है।[1] लिहाज़ा जान बूझ कर इस अ़ज़ीम सुन्नत को न छोड़ा जाए।

सुवाल क्या रोज़ा बन्द करने या खोलने के लिये अज़ान ज़रूरी है ?

जवाब जी नहीं ! "रोज़ा बन्द करने का तअ़ल्लुक़ अज़ाने फ़ज्र से नहीं। सुब्हे सादिक़ से पहले पहले खाना पीना बन्द करना ज़रूरी है।" यूं ही "जब गुरूबे आफ़्ताब का यक़ीन हो जाए, इफ़्तार करने में देर नहीं करनी चाहिये। न साइरन का इन्तिज़ार कीजिये, न अज़ान का। फ़ौरन कोई चीज़ खा या पी लीजिये।"[2]

सुवाल एक शख़्स ने रोज़ा रखा लेकिन इफ़्तार का वक़्त केलेन्डर से देखने में ग़लती हो गई जिस की वज्ह से एक मिनट पहले ही रोज़ा खोल लिया तो उस का रोज़ा हो गया या नहीं ? और अब उसे क्या करना चाहिये ?

जवाब इस सूरत में एक मिनट पहले रोज़ा खोलने वाले का रोज़ा न हुवा, उस पर उस रोज़े की क़ज़ा लाज़िम है, अलबत्ता कफ़्फ़ारा नहीं। लिहाज़ा अब उसे चाहिये कि क़ज़ा की निय्यत से एक रोज़ा रख ले जैसा कि सदरुश्शरीअ़ह, बदरुत्तरीक़ह ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना मुफ़्ती मुह़म्मद अमजद अ़ली आ'ज़मी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه लिखते हैं : "काफ़िर था मुसल्मान हो गया, ना बालिग़ था बालिग़ हो गया, रात समझ कर सह़री खाई थी ह़ालां कि सुब्ह़ हो चुकी थी, ग़ुरूब समझ कर इफ़्तार कर दिया ह़ालां कि दिन बाक़ी था इन सब बातों में जो कुछ दिन बाक़ी रह गया है, उसे रोज़े की मिस्ल गुज़ारना वाजिब है और ना बालिग़ जो बालिग़ हुवा या काफ़िर था मुसल्मान हुवा उन पर उस दिन की क़ज़ा वाजिब नहीं बाक़ी सब पर क़ज़ा वाजिब है।"[3]

सुवाल किस सफ़र की वज्ह से रोज़ा न रखने की इजाज़त है ?

जवाब आ'ला ह़ज़रत इमाम अह़मद रज़ा ख़ान رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه की तह़क़ीक़ के मुताबिक़ शरअ़न सफ़र की मिक़्दार साढ़े सत्तावन मील (या'नी तक़रीबन बानवे किलो मीटर) है जो कोई इतनी मिक़्दार का फ़ासिला तै करने की ग़रज़ से अपने शह्र या गाउं की आबादी से बाहर निकल आया,[4] वोह अब शरअ़न मुसाफ़िर है। उसे रोज़ा क़ज़ा कर के रखने की इजाज़त है।

1... بدائع الصنائع، کتاب الصوم، 266/2
2... फ़ैज़ाने सुन्नत, स. 1006 ता 1010
3... बहारे शरीअ़त, 1/990, हिस्सा : 5
4... फ़तावा रज़विय्या, 8/243, बहारे शरीअ़त, 1/740, हिस्सा : 4

रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ें

सुवाल रोज़ा किन चीज़ों से टूटता है ?

जवाब खाने, पीने या हम बिस्तरी करने से रोज़ा जाता रहता है जब कि रोज़ादार होना याद हो।[1] ✽ हुक़्क़ा, सिगार, सिगरेट, चुरट वग़ैरा पीने से भी रोज़ा जाता रहता है। अगर्चे अपने ख़याल में हल्क़ तक धूआं न पहुंचता हो। ✽ पान या सिर्फ़ तम्बाकू खाने से भी रोज़ा जाता रहेगा अगर्चे आप बार बार उस की पीक थूकते रहें। क्यूं कि हल्क़ में उस के बारीक अज्ज़ा ज़रूर पहुंचते हैं। ✽ शकर वग़ैरा ऐसी चीज़ें जो मुंह में रखने से घुल जाती हैं मुंह में रखी और थूक निगल गए रोज़ा जाता रहा।[2] ✽ दांतों के दरमियान कोई चीज़ चने के बराबर या ज़ियादा थी उसे खा गए या कम ही थी मगर मुंह से निकाल कर फिर खा ली तो रोज़ा टूट गया।[3] ✽ दांतों से ख़ून निकल कर हल्क़ से नीचे उतरा और ख़ून थूक से ज़ियादा या बराबर या कम था मगर इस का मज़ा हल्क़ में मह्सूस हुवा तो रोज़ा जाता रहा और अगर कम था और मज़ा भी हल्क़ में मह्सूस न हुवा तो रोज़ा न गया।[4] ✽ रोज़ा याद रहने के बा वुजूद हुक़्ना लिया। या नाक के नथनों से दवाई चढ़ाई रोज़ा जाता रहा।[5] ✽ कुल्ली कर रहे थे बिला क़स्द पानी हल्क़ से उतर गया या नाक में पानी चढ़ाया और दिमाग़ को चढ़ गया रोज़ा जाता रहा मगर जब कि रोज़ादार होना भूल गया हो तो न टूटेगा अगर्चे क़स्दन हो। यूं ही रोज़ेदार की त़रफ़ किसी ने कोई चीज़ फेंकी वोह उस के हल्क़ में चली गई तो रोज़ा जाता रहा।[6] ✽ सोते में (या'नी नींद की हालत में) पानी पी लिया या कुछ खा लिया, या मुंह खुला था, पानी का क़त़रा या बारिश का ओला हल्क़ में चला गया तो रोज़ा जाता रहा।[7] ✽ दूसरे का थूक निगल लिया या अपना ही थूक हाथ में ले कर निगल लिया तो रोज़ा जाता रहा।[8] ✽ मुंह में रंगीन

---

1 ...درمختار، کتاب الصوم، 3/419

2 ... बहारे शरीअ़त, 1/986, हिस्सा : 5 ब तग़य्युर

3 ... बहारे शरीअ़त, 1/986, हिस्सा : 5

4 ...درمختار، کتاب الصوم، باب ما یفسد الصوم وما لا یفسد، 3/421

5 ...عالمگیری، کتاب الصوم، باب فیما یفسد وما لا یفسد، 1/204

6 ...الجوہرۃ النیرۃ، 1/178

7 ...الجوہرۃ النیرۃ، 1/178

8 ...فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصوم، باب فیما یفسد وما لا یفسد، 1/203

डोरा वग़ैरा रखा जिस से थूक रंगीन हो गया फिर वोही रंगीन थूक निगल गए तो रोज़ा जाता रहा।[(1)]

सुवाल किसी शख़्स को ख़ुद ब ख़ुद उल्टी आई और उस ने येह समझा कि रोज़ा अब टूट गया है तो उस ने कुछ खाना, पीना शुरूअ़ कर दिया तो सुवाल येह है कि ऐसे शख़्स पर क़ज़ा लाज़िम है या फिर कफ़्फ़ारा भी होगा ?

जवाब पूछी गई सूरत में सिर्फ़ क़ज़ा लाज़िम है कफ़्फ़ारा नहीं। अलबत्ता जब उल्टी के बा'द जान बूझ कर खाना खा कर उस ने रोज़ा तोड़ भी लिया था तब भी इस के बा'द खाने पीने की शर्अ़न इजाज़त न थी क्यूं कि रोज़ा अगर किसी ग़लती के पेशे नज़र टूट भी जाए तो फिर भी रमज़ानुल मुबारक के तक़द्दुस की वज्ह से उसे खाने पीने की इजाज़त नहीं बल्कि लाज़िम है कि रोज़ेदारों की त़रह़ रहे लिहाज़ा इस गुनाह से तौबा भी करे।[(2)]

सुवाल क़ै आने से रोज़ा कब टूटता है ?

जवाब रोज़ा याद होने के बा वुजूद जान बूझ कर क़ै की और वोह मुंह भर हो और उस क़ै में खाना, पानी, कड़वा पानी या ख़ून आए तो रोज़ा टूट जाएगा। बिला इख़्तियार क़ै हुई अब अगर वोह मुंह भर है और उस में एक चने के बराबर वापस लौटा दी तो भी रोज़ा टूट जाएगा।[(3)]

सुवाल रोज़े की ह़ालत में नाक में स्प्रे करने से रोज़ा टूट जाएगा या नहीं ?

जवाब अगर अपना रोज़ादार होना मा'लूम होने के बा वुजूद उस ने ऐसा किया तो इस सूरत में उस का रोज़ा टूट जाएगा और उस पर उस रोज़े की क़ज़ा या'नी उस रोज़े के बदले में एक और रोज़ा लाज़िम होगा।[(4)]

सुवाल क्या शूगर का मरीज़ रोज़े की ह़ालत में इन्सूलीन का इन्जेक्शन लगवा सकता है ?

जवाब ह़ालते रोज़ा में इन्सूलीन का इन्जेक्शन लगाना जाइज़ है इस से रोज़ा नहीं टूटता। (यूंही आ़म इन्जेक्शन चाहे रग में लगाया जाए या गोश्त में इस से रोज़ा नहीं टूटेगा) क्यूं कि उ़मूमी त़ौर पर इन्जेक्शन की सूई जौफ़ (मे'दे या मे'दे तक जाने वाले रास्तों के अन्दरूनी ह़िस्से) या दिमाग़ तक नहीं पहुंचाई जाती

1... فتاوٰی ہندیہ، کتاب الصوم، باب فیما یفسد وما لا یفسد، 1/203

2... मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 95

3... ردالمحتار، کتاب الصوم، باب ما یفسد الصوم وما لا یفسد، 3/450

4... फ़तावा अहले सुन्नत, क़िस्त़ : 9, स. 18, 19 मुलख़्ख़सन

लिहाज़ा येह इन्जेक्शन रोज़ा टूटने का सबब नहीं ।[1]

सुवाल अगर आंसू मुंह में चले गए और उन्हें निगल लिया तो रोज़ा टूटेगा या नहीं ?

जवाब अगर क़त्रा दो क़त्रा है तो रोज़ा न टूटा और ज़ियादा था कि उस की नमकीनी पूरे मुंह में महसूस हुई तो रोज़ा टूट गया । पसीने का भी येही हुक्म है ।[2]

सुवाल रोज़े के कोई 6 मक्रूहात बयान कीजिये ।

जवाब झूट, ग़ीबत, बद निगाही, गाली देना, बिला इजाज़ते शर्इ किसी का दिल दुखाना, दाढ़ी मुंडाना वैसे भी ना जाइज़ व ह़राम हैं रोज़े में और ज़ियादा ह़राम और इन की वज्ह से रोज़े में कराहिय्यत आती और रोज़े की नूरानिय्यत चली जाती है ।[3]

सुवाल रोज़े का कफ़्फ़ारा क्या है ?

जवाब मुम्किन हो तो एक बांदी या ग़ुलाम आज़ाद करे और येह न कर सके तो पै दर पै साठ रोज़े रखे । येह भी अगर मुम्किन न हो तो साठ मिस्कीनों को पेट भर कर दोनों वक़्त खाना खिलाए ।[4]

सुवाल किस सूरत में बिला उ़ज़्रे शर्इ जान बूझ कर रोज़ा तोड़ने में कफ़्फ़ारा नहीं ?

जवाब रमज़ान शरीफ़ के इलावा किसी दूसरे रोज़े के तोड़ने में कफ़्फ़ारा नहीं अगर्चे बिला उ़ज़्रे शर्इ और जान बूझ कर हो ।[5] लेकिन नफ़्ली रोज़ा शुरूअ़ कर देने से उस को पूरा करना वाजिब है, अगर जान बूझ कर तोड़ेगा तो क़ज़ा वाजिब होगी । याद रहे ! नफ़्ली रोज़ा बिला उ़ज़्र तोड़ना ना जाइज़ है ।[6]

सुवाल किस रोज़े का तोड़ना वाजिब है और क़स्दन तोड़ने पर क़ज़ा भी नहीं ?

जवाब ईद, बक़र ईद या अय्यामे तशरीक़ में नफ़्ली रोज़ा रख कर क़स्दन तोड़ने से उस की क़ज़ा

1... फ़तावा अहले सुन्नत, क़िस्त : 9, स. 10

2... خلاصۃ الفتاوی، کتاب الصوم، الفصل الثالث فیما یفسد الصوم وفیما لا یفسد، 1/253

3... फ़ैज़ाने सुन्नत, स. 1057

4... رد المحتار، کتاب الصوم، مطلب فی الکفارۃ، 3/447

5... قدوری، کتاب الصوم، ص 94-95

6... در مختار، کتاب الصوم، باب ما یفسد الصوم وما لا یفسد، 3/475

वाजिब नहीं होती बल्कि उस रोजे़ का तोड़ देना वाजिब है।[(1)]

सुवाल क्या जिस पर ग़ुस्ल फ़र्ज़ हो उस का रोज़ा हो जाता है ?

जवाब जी हां, जनाबत (या'नी ग़ुस्ल फ़र्ज़ होने) की ह़ालत में सुब्ह़ की बल्कि सारा दिन कोई जनाबत की ह़ालत में रहा तो रोज़ा हो जाएगा।[(2)] मगर इतनी देर तक जान बूझ कर ग़ुस्ल न करना कि नमाज़ क़ज़ा हो जाए गुनाह व ह़राम है।

सुवाल मजबूरी के सबब रोज़ा न रखा तो मजबूरी ख़त्म होने पर क्या हुक्म है ?

जवाब बा'ज़ मजबूरियां ऐसी हैं जिन के सबब रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा न रखने की इजाज़त है मगर येह याद रहे कि मजबूरी में रोज़ा मुआ़फ़ नहीं, वोह मजबूरी ख़त्म हो जाने के बा'द उस की क़ज़ा रखना फ़र्ज़ है। अलबत्ता क़ज़ा का गुनाह नहीं होगा।[(3)]

सुवाल अगर किसी शर्ई मजबूरी की वज्ह से रमज़ान के रोजे़ छूट जाएं तो उन्हें किसी भी वक़्त रख सकते हैं या सर्दियों में छूटे हुए सर्दियों में और गर्मियों में छूटे हुए गर्मियों ही में रखने होंगे ?

जवाब किसी भी वज्ह से ख़्वाह उ़ज्रे शर्ई की बिना पर या बिग़ैर किसी उ़ज्र के रमज़ानुल मुबारक के फ़र्ज़ रोजे़ न रखे हों तो उन की क़ज़ा करना ज़रूरी है और क़ज़ा में इस का अस्लन ए'तिबार नहीं कि जिस मौसिम में रोजे़ छूटे हैं उसी मौसिम में रखे जाएं या'नी सर्दियों के रोजे़ सर्दियों में और गर्मियों के रोजे़ गर्मियों में रखने का शर्अ़न कोई हुक्म नहीं, अलबत्ता जल्द अज़ जल्द रोजे़ रखने चाहिएं और इतनी ताख़ीर न की जाए कि अगला माहे रमज़ान आ जाए कि पिछले फ़र्ज़ रोजे़ ज़िम्मे पर बाक़ी रहने की सूरत में इस रमज़ान के रोजे़ **अल्लाह** की बारगाह में मक़ामे क़बूलिय्यत पाने से मह़रूम रहते हैं।[(4)]

सुवाल वोह कौन है जिसे माहे रमज़ान में रमज़ान के इ़लावा दूसरा रोज़ा रखना सह़ीह़ है ?

जवाब मुसाफ़िर और मरीज़ को माहे रमज़ान में रमज़ान के इ़लावा दूसरा रोज़ा रखना सह़ीह़ है।[(5)]

1... در مختار، کتاب الصوم، باب مایفسد الصوم ومالایفسدہ، 3/474

2... در مختار، کتاب الصوم، باب مایفسد الصوم ومالایفسد، 3/428

3... फ़ैज़ाने सुन्नत, स. 1067

4... मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 100

5... فتاویٰ خانیہ، کتاب الصوم، الفصل الثانی فی النیۃ، 1/97، ماخوذا

सुवाल दूध पिलाने वाली माओं के लिये रमज़ान के रोज़े का क्या हुक्म है ?

जवाब दूध पिलाने वाली मां के बारे में येह हुक्म है कि दूध पिलाने से अगर उसे या उस के बच्चे की जान को नुक़्सान पहुंचने का सहीह़ अन्देशा हो तो उसे इजाज़त है कि उस वक़्त रोज़ा न रखे। फिर रमज़ान गुज़र जाने के बा'द उन छोड़े गए रोज़ों की क़ज़ा करे। बहारे शरीअ़त में है : "ह़म्ल वाली और दूध पिलाने वाली को अगर अपनी जान या बच्चे का सहीह़ अन्देशा हो तो इजाज़त है कि उस वक़्त रोज़ा न रखे।"(1)

सुवाल वोह औ़रत जो रमज़ान के किसी दिन में तुलूए़ फ़ज्र के बा'द पाक हो जाए तो उस दिन का बक़िय्या ह़िस्सा उस को रोज़ेदारों की त़रह़ गुज़ारना ज़रूरी है या नहीं ?

जवाब जो औ़रत रमज़ान के किसी दिन में तुलूए़ फ़ज्र के बा'द पाक हो जाए तो उस दिन का बक़िय्या ह़िस्सा उस को रोज़ेदारों की त़रह़ गुज़ारना वाजिब है क्यूं कि क़वानीने शरीअ़त की रू से हर वोह शख़्स जिस के लिये दिन के अव्वल वक़्त में रमज़ान का रोज़ा रखने में उ़ज़्र हो और फिर वोह उ़ज़्र दिन में किसी वक़्त ज़ाइल हो जाए और अब उस की ह़ालत ऐसी हो कि अव्वल वक़्त में होती तो उस पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ होता तो ऐसे शख़्स पर रोज़ेदारों की त़रह़ रहना वाजिब होता है।(2)

सुवाल किस शख़्स को रोज़ा न रखने की इजाज़त है और उसे फ़िदया देने का हुक्म है ?

जवाब वोह बूढ़े अफ़राद जिन की उ़म्र ऐसी हो गई कि अब वोह रोज़ बरोज़ कमज़ोर ही होते जाएंगे, जब उन में रोज़ा रखने की त़ाक़त न रहे और न उन्हें आइन्दा रोज़े की त़ाक़त आने की उम्मीद हो तो अब उन्हें रोज़ा न रखने की इजाज़त है, लिहाज़ा हर रोज़े के बदले में "**फ़िदया**" या'नी दोनों वक़्त एक मिस्कीन को पेट भर खाना खिलाना उस पर वाजिब है या हर रोज़े के बदले एक सदक़ए फ़ित्र की मिक़्दार मिस्कीन को दे दें।(3)

सुवाल किन दिनों में रोज़ा रखना मन्अ़ है और येह क्यूं मन्अ़ है ?

जवाब पांच दिनों में रोज़ा रखना मन्अ़ है, चार दिन ईदुल अज़्हा के (10 से 13 ज़िल ह़िज्जा) और

1... बहारे शरीअ़त, 1/1003, ह़िस्सा : 5

2... मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 99

3... در مختار، کتاب الصوم، باب مایفسد الصوم ومالا یفسدہ، 471/3

एक दिन ईदुल फ़ित्र का। क्यूं कि येह दिन **अल्लाह** पाक की त़रफ़ से बन्दों की दा'वत के हैं।[1]

सुवाल जिस दिन सफ़र पर रवाना होना है क्या उस दिन रोज़ा न रखने की इजाज़त है ?

जवाब अगर सफ़र का आग़ाज़ दिन में करना है तो उस दिन का रोज़ा छोड़ना जाइज़ नहीं अलबत्ता अगर दौराने सफ़र रोज़ा तोड़ दिया तो कफ़्फ़ारा लाज़िम नहीं आएगा मगर गुनाह ज़रूर होगा और रोज़ा क़ज़ा करना फ़र्ज़ रहेगा।[2]

सुवाल किसी ने ग़ुरूबे आफ़्ताब से पहले कल के रोज़े की निय्यत की फिर बेहोश हो गया और ज़ह़्वए कुब्रा के बा'द होश आया तो क्या उस का रोज़ा हो जाएगा ?

जवाब नहीं होगा क्यूं कि अदाए रोज़ए रमज़ान, नज़्रे मुअ़य्यन और नफ़्ली रोज़ों के लिये निय्यत का वक़्त ग़ुरूबे आफ़्ताब से ज़ह़्वए कुब्रा तक है इस वक़्त के अन्दर जब भी निय्यत कर ले रोज़ा हो जाएगा जब कि उस शख़्स ने आफ़्ताब डूबने से पहले निय्यत की थी लिहाज़ा येह रोज़ा न हुवा, अगर आफ़्ताब डूबने के बा'द निय्यत करता तो हो जाता।[3]

सुवाल अगर किसी शख़्स ने एक मुल्क में रोज़ा शुरूअ़ किया और इफ़्त़ार से पहले किसी दूसरे मुल्क पहुंच गया तो वोह इफ़्त़ार कब करेगा ?

जवाब इस सूरत में वोह शख़्स जिस मुल्क में मौजूद है उसी के वक़्त के ह़िसाब से इफ़्त़ार करेगा।[4]

सुवाल एक शख़्स की रमज़ान में आंख लेट खुली वोह येह समझते हुए कि अभी सह़री का टाइम बाक़ी है खाना खाता रहा बा'द में पता चला कि सह़री का टाइम तो ख़त्म हो चुका था फिर भी उस शख़्स ने रोज़ा रख लिया तो उस शख़्स का रोज़ा हुवा या नहीं ? अगर ऐसा हो चुका हो तो अब क्या हुक्म है ? क्या गुनाह व कफ़्फ़ारा है ?

जवाब उस शख़्स का रोज़ा नहीं हुवा, उस पर उस दिन के रोज़े की क़ज़ा रखना फ़र्ज़ है या'नी उस रोज़े के बदले में एक रोज़ा रखना पड़ेगा लेकिन कोई कफ़्फ़ारा नहीं और चूंकि ख़त़ाअन ऐसा हुवा है इस लिये गुनाह भी नहीं है। याद रहे कि ऐसी सूरत में अगर्चे रोज़ा नहीं होता लेकिन बक़िय्या सारा दिन

1... फ़तावा रज़विय्या, 10/351, माख़ूज़न

2... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصوم، الباب الخامس فی الاعذار التی تبیح الافطار، 1/206، फ़ैज़ाने रमज़ान, स. 144

3... فتاویٰ خانیہ، کتاب الصوم، الفصل الثانی فی النیۃ، 1/97، बहारे शरीअ़त, 1/967, हिस्सा : 5

4... फ़तावा अहले सुन्नत, क़िस्त़ : 9, स. 21 माख़ूज़न

रोज़ादार की त़रह़ रहना वाजिब होता है लिहाज़ा अगर इस त़रह़ की सूरत किसी को दरपेश हुई हो और उस ने सारा दिन रोज़ादार की त़रह़ न गुज़ारा तो वोह ज़रूर गुनहगार होगा।[(1)]

सुवाल ह़दीसे पाक में किन चीज़ों से रोज़ा इफ़्त़ार करने की तरग़ीब आई है ?

जवाब हु़ज़ूर ताजदारे दो जहान صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : जब तुम में कोई रोज़ा इफ़्त़ार करे तो खजूर या छूहारे से इफ़्त़ार करे कि वोह बरकत है और अगर न मिले तो पानी से कि वोह पाक करने वाला है।[(2)]

ए'तिकाफ़ का बयान

सुवाल जाए नमाज़ में रमज़ान के आख़िरी अ़शरे का मस्नून ए'तिकाफ़ करवाया जा सकता है या नहीं ?

जवाब मर्दों के ए'तिकाफ़ के लिये वक़्फ़ मस्जिद का होना शर्त़ है, जाए नमाज़ चूंकि मस्जिद नहीं होती इस लिये उस में मर्दों का ए'तिकाफ़ भी नहीं हो सकता। अह़नाफ़ के नज़्दीक वक़्फ़ मस्जिद के इ़लावा सिर्फ़ औ़रतों का ए'तिकाफ़ नमाज़ के लिये घर में मख़्सूस की गई जगह जिसे मस्जिदे बैत कहते हैं उस में हो सकता है। मर्दों के ए'तिकाफ़ के लिये बहर सूरत मस्जिद ज़रूरी है, जाए नमाज़ में ए'तिकाफ़ हरगिज़ दुरुस्त न होगा।[(3)]

सुवाल क्या औ़रत दौराने ए'तिकाफ़ शदीद गरमी के सबब जाए ए'तिकाफ़ के इ़लावा बाथरूम में ग़ुस्ल कर सकती है ?

जवाब मर्द अस्ले मस्जिद (या'नी वोह जगह जो नमाज़ पढ़ने के लिये ख़ास कर के वक़्फ़ होती है) से मुत्तसिल वक़्फ़ जगह जो ज़रूरिय्यात व मसालेह़े मस्जिद के लिये वक़्फ़ होती है जिसे फ़िनाए मस्जिद कहा जाता है उस में बने हुए ग़ुस्ल ख़ाने में दौराने ए'तिकाफ़ बिग़ैर ज़रूरत के भी ग़ुस्ल कर सकता है फ़िनाए मस्जिद में जाने से उस का ए'तिकाफ़ नहीं टूटता, जब कि औ़रत घर में मुतअ़य्यन कर्दा जगह में ए'तिकाफ़ करती है, जो "मस्जिदे बैत" कहलाती है और मस्जिदे बैत में फ़िना का कोई तसव्वुर नहीं होता इस लिये औ़रत मस्जिदे बैत से बाहर बिला ज़रूरत नहीं निकल सकती, सूरते मस्ऊला (या'नी पूछी गई सूरत) में औ़रत अगर फ़र्ज़ ग़ुस्ल के इ़लावा किसी ग़ुस्ल मसलन गरमी की वज्ह से ठन्डक ह़ासिल करने के लिये निकलेगी तो उस का ए'तिकाफ़ टूट जाएगा।[(4)]

1... मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 91

2... ترمذی، کتاب الصوم، باب ماجاء مایستحب علیہ الافطار، 2/142، حدیث:658

3... मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 102

4... मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 102

सबक़ नम्बर 43

सदक़ए फ़ित्र का बयान

अल्लाह पाक पारह 30 सूरतुल आ'ला की आयत नम्बर 14 ता 15 में इर्शाद फ़रमाता है :

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰىۙ۝۱۴ وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰىؕ۝۱۵ (پ30،الاعلٰی:14،15)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : बेशक मुराद को पहुंचा जो सुथरा हुवा और अपने रब का नाम ले कर नमाज़ पढ़ी।

सदरुल अफ़ाज़िल ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना सय्यिद मुह़म्मद नईमुद्दीन मुरादआबादी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه "ख़ज़ाइनुल इरफ़ान" में इस आयते करीमा के तह़्त लिखते हैं : इस आयत की तफ़्सीर में येह कहा गया है कि "تَزَكّٰى" से सदक़ए फ़ित्र देना और रब का नाम लेने से ईदगाह के रास्ते में तक्बीरें कहना और नमाज़ से नमाज़े ईद मुराद है।[1]

सदक़ए फ़ित्र की अहम्मिय्यत व फ़ज़ीलत पर तीन फ़रामीने मुस्त़फ़ा

(1) सरकारे मदीना صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने एक शख़्स को हुक्म दिया कि जा कर मक्कए मुअ़ज़्ज़मा के गली कूचों में ए'लान कर दो "सदक़ए फ़ित्र वाजिब है।"[2]

(2) ह़ज़रते सय्यिदुना इब्ने अ़ब्बास رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا फ़रमाते हैं : मदनी सरकार, ग़रीबों के ग़म ख़्वार صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने सदक़ए फ़ित्र मुक़र्रर फ़रमाया ताकि फ़ुज़ूल और बेहूदा कलाम से रोज़ों की त़हारत (या'नी सफ़ाई) हो जाए। नीज़ मसाकीन की ख़ूरिश (या'नी ख़ूराक) भी हो जाए।[3]

(3) ह़ज़रते सय्यिदुना अनस बिन मालिक رَضِىَ اللهُ عَنْه कहते हैं, सरकारे नामदार صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم फ़रमाते हैं : जब तक सदक़ए फ़ित्र अदा नहीं किया जाता, बन्दे का रोज़ा ज़मीन व आस्मान के दरमियान मुअ़ल्लक़ (या'नी लटका हुवा) रहता है।[4]

सदक़ए फ़ित्र के मुतअ़ल्लिक़ अहम बातें

सुवाल सदक़ए फ़ित्र के मुतअ़ल्लिक़ कुछ अह़काम बयान कर दीजिये।

---

1 ...तफ़्सीरे ख़ज़ाइनुल इरफ़ान, पारह : 30, अल आ'ला, तह़तल आयह : 14, 15

2 ...جامع ترمذی، کتاب الزکوۃ، باب ماجاء فی صدقۃ الفطر، 2/151، حدیث:674

3 ...سنن ابی داود، کتاب الزکوۃ، باب زکاۃ الفطر، 2/157، حدیث:1609

4 ...کنز العمال، کتاب الصوم، الباب الاول، جزء:8، 4/253، حدیث:24124

जवाब ✽ सदक़ए फ़ित्र उन तमाम मुसल्मान मर्द व औ़रत पर वाजिब है जो ''साहि़बे निसाब'' हों और उन का निसाब ''ह़ाजाते अस्लिय्या (या'नी ज़रूरिय्याते ज़िन्दगी से)'' फ़ारिग़ हो।(1)

✽ जिस के पास साढ़े सात तोले सोना या साढ़े बावन तोला चांदी या साढ़े बावन तोला चांदी की रक़म या इतनी मालिय्यत का माले तिजारत हो (और येह सब ह़ाजाते अस्लिय्या से फ़ारिग़ हों) उस को साहि़बे निसाब कहा जाता है।

✽ सदक़ए फ़ित्र वाजिब होने के लिये ''आ़क़िल व बालिग़'' होना शर्त़ नहीं। बल्कि बच्चा या मजनून (या'नी पागल) भी अगर साहि़बे निसाब हो तो उस के माल में से उन का वली (या'नी सर परस्त) अदा करे।(2)

✽ सदक़ए फ़ित्र के लिये मिक़्दारे निसाब तो वोही है जो ज़कात का है लेकिन फ़र्क़ येह है कि सदक़ए फ़ित्र के लिये माल के नामी (या'नी उस में बढ़ने की सलाहि़य्यत) होने और साल गुज़रने की शर्त़ नहीं।

✽ इसी त़रह़ जो चीज़ें ज़रूरत से ज़ियादा हैं (मसलन वोह घरेलू सामान जो रोज़ाना काम में नहीं आता) और उन की क़ीमत निसाब को पहुंचती हो तो उन अश्या की वज्ह से सदक़ए फ़ित्र वाजिब है। ज़कात और सदक़ए फ़ित्र के निसाब में येह फ़र्क़ कैफ़िय्यत के ए'तिबार से है।(3)

✽ मालिके निसाब मर्द पर अपनी त़रफ़ से, अपने छोटे बच्चों की त़रफ़ से और अगर कोई मजनून (या'नी पागल) औलाद है (चाहे फिर वोह पागल औलाद बालिग़ ही क्यूं न हो) तो उस की त़रफ़ से भी सदक़ए फ़ित्र वाजिब है, हां अगर वोह बच्चा या मजनून ख़ुद साहि़बे निसाब है तो फिर उस के माल में से फ़ित्रा अदा कर दे।(4)

✽ मर्द साहि़बे निसाब पर अपनी बीवी या मां बाप या छोटे भाई बहन और दीगर रिश्तेदारों का फ़ित्रा वाजिब नहीं।(5)

✽ वालिद न हो तो दादाजान वालिद साहि़ब की जगह हैं। या'नी अपने फ़क़ीर व यतीम पोते पोतियों की त़रफ़ से उन पे सदक़ए फ़ित्र देना वाजिब है।(6)

1 ...عالمگیری، کتاب الصلوۃ، الباب الثامن فی صدقۃ الفطر، 191/1
2 ... ردالمحتار، کتاب الزکوۃ، باب صدقۃ الفطر، 365/3
3 ... वक़ारुल फ़तावा, जिल्द 2/385, 386 मुल्तक़त़न
4 ...عالمگیری، کتاب الصلوۃ، الباب الثامن فی صدقۃ الفطر، 191/1
5 ...عالمگیری، کتاب الصلوۃ، الباب الثامن فی صدقۃ الفطر، 193/1
6 ...ردالمحتار، کتاب الزکوۃ، باب صدقۃ الفطر، 368/3

❋ मां पर अपने छोटे बच्चों की त़रफ़ से सदक़ए फ़ित्ऱ देना वाजिब नहीं।[1]

❋ बाप पर अपनी आ़क़िल बालिग़ औलाद का फ़ित्ऱा वाजिब नहीं।[2]

❋ किसी सह़ीह़ शरई़ मजबूरी के तह़्त रोज़े न रख सका या مَعَاذَاللہ बिग़ैर मजबूरी के रमज़ानुल मुबारक के रोज़े न रखे उस पर भी साह़िबे निसाब होने की सूरत में सदक़ए फ़ित्ऱ वाजिब है।[3]

❋ बीवी या बालिग़ औलाद जिन का नफ़क़ा वग़ैरा (या'नी रोटी कपड़े वग़ैरा का ख़र्च) जिस शख़्स के ज़िम्मे है वोह अगर इन की इजाज़त के बिग़ैर ही इन का फ़ित्ऱा अदा कर दे तो अदा हो जाएगा। हां अगर नफ़क़ा उस के ज़िम्मे नहीं है। मसलन बालिग़ बेटे ने शादी कर के घर अलग बसा लिया और अपना गुज़ारा ख़ुद ही कर लेता है तो अब अपने नान नफ़क़ा (या'नी रोटी कपड़े वग़ैरा) का ख़ुद ही ज़िम्मेदार हो गया है। लिहाज़ा ऐसी औलाद की त़रफ़ से बिग़ैर इजाज़त फ़ित्ऱा दे दिया तो अदा न होगा।

❋ बीवी ने बिग़ैर हुक्मे शौहर अगर शौहर का फ़ित्ऱा अदा कर दिया तो अदा न होगा।[4]

❋ ई़दुल फ़ित्ऱ की सुब्ह़े सादिक़ तुलूअ़ होते वक़्त जो साह़िबे निसाब था उसी पर सदक़ए फ़ित्ऱ वाजिब है। अगर सुब्ह़े सादिक़ के बा'द साह़िबे निसाब हुवा तो अब वाजिब नहीं।[5]

❋ सदक़ए फ़ित्ऱ अदा करने का अफ़्ज़ल वक़्त तो येही है कि ई़द को सुब्ह़े सादिक़ के बा'द ई़द की नमाज़ अदा करने से पहले पहले अदा कर दिया जाए। अगर चांदरात या रमज़ानुल मुबारक के किसी भी दिन बल्कि रमज़ान शरीफ़ से पहले भी अगर किसी ने अदा कर दिया तब भी फ़ित्ऱा अदा हो गया और ऐसा करना बिल्कुल जाइज़ है।[6]

❋ अगर ई़द का दिन गुज़र गया और फ़ित्ऱा अदा न किया था तब भी फ़ित्ऱा साक़ित़ न हुवा। बल्कि उ़म्र भर में जब भी अदा करें अदा ही है।[7]

1... ردالمحتار، کتاب الزکوۃ، باب صدقۃ الفطر، 368/3

2... ردالمحتار، کتاب الزکوۃ، باب صدقۃ الفطر، 370/3

3... ردالمحتار، کتاب الزکوۃ، باب صدقۃ الفطر، 367/3

4... बहारे शरीअ़त, 1/938, हिस्सा : 5

5... عالمگیری، کتاب الصلوۃ، الباب الثامن فی صدقۃ الفطر، 192/1 مفہوما

6... عالمگیری، کتاب الصلوۃ، الباب الثامن فی صدقۃ الفطر، 192/1

7... عالمگیری، کتاب الصلوۃ، الباب الثامن فی صدقۃ الفطر، 192/1

❋ सदक़ए फ़ित्र के मसारिफ़ वोही हैं जो ज़कात के हैं। या'नी जिन को ज़कात दे सकते हैं उन्हें फ़ित्रा भी दे सकते हैं और जिन को ज़कात नहीं दे सकते उन को फ़ित्रा भी नहीं दे सकते।[1]

❋ सादाते किराम को सदक़ए फ़ित्र नहीं दे सकते। क्यूं कि येह बनी हाशिम से हैं। बहारे शरीअ़त जिल्द अव्वल सफ़्हा 931 पर है : बनी हाशिम को ज़कात नहीं दे सकते। न ग़ैर इन्हें दे सके, न एक हाशिमी दूसरे हाशिमी को। बनी हाशिम से मुराद ह़ज़रते अ़ली व जा'फ़र व अ़क़ील और ह़ज़रते अ़ब्बास व ह़ारिस बिन अ़ब्दुल मुत्तलिब की औलादें हैं।

सदक़ए फ़ित्र की मिक़्दार

सुवाल सदक़ए फ़ित्र की मिक़्दार क्या है ?

जवाब गेहूं या इस का आटा या सत्तू आधा साअ़ (या'नी दो किलो में 80 ग्राम कम) (या इन की क़ीमत), खजूर या मुनक़्क़ा या जव या उस का आटा या सत्तू एक साअ़ (या'नी चार किलो में 160 ग्राम कम) (या इन की क़ीमत) येह एक सदक़ए फ़ित्र की मिक़्दार है। एक सो पछत्तर रुपै अठन्नी भर (या'नी दो किलो से 80 ग्राम कम) वज़्न गेहूं या उस का आटा या इतने गेहूं की क़ीमत एक सदक़ए फ़ित्र की मिक़्दार है।[2]

सबक़ नम्बर 44 — ह़ज का बयान

ह़ज दीने इस्लाम के बुन्यादी अरकान में से एक अहम रुक्न है, जो सिने 9 हिजरी में फ़र्ज़ हुवा।[3] **अल्लाह** पाक इर्शाद फ़रमाता है :

وَ لِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَیْهِ سَبِیْلًاؕ وَ مَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعٰلَمِیْنَ۝۹۷
(پ4، آل عمران:97)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और **अल्लाह** के लिये लोगों पर उस घर का ह़ज करना है जो उस तक चल सके और जो मुन्किर हो तो **अल्लाह** सारे जहान से बे परवाह है।

तफ़्सीरे सिरातुल जिनान में है : इस आयत में ह़ज की फ़र्ज़िय्यत का बयान है और इस का कि इस्तिताअ़त शर्त़ है। ह़दीस शरीफ़ में ताजदारे रिसालत صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इस की तफ़्सीर "ज़ादे राह" और "सुवारी" से फ़रमाई है।[4]

1... عالمگیری، کتاب الصلوۃ، الباب الثامن فی صدقۃ الفطر، 1/194

2... फ़ैज़ाने रमज़ान, स. 316

3... درمختار، کتاب الحج، 3/517

4... ترمذی، کتاب التفسیر، باب ومن سورۃ آل عمران، 5/6، حدیث:3009، तफ़्सीरे सिरातुल जिनान, पारह : 4, आले इमरान, तह़्तल आयह : 97

सब से अफ़्ज़ल अ़मल

हज़रते सय्यिदुना अबू हुरैरा رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ फ़रमाते हैं कि ग़ैब की ख़बरें देने वाले आक़ा, मदीने वाले मुस्त़फ़ा صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم से अ़र्ज़ किया गया : सब से अफ़्ज़ल अ़मल कौन सा है ? फ़रमाया : **अल्लाह** पाक और उस के रसूल (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) पर ईमान लाना। अ़र्ज़ किया गया : इस के बा'द ? फ़रमाया : **अल्लाह** की राह में जिहाद करना। अ़र्ज़ किया गया : फिर कौन सा ? फ़रमाया : ह़ज्जे मबरूर करना।(1)

मुफ़्ती अह़मद यार ख़ान नईमी رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ फ़रमाते हैं : ह़ज्जे मबरूर से मुराद वोह ह़ज है जिस में गुनाह से बचा जाए या वोह ह़ज जिस में रिया व नामो नुमूद से परहेज़ हो या वोह ह़ज जिस के बा'द ह़ाजी मरते वक़्त तक गुनाहों से बचे, ह़ज बरबाद करने वाला कोई अ़मल न करे। ख़्वाजा ह़सन बसरी رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ फ़रमाते हैं कि ह़ज्जे मक़्बूल वोह है जिस के बा'द ह़ाजी दुन्या में ज़ाहिद, आख़िरत में राग़िब रहे।(2)

ह़ज फ़र्ज़ होने के लिये ज़ादे राह की मिक़्दार

सुवाल ह़ज फ़र्ज़ होने के लिये कितना ज़ादे राह होना चाहिये ?

जवाब खाने पीने का इन्तिज़ाम इस क़दर होना चाहिये कि जा कर वापस आने तक उस के लिये काफ़ी हो और येह वापसी के वक़्त तक अहलो इ़याल के ख़र्चे के इ़लावा होना चाहिये। रास्ते का अम्न भी ज़रूरी है क्यूं कि इस के बिग़ैर ह़ज की अदाएगी लाज़िम नहीं होती।(3)

ह़ज वाजिब होने की शराइत़

सुवाल ह़ज वाजिब होने की कितनी और कौन कौन सी शराइत़ हैं ?

जवाब ह़ज वाजिब होने की आठ शर्तें हैं, जब तक वोह सब न पाई जाएं ह़ज फ़र्ज़ नहीं : (1) इस्लाम (या'नी मुसल्मान होना काफ़िर पर ह़ज फ़र्ज़ नहीं) (2) दारुल ह़र्ब में हो तो येह भी ज़रूरी है कि जानता हो कि ह़ज इस्लाम के अरकान में से है (3) बुलूग़ (या'नी बालिग़ होना) (4) आ़क़िल होना (5) आज़ाद होना (6) तन्दुरुस्त हो (7) सफ़र ख़र्च का मालिक हो और सुवारी पर क़ादिर हो (8) (ह़ज का) वक़्त (या'नी ह़ज के महीनों में तमाम शराइत़ पाए जाएं।)

1 ...بخاری، کتاب الحج، باب فضل الحج المبرور، 1/512، حدیث:1519

2 ... मिरआतुल मनाजीह़, 5/441

3 ... तफ़्सीरे सिरात़ुल जिनान, पारह : 4, आले इमरान, तह़्तल आयह : 97, 2/17

हज किसे कहते हैं ?

सुवाल हज की ता'रीफ़ क्या है ?

जवाब एहराम बांध कर नवीं (9) ज़ुल हिज्जा को अ़रफ़ात में ठहरने और का'बए मुअ़ज़्ज़मा के त़वाफ़ को ह़ज कहते हैं।[1]

ह़ज की अक़्साम

सुवाल ह़ज की कितनी क़िस्में हैं ?

जवाब ह़ज की तीन क़िस्में हैं : (1)...... ह़ज्जे क़िरान (2)...... ह़ज्जे तमत्तोअ़ (3)...... ह़ज्जे इफ़्राद।

सुवाल ह़ज्जे क़िरान से क्या मुराद है ?

जवाब ह़ज्जे क़िरान से येह मुराद है कि ह़ाजी उ़म्रह और ह़ज दोनों का एह़राम एक साथ बांधे।

सुवाल ह़ज्जे तमत्तोअ़ से क्या मुराद है ?

जवाब ह़ज्जे तमत्तोअ़ से मुराद येह है कि ह़ाजी ह़ज के महीने में उ़म्रह करे फिर उसी साल ह़ज का एह़राम बांधे या पूरा उ़म्रह न किया, सिर्फ़ चार फेरे किये फिर ह़ज का एह़राम बांधा।

सुवाल ह़ज्जे इफ़्राद से क्या मुराद है ?

जवाब ह़ज्जे इफ़्राद से मुराद येह है कि ह़ाजी ह़ज के महीने में सिर्फ़ ह़ज करे।

सुवाल सब से अफ़्ज़ल ह़ज कौन सा है ?

जवाब सब से अफ़्ज़ल क़िरान है फिर तमत्तोअ़ फिर इफ़्राद।

सुवाल ह़ज्जे अक्बर की ता'रीफ़ क्या है ?

जवाब ह़ज्जे अक्बर के मुतअ़ल्लिक़ फ़ुक़हा के मुख़्तलिफ़ अक़्वाल हैं और मश्हूर क़ौल येह है कि नबिय्ये पाक صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने जिस दिन ह़ज फ़रमाया था उसे ह़ज्जे अक्बर कहा जाता है और चूंकि

1... बहारे शरीअ़त, 1/1035, हिस्सा : 6 ब तसर्रुफ़ क़लील

वोह ह़ज जुमुआ़ के दिन किया गया था तो नबिय्ये पाक صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के ह़ज की याद ताज़ा करते हुए मुसल्मान उस ह़ज को कि जो जुमुआ़ के दिन वाके़अ़ हो ह़ज्जे अक्बर कहते हैं।(1)

ह़ज का मुख़्तसर त़रीक़ा

हिन्दूस्तान से आने वाले उ़मूमन ह़ज्जे तमत्तोअ़ ही किया करते हैं। जै़ल में निहायत इख़्तिसार से इस का त़रीक़ा (जब कि कु़रबानी का जानवर साथ न हो) घर से रवाना हो कर इख़्तितामे ह़ज तक पेशे ख़िदमत है :

01	घर से रवानगी
02	मीक़ात से पहले उ़म्रह की निय्यत से एह़राम बांधना
03	का'बे शरीफ़ का त़वाफ़ करना और मक़ामे इब्राहीम पर दो रक्अ़त नमाज़ पढ़ना और आबे ज़मज़म पीना
04	सई करना और इस के बा'द ह़ल्क़ या क़स्र कराना और एह़राम खोलना
05	8 ज़िल हिज्जा को दोबारा एह़राम बांध कर मिना जाने की तय्यारी करना और मिना में जा कर ज़ोहर, अ़स्र, मग़रिब और इ़शा की नमाज़ अदा करना
06	9 ज़िल हिज्जा को मक़ामे अ़रफ़ात में ज़ोहर व अ़स्र की नमाज़ें पढ़ना। वुक़ूफ़े अ़रफ़ात करना
07	9 ज़िल हिज्जा को सूरज गु़रूब होने के बा'द अ़रफ़ात से मुज़्दलिफ़ा पहुंच कर नमाज़े मग़रिब व इ़शा मिला कर पढ़ना। रात मुज़्दलिफ़ा में क़ियाम और तुलूए़ आफ़्ताब से कुछ पहले तक मुज़्दलिफ़ा में वुक़ूफ़ करना
08	10 ज़िल हिज्जा को मुज़्दलिफ़ा से मिना में आना और जम्रतुल अ़क़बा पर कंकरियां मारना। कु़रबानी करना और ह़ल्क़ या क़स्र करना
09	10 ज़िल हिज्जा को ह़ल्क़ या क़स्र के बा'द मक्कए मुकर्रमा में जा कर त़वाफ़े ज़ियारत करना
10	11, 12, 13 ज़िल हिज्जा को मिना में क़ियाम करना। और तीनों दिनों में जमरात पर कंकरियां मार कर मक्कए मुकर्रमा रवाना होना। और फिर वापस मिना आना।
11	14 ज़िल हिज्जा या जब रुख़्सत का इरादा हो त़वाफ़े वदाअ़ करना
12	सफ़रे मदीनए त़य्यिबा ख़ास ब क़स्दे ज़ियारते शरीफ़ा

(1)... मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 103

ह़ज के मुतअ़ल्लिक़ मुख़्तलिफ़ अह़काम

सुवाल ह़ज के कुछ अह़काम बताइये।

जवाब (1) ह़ज फ़र्ज़ है, जो इस की फ़र्ज़िय्यत का इन्कार करे काफ़िर है। ह़ज उ़म्र भर में सिर्फ़ एक ही बार फ़र्ज़ है।[1] (2) जिस शख़्स को ह़ज पर जाने की क़ुदरत ह़ासिल हो जाए तो उस पर उसी साल ह़ज पर जाना फ़र्ज़ है, अगर ताख़ीर करेगा तो गुनहगार होगा। (3) क़ुदरत होने के बा वुजूद जो शख़्स चन्द साल तक ह़ज न करे तो वोह फ़ासिक़ है, उस की गवाही मरदूद है। (4) ह़ज की क़ज़ा नहीं है ज़िन्दगी में जब भी करेगा अदा ही कहलाएगा।[2] (5) दिखावे के लिये और ह़राम के पैसों से ह़ज करना ह़राम है।[3] (6) ह़ज को जाने के लिये जिस से इजाज़त लेना वाजिब है बिग़ैर उस की इजाज़त के जाना मक्रूह है मसलन मां बाप अगर उस की ख़िदमत के मोह़ताज हों और मां बाप न हों तो दादा, दादी का भी येही हुक्म है। येह ह़ज फ़र्ज़ का हुक्म है और नफ़्ल हो तो मुत़्लक़न वालिदैन की इत़ाअ़त करे।[4]

ह़ज करने के फ़ाएदे और सवाबात

सुवाल ह़ज करने के फ़ाएदे बयान कीजिये।

जवाब ❋ ह़ज करना एक अफ़्ज़ल अ़मल है।[5] ❋ ह़ज कमज़ोरों का जिहाद है।[6] ❋ ह़ज करने वाला कभी मोह़ताज नहीं होता।[7] ❋ ह़ज मोह़ताजी और गुनाहों को ऐसे दूर करता है जैसे भट्टी लोहे, चांदी और सोने के मैल को दूर करती है।[8] ❋ ह़ज करने वाला अपने घर वालों में से चार सो (400) लोगों की शफ़ाअ़त करेगा।[9] ❋ जो शख़्स ह़ज के इरादे से निकले और रास्ते में ही फ़ौत हो जाए तो क़ियामत तक उस के लिये ह़ज करने वाले का सवाब लिखा जाता रहेगा।[10] ❋ जो ह़ज करने के बा'द

---

1 ... فتاویٰ ہندیہ، کتاب المناسک، باب فی تفسیر الحج وفرضیتہ، 1/216
2 ... در مختار، کتاب الحج، 3/520
3 ... در مختار مع رد المحتار، کتاب الحج، مطلب فیمن حج بمال حرام، 3/519
4 ... در مختار مع رد المحتار، کتاب الحج، مطلب فیمن حج بمال حرام، 3/520
5 ... بخاری، کتاب الحج، باب فضل الحج المبرور، 1/512، حدیث:1519
6 ... ابن ماجہ، کتاب المناسک، باب الحج جہاد النساء، 3/414، حدیث:2902
7 ... معجم اوسط، 4/61، رقم:5213
8 ... ترمذی، کتاب الحج، باب ماجاء فی ثواب الحج والعمرۃ، 2/218، حدیث:810 مختصرا
9 ... مسند بزار، مسند ابی موسیٰ الاشعری، 8/169، حدیث:3196
10 ... مسند ابی یعلی، مسند ابوہریرہ، 5/441، حدیث:6327

मरता है वोह शहादत का रुत्बा पाता है।[1] ❋ हृज्जे मक्बूल दुन्या और इस में जो कुछ है उन में सब से बेहतर है और इस की जज़ा जन्नत के सिवा कुछ नहीं।[2] ❋ बैतुल्लाह का तृवाफ़ करने वालों के लिये 60 रहृमतें नाज़िल होती हैं।[3] ❋ हृज करने वाले जब मक्कए मुकर्रमा आते हैं तो फ़िरिश्ते उन से मुलाक़ात करते हैं। ❋ सुवारियों पर सुवार बा'ज़ हाजियों को सलाम, बा'ज़ से मुसाफ़हा करते और पैदल चलने वालों से गले मिलते हैं।[4] ❋ हृज करने वाला बख़्श दिया जाता है, बल्कि हाजी माहे ज़ुल हिज्जतिल हृराम, मुहर्रमुल हृराम, सफ़रुल मुज़फ़्फ़र और रबीउ़ल अव्वल के 20 दिनों में जिस के लिये बख़्शिश चाहे उस की भी मग़्फ़िरत हो जाती है।[5]

हृज न करने के नुक़्सानात

सुवाल हृज फ़र्ज़ होने के बा वुजूद अदा न करने के क्या नुक़्सानात हैं ?

जवाब ❋ हृज फ़र्ज़ होने के बा वुजूद जान बूझ कर न करना जहन्नम में ले जाने वाला काम है। ❋ फ़रीज़ए हृज को तर्क करना **अल्लाह** पाक की नाराज़ी का सबब है। ❋ जो हृज पर क़ादिर हो और हृज न करे वोह सख़्त मुजरिम व गुनहगार है। ❋ (इस्तिताअ़त के बा वुजूद) हृज न करने का अ़मल कुफ़्फ़ार से मुशाबहत है।[6] ❋ जिसे हृज करने से न ज़ाहिरी हाजत रुकावट हुई, न ज़ालिम बादशाह, न कोई ऐसा मरज़ जो रोक दे फिर बिग़ैर हृज किये मर गया तो चाहे यहूदी हो कर मरे या नसरानी हो कर।[7] ❋ जिस बन्दे का जिस्म तन्दुरुस्त हो और वोह माली ए'तिबार से ख़ुशहाल हो और वोह पांच साल तक हृज न करे वोह ज़रूर महृरूम है।[8]

पहले फ़र्ज़ हृज करें या बेटी की शादी ?

सुवाल अगर किसी शख़्स पर हृज फ़र्ज़ हो जाए मगर उस की बेटी जवान घर में हो तो क्या उसे हृज करने जाना चाहिये या पहले बेटी की शादी करनी चाहिये बा'ज़ लोग कहते हैं कि पहले बेटी का फ़र्ज़

---

1 ...احیاء العلوم، کتاب اسرار الحج، الفصل الاول فی فضائل الحج... الخ، 1/323
2 ...احیاء العلوم، کتاب اسرار الحج، الفصل الاول فی فضائل الحج... الخ، 1/322
3 ...شعب الایمان، باب فی المناسک، فضیلۃ الحجر الاسود... الخ، 3/455، حدیث:4051
4 ...احیاء العلوم، کتاب اسرار الحج، الفصل الاول فی فضائل الحج... الخ، 1/323
5 ...احیاء العلوم، کتاب اسرار الحج، الفصل الاول فی فضائل الحج... الخ، 1/323
6 ... तफ़्सीरे नईमी, पारह : 4, आले इमरान, तहृतल आयह : 97, 4/38
7 ...دارمی، کتاب المناسک، باب من مات ولم یحج، 2/45، حدیث:1785
8 ...صحیح ابن حبان، کتاب الحج، باب فی فضل الحج والعمرۃ، 6/4، حدیث:3695

अदा कर लें फिर ह़ज को जाएंगे जब कि बेटी के लिये अभी रिश्ता तलाश कर रहे होते हैं क्या इस वज्ह से ह़ज में ताख़ीर करना जाइज़ है ?

जवाब जिस शख़्स पर ह़ज फ़र्ज़ हो चुका उस पर फ़र्ज़ है कि उसी साल ह़ज को जाए बिला उ़ज़्रे शर्ई उस साल ह़ज न करना गुनाह है और फ़ुक़हा ने जिन आ'ज़ार की वज्ह से ह़ज की अदाएगी फ़र्ज़ न होने का हुक्म दिया है उन में बेटी की शादी को शुमार नहीं किया लिहाज़ा इस वज्ह से जो ह़ज मुअख़्ख़र करेगा गुनाहगार होगा चन्द साल तक न किया तो फ़ासिक़ है और उस की गवाही मरदूद मगर जब करेगा अदा ही है क़ज़ा नहीं।

बा'ज़ लोगों का ख़याल होता है कि अगर ह़ज करने जाएंगे तो बच्चियों की शादी के लिये पैसे नहीं बचेंगे तो याद रहे कि शादी के लिये कसीर अख़राजात करना न फ़र्ज़ है न लाज़िम बल्कि बा'ज़ सूरतों में गुनाह जैसे गाने बाजे और ना जाइज़ रस्मों पर ख़र्च करना तो शरीअ़त के मुताबिक़ और सादगी से शादी करें जिस के लिये कसीर माल होना कोई ज़रूरी नहीं। दूसरी बात येह है कि ह़ज करना मुफ़्लिसी पैदा नहीं करता बल्कि ह़ज तो ग़नी बनाता है लिहाज़ा ह़ज करें मुक़द्दस मक़ामात पर जा कर दुआ़ करें, **अल्लाह** करीम बेहतर अस्बाब पैदा फ़रमाएगा।[1] ह़दीसे पाक में है : ह़ज करो ग़नी हो जाओगे।[2]

सुवाल ह़ज के अरकान कितने और कौन कौन से हैं नीज़ इस का रुक्ने आ'ज़म कौन सा है ?

जवाब ह़ज के दो रुक्न हैं : (1) त़वाफ़ुज़्ज़ियारह (2) वुक़ूफ़े अ़रफ़ा।[3] 9 ज़ुल ह़िज्जा को वुक़ूफ़े अ़रफ़ा ह़ज का रुक्ने आ'ज़म है।[4]

सुवाल एह़राम के क्या मा'ना हैं ?

जवाब एह़राम के लफ़्ज़ी मा'ना हैं : ह़राम करना, क्यूं कि एह़राम बांधने वाले पर बा'ज़ ह़लाल बातें भी ह़राम हो जाती हैं।[5]

सुवाल एह़राम की ह़ालत में इ़त्र की शीशी हाथ में ली और हाथ में ख़ुश्बू लग गई तो क्या कफ़्फ़ारा है ?

1... मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 104

2... مصنّف عبدالرزاق، باب فضل الحج، 5/8، حدیث: 2359

3... در مختار، کتاب الحج، 3/537

4... रफ़ीक़ुल ह़रमैन, स. 159, 160

5... रफ़ीक़ुल मो'तमिरीन, स. 28

जवाब अगर लोग देख कर कहें कि येह बहुत सी ख़ुश्बू लग गई है अगर्चे उ़ज़्व के थोड़े से हिस्से में लगी हो तो दम वाजिब है, वरना मा'मूली सी ख़ुश्बू भी लग गई तो सदक़ा है।(1)

सुवाल क्या एह़राम की ह़ालत में जूं भी नहीं मार सकते ?

जवाब जी हां ! जूं मारना, फेंकना, किसी को मारने के लिये इशारा करना, कपड़ा उस के मारने के लिये धोना या धूप में डालना, बालों में जूं मारने के लिये किसी क़िस्म की दवा वग़ैरा डालना, ग़रज़े कि किसी त़रह़ उस के हलाक पर बाइ़स होना येह सब ह़राम है।(2)

सुवाल इज़्तिबाअ़ किसे कहते हैं ?

जवाब मर्द अपनी चादर सीधे हाथ की बग़ल के नीचे से निकाल कर उस के दोनों पल्ले उलटे कन्धे पर इस त़रह़ डाले कि सीधा कन्धा खुला रहे।(3)

सुवाल इस्तिलाम क्या है ?

जवाब ह़जरे अस्वद को बोसा देने या हाथ या लकड़ी से छू कर चूम लेने या इशारा कर के हाथों को बोसा देने को इस्तिलाम कहते हैं।(4)

सुवाल सई किसे कहते हैं ?

जवाब सफ़ा व मर्वह के दरमियान दौड़ने को सई कहते हैं।(5)

सुवाल रमी किसे कहते हैं ?

जवाब जमरात (या'नी शैत़ानों) पर कंकरियां मारना रमी कहलाता है।(6)

सुवाल रमल किसे कहते हैं ?

1... बहारे शरीअ़त, 1/1163, हिस्सा : 6 माख़ूज़न
2... फ़तावा रज़विय्या, 10/733 माख़ूज़न
3... ردالمحتار، کتاب الحج، مطلب فی دخول مکۃ، 3/579
4... ردالمحتار، کتاب الحج، مطلب فی دخول مکۃ، 3/578, बहारे शरीअ़त, 1/1096, हिस्सा : 6
5... बहारे शरीअ़त, 1/1048, हिस्सा : 6
6... रफ़ीक़ुल ह़रमैन, स. 60

जवाब अकड़ कर शाने (कन्धे) हिलाते हुए छोटे छोटे क़दम उठाते हुए क़दरे (या'नी थोड़ा) तेज़ी से चलना ।[1]

सुवाल त़वाफ़ में कितने फेरे और कितने इस्तिलाम होते हैं ?

जवाब सात (7) फेरे और आठ (8) इस्तिलाम ।[2]

सुवाल तक़्सीर की ता'रीफ़ बताइये ।

जवाब तक़्सीर या'नी कम अज़् कम चौथाई (1/4) सर के बाल उंगली के पोरे बराबर कटवाना ।[3]

सुवाल ख़्वातीन की तक़्सीर का आसान त़रीक़ा क्या है ?

जवाब इस का आसान त़रीक़ा येह है कि अपनी चुटिया के सिरे को उंगली के गिर्द लपेट कर उतना ह़िस्सा काट लें, लेकिन येह एह़तियात् लाज़िमी है कि कम अज़् कम चौथाई (1/4) सर के बाल पोरे के बराबर कट जाएं ।[4]

सुवाल औ़रत जो उ़म्रह के त़वाफ़ व सई से फ़ारिग़ हो चुकी, अभी तक़्सीर नहीं की वोह अपने शौहर के एह़राम से निकलने के वक़्त (या'नी उस के उ़म्रह के त़वाफ़ व सई से फ़ारिग़ होने के बा'द) क्या उस का ह़ल्क़ या तक़्सीर कर सकती है ?

जवाब जी हां ! कर सकती है कि जब एह़राम से बाहर होने का वक़्त आ गया तो अब मोह़रिम अपना या दूसरे का सर मूंड सकता है, अगर्चे येह दूसरा भी मोह़रिम हो और इस का एह़राम से बाहर होने का वक़्त आ गया हो ।[5]

सुवाल त़वाफ़ में कितनी और कौन कौन सी बातें ह़राम हैं ?

जवाब त़वाफ़ में सात बातें ह़राम हैं : (1) बे वुज़ू त़वाफ़ करना (2) जो उ़ज़्व सत्र में दाख़िल है उस का चौथाई (1/4) ह़िस्सा खुला होना, मसलन रान या आज़ाद औ़रत का कान या कलाई (3) बे मजबूरी सुवारी पर या किसी की गोद में या कन्धों पर त़वाफ़ करना (4) बिला उ़ज़्र बैठ कर सरक्ना या घुटनों पर चलना (5) का'बे को सीधे हाथ पर ले कर उलटा त़वाफ़ करना (6) त़वाफ़ में ''ह़त़ीम'' के अन्दर हो कर गुज़रना (7) सात फेरों से कम करना ।[6]

1... فتاویٰ ہندیہ، کتاب المناسک، الباب الخامس فی کیفیۃ اداء الحج، 1/226

2... रफ़ीक़ुल मो'तमिरीन, स. 114

3... فتاویٰ ہندیہ، کتاب المناسک، الباب الخامس فی کیفیۃ اداء الحج، 1/231

4... रफ़ीक़ुल मो'तमिरीन, स. 138

5... मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 117

6... फ़तावा रज़विय्या, 10/744, बहारे शरीअ़त, 1/1112, 1113, ह़िस्सा : 6

औरत का बिगै़र मह्रम के ह्ज व उ़म्रह पर जाना कैसा ?

सुवाल क्या कोई औ़रत बिगै़र मह्रम ह्ज व उ़म्रे के लिये जा सकती है ? जब कि औ़रत बिगै़र मह्रम दीगर ममालिक और अपने मुल्क में दीगर शहरों का सफ़र करती है तो ह्ज या उ़म्रे के लिये क्यूं नहीं जा सकती ? किसी औ़रत के पास मह्दूद रक़म हो जिस से वोह ख़ुद ह्ज या उ़म्रह कर सकती है तो क्या किसी ग्रूप या फ़ेमिली के साथ जा सकती है ?

जवाब जिस औ़रत को ह्ज व उ़म्रह या किसी और काम के लिये शर्ई़ सफ़र करना पड़े (शर्ई़ सफ़र से मुराद तीन दिन की राह या'नी तक़्रीबन 92 किलो मीटर या इस से ज़ाइद सफ़र करना पड़े बल्कि ख़ौफ़े फ़ित्ना की वज्ह से तो उ़लमा एक दिन की राह जाने से भी मन्अ़ करते हैं) तो उस के हमराह शौहर या मह्रम होना शर्त़ है, इस के बिगै़र सफ़र करना ना जाइज़ व ह़राम है। लिहाज़ा येह हुक्म सिर्फ़ ह्ज व उ़म्रे के साथ ख़ास़ नहीं बल्कि किसी भी जगह शर्ई़ सफ़र करना पड़े तो येही हुक्म होगा ख़्वाह औ़रत कितनी ही बूढ़ी हो, बिगै़र मह्रम सफ़र नहीं कर सकती, किसी ग्रूप व फ़ेमिली के साथ भी नहीं जा सकती अगर जाएगी तो गुनहगार होगी और उस के हर क़दम पर गुनाह लिखा जाएगा।[1]

सुवाल सफ़रे ह्ज के दौरान मौत आने की क्या फ़ज़ीलत है ?

जवाब हुज़ूरे अकरम, शफ़ीए़ मुअ़ज़्ज़म صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : जो ह्ज के लिये निकला और मर गया क़ियामत तक उस के लिये ह्ज का सवाब लिखा जाएगा।[2]

सुवाल ह्ज्जे मबरूर किसे कहते हैं और इस का सवाब क्या है ?

जवाब वोह ह्ज जिस में रियाकारी और नामवरी का कोई शाएबा भी न हो और न ही कोई फ़ोह्श कलामी हो और न कोई गुनाह और वोह ह्ज माले ह़लाल से हो।[3] ह़दीसे पाक में है : ह्ज्जे मबरूर का सवाब जन्नत ही है।[4]

सुवाल मीक़ात कितने और कौन कौन से हैं ?

जवाब मीक़ात पांच हैं : (1) **ज़ुल हुलैफ़ा :** येह मदीनए त़य्यिबा से मक्कए मुकर्रमा आने वालों के लिये मीक़ात है। (2) **ज़ाते इ़र्क़ :** येह इ़राक़ वालों के लिये मीक़ात है। (3) **जुह़्फ़ा :** येह अहले शाम

1... मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 114

2... مسند ابی یعلی، مسند ابی ہریرۃ، 5/441، حدیث:6327

3... شرح الموطا للزرقانی، کتاب الحج، باب جامع ماجاء فی العمرۃ، 2/376، تحت الحدیث:783

4... بخاری، کتاب العمرۃ، باب العمرۃ... الخ، 1/586، حدیث:1773

के लिये मीक़ात है। (4) **क़र्नुल मनाज़िल :** येह नज्द (रियाज़) से आने वालों के लिये मीक़ात है। (5) **यलम्लम :** येह अहले यमन के लिये मीक़ात है।[1]

सुवाल का'बए मुशर्रफ़ा पर जब पहली नज़र पड़े तो क्या करना चाहिये ?

जवाब जूं ही पहली नज़र पड़े तीन बार "لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ" कहिये और दुरूद शरीफ़ पढ़ कर दुआ़ मांगिये कि का'बतुल्लाह शरीफ़ पर पहली नज़र जब पड़ती है उस वक़्त मांगी हुई दुआ़ ज़रूर क़बूल होती है।[2]

सुवाल दौराने त़वाफ़ सीना या पीठ का'बे की त़रफ़ हो जाए तो क्या हुक्म है ?

जवाब भीड़ के सबब या बे ख़याली में किसी त़वाफ़ के दौरान थोड़ी देर के लिये अगर सीना या पीठ का'बे की त़रफ़ हो जाए तो त़वाफ़ में सीना या पीठ किये जितना फ़ासिला तै़ किया हो उतने फ़ासिले का इआ़दा (यानी दोबारा करना) वाजिब है और अफ़्ज़ल येह है कि वोह फेरा ही नए सिरे से कर लिया जाए।[3]

सुवाल त़वाफ़ व सई में कौन से सात काम जाइज़ हैं ?

जवाब (1) सलाम करना (2) जवाब देना (3) ज़रूरत के वक़्त बात करना (4) पानी पीना (सई में खा भी सकते हैं) (5) ह़म्दो ना'त या मन्क़बत के अश्आ़र आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना (6) दौराने त़वाफ़ नमाज़ी के आगे से गुज़रना कि त़वाफ़ भी नमाज़ ही की त़रह़ है मगर सई के दौरान गुज़रना जाइज़ नहीं (7) फ़तवा पूछना या फ़तवा देना।[4]

त़वाफ़ या सई के दौरान कुछ देर आराम करना कैसा ?

सुवाल त़वाफ़ या सई के दौरान थकन की वज्ह से कुछ देर आराम कर सकते हैं ?

जवाब त़वाफ़ और सई के फेरे लगाने में इन का पै दर पै होना सुन्नत है और बिला उ़ज़्र इन में फ़ासिला करना मक्रूह है। उ़ज़्र से मुराद वुज़ू करना या जमाअ़त क़ाइम होना या जनाज़ा आ जाना या पेशाब पाख़ाना की ह़ाजत होना या थक जाना है। लिहाज़ा अगर त़वाफ़ या सई के चन्द चक्कर लगाने

1... مسلم، کتاب الحج، باب مواقیت الحج والعمرۃ، ص466، حدیث:2809، 2810

2... रफ़ीक़ुल मो'तमिरीन, स. 40

3... रफ़ीक़ुल मो'तमिरीन, स. 139

4... المسلک المتقسط، باب دخول مکۃ، فصل فی مباحاتہ، ص162-164، फ़तावा रज़विय्या, 10/745

के बा'द थकावट महसूस हुई और कुछ देर आराम कर लिया फिर जहां से सई या त़वाफ़ छोड़ा था वहां से दोबारा शुरूअ़ कर दिया तो जाइज़ है अलबत्ता अगर बहुत ज़ियादा फ़ासिला कर दिया हो तो शुरूअ़ से करना मुस्तह़ब है।[1]

मिना में पांच नमाज़ें और ह़ज से क़ब्ल वुक़ूफ़ का हुक्म

सुवाल मिना में वुक़ूफ़ और पांच नमाज़ें पढ़ने का क्या हुक्म है ?

जवाब आठ ज़ुल ह़िज्जा की नमाज़े ज़ोह्र से ले कर नवीं ज़ुल ह़िज्जा की नमाज़े फ़ज्र तक पांच नमाज़ें मिना में पढ़ना और आठ और नव ज़ुल ह़िज्जा की दरमियानी रात मिना में गुज़ारना सुन्नते मुअक्कदा है। अगर कोई इस सुन्नत को तर्क कर दे तो वोह इसाअत का मुरतकिब होगा। फ़ी ज़माना बा'ज़ मुअ़ल्लिम अ़रफ़ा की पूरी रात मिना में गुज़ारने और फ़ज्र की नमाज़ मिना में पढ़ने का मौक़अ़ नहीं देते रात ही में अ़रफ़ात पहुंचा देते हैं बूढ़े अफ़्राद या फ़ेमिली वालों का अपने त़ौर पर अगले दिन फ़ज्र पढ़ कर अ़रफ़ात के लिये जाना बहुत सख़्त दिक़्क़त का काम है। जवान अफ़्राद में से भी जो पहली बार गया है वोह भी अकेला अ़रफ़ात पहुंच कर अपने ख़ैमे तक पहुंच जाए येह बहुत मुश्किल होता है लिहाज़ा ऐसी सूरत में ब अम्रे मजबूरी क़ाफ़िले के साथ ही अ़रफ़ात की त़रफ़ निकला जा सकता है। वाज़ेह़ हो कि यहां ह़रज की वज्ह से सुन्नते मुअक्कदा के तर्क की ख़ास मौक़अ़ पर इजाज़त दी गई है। ह़ज के बा'द बहुत सारे लोग मह़्ज़ आराम त़लबी के लिये मिना की रातें अ़ज़ीज़िया या अपने होटल में कहीं और गुज़ारते हैं वोह बुरा करते हैं वहां रुख़्सत की गुन्जाइश नहीं।[2]

सुवाल ब ह़ालते एह़राम अगर वुज़ू करने में बाल झड़ें तो क्या इस पर भी कफ़्फ़ारा है ?

जवाब वुज़ू करने में, खुजाने में या कंघा करने में अगर दो या तीन बाल गिरे तो हर बाल के बदले में एक एक मुठ्ठी अनाज या एक एक टुकड़ा रोटी या एक छुवारा ख़ैरात करें और तीन से ज़ियादा गिरे तो सदक़ा देना होगा।[3]

सुवाल एह़राम में ख़ुश्बू लगा ली और कफ़्फ़ारा भी दे दिया तो अब लगी रहने दें या क्या करें ?

जवाब ख़ुश्बू लगाना जब जुर्म क़रार पाया तो बदन या कपड़े से दूर करना वाजिब है और कफ़्फ़ारा देने के बा'द अगर ज़ाइल (या'नी दूर) न किया तो फिर दम वग़ैरा वाजिब होगा।[4]

1... मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 111
2... मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 108
3... المسلک المتقسط، باب الجنایات، فصل فی سقوط الشعر، ص327
4... فتاویٰ ہندیہ، کتاب المناسک، الباب الثامن فی الجنایات، 1/241

ह़ालते एह़राम में कपड़े या टिशू पेपर से नाक साफ़ करना कैसा ?

सुवाल ह़ालते एह़राम में ज़ुकाम होने की सूरत में क्या कपड़े या टिशू पेपर से नाक साफ़ कर सकते हैं ? नीज़ चेहरे से कपड़े के ज़रीए़ पसीना साफ़ करने का क्या ह़ुक्म है ?

जवाब एह़राम की ह़ालत में ज़ुकाम हो जाए तो कपड़े या टिशू पेपर से उसे साफ़ नहीं कर सकते, ऐसे मौक़ए़ पर कपड़ा नाक से दूर रखते हुए कुछ क़रीब कर के उस में नाक साफ़ कर ली जाए, इसी त़रह़ कपड़े वग़ैरा से पसीना साफ़ करने की भी इजाज़त नहीं।

मस्अले की तफ़्सील येह है कि ह़ालते एह़राम में मोह़रिम पर लाज़िम होता है कि वोह अपना चेहरा खुला रखे, किसी भी चीज़ से न छुपाए ख़्वाह वोह चीज़ कपड़ा हो या कोई और चीज़ मसलन टिशू पेपर, नाक या पसीना साफ़ करने के लिये जब कपड़ा या टिशू पेपर चेहरे के किसी ह़िस्से मसलन नाक या पेशानी वग़ैरा पर रखेंगे तो चेहरा छुप जाएगा जिस की मोह़रिम को इजाज़त नहीं लिहाज़ा कपड़े और टिशू पेपर वग़ैरा से ज़ुकाम होने पर नाक साफ़ करने और पसीना साफ़ करने की इजाज़त नहीं।[1]

औ़रत का ह़ज व उ़म्रह के लिये एह़राम (ख़ुसूसी स्कार्फ़) लेना कैसा ?

सुवाल औ़रत को ह़ज या उ़म्रह करने के लिये एह़राम (ख़ुसूसी स्कार्फ़) लेना ज़रूरी है या वोह अपने अ़बाया में भी उ़म्रह कर सकती है ?

जवाब ह़ज या उ़म्रह या दोनों की निय्यत कर के तल्बिया (لَبَّیْکَ اَللّٰھُمَّ لَبَّیْکَ۔۔۔اِلَخ) पढ़ते हैं जिस से बा'ज़ ह़लाल चीज़ें भी ह़राम हो जाती हैं इस को एह़राम कहते हैं और मजाज़न उन दो अनसिली सफ़ेद चादरों को एह़राम कह दिया जाता है जो ह़ालते एह़राम में इस्ति'माल की जाती हैं लेकिन येह चादरें एह़राम नहीं हैं सिर्फ़ मर्दों के लिये इस वज्ह से ज़रूरी हैं कि मर्दों के लिये ह़ालते एह़राम में सिला हुवा कपड़ा पहनना ह़राम है लेकिन औ़रतों के लिये ऐसा नहीं है उन्हें ह़ालते एह़राम में सिले हुए कपड़े मोज़े दस्ताने पहनने की इजाज़त है बल्कि चेहरे, दोनों हाथ पहुंचों तक, क़दम और उन की पुश्त के इ़लावा ह़स्बे मा'मूल अपना सारा बदन छुपाना फ़र्ज़ है सिर्फ़ चेहरा खुला रखना ज़रूरी है कि इस को ह़ालते एह़राम में इस त़रह़ छुपाना कि कपड़ा वग़ैरा चेहरे से मस कर रहा हो औ़रत के लिये ह़राम है हां अज्नबियों से पर्दा करने के लिये चेहरे के सामने चेहरे से जुदा किसी चीज़ की आड़ कर ले मसलन गत्ता वग़ैरा या हाथ वाला पंखा चेहरे के सामने रखे लिहाज़ा औ़रत अपने अ़बाया में या किसी भी क़िस्म के

1... मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 106

कपड़े जिन में चेहरे के इलावा सारा जिस्म छुपा हुवा हो हज या उमरह कर सकती है ख़ास एहराम के नाम पर जो बाज़ार से स्कार्फ़ मिलता है वोह पहनना ज़रूरी नहीं है।

याद रहे कि पहुंचों तक कलाइयों से नीचे नीचे तक हाथ और क़दम और उस की पुश्त खुली रख सकती है मगर छुपाना चाहे तो इस में भी हरज नहीं बल्कि बेहतर है इस लिये दस्ताने और मोज़े पहन सकती है हां चेहरा हरगिज़ नहीं छुपा सकती खुला रखना ज़रूरी है जो तरीक़ा बयान हुवा चेहरे से जुदा किसी चीज़ से आड़ कर ले इसी सूरत पर अमल कर सकती है।[1]

सुवाल मोहरिम ने अगर भूल कर सिला हुवा लिबास पहन लिया और याद आते ही उतार दिया तो कोई कफ़्फ़ारा वग़ैरा है या नहीं ?

जवाब कफ़्फ़ारा है ! अगर्चे एक लम्हे के लिये पहना हो। जान बूझ कर पहना हो या भूले से "सदक़ा" वाजिब हो गया और अगर चार पहर या इस से ज़ियादा चाहे लगातार कई दिन तक पहने रहा "दम" वाजिब होगा।[2]

सुवाल रहमते आलम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने कितने उमरे और फ़र्ज़िय्यते हज के बा'द कितने हज किये ?

जवाब मुफ़्ती अहमद यार ख़ान رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : हुज़ूर नबिय्ये पाक صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने बा'दे फ़र्ज़िय्यते हज सिर्फ़ एक हज किया, उमरे कुल चार किये।[3]

सुवाल नफ़्ल हज व उमरह करना अफ़्ज़ल है या किसी ग़रीब मक़रूज़ तंगदस्त की मदद करना ?

जवाब नफ़्ली कामों के बारे में क़ाइदा येह है कि जिस की हाजत ज़ियादा हो और जिस का नफ़्अ ज़ियादा हो वोह अफ़्ज़ल होता है लिहाज़ा अगर किसी मोहताज शख़्स को बहुत ज़ियादा हाजत हो तो उस की मदद करना नफ़्ली हज व उमरह करने से अफ़्ज़ल है वरना नफ़्ली हज व उमरह सदक़ा करने से अफ़्ज़ल है।[4]

सबक़ नम्बर 45 — उमरह का बयान

उमरह की फ़ज़ीलत

हुज़ूर नबिय्ये करीम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : उमरह से उमरह तक उन गुनाहों का

1... मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 118

2... فتاوی ہندیہ، کتاب المناسک، الباب الثامن فی الجنایات، 1/242

3... मिरआतुल मनाजीह, 4/108

4... मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 105

कफ़्फ़ारा है जो दरमियान में हुए और ह़ज्जे मबरूर का सवाब जन्नत ही है।[1]

सुवाल उ़म्रे के त़वाफ़ का एक फेरा छूट गया तो क्या कफ़्फ़ारा है ?

जवाब उ़म्रे का त़वाफ़ फ़र्ज़ है, इस का अगर एक फेरा भी छूट गया तो दम वाजिब है, अगर बिल्कुल त़वाफ़ न किया या अक्सर (या'नी चार फेरे) तर्क किये तो कफ़्फ़ारा नहीं बल्कि इन का अदा करना लाज़िम है।[2]

सुवाल त़वाफ़ के फेरों में शक हो जाए तो क्या करें ?

जवाब त़वाफ़ के फेरों में शक वाक़ेअ़ हुवा कि कितने हुए तो अगर त़वाफ़ फ़र्ज़ या वाजिब है तो अब से सात फेरे करे और अगर किसी एक आ़दिल शख़्स ने बता दिया कि इतने फेरे हुए तो उस के क़ौल पर अ़मल कर लेना बेहतर है और दो आ़दिल ने बताया तो उन के कहे पर ज़रूर अ़मल करे और अगर त़वाफ़ फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है तो ग़ालिब गुमान पर अ़मल करे।[3]

सबक़ नम्बर 46 ज़ब्ह़ और क़ुरबानी का बयान

क़ुरबानी एक माली इ़बादत है। येह ऐसा अ़ज़ीम अ़मल है जो पिछली उम्मतों में भी मौजूद था, पारह 17, सूरतुल ह़ज्ज, आयत : 34 में इर्शाद होता है :

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْۢ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِؕ فَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَلَهٗۤ اَسْلِمُوْاؕ (پ17،الحج:34)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और हर उम्मत के लिये हम ने एक क़ुरबानी मुक़र्रर फ़रमाई कि **अल्लाह** का नाम लें उस के दिये हुए बे ज़बान चौपायों पर तो तुम्हारा मा'बूद एक मा'बूद है तो उसी के ह़ुज़ूर गरदन रखो।

क़ुरबानी के दिन का सब से प्यारा अ़मल

उम्मुल मुअमिनीन ह़ज़रते आ़इशा सिद्दीक़ा رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا से मरवी है कि प्यारे प्यारे आक़ा, दो जहां के मौला صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि यौमुन्नह़्र (दसवीं ज़ुल ह़िज्जा) में इब्ने आदम का कोई अ़मल ख़ुदा

1 ...بخاری، کتاب العمرۃ، باب وجوب العمرۃ وفضلہا، 1/586، حدیث:1773

2 ...المسلک المتقسط، باب الجنایات، فصل فی الجنایۃ فی طواف العمرۃ، ص353

3 ...ردالمحتار، کتاب الحج، مطلب فی طواف القدوم، 3/582

के नज़्दीक ख़ून बहाने (कुरबानी करने) से ज़ियादा प्यारा नहीं और वोह जानवर क़ियामत के दिन अपने सींग और बाल और खुरों के साथ आएगा और कुरबानी का ख़ून ज़मीन पर गिरने से क़ब्ल ख़ुदा के नज़्दीक मक़ामे क़बूल में पहुंच जाता है, लिहाज़ा इस को ख़ुशदिली से करो ।[1]

कुरबानी करने के फ़ाएदे और सवाबात

सुवाल कुरबानी के सवाबात और फ़वाइद बयान कीजिये ।

जवाब ❋ ईद के दिन कुरबानी में माल ख़र्च करना **अल्लाह** पाक को सब से ज़ियादा मह़बूब (या'नी पसन्दीदा) है ।[2] ❋ कुरबानी करने वाले को कुरबानी के जानवर के हर बाल के बदले में एक नेकी मिलती है ।[3] ❋ जो सवाब की ख़ातिर ख़ुशदिली से कुरबानी करेगा तो वोह उस के लिये जहन्नम की आग से रुकावट हो जाएगी ।[4] ❋ कुरबानी नेकियों के पल्ले में रखी जाएगी जिस से नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा ।[5] ❋ कुरबानी करने वाले के लिये उस की कुरबानी सुवारी बन जाएगी जिस के ज़रीए वोह बा आसानी पुल सिरात़ से गुज़र जाएगा । और उस का हर उ़ज़्व कुरबानी पेश करने वाले के हर उ़ज़्व के लिये जहन्नम से आज़ादी का फ़िदया बनेगा ।[6] ❋ कुरबानी के जानवर का ख़ून ज़मीन पर गिरते ही गुनाहों को बख़्श दिया जाता है और बरोज़े क़ियामत कुरबानी का जानवर 70 गुना इज़ाफ़े के साथ मीज़ाने अ़मल में रखा जाएगा ।[7]

कुरबानी न करने के नुक़्सानात

सुवाल इस्तित़ाअ़त होने के बा वुजूद कुरबानी न करने के क्या नुक़्सानात हैं ?

जवाब ❋ कुरबानी की इस्तित़ाअ़त के बा वुजूद कुरबानी न करने वाले के मुतअ़ल्लिक़ हुज़ूर صَلَّى اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने नाराज़ी का इज़्हार करते हुए फ़रमाया : जिस शख़्स में कुरबानी करने की इस्तित़ाअ़त हो

1 ... ترمذی، کتاب الاضاحی، باب ماجاء فی فضل الاضحیہ، 3/162، حدیث:1498

2 ... معجم کبیر، 11/15، حدیث:10894

3 ... ترمذی، کتاب الاضاحی، باب ماجاء فی فضل الاضحیہ، 3/162، حدیث:1498

4 ... معجم کبیر، 3/84، حدیث:2736

5 ... اشعۃ اللمعات، کتاب الصلاۃ، باب فی الاضحیۃ، 1/654

6 ... مرقاۃ المفاتیح، کتاب الصلوۃ، باب فی الاضحیۃ، 3/574، تحت الحدیث:1470 مفھوما

7 ... سنن کبری للبیہقی، کتاب الضحایا، باب ما یستحب للمرء من ... الخ، 9/476، حدیث:19161

फिर भी वोह कुरबानी न करे तो वोह हमारी ईदगाह के क़रीब न आए।[1] जो सदक़ा और कुरबानी नहीं करता उस से आराम छीन लिया जाता है।[2]

मुतफ़र्रिक़ मसाइल

सुवाल कुरबानी किसे कहते हैं ?

जवाब मख़्सूस जानवर को मख़्सूस वक़्त में सवाब की निय्यत से ज़ब्ह़ करना कुरबानी कहलाता है।[3]

सुवाल कुरबानी किस पर वाजिब है ?

जवाब कुरबानी हर उस बालिग़ मुक़ीम मुसल्मान मर्द व औ़रत पर वाजिब है जो मालिके निसाब हो।[4] मालिके निसाब होने से मुराद येह है कि उस शख़्स के पास साढ़े बावन (52.5) तोले चांदी या उतनी मालिय्यत की रक़म या उतनी मालिय्यत का तिजारत का माल या उतनी मालिय्यत का ह़ाजते अस्लिय्या के इ़लावा सामान हो और उस पर **अल्लाह** पाक या बन्दों का इतना क़र्ज़ा न हो जिसे अदा कर के बयान कर्दा निसाब बाक़ी न रहे। फ़ुक़हाए किराम رَحِمَهُمُ اللّٰہُ السَّلَام फ़रमाते हैं : ह़ाजते अस्लिय्या (या'नी ज़रूरिय्याते ज़िन्दगी) से मुराद वोह चीज़ें हैं जिन की उ़मूमन इन्सान को ज़रूरत होती है और उन के बिग़ैर गुज़रे अवक़ात में शदीद तंगी व दुश्वारी मह़सूस होती है जैसे रहने का घर, पहनने के कपड़े, सुवारी, इ़ल्मे दीन से मुतअ़ल्लिक़ किताबें और पेशे से मुतअ़ल्लिक़ औज़ार वग़ैरा।[5]

सुवाल ज़कात व कुरबानी के निसाब में क्या फ़र्क़ है ?

जवाब ज़कात और कुरबानी के निसाब में दो फ़र्क़ हैं कुरबानी के निसाब में माले नामी (या'नी बढ़ने वाला) होना और साल गुज़रना शर्त़ नहीं है जब कि ज़कात में येह दोनों शर्तें हैं।

सुवाल कुरबानी के मुतअ़ल्लिक़ कुछ अह़काम बयान कीजिये।

जवाब ✽ कुरबानी वाजिब होने का सबब वक़्त है जब वोह वक़्त आया और कुरबानी वाजिब होने

1... ابن ماجہ، کتاب الاضاحی، باب الاضاحی واجبۃ ام لا، 3/529، حدیث:3123

2... फ़ैज़ाने बाबा फ़रीद, स. 65

3... در مختار، کتاب الاضحیۃ، 9/519

4... فتاوی ہندیہ، کتاب الاضحیۃ، باب فی تفسیرہا و رکنہا... الخ، 5/292 ملتقطا

5... अब्लक़ घोड़े सुवार, स. 6

की शराइत् पाई गईं तो कुरबानी वाजिब हो गई।[1] कुरबानी का वक़्त दसवीं (10) जुल हिज्जा के तुलूए सुब्हे सादिक़ से बारहवीं (12) के गुरूबे आफ़्ताब तक है। या'नी तीन दिन दो रातें।[2] जो लोग शहर में मुक़ीम हैं उन के लिये शर्त है नमाज़े ईद के बा'द कुरबानी करें,[3] फ़रमाने मुस्त़फ़ा صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم है : जिस ने पहले ज़ब्ह कर डाला वोह गोश्त है जो उस ने अपने घर वालों के लिये पहले ही से कर लिया है कुरबानी से उस को कुछ तअ़ल्लुक़ नहीं।[4] (3) जिस शख़्स पर कुरबानी वाजिब हो मगर उस के पास जानवर ख़रीदने के पैसे न हों तो उसे चाहिये कि क़र्ज़ ले कर या कोई चीज़ फ़रोख़्त कर के कुरबानी करे।[5] ✽ कुरबानी का जानवर मोटा ताज़ा अच्छा और बे ऐब होना ज़रूरी है, अगर थोड़ा सा ऐब हो तो कुरबानी मक्रूह होगी और अगर ज़ियादा ऐब है तो कुरबानी होगी ही नहीं।[6] अन्धा, लंगड़ा, काना, बेहद दुबला (कमज़ोर), तिहाई से ज़ियादा कान, दुम, सींग, थन वग़ैरा कटा हुवा, पैदाइशी त़ौर पर जिस के कान न हों और बीमार, इन सब जानवरों की कुरबानी जाइज़ नहीं।[7] ✽ कुरबानी के जानवरों में ऊंट की उ़म्र पांच साल, मसलन भेंस की उ़म्र दो साल और बकरे की एक साल होना ज़रूरी है, इस से कम हो तो कुरबानी न होगी अलबत्ता दुम्बा या भेड़ का छे माह का बच्चा जो देखने में साल का लगे, उस की कुरबानी जाइज़ है।[8] ✽ ज़ब्ह की चार रगों में से तीन का कट जाना काफ़ी है और अगर चारों में से हर एक का अक्सर हिस्सा भी कट गया तो जानवर ह़लाल है।[9] वोह चार रगें येह हैं : (1) हुल्क़ूम, (2) मुरी और (3, 4) वदजैन।[10]

साबिक़ा कुरबानी की रक़म सदक़ा करना/कुरबानी की रक़म का ह़ीला करना

सुवाल (1) अगर किसी शख़्स ने गुज़श्ता पांच साल की कुरबानियां न की हों जब कि वोह उस पर वाजिब थीं तो अब हर कुरबानी के बदले एक बकरे की ही क़ीमत सदक़ा करे या भेंस के हिस्सों के

1... در مختار، کتاب الاضحیۃ، 9/520

2... बहारे शरीअ़त, 3/336, हिस्सा : 15

3... बहारे शरीअ़त, 3/337, हिस्सा : 15

4... بخاری، کتاب الاضاحی، باب سنۃ الاضحیۃ، 3/571، حدیث:5545

5... फ़तावा अम्जदिय्या, 3/315 मुलख़्ख़सन

6... رد المحتار، کتاب الاضحیۃ، 9/536

7... فتاوی ہندیہ، کتاب الاضحیۃ، باب بیان محل اقامۃ الواجب، 5/297

8... در مختار، کتاب الاضحیۃ، 9/533

9... बहारे शरीअ़त, 5/313, हिस्सा : 15

10... در مختار مع رد المحتار، کتاب الذبائح، 9/491-493

हिसाब से 5 हिस्सों की रक़म सदक़ा करना भी जाइज़ है ? (2) जिस त़रह़ ज़कात की रक़म शरई ह़ीला करने से मद्रसे की ता'मीर (Construction) में लगाई जा सकती है क्या इसी त़रह़ पिछली क़ुरबानियों की जो रक़म अदा करना लाज़िम है वोह ह़ीले के ज़रीए़ मद्रसे की ता'मीर में लगा सकते हैं ?

जवाब (1) अगर किसी ने बिला उ़ज़्र पांच साल तक क़ुरबानी नहीं की तो वोह इस वाजिब को छोड़ने की वज्ह से गुनहगार हुवा, अब इस से तौबा भी करे और इस पर हर साल की क़ुरबानी के बदले एक बकरी की ही क़ीमत सदक़ा करना वाजिब है, भेंस के हिस्सों की क़ीमत सदक़ा नहीं कर सकते कि कुतुबे फ़िक़्ह में इस सूरत का येही हुक्म बयान किया गया है।

(2) जी हां ! गुज़श्ता सालों की क़ुरबानी की रक़म ह़ीलए शरइय्या के ज़रीए़ मद्रसे की ता'मीर वग़ैरा पर लगा सकते हैं क्यूं कि येह सदक़ए वाजिबा है और सदक़ाते वाजिबा मसलन ज़कात और सदक़ए फ़ित्र वग़ैरा का येही हुक्म है।[1]

चार अफ़राद का बराबर रक़म मिला कर जानवर क़ुरबान करना कैसा ?

सुवाल क्या फ़रमाते हैं उ़लमाए दीन व मुफ़्तियाने शरए़ मतीन इस बारे में कि अगर चार अफ़राद मिल कर बराबर बराबर रक़म डाल कर एक बड़ा जानवर मसलन भेंस ख़रीद कर ब निय्यते क़ुरबानी ज़ब्ह़ करें तो उन की क़ुरबानी हो जाएगी या नहीं ह़ालां कि बड़े जानवर में तो सात हिस्से होते हैं ? नीज़ उन में गोश्त की तक़्सीम किस त़रह़ होगी ?

जवाब सूरते मस्ऊला में इन चार अफ़राद की क़ुरबानी हो जाएगी कि भेंस, ऊंट वग़ैरा जानवरों में कम अज़ कम हर शख़्स का सातवां हिस्सा होना ज़रूरी है और इस से ज़ियादा हो तो ह़रज नहीं, गोश्त वज़्न कर के बराबर बराबर तमाम शुरका में तक़्सीम किया जाए।[2]

क़ुरबानी के जानवर में अ़क़ीक़े का हिस्सा शामिल करना

सुवाल भेंस, ऊंट वग़ैरा की क़ुरबानी में अ़क़ीक़े का हिस्सा शामिल करना जाइज़ है या नहीं ? क्या अ़क़ीक़े का हिस्सा शामिल करने से क़ुरबानी व अ़क़ीक़ा हो जाएंगे ?

---

1 ... मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 123
2 ... मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 124

जवाब भेंस, ऊंट की क़ुरबानी में अ़क़ीक़े का ह़िस्सा शामिल करना जाइज़ है और अ़क़ीक़े का ह़िस्सा शामिल करने से क़ुरबानी और अ़क़ीक़ा दोनों हो जाएंगे क्यूं कि क़ुरबानी के जानवर में दीगर वाजिबात या नफ़्ल इबादत की निय्यत करना जाइज़ है और फिर चाहे 7 ह़िस्सों में से सिर्फ़ एक ही ह़िस्से में क़ुरबानी की निय्यत हो और बाक़ी ह़िस्सों में दीगर वाजिबात व नवाफ़िल की निय्यत हो जैसे कफ़्फ़ारा व अ़क़ीक़े की निय्यत, क़ुरबानी और तमाम वाजिबात व नवाफ़िल सह़ीह़ हो जाएंगे।[1]

जानवर ज़ब्ह़ करते वक़्त तक्बीर भूल जाए तो गोश्त का क्या हुक्म है ?

सुवाल अगर कोई मुसल्मान जानवर ज़ब्ह़ करते वक़्त तक्बीर कहना भूल जाए तो उस ज़ब्ह़ कर्दा जानवर का गोश्त खाना ह़लाल है या नहीं ?

जवाब अगर वाक़ेई कोई जानवर ज़ब्ह़ करते वक़्त तक्बीर कहना भूल जाए तो ह़रज नहीं, उस जानवर का गोश्त खाना ह़लाल है।

बिग़ैर दांत वाली भेंस की क़ुरबानी

सुवाल ऐसी भेंस जिस की उ़म्र तो पूरी हो चुकी हो लेकिन अभी तक उस के दांत न निकले हों, उस की क़ुरबानी करने का शर्अ़न क्या हुक्म है ?

जवाब ऐसी भेंस जिस की उ़म्र इस्लामी ए'तिबार से दो साल मुकम्मल हो और उस में क़ुरबानी से मानेअ़ (रोकने वाला) कोई भी ऐ़ब न हो तो उस की क़ुरबानी बिला शुबा जाइज़ है, अगर्चे अभी तक उस के सामने वाले दो बड़े दांत न निकले हों (जिन की वज्ह से जानवर को उ़र्फ़ में "दोंदा या'नी दो दांत वाला" कहा जाता है) क्यूं कि शरीअ़त की त़रफ़ से क़ुरबानी के जानवरों की मुक़र्रर कर्दा उ़म्र का पूरा होना ज़रूरी है, बड़े दांत निकलना ज़रूरी नहीं।

अलबत्ता येह याद रहे कि सामने के दो बड़े दांतों का निकलना जानवर की उ़म्र पूरी होने की अ़लामत है, क्यूं कि ऊंट के पांच साल की उ़म्र के बा'द, भेंस वग़ैरा के दो साल बा'द और बकरी वग़ैरा के एक साल के बा'द ही दांत निकलते हैं, इस से पहले नहीं, लिहाज़ा अगर किसी जानवर के दांत न निकले हों तो ख़रीदने से पहले अच्छी त़रह़ तसल्ली कर ली जाए कि उस की उ़म्र मुकम्मल है या नहीं, अगर शक हो तो ऐसे जानवर को क़ुरबानी के लिये न ख़रीदा जाए, ख़ुसूसन इस दौर में कि जिस में झूट

1... मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 125

बोल कर जानवर बेचना आ़म हो चुका है।[1]

जिस जानवर के सींग निकाल दिये गए हों उस की क़ुरबानी

सुवाल किसी ने क़ुरबानी का ऐसा जानवर ख़रीदा जिस के सींग जड़ से निकाल दिये गए थे, फिर उस का ज़ख़्म भर कर ठीक हो गया और वहां खाल (Skin) जुड़ कर मुकम्मल ठीक हो गई तो अब क्या ऐसे जानवर की क़ुरबानी हो जाएगी ?

जवाब इस सूरत में ऐसे जानवर की क़ुरबानी जाइज़ है। तफ़्सील इस मस्अले में येह है कि जिस जानवर का सींग टूट गया हो, अगर सर के ऊपर वाला हिस्सा टूटा हो जो ज़ाहिर होता है तो क़ुरबानी जाइज़ है और अगर सर के अन्दर जड़ तक टूटे तो क़ुरबानी जाइज़ नहीं लेकिन इस सूरत में अगर सर का ज़ख़्म भर जाए जैसा कि सुवाल में ज़िक्र किया गया है तो अब क़ुरबानी जाइज़ है।[2]

मुसल्मान जन्नत में और ग़ैर मुस्लिम जहन्नम में हमेशा क्यूं रहेंगे ?

शैख़ुल इस्लाम हज़रते अ़ल्लामा आ़बिद अन्सारी सिन्धी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं :

मुसल्मान अपने अ़मल की वज्ह से नहीं बल्कि अच्छी निय्यत की वज्ह से हमेशा **जन्नत** में रहेगा क्यूं कि अगर अ़मल की वज्ह से जन्नत में रहता तो जितना अ़मल किया उतना या उस से चन्द गुना ज़ियादा ठहरता लेकिन चूंकि मुसल्मान की येह निय्यत होती है कि अगर वोह हमेशा ज़िन्दा रहा तो हमेशा इस्लाम पर क़ाइम रहेगा लिहाज़ा इस अच्छी निय्यत की वज्ह से **अल्लाह** पाक उसे **हमेशा के लिये जन्नत अ़ता फ़रमाएगा।**

इसी त़रह़ काफ़िर अपनी बुरी निय्यत की वज्ह से **हमेशा जहन्नम में रहेगा।** क्यूं कि उस की येही निय्यत होती है कि अगर वोह हमेशा ज़िन्दा रहा तो हमेशा काफ़िर रहेगा लिहाज़ा इस निय्यत की वज्ह से **अल्लाह** पाक उसे हमेशा जहन्नम में रखेगा।

(الرسائل الخمس للعلامۃ عابد السندی، ص215تا216)

1... मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 126-127

2... मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 127

चौथा बाब

मुआ़मलात का बयान

इस बाब में आप जानेंगे

1... ह़दीस में निकाह़ की अहमिय्यत

2... वलीमा की तारीफ़ और ह़ुक्म

3... वक़्फ़ की शराइत़ व अह़काम

4... ऑन लाइन ख़रीदो फ़रोख़्त से मुतअ़ल्लिक़ अहम मस्अला

5... मोबाइल कम्पनी से एडवान्स बेलेन्स ह़ासिल करना कैसा ?

6... मुक़द्दस तह़रीर वाले काग़ज़ात रद्दी में बेचना कैसा ?

सबक़ नम्बर 1

निकाह़ का बयान

क़ुरआन में निकाह़ की अहम्मिय्यत

इस्लाम एक ऐसा कामिल और अक्मल दीन है जिस ने इन्सान की हर शो'बे में रहनुमाई फ़रमाई है। **अल्लाह** करीम ने दुन्या में बहुत सी जानदार मख़्लूक़ात पैदा फ़रमाईं, उन में से किसी को नर और किसी को मादा बनाया और उन में फ़ित़री ख़्वाहिशात भी रखीं, इन्सान भी **अल्लाह** की मख़्लूक़ात में से एक मख़्लूक़ है, लिहाज़ा उसे भी शहवानी जज़्बा दिया गया लेकिन इन्सान को **अल्लाह** पाक ने चूंकि तमाम मख़्लूक़ात में अशरफ़ो आ'ला बनाया है इस लिये उसे फ़ित़री ख़्वाहिशात पूरी करने का ज़ाबित़ा भी इन्तिहाई अशरफ़ो आ'ला निकाह़ की सूरत में अ़त़ा फ़रमाया है, लिहाज़ा निकाह़ ही वोह वाह़िद ज़रीआ़ है जो फ़ित़री तक़ाज़ों को पूरा करने के लिये इस्लाम ने हमें अ़त़ा फ़रमाया और इस के ज़रीए़ हमें जानवरों से मुमताज़ कर दिया। क़ुरआने करीम में भी रब्बे करीम ने निकाह़ की तरग़ीब व अहम्मिय्यत को बयान किया। चुनान्चे

रब्बे करीम ने पारह नम्बर 4, सूरए निसाअ की आयत नम्बर 3 में इर्शाद फ़रमाया :

فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَ ثُلٰثَ وَ رُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً

(پ4، النسآء:3)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : तो निकाह़ में लाओ जो औ़रतें तुम्हें ख़ुश आएं दो दो और तीन तीन और चार चार, फिर अगर डरो कि दो बीबियों को बराबर न रख सकोगे तो एक ही करो।

आयत की तफ़्सीर

तफ़्सीरे सिरात़ुल जिनान में इस आयते मुबारका के तह़्त है कि लोग यतीमों की सर परस्ती में तो ना इन्साफ़ी करने से डरते थे लेकिन बहुत से निकाह़ करने में कुछ ख़त़रा मह़सूस नहीं करते थे, उन्हें बताया गया कि जब ज़ियादा औ़रतें निकाह़ में हों तो उन के ह़क़ में ना इन्साफ़ी से भी डरो जैसे यतीमों के ह़क़ में ना इन्साफ़ी करने से डरते हो और उतनी ही औ़रतों से निकाह़ करो जिन के ह़ुक़ूक़ अदा कर सको।

❀ इस आयत से मा'लूम हुवा कि आज़ाद मर्द के लिये एक वक़्त में चार औ़रतों तक से निकाह़ जाइज़ है। ❀ तमाम उम्मत का इज्माअ़ है कि एक वक़्त में चार औ़रतों से ज़ियादा निकाह़ में रखना किसी के लिये जाइज़ नहीं सिवाए रसूले करीम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के और येह बात आप صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

की ख़ुसूसिय्यात में से है। ❀ आयत में चार तक शादियां करने की इजाज़त दी गई है। ❀ लेकिन इस के साथ ही फ़रमाया कि अगर तुम्हें इस बात का डर हो कि एक से ज़ियादा शादियां करने की सूरत में सब के दरमियान अ़द्ल नहीं कर सकोगे तो सिर्फ़ एक से शादी करो। ❀ इसी से येह मा'लूम हुवा कि अगर कोई चार में अ़द्ल नहीं कर सकता लेकिन तीन में कर सकता है तो तीन शादियां कर सकता है और तीन में अ़द्ल नहीं कर सकता लेकिन दो में कर सकता है तो दो की इजाज़त है। ❀ येह भी मा'लूम हुवा कि बीवियों के दरमियान अ़द्ल करना फ़र्ज़ है, इस में नई, पुरानी, कुंवारी या दूसरे की मुत़ल्लक़ा, बेवा सब बराबर हैं। येह अ़द्ल लिबास में, खाने पीने में, रहने की जगह में और रात को साथ रहने में लाज़िम है। इन उमूर में सब के साथ यक्सां सुलूक हो।[1]

ह़दीस में निकाह़ की अहम्मिय्यत

❀ **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : ऐ जवानो ! तुम में जो कोई निकाह़ की इस्तित़ाअ़त रखता है वोह निकाह़ करे कि येह अजनबी औ़रत की त़रफ़ नज़र करने से निगाह को रोकने वाला है और शर्मगाह की ह़िफ़ाज़त करने वाला है और जिस में निकाह़ की इस्तित़ाअ़त नहीं वोह रोज़े रखे कि रोज़ा शह्वत को तोड़ने वाला है।[2]

❀ **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : जो मेरे त़रीक़े को मह़बूब रखे वोह मेरी सुन्नत पर चले और मेरी सुन्नत से निकाह़ है।[3]

निकाह़ की ता'रीफ़

निकाह़ उस अ़क़्द को कहते हैं जो इस लिये मुक़र्रर किया गया कि मर्द को औ़रत से जिमाअ़ वग़ैरा ह़लाल हो जाए।[4]

मश्हूर मुफ़स्सिर, ह़कीमुल उम्मत मुफ़्ती अह़मद यार ख़ान नईमी رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه निकाह़ का मा'ना और निकाह़ को निकाह़ कहने की वज्ह बयान करते हुए इर्शाद फ़रमाते हैं : निकाह़ का मत़लब जम्अ़ होना या'नी मिलना है, चूंकि निकाह़ की वज्ह से दो शख़्स या'नी ख़ावन्द व बीवी दाइमी मिल

1... तफ़्सीरे सिरात़ुल जिनान, पारह : 4, अन्निसाअ, तह़तल आयह : 3, 2/144, 145

2... بخاری، کتاب النکاح، باب من لم یستطع الباءۃ فلیصم، 3/422، حدیث:5066

3... کنز العمال، کتاب النکاح، الباب الاول فی الترغیب فیہ، جز16، 8/116، حدیث:44406

4... बहारे शरीअ़त, 2/4, ह़िस्सा : 7

कर ज़िन्दगी गुज़ारते हैं बल्कि निकाह़ से औ़रत व मर्द के ख़ानदान बल्कि निकाह़ से कभी दो मुल्क मिल जाते हैं इस लिये इसे निकाह़ कहते हैं। इस्तिलाहे शरीअ़त में येह लफ़्ज़ सोह़बत व अ़क़्द दोनों पर बोला जाता है।[(1)]

निकाह़ की शराइत़

निकाह़ के लिये चन्द शर्तें हैं : (1) आ़क़िल होना, मज्नूं या ना समझ बच्चे ने निकाह़ किया तो मुन्अ़क़िद ही न हुवा। (2) बुलूग़, ना बालिग़ अगर समझदार है तो मुन्अ़क़िद हो जाएगा मगर वली की इजाज़त पर मौक़ूफ़ रहेगा। (3) गवाह होना, या'नी ईजाब व क़बूल दो मर्द या एक मर्द और दो औ़रतों के सामने हों। गवाह आज़ाद, आ़क़िल, बालिग़ हों और सब ने एक साथ निकाह़ के अल्फ़ाज़ सुने। बच्चों और पागलों की गवाही से निकाह़ नहीं हो सकता।[(2)] सिर्फ़ औ़रतों या ख़ुन्से की गवाही से निकाह़ नहीं हो सकता, जब तक उन में के दो के साथ एक मर्द न हो।[(3)]

निकाह़ का हुक्म

❀ ए'तिदाल की ह़ालत में या'नी न शह्वत का बहुत ज़ियादा ग़लबा हो न इ़न्नीन (नामर्द) हो और मह्र व नफ़क़ा पर क़ुदरत भी हो तो निकाह़ सुन्नते मुअक्कदा है कि निकाह़ न करने पर अड़ा रहना गुनाह है। ❀ और अगर ह़राम से बचना ❀ या इत्तिबाए़ सुन्नत व ता'मीले हुक्म ❀ या औलाद ह़ासिल होना मक़्सूद है तो सवाब भी पाएगा। ❀ और अगर मह़्ज़ लज़्ज़त ❀ या क़ज़ाए शह्वत मन्ज़ूर हो तो सवाब नहीं। ❀ शह्वत का ग़लबा है कि निकाह़ न करे तो مَعَاذَاللّٰه अन्देशए ज़िना है और मह्र व नफ़क़ा की क़ुदरत रखता हो तो निकाह़ वाजिब। ❀ यूंही जब कि अजनबी औ़रत की त़रफ़ निगाह उठने से रोक नहीं सकता ❀ या مَعَاذَاللّٰه हाथ से काम लेना पड़ेगा तो निकाह़ वाजिब है। ❀ येह यक़ीन हो कि निकाह़ न करने में ज़िना वाक़ेअ़ हो जाएगा तो फ़र्ज़ है कि निकाह़ करे। ❀ अगर येह अन्देशा है कि निकाह़ करेगा तो नान नफ़क़ा न दे सकेगा ❀ या जो ज़रूरी बातें हैं उन को पूरा न कर सकेगा तो मक्रूह है। ❀ और इन बातों का यक़ीन हो तो निकाह़ करना ह़राम मगर निकाह़ बहर ह़ाल हो जाएगा।[(4)]

1... मिरआतुल मनाजीह़, 5/2 मुल्तक़त़न
2... बहारे शरीअ़त, 2/11, ह़िस्सा : 7
3... बहारे शरीअ़त, 2/12, ह़िस्सा : 7
4... बहारे शरीअ़त, 2/4 ता 5, ह़िस्सा : 7

निकाह़ के मुस्तह़ब्बात

निकाह़ में येह उमूर मुस्तह़ब हैं : (1) अ़लानिया होना। (2) निकाह़ से पहले ख़ुत़्बा पढ़ना, कोई सा ख़ुत़्बा हो और बेहतर वोह है जो ह़दीस में वारिद हुवा। (3) मस्जिद में होना। (4) जुमुआ़ के दिन। (5) गवाहाने आ़दिल के सामने। (6) औ़रत उ़म्र, ह़सब, माल, इ़ज़्ज़त में मर्द से कम हो और चाल चलन और अख़्लाक़ व तक़्वा व जमाल में बेश (ज़ियादा) हो। (7) जिस से निकाह़ करना हो उसे किसी मो'तबर औ़रत को भेज कर दिखवा ले और आ़दतो अत़्वार व सलीक़ा वग़ैरा की ख़ूब जांच कर ले कि आइन्दा ख़राबियां न पड़ें। (8) कुंवारी औ़रत से और जिस से औलाद ज़ियादा होने की उम्मीद हो निकाह़ करना बेहतर है। (9) सिन रसीदा (10) और बद ख़ुल्क़ (11) और ज़ानिया से निकाह़ न करना बेहतर। (12) औ़रत को चाहिये कि मर्द दीनदार, ख़ुश ख़ुल्क़, मालदार, सख़ी से निकाह़ करे, फ़ासिक़ बदकार से नहीं। (13) और येह भी न चाहिये कि कोई अपनी जवान लड़की का बूढ़े से निकाह़ कर दे। येह मुस्तह़ब्बाते निकाह़ बयान हुए। अगर इस के ख़िलाफ़ निकाह़ होगा जब भी हो जाएगा।[1]

निकाह़ के अल्फ़ाज़

अल्फ़ाज़े निकाह़ दो क़िस्म हैं : (1) एक सरीह़ (या'नी ऐसा लफ़्ज़ जिस से निकाह़ मुराद होना ज़ाहिर हो), येह सिर्फ़ दो लफ़्ज़ हैं। निकाह़ व तज़व्वुज, (2) बाक़ी किनाया हैं (या'नी ऐसा लफ़्ज़ जिस से निकाह़ मुराद होना तो ज़ाहिर नहीं मगर क़रीने से मा'निये निकाह़ समझा जाता हो)। अल्फ़ाज़े किनाया में उन लफ़्ज़ों से निकाह़ हो सकता है जिन से ख़ुद शै मिल्क में आ जाती है, मसलन हिबा, तम्लीक, सदक़ा, अ़त़िय्या, बैअ़, शिरा मगर इन में क़रीने की ज़रूरत है कि गवाह उसे निकाह़ समझें।[2]

निकाह़ के रुक्न

❀ ईजाब व क़बूल या'नी मसलन एक कहे मैं ने अपने को तेरी ज़ौजिय्यत में दिया। दूसरा कहे मैं ने क़बूल किया। येह निकाह़ के रुक्न हैं। ❀ पहले जो कहे वोह ईजाब है और उस के जवाब में दूसरे के अल्फ़ाज़ को क़बूल कहते हैं। ❀ येह कुछ ज़रूर नहीं कि औ़रत की त़रफ़ से ईजाब हो और मर्द की त़रफ़ से क़बूल बल्कि इस का उलटा भी हो सकता है।

1... बहारे शरीअ़त, 2/5 ता 6, ह़िस्सा : 7 मुल्तक़त़न
2... बहारे शरीअ़त, 2/8 ता 9, ह़िस्सा : 7

❀ ईजाब व क़बूल में माज़ी का लफ़्ज़ होना ज़रूरी है, मसलन यूं कहे कि मैं ने अपना या अपनी लड़की या अपनी मुअक्किला का तुझ से निकाह़ किया या इन को तेरे निकाह़ में दिया, वोह कहे मैं ने अपने लिये या अपने बेटे या मुअक्किल के लिये क़बूल किया। ❀ या एक त़रफ़ से अम्र का सीग़ा हो दूसरी त़रफ़ से माज़ी का, मसलन यूं कि तू मुझ से अपना निकाह़ कर दे या तू मेरी औ़रत हो जा, उस ने कहा : मैं ने क़बूल किया या ज़ौजिय्यत में दिया, (निकाह़) हो जाएगा। ❀ या एक त़रफ़ से ह़ाल का सीग़ा हो दूसरी त़रफ़ से माज़ी का, मसलन कहे तू मुझ से अपना निकाह़ करती है उस ने कहा किया, तो (निकाह़) हो गया या यूं कि मैं तुझ से निकाह़ करता हूं, उस ने कहा मैं ने क़बूल किया, तो (निकाह़) हो जाएगा। ❀ इन दोनों सूरतों में पहले शख़्स को इस की ज़रूरत नहीं कि कहे मैं ने क़बूल किया। और अगर कहा तू ने अपनी लड़की का मुझ से निकाह़ कर दिया, उस ने कहा कर दिया, या कहा हां, तो जब तक पहला शख़्स येह न कहे कि मैं ने क़बूल किया निकाह़ न होगा। ❀ और इन लफ़्ज़ों से कि निकाह़ करूंगा या क़बूल करूंगा निकाह़ नहीं हो सकता।[1]

चन्द अहम अह़काम

❀ (निकाह़ में) येह अम्र ज़रूरी है कि मन्कूह़ा (जिस लड़की से निकाह़ किया जा रहा है) गवाहों को मा'लूम हो जाए या'नी येह कि फ़ुलां औ़रत से निकाह़ होता है। इस के दो त़रीक़े हैं : ❀ एक येह कि अगर वोह मजलिसे अ़क़्द में मौजूद है तो उस की त़रफ़ निकाह़ पढ़ाने वाला इशारा कर के कहे कि मैं ने इस को तेरे निकाह़ में दिया अगर्चे औ़रत के मुंह पर निक़ाब पड़ा हो, बस इशारा काफ़ी है। ❀ और इस सूरत में अगर उस के या उस के बाप दादा के नाम में ग़लत़ी भी हो जाए तो कुछ ह़रज नहीं, कि इशारे के बा'द अब किसी नाम वग़ैरा की ज़रूरत नहीं और इशारे की ता'यीन के मुक़ाबिल कोई ता'यीन नहीं। ❀ दूसरी सूरत मा'लूम करने की येह है कि औ़रत और उस के बाप और दादा के नाम लिये जाएं कि फ़ुलाना बिन्ते फ़ुलां बिन फ़ुलां और अगर सिर्फ़ उसी के नाम लेने से गवाहों को मा'लूम हो जाए कि फ़ुलानी औ़रत से निकाह़ हुवा तो बाप दादा के नाम लेने की ज़रूरत नहीं, फिर भी एह़तियात़ इस में हैं कि उन के नाम भी लिये जाएं और इस की अस्लन ज़रूरत नहीं कि उसे पहचानते हों बल्कि येह जानना काफ़ी है कि फ़ुलानी और फ़ुलां की बेटी फ़ुलां की पोती है। ❀ और इस सूरत में अगर उस के या उस के बाप दादा के नाम में ग़लत़ी हुई तो निकाह़ न हुवा। ❀ और हमारी ग़रज़ नाम लेने से येह नहीं कि ज़रूर उस का नाम ही लिया जाए, बल्कि मक़्सूद येह है कि ता'यीन हो जाए, ख़्वाह नाम के ज़रीए़ से या यूं कि फ़ुलां बिन फ़ुलां बिन फ़ुलां की लड़की। ❀ और अगर उस की चन्द लड़कियां हों तो बड़ी

[1]... बहारे शरीअ़त, 2/7 हिस्सा : 7

या मंझली या संझली या छोटी ग़रज़ मुअ़य्यन हो जाना ज़रूर है। ❀ और चूंकि हमारे यहां औ़रतों का नाम मज्मअ़ में ज़िक्र करना मा'यूब है, लिहाज़ा येही पिछला त़रीक़ा यहां के ह़ाल के मुनासिब है।[1]

सबक़ नम्बर 2 — जिन औ़रतों से निकाह़ ह़राम है

क़ुरआन में मुह़र्रमात से निकाह़ न करने की अहम्मिय्यत

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَ بَنٰتُكُمْ وَ اَخَوٰتُكُمْ وَ عَمّٰتُكُمْ وَ خٰلٰتُكُمْ وَ بَنٰتُ الْاَخِ وَ بَنٰتُ الْاُخْتِ وَ اُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِیْۤ اَرْضَعْنَكُمْ وَ اَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَ اُمَّهٰتُ نِسَآىٕكُمْ وَ رَبَآىٕبُكُمُ الّٰتِیْ فِیْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَآىٕكُمُ الّٰتِیْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ٘-فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْكُمْ٘-وَ حَلَآىٕلُ اَبْنَآىٕكُمُ الَّذِیْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْۙ-وَ اَنْ تَجْمَعُوْا بَیْنَ الْاُخْتَیْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَؕ-اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِیْمًاۙ(۲۳) (پ4،النساء:23)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : ह़राम हुईं तुम पर तुम्हारी माएं और बेटियां और बहनें और फूफियां और ख़ालाएं और भतीजियां और भान्जियां और तुम्हारी माएं जिन्हों ने दूध पिलाया और दूध की बहनें और औ़रतों की माएं और उन की बेटियां जो तुम्हारी गोद में हैं उन बीबियों से जिन से तुम सोह़बत कर चुके हो तो फिर अगर तुम ने उन से सोह़बत न की हो तो उन की बेटियों में ह़रज नहीं और तुम्हारी नस्ली बेटों की बीबियें और दो बहनें इकठ्ठी करना मगर जो हो गुज़रा बेशक **अल्लाह** बख़्शने वाला मेह़रबान है।

मुह़र्रमात ख़्वातीन

मुह़र्रमात वोह औ़रतें हैं जिन से निकाह़ ह़राम है और ह़राम होने के चन्द सबब हैं। इन अस्बाब की वज्ह से ह़राम होने वाली औ़रतों की नव क़िस्में हैं :

(1) ह़ुर्मते नसब : पहली क़िस्म वोह औ़रतें हैं जो नसब की वज्ह से ह़राम हैं। इस क़िस्म में सात औ़रतें हैं : (1) मां, (2) बेटी, (3) बहन, (4) फूफी, (5) ख़ाला, (6) भतीजी, (7) भान्जी।[2]

1... बहारे शरीअ़त, 2/15, 16, ह़िस्सा : 7

2... क़ानूने शरीअ़त, स. 275

(2) ह़ुर्मते मुसाहरत या'नी सुसराली रिश्ते : दूसरी क़िस्म में वोह औ़रतें हैं जो मुसाहरत (सुसराली रिश्ते) की वज्ह से ह़राम हैं। (1) ज़ौजए मौतूआ की लड़कियां, (2) ज़ौजा की मां, (3) दादियां, नानियां, (4) बाप, दादा वग़ैरा उसूल की बीबियां, (5) बेटे पोते वग़ैरा फ़ुरूअ़ की बीबियां।[1]

(3) वोह औ़रतें जो निकाह़ में जम्अ़ नहीं हो सकतीं : वोह दो औ़रतें कि उन में जिस एक को मर्द फ़र्ज़ करें, दूसरी उस के लिये ह़राम हो (मसलन दो बहनें कि एक को मर्द फ़र्ज़ करो तो भाई बहन का रिश्ता हुवा, या फूपी भतीजी कि फूपी को मर्द फ़र्ज़ करो तो चचा भतीजी का रिश्ता हुवा और भतीजी को मर्द फ़र्ज़ करो तो फूपी भतीजे का रिश्ता हुवा, या ख़ाला भान्जी कि ख़ाला को मर्द फ़र्ज़ करो तो मामूं भान्जी का रिश्ता हुवा और भान्जी को मर्द फ़र्ज़ करो तो भान्जे ख़ाला का रिश्ता हुवा) ऐसी दो औ़रतों को निकाह़ में जम्अ़ नहीं कर सकता बल्कि अगर त़लाक़ दे दी हो अगर्चे तीन त़लाक़ें तो जब तक इ़द्दत न गुज़र ले, दूसरी से निकाह़ नहीं कर सकता।[2]

(4) ह़ुर्मते मिल्क : चौथी क़िस्म में वोह औ़रतें हैं जो अपनी मिल्क में होने की वज्ह से ह़राम हैं। ❀ औ़रत अपने ग़ुलाम से निकाह़ नहीं कर सकती, ख़्वाह वोह तन्हा उसी की मिल्क में हो या कोई और भी उस में शरीक हो। ❀ मौला (आक़ा) अपनी बांदी से निकाह़ नहीं कर सकता मगर मुतअख़्ख़िरीन के नज़्दीक एह़तियात़ की वज्ह से निकाह़ कर लेना अच्छा है।[3]

(5) ह़ुर्मते शिर्क : पांचवीं क़िस्म में वोह औ़रतें हैं जिन के साथ निकाह़ करना शिर्क की वज्ह से ह़राम है। ❀ मुसल्मान का निकाह़ मजूसिया (आग की इ़बादत करने वाली), बुत परस्त, आफ़्ताब परस्त, सितारा परस्त औ़रत से नहीं हो सकता ख़्वाह येह औ़रतें ह़ुर्रा (आज़ाद) हों या बांदियां, ❀ ग़रज़ किताबिया (यहूदन और ईसाई औ़रत) के सिवा किसी काफ़िरा औ़रत से निकाह़ नहीं हो सकता।

(6) ह़ुर्मते मिल्क : ह़ुर्रा (आज़ाद औ़रत) के निकाह़ में होते हुए बांदी से निकाह़ करना। आज़ाद औ़रत निकाह़ में है और बांदी से निकाह़ किया, सह़ीह़ न हुवा।

(7) तअ़ल्लुक़े ह़क़्क़े ग़ैर की वज्ह से ह़ुर्मत : दूसरे की मन्कूह़ा से निकाह़ नहीं हो सकता बल्कि अगर दूसरे की इ़द्दत में हो जब भी नहीं हो सकता। इ़द्दत त़लाक़ की हो या मौत की या शुब्हे निकाह़ या निकाहे़ फ़ासिद में दुख़ूल की वज्ह से।

1... क़ानूने शरीअ़त, स. 275
2... बहारे शरीअ़त, 2/27, ह़िस्सा : 7
3... बहारे शरीअ़त, 2/30, ह़िस्सा : 7

(8) ज़ाइद ता'दाद की वज्ह से हु़र्मत : आठवीं क़िस्म में वोह औ़रतें हैं जो मुक़र्रर गिनती (या'नी चार) से ज़ियादा होने की वज्ह से ह़राम हैं। आज़ाद शख़्स को एक वक़्त में चार औ़रतों और गु़लाम को दो से ज़ियादा निकाह़ करने की इजाज़त नहीं।[1]

(9) हु़र्मते रिज़ाअ़त : नवीं क़िस्म में वोह औ़रतें हैं जो ग़ैर के बच्चे को अपना दूध पिलाएं।

❀ बच्चे ने जिस औ़रत का दूध पिया वोह उस बच्चे की मां हो जाएगी और उस का शौहर (जिस का येह दूध है या'नी उस की वत़ी से बच्चा पैदा हुवा जिस से औ़रत को दूध उतरा) इस दूध पीने वाले बच्चे का बाप हो जाएगा। ❀ और उस औ़रत की तमाम औलादें इस के भाई बहन ख़्वाह उसी शौहर से हों या दूसरे शौहर से, इस के दूध पीने से पहले की हैं या बा'द की या साथ की ❀ और औ़रत के भाई, मामूं और उस की बहन ख़ाला। ❀ यूंही उस शौहर की औलादें इस के भाई बहन और उस के भाई इस के चचा और उस की बहनें, इस की फूपियां ख़्वाह शौहर की येह औलादें उसी औ़रत से हों या दूसरी से। ❀ यूंही हर एक के बाप, मां इस के दादा, दादी, नाना, नानी।[2]

❀ बच्चे को दो बरस तक दूध पिलाया जाए, इस से ज़ियादा की इजाज़त नहीं। दूध पीने वाला लड़का हो या लड़की। ❀ और येह जो बा'ज़ अ़वाम में मश्हूर है कि लड़की को दो बरस तक और लड़के को ढाई बरस तक पिला सकते हैं येह सह़ीह़ नहीं। ❀ येह हु़क्म दूध पिलाने का है और निकाह़ ह़राम होने के लिये ढाई बरस का ज़माना है या'नी दो (2) बरस के बा'द अगर्चे दूध पिलाना ह़राम है मगर ढाई बरस के अन्दर अगर दूध पिला देगी, हु़र्मते निकाह़ साबित हो जाएगी। ❀ और इस के बा'द अगर पिया, तो हु़र्मते निकाह़ नहीं अगर्चे पिलाना जाइज़ नहीं।[3]

सबक़ नम्बर 3 — वली का बयान

वली की ता'रीफ़

वली वोह है जिस का क़ौल (बात) दूसरे पर नाफ़िज़ हो दूसरा चाहे या न चाहे।

1... बहारे शरीअ़त, 2/34, हिस्सा : 7 मुल्तक़त़न
2... बहारे शरीअ़त, 2/37, 38, हिस्सा : 7
3... बहारे शरीअ़त, 2/36, हिस्सा : 7

वली की शराइत़

वली का आ़क़िल बालिग़ होना शर्त़ है, बच्चा और मज्नून वली नहीं हो सकता। मुसल्मान के वली का मुसल्मान होना भी शर्त़ है कि काफ़िर को मुसल्मान पर कोई इख़्तियार नहीं, मुत्तक़ी होना शर्त़ नहीं। फ़ासिक़ भी वली हो सकता है।(1)

वली कौन ?

वली किसी के बनाने का नहीं होता, वोह शरीअ़ते मुत़ह्हरा ने तरतीब वार मुक़र्रर किये हैं। और यहां विलायत की वोही तरतीब मो'तबर है जो विरासत में मो'तबर है। मसलन सब में पहला वली बेटा है, फिर बाप, फिर सगा भाई, फिर सोतेला, फिर सगा भतीजा, फिर सोतेला, फिर सगा चचा, फिर सोतेला, फिर सगे चचा का बेटा, फिर सोतेले का। दादा, परदादा की औलाद का, जो मर्द आ़क़िल बालिग़ क़रीब तर होगा वोही वली है और इन में कोई न हो तो फिर मां वली है, फिर दादी, फिर नानी फिर इन के बा'द और दूसरे लोग।(2)

चन्द अहम अह़काम

❀ ना बालिग़ और मज्नून और लौंडी, ग़ुलाम के निकाह़ के लिये वली शर्त़ है, बिग़ैर वली इन का निकाह़ नहीं हो सकता। ❀ और ह़ुर्रा बालिग़ा आ़क़िला (आज़ाद बालिग़ा अ़क़्ल मन्द लड़की) ने बिग़ैर वली, कुफ़ू से निकाह़ किया तो निकाह़ सह़ीह़ हो गया। ❀ और ग़ैरे कुफ़ू से किया तो न हुवा, अगर्चे (वली) निकाह़ के बा'द राज़ी हो गया। ❀ अलबत्ता अगर वली ने सुकूत किया और कुछ जवाब न दिया और औ़रत के बच्चा भी पैदा हो गया तो अब निकाह़ सह़ीह़ माना जाएगा।(3)

❀ औ़रत आ़क़िला बालिग़ा का निकाह़ बिग़ैर इस की इजाज़त के कोई नहीं कर सकता न बाप न कोई और, कुंवारी हो या बियाही, ❀ यूंही मर्द आ़क़िल बालिग़ आज़ाद का निकाह़ इन की मरज़ी के बर ख़िलाफ़ कोई नहीं कर सकता।(4)

1... बहारे शरीअ़त, 2/42, ह़िस्सा : 7
2... सुन्नी बिहिश्ती ज़ेवर, स. 398
3... बहारे शरीअ़त, 2/46, ह़िस्सा : 7
4... सुन्नी बिहिश्ती ज़ेवर, स. 399

सबक़ नम्बर 4

कुफ़ू का बयान

ह़दीस में कुफ़ू की अहम्मिय्यत

मौला अ़ली رَضِیَ اللہُ عَنْہُ से मरवी है कि नबिय्ये करीम صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : ऐ अ़ली ! तीन चीज़ों में ताख़ीर न करो, नमाज़ का जब वक़्त आ जाए, जनाज़ा जब मौजूद हो, बे शौहर वाली का जब कुफ़ू मिले ।[(1)]

कुफ़ू की ता'रीफ़

कुफ़ू के येह मा'ना हैं कि मर्द, औ़रत से नसब वग़ैरा में इतना कम न हो कि उस से निकाह़ औ़रत के वलियों के लिये बाइ़से नंगो आ़र हो, किफ़ाअत सिर्फ़ मर्द की जानिब से मो'तबर है औ़रत अगर्चे कम दरजे की हो इस का ए'तिबार नहीं ।[(2)]

कुफ़ू में किन उमूर का ए'तिबार है ?

किफ़ाअत में छे चीज़ों का ए'तिबार है : (1) नसब, (2) इस्लाम, (3) ह़िर्फ़ा (पेशा), (4) ह़ुर्रिय्यत (आज़ादी), (5) दियानत, (6) माल ।

❀ क़ुरैश में जितने ख़ानदान हैं वोह सब बाहम कुफ़ू हैं, यहां तक कि क़रशी ग़ैर हाशिमी (वोह क़रशी जो हाशिमी न हो), हाशिमी का कुफ़ू है और कोई ग़ैर क़रशी, क़ुरैश का कुफ़ू नहीं । ❀ क़ुरैश के इ़लावा अ़रब की तमाम क़ौमें एक दूसरे की कुफ़ू हैं । अन्सार व मुहाजिरीन सब इस में बराबर हैं अ़जमिय्युन्नस्ल (या'नी जो अ़रबी नहीं है वोह) अ़रबी का कुफ़ू नहीं । मगर आ़लिमे दीन (कुफ़ू है) कि इस की शराफ़त, नसब की शराफ़त पर फ़ौक़िय्यत रखती है ।[(3)]

सबक़ नम्बर 5

ह़क़ महर का बयान

क़ुरआन में ह़क़ महर की अहम्मिय्यत

महर की अहम्मिय्यत बयान करते हुए **अल्लाह** करीम पारह नम्बर 5, सूरए निसाअ की आयत नम्बर 24 में फ़रमाता है :

---

(1)...ترمذی،ابواب الجنائز،باب ماجاء فی تعجیل الجنازۃ،2/339،حدیث:1077

(2)... बहारे शरीअ़त, 2/53, ह़िस्सा : 7

(3)... बहारे शरीअ़त, 2/53, ह़िस्सा : 7

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِیْضَةً
(پ5،نساء:24)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : तो जिन औ़रतों को निकाह़ में लाना चाहो, उन के बंधे हुए महर उन को दो।

शरीअ़ते इस्लाम ने महर को लाज़िम इस ह़द तक किया है कि निकाह़ में महर का ज़िक्र ही न हुवा या महर की नफ़ी कर दी कि बिला महर निकाह़ किया तो निकाह़ हो जाएगा और अगर ख़ल्वते सह़ीह़ा हो गई या दोनों से कोई मर गया तो महरे मिस्ल वाजिब है बशर्ते कि बा'दे अ़क़्द आपस में कोई महर तै न पा गया हो और अगर तै हो चुका तो वोही तै शुदा है।

ह़क़ महर की ता'रीफ़

वोह मुअ़य्यन रक़म जिस का अदा करना शरई लिहाज़ से शौहर पर वाजिब हो, उसे महर कहते हैं।[1]

ह़क़ महर की मिक़्दार

❀ महर की मिक़्दार कम अज़ कम दस दिरहम है और ज़ियादा की कोई ह़द नहीं, जिस क़दर बांधा जाएगा लाज़िम हो जाएगा। ❀ दस दिरहम की मिक़्दार वज़्न के ए'तिबार से क़रीबन दो तोला सात माशा चार रत्ती चांदी है। जिस की क़ीमत घटती बढ़ती रहती है। ❀ रुपियों की सूरत में महर मुक़र्रर करें तो इस बात का ज़रूर ख़याल रखें कि येह रक़म, दस दिरहम चांदी की क़ीमत से कम न हो।[2]

ह़क़ महर की अक़्साम

महर की तीन क़िस्में हैं :

(1) मुअ़ज्जल : येह है कि रुख़्सत से पहले देना क़रार पा लिया हो। इस के लिये औ़रत को इख़्तियार है कि जब तक वुसूल न करे रुख़्सत न हो और अगर रुख़्सत हो गई तो इसे अब भी इख़्तियार है कि जब चाहिये मुत़ालबा करे, इस के लिये अपने शौहर को रोक भी सकती है अगर्चे इस से पेशतर औ़रत की रिज़ामन्दी से ख़ल्वत व वत़ी हो चुकी हो।

(2) मुअज्जल : येह है जिस की मीआ़द क़रार पाई हो कि दस बरस या बीस बरस या पांच दिन बा'द अदा किया जाएगा। तो जब तक वोह मीआ़द न गुज़रे औ़रत को मुत़ालबे का इख़्तियार नहीं

1... सुन्नी बिहिश्ती ज़ेवर, स. 405 माख़ूज़न
2... सुन्नी बिहिश्ती ज़ेवर, स. 405

और मीआ़द गुज़रने के बा'द हर वक़्त मुत़ालबा कर सकती है।

(3) मुअख़्ख़र : येह है कि न पेशगी की शर्त़ ठहरी हो न कोई मीआ़द मुअ़य्यन की गई हो। यूंही मुब्हम त़ौर पर बांधा हो जैसा कि आज कल आ़म त़ौर पर यूंही बांधते हैं। इस में मौत या त़लाक़ न हो तब तक औ़रत को मुत़ालबे का ह़क़ नहीं।[1]

सबक़ नम्बर 6 — वलीमे का बयान

ह़दीस में वलीमे की अहम्मिय्यत

नबिय्ये करीम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने अ़ब्दुर्रह़मान बिन औ़फ़ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْه पर ज़र्दी का असर देखा (या'नी ख़ुलूक़ का रंग उन के बदन या कपड़ों पर लगा हुवा देखा) फ़रमाया : येह क्या है ? (या'नी मर्द के बदन पर इस रंग को न होना चाहिये येह क्यूंकर लगा ?) अ़र्ज़ की : मैं ने एक औ़रत से निकाह़ किया है (उस के बदन से येह ज़र्दी छूट कर लग गई), फ़रमाया : **अल्लाह** पाक तुम्हें बरकत दे, वलीमा करो अगर्चे एक बकरी से ही हो।[2]

वलीमे की ता'रीफ़ व हुक्म

वलीमा येह है कि शबे ज़िफ़ाफ़ की सुब्ह़ को अपने दोस्त अह़बाब अ़ज़ीज़ो अक़ारिब और मह़ल्ले के लोगों की ह़स्बे इस्तित़ाअ़त ज़ियाफ़त करे। दा'वते वलीमा सुन्नत है।

चन्द अहम अह़काम

❀ इस के लिये जानवर ज़ब्ह़ करना और खाना तय्यार कराना जाइज़ है ❀ और जो लोग बुलाए जाएं उन को जाना चाहिये कि उन का जाना उस के लिये मसर्रत का बाइ़स होगा। ❀ वलीमे में जिस शख़्स को बुलाया जाए उस को जाना सुन्नत है या वाजिब। उ़लमा के दोनों क़ौल हैं, ब ज़ाहिर येह मा'लूम होता है कि इजाबत सुन्नते मुअक्कदा है। ❀ येह शख़्स अगर रोज़ादार न हो तो खाना अफ़्ज़ल है कि अपने मुस्लिम भाई की ख़ुशी में शिर्कत और उस का दिल ख़ुश करना है, ❀ और रोज़ादार हो जब भी जाए और साह़िबे ख़ाना के लिये दुआ़ करे। ❀ दा'वते वलीमा का येह हुक्म जो बयान किया गया है, उस वक़्त है कि दा'वत करने वालों का मक़्सूद अदाए सुन्नत हो और अगर मक़्सूद तफ़ाख़ुर (एक दूसरे पर फ़ख़्र और

1...सुन्नी बिहिश्ती ज़ेवर, स. 407 ता 408 मुल्तक़त़न

2...بخاری، کتاب النکاح، باب کیف یدعی للمتزوج، 3/449، حدیث:5155

बड़ाई चाहना) हो या येह कि मेरी वाह वाह होगी जैसा कि इस ज़माने में अक्सर येही देखा जाता है, तो ऐसी दा'वतों में न शरीक होना बेहतर है ख़ुसूसन अहले इल्म को ऐसी जगह न जाना चाहिये।[1]

सबक़ नम्बर 7 तलाक़ का बयान

तलाक़ के बारे में आयत

क़ुरआने करीम में **अल्लाह** पाक ने इर्शाद फ़रमाया :

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ۪ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِیْحٌۢ بِاِحْسَانٍؕ (پ2،البقرۃ:229)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : येह तलाक़ दो बार तक है फिर भलाई के साथ रोक लेना है या निकोई (अच्छे सुलूक) के साथ छोड़ देना है।

आयत की तफ़्सीर

तफ़्सीरे सिरातुल जिनान में है : आयत का ख़ुलासा येह है कि मर्द को तलाक़ देने का इख़्तियार दो बार तक है। अगर तीसरी तलाक़ दी तो औरत शौहर पर हराम हो जाएगी और जब तक पहले शौहर की इद्दत गुज़ार कर किसी दूसरे शौहर से निकाह और हम बिस्तरी कर के इद्दत न गुज़ार ले तब तक पहले शौहर पर हलाल न होगी। लिहाज़ा एक तलाक़ या दो तलाक़ के बा'द रुजूअ कर के अच्छे तरीक़े से उसे रख लो और या तलाक़ दे कर उसे छोड़ दो ताकि औरत अपना कोई दूसरा इन्तिज़ाम कर सके। अच्छे तरीक़े से रोकने से मुराद रुजूअ कर के रोक लेना है और अच्छे तरीक़े से छोड़ देने से मुराद है कि तलाक़ दे कर इद्दत ख़त्म होने दे कि इस तरह एक तलाक़ भी बाइना हो जाती है। शरीअत ने तलाक़ देने और न देने की दोनों सूरतों में भलाई और ख़ैर ख़्वाही का फ़रमाया है। हमारे ज़माने में लोगों की एक बड़ी ता'दाद दोनों सूरतों में उलटा चलती है, तलाक़ देने में भी ग़लत तरीक़ा और बीवी को रखने में भी ग़लत तरीक़ा। **अल्लाह** करीम हिदायत अता फ़रमाए, आमीन।[2]

तलाक़ के बारे में अहादीस

❀ हुज़ूर नबिय्ये करीम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : तमाम हलाल चीज़ों में ख़ुदा के नज़्दीक ज़ियादा ना पसन्दीदा तलाक़ है।[3]

1... बहारे शरीअत, 3/391, ता 392, हिस्सा : 16 मुल्तक़तन

2... तफ़्सीरे सिरातुल जिनान, पारह : 2, अल बक़रह, तहतल आयह : 229, 1/350

3... ابوداود،کتاب الطلاق،باب کراہیۃ الطلاق،2/370،حدیث:2178

❀ हुज़ूर नबिय्ये करीम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : इब्लीस अपना तख़्त पानी पर बिछाता है और अपने लश्कर को भेजता है और सब से ज़ियादा मर्तबे वाला उस के नज़्दीक वोह है जिस का फ़ितना बड़ा होता है। उन में एक आ कर कहता है : मैं ने येह किया, येह किया। इब्लीस कहता है : तू ने कुछ नहीं किया। दूसरा आता है और कहता है : मैं ने मर्द और औ़रत में जुदाई डाल दी। उसे अपने क़रीब कर लेता है और कहता है : हां तू है।[1]

❀ **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : जो औ़रत बिग़ैर किसी ह़रज के शौहर से त़लाक़ का सुवाल करे उस पर जन्नत की ख़ुश्बू ह़राम है।[2]

त़लाक़ की ता'रीफ़ व हुक्म

निकाह़ से औ़रत शौहर की पाबन्द हो जाती है। इस पाबन्दी के उठा देने को त़लाक़ कहते हैं।[3] त़लाक़ देना जाइज़ है मगर बे वज्हे शर्ई़ मम्नूअ़ है और वज्हे शर्ई़ हो तो मुबाह़ बल्कि बा'ज़ सूरतों में मुस्तह़ब।[4]

त़लाक़ कब दी जाए

त़लाक़ देने वाले को शरीअ़ते मुत़ह्हरा पहले समझाती है कि अब वोह एक ऐसे ख़त़रनाक काम को करने लगा है जो **अल्लाह** करीम को ना पसन्दीदा है और उसे ग़ज़ब दिलाता है। लिहाज़ा जब तक येह साबित न हो जाए कि सिर्फ़ येही एक सूरत मर्द के बक़ा व सिह़्ह़त और ह़िफ़ाज़ते इ़ज़्ज़तो ईमान की रह गई है उस वक़्त तक इस पर अ़मल नहीं करना चाहिये।[5]

हुक्म और नतीजे के ए'तिबार से त़लाक़ की अक़्साम

हुक्म और नतीजे के ए'तिबार से त़लाक़ की तीन क़िस्में हैं : (1) त़लाक़े रज्ई़, (2) त़लाक़े बाइन, (3) त़लाक़े मुग़ल्लज़ा।

1 ...مسند امام احمد، مسند جابر بن عبد اللہ، 5/52، حدیث:14384
2 ...ترمذی، ابواب الطلاق... الخ، باب ماجاء فی المختلعات، 2/402، حدیث:1190
3... बहारे शरीअ़त, 2/110, हिस्सा : 8
4... बहारे शरीअ़त, 2/110, हिस्सा : 8
5... सुन्नी बिहिश्ती ज़ेवर, स. 412

तलाक़े रज्ई

तलाक़े रज्ई वोह तलाक़ है जिस से बीवी फ़ौरन निकाह़ से नहीं निकलती। इद्दत के अन्दर अगर शौहर रुजूअ़ कर ले तो बीवी ब दस्तूर उस की ज़ौजा रहेगी। अगर इद्दत गुज़र जाए और रुजूअ़ न करे तो उस वक़्त निकाह़ से निकल जाएगी फिर भी बाहमी रिज़ामन्दी से निकाह़ कर सकते हैं।[1]

तलाक़े बाइन

तलाक़े बाइन वोह तलाक़ है जिस से बीवी फ़ौरन निकाह़ से निकल जाती है। हां बाहमी रिज़ामन्दी से निकाह़ कर सकते हैं, चाहे इद्दत के अन्दर या इद्दत के बा'द।[2]

तलाक़े मुग़ल्लज़ा

तलाक़े मुग़ल्लज़ा वोह तलाक़ है जिस से बीवी फ़ौरन निकाह़ से निकल जाती है और फिर कभी इन दोनों का निकाह़ नहीं हो सकता जब तक कि ह़लाला न हो। तलाक़े मुग़ल्लज़ा तीन तलाक़ देने से होती है चाहे एक साथ तीन तलाक़ दी हों या सालों के फ़ासिले से, चाहे रज्ई दी हों या बाइन, या बा'ज़ रज्ई दी हों और बा'ज़ बाइन।[3] [4]

सबक़ नम्बर 8

ईला का बयान

ईला के बारे में आयत

لِلَّذِیْنَ یُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَآىٕهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍۚ فَاِنْ فَآءُوْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ(۲۲۶)

(پ2،البقرۃ:226)

तर्जमए कन्ज़ुल ईमान : वोह जो क़सम खा बैठते हैं अपनी औ़रतों के पास जाने की उन्हें चार महीने की मोहलत है पस अगर इस मुद्दत में फिर आए तो **अल्लाह** बख़्शने वाला मेह्रबान है।

1... सुन्नी बिहिश्ती ज़ेवर, स. 420 तस्हीलन
2... सुन्नी बिहिश्ती ज़ेवर, स. 420 तस्हीलन
3... सुन्नी बिहिश्ती ज़ेवर, स. 420 तस्हीलन
4... तलाक़ के बारे में मज़ीद मसाइल जानने के लिये मक्तबतुल मदीना की किताब "तलाक़ के आसान मसाइल" का मुतालआ़ कीजिये।

आयत की तफ़्सीर

ज़मानए जाहिलिय्यत में लोगों का येह मा'मूल था कि अपनी औ़रतों से माल त़लब करते, अगर वोह देने से इन्कार करतीं तो एक साल, दो साल, तीन साल या इस से ज़ियादा अ़र्सा उन के पास न जाने और सोह़बत तर्क करने की क़सम खा लेते और उन्हें परेशानी में छोड़ देते न तो वोह बेवा होतीं कि कहीं अपना ठिकाना कर लेतीं और न शौहर दार कि शौहर से कुछ सुकून ह़ासिल करतीं। इस्लाम ने इस ज़ुल्म को मिटाया और ऐसी क़सम खाने वालों के लिये चार महीने की मुद्दत मुअ़य्यन फ़रमा दी कि अगर औ़रत से चार महीने या इस से ज़ाइद अ़र्से के लिये या ग़ैर मुअ़य्यन मुद्दत के लिये तर्के सोह़बत की क़सम खा ले जिस को ईला कहते हैं तो इस के लिये चार माह इन्तिज़ार की मोहलत है इस अ़र्से में ख़ूब सोच समझ ले कि औ़रत को छोड़ना इस के लिये बेहतर है या रखना, अगर रखना बेहतर समझे और इस मुद्दत के अन्दर रुजूअ़ करे तो निकाह़ बाक़ी रहेगा और क़सम का कफ़्फ़ारा लाज़िम होगा और अगर इस मुद्दत में रुजूअ़ न किया और क़सम न तोड़ी तो औ़रत निकाह़ से बाहर हो गई और उस पर त़लाक़े बाइन वाक़ेअ़ हो गई। येह हुक्म भी औ़रतों पर इस्लाम के एह़सानात में से एक एह़सान और हुक़ूक़े निस्वां की पासदारी की अ़लामत है।[(1)]

ईला की ता'रीफ़

ईला के मा'ना येह हैं कि शौहर ने येह क़सम खाई कि औ़रत से क़ुर्बत (हम बिस्तरी) न करेगा या चार महीने क़ुर्बत (हम बिस्तरी) न करेगा।[(2)]

ईला की अक़्साम

ईला की दो क़िस्में हैं : (1) एक मुवक़्क़त या'नी चार महीने का, (2) दूसरा मुअब्बद या'नी चार महीने की क़ैद उस में न हो।[(3)]

ईला की शराइत़

ईला के लिये चन्द शर्तें हैं कि इन में से एक भी न पाई गई तो ईला न होगा। मसलन : (1) ईला सिर्फ़ मन्कूह़ा (जिस औ़रत का निकाह़ हो चुका है) से होता है या उस औ़रत से जिसे त़लाक़े रज्ई दी गई

1... तफ़्सीरे सिरातुल जिनान, पारह : 2, अल बक़रह, तह़तल आयह : 226, 227, 1/346
2... बहारे शरीअ़त, 2/182, हि़स्सा : 8
3... बहारे शरीअ़त, 2/183, हि़स्सा : 8

हो। (2) शौहर त़लाक़ देने का अहल हो या'नी वोह त़लाक़ दे सकता हो। लिहाज़ा मज्नून व ना बालिग़ का ईला सह़ीह़ नहीं। (3) चार महीने से कम की मुद्दत न हो और ज़ियादा की कोई ह़द नहीं।[1]

ईला का हुक्म

अगर औ़रत (बीवी) से चार माह के अन्दर जिमाअ़ किया तो क़सम टूट गई और कफ़्फ़ारा लाज़िम हो गया और क़ुर्बत न की यहां तक कि चार महीने गुज़र गए तो त़लाक़ हो गई।[2]

सबक़ नम्बर 9 — ख़ुलअ़ का बयान

क़ुरआन में ख़ुलअ़ का ज़िक्र

وَلَا یَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّاۤ اٰتَیْتُمُوْهُنَّ شَیْــٴًـا اِلَّاۤ اَنْ یَّخَافَاۤ اَلَّا یُقِیْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِؕ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا یُقِیْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْهِمَا فِیْمَا افْتَدَتْ بِهٖؕ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَاۚ وَ مَنْ یَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓىٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ(۲۲۹)

(پ2، البقرۃ:229)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और तुम्हें रवा नहीं कि जो कुछ औ़रतों को दिया उस में से कुछ वापस लो मगर जब दोनों को अन्देशा हो कि **अल्लाह** की ह़दें क़ाइम न करेंगे फिर अगर तुम्हें ख़ौफ़ हो कि वोह दोनों ठीक इन्ही ह़दों पर न रहेंगे तो उन पर कुछ गुनाह नहीं उस में जो बदला दे कर औ़रत छुट्टी ले येह **अल्लाह** की ह़दें हैं इन से आगे न बढ़ो और जो **अल्लाह** की ह़दों से आगे बढ़े तो वोही लोग ज़ालिम हैं।

आयत की तफ़्सीर

तफ़्सीरे सिरातुल जिनान में है कि यहां ब वक़्ते त़लाक़ औ़रत से माल लेने का मस्अला बयान किया जा रहा है। इस की दो सूरतें हैं पहली येह कि शौहर अपना दिया हुवा मह्‌र वापस ले और येह बत़ौरे ख़ुलअ़ न हो, येह सूरत तो सरासर ना जाइज़ व ह़राम है, येह मज़्मून सूरए निसाअ की आयत 20, 21 में भी है, वहां फ़रमाया कि तुम बीवियों को ढेरों माल भी दे चुके हो तो त़लाक़ के वक़्त उस से लेने की इजाज़त नहीं। दूसरी सूरत येह है कि औ़रत मर्द से ख़ुलअ़ ले और ख़ुलअ़ में औ़रत माल अदा करे,

1... सुन्नी बिहिश्ती ज़ेवर, स. 427 मुलख़्ख़सन
2... सुन्नी बिहिश्ती ज़ेवर, स. 426

इस सूरत की इजाज़त है और आयत में जो फ़रमाया कि औ़रत के फ़िदया देने में कोई ह़रज नहीं इस से येही सूरत मुराद है लेकिन इस सूरत में भी येह हुक्म है कि अगर ज़ियादती मर्द की त़रफ़ से हो तो ख़ुलअ़ में माल लेना मक्रूह है ।(1)

ख़ुलअ़ की ता'रीफ़

शरीअ़ते इस्लामिया में इज्तिमाई और मुआ़शरती ज़िन्दगी का संगे बुन्याद मियां बीवी के सह़ीह़ तअ़ल्लुक़ात हैं । अगर ज़ौज व ज़ौजा में ना इत्तिफ़ाक़ी रहती हो और येह अन्देशा हो कि अह़कामे शरइ़य्या की पाबन्दी न कर सकेंगे और मुवाफ़क़त की तमाम राहें बन्द हो जाएं तो निकाह़ की क़ैद से छुटकारा पाने और शौहर से त़लाक़ ह़ासिल करने की एक सूरत येह भी है कि औ़रत अपने तमाम महर या कुछ महर को वापस कर दे या अपने पास से कुछ माल दे कर शौहर को त़लाक़ पर राज़ी कर ले । और उस माल को क़बूल करना शौहर के लिये दुरुस्त होगा । त़लाक़ की उस ख़ास सूरत का नाम जिस में बीवी त़लाक़ का मुत़ालबा करती है इसे ख़ुलअ़ कहते हैं ।(2)

मुख़्तसर लफ़्ज़ों में इस की ता'रीफ़ येह है कि माल के बदले निकाह़ ज़ाइल (ख़त्म) करने को ख़ुलअ़ कहते हैं ।(3)

ख़ुलअ़ की शराइत़

ख़ुलअ़ की चन्द शराइत़ हैं जो येह हैं : (1) औ़रत का क़बूल करना शर्त़ है बिग़ैर उस के क़बूल किये ख़ुलअ़ नहीं हो सकता ।(4) (2) चूंकि शौहर की जानिब से ख़ुलअ़ त़लाक़ है लिहाज़ा शौहर का आ़क़िल बालिग़ होना शर्त़ है । ना बालिग़ या मज्नून ख़ुलअ़ नहीं कर सकता क्यूं कि वोह त़लाक़ देने का अह्ल नहीं । (3) येह भी शर्त़ है कि औ़रत मह़ल्ले त़लाक़ हो (या'नी इस पर त़लाक़ वाक़ेअ़ भी हो सकती हो) लिहाज़ा अगर औ़रत को त़लाक़े बाइन दे दी तो अगर्चे इ़द्दत में हो, उस से ख़ुलअ़ नहीं हो सकता । हां त़लाक़े रज्ई की इ़द्दत में हो सकता है ।(5)

ख़ुलअ़ का हुक्म

ख़ुलअ़ का हुक्म येह है कि जब मियां बीवी ख़ुलअ़ कर लें तो त़लाक़े बाइन वाक़ेअ़ हो जाएगी ।

1... तफ़्सीरे सिरातुल जिनान, पारह : 2, अल बक़रह, तह़तल आयह : 229, 1/350, 351
2... सुन्नी बिहिश्ती ज़ेवर, स. 429 ब तग़य्युरे क़लील
3... बहारे शरीअ़त, 2/194, हिस्सा : 8
4... बहारे शरीअ़त, 2/194, हिस्सा : 8
5... सुन्नी बिहिश्ती ज़ेवर, 430 तस्हीलन

दोनों का निकाह़ टूट जाएगा और जो माल मुक़र्रर ठहरा है औ़रत पर उस का देना लाज़िम है।[1]

सबक़ नम्बर 10 — ज़िहार का बयान

ज़िहार के बारे में आयत

अल्लाह पाक कुरआने करीम में ज़िहार के बारे में फ़रमाता है :

اَلَّذِیْنَ یُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَآىٕهِمْ مَّا هُنَّ اُمَّهٰتِهِمْؕ اِنْ اُمَّهٰتُهُمْ اِلَّا الّٰٓـِٔیْ وَلَدْنَهُمْؕ وَ اِنَّهُمْ لَیَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَ زُوْرًاؕ وَ اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ۝ (پ28،المجادلۃ:2)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : वोह जो तुम में अपनी बीबियों को अपनी मां की जगह कह बैठते हैं वोह उन की माएं नहीं उन की माएं तो वोही हैं जिन से वोह पैदा हैं और वोह बेशक बुरी और निरी झूट बात कहते हैं और बेशक **अल्लाह** ज़रूर मुआ़फ़ करने वाला और बख़्शने वाला है।

आयत की तफ़्सीर

तफ़्सीरे सिरातुल जिनान में है : इस आयत में ज़िहार की मज़म्मत बयान करते हुए इर्शाद फ़रमाया गया कि तुम में से वोह लोग जो अपनी बीवियों से ज़िहार करते हैं और उन्हें अपनी मां जैसी कह बैठते हैं, येह कहने से वोह उन की माएं नहीं हो गईं बल्कि उन की माएं तो वोही हैं जिन्हों ने उन्हें जनम दिया है और बेशक ज़िहार करने वाले बीवियों को मां कह कर ना पसन्दीदा और बिल्कुल झूट बात कहते हैं, बीवी को किसी त़रह़ मां के साथ तश्बीह देना ठीक नहीं और बेशक **अल्लाह** पाक उन्हें ज़रूर मुआ़फ़ करने वाला और बख़्शने वाला है।[2]

ज़िहार की ता'रीफ़

ज़िहार के येह मा'ना हैं कि (शौहर का) अपनी ज़ौजा या उस के किसी ऐसे उ़ज़्व को जो कुल से ता'बीर किया जाता है, ऐसी औ़रत से तश्बीह (या'नी उस औ़रत की त़रह़ क़रार) देना जो उस (मर्द) पर हमेशा के लिये ह़राम है (ज़िहार कहलाता है। जैसे शौहर बीवी से कहे : तू मुझ पर मेरी मां की मिस्ल है), या उस (औ़रत) के किसी ऐसे उ़ज़्व से तश्बीह देना जिस की त़रफ़ देखना ह़राम हो (येह भी ज़िहार

1...सुन्नी बिहिश्ती ज़ेवर, स. 429
2...तफ़्सीरे सिरातुल जिनान, पारह : 28, अल मुजादलह, तह़्तल आयह : 2, 10/28, 29

कहलाता है)। (जैसे बीवी से कहे) तेरा सर, या तेरी गरदन मेरी मां की पीठ की मिस्ल है।[1]

ज़िहार की शराइत़

ज़िहार के लिये इस्लाम व अ़क्ल व बालिग़ होना शर्त़ है। तो अगर ना बालिग़, या मज्नून या मदहोश सरसाम व बरसाम के बीमार ने, या बेहोश, या सोने वाले ने ज़िहार किया तो ज़िहार न हुवा।[2]

ज़िहार का हुक्म

ज़िहार का हुक्म येह है कि जब तक कफ़्फ़ारा न दे दे उस वक़्त तक उस औ़रत से जिमाअ़ करना या शह्वत के साथ उस का बोसा लेना या उस को छूना ह़राम है।[3]

ज़िहार का कफ़्फ़ारा

ज़िहार करने वाला जिमाअ़ का इरादा करे तो कफ़्फ़ारा वाजिब है। ❀ इस का कफ़्फ़ारा ग़ुलाम या कनीज़ आज़ाद करना है। ❀ और इस की इस्तित़ाअ़त न हो तो कफ़्फ़ारे में पै दर पै (लगातार) दो महीने के रोज़े रखे। ❀ और रोज़े रखने पर भी क़ुदरत न हो तो साठ (60) मिस्कीनों को दोनों वक़्त पेट भर कर खाना खिलाए। ❀ और येह भी हो सकता है कि हर मिस्कीन को सदक़ए फ़ित्र की मिक़्दार तक़्रीबन सवा दो सेर गेहूं या इस का आटा या इस की गन्दुम की क़ीमत का मालिक कर दिया जाए। और उन्हीं लोगों को दिया जाए जिन्हें सदक़ए फ़ित्र दे सकते हैं।[4]

सबक़ नम्बर 11 — लिआ़न का बयान

क़ुरआन में लिआ़न का हुक्म

अल्लाह पाक ने लिआ़न का हुक्म क़ुरआने करीम में इन अल्फ़ाज़ में बयान फ़रमाया :

1... सुन्नी बिहिश्ती ज़ेवर, स. 427
2... सुन्नी बिहिश्ती ज़ेवर, स. 428
3... सुन्नी बिहिश्ती ज़ेवर, स. 428
4... सुन्नी बिहिश्ती ज़ेवर, स. 428, 429

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَآءُ اِلَّآ اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهٰدٰتٍۭ بِاللّٰهِ ۙ اِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝ وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝ وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهٰدٰتٍۭ بِاللّٰهِ ۙ اِنَّهٗ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝ وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَآ اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝ (پ18، النور:6تا9)

तजमए कन्ज़ुल ईमान : और वोह जो अपनी औ़रतों को ऐ़ब लगाएं और उन के पास अपने बयान के सिवा गवाह न हों तो ऐसे किसी की गवाही येह है कि चार बार गवाही दे **अल्लाह** के नाम से कि वोह सच्चा है और पांचवीं येह कि **अल्लाह** की ला'नत हो इस पर अगर झूटा हो और औ़रत से यूं सज़ा टल जाएगी कि वोह **अल्लाह** का नाम ले कर चार बार गवाही दे कि मर्द झूटा है और पांचवीं यूं कि औ़रत पर ग़ज़ब **अल्लाह** का अगर मर्द सच्चा हो।

शाने नुज़ूल

❀ ह़ज़रते इब्ने अ़ब्बास رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ बयान करते हैं कि ह़ज़रते हिलाल बिन उमय्या رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ने अपनी बीवी पर तोहमत लगाई। हुज़ूर صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : गवाह लाओ, वरना तुम्हारी पीठ पर ह़द लगाई जाएगी। अ़र्ज़ की : **या रसूलल्लाह !** कोई शख़्स अपनी औ़रत पर किसी मर्द को देखे तो गवाह ढूंडने जाए। हुज़ूर صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने वोही जवाब दिया। फिर हिलाल رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ने कहा : क़सम है उस की जिस ने हुज़ूर صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم को ह़क़ के साथ भेजा है ! बेशक मैं सच्चा हूं और ख़ुदा कोई ऐसा हुक्म नाज़िल फ़रमाएगा जो मेरी पीठ को ह़द से बचाएगा। उस वक़्त जिब्रील عَلَیْہِ السَّلَام उतरे और (وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ) नाज़िल हुई। हिलाल رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ने ह़ाज़िर हो कर लिआ़न का मज़्मून अदा किया। हुज़ूर صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : बेशक **अल्लाह** पाक जानता है कि तुम में एक झूटा है। तो क्या तुम दोनों में कोई तौबा करता है। फिर औ़रत खड़ी हुई, उस ने भी लिआ़न किया, जब पांचवीं बार की नौबत आई तो लोगों ने उसे रोक कर कहा : अब कहेगी तो ज़रूर ग़ज़ब की मुस्तह़िक़ हो जाएगी इस पर वोह कुछ रुकी और झिजकी जिस से हम को ख़याल हुवा कि रुजूअ़ करेगी मगर फिर खड़ी हो कर कहने लगी : मैं तो अपनी क़ौम को हमेशा के लिये रुस्वा न करूंगी फिर वोह पांचवां कलिमा भी उस ने अदा कर दिया।[1]

1 ...بخاری، کتاب التفسیر، باب ویدرأ عنہا العذاب...الخ، 3/280، حدیث:4747

लिआ़न की ता'रीफ़

लिआ़न की ता'रीफ़ येह है कि मर्द ने अपनी औ़रत (बीवी) को ज़िना की तोहमत लगाई इस त़रह़ पर कि अगर अज्नबिय्या औ़रत को लगाता तो ह़द्दे क़ज़्फ़ (तोह्मते ज़िना की ह़द) उस पर लगाई जाती। या'नी औ़रत आ़क़िला, बालिग़ा, ह़ुर्रा (आज़ाद), मुस्लिमा, अ़फ़ीफ़ा (पाक दामन) हो तो लिआ़न किया जाएगा।[1]

लिआ़न की शराइत़

लिआ़न की चन्द शराइत़ हैं जो येह हैं : (1) मर्द व औ़रत के दरमियान निकाह़े सह़ीह़ हो, (2) ज़ौजिय्यत क़ाइम हो, (3) दोनों आज़ाद आ़क़िल बालिग़ मुसल्मान हों, (4) उन में कोई गूंगा न हो, (5) उन में से किसी पर ह़द्दे क़ज़्फ़ न लगाई गई हो, (6) मर्द ने अपने क़ौल पर गवाह न पेश किये हों, (7) औ़रत ज़िना से इन्कार करती हो और अपने आप को पारसा कहती हो, (8) सरीह़ (वाज़ेह़ त़ौर पर) ज़िना की तोहमत लगाई हो या उस की जो औलाद इस के निकाह़ में पैदा हुई, उस को कहता हो कि येह मेरी (औलाद) नहीं, या जो बच्चा औ़रत का दूसरे शौहर से है उस को कहता हो कि येह उस का नहीं। (9) औ़रत क़ाज़ी के पास मुत़ालबा करे, (10) शौहर तोहमत लगाने का इक़्रार करता हो या दो मर्द गवाहों से उस का इक़्रार साबित हो।[2]

लिआ़न का त़रीक़ा

लिआ़न का त़रीक़ा येह है कि क़ाज़ी के सामने पहले शौहर क़सम के साथ चार मरतबा शहादत दे या'नी कहे कि मैं शहादत देता हूं कि मैं ने जो इस औ़रत को ज़िना की तोहमत लगाई उस में ख़ुदा की क़सम ! मैं सच्चा हूं। फिर पांचवीं मरतबा येह कहे कि उस पर ख़ुदा की ला'नत अगर इस अम्र में कि इस को ज़िना की तोहमत लगाई झूट बोलने वालों से हो और हर बार लफ़्ज़े "इस" से औ़रत की त़रफ़ इशारा करे फिर औ़रत चार मरतबा येह कहे कि मैं शहादत देती हूं कि ख़ुदा की क़सम ! इस ने जो मुझे ज़िना की तोहमत लगाई है, इस बात में झूटा है और पांचवीं मरतबा येह कहे कि उस पर **अल्लाह** का ग़ज़ब हो, अगर येह उस बात में सच्चा हो जो मुझे ज़िना की तोहमत लगाई। लिआ़न में लफ़्ज़े शहादत शर्त़ है, अगर येह कहा कि मैं ख़ुदा की क़सम खाता हूं कि सच्चा हूं, लिआ़न न हुवा।[3]

1... बहारे शरीअ़त, 2/220, ह़िस्सा : 8
2... सुन्नी बिहिश्ती ज़ेवर, स. 432
3... बहारे शरीअ़त, 2/220, ह़िस्सा : 8

लिआ़न का हुक्म

लिआ़न का हुक्म येह है कि इस से फ़ारिग़ होते ही उस शख़्स को उस औ़रत से जिमाअ़ ह़राम है मगर सिर्फ़ लिआ़न से निकाह़ से ख़ारिज न हुई बल्कि लिआ़न के बा'द ह़ाकिमे इस्लाम जुदाई कर देगा और येह जुदाई त़लाक़े बाइन हो जाएगी और लिआ़न के बा'द अगर येह दोनों अ़लाह़दा होना न भी चाहें, जब भी तफ़्रीक़ कर दी जाएगी।[(1)]

सबक़ नम्बर 12 — इ़द्दत का बयान

कुरआन में इ़द्दत का हुक्म

कुरआने मजीद में इ़द्दत के बारे में **अल्लाह** पाक का फ़रमान है :

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْۢ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّاۤ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ (پ28،الطلاق:1)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : ऐ नबी जब तुम लोग औ़रतों को त़लाक़ दो तो उन की इ़द्दत के वक़्त पर उन्हें त़लाक़ दो और इ़द्दत का शुमार रखो और अपने रब से डरो इ़द्दत में उन्हें उन के घरों से न निकालो और न वोह आप निकलें मगर येह कि कोई सरीह़ बे ह़याई की बात लाएं।

आयत की तफ़्सीर

इस आयत में बीवी को त़लाक़ देने का त़रीक़ा और त़लाक़ याफ़्ता औ़रत की इ़द्दत से मुतअ़ल्लिक़ शर्ई अह़काम बयान किये गए हैं। चुनान्चे आयत के इब्तिदाई ह़िस्से का ख़ुलासा येह है कि ऐ ह़बीब ! अपनी उम्मत से फ़रमा दें कि जब तुम लोग औ़रतों को त़लाक़ देने का इरादा करो तो उन की इ़द्दत के वक़्त पर या'नी पाकी के दिनों में उन्हें त़लाक़ दो ताकि उन की इ़द्दत लम्बी न हो।[(2)]

इ़द्दत की ता'रीफ़

शौहर के त़लाक़ देने या उस की वफ़ात पा जाने के बा'द औ़रत का निकाह़ मम्नूअ़ होना और एक ज़मानए मुअ़य्यना तक इन्तिज़ार करना, इ़द्दत कहलाता है।[(3)]

1... सुन्नी बिहिश्ती ज़ेवर, स. 432

2... तफ़्सीरे सिरात़ुल जिनान, पारह : 28, अत्त़लाक़, तह़्तल आयह : 1, 10/196

3... सुन्नी बिहिश्ती ज़ेवर, स. 435

औ़रत की ह़ालत के ए'तिबार से इ़द्दत की अक़्साम

औ़रत की ह़ालत के ए'तिबार से इ़द्दत की तीन क़िस्में हैं : (1) त़लाक़ वाली की इ़द्दत, (2) ह़ामिला की इ़द्दत, (3) बेवा की इ़द्दत।

त़लाक़ वाली की इ़द्दत

त़लाक़ वाली से मुराद वोह औ़रत है जिसे शौहर ने त़लाक़ दी हो। त़लाक़ की इ़द्दत जब कि औ़रत मदख़ूला हो (जिस से जिमाअ़ किया जा चुका हो) या ख़ल्वत वाक़ेअ़ हो चुकी हो और औ़रत को हैज़ आता हो और उसे ह़म्ल भी न हो, तो ऐसी औ़रत की इ़द्दत पूरे तीन हैज़ है।[1]

ह़ामिला की इ़द्दत

औ़रत ह़ामिला है तो इ़द्दत वज़्ए़ ह़म्ल है (या'नी जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो इ़द्दत ख़त्म हो जाएगी), इ़द्दत चाहे त़लाक़ की हो या वफ़ात की। और वज़्ए़ ह़म्ल से इ़द्दत पूरी होने के लिये कोई ख़ास वक़्त मुक़र्रर नहीं। (शौहर की) मौत या त़लाक़ के बा'द जिस वक़्त भी बच्चा पैदा हो इ़द्दत ख़त्म हो जाएगी अगर्चे एक मिनट बा'द।[2]

बेवा की इ़द्दत

वफ़ात की इ़द्दत चार महीने दस दिन है। या'नी दसवीं रात भी गुज़रे। औ़रत चाहे सग़ीरा (ना बालिग़) हो या कबीरा (बालिग़), मदख़ूला (जिस से जिमाअ़ किया जा चुका) हो या ग़ैर मदख़ूला (जिस से जिमाअ़ नहीं किया गया हो), मगर इस इ़द्दत में शर्त़ येह है कि औ़रत को ह़म्ल न हो। (अगर ह़म्ल होगा तो फिर उस की इ़द्दत ह़ामिला वाली होगी)।[3]

सबक़ नम्बर 13 सोग का बयान

सोग कितने दिन है ?

रसूले करीम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : जो औ़रत **अल्लाह** और क़ियामत के दिन पर ईमान रखती है, उसे येह ह़लाल नहीं कि किसी मय्यित पर तीन रातों से ज़ियादा सोग करे, मगर शौहर पर कि

1... सुन्नी बिहिश्ती ज़ेवर, 435, ब तग़य्युरे क़लील
2... सुन्नी बिहिश्ती ज़ेवर, 436, तस्हीलन
3... सुन्नी बिहिश्ती ज़ेवर, 437, तस्हीलन

चार महीने दस दिन सोग करे।[1]

सोग की ता'रीफ़

सोग के मा'ना हैं कि ज़ीनत को तर्क करे।[2]

सोग कौन करे ?

सोग उस पर है जो आ़क़िला बालिग़ा मुसल्मान हो और मौत या त़लाक़े बाइन की इ़द्दत हो। ना बालिग़ा व मज्नूना व काफ़िरा पर सोग नहीं। हां अगर इ़द्दत के दौरान ना बालिग़ा, बालिग़ा हुई, मज्नूना का जुनून जाता रहा और काफ़िरा मुसल्मान हो गई तो जो दिन बाक़ी रह गए हैं उन में सोग करे।[3]

चन्द अहम अह़काम

❀ (सोग में औ़रत) हर क़िस्म के ज़ेवर चांदी, सोने, जवाहिर वग़ैरा ❀ और हर क़िस्म और हर रंग के रेशम के कपड़े अगर्चे सियाह (काले) हों न पहने ❀ और ख़ुश्बू का बदन या कपड़ों में इस्ति'माल न करे ❀ और न तेल का इस्ति'माल करे अगर्चे उस में ख़ुश्बू न हो जैसे रोग़ने ज़ैतून ❀ और कंघा करना और सियाह सुरमा लगाना, यूंही सफ़ेद ख़ुश्बूदार सुरमा लगाना और महंदी लगाना और ज़ा'फ़रान या कुसुम या गेरू का रंगा हुवा या सुर्ख़ रंग का कपड़ा पहनना मन्अ़ है, इन सब चीज़ों का तर्क वाजिब है। ❀ जिस कपड़े का रंग पुराना हो गया कि अब उस का पहनना ज़ीनत नहीं उसे पहन सकती है। ❀ यूंही सियाह रंग के कपड़े में भी ह़रज नहीं जब कि रेशम के न हों। ❀ उ़ज़्र की वज्ह से इन चीज़ों का इस्ति'माल कर सकती है मगर इस ह़ाल में उस का इस्ति'माल ज़ीनत के क़स्द (इरादे) से न हो, ❀ मसलन दर्दे सर की वज्ह से तेल लगा सकती है या तेल लगाने की आ़दी है जानती है कि न लगाने में दर्दे सर हो जाएगा तो लगाना जाइज़ है। ❀ या दर्दे सर के वक़्त कंघा कर सकती है मगर उस त़रफ़ से जिधर के दन्दाने मोटे हैं, उधर से नहीं जिधर बारीक हों कि येह बाल संवारने के लिये होते हैं और येह मम्नूअ़ है। ❀ या सुरमा लगाने की ज़रूरत है कि आंखों में दर्द है। ❀ या ख़ारिश्त (बदन पर फुन्सी होने वाली बीमारी) है तो रेशमी कपड़े पहन सकती है। ❀ या उस के पास और कपड़ा नहीं है तो येही रेशमी

1... بخاری، کتاب الجنائز، باب حد المرأۃ علی غیر زوجہا، 1/433، حدیث: 1281، 1282

2... बहारे शरीअ़त, 2/242, ह़िस्सा : 8

3... बहारे शरीअ़त, 2/243, ह़िस्सा : 8 मुल्तक़त़न

या रंगा हुवा पहने ❀ मगर येह ज़रूर है कि इन की इजाज़त ज़रूरत के वक़्त है लिहाज़ा ब क़दरे ज़रूरत इजाज़त है, ज़रूरत से ज़ियादा मम्नूअ, मसलन आंख की बीमारी में सुरमा लगाने की ज़रूरत हो तो येह लिहाज़ ज़रूरी है कि सियाह सुरमा उस वक़्त लगा सकती है जब सफ़ेद सुरमे से काम न चले और अगर सिर्फ़ रात में लगाना काफ़ी है तो दिन में लगाने की इजाज़त नहीं। ❀ किसी के मरने के ग़म में सियाह कपड़े पहनना जाइज़ नहीं मगर औ़रत को तीन दिन तक शौहर के मरने पर ग़म की वज्ह से सियाह कपड़े पहनना जाइज़ है और सियाह कपड़े ग़म ज़ाहिर करने के लिये न हों तो मुत़्लक़न जाइज़ हैं।(1)

सबक़ नम्बर 14 — बच्चे की परवरिश का बयान

ह़दीस में परवरिश की अहम्मिय्यत

बच्चे की परवरिश के बारे में रसूले अकरम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के दो फ़रामीन मुलाह़ज़ा कीजिये :

❀ ह़ज़रते अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ बयान करते हैं कि एक औ़रत ने हुज़ूर صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم से अ़र्ज़ की : **या रसूलल्लाह !** मेरा येह लड़का है, मेरा पेट इस के लिये ज़र्फ़ था और मेरे पिस्तान इस के लिये मश्क और मेरी गोद इस की मुह़ाफ़िज़ थी और इस के बाप ने मुझे त़लाक़ दे दी और अब इस को मुझ से छीनना चाहता है। हुज़ूर صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : तू ज़ियादा ह़क़दार है, जब तक तू निकाह़ न करे।(2)

❀ ह़ज़रते बराअ बिन आ़ज़िब رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ कहते हैं कि सुल्ह़े हुदैबिया के बा'द दूसरे साल में जब हुज़ूरे अक़्दस صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم उ़मरए क़ज़ा से फ़ारिग़ हो कर मक्कए मुअ़ज़्ज़मा से रवाना हुए तो ह़ज़रते ह़म्ज़ा رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ की साह़िब ज़ादी चचा चचा कहती पीछे हो लीं। ह़ज़रते अ़ली رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ने उन्हें ले लिया और हाथ पकड़ लिया। फिर ह़ज़रते अ़ली व ज़ैद बिन ह़ारिसा व जा'फ़रे त़य्यार رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمْ اَجْمَعِیْن में से हर एक ने अपने पास रखना चाहा। ह़ज़रते अ़ली رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ने कहा : मैं ने ही इसे लिया और मेरे चचा की लड़की है और ह़ज़रते जा'फ़र رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ने कहा : मेरे चचा की लड़की है और इस की ख़ाला मेरी बीवी है और ह़ज़रते ज़ैद رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ने कहा : मेरे (रज़ाई) भाई की लड़की है। हुज़ूरे अक़्दस صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने लड़की ख़ाला को दिलवाई और फ़रमाया : ख़ाला मां के मर्तबे पर है। और ह़ज़रते अ़ली से फ़रमाया :

1... बहारे शरीअ़त, 2/242 ता 244, ह़िस्सा : 8 मुल्तक़त़न

2...ابو داود، کتاب الطلاق، باب من احق بالولد، 2/413، حدیث:2276

तुम मुझ से हो और मैं तुम से। और ह़ज़रते जा'फ़र से फ़रमाया : तुम मेरी सूरत और सीरत में मुशाबेह हो। और ह़ज़रते ज़ैद से फ़रमाया : तुम हमारे भाई और हमारे मौला हो।[1]

चन्द अहम अह़काम

❀ बच्चे की परवरिश का ह़क़ मां के लिये है। ख़्वाह वोह निकाह़ में हो या निकाह़ से बाहर हो गई हो। हां अगर वोह बद चलन है तो बच्चा उस की परवरिश में उस वक़्त तक रहेगा जब तक ना समझ हो। जब कुछ समझने लगे तो अ़लाह़दा कर लें कि बच्चा मां को देख कर वोही आ़दतें इख़्तियार करेगा जो उस की मां में हैं।[2]

❀ अगर बच्चे की मां दूध पिलाने से इन्कार करे और बच्चा दूसरी औ़रत का दूध न लेता हो, मुफ़्त कोई दूध नहीं पिलाती और बच्चे या उस के बाप के पास पैसे नहीं तो मां दूध पिलाने पर मजबूर की जाएगी।[3]

❀ मां अगर न हो या परवरिश की अह्ल न हो या उस ने इन्कार कर दिया, या अजनबी से निकाह़ कर लिया तो अब ह़क़्क़े परवरिश नानी के लिये है। येह भी न हो तो नानी की मां, इस के बा'द दादी, फिर ह़क़ीक़ी बहन वग़ैरा।[4]

❀ जिस औ़रत के लिये ह़क़्क़े परवरिश है उस के पास लड़के को उस वक़्त तक रहने दें कि अब उसे उस की ह़ाजत न रहे या'नी अपने आप खाता, पीता, पहनता, इस्तिन्जा कर लेता हो, इस की मिक़्दार सात बरस की उ़म्र है। और लड़की उस वक़्त तक औ़रत की परवरिश में रहेगी कि ह़द्दे शह्वत को पहुंच जाए। इस की मिक़्दार नव बरस की उ़म्र है।[5]

❀ लड़का बालिग़ न हुवा मगर काम के क़ाबिल हो गया है तो बाप उसे किसी काम में लगा दे जो काम सिखाना चाहे उस के जानने वालों के पास भेज दे कि उन से काम सीखे नोकरी या मज़दूरी के क़ाबिल हो और बाप उस से नोकरी या मज़दूरी कराना चाहे तो नोकरी या मज़दूरी कराए और जो कमाए उस (बच्चे) पर सर्फ़ (ख़र्च) करे और बच रहे तो उस के लिये जम्अ़ करता रहे और अगर बाप जानता है

1... بخاری، کتاب المغازی، باب عمرۃ القضاء، 3/94، حدیث:4251
2... सुन्नी बिहिश्ती ज़ेवर, स. 440
3... बहारे शरीअ़त, 2/253, हिस्सा : 8
4... सुन्नी बिहिश्ती ज़ेवर, स. 440
5... बहारे शरीअ़त, 2/255, हिस्सा : 8 मुल्तक़तन, सुन्नी बिहिश्ती ज़ेवर, स. 441

कि मेरे पास ख़र्च हो जाएगा तो किसी और के पास अमानत रख दे। मगर सब से मुक़द्दम येह है कि बच्चों को कु़रआने मजीद पढ़ाएं और दीन की ज़रूरी बातें सिखाई जाएं रोज़ा व नमाज़ व त़हारत और बैअ़ व इजारा व दीगर मुआ़मलात के मसाइल जिन की रोज़मर्रा ह़ाजत पड़ती है और ना वाक़िफ़ी से ख़िलाफ़े शर्अ़ अ़मल करने के जुर्म में मुब्तला होते हैं उन की ता'लीम हो। अगर देखें कि बच्चे को इल्म की त़रफ़ रुज्ह़ान है और समझदार है तो इल्मे दीन की ख़िदमत से बढ़ कर क्या काम है और अगर इस्तित़ाअ़त न हो तो तस्ह़ीह़ व ता'लीमे अ़क़ाइद और ज़रूरी मसाइल की ता'लीम के बा'द जिस जाइज़ काम में लगाएं इख़्तियार है।

❀ लड़की को भी अ़क़ाइद व ज़रूरी मसाइल सिखाने के बा'द किसी औ़रत से सिलाई और नक़्शो निगार वग़ैरा ऐसे काम सिखाएं जिन की औ़रतों को अक्सर ज़रूरत पड़ती है और खाना पकाने और दीगर उमूरे ख़ानादारी में उस को सलीक़ा होने की कोशिश करें कि सलीक़े वाली औ़रत जिस ख़ूबी से ज़िन्दगी बसर कर सकती है बद सलीक़ा नहीं कर सकती।[1]

❀ लड़की को नोकर न रखाएं कि जिस के पास नोकर रहेगी कभी ऐसा भी होगा कि मर्द के पास तन्हा रहे और येह बड़े ऐ़ब की बात है। तन्हा लड़की का किसी ग़ैर के साथ रहना ऐसा है जैसे आग बारूद कि ज़रा देर में भड़क सकती है और लड़की का भड़कना उस की तबाही बरबादी है।[2]

सबक़ नम्बर 15 — नफ़के का बयान

क़ुरआन में नफ़के की अहम्मिय्यत

अल्लाह पाक कु़रआने मजीद में नफ़के के बारे में इर्शाद फ़रमाता है :

لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖؕ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهٗ فَلْیُنْفِقْ مِمَّاۤ اٰتٰىهُ اللّٰهُؕ لَا یُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَاۤ اٰتٰىهَاؕ سَیَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ یُّسْرًا۠ (۷)

(پ28، الطلاق:7)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : मक़्दूर वाला (मालदार शख़्स) अपने मक़्दूर (वुस्अ़त) के क़ाबिल नफ़क़ा दे और जिस पर उस का रिज़्क़ तंग किया गया वोह उस में से नफ़क़ा दे जो उसे **अल्लाह** ने दिया **अल्लाह** किसी जान पर बोझ नहीं रखता मगर उसी क़ाबिल जितना उसे दिया है क़रीब है **अल्लाह** दुश्वारी के बा'द आसानी फ़रमा देगा।

1... बहारे शरीअ़त, 2/256, ह़िस्सा : 8
2... बहारे शरीअ़त, 2/257, ह़िस्सा : 8, सुन्नी बिहिश्ती ज़ेवर, स. 442

ह़दीस में नफ़क़े की अहम्मिय्यत

❀ हुज़ूर नबिय्ये करीम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : जब ख़ुदा किसी को माल दे तो ख़ुद अपने और घर वालों पर ख़र्च करे।[(1)]

❀ हुज़ूर नबिय्ये पाक صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : मुसल्मान जो कुछ अपने अह्ल पर ख़र्च करे और निय्यत सवाब की हो तो येह उस के लिये सदक़ा है।[(2)]

❀ **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : आदमी को गुनहगार होने के लिये इतना काफ़ी है कि जिस का खाना उस के ज़िम्मे हो, उसे खाने को न दे।[(3)]

नफ़क़े की ता'रीफ़

नफ़क़े से मुराद खाना, कपड़ा और रहने का मकान है।[(4)]

नफ़क़े के अस्बाब

नफ़क़ा वाजिब होने के तीन सबब हैं : (1) ज़ौजिय्यत या'नी मियां बीवी का रिश्ता (2) नसब (3) मिल्क। ज़ौजिय्यत और नसब की वज्ह से नफ़क़ा वाजिब होने के चन्द अहम मसाइल बयान किये जाते हैं।[(5)]

बीवी के नफ़क़े के बारे में चन्द अहम अह़काम

❀ जिस औ़रत से निकाहे़ सह़ीह़ हुवा, उस का नफ़क़ा शौहर पर वाजिब है अगर्चे वोह ना बालिग़ा हो। मगर ना बालिग़ा में शर्त़ येह है कि जिमाअ़ की त़ाक़त रखती हो या मुश्तहात हो या'नी ह़द्दे शह्वत को पहुंच जाए। और शौहर की जानिब कोई शर्त़ नहीं कितना ही उ़म्र में छोटा हो उस पर नफ़क़ा वाजिब है उस के माल से दिया जाएगा।

1... مسلم، کتاب الامارۃ، باب الناس تبع لقریش... الخ، ص781، حدیث:4711

2... بخاری، کتاب النفقات، باب فضل النفقۃ علی الاہل... الخ، 3/511، حدیث:5351

3... مسلم، کتاب الزکاۃ، باب فضل النفقۃ علی العیال... الخ، ص388، حدیث:2312

4... बहारे शरीअ़त, 2/260, ह़िस्सा : 8

5... बहारे शरीअ़त, 2/260, ह़िस्सा : 8, सुन्नी बिहिश्ती ज़ेवर, स. 443

❀ अगर मर्द व औ़रत दोनों मालदार हों तो नफ़क़ा मालदार का सा होगा और दोनों मोहताज हों तो मोहताजों का सा। और एक मालदार है और दूसरा मोहताज तो दरमियाना दरजे का नफ़क़ा वाजिब होगा। या'नी मोहताज जैसा खाते हों उस से उ़म्दा और मालदार जैसा खाते हों उस से कम।

❀ औ़रत जब रुख़्सत हो कर आई तो उस वक़्त से शौहर के ज़िम्मे उस का लिबास है। अगर्चे औ़रत के पास कितने ही जोड़े हों। लिबास में उस के शह्‌र का ए'तिबार है। सर्दी गर्मी में जैसे कपड़ों का वहां का चलन है वोह दे।

❀ साल में कम अज़् कम दो जोड़े वाजिब हैं। हर शशमाही पर एक जोड़ा। मगर इस का लिहा़ज़ ज़रूरी है कि अगर दोनों मालदार हों तो मालदारों के से कपड़े हों और मोहताज व ग़रीब हों तो ग़रीबों के से और एक मालदार हो और एक मोहताज तो दरमियाने हों।[1]

औलाद के नफ़क़े के बारे में चन्द अहम अह़काम

❀ ना बालिग़ औलाद का नफ़क़ा बाप पर वाजिब है जब कि औलाद की मिल्क में माल न हो। और बालिग़ बेटा अगर अपाहज या मज्नून या नाबीना हो, कमाने से आ़जिज़ हो और उस के पास माल न हो तो उस का नफ़क़ा भी बाप पर है।

❀ और लड़की जब कि माल न रखती हो और शादी शुदा भी न हो तो उस का नफ़क़ा भी बाप पर है। अगर्चे लड़की के आ'ज़ा दुरुस्त हों। शादी के बा'द उस का नफ़क़ा शौहर पर वाजिब होगा बाप पर नहीं।

❀ अगर बाप मुफ़्लिस है तो कमाए और बच्चों को खिलाए और कमाने से भी आ़जिज़ है मसलन अपाहज है तो दादा के ज़िम्मे (बच्चों) का नफ़क़ा है। इस सूरत में बाप का नफ़क़ा भी दादा के ज़िम्मे है।[2]

मां बाप के नफ़क़े से मुतअ़ल्लिक़ चन्द अह़काम

❀ बाप और मां दोनों मोहताज हों तो दोनों का नफ़क़ा बेटे पर है। ❀ मां अगर बेवा हो वोह अपाहज न भी हो तब भी बेटे पर उस का नफ़क़ा है। ❀ अगर उस ने शादी कर ली तो फिर शौहर के ज़िम्मे उस का नफ़क़ा है। ❀ बेटा अगर मां बाप दोनों को नफ़क़ा नहीं दे सकता मगर एक का दे सकता

1 …सुन्नी बिहिशती ज़ेवर, स. 444 मुल्तक़त़न
2 … सुन्नी बिहिश्ती ज़ेवर, स. 446 तस्हीलन

है तो मां ज़ियादा मुस्तहिक़ है। और अगर वालिदैन में से किसी का पूरा नफ़्क़ा न दे सकता हो तो दोनों को अपने साथ खिलाए, जो वोह ख़ुद खाता पीता, पहनता हो उसी में से उन्हें भी खिलाए पिलाए और पहनाए।[1]

सबक़ नम्बर 16 क़सम का बयान

क़ुरआन में क़सम की अहम्मिय्यत

وَ اَوْفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عٰهَدْتُّمْ وَ لَا تَنْقُضُوا الْاَیْمَانَ بَعْدَ تَوْكِیْدِهَا وَ قَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَیْكُمْ كَفِیْلًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ یَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ﴿۹۱﴾ (پ14،النحل:91)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और **अल्लाह** का अ़ह्द पूरा करो जब क़ौल बांधो और क़समें मज़्बूत़ कर के न तोड़ो और तुम **अल्लाह** को अपने ऊपर ज़ामिन कर चुके हो बेशक **अल्लाह** तुम्हारे काम जानता है।

आयत की तफ़्सीर

इस आयत में सब से पहले अ़ह्द पूरा करने का ज़िक्र किया क्यूं कि इस ह़क़ को अदा करने की ताकीद बहुत ज़ियादा है। येह आयत उन लोगों के बारे में नाज़िल हुई जिन्हों ने (बैअ़ते रिज़्वान के मौक़अ़ पर) रसूले करीम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم से इस्लाम पर बैअ़त की थी, उन्हें अपने अ़ह्द पूरे करने का हुक्म दिया गया। बा'ज़ मुफ़स्सिरीन ने फ़रमाया कि इस से मुराद वोह अ़ह्द है जिसे इन्सान अपने इख़्तियार से अपने ऊपर लाज़िम कर ले और इस में वा'दा भी दाख़िल है क्यूं कि वा'दा अ़ह्द की क़िस्म है। ह़ज़रते अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास رَضِیَ اللّٰهُ عَنْه फ़रमाते हैं : वा'दा अ़ह्द ही की एक क़िस्म है। ह़ज़रते मैमून बिन मेह्रान رَضِیَ اللّٰهُ عَنْه फ़रमाते हैं : तुम जिस शख़्स से भी अ़ह्द करो तो उसे पूरा करो, ख़्वाह वोह शख़्स मुसल्मान हो या काफ़िर, क्यूं कि तुम ने उस अ़ह्द पर **अल्लाह** पाक का नाम लिया (और उसे ज़ामिन बनाया) है।[2]

क़सम के मुतअ़ल्लिक़ दो फ़रामीने मुस्त़फ़ा

❀ **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم फ़रमाते हैं : **अल्लाह** करीम तुम को बाप की क़सम खाने से मन्अ़ करता

1... सुन्नी बिहिश्ती ज़ेवर, स. 446 मुल्तक़त़न

2... तफ़्सीरे सिरातुल जिनान, पारह : 14, अन्नह़्ल, तह़्तल आयह : 91, 5/373

है, जो शख़्स क़सम खाए तो **अल्लाह** की क़सम खाए या चुप रहे ।[(1)]

❀ **रसूलुल्लाह** صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم फ़रमाते हैं : जो शख़्स क़सम खाए और दूसरी चीज़ उस से बेहतर पाए तो क़सम का कफ़्फ़ारा दे दे और वोह काम करे ।[(2)]

क़सम की ता'रीफ़

क़सम को अ़रबी ज़बान में "यमीन" कहते हैं जिस का मत्लब है : "दाहनी (या'नी सीधी) जानिब", चूंकि अहले अ़रब उ़मूमन क़सम खाते या क़सम लेते वक़्त एक दूसरे से दाहना (या'नी सीधा) हाथ मिलाते थे इस लिये क़सम को "यमीन" कहने लगे, या फिर यमीन "युम्न" से बना है जिस के मा'ना हैं "बरकत व क़ुव्वत", चूंकि क़सम में **अल्लाह** पाक का बा बरकत नाम भी लेते हैं और इस से अपने कलाम को क़ुव्वत देते हैं इस लिये इसे यमीन कहते हैं या'नी बरकत व क़ुव्वत वाली गुफ़्त्गू ।[(3)] शर्ई़ ए'तिबार से क़सम उस अ़क़्द (या'नी अ़ह्दो पैमां) को कहते हैं जिस के ज़रीए क़सम खाने वाला किसी काम के करने या न करने का पुख़्ता (पक्का) इरादा करता है ।[(4)] मसलन किसी ने यूं कहा : "**अल्लाह** करीम की क़सम ! मैं कल तुम्हारा सारा क़र्ज़ अदा कर दूंगा" तो येह क़सम है ।

क़सम का हुक्म

क़सम खाना जाइज़ है मगर जहां तक हो कमी बेहतर है और बात बात पर क़सम खानी न चाहिये और बा'ज़ लोगों ने क़सम को तक्या कलाम बना रखा है कि क़स्द व बे क़स्द ज़बान से जारी होती है और इस का भी ख़याल नहीं रखते कि बात सच्ची है या झूटी येह सख़्त मा'यूब है ।[(5)]

क़सम की अक़्साम

क़सम की तीन क़िस्में हैं : (1) यमीने लग़्व, (2) यमीने ग़मूस, (3) यमीने मुन्अ़क़िदा ।

1... بخاری، کتاب الایمان والنذور، باب لا تحلفوا بآبائکم، 4/286-287، حدیث:6646

2... مسلم، کتاب الایمان، باب ندب من حلف یمینا... الخ، ص694، حدیث:4271

3... मिरआतुल मनाजीह़, 5/194

4... در مختار، کتاب الایمان، 5/488

5... बहारे शरीअ़त, 2/298, हि़स्सा : 8

यमीने लग़्व

यमीने लग़्व येह है कि किसी गुज़रे हुए या मौजूदा अम्र (या'नी मुआ़मले) पर अपने ख़याल में (या'नी गलत़ फ़हमी की वज्ह से) सह़ीह़ जान कर क़सम खाए और दर ह़क़ीक़त वोह बात उस के ख़िलाफ़ (या'नी उलट) हो।[1]

यमीने लग़्व का हुक्म

यमीने लग़्व मुआ़फ़ है और इस पर कफ़्फ़ारा नहीं।[2]

यमीने ग़मूस

यमीने ग़मूस येह है कि किसी गुज़रे हुए या मौजूदा अम्र (या'नी मुआ़मले) पर दानिस्ता (या'नी जान बूझ कर) झूटी क़सम खाए।[3]

यमीने ग़मूस का हुक्म

यमीने ग़मूस खाने वाला सख़्त गुनहगार हुवा, इस्तिग़फ़ार व तौबा फ़र्ज़ है मगर कफ़्फ़ारा लाज़िम नहीं।[4]

यमीने मुन्अ़क़िदा

यमीने मुन्अ़क़िदा येह है कि मुस्तक़्बिल में किसी काम के करने या न करने की क़सम खाई।[5]

यमीने मुन्अ़क़िदा का हुक्म

यमीने मुन्अ़क़िदा में अगर क़सम तोड़ेगा कफ़्फ़ारा देना पड़ेगा और बा'ज़ सूरतों में गुनहगार भी होगा।[6]

क़सम तोड़ने का कफ़्फ़ारा

क़सम का कफ़्फ़ारा ❀ ग़ुलाम आज़ाद करना, ❀ या दस मिस्कीनों को दोनों वक़्त पेट भर कर खाना खिलाना, ❀ या उन को मुतवस्सित़ दरजे के कपड़े पहनाना है। या'नी येह इख़्तियार है कि इन

1... فتاوی ہندیہ، کتاب الأیمان، الباب الثانی فیما یکون یمینا۔۔۔ الخ، 2/52

2... बहारे शरीअ़त, 2/299, हि़स्सा : 9 मुलख़्ख़सन

3... فتاوی ہندیہ، کتاب الایمان، الباب الثانی فیما یکون یمینا... الخ، 2/52

4... فتاوی ہندیہ، کتاب الایمان، الباب الثانی فیما یکون یمینا... الخ، 2/52

5... فتاوی ہندیہ، کتاب الایمان، الباب الثانی فیما یکون یمینا... الخ، 2/52

6... बहारे शरीअ़त, 2/299, हि़स्सा : 9

तीन बातों में से जो चाहे करे। और जिन मसाकीन को सुब्ह के वक़्त खिलाया उन्हीं को शाम के वक़्त भी खिलाए। ❀ अगर गुलाम आज़ाद करने या दस मिस्कीन को खाना या कपड़े देने पर क़ादिर न हो तो पै दर पै (या'नी लगातार) तीन रोज़े रखे।[1]

क़सम के कफ़्फ़ारे की शराइत़

क़सम के (कफ़्फ़ारे के) लिये चन्द शर्तें हैं कि अगर वोह न हों तो कफ़्फ़ारा नहीं। क़सम खाने वाला (1) मुसल्मान (2) आक़िल (3) बालिग़ हो (4) जिस की क़सम खाई वोह चीज़ अ़क्लन मुम्किन हो या'नी (वाक़ेअ़) हो सकती हो (5) क़सम और जिस चीज़ की क़सम खाई दोनों को एक साथ कहा हो, दरमियान में फ़ासिला होगा तो क़सम न होगी मसलन किसी ने इस से कहलाया कि कहो : खुदा की क़सम। इस ने कहा : खुदा की क़सम। उस ने कहा कहो : फ़ुलां काम करूंगा। इस ने कहा तो येह क़सम न हुई।[2]

सबक़ नम्बर 17 — मन्नत का बयान

क़ुरआन में मन्नत की अहम्मिय्यत

अल्लाह पाक ने क़ुरआने करीम में मन्नत पूरी करने वालों की ता'रीफ़ में इर्शाद फ़रमाया :

يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُوْنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهٗ مُسْتَطِيْرًا ۝ (پ29،الدہر:7)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : अपनी मन्नतें पूरी करते हैं और उस दिन से डरते हैं जिस की बुराई फैली हुई है।

आयत की तफ़्सीर

इस आयते मुबारका में **अल्लाह** पाक के नेक बन्दों के वोह आ'माल ज़िक्र फ़रमाए जा रहे हैं जिन की वज्ह से उन्हें येह सवाब हासिल हुवा। पहला अ़मल : **अल्लाह** पाक के नेक बन्दे त़ाअ़तो इ़बादत और शरीअ़त के वाजिबात पर अ़मल करते हैं ह़त्ता कि वोह इ़बादात जो वाजिब नहीं लेकिन मन्नत मान कर उन्हें अपने ऊपर वाजिब कर लिया तो उन्हें भी अदा करते हैं।[3]

1... बहारे शरीअ़त, 2/305, 308, हिस्सा : 9 मुल्तक़तन

2... فتاوی ہندیہ،کتاب الایمان،الباب الاول...الخ،2/51،ملتقطاً بहारे शरीअ़त, 2/300, 301, हिस्सा : 9 माख़ूज़न

3... तफ़्सीरे सिरातुल जिनान, पारह : 29, अद्दह्र, तह़तल आयह : 7, 10/473 ता 474

मन्नत के मुतअ़ल्लिक़ ह़दीस

❀ ह़ज़रते सा'द बिन उ़बादा رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ ने नबिय्ये करीम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم से फ़तवा पूछा कि उन की मां के ज़िम्मे मन्नत थी और पूरी करने से पहले उन का इन्तिक़ाल हो गया। हुज़ूर صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़तवा दिया कि येह उसे पूरा करें।[1]

मन्नत की ता'रीफ़

याद रहे कि उ़र्फ़ में हदिय्या और पेशकश को नज़्र (मन्नत) कहते हैं। जैसे किसी बड़े को कोई चीज़ पेश करें तो कहते हैं कि जनाब येह आप की नज़्र की।[2]

मन्नत की अक़्साम

नज़्र (मन्नत) की दो क़िस्में हैं : (1) नज़्रे शरई (2) नज़्रे उ़र्फ़ी।

नज़्रे शरई

शरअ़ में नज़्र इ़बादत और क़ुर्बते मक़्सूदा है। इसी लिये अगर किसी ने गुनाह करने की नज़्र मानी तो वोह सह़ीह़ नहीं हुई। नज़्र ख़ास **अल्लाह** पाक के लिये होती है और येह जाइज़ है कि **अल्लाह** पाक के लिये नज़्र करे और किसी वली के आस्ताने के फ़ुक़रा को नज़्र के सर्फ़ करने की जगह मुक़र्रर करे। मसलन किसी ने येह कहा या रब ! मैं ने नज़्र मानी कि अगर तू मेरा फ़ुलां मक़्सद पूरा कर दे कि फ़ुलां बीमार को तन्दुरुस्त कर दे तो मैं फ़ुलां वली के आस्ताने के फ़ुक़रा को खाना खिलाऊं या वहां के ख़ुद्दाम को रुपिया पैसा दूं या उन की मस्जिद के लिये फ़ुलां सामान मुहय्या करूंगा तो येह नज़्र जाइज़ है।

शरई नज़्र सिर्फ़ **अल्लाह** पाक ही के लिये हो सकती है क्यूं कि इस के मा'ना हैं ग़ैर लाज़िम इ़बादत को लाज़िम कर लेना, हां इस नज़्र का मसरफ़ औलियाउल्लाह के ग़रीब मुजाविर भी हो सकते हैं जैसा कि ऊपर बयान हुवा।[3]

1... بخاری، کتاب الایمان والنذور، باب من مات وعلیہ نذر، 4/302، حدیث:6698
2... तफ़्सीरे सिरातुल जिनान, पारह : 3, अल बक़रह, तह़्तल आयह : 270, 1/406
3... तफ़्सीरे सिरातुल जिनान, पारह : 3, अल बक़रह, तह़्तल आयह : 270, 1/406

नज़्र की दूसरी क़िस्म

लुग़वी नज़्र जिसे उ़र्फ़ी नज़्र भी कहते हैं, जो नज़राना के मा'ना में है, वोह मख़्लूक़ के लिये भी हो सकती है। जैसे बुज़ुर्गाने दीन के लिये नज़्रो नियाज़ की जाती है, मज़ारात पर चादर चढ़ाने की नज़्र मानी जाती है। इस त़रह़ की नज़्रों का पूरा करना ज़रूरी नहीं अलबत्ता बेहतर है।[1]

मन्नत की शराइत़

शर्ई मन्नत जिस के मानने से शर्अ़न उस का पूरा करना वाजिब होता है, उस के लिये चन्द शर्तें हैं :

1) ऐसी चीज़ की मन्नत हो कि उस की जिन्स से कोई वाजिब हो, इ़यादते मरीज़ और मस्जिद में जाने और जनाज़े के साथ जाने की मन्नत नहीं हो सकती।

2) वोह इ़बादत ख़ुद बिज़्ज़ात मक़्सूद हो किसी दूसरी इ़बादत के लिये वसीला न हो, लिहाज़ा वुज़ू व ग़ुस्ल व नज़्रे मुस्ह़फ़ की मन्नत सह़ीह़ नहीं।

3) उस चीज़ की मन्नत न हो जो शर्अ़ ने ख़ुद उस पर वाजिब की हो, ख़्वाह फ़िलह़ाल या आइन्दा मसलन आज की ज़ोहर या किसी फ़र्ज़ नमाज़ की मन्नत सह़ीह़ नहीं कि येह चीज़ें तो ख़ुद ही वाजिब हैं।

4) जिस चीज़ की मन्नत मानी वोह ख़ुद ब ज़ातिही कोई गुनाह की बात न हो और अगर किसी और वज्ह से गुनाह हो तो मन्नत सह़ीह़ हो जाएगी। मसलन ईद के दिन रोज़ा रखना मन्अ़ है, अगर इस की मन्नत मानी तो मन्नत हो जाएगी अगर्चे हुक्म येह है कि उस दिन न रखे, बल्कि किसी दूसरे दिन रखे कि येह मुमानअ़त आ़रिज़ी है या'नी ईद के दिन होने की वज्ह से, ख़ुद रोज़ा एक जाइज़ चीज़ है।

5) ऐसी चीज़ की मन्नत न हो जिस का होना मुह़ाल हो, मसलन येह मन्नत मानी कि कल गुज़श्ता मैं रोज़ा रखूंगा येह मन्नत सह़ीह़ नहीं।[2]

मन्नत का हुक्म

शर्ई मन्नत मानने से शर्अ़न उस का पूरा करना वाजिब होता है।[3]

1... तफ़्सीरे सिरातुल जिनान, पारह : 3, अल बक़रह, तह़्तल आयह : 270, 1/407
2... बहारे शरीअ़त, 1/1015, ह़िस्सा : 5
3... बहारे शरीअ़त, 1/1015, ह़िस्सा : 5

सबक़ नम्बर 18 अमानत का बयान

अमानत की अहम्मिय्यत के मुतअ़ल्लिक़ फ़रमाने इलाही

अमानत अदा करने की अहम्मिय्यत के बारे में **अल्लाह** पाक ने कुरआने मजीद में इर्शाद फ़रमाया :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْۤا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ۝۲۷
(پ9،الانفال:27)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : ऐ ईमान वालो **अल्लाह** व रसूल से दग़ा न करो और न अपनी अमानतों में दानिस्ता ख़ियानत ।

अमानत की अहम्मिय्यत के मुतअ़ल्लिक़ फ़रमाने मुस्त़फ़ा

❀ **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : मुनाफ़िक़ की अ़लामत में से येह है कि जब उस के पास अमानत रखी जाए तो ख़ियानत करे ।[1]

अमानत की ता'रीफ़

दूसरे शख़्स को अपने माल की ह़िफ़ाज़त पर मुक़र्रर कर देने को ईदाअ़ कहते हैं और उस माल को वदीअ़त कहते हैं जिस को आ़म तौ़र पर अमानत कहा जाता है ।

अमानत रखने की शराइत़

अमानत रखने की दो शर्त़ें हैं :

(1) वोह माल इस क़ाबिल हो जो क़ब्ज़े में आ सके लिहाज़ा भागे हुए ग़ुलाम के मुतअ़ल्लिक़ कह दिया मैं ने उस को वदीअ़त (अमानत में) रखा या हवा में परिन्दा उड़ रहा है उस को वदीअ़त रखा इन का ज़मान (हलाक होने की सूरत में क़ीमत अदा करना) वाजिब नहीं । (2) जिस के पास अमानत रखी जाए वोह मुकल्लफ़ हो तब ह़िफ़ाज़त वाजिब होगी । अगर बच्चे के पास कोई चीज़ अमानत रख दी, उस ने हलाक कर दी ज़मान वाजिब नहीं ।[2]

1...بخاری،کتاب الایمان،باب علامۃ المنافق،1/24،حدیث:33

2... बहारे शरीअ़त, 3/32, हिस्सा : 14 मुल्तक़त़न

अमानत रखने का हुक्म

वदीअ़त (अमानत) का हुक्म येह है कि वोह चीज़ मूदअ़ (जिस के पास अमानत रखी गई है उस) के पास अमानत होती है। उस की ह़िफ़ाज़त मूदअ़ पर वाजिब होती है। और मालिक के त़लब करने पर देना वाजिब होता है। वदीअ़त (अमानत) का क़बूल करना मुस्तह़ब है। वदीअ़त हलाक हो जाए तो उस का ज़मान (अमानत की क़ीमत अदा करना) वाजिब नहीं। हां उस की कोताही से हलाक हुई तो ज़मान वाजिब है, वदीअ़त को न दूसरे के पास अमानत रख सकता है न आ़रिय्यत या इजारे पर दे सकता है न उस को रह्न रख सकता है इस में से कोई काम करेगा तो तावान देना होगा।[1]

अमानत रखवाने की सूरतें

अमानत रखवाने की दो सूरतें हैं : (1) कभी सराह़तन (वाज़ेह़ त़ौर पर) कह दिया जाता है कि हम ने येह चीज़ तुम्हारी ह़िफ़ाज़त में दी। (2) और कभी दलालतन (बिग़ैर वज़ाह़त के) भी अमानत रखवाई जाती है। मसलन किसी की कोई चीज़ गिर गई और मालिक की ग़ैर मौजूदगी में ले ली। येह चीज़ लेने वाले की ह़िफ़ाज़त में आ गई।[2]

सबक़ नम्बर 19 — आ़रिय्यत का बयान

आ़रिय्यत के मुतअ़ल्लिक़ फ़रमाने इलाही

मुनाफ़िक़ीन मुसल्मानों से रोज़मर्रा की इस्ति'माल की चीज़ ख़ुद तो लेते थे मगर मुसल्मानों को नहीं देते थे तो **अल्लाह** पाक ने इन की मज़म्मत में फ़रमाया :

وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ۠ (پ30،الماعون:7)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और बरत्ने की चीज़ मांगे नहीं देते।

आ़रिय्यत के मुतअ़ल्लिक़ दो फ़रामीने मुस्त़फ़ा

❀ ह़ज़रते अ़ली बिन अबू त़ालिब رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ बयान करते हैं कि **रसूलुल्लाह** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : मुसल्मान मुसल्मान का भाई है, जब वोह उसे मिले तो वोह السلام علیکم कहे और वोह उस से बेहतर अल्फ़ाज़ के

1... बहारे शरीअ़त, 3/32, ह़िस्सा : 14
2... बहारे शरीअ़त, 3/31, ह़िस्सा : 14

साथ जवाब दे । और वोह उस से माऊ़न या'नी रोज़मर्रा के इस्ति'माल की चीज़ न रोके । मैं ने अ़र्ज़ की : **या रसूलल्लाह !** माऊ़न क्या हैं ? तो आप صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : पथ्थर, लोहा, पानी और इन की त़रह़ दीगर चीज़ें ।(1)

❀ ह़ज़रते अबू हुरैरा رَضِیَ اللّٰهُ عَنْه बयान करते हैं कि **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने माऊ़न के बारे में फ़रमाया : इस से मुराद वोह चीज़ें हैं जिन के साथ लोग आपस में एक दूसरे के साथ तआ़वुन करते हैं । मसलन कुल्हाड़ी, हंडिया, डोल और इन की त़रह़ दीगर चीज़ें ।(2)

आ़रिय्यत की ता'रीफ़

दूसरे शख़्स को चीज़ की मन्फ़अ़त (नफ़्अ़) का बिग़ैर इवज़ मालिक कर देना आ़रिय्यत है । जिस की चीज़ है उसे मुईर (आ़रिय्यत देने वाला) कहते हैं और जिस को दी गई मुस्तईर (आ़रिय्यत लेने वाला) है और (जो चीज़ इस्ति'माल के लिये दी गई उस) चीज़ को मुस्तआ़र कहते हैं ।(3)

आ़रिय्यत की शराइत़

आ़रिय्यत की दो शर्तें हैं :

(1) शैए मुस्तआ़र इन्तिफ़ाअ़ के क़ाबिल हो (या'नी जो चीज़ इस्ति'माल के लिये ली है उस से नफ़्अ़ ह़ासिल करना मुम्किन हो) । (2) इवज़ लेने की उस में शर्त़ न हो अगर मुआ़वज़ा शर्त़ हो तो इजारा हो जाएगा ।(4)

आ़रिय्यत के लिये ईजाब व क़बूल

❀ आ़रिय्यत के लिये ईजाब व क़बूल होना ज़रूरी है । ❀ अगर कोई ऐसा फ़े'ल किया जिस से क़बूल मा'लूम होता हो तो येह फ़े'ल ही क़बूल है । मसलन किसी से कोई चीज़ मांगी उस ने ला कर दे दी और कुछ न कहा आ़रिय्यत हो गई । ❀ और अगर वोह शख़्स ख़ामोश रहा कुछ नहीं

(1)... تفسیر در منثور، پ30، الماعون، تحت الآیۃ:7، 8/644
(2)... تفسیر در منثور، پ30، الماعون، تحت الآیۃ:7، 8/644
(3)... बहारे शरीअ़त, 3/54, ह़िस्सा : 14
(4)... बहारे शरीअ़त, 3/54, ह़िस्सा : 14

बोला तो आ़रिय्यत नहीं ।(1)

आ़रिय्यत का हुक्म

आ़रिय्यत का हुक्म येह है कि चीज़, मुस्तईर (आ़रिय्यत लेने वाले) के पास अमानत होती है । अगर मुस्तईर (आ़रिय्यत लेने वाले) ने तअ़द्दी नहीं की है और चीज़ हलाक हो गई तो ज़मान वाजिब नहीं ।(2)

सबक़ नम्बर 20 — गवाही का बयान

गवाही के मुतअ़ल्लिक़ फ़रमाने इलाही

गवाही की अहम्मिय्यत के बारे में इर्शाद है :

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ؕ وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗۤ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ﴿۲۸۳﴾ (پ3، البقرۃ:283)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और गवाही न छुपाओ और जो गवाही छुपाएगा तो अन्दर से उस का दिल गुनहगार है। और **अल्लाह** तुम्हारे कामों को जानता है ।

आयत की तफ़्सीर

इस आयते मुबारका में बयान फ़रमाया कि गवाही न छुपाओ। क्यूं कि गवाही को छुपाना ह़राम और दिल के गुनाहगार होने की अ़लामत है। क्यूं कि इस में साहि़बे ह़क़ के ह़क़ को ज़ाएअ़ करना पाया जाता है। गवाही छुपाना कबीरा गुनाह है चुनान्चे ह़ज़रते अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا से एक ह़दीस मरवी है कि कबीरा गुनाहों में सब से बड़ा गुनाह **अल्लाह** पाक के साथ शरीक करना और झूटी गवाही देना और गवाही को छुपाना है।(3)

गवाही के मुतअ़ल्लिक़ फ़रमाने मुस्त़फ़ा

❀ **रसूलुल्लाह** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : क्या तुम को येह ख़बर न दूं कि बेहतर गवाह कौन

1... बहारे शरीअ़त, 3/54, हि़स्सा : 14
2... बहारे शरीअ़त, 3/54, हि़स्सा : 14
3... तफ़्सीरे सिरातुल जिनान, पारह : 3, अल बक़रह, तहूतल आयह : 283, 1/425, شعب الایمان، باب فی حشر الناس بعدما یبعثون من قبورھم، 1/272، حدیث:291ملتقطا

है ? वोह जो गवाही देता है इस से क़ब्ल कि उस से गवाही के लिये कहा जाए ।[1]

गवाही की ता'रीफ़

किसी ह़क़ के साबित करने के लिये मजलिसे क़ाज़ी में लफ़्ज़े शहादत के साथ सच्ची ख़बर देने को शहादत या गवाही कहते हैं ।[2]

गवाही फ़र्ज़े किफ़ाया

शहादत (गवाही) फ़र्ज़े किफ़ाया है । बा'ज़ ने कर लिया तो बाक़ी लोगों से साक़ित़ । और दो ही शख़्स हों तो फ़र्ज़े ऐन है । ख़्वाह तह़म्मुल हो या अदा या'नी गवाह बनाने के लिये बुलाए गए या गवाही देने के लिये दोनों सूरतों में जाना ज़रूरी है ।[3]

गवाही का रुक्न

शहादत (गवाही) का रुक्न येह है कि ब वक़्ते अदा गवाह येह लफ़्ज़ कहे कि मैं गवाही देता हूं । इस लफ़्ज़ का येह मत़लब है कि मैं ख़ुदा की क़सम खा कर कहता हूं कि मैं इस बात पर मुत्त़लअ़ हुवा और अब इस की ख़बर देता हूं । अगर गवाही में येह लफ़्ज़ कह दिया कि मेरे इ़ल्म में येह है या मेरा गुमान येह है तो गवाही मक़्बूल नहीं । आज कल अंग्रेज़ी कचह़रियों में इन लफ़्ज़ों से गवाही दी जाती है मैं ख़ुदा को ह़ाज़िर नाज़िर जान कर कहता हूं । येह शर्अ़ के ख़िलाफ़ है ।[4]

गवाही की शराइत़

गवाही की शर्तें दो क़िस्म की हैं : (1) शराइते़ तह़म्मुल (2) शराइते़ अदा ।

शराइते़ तह़म्मुल

शराइते़ तह़म्मुल का मत़लब है मुआ़मले के गवाह बनने की शर्तें । या'नी जब कोई मुआ़मला

1... مسلم، کتاب الاقضیۃ، باب بیان خیر الشھود، ص731، حدیث:4494

2... बहारे शरीअ़त, 2/930, ह़िस्सा : 12
3... बहारे शरीअ़त, 2/931, ह़िस्सा : 12
4... बहारे शरीअ़त, 2/932, ह़िस्सा : 12

हो रहा हो तो उस वक़्त येह तीन शराइत़ गवाह में होना ज़रूरी हैं।[1]

(1) ब वक़्ते तह़म्मुल आ़क़िल होना, (2) अंख्यारा होना (3) जिस चीज़ का गवाह बने उस का मुशाहदा करना।

❀ लिहाज़ा मज्नूं या ग़ैर अ़क़्ल मन्द बच्चे या अन्धे की गवाही दुरुस्त नहीं। ❀ यूंही जिस चीज़ का मुशाहदा न किया हो मह़ज़ सुनी सुनाई बात की गवाही देना जाइज़ नहीं। ❀ हां बा'ज़ उमूर की शहादत बिग़ैर देखे मह़ज़ सुनने के साथ हो सकती है। ❀ तह़म्मुल के लिये बुलूग़, हुर्रिय्यत, इस्लाम, अ़दालत शर्त़ नहीं या'नी अगर वक़्ते तह़म्मुल बच्चा या ग़ुलाम या काफ़िर या फ़ासिक़ था मगर अदा के वक़्त बच्चा बालिग़ हो गया है ग़ुलाम आज़ाद हो चुका है काफ़िर मुसल्मान हो चुका है फ़ासिक़ ताइब हो चुका है तो गवाही मक़्बूल है।

शराइते़ अदा

क़ाज़ी के सामने गवाही देते वक़्त गवाह में जिन शर्तों का होना ज़रूरी हैं उन्हें शराइते़ अदा कहते हैं। शराइते़ अदा तेरह (13) हैं जो येह हैं :

(1) गवाह का आ़क़िल (2) बालिग़ (3) आज़ाद (4) अंख्यारा होना (5) नात़िक़ होना (6) मह़दूद फ़िल क़ज़्फ़ न होना या'नी उसे तोहमत की ह़द न मारी गई हो (7) गवाही देने में गवाह का नफ़्अ़ या दफ़्ए़ ज़रर मक़्सूद न होना (8) जिस चीज़ की शहादत देता हो उस को जानता हो उस वक़्त भी उसे याद हो (9) गवाह का फ़रीक़े मुक़द्दमा न होना (10) जिस के ख़िलाफ़ शहादत देता है वोह मुसल्मान हो तो गवाह का मुसल्मान होना (11) हुदूद व क़िसास में गवाह का मर्द होना (12) हुक़ूक़ुल इबाद में जिस चीज़ की गवाही देता है उस का पहले से दा'वा होना (13) शहादत का दा'वे के मुवाफ़िक़ होना।[2]

गवाही देने के वुजूब की शराइत़

अदाए शहादत (गवाही देने के) वाजिब होने के लिये चन्द शराइत़ हैं : (1) हुक़ूक़ुल इबाद में मुद्दई का त़लब करना और अगर मुद्दई को इस का गवाह होना मा'लूम न हो और इस को मा'लूम हो कि गवाही न देगा तो मुद्दई की ह़क़ तलफ़ी होगी इस सूरत में बिग़ैर त़लब गवाही देना वाजिब है। (2) येह मा'लूम हो कि क़ाज़ी इस की गवाही क़बूल कर लेगा और अगर मा'लूम हो कि क़बूल नहीं करेगा तो गवाही देना वाजिब नहीं। (3) गवाही के लिये येह मुअ़य्यन है और अगर मुअ़य्यन न हो या'नी और भी बहुत से गवाह हों तो गवाही देना वाजिब नहीं जब कि दूसरे लोग गवाही दे दें और वोह इस क़ाबिल

1... बहारे शरीअ़त, 2/931, ह़िस्सा : 12 तस्हीलन

2... बहारे शरीअ़त, 2/931, 932, ह़िस्सा : 12

हों कि उन की गवाही मक़्बूल होगी। ❀ और अगर ऐसे लोगों ने शहादत दी जिन की गवाही मक़्बूल न होगी और इस ने न दी तो येह गुनहगार है। ❀ और अगर इस की गवाही दूसरों की ब निस्बत जल्द क़बूल होगी अगर्चे दूसरों की भी क़बूल होगी और उस ने न दी गुनहगार है। (4) दो आ़दिल की ज़बानी उस अम्र का बुत़लान मा'लूम न हुवा हो जिस की शहादत देना चाहता है। मसलन मुद्दई ने दैन का दा'वा किया है जिस का येह शाहिद है मगर दो आ़दिल से मा'लूम हुवा कि मुद्दआ़ अ़लैह (जिस पर दा'वा किया गया) दैन (क़र्ज़) अदा कर चुका है तो क़र्ज़ की गवाही देना दुरुस्त नहीं। ❀ और अगर ख़बर देने वाले आ़दिल न हों तो गवाह को इख़्तियार है गवाही दे और क़ाज़ी के सामने जो कुछ सुना है ज़ाहिर कर दे और येह भी इख़्तियार है कि गवाही से इन्कार कर दे। ❀ और अगर ख़बर देने वाला एक आ़दिल हो तो गवाही से इन्कार नहीं कर सकता। (5) जिस क़ाज़ी के पास शहादत के लिये बुलाया जाता है वोह आ़दिल हो। (6) गवाह को येह मा'लूम न हो कि इक़रार करने वाले ने ख़ौफ़ की वज्ह से इक़रार किया है। अगर येह मा'लूम हो जाए तो गवाही न दे। मसलन मुद्दआ़ अ़लैह (जिस पर दा'वा किया गया) से जब्रन एक चीज़ का इक़रार कराया गया तो उस इक़रार की शहादत दुरुस्त नहीं। (7) गवाह ऐसी जगह हो कि वोह कचहरी से क़रीब हो या'नी क़ाज़ी के यहां जा कर गवाही दे कर शाम तक अपने मकान को वापस आ सकता हो। ❀ और अगर ज़ियादा फ़ासिला हो कि शाम तक वापस न आ सकता हो तो गवाही न देने में गुनाह नहीं। ❀ और अगर बूढ़ा है कि पैदल कचहरी तक नहीं जा सकता और ख़ुद उस के पास सुवारी नहीं है मुद्दई अपनी त़रफ़ से उसे सुवार कर के ले गया इस में ह़रज नहीं। ❀ और गवाही मक़्बूल है और अगर अपनी सुवारी पर जा सकता हो और मुद्दई सुवार कर के ले गया तो गवाही मक़्बूल नहीं।[1]

गवाही का हुक्म

शहादत का हुक्म येह है कि गवाहों का जब तज़्किया हो जाए (या'नी जब क़ाज़ी गवाहों के मुतअ़ल्लिक़ येह तह़क़ीक़ कर ले कि वोह आ़दिल और मो'तबर हैं या नहीं) उस के मुवाफ़िक़ हुक्म करना वाजिब है और जब तमाम शराइत़ पाए गए और क़ाज़ी ने गवाही के मुवाफ़िक़ फ़ैसला न किया गुनहगार हुवा और मुस्तह़िक़्क़े अ़ज़्लो ता'ज़ीर है (या'नी वोह क़ाज़ी इस बात का मुस्तह़िक़ है कि उसे मा'ज़ूल कर के तादीबन सज़ा दी जाए)।[2]

अहम मस्अला

मुद्दई के त़लब करने पर गवाही देना लाज़िम है। और अगर गवाह को अन्देशा हो कि गवाही न देगा तो साह़िबे ह़क़ (ह़क़दार) का ह़क़ तलफ़ (ज़ाएअ़) हो जाएगा। या'नी उसे मा'लूम ही नहीं है कि

1... बहारे शरीअ़त, 2/932, 933, ह़िस्सा : 12 मुल्तक़त़न

2... बहारे शरीअ़त, 2/932, ह़िस्सा : 12

फुलां शख़्स मुआ़मले को जानता है कि उसे गवाही के लिये त़लब करता इस सूरत में बिग़ैर त़लब भी गवाही देना लाज़िम है।[1]

सबक़ नम्बर 21 वक़्फ़ का बयान

तीन चीज़ें सदक़ए जारिया हैं

ह़ज़रते अबू हुरैरा رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ बयान करते हैं कि **रसूलुल्लाह** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم फ़रमाते हैं : जब इन्सान मर जाता है उस के अ़मल ख़त्म हो जाते हैं, मगर तीन चीज़ों से : सदक़ए जारिया या इ़ल्म जिस से उस के मरने के बा'द लोगों को नफ़्अ़ पहुंचता रहता है। या नेक औलाद छोड़ जाए जो मरने के बा'द अपने वालिदैन के लिये दुआ़ करती रहे।[2]

वक़्फ़ की ता'रीफ़

वक़्फ़ के येह मा'ना हैं कि किसी शै को अपनी मिल्क से ख़ारिज कर के ख़ालिस **अल्लाह** पाक की मिल्क कर देना, इस त़रह़ कि उस का नफ़्अ़ बन्दगाने ख़ुदा में से जिस को चाहे मिलता रहे।[3]

बेहतरीन वक़्फ़

❀ वक़्फ़ में अगर निय्यत अच्छी हो और वोह वक़्फ़ कुनन्दा (वक़्फ़ करने वाला) अहले निय्यत या'नी मुसल्मान हो तो मुस्तह़िक़्क़े सवाब है। ❀ वक़्फ़ एक सदक़ए जारिया है कि वाक़िफ़ (वक़्फ़ करने वाला) हमेशा उस का सवाब पाता रहेगा। ❀ और सब में बेहतर वोह वक़्फ़ है जिस की मुसल्मानों को ज़ियादा ज़रूरत हो और जिस का ज़ियादा नफ़्अ़ हो। ❀ मसलन किताबें ख़रीद कर कुतुब ख़ाना बनाया और वक़्फ़ कर दिया कि हमेशा दीन की बातें उस के ज़रीए़ से मा'लूम होती रहेंगी। ❀ और अगर वहां मस्जिद न हो और इस की ज़रूरत हो तो मस्जिद बनवाना बहुत सवाब का काम है। ❀ और ता'लीमे इ़ल्मे दीन के लिये मद्रसे की ज़रूरत हो तो मद्रसा क़ाइम कर देना और उस की बक़ा के लिये जायदाद वक़्फ़ करना कि हमेशा मुसल्मान उस से फ़ैज़ पाते रहें, निहायत आ'ला दरजे का नेक काम है।[4]

1... बहारे शरीअ़त, 2/930, हिस्सा : 12

2... مسلم، کتاب الوصیۃ، باب ما یلحق الانسان من الثواب بعد وفاتہ، ص684، حدیث:4223

3... बहारे शरीअ़त, 2/523, हिस्सा : 10

4... बहारे शरीअ़त, 2/524, हिस्सा : 10

वक़्फ़ की शराइत़ व अह़काम

वक़्फ़ चूंकि एक क़िस्म का नफ़्ली सदक़ा है। लिहाज़ा तमाम वोह शराइत़ जो नफ़्ली सदक़ात में हैं यहां भी मो'तबर हैं और इन के इ़लावा भी शर्तें हैं। वक़्फ़ की शराइत़ येह हैं :

(1) वाक़िफ़ का आ़क़िल होना।

(2) बालिग़ होना, ना बालिग़ और मज्नून ने वक़्फ़ किया येह सह़ीह़ नहीं हुवा।

(3) आज़ाद होना। ग़ुलाम ने वक़्फ़ किया सह़ीह़ न हुवा। इस्लाम शर्त़ नहीं, लिहाज़ा काफ़िरे ज़िम्मी का वक़्फ़ भी सह़ीह़ है।

(4) वोह काम जिस के लिये वक़्फ़ करता है फ़ी नफ़्सिही सवाब का काम हो।

❀ या'नी वाक़िफ़ के नज़्दीक भी वोह सवाब का काम हो और वाक़ेअ़ में भी सवाब का काम हो। ❀ अगर सवाब का काम नहीं है तो वक़्फ़ सह़ीह़ नहीं। ❀ मसलन किसी ना जाइज़ काम के लिये वक़्फ़ किया और अगर वाक़िफ़ के ख़याल में वोह नेकी का काम हो मगर ह़क़ीक़त में सवाब का काम न हो तो वक़्फ़ सह़ीह़ नहीं। ❀ और अगर वाक़ेअ़ में सवाब का काम है मगर वाक़िफ़ के ए'तिक़ाद में कारे सवाब नहीं जब भी वक़्फ़ सह़ीह़ नहीं। ❀ लिहाज़ा अगर नसरानी ने बैतुल मुक़द्दस पर कोई जायदाद वक़्फ़ की, कि इस की आमदनी से उस की मरम्मत की जाए या उस के तेल बत्ती में सर्फ़ की जाए येह जाइज़ है। ❀ या यूं वक़्फ़ किया कि हर साल एक ग़ुलाम ख़रीद कर आज़ाद किया जाए या मसाकीन अहले ज़िम्मा या मुस्लिमीन पर सर्फ़ किया जाए येह जाइज़ है। ❀ और अगर गिरजा या बुतख़ाने के नाम वक़्फ़ किया कि उस की मरम्मत या चराग़ बत्ती में सर्फ़ किया जाए या ह़र्बियों पर सर्फ़ किया जाए तो येह बात़िल है कि येह सवाब का काम नहीं। ❀ और अगर नसरानी ने ह़ज व उ़म्रह के लिये वक़्फ़ किया जब भी वक़्फ़ सह़ीह़ नहीं कि अगर्चे येह कारे सवाब है मगर उस के ए'तिक़ाद में सवाब का काम नहीं।

(5) वक़्फ़ के वक़्त वोह चीज़ वाक़िफ़ की मिल्क हो।

❀ अगर वक़्फ़ करने के वक़्त उस की मिल्क न हो बा'द में हो जाए तो वक़्फ़ सह़ीह़ नहीं। ❀ मसलन एक शख़्स ने मकान या ज़मीन ग़स्ब कर ली थी उसे वक़्फ़ कर दिया फिर मालिक से उस को ख़रीद लिया और समन भी अदा कर दिया या कोई चीज़ दे कर मालिक से मुसालह़त कर ली तो अगर्चे अब मालिक हो गया है मगर वक़्फ़ सह़ीह़ नहीं कि वक़्फ़ के वक़्त मालिक न था।

(6) जिस ने वक़्फ़ किया वोह अपनी कम अ़क़्ली या दैन (क़र्ज़) की वज्ह से मम्नूउ़त्तसर्रुफ़ न हो (या'नी लेनदेन व दीगर मुआ़मलात से रोका न गया हो)।

❀ एक बे वुक़ूफ़ शख़्स है जिस की निस्बत क़ाज़ी को अन्देशा है कि अगर उस की रोकथाम न की गई तो जायदाद तबाहो बरबाद कर देगा। क़ाज़ी ने हुक्म दे दिया कि येह शख़्स अपनी जायदाद में तसर्रुफ़ न करे, उस ने कुछ जायदाद वक़्फ़ की तो वक़्फ़ सह़ीह़ न हुवा।

(7) जहालत न होना या'नी जिस को वक़्फ़ किया या जिस पर वक़्फ़ किया, वोह मा'लूम हो।

❀ अपनी जायदाद का एक ह़िस्सा वक़्फ़ किया और येह ता'यीन नहीं की, कि वोह कितना है। मसलन तिहाई, चौथाई वग़ैरा तो वक़्फ़ सह़ीह़ न हुवा अगर्चे बा'द में उस ह़िस्से की ता'यीन कर दे।

(8) वक़्फ़ को शर्त़ पर मुअ़ल्लक़ न किया हो।

❀ अगर शर्त़ पर मुअ़ल्लक़ किया मसलन मेरा बेटा सफ़र से वापस आए तो येह ज़मीन वक़्फ़ है ❀ या अगर मैं इस ज़मीन का मालिक हो जाऊं ❀ या इसे ख़रीद लूं तो वक़्फ़ है, येह वक़्फ़ सह़ीह़ नहीं। ❀ बल्कि अगर वोह शर्त़ ऐसी हो जिस का होना यक़ीनी है जब भी सह़ीह़ नहीं मसलन अगर कल का दिन आ जाए तो वक़्फ़ है। ❀ अगर ऐसी शर्त़ पर मुअ़ल्लक़ किया जो फ़िलह़ाल मौजूद है तो ता'लीक़ बात़िल है और वक़्फ़ सह़ीह़। मसलन येह कहा कि अगर येह ज़मीन मेरी मिल्क में हो या मैं इस का मालिक हो जाऊं तो वक़्फ़ है और इस कहने के वक़्त ज़मीन उस की मिल्क में है तो वक़्फ़ सह़ीह़ है और उस वक़्त मिल्क में नहीं है तो सह़ीह़ नहीं।

(9) जायदादे मौक़ूफ़ा को बैअ़ कर के समन (क़ीमत) को सर्फ़ (ख़र्च) कर डालने की शर्त़ न हो। ❀ यूंही येह शर्त़ कि जिस को मैं चाहूंगा हिबा कर दूंगा ❀ या जब मुझे ज़रूरत होगी इसे रह्न रख दूंगा। ❀ ग़रज़ ऐसी शर्त़ जिस से वक़्फ़ का इब्त़ाल होता हो (या'नी उस से वक़्फ़ बात़िल होता हो) वक़्फ़ को बात़िल कर देती है। ❀ वक़्फ़ अगर मस्जिद है और उस में इस क़िस्म की शर्तें लगाईं। मसलन इस को मस्जिद किया और मुझे इख़्तियार है कि इसे बैअ़ कर डालूं या हिबा कर दूं तो वक़्फ़ सह़ीह़ है और शर्त़ बात़िल।

(10) ताबीद या'नी हमेशा के लिये होना।

❀ मगर सह़ीह़ येह है कि वक़्फ़ में हमेशगी का ज़िक्र करना शर्त़ नहीं। ❀ या'नी अगर वक़्फ़े मुअब्बद न कहा जब भी मुअब्बद ही है ❀ और अगर मुद्दते ख़ास का ज़िक्र किया। मसलन मैं ने अपना मकान एक माह के लिये वक़्फ़ किया और जब महीना पूरा हो जाए तो वक़्फ़ बात़िल हो जाएगा तो येह वक़्फ़ न हुवा और अभी से बात़िल है।

(11) वक़्फ़ बिल आख़िर ऐसी जिहत के लिये हो जिस में इन्क़िताअ़ (इख़्तिताम) न हो।
❀ मसलन किसी ने अपनी जायदाद अपनी औलाद पर वक़्फ़ की और येह ज़िक्र कर दिया कि जब मेरी औलाद का सिल्सिला न रहे तो मसाकीन पर या नेक कामों में सर्फ़ की जाए तो वक़्फ़ सहीह़ है कि अब मुन्क़त़अ़ (ख़त्म) होने की कोई सूरत न रही। ❀ अगर फ़क़त़ इतना ही कहा कि मैं ने इसे वक़्फ़ किया और मौक़ूफ़ अ़लैह का ज़िक्र न किया तो उ़र्फ़न इस के येही मा'ना हैं कि नेक कामों में सर्फ़ होगी और ब लिहाज़े मा'ना ऐसी जिहत होगी जिस के लिये इन्क़िताअ़ नहीं, लिहाज़ा येह वक़्फ़ सहीह़ है।[1]

वक़्फ़ का हुक्म

❀ वक़्फ़ का हुक्म येह है कि शैए मौक़ूफ़ (वोह चीज़ जिसे वक़्फ़ किया गया है) वाक़िफ़ (वक़्फ़ करने वाले) की मिल्क से ख़ारिज हो जाती है मगर मौक़ूफ़ अ़लैह (या'नी जिस पर वक़्फ़ किया है उस की) मिल्क में दाख़िल नहीं होती बल्कि ख़ालिस **अल्लाह** पाक की मिल्क क़रार पाती है।[2] ❀ वक़्फ़ का हुक्म येह (भी) है कि ❀ न ख़ुद वक़्फ़ करने वाला उस का मालिक है ❀ न दूसरे को इस का मालिक बना सकता है ❀ न उस को बैअ़ कर सकता है ❀ न आ़रिय्यत दे सकता है ❀ न उस को रह्न रख सकता है।[3] ❀ वक़्फ़ को न बात़िल कर सकता है ❀ न उस में मीरास जारी होगी ❀ न उस की बैअ़ हो सकती है ❀ न हिबा हो सकता है।[4]

सबक़ नम्बर 22

तौलियत का बयान

तौलियत की ता'रीफ़

तौलियत का मत़लब है वक़्फ़ किये हुए माल का निगरान और मुन्तज़िम बनना। जो मुन्तज़िम बनता है उसे मुतवल्ली कहते हैं।

मुतवल्ली की शराइत़ व औसाफ़

❀ जो शख़्स अवक़ाफ़ की तौलियत की (मुन्तज़िम बनने की, माले वक़्फ़ की निगरानी की) दरख़्वास्त करे ऐसे को मुतवल्ली नहीं बनाना चाहिये ❀ और मुतवल्ली ऐसे को मुक़र्रर करना चाहिये जो अमानत दार हो ❀ और वक़्फ़ के काम करने पर क़ादिर हो ख़्वाह ख़ुद ही काम करे या अपने नाइब

1... बहारे शरीअ़त, 2/525 ता 533, हिस़्सा : 10 मुल्तक़त़न
2... बहारे शरीअ़त, 2/524, हिस़्सा : 10
3... बहारे शरीअ़त, 2/533, हिस़्सा : 10
4... बहारे शरीअ़त, 2/523, हिस़्सा : 10

से कराए । ❀ और मुतवल्ली होने के लिये आ़क़िल बालिग़ होना शर्त़ है ।[1]

तौलियत के चन्द अहम अह़काम

❀ वाक़िफ़ (वक़्फ़ करने वाले) ने अपने ही (आप) को मुतवल्ली (मुन्तज़िम) कर रखा है तो इस में भी उन सिफ़ात का होना ज़रूरी है, जो दूसरे मुतवल्ली में ज़रूरी हैं ।[2]

❀ मुतवल्ली (मुन्तज़िम) अगर अमीन (अमानत दार) न हो ख़ियानत करता हो ❀ या काम करने से आ़जिज़ है ❀ या अ़लानिया शराब पीता, जूआ खेलता ❀ या कोई दूसरा फ़िस्क़ (गुनाह) अ़लानिया करता हो ❀ या उसे कीमिया बनाने की धत (आसानी से रोज़ी कमाने की बुरी आ़दत, दौलत ज़ियादा से ज़ियादा कमाने का जुनून, तांबे को सोना बनाने का जुनून) हो तो उस को मा'ज़ूल कर देना वाजिब है कि अगर क़ाज़ी ने उस को मा'ज़ूल न किया तो क़ाज़ी भी गुनहगार है । ❀ और जिस में येह सिफ़ात पाए जाते हों, उस को मुतवल्ली बनाना भी गुनाह है ।

❀ वाक़िफ़ ने अपने ही को मुतवल्ली किया है और वक़्फ़ नामे में येह शर्त़ लिख दी है कि मुझे इस की तौलियत से जुदा नहीं किया जा सकता या मुझे क़ाज़ी या बादशाहे इस्लाम भी मा'ज़ूल नहीं कर सकते इस शर्त़ की पाबन्दी नहीं की जा सकती । अगर ख़ियानत वग़ैरा वोह उमूर ज़ाहिर हुए जिन से मुतवल्ली मा'ज़ूल कर दिया जाता है तो येह भी मा'ज़ूल कर दिया जाएगा ।[3]

❀ वाक़िफ़ को इख़्तियार है कि मुतवल्ली को मा'ज़ूल कर के दूसरा मुतवल्ली मुक़र्रर कर दे या ख़ुद अपने आप मुतवल्ली बन जाए ।[4]

❀ वाक़िफ़ (वक़्फ़ करने वाले ने) ने वसिय्यत की, कि मेरे बा'द मेरा लड़का मुतवल्ली होगा और वाक़िफ़ के मरने के वक़्त लड़का ना बालिग़ है तो जब तक ना बालिग़ है दूसरे शख़्स को मुतवल्ली किया जाए और बालिग़ होने पर लड़के को तौलियत दी जाएगी ।

❀ औ़रत को भी मुतवल्ली कर सकते हैं और नाबीना को भी और मह़दूद फ़िल क़ज़फ़ (या'नी जिसे तोहमते ज़िना की शरई सज़ा मिल चुकी हो) ने तौबा कर ली हो तो उसे भी ।

❀ वाक़िफ़ ने येह शर्त़ की है कि वक़्फ़ का मुतवल्ली मेरी औलाद में से उस को किया जाए जो सब में होशियार नेकोकार हो तो इस शर्त़ को लिह़ाज़ रखते हुए मुतवल्ली मुक़र्रर किया जाए उस के ख़िलाफ़ मुतवल्ली करना सह़ीह़ नहीं ।

1... बहारे शरीअ़त, 2/575, हिस्सा : 10
2... बहारे शरीअ़त, 2/576, हिस्सा : 10
3... बहारे शरीअ़त, 2/577, हिस्सा : 10
4... बहारे शरीअ़त, 2/578, हिस्सा : 10

❀ सूरते मज़्कूरा में उस की औलाद में जो सब में बेहतर था वोह फ़ासिक़ हो गया तो मुतवल्ली वोह होगा जो उस के बा'द सब में बेहतर है। ❀ यूंही अगर उस अफ़्ज़ल ने तौलियत से इन्कार कर दिया तो जो उस के बा'द बेहतर है वोह मुतवल्ली होगा। ❀ और अगर सब ही अच्छे हों तो जो बड़ा है वोह होगा। अगर्चे वोह औरत हो। ❀ और अगर उस की औलाद में सब ना अह्ल हों तो किसी अजनबी को क़ाज़ी मुतवल्ली मुक़र्रर करेगा उस वक़्त तक के लिये कि उन में का कोई अह्ल हो जाए।(1)

सबक़ नम्बर 23 ख़रीदो फ़रोख़्त का बयान

ख़रीदो फ़रोख़्त के मुतअ़ल्लिक़ फ़रमाने इलाही

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ؕ (پ3،البقرة:275)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और **अल्लाह** ने ह़लाल किया बैअ़ और ह़राम किया सूद

आयत की तफ़्सीर

इस आयते मुबारका में ख़रीदो फ़रोख़्त को जाइज़ क़रार दिया है और सूद को ह़राम ठहराया है। इन दोनों में ज़मीनो आस्मान का फ़र्क़ है। ग़ौर करें कि तिजारत करने से हुस्ने सुलूक में फ़र्क़ नहीं आता, आदमी सुस्त, काहिल और मशक़्क़त से जी चुराने वाला नहीं बनता, अपने माल को ख़त़रे पर पेश करता है, नफ़्अ़ व नुक़्सान दोनों की उम्मीद होती है, वोह दूसरे की बरबादी व मोह़ताजी का आरज़ू मन्द नहीं होता जब कि सूद वाला बे रह़्म हो जाता है, वोह मुफ़्त में किसी को रक़म देने का तसव्वुर नहीं करता, इन्सानी हमदर्दी उस से रुख़्सत हो जाती है, क़र्ज़ लेने वाला डूबे, मरे, तबाह हो येह बहर सूरत उसे निचोड़ने पर तुला रहता है। आख़िर येह सब फ़र्क़ क्या हैं ? तिजारत और सूद को एक जैसा कहने वाले को क्या येह फ़र्क़ नज़र नहीं आता ? इस लिये **अल्लाह** पाक ने फ़रमाया कि **अल्लाह** ने तिजारत को ह़लाल किया है और सूद को ह़राम किया है।(2)

ख़रीदो फ़रोख़्त के मुतअ़ल्लिक़ दो फ़रामीने मुस्त़फ़ा

❀ ह़ज़रते मिक़्दाम बिन मा'दी करिब رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ की कनीज़ दूध बेचा करती थी और उस का समन (क़ीमत) मिक़्दाम رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ लिया करते थे। उन से किसी ने कहा : سُبْحٰنَ اللّٰہ ! आप दूध बेचते हैं और उस का समन (क़ीमत) लेते हैं (गोया उस ने उस तिजारत को नज़रे ह़क़ारत से देखा)। उन्हों ने जवाब दिया :

1... बहारे शरीअ़त, 2/576, ह़िस्सा : 10 मुल्तक़त़न

2... तफ़्सीरे सिरात़ुल जिनान, पारह : 3, अल बक़रह, तह़्तल आयह : 275, 1/413

हां मैं येह काम करता हूं और इस में ह़रज ही क्या है। मैं ने **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم से सुना है कि लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि सिवाए रुपै और अशरफ़ी के कोई चीज़ नफ़्अ़ नहीं देगी।[1]

❀ हुज़ूर صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : तुज्जार बदकार हैं। लोगों ने अ़र्ज़ की : **या रसूलल्लाह !** क्या **अल्लाह** पाक ने बैअ़ (तिजारत, ख़रीदो फ़रोख़्त) ह़लाल नहीं की है ? फ़रमाया : हां ! बैअ़ ह़लाल है, लेकिन येह लोग बात करने में झूट बोलते हैं और क़सम खाते हैं, उस में झूटे होते हैं।[2]

बैअ़ की ता'रीफ़

ख़रीदो फ़रोख़्त को बैअ़ कहते हैं और बैअ़ के मा'ना येह हैं कि दो शख़्सों का बाहम माल को माल से एक मख़्सूस सूरत के साथ तबादला करना।

बैअ़ के अरकान

बैअ़ कभी क़ौल (बोल कर) होती है। जब क़ौल से हो तो उस के अरकान ईजाब व क़बूल हैं मसलन एक ने कहा : मैं ने बेचा दूसरे ने कहा : मैं ने ख़रीदा। और कभी बैअ़ फ़े'ल (अ़मल) से होती है। जब फ़े'ल (अ़मल) से हो तो चीज़ का ले लेना और क़ीमत का दे देना इस के अरकान हैं और येह फ़े'ल ईजाब व क़बूल के क़ाइम मक़ाम हो जाता है। मसलन तरकारी (सब्ज़ी जैसे पालक, मेथी) वग़ैरा की गड्डियां बना कर अक्सर बेचने वाले रख देते हैं और ज़ाहिर कर देते हैं कि पैसे पैसे की गड्डी है ख़रीदार आता है एक पैसा डाल देता है और एक गड्डी उठा लेता है त़रफ़ैन (बेचने वाला और ख़रीदने वाला) बाहम कोई बात नहीं करते मगर दोनों के फ़े'ल ईजाब व क़बूल के क़ाइम मक़ाम शुमार होते हैं और इस क़िस्म की बैअ़ को बैए़ तआ़ती़ कहते हैं। बैअ़ के त़रफ़ैन में से एक को बाएअ़ (बेचने वाला) और दूसरे को मुश्तरी (ख़रीदने वाला) कहते हैं।[3]

बैअ़ की शराइत़

बैअ़ (ख़रीदो फ़रोख़्त) के लिये चन्द शराइत़ हैं :

---

1 ...مسند امام احمد، مسند الشامیین، 6/96، حدیث:17201

2 ...مسند امام احمد، حدیث عبد الرحمن بن شبل، 5/288، حدیث:15530

3 ... बहारे शरीअ़त, 2/515, 516, हिस्सा : 11

1. बाएअ़ व मुश्तरी का आ़क़िल होना या'नी मज्नून या बिल्कुल ना समझ बच्चे की बैअ़ सह़ीह़ नहीं।
2. आ़क़िद का मुतअ़द्दद होना या'नी एक ही शख़्स बाएअ़ व मुश्तरी दोनों हो येह नहीं हो सकता मगर बाप या वसी कि ना बालिग़ बच्चे के माल को बैअ़ करें और ख़ुद ही ख़रीदें या अपना माल उन से बैअ़ करें। या क़ाज़ी कि एक यतीम के माल को दूसरे यतीम के लिये बैअ़ करे तो अगर्चे इन सूरतों में एक ही शख़्स बाएअ़ व मुश्तरी दोनों है मगर बैअ़ जाइज़ है बशर्ते कि वसी की बैअ़ में यतीम का खुला हुवा नफ़्अ़ हो। यूंही एक ही शख़्स दोनों त़रफ़ से क़ासिद हो तो इस सूरत में भी बैअ़ जाइज़ है।(1)
3. ईजाब व क़बूल में मुवाफ़क़त होना या'नी जिस चीज़ का ईजाब है उसी का क़बूल हो या जिस चीज़ के साथ ईजाब किया है उसी के साथ क़बूल हो अगर क़बूल किसी दूसरी चीज़ को किया या जिस का ईजाब था उस के एक जुज़ को क़बूल किया या क़बूल में समन दूसरा ज़िक्र किया या ईजाब के बा'ज़ समन के साथ क़बूल किया इन सब सूरतों में बैअ़ सह़ीह़ नहीं। हां अगर मुश्तरी ने ईजाब किया और बाएअ़ ने उस से कम समन के साथ क़बूल किया तो बैअ़ सह़ीह़ है।
4. ईजाब व क़बूल का एक मजलिस में होना।
5. हर एक का दूसरे के कलाम को सुनना। मुश्तरी ने कहा : मैं ने ख़रीदा, मगर बाएअ़ ने नहीं सुना तो बैअ़ न हुई, हां अगर मजलिस वालों ने मुश्तरी का कलाम सुन लिया है और बाएअ़ कहता है : मैं ने नहीं सुना है तो क़ज़ाअन बाएअ़ का क़ौल ना मो'तबर है।
6. मुबैअ़ का मौजूद होना माल मुतक़व्विम होना। मम्लूक होना। मक़्दूरुत्तस्लीम होना (या'नी ह़वाला करने पर क़ादिर होना) ज़रूर है और अगर बाएअ़ उस चीज़ को अपने लिये बेचता हो तो उस चीज़ का मिल्क बाएअ़ में होना ज़रूरी है। जो चीज़ मौजूद ही न हो बल्कि उस के मौजूद न होने का अन्देशा हो उस की बैअ़ नहीं मसलन ह़म्ल या थन में जो दूध है उस की बैअ़ ना जाइज़ है कि हो सकता है जानवर का पेट फूला है और उस में बच्चा न हो और थन में दूध न हो। फल नुमूदार (ज़ाहिर) होने से पहले बेच नहीं सकते। यूंही ख़ून और मुर्दार की बैअ़ नहीं हो सकती कि येह माल नहीं और मुसल्मान के ह़क़ में शराब व ख़िन्ज़ीर की बैअ़ नहीं हो सकती कि माल मुतक़व्विम नहीं। ज़मीन में जो घास लगी हुई है अगर्चे ज़मीन अपनी मिल्क हो कि वोह घास मम्लूक नहीं (या'नी कोई उस का मालिक नहीं)। यूंही नहर या कूंएं का पानी, जंगल की लकड़ी और शिकार कि जब तक इन को क़ब्ज़े में न किया जाए मम्लूक नहीं।
7. बैअ़ मुवक़्क़त न हो अगर मुवक़्क़त है मसलन इतने दिनों के लिये बेचा तो येह बैअ़ सह़ीह़ नहीं।

1 ... فتاوی ہندیہ، کتاب البیوع، الباب الاول فی تعریف البیع، 2/3

8. मुबैअ़ व समन दोनों इस त़रह़ मा'लूम हों कि निज़ाअ़ (झगड़ा) पैदा न हो सके। अगर मज्हूल हों कि निज़ाअ़ हो सकती हो तो बैअ़ सह़ीह़ नहीं मसलन इस रेवड़ में से एक बकरी बेची या इस चीज़ को वाजिबी दाम (राइज क़ीमत) पर बेचा या उस क़ीमत पर बेचा जो फ़ुलां शख़्स बताए।[1]

बैअ़ का हुक्म

बैअ़ का हुक्म येह है कि मुश्तरी मुबैअ़ का मालिक हो जाए और बाएअ़ समन का जिस का नतीजा येह होगा कि बाएअ़ पर वाजिब है कि मुबैअ़ को मुश्तरी के ह़वाले करे और मुश्तरी पर वाजिब कि बाएअ़ को समन दे दे। येह उस वक़्त है कि बैअ़ बात (क़त़ई) हो और अगर बैअ़ मौक़ूफ़ है कि दूसरे की इजाज़त पर मौक़ूफ़ है तो सुबूते मिल्क (मिल्किय्यत का सुबूत) उस वक़्त होगा जब इजाज़त हो जाए।[2]

ईजाब व क़बूल

ऐसे दो (2) लफ़्ज़ जो तम्लीक व तमल्लुक का इफ़ादा करते हों या'नी जिन का येह मत़लब हो कि चीज़ का मालिक दूसरे को कर दिया या दूसरे की चीज़ का मालिक हो गया इन को ईजाब व क़बूल कहते हैं इन में से पहले कलाम को ईजाब कहते हैं और इस के मुक़ाबिल में (जवाब में) बा'द वाले कलाम को क़बूल कहते हैं। मसलन बाएअ़ ने कहा : "मैं ने येह चीज़ इतने दाम में बेची" मुश्तरी ने कहा : "मैं ने ख़रीदी" तो बाएअ़ का कलाम ईजाब है और मुश्तरी का क़बूल और अगर मुश्तरी पहले कहता कि मैं ने येह चीज़ इतने में ख़रीदी तो येह ईजाब होता और बाएअ़ का लफ़्ज़ क़बूल कहलाता।[3]

सामान लेने के बा'द रेट का तअ़य्युन करना कैसा ?

सुवाल एक शख़्स हर माह एक दुकान से राशन लेता है, इस त़रह़ कि हर माह उस दुकानदार को अश्या की लिस्ट (List) दे देता है, और दुकानदार तीन चार दिन बा'द सामान उस के घर पहुंचा देता है और लिस्ट में हर चीज़ का रेट और कुल रक़म (Total amount) लिख कर दे देता है और वोह शख़्स उसे रक़म अदा कर देता है। क्या येह ख़रीदो फ़रोख़्त जाइज़ है ?

जवाब पूछी गई सूरत बैए़ तआ़त़ी की है जिस में ईजाब व क़बूल लफ़्ज़ों के बजाए क़ीमत और सौदे के लेनदेन के वक़्त पाया जा रहा है और ऐसी ह़ालत में कि ख़रीदने वाले को हर चीज़ के रेट का भी

---

1 ... ردالمحتار، کتاب البیوع، مطلب: شرائط البیع انواع اربعۃ، 7/14

2 ... فتاوی ہندیہ، کتاب البیوع، الباب الاول فی تعریف البیع، 3/3

3 ... درمختار، کتاب البیوع، 7/22

इ़ल्म है। लिहाज़ा पूछी गई सूरत में किसी क़िस्म की कोई ख़राबी नहीं। येह सूरत तो निहायत ही नफ़ीस और फ़िक़्ही पेचीदगियों से पाक है अलबत्ता इसी से ज़रा मुख़्तलिफ़ सूरत जो कि आम तौर पर लोग करते हैं कि पहले पूरा महीना मसलन सौदा लेते रहे फिर उस का ह़िसाब और रेट का तअ़य्युन किया, इस पर फ़ुक़हाए किराम ने बहुत ही ज़ियादा कलाम किया है और बिल आख़िर इसे भी जाइज़ ही कहा है चुनान्चे "दुर्रे मुख़्तार" में है : इन्सान जो चीज़ें दुकानदारों से ले आते हैं, और उन्हें इस्ति'माल करने के बा'द उन की क़ीमत का ह़िसाब करते हैं, तो येह इस्तिह़सान के तौर पर जाइज़ है।[(1)] सदरुश्शरीअ़ह ह़ज़रते अ़ल्लामा मुफ़्ती मुह़म्मद अमजद अ़ली आ'ज़मी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه "बहारे शरीअ़त" में फ़रमाते हैं : दुकानदारों के यहां से ख़र्च के लिये चीज़ें मंगवा ली जाती हैं और ख़र्च कर डालने के बा'द समन (या'नी चीज़ों की क़ीमत) का ह़िसाब होता है, ऐसा करना इस्तिह़सानन जाइज़ है।[(2)]

ऑन लाइन (Online) ख़रीदो फ़रोख़्त से मुतअ़ल्लिक़ अहम मस्अला

सुवाल अश्या की तश्हीर (Advertisement) करते वक़्त पहले इन्टरनेट पर मस्नूआ़त (Products) की तसावीर लगाई जाती हैं फिर उन को देख कर पसन्द आने की सूरत में ख़रीदो फ़रोख़्त की जाती है और इस के बा'द गाहक ऑन लाइन (Online) रक़म अदा कर देता है। बसा अवक़ात बेची गई चीज़ सौदा होने तक प्रॉडक्ट (Product) तश्हीर करने वाले की मिल्किय्यत में नहीं होती अलबत्ता सौदा होने के बा'द वोह किसी और से ख़रीद कर उस को भिजवा देता है जिस ने पहले से रक़म दे दी थी तो इस का क्या हुक्म है ?

जवाब अगर वाक़ेई ऐसा है कि सौदा करते वक़्त बेचने वाले की मिल्किय्यत में वोह चीज़ नहीं होती तो ऐसा सौदा करना जाइज़ नहीं। दुर्रे मुख़्तार में है : "हर वोह चीज़ जो बैअ़ के रुक्न में ख़लल पैदा करे वोह बैअ़ को बातिल करने वाली है।"[(3)] अ़ल्लामा शामी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه बैअ़ की शराइत़ ज़िक्र करते हुए रद्दुल मुह़तार में इर्शाद फ़रमाते हैं : मुबैअ़ (या'नी बेची जाने वाली चीज़) का मौजूद होना, माले मुतक़व्विम (ऐसा माल जो जम्अ़ किया जा सकता हो और शर्अ़न उस से फ़ाएदा उठाना जाइज़ हो) होना।[(4)] अपनी मिल्किय्यत में होना और जिस को बाएअ़ अपने लिये बेच रहा है तो वोह उस की मिल्क में होना ज़रूरी है।[(5)] मुफ़्ती अमजद अ़ली आ'ज़मी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه बहारे शरीअ़त में इर्शाद फ़रमाते हैं : "बैए

1 ...در مختار، کتاب البیوع، 7/28

2 ... बहारे शरीअ़त, 2/624, ह़िस्सा : 11

3 ...ردالمحتار، کتاب البیوع، مطلب البیع الموقوف من قسم الصحیح، 7/233

4 ...ردالمحتار، کتاب البیوع، مطلب فی شرائط البیع انواع اربعۃ، 7/13

5 ...ردالمحتار، کتاب البیوع، مطلب شرائط البیع انواع اربعۃ، 7/13

बातिल का हुक्म येह है कि मुबैअ़ (या'नी बेची जाने वाली चीज़) पर अगर मुश्तरी (ख़रीदार) का क़ब्ज़ा भी हो जाए जब भी मुश्तरी (ख़रीदार) उस का मालिक नहीं होगा और मुश्तरी का वोह क़ब्ज़ा क़ब्ज़ए अमानत क़रार पाएगा।''[1]

सबक़ नम्बर 24

ख़ियारे शर्त़ का बयान

ख़ियारे शर्त़ के मुतअ़ल्लिक़ ह़दीस

प्यारे आक़ा صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : बाएअ़ व मुश्तरी (ख़रीदने वाले और बेचने वाले) को इख़्तियार ह़ासिल है जब तक जुदा न हों अगर वोह दोनों सच बोलें और ऐ़ब को ज़ाहिर कर दें, उन के लिये बैअ़ में बरकत होगी और अगर ऐ़ब को छुपाएं और झूट बोलें, बैअ़ की बरकत मिटा दी जाएगी।[2]

ख़ियारे शर्त़ की ता'रीफ़

बाएअ़ व मुश्तरी को येह ह़क़ ह़ासिल है कि वोह क़त़ई तौ़र पर बैअ़ न करें (या'नी फ़िलह़ाल बैअ़ को नाफ़िज़ न करें) बल्कि अ़क़्द में येह शर्त़ कर दें कि अगर मन्ज़ूर न हुवा तो बैअ़ बाक़ी न रहेगी इसे ख़ियारे शर्त़ कहते हैं।

ख़ियारे शर्त़ की ज़रूरत

और इस की ज़रूरत त़रफ़ैन (या'नी ख़रीदने वाला और बेचने वाला) को हुवा करती है क्यूं कि कभी बाएअ़ (बेचने वाला) अपनी ना वाक़िफ़ी से कम दामों में चीज़ बेच देता है या मुश्तरी (ख़रीदने वाला) अपनी नादानी से ज़ियादा दामों से ख़रीद लेता है या चीज़ की उसे शनाख़्त नहीं है ज़रूरत है कि दूसरे से मश्वरा कर के सह़ीह़ राय क़ाइम करे और अगर उस वक़्त न ख़रीदे तो चीज़ जाती रहेगी या बाएअ़ को अन्देशा है कि गाहक हाथ से निकल जाएगा ऐसी सूरत में शरए़ मुत़ह्हर ने दोनों को येह मौक़अ़ दिया है कि ग़ौर कर लें अगर ना मन्ज़ूर हो तो ख़ियार की बिना पर बैअ़ को ना मन्ज़ूर कर दें।

ख़ियारे शर्त़ के चन्द अह़काम

❀ ख़ियारे शर्त़ की मुद्दत ज़ियादा से ज़ियादा तीन दिन है इस से कम हो सकती है ज़ियादा नहीं। अगर कोई ऐसी चीज़ ख़रीदी है जो जल्द ख़राब हो जाने वाली है और मुश्तरी (ख़रीदने वाले) को तीन

1... बहारे शरीअ़त, 2/701, हि़स्सा : 11

2... بخاری، کتاب البیوع، باب البیعان بالخیار مالم یتفرقا، 2/22، حدیث:2111

दिन का ख़ियार था तो उस से कहा जाएगा कि बैअ़ को फ़स्ख़ कर दे या बैअ़ को जाइज़ कर दे। और अगर ख़राब होने वाली चीज़ किसी ने बिला ख़ियार (बिग़ैर ख़ियारे शर्त़ के) ख़रीदी और बिग़ैर क़ब्ज़ा किये और बिग़ैर समन (क़ीमत) अदा किये चल दिया और ग़ाइब हो गया तो बाएअ़ (बेचने वाला) उस चीज़ को दूसरे के हाथ बैअ़ कर सकता है उस दूसरे ख़रीदार को येह मा'लूम होते हुए भी ख़रीदना जाइज़ है।[1]

❀ मुबैअ़ मुश्तरी के क़ब्ज़े में है और उस में ऐ़ब पैदा हो गया चाहे वोह ऐ़ब मुश्तरी ने किया हो या किसी अजनबी ने या आफ़ते समाविया (क़ुदरती आफ़त जैसे जलना, डूबना वग़ैरा) से या ख़ुद मुबैअ़ के फ़े'ल से ऐ़ब पैदा हुवा बहर ह़ाल अगर ख़ियार मुश्तरी को है तो मुश्तरी को समन देना पड़ेगा और बाएअ़ को है तो मुश्तरी पर क़ीमत वाजिब है।[2]

किराए पर ली हुई चीज़ आगे किराए पर देना कैसा ?

सुवाल (एक शख़्स सुवाल करता है कि) मैं फ्रेट फ़ोरवर्डिंग (Freight Forwarding) का काम करता हूं जिस में बह़री जहाज़ के कन्टेनर्ज़ शिपिंग कम्पनी से कन्टेनर किराए पर ले कर आगे उसे पार्टी को किराए पर देते हैं। कम्पनी से हम किसी माल की एक्सपोर्ट के लिये मसलन 10,000 रुपै किराए पर लेते हैं, और पार्टी को येही कन्टेनर 12,000 रुपै में देते हैं। मज़्कूरा किराए पर शिपिंग कम्पनी चाहे दो दिन में भेजे या पांच दिन में, येह उस की ज़िम्मेदारी होती है कि वोह हमारे पास कन्टेनर को पहुंचा दे, नीज़ माल छोड़ने के बा'द शिपिंग कम्पनी का काम होता है कि उस कन्टेनर को कहां भेजना है, पार्टी और हमारा अब उस कन्टेनर से कोई तअ़ल्लुक़ नहीं होता। पार्टी को जो हम ज़ियादा किराए पर देते हैं, उस में हम कन्टेनर की सील (Seal) के अख़्राजात भी शामिल करते हैं क्यूं कि हम कन्टेनर की सील के अख़्राजात शिपिंग कम्पनी को अलग देते हैं लेकिन पार्टी से हम उस सील कराने के अलग पैसे नहीं लेते, तो क्या इस सूरत में पार्टी को जब हम कन्टेनर किराए पर देते हैं तो कन्टेनर का किराया और सील के अख़्राजात मिला कर मसलन 12,000 रुपै में दे सकते हैं, जब कि हम ने शिपिंग कम्पनी से वोही कन्टेनर 10,000 रुपै का किराए पर लिया होता है और तक़्रीबन 500 रुपै में सील के अख़्राजात में दिये होते हैं ?

जवाब पूछी गई सूरत में आप पार्टी को कन्टेनर का किराया और उसे सील करने अख़्राजात के साथ मिला कर कन्टेनर को आगे ज़ियादा किराए पर दे सकते हैं। क्यूं कि किराए पर ली हुई चीज़ आगे

1... बहारे शरीअ़त, 2/648, हि़स्सा : 11
2... बहारे शरीअ़त, 2/650, हि़स्सा : 11

किराए पर दे सकते हैं, जब कि उतने ही किराए पर दी जाए जितने पर ली थी, या कम किराए पर दी जाए और अगर ज़ियादा किराए पर देना चाहें तो उस वक़्त दे सकते हैं जब दर्जे ज़ैल तीन सूरतें पाई जाएं : एक : येह कि कन्टेनर में कुछ काम करा दें। दूसरी : येह कि आप ने जिस जिन्स के किराए पर कन्टेनर लिया उस के ख़िलाफ़ किसी और जिन्स के किराए पर आगे दें। और तीसरी : येह कि कन्टेनर के साथ कोई और चीज़ भी किराए पर दे दें और दोनों का किराया एक ही मुक़र्रर करें। पूछी गई सूरत में आप की त़रफ़ से सील की सूरत में इज़ाफ़ा करना पाया गया तो ज़ियादा किराए पर आगे दे सकते हैं।

सदरुश्शरीअ़ह, बदरुत्त़रीक़ह मुफ़्ती अमजद अ़ली आ'ज़मी رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ बहारे शरीअ़त में लिखते हैं : "मुस्ताजिर (किराए दार) ने मकान या दुकान को किराए पर दे दिया अगर उतने ही किराए पर दिया है जितने में ख़ुद लिया था या कम पर जब तो ख़ैर और ज़ाइद पर दिया है तो जो कुछ ज़ियादा है उसे सदक़ा कर दे हां अगर मकान में इस्लाह़ की हो उसे ठीकठाक किया हो तो ज़ाइद का सदक़ा करना ज़रूर नहीं या किराए की जिन्स बदल गई मसलन : लिया था रुपै पर, दिया हो अशरफ़ी पर, अब भी ज़ियादती जाइज़ है। झाड़ू दे कर मकान को साफ़ कर लेना येह इस्लाह़ नहीं है कि ज़ियादा वाली रक़म जाइज़ हो जाए, इस्लाह़ से मुराद येह है कि कोई ऐसा काम करे जो इमारत के साथ क़ाइम हो मसलन प्लास्तर कराया या मुंडेर बनवाई।"(1)

वॉरन्टी की क्या शर्ई़ हैसिय्यत है ?

सुवाल आज कल बा'ज़ चीज़ों को बेचते वक़्त दुकानदार कस्टमर को एक दो साल की वॉरन्टी देता है इस की शर्ई़ हैसिय्यत क्या है ? और जिन चीज़ों की वॉरन्टी दी गई अगर उस के इ़लावा कोई और ख़राबी हो जाए और कस्टमर दुकानदार के पास वोह चीज़ वापस करने के लिये ले आए तो क्या इस सूरत में भी दुकानदार को वोह चीज़ वापस करना होगी ?

जवाब वॉरन्टी दौरे जदीद की पैदावार है पुराने ज़माने में न मशीन होती थी और न ही वॉरन्टी। दौरे जदीद में मशीन आई तो वॉरन्टी भी आई और वॉरन्टी एक त़रह़ का एह़सान है जो आज कल मुआ़हदे का एक ह़िस्सा बन चुकी है। फ़ुक़हाए किराम رَحِمَہُمُ اللّٰہ ने अ़र्सए दराज़ से इस का ए'तिबार किया है और इस शर्त़ को जाइज़ कहा है जैसा कि बहारे शरीअ़त जो कि तक़रीबन 70 साल पहले लिखी जाने वाली किताब है इस में वॉरन्टी के मुतअ़ल्लिक़ लिखा है : (अगर) शर्त़ ऐसी है जिस पर मुसल्मानों का आ़म तौ़र पर अ़मल दरआमद है जैसे आज कल घड़ियों में गेरन्टी साल दो साल की हुवा करती है कि इस

1... बहारे शरीअ़त, 3/124, ह़िस्सा : 14

मुद्दत में ख़राब होगी तो दुरुस्ती का ज़िम्मेदार बाएअ़ है ऐसी शर्त़ भी जाइज़ है।(1) वॉरन्टी में जो शराइत़ बयान की जाएंगी और जिन चीज़ों की वॉरन्टी दी जाएगी उन का ए'तिबार होगा और उन्ही शराइत़ के साथ चीज़ को वापस किया जाएगा उन के इलावा कोई और ख़ारिजी सबब पाया गया तो चीज़ को वापस नहीं किया जा सकता मसलन कम्पनी ने एक मोबाइल बेचा और येह कहा कि येह मोबाइल वॉटर प्रूफ़ नहीं है और न ही इस की वॉरन्टी है अगर ख़रीदने वाला उस मोबाइल को पानी में गिरा दे फिर कम्पनी के पास ले आए तो उस को येही कहा जाएगा कि मसलन मोबाइल की मशीन की वॉरन्टी थी कि येह जलेगी नहीं यूंही इस की स्क्रीन की वॉरन्टी थी कि ऑफ़ नहीं होगी, इस बात की वॉरन्टी नहीं थी कि येह वॉटर प्रूफ़ है, इस लिये इस मोबाइल को वापस नहीं किया जाएगा और वॉरन्टी क्लेम (Claim) करने का ह़क़ नहीं होगा।

सबक़ नम्बर 25 — ख़ियारे रूयत का बयान

ख़ियारे रूयत के मुतअ़ल्लिक़ फ़रमाने रसूल

ह़ज़रते अबू हुरैरा رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ से रिवायत है कि प्यारे आक़ा, मदीने वाले मुस्त़फ़ा صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : जिस ने ऐसी चीज़ ख़रीदी जिस को देखा न हो तो देखने के बा'द उसे इख़्तियार है ले या छोड़ दे।(2)

ख़ियारे रूयत की ता'रीफ़

कभी ऐसा होता है कि चीज़ को बिग़ैर देखेभाले ख़रीद लेते हैं और देखने के बा'द वोह चीज़ ना पसन्द होती है, ऐसी ह़ालत में शरए़ मुत़ह्हर (या'नी शरीअ़ते इस्लामिया) ने मुश्तरी (ख़रीदने वाले) को येह इख़्तियार दिया है कि अगर देखने के बा'द चीज़ को न लेना चाहे तो बैअ़ को फ़स्ख़ (ख़त्म) कर दे, इस को ख़ियारे रूयत कहते हैं।(3)

चन्द अहम अह़काम

❀ ख़ियारे रूयत के लिये किसी वक़्त की तह़दीद नहीं (या'नी मुद्दत मुक़र्रर नहीं) है कि उस के गुज़रने के बा'द ख़ियार बाक़ी न रहे, बल्कि येह ख़ियार देखने पर है जब देखे।(4)

1... बहारे शरीअ़त, 2/701, ह़िस्सा : 11

2... دار قطنی، کتاب البیوع، 3/5، حدیث:2777

3... बहारे शरीअ़त, 2/661, ह़िस्सा : 11

4... درر الحکام شرح غرر الاحکام، کتاب البیوع، باب خیار الرویہ، 2/157

❀ शैए मुअ़य्यन की शैए मुअ़य्यन से बैअ़ हुई मसलन किताब को कपड़े के बदले में बैअ़ किया तो ऐसी सूरत में बाएअ़ व मुश्तरी दोनों को ख़ियारे रूयत ह़ासिल है क्यूं कि यहां दोनों मुश्तरी भी हैं।[(1)]

सबक़ नम्बर 26 ख़ियारे ऐ़ब का बयान

ख़ियारे ऐ़ब के मुतअ़ल्लिक़ ह़दीस

हु़ज़ूर नबिय्ये रह़मत, शफ़ीए़ उम्मत صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : जिस ने ऐ़ब वाली चीज़ बेची और उस (ऐ़ब) को ज़ाहिर न किया, वोह हमेशा **अल्लाह** पाक की नाराज़ी में है।[(2)]

हु़ज़ूरे अन्वर صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : एक मुसल्मान दूसरे मुसल्मान का भाई है और जब मुसल्मान अपने भाई के हाथ कोई चीज़ बेचे जिस में ऐ़ब हो तो जब तक बयान न करे, उसे बेचना ह़लाल नहीं।[(3)]

ख़ियारे ऐ़ब की ता'रीफ़

ख़ियारे ऐ़ब बाएअ़ का मुबैअ़ को ऐ़ब बयान किये बिग़ैर बेचना या मुश्तरी का समन में ऐ़ब बयान किये बिग़ैर चीज़ ख़रीदना और ऐ़ब पर बा ख़बर होने के बा'द उस चीज़ के वापस कर देने के इख़्तियार को ख़ियारे ऐ़ब कहते हैं।[(4)]

ऐ़ब की ता'रीफ़

उ़र्फ़े शरअ़ में ऐ़ब जिस की वज्ह से मुबैअ़ को वापस कर सकते हैं वोह है जिस से ताजिरों की नज़र में चीज़ की क़ीमत कम हो जाए।[(5)] मुबैअ़ (बेची जाने वाली चीज़) में ऐ़ब हो तो उस का ज़ाहिर कर देना बाएअ़ (बेचने वाले) पर वाजिब है, छुपाना गुनाहे कबीरा है।[(6)]

1... درمختار، کتاب البیوع، باب خیار الرویہ، 7/162

2... ابن ماجہ، کتاب التجارات، باب من باع عیبا فلیبینہ، 3/59، حدیث:2247 ملتقطا

3... ابن ماجہ، کتاب التجارات، باب من باع عیبا فلیبینہ، 3/58، حدیث:2246

4... बहारे शरीअ़त, 2/673, हि़स्सा : 11 माख़ूज़न

5... تنویر الابصار، کتاب البیوع، باب خیار العیب، 7/166

6... सुन्नी बिहिश्ती ज़ेवर, स. 533

ख़ियारे ऐब की शराइत़

ख़ियारे ऐब के लिये चन्द शर्तें हैं : (1) मुबैअ़ में वोह ऐब अ़क़्दे बैअ़ के वक़्त मौजूद हो या बा'दे अ़क़्द, मुश्तरी के क़ब्ज़े से पहले पैदा हो। लिहाज़ा मुश्तरी के क़ब्ज़ा करने के बा'द जो ऐब पैदा हुवा उस की वज्ह से ख़ियार ह़ासिल न होगा। (2) मुश्तरी ने क़ब्ज़ा कर लिया हो तो उस के पास भी वोह ऐब बाक़ी रहे। अगर यहां वोह ऐब न रहा तो ख़ियार भी नहीं। (3) मुश्तरी को अ़क़्द या क़ब्ज़े के वक़्त ऐब पर इत्तिलाअ़ न हो। ऐबदार जान कर लिया या क़ब्ज़ा किया ख़ियार न रहा। (4) बाएअ़ ने ऐब से बराअत न की हो। अगर उस ने कह दिया कि मैं उस के किसी ऐब का ज़िम्मेदार नहीं ख़ियार साबित नहीं।[1]

दुकान से पेक चीज़ ख़रीदी अगर ख़राब निकले तो क्या हुक्म है ?

सुवाल (साइल का सुवाल है कि) हम से दुकानदार या गाहक होलसेल पर माल ले कर जाते हैं सामान पेक होता है और वोह गिनती कर के सामान ले जाते हैं फिर कुछ दिनों के बा'द आ कर कहते हैं कि आप की येह चीज़ ख़राब निकली है क्या इस सूरत में हम उन को येह कह कर मन्अ़ कर सकते हैं कि हम ने आप को सामान दे दिया था आप का काम था कि चेक कर के ले जाते ?

जवाब अश्या की ख़रीदो फ़रोख़्त दो क़िस्म की होती है, एक वोह अश्या जिन को चेक किया जा सकता है जैसे खुले आइटम कि उन को हाथ लगा कर चेक करना मुम्किन है, दूसरी वोह अश्या कि जिन को चेक नहीं किया जा सकता मसलन डिब्बे में चाय की पत्ती, डिब्बे में बन्द दूध या अन्डे वग़ैरा को आ़म तौ़र से दुकान ही पर चेक नहीं किया जाता। ऐसे मुआ़मलात में उसूल येह है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिस को सह़ीह़ कह कर बेचा गया अगर उस में ऐब निकल आया और जैसी कह कर बेची गई थी वैसी नहीं निकली तो ख़रीदार को वोह चीज़ वापस करने का ह़क़ होता है और दुकानदार को वोह चीज़ वापस करनी पड़ेगी वोह वापस करने से मन्अ़ नहीं कर सकता। ख़रीदार के इस ह़क़ को फ़ुक़हा **"ख़ियारे ऐब"** के नाम से मौसूम करते हैं और कुतुबे फ़िक़्ह में येह पूरा बाब है जिस में इस के मसाइल लिखे हुए हैं, बहारे शरीअ़त में भी ह़िस्सा 11 में इस की तफ़्सील मौजूद है। ख़रीदारी के वक़्त अगर बेचने वाले ने येह कह दिया कि आप येह चीज़ चेक कर लें येह जैसी भी है आप की है मैं इस के ऐब से बरिय्युज़्ज़िम्मा हूं तो इस सूरत में दुकानदार को वोह चीज़ वापस लेना ज़रूरी नहीं। वाज़ेह़ रहे कि ख़रीदार को जिन सूरतों में येह ह़क़ दिया गया है कि वोह ऐब निकलने पर चीज़ वापस कर सकता है येह इख़्तियार कुछ शराइत़ के साथ मश्रूत़ है जिन में से एक येह है कि उस चीज़ में ख़रीदार ने मालिकाना तसर्रुफ़ न किया हो।

---

1 ... बहारे शरीअ़त, 2/674, ह़िस्सा : 11

सबक़ नम्बर 27

सूद का बयान

सूद की मज़म्मत में फ़रमाने इलाही

कुरआने मजीद में सूद खाने वालों के बारे में **अल्लाह** पाक फ़रमाता है :

اَلَّذِیْنَ یَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا یَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا یَقُوْمُ الَّذِیْ یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطٰنُ مِنَ الْمَسِّؕ
(پ3،البقرۃ:275)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : वोह जो सूद खाते हैं क़ियामत के दिन न खड़े होंगे मगर जैसे खड़ा होता है वोह जिसे आसेब ने छू कर मख़्बूत़ बना दिया हो।

सूद ह़राम होने की ह़िक्मतें

सूद को ह़राम फ़रमाने में बहुत सी ह़िक्मतें हैं। उन में से बा'ज़ येह हैं कि ❀ सूद में जो ज़ियादती ली जाती है वोह माली मुआ़वज़े वाली चीज़ों में बिग़ैर किसी इ़वज़ के माल लिया जाता है और येह सरीह़ ना इन्साफ़ी है। ❀ सूद की ह़ुर्मत में दूसरी ह़िक्मत येह है कि सूद का रवाज तिजारतों को ख़राब करता है कि सूदख़ोर को बिग़ैर मेह़नत माल का ह़ासिल होना, तिजारत की मशक़्क़तों और ख़त़रों से कहीं ज़ियादा आसान मा'लूम होता है और तिजारतों की कमी इन्सानी मुआ़शरत को नुक़्सान पहुंचाती है। ❀ तीसरी ह़िक्मत येह है कि सूद के रवाज से बाहमी मह़ब्बत के सुलूक को नुक़्सान पहुंचता है कि जब आदमी सूद का आ़दी हो तो वोह किसी को क़र्ज़े ह़सन से इमदाद पहुंचाना गवारा नहीं करता। ❀ चौथी ह़िक्मत येह है कि सूद से इन्सान की त़बीअ़त में दरिन्दों से ज़ियादा बे रह़्मी पैदा होती है और सूदख़ोर अपने मक़रूज़ की तबाही व बरबादी का ख़्वाहिश मन्द रहता है। इस के इ़लावा भी सूद में और बड़े बड़े नुक़्सान हैं और शरीअ़त की सूद से मुमानअ़त ऐन ह़िक्मत है।[(1)]

सूद की मज़म्मत में फ़रमाने मुस्त़फ़ा

❀ **रसूलुल्लाह** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : रात मैं ने देखा कि मेरे पास दो शख़्स आए और मुझे ज़मीने मुक़द्दस (बैतुल मुक़द्दस) में ले गए फिर हम चले यहां तक कि ख़ून के दरिया पर पहुंचे, यहां एक शख़्स किनारे पर खड़ा है जिस के सामने पथ्थर पड़े हुए हैं और एक शख़्स बीच दरिया में है, येह किनारे की त़रफ़

1...तफ़्सीरे सिरातुल जिनान, पारह : 3, अल बक़रह, तह़्तल आयह : 275, 1/412

बढ़ा और निकलना चाहता था कि किनारे वाले शख़्स ने एक पथ्थर ऐसे ज़ोर से उस के मुंह पर मारा कि जहां था वहीं पहुंचा दिया फिर जितनी बार वोह निकलना चाहता है किनारे वाला मुंह पर पथ्थर मार कर वहीं लौटा देता है। मैं ने पूछा : येह कौन शख़्स है ? कहा : येह शख़्स जो नहर में है, सूदख़ोर है।[1]

सूद की ता'रीफ़

अ़क़्दे मुआ़वज़ा (या'नी लेनदेन के किसी मुआ़मले) में जब दोनों त़रफ़ माल हो और एक त़रफ़ ज़ियादती हो कि उस के मुक़ाबिल (या'नी बदले) में दूसरी त़रफ़ कुछ न हो येह सूद है।[2] इसी त़रह़ क़र्ज़ देने वाले को क़र्ज़ पर जो नफ़्अ़, जो फ़ाएदा ह़ासिल हो वोह सब भी सूद है।[3]

ता'रीफ़ की वज़ाह़त

❀ जो चीज़ माप या तोल से बिकती हो जब उस को अपनी जिन्स से बदला जाए मसलन गेहूं (गन्दुम) के बदले में गेहूं (गन्दुम), जव के बदले में जव लिये और एक त़रफ़ ज़ियादा हो ह़राम है। ❀ और अगर वोह चीज़ माप या तोल की न हो या एक जिन्स को दूसरी जिन्स से बदला हो तो सूद नहीं। ❀ उ़म्दा और ख़राब का यहां कोई फ़र्क़ नहीं या'नी तबादलए जिन्स में एक त़रफ़ कम है मगर येह अच्छी है दूसरी त़रफ़ ज़ियादा है वोह ख़राब है जब भी सूद और ह़राम है। ❀ लाज़िम है कि दोनों माप या तोल में बराबर हों। ❀ जिस चीज़ पर सूद की ह़ुर्मत का दारो मदार है वोह क़द्र व जिन्स है। क़द्र से मुराद वज़्न या माप है।[4]

सूद का ह़ुक्म

सूद ह़राम है, इस की ह़ुर्मत का मुन्किर (या'नी ह़राम होने का इन्कार करने वाला) काफ़िर है।[5] जिस त़रह़ सूद लेना ह़राम है सूद देना भी ह़राम है।[6]

1... بخاری، کتاب البیوع، باب آکل الربا وشاھدہ وکاتبہ، 2/14، حدیث: 2085
2... बहारे शरीअ़त, 2/768, 769, ह़िस्सा : 11
3... फ़तावा रज़विय्या, 17/713
4... बहारे शरीअ़त, 2/769, ह़िस्सा : 11
5... बहारे शरीअ़त, 2/768, ह़िस्सा : 11 منح الروض الازہر، ص468
6... बहारे शरीअ़त, 2/776, ह़िस्सा : 11 ब तग़य्युरे क़लील

करन्सी की ख़रीदो फ़रोख़्त करना कैसा ?

सुवाल बस स्टॉप पर जो लोग खुले पैसे देते हैं वोह 100 रुपै के नोट ले कर 90 रुपै के सिक्के देते हैं, क्या इस त़रह़ करना जाइज़ है ? कहीं येह सूद तो नहीं है ?

जवाब 100 रुपै के नोट ले कर 90 रुपै के सिक्के दिये जाएं चाहे येह लेनदेन दोनों त़रफ़ से नक़्द हो या एक त़रफ़ से उधार और एक त़रफ़ से नक़्द हो येह दोनों सूरतें जाइज़ हैं इस में सूद नहीं है, क्यूं कि जब 100 रुपै के नोट के बदले में 90 रुपै के सिक्के दिये जाएंगे तो इस में न तो जिन्स एक है और न ही क़द्र पाई जा रही है तो कमी बेशी और उधार दोनों जाइज़ हुए। जैसा कि दुर्रे मुख़्तार में है : अगर क़द्र व जिन्स दोनों न हों तो कमी बेशी और उधार दोनों जाइज़ हैं, इल्लत के न पाए जाने की वज्ह से, तो बैअ़ अपनी अस्ले इबाहत पर बाक़ी रहेगी।[1]

लेकिन येह ज़ेह्न में रहे कि येह हुक्म नोट के बदले सिक्कों का था कि इस में एक त़रफ़ से उधार जाइज़ है अगर 100 रुपै के नोट के बदले में 90 रुपै के नोट दिये जाएं तो येह उस वक़्त जाइज़ होगा जब दोनों त़रफ़ से नक़्द हो, किसी त़रफ़ से उधार न हो, अगर किसी एक त़रफ़ से भी उधार होगा तो येह जाइज़ न होगा क्यूं कि इस में जिन्स एक है लेकिन क़द्र नहीं पाई जा रही तो इस सूरत में अगर्चे कमी बेशी जाइज़ है लेकिन उधार जाइज़ नहीं है। जैसा कि दुर्रे मुख़्तार में है : अगर क़द्र व जिन्स में से कोई एक चीज़ पाई जाए या'नी सिर्फ़ क़द्र पाई जाए या सिर्फ़ जिन्स पाई जाए तो अब कमी बेशी जाइज़ है और उधार ह़राम है।[2]

सबक़ नम्बर 28 बा'ज़ मुरव्वजा ना जाइज़ तिजारतों का बयान

क़िस्तों पर कारोबार की चन्द ना जाइज़ सूरतें

क़िस्तों पर कारोबार करना बिल्कुल जाइज़ है कि येह उधार फ़रोख़्त की एक सूरत है और किसी शै को बेचते वक़्त बाहमी रिज़ामन्दी से जितनी क़ीमत चाहें मुक़र्रर कर लें इस में शरअ़न कोई ह़रज नहीं। जब तक कोई ऐसी सूरत न पाई जाए जो इस्लामी उसूलों के ख़िलाफ़ हो। मगर हमारे ज़माने में इस

1 ... در مختار، کتاب البیوع، باب خیار العیب، 7/422-423
2 ... در مختار، کتاب البیوع، باب خیار العیب، 7/422

कारोबार की कई ऐसी सूरतें राइज हो चुकी हैं जो ना जाइज़ व ह़राम हैं । मसलन ❀ मुआ़हदा (Agreement) करते हुए येह शर्त़ लगाना कि अगर वक़्त पर क़िस्त़ अदा न की गई तो जुर्माना अदा करना पड़ेगा । येह ज़ुल्मो ज़ियादती और ता'ज़ीर बिल माल (माली जुर्माना) है जो इस्लाम में जाइज़ नहीं । रद्दुल मुह़तार में है : ता'ज़ीर बिल माल इब्तिदाए इस्लाम में थी फिर इस को मन्सूख़ कर दिया गया ।[1] और मन्सूख़ का हुक्म येह है कि इस पर अ़मल करना ह़राम है ।[2] ❀ क़िस्त़ों पर कोई शै बेची मगर साथ में येह कह दिया कि जब तक तमाम क़िस्त़ें अदा नहीं हो जातीं आप उस चीज़ के मालिक नहीं । येह शर्त़ ना जाइज़ है क्यूं कि शरीअ़त के ए'तिबार से जब किसी चीज़ पर ईजाब व क़बूल हो जाए और चीज़ ख़रीदार के क़ब्ज़े में चली जाए तो वोह मालिक हो जाता है । फ़तावा आ़लमगीरी में है, बैअ़ का हुक्म येह है कि मुश्तरी (ख़रीदार) मबीअ़ (ख़रीदी हुई चीज़) का मालिक हो जाए और बाएअ़ (बेचने वाला) समन (क़ीमत) का ।[3] ❀ किराया और चीज़ की क़ीमत को जम्अ़ करना, या'नी किसी चीज़ की इस त़रह़ क़िस्त़ें करना जो कि उस की क़ीमत और किराया दोनों पर मुश्तमिल हों । इस की सूरत यूं बनेगी : एक मोटर साइकिल दो हज़ार माहाना क़िस्त़ पर बेची, इस में तै़ येह किया कि एक हज़ार मोटर साइकिल की क़ीमत की मद में और एक हज़ार किराए की मद में, तो येह त़रीक़ा ना जाइज़ है । क्यूं कि **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने एक सौदे में दो सौदे करने से मन्अ़ फ़रमाया है ।[4]

वक़्त पर पेमेन्ट न करने पर इज़ाफ़ी रक़म लेना कैसा ?

अगर कोई दुकानदार से खाद वग़ैरा छे माह के उधार पर लेता है मगर छे माह में नहीं दे पाता बल्कि साल दो साल गुज़र जाते हैं तो क्या जिस वक़्त वोह पैसे देगा वोह उतने ही देगा या ज़ियादा भी ले सकते हैं ?

जितने का सौदा हुवा उतने ही पैसे लिये जाएंगे उस से ज़ियादा नहीं ले सकते । क्यूं कि रक़म उस ने माल के इवज़ देनी है और माल में कोई इज़ाफ़ा नहीं हुवा । उस ने क़ीमत अदा करने में जो ताख़ीर की है उस ताख़ीर की बिना पर इज़ाफ़ी रक़म वुसूल नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो वोह सूद होगा, हां अगर देने वाले ने बिला वज्ह ताख़ीर की है तो वोह गुनाहगार होगा । लेकिन अगर तंगदस्त

1 ... ردالمحتار، باب التعزیر، مطلب فی التعزیر باخذ المال، 6/98

2 ... مع تبیین الحقائق، کتاب القضاء، باب کتاب القاضی الی القاضی وغیرہ، 5/110

3 ... فتاوی ہندیہ، کتاب البیوع، الباب الاول فی تعریف البیع... الخ، 3/3

4 ... ترمذی، کتاب البیوع، باب ماجاء فی النہی عن بیعتین فی بیعۃ، 3/15، حدیث:1235

है कि अदाएगी पर क़ादिर नहीं न ही कोई ऐसा माल है जिसे बेच कर अदा कर सके तो गुनाह नहीं बल्कि जहां अदाएगी के कोई अस्बाब न हों तो वहां तंगदस्त को मोहलत देनी चाहिये, येही क़ुरआन की ता'लीमात हैं। चुनान्चे

अल्लाह पाक इर्शाद फ़रमाता है :

وَ اِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ ؕ وَ اَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۲۸۰﴾ (پ3،البقرۃ:280)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और अगर क़र्ज़दार तंगी वाला है तो उसे मोहलत दो आसानी तक और क़र्ज़ उस पर बिल्कुल छोड़ देना तुम्हारे लिये और भला है अगर जानो।

नीलामी की बैअ़

बाहमी रिज़ामन्दी के साथ नीलामी की सूरत में किसी चीज़ की ख़रीदो फ़रोख़्त करना जाइज़ है। मगर इस में भी कई ना जाइज़ सूरतें आ चुकी हैं, आज कल जो सूरत बहुत आ़म हो चुकी है वोह येह है कि फ़क़त़ चीज़ की क़ीमत बढ़ाने के लिये बोली लगाई जाती है। ख़ास इस काम के लिये आदमी रखे जाते हैं जिन्हों ने वोह चीज़ तो ख़रीदनी नहीं होती बस दूसरों को उस चीज़ की ज़ियादा क़ीमत देने पर उभारना होता है। अ़ल्लामा मौलाना मुफ़्ती मुह़म्मद अमजद अ़ली आ'ज़मी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : नज्श मक्रूह है, हुज़ूरे अक़्दस صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इस से मन्अ़ फ़रमाया। नज्श येह है कि मबीअ़ (बेची जाने वाली चीज़) की क़ीमत बढ़ाए और ख़ुद ख़रीदने का इरादा न रखता हो इस से मक़्सूद येह होता है कि दूसरे गाहक को रग़बत पैदा हो और क़ीमत से ज़ियादा दे कर ख़रीद ले और येह ह़क़ीक़तन ख़रीदार को धोका देना है।[1]

चोरी का माल ख़रीद कर बेचना

सुवाल एक शख़्स चोरी किया हुवा माल ख़रीदता और बेचता है तो येह बात मा'लूम होते हुए ज़ैद से माल ख़रीदना और आगे किसी और के हाथ फ़रोख़्त करना जाइज़ है या नहीं ?

जवाब तक़्रीबन हर मार्केट में ही चोरी के माल की ख़रीदो फ़रोख़्त के तअ़ल्लुक़ से मसाइल पेश आते हैं। आ'ला ह़ज़रत इमामे अहले सुन्नत इमाम अह़मद रज़ा ख़ान رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه ने चोरी का माल ख़रीदने के तअ़ल्लुक़ से मुमानअ़त की दो सूरतें बयान फ़रमाई हैं : पहली येह कि यक़ीनी त़ौर पर

1... बहारे शरीअ़त, 2/723, हिस्सा : 11

(Confirm) मा'लूम हो कि येह माल चोरी का है। दूसरी येह कि वाज़ेह़ क़रीने की बुन्याद पर गुमान क़ाइम होता हो कि येह चोरी का माल है इन दोनों सूरतों में ख़रीदारी जाइज़ नहीं होगी और एक तीसरी मुम्किना सूरत येह हो सकती है कि न मा'लूम था न ही क़रीना था लेकिन ख़रीदारी के बा'द पता चल गया तब भी येह माल मालिक को वापस देना फ़र्ज़ है चुनान्चे फ़तावा रज़विय्या में है : "चोरी का माल दानिस्ता (जान बूझ कर) ख़रीदना ह़राम है बल्कि अगर मा'लूम न हो मज़्नून (गुमान) हो जब भी ह़राम है मसलन कोई जाहिल शख़्स कि उस के मूरिसीन भी जाहिल थे कोई इल्मी किताब बेचने को लाए और अपनी मिल्क बताए उस के ख़रीदने की इजाज़त नहीं और अगर न मा'लूम है न कोई वाज़ेह़ क़रीना तो ख़रीदारी जाइज़ है, फिर अगर साबित हो जाए कि येह चोरी का माल है तो उस का इस्ति'माल ह़राम है बल्कि मालिक को दिया जाए और वोह न हो तो उस के वारिसों को, और उन का भी पता न चल सके तो फ़ुक़रा को।"(1)

जानदारों की शक्ल वाले खिलोनों की ख़रीदो फ़रोख़्त

सुवाल आज कल मार्केट में बच्चों के लिये मुख़्तलिफ़ जानवरों की शक्लों के खिलोने मिलते हैं जो कि प्लास्टिक, लोहे और पीतल से बने होते हैं, क्या बच्चों के लिये येह खिलोने ख़रीदना और बच्चों का उन से खेलना जाइज़ है ?

जवाब पूछी गई सूरत में येह खिलोने ख़रीदना भी जाइज़ है और बच्चों का उन से खेलना भी जाइज़ है, लेकिन एक बात का ज़रूर ख़याल रखा जाए कि वोह खिलोने न ख़रीदे जाएं जिन में म्यूज़िक जैसी नुह़ूसत होती है। रद्दुल मुह़तार में खिलोने के मुतअ़ल्लिक़ अ़ल्लामा इब्ने आ़बिदीन शामी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه लिखते हैं कि खिलोने अगर लकड़ी या पीतल के हों तो उन को ख़रीदना जाइज़ है।(2)

सदरुश्शरीअ़ह, बदरुत्तरीक़ह मुफ़्ती अमजद अ़ली आ'ज़मी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه फ़तावा अम्जदिय्या में लिखते हैं : "लोहे पीतल तांबे के खिलोनों की बैअ़ (Sale Agreement) जाइज़ है कि येह चीज़ें माले मुतक़व्विम (वोह माल जिस से नफ़्अ़ उठाना जाइज़ हो) हैं।"(3)

एक और मक़ाम पर लिखते हैं : "मा'लूम हुवा कि इन का तस्वीर होना वज्हे अ़दमे जवाज़े बैअ़ नहीं।"(4) मज़ीद फ़रमाते हैं : "रहा येह अम्र कि इन खिलोनों का बच्चों को खेलने के लिये देना और

(1)... फ़तावा रज़विय्या, 17/165

(2)... ردالمحتار، کتاب البیوع، 505/7

(3)... फ़तावा अम्जदिय्या, 4/232

(4)... फ़तावा अम्जदिय्या, 4/233

बच्चों का उन से खेलना येह ना जाइज़ नहीं कि तस्वीर का बर वज्हे ए'ज़ाज़ (As Respect) मकान में रखना मन्अ़ है न कि मुत़्लक़न या बर वज्हे इहानत भी ।''[(1)]

तसावीर वाली अश्या की ख़रीदो फ़रोख़्त का हुक्म

सुवाल जिन चीज़ों पर तस्वीरें छपी हों मसलन साबुन वग़ैरा उन को ख़रीदना कैसा ?

जवाब सुवाल में बयान कर्दा चीज़ों का ख़रीदना बिला शुब्हा जाइज़ है क्यूं कि ख़रीदने वाले का मक़्सूद चीज़ ख़रीदना होता है न कि तस्वीर। जैसा कि मुफ़्ती वक़ारुद्दीन رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه तस्वीर वाली कुतुब की ख़रीदो फ़रोख़्त का हुक्म बयान करते हुए फ़रमाते हैं : सूरते मस्ऊला में इन किताबों को बेचना जाइज़ है कि येह किताबों की ख़रीदो फ़रोख़्त करना है न कि तसावीर की। अलबत्ता अ़लाह़दा से तस्वीर बेचना ह़राम है।[(2)]

तम्बीह : दुकानदार पर लाज़िम है कि जिन अश्या पर औ़रतों की तसावीर होती हैं उन को नुमायां करने से इज्तिनाब करे।

जा'ली मोहर

बद क़िस्मती से हमारे हां येह सूरत भी बहुत राइज होती चली जा रही है कि चीज़ तय्यार होती है हिन्दूस्तान में मगर उस पर मोहर (Stamp) लगती है मेड इन जापान (Made in Japan) या मेड इन कोरिया (Made in Korea) वग़ैरा। येह सीधा सीधा झूट और धोका है जो कि ना जाइज़ व ह़राम है। धोके के बारे में **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : जो धोका दे वोह हम में से नहीं।[(3)] ख़याल रहे ! इस काम में कई अफ़राद गुनाह के मुरतकिब होते हैं : (1) जा'ली मोहर लगवाने वाला (2) इसे बनाने वाला (3) चीज़ पर लगाने वाला और (4) वोह दुकानदार जो येह चीज़ आगे झूट बोल कर बेचता है।

इस त़रह़ के काम में एक सूरत येह भी पाई जाती है कि एक कम्पनी (Company) की किसी प्रॉडक्ट (Product) की नक़्ल तय्यार करना और फिर उस पर उसी कम्पनी की मोहर लगा देना। येह भी कई त़रह़ से ह़राम है : (1) झूट के सबब (2) ख़रीदार को धोका देने और (3) कम्पनी का नाम इस्ति'माल करने के बाइस। क्यूं कि किसी रजिस्टर्ड कम्पनी का नाम इस्ति'माल करना क़ानूनन जुर्म है और जो शै क़ानूनन जुर्म हो, रिश्वत व ज़िल्लत का बाइस बने वोह भी ना जाइज़ होती है।

1... फ़तावा अम्जदिय्या, 4/233

2... वक़ारुल फ़तावा, 1/218

3... مسلم، کتاب الایمان، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من غشنا فلیس منا، ص64، حدیث:283

आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत मौलाना अह़मद रज़ा ख़ान رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ फ़रमाते हैं : किसी क़ानूनी जुर्म का इरतिकाब कर के अपने आप को बिला वज्ह ज़िल्लतो बला के लिये पेश करना शरअ़न भी जुर्म है।(1) अलबत्ता किसी कम्पनी से मिलता जुलता नाम रखना जाइज़ है लेकिन अगर इस में भी झूट व धोका देही पाई गई तो ना जाइज़ व गुनाह है मसलन किसी गाहक ने आ कर कहा फ़ुलां कम्पनी की चीज़ दे दें अब उसे उसी कम्पनी की चीज़ देना होगी अगर उस से मिलते जुलते नाम की चीज़ दे दी जिसे वोह धोका खा कर ले जाए तो येह ह़राम है।

जा'ली बिल

पर्चेज़िंग ऑफ़ीसर (Purchasing officer) का ज़ियादा बिल बनवाना मसलन 100 की चीज़ का 110 में बिल बनवाना और इज़ाफ़ी रक़म अपने पास रखना येह ह़राम है कि येह धोका है। दुकानदार का ऐसा बिल बना कर देना भी ह़राम क्यूं कि वोह गुनाह में मुआ़वनत कर रहा है जो कि हुक्मे क़ुरआनी ﴿وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ (پ6، المائدة:2) (**तरजमए कन्ज़ुल ईमान :** गुनाह और ज़ियादती पर बाहम मदद न दो) के सरीह़ ख़िलाफ़ है। यूं ही एक्सपोर्ट (Export) के कारोबार में जा'ली बिल बना कर या किसी से बिल ख़रीद कर ज़ियादा ख़रीदारी (Purchasing) दिखाना (Show करना) ताकि हुकूमत से ज़ियादा से ज़ियादा नफ़्अ़ ह़ासिल किया जाए ह़राम है। इस त़रीक़े से लिये गए नफ़्अ़ का कोई इस्ति'माल जाइज़ नहीं बहर सूरत हुकूमत को वापस ही करना होगा।

क़र्ज़ पर नफ़्अ़

नबिय्ये करीम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : क़र्ज़ और तिजारत दोनों को इकठ्ठा करना ह़लाल नहीं।(2) इस की सूरत येह है किसी आदमी को कोई शै इस शर्त़ पर बेचना कि तुम मुझे इतना क़र्ज़ दो या क़र्ज़ दे कर येह कहना कि फ़ुलां सामान हमें ही बेचो। हमारे हां येह त़रीक़ए कार आढ़तियों और मुख़्तलिफ़ क़िस्म के ताजिरों में राइज है कि वोह किसान को बीज या खाद वग़ैरा की मद में क़र्ज़ा देते हैं और येह शर्त़ लगा देते हैं कि तुम अपनी फ़स्ल हमें ही बेचोगे। येह क़र्ज़ पर नफ़्अ़ उठाना है जो कि सूद के ज़ुम्रे में दाख़िल है। इसी त़रह़ कोई नया कारोबार शुरूअ़ करना या कोई प्रॉडक्ट तय्यार करना चाहता है तो उसे इस लिये क़र्ज़ देना कि अपना माल सिर्फ़ हमें फ़रोख़्त करोगे किसी और को नहीं तो येह भी ना जाइज़ व ह़राम है। फ़रमाने मुस्त़फ़ा صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم है : जो क़र्ज़

---

(1)... फ़तावा रज़विय्या, 23/581

(2)... ترمذی، کتاب البیوع، باب ماجاء فی کراہیۃ بیع مالیس عندک، 3/15، حدیث:1235

कोई नफ़्अ़ खींच लाए वोह सूद है।[1]

प्रीमियम प्राइज़् बॉंड (Premium Prize Bond) का हुक्म

हा़ल ही में प्रीमियम प्राइज़् बॉंड (Premium Prize Bond) के नाम से एक नया बॉंड जारी किया गया है जिस में शशमाही बुन्याद पर नफ़्अ़ भी मिलेगा और हर तीन महीने बा'द ब ज़रीअ़ए कु़रआ़ अन्दाज़ी हा़मिलाने बॉंड (जिन के पास प्राइज़् बॉंड हो उन) में से कुछ अफ़्राद को मुख़्तलिफ़ इन्आ़मी रक़्म भी दी जाएगी जिस त़रह़ कि आ़म प्राइज़् बॉंड में दी जाती है। अलबत्ता प्रीमियम प्राइज़् बॉंड से मुतअ़ल्लिक़ ऑफ़ीशल वेबसाइट पर इस बॉंड से मुतअ़ल्लिक़ जो इश्तिहार आवेज़ां है उस में मज़ीद कुछ बातों की सराह़त है : (1) येह बॉंड इन्वेस्टर के नाम पर जारी होगा और नफ़्अ़ और इन्आ़म डायरेक्ट (Direct) उस के बेंक एकाउन्ट में डाला जाएगा। (2) इस बॉंड के गुम होने, चोरी होने या जल जाने पर भी कोई ख़त़रा नहीं है। या'नी इन्वेस्टर को नुक़्सान न होगा बल्कि वोह इस का मुतबादिल हा़सिल कर सकेगा।

अब सुवाल येह है कि इस बॉंड का ख़रीदना बेचना कैसा है ? और इस पर हा़सिल होने वाला शशमाही नफ़्अ़ और हर 3 महीने बा'द ब ज़रीअ़ए कु़रआ़ अन्दाज़ी जो इन्आ़मात निकलेंगे उन की शर्ई़ है़सिय्यत क्या है ? क्या वोह जाइज़् व ह़लाल हैं ?

प्रीमियम प्राइज़् बॉंड (Premium Prize Bond) एक सूदी बॉंड है जो कि मह़्ज़् एक सूदी एकाउन्ट में जम्अ़ कर्दा क़र्ज़ की रसीद है जिस पर वाज़ेह़ त़ौर पर दलील ऑफ़ीशल इश्तिहार (Official Advertisement) के येह अल्फ़ाज़् हैं : इस बॉंड के गुम होने, चोरी होने या जल जाने पर भी कोई ख़त़रा नहीं है। या'नी अगर किसी का येह बॉंड चोरी हो जाए या गुम जाए तो चोर के लिये येह मह़्ज़् एक काग़ज़् का टुकड़ा है जिस की कोई क़ीमत नहीं कि इस से वोह नफ़्अ़ उठा सके बल्कि अस्ल मालिक जिस के नाम पर येह जारी हुवा है वोह इस रसीद का मुतबादिल (Duplicate) हा़सिल कर सकता है येह सराह़त ही इस बात की वाज़ेह़ दलील है कि येह बॉंड ख़ुद माल नहीं बल्कि जम्अ़ शुदा माल की रसीद है क्यूं कि अगर येह ख़ुद माल होता तो दीगर बॉंड्ज़् और करन्सी नोटों की त़रह़ गुम होने, जल जाने या चोरी हो जाने पर मालिक को नुक़्सान होता और चोर के लिये वोह एक क़ाबिले नफ़्अ़ माल होता हा़लां कि प्रीमियम बॉंड ऐसा नहीं है बल्कि इस की है़सिय्यत क़ौमी बचत बेंक (National Saving Bank) के सेविंग एकाउन्ट (Saving Account) के सर्टीफ़िकेट (Certificate) जैसी ही है फ़र्क़ सिर्फ़ इतना है कि सेविंग सर्टीफ़िकेट पर नफ़्अ़ ज़ियादा मिलता है इस में नफ़्अ़ कम मिलेगा और

---

1 ... كنز العمال، كتاب الدين، الباب الثانى، جز:6، 3/99، حديث:15512

सेविंग सर्टीफ़िकेट पर कुरआ़ अन्दाज़ी के ज़रीए़ से इन्आ़मात का सिल्सिला नहीं होता जब कि प्रीमियम बॉंड में प्राइज़ बॉंड की त़र्ज़ पर इन्आ़म भी रखा गया है।

प्रीमियम बॉंड पर शशमाही मिलने वाला नफ़्अ़ और हर 3 माह पर ब ज़रीअ़ए कुरआ़ अन्दाज़ी बनाम इन्आ़म मिलने वाला नफ़्अ़ दोनों ही ख़ालिसतन सूद (Interest) हैं इसी लिये प्रीमियम बॉंड ख़रीदना, बेचना ना जाइज़ व ह़राम और कबीरा गुनाह है बल्कि सूद होने की वज्ह से **अल्लाह** पाक व रसूल صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم से ए'लाने जंग के मुतरादिफ़ है। **अल्लाह** पाक पारह 3 सूरतुल बक़रह आयत नम्बर 275 में इर्शाद फ़रमाता है :

وَ اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰوا ؕ (1)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और **अल्लाह** ने ह़लाल किया बैअ़ और ह़राम किया सूद।

और पारह 3 सूरतुल बक़रह आयत नम्बर 276 में इर्शाद फ़रमाता है :

یَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَ یُرْبِی الصَّدَقٰتِ ؕ (2)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : अल्लाह हलाक करता है सूद को और बढ़ाता है ख़ैरात को।

और पारह 3 सूरतुल बक़रह आयत नम्बर 278 ता 279 में इर्शाद फ़रमाता है :

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ ذَرُوْا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبٰۤوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ ﴿۲۷۸﴾ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ ۚ وَ اِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ ۚ لَا تَظْلِمُوْنَ وَ لَا تُظْلَمُوْنَ ﴿۲۷۹﴾ (3)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : ऐ ईमान वालो **अल्लाह** से डरो और छोड़ दो जो बाक़ी रह गया है सूद अगर मुसल्मान हो फिर अगर ऐसा न करो तो यक़ीन कर लो **अल्लाह** और **अल्लाह** के रसूल से लड़ाई का और अगर तुम तौबा करो तो अपना अस्ल माल ले लो न तुम किसी को नुक़्सान पहुंचाओ न तुम्हें नुक़्सान हो।

ह़दीसे मुबारक में है : "كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا" **तरजमा :** क़र्ज़ के ज़रीए़ से जो मन्फ़अ़त ह़ासिल की जाए वोह सूद है।(4)

नबिय्ये करीम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने सूद लेने और देने पर ला'नत फ़रमाई और सब को गुनाह में बराबर क़रार दिया, चुनान्चे सह़ीह़ मुस्लिम में ह़ज़रते जाबिर رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ से मरवी, फ़रमाते हैं : **रसूलुल्लाह**

1 ... پ3، البقرة:275

2 ... پ3، البقرة:276

3 ... پ3، البقرة:278تا279

4 ... کنزالعمال، کتاب الدین والسلم، الباب الثانی فی ترہیب عن الاستقراض من غیر ضرورة، جز6،3/99، حدیث:15512

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने सूद लेने वाले, देने वाले, इसे लिखने वाले और इस पर गवाह बनने वालों पर ला'नत फ़रमाई और फ़रमाया : येह सब (गुनाह में) बराबर हैं ।[1]

मुसल्मानों पर लाज़िम है कि दुन्यावी लालच व ह़िर्स में प्रीमियम प्राइज़ बॉंड के ज़रीए़ सूद जैसे कबीरा गुनाह में गिरिफ़्तार हो कर दुन्या व आख़िरत की तबाही व बरबादी और रब्बे करीम की ना फ़रमानी अपने सर न लें बल्कि फ़क़त़ ह़लाल पर ही इक्तिफ़ा करें **अल्लाह** पाक इसी में बरकत देगा जब कि सूद में बरकत तो दूर की बात है येह तो दुन्यावी माल में भी हलाकत व बरबादी का सबब है । **अल्लाह** करीम मुसल्मानों को अ़क़्ले सलीम अ़त़ा फ़रमाए और सूद जैसी नुह़ूसत से हमारे मुआ़शरे को मह़फ़ूज़ फ़रमाए । आमीन !

तम्बीह : येह हुक्म उस ख़ास प्राइज़ बॉंड का है जो प्रीमियम के नाम से पहली मरतबा 40,000 का जारी हुवा है जब कि पहले से जारी शुदा दीगर प्राइज़ बॉंड जिन की ख़रीदो फ़रोख़्त की जाती है वोह जाइज़ हैं और उन पर ह़ासिल होने वाला इन्आ़म भी जाइज़ है क्यूं कि वोह क़र्ज़ की रसीद नहीं बल्कि ख़ुद माल हैं इसी लिये गुम होने, जल जाने या चोरी हो जाने की सूरत में उन का कोई बदल नहीं दिया जाता बल्कि जिस के हाथ में हो उसे ही मालिक समझा जाता है इसी लिये स्टेट बेंक (State bank) और हर मालियाती इदारा बल्कि हर शख़्स करन्सी की त़रह़ ही इन बॉंड की ख़रीदो फ़रोख़्त करता है क्यूं कि हर शख़्स येह जानता है कि येह किसी क़र्ज़ की रसीद नहीं बल्कि ख़ुद माल है येही वोह वाज़ेह़ फ़र्क़ है जो आ़म प्राइज़ बॉंड और प्रीमियम प्राइज़ बॉंड के माबैन है जिस की वज्ह से दोनों का हुक्म जुदा जुदा है ।

मोबाइल में एकाउन्ट बनाना कैसा ?

सुवाल एक कम्पनी ने येह स्कीम (Scheme) बनाई है कि अगर कोई शख़्स अपने मोबाइल में एकाउन्ट (Account) बना लेता है और फिर रीटेलर के ज़रीए़ अपने एकाउन्ट में कम अज़ कम 1000 रुपिया जम्अ़ करवा दे और एक दिन गुज़र जाए तो कम्पनी उस शख़्स को मख़्सूस ता'दाद में फ़्री मिनट्स (Free Minutes) दे देती है, इस एकाउन्ट के खुलवाने के लिये कोई फ़ॉर्म वग़ैरा फ़िल (Fill) नहीं करना पड़ता और फ़्री मिनट्स मिलना इस शर्त़ के साथ मशरूत़ होता है कि एकाउन्ट में कम अज़ कम 1000 रुपिया जम्अ़ रहें जैसे ही एक रुपिया इस मिक़्दार से कम होगा तो येह सहूलत ख़त्म हो जाएगी । मोबाइल एकाउन्ट में एक सहूलत येह भी है कि अपने इस एकाउन्ट के ज़रीए़ रक़म ट्रान्सफ़र भी की जा सकती है और इस सूरत में रीटेलर (Retailer) के ज़रीए़ भेजने की निस्बत 22 फ़ीसद कम

1 ... مسلم، کتاب المساقاۃ، باب لعن آکل الربا و موکلہ، ص663، حدیث:4093

पैसे लगेंगे और इस सहूलत के लिये पहले से कोई रक़म होना ज़रूरी नहीं है जिस वक़्त रक़म भेजनी है उसी वक़्त वोह रक़म साथ में टेक्स डलवा कर ट्रान्सफ़र कर दें तो ट्रान्सफ़र हो जाएगी। टेक्स से मुराद ट्रान्सफ़र की फ़ीस है और एकाउन्ट बनाने पर भी किसी क़िस्म का कोई पैसा नहीं लगेगा और इस सूरत में फ़्री मिनट्स वग़ैरा कोई सहूलत भी नहीं मिलेगी जब कि रक़म एक दिन जम्अ़ न रखें बल्कि उसी दिन के अन्दर ट्रान्सफ़र कर दें। इस एकाउन्ट में एक सहूलत येह भी है कि इस के ज़रीए़ यूटीलिटी बिल (Utility Bill) भी जम्अ़ करवाया जा सकता है और येह बिल जम्अ़ करवाने के लिये भी कोई रक़म एकाउन्ट में होना ज़रूरी नहीं और इस जम्अ़ करवाने पर कोई टेक्स भी नहीं लगेगा और इस सूरत में फ़्री मिनट्स वग़ैरा कोई सहूलत भी नहीं मिलेगी जब कि रक़म एक दिन जम्अ़ न रखें बल्कि उसी दिन के अन्दर ट्रान्सफ़र कर दें।

शर्ई रहनुमाई फ़रमाएं कि (1) इस त़रह़ का एकाउन्ट खुलवा कर फ़्री मिनट्स लेना जाइज़ है या नहीं ? और जो रीटेलर रक़म जम्अ़ करता है उस के लिये क्या हुक्म है ?

(2) अगर कोई इस इरादे से एकाउन्ट खुलवाए कि मैं फ़्री मिनट्स नहीं लूंगा फ़क़त़ रक़म ट्रान्सफ़र करने या बिल जम्अ़ करवाने के लिये रक़म जम्अ़ करवाऊंगा और उसी वक़्त ही रक़म ट्रान्सफ़र कर दूंगा या बिल जम्अ़ करवा दूंगा एक दिन गुज़रने ही नहीं पाएगा तो क्या इस त़रह़ एकाउन्ट खुलवाना शर्अ़न जाइज़ है ?

(3) और अगर किसी ने एकाउन्ट खुलवा लिया है क्या वोह उस एकाउन्ट को इस निय्यत से बाक़ी रख सकता है कि वोह एक दिन तक रक़म जम्अ़ नहीं रहने देगा बल्कि फ़क़त़ रक़म ट्रान्सफ़र करने या बिल जम्अ़ करवाने के लिये रक़म जम्अ़ करवा कर उसी वक़्त रक़म ट्रान्सफ़र कर देगा या बिल जम्अ़ करवा देगा ?

जवाब (1) हज़ार रुपै एकाउन्ट में जम्अ़ करवाने के बदले जो फ़्री मिनट्स मिलते हैं वोह सूद और ह़राम हैं, लिहाज़ा इतनी या इस से ज़ाइद रक़म मज़्कूरा त़रीक़े पर जम्अ़ रखना ना जाइज़ व ह़राम है और जो रीटेलर जम्अ़ करेगा वोह भी गुनहगार है कि गुनाह के काम पर मदद कर रहा है।

तफ़्सील इस में येह है कि जम्अ़ करवाए जाने वाले 1000 रुपै न अमानत हैं और न तोह़फ़ा (हिबा) बल्कि क़र्ज़ हैं। तोह़फ़ा इस लिये नहीं कि तोह़फ़ा कहते हैं किसी चीज़ का दूसरे को बिला इ़वज़ मालिक कर देना। जब कि इस सूरत में मक़्सूद उसे मालिक करना नहीं होता, मालिक करना मक़्सूद होता तो पैसे वापस न लिये जाते। दुरर में है : हिबा नाम है किसी ऐ़न का बिग़ैर इ़वज़ मालिक कर देना।[1]

1 ...درر الحکام فی شرح غرر الاحکام، 2/217

और अमानत इस लिये नहीं कि अमानत वाले पैसों को ख़र्च नहीं कर सकते बल्कि बि ऐ़निही वोही रक़म वापस करनी होती है जब कि यहां जम्अ़ करवाई गई रक़म को कम्पनी इस्ति'माल करती रहती है और वापसी में उस की मिस्ल रक़म देती है और येही क़र्ज़ है। येह बात याद रहे कि क़र्ज़ होने के लिये येह ज़रूरी नहीं कि क़र्ज़ का लफ़्ज़ ही इस्ति'माल किया जाए, बल्कि अगर क़र्ज़ का लफ़्ज़ इस्ति'माल न किया लेकिन मक़्सूद वोही है जो क़र्ज़ से होता है तो वोह क़र्ज़ ही होगा, क्यूं कि उ़क़ूद (ख़रीदो फ़रोख़्त) में ए'तिबार मआ़नी का होता है। बदाइउ़स्सनाएअ़ में है : जब उस को मुज़ारबत[1] नहीं बना सकते हैं तो वोह क़र्ज़ हो जाएगा क्यूं कि येह क़र्ज़ के मा'ना में है और उ़क़ूद में इन के मआ़नी का ए'तिबार होता है।[2]

और क़र्ज़ की ता'रीफ़ तन्वीरुल अब्सार में यूं बयान की गई है : क़र्ज़ वोह अ़क़्दे मख़्सूस है जिस में मिस्ली माल (क़द्रो क़ीमत में उसी जैसा माल) दिया जाता है इस लिये कि उस का मिस्ल वापस किया जाए।[3] फ़तावा रज़विय्या में है : "ज़रे अमानत (अमानत के माल) में इस को तसर्रुफ़ ह़राम है।"[4]

और इस रक़म को जम्अ़ करवाने के बदले में ह़ासिल होने वाली रक़म, फ़्री मिनट्स और एस.एम.एस. सब क़र्ज़ से ह़ासिल होने वाले मनाफ़ेअ़ हैं और जो मनाफ़ेअ़ क़र्ज़ से ह़ासिल होते हैं वोह सूद होते हैं। ह़दीसे पाक में है : **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : हर वोह क़र्ज़ जो नफ़्अ़ खींचे तो वोह सूद है।[5]

गुनाह पर मदद करने से कुरआने पाक में मन्अ़ किया गया है चुनान्चे इर्शादे ख़ुदावन्दी है :

﴿وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ **तरजमए कन्ज़ुल ईमान :** और गुनाह और ज़ियादती पर बाहम मदद न दो।[6]

(2) अगर कोई एकाउन्ट सिर्फ़ रक़म ट्रान्सफ़र करने या बिल जम्अ़ करवाने के लिये खुलवाए और एक दिन रक़म जम्अ़ न रहने दे तो इस के बा वुजूद एकाउन्ट खुलवाना जाइज़ नहीं क्यूं कि जब येह बात मा'रूफ़ है कि एकाउन्ट खुलवाने के बा'द अगर एक दिन रक़म जम्अ़ रही तो फ़्री मिनट्स

1... एक जानिब से माल हो और एक जानिब से काम। (बहारे शरीअ़त, 3/1, ह़िस्सा : 14)

2... بدائع الصنائع، کتاب المضاربۃ، 5/109

3... در مختار، کتاب البیوع، باب المرابحۃ والتولیۃ، 7/406-407

4... फ़तावा रज़विय्या, 19/166

5... مسند الحارث، کتاب البیوع، باب فی القرض... الخ، 1/500، حدیث:437

6... पारह : 6, अल माइदह : 2

मिलेंगे तो अब एकाउन्ट खुलवाने वाला गोया येह इक़रारो पैमान कर रहा है कि अगर मैं ने एक दिन रक़म जम्अ़ रहने दी तो फ़्री मिनट्स लूंगा और येह इक़रारो पैमान ही ना जाइज़ है अगर्चे बा'द में एक दिन रक़म जम्अ़ न रहने दे। फ़तावा रज़विय्या में है : "मुलाज़मत बिला इत्तिलाअ़ छोड़ कर चला जाना उस वक़्त तनख़्वाह क़त्अ़ करेगा न तनख़्वाहे वाजिब शुदा को साक़ित़ और इस पर किसी तावान (जुर्माना) की शर्त़ कर लेनी मसलन नोकरी छोड़ना चाहे तो इतने दिनों पहले से इत्तिलाअ़ दे, वरना इतनी तनख़्वाह ज़ब्त़ होगी येह सब बात़िल व ख़िलाफ़े शरए़ मुत़ह्हर है, फिर अगर इस क़िस्म की शर्तें अ़क़्दे इजारा में (मुलाज़मत का मुआ़हदा करते वक़्त) लगाई गईं जैसा कि बयाने सुवाल से ज़ाहिर है कि वक़्ते मुलाज़मत इन क़वाइद पर दस्त ख़त़ ले लिये जाते हैं, या ऐसे शराइत़ वहां मश्हूरो मा'लूम हो कर अल मा'रूफ़ु कल्मश्रूत़ हों, जब तो वोह नोकरी ही ना जाइज़ व गुनाह है, कि शर्ते फ़ासिद से इजारा फ़ासिद हुवा, और अ़क़्दे फ़ासिद ह़राम है। और दोनों आ़क़िद (मुआ़हदा करने वाले) मुब्तलाए गुनाह, और इन में हर एक पर उस का फ़स्ख़ (ख़त्म करना) वाजिब है, और इस सूरत में मुलाज़िमीन तनख़्वाहे मुक़र्रर के मुस्तह़िक़ न होंगे, बल्कि अज्रे मिस्ल (या'नी आ़म तौ़र पर बाज़ार में उस काम की जो उजरत है उतनी ही उजरत) के जो मुशाहरए मुअ़य्यना (तै शुदा उजरत) से ज़ाइद न हों, अज्रे मिस्ल अगर मुसम्मा से कम हो तो उस क़दर ख़ुद ही कम पाएंगे, अगर्चे ख़िलाफ़ वरज़ी अस्लन न करें।"[(1)]

(3) ऊपर वाज़ेह़ हो चुका कि येह एकाउन्ट खुलवाना जाइज़ नहीं है अगर्चे रक़म एक दिन जम्अ़ न रहने दे क्यूं कि इस में एक ना जाइज़ मुआ़हदा मौजूद है और ना जाइज़ मुआ़हदा जिस त़रह़ इब्तिदाअन करना जाइज़ नहीं इसी त़रह़ उस ना जाइज़ मुआ़हदे को बर क़रार रखना भी जाइज़ नहीं होता लिहाज़ा जिस ने एकाउन्ट खुलवा लिया है उस पर लाज़िम है कि येह एकाउन्ट ख़त्म करे। जैसा कि ऊपर फ़तावा रज़विय्या के जुज़्इये में इमामे अहले सुन्नत رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ ने ना जाइज़ शर्त़ की वज्ह से जब अ़क़्द को ना जाइज़ क़रार दिया तो बा'द में उस के फ़स्ख़ करने को लाज़िम क़रार दिया है।

मोबाइल कम्पनी से एडवान्स बेलेन्स ह़ासिल करना कैसा ?

सुवाल मोबाइल कम्पनियां मुख़्तलिफ़ क़िस्म के पेकेजिज़ देती रहती हैं ताकि लोग उन की त़रफ़ माइल हों, उन ही में से एक पेकेज लोन (Loan) का भी है। इस का त़रीक़ए कार येह होता है कि अगर आप के पास बेलेन्स ख़त्म हो गया है तो कम्पनी येह ऑफ़र करती है कि आप लोन ले लें फिर जब आप मोबाइल में बेलेन्स डलवाएंगे तो हम ने जितने दिये हैं वोह और इतने ऊपर मज़ीद काट

1... फ़तावा रज़विय्या, 19/506, 507

लेंगे और येह बात कस्टमर को मा'लूम होती है और कस्टमर राज़ी हो कर लोन लेता है। मा'लूम येह करना है कि क्या इस में ज़ियादा पैसे काटना शर्अ़न जाइज़ है ? बा'ज़ लोग कहते हैं येह सूद है क्या येह बात दुरुस्त है ?

जवाब मज़्कूरा मुआ़मला हरगिज़ सूद नहीं बल्कि एक जाइज़ त़रीक़ा है क्यूं कि येह इजारा है क़र्ज़ नहीं कि यहां कम्पनी से पैसे वुसूल नहीं किये जा रहे बल्कि उस की सर्विस इस्ति'माल की जा रही है। उ़मूमी त़ौर पर कम्पनी पहले पैसे ले लेती है और फिर सर्विस फ़राहम करती है जब कि पूछी गई सूरत में कम्पनी पहले सर्विस फ़राहम कर रही है और फिर पैसे वुसूल कर रही है और येह दोनों त़रीक़े जाइज़ हैं या'नी मन्फ़अ़त फ़राहम करने से पहले इ़वज़ ले लेना भी दुरुस्त है और मन्फ़अ़त फ़राहम करने के बा'द इ़वज़ लेना येह भी दुरुस्त है। अगर्चे पहली सूरत में इ़वज़ कम वुसूल किया जा रहा है और दूसरी सूरत में इ़वज़ ज़ियादा लिया जा रहा है और कम्पनी को इस बात का ह़क़ ह़ासिल है कि वोह पेशगी सर्विस आ़म रेट से हट कर कुछ ज़ियादा क़ीमत पर फ़राहम करे जैसे नक़्द व उधार की क़ीमतों में फ़र्क़ करना जाइज़ होता है नीज़ सारिफ़ को भी येह बात मा'लूम है कि बा'द में अदाएगी की सूरत में येह सर्विस मुझे आ़म क़ीमत से हट कर कुछ ज़ियादा क़ीमत पर फ़राहम की जाएगी और वोह इस बात पर राज़ी है तो इस में कोई ह़रज नहीं। अलबत्ता इस बात का ख़याल रखा जाए कि इस सहूलत को लोन (Loan) का नाम न दिया जाए क्यूं कि इस से येह शुबा लाह़िक़ होता है कि कम्पनी क़र्ज़ दे कर उस पर नफ़्अ़ वुसूल कर रही है और बा'ज़ लोगों ने इसे सूद समझ भी लिया ह़ालां कि इस को सूद समझना ग़लत़ है क्यूं कि कम्पनी यहां पैसे नहीं बल्कि सर्विस दे रही है।

तन्वीरुल अब्सार में है : किसी शै के नफ़्अ़ का इ़वज़ के बदले मालिक बना देना इजारा है।[(1)]
हिदाया में है : तीन में से एक सूरत के पाए जाने से मूजिर उजरत का मुस्तह़िक़ होगा, पहले देने की शर्त़ कर ले, या बिग़ैर शर्त़ के पहले उजरत वुसूल कर ले या मुस्ताजिर, इजारे पर ली गई चीज़ से फ़ाएदा उठा ले।[(2)]

इमाम कमालुद्दीन इब्ने हुमाम رَحْمَۃُ اللہِ عَلَیْہ फ़रमाते हैं : नक़्द की सूरत में समन एक हज़ार होना और उधार की सूरत में दो हज़ार होना सूद के हुक्म में नहीं।[(3)]

1 ... درمختار، کتاب الاجارہ، 9/6-7
2 ... ہدایہ، کتاب الاجارات، باب الاجر متی یستحق، 1/231
3 ... فتح القدیر، کتاب البیوع، باب البیع الفاسد، 6/81

लकी वाली कमेटी

लकी कमेटी दो त़रह़ की होती है : **(1) पैसे दे कर सामान लेना :** इस की सूरत यूं होती है कि लोग पैसों के ज़रीए़ से कमेटी डालते हैं जिस की कमेटी खुलती चली जाती है वोह मोटर साइकिल (Motorcycle) वग़ैरा ले जाता है और बाक़ी अदाइगियों से आज़ाद हो जाता है। ऐसी कमेटी ना जाइज़ है कि इस में जहालत पाई जा रही है। किसी को मोटर साइकिल एक ही कमेटी पर मिल रही है तो किसी को दो पर और जिस का नाम कमेटी में नहीं निकलता उसे पूरी क़ीमत पर। लिहाज़ा ऐसी ख़रीदो फ़रोख़्त जिस के अन्दर चीज़ या क़ीमत में जहालत हो वोह जाइज़ नहीं होती। फ़तावा आ़लमगीरी में है : मबीअ़ (बेची जानी वाली चीज़) और क़ीमत में जहालत का होना ख़रीदो फ़रोख़्त के जाइज़ होने में रुकावट है।[1]

(2) पैसे दे कर पैसे लेना : मसलन एक लाख की कमेटी है सब ने पांच पांच हज़ार डाले, अब जिस की पहली कमेटी खुल गई वोह बक़िय्या अदाइगियां नहीं करेगा। पहली कमेटी वाला पांच हज़ार दे कर पिचानवे हज़ार का नफ़्अ़ ले रहा है और दूसरी कमेटी वाला दस हज़ार दे कर नव्वे हज़ार का नफ़्अ़ ले रहा है येह जूआ और क़र्ज़ पर नफ़्अ़ लेना है जो कि ना जाइज़ व ह़राम है।

बोली वाली कमेटी

लकी कमेटी की त़रह़ बोली वाली कमेटी भी ना जाइज़ और गुनाह है। इस की सूरत कुछ यूं होती है कि मसलन बीस हज़ार की कमेटी होगी। मिम्बरान में से कोई एक कहता है मुझे इस माह पैसों की ज़रूरत है लिहाज़ा मुझे पन्दरह हज़ार ही दे दिया जाए तो उसे पन्दरह हज़ार दे दिया जाता है और बाक़ी बचे हुए पैसे सब मिम्बरान के माबैन तक़्सीम होते हैं। येह बाक़ी बची हुई रक़म जो आपस में तक़्सीम की जाती है वोह लेना जाइज़ नहीं क्यूं कि येह पैसे बैए़ फ़ासिद[2] में आ रहे हैं और बैए़ फ़ासिद में जो नफ़्अ़ आता है वोह सूद होता है। बह़रुर्राइक़ में है : हर बैए़ फ़ासिद सूद है।[3]

1... فتاوی ہندیہ، کتاب البیوع، الباب التاسع فیما یجوز بیعہ وما لا یجوز، 3/122

2... अगर रुक्ने बैअ़ (या'नी ईजाब व क़बूल या चीज़ के लेने देने में) या मह़ल्ले बैअ़ (या'नी मबीअ़) में ख़राबी न हो बल्कि इस के इ़लावा कोई ख़राबी हो तो वोह बैए़ फ़ासिद है मसलन समन (क़ीमत) ख़म्र (शराब) हो या जो चीज़ बेची है उस को किसी वज्ह से ख़रीदार के ह़वाले न कर सकता हो या बैअ़ में कोई शर्त़ अ़क़्द के तक़ाज़े के ख़िलाफ़ हो।

(बहारे शरीअ़त, 2/696, ह़िस्सा : 11 ब तसर्रुफ़)

3... بحر الرائق شرح کنز الدقائق، کتاب البیع، باب البیع الفاسد، 6/112

सबक़ नम्बर 29 जदीद ख़रीदो फ़रोख़्त के बारे में फ़तावा जात

गाहक सूट सीने के लिये दे जाए लेकिन वापस न आए तो दरज़ी क्या करे ?

सुवाल (साइल का सुवाल है कि) मेरी दरज़ी की दुकान है। बा'ज़ अवक़ात हमें गाहक सूट सिलाई करवाने के लिये दे कर चले जाते हैं फिर वापस लेने नहीं आते और इस त़रह़ दो दो, तीन तीन साल गुज़र जाते हैं। हमारे लिये शरीअ़त का क्या हुक्म है जब कि इस में हमारी मेह़नत भी है और अख़राजात भी ?

जवाब पूछी गई सूरत में आप अजीरे मुश्तरक हैं और अजीरे मुश्तरक के पास जो लोग काम ले कर आते हैं उस की शरई हैसिय्यत अमानत और वदीअ़त की है जिस का हुक्म येह है कि जब तक उस चीज़ का मालिक नहीं आता उस की ह़िफ़ाज़त करें, उसे बेचने या सदक़ा करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं। नीज़ उसे अपनी उजरत में शुमार करना भी आप के लिये जाइज़ नहीं क्यूं कि उजरत के मुस्तह़िक़ होने के लिये उस चीज़ का मालिक को सिपुर्द करना ज़रूरी है तो जब तक मालिक न आ जाए और वोह चीज़ उसे दे न दें कुछ वुसूल नहीं कर सकते।

मश्वरा : हर आने वाले गाहक से उस का एड्रेस और फ़ोन नम्बर ज़रूर मा'लूम कर लिया करें ताकि वक़्ते ज़रूरत राबित़ा किया जा सके।

दरज़ी के पास बचे हुए कपड़े के बारे में हुक्म

सुवाल (साइल का सुवाल है कि) मेरा भाई दरज़ियों का काम करता है, गाहक सूट के ह़िसाब से कपड़ा दे कर जाते हैं, और वोह अपनी कारीगरी से काट कर उस में से कुछ न कुछ कपड़ा बचा लेता है, और बा'ज़ अवक़ात एक ही घर के कई जोड़े एक ही थान से होते हैं, अगर उन को एह़तियात़ से काटा जाए तो उन से ज़ियादा कपड़ा बच जाता है जो ब आसानी इस्ति'माल में लाया जा सकता है या'नी उस से छोटे बच्चों का एकआध सूट बन जाता है, क्या येह बचा हुवा कपड़ा हम अपने इस्ति'माल में ला सकते हैं या नहीं, बराए करम शरई रहनुमाई फ़रमाएं।

जवाब सूरते मस्ऊला में आप का भाई अजीरे मुश्तरक (**अजीरे मुश्तरक :** जिस के लिये किसी वक़्ते ख़ास में एक ही शख़्स का काम करना ज़रूरी न हो, उस वक़्त में दूसरे का भी काम कर सकता हो, जैसे धोबी, ख़य्यात़ (दरज़ी)) है, और अजीरे मुश्तरक के हाथ में लोगों की चीज़ अमानत होती है, लिहाज़ा सूट सीने के बा'द जो क़ाबिले इन्तिफ़ाअ़ (जिस से फ़ाएदा उठाया जा सके) कपड़ा बच जाए, तो वोह भी आप के

भाई के हाथ में अमानत है, इस का हुक्म येह है कि मालिक को वापस कर दिया जाए, मालिक की इजाज़त के बिग़ैर अपने इस्ति'माल में लाना ना जाइज़ व ह़राम है, हां ! अगर मालिक उस के इस्ति'माल की इजाज़त दे दे या वोह क़ाबिले इन्तिफ़ाअ़ नहीं बल्कि बिल्कुल मा'मूली मिक़्दार में है जैसे कतरन, तो उस के इस्ति'माल में ह़रज नहीं लेकिन कतरन से मुराद बहुत बारीक कतरन है, येह नहीं कि आधे गज़ को कतरन का नाम ले रख लिया जाए।

रद्दी काग़ज़ात की ख़रीदो फ़रोख़्त करना कैसा ?

सुवाल उर्दू या और ज़बान में लिखे हुए काग़ज़ या अख़्बारात की दुकानदारों के हाथ ख़रीदो फ़रोख़्त करना और उस से मुनाफ़अ़ ह़ासिल करना कैसा है ?

जवाब रद्दी काग़ज़ात या अख़्बारात की वोह मिक़्दार जो उ़र्फ़न माल समझी जाती हो उस की ख़रीदो फ़रोख़्त जाइज़ है और उस पर मिलने वाला मुनाफ़अ़ भी जाइज़ है। अलबत्ता दो बातें पेशे नज़र रहें : (1) अगर उन में आयात व अह़ादीस या अस्माए मुअ़ज़्ज़मा (या'नी **अल्लाह** पाक, अम्बियाए किराम और फ़िरिश्तों वग़ैरा के नाम) या मसाइले शरअ़ हों तो उन को दुकानदारों के हाथों बेचने की इजाज़त नहीं और (2) अगर उन काग़ज़ात में येह मुक़द्दस तह़रीरात न हों या उन को अ़लाह़दा कर लिया गया हो तो अब बेचने में ह़रज नहीं चुनान्चे इमामे अहले सुन्नत, आ'ला ह़ज़रत मौलाना शाह इमाम अह़मद रज़ा ख़ान رَحْمَۃُ اللہِ عَلَیْہ इसी क़िस्म के एक सुवाल के जवाब में इर्शाद फ़रमाते हैं : जब कि उन में आयत या ह़दीस या अस्माए मुअ़ज़्ज़मा या मसाइले फ़िक़्ह हों तो (बेचना) जाइज़ नहीं वरना ह़रज नहीं उन अवराक़ को देख कर अश्याए मज़्कूरा उन में से अ़लाह़दा कर लें फिर बेच सकते हैं। आ़लमगीरी में है : किसी चीज़ को किसी ऐसे काग़ज़ में लपेटना कि जिस में इ़ल्मे फ़िक़्ह के मसाइल लिखे हों जाइज़ नहीं, और कलाम में बेहतर येह है कि ऐसा न किया जाए अलबत्ता इ़ल्मे त़िब की किताबों में ऐसा करना जाइज़ है और अगर उस में **अल्लाह** पाक का मुक़द्दस नाम या ह़ुज़ूर عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام का इस्मे गिरामी तह़रीर हो तो उसे मिटा देना जाइज़ है ताकि उस में कोई चीज़ लपेटी जा सके और **अल्लाह** पाक सब कुछ ब ख़ूबी जानता है।[(1)]

इन्सानी बालों की ख़रीदो फ़रोख़्त जाइज़ नहीं

सुवाल इन्सान के बालों की ख़रीदो फ़रोख़्त करना कैसा है ?

1... फ़तावा रज़विय्या, 23/401 ता 402

जवाब इन्सान के बालों की ख़रीदो फ़रोख़्त करना ना जाइज़ व गुनाह है। चुनान्चे अ़ल्लामा शामी رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ लिखते हैं : इन्सान के बालों की बैअ़ और इन से नफ़्अ़ ह़ासिल करना ना जाइज़ है।[1] इसी त़रह़ बह़रुर्राइक़ शर्हे कन्ज़ुद्दक़ाइक़ में है : इन्सान के बालों की बैअ़ और इन से नफ़्अ़ ह़ासिल करना ना जाइज़ है।[2] सदरुश्शरीअ़ह, बदरुत्त़रीक़ह मुफ़्ती मुह़म्मद अमजद अ़ली आ'ज़मी رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ लिखते हैं : इन्सान के बाल की बैअ़ दुरुस्त नहीं और इन्हें काम में लाना भी जाइज़ नहीं, मसलन इन की चोटियां बना कर औ़रतें इस्ति'माल करें ह़राम है, ह़दीस में इस पर ला'नत फ़रमाई।[3]

मार्केट रेट से महंगी शै बेचना

सुवाल अगर कोई शख़्स बिग़ैर धोका देही के किसी शख़्स को मार्केट रेट (Market rate) से तीन गुना ज़ियादा महंगी चीज़ बेच देता है तो क्या मा'लूम होने पर ख़रीदार को येह इख़्तियार ह़ासिल होगा कि वोह उस सौदे को केन्सल (Cancel) कर दे ?

जवाब पूछी गई सूरत में अगर बेचने वाले ने मार्केट रेट से तीन गुना ज़ियादा बेचने में किसी क़िस्म का धोका नहीं दिया तो बाहमी रिज़ामन्दी से मुन्अ़क़िद होने वाले इस सौदे को अब ख़रीदार केन्सल नहीं कर सकता, हां अगर धोके की सूरत पाई गई तो फिर ख़रीदार इस सौदे को केन्सल करा सकता है। इस सूरत में धोके की मिसाल फ़ुक़हाए किराम येह बयान फ़रमाते हैं मसलन बेचने वाला ख़रीदार से कहे मेरे इस सामान की इतनी क़ीमत है या मेरा येह सामान इतनी क़ीमत के मुसावी है बेचने वाले की इस बात पर ए'तिबार करते हुए ख़रीदार वोह चीज़ ख़रीद ले फिर उसे इ़ल्म हो कि बाएअ़ (बेचने वाले) की बात दुरुस्त नहीं है और इस चीज़ की क़ीमत कम है तो बेचने वाले के इस धोके की वज्ह से ख़रीदार वोह चीज़ वापस कर सकता है जब कि किसी और वज्ह से शर्अ़न वापसी का ह़क़ ख़त्म न हो गया हो।

तब्यीनुल ह़क़ाइक़ में है : जब बाएअ़ ने मुश्तरी (ख़रीदने वाले) से कहा : मेरे सामान की क़ीमत इतनी है या कहा : मेरा सामान इतने के बराबर है ख़रीदार ने इस पर बिना करते हुए ख़रीद लिया फिर इस का ख़िलाफ़ ज़ाहिर हुवा तो बाएअ़ के ख़रीदार को धोका देने के सबब ख़रीदार के लिये इस बैअ़ को रद करने का इख़्तियार होगा और अगर ऐसा कुछ नहीं कहा तो अब बैअ़ रद करने का ह़क़ नहीं

1... ردالمحتار،کتاب البیوع،مطلب الآدمی مکرم شرعاولوکافرا،7/245
2... بحرالرائق،کتاب البیع،باب بیع الفاسد،6/133
3... बहारे शरीअ़त, 2/700, हिस्सा : 11

होगा। बा'ज़ फ़ुक़हा ने फ़रमाया कि बैअ़ जिस त़रह़ भी हो रद नहीं कर सकते मगर सह़ीह़ येह है कि अगर धोका हुवा है तो रद का हुक्म दिया जाएगा वरना रद का हुक्म नहीं।[1]

सदरुश्शरीअ़ह, बदरुत्तरीक़ह मुफ़्ती मुह़म्मद अमजद अ़ली आ'ज़मी رَحْمَۃُ اللہِ عَلَیْہ इर्शाद फ़रमाते हैं : कोई चीज़ ग़बने फ़ाह़िश के साथ ख़रीदी है उस की दो सूरतें हैं धोका दे कर नुक़्सान पहुंचाया है या नहीं अगर ग़बने फ़ाह़िश के साथ धोका भी है तो वापस कर सकता है वरना नहीं। ग़बने फ़ाह़िश का येह मत़लब है कि इतना टोटा (घाटा) है जो मुक़व्विमीन (क़ीमत लगाने वालों) के अन्दाज़े से बाहर हो मसलन एक चीज़ दस रुपै में ख़रीदी कोई उस की क़ीमत पांच बताता है कोई छे कोई सात तो येह ग़बने फ़ाह़िश है और अगर उस की क़ीमत कोई आठ (8) बताता कोई नव (9) कोई दस (10) तो ग़बने यसीर होता है। धोके की तीन सूरतें हैं कभी बाएअ़ मुश्तरी को धोका देता है पांच की चीज़ दस में बेच देता है और कभी मुश्तरी बाएअ़ को कि दस की चीज़ पांच में ख़रीद लेता है कभी दल्लाल (सौदा कराने वाला) धोका देता है इन तीनों सूरतों में जिस को ग़बने फ़ाह़िश के साथ नुक़्सान पहुंचा है वापस कर सकता है और अगर अजनबी शख़्स ने धोका दिया हो तो वापस नहीं कर सकता।[2]

पुरानी अदवियात को नई क़ीमत पर फ़रोख़्त करना कैसा ?

सुवाल (साइल का सुवाल है कि) मैं मेडीकल स्टोर (Medical Store) चलाता हूं कुछ अदवियात हमारे पास स्टॉक (Stock) रखी होती हैं बसा अवक़ात उन की क़ीमत बढ़ जाती है तो अब सुवाल येह है कि क्या हम उन अदवियात को नई क़ीमत पर फ़रोख़्त कर सकते हैं या हमें इन अदवियात को पुरानी क़ीमत पर ही फ़रोख़्त करना होगा ?

जवाब जब दुकानदार ने कोई माल ख़रीद लिया तो दुकानदार उस माल का मालिक बन गया अब वोह उस माल को अपनी मरज़ी और मन्शा के मुत़ाबिक़ फ़रोख़्त कर सकता है, उसूली त़ौर पर तो वोह मालिक है, जितने का चाहे फ़रोख़्त करे, अलबत्ता फ़ुक़हाए किराम ने हुक्काम को भी येह इख़्तियार दिया है कि वोह अश्या की क़ीमतें मुक़र्रर कर सकते हैं। लिहाज़ा अगर हुकूमत की त़रफ़ से किसी चीज़ के रेट मुक़र्रर कर दिये जाते हैं और महंगा बेचने पर क़ानूनी मुआमलात का सामना करना पड़ सकता है तो फिर ज़ाहिर है कि हमें क़ानून के मुत़ाबिक़ अपनी अश्या को फ़रोख़्त करना होगा कि वोह जाइज़ बात जिस से क़ानून रोकता हो उस से बाज़ रहना शरअ़न भी वाजिब हो जाएगा। लिहाज़ा अगर पुराने स्टॉक

1 ... تبیین الحقائق، 4/436 स. 31 माहनामा फ़ैज़ाने मदीना, नवम्बर 2017,

2 ... बहारे शरीअ़त, 2/691, हि़स्सा : 11

के बारे में क़ानून ख़ामोश हो या नई क़ीमत से बेचने पर पाबन्दी न हो तो आप पुराने स्टॉक को नई क़ीमत से फ़रोख़्त कर सकते हैं अगर क़ानूनी पाबन्दी हो तो फिर क़ानून पर अ़मल करना लाज़िम है।

गाहक को किसी और के पास भेजने पर कमीशन लेना

सुवाल (साइल का सुवाल है कि) मेरा काम वेब डीज़ाइनिंग (Designing) का है। कभी ऐसा होता है कि हम से कोई वेबसाइट बनवाने के लिये मेल या फ़ोन पर राबित़ा करता है लेकिन वक़्त न होने की वज्ह से हम उसे किसी और के पास भेज देते हैं और जिस के पास हम ने येह गाहक रीफ़र (Refer) किया उस से कुछ नफ़्अ़ तै कर लेते हैं। क्या ऐसी सूरत में हमारा उस वेबसाइट बनाने वाले से नफ़्अ़ लेना दुरुस्त है ?

जवाब सूरते मस्ऊला में फ़क़त् आप का उस कस्टमर को दूसरे वेब डीज़ाइनर (Web Designer) के पास रीफ़र करने पर मुआ़वज़ा या कमीशन लेना दुरुस्त नहीं क्यूं कि दूसरे के पास भेजना कोई ऐसा काम नहीं जिस पर मुआ़वज़ा लिया जाए, अलबत्ता अगर आप उ़र्फ़ के मुत़ाबिक़ कुछ मेह़नत करें, भागदौड़ करें अपना वक़्त सर्फ़ करें तो फिर आप के लिये कमीशन लेना दुरुस्त हो जाएगा। मह़ज़ ज़बानी जम्अ़ ख़र्च को फ़ुक़हा ने इस मस्अले में क़ाबिले मुआ़वज़ा काम में शुमार नहीं किया।

एक मरतबा दो पार्टियां मिलवाने पर बार बार कमीशन वुसूल करना

सुवाल ब्रोकर एक पार्टी को दूसरी पार्टी से मिलवा देता है और उन के दरमियान सौदा मुकम्मल हो जाता है और ब्रोकर अपनी ब्रोकरी ले लेता है, लेकिन बा'द में भी जब कभी येह दोनों पार्टियां आपस में कोई सौदा करती हैं तो क्या ब्रोकर को दोबारा कमीशन देना होगा ? क्या उस दूसरे सौदे पर कमीशन लेना ब्रोकर का ह़क़ है ?

जवाब सूरते मस्ऊला के मुत़ाबिक़ काम करवाने के बा'द जब ब्रोकर अपना तै शुदा कमीशन ले चुका तो आइन्दा के लिये दोनों पार्टियां आज़ाद हैं, चाहे ख़ुद काम करें, चाहे किसी मो'तबर ज़रूरत की बुन्याद पर ब्रोकर के ज़रीए़ काम करवाएं। अगर आइन्दा ब्रोकर इन दोनों पार्टियों के लिये काम नहीं करता तो वोह आइन्दा किसी ऐसे सौदे पर मुआ़वज़े का मुस्तह़िक़ नहीं होगा जो फ़रीक़ैन ने अज़ ख़ुद किया हो। ब्रोकर का एक मरतबा फ़रीक़ैन को मिलवा कर उन का सौदा करवा कर येह समझना कि मैं ने दोनों पार्टियों को मिलवाया है, लिहाज़ा अब ता ह़यात या लम्बे अ़र्से तक मुझे घर बैठे हर मरतबा उन के अज़ ख़ुद होने वाले सौदे के बदले कमीशन मिलना चाहिये। येह बिला शुबा ग़ैर शरई़ मुआ़मला और ग़लत़ सोच है, न तो ऐसी सूरत में ब्रोकरी का तक़ाज़ा करना दुरुस्त है और

न ही इस सूरत में ब्रोकरी लेना ब्रोकर का ह़क़ है। बहुत सारी मार्केटों में येह ना जाइज़ त़रीक़ा राइज है कि एक बार सौदा करवाने के बा'द जब भी वोह दोनों पार्टियां बाहम रिज़ामन्दी से कोई सौदा करें तो ब्रोकर अपना कमीशन मांगता है येह जाइज़ नहीं।

दो पार्टियों का दरमियान से ब्रोकर को हटा देना

सुवाल जायदाद के लेनदेन में जब ब्रोकर दो पार्टियों को मिलवाता है तो पार्टियां ब ज़ाहिर ब्रोकर पर येह ज़ाहिर करती हैं कि वोह इस सौदे या रेट वग़ैरा से मुत्तफ़िक़ नहीं, लेकिन बा'द में ब्रोकर को हटा कर ख़ुद सौदा कर लेती हैं। क्या ऐसी सूरत में ब्रोकर अपनी ब्रोकरी का मुत़ालबा कर सकता है ?

जवाब सूरते मस्ऊला में पार्टियों का ब्रोकर को दरमियान से हटाने की दो सूरतें बन सकती हैं : एक येह कि वाक़िअ़तन फ़िलह़ाल उन को येह सौदा या रेट समझ न आए हों इस लिये इन्कार किया हो तो ऐसी सूरत में अख़्लाक़न येही ज़ियादा बेहतर है कि दोबारा अगर ज़ेह्न बने, तब भी ब्रोकर की ख़िदमात के ज़रीए़ काम किया जाए कि उस ने जो मेह़नत की थी वोह ज़ाएअ़ न हो और उसे उस का सिला मिले और यहां ब्रोकर के काम करने का मक़्सद और गुन्जाइश मौजूद है मसलन काग़ज़ात का ट्रान्सफ़र पैसों के लेनदेन के मुआ़मलात और कई चीज़ें ऐसी हैं जो ब्रोकर के ज़रीए़ से करवाई जा सकती हैं।

दूसरी सूरत येह है कि अगर फ़रीक़ैन या कोई एक फ़रीक़ जान बूझ कर वक़्ती त़ौर पर ब्रोकर को हटाने के लिये झूट बोलता है कि मुझे येह सौदा, जायदाद या रेट पसन्द नहीं ह़ालां कि ह़क़ीक़त में ऐसा नहीं, तो इस में दो गुनाह तो ज़रूर पाए जा रहे हैं। अव्वल मुसल्मान को ज़रर पहुंचाने का क्यूं कि ब्रोकर ने जो मेह़नत की, उसे उस की मेह़नत के बा वुजूद कमीशन से मह़रूम करना नाह़क़ ज़रर है। दूसरा गुनाह झूट बोलने का है कि ब्रोकर को निकालने के लिये जो भी ख़िलाफ़े वाक़ेअ़ बात कही जाएगी, वोह झूट पर मुश्तमिल होगी और झूट बोलना जाइज़ नहीं।

दो त़रफ़ा ब्रोकरी लेना कैसा ?

सुवाल ब्रोकर का ख़रीदार और फ़रोख़्त कुनन्दा दोनों से ब्रोकरी लेना कैसा है ?

जवाब पूछी गई सूरत में अगर किसी जगह दो त़रफ़ा ब्रोकरी लेने का उ़र्फ़ हो तो ब्रोकर का दो त़रफ़ा ब्रोकरी लेना जाइज़ है। अलबत्ता ब्रोकर के लिये येह ज़रूरी है कि ब्रोकर दोनों त़रफ़ से भागदौड़ करे और कोशिश व सई करे। दो त़रफ़ा ब्रोकरी लेना उसी वक़्त जाइज़ है जब सौदा त़ै करवाते वक़्त किसी

एक की नुमायन्दगी न करे अगर किसी एक की नुमायन्दगी करेगा तो फिर सामने वाली पार्टी से ब्रोकरी नहीं ले सकता बल्कि सिर्फ़ उसी से ब्रोकरी लेने का ह़क़दार होगा जिस की उस ने नुमायन्दगी की है। इस को यूं समझिये कि एक ब्रोकर ने दोनों पार्टियों को मिलवाने के लिये अपनी ज़िम्मेदारी पूरी त़रह़ अदा की और दोनों से तै़ किया कि आप दोनों मुझे इतना कमीशन देंगे लेकिन हुवा येह कि जब दोनों अस्ल फ़रीक़ैन के बैठ कर सौदा साइन करने या ज़बानी त़ौर पर सौदा पक्का करने और ईजाब व क़बूल का मौक़अ़ आया तो एक फ़रीक़ ने ब्रोकर से कह दिया कि मैं नहीं आ सकूंगा मेरी त़रफ़ से तुम दूसरी पार्टी से येह डील फ़ाइनल कर लो तो ऐसी सूरत में चूंकि एक फ़रीक़ ख़ुद या ब्रोकर के इलावा उस का कोई और नुमायन्दा मौजूद नहीं था बल्कि ब्रोकर या कमीशन एजन्ट को एक फ़रीक़ की नुमायन्दगी करना पड़ी तो ऐसी सूरत में ब्रोकर दो त़रफ़ से कमीशन नहीं ले सकता सिर्फ़ उस फ़रीक़ से कमीशन वुसूल करने का ह़क़दार है जिस का नुमायन्दा बन कर उस ने सौदा फ़ाइनल किया। इस के बर ख़िलाफ़ ज़ेरे बह़स सूरत में अगर अस्ल फ़रीक़ ब्रोकर के इलावा किसी और को अपना नुमायन्दा बना कर भेजता या ख़ुद आ कर डील फ़ाइनल करता तो ब्रोकर शर्ई़ ए'तिबार से दो त़रफ़ा ब्रोकरी या कमीशन का ह़क़दार ठहरता।[1]

ब्रोकर का टॉप मारना कैसा ?

सुवाल ब्रोकर बसा अवक़ात इस त़रह़ करते हैं कि प्रोंपर्टी के मालिक को कम पैसे बताते हैं और ख़रीदने वाले को ज़ियादा पैसों में फ़रोख़्त करते हैं और दरमियान के पैसे ख़ुद रख लेते हैं मिसाल के त़ौर पर एक प्रोंपर्टी पचास लाख की फ़रोख़्त करने के बा'द प्रोंपर्टी के मालिक को कहा कि येह पेंतालीस लाख की फ़रोख़्त की है ब्रोकर का ऐसा करना कैसा है ? इसे ब्रोकर्ज़ की इस्तिलाह़ में टॉप मारना कहा जाता है।

जवाब पूछी गई सूरत में ब्रोकर का इस त़रह़ करना धोका और ह़राम है इस की वज्ह येह है कि ब्रोकर एक नुमायन्दे की ह़ैसिय्यत रखता है न ही उस का माल है और न ही रक़म। लिहाज़ा ब्रोकर पर येह बात लाज़िम है कि प्रोंपर्टी जितने की भी फ़रोख़्त हुई है उस की कुल रक़म मालिक के ह़वाले करे।

1 ...ماخوذ از تنقیح الفتاوی الحامدیہ، 1/259

ब्रोकर का पार्टी को मार्केट वेल्यू से ज़ाइद क़ीमत बताना

सुवाल (साइल का सुवाल है कि) मैं अपनी एक प्रॉपर्टी बेच रहा हूं जिस की मार्केट वेल्यू तीस लाख रुपै है लेकिन ब्रोकर पार्टी से बत्तीस लाख मांग रहा है क्या ऐसा करना जाइज़ है ?

जवाब अगर ब्रोकर प्रॉपर्टी के मालिक की इजाज़त से किसी पार्टी से ज़ियादा पैसे मांगता है तो उसे इस त़रह़ करना जाइज़ है इस में कोई शर्ई क़बाह़त नहीं क्यूं कि आ़म त़ौर पर जितने की चीज़ बेचनी हो उस से ज़ियादा पैसे बता कर बार्गेनिंग की जाती है ताकि सामने वाला पैसे कम भी करवाए तो मत़लूबा हदफ़ के मुत़ाबिक़ चीज़ बिक जाए। अलबत्ता अगर ब्रोकर प्रॉपर्टी के मालिक से झूट बोले मिसाल के त़ौर पर प्रॉपर्टी बत्तीस लाख की फ़रोख़्त करे और मालिक से कहे कि तीस लाख की बेची है तो येह ना जाइज़ है क्यूं कि इस में मालिक को धोका देना और झूट बोलना लाज़िम आ रहा है और येह रक़म भी उस के लिये ह़लाल न होगी।

ब्रोकर का पार्टी से चीज़ ख़रीद कर आगे बेचना कैसा ?

सुवाल कभी ऐसा होता है कि ब्रोकर के पास कोई ऐसी पार्टी आती है जिसे अपनी प्रॉपर्टी की सह़ीह़ क़ीमत मा'लूम नहीं होती तो ब्रोकर उस पार्टी से वोह प्रॉपर्टी सस्ते दाम ख़रीद कर कुछ अ़र्से बा'द महंगे दामों मार्केट में फ़रोख़्त कर देता है क्या ब्रोकर का इस त़रह़ करना दुरुस्त है ?

जवाब पूछी गई सूरत में ब्रोकर का पार्टी से सस्ते दामों प्रॉपर्टी ख़रीद कर ख़ुद मालिक बन कर अपनी उस चीज़ को महंगे दामों फ़रोख़्त करना जाइज़ है अलबत्ता येह बात ज़रूरी है कि ब्रोकर पार्टी से किसी क़िस्म की ग़लत़ बयानी या झूट से काम न ले मसलन पार्टी ने ब्रोकर से पूछा कि आज कल मेरी प्रॉपर्टी जैसी प्रॉपर्टी की क्या वेल्यू चल रही है तो ब्रोकर जान बूझ कर वोह वेल्यू बताए जो मार्केट रेट से कम हो या फिर उस प्रॉपर्टी के मुतअ़ल्लिक़ कहे कि आज कल ख़रीदार नहीं आ रहे वग़ैरा, और येह बात ह़क़ीक़त के ख़िलाफ़ हो तो इस त़रह़ ब्रोकर का पार्टी से झूट बोलना उसे धोका देना ग़ैर शर्ई अ़मल है जो कि हरगिज़ हरगिज़ जाइज़ नहीं। अलबत्ता अगर झूट बोले और धोका दिये बिग़ैर ब्रोकर कोई प्रॉपर्टी सस्ते दामों ख़रीद ले और क़ब्ज़ा करने के बा'द महंगे दामों फ़रोख़्त करे तो येह जाइज़ है।

छुट्टियों की तनख़्वाह लेने का हुक्म

सुवाल (साइल का सुवाल है कि) मैं एक मुलाज़िम हूं अगर मैं दस दिन नोकरी पर नहीं जाता तो मेरे लिये उन दस दिनों की तनख़्वाह लेना ह़लाल है या ह़राम ?

जवाब पूछी गई सूरत में अगर छुट्टी कर के येह ज़ाहिर किया गया कि मैं ह़ाज़िर था और उन दिनों की ह़ाज़िरी लगा दी गई तो उन दिनों की तनख़्वाह लेना ह़लाल नहीं और अगर येह ज़ाहिर किया कि मैं ग़ैर ह़ाज़िर था तो इस सूरत में कम्पनी और मुलाज़िम के दरमियान होने वाला मुआ़हदा देखा जाएगा कि वोह क्या था ? अपने मुलाज़िमीन के साथ मुआ़हदा करने के कम्पनियों में मुख़्तलिफ़ त़रीक़े हैं और छुट्टियों की भी मुख़्तलिफ़ सूरतें हैं, कम्पनियां माहाना चन्द छुट्टियों की गुन्जाइश रखती हैं कुछ सालाना छुट्टियों की गुन्जाइश रखती हैं कुछ कम्पनियों की पॉलीसी येह होती है कि इतनी इतनी छुट्टियों में तनख़्वाह के साथ छुट्टियां होंगी और इस से ज़ियादा में बिग़ैर तनख़्वाह के। अल ग़रज़ कम्पनी और मुलाज़िम के दरमियान होने वाला मुआ़हदा ही इन मसाइल की अस्ल बुन्याद है।

काफ़िरों के इस्ति'माल शुदा कपड़े बेचना कैसा ?

सुवाल (साइल का सुवाल है कि) मेरा पुराने कपड़ों का ठेला है और इस में ग़ैर मुस्लिमों के भी इस्ति'माल शुदा कपड़े होते हैं, हो सकता है कि पाक के साथ साथ नापाक कपड़े भी होते हों तो क्या इस त़रह़ कपड़ों को बेचना जाइज़ है ? अगर बिलफ़र्ज़ किसी कपड़े का नापाक होना मुझे मा'लूम भी हो तो उस को बेचना कैसा है ?

जवाब कपड़े पाक हों या नापाक दोनों सूरतों में उन का बेचना जाइज़ है अलबत्ता जब तक कपड़ों का नापाक होना मा'लूम न हो उन को पाक ही समझा जाएगा। रही बात कि किसी कपड़े के बारे में आप को यक़ीन के साथ नापाक होने का इ़ल्म है तब भी उस की ख़रीदो फ़रोख़्त तो जाइज़ होगी लेकिन ख़रीदार को ज़रूर बताया जाए ताकि वोह उसे पाक किये बिग़ैर इस्ति'माल न करे।

जा'ली प्रोडक्ट बेचना कैसा ?

सुवाल एक कम्पनी ने कोई प्रोडक्ट बना कर मार्केट में फ़रोख़्त करना शुरूअ़ की, अब कोई दूसरा शख़्स उसी नाम से उस प्रोडक्ट की नक़्ल बनाता है और अस्ल कम्पनी का नाम इस्ति'माल कर के येह नक़्ली प्रोडक्ट मार्केट में सस्ते दामों बेच रहा है। ऐसा करना कैसा है ? नीज़ उस प्रोडक्ट को सप्लाय करना और दुकानदार का उसे गाहक को बेचना कैसा है ?

जवाब किसी कम्पनी का नाम इस्ति'माल कर के जा'ली प्रोडक्ट बनाना और ख़रीदने वाले को बताए बिग़ैर बेच देना ह़राम है कि येह धोका है और धोका दे कर माल फ़रोख़्त करना ना जाइज़ व ह़राम है। मुसल्मान की तिजारत झूट, वा'दा ख़िलाफ़ी और धोका देही जैसे तमाम ख़िलाफ़े शर्अ़ उमूर से पाक होना चाहिये। ब कसरत अह़ादीस इन कामों की मज़म्मत में वारिद हुई हैं।

फ़िल्मों और गानों की सीडीज़ बेचना कैसा ?

सुवाल जो लोग सीडी और डीवीडी सेन्टर चलाते हैं जहां फ़िल्मों और गानों पर मब्नी मटेरियल बेचा जाता है तो क्या येह कारोबार ना जाइज़ और ह़राम है ?

जवाब ऐसा कारोबार करना, ना जाइज़ व ह़राम और ऐसा कारोबार करने वाला नारे जहन्नम का मुस्तह़िक़ है इस काम में गुनाह पर मुआ़वनत है, **अल्लाह** रब्बुल इ़ज़्ज़त ने क़ुरआने पाक में गुनाह पर मुआ़वनत से हमें बाज़ रहने का हुक्म दिया है। चुनान्चे सूरए माइदह में है : ﴿وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ **तरजमए कन्ज़ुल ईमान :** और गुनाह और ज़ियादती पर बाहम मदद न दो ।[1] उन लोगों पर लाज़िम है कि इस ह़राम काम को छोड़ कर ह़लाल ज़रीअ़ए रोज़गार अपनाएं ।

टीवी बेचना कैसा है ?

सुवाल घर में दो टीवी हैं, अगर उन में से एक बेचें और ख़रीदने वाला उस का ग़लत़ इस्ति'माल करे तो क्या गुनाह हमें मिलेगा ?

जवाब सूरते मस्ऊला में आप गुनहगार नहीं होंगे, क्यूं कि टीवी बज़ाते ख़ुद बुरा नहीं, इस का इस्ति'माल अच्छा भी है और बुरा भी, ख़रीदने वाला उस का जैसा इस्ति'माल करे, इस का वबाल आप पर नहीं, इस का वोह ख़ुद ज़िम्मेदार होगा। **अल्लाह** पाक का फ़रमान है : ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى﴾ **तरजमए कन्ज़ुल ईमान :** और कोई बोझ उठाने वाली जान दूसरे का बोझ न उठाएगी ।[2]

स्मगिंलग के बारे में शरई़ हुक्म

सुवाल स्मग्लिंग के बारे में शरीअ़त का क्या हुक्म है ? या'नी दूसरे मुल्क से चांदी सोना या घड़ी और कपड़ा वग़ैरा ला कर बेचना शरअ़ के नज़्दीक कैसा है जब कि मुल्की क़ानून के ए'तिबार से जुर्म है ? मत़लब इस सूरत में जुर्म है जब छुपा कर लाया जाए और जो टेक्स बनता है वोह न दिया जाए ऐसा दो त़रह़ से होता है एक तो रस्मी रास्तों के बजाए कश्तियों या ख़ुफ़्या रास्तों के ज़रीए़ किया जाता है दूसरा येह कि सीपोर्ट या एरपोर्ट के ज़रीए़ ही सामान आता है लेकिन अन्दर के लोगों से खांचे होते हैं जिस की बिना पर रिश्वत वग़ैरा दे कर टेक्स बचा लिया जाता है ? इस बारे में रहनुमाई फ़रमाएं ।

---

1 ...पारह : 6, अल माइदह : 2

2 ...पारह : 8, अल अन्आ़म : 164

जवाब जिन चीज़ों की ख़रीदो फ़रोख़्त ह़लाल है सिर्फ़ स्मगिंग की वज्ह से वोह चीज़ें ह़राम नहीं हो जाएंगी अलबत्ता ऐसा त़रीक़ा इख़्तियार करना, ना जाइज़ कहलाएगा। ना जाइज़ होने की वज्ह ज़ाहिर है कि ऐसा करना ग़ैर क़ानूनी है, पकड़े जाने पर क़ैदो बन्द और रुस्वाई लाज़िमी चीज़ है फिर इस काम को जारी रखने के लिये रिश्वतें देना पड़ती हैं जो ख़ुद अलग से ह़राम काम है।

नया मोबाइल डिब्बा खुल जाने के बा'द कम क़ीमत में बेचना कैसा ?

सुवाल (साइल का सुवाल है कि) हम डिब्बा पेक नया मोबाइल ले कर रक़म की अदाएगी भी कर देते हैं मगर डिब्बा खोलने के बा'द मोबाइल पसन्द नहीं आता तो दुकानदार से वापस करने का कहते हैं तो वोह हज़ार, दो हज़ार बल्कि बा'ज़ अवक़ात इस से भी ज़ियादा रक़म कम कर के वापस करता है जिस से ख़रीदार को नुक़्सान होता है, ऐसी सूरत में क्या करना चाहिये ? क्या येह सूरत सूद में दाख़िल है ?

जवाब नया मोबाइल जब खोल कर चेक करने के लिये स्टार्ट कर लिया तो उस की क़ीमत गिर जाती है ऐसे मौक़अ़ पर हमारा उ़र्फ़ येह है कि इस त़रह़ का दूसरा मोबाइल देख कर पहले इत़्मीनान ह़ासिल किया जाता है फिर डिब्बापेक मोबाइल ख़रीदा जाता है और अगर उस में कोई ऐ़ब न हो तो वापस नहीं किया जाता अगर कोई वापस करना चाहे तो नई ख़रीदारी होती है या'नी वोह बा'द में आ कर दुकानदार को फ़रोख़्त करता है और ऐसी फ़रोख़्त बहुत सारी चीज़ों में होती है लोग गाड़ियां लेते हैं, महीना पन्दरह दिन इस्ति'माल करने के बा'द उसी शख़्स को जिस से ख़रीदी थी कम क़ीमत पर फ़रोख़्त कर देते हैं तो दूसरी डील एक नई ख़रीदारी होती है जिस में ख़रीदो फ़रोख़्त की शराइत़ व तफ़्सील पाई जाती हों तो इस में कोई हरज नहीं।

बैआ़ना ज़ब्त़ करना कैसा ?

सुवाल आ़म तौ़र पर राइज है कि जब एक शख़्स किसी से कोई माल ख़रीदता है तो वोह बेचने वाले को कुछ रक़म बैआ़ना देता है फिर किसी वज्ह से वोह दोनों आपस में बैअ़ ख़त्म कर देते हैं तो बेचने वाला बैआ़ना की रक़म ज़ब्त़ कर लेता है ख़रीदार को वापस नहीं करता उस का ऐसा करना कैसा है ?

जवाब सौदा ख़त्म हो जाने पर बैआ़ना ज़ब्त़ करना, ना जाइज़ व गुनाह और ज़ुल्म है। आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत इमाम अह़मद रज़ा ख़ान رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : "बैअ़ न होने की ह़ालत में बैआ़ना ज़ब्त़ कर लेना जैसा कि जाहिलों में रवाज है ज़ुल्मे सरीह़ है।"[1]

[1]... फ़तावा रज़विय्या, 17/4

मेरेज ब्यूरो की आमदनी का शरई हुक्म

सुवाल जो लोग शादियां करवाते हैं या'नी मेरेज ब्यूरो चलाते हैं वोह इस काम के पैसे लेते हैं। क्या उन का पैसा लेना जाइज़ है ?

जवाब निकाह़ करवाने और रिश्ते करवाने की उजरत ली जा सकती है या'नी येह काम जाइज़ है जब कि इस मुआमले में लेनदेन और उजरत के तमाम शरई तक़ाज़े भी पूरे किये जाएं। आम तौर पर रिश्ता करवाने वाले रियल स्टेट की तरह़ दो पार्टियों को मिलाने का ही काम करते हैं। यहां येह ज़रूरी है कि रिश्ता करवाने वाले को काम पहले सिपुर्द किया हो और उस ने दौड़ धूप और अ़मली मेह़नत भी की हो।

चीज़ बेचने पर इजारा करना कैसा ?

सुवाल एक शख़्स को क़िस्तों की दुकान पर नोकरी मिल रही है, तनख़्वाह की तफ़्सील येह है कि अगर वोह मार्केटिंग कर के महीने में 4 लाख की सेल करवाएगा तो उस को 25000 रुपै तनख़्वाह मिलेगी और अगर इस से कम हुई तो एक लाख सेल पर 1 हज़ार तनख़्वाह होगी, और सेल के कम ज़ियादा होने की सूरत में इसी तनासुब से तनख़्वाह मिलेगी। क्या येह नोकरी जाइज़ है या नहीं ?

नोट : वक़्त का इजारा नहीं होगा, काम पर होगा, वक़्त की कोई पाबन्दी नहीं होगी नीज़ क़िस्त लेट होने पर माली जुर्माना की शर्त़ भी होती है।

जवाब सुवाल में मज़्कूरा त़रीक़े के मुत़ाबिक़ नोकरी करना जाइज़ नहीं कि अव्वलन तो यहां चीज़ बेचने पर इजारा किया गया है या'नी अगर मुलाज़िम एक लाख की अश्या फ़रोख़्त करेगा तो उसे एक हज़ार रुपिये मिलेंगे और अगर चार लाख की फ़रोख़्त करेगा तो उसे पच्चीस हज़ार रुपै मिलेंगे (इसी त़रह़ कम ज़ियादा बेचने की सूरतें हैं) और चीज़ बेचने पर इजारा करना जाइज़ नहीं कि येह ऐसा काम है जो अजीर की क़ुदरत में नहीं है। और सानियन क़िस्त में ताख़ीर की वज्ह से जो माली जुर्माना की शर्त़ लगाई गई है येह भी जाइज़ नहीं क्यूं कि माली जुर्माना मन्सूख़ हो चुका है और मन्सूख़ पर अ़मल करना ह़राम है।

दुर्रे मुख़्तार और तब्यीनुल ह़क़ाइक़ वग़ैरा में है : अगर किसी को एक मुअ़य्यन उजरत के बदले में शै बेचने या ख़रीदने पर अजीर रखा तो येह इजारा जाइज़ नहीं है क्यूं कि उस को ऐसे काम पर अजीर रखा गया है जिस को करने पर वोह क़ादिर नहीं, इस लिये कि ख़रीदना और बेचना किसी दूसरे की कोशिश के बिग़ैर ताम नहीं होता और दूसरा शख़्स बाएअ़ और मुश्तरी है लिहाज़ा अजीर उस मन्फ़अ़त को सिपुर्द करने पर क़ादिर नहीं।[1] रद्दुल मुह़तार में बह़रुर्राइक़ के ह़वाले से है : शर्हुल आसार में है

[1] ... تبیین الحقائق، 6/79

कि ता'ज़ीर बिल माल इब्तिदाए इस्लाम में थी फिर इस को मन्सूख़ कर दिया गया।[1] तब्यीनुल ह़क़ाइक़ में है : मन्सूख़ पर अ़मल करना ह़राम है।[2]

चन्दे की बच जाने वाली रक़म से प्राइज़ बॉंड ख़रीदना कैसा ?

सुवाल बा'ज़ अवक़ात मख़्सूस मद में चन्दा जम्अ़ करते हैं जिस में से कुछ चन्दा बच जाता है क्या उन पैसों से हम प्राइज़ बॉंड ख़रीद सकते हैं ?

जवाब जिस मद के लिये चन्दा लिया गया वोह काम अगर पूरा हो जाए और चन्दा बच जाए या वोह काम न हो सके तो दोबारा चन्दा देने वालों की त़रफ़ रुजूअ़ करना होगा और येह पैसे उन को वापस दिये जाएंगे क्यूं कि चन्दा, चन्दा देने वालों की मिल्क पर ही बाक़ी रहता है। येह भी हो सकता है कि चन्दा लेते वक़्त ही सराह़त कर दें कि अगर चन्दे से पैसे बच गए तो अगली मरतबा इसी त़रह़ के काम में ख़र्च कर देंगे, और फिर बच गया तो अगली मरतबा उसी त़रह़ के काम में ख़र्च कर दिया जाए। वाज़ेह़ रहे कि चन्दे की रक़म अमानत होती है इसे मा'रूफ़ अन्दाज़ में ही ख़र्च किया जा सकता है, इस रक़म से प्राइज़ बॉंड नहीं ख़रीद सकते क्यूं कि इस का उ़र्फ़ नहीं है। आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अह़मद रज़ा ख़ान رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه फ़तावा रज़विय्या में लिखते हैं : चन्दा जिस काम के लिये किया गया हो जब उस के बा'द बचे तो वोह उन्हीं की मिल्क है जिन्हों ने चन्दा दिया है, उन को ह़िस्सए रसद वापस दिया जाए या जिस काम में वोह कहें सर्फ़ किया जाए।[3]

जो चीज़ दुकानदार के पास नहीं है उस की ख़रीदो फ़रोख़्त

सुवाल कोई शख़्स परिन्दे की डीमान्ड करता है लेकिन वोह परिन्दा दुकानदार के पास नहीं है तो दुकानदार कहता है कि अगर आप कहो तो पचास हज़ार रुपै में मंगवा कर देता हूं। येह इर्शाद फ़रमाएं कि इस त़रह़ ख़रीदारी करना कैसा ?

जवाब जो चीज़ मिल्किय्यत में न हो उसे बेचना जाइज़ नहीं। लिहाज़ा पूछी गई सूरत में जब तक दुकानदार परिन्दा ख़रीद न ले उस वक़्त तक आगे उस का सौदा नहीं कर सकता। हां अगर सौदा न किया जाए बल्कि मह़ज़ वा'दा कर लिया जाए तो जाइज़ है कि मैं आप को ला दूंगा और दोनों समझते हों कि येह वा'दा हो रहा है डील (Deal) नहीं हो रही, नीज़ इस वा'दे के नताइज से भी दोनों वाक़िफ़

---

1 ...ردالمحتار، کتاب الحدود، مطلب فی التعزیر باخذ المال، 6/98

2 ...تبیین الحقائق، 5/110

3... फ़तावा रज़विय्या, 16/247

हों कि वा'दा करने का येह मत़लब नहीं कि वोह ख़रीदारी की त़रह़ लाज़िम हो गया वरना वा'दे और ख़रीदारी में फ़र्क़ नहीं रहेगा बल्कि वा'दे का मत़लब येह है कि किसी बिना पर उस का इरादा बदल जाए तो उस को येह ह़क़ ह़ासिल है कि वोह चीज़ न ले। वा'दा करने के बा'द दुकानदार पहले वोह माल ख़ुद ख़रीद कर ले आए फिर गाहक को बेचे। एक सूरत येह भी इख़्तियार की जा सकती है कि दुकानदार बत़ौरे ब्रोकर अपना मुआवज़ा ले मसलन गाहक से यूं तै़ कर ले कि परिन्दा जितने का भी आएगा मुझे उस पर मसलन दो सो रुपै कमीशन के तौ़र पर दे देना तो इस सूरत में परिन्दा दुकानदार की मिल्किय्यत में आना भी ज़रूरी नहीं। लेकिन येह ज़रूरी है कि दुकानदार ने जिस क़ीमत में ख़रीदा है वोही आगे बताना होगी क्यूं कि कमीशन वाली सूरत में दुकानदार अस्ल ख़रीदार का वकील और नुमायन्दा बन कर ख़रीद रहा है। यूंही येह मस्अला भी पेशे नज़र रहे कि ब्रोकरी या कमीशन में फ़रीक़ैन रक़म के तअ़य्युन करने में आज़ाद नहीं होते बल्कि उ़र्फ़ के मुत़ाबिक़ इस क़िस्म के काम की जो ब्रोकरी बनती है सिर्फ़ वोही मुक़र्रर कर सकते हैं।

पुराना स्टॉक नए रेट पर बेचना कैसा ?

सुवाल (साइल का सुवाल है कि) मेरा स्कूल यूनीफ़ॉर्म का कारख़ाना है मेरे पास स्टॉक पड़ा रहता है कपड़े का रेट बढ़ा है तो क्या मैं यूनीफ़ॉर्म नए रेट पर बेच सकता हूं ?

जवाब जो माल आप के पास रखा हुवा है वोह आप का अपना माल है अपने माल को कोई शख़्स सस्ता बेचे या महंगा इस का उसे इख़्तियार है लेकिन इतनी क़ीमत पर बेचें कि लोगों के लिये क़ाबिले बरदाश्त हो, बहुत ज़ियादा महंगा बेचना अख़्लाक़िय्यात के ख़िलाफ़ है। आप अगर अपना पुराना स्टॉक नए मार्केट रेट पर बेचते हैं तो इस में ह़रज नहीं। आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه लिखते हैं : ''अपने माल का हर शख़्स को इख़्तियार है चाहे कोड़ी की चीज़ हज़ार रुपिया को दे, मुश्तरी को ग़रज़ हो ले, न हो न ले।''[1]

हुकूमत की त़रफ़ से मुक़र्रर किये गए रेट की पाबन्दी

सुवाल अपनी चीज़ हो तो जितने पैसे मुनासिब समझें उस में बेच सकते हैं लेकिन मस्अला येह है कि जब ज़ियादा पैसों में बेचते हैं तो हुकूमती इदारे जुर्माना लगा देते हैं। इस के बारे में क्या हुक्म है ?

जवाब हम ने एक शरई़ हुक्म बयान किया है। जहां तक हुकूमत की त़रफ़ से रेट फ़िक्स करने की बात है तो हुकूमत हर चीज़ का रेट फ़िक्स नहीं करती, मिसाल के तौ़र पर कपड़ों का रेट फ़िक्स नहीं

1... फ़तावा रज़विय्या, 17/98

होता, आ़म तौ़र पर खाने पीने की अश्या का रेट मुक़र्रर होता है, पेट्रोल का रेट मुक़र्रर होता है, दवाओं का रेट मुक़र्रर होता है और इस की ख़िलाफ़ वर्ज़ी पर पकड़ धकड़ होती है। इस के इ़लावा अक्सर चीज़ों में मार्केट में आज़ादी होती है हर चीज़ की क़ीमत हुकूमत मुक़र्रर नहीं करती। जिन चीज़ों में हुकूमत पकड़ धकड़ करती है वहां तो हम पाबन्द हैं क्यूं कि अपने आप को ज़िल्लत पर पेश नहीं कर सकते लिहाज़ा क़ानून की ख़िलाफ़ वर्ज़ी की इजाज़त नहीं बल्कि वहां पर क़ानून की पासदारी करना लाज़िम होगा। आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه लिखते हैं : "किसी जुर्मे क़ानूनी का इरतिकाब कर के अपने आप को ज़िल्लत पर पेश करना भी मन्अ़ है।"[1]

कमीशन एजन्ट का ज़ाइद क़ीमत पर चीज़ बेचना

सुवाल कमीशन एजन्ट कम्पनी रेट से ज़ियादा क़ीमत पर चीज़ बेच कर इज़ाफ़ी रक़म खुद रख सकता है ?

जवाब शरई क़वानीन की रू से ब्रोकर एक नुमायन्दा होता है खुद पार्टी नहीं होता बल्कि दो पार्टियों को मिलवा रहा होता है। सौदा अगर ज़ियादा पैसों में होता है तो उस पर लाज़िम है कि माल बेचने वाले को उसी क़ीमत से आगाह करे जिस क़ीमत में माल बिका है और पूरी क़ीमत बेचने वाले के ह़वाले करे अस्ल क़ीमत में से खुद रखना और मालिकान को आगाह न करना येह ह़राम फ़े'ल है न ही येह इज़ाफ़ी रक़म उस के लिये ह़लाल होगी। येह सिर्फ़ अपनी मुक़र्ररा कमीशन का ह़क़दार है।

मुक़द्दस तह़रीर वाले काग़ज़ात रद्दी में बेचना कैसा ?

सुवाल (साइल का सुवाल है कि) हम कॉपियां, रद्दी, काग़ज़ वग़ैरा एक कम्पनी से सतरह (17) रुपै के ह़िसाब से ख़रीदते हैं और फिर उन्नीस (19) रुपै के ह़िसाब से आगे बेच देते हैं। अगर हम उस के पास पचास हज़ार (50000) रुपै रखवा दें तो हमें बारह, तेरह (12, 13) रुपै के ह़िसाब से रद्दी मिल जाएगी, यूं हमें अच्छा ख़ासा फ़ाएदा हो जाएगा। क्या ऐसा करना ठीक है ?

जवाब सब से पहले तो सुवाल येह है कि आप कौन सी रद्दी ख़रीद रहे हैं ? इस्लामिय्यात की कॉपियां जिन में आयात लिखी होंगी अह़ादीस लिखी होंगी इसी त़रह़ उर्दू की किताबों में भी दीनी

1... फ़तावा रज़विय्या, 29/93

मज़ामीन होते हैं और बहुत सारा ऐसा मवाद होता है जो दीनिय्यात पर मुश्तमिल होता है ऐसी चीज़ों को रद्दी में बेचने और ख़रीदने की गुन्जाइश कैसे हो सकती है ? कई अख़्बारात में भी आयात, उन का तरजमा, अह़ादीस और दीगर मुक़द्दस कलिमात लिखे होते हैं और कितनी बड़ी बे ह़िसी है कि मुसल्मान उन मुक़द्दस लिखाई वाले काग़ज़ात को ऐसी जगह इस्ति'माल कर रहे होते हैं जहां उन का अदबो एह़तिराम बिल्कुल नहीं पाया जाता ह़ालां कि ख़ुद हुरूफ़ भी क़ाबिले ता'ज़ीम हैं। जैसा कि आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अह़मद रज़ा ख़ान رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡه फ़रमाते हैं : "हमारे उ़लमा तसरीह़ फ़रमाते हैं कि नफ़्से हुरूफ़ क़ाबिले अदब हैं अगर्चे जुदा जुदा लिखे हों जैसे तख़्ती या वस्ली पर, ख़्वाह उन में कोई बुरा नाम लिखा हो जैसे फ़िरऔन, अबू जह्ल वग़ैरहुमा ताहम ह़र्फ़ों की ता'ज़ीम की जाएगी अगर्चे इन काफ़िरों का नाम लाइक़े इहानतो तज़्लील है। हुरूफ़े तहज्जी ख़ुद कलामुल्लाह हैं कि हूद عَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام पर नाज़िल हुए।"(1)

पूछी गई सूरत में भी जब मा'लूम है कि येह रद्दी पकोड़े बेचने वालों और परचून वालों को बेची जाएगी जिस की पुड़िया बना कर वोह उस में सामान बेचेंगे तो यहां उस तह़रीर का एह़तिराम तो नहीं पाया जाएगा ह़ालां कि हुरूफ़े तहज्जी (Alphabets) का भी एह़तिराम करने का हुक्म है फिर अगर वोह लिखाई दीनिय्यात पर मुश्तमिल है तो और ज़ियादा एह़तिराम करना होगा। लिहाज़ा अव्वलन तो आप अपने कारोबार (Business) पर ग़ौर करें कि इस में क्या होता है और जो बयान किया गया है उस के मुत़ाबिक़ अ़मल करें। बिलफ़र्ज़ रद्दी न हो बल्कि कोई और चीज़ हो तब भी येह जाइज़ नहीं कि ख़रीदने वाला एक बड़ी रक़म बेचने वाले के पास रखवा दे और इस की वज्ह से उस को माल सस्ता दे दिया जाए क्यूं कि जो रक़म रखवाई है वोह क़र्ज़ है और क़र्ज़ की वज्ह से सस्ता देना सूद है, लिहाज़ा येह त़रीक़ा जाइज़ नहीं।

उजरत एडवान्स में लेना कैसा ?

सुवाल (साइल का सुवाल है कि) मैं रिक्शा चलाता हूं स्कूल के बच्चे लगाए हुए हैं उन से हम फ़ीस एडवान्स में पहले लेते हैं वोह लेना चाहिये या नहीं ?

जवाब पूछी गई सूरत में आप का एडवान्स फ़ीस वुसूल करना, जाइज़ है क्यूं कि आप को रिक्शे के किराए की मद में मिलने वाली रक़म आप की उजरत है और किराया या उजरत पेशगी (Advance) भी वुसूल की जा सकती है, लिहाज़ा फ़रीक़ैन पेशगी उजरत पर राज़ी हैं तो कोई ह़रज नहीं। फ़िक़्हे ह़नफ़ी की मश्हूर किताब हिदाया में है : उजरत मह़्ज़ अ़क़्द से वाजिब नहीं होती बल्कि तीन चीज़ों में से कोई

(1)... फ़तावा रज़विय्या, 23/336, 337

एक पाई जाए तो उजरत का मुस्तह़िक़ होगा, या तो पेशगी देने की शर्त़ लगाई हो या बिग़ैर शर्त़ ही पेशगी उजरत दे दी या फिर काम पूरा हो गया।[1]

बहारे शरीअ़त में है : "उजरत मिल्क में आने की चन्द सूरतें हैं : (1) उस ने पहले ही से अ़क़्द करते ही उजरत दे दी दूसरा उस का मालिक हो गया या'नी वापस लेने का उस को ह़क़ नहीं है (2) या पेशगी लेना शर्त़ कर लिया हो अब उजरत का मुत़ालबा पहले ही से दुरुस्त है (3) या मन्फ़अ़त को ह़ासिल कर लिया मसलन मकान था उस में मुद्दते मुक़र्ररा तक रह लिया या कपड़ा दरज़ी को सीने के लिये दिया था उस ने सी दिया (4) वोह चीज़ मुस्ताजिर को सिपुर्द कर दी कि अगर वोह मन्फ़अ़त ह़ासिल करना चाहे कर सकता है न करे येह उस का फ़े'ल है मसलन मकान पर क़ब्ज़ा दे दिया या अजीर ने अपने नफ़्स को तस्लीम कर दिया कि मैं ह़ाज़िर हूं काम के लिये तय्यार हूं काम न लिया जाए जब भी उजरत का मुस्तह़िक़ है।"[2]

परिन्दा पकड़ा और मालिक मा'लूम नहीं तो क्या करें ?

सुवाल एक शख़्स ने ऑस्ट्रेलियन त़ोता पकड़ कर उस के पर काट दिये अब वोह उड़ नहीं सकता उस ने मुझे येह कह कर दिया कि आप ने घर में और भी त़ोते रखे हुए हैं येह भी रख लें जब उस के पर बड़े हो जाएं तो आज़ाद कर दीजियेगा। मैं ने इस निय्यत से रख लिया कि जब इस के पर बड़े हो जाएंगे तो मैं उसे दे दूंगा। मेरा आप से येह सुवाल है कि इस मुआ़मले में क्या किया जाए येह एक गुमशुदा चीज़ थी उन्हों ने पकड़ लिया मा'लूम नहीं है किस का है, अब इस का क्या करें ?

जवाब शरई मस्अला येह है कि अगर कोई ऐसा परिन्दा है जिसे लोग उ़मूमन पालते नहीं हैं वोह उड़ कर घर में आ जाता है तो इस का हुक्म येह है कि जो पकड़ लेगा उस का हो जाएगा जैसे जंगली कबूतर या चिड़िया आज़ाद घूम रहे होते हैं आ़म त़ौर पर किसी की मिल्किय्यत नहीं होते इस त़रह़ के दीगर परिन्दे जो पकड़ेगा वोह उसी की मिल्क होंगे। जब कि बा'ज़ जानवर व परिन्दे वोह हैं जिन के बारे में हमें पता है कि इन का कोई न कोई मालिक है जैसे ऑस्ट्रेलियन त़ोते का मुआ़मला भी ऐसा ही है कि येह आ़म परिन्दा नहीं है बल्कि लोग इसे ख़रीद कर पालते हैं और ज़ियादा तर येह पिंजरों में रहते हैं कभी पिंजरा खुला होगा तो येह उड़ गया होगा। इस का हुक्म लुक़्त़े वाला है कि इस की तश्हीर करे अगर मालिक मिल जाए तो उसे वापस करे अगर मालिक न मिले और ज़न्ने ग़ालिब हो जाए कि

1 ...ہدایہ، کتاب الاجارات، باب الاجر متی یستحق، 3/231

2 ... बहारे शरीअ़त, 3/110, ह़िस्सा : 14

मालिक अब उसे तलाश न करता होगा तो उसे सदक़ा कर दे। वाज़ेह़ रहे कि अगर पकड़ने वाले ने इस निय्यत से पकड़ा कि ख़ुद रख लेगा मालिक तक नहीं पहुंचाएगा तो येह ह़राम व गुनाह है और येह ग़ासिब क़रार पाएगा।

बहारे शरीअ़त में है : "बाज़ या शिक्रा वग़ैरा पकड़ा जिस के पाउं में झुन्झुनी बंधी है जिस से घरेलू मा'लूम होता है तो येह लुक़्ता है ए'लान करना ज़रूरी है। यूंही हिरन पकड़ा जिस के गले में पट्टा या हार पड़ा हुवा है या पालतू कबूतर पकड़ा तो ए'लान करे और मालिक मा'लूम हो जाए तो उसे वापस करे।"(1)

लुक़्ते का हुक्म बयान करते हुए सदरुश्शरीअ़ह رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه लिखते हैं : "मुल्तक़ित़ पर तश्हीर लाज़िम है या'नी बाज़ारों और शारेए़ आ़म और मसाजिद में इतने ज़माने तक ए'लान करे कि ज़न्ने ग़ालिब हो जाए कि मालिक अब तलाश न करता होगा। येह मुद्दत पूरी होने के बा'द इसे इख़्तियार है कि लुक़्ते की ह़िफ़ाज़त करे या किसी मिस्कीन पर तसद्दुक़ कर दे।"(2)

क्रेडिट कार्ड इस्ति'माल करना कैसा है ?

सुवाल (साइल का सुवाल है कि) मैं बेंक का क्रेडिट कार्ड इस्ति'माल कर रहा हूं। अगर मैं चालीस दिन के अन्दर उस की अदाएगी कर देता हूं तो सूद भी नहीं देना पड़ता तो क्या येह कार्ड मैं इस्ति'माल कर सकता हूं ? येह सूद के ज़ुमरे में तो नहीं आता ?

जवाब क्रेडिट कार्ड के ज़रीए़ बेंक येह सहूलत देता है कि आप उधार में अश्या की ख़रीदारी कर सकते हैं और दुकानदार को बेंक फ़ौरी अदाएगी करेगा लेकिन कार्ड होल्डर बेंक को जो भी इन्तिहाई मुद्दत मुक़र्रर है, तीस दिन या चालीस दिन उस वक़्त से पहले पहले अदाएगी करेगा और मुक़र्ररा इन्तिहाई वक़्त से पहले अदाएगी करने पर तो कोई सूद लाज़िम नहीं होगा लेकिन ताख़ीर से अदाएगी करने पर यौमिय्या के ह़िसाब से सूद लगना शुरूअ़ हो जाएगा। येह सब बातें क्रेडिट कार्ड बनवाते वक़्त फ़रीक़ैन तै़ करते हैं जब ही कार्ड जारी होता है। पूछी गई सूरत में सूदी मुआ़हदा तो आप कर चुके हैं क्यूं कि क्रेडिट कार्ड बनवाते वक़्त आप बेंक से येह मुआ़हदा कर चुके हैं कि अगर अदाएगी में ताख़ीर हुई तो मैं सूद अदा करूंगा लिहाज़ा सूद देने पर रिज़ामन्दी तो साबित हो चुकी है और येह भी गुनाह है। मज़ीद येह भी देखा गया है कि बा'ज़ अवक़ात लोग वक़्त पर किसी वज्ह से अदाएगी नहीं कर पाते तो फिर बेंक सूद डालना शुरूअ़ कर देता है येह दूसरा गुनाह होगा। पहला गुनाह तो उस वक़्त हुवा जब

1... बहारे शरीअ़त, 2/481, ह़िस्सा : 10
2... बहारे शरीअ़त, 2/475, ह़िस्सा : 10

आप ने क्रेडिट कार्ड बनवाते वक़्त फ़ोर्म पर दस्त ख़त़ किये कि अगर आप लेट होंगे तो सूद देना पड़ेगा। दूसरा गुनाह उस वक़्त होगा जब आप सूद की अदाएगी करेंगे और बा'ज़ अवक़ात ऐसी नौबत आ भी जाती है। अगर बिलफ़र्ज़ येह नौबत न भी आए तब भी क्रेडिट कार्ड बनवाना ही नाजाइज़ है कि इस में सूदी मुआ़हदा लाज़िमी त़ौर पर करना पड़ता है। इस की बजाए डेबिट कार्ड इस्ति'माल करना चाहिये क्यूं कि इस में आप बेंक से क़र्ज़ा नहीं ले रहे होते बल्कि दुकानदार को बेंक के ज़रीए़ अपने ही पैसे की फ़ौरी अदाएगी कर रहे होते हैं और डेबिट कार्ड में आप को किसी क़िस्म का सूदी मुआ़हदा नहीं करना पड़ता है।

ओवर टाइम दिये बिग़ैर इस के पैसे लेना कैसा ?

सुवाल (साइल का सुवाल है कि) मैं सरकारी नोकरी करता हूं, वहां तनख़्वाह के इ़लावा ओवर टाइम भी दिया जाता है। जो लोग ओवर टाइम नहीं करते उन को भी ओवर टाइम दे दिया जाता है जैसे किसी का ड्यूटी टाइम पांच बजे तक है तो उस को आठ या नव बजे तक का ओवर टाइम दे देते हैं। लेकिन लोग उस ओवर टाइम में काम नहीं करते और मुआवज़ा वुसूल कर लेते हैं येह बात अफ़्सराने बाला के भी इ़ल्म में है, एमडी को भी मा'लूम है। यूं तक़रीबन पच्चीस से पचास करोड़ रुपै ओवर टाइम की मद में जाते हैं। बहुत से लोग इसे जाइज़ कहते हैं कि तनख़्वाहें कम हैं और काफ़ी अ़र्से बा'द बढ़ती है इस लिये ओवर टाइम लेने में कोई मुज़ायक़ा नहीं ह़ालां कि जिन लोगों की तनख़्वाह ज़ियादा है वोह लोग भी लेते हैं और अफ़्सराने बाला भी येह बात जानते हैं तो क्या इस त़रह़ ओवर टाइम लेना जाइज़ है ?

जवाब ओवर टाइम का मत़लब येह होता है कि काम का लोड ज़ियादा है मसलन पांच बजे तक ड्यूटी टाइम है और इस वक़्त तक काम नहीं हो सकता तो ड्यूटी टाइम के इ़लावा वक़्त दे कर काम पूरा किया जाए और जितना वक़्त ज़ियादा दिया है उस की तै शुदा उजरत ले ली जाए। लेकिन यहां सूरते ह़ाल येह है कि मसलन पांच बजे तक ड्यूटी टाइम है और पांच बजे तक सब घर चले गए या पांच बजे तो न गए बल्कि आठ बजे ही गए लेकिन कोई काम नहीं किया बल्कि ऐसे ही फ़ारिग़ बैठे रहे और ज़ाहिर येह किया कि आठ बजे तक काम किया है, इसी बुन्याद पर तो ओवर टाइम मिला है। येह सरासर धोका है जिस में मुल्क और सरकारी ख़ज़ाने को नुक़्सान पहुंचाया जा रहा है आप ख़ुद कह रहे हैं कि इस त़रह़ करोड़ों रुपै का नुक़्सान होता है, जब एक दफ़्तर की चार दीवारी में इतना नुक़्सान हो रहा है तो दीगर दफ़ातिर में, पूरे ज़िलअ़ और पूरे मह्‌कमे में कितना नुक़्सान होगा। अगर येह गवर्नमेन्ट का पैसा है तो इस का मत़लब येह नहीं कि माले मुफ़्त है, बल्कि येह क़ौम की अमानत है जो कि बैतुल माल के हुक्म में है, क़ियामत के दिन इस के एक एक पैसे का

हिसाब देना पड़ेगा मुरतकिब अफ़राद पर लाज़िम है कि इस अमल से बाज़ आएं। जहां तक अफ़्सरान को मा'लूम होने की बात है तो येह अन्जुमन इमदादे बाहमी की एक उलटी मिसाल है जहां सब ने बुराई के काम पर एक दूसरे से समझोता किया हुवा है।

लोगों का येह कहना भी ग़लत़ है कि इस में कोई ह़रज नहीं, बल्कि क़ियामत की निशानियों में से एक निशानी येह भी है कि लोग गुनाह को गुनाह समझना ही छोड़ देंगे। ह़ज़रते सय्यिदुना हुज़ैफ़ा बिन यमान رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ से रिवायत है कि नबिय्ये अकरम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : "अ़लामाते क़ियामत बहत्तर (72) हैं (उन में से चन्द येह हैं) : जब तुम लोगों को देखो कि वोह नमाज़ों को ज़ाएअ़ करेंगे, अमानतें ज़ाएअ़ करेंगे, सूद खाएंगे, झूट को ह़लाल समझेंगे, ख़ून बहाने को मा'मूली समझेंगे, बुलन्दो बाला इमारतों पर फ़ख़्र करेंगे, दीन को दुन्या के बदले बेचेंगे, क़त़ए़ रेह़मी (रिश्तेदारी तोड़ना) आ़म होगी, मसाजिद में गुनाहों भरी आवाज़ें बुलन्द होंगी, सरे आ़म शराबें पी जाने लगेंगी और ज़ुल्म करने को फ़ख़्र समझा जाने लगेगा।"[1]

बहर ह़ाल सुवाल में बयान की गई सूरत धोकादेही, ह़राम और गुनाह का काम है, इस से बचना ज़रूरी है। पूछी गई सूरत में ओवर टाइम के नाम पर जो रक़म ह़ासिल होगी वोह ख़ालिस माले ह़राम है।

बा'ज़ अवक़ात बन्दा येह ख़याल करता है कि मैं नहीं लूंगा तो क्या फ़र्क़ पड़ेगा, येह हरगिज़ न सोचें क्यूं कि फ़र्द से ही मुआ़शरा बनता है, अगर तमाम अफ़राद ठीक हो जाएं तो मुआ़शरा ख़ुद ब ख़ुद ठीक हो जाएगा।

याद रहे ! जो शख़्स ह़राम खाता है उस की दुआ़एं भी क़बूल नहीं होतीं और ह़राम माल से किया हुवा सदक़ा व ख़ैरात भी क़बूल नहीं होता। चुनान्चे ह़दीसे पाक में है कि नबिय्ये अकरम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : बेशक **अल्लाह** पाक है और पाक ही क़बूल फ़रमाता है और उस ने मोमिनीन को वोही हुक्म दिया है जो मुरसलीन को हुक्म दिया था चुनान्चे उस ने रसूलों से इर्शाद फ़रमाया : ﴿یٰۤاَیُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّیِّبٰتِ وَ اعْمَلُوْا صَالِحًاؕ اِنِّیْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِیْمٌؕ۝۵۱﴾ **तरजमए कन्ज़ुल ईमान :** ऐ पैग़म्बरो ! पाकीज़ा चीज़ें खाओ और अच्छा काम करो, मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं।[2]

और मोमिनों से इर्शाद फ़रमाया : ﴿یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَیِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ﴾ **तरजमए कन्ज़ुल ईमान :** ऐ ईमान वालो खाओ हमारी दी हुई सुथरी चीज़ें।[3] फिर आप صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने एक शख़्स का ज़िक्र

1 ...حلیۃ الاولیاء، عبد اللہ بن عبید بن عمیر، 3/410، 411، رقم:4448ملتقطا

2 ... पारह : 18, अल मुअमिनून : 51

3 ... पारह : 2, अल बक़रह : 172

किया जो त़वील सफ़र करता है, जिस के बाल बिखरे हुए और बदन ग़ुबार आलूद है (या'नी उस की ह़ालत ऐसी है कि जो दुआ़ करे वोह क़बूल हो) और वोह अपने हाथ आस्मान की त़रफ़ उठा कर या रब ! या रब ! कहता है ह़ालां कि उस का खाना ह़राम, पीना ह़राम, लिबास ह़राम, ग़िज़ा ह़राम, फिर उस की दुआ़ कैसे क़बूल होगी ।[1]

इलेक्ट्रीशियन का चीज़ खोल कर चेक करने के पैसे लेना कैसा ?

सुवाल बा'ज़ इलेक्ट्रीशियन्ज़ ने अपनी दुकान पर लिखा होता है कि कोई भी चीज़ चेक करने की पचास रुपै फ़ीस होगी, फिर अगर मालिक वोह चीज़ बनवाए तो उस का ख़र्चा बता देते हैं और इस सूरत में खोल कर चेक करने के अलग से पैसे नहीं लेते अलबत्ता अगर मालिक वोह चीज़ न बनवाए तो खोल कर चेक करने के पचास रुपै लेते हैं और ख़राबी (Fault) बता कर, वोह चीज़ बन्द कर के वापस दे देते हैं । इस का क्या हुक्म है ?

जवाब चीज़ खोलने और चेक करने में वक़्त भी सर्फ़ होता है और आलात भी इस्ति'माल होते हैं और बा'ज़ लोगों ने बा क़ाइदा मुलाज़िमीन रखे होते हैं उन का भी वक़्त लगता है और उन को सेलेरी भी दी जाती है, इस खुलवाने का एक मक़्सद येह भी होता है कि ख़राबी (Fault) बताई जा सके, ऐसा नहीं कि वोह सिर्फ़ नट खोल कर बन्द कर के वापस दे देगा । लिहाज़ा येह भी बा क़ाइदा एक ऐसा काम है जिस की उजरत ली जा सकती है । रही बात येह कि जब काम भी उसी से करवाया जाए तो खोलने के बदले पैसे नहीं लिये जाते तो उस न लेने की भी फ़िक़्ही तौजीह मुम्किन है एक तौजीह येह है कि वोह अपनी उजरत में कमी या मुआ़फ़ करने का ह़क़ रखता है और उस का येह अ़मल किसी मुमानअ़त में दाख़िल नहीं बल्कि जाइज़ है ।

ह़ज व उ़म्रह के एजन्ट्स का, फ़ी पासपोर्ट कमीशन लेना कैसा ?

सुवाल (साइल का सुवाल है कि) हमारा इस्टेट का काम है हम किसी को काम दिलवाते हैं मसलन किसी कारपेन्टर को किचन का काम दिलवाते हैं तो हम उसे कहते हैं कि हमारा कमीशन रख लीजियेगा वोह हमारा कमीशन रख कर कस्टमर को पैसे बताता है कि इतने में काम होगा बा'द में वोह हमें हमारा कमीशन दे देता है । इसी त़रह़ ह़ज व उ़म्रह के काम में इस त़रह़ होता है कि हम उन से फ़ी पासपोर्ट के ह़िसाब से बात कर लेते हैं कि हमारे ज़रीए़ जितने अफ़राद जाएंगे फ़ी पासपोर्ट के ट्रेवल एजन्सी वाले से पांच हज़ार दो हज़ार वग़ैरा कमीशन ले लेते हैं । हमारा इस त़रह़ काम करना कैसा है ?

1 ... مسلم، کتاب الزکاۃ، باب قبول الصدقۃ من الکسب الطیب وتربیتہا، ص393، حدیث:2346

जवाब किसी कारीगर को काम दिलवा कर उस पर कमीशन लेना जाइज़ है लेकिन इस के लिये ज़रूरी है कि कारीगर से आप का पहले से मुआ़हदा हो कि मैं आप को काम दिलवाऊंगा तो आप मुझे उस पर इतना कमीशन देंगे। दूसरी बात येह कि कारीगर को उस पार्टी से मिलवाने और उसे काम दिलवाने में आप की मेह़नत शामिल हो। अगर आप कहीं से गुज़र रहे थे आप ने देखा कि एक मकान में तोड़फोड़ हो रही है और आप ने कारीगर को फ़ोन कर दिया कि उस मकान में चले जाओ हो सकता है कि तुम्हें काम मिल जाए, तो येह काम दिलवाना नहीं कहलाएगा और इस पर कमीशन के ह़क़दार भी नहीं होंगे। दोनों पार्टियों को मिलवाने में ख़ुद मेह़नत (Physical Activity) करते हैं उस को साथ ले जाते हैं मिलवा देते हैं तो येह काम करने पर आप कमीशन के मुस्तह़िक़ होंगे। येही मुआ़मला ह़ज व उ़म्रह के एजन्ट्स का है या'नी जो कारवान वाले होते हैं या ट्रेवल एजन्ट्स होते हैं उन के लिये लोग गाहक ले कर आते हैं उन का पहले से ट्रेवल वाले से मुआ़हदा होता है कि मैं आप के पास गाहक ले कर आऊंगा तो मुझे फ़ी पासपोर्ट इतना कमीशन मिलेगा येह भी एक ऐसा काम है जिस का मुआ़वज़ा तै़ किया जा सकता है लिहाज़ा इस का मुआ़वज़ा लेना भी दुरुस्त है।

स्कूल इन्तिज़ामिया का वेन वाले से फ़ी त़ालिबे इ़ल्म कमीशन लेना कैसा ?

सुवाल बा'ज़ स्कूल वाले गाड़ी वाले से फ़ी स्टूडन्ट के ह़िसाब से माहाना कमीशन लेते हैं कि जितने बच्चे उन के स्कूल से उठाएंगे फ़ी स्टूडन्ट इतने रुपै स्कूल वालों को देने होंगे। क्या उन का गाड़ी वाले से येह कमीशन लेना जाइज़ है ?

जवाब पूछी गई सूरत में स्कूल वालों का गाड़ी वाले से माहाना कमीशन लेना जाइज़ नहीं क्यूं कि यहां स्कूल वालों ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिस की वज्ह से वोह कमीशन के मुस्तह़िक़ हों बल्कि गाड़ी वाले उ़मूमन स्कूल के बाहर खड़े होते हैं वालिदैन को भी मा'लूम होता है वालिदैन ख़ुद गाड़ी वाले से बात करते हैं और बच्चे को लाने ले जाने के मुआ़मलात और फ़ीस वग़ैरा ख़ुद तै़ करते हैं तो यहां स्कूल वालों की त़रफ़ से कोई ऐसा काम करना नहीं पाया गया जिस का वोह मुआ़वज़ा त़लब करें। हां अगर स्कूल वालों ने दोनों पार्टियों को मिलवाने में कोशिश व मेह़नत की हो तो फिर ज़ियादा से ज़ियादा एक मरतबा कमीशन लेने के मुस्तह़िक़ होंगे, हर महीने एक मख़्सूस ह़िस्सा लेने के फिर भी मुस्तह़िक़ नहीं होंगे लिहाज़ा उन का हर माह वेन वालों से रक़म लेना ह़राम है और येह आमदनी भी ह़राम है।

कम्पनी की त़रफ़ से दुकानदार को दिये गए तह़ाइफ़ लेना कैसा ?

सुवाल (साइल का सुवाल है कि) मेरी फ़ोम की दुकान है मेरा सुवाल येह है कि कम्पनी अपनी तश्हीर (Advertising) के लिये जो तोह़फ़े देती है क्या वोह लेना ठीक है ?

जवाब इस मस्अले की मुख़्तलिफ़ सूरतें हैं, जिन का हुक्म दर्जे ज़ैल है :

1) मा'मूली नौइय्यत का गिफ़्ट जिस का मक़्सद तश्हीर होता है जैसे आ़म तौ़र पर केलेन्डर दे दिया जाता है कि दुकान पर लगाया जाएगा कम्पनी का नाम लिखा हुवा नज़र आएगा जिस से कम्पनी की तश्हीर होगी, बा'ज़ अवक़ात कोई ऐसा पीस दे देते हैं जो टेबल पर रखा जाता है कि येह टेबल पर रखा रहेगा उस पर कम्पनी का नाम लिखा हुवा है तो इस से कम्पनी की तश्हीर होगी, इस का मक़्सद तश्हीर होता है। येह गिफ़्ट लेना जाइज़ है।

2) एक वोह इन्आ़म होता है जो प्रोडक्ट की फ़रोख़्त पर लगाया होता है कि आप इतनी प्रोडक्ट्स फ़रोख़्त करेंगे तो आप को येह इन्आ़म मिलेगा, येह भी जाइज़ है।

3) एक गिफ़्ट वोह होता है जिस में येह तै़ होता है कि आप सिर्फ़ हमारी कम्पनी का माल फ़रोख़्त करो, दीगर कम्पनियों का माल छोड़ दो तो हम आप को येह गिफ़्ट देंगे। येह रिश्वत की सूरत है। डॉक्टरों को मेडीकल कम्पनियां जो मुख़्तलिफ़ पेकेजिज़ देती हैं तोह़फ़ा तह़ाइफ़ की सूरत में वोह भी येही तीसरी सूरत होती है।

अगर आप अपनी मरज़ी से दीगर कम्पनियों का माल छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं आप इस बात के पाबन्द नहीं हैं कि हर कम्पनी का माल बेचें या किसी एक ही कम्पनी का माल बेचें। कम्पनी अगर आप को सेल पर इन्आ़म दे तो ह़रज नहीं, लेकिन येह कह कर देना कि आप दीगर कम्पनियों का माल छोड़ोगे तो येह इन्आ़म मिलेगा, येह रिश्वत है और येह जाइज़ नहीं।

येह जवाब एक उ़मूमी पस मन्ज़र में था अलबत्ता फ़ोम की कम्पनियों में डीलर शिप होती है कि डीलर सिर्फ़ एक ही ब्रान्ड का काम करता है कोई और काम करता ही नहीं है चूंकि इस ने पहले ही से एक ब्रान्ड मुन्तख़ब कर ली है लिहाज़ा बयान कर्दा सूरतों में से अब पहली और दूसरी सूरत ही यहां पाई जाएगी।

एक ही चीज़ मुख़्तलिफ़ कस्टमर्ज़ को मुख़्तलिफ़ क़ीमत पर बेचना कैसा ?

सुवाल दुकानदार अपना सामान फ़रोख़्त करते हैं तो हर कस्टमर के लिये उन का अलग अलग रेट होता है, किसी कस्टमर से दस बीस रुपै ज़ियादा लेते हैं और दूसरे कस्टमर को वोही चीज़ सस्ती बेच देते हैं, गाहक झगड़ता है तो उस को और सस्ता कर देते हैं। क्या ऐसा करना शरई़ ए'तिबार से जाइज़ है ?

जवाब बेचने वाला अपनी चीज़ का मालिक है वोह जितने की चाहे बेच सकता है जब कि ख़रीदार को धोका न दिया जाए। अलबत्ता कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन के रेट हुकूमत की त़रफ़ से मुक़र्रर होते हैं, उन चीज़ों को उन के मुक़र्रर कर्दा रेट पर ही बेचना ज़रूरी है क्यूं कि क़ानून की पासदारी करना लाज़िम है लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिन में येह क़ानून नहीं होता, जैसे कपड़े, फ़र्नीचर वग़ैरा जिन के रेट मुक़र्रर नहीं होते तो इन चीज़ों में येह कारोबारी टूल इस्ति'माल होता है कि "जैसा गाहक वैसा भाव।" इस में कोई शरई क़बाह़त नहीं। नीज़ बार्गेनिंग करना भी ख़रीदार व दुकानदार का ह़क़ है नबिय्ये अकरम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم से भाव कम करवाना साबित है अगर भाव कम ही न हो सकता तो नबिय्ये अकरम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم से साबित कैसे होता।

ह़दीसे पाक में है : ह़ज़रते सुवैद इब्ने क़ैस رَضِیَ اللّٰهُ عَنْه फ़रमाते हैं कि मैं और मख़्रफ़ा अ़ब्दी मक़ामे हिज्र से कपड़ा लाए हम उसे मक्कए मुअ़ज़्ज़मा में लाए तो हमारे पास **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم पा पियादा चलते हुए तशरीफ़ लाए तो हम से पाजामे का भाव चुकाया। हम ने वोह आप के हाथ बेच दिया वहां एक शख़्स था जो मज़दूरी पर तोल रहा था। उस से **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : तोल दो और नीचा तोलो।[(1)]

मुफ़्ती अह़मद यार ख़ान नईमी رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه इस ह़दीस के तह़त लिखते हैं : भाव चुकाने का मत़लब येह है कि भाव तै कर के ख़रीद लिया। इस ह़दीस से मा'लूम हुवा कि ख़ुद दुकान पर जाना और ताजिर की मुंह मांगी क़ीमत न देना बल्कि उस से तै करना कुछ कम कराना सुन्नत है, अगर्चे अपने ख़ुद्दाम से ही ख़रीद की जाए इस भाव ताव करने में आ़र नहीं।[(2)]

बेंक से लोन दिलवाने पर कमीशन लेना कैसा ?

सुवाल अगर कोई शख़्स बेंक और सूद पर क़र्ज़ लेने वाले के दरमियान मुआ़हदा करवाता है और उस मुआ़हदे के जो क़ानूनी तक़ाज़े हैं उन को पूरा करवाता है, तो क्या वोह भी गुनाहगार होगा ?

जवाब जिस त़रह़ सूद का लेनदेन करना ह़राम व गुनाह है इसी त़रह़ सूदी मुआ़हदे का गवाह बनना भी ह़राम व गुनाह है। नीज़ सूद के मुआ़हदे पर जो भी बराहे रास्त मुआ़विन व मददगार बनेगा वोह भी इस जुर्म में शामिल कहलाएगा और वोह भी गुनाहगार होगा। **अल्लाह** पाक कुरआने मजीद में इर्शाद फ़रमाता है : ﴿ وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۪ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ **तरजमए कन्ज़ुल ईमान :** और नेकी

1 ... ترمذی، کتاب البیوع، باب ما جاء فی الرجحان فی الوزن، 3/52، حدیث:1309

2 ... मिरआतुल मनाजीह़, 4/304

और परहेज़ गारी पर एक दूसरे की मदद करो और गुनाह और ज़ियादती पर बाहम मदद न दो।[(1)]

हज़रते सय्यिदुना जाबिर رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ बयान करते हैं : हुज़ूरे अकरम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने सूद खाने वाले और सूद खिलाने वाले और सूदी काग़ज़ लिखने वाले और इस पर गवाह बनने वालों पर ला'नत फ़रमाई और फ़रमाया वोह सब बराबर हैं।[(2)]

आप رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ मज़ीद लिखते हैं : "चूंकि उस ज़माने में नोट तो थे नहीं दिरहम का आ़म रवाज था जिन के गिनने में बहुत वक़्त लगता है इस लिये तोल कर अदा किये जाते थे, दिरहम तोलने वाला ताजिर की त़रफ़ से मुक़र्रर होता था जिस की उजरत (तोलाई) ख़रीदार के ज़िम्मे होती थी।"[(3)]

आ'ला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ लिखते हैं : "भाव के लिये हुज्जत करना बेहतर है बल्कि सुन्नत। सिवा उस चीज़ के जो सफ़रे हज के लिये ख़रीदी जाए इस में बेहतर येह है कि जो मांगे दे दे।"[(4)]

बच्चों की लॉटरियां ख़रीदना बेचना कैसा ?

सुवाल दुकानों पर बच्चों के लिये लॉटरियां होती हैं वोह ख़रीदना और बेचना जाइज़ है या नहीं ?

जवाब ख़रीदो फ़रोख़्त की एक बुन्यादी शर्त़ येह है कि जो चीज़ ख़रीदी जा रही है वोह मा'लूम हो उस में जहालत न हो। बच्चों की लॉटरी जो ख़रीदी जाती है उस में येह मा'लूम ही नहीं होता कि अन्दर क्या है, बल्कि बा'ज़ अवक़ात तो ख़ाली भी निकल आती है और ख़रीदने वाले के पैसे ज़ाएअ़ हो जाते हैं इसी त़रह़ बा'ज़ अवक़ात कम क़ीमत चीज़ निकलती है जिस से ख़रीदार को नुक़्सान होता है और बा'ज़ अवक़ात लॉटरी की क़ीमत से ज़ियादा की चीज़ निकल आती है। ऐसी लॉटरियां दो ह़ाल से ख़ाली नहीं अगर ऐसी हैं कि इस में कोई बिल्कुल ख़ाली भी निकलती है तो येह वाज़ेह़ त़ौर पर जूआ है। और अगर ऐसी है कि कोई भी ख़ाली नहीं निकलती लेकिन अन्दर मुख़्तलिफ़ क़ीमत की चीज़ें होती हैं और कोई भी निकल सकती है तो येह मज्हूल चीज़ की ख़रीदो फ़रोख़्त और बैए़ फ़ासिद और गुनाह का काम है।

येह काम गली मह़ल्लों में ज़ियादा होता है और बच्चे ही आ़म त़ौर पर इस त़रह़ लॉटरियां ख़रीदते हैं। इस से दुकानदार को तो फ़ाएदा पहुंच रहा होता है लेकिन जो बच्चे येह ख़रीदते हैं उन का उ़मूमन नुक़्सान ही होता है और जब कुछ नहीं निकलता तो बच्चा सोचता है कि आज नहीं निकला तो

1... पारह : 6, सूरतुल माइदह, आयत : 2

2... مسلم،کتاب المساقاۃ،باب لعن آکل الربا وموکلہ،ص663،حدیث:4093

3... मिरआतुल मनाजीह़, 4/304

4... फ़तावा रज़विय्या, 17/128

कल कुछ निकल आएगा, कल क़िस्मत आज़्माऊंगा इस त़रह़ वोह दोबारा ख़रीदता है। दुकानदारों की भी येह ज़िम्मेदारी है कि ऐसी चीज़ें अपनी दुकानों पर न रखें क्यूं कि बच्चे वोही चीज़ ख़रीदेंगे जो दुकान पर मौजूद होगी, अगर येह लॉटरी दुकान पर मौजूद ही न हो तो बच्चे ख़रीदेंगे भी नहीं। येह भी वाज़ेह़ रहे कि इस त़रह़ की लॉटरियां बेच कर जो माल ह़ासिल करेंगे, वोह जाइज़ नहीं होगा बल्कि वोह माल ह़राम होगा। **अल्लाह** पाक ने मुसल्मानों को एक दूसरे का माल बात़िल त़रीक़े से ह़ासिल करने से मन्अ़ फ़रमाया है। चुनान्चे इर्शाद होता है : ﴿وَلَا تَاْكُلُوْۤا اَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ **तरजमए कन्ज़ुल ईमान :** और आपस में एक दूसरे का माल नाह़क़ न खाओ।[1] इस आयत की तफ़्सीर में है : "इस आयत में बात़िल त़ौर पर किसी का माल खाना ह़राम फ़रमाया गया ख़्वाह लूट कर या छीन कर चोरी से या जूए से या ह़राम तमाशों या ह़राम कामों या ह़राम चीज़ों के बदले या रिश्वत या झूटी गवाही या चुग़ल ख़ोरी से येह सब मम्नूअ़ व ह़राम है।"[2]

क्लीयरिंग एजन्ट से मुतअ़ल्लिक़ एक सुवाल का जवाब

सुवाल कन्टेनर वग़ैरा बाहर से शिप के ज़रीए आते हैं अब जिस का कार्गो होता है वोह किसी और से डिपॉज़िट लगवाता है और जिस से डिपॉज़िट लगवाता है उसे उस का नफ़्अ़ भी देता है जिस शिपिंग लाइन का कन्टेनर उस के पास जाता है वोह शिपिंग लाइन डिपॉज़िट रखती है, कोई भी बन्दा डिपॉज़िट लगवा सकता है, एक या डेढ़ लाख का डिपॉज़िट होता है। अब अगर हम अपने पैसे डिपॉज़िट लगाते हैं तो जब कन्टेनर वापस शिपिंग लाइन को रीसीव हो जाता है तो वोह डिपॉज़िट के पैसे हमें वापसी दे देती है और जिस का कार्गो था उस से दो तीन हज़ार जितनी बात हुई थी वोह मज़ीद उस से हम वुसूल कर लेते हैं तो क्या येह पैसे लेना जाइज़ है ?

जवाब पहले तो हम सुवाल के पस मन्ज़र का तफ़्सीली जाएज़ा लेते हैं। होता येह है कि जब कन्टेनर बाहर निकलता है तो उसे ख़ाली हो कर वापस भी आना होता है मिसाल के त़ौर पर मुम्बई से देहली गया तो अब अगर वहां से वापस ही न आए तो कन्टेनर वाला फंस जाएगा वोह अपना ख़ाली कन्टेनर कैसे मंगवाएगा ? लिहाज़ा जिस का माल कन्टेनर के ज़रीए जा रहा है उस के ज़िम्मे येह बात डाली जाती है कि वोह कुछ ज़रे ज़मानत जम्अ़ करवाए और जब कन्टेनर वापस करे तो येह ज़रे ज़मानत उस को वापस मिल जाए। अब वोह मालिकान जो माल इम्पोर्ट करते हैं वोह ज़रे ज़मानत के त़ौर पर पैसे जम्अ़ करवाने से मन्अ़ कर देते हैं तो क्लीयरिंग एजन्ट येह रक़म अपनी जेब से लगाता है और जब माल

1... पारह : 2, सूरतुल बक़रह, आयत : 188

2... तफ़्सीरे ख़ज़ाइनुल इरफ़ान, पारह : 2, अल बक़रह, तह़्तल आयह : 188

ज़ियादा आता है और जम्अ़ करवाने के लिये पैसे कम पड़ते हैं तो वोह दीगर लोगों से पैसे पकड़ता है और जम्अ़ करवा देता है। अगर येह पैसे वोह ताजिर या सेठ जम्अ़ करवाता जिस ने येह कन्टेनर मंगवाया है तो फिर सारा मुआ़मला उसूल के मुत़ाबिक़ होता लेकिन यहां एक आउट साइडर अपने पैसे देता है और वोह इस लालच में पैसे देता है कि इतने पैसे देने पर इतना नफ़्अ़ ऊपर मिलेगा, येह सूदी मुआ़मला है क्यूं कि इस ने जो रक़म दी वोह क़र्ज़ है और क़र्ज़ पर नफ़्अ़ लेना सूद है जो कि ह़राम व गुनाह है। ह़दीसे मुबारका में है : “كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا” या'नी क़र्ज़ के ज़रीए़ से जो मन्फ़अ़त ह़ासिल की जाए वोह सूद है।[1] इस रक़म के क़र्ज़ होने की वज्ह येह है कि इस रक़म से कोई कारोबार करना मक़्सूद नहीं है बल्कि इसे ले कर ज़रे ज़मानत के तौ़र पर रख दिया जाएगा और कन्टेनर वापस होने पर वोह रक़म उसे लौटा दी जाएगी और रक़म वाले को फ़िक्स नफ़्अ़ मिलेगा जो कि क़र्ज़ पर नफ़्अ़ है। वाज़ेह़ रहे कि इस के इ़लावा भी क्लीयरिंग एजन्ट्स की ग़ालिब अक्सरिय्यत बहुत से ना जाइज़ काम करती है मसलन रिश्वत देना, ग़लत़ डॉक्यूमेन्ट्स के ज़रीए़ माल क्लीयर करवाना, धोका देना वग़ैरा। इन तमाम ना जाइज़ कामों से बचना ज़रूरी है।

फ़रमाने मुस्त़फ़ा صَلَّى اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم

बड़ा सवाब, बड़ी मुसीबत के साथ है और जब **अल्लाह** तआ़ला किसी क़ौम से मह़ब्बत फ़रमाता है तो उन्हें आज़्माइश में मुब्तला करता है, पस जो उस पर राज़ी हुवा उस के लिये **अल्लाह** तआ़ला की रिज़ा है और जो नाराज़ हुवा उस के लिये नाराज़ी है।

(ترمذی، کتاب الزہد، الحدیث:۲۴۰۴)

1 ...کنزالعمال، کتاب الدین والسلم، الباب الثانی فی ترہیب عن الاستقراض من غیر ضرورۃ، جز6، 3/99، حدیث:15512

पांचवां बाब

मुन्जियात (नजात दिलाने वाली चीज़ों) का बयान

इस बाब में आप पढ़ेंगे

1... कुरआन में निय्यत की अहम्मिय्यत

2... सब्र की आ़दत बनाने के त़रीके़

3... तौबा करने वाला अल्लाह का पसन्दीदा है

4... दिल में नरमी पैदा करने के त़रीके़

5... मह़ब्बते इलाही के तक़ाजे़

6... मौत को याद करने का हुक्म

www.dawateislami.net

सबक़ नम्बर 1

नियत का बयान

क़ुरआन में निय्यत की अहम्मिय्यत

अल्लाह करीम क़ुरआने पाक में इर्शाद फ़रमाता है :

وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْیَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓىٕكَ كَانَ سَعْیُهُمْ مَّشْكُوْرًا ﴿۱۹﴾

(پ15،بنی اسرائیل:19)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और जो आख़िरत चाहे और उस की सी कोशिश करे और हो ईमान वाला तो उन्हीं की कोशिश ठिकाने लगी।

आयत की तफ़्सीर

इस आयत से मा'लूम हुवा कि अ़मल की मक़्बूलिय्यत के लिये तीन चीज़ें दरकार हैं : एक तो त़ालिबे आख़िरत होना या'नी निय्यत नेक, दूसरे सई या'नी अ़मल को बा एहतिमाम उस के हुक़ूक़ के साथ अदा करना, तीसरी ईमान जो सब से ज़ियादा ज़रूरी है।[1]

निय्यत की अहम्मिय्यत पर तीन फ़रामीने मुस्त़फ़ा

❀ आ'माल का दारो मदार निय्यतों पर है और हर शख़्स के लिये वोही है जिस की वोह निय्यत करे।[2]

❀ मोमिन की निय्यत उस के अ़मल से बेहतर है।[3]

❀ अच्छी निय्यत बन्दे को जन्नत में दाख़िल कर देती है।[4]

निय्यत की ता'रीफ़

निय्यत लुग़वी त़ौर पर दिल के पुख़्ता (पक्के) इरादे को कहते हैं और शर्अ़न इबादत के इरादे को निय्यत कहा जाता है।[5]

1... तफ़्सीरे ख़ज़ाइनुल इरफ़ान, पारह : 15, बनी इसराईल, तहूतल आयह : 19

2... بخاری، کتاب بدء الوحی، باب کیف کان بدء الوحی... الخ، 1/6، حدیث:1

3... معجم کبیر، 6/185، حدیث:5942

4... مسند الفردوس، 4/305، حدیث:6895

5... नुज़्हतुल क़ारी, 1/224 मुल्तक़त़न

निय्यत का हुक्म

अच्छे काम की निय्यत अच्छी और बुरे काम की निय्यत ना जाइज़ है।

चन्द अह़काम

(1) इ़बादाते मक़्सूदा या'नी वोह इ़बादात जो ख़ुद बिज़्ज़ात मक़्सूद हों किसी दूसरी इ़बादत के लिये वसीला न हों।[1] उन में निय्यत होना ज़रूरी है कि बिग़ैर निय्यत के वोह इ़बादत ही न पाई जाएगी जैसा कि नमाज़ कि अगर कोई शख़्स नमाज़ जैसे अफ़्आ़ल करे मगर मुत़्लक़ नमाज़ की निय्यत न हो तो उसे नमाज़ ही न कहा जाएगा।[2]

(2) इ़बादाते ग़ैर मक़्सूदा या'नी वोह इ़बादात जो ख़ुद बिज़्ज़ात मक़्सूद न हों बल्कि किसी दूसरी इ़बादत के लिये वसीला हों। उन में निय्यत करना ज़रूरी नहीं कि बिग़ैर निय्यत के भी वोह इ़बादत पाई जाएगी अलबत्ता उस का सवाब नहीं मिलेगा। मसलन वुज़ू कि इस में निय्यत करना सुन्नत है, अगर कोई शख़्स बिग़ैर निय्यत के आ'ज़ाए वुज़ू को धो ले या धुल गए तो उस का वुज़ू तो हो जाएगा लेकिन निय्यत न होने की वज्ह से उसे सवाब नहीं मिलेगा।[3]

(3) मुबाह़ काम अच्छी निय्यत से मुस्तह़ब हो जाता है। या'नी हर वोह जाइज़ अ़मल या फ़े'ल जिस का करना और न करना यक्सां हो कि ऐसा काम करने से न सवाब मिले न गुनाह। मसलन खाना पीना, सोना, टहलना, दौलत इकठ्ठी करना, तोह़फ़ा देना, उ़म्दा या ज़ाइद लिबास पहनना वग़ैरा। आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मौलाना अह़मद रज़ा ख़ान رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं: "हर मुबाह़ निय्यते ह़सन (या'नी अच्छी निय्यत) से मुस्तह़ब हो जाता है।"[4]

फ़ुक़हाए किराम رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِم फ़रमाते हैं: "मुबाह़ात (या'नी ऐसे जाइज़ काम जिन पर न सवाब हो न गुनाह उन) का हुक्म अलग अलग निय्यतों के ए'तिबार से मुख़्तलिफ़ हो जाता है, इस लिये जब मुबाह़ से इ़बादात पर क़ुव्वत ह़ासिल करना या इ़बादात तक पहुंचना मक़्सूद हो तो येह मुबाह़ात या'नी जाइज़ चीज़ें भी इ़बादात होंगी। मसलन खाना पीना, सोना, ह़ुसूले माल और वत़ी करना।"[5]

1... बहारे शरीअ़त, 1/1015, ह़िस्सा : 5
2... नमाज़ के अह़काम, स. 199
3... बहारे शरीअ़त, 1/292, ह़िस्सा : 2 माख़ूज़न
4... फ़तावा रज़विय्या, 8/452
5... फ़तावा रज़विय्या, 7/189

निय्यत की आ़दत बनाने के त़रीके़

❀ अच्छी निय्यतें करने की निय्यत कर लीजिये ।

❀ निय्यत की अहम्मिय्यत हमेशा अपने पेशे नज़र रखिये । ह़ज़रते सय्यिदुना यह़्या बिन कसीर رَحْمَۃُ اللہِ عَلَیْہ फ़रमाते हैं : इल्मे निय्यत ह़ासिल करो क्यूं कि निय्यत की अहम्मिय्यत अ़मल से कई गुना ज़ियादा है ।[1]

❀ दिन की इब्तिदा अच्छी अच्छी निय्यतों से कीजिये । हर सुब्ह़ येह निय्यत कर लीजिये : आज का दिन आंख, कान, ज़बान और हर उ़ज़्व को गुनाहों और फ़ुज़ूलिय्यात से बचाते हुए नेकियों में गुज़ारूंगा ।

❀ आ़मिलीने निय्यत की सोह़बत इख़्तियार कीजिये कि सोह़बत असर रखती है, अच्छों की सोह़बत अच्छा और बुरों की सोह़बत बुरा बना देती है ।

❀ निय्यत से मुतअ़ल्लिक़ा कुतुबो रसाइल का मुत़ालआ़ कीजिये ।

❀ निय्यतें लिखने की आ़दत बना लीजिये ।

❀ हर जाइज़ और नेक काम से पहले निय्यतों पर ग़ौर कर लीजिये कि इस काम में कोई अच्छी निय्यत हो सकती है या नहीं, अगर हो सकती है तो पहले निय्यत कर लीजिये और फिर उस काम को कीजिये ।

❀ बद निय्यती की हलाकतों पर ग़ौर कीजिये । कि जिस त़रह़ अच्छी निय्यत का फल अच्छा होता है इसी त़रह़ बुरी निय्यत का अन्जाम भी बुरा होता है, अच्छी निय्यत दुन्या व आख़िरत में ज़रीअ़ए नजात है तो बुरी निय्यत सबबे हलाकत व आफ़ात बन सकती है ।

सबक़ नम्बर 2 — इख़्लास का बयान

क़ुरआन में इख़्लास की अहम्मिय्यत

अल्लाह पाक क़ुरआने पाक में इर्शाद फ़रमाता है :

وَمَاۤ اُمِرُوْۤا اِلَّا لِیَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِیْنَ لَهُ الدِّیْنَ ﳔ حُنَفَآءَ وَ یُقِیْمُوا الصَّلٰوةَ وَ یُؤْتُوا الزَّكٰوةَ

(پ30،البینۃ:5)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और उन लोगों को तो येही हुक्म हुवा कि **अल्लाह** की बन्दगी करें निरे उसी पर अ़क़ीदा लाते एक त़रफ़ के हो कर और नमाज़ क़ाइम करें और ज़कात दें ।

1 ...حلیۃ الاولیاء،یحیی بن کثیر،3/82،رقم:3257

आयत की तफ़्सीर

इस आयते मुबारका में इख़्लास के साथ शिर्क व निफ़ाक़ से दूर रह कर **अल्लाह** की बन्दगी करने और तमाम दीनों को छोड़ कर ख़ालिस इस्लाम के मुत्तबेअ़ (पैरौकार) हो कर नमाज़ क़ाइम करने और ज़कात देने का हुक्म दिया गया है।[1]

इख़्लास की अहम्मिय्यत पर फ़रमाने मुस्तफ़ा

हुज़ूर नबिय्ये करीम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने मुआज़ बिन जबल رَضِىَ اللّٰهُ عَنْه से फ़रमाया : इख़्लास के साथ अ़मल करो कि इख़्लास के साथ थोड़ा अ़मल भी तुम्हें काफ़ी है।[2]

इख़्लास की ता'रीफ़

किसी भी नेक अ़मल में महूज़ रिज़ाए इलाही ह़ासिल करने का इरादा करना इख़्लास कहलाता है।[3]

इख़्लास का हुक्म

जिस अ़मल से मक़्सूद सिर्फ़ रियाकारी हो उस का यक़ीनी तौ़र पर गुनाह होगा और वोह **अल्लाह** पाक की नाराज़ी और अ़ज़ाब का सबब है। जो अ़मल ख़ालिसतन **अल्लाह** पाक के लिये होगा तो वोह रिज़ाए इलाही और अज्रो सवाब का सबब है।[4]

मुख़्लिस बनने के त़रीक़े

❀ अपनी निय्यत दुरुस्त कीजिये। कि आ'माल का दारो मदार निय्यतों पर है, जब तक निय्यत ख़ालिस न होगी अ़मल में इख़्लास पैदा नहीं होगा क्यूं कि निय्यत के ख़ालिस होने का नाम ही तो इख़्लास है।

❀ दुन्यवी अग़राज़ को दूर कीजिये। ऐसी दुन्यवी अग़राज़ जिन से मक़्सूद आख़िरत की तय्यारी व मुआ़वनत न हो अगर हर अ़मल से उन को दूर कर दिया जाए और सिर्फ़ रिज़ाए इलाही पेशे नज़र हो तो आ'माल में रियाकारी या'नी दिखावे के इम्कानात काफ़ी कम हो जाते हैं।

1... तफ़्सीरे ख़ज़ाइनुल इरफ़ान, पारह : 30, अल बय्यिनह, तहूतल आयह : 5 माख़ूज़न

2... نوادر الاصول، الاصل السادس، 1/67، حدیث:46

3... احیاء العلوم، کتاب النیۃ والاخلاص والصدق، الباب الثانی فی الاخلاص... الخ، بیان حقیقۃ الاخلاص، 5/107

4... احیاء العلوم، 5/279 ملخصا

❀ **अल्लाह** पाक की खुफ़्या तदबीर से डरते रहिये। बन्दा खुद को **अल्लाह** पाक की खुफ़्या तदबीर से डराता रहे कि जिस क़दर ख़ौफ़े खुदा नसीब होगा उतना ही अ़मल में रियाकारी से बचेगा और इख़्लास की दौलत नसीब होगी।

❀ नफ़्सानी ख़्वाहिशात को ख़त्म कीजिये। कि इख़्लास में बहुत बड़ी रुकावट नफ़्सानी ख़्वाहिशात हैं क्यूं कि हर अ़मल पर चन्द ता'रीफ़ी कलिमात सुन कर नफ़्स बेहद सुकून महसूस करता है और येही सुकून नफ़्स को रियाकारी पर उभारता है जो इख़्लास की दुश्मन है।

❀ ख़ल्वत व जल्वत में यक्सां अ़मल कीजिये। नफ़्स लोगों के सामने तो मशक़्क़त से भरपूर इ़बादत करने पर रिज़ामन्द हो जाता है क्यूं कि इस त़रह़ उसे शोहरत, ता'रीफ़ और वाह वाह जैसे मीठे ज़ह्र मिलते हैं, लेकिन तन्हाई में रिज़ाए इलाही के लिये खुशूओ खुज़ूअ़ के साथ दो रक्अ़त पढ़ना उस के नफ़्स पर निहायत गिरां है। ख़ल्वत व जल्वत का येह तज़ाद बन्दे के अ़मल से इख़्लास को ख़त्म कर देता है।

❀ अपनी नेकियों को छुपाइये। कि नेकियों का चरचा ही नफ़्स को रियाकारी, हुब्बे मद्ह़ और त़लबे शोहरत जैसी बात़िनी बीमारियों में मुब्तला कर देता है जो इख़्लास को दीमक की त़रह़ चाट लेती हैं।

❀ इख़्लास के फ़ज़ाइल को पेशे नज़र रखिये। इख़्लास के साथ अ़मल करना मोमिन की निशानी है। जो बन्दा चालीस दिन ख़ालिस रिज़ाए इलाही के लिये अ़मल करता है तो उस के दिल से उस की ज़बान पर हि़क्मत के चश्मे जारी हो जाते हैं।

सबक़ नम्बर 3 — सब्र का बयान

क़ुरआन में सब्र की अहम्मिय्यत

अल्लाह पाक क़ुरआने मजीद फ़ुरक़ाने ह़मीद में इर्शाद फ़रमाता है :

وَاصْبِرُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِیْنَ (پ10، الانفال:46)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और सब्र करो बेशक **अल्लाह** सब्र वालों के साथ है।

सब्र की फ़ज़ीलत पर फ़रमाने मुस्त़फ़ा

हुज़ूर नबिय्ये रह़मत, शफ़ीए़ उम्मत صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم का फ़रमाने जन्नत निशान है कि **अल्लाह** पाक इर्शाद फ़रमाता है : जब मैं अपने किसी बन्दे को उस के जिस्म, माल या औलाद के ज़रीए़ आज़्माइश में मुब्तला करूं, फिर वोह सब्रे जमील के साथ उस का इस्तिक़्बाल करे तो क़ियामत के दिन मुझे ह़या आएगी

कि उस के लिये मीज़ान क़ाइम करूं या उस का नामए आ'माल खोलूं।[(1)]

सब्र की ता'रीफ़

सब्र के लुग़वी मा'ना रुकने, ठहरने या बाज़ रहने के हैं और नफ़्स को उस चीज़ पर रोकना (या'नी डट जाना) जिस पर रुकने (डटे रहने) का अ़क़्ल और शरीअ़त तक़ाज़ा कर रही हो या नफ़्स को उस चीज़ से बाज़ रखना जिस से रुकने का अ़क़्ल और शरीअ़त तक़ाज़ा कर रही हो सब्र कहलाता है।

सब्र की अक़्साम

सब्र की दो क़िस्में हैं : (1) बदनी सब्र जैसे बदनी मशक़्क़तें बरदाश्त करना और उन पर साबित क़दम रहना। (2) तब्ई ख़्वाहिशात और ख़्वाहिश के तक़ाज़ों से सब्र करना। पहली क़िस्म का सब्र जब शरीअ़त के मुवाफ़िक़ हो तो क़ाबिले ता'रीफ़ होता है लेकिन मुकम्मल तौर पर ता'रीफ़ के क़ाबिल सब्र की दूसरी क़िस्म है।[(2)]

सब्र का हुक्म

शरीअ़त ने जिन कामों से मन्अ़ किया है उन से सब्र (या'नी रुकना) फ़र्ज़ है। ना पसन्दीदा काम (जो शर्अ़न गुनाह न हो उस) से सब्र मुस्तह़ब है। तक्लीफ़ देह फे'ल जो शर्अ़न मम्नूअ़ है उस पर सब्र (या'नी ख़ामोशी) मम्नूअ़ है। मसलन किसी शख़्स या उस के बेटे का हाथ नाह़क़ काटा जाए तो इस शख़्स का ख़ामोश रहना और सब्र करना मम्नूअ़ है, ऐसे ही जब कोई शख़्स शह्वत के साथ बुरे इरादे से इस के घर वालों की त़रफ़ बढ़े तो इस की ग़ैरत भड़क उठे लेकिन ग़ैरत का इज़्हार न करे और घर वालों के साथ जो कुछ हो रहा है उस पर सब्र करे और क़ुदरत के बा वुजूद न रोके तो शरीअ़त ने इस सब्र को ह़राम क़रार दिया है।[(3)]

सब्र की आ़दत बनाने के त़रीक़े

❀ **सब्र के फ़ज़ाइल का मुत़ालआ़ कीजिये।** जैसे मुकाशफ़तुल क़ुलूब, मिन्हाजुल आ़बिदीन वग़ैरा। बारगाहे इलाही में सब्र की दुआ़ कीजिये। मुआ़फ़ करने की आ़दत अपनाइये।

1 ...نوادر الاصول، الاصل الخامس والثمانون والمائۃ، 4/277، حدیث:962

2 ... तफ़्सीरे सिरातुल जिनान, पारह : 2, अल बक़रह, तह़तल आयह : 153, 1/246

3 ...احیاء العلوم، 4/206

❀ **अपनी ज़ात में आ़जिज़ी पैदा कीजिये ।** कि किसी की त़रफ़ से मिलने वाली तक्लीफ़ पर बे सब्री और इन्तिक़ामी कारवाई का एक सबब तकब्बुर भी है, जब बन्दा अपनी ज़ात में आ़जिज़ी व इन्किसारी पैदा करेगा तो इन्तिक़ामी कारवाई का ज़ेहन ख़त्म हो जाएगा ।

❀ **जल्द बाज़ी न कीजिये ।** हमारी ज़िन्दगी में कई काम ऐसे हैं जिन में जल्द बाज़ी की वज्ह से सब्र रुख़्सत हो जाता है, बल्कि इस जल्द बाज़ी की वज्ह से बसा अवक़ात शदीद नुक़्सान भी उठाना पड़ता है ।

❀ **मुसीबत में ने'मतों को तलाश कीजिये ।** येह बुज़ुर्गाने दीन का त़रीक़ा है और इस से सब्र करने में मुआ़वनत मिलती है, हर मुसीबत में कोई न कोई ने'मत छुपी होती है ।

❀ **अपने से बड़ी मुसीबत वाले को देखिये ।** क्यूं कि जिसे कोई मुसीबत पहुंचती है तो वोह येही समझता है शायद मुझे सब से ज़ियादा या बड़ी मुसीबत पहुंची है और येही बात बसा अवक़ात उसे बे सब्री में मुब्तला कर देती है, जब वोह अपने से बड़ी मुसीबत वाले को देखेगा तो शुक्र करेगा और उसे सब्र की ने'मत नसीब होगी । اِنْ شَآءَاللّٰہ

सबक़ नम्बर 4 — हुस्ने अख़्लाक़ का बयान

अल्लाह पाक क़ुरआने मजीद फ़ुरक़ाने ह़मीद में इर्शाद फ़रमाता है :

وَ اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِیْمٍ ۝۴

(پ29، القلم:4)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और बेशक तुम्हारी ख़ू बू बड़ी शान की है ।

आयत की तफ़्सीर

इस आयते मुबारका की तफ़्सीर में है : उम्मुल मुअमिनीन ह़ज़रते सय्यिदतुना आ़इशा सिद्दीक़ा رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا से दरयाफ़्त किया गया तो आप رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا ने फ़रमाया कि सय्यिदे आ़लम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم का ख़ुल्क़ क़ुरआन है । ह़दीस शरीफ़ में है सय्यिदे आ़लम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि **अल्लाह** पाक ने मुझे मकारिमे अख़्लाक़ व मह़ासिने अफ़्आ़ल की तक्मील के लिये मब्ऊ़स फ़रमाया ।[1]

मीज़ान में सब से वज़्नी चीज़

रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : क़ियामत के दिन मोमिन के मीज़ान में हुस्ने अख़्लाक़

1... तफ़्सीरे ख़ज़ाइनुल इ़रफ़ान, पारह : 29, अल क़लम : तह़ूतल आयह : 4

से ज़ियादा वज़्नी कोई शै नहीं होगी।[1]

हुस्ने अख़्लाक़ की ता'रीफ़

"हुस्न" अच्छाई और ख़ूब सूरती को कहते हैं, "अख़्लाक़" जम्अ़ है "ख़ुल्क़" की जिस का मा'ना है "रवय्या, बरताव, आ़दत।" या'नी लोगों के साथ अच्छे रवय्ये या अच्छे बरताव या अच्छी आ़दात को हुस्ने अख़्लाक़ कहा जाता है। इमाम ग़ज़ाली رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : अगर नफ़्स में मौजूद कैफ़िय्यत ऐसी हो कि उस के बाइ़स अ़क़्ली और शर्ई़ तौ़र पर पसन्दीदा अच्छे अफ़्आ़ल अदा हों तो उसे हुस्ने अख़्लाक़ कहते हैं और अगर अ़क़्ली और शर्ई़ तौ़र पर ना पसन्दीदा बुरे अफ़्आ़ल अदा हों तो उसे बद अख़्लाक़ी से ता'बीर किया जाता है।[2]

हुस्ने अख़्लाक़ का हुक्म

हुस्ने अख़्लाक़ के मुख़्तलिफ़ पहलू हैं इसी वज्ह से बा'ज़ सूरतों में हुस्ने अख़्लाक़ वाजिब, बा'ज़ में सुन्नत और बा'ज़ सूरतों में मुस्तह़ब है।

हुस्ने अख़्लाक़ अपनाने के त़रीक़े

❀ अच्छी सोह़बत इख़्तियार कीजिये। कि सोह़बत असर रखती है, जो बन्दा जैसी सोह़बत इख़्तियार करता है वैसा ही बन जाता है, अच्छों की सोह़बत अच्छा और बुरों की सोह़बत बुरा बना देती है, बद अख़्लाक़ों की सोह़बत बद ख़ुल्क़ और हुस्ने अख़्लाक़ वालों की सोह़बत हुस्ने अख़्लाक़ वाला बना देती है।

❀ हुस्ने अख़्लाक़ के फ़ज़ाइल का मुत़ालआ़ कीजिये। जैसे मकारिमुल अख़्लाक़ तरजमा बनाम हुस्ने अख़्लाक़, मुकाशफ़तुल क़ुलूब वग़ैरा।

❀ बद अख़्लाक़ी की दुन्यवी व उख़्रवी बुराइयों पर ग़ौर कीजिये।

❀ हुस्ने अख़्लाक़ में शामिल नेक आ'माल की मा'लूमात ह़ासिल कीजिये। जब तक बन्दे को ऐसे नेक आ'माल की मा'लूमात नहीं होंगी जो हुस्ने अख़्लाक़ में शामिल हैं तो उस वक़्त तक हुस्ने अख़्लाक़ को इख़्तियार करना दुश्वार होगा।

❀ दिल में एह़तिरामे मुस्लिम पैदा कीजिये। जब बन्दे के दिल में मुसल्मानों का एह़तिराम पैदा होगा तो ख़ुद ब ख़ुद उन के साथ हुस्ने अख़्लाक़ से पेश आएगा।

1 ... ترمذی، کتاب البر والصلۃ، باب ماجاء فی حسن الخلق، 3/403، حدیث: 2009

2 ... احیاء العلوم، 3/165

❀ नफ़्सानी ख़्वाहिशात से परहेज़ कीजिये। बसा अवक़ात ज़ाती रन्जिश, ना पसन्दीदगी और नाराज़ी की बिना पर नफ़्स अपने गुस्से का इज़्हार ग़ीबत, गाली गलोच, चुग़ली वग़ैरा जैसी बद अख़्लाक़ी की बद तरीन क़िस्मों से करवाता है जो हुस्ने अख़्लाक़ की बद तरीन दुश्मन हैं।

❀ हुस्ने अख़्लाक़ की बारगाहे इलाही में दुआ़ कीजिये। कि दुआ़ मोमिन का हथियार है, हुज़ूर नबिय्ये रह़मत, शफ़ीए़ उम्मत صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की दो दुआ़एं पेशे ख़िदमत हैं : "اَللّٰهُمَّ حَسَّنْتَ خَلْقِيْ فَاَحْسِنْ خُلُقِيْ या'नी ऐ **अल्लाह** पाक ! तू ने मेरी सूरत अच्छी बनाई है पस मेरे अख़्लाक़ को भी अच्छा कर दे।"[(1)] "اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ الصِّحَّةَ وَالْعِفَّةَ وَالْاَمَانَةَ وَحُسْنَ الْخُلُقِ या'नी ऐ **अल्लाह** पाक ! मैं तुझ से सिह़्ह़त, आ़फ़िय्यत और अच्छे अख़्लाक़ का सुवाल करता हूं।"[(2)]

❀ बिला वज्ह गुस्सा छोड़ दीजिये। बिला वज्ह गुस्सा बहुत सारी बुराइयों की जड़ और कई ख़ामियों की बुन्याद है, जब बन्दा बिला वज्ह गुस्सा करता है तो बद अख़्लाक़ी का शिकार हो जाता है, बिला वज्ह गुस्से को छोड़ देना ही अच्छे अख़्लाक़ की अ़लामत है।

सबक़ नम्बर 5 — मुह़ासबए नफ़्स का बयान

मुह़ासबए नफ़्स की अहम्मिय्यत पर फ़रमाने इलाही

अल्लाह पाक इर्शाद फ़रमाता है :

وَلَاۤ اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ؕ۲ (پ29، القیامۃ:2)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और उस जान की क़सम जो अपने ऊपर बहुत मलामत करे।

आयत की तफ़्सीर

इस आयते मुबारका के तह़त ह़ज़रते सय्यिदुना ह़सन बसरी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : मोमिन हमेशा नफ़्स को झिड़कता रहता है कि तू ने फ़ुलां बात क्या सोच कर कही ? फ़ुलां खाना तू ने किस लिये खाया ? फ़ुलां मश्रूब तू ने किस लिये नोश किया ? जब कि काफ़िर ज़िन्दगी बसर करता रहता है लेकिन कभी अपने नफ़्स को नहीं झिड़कता (या'नी उस का मुह़ासबा नहीं करता)।[(3)]

---

1 ...شعب الایمان، باب فی حسن الخلق، 6/364، حدیث:8542
2 ...مجمع الزوائد، کتاب الادعیۃ، باب الاجتہاد فی الدعا، 10/274، حدیث:17367
3 ...احیاء العلوم، 5/350

मुह़ासबए नफ़्स की अहम्मिय्यत पर फ़रमाने मुस्त़फ़ा

सरवरे आ़लम, नूरे मुजस्सम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : समझदार वोह शख़्स है जो अपना मुह़ासबा करे और आख़िरत की बेहतरी के लिये नेकियां करे और आ़जिज़ वोह है जो अपने नफ़्स की ख़्वाहिशात की पैरवी करे और **अल्लाह** पाक से आख़िरत के इन्आ़म की उम्मीद रखे ।(1)

मुह़ासबए नफ़्स की ता'रीफ़

आ'माल की कसरत और मिक़्दार में ज़ियादती और नुक़्सान की मा'रिफ़त के लिये जो ग़ौर किया जाता है उसे मुह़ासबा कहते हैं । लिहाज़ा अगर बन्दा अपने दिन भर के आ'माल को सामने रखे ताकि उसे (नेक आ'माल की) कमी बेशी (कम या ज़ियादा होने) का इ़ल्म हो तो येह भी मुह़ासबा है ।(2)

मुह़ासबए नफ़्स का हुक्म

अल्लाह पाक और आख़िरत पर ईमान रखने वाले हर अ़क़्ल मन्द शख़्स पर लाज़िम है कि वोह नफ़्स के मुह़ासबे से ग़ाफ़िल न हो और नफ़्स की ह़रकातो सकनात और लज़्ज़ातो ख़यालात पर सख़्ती करे क्यूं कि ज़िन्दगी का हर सांस अनमोल हीरा है जिस से हमेशा बाक़ी रहने वाली ने'मत (या'नी जन्नत) ख़रीदी जा सकती है तो इन सांसों को ज़ाएअ़ करना या हलाकत वाले कामों में सर्फ़ करना बहुत संगीन और बड़ा नुक़्सान है जो समझदार शख़्स का शेवा नहीं ।(3)

मुह़ासबे की आ़दत बनाने के त़रीक़े

❀ मुह़ासबए नफ़्स की मा'रिफ़त ह़ासिल कीजिये । कि जब तक किसी चीज़ की मा'लूमात न हों उस चीज़ तक पहुंचना मुश्किल होता है, जब मुह़ासबए नफ़्स की मा'रिफ़त व मा'लूमात ह़ासिल होंगी तो मुह़ासबए नफ़्स करना बहुत आसान हो जाएगा ।

❀ ख़ौफ़े ख़ुदा के वाक़िआ़त मुलाह़ज़ा कीजिये । कि बन्दा जब **अल्लाह** पाक के नेक बन्दों के ख़ौफ़े ख़ुदा से भरपूर वाक़िआ़त का मुत़ालआ़ करता है तो उस का येह मदनी ज़ेह्न बनता है कि वोह लोग नेक

(1) ...ترمذی، کتاب صفۃ القیامۃ، باب:25، 4/207، حدیث:2467
(2) ...احیاء العلوم، 5/319
(3) ...احیاء العلوم، 5/315

परहेज़ गार होने के बा वुजूद **अल्लाह** पाक से इतना डरते थे, मैं तो बहुत ही गुनहगार हूं मुझे तो रब्बे करीम से बहुत ज़ियादा डरना चाहिये यूं रह़मते इलाही से उसे मुह़ासबए नफ़्स नसीब हो जाएगा।

❀ हि़साबे क़ियामत को याद कीजिये । कि आज अगर मैं ने दुन्या में अपना मुह़ासबा कर के नेक आ'माल करने और बुरे आ'माल से बचने की कोशिश न की तो कल बरोज़े क़ियामत बारगाहे इलाही में कैसे हि़साब दूंगा ?

❀ हर काम के करने से क़ब्ल ग़ौर कीजिये : कि येह अच्छे और बुरे अ़मल को परखने के लिये एक बेहतरीन मुह़ासबा है, एक शख़्स ने रसूले अकरम, शाहे बनी आदम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की ख़िदमत में अ़र्ज़ की, कि मुझे नसीह़त फ़रमाइये तो आप صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : जब किसी काम का इरादा करो तो उस के अन्जाम में ग़ौरो फ़िक्र कर लो, अगर अन्जाम अच्छा हो तो उसे कर लो और अगर बुरा हो तो न करो।[(1)]

❀ मुह़ासबए नफ़्स के लिये वक़्त मुक़र्रर कर लीजिये : मुह़ासबए नफ़्स की आ़दत बनाने का एक बेहतरीन त़रीक़ा येह भी है कि इस के लिये वक़्त मुक़र्रर कर लिया जाए।

❀ मुशाहदात से इ़ब्रत ह़ासिल कीजिये : दिन भर हमारी नज़रों से कई मनाज़िर गुज़रते हैं, हम कई मुशाहदात करते हैं, अगर इन मुशाहदात से इ़ब्रत ह़ासिल करने का ज़ेह्न बन जाए तो मुह़ासबा करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। मसलन कोई ह़ादिसा देख कर येह सोचें कि ख़ुदा न ख़्वास्ता अगर ह़ादिसा मेरे साथ पेश आ जाता तो मेरा क्या बनता ?

सबक़ नम्बर 6 — क़नाअ़त का बयान

अल्लाह पाक क़ुरआने मजीद में इर्शाद फ़रमाता है :

وَاَنَّهٗ هُوَ اَغْنٰى وَاَقْنٰى ﴿۴۸﴾ (پ27، النجم:48)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और येह कि उसी ने ग़ना दी और क़नाअ़त दी।

आयत की तफ़्सीर

मश्हूर मुफ़स्सिर, ह़कीमुल उम्मत मुफ़्ती अह़मद यार ख़ान رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه इस आयत के तह़्त फ़रमाते हैं : या'नी अमीरों को ग़ना, फ़क़ीरों को सब्रो क़नाअ़त बख़्शी या अपने मह़बूबों का दिल ग़नी बनाया और ज़ाहिरी क़नाअ़त अ़त़ा फ़रमाई, बा'ज़ अमीरों को ग़ना के साथ क़नाअ़त भी दी,

1... الزہد لابن المبارک، باب التحضیض علی طاعۃ اللہ، ص14، حدیث:41

हवस से बचाया ।(1)

क़नाअ़त की अहम्मिय्यत पर फ़रमाने मुस्त़फ़ा

रसूलुल्लाह صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : **अल्लाह** पाक परहेज़ गार, क़नाअ़त पसन्द और गुमनाम बन्दे को पसन्द फ़रमाता है ।(2)

क़नाअ़त की ता'रीफ़

क़नाअ़त का लुग़वी मा'ना क़िस्मत पर राज़ी रहना है और सूफ़िया की इस्तिलाह़ में रोज़मर्रा इस्ति'माल होने वाली चीज़ों के न होने पर भी राज़ी रहना क़नाअ़त है ।(3) ह़ज़रते मुह़म्मद बिन अ़ली तिरमिज़ी رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : क़नाअ़त येह है कि इन्सान की क़िस्मत में जो रिज़्क़ लिखा है उस पर उस का नफ़्स राज़ी रहे ।(4) अगर तंगदस्ती होने और ह़ाजत से कम होने के बा वुजूद सब्र किया जाए तो इसे भी क़नाअ़त कहते हैं ।(5)

ता'रीफ़ की वज़ाह़त

हर वोह शख़्स जिस के पास माल न हो और उसे माल की ज़रूरत हो और उस की ह़ालत येह हो कि माल में रग़बत की वज्ह से उस के नज़्दीक माल का होना न होने की निस्बत ज़ियादा पसन्दीदा हो लेकिन येह रग़बत इस ह़द तक पहुंची हो कि हुसूले माल के लिये भागदौड़ करे बल्कि अगर ब आसानी ह़ासिल हो तो ख़ुशी से ले ले और अगर ह़ासिल करने के लिये मेह़नत करनी पड़े तो छोड़ दे इस ह़ालत को क़नाअ़त और ऐसे शख़्स को क़ानेअ़ या'नी क़नाअ़त करने वाले के नाम से मौसूम किया जाता है ।(6)

क़नाअ़त का हुक्म

क़नाअ़त हुज़ूर नबिय्ये रह़मत, शफ़ीए़ उम्मत صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की सुन्नत, सह़ाबए किराम عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان और औलियाए किराम رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام का मुबारक त़रीक़ा है, हर मुसल्मान को चाहिये कि इस

1... नूरुल इरफ़ान, पारह : 27, अन्नज्म, तह़्तल आयह : 48

2... مسلم، کتاب الزہد والرقائق، ص1212، حدیث:7432

3... التعریفات للجرجانی، باب القاف، ص126

4... الرسالۃ القشیریۃ، باب القناعۃ، ص197

5... احیاء العلوم، 4/200

6... احیاء العلوم، 4/563 ماخوذا

पर अ़मल करे। क़नाअ़त **अल्लाह** पाक का मह़बूब बनने, उस की रिज़ा पाने, क़ब्रो ह़श्र में आसानी फ़राहम करने और जन्नत में ले जाने वाला काम है।

क़नाअ़त अपनाने के त़रीक़े

❀ क़नाअ़त के फ़ज़ाइल का मुत़ालआ़ कीजिये। क़नाअ़त से मुतअ़ल्लिक़ अक़्वाले बुज़ुर्गाने दीन का मुत़ालआ़ कीजिये।

❀ रब पर कामिल यक़ीन रखिये, दुन्या व आख़िरत में काम्याबी का बुन्यादी उसूल **अल्लाह** पाक पर कामिल यक़ीन है।

❀ क़नाअ़त की दुआ़ कीजिये। क़नाअ़त पसन्दों की सोह़बत इख़्तियार कीजिये। मालो दौलत की ह़िर्स का ख़ातिमा कीजिये।

सबक़ नम्बर 7 — हुस्ने ज़न का बयान

हुस्ने ज़न की अहम्मिय्यत पर फ़रमाने इलाही

अल्लाह पाक इर्शाद फ़रमाता है :

لَوْلَاۤ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتُ بِاَنْفُسِهِمْ خَیْرًاۙ-وَّ قَالُوْا هٰذَاۤ اِفْكٌ مُّبِیْنٌ(۱۲)
(پ18،النور:12)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : क्यूं न हुवा जब तुम ने उसे सुना था कि मुसल्मान मर्दों और मुसल्मान औ़रतों ने अपनों पर नेक गुमान किया होता और कहते येह खुला बोहतान है।

आयत की तफ़्सीर

इस आयत के तह़्त तफ़्सीरे ख़ज़ाइनुल इरफ़ान में है : "मुसल्मान को येही हुक्म है कि मुसल्मान के साथ नेक गुमान करे और बद गुमानी मम्नूअ़ है।"[1]

हुस्ने ज़न की अहम्मिय्यत पर फ़रमाने मुस्त़फ़ा

ह़ज़रते अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ फ़रमाते हैं कि मैं ने हुज़ूर नबिय्ये रह़मत, शफ़ीए़ उम्मत صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم को त़वाफ़ करते हुए येह फ़रमाते सुना : "(ऐ का'बा !) तू कितना पाकीज़ा है, तेरी ख़ुश्बू कितनी पाकीज़ा है, तू कितना मुअ़ज़्ज़म है, तेरी हुर्मत कितनी ज़ियादा है, लेकिन उस ज़ात की क़सम ! जिस

[1]... तफ़्सीरे ख़ज़ाइनुल इरफ़ान, पारह : 18, अन्नूर, तह़्तल आयह : 12

के क़ब्ज़ए क़ुदरत में मुह़म्मद की जान है ! **अल्लाह** पाक के नज़्दीक एक मोमिन, उस के माल, उस के ख़ून, उस के साथ हुस्ने ज़न रखने की हु़र्मत तेरी हु़र्मत से भी ज़ियादा है ।''(1)

हुस्ने ज़न की ता'रीफ़

किसी मुसल्मान के बारे में अच्छा गुमान रखना ''हुस्ने ज़न'' कहलाता है ।

हुस्ने ज़न का हुक्म

हुस्ने ज़न कभी तो वाजिब होता है जैसे **अल्लाह** पाक के साथ अच्छा गुमान रखना और कभी मुस्तह़ब जैसे किसी नेक मोमिन के साथ नेक गुमान करना ।(2) जब किसी मुसल्मान का ह़ाल पोशीदा हो (या'नी उस के नेक व बद होने का इ़ल्म न हो) तो उस से हुस्ने ज़न रखना मुस्तह़ब और उस के बारे में बद गुमानी करना ह़राम है ।(3)

हुस्ने ज़न अपनाने के त़रीक़े

❀ हुस्ने ज़न के फ़वाइद पेशे नज़र रखिये : बद गुमानी की हलाकतों व नुक़्सानात पर ग़ौर कीजिये । मुसल्मान भाइयों की ख़ूबियों पर नज़र रखिये । इस से हुस्ने ज़न की दौलत नसीब होगी । दिल को मुसल्मानों के ख़िलाफ़ पैदा होने वाले वस्वसों से पाक कीजिये ।

❀ अपनी इस्लाह़ की कोशिश जारी रखिये : जो शख़्स अपनी इस्लाह़ की कोशिश जारी रखता है वोह दीगर मुसल्मानों के बारे में बद गुमानी से काम नहीं लेता बल्कि अच्छा गुमान रखता है । अ़रबी मक़ूला है : اِذَا سَاءَ فِعْلُ الْمَرْءِ سَاءَتْ ظُنُوْنُهُ या'नी जब किसी के काम बुरे हो जाएं तो उस के गुमान भी बुरे हो जाते हैं ।(4)

❀ अपने आप को तजस्सुस से बचाइये : तजस्सुस या'नी मुसल्मानों की टोह में लगे रहना भी बद गुमानी की त़रफ़ ले जाने वाली एक सीढ़ी है ।

1... ابن ماجہ، کتاب الفتن، باب حرمۃ دم المؤمن ومالہ، 4/319، حدیث:3932

2... तफ़्सीरे ख़ज़ाइनुल इरफ़ान, पारह : 26, अल हुजुरात, तह़तल आयह : 12

3... الحدیقۃ الندیۃ، 2/16 ملخصاً

4... बद गुमानी, स. 33

❀ बद गुमानों की सोह़बत से दूर रहिये : जब बन्दा ऐसे लोगों की सोह़बत इख़्तियार करता है जो दीगर मुसल्मानों के बारे में बद गुमानी से भरपूर कुछ न कुछ इज़्हारे ख़याल करते ही रहते हैं तो उन का असर इस पर भी हो जाता है और फिर येह भी बद गुमानी में मुब्तला हो जाता है।

सबक़ नम्बर 8 — तौबा का बयान

तौबा की अहम्मिय्यत पर फ़रमाने इलाही

अल्लाह पाक क़ुरआने पाक में इर्शाद फ़रमाता है :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْۤا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًاؕ (پ28، التحریم:8)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : ऐ ईमान वालो **अल्लाह** की तरफ़ ऐसी तौबा करो जो आगे को नसीहत हो जाए।

आयत की तफ़्सीर

तौबए सादिक़ा जिस का असर तौबा करने वाले के आ'माल में ज़ाहिर हो, उस की ज़िन्दगी ताअ़तों और इबादतों से मा'मूर हो जाए और वोह गुनाहों से मुज्तनिब (या'नी बचता) रहे। अमीरुल मुअमिनीन ह़ज़रते सय्यिदुना उ़मर फ़ारूक़े आ'ज़म رَضِیَ اللّٰہُ عَنْه और दूसरे अस्ह़ाब ने फ़रमाया कि तौबए नसूह़ वोह है कि तौबा के बा'द आदमी फिर गुनाह की त़रफ़ न लौटे जैसा कि निकला हुवा दूध फिर थन में वापस नहीं होता।[1]

तौबा करने वाला अल्लाह का पसन्दीदा है

सरदारे दो जहान, मह़बूबे रह़मान صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم का फ़रमाने आ़लीशान है : बेशक **अल्लाह** पाक तौबा करने वाले, आज़्माइश में मुब्तला मोमिन बन्दे को पसन्द फ़रमाता है।[2]

1... तफ़्सीरे ख़ज़ाइनुल इरफ़ान, पारह : 28, अत्तह़रीम, तह़्तल आयह : 8

2... مسند احمد، مسند علی بن ابی طالب، 1/174، حدیث:605

तौबा की ता'रीफ़

जब बन्दे को इस बात की मा'रिफ़त हासिल हो जाए कि गुनाह का नुक़्सान बहुत बड़ा है, गुनाह बन्दे और उस के महबूब के दरमियान रुकावट है तो वोह उस गुनाह के इरतिकाब पर नदामत इख़्तियार करता है और इस बात का क़स्द व इरादा करता है कि मैं गुनाह को छोड़ दूंगा, आइन्दा न करूंगा और जो पहले किये उन की वज्ह से मेरे आ'माल में जो कमी वाक़ेअ़ हुई उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा तो बन्दे की इस मज्मूई कैफ़िय्यत को तौबा कहते हैं। इ़ल्म, नदामत और इरादे इन तीनों के मज्मूए़ का नाम तौबा है लेकिन बसा अवक़ात इन तीनों में से हर एक पर भी तौबा का इत़्लाक़ कर दिया जाता है।[1]

तौबा का हुक्म

हर मुसल्मान पर हर ह़ाल में हर गुनाह से फ़ौरन तौबा करना वाजिब है, या'नी गुनाह की मा'रिफ़त होने के बा'द उस पर नदामत इख़्तियार करना और आइन्दा न करने का अ़ह्द करना और गुज़रे हुए गुनाहों पर नदामतो शरमिन्दगी और अफ़्सोस करना भी वाजिब है और वुजूबे तौबा पर इज्माए़ उम्मत है।[2]

गुनाहों से तौबा करने का त़रीक़ा

आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत मौलाना अह़मद रज़ा ख़ान رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : सच्ची तौबा **अल्लाह** पाक ने वोह नफ़ीस शै बनाई है कि हर गुनाह के इज़ाले को काफ़ी व वाफ़ी है, कोई गुनाह ऐसा नहीं कि सच्ची तौबा के बा'द बाक़ी रहे यहां तक कि शिर्क व कुफ़्र। सच्ची तौबा के येह मा'ना हैं कि गुनाह पर इस लिये कि वोह उस के रब की ना फ़रमानी थी, नादिम व परेशान हो कर फ़ौरन छोड़ दे और आइन्दा कभी उस गुनाह के पास न जाने का सच्चे दिल से पूरा अ़ज़्म करे, जो चारए कार उस की तलाफ़ी का अपने हाथ में हो बजा लाए। मसलन नमाज़ रोज़े के तर्क या ग़स्ब (ना जाइज़ क़ब्ज़ा), सर्क़ा (चोरी), रिश्वत, रिबा (सूद) से तौबा की तो सिर्फ़ आइन्दा के लिये इन जराइम का छोड़ देना ही काफ़ी नहीं बल्कि इस के साथ येह भी ज़रूर है जो नमाज़ रोज़े नाग़ा किये उन की क़ज़ा करे, जो माल जिस जिस से छीना, चुराया, रिश्वत, सूद में लिया उन्हें और वोह न रहे

1 ...احیاء العلوم، 4/11 ملخصا
2 ...احیاء العلوم، 4/17 ماخوذا

हों तो उन के वारिसों को वापस कर दे या मुआ़फ़ कराए, पता न चले तो उतना माल तसद्दुक़ (या'नी सदक़ा) कर दे और दिल में येह निय्यत रखे कि वोह लोग जब मिले अगर तसद्दुक़ पर राज़ी न हुए अपने पास से उन्हें फेर दूंगा।[1]

सबक़ नम्बर 9 अल्लाह व रसूल की इत़ाअ़त का बयान

अल्लाह रसूल की इत़ाअ़त की अहम्मिय्यत

अल्लाह पाक कुरआने मजीद में इर्शाद फ़रमाता है :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ
(پ5، النسآء:59)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : ऐ ईमान वालो हुक्म मानो **अल्लाह** का और हुक्म मानो रसूल का।

आयत की तफ़्सीर

यहां आयत में रसूल صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की इत़ाअ़त का हुक्म दिया गया है क्यूं कि रसूल صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की इत़ाअ़त **अल्लाह** पाक ही की इत़ाअ़त है।[2]

फ़रमाने मुस्त़फ़ा

रसूलुल्लाह صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : "जिस ने मेरी इत़ाअ़त की उस ने **अल्लाह** पाक की इत़ाअ़त की, जिस ने मेरी ना फ़रमानी की उस ने **अल्लाह** पाक की ना फ़रमानी की।"[3]

अल्लाह रसूल की इत़ाअ़त क्या है ?

अल्लाह पाक और उस के रसूल صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने जिन बातों को करने का हुक्म दिया है उन पर अ़मल करना और जिन से मन्अ़ फ़रमाया उन को न करना "**अल्लाह** और रसूल की इत़ाअ़त" कहलाता है।

1... फ़तावा रज़विय्या, 21/121
2... तफ़्सीरे सिरातुल जिनान, पारह : 5, अन्निसाअ, तह़्तल आयह : 59, 2/229
3... مسلم، کتاب الامارۃ، باب وجوب طاعۃ الامراء... الخ، ص787، حدیث:4746

अल्लाह रसूल की इत़ाअ़त का हुक्म

हर मुसल्मान पर **अल्लाह** पाक और उस के रसूल صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की इत़ाअ़त लाज़िम है या'नी **अल्लाह** पाक और उस के रसूल صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने जिन बातों को करने का हुक्म दिया है उन पर अ़मल करे और जिन से मन्अ़ फ़रमाया है उन से बचे।

इत़ाअ़त का जज़्बा पैदा करने के त़रीक़े

❀ इत़ाअ़त गुज़ार लोगों की सोहबत इख़्तियार कीजिये। इत़ाअ़त के दुन्यवी व उख़्रवी फ़वाइद पर ग़ौर कीजिये। ना फ़रमानी की हलाकतों पर ग़ौर कीजिये। नेक आ'माल के रिसाले पर अ़मल कीजिये। मदनी क़ाफ़िलों में सफ़र इख़्तियार कीजिये।

❀ हर मुआ़मले में शरीअ़त को मल्हूज़ रखिये। चाहे उस का तअ़ल्लुक़ **अल्लाह** पाक और उस के रसूल صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के हुक़ूक़ से हो या अपनी ज़ात, वालिदैन, आल औलाद व रिश्तेदारों, पड़ोसियों या दीगर हुक़ूक़ुल इ़बाद से हो।

❀ इत़ाअ़त की राह में ह़ाइल अस्बाब को दूर कीजिये। जब अस्बाब दूर हो जाएंगे तो **अल्लाह** पाक के फ़ज़्लो करम से इत़ाअ़त भी नसीब हो जाएगी, इत़ाअ़त की राह में रुकावट डालने वाले चन्द अस्बाब येह हैं : इ़ल्मे दीन ह़ासिल न करना, दीनदार लोगों की सोह़बत इख़्तियार न करना, बुरे लोगों की सोह़बत में बैठना, दुन्यवी मह़ब्बत को दिल में बसा लेना, लम्बी लम्बी उम्मीदें लगा लेना, मौत को भूल जाना, फ़िक्रे आख़िरत से ग़ाफ़िल हो जाना, गुनाहों में मुब्तला हो जाना वग़ैरा।

सबक़ नम्बर 10 — तवक्कुल का बयान

तवक्कुल की अहम्मिय्यत पर फ़रमाने इलाही

अल्लाह पाक क़ुरआने मजीद फ़ुरक़ाने ह़मीद में इर्शाद फ़रमाता है :

وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ (پ28، الطلاق:3)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और जो **अल्लाह** पर भरोसा करे तो वोह उसे काफ़ी है।

आयत की तफ़्सीर

अल्लाह पाक पर तवक्कुल करना अ़ज़ीम काम है। लिहाज़ा बन्दे को चाहिये कि वोह अस्बाब इख़्तियार करने के बा'द **अल्लाह** करीम पर तवक्कुल करे और उसी पर भरोसा रखे और अपना

मुआ़मला उसी के सिपुर्द कर दे क्यूं कि जो **अल्लाह** पाक पर तवक्कुल करता है तो **अल्लाह** पाक उस के तमाम दुन्यवी और उख़्रवी उमूर में उसे काफ़ी होता है।[1]

तवक्कुल की अहम्मिय्यत पर फ़रमाने मुस्त़फ़ा

रसूलुल्लाह صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : अगर तुम **अल्लाह** पर इस त़रह़ भरोसा करो जैसे उस पर भरोसा करने का ह़क़ है, तो वोह तुम्हें इस त़रह़ रिज़्क़ अ़त़ा फ़रमाएगा जैसे परिन्दों को अ़त़ा फ़रमाता है कि वोह सुब्ह़ के वक़्त ख़ाली पेट निकलते हैं और शाम को सेर हो कर लौटते हैं।"[2]

तवक्कुल की ता'रीफ़

तवक्कुल की ता'रीफ़ यूं है कि अस्बाब व तदाबीर को इख़्तियार करते हुए फ़क़त़ **अल्लाह** पाक पर ए'तिमाद व भरोसा किया जाए और तमाम कामों को उस के सिपुर्द कर दिया जाए।

तवक्कुल का हुक्म

अल्लाह पर (मुत़्लक़) तवक्कुल करना फ़र्ज़े ऐन है।[3] वाज़ेह़ रहे कि अस्बाब और तदाबीर को तर्क कर के गोशा नशीनी इख़्तियार कर लेने और कस्ब (या'नी रिज़्क़े ह़लाल कमाना) तर्क कर देने की शर्अ़न इजाज़त नहीं है। आ'ला ह़ज़रत رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : "तवक्कुल तर्के अस्बाब का नाम नहीं बल्कि ए'तिमाद अ़लल अस्बाब का तर्क (तवक्कुल) है।"[4] या'नी अस्बाब को छोड़ देना तवक्कुल नहीं बल्कि अस्बाब पर ए'तिमाद न करने (रब पर ए'तिमाद करने) का नाम तवक्कुल है।

तवक्कुल अपनाने के त़रीक़े

❀ तवक्कुल की मा'लूमात ह़ासिल कीजिये। इस के लिये मुकाशफ़तुल क़ुलूब और एह़याउल उ़लूम का मुत़ालआ़ करें। तवक्कुल के फ़वाइद और फ़ज़ाइल पर ग़ौर कीजिये। तवक्कुल करने वालों के वाक़िआ़त का मुत़ालआ़ कीजिये। तवक्कुल करने वालों की सोह़बत इख़्तियार कीजिये।

1... तफ़्सीरे सिरात़ुल जिनान, पारह : 28, अत्त़लाक़, तह़तल आयह : 3, 10/202

2... ترمذی،ابواب الزہد،باب فی التوکل علی اللہ،4/154،حدیث:2351

3... फ़ज़ाइले दुआ़, स. 287

4... फ़तावा रज़विय्या, 24/379

रब्बे करीम की बारगाह में तवक्कुल के हुसूल की दुआ़ कीजिये।

❀ रब्बे करीम की क़ुदरते कामिला पर यक़ीन रखिये। बन्दा रिज़्क़ और दीगर ज़रूरिय्यात के मुतअ़ल्लिक़ **अल्लाह** पाक के ज़ामिन और कफ़ील होने का तसव्वुर रखे और **अल्लाह** पाक के कमाले इ़ल्म, उस की कमाले क़ुदरत का तसव्वुर करे।

❀ मख़्लूक़ की मोह़ताजी से बचने का अ़ज़्म कर लीजिये कि इस त़रह़ बन्दा मख़्लूक़ से बे नियाज़ हो कर फ़क़त़ ख़ालिक़ ही पर भरोसा करेगा क्यूं कि तवक्कुल की बे शुमार बरकतों में से एक येह भी है कि बन्दा मख़्लूक़ की मोह़ताजी से बच जाता है।

❀ पुर सुकून और ख़ुशह़ाल ज़िन्दगी पर नज़र रखिये। हमारी काम्याबी में ज़ेह्नी और क़ल्बी सुकून का बहुत बड़ा किरदार है, ज़ेह्नी और क़ल्बी त़ौर पर मुत़्मइन शख़्स उ़मूमन पुर सुकून और ख़ुशह़ाल ज़िन्दगी गुज़ारता है और तवक्कुल से ज़ेह्नी व क़ल्बी सुकून और राह़त ह़ासिल होती है। एक बुज़ुर्ग رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं कि मेरे शैख़ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه अक्सर मजलिस में फ़रमाया करते थे : अपनी तदबीर उस ज़ात के सिपुर्द कर दे जिस ने तुझे पैदा फ़रमाया है (या'नी फ़क़त़ **अल्लाह** रब्बुल इ़ज़्ज़त पर तवक्कुल कर) तो राह़त पाएगा।[1]

सबक़ नम्बर 11 ख़ौफ़े ख़ुदा का बयान

ख़ौफ़े ख़ुदा की अहम्मिय्यत पर फ़रमाने इलाही

अल्लाह पाक क़ुरआने मजीद में इर्शाद फ़रमाता है :

وَ لِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِۚ (پ27،الرحمٰن:46)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और जो अपने रब के हुज़ूर खड़े होने से डरे उस के लिये दो जन्नतें हैं।

आयत की तफ़्सीर

इस आयत का एक मा'ना येह है कि जिसे दुन्या में क़ियामत के दिन अपने रब के हुज़ूर ह़िसाब की जगह में ह़िसाब के लिये खड़े होने का डर हो और वोह गुनाहों को छोड़ दे और फ़राइज़ की बजा आवरी करे तो उस के लिये आख़िरत में दो जन्नतें हैं।[2]

1 ...منہاج العابدین، ص113

2 ... तफ़्सीरे सिरातुल जिनान, पारह : 27, अर्रह़मान, तह़्तल आयह : 46

ख़ौफ़े ख़ुदा की अहम्मिय्यत पर दो फ़रामीने मुस्तफ़ा

हुज़ूर नबिय्ये रह़मत, शफ़ीए़ उम्मत صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : ह़िक्मत की अस्ल **अल्लाह** पाक का ख़ौफ़ है।(1)

सरकारे मदीना, राह़ते क़ल्बो सीना صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने ह़ज़रते अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊ़द رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ से फ़रमाया : अगर तुम मुझ से मिलना चाहते हो तो मेरे बा'द भी **अल्लाह** पाक से बहुत डरते रहना।(2)

ख़ौफ़े ख़ुदा का मत़लब

ख़ौफ़ से मुराद वोह क़ल्बी कैफ़िय्यत है जो किसी ना पसन्दीदा अम्र के पेश आने की तवक़्क़ोअ़ के सबब पैदा हो, मसलन फल काटते हुए छुरी से हाथ के ज़ख़्मी हो जाने का डर। जब कि ख़ौफ़े ख़ुदा का मत़लब येह है कि **अल्लाह** पाक की बे नियाज़ी, उस की नाराज़गी, उस की गिरिफ़्त और उस की त़रफ़ से दी जाने वाली सज़ाओं का सोच कर इन्सान का दिल घबराहट में मुब्तला हो जाए।(3)

ख़ौफ़े ख़ुदा का हुक्म

ख़ौफ़े ख़ुदा तमाम नेकियों और दुन्या व आख़िरत की हर भलाई की अस्ल है, ख़ौफ़े ख़ुदा नजात दिलाने और जन्नत में ले जाने वाला अ़मल है।

ख़ौफ़े ख़ुदा पैदा करने के त़रीक़े

❀ रब्बे करीम की बारगाह में सच्ची तौबा कर लीजिये। ख़ौफ़े ख़ुदा के ह़ुसूल के लिये बारगाहे रब्बुल इ़ज़्ज़त में दुआ़ कीजिये। ख़ौफ़े ख़ुदा के फ़ज़ाइल पेशे नज़र रखिये। जहन्नम के अ़ज़ाबात पर ग़ौरो तफ़क्कुर कीजिये। ख़ौफ़े ख़ुदा के बारे में बुज़ुर्गाने दीन के अह़वाल का मुत़ालआ़ कीजिये। ख़ौफ़े ख़ुदा रखने वालों की सोह़बत इख़्तियार कीजिये।

❀ ख़ुद एह़तिसाबी की आ़दत अपनाते हुए फ़िक्रे मदीना कीजिये : अपनी ज़ात का मुह़ासबा कर लेने की आ़दत अपना लेने से भी ख़ौफ़े ख़ुदा के ह़ुसूल की मन्ज़िल पर पहुंचना क़दरे आसान हो जाता है।

---

1 ...شعب الایمان، باب فی الخوف من اللہ تعالیٰ، 1/470، حدیث: 743

2 ...احیاء العلوم، 4/472

3 ...احیاء علوم الدین، کتاب الخوف والرجاء، باب بیان حقیقۃ الخوف، 4/190 ماخوذا

सबक़ नम्बर 12

उम्मीदों की कमी का बयान

लम्बी उम्मीद की मज़म्मत

अल्लाह पाक कुरआने पाक में इर्शाद फ़रमाता है :

ذَرْهُمْ يَاْكُلُوْا وَ يَتَمَتَّعُوْا وَ يُلْهِهِمُ الْاَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ۝ (پ14، الحجر:3)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : उन्हें छोड़ो कि खाएं और बरतें और उम्मीद उन्हें खेल में डाले तो अब जाना चाहते हैं।

आयत की तफ़्सीर

तफ़्सीरे ख़ज़ाइनुल इरफ़ान में है : इस में तम्बीह है कि लम्बी उम्मीदों में गिरिफ़्तार होना और लज़्ज़ाते दुन्या की तलब में ग़र्क़ हो जाना ईमानदार की शान नहीं। हज़रत अ़लिय्युल मुर्तज़ा رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ने फ़रमाया : लम्बी उम्मीदें आख़िरत को भुलाती हैं और ख़्वाहिशात का इत्तिबाअ़ हक़ से रोकता है।[1]

जन्नत में दाख़िल होने का नुस्ख़ा

सरकारे दो आ़लम, नूरे मुजस्सम, शाहे बनी आदम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने एक बार सहाबए किराम عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان से दरयाफ़्त फ़रमाया : क्या तुम सब जन्नत में दाख़िल होना पसन्द करते हो ? सहाबए किराम عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان ने अ़र्ज़ की : जी हां **या रसूलल्लाह** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ! इर्शाद फ़रमाया : उम्मीदें कम करो और अपनी मौत अपनी आंखों के सामने रखो और **अल्लाह** पाक से ह़या करो जैसे उस से ह़या करने का हक़ है।[2]

उम्मीदों की कमी की ता'रीफ़

नफ़्स की पसन्दीदा चीज़ों या'नी लम्बी उ़म्र, सिह़्ह़त और माल में इज़ाफ़े वग़ैरा की उम्मीद न होना "उम्मीदों की कमी" कहलाता है।[3] अगर लम्बी उ़म्र की ख़्वाहिश मुस्तक़्बिल में नेकियों में

1...तफ़्सीरे ख़ज़ाइनुल इरफ़ान, पारह : 14, अल हिज्र, तह़्तल आयह : 3

2...موسوعۃ ابن ابی دنیا، کتاب قصر الامل، 3/310،حدیث:31

3...فیض القدیر، 2/709، تحت الحدیث:2550 ماخوذاً

इज़ाफ़े की निय्यत के साथ हो तो अब भी "उम्मीदों की कमी" ही कहलाएगी।[1]

उम्मीदों की कमी का हुक्म

उम्मीदों की कमी दुन्या से बे रग़बती और फ़िक्रे आख़िरत में मश्ग़ूल रखने, नजात दिलाने और जन्नत में ले जाने वाला अ़मल है।

कम उम्मीदी अपनाने के त़रीक़े

❀ **छोटी उम्मीद से मुतअ़ल्लिक़ रिवायात का मुत़ालआ़ कीजिये।** लम्बी उम्मीदों की हलाकतों पर ग़ौर कीजिये। उम्मीदों की कमी से मुतअ़ल्लिक़ अक़्वाले बुज़ुर्गाने दीन का मुत़ालआ़ कीजिये। उम्मीदों की कमी व ज़ियादती, फ़वाइद व नुक़्सानात की मा'लूमात ह़ासिल कीजिये।

❀ **हर वक़्त मौत को पेशे नज़र रखिये।** मौत की याद उम्मीदों की कमी का बहुत बड़ा सबब है। नज़्अ़ व क़ब्र के वह़शत नाक माह़ोल का तसव्वुर कीजिये। ह़श्र या'नी क़ियामत की होलनाकियों का तसव्वुर कीजिये।

❀ **अपने अन्दर ख़ौफ़े ख़ुदा पैदा कीजिये।** उम्मीदों की कमी का येह एक बेहतरीन इलाज है, क्यूं कि जिस का दिल ख़ौफ़े ख़ुदा से मा'मूर होता है वोह लम्बी लम्बी उम्मीदें लगाने की बजाए अपने रब्बे करीम की इ़बादतो इत़ाअ़त में मसरूफ़ हो जाता है।

❀ **दिल को हुब्बे दुन्या से पाक कीजिये।** लम्बी उम्मीदों का एक बहुत बड़ा सबब दुन्या की मह़ब्बत भी है, जब बन्दे के दिल में दुन्या की मह़ब्बत घर कर जाती है तो वोह लम्बी लम्बी उम्मीदें लगाने की आफ़त में मुब्तला हो जाता है, उस के अन्दर त़वील अ़र्से तक ज़िन्दा रहने की ख़्वाहिश पैदा हो जाती है।

सबक़ नम्बर 13 — सिद्क़ (सच बोलने) का बयान

क़ुरआन में सच की अहम्मिय्यत

अल्लाह पाक क़ुरआने मजीद में इर्शाद फ़रमाता है :

وَالَّذِیْ جَآءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهٖۤ اُولٰٓىٕكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ﴿۳۳﴾ (پ24،الزمر:33)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और वोह जो येह सच ले कर तशरीफ़ लाए और वोह जिन्हों ने उन की तस्दीक़ की येही डर वाले हैं।

1 ...الحدیقۃ الندیہ،2/383ماخوذا

आयत की तफ़्सीर

इस आयते मुबारका में सच ले कर तशरीफ़ लाने वाले से मुराद हुज़ूर नबिय्ये रह़मत, शफ़ीए उम्मत صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم हैं और तस्दीक़ करने वाले से मुराद अमीरुल मुअमिनीन ह़ज़रते सय्यिदुना सिद्दीक़े अक्बर رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ या तमाम मोमिनीन हैं।[1]

सच की फ़ज़ीलत और झूट की मज़म्मत

अल्लाह पाक के प्यारे मह़बूब صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : "बेशक सिद्क़ (सच) नेकी की त़रफ़ ले जाता है और नेकी जन्नत की त़रफ़ ले जाती है और बेशक आदमी सच बोलता रहता है यहां तक कि वोह **अल्लाह** पाक के हां सिद्दीक़ (बहुत बड़ा सच्चा) लिख दिया जाता है और बेशक किज़्ब (झूट) गुनाह की त़रफ़ ले जाता है और गुनाह जहन्नम की त़रफ़ ले जाता है और बेशक आदमी झूट बोलता रहता है यहां तक कि वोह **अल्लाह** पाक के हां कज़्ज़ाब (बहुत बड़ा झूटा) लिख दिया जाता है।"[2]

सच की ता'रीफ़

ह़ज़रते अ़ल्लामा सय्यिद शरीफ़ जुरजानी رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ सिद्क़ या'नी सच की ता'रीफ़ बयान करते हुए फ़रमाते हैं : "सिद्क़ का लुग़वी मा'ना वाक़ेअ़ के मुत़ाबिक़ ख़बर देना है।"[3]

सच बोलने का हुक्म

हर मुसल्मान पर लाज़िम है कि वोह अपने दीनी व दुन्यवी तमाम मुआ़मलात में सच बोले कि सच बोलना नजात दिलाने और जन्नत में ले जाने वाला काम है।

सच अपनाने के त़रीक़े

❀ **सच के फ़ज़ाइल का मुत़ालआ़ कीजिये।** सच से मुतअ़ल्लिक़ बुज़ुर्गाने दीन के अक़्वाल का मुत़ालआ़ कीजिये। सच के दुन्यवी व उख़्रवी फ़वाइद पर ग़ौर कीजिये। झूट बोलने की वई़दों को पेशे

1...तफ़्सीरे ख़ज़ाइनुल इ़रफ़ान, पारह : 24, अज़्ज़ुमर, तह़तल आयह : 33

2...مسلم، کتاب البر والصلۃ والآداب، باب قبح الکذب...الخ، ص1077، حدیث:6637

3...التعریفات للجرجانی، باب الصاد، ص95

नज़र रखिये। झूट बोलने के दुन्यवी व उख़्रवी नुक़्सानात पर ग़ौर कीजिये। अपने दिल में ख़ौफ़े ख़ुदा पैदा कीजिये।

❀ **उख़्रवी फ़ाएदे को दुन्यवी नुक़्सान पर तरजीह़ दीजिये।** बसा अवक़ात ब ज़ाहिर थोड़े से दुन्यवी फ़ाएदे के पेशे नज़र भी बन्दा झूट बोल लेता है लेकिन उसे येह मा'लूम नहीं होता कि झूट बोलना फ़क़त़ पहली बार आसान होता है इस के बा'द इस में मुश्किल ही मुश्किल होती है, नुक़्सान ही नुक़्सान होता है, जब कि सच बोलना फ़क़त़ पहली बार मुश्किल होता है बा'द में इस में आसानियां ही आसानियां होती हैं।

सबक़ नम्बर 14 अच्छी उम्मीद का बयान

क़ुरआन में अच्छी उम्मीद की अहम्मिय्यत

अल्लाह पाक क़ुरआने पाक में इर्शाद फ़रमाता है :

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ؕ

(پ24، الزمر:53)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : तुम फ़रमाओ ऐ मेरे वोह बन्दो जिन्हों ने अपनी जानों पर ज़ियादती की **अल्लाह** की रह़मत से ना उम्मीद न हो बेशक **अल्लाह** सब गुनाह बख़्श देता है।

आयत की तफ़्सीर

इस आयत में **अल्लाह** पाक ने बन्दों पर अपनी कामिल रह़मत, फ़ज़्ल और एह़सान का बयान फ़रमाया है, चुनान्चे इर्शाद फ़रमाया कि ऐ ह़बीब صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ! आप फ़रमा दें कि **अल्लाह** पाक इर्शाद फ़रमाता है : ऐ मेरे वोह बन्दो ! जिन्हों ने कुफ़्र और गुनाहों में मुब्तला हो कर अपनी जानों पर ज़ियादती की, तुम **अल्लाह** पाक की रह़मत से मायूस न होना और येह ख़याल न करना कि ईमान क़बूल कर लेने के बा'द साबिक़ा कुफ़्रो शिर्क पर तुम्हारा मुआख़ज़ा होगा, बेशक **अल्लाह** पाक उस के सब गुनाह बख़्श देता है जो अपने कुफ़्र से बाज़ आए और अपने गुनाहों से सच्ची तौबा कर ले, बेशक वोही गुनाहों पर पर्दा डाल कर बख़्शने वाला और मुसीबतों को दूर कर के मेहरबानी फ़रमाने वाला है।[1]

1...तफ़्सीरे सिरातुल जिनान, पारह : 24, अज़्ज़ुमर, तह़तल आयह : 53, 8/486

अच्छी उम्मीद के मुतअ़ल्लिक़ फ़रमाने मुस्त़फ़ा

हज़रते जाबिर رَضِیَ اللہُ عَنْہ बयान करते हैं कि मैं ने **रसूलुल्लाह** صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم को आप की वफ़ात से तीन दिन पहले येह फ़रमाते सुना कि : तुम में से कोई न मरे मगर इस त़रह़ कि **अल्लाह** पाक से अच्छी उम्मीद रखता हो ।(1)

अच्छी उम्मीद की ता'रीफ़

आइन्दा के लिये भलाई और बेहतरी की उम्मीद रखना "रजा" है । मसलन अगर कोई शख़्स अच्छा बीज ह़ासिल कर के नर्म ज़मीन में बो दे और उस ज़मीन को घास फूस वग़ैरा से साफ़ कर दे और वक़्त पर पानी और खाद देता रहे फिर इस बात का उम्मीद वार हो कि **अल्लाह** पाक इस खेती को आस्मानी आफ़ात से मह़फ़ूज़ रखेगा तो मैं ख़ूब ग़ल्ला ह़ासिल करूंगा तो ऐसी आस और उम्मीद को "रजा" कहते हैं ।(2)

अच्छी उम्मीद का हुक्म

अल्लाह पाक से अच्छा गुमान रखना वाजिब है ।(3)

अच्छी उम्मीद की अक़्साम

हज़रते सय्यिदुना इब्ने ख़ुबैक़ رَحْمَۃُ اللہِ عَلَیْہ फ़रमाते हैं : रजा तीन त़रह़ की है : (1) कोई शख़्स अच्छा काम करे उस की क़बूलिय्यत की उम्मीद रखे । (2) कोई शख़्स बुरा काम करे फिर तौबा करे और वोह मग़्फ़िरत की उम्मीद रखता हो । (3) झूटा शख़्स जो गुनाह करता चला जाए और कहे मैं मग़्फ़िरत की उम्मीद रखता हूं ।(4) पहली दो क़िस्म की रजा मह़मूद जब कि आख़िरी क़िस्म की रजा मज़्मूम है जैसा कि ह़दीसे मुबारका में है : اَلْاَحْمَقُ مَنْ اَتْبَعَ نَفْسَهٗ هَوَاهَا وَتَمَنّٰى عَلَى اللّٰهِ الْجَنَّةَ या'नी अह़मक़ वोह है जो अपनी नफ़्सानी ख़्वाहिश की पैरवी करे फिर **अल्लाह** पाक से जन्नत की तमन्ना रखे ।(5)

1... مسلم، کتاب الجنۃ، وصفۃ نعیمہا، باب امر بحسن الظن باللہ عند الموت، ص1177، حدیث:7229
2... احیاء علوم الدین، کتاب الخوف والرجاء، بیان حقیقۃ الرجاء، 4/174، 175ملخصا
3... तफ़्सीरे ख़ज़ाइनुल इरफ़ान, पारह : 26, अल हुजुरात, तह़्तल आयह : 12
4... الرسالۃ القشیریۃ، باب الرجاء، ص168-169
5... احیاء العلوم، 4/415

अच्छी उम्मीद अपनाने के त़रीके़

रजा के फ़ज़ाइल में ग़ौरो फ़िक्र कीजिये। रजा से मुतअ़ल्लिक़ बुज़ुर्गाने दीन के अह़वाल का मुत़ालआ़ कीजिये। रजा से मुतअ़ल्लिक़ रिवायात और बुज़ुर्गाने दीन के अक़्वाल में ग़ौर कीजिये।

सबक़ नम्बर 15 — ग़ना का बयान

ग़ना की अहम्मिय्यत

अल्लाह पाक क़ुरआने पाक में फ़रमाता है :

وَ اَنَّهٗ هُوَ اَغْنٰى وَ اَقْنٰى ﴿ۙ۴۸﴾ (پ27،النجم:48)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और येह कि उस ने ग़ना दी और क़नाअ़त दी।

आयत की तफ़्सीर

या'नी **अल्लाह** करीम ही लोगों को मालो दौलत से नवाज़ कर ग़नी करता है और क़नाअ़त की ने'मत से भी वोही नवाज़ता है।[1]

ग़ना के मुतअ़ल्लिक़ नसीह़ते मुस्त़फ़ा

ह़ज़रते सय्यिदुना अबू अय्यूब अन्सारी رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ बयान करते हैं कि एक दीहाती बारगाहे रिसालत में ह़ाज़िर हुवा और अ़र्ज़ की : **या रसूलल्लाह** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ! मुझे एक मुख़्तसर सी नसीह़त फ़रमाइये। इर्शाद फ़रमाया : जब तुम नमाज़ पढ़ो तो ज़िन्दगी की आख़िरी नमाज़ समझ कर पढ़ो और हरगिज़ ऐसी बात न करो जिस से तुम्हें कल मा'ज़िरत करनी पड़े और लोगों के पास जो कुछ है उस से मुकम्मल ना उम्मीद हो जाओ।[2]

ग़ना की ता'रीफ़

जो कुछ लोगों के पास है उस से ना उम्मीद होना ग़ना है।[3]

---

1 ...तफ़्सीरे सिरातुल जिनान, पारह : 27, अन्नज्म, तह़्तल आयह : 48, 9/579

2 ...ابن ماجہ،کتاب الزہد،باب الحکمۃ،4/455،حدیث:4171

3 ...معجم کبیر،10/139،حدیث:10239

ग़ना पैदा करने के त़रीके़

❀ ग़ना के फ़ज़ाइल का मुत़ालआ़ कीजिये। ग़ना से मुतअ़ल्लिक़ बुज़ुर्गाने दीन के अक़्वाल व अह़वाल पर ग़ौर कीजिये। **अल्लाह** पाक पर कामिल यक़ीन रखिये। ग़ना के ह़ुसूल की दुआ़ कीजिये। ग़ना इख़्तियार करने वालों की सोह़बत इख़्तियार कीजिये। ग़ना के फ़वाइद पर नज़र कीजिये।

❀ ज़ोह्दो क़नाअ़त इख़्तियार कीजिये। ज़ोह्द दुन्या से बे रग़बती दिलाता है जब कि क़नाअ़त थोड़े पर राज़ी होने पर उभारता है और येह दोनों चीज़ें ग़ना पर मुआ़विन साबित होती हैं कि आदमी ज़ोह्दो क़नाअ़त इख़्तियार कर के दूसरों से बे नियाज़ हो जाता है और थोड़े पर राज़ी रह कर दुन्या से कनारा कशी इख़्तियार कर लेता है यूं वोह ज़ोह्दो क़नाअ़त के साथ ग़ना की दौलत भी समेट लेता है।

❀ मालो दौलत की ह़िर्स को ख़त्म कीजिये : मालो दौलत की ह़िर्स को ख़त्म कीजिये कि येह इन्सान के लिये बहुत ही ख़त़रनाक है। अगर इस की रोकथाम न की जाए तो बसा अवक़ात येह दुन्यवी बरबादियों के साथ साथ उख़्रवी हलाकतों की त़रफ़ भी ले जाती है और इसे ख़त्म कर के ही ग़ना की दौलत ह़ासिल हो सकती है।

सबक़ नम्बर 16 — माल से बे रग़बती का बयान

क़ुरआन में माल से बे रग़बती की अहम्मिय्यत

अल्लाह पाक क़ुरआने मजीद फ़ुरक़ाने ह़मीद में इर्शाद फ़रमाता है :

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْیَقِیْنِؕ۝۵ (پ30، التکاثر:5)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : हां ! हां ! अगर यक़ीन का जानना जानते तो माल की मह़ब्बत न रखते।

आयत की तफ़्सीर

ऐ लोगो ! हां हां अब नज़्अ़ के वक़्त कस्रते माल की ह़िर्स और औलाद पर फ़ख़्रो ग़ुरूर करने के बुरे नतीजे को जल्द जान जाओगे। फिर यक़ीनन तुम क़ब्रों में जल्द जान जाओगे। यक़ीनन अगर तुम माल की ह़िर्स का अन्जाम यक़ीनी इ़ल्म के साथ जानते तो माल की ह़िर्स में मुब्तला हो कर आख़िरत से ग़ाफ़िल न होते।[1]

1...तफ़्सीरे सिरात़ुल जिनान, पारह : 30, अत्तकासुर, तह़्तल आयह : 5, 10/814

ह़दीस में माल से बे रग़्बती की अहम्मिय्यत

एक शख़्स ने बारगाहे रिसालत में अ़र्ज़ की : **या रसूलल्लाह** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ! मुझे क्या हो गया है कि मैं मौत को पसन्द नहीं करता ? आप صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : "क्या तुम्हारे पास माल है ?" उस ने कहा : जी हां । फ़रमाया : "अपना माल आगे भेज दो (या'नी आख़िरत के लिये सदक़ा करो), क्यूं कि मोमिन का दिल अपने माल के साथ होता है अगर उस ने उसे आगे भेज दिया तो उस से मिलना चाहता है और अगर पीछे छोड़ दे तो उस के साथ पीछे रहना चाहता है ।"[1]

माल से बे रग़्बती की ता'रीफ़

माल से मह़ब्बत न रखना और इस की त़रफ़ रग़्बत न करना माल से बे रग़्बती कहलाता है ।

माल से बे रग़्बती का हुक्म

इमाम मुह़म्मद बिन मुह़म्मद ग़ज़ाली رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : जिस क़दर माल की ज़रूरत होती है उस का ह़ुसूल मम्नूअ़ नहीं । माल ज़रूरत से ज़ियादा हो तो ज़हरे क़ातिल है जब कि ज़रूरत की मिक़्दार हो तो नफ़्अ़ बख़्श दवा है और इन दोनों के दरमियान मुख़्तलिफ़ दरजात हैं जिन के बारे में शुबुहात हैं । माल की वोह मिक़्दार जो ज़रूरत से ज़ाइद के क़रीब हो वोह अगर्चे ज़हरे क़ातिल न हो लेकिन नुक़्सान देह है और जो मिक़्दार ज़रूरत के क़रीब हो वोह अगर नफ़्अ़ मन्द दवा न भी हो तो कम नुक़्सान देह है । ज़हर का पीना ह़राम और दवा का इस्ति'माल ज़रूरी है ।[2]

माल से बे रग़्बती अपनाने के त़रीक़े

❀ माल से बे रग़्बती के फ़ज़ाइल में ग़ौर कीजिये । एक ह़दीसे पाक में है कि "जो शख़्स दुन्या से बे रग़्बती इख़्तियार करता है **अल्लाह** पाक उस के दिल में ह़िक्मत दाख़िल फ़रमा कर उस की ज़बान पर जारी फ़रमा देता है, उसे दुन्या की बीमारी और उस के इ़लाज की पहचान अ़त़ा फ़रमाता है और उसे दुन्या से सह़ीह़ सलामत निकाल कर सलामती के घर (या'नी जन्नत की त़रफ़) ले जाता है ।"[3]

1 ... الزہد لابن مبارک، باب فی طلب الحلال، ص224، حدیث:634
2 ... احیاء العلوم، کتاب الفقر والزہد، بیان تفصیل الزہد فیما ہو من ضروریات الحیاۃ، 4/296
3 ... شعب الایمان، باب فی الزہد وقصر الامل، 7/346، حدیث:10532

❀ माल से बे रग़्बती के मुतअ़ल्लिक़ अक़्वाले बुज़ुर्गाने दीन में ग़ौर कीजिये। माल की त़रफ़ रग़्बत करने के नुक़्सानात में ग़ौर कीजिये। माल से बे रग़्बती के मुतअ़ल्लिक़ बुज़ुर्गाने दीन के अह़वाल का मुत़ालआ़ कीजिये। माल से बे रग़्बती के फ़वाइद में ग़ौर कीजिये। माल से बे रग़्बती के लिये इस की आफ़ात और हलाकतों में ग़ौर कीजिये। मालो दौलत की ह़िर्स का ख़ातिमा कीजिये।

❀ क़ियामत के ह़िसाबो किताब से ख़ुद को डराइये। ज़रूरत और ह़ाजत से ज़ाइद माल कमाना अगर्चे जाइज़ है लेकिन याद रखिये जिस का माल जितना ज़ियादा होगा क़ियामत के रोज़ उस का ह़िसाबो किताब भी उतना ही ज़ियादा होगा।

सबक़ नम्बर 17 — ख़ुफ़्या तदबीर से डरने का बयान

क़ुरआन में ख़ुफ़्या तदबीर से डरने की अहम्मिय्यत

अल्लाह पाक क़ुरआने पाक में इर्शाद फ़रमाता है :

اَفَاَمِنُوْا مَكْرَ اللّٰهِ ۚ فَلَا یَاْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿۹۹﴾ (پ۹، الاعراف:99)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : क्या **अल्लाह** की ख़ुफ़ी तदबीर से निडर हैं तो **अल्लाह** की ख़ुफ़ी तदबीर से निडर नहीं होते मगर तबाही वाले।

आयत की तफ़्सीर

इस आयत में **अल्लाह** पाक के ख़ास ग़ज़ब का ज़िक्र है चुनान्चे फ़रमाया गया : क्या कुफ़्फ़ार **अल्लाह** पाक की ख़ुफ़्या तदबीर से बे ख़ौफ़ हैं और उस के ढील देने और दुन्यवी ने'मतें देने पर मग़रूर हो कर उस के अ़ज़ाब से बे फ़िक्र हो गए हैं सुन लो ! **अल्लाह** पाक की ख़ुफ़्या तदबीर से सिर्फ़ तबाह होने वाले लोग ही बे ख़ौफ़ होते हैं और उस के मुख़्लिस बन्दे उस का ख़ौफ़ रखते हैं। इस से मा'लूम हुवा कि **अल्लाह** पाक के ख़ौफ़ का दिल से निकल जाना सख़्त नुक़्सान का सबब है, **अल्लाह** पाक की ढील या उस का किसी बन्दे को गुनाह पर न पकड़ना येह उस की ख़ुफ़्या तदबीर है लिहाज़ा हर वक़्त **अल्लाह** करीम की ख़ुफ़्या तदबीर से डरते रहना चाहिये।(1)

ह़दीस में ख़ुफ़्या तदबीर से डरने की अहम्मिय्यत

हु़ज़ूर عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام ने इर्शाद फ़रमाया : जब तुम किसी बन्दे को देखो कि **अल्लाह** पाक उसे उस की ख़्वाहिश के मुत़ाबिक़ अ़त़ा फ़रमाता है ह़ालां कि वोह अपने गुनाह पर क़ाइम है तो येह **अल्लाह** पाक की त़रफ़ से ढील है। फिर आप صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने येह आयते मुबारका तिलावत फ़रमाई :

(1)... तफ़्सीरे सिरातुल जिनान, पारह : 9, अल आ'राफ़, तह़तल आयह : 99, 3/390

فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَیْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَیْءٍؕ حَتّٰۤى اِذَا فَرِحُوْا بِمَاۤ اُوْتُوْۤا اَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً فَاِذَا هُمْ مُّبْلِسُوْنَ۝۴۴ (پ7، الانعام:44)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : फिर जब उन्हों ने भुला दिया जो नसीहतें उन को की गई थीं हम ने उन पर हर चीज़ के दरवाज़े खोल दिये यहां तक कि जब ख़ुश हुए उस पर जो उन्हें मिला तो हम ने अचानक उन्हें पकड़ लिया अब वोह आस टूटे रह गए ।[1]

ख़ुफ़्या तदबीर से डरने की ता'रीफ़

अल्लाह पाक के पोशीदा अफ़्आ़ल से वाक़ेअ़ होने वाले बा'ज़ अफ़्आ़ल को उस की ख़ुफ़्या तदबीर कहते हैं । और उस से डरना **अल्लाह** पाक की ख़ुफ़्या तदबीर से डरना कहलाता है ।[2]

ख़ुफ़्या तदबीर से डरने का हुक्म

अल्लाह पाक की रह़मत पर भरोसा करते हुए गुनाहों में मुस्तग़रक़ हो जाना और **अल्लाह** पाक की ख़ुफ़्या तदबीर से बे ख़ौफ़ होना कबीरा गुनाह है ।[3] लिहाज़ा हर मुसलमान पर **अल्लाह** की ख़ुफ़्या तदबीर से डरना वाजिब है ।

ख़ुफ़्या तदबीर से डर को अपनाने के त़रीक़े

❀ अम्बिया عَلَیْهِمُ السَّلَام व औलिया رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَیْهِمْ के अह़वाल पर ग़ौर करना चाहिये । **अल्लाह** पाक की ख़ुफ़्या तदबीर से अम्बियाए किराम عَلَیْهِمُ السَّلَام, फ़िरिश्ते और औलियाए किराम भी ख़ौफ़ज़दा रहते हैं । **अल्लाह** पाक के नबी और फ़िरिश्ते मा'सूम हैं, इन से **अल्लाह** पाक की ना फ़रमानी मुम्किन नहीं जब कि हम सरापा ख़त़ा हैं । हमें हर वक़्त **अल्लाह** पाक की ख़ुफ़्या तदबीर से डरते रहना चाहिये ।

❀ बुरे ख़ातिमे का ख़ौफ़ कीजिये । हर मुसलमान को बुरे ख़ातिमे से डरना चाहिये कि बुरे ख़ातिमे का ख़ौफ़ दिल में बिठाने से **अल्लाह** पाक की ख़ुफ़्या तदबीर का ख़ौफ़ भी दिल में बैठ जाएगा ।

1 ...معجم اوسط، 6/422، حدیث:9272

2 ...احیاء العلوم، 4/504، 505 ماخوذا

3 ...الزواجر عن اقتراف الکبائر، الکبیرة التاسعة والثلاثون، 1/185

❀ गुज़श्ता लोगों के वाक़िआत पर ग़ौर कीजिये। **अल्लाह** पाक की ख़ुफ़्या तदबीर से मुतअ़ल्लिक़ बहुत से वाक़िआत इस्लामी कुतुब में बयान किये गए हैं जिन में ऐसे लोगों का तज़्किरा है कि जिन्हों ने अपनी सारी ज़िन्दगी इबादतो रियाज़त में गुज़ारी मगर **अल्लाह** पाक ने किसी ख़ास गुनाह के सबब उन की गिरिफ़्त फ़रमा ली और उन का बहुत भयानक अन्जाम हुवा।

❀ **अल्लाह** पाक की बे नियाज़ी पर ग़ौर कीजिये। इन्सान अपने अ़मल से **अल्लाह** पाक की ज़ात को न नफ़्अ़ पहुंचा सकता है न नुक़्सान, **अल्लाह** पाक की ज़ात बे नियाज़ है, बन्दा चाहे जितने नेक आ'माल कर ले मगर उस की बख़्शिश यक़ीनी नहीं, इन्सान को चाहिये कि वोह अपने नेक आ'माल पर भरोसा न करे बल्कि हर वक़्त **अल्लाह** पाक की बे नियाज़ी को मद्दे नज़र रखे। और उस की ख़ुफ़्या तदबीर से डरता रहे।

❀ अपनी ने'मतों पर ग़ौर कीजिये। जिस शख़्स पर **अल्लाह** पाक ने दुन्या में मालो दौलत, रोज़ी में कसरत, फ़रमां बरदार औलाद की ने'मत, अच्छी सिह़्ह़त, ओ़ह्दए वज़ारत या सदारत या हुकूमत वग़ैरा के ज़रीए फ़राख़ी फ़रमाई है उसे येह सोचना चाहिये कि कहीं येह आसाइशें **अल्लाह** पाक की ख़ुफ़्या तदबीर तो नहीं कि मुझे दुन्या में येह ने'मतें अ़ता कर दी गई हैं और आख़िरत में मुझे इन ने'मतों से मह़रूम कर दिया जाएगा।

❀ अपनी आज़्माइशों पर ग़ौर कीजिये। सरमाया दारों वग़ैरा के साथ साथ नादारों, बीमारों और मुसीबत के मारों को भी **अल्लाह** पाक की ख़ुफ़्या तदबीर से डरना लाज़िमी है कि हो सकता है इन आफ़तों के ज़रीए आज़्माइश में डाला गया हो और ना जाइज़ गिला शिक्वा, ग़ैर शर्ई बे सब्री और ग़ुर्बतो मुसीबत को ह़राम ज़राएअ़ के ज़रीए ख़त्म करने की कोशिशें आख़िरत की तबाही का सबब बन जाएं।[1]

सबक़ नम्बर 18 एह़तिरामे मुस्लिम का बयान

क़ुरआन में एह़तिरामे मुस्लिम की अहम्मिय्यत

अल्लाह पाक का फ़रमान है :

وَالَّذِیْنَ یَصِلُوْنَ مَاۤ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖۤ اَنْ یُّوْصَلَ
(پ13،الرعد:21)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और वोह कि जोड़ते हैं उसे जिस के जोड़ने का **अल्लाह** ने हुक्म दिया।

1...फ़ैज़ाने सुन्नत, पेट का क़ुफ़्ले मदीना, स. 683

आयत की तफ़्सीर

सदरुल अफ़ाज़िल ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना सय्यिद मुह़म्मद नईमुद्दीन मुरादआबादी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه मज़्कूरा आयत के तह़्त फ़रमाते हैं : या'नी **अल्लाह** पाक की तमाम किताबों और उस के कुल रसूलों पर ईमान लाते हैं और बा'ज़ को मान कर बा'ज़ से मुन्किर हो कर उन में तफ़्रीक़ (जुदाई) नहीं करते या येह मा'ना हैं कि हुक़ूक़े क़राबत की रिआ़यत रखते हैं और रिश्ता क़त्अ़ नहीं करते। इसी में रसूले करीम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की क़राबतें और ईमानी क़राबतें भी दाख़िल हैं, सादाते किराम का एह़तिराम और मुसल्मानों के साथ मुवद्दत (प्यार व मह़ब्बत) व एह़सान और उन की मदद और उन की त़रफ़ से मुदाफ़अ़त (दिफ़ाअ़) और उन के साथ शफ़्क़त और सलाम व दुआ़ और मुसल्मान मरीज़ों की इयादत और अपने दोस्तों, ख़ादिमों, हमसायों, सफ़र के साथियों के हुक़ूक़ की रिआ़यत भी इस में दाख़िल है और शरीअ़त में इस का लिह़ाज़ रखने की बहुत ताकीदें आई हैं, ब कसरत अह़ादीसे सह़ीह़ा इस बाब में वारिद हैं।(1)

एह़तिरामे मुस्लिम का दर्स

एक मरतबा हुज़ूर नबिय्ये करीम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने सह़ाबए किराम عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان से इर्शाद फ़रमाया : जानते हो मुसल्मान कौन है ? सह़ाबए किराम عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ने अ़र्ज़ की : **अल्लाह** पाक और उस के रसूल صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم बेहतर जानते हैं। तो इर्शाद फ़रमाया : मुसल्मान वोह है जिस की ज़बान और हाथ से दूसरे मुसल्मान मह़फ़ूज़ रहें। सह़ाबए किराम عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ने अ़र्ज़ की : मोमिन कौन है ? इर्शाद फ़रमाया : मोमिन वोह है कि जिस से दूसरे मोमिन अपनी जानों और मालों को मह़फ़ूज़ समझें।(2)

एह़तिरामे मुस्लिम की ता'रीफ़

मुसल्मान की इ़ज़्ज़तो हुर्मत का पास रखना और उसे हर त़रह़ के नुक़्सान से बचाने की कोशिश करना एह़तिरामे मुस्लिम कहलाता है।

एह़तिरामे मुस्लिम का हुक्म

एह़तिरामे मुस्लिम का तक़ाज़ा येह है कि हर ह़ाल में हर मुसल्मान के तमाम हुक़ूक़ का लिह़ाज़ रखा जाए और बिला इजाज़ते शरई किसी भी मुसल्मान की दिल शिकनी न की जाए। हमारे प्यारे प्यारे

1...तफ़्सीरे ख़ज़ाइनुल इरफ़ान, पारह : 13, अर्रा'द, तह़्तल आयह : 21

2...مسند احمد، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، 2/654، حدیث: 6942

आक़ा صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने कभी भी किसी मुसल्मान का दिल न दुखाया, न किसी पर त़न्ज़ किया, न किसी का मज़ाक़ उड़ाया, न किसी को धुत्कारा, न कभी किसी की बे इ़ज़्ज़ती की बल्कि हर एक को सीने से लगाया।[1]

एह़तिरामे मुस्लिम का जज़्बा पैदा करने के त़रीक़े

❀ एह़तिरामे मुस्लिम की फ़ज़ीलत पर ग़ौर कीजिये। मुसल्मानों की इ़ज़्ज़तो आबरू की ह़िफ़ाज़त करना और इन का एह़तिराम करना बहुत फ़ज़ीलत की बात है, हर मुसल्मान का दूसरे मुसल्मान के साथ इस्लामी रिश्ता है जिस की वज्ह से उस पर लाज़िम है कि वोह अपने मुसल्मान भाई का इक्राम करे और उस की इ़ज़्ज़त की ह़िफ़ाज़त करे और हमेशा उस की बे ह़ुर्मती से बचता रहे और अगर कोई दूसरा शख़्स मुसल्मान की बे इ़ज़्ज़ती करे या उसे तक्लीफ़ पहुंचाए तो मुसल्मान पर लाज़िम है कि वोह अपने मुसल्मान भाई की मदद करे और उस की इ़ज़्ज़त पामाल न होने दे।

❀ मुसल्मान की बे इ़ज़्ज़ती करने की वई़दों पर ग़ौर कीजिये। मुसल्मान की बे इ़ज़्ज़ती करना बहुत बुरा फ़े'ल है और उस की बहुत मज़म्मत बयान की गई है। बे इ़ज़्ज़ती करने की मुख़्तलिफ़ सूरतें हैं : मुसल्मान का मज़ाक़ उड़ाना, गाली देना, चुग़ली लगाना, बोहतान तराशी करना, जहां उस की इ़ज़्ज़त की जाती हो वहां उसे ज़लील करना, ग़ीबत करना या उस की ग़ीबत हो रही हो तो क़ुदरत के बा वुजूद न रोकना भी बे इ़ज़्ज़ती में शामिल है। अगर किसी मुसल्मान को ज़लीलो रुस्वा किया जा रहा हो तो दूसरे मुसल्मान पर लाज़िम है कि उस का दिफ़ाअ़ करे अगर क़ुदरत के बा वुजूद उस की ह़िमायत नहीं करेगा तो ख़ुद भी गुनाहगार होगा।

❀ ह़ुक़ूक़ुल इ़बाद अदा करने का ज़ेह्न बनाइये। एह़तिरामे मुस्लिम सह़ीह़ त़ौर पर बजा लाने के लिये मुसल्मानों के ह़ुक़ूक़ की अदाएगी बहुत ज़रूरी है और इन ह़ुक़ूक़ में वालिदैन, बहन भाई, रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त अह़बाब के ह़ुक़ूक़ भी शामिल हैं।

❀ ह़ुस्ने अख़्लाक़ अपनाइये। ह़ुस्ने अख़्लाक़ ऐसी सिफ़त है कि जो एह़तिरामे मुस्लिम की अस्ल है क्यूं कि ह़ुस्ने अख़्लाक़ अच्छाइयों की जामेअ़ है, ह़ुस्ने अख़्लाक़ से मुत्तसिफ़ इन्सान ईसार, दिलजूई, सख़ावत, बुर्दबारी, तह़म्मुल मिज़ाजी, हमदर्दी, अख़ुव्वतो रवादारी जैसी आ'ला सिफ़ात से मुत्तसिफ़ होता है और येह ही वोह सिफ़ात हैं जिन से इन्सान में एह़तिरामे मुस्लिम का जज़्बा बेदार होता है।

1... एह़तिरामे मुस्लिम, स. 26, 27

सबक़ नम्बर 19

शैत़ान की मुख़ालफ़त का बयान

शैत़ान इन्सान का खुला दुश्मन

अल्लाह पाक कुरआने पाक में इर्शाद फ़रमाता है :

وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّیْطٰنِؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِیْنٌ (۱۶۸) (پ2،البقرۃ:168)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और शैत़ान के क़दम पर क़दम न रखो बेशक वोह तुम्हारा खुला दुश्मन है।

मुख़ालफ़ते शैत़ान पर उभारने का अनोखा अन्दाज़

ह़ज़रते अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊ़द رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ बयान करते हैं कि एक दिन हु़ज़ूर عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام ने हमें समझाने के लिये एक लकीर खींची और इर्शाद फ़रमाया : "येह **अल्लाह** पाक का रास्ता है" फिर उस लकीर के दाएं बाएं मुतअ़द्दद लकीरें खींचीं और इर्शाद फ़रमाया : "येह मुख़्तलिफ़ रास्ते हैं, इन में से हर एक पर एक शैत़ान है जो लोगों को उस पर चलने की दा'वत देता है।" फिर येह आयत तिलावत फ़रमाई :

وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِیْ مُسْتَقِیْمًا فَاتَّبِعُوْهُۚ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ (پ8،الانعام:153)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और येह कि येह है मेरा सीधा रास्ता तो इस पर चलो और, और राहें न चलो।[1]

मुख़ालफ़ते शैत़ान क्या है ?

अल्लाह पाक की इ़बादत कर के शैत़ान से दुश्मनी करना, **अल्लाह** पाक की ना फ़रमानी में शैत़ान की पैरवी न करना और सिद्क़े दिल से हमेशा अपने अ़क़ाइदो आ'माल की शैत़ान से ह़िफ़ाज़त करना मुख़ालफ़ते शैत़ान है।[2]

मुख़ालफ़ते शैत़ान का हु़क्म

अ़ल्लामा अ़ब्दुर्रह़मान बिन अ़ली जूज़ी رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ फ़रमाते हैं : शैत़ान मरदूद की मुख़ालफ़त **अल्लाह** पाक के अ़ज़ाब से बचा देती है और **अल्लाह** पाक के औलिया के साथ जन्नत में आ'ला

1 ... سنن کبری للنسائی، کتاب التفسیر، باب سورۃ الانعام، 6/343، حدیث:11174
2 ... مکاشفۃ القلوب، ص52 ماخوذا

मक़ाम अ़ता कर देती है और उस मक़ाम पर पहुंचा देती है कि तुम रब्बुल आ़लमीन की ज़ियारत कर सकोगे।[1]

शैतान की मुख़ालफ़त अपनाने के तरीक़े

❀ शैतान के मक़ासिद पर ग़ौर कीजिये। शैतान की मुख़ालफ़त पर कमर बस्ता होने के लिये ज़रूरी है कि हमें उस के मक़ासिद मा'लूम हों क्यूं कि जब हमें उस के नापाक अ़ज़ाइम का इ़ल्म होगा तो हमारे दिल में उस के लिये नफ़रत पैदा होगी और उस की मुख़ालफ़त का ज़ेहन बनेगा। शैतान के चन्द मक़ासिद हैं : (1) बन्दे से उस का ईमान छीनना ताकि वोह दाइमी तौर पर जहन्नम का ह़क़दार बन जाए, अगर ईमान न छीन सके तो फिर उस का मक़्सद होता है कि (2) बन्दे को फ़िस्क़ो फ़ुजूर में मुब्तला करे, अगर येह अपने इस मक़्सद में भी काम्याब न हो तो फिर उस की कोशिश येह होती है कि (3) बन्दे को नेक आ'माल से रोके ताकि वोह आ'ला मर्तबे को न पहुंच सके। लिहाज़ा इन्सान को शैतान के मज़्मूम मक़ासिद अपने ज़ेहन में रखने चाहिएं ताकि दिल में उस की मुख़ालफ़त का जज़्बा पैदा हो।[2]

❀ **अल्लाह** पाक और उस के रसूल صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم से मह़ब्बत कीजिये। शैतान **अल्लाह** पाक और उस के ह़बीब صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم का दुश्मन है इसी लिये वोह हमारा भी दुश्मन है और हमें उस की मुख़ालफ़त करनी है, जब हम **अल्लाह** पाक और हु़ज़ूर عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام से मह़ब्बत करेंगे तो उन की इता़अ़त करेंगे और उन की इता़अ़त ही शैतान की मुख़ालफ़त है।

❀ नेक लोगों की सोह़बत इख़्तियार कीजिये। शैतान के फ़रेब को जानने की कोशिश कीजिये। शैतान की मुख़ालफ़त करने के लिये उस के मक्रो फ़रेब को जानना बहुत ज़रूरी है, बा'ज़ अवक़ात शैतान नेकी की आड़ में बुराई को पेश करता है क्यूं कि जब वोह ब ज़ाहिर बन्दे को गुनाह की त़रफ़ बुलाने पर क़ादिर नहीं होता तो गुनाह को नेकी की सूरत में पेश करता है और बन्दे को गुनाह में मश्ग़ूल होने का इ़ल्म ही नहीं होता।

❀ **अल्लाह** पाक का ज़िक्र कीजिये। ह़ज़रते अनस رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ बयान करते हैं कि हु़ज़ूर नबिय्ये करीम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : "शैतान इब्ने आदम के दिल पर अपनी सूंड रखे हुए होता है अगर वोह **अल्लाह** पाक का ज़िक्र करता है तो पीछे हट जाता है और अगर **अल्लाह** पाक को भूल जाए तो फ़ौरन उस

1... بستان الواعظین، مجلس فی الاستعاذۃ، ص27

2... इस्लाहे आ'माल, 1/197 माख़ूज़न

के दिल पर ग़ालिब आ जाता है।"[1]

❀ भूक से कम खाइये : पेट भर कर खाना शैतान की मुख़ालफ़त में रुकावट बनता है क्यूं कि खाना अगर्चे ह़लाल और शुबे से पाक हो मगर उसे पेट भर कर खाने से शहवात को तक़्वियत मिलती है और शहवात शैतान के हथियार हैं।

सबक़ नम्बर 20 — शुक्र का बयान

शुक्र की अहम्मिय्यत

अल्लाह करीम क़ुरआने पाक में इर्शाद फ़रमाता है :

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِیْدَنَّكُمْ وَ لَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِیْ لَشَدِیْدٌ ۝ (پ13، ابراھیم:7)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : अगर एह़सान मानोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा और अगर नाशुक्री करो तो मेरा अ़ज़ाब सख़्त है।

आयत की तफ़्सीर

तफ़्सीरे ख़ज़ाइनुल इरफ़ान में है : इस आयत से मा'लूम हुवा कि शुक्र से ने'मत ज़ियादा होती है। शुक्र की अस्ल येह है कि आदमी ने'मत का तसव्वुर और उस का इज़्हार करे और ह़क़ीक़ते शुक्र येह है कि मुन्इ़म (या'नी ने'मत देने वाले) की ने'मत का उस की ता'ज़ीम के साथ ए'तिराफ़ करे और नफ़्स को इस का ख़ूगर बनाए। यहां एक बारीकी है वोह येह कि बन्दा जब **अल्लाह** पाक की ने'मतों और उस के त़रह़ त़रह़ के फ़ज़्लो करम व एह़सान का मुत़ालआ़ करता है तो उस के शुक्र में मश्ग़ूल होता है इस से ने'मतें ज़ियादा होती हैं और बन्दे के दिल में **अल्लाह** पाक की मह़ब्बत बढ़ती चली जाती है। येह मक़ाम बहुत बरतर (ऊंचा) है और इस से आ'ला मक़ाम येह है कि मुन्इ़म की मह़ब्बत यहां तक ग़ालिब हो कि क़ल्ब को ने'मतों की त़रफ़ इल्तिफ़ात बाक़ी न रहे, येह मक़ाम सिद्दीक़ों का है। **अल्लाह** पाक अपने फ़ज़्ल से हमें शुक्र की तौफ़ीक़ अ़त़ा फ़रमाए। (आमीन)

दुन्या व आख़िरत की भलाई मिल गई

ह़ज़रते इब्ने अ़ब्बास رَضِیَ اللہُ عَنْہ से रिवायत है कि **रसूलुल्लाह** صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : जिसे चार चीज़ें मिल गईं उसे दुन्या व आख़िरत की भलाई मिल गई : (1) शुक्र करने वाला दिल (2) ज़िक्र करने वाली ज़बान (3) आज़्माइश पर सब्र करने वाला बदन और (4) अपने आप और शौहर के माल में

---

1 ... موسوعۃ ابن ابی الدنیا، کتاب مکائد الشیطان، 4/536، حدیث:22

ख़ियानत न करने वाली बीवी ।[1]

शुक्र की ता'रीफ़

शुक्र की ता'रीफ़ येह है कि किसी के एह्सान व ने'मत की वज्ह से ज़बान, दिल या आ'ज़ा के साथ उस की ता'ज़ीम करना ।

शुक्र का हुक्म

अल्लाह करीम की ने'मतों पर शुक्र अदा करना वाजिब है । शुक्र अदा करना रिज़ाए इलाही और जन्नत में ले जाने वाला काम है ।

शुक्र की आ़दत अपनाने के त़रीक़े

❀ **शुक्र के फ़ज़ाइल व वाक़िआ़त का मुत़ालआ़ कीजिये ।** रब्बे करीम की ने'मतों पर ग़ौर कीजिये । शुक्र गुज़ारों की सोह्बत इख़्तियार कीजिये ।

❀ **अपने से कमतर व अदना पर नज़र कीजिये ।** मसलन यूं ग़ौर कीजिये कि हमारे पास रहने के लिये अपना मकान है मगर कई लोग ऐसे हैं जिन के पास अपना मकान नहीं, इस त़रह़ रब्बे करीम की अ़त़ा कर्दा ने'मतों पर शुक्र करने का मदनी ज़ेह्न बनेगा ।

❀ **ने'मतों के ज़वाल का ख़ौफ़ कीजिये ।** क्यूं कि ने'मतों पर शुक्र अदा किया जाए तो उन में इज़ाफ़ा होता है और अगर उन की नाशुक्री की जाए तो वोह ने'मतें छीनी जा सकती हैं ।

❀ **मुख़्तलिफ़ आ'ज़ा से शुक्र अदा कीजिये ।** दिल के साथ इस त़रह़ कि भलाई का इरादा कीजिये, ज़बान के साथ इस त़रह़ कि शुक्र का इज़्हार करते हुए **अल्लाह** पाक की ह़म्द कीजिये और आ'ज़ा के साथ इस त़रह़ कि उस ने'मत को **अल्लाह** पाक की इत़ाअ़तो फ़रमां बरदारी के लिये इस्ति'माल में लाइये और उस की ना फ़रमानी वाले कामों में उस से मदद न लीजिये ।

❀ **मुसीबतों पर भी शुक्र कीजिये ।** कि बन्दा जब मुसीबतों पर शुक्र की आ़दत बना लेगा तो ख़ुद ब ख़ुद ने'मतों पर भी शुक्र बजा लाएगा ।

सबक़ नम्बर 21 — दिल की नरमी का बयान

क़ुरआन में नर्मिये दिल की अहम्मिय्यत

अल्लाह पाक क़ुरआने मजीद में इर्शाद फ़रमाता है :

1 ...معجم اوسط، 5/244، حدیث: 7212

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۠ (پ4، آل عمران:159)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : तो कैसी कुछ **अल्लाह** की मेह्रबानी है कि ऐ मह्बूब तुम उन के लिये नर्म दिल हुए और अगर तुन्द मिज़ाज सख़्त दिल होते तो वोह ज़रूर तुम्हारे गिर्द से परेशान हो जाते ।

नर्म दिल वाला अल्लाह का पसन्दीदा

रसूलुल्लाह صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : बेशक **अल्लाह** पाक नर्म दिल, पाक दामन ग़नी को पसन्द फ़रमाता है और संगदिल बद किरदार साइल को ना पसन्द फ़रमाता है ।[1]

नर्मिये दिल की ता'रीफ़

दिल का ख़ौफ़े ख़ुदा के सबब इस त़रह़ नर्म होना कि बन्दा अपने आप को गुनाहों से बचाए और नेकियों में मश्ग़ूल कर ले । नसीह़त उस के दिल पर असर करे, गुनाहों से बे रग़्बती हो, गुनाह करने पर पशेमानी हो, बन्दा तौबा की त़रफ़ मुतवज्जेह हो, शरीअ़त ने उस पर जो जो हुक़ूक़ लाज़िम किये हैं उन की अच्छे त़रीक़े से अदाएगी पर आमादा हो, अपने आप, घरबार, रिश्तेदारों व ख़ल्क़े ख़ुदा पर शफ़्क़तो रह़्म व नरमी करे । कुल्ली त़ौर पर इस कैफ़िय्यत को दिल की नरमी से ता'बीर किया जाता है ।

नर्म दिल का हुक्म

वोह उमूर जो दिल की सख़्ती दूर करने और दिल में नरमी पैदा करने का सबब बनें उन्हें ह़ासिल करने की कोशिश की जाए ।

दिल में नरमी पैदा करने के त़रीक़े

❀ **दिल की सख़्ती के मुम्किना नुक़्सानात पर ग़ौर कीजिये ।** चन्द नुक़्सानात येह हैं : दिल की सख़्ती अ़मल को ज़ाएअ़ कर देने का सबब है। सख़्त दिली से बे रह़्मी का अन्देशा है। सख़्त दिल लोग **अल्लाह** करीम और उस के ह़बीब صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم को ना पसन्द हैं ।

❀ **नर्म दिली के फ़वाइद पर ग़ौर कीजिये ।** चन्द फ़वाइद येह हैं : नर्म दिल शख़्स रह़्म दिल होता है, सब पर रह़्म करता है, नर्म दिल लोग **अल्लाह** पाक और उस के ह़बीब صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم को पसन्द हैं ।

❀ **भूक से कम खाइये ।** इस से दिल नर्म होता है, पेट भर कर खाने से दिल की सख़्ती पैदा होती है । फ़ुज़ूल गुफ़्तगू से परहेज़ कीजिये । फ़ुज़ूल गोई से दिल में सख़्ती पैदा होती है । गुनाहों के ख़िलाफ़

---

1 ... مجمع الزوائد، کتاب الادب، باب فی الشیخ الجعول والبذیٔ والفاجر، 8/144، حدیث:13027

ए'लाने जंग कर दीजिये। गुनाह ख़्वाह ज़ाहिरी हों या बातिनी, दोनों ही दिल की सख़्ती का सबब हैं।

❀ **यतीम व मिस्कीन की ख़ैर ख़्वाही कीजिये।** इन के साथ ख़ैर ख़्वाही की जाए कि एक शख़्स ने हुज़ूर नबिय्ये करीम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की बारगाह में सख़्त दिली की शिकायत की तो आप صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : अगर तू दिल की नरमी चाहता है तो मिस्कीन को खाना खिला और यतीम के सर पर हाथ फेर।

❀ **मौत को कसरत से याद कीजिये।** मौत दिल की नरमी का बेहतरीन नुस्ख़ा है। चुनान्चे एक औ़रत ने उम्मुल मुअमिनीन ह़ज़रते सय्यिदतुना आ़इशा सिद्दीक़ा رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا से अपने दिल की सख़्ती के बारे में शिकायत की तो उन्हों ने फ़रमाया : "मौत को ज़ियादा याद करो इस से तुम्हारा दिल नर्म हो जाएगा।" उस औ़रत ने ऐसा ही किया तो दिल की सख़्ती जाती रही, फिर उस ने उम्मुल मुअमिनीन ह़ज़रते सय्यिदतुना आ़इशा सिद्दीक़ा رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا का शुक्रिय्या अदा किया।

❀ **ज़ियारते क़ुबूर कीजिये।** ज़ियारते क़ुबूर दिल की सख़्ती का एक बेहतरीन इ़लाज और दिल की नरमी में बहुत मुआ़विन है। **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : मैं तुम्हें क़ब्रों की ज़ियारत से मन्अ़ किया करता था, अब तुम क़ब्रों की ज़ियारत किया करो क्यूं कि ज़ियारते क़ुबूर दिल की नरमी, अश्कबारी (रोने का सबब) और आख़िरत की याद दिलाने वाली है।

❀ **अल्लाह वालों की सोह़बत इख़्तियार कीजिये।** ह़कीमुल उम्मत मुफ़्ती अह़मद यार ख़ान नई़मी رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : जैसे लोहा नर्म हो कर औज़ार और सोना नर्म हो कर ज़ेवर और मिट्टी नर्म हो कर खेत या बाग़, आटा नर्म हो कर रोटी वग़ैरा बनते हैं ऐसे ही इन्सान दिल का नर्म हो कर वली, सूफ़ी, आ़रिफ़ वग़ैरा बनता है। दिल की नरमी **अल्लाह** की बड़ी ने'मत है, येह नर्मदिली बुज़ुर्गों की सोह़बत और उन के पाक कलिमात से नसीब होती है।

सबक़ नम्बर 22 — ज़ोह्द का बयान

क़ुरआन में ज़ोह्द की अहम्मिय्यत

अल्लाह पाक क़ारून का वाक़िआ़ बयान करते हुए इर्शाद फ़रमाता है :

فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ فِیْ زِیْنَتِهٖؕ قَالَ الَّذِیْنَ یُرِیْدُوْنَ الْحَیٰوةَ الدُّنْیَا یٰلَیْتَ لَنَا مِثْلَ مَاۤ اُوْتِیَ قَارُوْنُۙ اِنَّهٗ لَذُوْ حَظٍّ عَظِیْمٍ(۷۹) وَ قَالَ الَّذِیْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَیْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَیْرٌ لِّمَنْ اٰمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًاۚ وَ لَا یُلَقّٰىهَاۤ اِلَّا الصّٰبِرُوْنَ(۸۰) (پ20، القصص:79-80)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : तो अपनी क़ौम पर निकला अपनी आराइश में, बोले वोह जो दुन्या की ज़िन्दगी चाहते हैं किसी त़रह़ हम को भी ऐसा मिलता जैसा क़ारून को मिला बेशक उस का बड़ा नसीब है, और बोले वोह जिन्हें इ़ल्म दिया गया ख़राबी हो तुम्हारी **अल्लाह** का सवाब बेहतर है उस के लिये जो ईमान लाए और अच्छे काम करे और येह उन्हीं को मिलता है जो सब्र वाले हैं।

ह़दीस में ज़ोह्द की अहम्मिय्यत

एक सह़ाबी رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ कहते हैं कि हम ने बारगाहे रिसालत में अ़र्ज़ की : **या रसूलल्लाह !** लोगों में सब से बेहतर शख़्स कौन है ? इर्शाद फ़रमाया : हर वोह मोमिन जो दिल का साफ़ और ज़बान का सच्चा हो । अ़र्ज़ की गई : साफ़ दिल वाले से क्या मुराद है ? इर्शाद फ़रमाया : वोह मुत्तक़ी और मुख़्लिस शख़्स जिस के दिल में ख़ियानत, धोका, बग़ावत और ह़सद न हो । फिर अ़र्ज़ की गई : ऐसे शख़्स के बा'द कौन अफ़्ज़ल है ? इर्शाद फ़रमाया : वोह शख़्स जो दुन्या से नफ़्रत और आख़िरत से मह़ब्बत करने वाला हो ।[1]

ज़ोह्द की ता'रीफ़

दुन्या को तर्क कर के आख़िरत की त़रफ़ माइल होने या ग़ैरुल्लाह को छोड़ कर **अल्लाह** करीम की त़रफ़ मुतवज्जेह होने का नाम ज़ोह्द है । और ऐसा करने वाले को ज़ाहिद कहते हैं । ज़ोह्द की मुकम्मल और जामेअ़ ता'रीफ़ ह़ज़रते सय्यिदुना अबू सुलैमान दारानी رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ का क़ौल है, आप फ़रमाते हैं : ज़ोह्द येह है कि बन्दा हर उस चीज़ को तर्क कर दे जो उसे **अल्लाह** पाक से दूर करे ।

ज़ोह्द का हुक्म

ज़ोह्द नजात दिलाने और जन्नत में ले जाने वाला अ़मल है ।

ज़ोह्द की अक़्साम

ह़ज़रते इब्राहीम बिन अदहम رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ फ़रमाते हैं : अह़काम के ए'तिबार से ज़ोह्द की तीन अक़्साम हैं : (1) फ़र्ज़ कि बन्दा अपने आप को ह़राम चीज़ों से बचाए । (2) नफ़्ल कि बन्दा अपने आप को ह़लाल चीज़ों से भी बचाए । (3) एह़तियात़ कि बन्दा शुबुहात से अपने आप को बचाए ।

ज़ोह्द के दरजात

ज़ोह्द के तीन दरजात हैं :

1 ... شعب الایمان للبیہقی، باب فی حفظ اللسان، 4/205، حدیث:4800

जो शख़्स **अल्लाह** पाक के सिवा हर चीज़ यहां तक कि जन्नतुल फ़िरदौस से भी बे रग़बती इख़्तियार करे । सिर्फ़ **अल्लाह** से महब्बत करे वोह ज़ाहिदे मुत्लक़ है जो कि ज़ोह्द का आ'ला तरीन दरजा है ।

जो शख़्स तमाम दुन्यवी लज़्ज़ात से बे रग़बत हो लेकिन उख़्रवी ने'मतों मसलन जन्नती हूरों, मह़ल्लात व बाग़ात, नहरों और फलों वग़ैरा की लालच करे वोह भी ज़ाहिद है लेकिन इस का मर्तबा ज़ाहिदे मुत्लक़ से कम है ।

जो शख़्स दुन्यवी लज़्ज़ात में से बा'ज़ को तर्क करे और बा'ज़ को नहीं । मसलन मालो दौलत को तर्क करे, मर्तबे और शोहरत को नहीं या खाने पीने में वुस्अ़त को तर्क कर दे ज़ीनतो आराइश को नहीं, इस को मुत्लक़न ज़ाहिद नहीं कहा जा सकता । ज़ाहिदीन में ऐसे शख़्स का वोही मर्तबा है जैसे तौबा करने वालों में उस शख़्स का जो बा'ज़ गुनाहों से तौबा करे और बा'ज़ से न करे ।

ज़ोह्द इख़्तियार करने के त़रीक़े

❀ ज़ोह्द के फ़ज़ाइलो फ़वाइद पर ग़ौर कीजिये । ज़ोह्द से मुतअ़ल्लिक़ अक़्वाले बुज़ुर्गाने दीन पर ग़ौर कीजिये । ज़ोह्द से मुतअ़ल्लिक़ बुज़ुर्गाने दीन के अह़वाल का मुत़ालआ़ कीजिये ।

❀ दुन्या को आख़िरत पर तरजीह़ देने के नुक़्सानात पर ग़ौर कीजिये । **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : जिस ने दुन्या को आख़िरत पर तरजीह़ दी **अल्लाह** करीम उसे तीन बातों में मुब्तला फ़रमा देगा : (1) ऐसा ग़म जो कभी उस के दिल से जुदा न होगा । (2) ऐसा फ़क़्र जिस से कभी नजात न मिलेगी और (3) ऐसी लालच जो कभी ख़त्म न होगी ।

सबक़ नम्बर 23 — महब्बते इलाही का बयान

मह़ब्बते इलाही की अहम्मिय्यत

अल्लाह करीम क़ुरआने पाक में इर्शाद फ़रमाता है :

وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْۤا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ؕ (پ2،البقرۃ:165)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और ईमान वालों को **अल्लाह** के बराबर किसी की मह़ब्बत नहीं ।

मह़ब्बते इलाही के तक़ाज़े

अल्लाह के मक़्बूल बन्दे तमाम मख़्लूक़ात से बढ़ कर **अल्लाह** से मह़ब्बत करते हैं । मह़ब्बते

इलाही में जीना और महब्बते इलाही में मरना उन की ह़क़ीक़ी ज़िन्दगी होता है। अपनी ख़ुशी पर अपने रब की रिज़ा को तरजीह़ देना, नर्मो गुदाज़ बिस्तरों को छोड़ कर बारगाहे नियाज़ में सर ब सुजूद होना, यादे इलाही में रोना, रिज़ाए इलाही के ह़ुसूल के लिये तड़पना, सर्दियों की त़वील रातों में क़ियाम और गर्मियों के लम्बे दिनों में रोज़े, **अल्लाह** पाक के लिये महब्बत करना, उसी की ख़ातिर दुश्मनी रखना, उसी की ख़ातिर किसी को कुछ देना और उसी की ख़ातिर किसी से रोक लेना, ने'मत पर शुक्र, मुसीबत में सब्र, हर ह़ाल में ख़ुदा पर तवक्कुल, अपने हर मुआ़मले को **अल्लाह** के सिपुर्द कर देना, अह़कामे इलाही पर अ़मल के लिये हमा वक़्त तय्यार रहना, दिल को ग़ैर की महब्बत से पाक रखना, **अल्लाह** के मह़बूबों से मह़ब्बत और **अल्लाह** के दुश्मनों से नफ़रत करना, **अल्लाह** पाक के प्यारों का नियाज़ मन्द रहना, **अल्लाह** पाक के सब से प्यारे रसूल व मह़बूब صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم को दिलो जान से मह़बूब रखना, **अल्लाह** करीम के कलाम की तिलावत, **अल्लाह** पाक के मुक़र्रब बन्दों को अपने दिलों के क़रीब रखना, उन से मह़ब्बत रखना, मह़ब्बते इलाही में इज़ाफ़े के लिये उन की सोह़बत इख़्तियार करना, **अल्लाह** पाक की ता'ज़ीम समझते हुए उन की ता'ज़ीम करना, येह तमाम उमूर और इन के इ़लावा सेंकड़ों काम ऐसे हैं जो मह़ब्बते इलाही की दलील भी हैं और इस के तक़ाज़े भी हैं।[1]

मह़ब्बते इलाही की अहम्मिय्यत पर फ़रमाने मुस्त़फ़ा

ह़ज़रते अबू रज़ीन उ़क़ैली رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ने बारगाहे रिसालत में अ़र्ज़ की : **या रसूलल्लाह !** ईमान क्या है ? इर्शाद फ़रमाया : ईमान येह है कि **अल्लाह** करीम और उस का रसूल तुम्हारे नज़्दीक सब से ज़ियादा मह़बूब हों।[2]

मह़ब्बते इलाही की ता'रीफ़

त़बीअ़त का किसी लज़ीज़ शै की त़रफ़ माइल हो जाना मह़ब्बत कहलाता है और मह़ब्बते इलाही से मुराद **अल्लाह** पाक का क़ुर्ब और उस की ता'ज़ीम है।

ता'रीफ़ की वज़ाह़त

ह़ज़रते दाता गन्ज बख़्श अ़ली बिन उ़स्मान हिजवेरी رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه मह़ब्बते इलाही की वज़ाह़त करते हुए फ़रमाते हैं : बन्दे की **अल्लाह** पाक से मह़ब्बत वोह एक सिफ़त है जो फ़रमां बरदार मोमिन के दिल में ज़ाहिर होती है जिस का मा'ना ता'ज़ीमो तक्रीम भी है यहां तक कि बन्दा मह़बूब की रिज़ा

1... तफ़्सीरे सिरात़ुल जिनान, पारह : 2, अल बक़रह, तह़तल आयह : 165, 1/264

2...مسند احمد، مسند المدنيين، 5/470، حديث:16194

तृलब करने में लगा रहता है और उस के दीदार की तृलब में बे ख़बर हो कर उस की कुर्बत की आरज़ू में बेचैन हो जाता है और उसे उस के बिगै़र चैनो क़रार हासिल ही नहीं होता। उस की आदत अपने महबूब के ज़िक्र के साथ हो जाती है और वोह बन्दा गै़र के ज़िक्र से दूर और मुतनफ़्फ़िर रहता है। वोह तमाम तृब्ई रग़बतों व ख़्वाहिशों से जुदा हो कर अपनी ख़्वाहिशात से कनारा कश हो जाता है, वोह गलबए महब्बत के साथ मुतवज्जेह होता है और ख़ुदा के हुक्म के आगे सर झुका देता है और उसे कमाल औसाफ़ के साथ पहचानने लगता है।

महब्बते इलाही का हुक्म

इमाम मुहम्मद बिन मुहम्मद ग़ज़ाली رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ फ़रमाते हैं : उम्मत का इस बात पर इज्माअ़ है कि **अल्लाह** पाक और उस के रसूल से महब्बत करना फ़र्ज़ है।

महब्बते इलाही पैदा करने के तरीक़े

❀ इन्सान देखे कि उस का कमाल व बक़ा महज़ **अल्लाह** करीम की तरफ़ से है। वोही ज़ात उस को अ़दम से वुजूद में लाने वाली, उस को बाक़ी रखने वाली और उस के वुजूद में सिफ़ाते कमाल, उन के अस्बाब और उन के इस्ति'माल की हिदायत पैदा कर के उसे कामिल करने वाली है तो ऐसी ज़ात से ज़रूर महब्बत रखनी चाहिये।

❀ जिस तरह **अल्लाह** करीम को पहचानने का हक़ है अगर बन्दा उस तरह उसे पहचाने तो ज़रूर जान जाएगा कि उस पर एहसान करने वाला सिर्फ़ **अल्लाह** करीम ही है और मोहसिन से महब्बत फ़ित्री होती है लिहाज़ा **अल्लाह** करीम से महब्बत रखनी चाहिये।

❀ **अल्लाह** पाक जमील है जैसा कि हदीसे पाक में है : ''اِنَّ اللہَ جَمِیْلٌ یُحِبُّ الْجَمَال या'नी **अल्लाह** जमील है और जमाल को पसन्द करता है।''[1] और जमाल वाले से महब्बत फ़ित्री और जबिल्ली है लिहाज़ा **अल्लाह** पाक से महब्बत का येह भी एक सबब है।

❀ **अल्लाह** पाक की ने'मतों में गौ़र कीजिये। इन्सान देखे कि **अल्लाह** पाक जो मुन्इमे हक़ीक़ी है तमाम ने'मतें उसी की तरफ़ से हैं और वोह हर मख़्लूक़ को अपनी ने'मतों से नवाज़ रहा है। येह एहसास इन्सान के अन्दर मुन्इमे हक़ीक़ी की महब्बत का जज़्बा पैदा करता है।

❀ **अल्लाह** पाक के अ़द्ल और फ़ज़्लो रहमत में गौ़र कीजिये। इन्सान गौ़र करे तो उसे अ़द्लो इन्साफ़ में सब से बढ़ कर ज़ात **अल्लाह** करीम ही की दिखाई देगी और वोह येह भी देखेगा कि काफ़िरों और

1 ... مسلم، کتاب الایمان، باب تحریم الکبر وبیانہ، ص61، حدیث:265

गुनाहगारों पर भी उस की रहमत जारी है बा वुजूद येह कि वोह उस की ना फ़रमानी और सरकशी करते हुए दिखाई देते हैं। येह ग़ौरो फ़िक्र इन्सान को **अल्लाह** पाक से महब्बत पर उभारेगा।

सबक़ नम्बर 24 खल्वत नशीनी का बयान

कुरआन में ख़ल्वत नशीनी की अहम्मिय्यत

अल्लाह पाक कुरआने मजीद में इर्शाद फ़रमाता है :

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا ؕ (پ29،المزمل:8)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और अपने रब का नाम याद करो और सब से टूट कर उसी के हो रहो।

आयत की तफ़्सीर

मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद नईमुद्दीन मुरादआबादी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : या'नी इबादत में इन्क़िताअ़ की सिफ़त हो कि दिल **अल्लाह** पाक के सिवा और किसी त़रफ़ मश्ग़ूल न हो, सब अ़लाक़ा (तअ़ल्लुक़ात) क़त्अ़ (ख़त्म) हो जाएं, उसी की त़रफ़ तवज्जोह रहे।[1]

ख़ल्वत नशीनी नजात का ज़रीआ़

ह़ज़रते उ़क़्बा बिन आ़मिर رَضِیَ اللهُ عَنْه कहते हैं कि मैं ने **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم से अ़र्ज़ की : नजात का ज़रीआ़ क्या है ? इर्शाद फ़रमाया : अपनी ज़बान को क़ाबू में रखो और तुम को तुम्हारा घर काफ़ी रहे और अपनी ख़त़ाओं पर रोओ।[2]

ख़ल्वत नशीनी की ता'रीफ़

बन्दे का **अल्लाह** पाक की रिज़ा ह़ासिल करने, तक़्वा व परहेज़ गारी के दरजात में तरक़्क़ी करने और गुनाहों से बचने के लिये अपने घर या किसी मख़्सूस मक़ाम पर लोगों की नज़रों से पोशीदा हो कर इस त़रह़ मो'तदिल अन्दाज़ में नफ़्ली इबादत करना ख़ल्वत व गोशा नशीनी कहलाता है कि हुक़ूक़ुल्लाह

1...तफ़्सीरे ख़ज़ाइनुल इरफ़ान, पारह : 29, अल मुज़्ज़म्मिल, तह़तल आयह : 8

2...ترمذی،کتاب الزہد،باب ماجاء فی حفظ اللسان،4/182،حدیث:2414

(या'नी फ़राइज़ो वाजिबात व सुनने मुअक्कदा) और शरीअ़त की त़रफ़ से उस पर लाज़िम किये गए तमाम हुक़ूक़ की अदाएगी, वालिदैन, घर वालों, आल औलाद व दीगर हुक़ूक़ुल इ़बाद (बन्दों के हुक़ूक़) की अदाएगी में कोई कोताही न हो।

जब कि सूफ़ियाए किराम رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام के नज़्दीक लोगों में ज़ाहिरी त़ौर पर रहते हुए बात़िनी त़ौर पर उन से जुदा रहना या'नी ख़ुद को रब्बे करीम की त़रफ़ मुतवज्जेह रखना ख़ल्वत व गोशा नशीनी है।

ख़ल्वत नशीनी का हुक्म

मुत़लक़न ख़ल्वत रिज़ाए इलाही पाने, ख़ुद को नेकियों में लगाने, गुनाहों से बचाने और जन्नत में ले जाने वाला काम है।

चन्द अह़काम

❀ ऐसा आ़लिमे दीन जिस से लोग इ़ल्मे दीन ह़ासिल करते हों और अगर येह ख़ल्वत इख़्तियार कर ले तो लोग शर्ई मसाइल से मह़रूम हो कर गुमराही में जा पड़ेंगे तो ऐसे आ़लिम के लिये कुल्लिय्यतन ख़ल्वत इख़्तियार करना ना जाइज़ व मम्नूअ़ है अलबत्ता ऐसा साह़िबे इ़ल्म शख़्स जिस के पास अपनी ज़रूरत का इ़ल्म मौजूद है और उस के ख़ल्वत इख़्तियार करने से लोगों का भी कोई नुक़्सान नहीं तो ऐसे शख़्स के लिये ख़ल्वत इख़्तियार करना जाइज़ है।

❀ ऐसा शख़्स जो ज़रूरिय्याते दीन (फ़राइज़ो वाजिबात व सुनने मुअक्कदा) से ना वाक़िफ़ हो, अगर इ़ल्म ह़ासिल न करेगा तो नफ़्सो शैत़ान के बहकावे में आ कर गुमराही के गढ़े में गिर जाएगा ऐसे शख़्स के लिये ख़ल्वत इख़्तियार करना शरअ़न ना जाइज़ व ह़राम है बल्कि उस पर लाज़िम है कि फ़र्ज़ उ़लूम को ह़ासिल करे।

❀ अगर ख़ल्वत इख़्तियार करने में किसी भी त़रह़ हुक़ूक़ुल्लाह या हुक़ूक़ुल इ़बाद की तलफ़ी होती हो तो ऐसी ख़ल्वत इख़्तियार करना शरअ़न ना जाइज़ व ह़राम है। मसलन कोई शख़्स घर के एक कोने में बैठ कर इस त़रह़ ज़िक्रो अज़्कार व इ़बादत वग़ैरा में मसरूफ़ हो जाए कि जमाअ़त भी तर्क कर दे, जुमुआ़ व ई़दैन में भी सुस्ती हो जाए, कस्बे ह़लाल तर्क कर दे और उसे या उस के घर वालों को इस ख़ल्वत की वज्ह से दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़े तो ऐसी ख़ल्वत ना जाइज़ व ह़राम है।

ख़ल्वत इख़्तियार करने का ज़ेह्न बनाने के त़रीक़े

❀ ख़ल्वत से मुतअ़ल्लिक़ बुज़ुर्गाने दीन के अक़्वाल का मुत़ालआ़ कीजिये। ❀ आदाबे ख़ल्वत की मा'लूमात ह़ासिल कीजिये। ❀ ख़ल्वत से मुतअ़ल्लिक़ बुज़ुर्गाने दीन के अक़्वाल व वाक़िआ़त का

मुत़ालआ़ कीजिये। ❀ बुरे लोगों की सोह़बत के नुक़्सानात पर ग़ौर कीजिये। ❀ ख़ल्वत के दीनी व दुन्यवी फ़वाइद पेशे नज़र रखिये।

सबक़ नम्बर 25 मौत को याद करने का बयान

क़ुरआन में मौत का ज़िक्र

अल्लाह पाक क़ुरआने मजीद में इर्शाद फ़रमाता है :

كُلُّ نَفْسٍ ذَآىِٕقَةُ الْمَوْتِ (پ17،الانبیاء:35)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : हर जान को मौत का मज़ा चखना है।

ह़दीस में मौत का ज़िक्र

रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : लज़्ज़तों को ख़त्म करने वाली (मौत) को ज़ियादा याद किया करो।(1) या'नी मौत को याद कर के लज़्ज़तों को बद मज़ा कर दो ताकि उन की त़रफ़ त़बीअ़त माइल न हो और तुम यक्सूई के साथ **अल्लाह** पाक की त़रफ़ मुतवज्जेह हो जाओ।(2)

मौत को याद करने का हुक्म

इमाम मुह़म्मद ग़ज़ाली رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ फ़रमाते हैं : हर ह़ाल में मौत को याद करने में सवाब और फ़ज़ीलत है और येह सवाब और फ़ज़ीलत दुन्या में मगन शख़्स भी मौत को याद कर के पा सकता है इस त़रह़ कि दुन्या से अलग थलग रहे ताकि दुन्यावी ने'मतों में दिलचस्पी न रहे और लज़्ज़तें बद मज़ा हो जाएं क्यूं कि हर वोह लज़्ज़त व ख़्वाहिश जो इन्सान के लिये बद मज़ा हो वोह अस्बाबे नजात में से है।(3)

मौत को याद करने का ज़ेह्न बनाने के त़रीक़े

❀ मौत से मुतअ़ल्लिक़ रिवायात का मुत़ालआ़ कीजिये। ❀ मौत से मुतअ़ल्लिक़ अक़्वाले बुज़ुर्गाने दीन का मुत़ालआ़ कीजिये। ❀ जनाज़ों में शिर्कत कीजिये। ❀ क़ब्रिस्तान जाने की आ़दत बनाइये। ❀ मौत से मुतअ़ल्लिक़ कुतुबो रसाइल का मुत़ालआ़ कीजिये। ❀ इ़ब्रत नाक वाक़िआ़त का मुत़ालआ़ या मुशाहदा कीजिये। ❀ मौत के बा'द पेश आने वाले ह़ालात पर मुश्तमिल कुतुब का मुत़ालआ़ कीजिये। ❀ दुन्या से चले जाने वाले लोगों के अह़वाल को याद कीजिये।

1 ...ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب ذکر الموت والاستعداد، 4/495، حدیث:4258
2 ...احیاء العلوم، 5/477
3 ...احیاء العلوم، 5/477

छटा बाब

मोहलिकात
(हलाक करने वाली चीज़ों)
का बयान

इस बाब में आप पढ़ेंगे

1... ह़सद करने के अस्बाब

2... बद गुमानी से बचने के त़रीक़े

3... क़ुरआन में मायूसी की मज़म्मत

4... क़ुरआने करीम में झूट की मज़म्मत

5... गाली देने के अस्बाब

6... क़ुरआन में ग़ुस्सा पीने की फ़ज़ीलत

सबक़ नम्बर 1

ह़सद का बयान

कुरआन में ह़सद की मज़म्मत

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ
(پ5،النساء:32)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और उस की आरज़ू न करो जिस से **अल्लाह** ने तुम में एक को दूसरे पर बड़ाई दी।

आयत की तफ़्सीर

जब एक इन्सान दूसरे के पास कोई ऐसी ने'मत देखता है जो उस के पास नहीं तो उस का दिल तश्वीश में मुब्तला हो जाता है ऐसी सूरत में उस की ह़ालत दो त़रह़ की होती है : (1) वोह इन्सान येह तमन्ना करता है कि येह ने'मत दूसरे से छिन जाए और मुझे ह़ासिल हो जाए। येह ह़सद है और ह़सद मज़्मूम और ह़राम है। (2) दूसरे से ने'मत छिन जाने की तमन्ना न हो बल्कि येह आरज़ू हो कि उस जैसी मुझे भी मिल जाए, इसे ग़िब्त़ा कहते हैं येह मज़्मूम नहीं।[1]

ह़दीस में ह़सद का ज़िक्र

रसूलुल्लाह صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : ह़सद से बचो ! बेशक ह़सद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खाती है।[2]

ह़सद की ता'रीफ़

किसी की दीनी या दुन्यावी ने'मत के ज़वाल (या'नी छिन जाने) की तमन्ना करना या येह ख़्वाहिश करना कि फ़ुलां शख़्स को येह ने'मत न मिले, ह़सद कहलाता है।[3] ह़सद करने वाले को ह़ासिद और जिस से ह़सद किया जाए उसे मह़सूद कहते हैं।

ह़सद का हुक्म

ह़सद ह़राम है।[4] अगर ग़ैर इख़्तियारी त़ौर पर दिल में किसी के बारे में ह़सद आया और येह

1... तफ़्सीरे सिरातुल जिनान, पारह : 5, अन्निसाअ, तह़तल आयह : 32, 2/191

2... ابوداود، کتاب الادب، باب فی الحسد، 4/360، حدیث:4903

3... الحدیقۃ الندیۃ، الباب الثانی، الخلق الخامس عشر الحسد، المبحث الاول، 1/600، ملتقطا

4... फ़तावा रज़विय्या, 13/648

उस को बुरा जानता है तो इस पर गुनाह नहीं (जब तक कि आ'ज़ा से उस का असर ज़ाहिर न हो) ।[1]

ह़सद की मिसालें

❀ किसी को माली तौर पर ख़ुशहाल देख कर येह तमन्ना करना कि उस से येह ने'मत छिन कर मुझे मिल जाए। ❀ ख़ुश इल्हान (ख़ूब सूरत आवाज़ वाले) ना'त ख़्वान के बारे में येह ख़्वाहिश करना कि इस की आवाज़ ख़राब हो जाए। ❀ एक शख़्स दीनी या दुन्यवी ए'तिबार से किसी मन्सब पर फ़ाइज़ है उस के बारे में तमन्ना करना कि येह मक़ामो मर्तबा उस से छिन जाए।

ह़सद करने के अस्बाब

एक इन्सान दूसरे इन्सान से दर्जे ज़ैल अस्बाब की वज्ह से ह़सद करता है :

(1) बुग़्ज़ो कीना (2) ख़ुद पर दूसरे की बरतरी बरदाश्त न करना (3) तकब्बुर (4) एह़सासे कमतरी (5) हुब्बे जाह।

ह़सद से बचने के त़रीक़े

ह़सद से बचने के त़रीक़े दर्जे ज़ैल हैं :

❀ ज़ियादा त़लबी की ह़िर्स ख़त्म कीजिये और जो मिला जितना मिला उस पर **अल्लाह** पाक का शुक्र अदा करते हुए क़नाअ़त इख़्तियार कीजिये।

❀ दूसरों की ने'मतों के बारे में ज़ियादा सोचना छोड़ दीजिये क्यूं कि अपने से ज़ियादा ने'मतों वाले के बारे में सोचते रहने से अक्सर एह़सासे कमतरी पैदा होता है जिस से ह़सद जन्म लेता है।

❀ ह़सद के नताइज पर ग़ौर कीजिये कि ह़सद करने वाला आदमी सुकून में नहीं रहता, दूसरों से ने'मत छिन जाने की ख़्वाहिश इसे हमेशा बे सुकून रखती है और येह ख़ुद को जहन्नम के दर्दनाक अ़ज़ाब का ह़क़दार बनाता है।

❀ ख़ुद आगे बढ़ कर सलाम और मुसाफ़ह़ा करने की आ़दत अपनाइये, اِنْ شَآءَاللّٰه इस की बरकत से दिल से बुग़्ज़ो कीना दूर होगा और मह़ब्बत बढ़ेगी और ह़सद का मरज़ भी ख़त्म होगा।

❀ मौत को कसरत से याद कीजिये। ह़ज़रते अबू दरदा رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ से रिवायत है कि जो मौत को कसरत के साथ याद करे उस के ह़सद और ख़ुशी में कमी आ जाएगी।[2]

1 ... الحدیقۃ الندیۃ، الباب الثانی، الخلق الخامس عشر الحسد، المبحث الاول، 1/601، بتغیر قلیل

2 ... مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب الزھد، کلام ابی الدرداء، 19/178، حدیث:35725

सबक़ नम्बर 2

रियाकारी का बयान

क़ुरआन में रियाकारी का ज़िक्र

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّ لَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖۤ اَحَدًا۠ (پ16،الکہف:110)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : तो जिसे अपने रब से मिलने की उम्मीद हो उसे चाहिये कि नेक काम करे और अपने रब की बन्दगी में किसी को शरीक न करे ।

आयत की तफ़्सीर

या'नी तुम्हारा मा'बूद एक ही मा'बूद है उस का कोई शरीक नहीं तो जो अपने रब से मुलाक़ात की उम्मीद रखता हो उसे चाहिये कि नेक काम करे और अपने रब की इबादत में किसी को शरीक न करे । शिर्के अक्बर से भी बचे और रिया से भी जिस को शिर्के असग़र कहते हैं ।[1]

ह़दीस में रियाकारी का ज़िक्र

रसूलुल्लाह صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : बेशक जहन्नम में एक वादी है जिस से जहन्नम रोज़ाना 400 मरतबा पनाह मांगता है, येह वादी उम्मते मुह़म्मदिय्यह के उन रियाकारों के लिये तय्यार की गई है जो क़ुरआने पाक के ह़ाफ़िज़, ग़ैरुल्लाह के लिये सदक़ा करने वाले, **अल्लाह** पाक के घर के ह़ाजी और राहे ख़ुदा में निकलने वाले होंगे ।[2]

रियाकारी की ता'रीफ़

अल्लाह पाक की रिज़ा के इ़लावा किसी और इरादे से इ़बादत करना रियाकारी कहलाता है ।[3]

रियाकारी की मिसालें

❀ इ़ल्मे दीन इस लिये ह़ासिल करना कि इस के ज़रीए़ दुन्या का माल कमाए या लोगों में इस की वाह वाह हो । ❀ नमाज़ इस लिये पढ़ना कि लोग इसे नेक नमाज़ी समझें । ❀ ह़ज इस लिये करना कि लोग इसे ह़ाजी साह़िब कह कर पुकारें । ❀ सख़ी मश्हूर होने के लिये सदक़ा व ख़ैरात करना वग़ैरा ।

1... तफ़्सीरे सिरातुल जिनान, पारह : 16, अल कह्फ़, तह़तल आयह : 110, 6/55

2... معجم کبیر، 12/175، حدیث:12803

3... الزواجر، الکبیرۃ الثانیۃ الشرک الاصغر، 1/86

रियाकारी का हुक्म

❀ रियाकारी ह़राम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है।[1]

चन्द अह़काम

❀ रिया की वज्ह से इ़बादत का सवाब नहीं मिलता बल्कि गुनाह होता है और येह शख़्स (या'नी रियाकारी करने वाला) मुस्तह़िक़्क़े अ़ज़ाब होता है।[2] ❀ रिया से इ़बादत ना जाइज़ नहीं हो जाती (या'नी ऐसा नहीं कि रियाकारी से नमाज़ पढ़ी तो उसे तर्के नमाज़ समझा जाए) बल्कि ना मक़्बूल होने का अन्देशा होता है अगर रियाकार आख़िर में रिया से (सच्ची) तौबा करे तो उस पर रिया की इ़बादत की क़ज़ा वाजिब नहीं बल्कि इस तौबा की बरकत से गुज़श्ता ना मक़्बूल रिया की इ़बादात भी क़बूल हो जाएंगी।[3]

रियाकारी करने के अस्बाब

(1) शोहरत की ख़्वाहिश, (2) मज़म्मत (या'नी लोगों के बुरा कहने) का ख़ौफ़, (3) मालो दौलत की ह़िर्स।[4]

रियाकारी से बचने के त़रीक़े

रियाकारी से बचने के त़रीक़े दर्जे ज़ैल हैं :

❀ तन्हाई हो या हुजूम यक्सां अ़मल कीजिये। मसलन जिस त़रह़ ख़ुशूओ ख़ुज़ूअ़ के साथ लोगों के सामने नमाज़ पढ़ते हैं तन्हाई में भी उस अन्दाज़ को क़ाइम रखिये।

❀ अपनी नेकियों को भी इस त़रह़ छुपाइये जिस त़रह़ अपने गुनाहों को छुपाते हैं बिल ख़ुसूस पोशीदा नेकी करने के बा'द नफ़्स की ख़ूब निगरानी कीजिये क्यूं कि हो सकता है नफ़्स में उस इ़बादत को ज़ाहिर करने की ह़िर्स जोश मारे और यूं रियाकारी में मुब्तला कर दे।

1... الزواجر،الکبیرۃ الثانیۃ الشرک الاصغر، 1/76

2... बहारे शरीअ़त, 3/629, ह़िस्सा : 16

3... मिरआतुल मनाजीह़, 7/127

4... नेकी की दा'वत, स. 87

❀ रियाकारी के ख़ौफ़नाक अ़ज़ाबात का मुतालआ़ कीजिये कि किसी भी मरज़ से बचने और उस का इलाज करने के लिये उस के मोहलिकात या'नी तबाह कारियों का जानना मुफ़ीद होता है ।

❀ अपनी निय्यत की हिफ़ाज़त कीजिये और हर जाइज़ व नेक अ़मल करने से पहले अच्छी अच्छी निय्यतें करने की आ़दत बनाइये ।

❀ वज़ीफ़ा : रोज़ाना येह दुआ़ तीन बार पढ़ लीजिये **अल्लाह** पाक छोटी बड़ी हर त़रह़ की रिया से दूर रखेगा । दुआ़ येह है : ''اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اُشْرِكَ بِكَ وَاَنَا اَعْلَمُ وَاَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا اَعْلَمُ''(1)

सबक़ नम्बर 3 — कीने का बयान

क़ुरआन में कीने का ज़िक्र

وَ نَزَعْنَا مَا فِیْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُۚ وَ قَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ هَدٰىنَا لِهٰذَا۫ وَ مَا كُنَّا لِنَهْتَدِیَ لَوْ لَاۤ اَنْ هَدٰىنَا اللّٰهُۚ (پ8، الاعراف:43)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और हम ने उन के सीनों में से कीने खींच लिये उन के नीचे नहरें बहेंगी और कहेंगे सब ख़ूबियां **अल्लाह** को जिस ने हमें उस की राह दिखाई और हम राह न पाते अगर **अल्लाह** न दिखाता ।

आयत की तफ़्सीर

इस से मा'लूम हुवा कि पाकीज़ा दिल होना जन्नतियों का वस्फ़ है और **अल्लाह** पाक के फ़ज़्ल से उम्मीद है कि जो यहां अपने दिल को बुग़्ज़ो कीना और ह़सद से पाक रखेगा **अल्लाह** पाक क़ियामत के दिन उसे पाकीज़ा दिल वालों या'नी जन्नतियों में दाख़िल फ़रमाएगा । जन्नत में जाने से पहले सब के दिलों को कीने से पाक कर दिया जाएगा ।(2)

ह़दीस में कीने का ज़िक्र

रसूलुल्लाह صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : बेशक चुग़ल ख़ोरी और कीना परवरी जहन्नम में हैं, येह दोनों किसी मुसल्मान के दिल में जम्अ़ नहीं हो सकते ।(3)

1... नेकी की दा'वत, स. 104
2... तफ़्सीरे सिरातुल जिनान, पारह : 8, अल आ'राफ़, तह़तल आयह : 43, 3/319
3... معجم اوسط، 3/301، حدیث: 4653

कीने की ता'रीफ़

इन्सान दिल में किसी को बोझ जाने, उस से दुश्मनी रखे, नफ़रत करे और येह कैफ़िय्यत हमेशा बाक़ी रहे तो इसे कीना कहते हैं।[1]

कीने की अ़लामात और मिसालें

❀ किसी से पहले की त़रह़ ख़ुश मिज़ाजी और नरमी व मेह्रबानी के साथ पेश न आना ❀ उस को सलाम करने और मुलाक़ात करने को दिल न करना ❀ उस को देखने और उस के साथ बात करने को जी न चाहना ❀ उस की ख़ैर ख़्वाही का ख़याल न करना वग़ैरा।

कीने का हुक्म

मुसल्मान से बिला वज्हे शरई़ कीना व बुग़्ज़ रखना ह़राम है।[2] अगर किसी ने ज़ुल्म किया और इस वज्ह से दिल में उस का कीना है तो येह ह़राम नहीं।[3]

कीना पैदा होने के अस्बाब

(1) गुस्सा (2) बद गुमानी (3) जूआ (4) ने'मतों की कसरत (5) लड़ाई झगड़ा।

कीने से बचने के त़रीक़े

❀ सलाम व मुसाफ़ह़ा में पहल करने की आ़दत अपनाइये ! اِنْ شَآءَاللّٰه दिल से बुग़्ज़ो कीने का ख़ातिमा होगा। ❀ बे जा सोचना छोड़ दीजिये। ❀ **अल्लाह** पाक की रिज़ा के लिये मुसल्मानों से मह़ब्बत रखिये। ❀ कीने के शरई़ अह़काम पेशे नज़र रखिये और जहन्नम के अ़ज़ाब से ख़ुद को डराइये।

सबक़ नम्बर 4 — बद गुमानी का बयान

क़ुरआन में बद गुमानी का ज़िक्र

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ٘ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّ لَا تَجَسَّسُوْا

(پ26،الحجرات:12)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : ऐ ईमान वालो बहुत गुमानों से बचो बेशक कोई गुमान गुनाह हो जाता है और ऐ़ब न ढूंडो।

[1]... احیاء العلوم، کتاب ذم الغضب والحقد والحسد، 3/223

[2]... फ़तावा रज़विय्या, 6/526

[3]... الحدیقۃ الندیۃ، الخلق السادس عشر، المقالۃ الاولی... الخ، 1/629 ملتقطا

आयत की तफ़्सीर

आयत के इस हिस्से में **अल्लाह** पाक ने अपने मोमिन बन्दों को बहुत ज़ियादा गुमान करने से मन्अ़ फ़रमाया क्यूं कि बा'ज़ गुमान ऐसे हैं जो मह्ज़ गुनाह हैं लिहाज़ा एह्तियात़ का तक़ाज़ा येह है कि गुमान की कसरत से बचा जाए। इमाम फ़ख़्रुद्दीन राज़ी رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : (यहां आयत में गुमान करने से बचने का हुक्म दिया गया) क्यूं कि गुमान एक दूसरे को ऐ़ब लगाने का सबब है, इस पर क़बीह़ अफ़्आ़ल सादिर होने का मदार है और इसी से ख़ुफ़्या दुश्मन ज़ाहिर होता है और कहने वाला जब इन उमूर से यक़ीनी त़ौर पर वाक़िफ़ होगा तो वोह इस बात पर बहुत कम यक़ीन करेगा कि किसी में ऐ़ब है ताकि उसे ऐ़ब लगाए, क्यूं कि कभी फ़े'ल ब ज़ाहिर क़बीह़ होता है लेकिन ह़क़ीक़त में ऐसा नहीं होता। इस लिये कि मुम्किन है करने वाला उसे भूल कर कर रहा हो या देखने वाला ग़लत़ी पर हो।[1]

ह़दीस में बद गुमानी का ज़िक्र

रसूलुल्लाह صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : **अल्लाह** पाक ने मुसल्मान का ख़ून, माल और इस से बद गुमानी (को दूसरे मुसल्मान पर) ह़राम किया है।[2]

बद गुमानी की ता'रीफ़

बिला दलील दूसरे के बुरे होने का दिल से ए'तिक़ादे जाज़िम (या'नी यक़ीन) कर लेना बद गुमानी कहलाता है।[3]

बद गुमानी की मिसालें

❀ ना'त शरीफ़ या सुन्नतों भरा बयान सुन कर किसी को रोता देखा तो उस के बारे में येह ख़याल दिल में जमा लेना (या'नी यक़ीन कर लेना) कि येह लोगों को दिखाने के लिये रो रहा है। ❀ कॉल रिसीव न होने पर बिला वज्ह इस बात का यक़ीन कर लेना कि वोह जान बूझ कर मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहा। ❀ तै़ किये गए वक़्त और मक़ाम पर कोई आदमी नहीं पहुंच पाया तो बिला वज्ह उस के बारे में येह यक़ीन कर लेना कि येह धोकाबाज़ है।

1... तफ़्सीरे सिरातुल जिनान, पारह : 26, अल हुजुरात, तह़्तल आयह : 12, 9/433

2... شعب الایمان، باب فی تحریم اعراض الناس، 5/296، حدیث:2706

3... فیض القدیر، 3/157، تحت الحدیث:2901

बद गुमानी का हुक्म

मुसल्मान पर बद गुमानी ह़राम व कबीरा (गुनाह है)।[1]

चन्द अह़काम

❀ अगर कोई शक में मुब्तला करने वाले बुरे कामों में ए'लानिया त़ौर पर मश्ग़ूल हो जैसे शराब की दुकान में आना जाना तो इस सूरत में बद गुमानी ह़राम नहीं।[2] ❀ याद रहे कि ए'लानिया गुनाह करने वालों से बद गुमानी जाइज़ होने का येह मत़लब नहीं है कि उन की बदगोई करना या ऐब उछालना शुरूअ़ कर दिया जाए बल्कि ऐसी सूरत में रिज़ाए इलाही के लिये सिर्फ़ दिल में उन्हें बुरा समझा जाए।[3]

बद गुमानी पैदा होने के अस्बाब

(1) बुग़्ज़ो कीना (2) तजस्सुस या'नी दूसरों के छुपे ह़ाल की जुस्तजू।

बद गुमानी से बचने के त़रीक़े

❀ अपने मुसल्मान भाइयों की ख़ूबियों पर नज़र रखिये। ❀ अपनी बुराइयों पर नज़र कीजिये और उन्हें दूर करने में लग जाइये। ❀ जब भी दिल में किसी मुसल्मान के बारे में बद गुमानी पैदा हो तो अपनी तवज्जोह उस की त़रफ़ करने के बजाए बद गुमानी के शर्ई अह़काम को पेशे नज़र रखिये और बद गुमानी के अन्जाम पर निगाह रखते हुए ख़ुद को अ़ज़ाबे इलाही से डराइये। ❀ जिस से बद गुमानी हो उस के लिये दुआ़ए ख़ैर कीजिये।

सबक़ नम्बर 5 — तकब्बुर का बयान

क़ुरआन में तकब्बुर का ज़िक्र

لَا جَرَمَ اَنَّ اللّٰهَ یَعْلَمُ مَا یُسِرُّوْنَ وَ مَا یُعْلِنُوْنَؕ اِنَّهٗ لَا یُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِیْنَ۝۲۳ (پ14، النحل:23)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : फ़िल ह़क़ीक़त **अल्लाह** जानता है जो छुपाते और जो ज़ाहिर करते हैं बेशक वोह मग़रूरों को पसन्द नहीं फ़रमाता।

1... फ़तावा रज़विय्या, 8/80

2... تفسیر روح المعانی، پ26، الحجرات، تحت الآیۃ:12، 13/428 ملتقطا

3... الحدیقۃ الندیۃ، الخلق الرابع والعشرون، 2/12، ملخصا

हदीस में तकब्बुर का ज़िक्र

रसूलुल्लाह صَلَّى اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : मुतकब्बिरीन का हश्र क़ियामत के दिन च्यूंटियों के बराबर जिस्मों में होगा और उन की सूरतें आदमियों की होंगी, हर तरफ़ से उन पर ज़िल्लत छाए हुए होगी, उन को खींच कर जहन्नम के क़ैदख़ाने की तरफ़ ले जाया जाएगा, जिस का नाम बूलस है। उन के ऊपर आगों की आग होगी, उन्हें जहन्नमियों का निचोड़ पिलाया जाएगा जिस को तीनतुल ख़बाल कहते हैं।(1)

तकब्बुर की ता'रीफ़

अगर कोई अपने आप को दूसरे से अफ़्ज़ल समझे तो येह तकब्बुर है।(2)

तकब्बुर की मिसालें

❀ अमीर का ग़रीब को घटिया तसव्वुर करना ❀ बड़े ओहदे वाले का छोटे ओहदे वाले को अपने से कमतर जानना ❀ आ'ला हसबो नसब वाले का दूसरों को नीच (घटिया) ख़याल करना ❀ ताक़त वर का कमज़ोर को हक़ीर और अपना ग़ुलाम समझना वग़ैरा।

तकब्बुर का हुक्म

तकब्बुर हराम है और अज़ीम कबीरा गुनाह है।(3)

चन्द अह्काम

❀ **अल्लाह** पाक या किसी नबी عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام के मुक़ाबले में तकब्बुर कुफ़्र है।(4) ❀ कुफ़्फ़ार के मुक़ाबले में तकब्बुर इबादत है।(5)

1... ترمذی، کتاب صفۃ القیامۃ...الخ، باب44، 4/221، حدیث:2500
2... مفردات راغب، کتاب الکاف، ص421
3... फ़तावा रज़विय्या, 23/614
4... मिरआतुल मनाजीह, 6/655
5... मिरआतुल मनाजीह, 2/39

तकब्बुर पैदा होने के अस्बाब

(1) मालो दौलत (2) ओ़हदा व मन्सब (3) इ़ल्म (4) ह़सब नसब (5) हुस्नो जमाल (6) त़ाक़तो कुव्वत (7) ख़ुद पसन्दी (8) बुग़्ज़ो कीना ।

तकब्बुर से बचने के त़रीक़े

❀ अपने ऐ़बों पर नज़र कीजिये। ❀ सलाम व मुसाफ़ह़ा में पहल करने की आ़दत बनाइये। ❀ अपने काम ख़ुद अपने हाथों से कीजिये। ❀ सादगी इख़्तियार कीजिये। ❀ तकब्बुर के ख़ौफ़नाक अ़ज़ाबात का मुत़ालआ़ कीजिये कि किसी भी मरज़ से बचने और उस का इ़लाज करने के लिये उस के मोहलिकात या'नी तबाह कारियों का जानना मुफ़ीद होता है। ❀ मौत को कसरत से याद कीजिये।

सबक़ नम्बर 6 — बद शुगूनी का बयान

कुरआन में बद शुगूनी का ज़िक्र

फ़िरऔ़न और उस के पैरौकारों के मुतअ़ल्लिक़ इर्शादे बारी है :

فَاِذَا جَآءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْا لَنَا هٰذِهٖ ۚ وَ اِنْ تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ یَّطَّیَّرُوْا بِمُوْسٰى وَ مَنْ مَّعَهٗ ؕ اَلَاۤ اِنَّمَا طٰٓىٕرُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ ﴿۱۳۱﴾

(پ9، الاعراف:131)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : तो जब उन्हें भलाई मिलती कहते येह हमारे लिये है और जब बुराई पहुंचती तो मूसा और उस के साथ वालों से बद शुगूनी लेते सुन लो उन के नसीबे (मुक़द्दर) की शामत तो **अल्लाह** के यहां है लेकिन उन में अक्सर को ख़बर नहीं।

आयत की तफ़्सीर

फ़िरऔ़नी कुफ़्र में इस क़दर रासिख़ हो चुके थे कि इन तक्लीफ़ों से भी उन की सरकशी बढ़ती ही रही, जब उन्हें सर सब्ज़ी व शादाबी, फलों, मवेशियों और रिज़्क़ में वुस्अ़त, सिह़ह़त, आफ़ात से आ़फ़ियतो सलामती वग़ैरा भलाई मिलती तो कहते येह तो हमें मिलना ही था क्यूं कि हम इस के अह्ल और इस के मुस्तह़िक़ हैं। येह लोग उस भलाई को न तो **अल्लाह** करीम का फ़ज़्ल जानते और न ही उस के इन्आ़मात पर शुक्र अदा करते। और जब उन्हें क़ह़त़, ख़ुश्क साली, मरज़, तंगी और आफ़त

वग़ैरा कोई बुराई पहुंचती तो उसे ह़ज़रते मूसा عَلَیْہِ السَّلَام और उन के साथियों की नुहूसत क़रार देते और कहते कि येह बलाएं उन की वज्ह से पहुंचीं, अगर येह न होते तो येह मुसीबतें न आतीं ।[1]

ह़दीस में बद शुगूनी का ज़िक्र

रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : अच्छा या बुरा शुगून लेने के लिये परिन्दा उड़ाना, बद शुगूनी लेना और त़ुरक़ (या'नी कंकर फेंक कर या रेत में लकीर खींच कर फ़ाल निकालना) शैत़ानी कामों में से हैं ।[2]

बद शुगूनी की ता'रीफ़

किसी चीज़ (मसलन शख़्स, अ़मल, आवाज़ या वक़्त) से बुरी फ़ाल लेना (या'नी येह समझना कि इस की नुहूसत का किसी के ह़ालात पर बुरा असर पड़ेगा) बद शुगूनी है ।[3]

बद शुगूनी की मिसालें

❀ एक शख़्स सफ़र के इरादे से घर से निकला लेकिन रास्ते में काली बिल्ली रास्ता काट कर गुज़र गई, अब वोह शख़्स येह समझ कर सफ़र से रुक गया कि काली बिल्ली के रास्ता काटने की नुहूसत की वज्ह से मुझे सफ़र में कोई नुक़्सान उठाना पड़ेगा । ❀ दुकान खुलते ही पहला गाहक (Customer) कोई चीज़ ख़रीदे बिग़ैर वापस चला गया तो इस बात से बद शुगूनी लेते हुए येह यक़ीन कर लिया कि आज के दिन मेरी बिकरी (Sale) अच्छी नहीं होगी । ❀ माहे सफ़र को मुसीबतें और आफ़तें उतरने का महीना समझते हुए इस में नया कारोबार शुरूअ़ न करना, घर से बाहर आमदो रफ़्त में कमी कर देना वग़ैरा ।

बद शुगूनी का हुक्म

बद शुगूनी ह़राम[4] और जहन्नम में ले जाने वाला काम है ।

1... तफ़्सीरे सिरात़ुल जिनान, पारह : 9, अल आ'राफ़, तह़्तल आयह : 131, 3/411

2... ابو داود، کتاب الطب، باب فی الخط وزجر الطیر، 4/22، حدیث:3907

3... النھایۃ فی غریب الحدیث والاثر، حرف الطاء، باب الطاء مع الیاء، 3/138

4... الحدیقۃ الندیۃ، الخلق الخامس والعشرون، 2/17

चन्द अह्काम

❀ अगर किसी ने बद शुगूनी का ख़याल दिल में आते ही उसे झटक दिया तो उस पर कुछ इल्ज़ाम नहीं। ❀ लेकिन अगर उस ने बद शुगूनी की तासीर का ए'तिक़ाद रखा और उसी ए'तिक़ाद की बिना पर उस काम से रुक गया तो गुनहगार होगा मसलन किसी चीज़ को मन्हूस समझ कर सफ़र या कारोबार करने से येह सोच कर रुक गया कि अब मुझे नुक़्सान ही होगा तो अब गुनहगार होगा।[1]

बद शुगूनी के अस्बाब

(1) इल्मे दीन से दूरी (2) रस्मो रवाज की पैरवी (3) कुफ़्फ़ार के साथ दोस्ती, मेलजोल, उठना बैठना।

बद शुगूनी से बचने के तरीक़े

❀ इल्मे दीन हासिल कीजिये। (अगर येह बात ज़ेहन में अच्छी तरह बैठ जाए कि हर भलाई, बुराई **अल्लाह** पाक ने अपने इल्मे अज़ली के मुताबिक़ मुक़द्दर फ़रमा दी है, जैसा होने वाला था और जो जैसा करने वाला था, अपने इल्म से जाना और वोही लिख लिया, तो बद शुगूनी दिल में जगह नहीं बना सकेगी क्यूं कि जब भी इन्सान को कोई नुक़्सान पहुंचेगा तो वोह येह ज़ेहन बना लेगा कि येह मेरी तक़्दीर में लिखा था न कि किसी चीज़ की नुहूसत की वज्ह से ऐसा हुवा है)।

❀ दिल में बद शुगूनी आने की वज्ह से काम से न रुकिये।

❀ बद शुगूनी के शरई अह्काम को पेशे नज़र रखिये और ख़ुद को अज़ाबे जहन्नम से डराइये।

सबक़ नम्बर 7

मायूसी का बयान

कुरआन में मायूसी की मज़म्मत

وَلَا تَايْـَٔسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِؕ اِنَّهٗ لَا یَایْـَٔسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿۸۷﴾
(پ13، یوسف:87)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और **अल्लाह** की रह्मत से ना उम्मीद न हो बेशक **अल्लाह** की रह्मत से ना उम्मीद नहीं होते मगर काफ़िर लोग।

आयत की तफ़्सीर

हर मुसल्मान को चाहिये कि किसी हाल में भी **अल्लाह** पाक की रह्मत से मायूस न हो और मसाइबो आलाम में उसी की बारगाह में दस्ते दुआ दराज़ करता रहे क्यूं कि **अल्लाह** करीम ही हक़ीक़ी

1...बद शुगूनी, स. 13

तौर पर मुश्किलात को दूर करने वाला और आसानियां अ़ता फ़रमाने वाला है। **अल्लाह** पाक हमें अपनी रह़मत से मायूस और ना उम्मीद हो जाने से मह़फ़ूज़ फ़रमाए, आमीन।[1]

ह़दीस में मायूसी का ज़िक्र

रसूलुल्लाह صَلَّى اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم से सुवाल किया गया कि कबीरा गुनाह कौन से हैं ? इर्शाद फ़रमाया : "**अल्लाह** पाक के साथ किसी को शरीक करना, उस की रह़मत से मायूस होना और उस की ख़ुफ़्या तदबीर से बे ख़ौफ़ होना और येही सब से बड़ा गुनाह है।"[2]

मायूसी की ता'रीफ़

अल्लाह पाक के फ़ज़्लो रह़मत न मिलने को याद करना और दिल में इस की उम्मीद न रखना मायूसी है।[3]

मायूसी का हुक्म

रह़मते इलाही से मायूसी कबीरा गुनाह[4] और जहन्नम में ले जाने वाला काम है।

चन्द अह़काम

बा'ज़ अवक़ात मुख़्तलिफ़ आफ़ात, दुन्यावी मुआ़मलात या बीमारी के मुआ़लजात व अख़्राजात वग़ैरा के सिल्सिले में आदमी हिम्मत हार कर मायूस हो जाता है इस त़रह़ की मायूसी कुफ़्र नहीं। रह़मत से मायूसी के कुफ़्र होने की सूरतें येह हैं : **अल्लाह** पाक को क़ादिर न समझे या **अल्लाह** पाक को आ़लिम न समझे या **अल्लाह** करीम को बख़ील समझे।[5]

मायूसी के अस्बाब

❀ जहालत ❀ दूसरों की पुर आसाइश ज़िन्दगी पर नज़र रखना (इस से एह़सासे मह़रूमी पैदा होता है जो रह़मते इलाही से मायूसी की त़रफ़ ले जाता है।) ❀ बे सब्री ❀ बुरी सोह़बत (या'नी ऐसे दुन्यादार लोगों की सोह़बत इख़्तियार करना जो ख़ुद मायूसी का शिकार हों।)

1... तफ़्सीरे सिरातुल जिनान, पारह : 13, यूसुफ़, तह़्तल आयह : 87, 5/51

2... الزواجر، مقدمة فی تعریف الکبیرة، 1/22

3... मुख़्तसर मिन्हाजुल आ़बिदीन, स. 156

4... तफ़्सीरे सिरातुल जिनान, पारह : 24, अज़्ज़ुमर, तह़्तल आयह : 53, 8/489 मुलख़्ख़सन

5... कुफ़्रिय्या कलिमात के बारे में सुवाल जवाब, स. 483

❀ सिर्फ़ दुन्यवी मुराआ़त और ख़ुशहा़ली पर नज़र रखना।

मायूसी से बचने के त़रीक़े

❀ क़ुरआनो ह़दीस का इ़ल्म ह़ासिल कीजिये, जहन्नम में ले जाने वाले आ'माल और उन पर मिलने वाले अ़ज़ाबात पर ग़ौरो फ़िक्र कीजिये ताकि दिल में ख़ौफ़े आख़िरत पैदा हो, जन्नत में ले जाने वाले आ'माल और उन पर मिलने वाले अ़ज़ीम अज्रो सवाब पर नज़र रखिये ताकि **अल्लाह** पाक की रह़मते कामिला पर यक़ीन मज़ीद पुख़्ता हो और मायूसी दूर भाग जाए।

❀ दूसरों पर नज़र रखने के बजाए अपने ऊपर **अल्लाह** पाक के बे शुमार एह़सानात और ने'मतों को याद कीजिये और शुक्र अदा कीजिये नीज़ इस बात पर ग़ौर कीजिये कि दुन्या में जिस के पास जितना ज़ियादा माल होगा आख़िरत में उसे उतना ही ज़ियादा ह़िसाब भी देना होगा।

❀ मुसीबतों पर सब्र करने की आ़दत डालिये और इस बात पर ग़ौर कीजिये कि बे सब्री और शिक्वा व शिकायत से मुसीबत दूर नहीं होती बल्कि सब्र के ज़रीए़ हाथ आने वाला सवाब भी ज़ाएअ़ हो जाता है।

❀ तकालीफ़ और मसाइब पर सब्र करने के उख़्रवी इन्आ़मात पर नज़र रखिये। ❀ सुन्नतों के पाबन्द, नेक परहेज़ गार आ़शिक़ाने रसूल की सोह़बत इख़्तियार कीजिये और बुरी सोह़बत से दूर हो जाइये। ❀ बा वुज़ू रहने की आ़दत डालिये और रोज़े रखिये, शैख़े त़रीक़त, अमीरे अहले सुन्नत دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه फ़रमाते हैं : ज़ेहनी दबाव या'नी टेन्शन और मायूसी का एक रूह़ानी इ़लाज वुज़ू और रोज़ा भी है,[1] नीज़ रोज़े से जिस्मानी खिचाव, ज़ेहनी डिप्रेशन और नफ़्सियाती अमराज़ का ख़ातिमा होता है।[2]

सबक़ नम्बर 8

ख़ुद पसन्दी का बयान

क़ुरआन में ख़ुद पसन्दी का ज़िक्र

هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَ اِذْ اَنْتُمْ اَجِنَّةٌ فِیْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ ۚ فَلَا تُزَكُّوْۤا اَنْفُسَكُمْ ؕ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى ۠(۳۲) (پ27، النجم:32)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : वोह तुम्हें ख़ूब जानता है तुम्हें मिट्टी से पैदा किया और जब तुम अपनी माओं के पेट में ह़म्ल थे तो आप अपनी जानों को सुथरा न बताओ वोह ख़ूब जानता है जो परहेज़ गार हैं।

1... ख़ुदकुशी का इ़लाज, स. 64
2... ख़ुदकुशी का इ़लाज, स. 65

आयत की तफ़्सीर

येह आयत उन लोगों के बारे में नाज़िल हुई जो नेकियां करते और अपने अ़मलों की ता'रीफ़ करते थे और कहते थे हमारी नमाज़ें, हमारे रोज़े, हमारे ह़ज। इस पर **अल्लाह** पाक ने इर्शाद फ़रमाया कि ऐ ईमान वालो ! तुम फ़ख़्रिय्या त़ौर पर अपनी नेकियों की ता'रीफ़ न करो।[1]

ह़दीस में ख़ुद पसन्दी का ज़िक्र

रसूलुल्लाह صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : तीन चीज़ें हलाकत में डालने वाली हैं : (1) बुख़्ल जिस की पैरवी की जाए। (2) नफ़्सानी ख़्वाहिश जिस की इत़ाअ़त की जाए और (3) इन्सान का ख़ुद को अच्छा जानना।[2]

ख़ुद पसन्दी की ता'रीफ़

अपने कमाल (मसलन इ़ल्म या अ़मल या माल) को अपनी त़रफ़ निस्बत करना और इस बात का ख़ौफ़ न होना कि येह छिन जाएगा, येह ख़ुद पसन्दी है।[3]

ता'रीफ़ की वज़ाह़त

जो शख़्स इ़ल्म, अ़मल और माल वग़ैरा के ज़रीए़ अपने नफ़्स में कमाल जानता हो उस की तीन ह़ालतें हैं : (1) : उसे कमाल के कम या ख़त्म हो जाने का ख़ौफ़ है तो येह ख़ुद पसन्दी नहीं। (2) : वोह उस के कम या ख़त्म होने का ख़ौफ़ नहीं रखता बल्कि कमाल से इस त़ौर पर ख़ुश होता है कि येह **अल्लाह** पाक की अ़त़ा है, इस में मेरा कोई कमाल नहीं, येह भी ख़ुद पसन्दी नहीं। (3) : उसे कमाल के कम या ख़त्म होने का ख़ौफ़ नहीं होता बल्कि कमाल पर ख़ुश और मुत़्मइन होता है और उस की ख़ुशी की वज्ह येह नहीं होती कि येह **अल्लाह** पाक की इ़नायत है बल्कि वोह इस लिये ख़ुश होता है कि येह उस का वस्फ़ (या'नी ख़ूबी) है। येह ख़ुद पसन्दी है। फिर जब उस के दिल पर इस बात का

---

1 ...तफ़्सीरे सिरातुल जिनान, पारह : 27, अन्नज्म, तह़्तल आयह : 32, 9/569

2 ...معجم اوسط، 4/221، حدیث:5754

3 ...احیاء العلوم، کتاب ذم الکبر والعجب، بیان حقیقۃ العجب...الخ، 3/454، ملخصاً

ग़लबा होगा कि येह **अल्लाह** पाक की ने'मत है, वोह जब चाहेगा सल्ब फ़रमा लेगा (या'नी छीन लेगा) तो ख़ुद पसन्दी ख़त्म हो जाएगी ।[1]

ख़ुद पसन्दी का हुक्म

ख़ुद पसन्दी ना जाइज़ और गुनाह है ।[2]

चन्द अह़काम

❀ अगर **अल्लाह** पाक की ने'मत के ए'तिराफ़ और इत़ाअ़तो इ़बादत पर मसर्रत और उस के अदाए शुक्र के लिये नेकियों का ज़िक्र किया जाए तो जाइज़ है ।[3] ❀ जब ख़ुद पसन्दी की अ़लामात ज़ाहिर होने लगें तो **अल्लाह** पाक के एह़सानात को याद करना फ़र्ज़ है जब कि तमाम आ़म अवक़ात में ऐसा करना मुस्तह़ब है ।[4]

ख़ुद पसन्दी के अस्बाब

(1) फ़ख़्रो ग़ुरूर (2) मालो दौलत की मह़ब्बत ।

ख़ुद पसन्दी से बचने के त़रीक़े

❀ हर वक़्त **अल्लाह** पाक के एह़सानात को याद रखिये और उस का शुक्र अदा करते रहिये ।

❀ सह़ाबए किराम और दीगर बुज़ुर्गाने दीन की आ़जिज़ी व इन्किसारी और इन के **अल्लाह** पाक की ख़ुफ़्या तदबीर से डरने के वाक़िआ़त का मुत़ालआ़ कीजिये और उन्हें ज़ेहन में बिठाइये । اِنْ شَآءَاللّٰه ! ख़ुद पसन्दी का माद्दा जड़ से कट जाएगा ।

❀ मौत और क़ब्रो आख़िरत को कसरत से याद कीजिये, اِنْ شَآءَاللّٰه ! दुन्या की फ़ानी चीज़ों पर इतराने से बचने का ज़ेहन बनेगा ।

सबक़ नम्बर 9 — झूट का बयान

क़ुरआने करीम में झूट की मज़म्मत

क़ुरआने मजीद में मुनाफ़िक़ीन के मुतअ़ल्लिक़ फ़रमाया गया है :

1... احیاء العلوم، کتاب ذم الکبر والعجب، بیان حقیقۃ العجب...الخ، 3/454، ملخصا

2... رسائل ابن نجیم، الرسالۃ الثالثۃ والثلاثون فی بیان الکبائر والصغائر...الخ، ص358

3... तफ़्सीरे ख़ज़ाइनुल इरफ़ान, पारह : 27, अन्नज्म, तह़्तल आयह : 32

4... मुख़्तसर मिन्हाजुल आ़बिदीन, स. 205

وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌۢ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ۝۱۰
(پ1،البقرۃ:10)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और उन के लिये दर्दनाक अ़ज़ाब है बदला उन के झूट का।

आयत की तफ़्सीर

सदरुल अफ़ाज़िल अ़ल्लामा सय्यिद मुहम्मद नईमुद्दीन मुरादआबादी رَحْمَۃُ اللہِ عَلَیْہ फ़रमाते हैं : इस आयत से साबित हुवा कि झूट ह़राम है इस पर अ़ज़ाबे अलीम (या'नी दर्दनाक अ़ज़ाब) मुरत्तब होता है।[(1)]

ह़दीस में झूट का ज़िक्र

रसूलुल्लाह صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : झूट से बचो ! क्यूं कि झूट गुनाह की त़रफ़ ले जाता है और गुनाह जहन्नम का रास्ता दिखाता है और आदमी बराबर झूट बोलता रहता है और झूट बोलने की कोशिश करता है यहां तक कि **अल्लाह** पाक के नज़्दीक कज़्ज़ाब (या'नी बहुत बड़ा झूटा) लिख दिया जाता है।[(2)]

झूट की ता'रीफ़

झूट के मा'ना हैं : "सच का उलट"।[(3)]

झूट की चन्द मिसालें

❀ कोई चीज़ ख़रीदते वक़्त इस त़रह़ कहना कि येह मुझे फ़ुलां से इस से कम क़ीमत में मिल रही थी ह़ालां कि वाक़ेअ़ में ऐसा नहीं है। ❀ इसी त़रह़ बाएअ़ (Seller) का ज़ियादा रक़म कमाने के लिये क़ीमते ख़रीद (Purchase price) ज़ियादा बताना। ❀ जा'ली या नाक़िस या जिन दवाओं से शिफ़ा का गुमाने ग़ालिब नहीं है उन के बारे में इस त़रह़ कहना "सो फ़ीसदी शर्तिय्या इलाज" येह झूटा मुबालग़ा है।

1... ख़ज़ाइनुल इरफ़ान, पारह : 1, अल बक़रह, तह़तल आयह : 10

2... مسلم،کتاب البر والصلۃ والآداب،باب قبح الکذب...الخ،ص1077حدیث:6636

3... झूटा चोर, स. 21

झूट का हुक्म

झूट बोलना गुनाह और जहन्नम में ले जाने वाला काम है।[1]

चन्द अह्काम

❀ झूट का मा'सियत (गुनाह) होना ज़रूरिय्याते दीन में से है (लिहाज़ा जो इस के गुनाह होने का मुत्लक़न इन्कार करे दाइरए इस्लाम से ख़ारिज हो कर काफ़िर व मुरतद हो जाएगा)।[2] ❀ तीन सूरतों में झूट बोलना जाइज़ है या'नी इस में गुनाह नहीं : ❀ एक जंग की सूरत में कि यहां अपने मुक़ाबिल को धोका देना जाइज़ है, ❀ दूसरी सूरत येह है कि दो मुसल्मानों में इख़्तिलाफ़ है और येह उन दोनों में सुल्ह़ कराना चाहता है, ❀ तीसरी सूरत येह है कि बीबी (ज़ौजा) को ख़ुश करने के लिये कोई बात ख़िलाफ़े वाक़ेअ़ कह दे।[3]

झूट बोलने के अस्बाब

❀ माल की ह़िर्स कि ख़रीदो फ़रोख़्त में रक़म बचाने या ज़ियादा माल कमाने के लिये झूट बोलना आ़म पाया जाता है।

❀ मुबालग़ा आराई (बढ़ा चढ़ा कर बयान करने) की आ़दत : ऐसे अफ़राद ह़द से बढ़ कर झूटी मुबालग़ा आराई में मुब्तला हो जाते हैं। आज कल अश्या की मश्हूरी (Advertisement) में इस त़रह़ की झूटी मुबालग़ा आराई आ़म है।

❀ हुब्बे मद्ह़ या'नी अपनी ता'रीफ़ की ख़्वाहिश : ऐसे लोग अपनी वाह वाह के लिये झूटे वाक़िआ़त बयान करते रहते हैं।

❀ फ़ुज़ूल गोई की आ़दत।

❀ आज कल मुरव्वतन झूट बोलना भी आ़म पाया जाता है मसलन किसी ने सुवाल किया : "हमारे घर का खाना पसन्द आया ?" तो मुरव्वत में आ कर कह दिया : "जी, बहुत पसन्द आया।" ह़ालां कि वाक़ेअ़ में उस को खाना पसन्द नहीं आया था तो येह भी झूट होगा।

झूट से बचने के त़रीक़े

❀ झूट की दुन्यवी और उख़्रवी तबाह कारियों पर ग़ौर कीजिये मसलन झूटे से लोग नफ़रत करते हैं, उस पर से ए'तिमाद उठ जाता है, झूटे पर ला'नत की गई है और झूटा दोज़ख़ में कुत्ते की शक्ल में बदल

1... رسائل ابن نجیم، الرسالۃ الثالثۃ والثلاثون فی بیان الکبائر... الخ، ص355

2... कुफ़्रिय्या कलिमात के बारे में सुवाल जवाब, स. 391, माख़ूज़न

3... बहारे शरीअ़त, 3/517, ह़िस्सा : 16

दिया जाएगा, इस त़रह़ ग़ौरो फ़िक्र करते रहने से اِنْ شَآءَاللّٰه ! सच बोलने और झूट से बचने का ज़ेह्न बनेगा।

❀ ज़बान का क़ुफ़्ले मदीना लगाते हुए सिर्फ़ ज़रूरत की बात ही कीजिये और बे जा बोलते रहने की आ़दत से छुटकारा ह़ासिल कीजिये।

❀ मुबालग़ा करने की आ़दत भी ख़त्म कीजिये और बोलने से पहले सोचने की आ़दत अपनाइये।

सबक़ नम्बर 10 — ग़ीबत का बयान

क़ुरआन में ग़ीबत का ज़िक्र

وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ؕ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا (پ26،الحجرات:12)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और एक दूसरे की ग़ीबत न करो क्या तुम में कोई पसन्द रखेगा कि अपने मरे भाई का गोश्त खाए।

आयत की तफ़्सीर

एक दूसरे की ग़ीबत न करो, क्या तुम में कोई येह पसन्द करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए, यक़ीनन येह तुम्हें ना पसन्द होगा, तो फिर मुसल्मान भाई की ग़ीबत भी तुम्हें गवारा न होनी चाहिये क्यूं कि उस को पीठ पीछे बुरा कहना उस के मरने के बा'द उस का गोश्त खाने की मिस्ल है क्यूं कि जिस त़रह़ किसी का गोश्त काटने से उस को ईज़ा होती है इसी त़रह़ उस की बदगोई करने से उसे क़ल्बी तक्लीफ़ होती है और दर ह़क़ीक़त इ़ज़्ज़तो आबरू गोश्त से ज़ियादा प्यारी है।[1]

ह़दीस में ग़ीबत का ज़िक्र

रसूलुल्लाह صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : मैं शबे मे'राज ऐसी क़ौम के पास से गुज़रा जो अपने चेहरों और सीनों को तांबे के नाख़ुनों से नोच रहे थे, मैं ने पूछा : ऐ जिब्रईल ! येह कौन लोग हैं ? कहा : येह

[1]... तफ़्सीरे सिरातुल जिनान, पारह : 26, अल ह़ुजुरात, तह़तल आयह : 12, 9/439

लोगों का गोश्त खाते (या'नी ग़ीबत करते) थे और उन की इ़ज़्ज़त ख़राब करते थे।(1)

ग़ीबत की ता'रीफ़

किसी के बारे में उस की ग़ैर मौजूदगी में ऐसी बात कहना कि अगर वोह सुन ले या उस को पहुंच जाए तो उसे ना गवार मा'लूम हो।(2)

ग़ीबत की मिसालें

किसी के मजलिस से उठ कर जाने के बा'द इस त़रह़ कहना : ❀ यार ! वोह गया, जान छूटी ❀ डेढ़ होशियार है ❀ बात बात पर हा हा कर के हंसता था वग़ैरा। इसी त़रह़ मुस्तह़ब्बात व नवाफ़िल में सुस्ती करने वाले के बारे में इस त़रह़ कहना : ❀ उस ने ज़िन्दगी में कभी आ़शूरा का रोज़ा नहीं रखा ❀ वोह अव्वाबीन क्या पढ़ेगा ! उस को येह तो पूछो कि येह नवाफ़िल किस वक़्त पढ़े जाते हैं ❀ वोह तबर्रुक कह कर नियाज़ तो खा लेता है मगर इस के लिये चन्दा कभी नहीं देता।

ग़ीबत का हुक्म

ग़ीबत गुनाहे कबीरा, क़त़्ई ह़राम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है।(3)

चन्द अह़काम

❀ ग़ीबत को ह़लाल जानने वाला काफ़िर है।(4) ❀ ग़ीबत करने वाला फ़ासिक़ व गुनहगार और अ़ज़ाबे नार का ह़क़दार होता है।(5) ❀ बिग़ैर शर्ई मजबूरी के ग़ीबत सुनने वाला भी ग़ीबत करने वाले ही की त़रह़ गुनहगार होता है।(6) ❀ (बद मज़हब की ग़ीबत शर्ई त़ौर पर ग़ीबत नहीं बल्कि) बद मज़हब की बुराइयां बयान करने का ख़ुद शर्अ़न हुक्म है।(7)

1... ابوداود، کتاب الادب، باب فی الغیبۃ، 4/353، حدیث:4878

2... ग़ीबत की तबाह कारियां, स. 438

3... ग़ीबत की तबाह कारियां, स. 26

4... الحدیقۃ الندیۃ، القسم الثانی فی آفات اللسان، المبحث الاول، النوع السادس فی الغیبۃ... الخ، 2/219

5... ग़ीबत की तबाह कारियां, स. 26 मुल्तक़त़न

6... ग़ीबत की तबाह कारियां, स. 259

7... फ़तावा रज़विय्या, 6/602

ग़ीबत के अस्बाब

❀ गुस्सा ❀ बुग़्ज़ो कीना ❀ ह़सद ❀ ज़ियादा बोलने की आ़दत ❀ हंसी मज़ाक़ की लत (ऐसा शख़्स दूसरों को हंसाने के लिये लोगों की नक़्लें उतार कर भी बसा अवक़ात ग़ीबत में मुब्तला हो जाता है) ❀ घरेलू ना चाक़ियां (इन ह़ालात में ग़ीबत से बचना क़रीब ब ना मुम्किन है) ❀ गिला शिक्वा करने की आ़दत (जहां किसी के बारे में दूसरे से शिक्वा शुरूअ़ किया कि शैत़ान ने बद गुमानियों, ऐ़ब दरियों, ग़ीबतों, तोहमतों और चुग़्लियों का ढेर लगवा दिया !) ❀ बे जा तन्क़ीदी ज़ेहन (तन्क़ीदे बे जा का मरीज़ किसी की बराहे रास्त इस्लाह़ करने के बजाए उ़मूमन दूसरों के आगे ग़ीबतें करता फिरता है कि वोह यूं कर रहा है वग़ैरा) ।[1]

ग़ीबत से बचने के त़रीक़े

❀ दीनी मश्ग़लों और दुन्या के ज़रूरी कामों से फ़राग़त के बा'द ख़ल्वत या'नी तन्हाई इख़्तियार कीजिये या सिर्फ़ ऐसे सन्जीदा और सुन्नतों के पाबन्द इस्लामी भाइयों की सोह़बत इख़्तियार कीजिये जिन की बातें ख़ौफ़े ख़ुदा व इ़श्क़े मुस्त़फ़ा में इज़ाफ़े का बाइ़स बनें ।

❀ ज़बान का क़ुफ़्ले मदीना लगाइये कि सब से ज़ियादा ग़ीबत ज़बान से की जाती है लिहाज़ा इस को क़ाबू में रखना बहुत ज़रूरी है ।

❀ ग़ीबत के होलनाक अ़ज़ाबात का मुत़ालआ़ कीजिये कि किसी भी मरज़ से बचने और इस का इ़लाज करने के लिये इस के मोहलिकात या'नी तबाह कारियां जानना मुफ़ीद होता है ।

❀ अपने ऐ़बों की त़रफ़ तवज्जोह कीजिये और उन्हें दूर करने में लग जाइये ।

❀ **वज़ीफ़ा :** किसी मजलिस में बैठते और उठते वक़्त येह पढ़िये : "بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ وَصَلَّی اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّد" इस की बरकत से **अल्लाह** पाक एक फ़िरिश्ता मुक़र्रर फ़रमा देगा जो आप को दूसरों की और आप के उठने के बा'द लोगों को आप की ग़ीबत से बाज़ रखेगा ।[2]

सबक़ नम्बर 11 — चुग़ली का बयान

क़ुरआन में चुग़ली का ज़िक्र

وَ لَا تُطِعۡ کُلَّ حَلَّافٍ مَّہِیۡنٍ ﴿۱۰﴾ ہَمَّازٍ مَّشَّآءٍۭ بِنَمِیۡمٍ ﴿۱۱﴾

(پ29،القلم:10-11)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और हर ऐसे की बात न सुनना जो बड़ा क़स्में खाने वाला ज़लील बहुत त़ा'ने देने वाला बहुत इधर की उधर लगाता फिरने वाला ।

---

1 ...ग़ीबत की तबाह कारियां, स. 248 मुल्तक़त़न

2 ...القول البدیع، الباب الثانی فی ثواب الصلاۃ علی رسول اللہ، ص278

ह़दीस में चुग़ली का ज़िक्र

रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : त़ा'ना ज़नी, ग़ीबत, चुग़ल ख़ोरी और बे गुनाह लोगों के ऐ़ब तलाश करने वालों को **अल्लाह** पाक (क़ियामत के दिन) कुत्तों की शक्ल में उठाएगा ।(1)

चुग़ली की ता'रीफ़

लोगों में फ़साद करवाने के लिये उन की बातें एक दूसरे तक पहुंचाना चुग़ली है(2)

चुग़ली की मिसालें

किसी से जा कर इस त़रह़ कहना : ❀ फ़ुलां आदमी ने तुम्हारे बारे में ऐसे ऐसे कहा है ❀ उस ने कहा कि तुम बड़े धोकेबाज़ हो ❀ लोगों से क़र्ज़ ले कर वापस नहीं करते हो ❀ जब तुम उस के पास से उठ कर आए तो उस ने तुम्हारे बारे में कहा : यार ! वोह गया, जान छूटी ❀ बड़ा होशियार बन रहा था वग़ैरा ।

चुग़ली का हुक्म

चुग़ली सख़्त ह़राम और गुनाहे कबीरा है ।(3)

चन्द अह़काम

❀ जिस के पास किसी की चुग़ली की गई उस पर लाज़िम है कि चुग़ल ख़ोर की तस्दीक़ न करे । ❀ और (अगर क़ुदरत रखता है तो) उसे चुग़ली करने से रोक दे । ❀ और जिस की चुग़ली की गई उस के बारे में बद गुमानी में न पड़े ।(4)

1 ... الترغیب والترھیب، کتاب الادب، الترھیب من النمیمۃ، 3/395، حدیث:4333
2 ... شرح مسلم للنووی، کتاب الایمان، باب بیان غلظ تحریم النمیمۃ، 2/112
3 ... الحدیقۃ الندیۃ، القسم الثانی فی آفات اللسان، النوع السابع فی النمیمۃ، 2/228
4 ... احیاء العلوم، کتاب آفات اللسان، الآفۃ السادس عشرۃ: النمیمۃ، 3/192 تا 193 ملتقطا

चुग़ली करने के अस्बाब

❀ गुस्सा ❀ बुग़्ज़ो कीना ❀ ह़सद ❀ लगाई बुझाई (या'नी इधर की बात उधर और उधर की इधर कहते फिरने) की लत (ऐसा शख़्स कभी दो फ़रीक़ों में लड़ाई झगड़ा करवा कर अपने त़ौर पर तफ़्रीह़ कर रहा होता है) ❀ ज़ियादा बोलने की आ़दत (ऐसे शख़्स का ग़ीबत व चुग़ली और दूसरे कई त़रह़ के गुनाहों से बचना बहुत दुश्वार होता है) ।

चुग़ली से बचने के त़रीक़े

❀ ज़बान का क़ुफ़्ले मदीना लगाइये (फ़ुज़ूल बोलने से बचिये) कि चुग़ली और इस के इ़लावा बहुत सारे गुनाह ज़ियादा तर ज़बान से ही होते हैं लिहाज़ा इसे क़ाबू में रखना बहुत ज़रूरी है ।

❀ क़ुरआनो ह़दीस में ज़िक्र किये गए चुग़ली के होलनाक अ़ज़ाबात का मुत़ालआ़ कीजिये और अपने नाज़ुक बदन पर ग़ौर कीजिये कि चुग़ली के सबब अगर इन में कोई अ़ज़ाब हम पर मुसल्लत़ कर दिया गया तो हमारा क्या बनेगा ।

❀ सलाम और मुसाफ़ह़ा करने की आ़दत अपनाइये, اِنْ شَآءَاللہ ! इस की बरकत से दिल से बुग़्ज़ो कीना दूर होगा और मह़ब्बत बढ़ेगी ।

❀ किसी के ख़िलाफ़ दिल में गुस्सा हो और उस की चुग़ली को दिल चाहे तो फ़ौरन अपने आप को यूं डराइये कि अगर मैं गुस्से में आ कर चुग़ली करूंगा तो गुनहगार और जहन्नम का ह़क़दार क़रार पाऊंगा कि येह गुनाह के ज़रीए़ गुस्सा ठन्डा करना हुवा और फ़रमाने मुस्त़फ़ा صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم है : जहन्नम में एक दरवाज़ा है उस से वोही दाख़िल होंगे जिन का गुस्सा किसी गुनाह के बा'द ही ठन्डा होता है ।[1]

सबक़ नम्बर 12 — **बोहतान का बयान**

क़ुरआन में बोहतान की मज़म्मत

اِنَّمَا یَفْتَرِی الْكَذِبَ الَّذِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ بِاٰیٰتِ اللّٰهِۚ وَ اُولٰٓىٕكَ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ (پ14،النحل:105)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : झूट बोहतान वोही बांधते हैं जो **अल्लाह** की आयतों पर ईमान नहीं रखते और वोही झूटे हैं ।

1 ...مسند الفردوس،1/123،حدیث:781

ह़दीस में बोहतान की मज़म्मत

रसूलुल्लाह صَلَّى اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : जो किसी मुसल्मान की बुराई बयान करे जो उस में नहीं पाई जाती तो उस को **अल्लाह** पाक उस वक़्त तक रद्ग़तुल ख़बाल में रखेगा जब तक कि वोह अपनी कही हुई बात से न निकल आए।[1] रद्ग़तुल ख़बाल जहन्नम में एक जगह है जहां जहन्नमियों का ख़ून और पीप जम्अ़ होगा।[2]

बोहतान की ता'रीफ़

किसी शख़्स की मौजूदगी या ग़ैर मौजूदगी में उस पर झूट बांधना बोहतान कहलाता है।[3]

ता'रीफ़ की वज़ाह़त और मिसाल

इस को आसान लफ़्ज़ों में यूं समझिये कि बुराई न होने के बा वुजूद अगर पीठ पीछे (ग़ैर मौजूदगी) या रूबरू (सामने) वोह बुराई उस की त़रफ़ मन्सूब कर दी तो येह बोहतान हुवा मसलन पीठ पीछे या मुंह पर किसी को चोर कह दिया ह़ालां कि उस ने कोई चोरी नहीं की तो उस को चोर कहना बोहतान हुवा।

बोहतान का हुक्म

बोहतान तराशी ह़राम, गुनाहे कबीरा[4] और जहन्नम में ले जाने वाला काम है।

बोहतान के अस्बाब

(1) लड़ाई झगड़ा (2) ग़ुस्सा (3) बुग़्ज़ो कीना (4) ह़सद (5) ज़ियादा बोलने की आ़दत (6) बद गुमानी।

बोहतान से बचने के त़रीक़े

❀ ज़बान का क़ुफ़्ले मदीना लगाइये कि बोहतान और इस के इलावा बहुत सारे गुनाह ज़ियादा तर ज़बान से ही होते हैं लिहाज़ा इसे क़ाबू में रखना बहुत ज़रूरी है।

1... ابوداود، کتاب الاقضیۃ، باب فیمن یعین علی ... الخ، 3/427، حدیث: 3597

2... बहारे शरीअ़त, 2/364, ह़िस्सा : 9

3... الحدیقۃ الندیۃ، 2/200

4... तफ़्सीरे सिरातुल जिनान, पारह : 18, अन्नूर, तह़तल आयह : 18, 6/599

❀ कुरआनो ह़दीस में ज़िक्र किये गए बोहतान के होलनाक अ़ज़ाबात का मुत़ालआ़ कीजिये और अपने नाज़ुक बदन पर ग़ौर कीजिये कि बोहतान के सबब अगर इन में से कोई अ़ज़ाब हम पर मुसल्लत़ कर दिया गया तो हमारा क्या बनेगा।

❀ सलाम और मुसाफ़ह़ा करने की आ़दत अपनाइये, اِنْ شَآءَاللّٰہ ! इस की बरकत से दिल से बुग़्ज़ो कीना दूर होगा और मह़ब्बत बढ़ेगी और एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी का मरज़ भी ख़त्म होगा।

❀ किसी के ख़िलाफ़ दिल में ग़ुस्सा हो और उस पर बोहतान बांधने को दिल चाहे तो फ़ौरन अपने आप को यूं डराइये कि अगर मैं ग़ुस्से में आ कर बोहतान बांधूंगा तो गुनहगार और जहन्नम का ह़क़दार क़रार पाऊंगा कि येह गुनाह के ज़रीए़ ग़ुस्सा ठन्डा करना हुवा और फ़रमाने मुस्त़फ़ा صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم है : जहन्नम में एक दरवाज़ा है उस से वोही दाख़िल होंगे जिन का ग़ुस्सा किसी गुनाह के बा'द ही ठन्डा होता है।(1)

❀ मुसल्मानों के बारे में हुस्ने ज़न रखिये, बद गुमानी और शक करने से परहेज़ कीजिये।

सबक़ नम्बर 13 तमस्ख़ुर (मज़ाक़ उड़ाने) का बयान

कुरआन में तमस्ख़ुर का ज़िक्र

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا یَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰۤى اَنْ یَّكُوْنُوْا خَیْرًا مِّنْهُمْ وَ لَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰۤى اَنْ یَّكُنَّ خَیْرًا مِّنْهُنَّۚ (پ26، الحجرات:11)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : ऐ ईमान वालो न मर्द मर्दों से हंसें अ़जब नहीं कि वोह इन हंसने वालों से बेहतर हों और न औ़रतें औ़रतों से दूर नहीं कि वोह इन हंसने वालियों से बेहतर हों।

आयत की तफ़्सीर

अगर किसी शख़्स में फ़क़्र, मोह़ताजी और ग़रीबी के आसार नज़र आएं तो इन की बिना पर उस का मज़ाक़ न उड़ाया जाए, हो सकता है कि जिस का मज़ाक़ उड़ाया जा रहा है वोह मज़ाक़ उड़ाने वाले के मुक़ाबले में दीनदारी के लिह़ाज़ से कहीं बेहतर हो।(2)

1... مسند الفردوس، 1/123 حدیث:781

2... तफ़्सीरे सिरातुल जिनान, पारह : 26, अल हुजुरात, तह़तल आयह : 11, 9/425

ह़दीस में तमस्ख़ुर का ज़िक्र

रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : क़ियामत के दिन लोगों का मज़ाक़ उड़ाने वाले के सामने जन्नत का एक दरवाज़ा खोला जाएगा और कहा जाएगा कि आओ ! आओ...!! वोह बहुत बेचैनी और ग़म में डूबा हुवा उस दरवाज़े के सामने आएगा मगर जैसे ही दरवाज़े के पास पहुंचेगा तो दरवाज़ा बन्द कर दिया जाएगा, फिर एक दूसरा जन्नत का दरवाज़ा खुलेगा और उस को पुकारा जाएगा : आओ ! यहां आओ...!! येह बेचैनी और रन्जो ग़म में डूबा हुवा उस दरवाज़े के पास जाएगा तो वोह दरवाज़ा बन्द हो जाएगा, इसी त़रह़ उस के साथ मुआ़मला होता रहेगा यहां तक कि दरवाज़ा खुलेगा और पुकार पड़ेगी तो वोह ना उम्मीदी की वज्ह से नहीं जाएगा ।(1)

तमस्ख़ुर की ता'रीफ़

किसी की इस त़रह़ तौहीनो तज़्लील करना या उस के उ़यूबो नक़ाइस को इस त़रह़ ज़ाहिर करना कि उस का मज़ाक़ बने, तमस्ख़ुर कहलाता है ।(2) इस को इस्तिह्ज़ा भी कहते हैं ।

तमस्ख़ुर की मिसालें

❀ किसी शख़्स के बैठने, उठने, चलने या गुफ़्त्गू करने के अन्दाज़ की नक़्ल उतारी जाए मसलन ज़ैद लंगड़ा कर चलता है बक्र भी उस की त़रह़ लंगड़ाते हुए चल कर उस का मज़ाक़ बनाए तो वोह ज़ैद के साथ तमस्ख़ुर करने वाला होगा । ❀ किसी की शक्लो सूरत वग़ैरा जिस्मानी साख़्त को मज़्ह़का ख़ैज़ (या'नी हंसी लाने वाले) अन्दाज़ से बयान किया जाए मसलन एक शख़्स बहुत मोटा है बक्र ने उस को आते देख कर कहा : देखो ! हाथी का छोटा भाई आ रहा है, येह भी तमस्ख़ुर है ।

तमस्ख़ुर का हुक्म

(किसी मुसल्मान के साथ) तमस्ख़ुर करना (या'नी उस का मज़ाक़ उड़ाना) ह़राम है क्यूं कि इस से (उस की) दिल आज़ारी होती है ।(3)

---

1 ... موسوعۃ ابن ابی الدنیا، کتاب الصمت و آداب اللسان، 7/183، حدیث:287

2 ... احیاء العلوم، کتاب آفات اللسان، الآفۃ الحادیۃ عشرا لسخریۃ والاستہزاء، 3/162

3 ... عین العلم وزین الحلم، الباب التاسع فی الصمت...الخ، کراہیۃ الاستہزاء...الخ، 1/467

चन्द अह्काम

❀ दीन की किसी चीज़ का मज़ाक़ उड़ाना कुफ़्र है।[1] ❀ मिज़ाह़ या'नी ऐसी बात जिस में किसी की दिल आज़ारी न हो बल्कि अपना और सुनने वाले का दिल ख़ुश हो जाए येह अच्छी चीज़ है जब कि कभी कभी हो (और उस में झूट भी न हो)। ❀ कभी कभी ख़ुश त़ब्ई करना हुज़ूरे अक़्दस صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم से साबित है।[2]

तमस्ख़ुर के अस्बाब

(1) नफ़्रत व अ़दावत (2) तकब्बुर (3) ख़ुद पसन्दी (4) मज़ाक़ मस्ख़री की आ़दत (5) फ़ुज़ूल गोई (6) बुरी सोह़बत।

तमस्ख़ुर से बचने के त़रीक़े

❀ ज़बान का क़ुफ़्ले मदीना लगाइये कि तमस्ख़ुर और इस के इ़लावा बहुत सारे गुनाह ज़ियादा तर ज़बान से ही होते हैं लिहाज़ा इसे क़ाबू में रखना बहुत ज़रूरी है।

❀ तमस्ख़ुर के दुन्यवी और उख़्रवी नुक़्सानात और इस की तबाह कारियों के बारे में ग़ौर कीजिये कि किसी भी मरज़ से बचने और इस का इ़लाज करने के लिये उस के नुक़्सानात और तबाह कारियों का जानना मुफ़ीद होता है।

❀ दिल में एह़तिरामे मुस्लिम का जज़्बा पैदा कीजिये और मुसल्मान की दिल आज़ारी से हमेशा बचते रहिये। इस के लिये शैख़े त़रीक़त, अमीरे अहले सुन्नत ह़ज़रते अ़ल्लामा अबू बिलाल मुह़म्मद इल्यास अ़त्त़ार क़ादिरी دَامَتْ بَرَکَاتُهُمُ الْعَالِیَه के रिसाले **"एह़तिरामे मुस्लिम"** का मुत़ालआ़ मुफ़ीद है।

❀ सलाम और मुसाफ़ह़ा करने की आ़दत अपनाइये, اِنْ شَآءَ اللّٰه ! दिल से नफ़्रतो अ़दावत निकलेगी और मह़ब्बत बढ़ेगी।

सबक़ नम्बर 14 — ला'नत का बयान

क़ुरआन में ला'नत का ज़िक्र

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّ خُفْيَةً ؕ اِنَّهٗ لَا یُحِبُّ الْمُعْتَدِیْنَ ۟ (پ8،الاعراف:55)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : अपने रब से दुआ़ करो गिड़गिड़ाते और आहिस्ता बेशक ह़द से बढ़ने वाले उसे पसन्द नहीं।

1... तफ़्सीरे सिरातुल जिनान, पारह : 6, अल माइदह, तह़्तल आयह : 58, 2/457

2... मिरआतुल मनाजीह़, 6/493 माख़ूज़न

आयत की तफ़्सीर

एक क़ौल के मुत़ाबिक़ इस आयत में ''ह़द से बढ़ने वालों'' से मुराद वोह लोग हैं जो मुसल्मानों के लिये बद दुआ़ करते और कहते हैं : **अल्लाह** इन को ख़्वार करे, **अल्लाह** इन पर ला'नत करे ।(1)

ह़दीस में ला'नत का ज़िक्र

रसूलुल्लाह صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : जब मेरी उम्मत छे चीज़ों को ह़लाल समझने लगेगी तो हलाकत में मुब्तला हो जाएगी : (1) एक दूसरे पर ला'नत करना । (2) शराब पीना । (3) रेशम का लिबास पहनना । (4) गाने वाली औ़रतें रखना । (5) मर्दों का मर्दों पर और (6) औ़रतों का औ़रतों पर इक्तिफ़ा करना ।(2)

ला'नत की ता'रीफ़

रह़मते इलाही से दूर हो जाने की बद दुआ़ करना ला'नत करना है ।(3)

ला'नत की मिसालें

❀ इस त़रह़ कहना कि ज़ैद पर ला'नत ❀ ऐ **अल्लाह**! ज़ैद पर ला'नत कर ❀ ज़ैद को अपनी रह़मत से दूर कर दे वग़ैरा ।

ला'नत का हुक्म

फ़र्दे मुअ़य्यन या'नी किसी शख़्स को ख़ास कर के ला'नत करना (मसलन यूं कहे : ''ज़ैद पर ला'नत'' येह) जाइज़ नहीं ।(4)

चन्द अह़काम

❀ फ़तावा रज़विय्या में है कि ला'नत बहुत सख़्त चीज़ है, हर मुसल्मान को इस से बचाया जाए बल्कि लईन काफ़िर पर भी ला'नत जाइज़ नहीं जब तक उस का कुफ़्र पर मरना क़ुरआनो ह़दीस से साबित न हो ।(5) ❀ वस्फ़े आ़म मज़्मूम (या'नी ऐसी बुरी सिफ़त जिस में कोई फ़र्द ख़ास न हो, उस

1... تفسیر بغوی، پ8، الاعراف، تحت الآیۃ:55، 2/138
2... معجم اوسط، 1/305، حدیث:1086
3... मिरआतुल मनाजीह़, 5/127 मुल्तक़त़न
4... عمدۃ القاری، کتاب الایمان، باب کفران العشیر وکفر دون کفر، 1/304، تحت الحدیث:29
5... फ़तावा रज़विय्या, 21/222

सिफ़त) के साथ ला'नत जाइज़ है[1] मसलन येह कह सकते हैं कि काफ़िरों पर या झूटों पर ला'नत मगर इस की आ़दत न डाली जाए।[2] ❀ मच्छर, हवा, जमादात (या'नी बेजान चीज़ों) और ह़ैवानात पर भी ला'नत ना जाइज़ है।[3]

ला'नत के अस्बाब

❀ जहालत (इ़ल्मे दीन से दूरी की वज्ह से बा'ज़ लोग ला'नत को मा'मूली ख़याल करते हैं और उन्हें इ़ल्म भी नहीं होता कि ला'नत करना शरअ़न ना जाइज़ और गुनाह है।) ❀ गु़स्सा (गु़स्से में जो ज़बान पर क़ाबू नहीं रख पाते दूसरे गुनाहों के साथ ला'नत के गुनाह में भी मुब्तला हो जाते हैं) ❀ बिना सोचे समझे बोलते रहने की आ़दत। ❀ लड़ाई झगड़े (ऐसे मौक़ए़ पर गाली गलोच के साथ बा'ज़ लोग एक दूसरे पर ला'नत भी करते हैं) ❀ बद मज़्हबों से मेलजोल रखना और उन के पास उठना बैठना (क्यूं कि बद मज़्हबों की अहले बैते अत़्हार, सह़ाबए किराम رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن और बुज़ुर्गाने दीन رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن पर ला'न त़ा'न करने की आ़दत होती है)।

ला'नत से बचने के त़रीक़े

❀ इ़ल्मे दीन ह़ासिल कीजिये, बिल ख़ुसूस ज़बान से होने वाले गुनाहों की मा'लूमात ह़ासिल कीजिये क्यूं कि बहुत सारे गुनाह ज़बान से ही होते हैं।

❀ बोलने से पहले तोलने या'नी सोच समझ कर बात करने की आ़दत डालिये।

❀ गु़स्से में बेक़ाबू हो कर ज़बान का ग़लत़ इस्ति'माल करने के बजाए हु़सूले सवाब के लिये गु़स्सा पी जाने की कोशिश कीजिये।

❀ जब दिल में किसी के ख़िलाफ़ गु़स्सा हो और उस पर ला'न त़ा'न को दिल चाहे तो फ़ौरन अपने आप को यूं डराइये कि अगर मैं गु़स्से में आ कर किसी को बुरा भला कहूंगा और उस पर ला'न त़ा'न करूंगा तो जहन्नम का ह़क़दार क़रार पाऊंगा कि येह गुनाह के ज़रीए़ गु़स्सा ठन्डा करना हुवा और फ़रमाने मुस्त़फ़ा صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم है : जहन्नम में एक दरवाज़ा है उस से वोही दाख़िल होंगे जिन का गु़स्सा किसी गुनाह के बा'द ही ठन्डा होता है।[4]

1... الحدیقۃ الندیۃ، القسم الثانی، المبحث الاول، النوع التاسع فی اللعن... الخ، 2/232

2... मिरआतुल मनाजीह़, 1/41 ब तग़य्युरे क़लील

3... الحدیقۃ الندیۃ، القسم الثانی، المبحث الاول، النوع التاسع فی اللعن... الخ، 2/231

4... مسند الفردوس، 1/123، حدیث: 781

❀ झगड़े मिटा कर मुसल्मानों के साथ मिलजुल कर महब्बत के साथ रहिये, ह़दीस शरीफ़ में है : "जो ह़क़ पर होते हुए भी झगड़ा ख़त्म करे मैं उसे जन्नत के कनारे एक घर की ज़मानत देता हूं।"(1)

❀ सिर्फ़ आ़शिक़ाने रसूल की सोह़बत इख़्तियार कीजिये और बद मज़्हबों के साथ उठने बैठने से बचते रहिये।

सबक़ नम्बर 15 — गाली का बयान

क़ुरआन में गाली न देने का ज़िक्र

لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْٓءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا ۝۱۴۸ (پ6،النسآء:148)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : अल्लाह पसन्द नहीं करता बुरी बात का ए'लान करना मगर मज़्लूम से और **अल्लाह** सुनता जानता है।

आयत की तफ़्सीर

एक क़ौल के मुताबिक़ आयते मुबारका में "बुरी बात के ए'लान" से मुराद गाली देना है या'नी **अल्लाह** पाक इस बात को पसन्द नहीं करता कि कोई किसी को गाली दे।(2)

ह़दीस में गाली न देने का ज़िक्र

रसूलुल्लाह صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : मुसल्मान को गाली देने वाला उस शख़्स की मानिन्द है जो अ़न्क़रीब हलाकत में जा पड़ेगा।(3)

गाली की ता'रीफ़

इन्सान की इ़ज़्ज़त के बारे में ऐसी बात कहना जो उसे ऐ़बदार करे।(4)

गाली देने की मिसालें

किसी को ❀ फ़ासिक़ ❀ फ़ाजिर ❀ अह़मक़ ❀ बदकार वग़ैरा कहना।

1 ... ابوداود، کتاب الادب، باب فی حسن الخلق، 4/332، حدیث:4800

2 ... सिरातुल जिनान, पारह : 6, अन्निसाअ, तह़्तल आयह : 148, 2/339

3 ... مجمع الزوائد، کتاب الادب، باب فیمن لعن مسلما اور ماہ بکفر، 8/140، حدیث:13011

4 ... عمدۃ القاری، کتاب الایمان، باب خوف المؤمن...الخ، 1/408، تحت الحدیث:48

गाली देने का हुक्म

मुसल्मान को बिला वज्हे शर्ई गाली देना सख़्त ह़राम है ।[1]

चन्द अह़काम

❀ **अल्लाह** पाक को गाली देना कुफ़्र है ख़्वाह सन्जीदगी में दे या मज़ाक़ में, ख़ुशी से दे या गुस्से में ।[2] ❀ बा'ज़ गालियां तो किसी वक़्त ह़लाल नहीं हो सकतीं और उन का देने वाला सख़्त फ़ासिक़ और सल्त़नते इस्लामिया में 80 कोड़ों का मुस्तह़िक़ होता है[3] मसलन औ़रत को ज़ानिया कहना वग़ैरा ।[4] ❀ दह्‌र (ज़माने), सफ़ेद मुर्ग़, हवा और बुख़ार को गाली देना मन्अ़ है ।[5]

गाली देने के अस्बाब

(1) गुस्सा (2) लड़ाई झगड़ा (3) बुरी सोह़बत (4) फ़िल्में ड्रामे देखना (5) शराब नोशी (6) जहालत (7) ख़ौफ़े ख़ुदा की कमी ।

गाली देने से बचने के त़रीक़े

❀ इ़ल्मे दीन ह़ासिल कीजिये । ज़बान का क़ुफ़्ले मदीना लगा लीजिये कि गाली गलोच और इस के इ़लावा बहुत सारे गुनाह ज़ियादा तर ज़बान से ही होते हैं लिहाज़ा इसे क़ाबू में रखना बहुत ज़रूरी है ।

❀ बे जा गुस्से की आ़दत अपने अन्दर से निकाल दीजिये बल्कि अ़फ़्वो दर गुज़र से काम लीजिये और गुस्सा पी जाने का मा'मूल बनाइये ।

❀ अपने दिल में एह़तिरामे मुस्लिम का जज़्बा बेदार कीजिये और सब के साथ प्यार मह़ब्बत के साथ पेश आइये, लड़ाई झगड़े बिल्कुल मत कीजिये ।

❀ सिर्फ़ और सिर्फ़ 100 फ़ीसदी इस्लामी चेनल ही देखा कीजिये, इस के इ़लावा गुनाहों भरे चेनल देखने, फ़िल्मों ड्रामों के ज़रीए़ आंखों को ह़राम से पुर करने से हमेशा बचते रहिये ।

1... फ़तावा रज़विय्या, 6/538 मुल्तक़त़न
2... कुफ़्रिय्या कलिमात के बारे में सुवाल जवाब, स. 510
3... फ़तावा रज़विय्या, 6/538 मुल्तक़त़न
4... बहारे शरीअ़त, 2/398, ह़िस्सा : 9 मफ़्हूमन
5... الحدیقۃ الندیۃ، القسم الثانی، المبحث الاول، النوع العاشر فی السب، 2/238 تا 239 ماخوذا

❀ नेक, परहेज़ गार आ़शिक़ाने रसूल की सोह़बत इख़्तियार कीजिये और बुरे लोगों से हमेशा दूर रहिये ।

सबक़ नम्बर 16 फ़ोह़्श गोई का बयान

क़ुरआन में फ़ोह़्श गोई की मज़म्मत का ज़िक्र

क़ौमे लूत़ की बद आ'मालियों के बयान में इर्शादे बारी है :

اَىٕنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ وَ تَقْطَعُوْنَ السَّبِیْلَ ﳔ وَ تَاْتُوْنَ فِیْ نَادِیْكُمُ الْمُنْكَرَؕ (پ20،العنکبوت:29)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : क्या तुम मर्दों से बदफ़े'ली करते हो और राह मारते हो और अपनी मजलिस में बुरी बात करते हो ।

आयत की तफ़्सीर

तफ़्सीरे ख़ज़ाइनुल इरफ़ान में इस हिस्से "और अपनी मजलिस में बुरी बात करते हो" के तह़्त है : जो अ़क़्लन व उ़र्फ़न क़बीह़ व मम्नूअ़ है जैसे गाली देना, फ़ोह़्श बकना, ताली और सीटी बजाना, एक दूसरे के कंकरियां मारना, रस्ता चलने वालों पर कंकरी वग़ैरा फेंकना, शराब पीना, तमस्ख़ुर और गन्दी बातें करना, एक दूसरे पर थूकना वग़ैरा ज़लील अफ़्आ़ल व ह़रकात ।(1)

ह़दीस में फ़ोह़्श गोई की मज़म्मत का ज़िक्र

रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : चार त़रह़ के शख़्स अहले जहन्नम की तक्लीफ़ में इज़ाफ़ा कर देंगे, वोह खौलते पानी और आग के दरमियान भागते फिरते और वैलो सुबूर (या'नी हलाकत) मांगते फिरते होंगे, (उन चार में से) एक शख़्स वोह होगा जिस के मुंह से ख़ून और पीप बह रहा होगा, जहन्नमी कहेंगे : इस बद बख़्त को क्या हुवा कि हमारी तक्लीफ़ में इज़ाफ़ा किये देता है ? जवाब मिलेगा : येह बद नसीब ख़बीस और बुरी बात की त़रफ़ मुतवज्जेह हो कर लज़्ज़त उठाता था ।(2)

फ़ोह़्श गोई की ता'रीफ़

फ़ोह़्श का लुग़वी मा'ना है : बुरा और गन्दा क़ौल व फ़े'ल । "लोगों के साथ बात करने में जिन उमूर को बुरा समझा जाता है उन को साफ़ और वाज़ेह़ लफ़्ज़ों में बयान कर देना फ़ोह़्श गोई है ।"(3)

---

(1)... ख़ज़ाइनुल इरफ़ान, पारह : 20, अल अ़न्कबूत, तह़्तल आयह : 29

(2)... موسوعۃ ابن ابی الدنیا، کتاب صفۃ النار، 6/449، حدیث: 229 ملتقطا

(3)... الحدیقۃ الندیۃ، القسم الثانی، المبحث الاول ... الخ، النوع الحادی عشر، 2/239 ملتقطا

फ़ोह्श गोई का हुक्म

फ़ोह्श गोई गुनाह और जहन्नम में ले जाने वाला काम है।

चन्द अह्काम

❀ बेहतर येह है कि अगर मजबूरन किसी ऐसी बात का ज़िक्र करना पड़े (मसलन इलाज के लिये त़बीब से कोई बात करनी है) तो वाज़ेह़ अल्फ़ाज़ इस्ति'माल करने के बजाए इशारतन छुपे लफ़्ज़ों में बयान करे।[1] ❀ औ़रतों का ज़िक्र भी इशारतन करना अच्छा समझा जाता है लिहाज़ा येह न कहा जाए कि तुम्हारी बीवी ने येह बात कही बल्कि येह कहा जाए कि घर में यूं कहा गया है या बच्चों की अम्मी ने येह कहा।[2]

❀ जिस शख़्स में कुछ उ़यूब हों जिन से वोह शरमाता हो, उन्हें वाज़ेह़ अल्फ़ाज़ में ज़िक्र नहीं करना चाहिये जैसे कि बरस या गन्ज की बीमारी और बवासीर बल्कि यूं कहना चाहिये कि उसे एक मरज़ है जिस के सबब वोह तक्लीफ़ में मुब्तला है।[3]

फ़ोह्श गोई के अस्बाब

(1) इ़ल्मे दीन से दूरी (2) मज़ाक़ मस्ख़री की आ़दत (3) फ़ुज़ूल गोई (4) गुस्सा (5) लड़ाई झगड़ा (6) बुरी सोह़बत (7) फ़िल्में ड्रामे देखना और गाने सुनना।

फ़ोह्श गोई से बचने के त़रीक़े

❀ इ़ल्मे दीन ह़ासिल कीजिये, बिल ख़ुसूस गुफ़्त्गू की सुन्नतें और आदाब सीख लीजिये।

❀ जहन्नम के होलनाक अ़ज़ाबात का मुत़ालआ़ कीजिये और अपने नाज़ुक बदन पर ग़ौर कीजिये कि फ़ोह्श गोई के सबब अगर इन में से कोई अ़ज़ाब हम पर मुसल्लत़ कर दिया गया तो हमारा क्या बनेगा।

❀ ज़बान का क़ुफ़्ले मदीना लगा लीजिये कि फ़ोह्श गोई और इस के इ़लावा बहुत सारे गुनाह ज़ियादा तर ज़बान से ही होते हैं लिहाज़ा इसे क़ाबू में रखना बहुत ज़रूरी है।

---

1 ...الحدیقۃ الندیۃ، القسم الثانی، المبحث الاول...الخ، النوع الحادی عشر، 2/239 ملتقطا
2 ...احیاء العلوم، کتاب آفات اللسان، الآفۃ السابعۃ الفحش والسب وبذاءۃ اللسان، 3/151 ملتقطا
3 ...احیاء العلوم، کتاب آفات اللسان، الآفۃ السابعۃ الفحش والسب وبذاءۃ اللسان، 3/151 ملتقطا

❀ दिल में एह्तिरामे मुस्लिम का जज़्बा बेदार कीजिये और लड़ाई झगड़े मिटा कर हर एक के साथ प्यार और महब्बत के साथ रहिये।

❀ अफ़्वो दर गुज़र से काम लीजिये और बे जा गुस्सा हरगिज़ मत कीजिये कि इस के सबब इन्सान बहुत सारे गुनाहों में मुब्तला हो जाता है।

❀ दौराने गुफ़्त्गू दा'वते इस्लामी की इस्तिलाहात इस्ति'माल कीजिये मसलन ज़ौजा या बीवी कहने के बजाए मौक़अ़ की मुनासबत से बच्चों की अम्मी कहिये वग़ैरा।

❀ सन्जीदा और बा अ़मल आ़शिक़ाने रसूल की सोहबत इख़्तियार कीजिये और बुरी सोहबत से हमेशा दूर रहिये।

❀ **वज़ीफ़ा :** जिस की गन्दी बातों की आ़दत न जाती हो वोह ''يَاحَمِيْدُ'' 90 बार (अव्वल व आख़िर दुरूद शरीफ़) पढ़ कर किसी ख़ाली पियाले या गिलास में दम कर दे, ह़स्बे ज़रूरत उसी में पानी पिया करे اِنْ شَآءَ اللّٰه ! फ़ोहूश गोई की आ़दत निकल जाएगी (एक बार का दम किया हुवा गिलास बरसों तक चला सकते हैं)।[1]

सबक़ नम्बर 17 राज़ फ़ाश करने का बयान

क़ुरआन में राज़ छुपाने का ज़िक्र

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ وَ تَخُوْنُوْۤا اَمٰنٰتِكُمْ وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۲۷﴾
(پ9، الانفال:27)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : ऐ ईमान वालो **अल्लाह** व रसूल से दग़ा न करो और न अपनी अमानतों में दानिस्ता ख़ियानत।

आयत की तफ़्सीर

एक क़ौल के मुताबिक़ बा'ज़ लोग राज़ की बातें कुफ़्फ़ार को बता दिया करते थे, इस आयत में उन्हें राज़ फ़ाश करने से मन्अ़ किया गया।[2]

1...40 रूहानी इलाज, स. 7

2...التفسیرات الاحمدیہ، پ9، الانفال، تحت الآیۃ:28، ص433

ह़दीस में राज़ छुपाने का ज़िक्र

रसूलुल्लाह صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : दो शख़्सों का बाहम बैठना अमानत है, उन में से किसी के लिये ह़लाल नहीं कि अपने साथी की ऐसी बात (लोगों के सामने) ज़ाहिर करे जिस का ज़ाहिर होना उसे ना पसन्द हो।(1)

राज़ फ़ाश करने की तारीफ़

किसी की ऐसी बात या काम या ह़ालत का इ़ल्म हो जिस को वोह दूसरों पर ज़ाहिर करना नहीं चाहता तो उस को दूसरों पर ज़ाहिर कर देना राज़ फ़ाश करना है, चाहे वोह बात, काम या ह़ालत अच्छी हो या बुरी।(2)

ता'रीफ़ की वज़ाह़त

❀ एक मुसल्मान की बातें, काम और अह़वाल दूसरे मुसल्मान के पास अमानत हैं (लिहाज़ा इन का दूसरों के सामने इज़्हार उसे ना पसन्द हो तो ऐसी बात, काम या ह़ालत को किसी और के सामने ज़ाहिर कर देना ख़ियानत है)।(3) ❀ किसी बात के अमानत होने के लिये येह शर्त़ नहीं कि कहने वाला सराह़तन (या'नी साफ़ लफ़्ज़ों में) मन्अ़ करे कि किसी को मत बताना बल्कि ❀ अगर वोह बात करते हुए इस त़रह़ इधर उधर देखे कि कोई सुन तो नहीं रहा(4) ❀ या जिस से बात करनी है उसे तन्हाई में ले जा कर बात करे तो येह भी बिल्कुल वाज़ेह़ क़रीना है कि येह बात अमानत है, उस की भी ह़िफ़ाज़त करना और किसी के सामने उस का इज़्हार न करना ज़रूरी है।(5) ❀ येह भी याद रहे कि ज़ाहिर करना इशारे से भी हो सकता है(6) इस के लिये लिख कर बयान करना या ज़बान से कहना ही ज़रूरी नहीं।

राज़ फ़ाश करने का हुक्म

राज़ फ़ाश करना गुनाह और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। राज़ फ़ाश करने में साह़िबे राज़

1... الزہدلابن المبارک، باب ماجاء فی الشح، ص240، حدیث:691

2... الحدیقۃ الندیۃ، القسم الثانی فی آفات اللسان مفاسدہ وغوائلہ، الخلق الثامن عشر، 2/261تا262

3... الحدیقۃ الندیۃ، القسم الثانی فی آفات اللسان مفاسدہ وغوائلہ، الخلق الثامن عشر، 2/262

4... ग़ीबत की तबाह कारियां, स. 428

5... الحدیقۃ الندیۃ، القسم الثانی فی آفات اللسان مفاسدہ وغوائلہ، الخلق الثامن عشر، 2/262ملتقطا

6... बहारे शरीअ़त, 2/343, ह़िस्सा : 9

(या'नी जिस का राज़ है उस) को ईज़ा (या'नी तक्लीफ़) होती है और ईज़ा देनी ह़राम है।[1]

राज़ फ़ाश करने के अस्बाब

(1) बुग़्ज़ो कीना (2) ह़सद (3) लड़ाई झगड़े (4) चुग़ल ख़ोरी (5) पेट का हलका होना (ऐसे लोग जब तक राज़ की बात दूसरों को बता नहीं लेते उन्हें चैन नहीं आता) (6) बिग़ैर सोचे समझे बोलने की आ़दत।

राज़ फ़ाश करने से बचने के त़रीक़े

❀ ज़बान का क़ुफ़्ले मदीना लगा लीजिये। ❀ किसी का राज़ दूसरों के सामने ज़ाहिर कर देने के दीनी और दुन्यवी नुक़्सानात पर ग़ौर कीजिये, मसलन येह अख़्लाक़ी पस्ती और घटिया पन की अ़लामत है, इस से मुसल्मानों में फ़साद फैलता और आपस में मह़ब्बत मिटती है, राज़ फ़ाश कर देने वाले पर से लोगों का ए'तिमाद उठ जाता है। ❀ सलाम व मुसाफ़ह़ा करने की आ़दत अपनाइये, اِنْ شَآءَاللّٰہ ! दिल से बुग़्ज़ो कीना दूर होगा। ❀ मौत और क़ब्रो आख़िरत को कसरत से याद कीजिये, اِنْ شَآءَاللّٰہ ! दिल से ह़सद का ख़ातिमा हो जाएगा।

सबक़ नम्बर 18 — तजस्सुस का बयान

क़ुरआन में तजस्सुस का ज़िक्र

وَّلَاتَجَسَّسُوْا (پ26،الحجرات:12)   **तरजमए कन्ज़ुल ईमान :** और ऐ़ब न ढूंडो।

आयत की तफ़्सीर

या'नी मुसल्मानों की ऐ़बजूई न करो और उन के छुपे ह़ाल की जुस्त्जू में न रहो जिसे **अल्लाह** पाक ने अपनी सत्तारी से छुपाया।[2]

ह़दीस में तजस्सुस का ज़िक्र

रसूलुल्लाह صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : ऐ वोह लोगो ! जो ज़बान से तो ईमान ले आए हो मगर तुम्हारे दिल में अभी तक ईमान दाख़िल नहीं हुवा ! मुसल्मानों की ग़ीबत मत करो और न उन के उ़यूब को तलाश करो क्यूं कि जो अपने मुसल्मान भाई का ऐ़ब तलाश करेगा **अल्लाह** पाक उस का ऐ़ब ज़ाहिर फ़रमा

1... الحدیقۃ الندیۃ، القسم الثانی فی آفات اللسان مفاسدہ وغوائلہ، الخلق الثامن عشر، 262/2

2... तफ़्सीरे ख़ज़ाइनुल इ़रफ़ान, पारह : 16, अल हुजुरात, तह़्तल आयह : 12

देगा और **अल्लाह** पाक जिस का ऐब ज़ाहिर फ़रमा दे तो उसे रुस्वा कर देता है अगर्चे वोह अपने घर के अन्दर (छुप कर बैठा हुवा) हो।[(1)]

तजस्सुस की ता'रीफ़

लोगों की ख़ुफ़्या (छुपी हुई) बातें और ऐब जानने की कोशिश करना तजस्सुस कहलाता है।[(2)]

तजस्सुस की चन्द मिसालें

❀ किसी से येह पूछना : रात देर तक जागते रहते हो, फ़ज्र भी पढ़ते हो या नहीं ? ❀ किसी ने नोकर रखा तो उस से पूछना : आप का नया नोकर बराबर काम करता है या नहीं ? येह भी बिला इजाज़ते शर्ई पूछना ऐब ढूंडना है और इस सुवाल के जवाब में पूरा ख़तरा है कि जिस से पूछा गया वोह नोकर के बारे में कामचोर है, ह़राम ख़ोर है वग़ैरा कह कर गुनहगार हो जाए।[(3)] ❀ इसी त़रह़ बिला इजाज़ते शर्ई किसी का कोई ऐब मा'लूम करने के लिये उस का पीछा करना, उस के घर में झांकना वग़ैरा भी तजस्सुस में दाख़िल है।

तजस्सुस का हुक्म

मुसल्मान की ऐबजूई (या'नी उस के ऐब तलाश करना) ह़राम है।[(4)]

❀ बेदीन, मुफ़्सिदीन (फ़साद करने वालों) के ह़ालात छुप कर देखना सुनना ताकि उन के फ़साद की रोकथाम हो सके, जाइज़ है।[(5)] ❀ नोकर रखने, शराकत दारी (या'नी पार्टनर शिप करने) या कहीं शादी का इरादा है तो ह़स्बे ज़रूरत मा'लूमात करना गुनाह नहीं।[(6)]

1 ...ابوداود، کتاب الادب، باب فی الغیبۃ، 4/354، حدیث:4880
2 ...الحدیقۃ الندیۃ، الخلق الرابع والعشرون، 2/9
3 ... नेकी की दा'वत, स. 399, ब तक़द्दुम व तअख़्ख़ुर
4 ... फ़तावा रज़विय्या, 14/271, ब तग़य्युर
5 ... मिरआतुल मनाजीह़, 7/326, ब तग़य्युरे क़लील
6 ... नेकी की दा'वत, स. 398, 399

तजस्सुस के अस्बाब

(1) बुग़्ज़ो कीना (2) ह़सद (3) चुग़ल ख़ोरी की आ़दत (ऐसा शख़्स एक दूसरे तक बातें पहुंचाने के लिये लोगों के ऐ़ब तलाश करने में लगा रहता है) ।

तजस्सुस से बचने के त़रीक़े

❀ अपने ऐ़बों पर नज़र रखिये और उन्हें दूर करने में लग जाइये । बे जा सोचना छोड़ दीजिये ।
❀ **अल्लाह** पाक की रिज़ा के लिये आपस में मह़ब्बत कीजिये और दिल से मुसल्मानों का बुग़्ज़ो कीना निकाल दीजिये ।
❀ ख़ुद को जहन्नम के अ़ज़ाब से डराइये । रिवायत में है कि जिस को सब से कम दरजे का अ़ज़ाब होगा उसे आग की जूतियां पहना दी जाएंगी जिस से उस का दिमाग़ ऐसा खौलेगा जैसे तांबे की पतीली खौलती है, वोह समझेगा कि सब से ज़ियादा अ़ज़ाब उस पर हो रहा है ह़ालां कि उस पर सब से हलका है ।[1]

सबक़ नम्बर 19 — बद निगाही का बयान

क़ुरआन में बद निगाही की मज़म्मत का ज़िक्र

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ یَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَ یَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ؕ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِیْرٌۢ بِمَا یَصْنَعُوْنَ ۳۰ (پ18،النور:30)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : मुसल्मान मर्दों को हुक्म दो अपनी निगाहें कुछ नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की ह़िफ़ाज़त करें येह उन के लिये बहुत सुथरा है बेशक **अल्लाह** को उन के कामों की ख़बर है ।

आयत की तफ़्सीर

नज़र नीची रखना दिल को बहुत ज़ियादा पाक करता है और नेकियों में इज़ाफ़े का ज़रीआ़ है, इस की वज्ह येह है कि अगर तुम नज़र नीची न रखो बल्कि इसे आज़ादाना हर चीज़ पर डालो तो बसा अवक़ात तुम बे फ़ाएदा और फ़ुज़ूल भी इधर उधर देखना शुरूअ़ कर दोगे और रफ़्ता रफ़्ता तुम्हारी नज़र

[1] ...مسلم، کتاب الایمان، باب اھون اھل النار عذابا، ص111، حدیث:514

ह़राम पर भी पड़ना शुरूअ़ हो जाएगी। अब अगर जान बूझ कर ह़राम पर नज़र डालोगे तो येह बहुत बड़ा गुनाह है और ऐन मुम्किन है कि तुम्हारा दिल ह़राम चीज़ पर फ़रेफ़्ता हो जाए और तुम तबाही का शिकार हो जाओ।[1]

ह़दीस में बद निगाही की मज़म्मत का ज़िक्र

रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : तुम या तो अपनी निगाहें नीची रखोगे और अपनी शर्मगाहों की ह़िफ़ाज़त करोगे और अपने चेहरों को सीधे रखोगे या तुम्हारी शक्लें बिगाड़ दी जाएंगी।[2]

बद निगाही की ता'रीफ़

जिस को देखना जाइज़ नहीं क़स्दन (या'नी जान बूझ कर) उसे देखना बद निगाही है।

बद निगाही की मिसालें

❀ बेपर्दा अजनबी औ़रतों को देखना ❀ या पर्दादार औ़रत को शह्वत के साथ देखना ❀ इसी त़रह़ अम्रद (या'नी ख़ूब सूरत लड़के) को शह्वत से देखना[3] ❀ मर्द ने ऐसा बारीक लिबास पहना हो जिस से उस की पर्दे की जगहें या'नी नाफ़ के नीचे से ले कर घुटने के नीचे तक किसी ह़िस्से की रंगत चमक्ती हो तो उस को देखना भी बद निगाही है।

बद निगाही का हुक्म

बद निगाही ह़राम[4] और जहन्नम में ले जाने वाला काम है।

चन्द अह़काम

❀ (मर्द व औ़रत में से) हर एक का दूसरे की औ़रत (या'नी पर्दे की जगह) को देखना क़त़्ई ह़राम है और इसी त़रह़ ग़ैर जाए सत्र (या'नी पर्दे की जगह के इलावा) को देखना भी ह़राम है जब कि शह्वत से अम्न न हो।[5] ❀ अम्रद (या'नी ख़ूब सूरत) लड़के को शह्वत से देखना

1... तफ़्सीरे सिरातुल जिनान, पारह : 18, अन्नूर, तह़्तल आयह : 30, 6/617

2... معجم کبیر، 8/208، حدیث:7840

3... देख कर चिपटा लेने या बोसा लेने को जी चाहना, येह शह्वत की अ़लामतें हैं। (क़ौमे लूत़ की तबाह कारियां, स. 23)

4... फ़तावा रज़विय्या, 10/750 मुल्तक़त़न

5... फ़तावा रज़विय्या, 22/201 तस्हीलन

भी ह़राम है।[1] ❀ वाज़ेह़ रहे कि (जिस को देखना ह़राम है, उस पर) क़स्दन (या'नी जान बूझ कर) डाली जाने वाली पहली नज़र भी ह़राम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है।[2]

बद निगाही के अस्बाब

(1) इ़ल्मे दीन से दूरी (बहुत लोगों को इस का पता ही नहीं होता कि शरअ़न किस का किस से पर्दा है चुनान्चे वोह इस दीनी मस्अले से जाहिल होने की वज्ह से अपनी नज़रों की ह़िफ़ाज़त नहीं कर पाते मसलन आ़म तौ़र पर मुंहबोली बहन को ह़क़ीक़ी बहन की त़रह़ समझ कर पर्दे के मुआ़मले में एह़तियात़ नहीं की जाती, इसी त़रह़ चचाज़ाद, मामूंज़ाद और ख़ालाज़ाद वग़ैरा के दरमियान भी शरई़ पर्दे को ग़ैर ज़रूरी ख़याल किया जाता है ह़ालां कि येह सब ग़ैर मह़रम हैं और शरअ़न इन से भी पर्दा फ़र्ज़ है) (2) तफ़रीह़ गाहों में घूमना (आ़म तौ़र पर ऐसी जगहों में बेपर्दा औ़रतों की कसरत होती है जिस की वज्ह से नज़र की ह़िफ़ाज़त मुश्किल हो जाती है)। (3) इन्टरनेट और सोशल मीडिया का इस्ति'माल (4) फ़िल्में ड्रामे देखना (5) मख़्लूत़ ता'लीम (6) डान्स क्लब और स्विमिंग पूल वग़ैरा में जाना (7) जदीद फ़ेशन और मग़रिबी तहज़ीब को पसन्द करना (8) परेशान नज़री (या'नी राह चलते वक़्त और गाड़ी में सफ़र के दौरान बिला ज़रूरत इधर उधर देखना और साइन बोर्ड वग़ैरा पर नज़र डालते रहना)। (9) अपने घर के बरआमदों से बिला ज़रूरत बाहर नीज़ किसी और के दरवाज़ों वग़ैरा से घरों के अन्दर झांकना।

बद निगाही से बचने के त़रीक़े

❀ इ़ल्मे दीन ह़ासिल कीजिये। आंखों का क़ुफ़्ले मदीना लगाते हुए अक्सर निगाहें नीची रखिये, राह चलते वक़्त और दौराने सफ़र जब ड्राइविंग न कर रहे हों तो बिला ज़रूरत इधर उधर देखने, साइन बोर्ड पढ़ने नीज़ घर के बरआमदों से बाहर झांकने वग़ैरा से परहेज़ कीजिये।
❀ आंखों की ह़िफ़ाज़त के फ़ज़ाइल और बद निगाही के अ़ज़ाबात का मुत़ालआ़ कीजिये।
❀ मोबाइल और इन्टरनेट का इस्ति'माल सिर्फ़ ज़रूरत के मुत़ाबिक़ और वोह भी शरीअ़त के दाएरे में रह कर कीजिये नीज़ इन के इस्ति'माल के मुतअ़ल्लिक़ शरई़ एह़तियातें भी सीखिये।

1 ... ردالمحتار، کتاب الصلاۃ، مطلب فی النظر الی وجہ الامرد، 2/99

2 ... पर्दे के बारे में सुवाल जवाब, स. 296

❀ सिर्फ़ और सिर्फ़ 100 फ़ीसदी इस्लामी चेनल ही देखिये इस के इलावा गुनाहों भरे चेनल देखने, फ़िल्मों ड्रामों के ज़रीए़ आंखों को ह़राम से पुर करने से हमेशा बचते रहिये।

❀ अगर आंख बहक जाए और बद निगाही कर बैठें तो फ़ौरन नज़र वहां से हटा लीजिये, मुम्किन हो तो ख़ुद वहां से हट जाइये और सच्चे दिल से **अल्लाह** पाक की बारगाह में तौबा भी कीजिये। अगर मर्द के साथ ऐसा हो तो अव्वल आख़िर दुरूद शरीफ़ के साथ येह दुआ़ पढ़े :

"اَللّٰھُمَّ اِنِّیۡ اَعُوۡذُبِكَ مِنۡ فِتۡنَۃِ النِّسَآءِ وَعَذَابِ الۡقَبۡرِ"(1)

सबक़ नम्बर 20

मुदाहनत का बयान

क़ुरआन में मुदाहनत का ज़िक्र

كَانُوۡا لَا يَتَنَاهَوۡنَ عَنۡ مُّنۡكَرٍ فَعَلُوۡهُ ؕ لَبِئۡسَ مَا كَانُوۡا يَفۡعَلُوۡنَ ﴿۷۹﴾ (پ6،المآئدۃ:79)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : जो बुरी बात करते आपस में एक दूसरे को न रोकते ज़रूर बहुत ही बुरे काम करते थे।

आयत की तफ़्सीर

ह़दीस शरीफ़ में है कि जब बनी इसराईल गुनाहों में मुब्तला हुए तो उन के उ़लमा ने पहले तो उन्हें मन्अ़ किया, जब वोह बाज़ न आए तो फिर वोह उ़लमा भी उन से मिल गए और खाने पीने उठने बैठने में उन के साथ शामिल हो गए उन की इसी ना फ़रमानी और सरकशी का येह नतीजा हुवा कि **अल्लाह** पाक ने ह़ज़रते दावूद और ह़ज़रते ईसा عَلَيْهِمَا الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام की ज़बान से उन पर ला'नत उतारी।(2) इस से मा'लूम हुवा कि बुराई से लोगों को रोकना वाजिब है और (क़ुदरत के बा वुजूद) गुनाह से मन्अ़ करने से बाज़ रहना सख़्त गुनाह है।(3)

ह़दीस में मुदाहनत का ज़िक्र

रसूलुल्लाह صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : उस ज़ात की क़सम जिस के क़ब्ज़ए क़ुदरत में मेरी जान है ! मेरी उम्मत में से बा'ज़ लोग अपनी क़ब्रों से बन्दर और ख़िन्ज़ीर की शक्ल में उठेंगे, येह वोह लोग होंगे

1... पर्दे के बारे में सुवाल जवाब, स. 301 ब तग़य्युरे क़लील

2... ترمذی، کتاب تفسیر القرآن، باب ومن سورۃ المائدۃ، 5/36، حدیث:3059 ملتقطا

3... तफ़्सीरे सिरातुल जिनान, पारह : 6, अल माइदह, तह़तल आयह : 79, 2/479

जिन्हों ने गुनहगारों के साथ तअ़ल्लुक़ात रखे और क़ुदरत रखने के बा वुजूद उन्हें गुनाहों से मन्अ़ न किया।[1]

मुदाहनत की ता'रीफ़

बुराई (या'नी शरीअ़त के ख़िलाफ़ कोई काम) देखे और उस को रोकने पर क़ादिर हो लेकिन किसी का लिहाज़ करते हुए न रोके या दीन के मुआ़मले की ज़ियादा परवाह न करने की वज्ह से उस को न रोके तो येह मुदाहनत है।[2]

मुदाहनत का हुक्म

मुदाहनत ह़राम[3] और जहन्नम में ले जाने वाला काम है।

चन्द अह़काम

❀ अगर ग़ालिब गुमान येह है कि येह उन (या'नी शरीअ़त के ख़िलाफ़ काम करने वालों) से कहेगा तो वोह इस की बात मान लेंगे और बुरी बात से बाज़ आ जाएंगे तो अम्र बिल मा'रूफ़ (या'नी नेकी की दा'वत देना) वाजिब है इस को (बुराई रोकने से) बाज़ रहना जाइज़ नहीं ❀ और अगर गुमान ग़ालिब येह है कि वोह त़रह़ त़रह़ की तोहमत बांधेंगे और गालियां देंगे या मा'लूम है कि वोह इसे मारेंगे और येह सब्र न कर सकेगा या इस की वज्ह से फ़ितना व फ़साद पैदा होगा, आपस में लड़ाई ठन जाएगी तो तर्क करना (या'नी बुराई से मन्अ़ न करना) अफ़्ज़ल है।[4] ❀ जो बुराई रोकने पर क़ादिर न हो उसे चाहिये कि बुराई को कम अज़ कम दिल में ज़रूर बुरा जाने।[5]

मुदाहनत के अस्बाब

(1) जहालत (2) माल की त़मअ़ (मसलन किसी सेठ साहिब या अमीर आदमी की जानिब से नज़राने आते हों तो उसे गुनाह करते देख कर क़ुदरत के बा वुजूद मह़्ज़ इस लिये मन्अ़ न करना कि उस की त़रफ़ से इनायात बन्द हो जाएंगी) (3) मुरव्वत (बा'ज़ अवक़ात ज़ाती दोस्ती या किसी और वज्ह से बुराई करने वाले का लिहाज़ करते हुए क़ुदरत के बा वुजूद उसे बुराई से मन्अ़ नहीं किया जाता) (4) सुस्ती (5) बुरी सोह़बत (6) दुन्यवी अग़राज़ (जैसे बा'ज़ दफ़्आ़ किसी हुकूमती ओ़हदेदार या किसी बड़ी शख़्सिय्यत से

1...الامالی، الحدیث الثالث والثلاثون فی ذکر الولاۃ والامراء...الخ، 2/319، حدیث:2593
2...التعریفات، باب المیم، ص144
3...الحدیقۃ الندیۃ، الخلق التاسع والاربعون، المداہنۃ، 2/155
4... बहारे शरीअ़त, 3/615, हिस्सा : 16 मुलख़्ख़सन
5... नेकी की दा'वत, स. 537 ब तग़य्युरे क़लील

ज़ाती काम निकलवाना मसलन उस के ज़रीए बेटे की नोकरी लगवानी होती है तो उसे गुनाहों में मुलव्वस देख कर बा वुजूदे कुदरत चश्म पोशी से काम लेना ताकि येह नाराज़ न हो जाए वरना मत्लूबा काम रुक जाएगा) (7) खुशामद (क्यूं कि खुशामद करने वाला दूसरों की झूटी ता'रीफ़ें करता रहता है और गुनाह से रोकने पर कुदरत के बा वुजूद उस से मन्अ नहीं करता बल्कि बा'ज़ दफ़्आ गुनाह वाले काम को ही مَعَاذَاللّٰہ अच्छाइयों में शुमार कर डालता है) (8) हुब्बे जाह (या'नी शोहरत व इ़ज़्ज़त की ख़्वाहिश, ऐसा शख़्स शोहरतो इ़ज़्ज़त में कमी आने के ख़ौफ़ से मुदाहनत में मुब्तला हो जाता है) ।

मुदाहनत से बचने के त़रीक़े

❀ बुज़ुर्गाने दीन के वाक़िआत पढ़िये और देखिये कि वोह ह़ज़रात नेकी की दा'वत देने और बुराई से मन्अ करने में किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं करते थे, اِنْ شَآءَاللّٰہ ! नेकी की दा'वत देने और बुराई से मन्अ करने का जज़्बा पैदा होगा ।

❀ नेकी की दा'वत देने और बुराई से मन्अ करने के फ़ज़ाइलो फ़वाइद और इस काम को तर्क कर देने के नुक़्सानात का मुत़ालआ कीजिये और इस के अह़काम व मसाइल भी सीख लीजिये ।

❀ क़नाअ़त इख़्तियार कीजिये और दूसरों की जेब पर नज़र रखने के बजाए तवक्कुल इख़्तियार कीजिये ।

❀ क़ियामत की होलनाकियों और जहन्नम के ख़ौफ़नाक अ़ज़ाबात का मुत़ालआ कीजिये और अपने नाज़ुक बदन पर ग़ौर कीजिये कि मुदाहनत के सबब इन में से कोई अ़ज़ाब हम पर मुसल्लत़ कर दिया गया तो हमारा क्या बनेगा ।

❀ नेकी की दा'वत के मदनी काम में मसरूफ़े अ़मल, आ़शिक़ाने रसूल की मदनी तह़रीक दा'वते इस्लामी के मदनी माह़ोल के साथ वाबस्ता हो जाइये ।

❀ मदनी क़ाफ़िलों में सफ़र और दीगर मदनी कामों में बढ़ चढ़ कर ह़िस्सा लीजिये ताकि नेकी की दा'वत देने और बुराई से मन्अ करने की आ़दत पड़े और इस का अ़मली त़रीक़ा भी आ जाए ।

सबक़ नम्बर 21 धोका देही का बयान

क़ुरआन में धोका देही की मज़म्मत का ज़िक्र

اَفَاَمِنَ الَّذِیْنَ مَكَرُوا السَّیِّاٰتِ اَنْ یَّخْسِفَ اللّٰهُ بِهِمُ الْاَرْضَ اَوْ یَاْتِیَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَیْثُ لَا یَشْعُرُوْنَ ﴿۴۵﴾
(پ14، النحل، 45)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : तो क्या जो लोग बुरे मक्र करते हैं इस से नहीं डरते कि **अल्लाह** उन्हें ज़मीन में धंसा दे या उन्हें वहां से अ़ज़ाब आए जहां से उन्हें ख़बर न हो ।

ह़दीस में धोका देही की मज़म्मत का ज़िक्र

रसूलुल्लाह صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : मल्ऊ़न (ला'नत किया गया) है वोह शख़्स जिस ने किसी मोमिन को नुक़्सान पहुंचाया या धोका दिया।[1]

धोका देही की ता'रीफ़

बुराई को दिल में छुपा कर अच्छाई ज़ाहिर करना धोका है।[2]

धोका देही की मिसालें

❀ किसी चीज़ का ऐ़ब छुपा कर उस को बेचना ❀ अस्ल बता कर नक़्ल दे देना ❀ ख़रीदार से छुपा कर सह़ीह़ चीज़ के साथ कुछ ख़राब चीज़ भी डाल देना जैसा कि बा'ज़ फल फ़रोश ऐसा करते हैं ❀ ग़लत़ बयानी कर के किसी से माल बटोरना जैसा कि पेशावर भिकारियों का त़रीक़ा है ❀ वोह खेल तमाशे जिन में मह़ज़ हाथ की सफ़ाई दिखा कर देखने वालों को बे वुक़ूफ़ बनाया जाता है वग़ैरा।

धोका देही का हुक्म

मुसल्मानों के साथ मक्र या'नी धोकाबाज़ी क़त़्अ़न ह़राम और गुनाहे कबीरा है जिस की सज़ा जहन्नम का अ़ज़ाबे अ़ज़ीम है।[3]

चन्द अह़काम

❀ मक्रो फ़रेब और डरा धम्का कर किसी से माल लेना क़त़्ई ह़राम है।[4] ❀ ह़र्बी काफ़िर का माल जो बिग़ैर धोका देही के मिले ह़लाल है।[5] ❀ आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत मौलाना अह़मद रज़ा ख़ान رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه इर्शाद फ़रमाते हैं : आ'माल जिस में कुछ न हों जैसे आज कल के भान मती

1... ترمذی، کتاب البر والصلۃ، باب ماجاء فی الخیانۃ والغش، 3/378، حدیث:1948

2... तफ़्सीरे नई़मी, पारह : 1, अल बक़रह, तह़तल आयह : 9, 1/133

3... जहन्नम के ख़त़रात, स. 171 मुल्तक़त़न

4... फ़तावा रज़विय्या, 19/653

5... मिरआतुल मनाजीह़, 1/164

(या'नी मदारी) तमाशे करते हैं इस में महज़ हथफेरी होती है। उ़लमाए किराम फ़रमाते हैं : "येह भी ह़राम है कि इस में धोका देना है और धोका देना शरीअ़त पसन्द नहीं फ़रमाती।" ह़दीस में है[1] "مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا वोह हम में से नहीं जो धोका दे।"[2]

धोका देही के अस्बाब

(1) माल जम्अ़ करने का लालच (2) दूसरों को बे वुक़ूफ़ बना कर ख़ुश होना (3) बुरी सोह़बत (4) ख़ियानत करने की आ़दत।

धोका देही से बचने के त़रीक़े

❀ अपने दिल में एह़तिरामे मुस्लिम का जज़्बा बेदार कीजिये, इस के लिये शैख़े त़रीक़त, अमीरे अहले सुन्नत ह़ज़रत अ़ल्लामा मौलाना मुह़म्मद इल्यास अ़त्तार क़ादिरी دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه के रिसाले "एह़तिरामे मुस्लिम" का मुत़ालआ़ मुफ़ीद है।

❀ मक्र या'नी धोकाबाज़ी के दुन्यवी व उख़्रवी नुक़्सानात को पेशे नज़र रखिये, मसलन धोकाबाज़ से सब लोग दूर भागते हैं, कोई ऐसे शख़्स के साथ मेलजोल और ख़रीदो फ़रोख़्त वग़ैरा मुआ़मलात करना पसन्द नहीं करता मज़ीद येह कि इस काम में जहन्नम की ह़क़दारी भी है।

❀ क़नाअ़त इख़्तियार कीजिये और मालो दौलत का लालच दिल से दूर कर दीजिये कि येह बहुत बुरा मरज़ है।

❀ क़ब्र की तंगी व वह़शत और क़ियामत की होलनाकियों को कसरत के साथ याद कीजिये, اِنْ شَآءَاللّٰه ! गुनाहों से बचने और नेकियां करने का ज़ेह्न बनेगा।

❀ सिर्फ़ नेक, परहेज़ गार आ़शिक़ाने रसूल की सोह़बत इख़्तियार कीजिये और बुरे लोगों से हमेशा दूर रहिये।

सबक़ नम्बर 22 — ग़स्ब का बयान

क़ुरआन में ग़स्ब का ज़िक्र

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْۤا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ (پ5،النسآء:29)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : ऐ ईमान वालो आपस में एक दूसरे के माल नाह़क़ न खाओ।

1... मल्फ़ूज़ाते आ'ला ह़ज़रत, स. 476

2... مسلم،کتاب الایمان،باب قول النبی من غشنا فلیس منا،ص64،حدیث:283

आयत की तफ़्सीर

इस आयत में बातिल तौर पर किसी का माल खाना ह़राम फ़रमाया गया ख़्वाह लूट कर हो या छीन कर, चोरी से या जूए से या ह़राम तमाशों या ह़राम कामों या ह़राम चीज़ों के बदले या रिश्वत या झूटी गवाही से येह सब मम्नूअ़ व ह़राम है।[1]

ह़दीस में ग़स्ब का ज़िक्र

रसूलुल्लाह صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : जो शख़्स पराया माल ले लेगा वोह क़ियामत के दिन **अल्लाह** पाक से कोढ़ी (यानी बरस का मरीज़) हो कर मिलेगा।[2]

ग़स्ब की ता'रीफ़

माले मुतक़व्विम (या'नी जिसे शरीअ़त ने माल क़रार दिया हो) मोह़तरम (या'नी जिसे शरीअ़त ने क़ाबिले हुर्मत क़रार दिया है) को उस के मालिक की इजाज़त के बिग़ैर ले लेना ग़स्ब है जब कि येह लेना खुफ़्यतन (या'नी पोशीदा तौर पर) न हो।[3]

ग़स्ब का हुक्म

ग़स्ब ह़राम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है।

चन्द अह़काम

❀ ग़स्ब की हुर्मत (या'नी ह़राम होना) ज़रूरिय्याते दीन में से है लिहाज़ा अगर वाक़ेई किसी ने ग़स्ब को ह़लाल क़रार दिया तो उस पर हुक्मे कुफ़्र है।[4] ❀ ग़स्ब की हुई चीज़ का (ग़ासिब या'नी ग़स्ब करने वाला बिल्कुल मालिक नहीं बनता बल्कि उस को) येह हुक्म है कि अगर चीज़ मौजूद हो तो उस के मालिक को वापस करे और अगर मौजूद न हो तो मालिक को उस का तावान दे।[5]

ग़स्ब के अस्बाब

(1) मालो दौलत की मह़ब्बत (2) ख़ानदानी दुश्मनियां (3) ह़सद (4) तकब्बुर।

1... तफ़्सीरे सिरातुल जिनान, पारह : 5, अन्निसाअ, तह़्तल आयह : 29, 2/182

2... معجم کبیر، 1/233، حدیث: 637

3... التعریفات، باب الغین، ص 115

4... कुफ़्रिय्या कलिमात के बारे में सुवाल जवाब, स. 414 ब तग़य्युरे क़लील

5... बहारे शरीअ़त, 3/210, हिस्सा : 15 ब तग़य्युरे क़लील

ग़स्ब से बचने के त़रीके़

❀ क़ब्र की तंगी व वह़शत और क़ियामत की होलनाकियों से ख़ुद को डराइये और दिल में ख़ौफ़े ख़ुदा पैदा कीजिये, اِنْ شَآءَ اللّٰه ! दिल से मालो दौलत की मह़ब्बत दूर होगी और शरीअ़तो सुन्नत के मुत़ाबिक़ ज़िन्दगी गुज़ारने का मदनी ज़ेह्न बनेगा।

❀ **अल्लाह** पाक की रिज़ा के लिये एक दूसरे को मुआ़फ़ करने की आ़दत अपनाइये और आपस में नफ़रतें ख़त्म कर के मह़ब्बतों को आ़म कीजिये।

❀ इस बात पर ग़ौर कीजिये कि किसी का माल नाह़क़ दबा लेना आख़िरत में किस क़दर नुक़्सान का सबब है चुनान्चे आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत मौलाना अह़मद रज़ा ख़ान رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه नक़्ल फ़रमाते हैं : जो दुन्या में किसी के तक़रीबन तीन पैसे दैन (या'नी क़र्ज़) दबा लेगा बरोज़े क़ियामत उस के बदले 700 बा जमाअ़त नमाज़ें देनी पड़ जाएंगी।[1]

सबक़ नम्बर 23 — बुख़्ल का बयान

क़ुरआन में बुख़्ल का ज़िक्र

وَلَا یَحْسَبَنَّ الَّذِیْنَ یَبْخَلُوْنَ بِمَاۤ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَیْرًا لَّهُمْؕ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْؕ سَیُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ یَوْمَ الْقِیٰمَةِؕ (پ4، آلِ عمران:180)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और जो बुख़्ल करते हैं उस चीज़ में जो **अल्लाह** ने उन्हें अपने फ़ज़्ल से दी हरगिज़ उसे अपने लिये अच्छा न समझें बल्कि वोह उन के लिये बुरा है अ़न्क़रीब वोह जिस में बुख़्ल किया था क़ियामत के दिन उन के गले का त़ौक़ होगा।

ह़दीस में बुख़्ल का ज़िक्र

रसूलुल्लाह صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : **अल्लाह** पाक ने बुख़्ल को अपने ग़ज़ब से पैदा किया और इस की जड़ को ज़क़्क़ूम (जहन्नम के एक दरख़्त) की जड़ में रासिख़ किया और इस की बा'ज़ शाख़ें ज़मीन की त़रफ़ झुका दीं तो जो शख़्स बुख़्ल की किसी टहनी को पकड़ लेता है **अल्लाह** पाक उसे जहन्नम में दाख़िल फ़रमा देता है। सुन लो ! बेशक बुख़्ल नाशुक्री है और नाशुक्री जहन्नम में है।[2]

1... फ़तावा रज़विय्या, 25/69 ब तग़य्युरे क़लील

2... كنز العمال، كتاب الزكاة، الباب الثاني في السخاء والصدقة، جز6، 3/169، حديث:16213

बुख़्ल की ता'रीफ़

जहां शरअ़न या उ़र्फ़ो आ़दत के ए'तिबार से ख़र्च करना वाजिब हो वहां ख़र्च न करना बुख़्ल (कन्जूसी) है। ज़कात सदक़ए फ़ित्र वग़ैरा में ख़र्च करना शरअ़न वाजिब है और दोस्त अह़बाब, अ़ज़ीज़ रिश्तेदारों पर ख़र्च करना उ़र्फ़ो आ़दत के ए'तिबार से वाजिब है।[1]

बुख़्ल की मिसालें

❀ ज़कात फ़र्ज़ होने के बा वुजूद न देना ❀ फ़ित्रा वाजिब होने के बा वुजूद न देना ❀ मेहमान की मेहमान नवाज़ी में बिला वज्ह तंगी करना।

बुख़्ल का हुक्म

बुख़्ल करना ना जाइज़ है।

चन्द अह़काम

❀ बुख़्ल मोहलिक (या'नी हलाक करने वाला) मरज़ है।[2] ❀ बुख़्ल बा'ज़ अवक़ात कई गुनाहों का सबब बन जाता है लिहाज़ा हर मुसल्मान को इस से बचना लाज़िम है। ❀ जहां माल ख़र्च करना शरअ़न ज़रूरी है मसलन फ़र्ज़ होने की सूरत में ज़कात अदा करना, वाजिब होने की सूरत में सदक़ए फ़ित्र अदा करना, इसी त़रह़ क़सम वग़ैरा का कफ़्फ़ारा देना, इन कामों में बुख़्ल करना गुनाह और जहन्नम में ले जाने वाला काम है।

बुख़्ल के अस्बाब

(1) माल की मह़ब्बत (2) लम्बी उम्मीद, लम्बी उम्मीदों के सबब माल जम्अ़ करने की ह़िर्स बढ़ जाती है और इन्सान आख़िरत से ग़ाफ़िल हो कर दुन्या में मशग़ूल हो जाता है तो दुन्यवी कल संवारने की फ़िक्रें इसे बुख़्ल पर उभारती हैं। (3) तंगदस्ती का ख़ौफ़ (4) नफ़्सानी ख़्वाहिशात का ग़लबा (कि उन को पूरा करने के लिये शरई वाजिबात और दूसरे हुक़ूक़ अदा करने के मुआ़मले में सुस्ती होने लग जाती है)। (5) बच्चों के रोशन मुस्तक़्बिल की फ़िक्र।

1 ... احیاء العلوم، کتاب ذم البخل وذم حب المال، بیان حد السخاء والبخل و حقیقتہما، 3/320، ملخصا
2 ... تبیین المحارم، الباب الثالث والثلثون: فی البخل، ص190

बुख़्ल से बचने के त़रीक़े

❀ क़ब्रो आख़िरत को याद कीजिये कि मेरा येह माल क़ब्र में मेरे किसी काम न आएगा, اِنۡ شَآءَاللہ दिल से मालो दौलत की मह़ब्बत दूर होगी और क़ब्रो आख़िरत की तय्यारी करने का ज़ेह्न बनेगा।

❀ मौत और क़ब्रो आख़िरत की याद से लम्बी उम्मीदों से भी छुटकारा मिलेगा।

❀ येह बात ज़ेह्न में बिठा लीजिये कि राहे ख़ुदा में माल ख़र्च करने से कमी नहीं आती बल्कि इज़ाफ़ा ही होता है। तंगदस्ती बुख़्ल की वज्ह से आती है। **फ़रमाने मुस्त़फ़ा** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم : "बुख़्ल मत करो ! वरना तुम पर तंगी कर दी जाएगी।"[(1)]

❀ नफ़्सानी ख़्वाहिशात के नुक़्सानात और इस के उख़्रवी अन्जाम का बार बार मुत़ालआ़ कीजिये। इस सिल्सिले में अमीरे अहले सुन्नत का रिसाला "गुनाहों का इलाज" पढ़ना मुफ़ीद है।

❀ **अल्लाह** पाक पर भरोसा रखने में अपने यक़ीन को मज़ीद पुख़्ता करे कि जिस रब ने मेरा मुस्तक़्बिल बेहतर बनाया है वोही रब मेरे बच्चों के मुस्तक़्बिल को भी बेहतर बनाने पर क़ादिर है।

सबक़ नम्बर 24

ज़ुल्म का बयान

क़ुरआन में ज़ुल्म का ज़िक्र

اِنَّمَا السَّبِیۡلُ عَلَی الَّذِیۡنَ یَظۡلِمُوۡنَ النَّاسَ وَ یَبۡغُوۡنَ فِی الۡاَرۡضِ بِغَیۡرِ الۡحَقِّ ؕ اُولٰٓئِکَ لَهُمۡ عَذَابٌ اَلِیۡمٌ ﴿۴۲﴾ (پ25،الشوریٰ:42)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : मुआख़ज़ा तो उन्हीं पर है जो लोगों पर ज़ुल्म करते हैं और ज़मीन में नाह़क़ सरकशी फैलाते हैं उन के लिये दर्दनाक अ़ज़ाब है।

आयत की तफ़्सीर

या'नी गिरिफ़्त सिर्फ़ उन लोगों पर है जो इब्तिदाअन लोगों पर ज़ुल्म करते हैं और तकब्बुर और गुनाहों का इरतिकाब कर के और फ़साद बरपा कर के ज़मीन में नाह़क़ सरकशी फैलाते हैं, उन के लिये दर्दनाक अ़ज़ाब है।[(2)]

1... بخاری، کتاب الزکاۃ، باب التحریض علی الصدقۃ...الخ، 1/483، حدیث:1433

2... तफ़्सीरे सिरातुल जिनान, पारह : 25, अश्शूरा, तह़्तल आयह : 42, 9/87

ह़दीस में ज़ुल्म का ज़िक्र

रसूलुल्लाह صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : मेरी उम्मत में मुफ़्लिस वोह शख़्स है जो क़ियामत के दिन नमाज़, रोज़ा, ज़कात तो ले कर आएगा मगर साथ ही किसी को गाली भी दी होगी, किसी को तोहमत लगाई होगी, उस का माले नाह़क़ खाया होगा, इस का ख़ून बहाया होगा, उस को मारा होगा तो उस की नेकियों में से कुछ इस मज़्लूम को दे दी जाएंगी और कुछ उस मज़्लूम को फिर अगर इस के ज़िम्मे जो ह़ुक़ूक़ थे उन की अदाएगी से पहले उस की नेकियां ख़त्म हो जाएं तो उन (या'नी मज़्लूमों) के गुनाह ले कर इस (या'नी ज़ालिम) पर डाले जाएंगे फिर उस (ज़ालिम) शख़्स को जहन्नम में डाल दिया जाएगा।(1)

ज़ुल्म की ता'रीफ़

हर वोह नुक़्सान और आज़ार (तक्लीफ़) जो बिला इजाज़ते शर्ई किसी के दीन, इ़ज़्ज़त, जान, जिस्म, माल या दिल को पहुंचाया जाए ज़ुल्म है चाहे वोह नुक़्सान और तक्लीफ़ क़ौल के ज़रीए (या'नी कोई बात कह कर) हो या फ़े'ल के ज़रीए (या'नी किसी अ़मल की वज्ह से) हो या तर्क के ज़रीए (मसलन मज़दूर को उस की उजरत देने में बिला वज्ह ताख़ीर की)।(2)

ज़ुल्म की मिसालें

❀ किसी को क़त्ल कर देना ❀ मारपीट करना ❀ क़र्ज़ ले कर दबा लेना ❀ गाली देना ❀ ग़ीबत व चुग़ली करना ❀ मज़दूर की उजरत दबा लेना ❀ चोरी ❀ डाका ❀ अमानत में ख़ियानत करना वग़ैरा।

ज़ुल्म का ह़ुक्म

ज़ुल्म शर्अ़न और अ़क़्लन ह़राम है, किसी ह़ालत और किसी सूरत में जाइज़ नहीं।(3)

चन्द अह़काम

❀ जानवर पर ज़ुल्म करना इन्सान पर ज़ुल्म करने से ज़ियादा गुनाह है क्यूं कि इन्सान तो किसी से अपना दुख दर्द कह सकता है, बे ज़बान जानवर किस से कहे, उस का **अल्लाह** के सिवा फ़रियाद

1 ... مسلم، کتاب البر والصلۃ والآداب، باب تحریم الظلم، ص1079، حدیث:6579

2 ... फ़तावा रज़विय्या, 24/459 मुफ़स्सलन

3 ... الاختیار لتعلیل المختار، کتاب الاکراہ، 116/2

सुनने वाला कौन है ![1] ❀ (अगर किसी पर ज़ुल्म किया तो बारगाहे इलाही में सिर्फ़ तौबा कर लेना काफ़ी नहीं बल्कि बन्दों के जो हुक़ूक़ पामाल किये हों वोह भी अदा करने होंगे मसलन) जिस का माल दबाया है फ़र्ज़ है कि उतना माल उसे दे, वोह न रहा हो तो उस के वारिस को दे, वोह भी न हो तो फ़क़ीर पर सदक़ा कर दे, इस के इलावा किसी त़रह़ उस माल से सुबुक दोश (या'नी बरिय्युज़्ज़िम्मा) नहीं हो सकता और जिसे माल के इलावा कोई और ईज़ा दी हो या बुरा कहा हो उस से मुआ़फ़ी मांगे यहां तक कि वोह मुआ़फ़ कर दे जिस त़रह़ मुम्किन हो मुआ़फ़ी ले, वोह न रहा हो और था मुसल्मान तो उस के लिये सदक़ा, तिलावत और नवाफ़िल (वग़ैरा नेक आ'माल) का सवाब पहुंचाता रहे और काफ़िर था तो (उसे ईसाले सवाब जाइज़ नहीं, लिहाज़ा) इस के इलावा और कोई तदबीर नहीं कि अपने रब की त़रफ़ रुजूअ़ और तौबा व इस्तिग़्फ़ार करता रहे, वोह मालिक व क़ादिर है।[2]

ज़ुल्म के अस्बाब

(1) ग़ुस्सा (2) लड़ाई झगड़ा (3) मालो दौलत की ह़िर्स (4) जहालत (5) बुग़्ज़ो कीना या'नी दिल में किसी के ख़िलाफ़ बिग़ैर किसी शर्ई वज्ह के नफ़रत और दुश्मनी रखना वग़ैरा।

ज़ुल्म करने से बचने के त़रीक़े

❀ क़ुरआनो ह़दीस में ज़िक्र किये गए ज़ुल्म के होलनाक अ़ज़ाबात का मुत़ालआ़ कीजिये और अपने नाज़ुक बदन पर ग़ौर कीजिये कि ज़ुल्म के सबब अगर इन में से कोई अ़ज़ाब हम पर मुसल्लत़ कर दिया गया तो हमारा क्या बनेगा।

❀ ग़ुस्से में आ कर किसी की ह़क़ तलफ़ी करने को दिल चाहे तो फ़ौरन अपने आप को यूं डराइये कि अगर मैं ग़ुस्से में आ कर ह़क़ तलफ़ी करूंगा तो गुनहगार और जहन्नम का ह़क़दार क़रार पाऊंगा कि येह गुनाह के ज़रीए ग़ुस्सा ठन्डा करना हुवा और फ़रमाने मुस्त़फ़ा صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم है : जहन्नम में एक दरवाज़ा है उस से वोही दाख़िल होंगे जिन का ग़ुस्सा किसी गुनाह के बा'द ही ठन्डा होता है।[3]

❀ मौत और क़ब्रो आख़िरत को कसरत से याद कीजिये इस से दिल नर्म होगा और दूसरों की ह़क़ तलफ़ी और ज़ुल्म करने से बचने का ज़ेहन बनेगा।

1... मिरआतुल मनाजीह़, 5/162

2... फ़तावा रज़विय्या, 24/379 ब तग़य्युरे क़लील

3... مسند الفردوس، 1/123حدیث:781

सबक़ नम्बर 25 फ़र्ज़ इल्म न सीखने का बयान

क़ुरआन में इल्म सीखने की अहम्मिय्यत

قُلۡ هَلۡ یَسۡتَوِی الَّذِیۡنَ یَعۡلَمُوۡنَ وَ الَّذِیۡنَ لَا یَعۡلَمُوۡنَ ؕ اِنَّمَا یَتَذَکَّرُ اُولُوا الۡاَلۡبَابِ ﴿۹﴾ (پ23، الزمر:9)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : तुम फ़रमाओ क्या बराबर हैं जानने वाले और अन्जान नसीहत तो वोही मानते हैं जो अक़्ल वाले हैं।

ह़दीस में इल्म सीखने की अहम्मिय्यत

रसूलुल्लाह صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : उस शख़्स के लिये हलाकत है जो इल्म ह़ासिल न करे और उस के लिये भी हलाकत है जो इल्म ह़ासिल करे फिर उस पर अ़मल न करे।[1]

इल्म की ता'रीफ़

इल्म वोह नूर है कि जो शै इस के दाएरे में आ गई मुन्कशिफ़ (या'नी ज़ाहिर) हो गई और जिस से मुतअ़ल्लिक़ हो गया उस की सूरत हमारे ज़ेह्न में मुर्तसिम (या'नी नक़्श) हो गई।[2]

इल्म का हुक्म

हर शख़्स पर उस की ह़ालते मौजूदा के मस्अले सीखना फ़र्ज़े ऐ़न है।[3] और इस को तर्क करना (या'नी मौजूदा ह़ालत के मुत़ाबिक़ ज़रूरत के मस्अले न सीखना) गुनाह है।

तरतीब के ए'तिबार से ह़ुसूले इल्म

❀ इल्मे दीन ह़ासिल करने के तअ़ल्लुक़ से सब से पहला और अहम तरीन फ़र्ज़ येह है कि बुन्यादी अ़क़ाइद का इल्म ह़ासिल करे जिस से आदमी सह़ीह़ुल अ़क़ीदा सुन्नी बनता है और इन्कार व मुख़ालफ़त से काफ़िर या गुमराह हो जाता है। ❀ इस के बा'द नमाज़ के मसाइल या'नी इस के फ़राइज़ और शराइत़ और नमाज़ तोड़ने वाली चीज़ों का इल्म ह़ासिल करे ताकि नमाज़ सह़ीह़ त़ौर पर अदा कर

1 ...كنز العمال، كتاب العلم، باب الثانی فی آفات العلم...الخ، جز10، 5/86، حدیث:29033

2 ... मल्फ़ूज़ाते आ'ला ह़ज़रत, स. 245

3 ... फ़तावा रज़विय्या, 23/624 मुल्तक़त़न

सके । ❀ फिर जब रमज़ानुल मुबारक की तशरीफ़ आवरी हो तो रोज़ों के मसाइल, ❀ साहिबे इस्तिताअ़त हो जाए तो हज के मसाइल, ❀ निकाह करना चाहे तो इस के ज़रूरी मसाइल, ❀ ताजिर हो तो ख़रीदो फ़रोख़्त के मसाइल, ❀ मुलाज़िम बनने और मुलाज़िम रखने वाले पर इजारे के मसाइल । ❀ अल ग़रज़ हर मुसल्मान आ़क़िल व बालिग़ मर्द व औ़रत पर उस की मौजूदा ह़ालत के मुत़ाबिक़ मस्अले सीखना फ़र्ज़े ऐ़न है ।[1] ❀ और अगर उस को येह ज़रूरी मस्अले मा'लूम नहीं और न इन को सीखने की कोशिश करे तो फ़र्ज़ उ़लूम न सीखने की वज्ह से गुनहगार होगा ।

फ़र्ज़ इ़ल्म न सीखने के बारे में अह़काम

❀ ह़स्बे ह़ाल (या'नी अपनी मौजूदा ह़ालत के मुत़ाबिक़) फ़र्ज़ उ़लूम न जानना गुनाह और न जानने के सबब गुनाह कर गुज़रना गुनाह दर गुनाह व ह़राम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है ।[2] ❀ दीन के ज़रूरी उ़लूम से ग़ाफ़िल हो कर दुन्यवी उ़लूम में मश्ग़ूल होना ह़राम है ।[3] ❀ जो शख़्स दीन के ज़रूरी उ़लूम से फ़राग़त पा कर ऐसे दुन्यवी उ़लूम पढ़े जिन में कोई बात ख़िलाफ़े शर्अ़ न हो तो येह एक मुबाह़ काम होगा जब कि इस के सबब किसी वाजिबे शरई़ में ख़लल न पड़े ।[4]

फ़र्ज़ इ़ल्म न सीखने के अस्बाब

(1) शैत़ान (कि येह जिस क़दर दुश्मनी इ़ल्म से रखता है और किसी चीज़ से नहीं रखता और सब से ज़ियादा वस्वसे भी इ़ल्म से रोकने के लिये दिल में डालता है) ।[5] (2) मालो दौलत की ह़िर्स (हर वक़्त माल जम्अ़ करते रहने का मज़्मूम जज़्बा भी इ़ल्म ह़ासिल करने की राह में बहुत बड़ी रुकावट है) ।[6] (3) जहालत (कि बा'ज़ लोगों को पता ही नहीं होता कि उन पर किन किन चीज़ों का इ़ल्म सीखना फ़र्ज़ है) । (4) मोबाइल फ़ोन, इन्टरनेट, सोशल मीडिया (इ़ल्म सीखने से दूर करने में इन चीज़ों का भी बड़ा किरदार है कि लोग इन चीज़ों के ग़ैर ज़रूरी और ह़द से ज़ियादा इस्ति'माल में पड़ कर अपना क़ीमती वक़्त फ़ुज़ूलिय्यात की नज़्र कर रहे हैं) । (5) सुस्ती व ला परवाही ।

1... फ़तावा रज़विय्या, 23/623 व 624 माख़ूज़न
2... नेकी की दा'वत, स. 137
3... फ़तावा रज़विय्या, 23/648 मुलख़्ख़सन
4... फ़तावा रज़विय्या, 23/648 मुलख़्ख़सन
5... फ़ैज़ाने इ़ल्म व उ़लमा, स. 23 ब तग़य्युरे क़लील
6... फ़ैज़ाने इ़ल्म व उ़लमा, स. 26 माख़ूज़न

इल्मे दीन ह़ासिल करने के त़रीके़

❀ इल्मे दीन सीखने के फ़ज़ाइल पढ़िये, ख़ास त़ौर पर इस तअ़ल्लुक़ से बुज़ुर्गाने दीन के वाक़िआ़त का मुत़ालआ़ कीजिये कि उन्हों ने कैसी कैसी मुश्किलात और परेशानियों के बा वुजूद इल्म ह़ासिल किया, اِنْ شَآءَ اللہ ! इल्मे दीन ह़ासिल करने का जज़्बा बेदार होगा।

❀ क़नाअ़त इख़्तियार कीजिये और मालो दौलत की मज़्मूम ह़िर्स से पीछा छुड़ाइये।

❀ आ़शिक़ाने रसूल की मदनी तह़रीक दा'वते इस्लामी के साथ हर दम वाबस्ता रहिये, मदनी मुज़ाकरे देखते रहिये, हफ़्तावार इज्तिमाआ़त में शिर्कत कीजिये, आ़शिक़ाने रसूल के साथ मदनी क़ाफ़िलों में सफ़र कीजिये बल्कि कोशिश कर के फ़ैज़ाने फ़र्ज़ उ़लूम कोर्स कर लीजिये, اِنْ شَآءَ اللہ बहुत सारे फ़र्ज़ उ़लूम सीख जाएंगे और मज़ीद इल्मे दीन ह़ासिल करने का जज़्बा भी पैदा होगा।

❀ दा'वते इस्लामी के ज़ेरे एहतिमाम होने वाला 30 रोज़ा ए'तिकाफ़ कर लीजिये कि इस में भी बहुत सारे फ़र्ज़ उ़लूम सिखाए जाते हैं।

❀ मक्तबतुल मदीना से शाएअ़ होने वाली और दीगर सह़ीह़ुल अ़क़ीदा सुन्नी उ़लमा की कुतुबो रसाइल का मुत़ालआ़ करते रहिये। दर्से निज़ामी (आ़लिम कोर्स) कर लीजिये।

सबक़ नम्बर 26 — ग़ुस्से का बयान

क़ुरआन में ग़ुस्सा पीने की फ़ज़ीलत

अल्लाह पाक क़ुरआने पाक में इर्शाद फ़रमाता है :

الَّذِیْنَ یُنْفِقُوْنَ فِی السَّرَّآءِ وَ الضَّرَّآءِ وَ الْكٰظِمِیْنَ الْغَیْظَ وَ الْعَافِیْنَ عَنِ النَّاسِؕ وَ اللّٰهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِیْنَ ﴿۱۳۴﴾

(پ4، آل عمران:134)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : वोह जो **अल्लाह** की राह में ख़र्च करते हैं ख़ुशी में और रन्ज में और ग़ुस्सा पीने वाले और लोगों से दर गुज़र करने वाले और नेक लोग **अल्लाह** के मह़बूब हैं।

आयत की तफ़्सीर

आयते मुबारका में मुत्तक़ीन के चार औसाफ़ बयान किये गए हैं : (1) ख़ुशह़ाली और तंगदस्ती दोनों ह़ाल में **अल्लाह** पाक की राह में ख़र्च करना, (2) ग़ुस्सा पी जाना, (3) लोगों को

मुआफ़ कर देना, (4) एह्सान करना।[1]

ह़दीस में ग़ुस्सा पीने की अहम्मिय्यत

एक शख़्स ने रसूले अकरम, शाहे बनी आदम صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم से अ़र्ज़ की : **या रसूलल्लाह !** मुझे कोई मुख़्तसर अ़मल बताइये ? आप صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : ग़ुस्सा न किया करो। उस ने दोबारा येही सुवाल किया तो आप صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : ग़ुस्सा न किया करो।[2]

ग़ुस्से की ता'रीफ़

अपने आप को तक्लीफ़ से दूर करने या तक्लीफ़ मिलने के बा'द उस का बदला लेने के लिये ख़ून का जोश मारना ग़ज़ब और ग़ुस्सा कहलाता है। और अपने ज़ाती इन्तिक़ाम के लिये ग़ुस्सा करना ग़ज़ब लिन्नफ़्स कहलाता है।

ग़ुस्से का हुक्म

ग़ज़ब लिन्नफ़्स (नफ़्स के लिये ग़ुस्सा) मज़्मूम है। मुत्लक़ ग़ुस्सा मज़्मूम व बुरा नहीं। बल्कि एक लाज़िमी अम्र है। क्यूं कि इस के ज़रीए इन्सान की दुन्या व आख़िरत की ह़िफ़ाज़त होती है। मसलन ह़क़ के इज़्हार और बात़िल के मिटाने के लिये शुजाअ़त व बहादुरी होना। येह अ़क़्लन, शरअ़न और उ़र्फ़न हर त़रह़ जाइज़ है। अलबत्ता ग़ैर शरई और अपने ज़ाती इन्तिक़ाम के लिये ग़ुस्से पर अ़मल करना ह़राम है।

ग़ुस्से से बचने के त़रीक़े

जब ग़ुस्सा आ जाए तो इन में से कोई भी एक या ज़रूरतन सारे इलाज फ़रमा लीजिये :

❀ اَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْم पढ़िये। وَلَاحَوْلَ وَلَاقُوَّۃَ اِلَّا بِاللّٰہ पढ़िये। चुप हो जाइये। वुज़ू कर लीजिये। नाक में पानी चढ़ाइये। खड़े हैं तो बैठ जाइये। बैठे हैं तो लैट जाइये और ज़मीन से चिपट जाइये। अपने गाल को ज़मीन से मिला दीजिये। वुज़ू हो तो सज्दा कर लीजिये ताकि एह़सास हो कि मैं ख़ाक से बना हूं लिहाज़ा बन्दे पर ग़ुस्सा करना मुझे ज़ेब नहीं देता।

❀ जिस पर ग़ुस्सा आ रहा है उस के सामने से हट जाइये। सोचिये कि अगर मैं ग़ुस्सा करूंगा तो दूसरा भी ग़ुस्सा करेगा और बदला लेगा और मुझे दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिये।

1... तफ़्सीरे सिरातुल जिनान, पारह : 4, आले इमरान, तह़तल आयह : 134, 2/54

2... بخاری، کتاب الادب، باب الحذر من الغضب، 4/131، حدیث:6116

मुन्तख़ब आयात

منزل ١

पारह 1 आयत 1-7

الٓمّٓ ﴿۱﴾ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَیْبَ ۛۚ فِیْهِ ۛۚ

الٓمّٓ① O वोह बुलन्द रुत्बा किताब जिस में किसी शक की गुन्जाइश नहीं । इस में

هُدًى لِّلْمُتَّقِیْنَ ﴿۲﴾ الَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِالْغَیْبِ وَ یُقِیْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا

डरने वालों के लिये हिदायत है O वोह लोग जो बिग़ैर देखे ईमान लाते हैं और नमाज़ क़ाइम करते हैं और हमारे

رَزَقْنٰهُمْ یُنْفِقُوْنَ ﴿۳﴾ وَ الَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَیْكَ وَ مَاۤ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ

दिये हुए रिज़्क़ में से कुछ (हमारी राह में) ख़र्च करते हैं ② O और वोह ईमान लाते हैं उस पर जो तुम्हारी त़रफ़ नाज़िल किया और जो तुम से पहले नाज़िल किया गया ③

وَ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ یُوْقِنُوْنَ ﴿۴﴾ اُولٰٓىِٕكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۗ وَ اُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿۵﴾

और वोह आख़िरत पर यक़ीन रखते हैं O येही लोग अपने रब की त़रफ़ से हिदायत पर हैं और येही लोग काम्याबी ह़ासिल करने वाले हैं O

اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا سَوَآءٌ عَلَیْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا یُؤْمِنُوْنَ ﴿۶﴾

बेशक वोह लोग जिन की क़िस्मत में कुफ़्र है उन के लिये बराबर है कि आप उन्हें डराएं या न डराएं, येह ईमान नहीं लाएंगे O

خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَ عَلٰى سَمْعِهِمْ ؕ وَ عَلٰۤى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۫ وَّ لَهُمْ عَذَابٌ

अल्लाह ने उन के दिलों पर और उन के कानों पर मोहर लगा दी है और उन की आंखों पर पर्दा पड़ा हुवा है ④ और उन के लिये बहुत बड़ा

عَظِیْمٌ ﴿۷﴾ ع

ع ٧/١

अ़ज़ाब है O

हाशिया ①... येह हुरूफ़ **अल्लाह** तआ़ला के राज़ हैं और मुतशाबहात में से हैं, इन की मुराद **अल्लाह** तआ़ला और उस का रसूल صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم जानते हैं और हम इन के ह़क़ होने पर ईमान लाते हैं । ②... इस से मा'लूम हुवा कि राहे ख़ुदा में माल ख़र्च करने में ऐसा नहीं होना चाहिये कि इतना ज़ियादा माल ख़र्च कर दिया जाए कि ख़र्च करने के बा'द आदमी पछताए और न ही ख़र्च करने में कन्जूसी से काम लिया जाए बल्कि इस में ए'तिदाल होना चाहिये । ③... **अल्लाह** तआ़ला की नाज़िल कर्दा किताबों पर ईमान लाने और क़ुरआने मजीद से पहली किताबों के अह़काम पर अ़मल करने की तफ़्सील तफ़्सीरे सिरातुल जिनान, जि. 1, स. 68 पर मुलाह़ज़ा फ़रमाएं । ④... काफ़िरों के दिलों और कानों पर मोहर लगना और आंखों पर पर्दा पड़ जाना उन के कुफ़्रो इनाद, सरकशी और अम्बियाए किराम عَلَيْهِمُ السَّلَام की अ़दावत के अन्जाम के त़ौर पर था वरना उन पर हिदायत की राहें शुरूअ़ से बन्द न थीं ।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا	पारह 2 आयत 153–157

ऐ ईमान वालो ! सब्र और नमाज़ से

بِالصَّبْرِ وَ الصَّلٰوةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿۱۵۳﴾ وَ لَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ

मदद मांगो,① बेशक **अल्लाह** साबिरों के साथ है O और जो **अल्लाह** की राह में मारे जाएं

فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ؕ بَلْ اَحْيَآءٌ وَّ لٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ ﴿۱۵۴﴾ وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ

उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वोह ज़िन्दा हैं लेकिन तुम्हें इस का शुऊर नहीं② O और हम ज़रूर तुम्हें

بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوْعِ وَ نَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَ الْاَنْفُسِ وَ الثَّمَرٰتِ ؕ

कुछ डर और भूक से और कुछ मालों और जानों और फलों की कमी से आज़्माएंगे

وَ بَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ﴿۱۵۵﴾ الَّذِيْنَ اِذَاۤ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ ۙ قَالُوْۤا اِنَّا لِلّٰهِ وَ

और सब्र करने वालों को खुश ख़बरी सुना दो O वोह लोग कि जब उन पर कोई मुसीबत आती है तो कहते हैं : हम **अल्लाह** ही के हैं और

اِنَّاۤ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ﴿۱۵۶﴾ اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ ۫ قف وَ

हम उसी की तरफ़ लौटने वाले हैं O येह वोह लोग हैं जिन पर उन के रब की तरफ़ से दुरूद हैं और रहमत और

اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ ﴿۱۵۷﴾

येही लोग हिदायत याफ़्ता हैं O

हाशिया ①... ग़ैरे ख़ुदा से मदद त़लब करना शिर्क नहीं है। इस मौज़ूअ़ की मज़ीद तफ़्सील तफ़्सीरे सिरातुल जिनान, जि. 1, स. 247 पर मुलाहज़ा फ़रमाएं। ②... शहीद क़त़ई तौर पर ज़िन्दा हैं लेकिन इन की ह़यात कैसी है इस का हमें शुऊर नहीं, इसी लिये दुन्यवी मुआ़मलात के ए'तिबार से इन पर आ़म मय्यित की त़रह़ शरई अह़काम जारी होते हैं।

पारह 3 आयत 284–286

لِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الْاَرْضِؕ

जो कुछ आस्मानों में है और जो कुछ ज़मीन में है सब **अल्लाह** ही का है

وَ اِنْ تُبْدُوْا مَا فِیْۤ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ یُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُؕ

और जो कुछ तुम्हारे दिल में है अगर तुम उसे ज़ाहिर करो या छुपाओ, **अल्लाह** तुम से उस का हिसाब लेगा[1]

فَیَغْفِرُ لِمَنْ یَّشَآءُ وَ یُعَذِّبُ مَنْ یَّشَآءُؕ وَ اللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ﴿۲۸۴﴾ اٰمَنَ

तो जिसे चाहेगा बख़्श देगा और जिसे चाहेगा सज़ा देगा और **अल्लाह** हर चीज़ पर क़ादिर है O रसूल उस पर ईमान

الرَّسُوْلُ بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَیْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَ الْمُؤْمِنُوْنَؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ مَلٰٓىٕكَتِهٖ وَ

लाया जो उस के रब की तरफ़ से उस की तरफ़ नाज़िल किया गया और मुसल्मान भी। सब **अल्लाह** पर और उस के फ़िरिश्तों और उस की किताबों

كُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ۫ لَا نُفَرِّقُ بَیْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ۫ وَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَ

और उस के रसूलों पर येह कहते हुए ईमान लाए कि हम उस के किसी रसूल पर ईमान लाने में फ़र्क़ नहीं करते और उन्हों ने अर्ज़ की :

اَطَعْنَا٘ۗ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَ اِلَیْكَ الْمَصِیْرُ ﴿۲۸۵﴾ لَا یُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَاؕ

ऐ हमारे रब ! हम ने सुना और माना, (हम पर) तेरी मुआफ़ी हो और तेरी ही तरफ़ फिरना है O **अल्लाह** किसी जान पर उस की ताक़त के बराबर ही बोझ डालता है।

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَیْهَا مَا اكْتَسَبَتْؕ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَاۤ اِنْ نَّسِیْنَاۤ اَوْ

किसी जान ने जो अच्छा कमाया वोह उसी के लिये है और किसी जान ने जो बुरा कमाया उस का वबाल उसी पर है।[2] ऐ हमारे रब ! अगर हम भूलें या

اَخْطَاْنَاۚ رَبَّنَا وَ لَا تَحْمِلْ عَلَیْنَاۤ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِنَاۚ

ख़ता करें तो हमारी गिरिफ़्त न फ़रमा, ऐ हमारे रब ! और हम पर भारी बोझ न रख जैसा तू ने हम से पहले लोगों पर रखा था,

رَبَّنَا وَ لَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖۚ وَ اعْفُ عَنَّاٙ وَ اغْفِرْ لَنَاٙ وَ ارْحَمْنَاٙ

ऐ हमारे रब ! और हम पर वोह बोझ न डाल जिस की हमें ताक़त नहीं और हमें मुआफ़ फ़रमा दे और हमें बख़्श दे और हम पर मेहरबानी फ़रमा,

أَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۲۸۶﴾ ع ۴۰ ۸

तू हमारा मालिक है पस काफ़िर क़ौम के मुक़ाबले में हमारी मदद फ़रमा O

हाशिया ①... इन्सान के दिल में कई त़रह़ के ख़यालात आते हैं जैसे वस्वसा और अ़ज़्म व इरादा। वस्वसों से दिल को ख़ाली करना इन्सान की क़ुदरत में नहीं, इन पर मुआख़ज़ा नहीं है। दूसरे वोह ख़यालात जिन को इन्सान अपने दिल में जगह देता है और उन को अ़मल में लाने का क़स्द व इरादा करता है उन पर मुआख़ज़ा होगा और उन्ही का बयान इस आयत में है कि अपने दिलों में मौजूद चीज़ को तुम ज़ाहिर करो या छुपाओ **अल्लाह** तआ़ला तुम्हारा उन पर मुह़ासबा फ़रमाएगा। ②... येह आयते मुबारका आख़िरत के सवाब व अ़ज़ाब के बारे में है लेकिन इस त़रह़ का मुआ़मला दुन्या में भी पेश आता रहता है कि हर आदमी अपनी मेह़नत का फल पाता है, मेह़नत वाले को उस की मेह़नत का सिला मिलता है जब कि सुस्तो काहिल और कामचोर को उस की सुस्ती का अन्जाम देखना पड़ता है।

पारह 11 आयत 127-129

وَ اِذَا مَاۤ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ ؕ هَلْ

और जब कोई सूरत नाज़िल की जाती है तो एक दूसरे की त़रफ़ देखने लगते हैं कि

يَرٰىكُمْ مِّنْ اَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوْا ؕ صَرَفَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ

तुम्हें कोई देख तो नहीं रहा फिर पलट जाते हैं तो **अल्लाह** ने उन के दिल पलट दिये हैं क्यूं कि येह लोग

لَّا يَفْقَهُوْنَ ﴿۱۲۷﴾ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ

समझते नहीं O बेशक तुम्हारे पास तुम में से वोह अ़ज़ीम रसूल तशरीफ़ ले आए जिन पर तुम्हारा मशक़्क़त में पड़ना बहुत भारी गुज़रता है,①

حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۲۸﴾ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ

वोह तुम्हारी भलाई के निहायत चाहने वाले, मुसल्मानों पर बहुत मेह्रबान, रह़मत फ़रमाने वाले हैं② O फिर अगर वोह मुंह फेरें तो तुम फ़रमा दो कि मुझे

ع ۱۶ ۵ اللّٰهُ ۖ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿۱۲۹﴾ ع

अल्लाह काफ़ी है उस के सिवा कोई मा'बूद नहीं, मैं ने उसी पर भरोसा किया और वोह अ़र्शे अ़ज़ीम का मालिक है O

हाशिया ①... इस आयते मुबारका में सय्यिदुल मुरसलीन صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की तशरीफ़ आवरी या'नी मीलादे मुबारक का बयान, अख़्लाक़े ह़मीदा, औसाफ़े जलीला और फ़ज़ीलतो शरफ़ का बयान है। ②... इस आयत में **अल्लाह** तआ़ला ने हुज़ूर صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم को अपने दो नामों रऊफ़ और रह़ीम से मुशर्रफ़ फ़रमाया। येह आप صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की कमाल तक्रीम है।

पारह 15 आयत 78-84

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ

नमाज़ क़ाइम रखो सूरज ढलने से रात के

الَّیْلِ وَ قُرْاٰنَ الْفَجْرِؕ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا (۷۸) وَ مِنَ الَّیْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ

अंधेरे तक और सुब्ह़ का क़ुरआन, बेशक सुब्ह़ के क़ुरआन में फ़िरिश्ते ह़ाज़िर होते हैं O और रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़ो येह

نَافِلَةً لَّكَ ۖۗ عَسٰۤى اَنْ یَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا (۷۹) وَ قُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِیْ

ख़ास तुम्हारे लिये ज़ियादा है।[1] क़रीब है कि आप का रब आप को ऐसे मक़ाम पर फ़ाइज़ फ़रमाएगा कि जहां सब तुम्हारी ह़म्द करें O और ऐ ह़बीब ! यूं अ़र्ज़ करो कि ऐ मेरे रब

مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّ اَخْرِجْنِیْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّ اجْعَلْ لِّیْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا

मुझे पसन्दीदा त़रीक़े से दाख़िल फ़रमा और मुझे पसन्दीदा त़रीक़े से निकाल दे[2] और मेरे लिये अपनी त़रफ़ से मददगार

نَّصِیْرًا (۸۰) وَ قُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلُؕ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا (۸۱) وَ

क़ुव्वत बना दे O और तुम फ़रमाओ कि ह़क़ आया और बात़िल मिट गया बेशक बात़िल को मिटना ही था O और

نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِیْنَۙ وَ لَا یَزِیْدُ الظّٰلِمِیْنَ اِلَّا

हम क़ुरआन में वोह चीज़ उतारते हैं जो ईमान वालों के लिये शिफ़ा और रह़मत है और इस से ज़ालिमों को ख़सारा ही

خَسَارًا (۸۲) وَ اِذَاۤ اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَ نَاٰ بِجَانِبِهٖۚ وَ اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ

बढ़ता है O और जब हम इन्सान पर एह़सान करते हैं तो वोह मुंह फेर लेता है और अपनी त़रफ़ से दूर हट जाता है और जब उसे बुराई पहुंचती है

كَانَ یَـٴُـوْسًا (۸۳) قُلْ كُلٌّ یَّعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖؕ فَرَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدٰى سَبِیْلًا (۸۴)

तो मायूस हो जाता है O तुम फ़रमाओ : सब अपने अपने अन्दाज़ पर काम करते हैं तो तुम्हारा रब उसे ख़ूब जानता है जो ज़ियादा हिदायत के रास्ते पर है O

ह़ाशिया: [1]... नमाज़े तहज्जुद ह़ुज़ूर صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم पर फ़र्ज़ थी, जुम्हूर का येही क़ौल है जब कि ह़ुज़ूर صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की उम्मत के लिये येह नमाज़ सुन्नत है। [2]... मुफ़स्सिरीन ने इस के बहुत से मत़ालिब व मआ़नी बयान फ़रमाए हैं, उन में से दो येह हैं : (1) मेरा दाख़िल होना और निकलना पसन्दीदा त़रीक़े से कर दे, जहां भी मैं दाख़िल होउं और जहां से भी मैं बाहर आऊं ख़्वाह वोह कोई मकान हो या काम। (2) मुझे क़ब्र में अपनी रिज़ा और त़हारत के साथ दाख़िल कर और क़ब्र से उठाते वक़्त इ़ज़्ज़तो करामत के साथ बाहर ला।

पारह 16 आयत 107-110

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ

बेशक जो लोग ईमान लाए और अच्छे आ'माल किये उन की मेहमानी

لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿١٠٧﴾ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿١٠٨﴾ قُلْ لَّوْ

के लिये फ़िरदौस के बाग़ात हैं① O वोह हमेशा उन में रहेंगे, उन से कोई दूसरी जगह बदलना न चाहेंगे O तुम फ़रमा दो : अगर

كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّيْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّيْ وَلَوْ

समुन्दर मेरे रब की बातों के लिये सियाही हो जाता तो ज़रूर समुन्दर ख़त्म हो जाता और मेरे रब की बातें ख़त्म न होतीं, अगर्चे

جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا ﴿١٠٩﴾ قُلْ اِنَّمَاۤ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰۤى اِلَيَّ اَنَّمَاۤ اِلٰهُكُمْ

हम उस की मदद के लिये उसी समुन्दर जैसा और ले आते② O तुम फ़रमाओ : मैं (ज़ाहिरन) तुम्हारी तरह एक बशर हूं③ मुझे वही आती है कि तुम्हारा मा'बूद

اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ

एक ही मा'बूद है तो जो अपने रब से मुलाक़ात की उम्मीद रखता हो उसे चाहिये कि नेक काम करे और अपने रब की

ع ١٢/٣ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖۤ اَحَدًا ﴿١١٠﴾

इबादत में किसी को शरीक न करे O

हाशिया ①... जन्नतें आठ हैं जिन के नाम येह हैं : दारुल जलाल, दारुल क़रार, दारुस्सलाम, जन्नते अ़दन, जन्नतुल मावा, जन्नतुल ख़ुल्द, जन्नतुल फ़िरदौस, जन्नतुन्नईम। इन में फ़िरदौस सब से आ'ला जन्नत है और इस की दुआ़ मांगने की तरग़ीब भी दी गई है, चुनान्चे **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : "जब **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ से मांगो तो फ़िरदौस मांगो, क्यूं कि वोह जन्नतों में सब के दरमियान और सब से बुलन्द है और उस पर रह़मान عَزَّوَجَلَّ का अ़र्श है और उसी से जन्नत की नहरें जारी होती हैं।" (بخاری، ٢/٢٥٠، الحدیث: ٢٧٩٠) ②... आयत में "کلمات" से मुराद **अल्लाह** तआ़ला के इ़ल्मो ह़िक्मत के कलिमात हैं जिन की कोई इन्तिहा नहीं। ③... हुज़ूर صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم नूर भी हैं और बशर भी। आप صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की ह़क़ीक़त नूर है और ज़ाहिरी सूरत बशरी है।

पारह 18 आयत 115-118

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّ اَنَّكُمْ

तो क्या तुम येह समझते हो कि हम ने तुम्हें बेकार बनाया और तुम

اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ ﴿۱۱۵﴾ فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ

हमारी त़रफ़ लौटाए नहीं जाओगे ? O तो वोह **अल्लाह** बहुत बुलन्दी वाला है जो सच्चा बादशाह है, उस के सिवा कोई मा'बूद नहीं,

رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ﴿۱۱۶﴾ وَ مَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۙ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ ۙ

वोह इ़ज़्ज़त वाले अ़र्श का मालिक है O और जो **अल्लाह** के साथ किसी दूसरे मा'बूद की इ़बादत करे जिस की उस के पास कोई दलील नहीं

فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿۱۱۷﴾ وَ قُلْ رَّبِّ اغْفِرْ

तो उस का ह़िसाब उस के रब के पास ही है, बेशक काफ़िर फ़लाह़ नहीं पाएंगे O और तुम अ़र्ज़ करो, ऐ मेरे रब ! बख़्श दे

ع ٢ ٢٦ ٢

وَ ارْحَمْ وَ اَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿۱۱۸﴾ ع

और रह़्म फ़रमा और तू सब से बेहतर रह़्म फ़रमाने वाला है[1] O

हाशिया ①... नबिय्ये करीम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم को इस्तिग़्फ़ार का हुक्म अपने दरजात की बुलन्दी और बारगाहे ख़ुदावन्दी में आ़जिज़ी के इज़्हार के लिये है नीज़ येह इस्तिग़्फ़ार उम्मत के गुनाहों के लिये भी है और उम्मत को इस्तिग़्फ़ार का त़रीक़ा सिखाने के लिये भी।

पारह 19 आयत 61-65

تَبٰرَكَ الَّذِيْ جَعَلَ فِي السَّمَآءِ بُرُوْجًا

बड़ी बरकत वाला है वोह जिस ने आस्मान में बुर्ज बनाए[1]

وَّ جَعَلَ فِيْهَا سِرٰجًا وَّ قَمَرًا مُّنِيْرًا ﴿۶۱﴾ وَ هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ الَّيْلَ وَ النَّهَارَ

और उन में चराग़ और रोशन करने वाला चांद बनाया o और वोही है जिस ने रात और दिन को एक दूसरे के

हाशिया ①... ह़ज़रते अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا फ़रमाते हैं कि बुरूज से सात सय्यारा सितारों की मन्ज़िलें मुराद हैं और इन बुर्जों की ता'दाद बारह है : (1) ह़म्ल। (2) सौर। (3) जौज़ा। (4) सरत़ान। (5) असद। (6) सुम्बुला। (7) मीज़ान। (8) अ़क़्रब। (9) क़ौस। (10) जद्य। (11) दल्व। (12) हूत। (خازن، الفرقان، تحت الآية: ٦١، ٣/٣٧٨)

خِلْفَةً لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ یَّذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا ﴿۶۲﴾ وَ عِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِیْنَ
पीछे आने वाला बनाया (येह) उस के लिये (निशानी) है जो नसीहत हासिल करना चाहता है या जो (**अल्लाह** का) शुक्र अदा करना चाहता है O और रहमान के वोह बन्दे
یَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّ اِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا ﴿۶۳﴾ وَ
जो ज़मीन पर आहिस्ता चलते हैं① और जब जाहिल उन से बात करते हैं तो कहते हैं ''बस सलाम''② O और
الَّذِیْنَ یَبِیْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّ قِیَامًا ﴿۶۴﴾ وَ الَّذِیْنَ یَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ
वोह जो अपने रब के लिये सज्दे और क़ियाम की हालत में रात गुज़ारते हैं③ O और वोह जो अ़र्ज़ करते हैं : ऐ हमारे रब ! हम से
عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿۶۵﴾
जहन्नम का अ़ज़ाब फेर दे, बेशक उस का अ़ज़ाब गले का फन्दा है O

हाशिया ①... इत्मीनानो वक़ार के साथ और आ़जिज़ाना शान से ज़मीन पर आहिस्ता चलना कामिल ईमान वालों का वस्फ़ है । ह़दीसे पाक में है ''तुम्हारे लिये सुकून (से चलना) ज़रूरी है क्यूं कि दौड़ने में कोई नेकी नहीं है ।'' (بخاری، ۱/۵۵۸، الحدیث:۱۶۷۱) ②... इस से मुराद मुतारकत का सलाम है और मा'ना येह है कि जाहिलों के साथ झगड़ा करने से ए'राज़ करते हैं । या येह मा'ना हैं कि ऐसी बात कहते हैं जो दुरुस्त हो और उस में ईज़ा और गुनाह न हो । ③... ह़दीसे पाक में है : तुम रात में क़ियाम करना इख़्तियार करो क्यूं कि येह तुम से पहले नेकों का त़रीक़ा है और तुम्हारे रब की त़रफ़ क़ुर्बत का ज़रीआ़, गुनाहों को मिटाने वाला और आयिन्दा गुनाहों से बचाने वाला है । (ترمذی، ۵/۳۲۳، الحدیث:۳۵۶۰)

یٰسٓ ﴿۱﴾ وَ الْقُرْاٰنِ الْحَكِیْمِ ﴿۲﴾ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِیْنَ ﴿۳﴾
یٰسٓ① O हिक्मत वाले कुरआन की क़सम O बेशक तुम रसूलों में से हो O
عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ ﴿۴﴾ تَنْزِیْلَ الْعَزِیْزِ الرَّحِیْمِ ﴿۵﴾ لِتُنْذِرَ
सीधी राह पर हो O इ़ज़्ज़त वाले मेह्रबान का उतारा हुवा O ताकि तुम

हाशिया ①... येह हुरूफ़े मुक़त्त़आ़त में से एक ह़र्फ़ है, इस की मुराद **अल्लाह** तआ़ला ही बेहतर जानता है । नीज़ किसी का नाम ''यासीन'' और ''त़ाहा'' रखना मन्अ़ है कि बा'ज़ उ़लमा के नज़्दीक येह दोनों **अल्लाह** तआ़ला के ऐसे नाम हैं जिन के मा'ना मा'लूम नहीं, क्या अ़जब कि इन के वोह मा'ना हों जो ग़ैरे खुदा पर सादिक़ न आ सकें, और बा'ज़ उ़लमा के नज़्दीक येह हुज़ूर صَلَّى اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के ऐसे नाम हैं जिन के मा'ना मा'लूम नहीं, हो सकता है इन का वोह मा'ना हो जो हुज़ूर صَلَّى اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के लिये ख़ास हो । इस लिये येह नाम रखने से बचना ज़रूरी है और जिन ह़ज़रात का नाम ''यासीन'' है वोह खुद को ''गुलाम यासीन'' लिखें और बताएं और दूसरे उसे ''गुलाम यासीन'' कह कर बुलाएं ।

قَوۡمًا مَّاۤ اُنۡذِرَ اٰبَآؤُهُمۡ فَهُمۡ غٰفِلُوۡنَ ﴿۶﴾ لَقَدۡ حَقَّ الۡقَوۡلُ عَلٰۤى

उस क़ौम को डराओ① जिस के बाप दादा को न डराया गया② तो वोह ग़फ़्लत में पड़े हुए हैं O बेशक उनमें अक्सर पर बात साबित

اَكۡثَرِهِمۡ فَهُمۡ لَا يُؤۡمِنُوۡنَ ﴿۷﴾ اِنَّا جَعَلۡنَا فِىۡۤ اَعۡنَاقِهِمۡ اَغۡلٰلًا فَهِىَ

हो चुकी है तो वोह ईमान न लाएंगे O हम ने उन की गरदनों में तौक़ डाल दिये हैं तो वोह

اِلَى الۡاَذۡقَانِ فَهُمۡ مُّقۡمَحُوۡنَ ﴿۸﴾ وَجَعَلۡنَا مِنۡۢ بَيۡنِ اَيۡدِيۡهِمۡ سَدًّا

ठोड़ियों तक हैं तो वोह ऊपर को मुंह उठाए हुए हैं O और हम ने उन के आगे दीवार बना दी

وَّمِنۡ خَلۡفِهِمۡ سَدًّا فَاَغۡشَيۡنٰهُمۡ فَهُمۡ لَا يُبۡصِرُوۡنَ ﴿۹﴾ وَسَوَآءٌ عَلَيۡهِمۡ

और उन के पीछे (भी) एक दीवार (बना दी) फिर उन्हें ऊपर से (भी) ढांक दिया तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता③ O और तुम्हारा उन्हें

ءَاَنۡذَرۡتَهُمۡ اَمۡ لَمۡ تُنۡذِرۡهُمۡ لَا يُؤۡمِنُوۡنَ ﴿۱۰﴾ اِنَّمَا تُنۡذِرُ مَنِ اتَّبَعَ

डराना और न डराना उन पर बराबर है वोह ईमान नहीं लाएंगे O तुम तो सिर्फ़ उसे डराते हो जो नसीहत की

الذِّكۡرَ وَخَشِىَ الرَّحۡمٰنَ بِالۡغَيۡبِ ۚ فَبَشِّرۡهُ بِمَغۡفِرَةٍ وَّاَجۡرٍ كَرِيۡمٍ ﴿۱۱﴾

पैरवी करे और रहमान से बिग़ैर देखे डरे तो उसे बख़्शिश और इ़ज़्ज़त के सवाब की बिशारत दो O

①... यहां आयत में बतौरे ख़ास कुफ़्फ़ारे क़ुरैश को अ़ज़ाबे इलाही से डराने का फ़रमाया गया और उ़मूमी तौर पर हुज़ूर صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم अहले अ़रब, अहले किताब वग़ैरा सभी को अ़ज़ाबे इलाही से डराने वाले हैं क्यूं कि आप صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم तमाम लोगों के लिये रसूल हैं। ②... क़ौमे क़ुरैश में हुज़ूर صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم से पहले कोई रसूल तशरीफ़ नहीं लाए और अ़रब में ह़ज़रते इस्माईल عَلَيْهِ السَّلَام के बा'द से ले कर हुज़ूर صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم तक कोई रसूल तशरीफ़ नहीं लाए जब कि अहले किताब के पास ह़ज़रते ईसा عَلَيْهِ السَّلَام के बा'द से ले कर हुज़ूर صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم तक कोई रसूल तशरीफ़ नहीं लाए। ③... या'नी जैसे किसी शख़्स के दोनों त़रफ़ दीवारें हों और हर त़रफ़ से रास्ता बन्द कर दिया गया हो तो वोह किसी त़रह़ मन्ज़िले मक़्सूद तक नहीं पहुंच सकता, येही ह़ाल उन कुफ़्फ़ार का है कि उन पर हर त़रफ़ से ईमान की राह बन्द है, उन के सामने दुन्या के ग़ुरूर की दीवार है और उन के पीछे आख़िरत को झुटलाने की और वोह जहालत के क़ैदख़ाने में क़ैद हैं जिस की वज्ह से आयात और दलाइल में ग़ौरो फ़िक्र करना उन्हें मुयस्सर नहीं है। अज़ली कुफ़्फ़ार पर हिदायत और ईमान की राह बन्द कर के उन पर जब्र नहीं किया गया बल्कि उन के कुफ़्र पर इसरार, तकब्बुर, इनाद और सरकशी को मुस्तक़िल इख़्तियार करने की सज़ा के त़ौर पर उन के लिये ईमान का रास्ता बन्द कर दिया गया है।

وقف غفران

اِنَّا نَحْنُ نُحْیِ الْمَوْتٰی وَ نَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَ اٰثَارَهُمْ ؕ وَ كُلَّ شَیْءٍ

बेशक हम मुर्दों को ज़िन्दा करेंगे और हम लिख रहे हैं जो (अ़मल) उन्हों ने आगे भेजा और उन के पीछे छोड़े हुए निशानात को[1]

ع ۱۸

اَحْصَیْنٰهُ فِیْۤ اِمَامٍ مُّبِیْنٍ ﴿۱۲﴾ ع

और एक ज़ाहिर कर देने वाली किताब में हर चीज़ हम ने शुमार कर रखी है O

हाशिया ①... या'नी हम वोह निशानियां और तरीक़े लिख रहे हैं जो लोग अपने पीछे छोड़ गए। येह तरीक़े अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी, दोनों का हुक्म जुदा जुदा है लिहाज़ा लोग जो नेक तरीक़े निकालते हैं उन्हें अच्छी बिद्अ़त कहते हैं और येह तरीक़े को निकालने वालों और उस पर अ़मल करने वालों दोनों को सवाब मिलता है और जो बुरे तरीक़े निकालते हैं उन को बुरी बिद्अ़त कहते हैं, येह तरीक़े निकालने वाले और अ़मल करने वाले दोनों गुनाहगार होते हैं।

पारह 24 आयत 29-32

وَ قَالَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا رَبَّنَاۤ اَرِنَا الَّذَیْنِ

और काफ़िर (जहन्नम में जा कर) कहेंगे : ऐ हमारे रब ! हमें

اَضَلّٰنَا مِنَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ اَقْدَامِنَا لِیَكُوْنَا

जिन्नों और इन्सानों के वोह दोनों (गुरौह) दिखा जिन्हों ने हमें गुमराह किया ताकि (आज) हम उन्हें अपने पाउं के नीचे (रौंद) डालें ताकि

مِنَ الْاَسْفَلِیْنَ ﴿۲۹﴾ اِنَّ الَّذِیْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ

वोह (जहन्नम में) सब से नीचे वालों में से हो जाएं O बेशक जिन्हों ने कहा : हमारा रब **अल्लाह** है फिर (उस पर) साबित क़दम रहे[1] उन पर

الْمَلٰٓىِٕكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَ لَا تَحْزَنُوْا وَ اَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِیْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ﴿۳۰﴾

फ़िरिश्ते उतरते हैं (और कहते हैं) कि तुम न डरो और न ग़म करो और उस जन्नत पर ख़ुश हो जाओ जिस का तुम से वा'दा किया जाता था O

نَحْنُ اَوْلِیٰٓؤُكُمْ فِی الْحَیٰوةِ الدُّنْیَا وَ فِی الْاٰخِرَةِ ۚ وَ لَكُمْ فِیْهَا مَا تَشْتَهِیْۤ اَنْفُسُكُمْ

हम दुन्या की ज़िन्दगी में और आख़िरत में तुम्हारे दोस्त हैं और तुम्हारे लिये जन्नत में हर वोह चीज़ है जो तुम्हारा जी चाहे

ع ۱۸

وَ لَكُمْ فِیْهَا مَا تَدَّعُوْنَ ﴿۳۱﴾ نُزُلًا مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِیْمٍ ﴿۳۲﴾ ع

और तुम्हारे लिये उस में हर वोह चीज़ है जो तुम त़लब करो O बख़्शने वाले, मेहरबान की त़रफ़ से मेहमानी है O

हाशिया ①... तौह़ीद पर इस्तिक़ामत येह है कि बन्दा **अल्लाह** तआ़ला की वह़दानिय्यत के इक़रार और इख़्लास के साथ नेक आ'माल करने पर साबित क़दम रहे।

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ؕ وَ الَّذِیْنَ مَعَهٗۤ	पारह 26 आयत 29

मुह़म्मद **अल्लाह** के रसूल हैं और उन के साथ वाले

اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَیْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا

काफ़िरों पर सख़्त, आपस में नर्मदिल हैं । तू उन्हें रुकूअ़ करते हुए, सज्दे करते हुए देखेगा,

یَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانًا٘ سِیْمَاهُمْ فِیْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ

अल्लाह का फ़ज़्ल व रिज़ा चाहते हैं, उन की अ़लामत उन के चेहरों में सज्दों के

السُّجُوْدِ ؕ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِی التَّوْرٰىةِ ۛۖۚ وَ مَثَلُهُمْ فِی الْاِنْجِیْلِ ۛ۫ۚ

निशान से है । येह उन की सिफ़त तौरात में (मज़्कूर) है और उन की सिफ़त इन्जील में (मज़्कूर) है ।①

كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْــٴَـهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ

(उन की सिफ़त ऐसे है) जैसे एक खेती हो जिस ने अपनी बारीक सी कोंपल निकाली फिर उसे त़ाक़त दी फिर वोह मोटी हो गई फिर अपने तने पर सीधी खड़ी

یُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِیَغِیْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ؕ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا

हो गई, किसानों को अच्छी लगती है (**अल्लाह** ने मुसल्मानों की येह शान इस लिये बढ़ाई) ताकि इन से काफ़िरों के दिल जलाए ।② **अल्लाह** ने उन में से ईमान वालों

وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّ اَجْرًا عَظِیْمًا۠ ﴿۲۹﴾

और अच्छे काम करने वालों से बख़्शिश और बड़े सवाब का वा'दा फ़रमाया है③ O

हाशिया ①... इस आयत में सह़ाबए किराम رَضِیَ اللّٰہُ عَنْھُم के मुतअ़द्दद औसाफ़ और उन की अ़ज़्मतो शान बयान की गई है : (1) वोह काफ़िरों पर सख़्त हैं। (2) आपस में नर्मदिल और एक दूसरे पर मेह़रबान हैं। (3) कसरत से और पाबन्दी के साथ नमाज़ें पढ़ते हैं। (4) वोह **अल्लाह** तआ़ला का फ़ज़्ल और उस की रिज़ा चाहते हैं। (5) उन की इ़बादत की अ़लामत उन के चेहरों में सज्दों के असर से ज़ाहिर है। (6) उन के औसाफ़ तौरात व इन्जील में भी मज़्कूर हैं। (7) उन के लिये मग़्फ़िरत और अज्रे अ़ज़ीम की बिशारत है। ②... बारगाहे इलाही में सह़ाबए किराम رَضِیَ اللّٰہُ عَنْھُم का मक़ाम बहुत बुलन्द है, उन की अ़ज़्मतें और औसाफ़ ख़ुद रब्बे काएनात ने बयान फ़रमाए और इस से काफ़िरों के दिल जलाए। अ़ज़्मते सह़ाबा बयान करना **अल्लाह** तआ़ला की सुन्नत है और सह़ाबए किराम رَضِیَ اللّٰہُ عَنْھُم से जलना कुफ़्फ़ार का त़रीक़ा है। ③... तमाम सह़ाबए किराम رَضِیَ اللّٰہُ عَنْھُم साह़िबे ईमान और नेक आ'माल करने वाले हैं इस लिये मग़्फ़िरत व अज्रे अ़ज़ीम का येह वा'दा सभी सह़ाबए किराम رَضِیَ اللّٰہُ عَنْھُم से है।

اَلرَّحْمٰنُ ۙ﴿۱﴾ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ؕ﴿۲﴾ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۙ﴿۳﴾ عَلَّمَهُ الْبَیَانَ ﴿۴﴾

रह्मान ने, कुरआन सिखाया[1] OO[2] इन्सान को पैदा किया[3] O इसे बयान सिखाया O

اَلشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۪ۙ﴿۵﴾ وَّ النَّجْمُ وَ الشَّجَرُ یَسْجُدٰنِ ﴿۶﴾

सूरज और चांद हि़साब से हैं O और बिग़ैर तने वाली नबातात और दरख़्त सज्दा करते हैं[4] O

وَ السَّمَآءَ رَفَعَهَا وَ وَضَعَ الْمِیْزَانَ ۙ﴿۷﴾ اَلَّا تَطْغَوْا فِی الْمِیْزَانِ ﴿۸﴾

और आस्मान को **अल्लाह** ने बुलन्द किया और तराज़ू रखी O कि तोलने में ना इन्साफ़ी न करो O

وَ اَقِیْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَ لَا تُخْسِرُوا الْمِیْزَانَ ﴿۹﴾ وَ الْاَرْضَ

और इन्साफ़ के साथ तोल क़ाइम करो और वज़्न न घटाओ[5] O और उस ने

وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ ۙ﴿۱۰﴾ فِیْهَا فَاكِهَةٌ ۪ۙ وَّ النَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِ ۖ﴿۱۱﴾

मख़्लूक़ के लिये ज़मीन रखी O उस में फल मेवे और ग़िलाफ़ वाली खजूरें हैं O

وَ الْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَ الرَّیْحَانُ ۚ﴿۱۲﴾ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۱۳﴾

और भूसे वाला अनाज और ख़ुश्बूदार फूल हैं O तो (ऐ जिन्नो इन्सान !) तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी ने'मतों को झुटलाओगे ? O

हाशिया ①... हुज़ूर صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के पास कुरआने पाक ब ज़ाहिर ह़ज़रते जिब्रील عَلَیْہِ السَّلَام के वासित़े से आया लेकिन दर ह़क़ीक़त **अल्लाह** तआ़ला ने आप صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم को सारा कुरआन सिखाया है। ②... यहां दो गोल दाएरे इस लिये लगाए गए हैं कि इस मक़ाम पर दो आयात का तरजमा एक साथ किया गया है। ③... यहां इन्सान से मुराद हुज़ूर صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم हैं और अगली आयत में बयान से "मा कान व मा यकून" या'नी जो कुछ हो चुका और जो कुछ आइन्दा होगा, का बयान मुराद है। या, इन्सान से मुराद ह़ज़रते आदम عَلَیْہِ السَّلَام और बयान से मुराद तमाम चीज़ों के अस्मा और तमाम ज़बानों का बयान है। या यहां इन्सान से मुराद जिन्से इन्सान है और बयान से मुराद गुफ़्त्गू की सलाहि़य्यत है जिस की वज्ह से इन्सान दीगर ह़ैवानों से मुमताज़ होता है। ④... नबातात और दरख़्त के सज्दा करने से मुराद उन के सायों का सज्दा करना है, या इस से मुराद येह है कि वोह **अल्लाह** तआ़ला के हुक्म के फ़रमां बरदार हैं। ⑤... नाप तोल के मुआ़मलात में अ़द्लो इन्साफ़ और बराबरी की ता'लीम इस्लाम की शानदार ता'लीमात में से एक है, इस की अहम्मिय्यत का अन्दाज़ा इस से लगाया जा सकता है कि नाप तोल में ना इन्साफ़ी से मुआ़शरे में झगड़े, फ़सादात बरपा होंगे, बाहमी बुग़्ज़ो इ़नाद भी पैदा होगा और येह चीज़ मुआ़शरती अम्न तबाह कर देती है।

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ﴿۱۴﴾ وَخَلَقَ الْجَآنَّ مِنْ

उस ने इन्सान को ठीकरी जैसी बजने वाली सूखी मिट्टी से पैदा किया① O और उस ने जिन्न को बिग़ैर धूएं वाली आग के ख़ालिस

مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ ﴿۱۵﴾ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۱۶﴾ رَبُّ الْمَشْرِقَیْنِ

शो'ले से पैदा किया② O तो (ऐ जिन्नो इन्सान !) तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी ने'मतों को झुटलाओगे ? O वोह दोनों मशरिक़ों का रब

وَرَبُّ الْمَغْرِبَیْنِ ﴿۱۷﴾ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۱۸﴾ مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ

है और दोनों मग़रिबों का रब है③ O तो तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी ने'मतों को झुटलाओगे ? O उस ने दो समुन्दर बहाए कि दोनों

یَلْتَقِیٰنِ ﴿۱۹﴾ بَیْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا یَبْغِیٰنِ ﴿۲۰﴾ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۲۱﴾

मिले हुए (लगते) हैं④ O उन के दरमियान एक आड़ है कि वोह एक दूसरे की तरफ़ बढ़ नहीं सकते⑤ O तो तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी ने'मतों को झुटलाओगे ? O

یَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ﴿۲۲﴾ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۲۳﴾ وَلَهُ

उन समुन्दरों से मोती और मरजान (मोती) निकलता है O तो तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी ने'मतों को झुटलाओगे ? O और दरिया

الْجَوَارِ الْمُنْشَئٰتُ فِی الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ ﴿۲۴﴾ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۲۵﴾ ع

में पहाड़ों जैसी उठी हुई कश्तियां उसी की हैं⑥ O तो तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी ने'मतों को झुटलाओगे ? O

हाशिया ①... यहां इन्सान से मुराद हज़रते आदम عَلَیْهِ السَّلَام हैं और इस आयत में **अल्लाह** तआ़ला ने आप عَلَیْهِ السَّلَام की पैदाइश की कैफ़िय्यत का एक अन्दाज़ बयान फ़रमाया है। ②... यहां जिन्न से मुराद इब्लीस है। ③... दोनों मशरिक़ और दोनों मग़रिब से गर्मियों और सर्दियों के मौसिम में सूरज तुलूअ़ और ग़ुरूब होने के दोनों मक़ाम मुराद हैं। ④... इन से मुराद मीठे और खारी दो समुन्दर हैं जिन्हें ऐसे बहाया गया है कि देखने में उन की सत्ह़ आपस में मिली हुई लगती है क्यूं कि उन के दरमियान फ़ासिला करने के लिये ज़ाहिरी तौर पर कोई चीज़ ह़ाइल नहीं। ⑤... **अल्लाह** तआ़ला की क़ुदरत से उन के दरमियान एक आड़ है जिस की वज्ह से वोह एक दूसरे की तरफ़ बढ़ नहीं सकते बल्कि हर एक अपनी ह़द पर रहता है और दोनों में से किसी का ज़ाएक़ा भी तब्दील नहीं होता। ⑥... इस से मुराद येह है कि जिन चीज़ों से वोह कश्तियां बनाई गईं वोह भी **अल्लाह** तआ़ला ने पैदा कीं और इन चीज़ों को बाहम जोड़ने, कश्ती बनाने और कारीगरी करने की अ़क़्ल भी **अल्लाह** तआ़ला ने पैदा की और दरियाओं में उन कश्तियों का चलना और तैरना येह सब **अल्लाह** तआ़ला की क़ुदरत से है।

لَا يَسْتَوِيْٓ اَصْحٰبُ النَّارِ وَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ؕ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ	पारह 28 आयत 20-24

दोज़ख़ वाले और जन्नत वाले बराबर नहीं, जन्नत वाले

هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ۝ لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ

ही काम्याब हैं O अगर हम येह कुरआन किसी पहाड़ पर उतारते तो ज़रूर तुम उसे झुका हुवा,① **अल्लाह** के ख़ौफ़ से

خَشْيَةِ اللّٰهِ ؕ وَ تِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ۝ هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ

पाश पाश देखते और हम येह मिसालें लोगों के लिये बयान फ़रमाते हैं ताकि वोह सोचें O वोही **अल्लाह** है जिस के सिवा कोई मा'बूद

لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ۝ هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ

नहीं, हर ग़ैब और ज़ाहिर का जानने वाला है, वोही निहायत मेह्रबान, बहुत रह्मत वाला है O वोही **अल्लाह** है जिस के सिवा कोई मा'बूद नहीं,

لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ؕ

बादशाह,② निहायत पाक, सलामती देने वाला, अम्न बख़्शने वाला, हिफ़ाज़त फ़रमाने वाला, बहुत इ़ज़्ज़त वाला, बेहद अ़ज़मत वाला, अपनी बड़ाई बयान फ़रमाने वाला है,③

سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ

अल्लाह उन मुश्रिकों के शिर्क से पाक है O वोही **अल्लाह** बनाने वाला, पैदा करने वाला, हर एक को सूरत देने वाला है, सब अच्छे नाम

الْحُسْنٰى ؕ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

उसी के हैं। आस्मानों और ज़मीन में मौजूद हर चीज़ उसी की पाकी बयान करती है और वोही बहुत इ़ज़्ज़त वाला, बड़ा हिक्मत वाला है O

हाशिया ①... या'नी कुरआन की अ़ज़मत और इस की तासीर का हाल येह है कि इसे अगर पहाड़ जैसी सख़्त, मज़्बूत और इन्तिहाई वज़्नी चीज़ पर उतारा जाता और पहाड़ को कुरआन का पूरा फ़ह्म दे दिया जाता तो येह अ़ज़मते कुरआन के सामने झुक जाता बल्कि **अल्लाह** तआ़ला के ख़ौफ़ से पाश पाश हो जाता जब कि इन्सान का ह़ाल येह है कि तिलावते कुरआन के वक़्त न तो इस में ग़ौरो फ़िक्र करता, न **अल्लाह** तआ़ला से डरता और न ही कोई असर क़बूल करता है। **अल्लाह** तआ़ला हमें दिल की सख़्ती से मह़्फ़ूज़ फ़रमाए। ②... मुल्क व हुकूमत का ह़क़ीक़ी मालिक **अल्लाह** तआ़ला है कि तमाम मौजूदात उस के मुल्क और हुकूमत के तह़्त हैं और उस की मिल्किय्यत व सल्त़नत दाइमी है जिसे ज़वाल नहीं जब कि बन्दों की मिल्किय्यत व हुकूमत ज़ाहिरी और आ़रिज़ी है। ③... **अल्लाह** तआ़ला अपनी ज़ात और तमाम सिफ़ात में अ़ज़मतो बड़ाई वाला है और अपनी बड़ाई का इज़्हार करना उसी के शायां और लाइक़ है क्यूं कि उस का हर कमाल अ़ज़ीम और हर सिफ़त आ़ली है जब कि मख़्लूक़ में किसी को येह ह़क़ ह़ासिल नहीं कि वोह तकब्बुर या'नी अपनी बड़ाई का इज़्हार करे।

पारह 28 आयत 9-11

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ

ऐ ईमान वालो ! जब जुमुआ़ के दिन नमाज़ के लिये अज़ान दी जाए①

يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ

तो **अल्लाह** के ज़िक्र की त़रफ़ दौड़ो② और ख़रीदो फ़रोख़्त छोड़ दो । अगर तुम जानो तो येह तुम्हारे लिये

تَعْلَمُوْنَ ۝۹ فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ وَ ابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ

बेहतर है O फिर जब नमाज़ पूरी हो जाए तो ज़मीन में फैल जाओ और **अल्लाह** का फ़ज़्ल तलाश करो

وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝۱۰ وَ اِذَا رَاَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوَا ۟ انْفَضُّوْۤا

और **अल्लाह** को बहुत याद करो इस उम्मीद पर कि तुम काम्याब हो जाओ③ O और जब उन्हों ने कोई तिजारत या खेल देखा तो उस की त़रफ़

اِلَيْهَا وَ تَرَكُوْكَ قَآىِٕمًا ؕ قُلْ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجَارَةِ ؕ وَ

चल दिये और तुम्हें खड़ा छोड़ गए तुम फ़रमाओ : जो **अल्लाह** के पास है वोह खेल से और तिजारत से बेहतर है और

ع ٢ اللّٰهُ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ۝۱۱ ع

अल्लाह बेहतरीन रोज़ी देने वाला है④ O

हाशिया ①... यहां अज़ान से मुराद पहली अज़ान है, नमाज़े जुमुआ़ की तय्यारी वाजिब होने और ख़रीदो फ़रोख़्त तर्क कर देने का तअ़ल्लुक़ इसी अज़ान से है, दूसरी अज़ान से नहीं जो ख़ुत़्बे से मुत्तसिल होती है। ②... दौड़ने से भागना मुराद नहीं है बल्कि मक़्सूद येह है कि नमाज़ के लिये तय्यारी शुरूअ़ कर दो और ज़िक्रुल्लाह से जुम्हूर उ़लमा के नज़्दीक ख़ुत़्बा मुराद है। ③... या'नी जब नमाज़ पूरी हो जाए तो अब तुम्हारे लिये जाइज़ है कि मआ़श के कामों में मश्ग़ूल हो जाओ या इ़ल्म ह़ासिल करने, मरीज़ की इ़यादत, जनाज़े में शिर्कत, उ़लमा की ज़ियारत करने और इन जैसे दीगर कामों में मश्ग़ूल हो कर नेकियां ह़ासिल करो और नमाज़ के इ़लावा भी हर ह़ाल में **अल्लाह** तआ़ला को याद किया करो ताकि तुम्हें काम्याबी नसीब हो। ④... एक मरतबा हुज़ूर صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم जुमुआ़ के दिन खड़े हो कर जुमुआ़ का ख़ुत़्बा इर्शाद फ़रमा रहे थे कि अचानक मदीनए त़य्यिबा में एक तिजारती क़ाफ़िला आ पहुंचा, येह बहुत तंगी और महंगाई का दौर था, इस लिये माल ख़त्म होने के डर से चन्द के इ़लावा बक़िय्या सह़ाबए किराम رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُم उस की त़रफ़ भाग पड़े, इस पर येह आयत नाज़िल हुई और सह़ाबए किराम رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُم की तरबियत फ़रमाई गई कि ऐसा करना इन की शान के लाइक़ नहीं।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَاۤ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ

ऐ ईमान वालो ! तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें **अल्लाह** के ज़िक्र से ग़ाफ़िल न कर दें① और जो ऐसा करेगा तो वोही

ذٰلِكَ فَاُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝٩ وَاَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ اَحَدَكُمُ

लोग नुक़्सान उठाने वाले हैं O और हम ने तुम्हें जो रिज़्क़ दिया उस से उस वक़्त से पहले पहले कुछ (हमारी राह में) ख़र्च कर लो कि तुम में किसी

الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَاۤ اَخَّرْتَنِيْۤ اِلٰۤى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۙ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِّنَ

को मौत आए② तो कहने लगे, ऐ मेरे रब ! तू ने मुझे थोड़ी सी मुद्दत तक क्यूं मोहलत न दी कि मैं सदक़ा देता और सालिहीन में से

الصّٰلِحِيْنَ ۝١٠ وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَآءَ اَجَلُهَا ؕ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝١١ ع

हो जाता O और हरगिज़ **अल्लाह** किसी जान को मोहलत न देगा जब उस का मुक़र्ररा वक़्त आ जाए③ और **अल्लाह** तुम्हारे कामों से ख़ूब ख़बरदार है O

हाशिया ①... दुन्या में इन्सान को सब से ज़ियादा **अल्लाह** तआ़ला से ग़ाफ़िल करने वाली दो चीज़ें हैं, माल और औलाद इस लिये यहां सिर्फ़ इन्ही दो का नाम लिया गया वरना इस में हर वोह चीज़ दाख़िल है जो यादे इलाही से ग़ाफ़िल करे । ②... यहां मौत आ जाने से मुराद मौत के आसार का मुशाहदा करना है और आयत से मुराद येह है कि मौत के आसार ज़ाहिर होने से पहले पहले अपने मालों में वाजिब सदक़ात अदा कर दो वरना मौत के बा'द सिवाए पछतावे के कुछ हाथ नहीं आएगा । ③... इन्सान ख़्वाह इताअ़त गुज़ार हो या ना फ़रमान, छोटा हो या बड़ा, जब उस की उ़म्र का आख़िरी वक़्त आ जाएगा तो **अल्लाह** तआ़ला उसे हरगिज़ मोहलत न देगा लिहाज़ा जो नेक काम करना है वोह आख़िरी वक़्त आने से पहले पहले ही करना होगा और आख़िरी वक़्त चूंकि किसी को मा'लूम नहीं इस लिये ज़रूरी है कि हमारा हर लम्हा ना फ़रमानी से महफ़ूज़ हो और नेक आ'माल की कसरत हो ताकि मौत के वक़्त ह़सरत न हो ।

يٰۤاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۙ﴿۱﴾ قُمْ فَاَنْذِرْ ۪ۙ﴿۲﴾ وَ رَبَّكَ فَكَبِّرْ ۪ۙ﴿۳﴾	सूरतुल मुद्दस्सिर आयत 1-10

ऐ चादर ओढ़ने वाले O खड़े हो जाओ फिर डर सुनाओ O और अपने रब ही की बड़ाई बयान करो O

وَ ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۪ۙ﴿۴﴾ وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۪ۙ﴿۵﴾ وَ لَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ۪ۙ﴿۶﴾ وَ لِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ؕ﴿۷﴾

और अपने कपड़े पाक रखो① O और गन्दगी से दूर रहो② O और ज़ियादा लेने की ख़ातिर किसी पर एह्सान न करो③ O और अपने रब के लिये ही सब्र करते रहो O

فَاِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُوْرِ ۙ﴿۸﴾ فَذٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَّوْمٌ عَسِيْرٌ ۙ﴿۹﴾ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ غَيْرُ يَسِيْرٍ ﴿۱۰﴾

फिर जब सूर में फूंका जाएगा O तो वोह दिन बड़ा सख़्त दिन होगा O काफ़िरों पर आसान नहीं होगा O

हाशिया ①... इस से मुराद येह है कि अपने कपड़े हर त़रह़ की नजासत से पाक रखें क्यूं कि नमाज़ के लिये त़हारत ज़रूरी है और नमाज़ के इलावा और ह़ालतों में भी कपड़े पाक रखना बेहतर है। ②... यहां गन्दगी से मुराद "बुतों की इबादत" है और आयत का मत़लब येह है कि जिस त़रह़ आप पहले बुतों की पूजा करने से दूर थे इसी त़रह़ हमेशा इस से दूर ही रहिये। ③... बिग़ैर शर्त़ के ज़ियादा मिलने की निय्यत से तोह़फ़ा देना अगर्चे जाइज़ है लेकिन हुज़ूर صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم को इस से मन्अ़ फ़रमाया गया क्यूं कि येह शाने नुबुव्वत के लाइक़ नहीं।

اٰياتها ۱۱ رکوعها ۱	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ अल्लाह के नाम से शुरूअ़ जो निहायत मेहरबान रह़मत वाला है।	سُوْرَةُ الضُّحٰى ۹۳ مَكِّيَّةٌ ۱۱

وَ الضُّحٰى ۙ﴿۱﴾ وَ الَّيْلِ اِذَا سَجٰى ۙ﴿۲﴾ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَ مَا قَلٰى ؕ﴿۳﴾ وَ

चढ़ते दिन के वक़्त की क़सम① O और रात की जब वोह ढांप दे O तुम्हारे रब ने न तुम्हें छोड़ा और न ना पसन्द किया O और

لَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى ؕ﴿۴﴾ وَ لَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى ؕ﴿۵﴾

बेशक तुम्हारे लिये हर पिछली घड़ी पहली से बेहतर है② O और बेशक क़रीब है कि तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राज़ी हो जाओगे O

हाशिया ①... बा'ज़ मुफ़स्सिरीन के नज़्दीक आयत में "ضُحٰى" से वोह वक़्त मुराद है जिस वक़्त सूरज बुलन्द होता है और बा'ज़ के नज़्दीक यहां "ضُحٰى" से पूरा दिन मुराद है। ②... इस आयत का एक मा'ना येह है कि ऐ ह़बीब ! صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, बेशक तुम्हारे लिये आख़िरत दुन्या से बेहतर है क्यूं कि वहां आप के लिये बे इन्तिहा इ़ज़्ज़तें और करामतें हैं और एक मा'ना येह है कि आने वाले अह़वाल आप के लिये गुज़श्ता से बेहतरो बरतर हैं गोया कि ह़क़ तआ़ला का वा'दा है कि वोह रोज़ बरोज़ आप के दरजे बुलन्द करेगा और इ़ज़्ज़त पर इ़ज़्ज़त और मन्सब पर मन्सब ज़ियादा फ़रमाएगा और हर आने वाली घड़ी में आप के मरातिब तरक़्क़ियों में रहेंगे।

اَلَمْ یَجِدْكَ یَتِیْمًا فَاٰوٰى ۪﴿۶﴾ وَ وَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى ۪﴿۷﴾ وَ وَجَدَكَ

क्या उस ने तुम्हें यतीम न पाया फिर जगह दी O और उस ने तुम्हें अपनी महब्बत में गुम पाया तो अपनी त़रफ़ राह दी O और उस ने तुम्हें

عَآىِٕلًا فَاَغْنٰى ؕ﴿۸﴾ فَاَمَّا الْیَتِیْمَ فَلَا تَقْهَرْ ؕ﴿۹﴾ وَ اَمَّا السَّآىِٕلَ فَلَا تَنْهَرْ ؕ﴿۱۰﴾

ह़ाजत मन्द पाया तो ग़नी कर दिया O तो किसी भी सूरत यतीम पर सख़्ती न करो O और किसी भी सूरत मांगने वाले को न झिड़को O

ع ۱ ۱۸ وَ اَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ع﴿۱۱﴾

और अपने रब की ने'मत का ख़ूब चरचा करो③ O

हाशिया ③... यहां ने'मत से मुराद वोह ने'मतें हैं जो **अल्लाह** तआ़ला ने हुज़ूर صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم को अ़त़ा फ़रमाईं और वोह ने'मतें भी मुराद हैं जिन का **अल्लाह** तआ़ला ने हुज़ूर صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم से वा'दा फ़रमाया है और ने'मतों का चरचा करने का इस लिये हुक्म फ़रमाया कि ने'मत को बयान करना शुक्र गुज़ारी है।

سُوْرَةُ اَلَمْ نَشْرَحْ ۹۴ مَكِّيَّةٌ ۱۲

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

अल्लाह के नाम से शुरूअ़ जो निहायत मेहरबान रह़मत वाला है।

اٰیاتها ۸ رکوعها ۱

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۙ﴿۱﴾ وَ وَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ۙ﴿۲﴾ الَّذِیْۤ اَنْقَضَ

क्या हम ने तुम्हारी ख़ात़िर तुम्हारा सीना कुशादा न कर दिया ? O और हम ने तुम्हारे ऊपर से तुम्हारा बोझ उतार दिया① O जिस ने तुम्हारी पीठ

ظَهْرَكَ ۙ﴿۳﴾ وَ رَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ؕ﴿۴﴾ فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا ۙ﴿۵﴾ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ

तोड़ी थी O और हम ने तुम्हारी ख़ात़िर तुम्हारा ज़िक्र बुलन्द कर दिया② O तो बेशक दुश्वारी के साथ आसानी है O बेशक दुश्वारी के साथ

یُسْرًا ؕ﴿۶﴾ فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ۙ﴿۷﴾ وَ اِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ ع﴿۸﴾ ع ۸ ۱۹

आसानी है O तो जब तुम फ़ारिग़ हो तो ख़ूब कोशिश करो O और अपने रब ही की त़रफ़ रग़बत रखो O

हाशिया ①... इस बोझ से वोह ग़म मुराद है जो हुज़ूर صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم को कुफ़्फ़ार के ईमान न लाने की वज्ह से रहता था और एक क़ौल येह है कि इस से उम्मत के गुनाहों का ग़म मुराद है जिस में आप صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم का क़ल्बे मुबारक मश्ग़ूल रहता था। ②... मुफ़स्सिरीन ने हुज़ूर صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم का ज़िक्र बुलन्द होने की मुख़्तलिफ़ तौजीहात बयान की हैं, उन में से दो येह हैं : (1) **अल्लाह** तआ़ला ने हुज़ूर صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم पर ईमान लाना और इन की इत़ाअ़त करना मख़्लूक़ पर लाज़िम कर दिया है ह़त्ता कि किसी का **अल्लाह** तआ़ला पर ईमान लाना, उस की वह़दानिय्यत का इक़रार और उस की इ़बादत करना उस वक़्त तक मक़्बूल नहीं जब तक वोह हुज़ूर صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم पर ईमान न ले आए और उन की इत़ाअ़त न करने लगे। (2) **अल्लाह** तआ़ला के ज़िक्र के साथ आप صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم का ज़िक्र किया जाता है और **अल्लाह** तआ़ला ने अज़ान, इक़ामत, नमाज़, तशह्हुद, ख़ुत़्बे वग़ैरा में अपने ज़िक्र के साथ आप का ज़िक्र किया है।

سُوْرَةُ التِّيْنِ ٩٥ مَكِّيَّةٌ ٢٨ | بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ | اٰیاتها ٨ رکوعها ١

अल्लाह के नाम से शुरूअ़ जो निहायत मेहरबान रहमत वाला है।

وَالتِّیْنِ وَالزَّیْتُوْنِ ۙ﴿۱﴾ وَطُوْرِ سِیْنِیْنَ ۙ﴿۲﴾ وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِیْنِ ۙ﴿۳﴾ لَقَدْ
इन्जीर की क़सम और ज़ैतून की O और तूरे सीना की O और इस अम्न वाले शहर की O बेशक
خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِیْۤ اَحْسَنِ تَقْوِیْمٍ ۫﴿۴﴾ ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِیْنَ ۙ﴿۵﴾
यक़ीनन हम ने आदमी को सब से अच्छी सूरत में पैदा किया O फिर इसे हर नीची से नीची ह़ालत की त़रफ़ फेर दिया[1] O
اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَیْرُ مَمْنُوْنٍ ؕ﴿۶﴾ فَمَا
मगर वोह लोग जो ईमान लाए और उन्हों ने अच्छे काम किये तो उन के लिये बे इन्तिहा सवाब है O तो अब कौन सी चीज़
١ ع ٨ ٢٠ یُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّیْنِ ؕ﴿۷﴾ اَلَیْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِیْنَ ﴿۸﴾ ع
तुझे इन्साफ़ के झुटलाने पर आमादा करती है O क्या **अल्लाह** सब ह़ाकिमों से बढ़ कर ह़ाकिम नहीं ?[2] O

हाशिया ①... इस का एक मा'ना येह है कि इन्सान को सब से अच्छी सूरत पर पैदा करने के बा'द इसे बुढ़ापे की त़रफ़ फेर दिया और उस वक़्त बदन कमज़ोर, आ'ज़ा नाकारा, अ़क़्ल नाक़िस, पुश्त ख़म, बाल सफ़ेद हो जाते और जिल्द में झुर्रियां पड़ जाती हैं और वोह अपनी ज़रूरिय्यात अन्जाम देने में दूसरों का मोह़ताज हो जाता है। दूसरा मा'ना येह है कि जब इस ने अच्छी शक्लो सूरत की शुक्र गुज़ारी न की, **अल्लाह** तआ़ला की ना फ़रमानी पर जमा रहा और ईमान न लाया तो इस का अन्जाम येह हुवा कि हम ने जहन्नम के सब से निचले दरकात को इस का ठिकाना कर दिया। ②... ह़दीसे पाक में है : जो सूरए ''وَالتِّیْنِ وَالزَّیْتُوْنِ'' पढ़ते हुए ''اَلَیْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِیْنَ'' पढ़े तो उसे चाहिये कि वोह येह कहे ''بَلٰی وَاَنَا عَلٰی ذٰلِكَ مِنَ الشّٰهِدِیْنَ'' या'नी क्यूं नहीं, यक़ीनन है और मैं इस बात पर गवाहों में से हूं। (ترمذی، ۵/۲۳۰، الحدیث:۳۳۵۸)

٩٧ سُوْرَةُ الْقَدْرِ مَكِّيَّةٌ ٢٥

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

آياتها ٥ ركوعها ١

अल्लाह के नाम से शुरूअ़ जो निहायत मेहरबान रहमत वाला है।

إِنَّآ أَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴿١﴾ وَمَآ أَدْرٰىكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴿٢﴾ لَيْلَةُ

बेशक हम ने इस कुरआन को शबे क़द्र में नाज़िल किया[1] O और तुझे क्या मा'लूम कि शबे क़द्र क्या है ? O शबे

الْقَدْرِ ۙ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴿٣﴾ تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِإِذْنِ

क़द्र हज़ार महीनों से बेहतर है O इस रात में फ़िरिश्ते और जिब्रील अपने रब के हुक्म से

رَبِّهِمْ ۚ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ﴿٤﴾ سَلٰمٌ ۛ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴿٥﴾

हर काम के लिये उतरते हैं O येह रात सुब्ह़ तुलूअ़ होने तक सलामती है O

١٠٣ سُوْرَةُ الْعَصْرِ مَكِّيَّةٌ ١٣

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

آياتها ٣ ركوعها ١

अल्लाह के नाम से शुरूअ़ जो निहायत मेहरबान रहमत वाला है।

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ

ज़माने की क़सम[2] O बेशक आदमी ज़रूर ख़सारे में है[3] O मगर जो ईमान लाए और उन्हों ने अच्छे काम किये और

تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

एक दूसरे को ह़क़ की ताकीद की और एक दूसरे को सब्र की वसिय्यत की O

हाशिया ①... शबे क़द्र इन्तिहाई शरफ़ो बरकत वाली रात है, इसे शबे क़द्र इस लिये कहते हैं कि इस में साल भर के अह़काम नाफ़िज़ किये जाते हैं और फ़िरिश्तों को साल भर के कामों और ख़िदमात पर मामूर किया जाता है और येह भी कहा गया है कि इस रात की दीगर रातों पर शराफ़तो क़द्र के बाइ़स इस को शबे क़द्र कहते हैं। ह़दीसे पाक में है : जिस ने इस रात में ईमान और इख़्लास के साथ शब बेदारी कर के इ़बादत की तो **अल्लाह** तआ़ला उस के साबिक़ा (सग़ीरा) गुनाह बख़्श देता है। (بخاری، ١/٢٥، الحديث:٣٥) ②... यहां अ़स्र से मुत़्लक़ ज़माना, या हुज़ूर صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم का मख़्सूस ज़माना मुराद है, या इस से वोह वक़्त मुराद है जो सूरज ग़ुरूब होने से पहले होता है, या इस से मुराद नमाज़े अ़स्र है। ③... बेशक आदमी ज़रूर नुक़्सान में है कि इस की उ़म्र जो इस का सरमाया और अस्ल पूंजी है वोह हर दम कम हो रही है मगर जो ईमान लाए और उन्हों ने अच्छे काम किये और एक दूसरे को ईमान और नेक अ़मल की ताकीद की और एक दूसरे को उन तक्लीफ़ों और मशक़्क़तों पर सब्र करने की वसिय्यत की जो दीन की राह में उन्हें पेश आईं तो येह लोग **अल्लाह** तआ़ला के फ़ज़्ल से ख़सारे में नहीं बल्कि नफ़्अ़ पाने वाले हैं क्यूं कि इन की जितनी उ़म्र गुज़री वोह नेकी और त़ाअ़त में गुज़री है।

سُوْرَةُ الْفِيْلِ ١٩ ١٠٥ مَكِّيَّةٌ — اٰيَاتُهَا ٥ رُكُوْعُهَا ١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

अल्लाह के नाम से शुरूअ़ जो निहायत मेहरबान रह़मत वाला है।

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ۝١ اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ

क्या तुम ने न देखा कि तुम्हारे रब ने उन हाथी वालों का क्या ह़ाल किया ?① O क्या उस ने उन के मक्रो फ़रेब को

تَضْلِيْلٍ ۝٢ وَّ اَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ۝٣ تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ

तबाही में न डाला O और उन पर फ़ौज दर फ़ौज परिन्दे भेजे O जो उन्हें कंकर के पथ्थरों

سِجِّيْلٍ ۝٤ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ۝٥ ع

से मारते थे O तो उन्हें जानवरों के खाए हुए भूसे की त़रह़ कर दिया O

سُوْرَةُ قُرَيْشٍ ٢٩ ١٠٦ مَكِّيَّةٌ — اٰيَاتُهَا ٤ رُكُوْعُهَا ١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

अल्लाह के नाम से शुरूअ़ जो निहायत मेहरबान रह़मत वाला है।

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ۝١ اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَ الصَّيْفِ ۝٢ فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ

क़ुरैश को मानूस करने की वज्ह से O उन्हें सर्दी गर्मी दोनों के सफ़र से मानूस करने की वज्ह से O तो उन्हें इस घर के रब

هٰذَا الْبَيْتِ ۝٣ الَّذِيْۤ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙ۬ وَّ اٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۝٤ ع

की इ़बादत करनी चाहिये O जिस ने उन्हें भूक में खाना दिया और उन्हें ख़ौफ़ से अम्न बख़्शा② O

हाशिया ①... इस वाक़िए़ का ख़ुलासा येह है कि यमन और ह़ब्शा के बादशाह अब्रहा ने सन्आ़ में इस ग़रज़ से एक कनीसा (इ़बादत ख़ाना) बनाया कि ह़ज करने वाले मक्कए मुकर्रमा जाने की बजाए यहीं आएं और इसी कनीसा का त़वाफ़ करें। अहले अ़रब को येह बात बहुत ना गवार गुज़री और क़बीलए बनी किनाना के एक शख़्स ने मौक़अ़ पा कर उस कनीसा में क़ज़ाए ह़ाजत कर के उसे आलूदा कर दिया। मा'लूम होने पर अब्रहा त़ैश में आया और का'बए मुअ़ज़्ज़मा को गिराने की क़सम खा ली। फिर येह अपने लश्कर के साथ जिस में बहुत से हाथी भी थे, मक्कए मुकर्रमा पहुंचा, यहां जब उस ने फ़ौज को तय्यारी का हुक्म दिया तो **अल्लाह** तआ़ला ने परिन्दों की फ़ौजें भेजीं जिन्हों ने कंकर के पथ्थरों से अब्रहा और उस के लश्करियों को मारा और उन्हें जानवरों के खाए हुए भूसे की त़रह़ कर दिया। ②... भूक और ख़ौफ़ मुआ़शरे में गुनाहों और बदकारियों की ता'दाद में इज़ाफ़े, जराइम की शर्ह़ बढ़ाने, बद अम्नी और बे सुकूनी फैलाने में इन्तिहाई ख़त़रनाक किरदार अदा करते हैं जब कि भूक का ख़त्म होना और ख़ौफ़ का दूर हो जाना मुआ़शरे में पाकीज़ा माह़ोल और अम्नो अमान की फ़ज़ा क़ाइम करने में बहुत मुआ़विन है। दीने इस्लाम के अह़काम और ता'लीमात पर नज़र की जाए तो येह ह़क़ीक़त रोशन दिन से ज़ियादा साफ़ नज़र आएगी कि लोगों की भूक को ख़त्म करना, उन्हें सहूलिय्यात फ़राहम करना, पाकीज़ा मुआ़शरे का क़ियाम और अम्न क़ाइम करना इस्लाम की बुन्यादी तरजीह़ात और ख़ुसूसिय्यात में से है, लिहाज़ा इन अह़काम पर अ़मल पैरा होना चाहिये।

سُوْرَةُ الْمَاعُوْنِ ١٠٧ مَكِّيَّةٌ ١٧ | بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ | اٰيَاتُهَا ٧ رُكُوْعُهَا ١

अल्लाह के नाम से शुरूअ़ जो निहायत मेहरबान रहमत वाला है।

اَرَءَيْتَ الَّذِيْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ۝١ فَذٰلِكَ الَّذِيْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ۝٢

क्या तुम ने उस शख़्स को देखा जो दीन को झुटलाता है O फिर वोह ऐसा है जो यतीम को धक्के देता है O

وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۝٣ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۝٤ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ

और मिस्कीन को खाना देने की तरग़ीब नहीं देता O तो उन नमाज़ियों के लिये ख़राबी है O जो अपनी नमाज़ से

ع ١ ٣٢ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۝٥ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ۝٦ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ۝٧

ग़ाफ़िल हैं[1] O वोह जो दिखावा करते हैं O और बरतने की मा'मूली चीज़ें भी नहीं देते O

سُوْرَةُ الْكَوْثَرِ ١٠٨ مَكِّيَّةٌ ١٥ | بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ | اٰيَاتُهَا ٣ رُكُوْعُهَا ١

अल्लाह के नाम से शुरूअ़ जो निहायत मेहरबान रहमत वाला है।

ع ١ ٣٣ اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ۝١ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝٢ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ۝٣

ऐ महबूब ! बेशक हम ने तुम्हें बे शुमार ख़ूबियां अ़ता फ़रमाईं[2] O तो तुम अपने रब के लिये नमाज़ पढ़ो और क़ुरबानी करो O बेशक जो तुम्हारा दुश्मन है वोही हर ख़ैर से महरूम है[3] O

हाशिया ①... नमाज़ से ग़फ़्लत की चन्द सूरतें हैं, जैसे पाबन्दी से न पढ़ना, सहीह़ वक़्त पर न पढ़ना, फ़राइज़ो वाजिबात को सहीह़ त़रीक़े से अदा न करना, शरई उ़ज़्र के बिग़ैर बा जमाअ़त न पढ़ना, नमाज़ की परवाह न करना, तन्हाई में क़ज़ा कर देना और लोगों के सामने पढ़ लेना वग़ैरा। ②... आयत में "كَوْثَر" से मुतअ़ल्लिक़ मुफ़स्सिरीन के मुख़्तलिफ़ अक़्वाल हैं, एक क़ौल येह है कि इस से दुन्या और आख़िरत की बे शुमार ख़ूबियां मुराद हैं। ③... हुज़ूर صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के फ़रज़न्द ह़ज़रते क़ासिम رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ का विसाल हुवा तो कुफ़्फ़ार ने येह कहा कि इन की नस्ल ख़त्म हो गई, इन के बा'द अब इन का ज़िक्र भी न रहेगा और येह सब चरचा ख़त्म हो जाएगा, इस पर सूरए कौसर नाज़िल हुई और **अल्लाह** तआ़ला ने उन कुफ़्फ़ार का रद फ़रमाया। इस सूरत का एक एक लफ़्ज़ बल्कि नफ़्से नुज़ूल हुज़ूर صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के मक़ामे महबूबिय्यत को बयान करता है कि आप के गुस्ताख़ को जवाब ख़ुद रब तआ़ला देता है।

سُوْرَةُ الْكٰفِرُوْنَ مَكِّيَّةٌ ١٠٩ ١٨ | بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ | اٰيَاتُهَا ٦ رُكُوْعُهَا ١

अल्लाह के नाम से शुरूअ़ जो निहायत मेहरबान रह़मत वाला है।

قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَۙ ﴿١﴾ لَاۤ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَۙ ﴿٢﴾ وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ

तुम फ़रमाओ : ऐ काफ़िरो ![1] O मैं उन की इ़बादत नहीं करता जिन्हें तुम पूजत हो O और तुम उस की इ़बादत करने वाले नहीं जिस की

اَعْبُدُۚ ﴿٣﴾ وَلَاۤ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْۙ ﴿٤﴾ وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُؕ ﴿٥﴾

मैं इ़बादत करता हूं O और न मैं उस की इ़बादत करूंगा जिसे तुम ने पूजा O और तुम उस की इ़बादत करने वाले हो जिस की मैं इ़बादत करता हूं O

لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ۠ ﴿٦﴾ ع ٢ ٣٤

तुम्हारे लिये तुम्हारा दीन है और मेरे लिये मेरा दीन है O

سُوْرَةُ النَّصْرِ مَدَنِيَّةٌ ١١٠ ١١٤ | بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ | اٰيَاتُهَا ٣ رُكُوْعُهَا ١

अल्लाह के नाम से शुरूअ़ जो निहायत मेहरबान रह़मत वाला है।

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُۙ ﴿١﴾ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ

जब **अल्लाह** की मदद और फ़त्ह़ आएगी[2] O और तुम लोगों को देखोगे कि **अल्लाह** के दीन में फ़ौज दर फ़ौज दाख़िल

اَفْوَاجًاۙ ﴿٢﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُؕ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا۠ ﴿٣﴾ ع ٣ ٣٥ وقف النبي صلى الله عليه وسلم

हो रहे हैं[3] O तो अपने रब की ता'रीफ़ करते हुए उस की पाकी बयान करो और उस से बख़्शिश चाहो, बेशक वोह बहुत तौबा क़बूल करने वाला है[4] O

हाशिया ①... कुरैश की एक जमाअ़त ने हुज़ूर صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم से कहा कि आप हमारे दीन की पैरवी कीजिये हम आप के दीन की पैरवी करेंगे। एक साल आप हमारे मा'बूदों की इ़बादत करें एक साल हम आप के मा'बूद की इ़बादत करेंगे। हुज़ूर صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने उन से फ़रमाया : इस बात से **अल्लाह** तआ़ला की पनाह कि मैं उस के साथ उस के ग़ैर को शरीक करूं। कुफ़्फ़ार कहने लगे : तो आप ऐसा कीजिये कि हमारे किसी मा'बूद को हाथ ही लगा दीजिये हम आप की तस्दीक़ कर देंगे और आप के मा'बूद की इ़बादत करेंगे। इस पर येह सूरए मुबारका नाज़िल हुई। ②... यहां फ़त्ह़ से ख़ास फ़त्ह़े मक्का या इस्लाम की आ़म फ़ुतूह़ात मुराद हैं। ③... इस आयत में ग़ैबी ख़बर दी गई है। येह ग़ैबी ख़बर फ़त्ह़े मक्का के मौक़अ़ पर पूरी हुई और लोग मुख़्तलिफ़ जगहों से क़बूले इस्लाम के लिये गुरौह दर गुरौह आ कर शरफ़े इस्लाम से बारयाब हुए। ④... येह सूरत नाज़िल होने के बा'द हुज़ूर صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने ''سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ'' की बहुत कसरत फ़रमाई। हमें भी इस की कसरत करनी चाहिये। नबिय्ये करीम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم रोज़ाना सत्तर या सो मरतबा इस्तिग़्फ़ार करते थे।

سُوْرَةُ اللَّهَبِ ١١١ مَكِّيَّةٌ ٦ | بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ | اٰياتها ٥ رکوعها ١

अल्लाह के नाम से शुरूअ़ जो निहायत मेह्रबान रह़मत वाला है।

تَبَّتْ يَدَآ اَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ﴿١﴾ مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ﴿٢﴾

अबू लहब के दोनों हाथ तबाह हो जाएं और वोह तबाह हो ही गया① O उस का माल और उस की कमाई उस के कुछ काम न आई O

سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ﴿٣﴾ وَّامْرَاَتُهٗ ؕ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴿٤﴾

अब वोह शो'लों वाली आग में दाख़िल होगा O और उस की बीवी लकड़ियों का गठ्ठा उठाने वाली है O

فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ﴿٥﴾

उस के गले में खजूर की छाल की रस्सी है O

سُوْرَةُ الْاِخْلَاصِ ١١٢ مَكِّيَّةٌ ٢٢ | بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ | اٰياتها ٤ رکوعها ١

अल्लाह के नाम से शुरूअ़ जो निहायत मेह्रबान रह़मत वाला है।

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ﴿١﴾ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ﴿٣﴾ وَ

तुम फ़रमाओ : वोह **अल्लाह** एक है② O **अल्लाह** बे नियाज़ है न उस ने किसी को जनम दिया और न वोह किसी से पैदा हुवा O और

لَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ﴿٤﴾

कोई उस के बराबर नहीं O

हाशिया ①... जब हुज़ूर صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने कोहे सफ़ा पर अ़रब के लोगों को दा'वत दी तो हर त़रफ़ से लोग आए और हुज़ूर صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने उन से अपने सिद्क़ो अमानत की शहादतें लेने के बा'द फ़रमाया : "اِنِّيْ لَكُمْ نَذِيْرٌ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ" इस पर अबू लहब ने हुज़ूर صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم से कहा कि तुम तबाह हो जाओ क्या तुम ने हमें इस लिये जम्अ़ किया था। इस पर येह सूरत शरीफ़ नाज़िल हुई और **अल्लाह** तआ़ला ने ख़ुद अपने ह़बीब صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की त़रफ़ से उस गुस्ताख़ को जवाब दिया। ②... कुफ़्फ़ार ने हुज़ूर صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم से **अल्लाह** रब्बुल इ़ज़्ज़त के मुतअ़ल्लिक़ त़रह़ त़रह़ के सुवाल किये, कोई कहता था कि **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ का नसब क्या है ? कोई कहता था कि वोह सोने का है या चांदी का है या लोहे का है या लकड़ी का है ? किस चीज़ का है ? किसी ने कहा, वोह क्या खाता है ? क्या पीता है ? रबूबिय्यत उस ने किस से विरसे में पाई ? और उस का कौन वारिस होगा ? इन के जवाब में **अल्लाह** तआ़ला ने येह सूरत नाज़िल फ़रमाई कि वोह बे नियाज़ और विलादत व औलाद से पाक है।

سُوْرَةُ الْفَلَقِ ١١٣ مَكِّيَّةٌ ٢٠ | بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ | اٰيَاتُهَا ٥ رُكُوْعُهَا ١

अल्लाह के नाम से शुरूअ़ जो निहायत मेहरबान रहमत वाला है।

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۙ﴿۱﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ﴿۲﴾ وَ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا

तुम फ़रमाओ : मैं सुब्ह के रब की पनाह लेता हूं① O उस की तमाम मख़्लूक़ के शर से O और सख़्त अंधेरी रात के शर से जब

وَقَبَ ۙ﴿۳﴾ وَ مِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِی الْعُقَدِ ۙ﴿۴﴾ وَ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ﴿۵﴾ ع ۵ ۳۸

वोह छा जाए O और उन औ़रतों के शर से जो गिरहों में फूंकें मारती हैं O और ह़सद वाले के शर से जब वोह ह़सद करे② O

سُوْرَةُ النَّاسِ ١١٤ مَكِّيَّةٌ ٢١ | بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ | اٰيَاتُهَا ٦ رُكُوْعُهَا ١

अल्लाह के नाम से शुरूअ़ जो निहायत मेहरबान रह़मत वाला है।

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ﴿۱﴾ مَلِكِ النَّاسِ ۙ﴿۲﴾ اِلٰهِ النَّاسِ ۙ﴿۳﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۬ۙ

तुम कहो : मैं तमाम लोगों के रब की पनाह लेता हूं O तमाम लोगों का बादशाह O तमाम लोगों का मा'बूद O बार बार वस्वसे डालने वाले,

الْخَنَّاسِ ۪ۙ﴿۴﴾ الَّذِیْ یُوَسْوِسُ فِیْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۙ﴿۵﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ ﴿۶﴾ ع ۶ ۳۹

छुप जाने वाले के शर से (पनाह लेता हूं)③ O वोह जो लोगों के दिलों में वस्वसे डालता है O जिन्नों और इन्सानों में से O

हाशिया ①... लबीद बिन आ'सम यहूदी और उस की बेटियों ने हुज़ूर صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم पर जादू किया। आप صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के जिस्मे मुबारक और ज़ाहिरी आ'ज़ा पर उस का असर हुवा, अलबत्ता दिल, अ़क़्ल और ए'तिक़ाद पर कुछ असर न हुवा। हज़रते जिब्रील عَلَيْهِ السَّلَام ने आप صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم को इस की ख़बर दी और जादू के सामान का मक़ाम बताया। हुज़ूर صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने हज़रत अ़लिय्युल मुर्तज़ा كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم को भेज कर येह सामान निकलवाया। **अल्लाह** तआ़ला ने सूरए फ़लक़ और सूरए नास नाज़िल फ़रमाई, इन की बरकत से जादू का असर ख़त्म हुवा और हुज़ूर صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم बिल्कुल तन्दुरुस्त हो गए। ②... ह़सद वाला वोह है जो दूसरे की ने'मत छिन जाने की तमन्ना करे। यहां ह़ासिद से बतौ़रे ख़ास यहूदी मुराद हैं जो हुज़ूर صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم से ह़सद करते थे या ख़ास लबीद बिन आ'सम यहूदी मुराद है और उ़मूमी तौ़र पर हर ह़ासिद से पनाह के लिये येह आयते मुबारका काफ़ी है। ③... वस्वसे डालने वाले और दबक जाने वाले से मुराद शैत़ान है और येह इस की आ़दत है कि इन्सान जब ग़ाफ़िल होता है तो उस के दिल में वस्वसे डालता है और जब इन्सान **अल्लाह** तआ़ला का ज़िक्र करता है तो शैत़ान दबक रहता है और हट जाता है।

ख़ुत्बात

अज़ शैखे़ तरीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, हज़रत अ़ल्लामा मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अ़त्तार क़ादिरी रज़वी ज़ियाई دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ

हर जुमुआ़ को ख़तीब क़ब्ल अज़ अज़ाने खुत्बा मिम्बर पर चढ़ने से पहले येह ए'लान करे

بِسْمِ اللّٰہ के सात हुरूफ़ की निस्बत से खुत्बे के 7 मदनी फूल

☆ ह़दीसे पाक में है : जिस ने जुमुआ़ के दिन लोगों की गरदनें फलांगीं उस ने जहन्नम की त़रफ़ पुल बनाया। (ترمذی،2/48،حدیث:513) इस के एक मा'ना येह हैं कि उस पर चढ़ कर लोग जहन्नम में दाख़िल होंगे। (ह़ाशिया बहारे शरीअ़त, 1/761, 762)

☆ ख़त़ीब की त़रफ़ मुंह कर के बैठना सुन्नते सह़ाबा है।

☆ बुज़ुर्गाने दीन फ़रमाते हैं : दो ज़ानू बैठ कर खुत़्बा सुने, पहले खुत़्बे में हाथ बांधे, दूसरे में ज़ानू पर हाथ रखे तो اِنْ شَآءَ اللّٰہ दो रक्अ़त का सवाब मिलेगा। (मिरआतुल मनाजीह़, 2/338)

☆ आ'ला ह़ज़रत इमाम अह़मद रज़ा ख़ान رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ फ़रमाते हैं : खुत़्बे में हुज़ूरे अक़्दस صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم का नामे पाक सुन कर दिल में दुरूद पढ़ें कि ज़बान से सुकूत (या'नी ख़ामोशी) फ़र्ज़ है।

(फ़तावा रज़विय्या, 8/365)

☆ दुर्रे मुख़्तार में है : खुत़्बे में खाना पीना, कलाम करना अगर्चे سُبْحٰنَ اللّٰہ कहना, सलाम का जवाब देना या नेकी की बात बताना ह़राम है। (درمختار،3/39)

☆ आ'ला ह़ज़रत رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ फ़रमाते हैं : ब ह़ालते खुत़्बा चलना ह़राम है। यहां तक उ़लमाए किराम फ़रमाते हैं कि अगर ऐसे वक़्त में आया कि खुत़्बा शुरूअ़ हो गया तो मस्जिद में जहां तक पहुंचा वहीं रुक जाए, आगे न बढ़े कि येह अ़मल होगा और ह़ाले खुत़्बा में कोई अ़मल रवा (या'नी जाइज़) नहीं।

(फ़तावा रज़विय्या, 8/333)

☆ आ'ला ह़ज़रत رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ फ़रमाते हैं : खुत़्बे में किसी त़रफ़ गरदन फेर कर देखना (भी) ह़राम है।

(ऐज़न, स. 334)

खुत़्बए जुमुआ़ के अहम मदनी फूल

मस्अला : खुत़्बए जुमुआ़ में शर्त़ येह है कि वक़्त में हो और नमाज़ से पहले और ऐसी जमाअ़त के सामने हो जो जुमुआ़ के लिये शर्त़ है (या'नी कम से कम ख़त़ीब के सिवा तीन मर्द) और इतनी आवाज़ से हो कि पास वाले सुन सकें और अगर कोई अम्रे मानेअ़ न हो तो अगर ज़वाल से पेशतर खुत़्बा पढ़

लिया या नमाज़ के बा'द पढ़ा या तन्हा पढ़ा या औ़रतों बच्चों के सामने पढ़ा तो इन सब सूरतों में जुमुआ़ न हुवा और अगर बहरों या सोने वालों के सामने पढ़ा या ह़ाज़िरीन दूर हैं कि सुनते नहीं या मुसाफ़िर या बीमारों के सामने पढ़ा जो आ़क़िल बालिग़ मर्द हैं तो हो जाएगा।

मस्अला : ख़ुत़्बा व नमाज़ में अगर ज़ियादा फ़ासिला हो जाए तो वोह ख़ुत़्बा काफ़ी नहीं।

मस्अला : ख़ुत़्बे में येह चीज़ें सुन्नत हैं : ख़त़ीब का पाक होना, खड़ा होना, ख़ुत़्बए जुमुआ़ से पहले ख़त़ीब का बैठना, ख़त़ीब का मिम्बर पर होना और सामिईन की त़रफ़ मुंह और क़िबले को पीठ करना और बेहतर येह है कि मिम्बर मेह़राब की बाईं जानिब हो, ह़ाज़िरीन का इमाम की त़रफ़ मुतवज्जेह होना, ख़ुत़्बे से पहले اعوذ بالله आहिस्ता पढ़ना, इतनी बुलन्द आवाज़ से ख़ुत़्बा पढ़ना कि लोग सुनें, اَلْحَمْدُ لِلّٰه से शुरूअ़ करना, **अल्लाह** पाक की सना करना, **अल्लाह** पाक की वह़दानिय्यत और **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की रिसालत की शहादत देना, हुज़ूर صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم पर दुरूद भेजना, कम से कम एक आयत की तिलावत करना, पहले ख़ुत़्बे में वा'ज़ो नसीह़त होना, दूसरे में ह़म्दो सना व शहादत व दुरूद का इआ़दा करना, दूसरे में मुसल्मानों के लिये दुआ़ करना, दोनों ख़ुत़्बे हलके होना, दोनों के दरमियान ब क़दर तीन आयत पढ़ने के बैठना, मुस्तह़ब येह है कि दूसरे ख़ुत़्बे में आवाज़ ब निस्बत पहले के पस्त हो और ख़ुलफ़ाए राशिदीन व अ़म्मैने मुकर्रमैन ह़ज़रते ह़म्ज़ा और अ़ब्बास رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا का ज़िक्र हो।

मस्अला : ख़ुत़्बे में आयत न पढ़ना या दोनों ख़ुत़्बों के दरमियान जल्सा न करना या अस्नाए ख़ुत़्बा में कलाम करना मक्रूह है अलबत्ता अगर ख़त़ीब ने नेक बात का हुक्म किया या बुरी बात से मन्अ़ किया तो उसे इस की मुमानअ़त नहीं।

मस्अला : ग़ैर अ़रबी में ख़ुत़्बा पढ़ना या अ़रबी के साथ दूसरी ज़बान ख़ुत़्बे में ख़ल्त़ करना ख़िलाफ़े सुन्नते मुवारिसा है यूंही ख़ुत़्बे में अश्आ़र पढ़ना भी न चाहिएं अगर्चे अ़रबी के हों या दो एक शे'र अ़रबी पन्दो नसाएह़ के अगर पढ़ दिये तो ह़रज नहीं। (बहारे शरीअ़त, 1/766, 769 माख़ूज़न)

ख़ुत्बए ऊला जुमुआ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ فَضَّلَ سَیِّدَنَا وَ مَوْلٰنَا مُحَمَّدًا صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ
وَسَلَّمَ عَلَی الْعٰلَمِیْنَ جَمِیْعًا ؕ وَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِیْكَ
لَهٗ وَ اَشْهَدُ اَنَّ سَیِّدَنَا وَ مَوْلٰنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی
عَلَیْهِ وَ عَلٰی اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ اَجْمَعِیْنَ وَ بَارَكَ وَسَلَّمَ ؕ اَمَّا بَعْدُ! فَیَا اَیُّهَا
الْمُؤْمِنُوْنَ ؕ رَحِمَنَا وَ رَحِمَكُمُ اللّٰهُ تَعَالٰی ؕ اُوْصِیْكُمْ وَ نَفْسِیْ بِتَقْوَی
اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فِی السِّرِّ وَ الْاِعْلَانِ ؕ وَ زَیِّنُوْا قُلُوْبَكُمْ بِحُبِّ هٰذَا النَّبِیِّ
الْكَرِیْمِ ؕ عَلَیْهِ وَ عَلٰی اٰلِهٖ اَفْضَلُ الصَّلٰوةِ وَ التَّسْلِیْمِ ؕ فَاِنَّ الْحُبَّ هُوَ
الْاِیْمَانُ كُلُّهٗ ؕ لَا اِیْمَانَ لِمَنْ لَّا مَحَبَّةَ لَهٗ ؕ رَزَقَنَا اللّٰهُ تَعَالٰی وَاِیَّاكُمْ حُبَّ
هٰذَا النَّبِیِّ الْكَرِیْمِ ؕ عَلَیْهِ وَ عَلٰی اٰلِهٖ اَكْرَمُ الصَّلٰوةِ وَ التَّسْلِیْمِ ؕ عَنِ
النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ؕ اَلْبِرُّ لَا یَبْلٰی وَالذَّنْبُ لَا یُنْسٰی
وَالدَّیَّانُ لَا یَمُوْتُ ؕ اِعْمَلْ مَا شِئْتَ كَمَا تَدِیْنُ تُدَانُ ؕ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ
الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ؕ ﴿فَمَنْ یَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْرًا یَّرَهٗ ؕ﴿۷﴾ وَمَنْ یَّعْمَلْ مِثْقَالَ

ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ۝۸ ع بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِي الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ ط وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ط اِنَّهٗ تَعَالٰى مَلِكٌ كَرِيْمٌ ط جَوَادٌ بَرٌّ رَّءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ط

ख़ुत्बए सानिया जुमुआ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ ط وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا ط مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ ط وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ ط وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ط صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ اَبَدًا ط لَا سِيَّمَا عَلٰى اَوَّلِهِمْ بِالتَّصْدِيْقِ ط اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ اَبِيْ بَكْرِ نِ الصِّدِّيْقِ ط رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ ط وَعَلٰى اَعْدَلِ الْاَصْحَابِ ط اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ط رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ ط وَعَلٰى جَامِعِ الْقُرْاٰنِ ط اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ط رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى

عَنْهُ ۙ وَعَلٰی اَسَدِ اللّٰہِ الْغَالِبِ ۙ اَمِیْرِ الْمُؤْمِنِیْنَ عَلِیِّ بْنِ اَبِیْ طَالِبٍ ۙ
کَرَّمَ اللّٰہُ تَعَالٰی وَجْھَہُ الْکَرِیْمَ ۙ وَعَلٰی ابْنَیْہِ الْکَرِیْمَیْنِ السَّعِیْدَیْنِ
الشَّھِیْدَیْنِ ۙ اَبِیْ مُحَمَّدِنِ الْحَسَنِ وَ اَبِیْ عَبْدِ اللّٰہِ الْحُسَیْنِ ۙ رَضِیَ
اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْھُمَا ۙ وَعَلٰی اُمِّھِمَا سَیِّدَۃِ النِّسَآءِ ۙ اَلْبَتُوْلِ الزَّھْرَآءِ ۙ
صَلَوَاتُ اللّٰہِ تَعَالٰی وَسَلَامُہٗ عَلٰی اَبِیْھَا الْکَرِیْمِ وَ عَلَیْھَا وَ عَلٰی بَعْلِھَا وَ
ابْنَیْھَا ۙ وَعَلٰی عَمَّیْہِ الشَّرِیْفَیْنِ الْمُطَھَّرَیْنِ مِنَ الْاَدْنَاسِ ۙ اَلْحَمْزَۃِ
وَ الْعَبَّاسِ ۙ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْھُمَا ۙ وَ عَلٰی سَآئِرِ فِرَقِ الْاَنْصَارِ وَ
الْمُھَاجِرَۃِ ۙ وَ عَلَیْنَا مَعَھُمْ ۙ عِبَادَ اللّٰہِ رَحِمَکُمُ اللّٰہُ ۙ اِنَّ اللّٰہَ یَاْمُرُ
بِالْعَدْلِ وَ الْاِحْسَانِ وَاِیْتَآیِٔ ذِی الْقُرْبٰی وَیَنْھٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ
الْمُنْکَرِ وَ الْبَغْیِ ۚ یَعِظُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُوْنَ ۙ وَلَذِکْرُ اللّٰہِ تَعَالٰی اَعْلٰی
وَاَوْلٰی وَ اَجَلُّ وَاَعَزُّ وَ اَتَمُّ وَ اَھَمُّ وَ اَعْظَمُ وَ اَکْبَرُ ۙ

ख़ुत्बए ऊला ईदुल फ़ित्र

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ حَمْدَ الشَّاکِرِیْنَ ۙ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ کَمَا نَقُوْلُ وَ خَیْرًا مِّمَّا

نَقُوْلُ ؕ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ قَبْلَ كُلِّ شَیْءٍ ؕ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ بَعْدَ كُلِّ شَیْءٍ ؕ
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ مَعَ كُلِّ شَیْءٍ ؕ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ كَمَا حَمِدَهُ الْاَنْبِیَآءُ وَ
الْمُرْسَلُوْنَ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ ؕ وَ عِبَادُ اللّٰهِ الصَّالِحُوْنَ ؕ اَللّٰهُ
اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ؕ وَ
اَفْضَلُ صَلَوَاتُ اللّٰهِ ؕ وَ اَزْكٰی تَحِیَّاتِ اللّٰهِ عَلٰی خَیْرِ خَلْقِ اللّٰهِ ؕ نَبِیِّ
الْاَنْبِیَآءِ ؕ سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ خَاتَمِ النَّبِیِّیْنَ ؕ اَكْرَمِ الْاَوَّلِیْنَ
وَالْاٰخِرِیْنَ ؕ سَیِّدِنَا وَ مَوْلٰنَا وَ مَلْجَاٰنَا وَ مَاْوٰنَا مُحَمَّدٍ رَّسُوْلِ
رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ؕ وَ عَلٰی اٰلِهِ الطَّیِّبِیْنَ وَ اَصْحَابِهِ الطَّاهِرِیْنَ ؕ وَ
اَزْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِیْنَ ؕ وَ عِتْرَتِهِ الْمُكَرَّمِیْنَ
الْمُعَظَّمِیْنَ ؕ وَ اَوْلِیَآءِ مِلَّتِهِ الْكَامِلِیْنَ الْعَارِفِیْنَ ؕ وَ عُلَمَآءِ اُمَّتِهِ
الرَّاشِدِیْنَ الْمُرْشِدِیْنَ ؕ وَ عَلَیْنَا مَعَهُمْ وَبِهِمْ وَ لَهُمْ وَ فِیْهِمْ یَا
اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ ؕ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ؕ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ؕ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ
اَكْبَرُ ؕ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ؕ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ؕ وَ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ
لَا شَرِیْكَ لَهٗ ؕ وَ اَشْهَدُ اَنَّ سَیِّدَنَا وَ مَوْلٰنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ

وَرَسُوْلُهٗ ط اَمَّا بَعْدُ! ط فَيَا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ ط رَحِمَنَا وَ رَحِمَكُمُ اللّٰهُ
تَعَالٰی ط اِعْلَمُوْا اَنَّ يَوْمَكُمْ هٰذَا يَوْمٌ عَظِيْمٌ ط يَوْمٌ يَتَجَلّٰی فِيْهِ
رَبُّكُمْ بِاسْمِهِ الْكَرِيْمِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ
اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُ اَلَا وَ اِنَّ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ اَوْجَبَ فِيْ هٰذَا الْيَوْمِ عَلٰی كُلِّ مَنْ يَّمْلِكُ النِّصَابَ
فَاضِلًا عَنِ الْحَاجَةِ الْاَصْلِيَّةِ عَنْ نَفْسِهٖ وَ عَنْ صِغَارِ الذُّرِّيَّةِ
صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ اَوْ شَعِيْرٍ اَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ اَوْ زَبِيْبٍ اَلَا وَ اِنَّهَا
لَطُهْرَةٌ لِّصِيَامِكُمْ عَنِ اللَّغْوِ وَ الرَّفَثِ وَاَنَّ الصِّيَامَ مُعَلَّقَةٌ بَيْنَ
السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ حَتّٰی تُؤَدّٰی هٰذِهِ الصَّدَقَةُ فَاَدُّوْهَا طَيِّبَةً بِهَا
اَنْفُسُكُمْ تَقَبَّلَهَا اللّٰهُ وَ الصِّيَامَ مِنَّا وَ مِنْكُمْ وَ مِنْ اَهْلِ الْاِسْلَامِ
اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَ لِلّٰهِ
الْحَمْدُ ط عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ط اَلْبِرُّ لَا يَبْلٰی وَالذَّنْبُ
لَا يُنْسٰی وَالدَّيَّانُ لَا يَمُوْتُ ط اِعْمَلْ مَا شِئْتَ كَمَا تَدِيْنُ تُدَانُ ط
اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط ﴿فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ۷﴾

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ﴿۸﴾ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُ ط بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَ لَكُمْ فِي الْقُرْاٰنِ
الْعَظِيْمِ ط وَ نَفَعَنَا وَ اِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ وَ الذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ط اِنَّهٗ تَعَالٰى
مَلِكٌ كَرِيْمٌ ط جَوَادٌ بَرٌّ رَّءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ط اَقُوْلُ قَوْلِيْ هٰذَا وَ اَسْتَغْفِرُ
اللّٰهَ لِيْ وَ لَكُمْ وَ لِسَائِرِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُسْلِمِيْنَ وَ
الْمُسْلِمَاتِ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ط اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا
اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ط وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ط

ख़ुत्बए सानिया बराए ईदुल फ़ित्र व इदुल अज़्हा

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ ط
وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا ط مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ
فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَ مَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ ط وَ نَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ ط وَ نَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَ مَوْلٰنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ
وَرَسُوْلُهٗ ط صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ وَ بَارَكَ
وَسَلَّمَ اَبَدًا ط لَا سِيَّمَا عَلٰى اَوَّلِهِمْ بِالتَّصْدِيْقِ ط اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ اَبِيْ

بَكْرِ نِ الصِّدِّيْقِ ط رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ ط وَ عَلٰی اَعْدَلِ الْاَصْحَابِ ط
اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ط رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ ط وَ عَلٰی
جَامِعِ الْقُرْاٰنِ ط اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ط رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی
عَنْهُ ط وَ عَلٰی اَسَدِ اللهِ الْغَالِبِ ط اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِیِّ بْنِ اَبِیْ طَالِبِ ط
كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰی وَجْهَهُ الْكَرِيْمَ ط وَ عَلَی ابْنَيْهِ الْكَرِيْمَيْنِ السَّعِيْدَيْنِ
الشَّهِيْدَيْنِ ط اَبِیْ مُحَمَّدِ نِ الْحَسَنِ وَ اَبِیْ عَبْدِ اللهِ الْحُسَيْنِ ط رَضِیَ
اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا ط وَ عَلٰی اُمِّهِمَا سَيِّدَةِ النِّسَآءِ ط اَلْبَتُوْلِ الزَّهْرَآءِ ط
صَلَوَاتُ اللهِ تَعَالٰی وَ سَلَامُهٗ عَلٰی اَبِيْهَا الْكَرِيْمِ وَ عَلَيْهَا وَ عَلٰی بَعْلِهَا وَ
ابْنَيْهَا ط وَ عَلٰی عَمَّيْهِ الشَّرِيْفَيْنِ الْمُطَهَّرَيْنِ مِنَ الْاَدْنَاسِ ط اَلْحَمْزَةِ
وَ الْعَبَّاسِ ط رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا ط وَ عَلٰی سَآئِرِ فِرَقِ الْاَنْصَارِ وَ
الْمُهَاجِرَةِ ط وَ عَلَيْنَا مَعَهُمْ ط يَا اَهْلَ التَّقْوٰی وَ اَهْلَ الْمَغْفِرَةِ ط اَللهُ
اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُ ط
عِبَادَ اللهِ رَحِمَكُمُ اللهُ ط اِنَّ اللهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْاِحْسَانِ وَ اِيْتَآئِ
ذِی الْقُرْبٰی وَ يَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْیِ ج يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ

تَذَكَّرُوْنَ ؕ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ تَعَالٰى اَعْلٰى وَاَوْلٰى وَ اَجَلُّ وَاَعَزُّ وَاَتَمُّ وَاَهَمُّ وَاَعْظَمُ وَاَكْبَرُ ؕ

ख़ुत़्बए ऊला बराए ईदुल अज़्हा

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدَ الشَّاكِرِيْنَ ؕ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَمَا نَقُوْلُ وَخَيْرًا مِّمَّا نَقُوْلُ ؕ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ ؕ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ ؕ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ مَعَ كُلِّ شَيْءٍ ؕ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَمَا حَمِدَهُ الْاَنْبِيَآءُ وَالْمُرْسَلُوْنَ وَالْمَلٰٓئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ ؕ وَعِبَادُ اللّٰهِ الصّٰلِحُوْنَ ؕ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ؕ وَاَفْضَلُ صَلَوَاتُ اللّٰهِ ؕ وَاَزْكٰى تَحِيَّاتِ اللّٰهِ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِ اللّٰهِ ؕ نَبِيِّ الْاَنْبِيَآءِ ؕ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ ؕ اَكْرَمِ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ ؕ سَيِّدِنَا وَمَوْلٰنَا وَمَلْجَانَا وَمَاْوٰنَا مُحَمَّدٍ رَّسُوْلِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ؕ وَعَلٰى اٰلِهِ الطَّيِّبِيْنَ وَاَصْحَابِهِ الطَّاهِرِيْنَ ؕ وَاَزْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ وَعِتْرَتِهِ الْمُكَرَّمِيْنَ الْمُعَظَّمِيْنَ ؕ وَاَوْلِيَآءِ مِلَّتِهِ الْكَامِلِيْنَ الْعَارِفِيْنَ ؕ وَعُلَمَآءِ اُمَّتِهِ الرَّاشِدِيْنَ الْمُرْشِدِيْنَ ؕ وَ

عَلَيْنَا مَعَهُمْ وَبِهِمْ وَلَهُمْ وَفِيْهِمْ يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ ؕ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ؕ اَللّٰهُ
اَكْبَرُ ؕ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ؕ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ؕ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ؕ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا
اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ ؕ وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ
وَرَسُوْلُهٗ ؕ اَمَّا بَعْدُ! ؕ فَيَا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ ؕ رَحِمَنَا وَرَحِمَكُمُ اللّٰهُ تَعَالٰی ؕ
اِعْلَمُوْا اَنَّ يَوْمَكُمْ هٰذَا يَوْمٌ عَظِيْمٌ ؕ قَالَ شَفِيْعُ الْمُذْنِبِيْنَ رَسُوْلُ رَبِّ
الْعٰلَمِيْنَ مُحَمَّدٌ ؕ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؕ مَا عَمِلَ ابْنُ اٰدَمَ مِنْ عَمَلٍ
يَوْمِ النَّحْرِ اَحَبَّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ اِهْرَاقِ الدَّمِ ؕ وَاِنَّهٗ لَيَاْتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
بِقُرُوْنِهَا وَاَشْعَارِهَا وَاَظْلَافِهَا ؕ وَاِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى بِمَكَانٍ
قَبْلَ اَنْ يَّقَعَ بِالْاَرْضِ ؕ فَطِيْبُوْا بِهَا نَفْسًا ؕ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ؕ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ؕ لَا اِلٰهَ اِلَّا
اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ؕ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ؕ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ؕ اَلَا وَاِنَّ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؕ قَدْ اَوْجَبَ عَلٰى كُلِّ مَنْ يَّمْلِكُ النِّصَابَ فَاضِلًا عَنْ حَوَآئِجِهِ
الْاَصْلِيَّةِ ؕ فِيْ هٰذَا الْيَوْمِ اَنْ يَّنْحَرَ الْاُضْحِيَّةَ ؕ وَوَقْتُهَا بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيْدِ
الْاَضْحٰى لِلْبَلَدِيِّ ؕ وَلِلْاَعْرَابِيِّ بَعْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ هٰذَا الْيَوْمِ ؕ فَاِنَّ النَّبِيَّ

صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَسِّنُوْا ضَحَايَاكُمْ فَاِنَّهَا عَلَى الصِّرَاطِ مَطَايَاكُمْ ؕ وَكَبِّرُوْا عَقِيْبَ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوْضَةِ مِنْ فَجْرِ الْعَرَفَةِ اِلٰى عَصْرِ اٰخِرِ اَيَّامِ التَّشْرِيْقِ ؕ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ؕ ﴿ وَ اِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهٖمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَ اِسْمٰعِيْلُ ؕ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿۱۲۷﴾ ﴾ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ؕ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ؕ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ؕ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ؕ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ؕ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؕ اَلْبِرُّ لَا يَبْلٰى وَالذَّنْبُ لَا يُنْسٰى وَالدَّيَّانُ لَا يَمُوْتُ ؕ اِعْمَلْ مَا شِئْتَ كَمَا تَدِيْنُ تُدَانُ ؕ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ؕ ﴿ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ﴿۷﴾ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ﴿۸﴾ ﴾ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ؕ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ؕ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ؕ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ؕ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ؕ بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِی الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ ؕ وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ؕ اِنَّهٗ تَعَالٰى مَلِكٌ كَرِيْمٌ ؕ جَوَادٌ بَرٌّ رَّءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ؕ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ؕ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ؕ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ؕ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ؕ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ؕ

ख़ुत्बए जुमुअ़तुल वदाअ़

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ ؕ
وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا ؕ مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ
فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ ؕ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ ؕ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ
وَرَسُوْلُهٗ ؕ وَهُوَ حَبِيْبُ الرَّحْمٰنِ ؕ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ ؕ وَ
عَلٰى جَمِيْعِ الْاَنْبِيَآءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ ؕ وَعَلٰى كُلِّ مَلٰٓئِكَتِكَ الْمُقَرَّبِيْنَ ؕ وَ
عَلٰى عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ ؕ صَلٰوةً مَّا تُحِبُّ وَتَرْضٰى يَا رَحْمٰنُ ؕ اَمَّا بَعْدُ!
فَيَا اَيُّهَا الثَّقَلَانِ مِنَ الْاِنْسِ وَالْجَآنِّ ؕ قَدْ مَضٰى اَكْثَرُ شَهْرِ
رَمَضَانَ ؕ وَمَا بَقِيَ مِنْهُ اِلَّا قَلِيْلُ الزَّمَانِ ؕ شَهْرُ الرَّحْمَةِ وَالْغُفْرَانِ ؕ
فَالْوَدَاعُ وَالْوَدَاعُ لِشَهْرِ رَمَضَانَ ؕ شَهْرٌ فِيْهِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا
لَيْلَةُ الْقَدْرِ ؕ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ وَّاَفْضَلُ اَجْزَآءِ
الزَّمَانِ ؕ مَنْ قَامَ فِيْهَا اِيْمَانًا وَّاِحْتِسَابًا فَازَ بِالرَّوْحِ وَالرَّيْحَانِ ؕ
اَلْفِرَاقُ وَالْفِرَاقُ لِشَهْرِ رَمَضَانَ ؕ شَهْرُ التَّسَابِيْحِ وَالتَّرَاوِيْحِ وَتِلَاوَةِ

اَلْقُرْاٰنِ ط اَلْوَدَاعُ وَ الْوَدَاعُ لِشَهْرِ رَمَضَانَ ط شَهْرُ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ
هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَ الْفُرْقَانِ ط اَلْوَدَاعُ وَ الْوَدَاعُ لِشَهْرِ
رَمَضَانَ ط فَيَا اَيُّهَا الْاِخْوَانِ وَ الْخُلَّانَ ط تُوْبُوْۤا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ط
عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ
تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ
جَنَّتٰنِ ﴿٤٦﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٧﴾﴾ وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ
الْحَكِيْمِ ط اِنَّهٗ تَعَالٰى جَوَادٌ كَرِيْمٌ مَّلِكٌ بَرٌّ رَّءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ط

ख़ुत्बए निकाह़

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ ط
وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا ط مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ
فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَ مَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ ط وَ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ ط وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ط اَعُوْذُ بِاللّٰهِ
مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط ﴿يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ
اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ

مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِیْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَیْكُمْ رَقِیْبًا ﴿۱﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ
وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿۱۰۲﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا
سَدِيْدًا ﴿۷۰﴾ۙ يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ؕ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ
فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ﴿۷۱﴾

मुनाफ़िक़ की अ़लामात

हु़ज़ूर नबिय्ये पाक صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : चार बातें ऐसी हैं कि जिस में पाई जाए वोह ख़ालिस मुनाफ़िक़ है अगर्चे नमाज़ पढ़े, रोज़ा रखे और ख़ुद को मुसल्मान समझे और जिस में इन में से एक ख़स्लत पाई जाए तो उस में निफ़ाक़ का एक शो'बा मौजूद है यहां तक कि उसे छोड़ दे : (1)... बात करे तो झूट बोले, (2)... वा'दा करे तो पूरा न करे, (3)... अमानत दी जाए तो ख़ियानत करे और (4)... झगड़ा करे तो गाली दे ।

(بخاری، کتاب الایمان، باب علامۃ المنافق، ۱/ ۲۴، حدیث: ۳۴- مسلم، کتاب الایمان، باب بیان خصال المنافق، ص ۵۱، حدیث: ۱۱۰)

इ़ल्म से मह़रूम रहने वाले

ह़ज़रते सय्यिदुना अबुल आ़लिया رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ फ़रमाते हैं : दो क़िस्म के लोग इ़ल्म से मह़रूम रहते हैं : (1)... ह़ुसूले इ़ल्म में ह़या करने वाला और (2)... मुतकब्बिर ।

(حلیۃ الاولیا، ۲/ ۲۵۱، رقم: ۲۱۲۰)

तफ़्सीली फ़ेहरिस्त

तफ़्सीली फ़ेहरिस्त

मौज़ूअ़	सफ़हा	मौज़ूअ़	सफ़हा
किताब पढ़ने की निय्यतें	4	अ़क़ीदए ख़त्मे नुबुव्वत की मुख़्तसर वज़ाहत	43
इज्माली फ़ेहरिस्त	5	ख़ातमुन्नबिय्यीन का दुरुस्त मा'ना	44
अल मदीनतुल इ़ल्मिय्या का तआ़रुफ़	9	ख़ातमुन्नबिय्यीन के पांच कुफ़्रिय्या मआ़नी	44
पुर सुकून ज़िन्दगी गुज़ारने का नुस्ख़ा हाज़िर है	10	सबक़ नम्बर : 6 मो'जिज़ात का बयान	44
मुअ़ल्लिम, उस्ताद इस किताब को ऐसे पढ़ाए	16	सबक़ नम्बर : 7 नूरानिय्यत व बशरिय्यते मुस्तफ़ा	47
पहला बाब : इस्लामी अ़क़ीदे		सबक़ नम्बर : 8 हाज़िरो नाज़िर होने का बयान	51
ता'रीफ़ात	19	सबक़ नम्बर : 9 इ़ल्मे ग़ैबे मुस्तफ़ा	54
ईमान की ता'रीफ़	19	सबक़ नम्बर : 10 शफ़ाअ़ते मुस्तफ़ा का बयान	60
ज़रूरिय्याते दीन	19	सबक़ नम्बर : 11 इख़्तियाराते मुस्तफ़ा का बयान	64
कुफ़्र की ता'रीफ़	19	सबक़ नम्बर : 12 अख़्लाक़े मुस्तफ़ा का बयान	67
शिर्क की ता'रीफ़	20	सबक़ नम्बर : 13 वालिदैने मुस्तफ़ा का बयान	69
वली की ता'रीफ़	20	सबक़ नम्बर : 14 तआ़रुफ़ व फ़ज़ाइल अज़्वाजे मुतह्हरात	73
मो'जिज़ा	20	सबक़ नम्बर : 15 अहले बैते अत़्हार का बयान	77
इरहास	20	हुज़ूर के शहज़ादे और शहज़ादियां	78
करामत	20	हज़रते क़ासिम رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ	79
इस्तिद्राज	20	हज़रते अ़ब्दुल्लाह رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ	79
सबक़ नम्बर : 1 तौह़ीदे इलाही का बयान	21	हज़रते इब्राहीम رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ	80
तौह़ीदे इलाही क़ुरआन की रोशनी में	21	हज़रते ज़ैनब رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا	81
सबक़ नम्बर : 2 ज़ात व सिफ़ात का बयान	26	हज़रते रुक़य्या رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا	82
सबक़ नम्बर : 3 शिर्क का बयान	32	हज़रते उम्मे कुल्सूम رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا	82
शिर्क अह़ादीस की रोशनी में	33	हज़रते फ़ातिमा ज़हरा رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا	83
सबक़ नम्बर : 4 नुबुव्वत का बयान	34	इमामे ह़सन رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ	86
सबक़ नम्बर : 5 इमामुल अम्बिया ह़ज़रते मुह़म्मदे मुस्तफ़ा	41	इमामे ह़ुसैन رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ	87
तीस कज़्ज़ाब	43	सबक़ नम्बर : 16 ख़ुलफ़ाए राशिदीन	89

पहले ख़लीफ़ा हज़रते अबू बक्र सिद्दीक़	90	कलिमाते कुफ़्रिय्या का बयान	147
दूसरे ख़लीफ़ा हज़रते उ़मर फ़ारूक़े आ'ज़म	91	ईमान व इस्लाम से मुतअ़ल्लिक़ कुफ़्रिय्या कलिमात	153
तीसरे ख़लीफ़ा हज़रत उ़स्माने ग़नी	92	**अल्लाह** पाक की ज़ाते मुबारका से मुतअ़ल्लिक़ कुफ़्रिय्या कलिमात	153
चौथे ख़लीफ़ा हज़रत अ़लिय्युल मुर्तज़ा शेरे ख़ुदा	93	अम्बियाए किराम से मुतअ़ल्लिक़ कुफ़्रिय्या कलिमात	159
सबक़ नम्बर : 17 इमामते कुब्रा का बयान	94	सहाबए किराम से मुतअ़ल्लिक़ कुफ़्रिय्या कलिमात	160
सबक़ नम्बर : 18 अ़शरए मुबश्शरा और दीगर सहाबए किराम का बयान	95	फ़रिश्तों से मुतअ़ल्लिक़ कुफ़्रिय्या कलिमात	160
सबक़ नम्बर : 19 मुशाजराते सहाबा का बयान	97	नमाज़, अज़ान, रोज़ा वग़ैरा से मुतअ़ल्लिक़ कुफ़्रिय्या कलिमात	161
हज़रते अबू सुफ़्यान का मुख़्तसर तआ़रुफ़	103	अफ़्आ़ले कुफ़्रिय्या का बयान	162
हज़रत अमीरे मुआ़विया का मुख़्तसर तआ़रुफ़	103	सबक़ नम्बर : 33 औलियाउल्लाह का बयान	163
सबक़ नम्बर : 20 क़ुरआने मुबीन का बयान	105	**दूसरा बाब : मा'मूलाते अहले सुन्नत**	
सबक़ नम्बर : 21 मलाएका का बयान	106	सबक़ नम्बर : 1 या रसूलल्लाह व या नबिय्यल्लाह कहने का बयान	168
सबक़ नम्बर : 22 जिन्नात का बयान	109	अहादीसे मुबारका से सुबूत	168
सबक़ नम्बर : 23 तक़्दीर का बयान	112	दूर से देखने और सुनने के वाक़िआ़त	173
तक़्दीर का सुबूत	113	सबक़ नम्बर : 2 ग़ैरुल्लाह से मदद मांगने का बयान	176
सबक़ नम्बर : 24 मौत और क़ब्र का बयान	115	सबक़ नम्बर : 3 वसीला बनाने का बयान	178
सबक़ नम्बर : 25 क़ियामत और इस की निशानियों का बयान	121	वसीले के बारे में 3 अहादीसे मुबारका	178
सबक़ नम्बर : 26 हिसाब का बयान	128	इमामे आ'ज़म का अ़मल	181
सबक़ नम्बर : 27 पुल सिरात़ का बयान	129	इमामे शाफ़ेई का अ़मल	181
सबक़ नम्बर : 28 हौज़े कौसर का बयान	130	सबक़ नम्बर : 4 ईसाले सवाब	182
सबक़ नम्बर : 29 जन्नत का बयान	131	ईसाले सवाब के मुतअ़ल्लिक़ 3 अहादीसे मुबारका	182
सबक़ नम्बर : 30 दोज़ख़ का बयान	134	फ़ातिहा व ईसाले सवाब का त़रीक़ा	186
सबक़ नम्बर : 31 ईमान का बयान	137	ईसाले सवाब के लिये दुआ़ का त़रीक़ा	186
सबक़ नम्बर : 32 कुफ़्रिय्या कलिमात व अहकामे मुरतद का बयान	141	सबक़ नम्बर : 5 किसी बुज़ुर्ग का उ़र्स मनाना	187
मुरतद की ता'रीफ़ और चन्द मख़्सूस अहकाम	142	सबक़ नम्बर : 6 पुख़्ता मज़ार और क़ुब्बा बनाना	189
मुरतद से मुतअ़ल्लिक़ चन्द फ़िक़्ही अहकाम	145	सबक़ नम्बर : 7 मज़ारात पर फूल चादर डालना	190
वोह सूरतें जो कुफ़्रिय्या नहीं हैं	147	सबक़ नम्बर : 8 ज़ियारते क़ुबूर	191

सबक़ नम्बर : 9 नज़्रो नियाज़	193	साबिक़ा मुर्शिद से तज्दीदे बैअ़त	233
सबक़ नम्बर : 10 तबर्रुकात की ता'ज़ीम	194	दूसरों को अपने पीर की बैअ़त की तरग़ीब दिलाना कैसा ?	233
सबक़ नम्बर : 11 अज़ानो इक़ामत से क़ब्ल दुरूदे पाक पढ़ना	197	मुरीद होते हुए किसी दूसरे पीर का मुरीद होना	234
सबक़ नम्बर : 12 अंगूठे चूमना	198	पीरो मुर्शिद से फ़ैज़ हासिल करने का तरीक़ा	235
सबक़ नम्बर : 13 क़ब्र पर अज़ान	200	मुरीद और तालिब में फ़र्क़	236
सबक़ नम्बर : 14 बड़ी रातों में इबादत	201	स्पीकर पर बैअ़त का शर्ई हुक्म	236
लैलतुल क़द्र के फ़ज़ाइल	203	मुरीद होने के लिये हाथों में हाथ देना शर्त नहीं	237
सबक़ नम्बर : 15 मे'राजे मुस्तफ़ा	206	वकील के ज़रीए बैअ़त	237
सबक़ नम्बर : 16 मीलाद शरीफ़ मनाना	210	**तीसरा बाब : इबादात**	
मीलाद अहादीस की रोशनी में	210	सबक़ नम्बर : 1 तहारत का बयान	240
जश्ने विलादत मनाने का हुक्म	213	सबक़ नम्बर : 2 नजासतों का बयान	243
सबक़ नम्बर : 17 बिद्अ़त	219	नजासत की अक़्साम व अहकाम	243
बिद्अ़ते हसना	220	सबक़ नम्बर : 3 हैज़ का बयान	247
बिद्अ़ते सय्यिआ	221	सबक़ नम्बर : 4 इस्तिहाज़ा का बयान	249
बिद्अ़ते मुबाहा	221	इस्तिहाज़ा के अहकाम	250
सबक़ नम्बर : 18 तक़्लीद की ज़रूरत व अहम्मिय्यत	222	हैज़ की कम अज़ कम और इन्तिहाई उम्र	250
अहकाम की अक़्साम	222	सबक़ नम्बर : 5 निफ़ास का बयान	251
अहकामे शरइय्या और इस की क़िस्में	222	निफ़ास के मुतअ़ल्लिक़ कुछ ज़रूरी मसाइल	252
अहादीसे मुबारका से दलाइल	223	हैज़ व निफ़ास के 21 अहकाम	253
तक़्लीद अक़्वाले आइम्मा की रोशनी में	224	हैज़ व निफ़ास की हालत में मुअ़ल्लिमा क़ुरआन कैसे पढ़ाए ?	257
सबक़ नम्बर : 19 पीरी मुरीदी की शर्ई हैसिय्यत	227	हैज़ की हालत में औरत क़ुरआन की तिलावत सुन सकती है ?	258
अहादीसे मुबारका में बैअ़त का ज़िक्र	229	वक़्ते नमाज़ शुरूअ़ होने के बा'द अगर औरत को हैज़ आ जाए ?	258
बैअ़त होने के फ़वाइदो बरकात	230	औरत के मख़्सूस अय्याम में फ़र्ज़ तवाफ़ का हुक्म	258
मुरीद होने का मक़्सद	231	क्या औरत हज व उ़म्रह के लिये हैज़ रोकने वाली गोलियां खा सकती है ?	259
मुर्शिदे कामिल के लिये चार शराइत़	232	हालते हैज़ में सई का हुक्म	259
ख़त या टेलीफ़ोन के ज़रीए बैअ़त	233	सबक़ नम्बर : 6 इस्तिन्जा का बयान	260

इस्तिन्जा के ढेलों के अह़काम	262	सबक़ नम्बर : 10 अज़ान व इक़ामत का बयान	286
इस्तिन्जा ख़ाने का रुख़ दुरुस्त रखिये	263	अज़ान अज़ाबे इलाही से अमान है	287
रफ़्ए ह़ाजत के लिये बैठने का त़रीक़ा	264	अंगूठे चूम कर आंखों से लगाना	290
बाएं पाउं पर वज़्न डालने की ह़िक्मत	264	अज़ान व इक़ामत और इन के जवाब के मुतअ़ल्लिक़ मुख़्तलिफ़ अह़काम	291
सबक़ नम्बर : 7 वुज़ू का बयान	264	अज़ान व इक़ामत से बे परवाई के नुक़्सानात	292
वुज़ू का अ़मली त़रीक़ा	265	सबक़ नम्बर : 11 वक़्त पर नमाज़ पढ़ने का बयान	293
वुज़ू की सुन्नतें	267	नमाज़ मुसल्मानों पर वक़्त बांधा हुवा फ़र्ज़ है	293
वुज़ू तोड़ने वाली चीज़ें	267	वक़्त पर नमाज़ पढ़ना पसन्दीदा अ़मल है	293
मुतफ़र्रिक़ मसाइल	268	वक़्त पर नमाज़ पढ़ने के मुतअ़ल्लिक़ मुख़्तलिफ़ अह़काम	294
नमाज़े जनाज़ा के वुज़ू से दीगर नमाज़ें पढ़ सकते हैं ?	269	अवक़ाते नमाज़ मा'लूम करने का एक आसान ज़रीआ़	295
मिस्वाक के त़िब्बी फ़वाइद	272	वक़्त पर नमाज़ पढ़ने के फ़ाएदे और सवाबात	296
औ़रतें सर का मस्ह़ किस त़रह़ करेंगी ?	272	वक़्त पर नमाज़ न पढ़ने के नुक़्सानात	297
नाख़ुन पॉलिश लगाने और आर्टीफ़िशल ज्वेलरी पहन कर नमाज़ पढ़ने का हुक्म	273	सबक़ नम्बर : 12 नमाज़ का बयान	297
क्या औ़रत का सर नंगा होने से वुज़ू टूट जाता है ?	274	नमाज़ की अहम्मिय्यत पर दो अह़ादीसे मुबारका	297
वुज़ू के बा'द की दुआ़एं	274	नमाज़ पढ़ने के फ़वाइद	297
सबक़ नम्बर : 8 ग़ुस्ल का बयान	274	नमाज़ न पढ़ने के नुक़्सानात	298
2 फ़रामीने मुस्त़फ़ा	275	कलामे अमीरे अहले सुन्नत دامت برکاتہم العالیہ	299
ग़ुस्ल के फ़राइज़	275	सबक़ नम्बर : 13 नमाज़ की शराइत़	300
ग़ुस्ल का त़रीक़ा	276	मुतफ़र्रिक़ मसाइल	302
ग़ुस्ल फ़र्ज़ करने वाली चीज़ें	277	मक्रूह अवक़ात	304
मुतफ़र्रिक़ मसाइल	278	क्या औ़रत स्कर्ट पहन कर नमाज़ पढ़ सकती है ?	305
सबक़ नम्बर : 9 तयम्मुम का बयान	280	नमाज़ में औ़रत के बाल नज़र आ रहे हों तो ?	305
तयम्मुम का त़रीक़ा	280	क्या औ़रत अंधेरे में नंगे सर नमाज़ पढ़ सकती है ?	306
तयम्मुम के फ़राइज़ और इस की सुन्नतें	281	औ़रत का जूड़ा बांध कर नमाज़ पढ़ना	307
मुतफ़र्रिक़ मसाइल	283	औ़रत का दूध कपड़ों पर लग जाए तो	307
मा'ज़ूर का तयम्मुम करना और बा'दे सिह़्ह़त उन नमाज़ों का इआ़दा करना	286	सबक़ नम्बर : 14 नमाज़ के फ़राइज़	308

मुतफ़र्रिक़ मसाइल	309	क़ियाम की 7 अहम बातें	331
रफ़्ए यदैन	314	रुकूअ़ की 5 अहम बातें	332
इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ने का त़रीक़ा	315	क़ौमा की 2 अहम बातें	332
तक्बीरे तह़रीमा की 4 अहम बातें	315	सज्दे की 7 अहम बातें	333
क़ियाम की 2 अहम बातें	316	जल्से की 5 अहम बातें	333
रुकूअ़ की 2 अहम बातें	316	दूसरी रक्अ़त के लिये उठने की 2 अहम बातें	333
सज्दे की 2 अहम बातें	317	क़ा'दे की 3 अहम बातें	334
जल्से की 2 अहम बातें	317	क़ा'दए अख़ीरा की 4 अहम बातें	334
दूसरे सज्दे की 2 अहम बातें	317	सलाम फेरने की 2 अहम बातें	334
दूसरी रक्अ़त के लिये उठने की 1 अहम बात	317	नमाज़ की रक्अ़तों की ता'दाद	335
दूसरी रक्अ़त के दूसरे सज्दे के बा'द क़ा'दे की 2 अहम बातें	317	5 नमाज़ों की रक्अ़तों की तफ़्सील	335
क़ा'दए अख़ीरा की 4 अहम बातें	318	इस्लामी बहनों की नमाज़ का त़रीक़ा (ह़नफ़ी)	336
सलाम फेरने की 2 अहम बातें	318	क़ियाम की 6 अहम बातें	336
पहली रक्अ़त के बा'द शामिल होने वाला बक़िय्या नमाज़ किस त़रह पढ़े ?	318	रुकूअ़ की 2 अहम बातें	336
क़ा'दए अख़ीरा में शामिल होने से पहले इमाम ने सलाम फेर दिया तो नमाज़ी क्या करे ?	319	क़ौमा की 2 अहम बातें	337
सबक़ नम्बर : 15 सुतरा के मसाइल	320	सज्दे से उठने की 3 अहम बातें	337
सबक़ नम्बर : 16 नमाज़ के वाजिबात	321	दूसरे सज्दे में जाने और वापस खड़े होने की 2 अहम बातें	337
सज्दए सह्व का त़रीक़ा	323	दूसरी रक्अ़त की 1 अहम बात	338
मुतफ़र्रिक़ मसाइल	323	क़ा'दे की 2 अहम बातें	338
नमाज़ के मक्रूहात	326	औ़रतों और मर्दों की नमाज़ में फ़र्क़	339
मुतफ़र्रिक़ मसाइल	328	नमाज़े वित्र का त़रीक़ा	340
शलवार के साथ शर्ट पहन कर नमाज़ पढ़ना कैसा ?	329	7 मदनी फूल	341
नमाज़ तोड़ने वाली चीज़ें	330	मुतफ़र्रिक़ मसाइल	341
मुतफ़र्रिक़ मसाइल	330	सबक़ नम्बर : 18 जमाअ़त के साथ नमाज़ पढ़ने का बयान	346
सबक़ नम्बर : 17 नमाज़ का अ़मली त़रीक़ा	331	कुरआने मजीद में बा जमाअ़त नमाज़ का हुक्म	346
तक्बीरे तह़रीमा की 5 अहम बातें	331	पांच नमाज़ों की जमाअ़त की अ़ज़ीमुश्शान फ़ज़ीलत	346

जमाअ़त के साथ नमाज़ पढ़ने का मत़लब	347	तरावीह़ की 20 रक्अ़त एक सलाम के साथ	367
जमाअ़त के साथ नमाज़ पढ़ने के मुतअ़ल्लिक़ मुख़्तलिफ़ अह़काम	347	ह़ाफ़िज़ सज्दए तिलावत बताना भूल जाए तो ?	368
बा जमाअ़त नमाज़ से नेक बन्दों की मह़ब्बत	347	सबक़ नम्बर : 23 शबीना पढ़ने के मसाइल	368
जमाअ़त के साथ नमाज़ न पढ़ने के नुक़्सानात	349	शबीना की शरई ह़ैसिय्यत	368
सबक़ नम्बर : 19 पहली सफ़ में नमाज़ पढ़ने का बयान	350	शबीना पढ़ना सालेह़ मुसल्मानों का दस्तूर है	369
पहली सफ़ में नमाज़ पढ़ने के मुतअ़ल्लिक़ अह़काम	351	मुरव्वजा शबीना	370
पहली सफ़ में नमाज़ पढ़ने के फ़ाएदे और सवाबात	351	सबक़ नम्बर : 24 सुन्नतें और नवाफ़िल	370
सफ़े अव्वल से ग़फ़्लत बरत्ने का नुक़्सान	352	सबक़ नम्बर : 25 सूरज गहन और चांद गहन की नमाज़	376
सबक़ नम्बर : 20 सफ़ें दुरुस्त करने का बयान	352	ह़दीसे पाक में गहन की नमाज़ की तरग़ीब	376
सफ़ें दुरुस्त करने के मुतअ़ल्लिक़ मुख़्तलिफ़ अह़काम	353	सूरज गहन की नमाज़ का वक़्त	376
सफ़ें दुरुस्त करने के फ़ाएदे और सवाबात	353	हमें क्या करना चाहिये ?	377
सफ़ें दुरुस्त न करने के नुक़्सानात	354	सबक़ नम्बर : 26 मसाइले इमामत का बयान	377
सुतूनों के दरमियान सफ़ बनाना	355	इमामत की शराइत़ येह हैं	378
बच्चों को सफ़ में कहां खड़ा करें ?	355	एक पाउं से मजबूर लंगड़े की इमामत	380
सबक़ नम्बर : 21 नमाज़ में लुक़्मा देने के मसाइल	356	कानों तक हाथ न उठा सकने वाले की इमामत का हुक्म	381
नमाज़ में लुक़्मे से मुतअ़ल्लिक़ अह़काम	356	चांदी की एक से ज़ाइद अंगूठी/छल्ले पहनने वाले की इमामत	381
सबक़ नम्बर : 22 तरावीह़	360	इमाम सज्दे में सिर्फ़ एक उंगली लगाए तो इमामत का हुक्म	382
तरावीह़ की रक्अ़तें	360	क्या इमामत की निय्यत करना ज़रूरी है ?	383
तरावीह़ का अ़ज़ीम फ़ाएदा	361	नमाज़ में इमाम का वुज़ू टूट जाए तो क्या हुक्म है ?	383
तरावीह़ पढ़ने, पढ़ाने वाले इन बातों का लिह़ाज़ रखें	361	इमाम बनने के लिये ज़रूरी चीज़ें	385
तरावीह़ के इवज़ रक़म, मिठाई, ग़ल्ले वग़ैरा का		कबीरा गुनाह से तौबा करने वाले की इमामत का हुक्म	385
तै़ कर के या बिग़ैर तै़ किये लेनदेन	363	गुनाहे कबीरा की तोहमत लगने पर उस की इमामत का हुक्म	386
नमाज़े तरावीह़ की ह़िफ़ाज़त की फ़िक्र कीजिये	364	बद मज़्हबों से मेलजोल रखने वाले की इमामत का हुक्म	386
मुतफ़र्रिक़ मसाइल	364	मां को तक्लीफ़ देने वाले की इमामत का हुक्म	386
ख़त्मे क़ुरआन में सूरए बक़रह की इब्तिदाई		वालिदैन नाराज़ हों तो इमामत का हुक्म	387
पांच आयात पढ़ने की ह़िक्मत	366	इमाम का ग़ैर मुअ़य्यन नमाज़ी की रिआ़यत करना	388

इमाम और मुक़्तदी की आपस में कदूरत की बिना पर इमामत का हुक्म	388	इमाम साहिब का अहले अ़लाक़ा और मस्जिद इन्तिज़ामिया के साथ अन्दाज़	405
अपने अ़क़ाइद ज़ाहिर न करने वाले की इमामत का हुक्म	389	नमाज़ियों के दुख सुख में शिर्कत	406
दाढ़ी काटने या तरश्वाने वाले की इमामत का हुक्म	390	सबक़ नम्बर : 28 क़ज़ा नमाज़ें	407
16 सालह अम्रद की इमामत का हुक्म	390	सबक़ नम्बर : 29 मुसाफ़िर की नमाज़	411
दुकानदार आदमी की इमामत का हुक्म	392	निय्यते इक़ामत सह़ीह़ होने की शराइत़	413
शराइते़ इक़्तिदा	394	वत़ने इक़ामत की ता'रीफ़	413
सबक़ नम्बर : 27 इमामे मस्जिद को कैसा होना चाहिये ?	395	सबक़ नम्बर : 30 सज्दए तिलावत, सज्दए शुक्र	414
किरदार व गुफ़्तार	395	आयते सज्दा पढ़ कर सज्दा करने की फ़ज़ीलत	414
मुक़्तदियों की इस्लाह़ का अन्दाज़	395	सज्दए तिलावत का त़रीक़ा	414
तक़्वा व परहेज़ गारी	396	बे वुज़ू सज्दए शुक्र करना कैसा ?	418
ख़िलाफ़े शरीअ़त कामों से इज्तिनाब	397	सबक़ नम्बर : 31 जुमुआ़ का बयान	419
ख़िलाफ़े मुरव्वत कामों से इज्तिनाब	397	जुमुआ़ के मा'ना	419
लेनदेन में मोह़तात़	398	नमाज़े जुमुआ़ अदा करने की फ़ज़ीलत	420
अहले ख़ाना की तरबियत	398	जुमुआ़ किस पर वाजिब है ?	420
रहन सहन और लिबास	398	जुमुआ़ की नमाज़ से पहले ज़ोह्‌र पढ़ना कैसा है ?	421
ह़त्तल इम्कान सुवाल से इज्तिनाब	399	ख़ुत़्बा सुनने के आदाब	422
सोशल मीडिया से इज्तिनाब	399	दौराने ख़ुत़्बा दुरूदे पाक पढ़ना कैसा ?	422
आंखों की ह़िफ़ाज़त	399	किस पर जुमुआ़ फ़र्ज़ नहीं ?	423
दर्स व बयान	400	जुमुआ़ के लिये जाते हुए ख़रीदो फ़रोख़्त	423
मसाइल बताने का अन्दाज़	400	सबक़ नम्बर : 32 ईदैन	425
सियासी व इख़्तिलाफ़ी बातों से इज्तिनाब	401	नमाज़े ईद की निय्यत	426
इमाम को एह़सासे बरतरी का शिकार नहीं होना चाहिये	401	ईदैन की नमाज़ का त़रीक़ा	426
मस्जिद की आबाद कारी में इमाम का किरदार	402	नमाज़े ईद में ज़ाइद तक्बीरें	427
इमामे मस्जिद का नमाज़ पढ़ाने में अन्दाज़	403	नमाज़े ईद दूसरे दिन पढ़ने का हुक्म	429
नमाज़ में तख़्फ़ीफ़ से मुराद	404	तक्बीरे तश्रीक़ और इस का हुक्म	429
लम्बी नमाज़ पढ़ाने पर इज़्हारे नाराज़ी	404	सबक़ नम्बर : 33 बीमारी और इलाज	431

मिर्गी से हिफ़ाज़त का अ़मल	432	दुरूदे इब्राहीम	447
ख़ुद डॉक्टर न होने के बा वुजूद क्लीनिक खोलना या इलाज करना	432	बालिग़ मर्द व औ़रत के जनाज़े की दुआ़	449
सबक़ नम्बर : 34 इयादत और मौत	433	ना बालिग़ लड़के के जनाज़े की दुआ़	449
किसी की ह़ालते नज़्अ़ देख कर करने वाले काम	435	ना बालिग़ा लड़की के जनाज़े की दुआ़	449
सबक़ नम्बर : 35 मय्यित के ग़ुस्ल का बयान	436	मुतफ़र्रिक़ मसाइल	449
मय्यित नहलाने की फ़ज़ीलत	436	नमाज़े जनाज़ा में चौथी तक्बीर के बा'द हाथ छोड़ना	449
ग़ुस्ले मय्यित का त़रीक़ा	437	ना मह़रम औ़रत के जनाज़े को कन्धा देने का क्या हुक्म है ?	450
इस्लामी बहन के ग़ुस्ले मय्यित का त़रीक़ा	437		
नहलाने वाले के लिये मदनी फूल	438	क्या औ़रतें नमाज़े जनाज़ा पढ़ सकती हैं ?	450
सबक़ नम्बर : 36 कफ़न पहनाने का बयान	440	जनाज़ा पढ़ कर दुआ़ कीजिये	451
तज्हीज़ो तक्फ़ीन की फ़ज़ीलत	440	वोह लोग जिन की नमाज़े जनाज़ा पढ़ना मन्अ़ है	453
कफ़न के दरजे	441	नमाज़े जनाज़ा दूसरी बार पढ़ना कैसा ?	454
कफ़ने ज़रूरत	441	सबक़ नम्बर : 38 क़ब्र व दफ़्न का बयान	455
कफ़ने किफ़ायत	441	तदफ़ीन में शिर्कत की फ़ज़ीलत	455
कफ़ने सुन्नत	443	क़ब्र की क़िस्में	456
बच्चों का कफ़न	443	लह़द	456
कफ़न के कपड़ों की तफ़्सील	443	शक़	456
मर्द को कफ़न पहनाने का त़रीक़ा	444	तदफ़ीन का त़रीक़ा	456
औ़रत को कफ़न पहनाने का त़रीक़ा	444	क्या एक ही क़ब्र में मुतअ़द्दद मुर्दों को दफ़्न कर सकते हैं ?	458
अपनी ज़िन्दगी में अपने कफ़न की वसिय्यत करना	445	मिट्टी डालने का त़रीक़ा	459
सबक़ नम्बर : 37 नमाज़े जनाज़ा	446	सबक़ नम्बर : 39 बा'दे तदफ़ीन तल्क़ीन का बयान	462
नमाज़े जनाज़ा पढ़ने की फ़ज़ीलत	446	मुतफ़र्रिक़ मसाइल	464
नमाज़े जनाज़ा का शरई़ हुक्म	446	क़रीबी रिश्तेदारों का मय्यित के घर रुकना	464
नमाज़े जनाज़ा के अरकान और सुन्नतें	446	मय्यित को सर्दख़ाने में रखना	465
नमाज़े जनाज़ा का त़रीक़ा (ह़नफ़ी)	447	सबक़ नम्बर : 40 ज़कात का बयान	467
सना	447	ज़कात की अहम्मिय्यत पर दो फ़रामीने मुस्त़फ़ा	467

ज़कात देने के फ़ाएदे और सवाबात	467	हज न करने के नुक़्सानात	507
ज़कात न देने की वईदात व नुक़्सानात	468	पहले फ़र्ज़ हज करें या बेटी की शादी ?	507
ज़कात न देने के दर्दनाक अज़ाबात का ख़ुलासा	469	औरत का बिग़ैर महरम के हज व उम्रह पर जाना कैसा ?	511
जानवरों की ज़कात से मुतअ़ल्लिक़ ज़रूरी सुवाल व जवाब	475	तवाफ़ या सई के दौरान कुछ देर आराम करना कैसा ?	512
सबक़ नम्बर : 41 सदक़े का बयान	479	मिना में पांच नमाज़ें और हज से क़ब्ल वुक़ूफ़ का हुक्म	513
सबक़ नम्बर : 42 रोज़े का बयान	487	हालते एहराम में कपड़े या टिशू पेपर से नाक साफ़ करना कैसा ?	514
रोज़ा बहुत क़दीम इबादत है	488	औरत का हज व उम्रह के लिये एहराम (ख़ुसूसी स्कार्फ़) लेना कैसा ?	514
अह़ादीसे मुबारका में रोज़े की फ़ज़ीलत	488	सबक़ नम्बर : 45 उम्रह का बयान	515
रोज़े के 5 उख़्रवी फ़वाइद	489	उम्रह की फ़ज़ीलत	515
रोज़ा न रखने के 2 उख़्रवी नुक़्सानात	489	सबक़ नम्बर : 46 ज़ब्ह़ और क़ुरबानी का बयान	516
रोज़ा रखने के तिब्बी फ़वाइद	489	क़ुरबानी के दिन का सब से प्यारा अ़मल	516
रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ें	492	क़ुरबानी करने के फ़ाएदे और सवाबात	517
ए'तिकाफ़ का बयान	498	क़ुरबानी न करने के नुक़्सानात	517
सबक़ नम्बर : 43 सदक़ए फ़ित्र का बयान	499	मुतफ़र्रिक़ मसाइल	518
सदक़ए फ़ित्र की अहम्मिय्यत व फ़ज़ीलत पर तीन फ़रामीने मुस्त़फ़ा	499	साबिक़ा क़ुरबानी की रक़म सदक़ा करना/क़ुरबानी की रक़म का हीला करना	519
सदक़ए फ़ित्र के मुतअ़ल्लिक़ अहम बातें	499	चार अफ़राद का बराबर रक़म मिला कर जानवर क़ुरबान करना कैसा ?	520
सदक़ए फ़ित्र की मिक़्दार	502	क़ुरबानी के जानवर में अ़क़ीक़े का ह़िस्सा शामिल करना	520
सबक़ नम्बर : 44 हज का बयान	502	जानवर ज़ब्ह़ करते वक़्त तक्बीर भूल जाए तो गोश्त का क्या हुक्म है ?	521
सब से अफ़्ज़ल अ़मल	503	बिग़ैर दांत वाली भेंस की क़ुरबानी	521
हज फ़र्ज़ होने के लिये ज़ादे राह की मिक़्दार	503	जिस जानवर के सींग निकाल दिये गए हों उस की क़ुरबानी	522
हज वाजिब होने की शराइत़	503	**चौथा बाब : मुआ़मलात**	
हज किसे कहते हैं ?	504	सबक़ नम्बर : 1 निकाह़ का बयान	524
हज की अक़्साम	504	क़ुरआन में निकाह़ की अहम्मिय्यत	524
हज का मुख़्तसर त़रीक़ा	505	आयत की तफ़्सीर	524
हज के मुतअ़ल्लिक़ मुख़्तलिफ़ अहकाम	506	ह़दीस में निकाह़ की अहम्मिय्यत	525
हज करने के फ़ाएदे और सवाबात	506	निकाह़ की ता'रीफ़	525

निकाह़ की शराइत़	526	कुफ़ू में किन उमूर का ए'तिबार है ?	533
निकाह़ का हुक्म	526	सबक़ नम्बर : 5 ह़क़ महर का बयान	533
निकाह़ के मुस्तह़ब्बात	527	कुरआन में ह़क़ महर की अहम्मिय्यत	533
निकाह़ के अल्फ़ाज़	527	ह़क़ महर की ता'रीफ़	534
निकाह़ के रुक्न	527	ह़क़ महर की मिक़्दार	534
चन्द अहम अह़काम	528	ह़क़ महर की अक़्साम	534
सबक़ नम्बर : 2 जिन औ़रतों से निकाह़ ह़राम है	529	सबक़ नम्बर : 6 वलीमे का बयान	535
कुरआन में मुह़र्रमात से निकाह़ न करने की अहम्मिय्यत	529	ह़दीस में वलीमे की अहम्मिय्यत	535
मुह़र्रमात ख़्वातीन	529	वलीमे की ता'रीफ़ व हुक्म	535
हुर्मते नसब	529	चन्द अहम अह़काम	535
हुर्मते मुसाहरत या'नी सुसराली रिश्ते	530	सबक़ नम्बर : 7 त़लाक़ का बयान	536
वोह औ़रतें जो निकाह़ में जम्अ़ नहीं हो सकतीं	530	त़लाक़ के बारे में आयत	536
हुर्मते मिल्क	530	आयत की तफ़्सीर	536
हुर्मते शिर्क	530	त़लाक़ के बारे में अह़ादीस	536
हुर्मते मिल्क	530	त़लाक़ की ता'रीफ़ व हुक्म	537
तअ़ल्लुक़े ह़क़्क़े ग़ैर की वज्ह से हुरमत	530	त़लाक़ कब दी जाए	537
ज़ाइद तादाद की वज्ह से हुरमत	531	हुक्म और नतीजे के ए'तिबार से त़लाक़ की अक़्साम	537
हुर्मते रिज़ाअ़त	531	त़लाक़े रज्ई	538
सबक़ नम्बर : 3 वली का बयान	531	त़लाक़े बाइन	538
वली की ता'रीफ़	531	त़लाक़े मुग़ल्लज़ा	538
वली की शराइत़	532	सबक़ नम्बर : 8 ईला का बयान	538
वली कौन ?	532	ईला के बारे में आयत	538
चन्द अहम अह़काम	532	आयत की तफ़्सीर	539
सबक़ नम्बर : 4 कुफ़ू का बयान	533	ईला की ता'रीफ़	539
ह़दीस में कुफ़ू की अहम्मिय्यत	533	ईला की अक़्साम	539
कुफ़ू की ता'रीफ़	533	ईला की शराइत़	539

ईला का हुक्म	540	त़लाक़ वाली की इ़द्दत	547
सबक़ नम्बर : 9 खुलअ़ का बयान	540	ह़ामिला की इ़द्दत	547
कुरआन में खुलअ़ का ज़िक्र	540	बेवा की इ़द्दत	547
आयत की तफ़्सीर	540	सबक़ नम्बर : 13 सोग का बयान	547
खुलअ़ की ता'रीफ़	541	सोग कितने दिन है ?	547
खुलअ़ की शराइत़	541	सोग की ता'रीफ़	548
खुलअ़ का हुक्म	541	सोग कौन करे ?	548
सबक़ नम्बर : 10 ज़िहार का बयान	542	चन्द अहम अह़काम	548
ज़िहार के बारे में आयत	542	सबक़ नम्बर : 14 बच्चे की परवरिश का बयान	549
आयत की तफ़्सीर	542	ह़दीस में परवरिश की अहम्मिय्यत	549
ज़िहार की ता'रीफ़	542	चन्द अहम अह़काम	550
ज़िहार की शराइत़	543	सबक़ नम्बर : 15 नफ़क़े का बयान	551
ज़िहार का हुक्म	543	कुरआने मजीद में नफ़क़े की अहम्मिय्यत	551
ज़िहार का कफ़्फ़ारा	543	ह़दीस में नफ़क़े की अहम्मिय्यत	552
सबक़ नम्बर : 11 लिआ़न का बयान	543	नफ़क़े की ता'रीफ़	552
कुरआन में लिआ़न का हुक्म	543	नफ़क़े के अस्बाब	552
आयत का शाने नुज़ूल	544	बीवी के नफ़क़े के बारे में चन्द अहम अह़काम	552
लिआ़न की ता'रीफ़	545	औलाद के नफ़क़े के बारे में चन्द अहम अह़काम	553
लिआ़न की शराइत़	545	मां बाप के नफ़क़े से मुतअ़ल्लिक़ चन्द अह़काम	553
लिआ़न का त़रीक़ा	545	सबक़ नम्बर : 16 क़सम का बयान	554
लिआ़न का हुक्म	546	कुरआन में क़सम की अहम्मिय्यत	554
सबक़ नम्बर : 12 इ़द्दत का बयान	546	आयत की तफ़्सीर	554
कुरआन में इ़द्दत का हुक्म	546	क़सम के मुतअ़ल्लिक़ दो फ़रामीने मुस्त़फ़ा	554
आयत की तफ़्सीर	546	क़सम की ता'रीफ़	555
इ़द्दत की ता'रीफ़	546	क़सम का हुक्म	555
औ़रत की ह़ालत के ए'तिबार से इ़द्दत की अक़्साम	547	क़सम की अक़्साम	555

यमीने लग़्व	556	आ़रिय्यत के मुतअ़ल्लिक़ फ़रमाने इलाही	561
यमीने लग़्व का हुक्म	556	आ़रिय्यत के मुतअ़ल्लिक़ दो फ़रामीने मुस्त़फ़ा	561
यमीने ग़मूस	556	आ़रिय्यत की ता'रीफ़	562
यमीने ग़मूस का हुक्म	556	आ़रिय्यत की शराइत़	562
यमीने मुन्अ़क़िदा	556	आ़रिय्यत के लिये ईजाब व क़बूल	562
यमीने मुन्अ़क़िदा का हुक्म	556	आ़रिय्यत का हुक्म	563
क़सम तोड़ने का कफ़्फ़ारा	556	सबक़ नम्बर : 20 गवाही का बयान	563
क़सम के कफ़्फ़ारे की शराइत़	557	गवाही के मुतअ़ल्लिक़ फ़रमाने इलाही	563
सबक़ नम्बर : 17 मन्नत का बयान	557	आयत की तफ़्सीर	563
क़ुरआन में मन्नत की अहम्मिय्यत	557	गवाही के मुतअ़ल्लिक़ फ़रमाने मुस्त़फ़ा	563
आयत की तफ़्सीर	557	गवाही की ता'रीफ़	564
मन्नत के मुतअ़ल्लिक़ ह़दीस	558	गवाही फ़र्ज़े किफ़ाया	564
मन्नत की ता'रीफ़	558	गवाही का रुक्न	564
मन्नत की अक़्साम	558	गवाही की शराइत़	564
नज़्रे शर्ई	558	शराइत़े तह़म्मुल	564
नज़्र की दूसरी क़िस्म	559	शराइत़े अदा	565
मन्नत की शराइत़	559	गवाही देने के वुजूब की शराइत़	565
मन्नत का हुक्म	559	गवाही का हुक्म	566
सबक़ नम्बर : 18 अमानत का बयान	560	अहम मस्अला	566
अमानत की अहम्मिय्यत के मुतअ़ल्लिक़ फ़रमाने इलाही	560	सबक़ नम्बर : 21 वक़्फ़ का बयान	567
अमानत की अहम्मिय्यत के मुतअ़ल्लिक़ फ़रमाने मुस्त़फ़ा	560	तीन चीजें सदक़ए जारिया हैं	567
अमानत की ता'रीफ़	560	वक़्फ़ की ता'रीफ़	567
अमानत रखने की शराइत़	560	बेहतरीन वक़्फ़	567
अमानत रखने का हुक्म	561	वक़्फ़ की शराइत़ व अह़काम	568
अमानत रखवाने की सूरतें	561	वक़्फ़ का हुक्म	570
सबक़ नम्बर : 19 आ़रिय्यत का बयान	561	सबक़ नम्बर : 22 तौलियत का बयान	570

तौलियत की ता'रीफ़	570	ख़ियारे ऐब के मुतअ़ल्लिक़ ह़दीस	581
मुतवल्ली की शराइत़ व औसाफ़	570	ख़ियारे ऐब की ता'रीफ़	581
तौलियत के चन्द अहम अह़काम	571	ऐब की ता'रीफ़	581
सबक़ नम्बर : 23 ख़रीदो फ़रोख़्त का बयान	572	ख़ियारे ऐब की शराइत़	582
ख़रीदो फ़रोख़्त के मुतअ़ल्लिक़ फ़रमाने इलाही	572	दुकान से पेक चीज़ ख़रीदी अगर ख़राब निकले तो क्या हुक्म है ?	582
आयत की तफ़्सीर	572	सबक़ नम्बर : 27 सूद का बयान	583
ख़रीदो फ़रोख़्त के मुतअ़ल्लिक़ दो फ़रामीने मुस्त़फ़ा	572	सूद की मज़म्मत में फ़रमाने इलाही	583
बैअ़ की ता'रीफ़	573	सूद ह़राम होने की ह़िक्मतें	583
बैअ़ के अरकान	573	सूद की मज़म्मत में फ़रमाने मुस्त़फ़ा	583
बैअ़ की शराइत़	573	सूद की ता'रीफ़	584
बैअ़ का हुक्म	575	ता'रीफ़ की वज़ाह़त	584
ईजाब व क़बूल	575	सूद का हुक्म	584
सामान लेने के बा'द रेट का तअ़य्युन करना कैसा ?	575	करन्सी की ख़रीदो फ़रोख़्त करना कैसा ?	585
ऑन लाइन (Online) ख़रीदो फ़रोख़्त से मुतअ़ल्लिक़ अहम मस्अला	576	सबक़ नम्बर : 28 बा'ज़ मुरव्वजा ना जाइज़ तिजारतों का बयान	585
सबक़ नम्बर : 24 ख़ियारे शर्त़ का बयान	577	क़िस्तों पर कारोबार की चन्द ना जाइज़ सूरतें	585
ख़ियारे शर्त़ के मुतअ़ल्लिक़ ह़दीस	577	वक़्त पर पेमेन्ट न करने पर इज़ाफ़ी रक़म लेना कैसा ?	586
ख़ियारे शर्त़ की ता'रीफ़	577	नीलामी की बैअ़	587
ख़ियारे शर्त़ की ज़रूरत	577	चोरी का माल ख़रीद कर बेचना	587
ख़ियारे शर्त़ के चन्द अह़काम	577	जानदारों की शक्ल वाले खिलोनों की ख़रीदो फ़रोख़्त	588
किराए पर ली हुई चीज़ आगे किराए पर देना कैसा ?	578	तसावीर वाली अश्या की ख़रीदो फ़रोख़्त का हुक्म	589
वॉरन्टी की क्या शरई ह़ैसिय्यत है ?	579	जा'ली मोह्र	589
सबक़ नम्बर : 25 ख़ियारे रूयत का बयान	580	जा'ली बिल	590
ख़ियारे रूयत के मुतअ़ल्लिक़ फ़रमाने रसूल	580	क़र्ज़ पर नफ़्अ़	590
ख़ियारे रूयत की ता'रीफ़	580	प्रीमियम प्राइज़ बॉंड (Premium Prize Bond) का हुक्म	591
चन्द अहम अह़काम	580	मोबाइल में अकाउंट बनाना कैसा ?	593
सबक़ नम्बर : 26 ख़ियारे ऐब का बयान	581	मोबाइल कम्पनी से एडवान्स बेलेन्स ह़ासिल करना कैसा ?	596

लकी वाली कमेटी	598	चन्दे की बच जाने वाली रक़म से प्राइज़ बॉंड ख़रीदना कैसा ?	611
बोली वाली कमेटी	598	जो चीज़ दुकानदार के पास नहीं है उस की ख़रीदो फ़रोख़्त	611
सबक़ नम्बर : 29 जदीद ख़रीदो फ़रोख़्त के बारे में फ़तावा जात	599	पुराना स्टॉक नए रेट पर बेचना कैसा ?	612
सीने के लिये दिया गया सूट गाहक वापस लेने न आए तो दरज़ी क्या करे ?	599	हुकूमत की त़रफ़ से मुक़र्रर किये गए रेट की पाबन्दी	612
दरज़ी के पास बचे हुए कपड़े के बारे में हुक्म	599	कमीशन एजन्ट का ज़ाइद क़ीमत पर चीज़ बेचना	613
रद्दी काग़ज़ात की ख़रीदो फ़रोख़्त करना कैसा ?	600	मुक़द्दस तह़रीर वाले काग़ज़ात रद्दी में बेचना कैसा ?	613
इन्सानी बालों की ख़रीदो फ़रोख़्त जाइज़ नहीं	600	उजरत एडवान्स में लेना कैसा ?	614
मार्केट रेट से महंगी शै बेचना	601	परिन्दा पकड़ा और मालिक मा'लूम नहीं तो क्या करें ?	615
पुरानी अदवियात को नई क़ीमत पर फ़रोख़्त करना कैसा ?	602	क्रेडिट कार्ड इस्ति'माल करना कैसा है ?	616
गाहक को किसी और के पास भेजने पर कमीशन लेना	603	ओवर टाइम दिये बिग़ैर इस के पैसे लेना कैसा ?	617
एक मरतबा दो पार्टियां मिलवाने पर बार बार कमीशन वुसूल करना	603	इलेक्ट्रेशन का चीज़ खोल कर चेक करने के पैसे लेना कैसा ?	619
दो पार्टियों का दरमियान से ब्रोकर को हटा देना	604	हज व उ़म्रह के एजन्ट्स का, फ़ी पासपोर्ट कमीशन लेना कैसा ?	619
दो त़रफ़ा ब्रोकरी लेना कैसा ?	604	स्कूल इन्तिज़ामिया का वेन वाले से फ़ी त़ालिबे इ़ल्म कमीशन लेना कैसा ?	620
ब्रोकर का टॉप मारना कैसा ?	605	कम्पनी की त़रफ़ से दुकानदार को दिये गए तह़ाइफ़ लेना कैसा ?	620
ब्रोकर का पार्टी को मार्केट वेल्यू से ज़ाइद क़ीमत बताना	606	एक ही चीज़ मुख़्तलिफ़ कस्टमर्ज़ को मुख़्तलिफ़ क़ीमत पर बेचना कैसा ?	621
ब्रोकर का पार्टी से चीज़ ख़रीद कर आगे बेचना कैसा ?	606	बेंक से लोन दिलवाने पर कमीशन लेना कैसा ?	622
छुट्टियों की तनख़्वाह लेने का हुक्म	606	बच्चों की लॉटरियां ख़रीदना बेचना कैसा ?	623
काफ़िरों के इस्ति'माल शुदा कपड़े बेचना कैसा ?	607	क्लीयरिंग एजन्ट से मुतअ़ल्लिक़ एक सुवाल का जवाब	624
जा'ली प्रोडक्ट बेचना कैसा ?	607	**पांचवां बाब : मुन्जियात**	
फ़िल्मों और गानों की सीडीज़ बेचना कैसा ?	608	सबक़ नम्बर : 1 निय्यत का बयान	627
टीवी बेचना कैसा है ?	608	क़ुरआन में निय्यत की अहम्मिय्यत	627
स्मग्लिंग के बारे में शरई हुक्म	608	आयत की तफ़्सीर	627
नया मोबाइल डिब्बा खुल जाने के बा'द कम क़ीमत में बेचना कैसा ?	609	निय्यत की अहम्मिय्यत पर तीन फ़रामीने मुस्त़फ़ा	627
बैआ़ना ज़ब्त़ करना कैसा ?	609	निय्यत की ता'रीफ़	627
मेरेज ब्यूरो की आमदनी का शरई हुक्म	610	निय्यत का हुक्म	628
चीज़ बेचने पर इजारा करना कैसा ?	610	चन्द अह़काम	628

निय्यत की आ़दत बनाने के त़रीके़	629	मुह़ासबए नफ़्स का हुक्म	636
सबक़ नम्बर : 2 इख़्लास का बयान	629	मुह़ासबे की आ़दत बनाने के त़रीके़	636
क़ुरआन में इख़्लास की अहम्मिय्यत	629	सबक़ नम्बर : 6 क़नाअ़त का बयान	637
आयत की तफ़्सीर	630	क़नाअ़त की अहम्मिय्यत पर फ़रमाने इलाही	637
इख़्लास की अहम्मिय्यत पर फ़रमाने मुस्त़फ़ा	630	क़नाअ़त की अहम्मिय्यत पर फ़रमाने मुस्त़फ़ा	638
इख़्लास की ता'रीफ़	630	क़नाअ़त की ता'रीफ़	638
इख़्लास का हुक्म	630	ता'रीफ़ की वज़ाह़त	638
मुख़्लिस बनने के त़रीके़	630	क़नाअ़त का हुक्म	638
सबक़ नम्बर : 3 सब्र का बयान	631	क़नाअ़त अपनाने के त़रीके़	639
क़ुरआन में सब्र की अहम्मिय्यत	631	सबक़ नम्बर : 7 हुस्ने ज़न का बयान	639
सब्र की फ़ज़ीलत पर फ़रमाने मुस्त़फ़ा	631	हुस्ने ज़न की अहम्मिय्यत पर फ़रमाने इलाही	639
सब्र की ता'रीफ़	632	आयत की तफ़्सीर	639
सब्र की अक़्साम	632	हुस्ने ज़न की अहम्मिय्यत पर फ़रमाने मुस्त़फ़ा	639
सब्र का हुक्म	632	हुस्ने ज़न की ता'रीफ़	640
सब्र की आ़दत बनाने के त़रीके़	632	हुस्ने ज़न का हुक्म	640
सबक़ नम्बर : 4 हुस्ने अख़्लाक़ का बयान	633	हुस्ने ज़न अपनाने के त़रीके़	640
आयत की तफ़्सीर	633	सबक़ नम्बर : 8 तौबा का बयान	641
मीज़ान में सब से वज़्नी चीज़	633	तौबा की अहम्मिय्यत पर फ़रमाने इलाही	641
हुस्ने अख़्लाक़ की ता'रीफ़	634	आयत की तफ़्सीर	641
हुस्ने अख़्लाक़ का हुक्म	634	तौबा करने वाला **अल्लाह** का पसन्दीदा है	641
हुस्ने अख़्लाक़ अपनाने के त़रीके़	634	तौबा की ता'रीफ़	642
सबक़ नम्बर : 5 मुह़ासबए नफ़्स का बयान	635	तौबा का हुक्म	642
मुह़ासबए नफ़्स की अहम्मिय्यत पर फ़रमाने इलाही	635	गुनाहों से तौबा करने का त़रीक़ा	642
आयत की तफ़्सीर	635	सबक़ नम्बर : 9 अल्लाह और रसूल की इत़ाअ़त का बयान	643
मुह़ासबए नफ़्स की अहम्मिय्यत पर फ़रमाने मुस्त़फ़ा	636	**अल्लाह** व रसूल की इत़ाअ़त की अहम्मिय्यत	643
मुह़ासबए नफ़्स की ता'रीफ़	636	आयत की तफ़्सीर	643

इत़ाअ़त का जज़्बा पैदा करने के त़रीक़े	644	सच की ता'रीफ़	650
सबक़ नम्बर : 10 तवक्कुल का बयान	644	सच बोलने का हुक्म	650
तवक्कुल की अहम्मिय्यत पर फ़रमाने इलाही	644	सच अपनाने के त़रीक़े	650
आयत की तफ़्सीर	644	सबक़ नम्बर : 14 अच्छी उम्मीद का बयान	651
तवक्कुल की अहम्मिय्यत पर फ़रमाने मुस्त़फ़ा	645	क़ुरआन में अच्छी उम्मीद की अहम्मिय्यत	651
तवक्कुल की ता'रीफ़	645	आयत की तफ़्सीर	651
तवक्कुल का हुक्म	645	अच्छी उम्मीदों के मुतअ़ल्लिक़ फ़रमाने मुस्त़फ़ा	652
तवक्कुल अपनाने के त़रीक़े	645	अच्छी उम्मीद की ता'रीफ़	652
सबक़ नम्बर : 11 ख़ौफ़े ख़ुदा का बयान	646	अच्छी उम्मीद का हुक्म	652
ख़ौफ़े ख़ुदा की अहम्मिय्यत पर फ़रमाने इलाही	646	अच्छी उम्मीद की अक़्साम	652
आयत की तफ़्सीर	646	अच्छी उम्मीद अपनाने के त़रीक़े	653
ख़ौफ़े ख़ुदा की अहम्मिय्यत पर दो फ़रामीने मुस्त़फ़ा	647	सबक़ नम्बर : 15 ग़ना का बयान	653
ख़ौफ़े ख़ुदा का मत़लब	647	ग़ना की अहम्मिय्यत	653
ख़ौफ़े ख़ुदा का हुक्म	647	आयत की तफ़्सीर	653
ख़ौफ़े ख़ुदा पैदा करने के त़रीक़े	647	ग़ना के मुतअ़ल्लिक़ नसीह़ते मुस्त़फ़ा	653
सबक़ नम्बर : 12 उम्मीदों की कमी का बयान	648	ग़ना की ता'रीफ़	653
लम्बी उम्मीद की मज़म्मत	648	ग़ना पैदा करने के त़रीक़े	654
आयत की तफ़्सीर	648	सबक़ नम्बर : 16 माल से बे रग़बती का बयान	654
जन्नत में दाख़िल होने का नुस्ख़ा	648	क़ुरआन में माल से बे रग़बती की अहम्मिय्यत	654
उम्मीदों की कमी की ता'रीफ़	649	आयत की तफ़्सीर	654
उम्मीदों की कमी का हुक्म	649	ह़दीस में माल से बे रग़बती की अहम्मिय्यत	655
कम उम्मीदी अपनाने के त़रीक़े	649	माल से बे रग़बती की ता'रीफ़	655
सबक़ नम्बर : 13 सिद्क़ (सच बोलने) का बयान	649	माल से बे रग़बती का हुक्म	655
क़ुरआन में सच की अहम्मिय्यत	649	माल से बे रग़बती अपनाने के त़रीक़े	655
आयत की तफ़्सीर	650	सबक़ नम्बर : 17 ख़ुफ़्या तदबीर से डरने का बयान	656
सच की फ़ज़ीलत और झूट की मज़म्मत	650	क़ुरआन में ख़ुफ़्या तदबीर से डरने की अहम्मिय्यत	656

आयत की तफ़्सीर	656	कुरआन में नर्मिये दिल की अहम्मिय्यत	664
ह़दीस में ख़ुफ़्या तदबीर से डरने की अहम्मिय्यत	656	नर्म दिल वाला **अल्लाह** का पसन्दीदा इन्सान	665
ख़ुफ़्या तदबीर से डरने की ता'रीफ़	657	नर्मिये दिल की ता'रीफ़	665
ख़ुफ़्या तदबीर से डरने का हुक्म	657	नर्म दिल का हुक्म	665
ख़ुफ़्या तदबीर से डर को अपनाने के त़रीक़े	657	दिल में नरमी पैदा करने के त़रीक़े	665
सबक़ नम्बर : 18 एह़तिरामे मुस्लिम का बयान	658	सबक़ नम्बर : 22 ज़ोह्द का बयान	666
कुरआन में एह़तिरामे मुस्लिम की अहम्मिय्यत	658	कुरआन में ज़ोह्द की अहम्मिय्यत	666
आयत की तफ़्सीर	659	ह़दीस में ज़ोह्द की अहम्मिय्यत	667
एह़तिरामे मुस्लिम का दर्स	659	ज़ोह्द की ता'रीफ़	667
एह़तिरामे मुस्लिम की ता'रीफ़	659	ज़ोह्द का हुक्म	667
एह़तिरामे मुस्लिम का हुक्म	659	ज़ोह्द की अक़्साम	667
एह़तिरामे मुस्लिम का जज़्बा पैदा करने के त़रीक़े	660	ज़ोह्द के दरजात	667
सबक़ नम्बर : 19 शैत़ान की मुख़ालफ़त का बयान	661	ज़ोह्द इख़्तियार करने के त़रीक़े	668
शैत़ान इन्सान का खुला दुश्मन	661	सबक़ नम्बर : 23 मह़ब्बते इलाही का बयान	668
मुख़ालफ़ते शैत़ान पर उभारने का अनोखा अन्दाज़	661	मह़ब्बते इलाही की अहम्मिय्यत	668
मुख़ालफ़ते शैत़ान क्या है ?	661	मह़ब्बते इलाही के तक़ाज़े	668
मुख़ालफ़ते शैत़ान का हुक्म	661	मह़ब्बते इलाही की अहम्मिय्यत पर फ़रमाने मुस्त़फ़ा	669
शैत़ान की मुख़ालफ़त अपनाने के त़रीक़े	662	मह़ब्बते इलाही की ता'रीफ़	669
सबक़ नम्बर : 20 शुक्र का बयान	663	ता'रीफ़ की वज़ाह़त	669
शुक्र की अहम्मिय्यत	663	मह़ब्बते इलाही का हुक्म	670
आयत की तफ़्सीर	663	मह़ब्बते इलाही पैदा करने के त़रीक़े	670
दुन्या व आख़िरत की भलाई मिल गई	663	सबक़ नम्बर : 24 ख़ल्वत नशीनी का बयान	671
शुक्र की ता'रीफ़	664	कुरआन में ख़ल्वत नशीनी की अहम्मिय्यत	671
शुक्र का हुक्म	664	आयत की तफ़्सीर	671
शुक्र की आ़दत अपनाने के त़रीक़े	664	ख़ल्वत नशीनी नजात का ज़रीआ़	671
सबक़ नम्बर : 21 दिल की नरमी का बयान	664	ख़ल्वत नशीनी की ता'रीफ़	671

ख़ल्वत नशीनी का हुक्म	672	चन्द अह़काम	678
चन्द अह़काम	672	रियाकारी करने के अस्बाब	678
ख़ल्वत इख़्तियार करने का ज़ेहन बनाने के त़रीके़	673	रियाकारी से बचने के त़रीके़	678
सबक़ नम्बर : 25 मौत को याद करने का बयान	673	सबक़ नम्बर : 3 कीने का बयान	679
क़ुरआन में मौत का ज़िक्र	673	क़ुरआन में कीने का ज़िक्र	679
ह़दीस में मौत का ज़िक्र	673	आयत की तफ़्सीर	679
मौत को याद करने की ता'रीफ़	673	ह़दीस में कीने का ज़िक्र	679
मौत को याद करने का हुक्म	673	कीने की ता'रीफ़	680
मौत को याद करने का ज़ेहन बनाने के त़रीके़	673	कीने की अ़लामात और मिसालें	680
छटा बाब : मोहलिकात		कीने का हुक्म	680
सबक़ नम्बर : 1 ह़सद का बयान	675	कीना पैदा होने के अस्बाब	680
क़ुरआन में ह़सद का ज़िक्र	675	कीने से बचने के त़रीके़	680
आयत की तफ़्सीर	675	सबक़ नम्बर : 4 बद गुमानी का बयान	680
ह़दीस में ह़सद का ज़िक्र	675	क़ुरआन में बद गुमानी का ज़िक्र	680
ह़सद की ता'रीफ़	675	आयत की तफ़्सीर	681
ह़सद का हुक्म	675	ह़दीस में बद गुमानी का ज़िक्र	681
ह़सद की मिसालें	676	बद गुमानी की ता'रीफ़	681
ह़सद करने के अस्बाब	676	बद गुमानी की मिसालें	681
ह़सद से बचने के त़रीके़	676	बद गुमानी का हुक्म	682
सबक़ नम्बर : 2 रियाकारी का बयान	677	चन्द अह़काम	682
क़ुरआन में रियाकारी का ज़िक्र	677	बद गुमानी पैदा होने के अस्बाब	682
आयत की तफ़्सीर	677	बद गुमानी से बचने के त़रीके़	682
ह़दीस में रियाकारी का ज़िक्र	677	सबक़ नम्बर : 5 तकब्बुर का बयान	682
रियाकारी की ता'रीफ़	677	क़ुरआन में तकब्बुर का ज़िक्र	683
रियाकारी की मिसालें	677	ह़दीस में तकब्बुर का ज़िक्र	683
रियाकारी का हुक्म	678	तकब्बुर की ता'रीफ़	683

तकब्बुर की मिसालें	683	आयत की तफ़्सीर	689
तकब्बुर का हुक्म	683	ह़दीस में ख़ुद पसन्दी का ज़िक्र	689
चन्द अह़काम	683	ख़ुद पसन्दी की ता'रीफ़	689
तकब्बुर पैदा होने के अस्बाब	684	ता'रीफ़ की वज़ाह़त	689
तकब्बुर से बचने के त़रीक़े	684	ख़ुद पसन्दी का हुक्म	690
सबक़ नम्बर : 6 बद शुगूनी का बयान	684	चन्द अह़काम	690
क़ुरआन में बद शुगूनी का ज़िक्र	684	ख़ुद पसन्दी के अस्बाब	690
आयत की तफ़्सीर	684	ख़ुद पसन्दी से बचने के त़रीक़े	690
ह़दीस में बद शुगूनी का ज़िक्र	685	सबक़ नम्बर : 9 झूट का बयान	690
बद शुगूनी की ता'रीफ़	685	क़ुरआने करीम में झूट का ज़िक्र	691
बद शुगूनी की मिसालें	685	आयत की तफ़्सीर	691
बद शुगूनी का हुक्म	685	ह़दीस में झूट का ज़िक्र	691
चन्द अह़काम	686	झूट की ता'रीफ़	691
बद शुगूनी के अस्बाब	686	झूट की चन्द मिसालें	691
बद शुगूनी से बचने के त़रीक़े	686	झूट का हुक्म	692
सबक़ नम्बर : 7 मायूसी का बयान	686	चन्द अह़काम	692
क़ुरआन में मायूसी का ज़िक्र	686	झूट बोलने के अस्बाब	692
आयत की तफ़्सीर	686	झूट से बचने के त़रीक़े	692
ह़दीस में मायूसी का ज़िक्र	687	सबक़ नम्बर : 10 ग़ीबत का बयान	693
मायूसी की ता'रीफ़	687	क़ुरआन में ग़ीबत का ज़िक्र	693
मायूसी का हुक्म	687	आयत की तफ़्सीर	693
चन्द अह़काम	687	ह़दीस में ग़ीबत का ज़िक्र	693
मायूसी के अस्बाब	687	ग़ीबत की ता'रीफ़	694
मायूसी से बचने के त़रीक़े	688	ग़ीबत की मिसालें	694
सबक़ नम्बर : 8 ख़ुद पसन्दी का बयान	688	ग़ीबत का हुक्म	694
क़ुरआन में ख़ुद पसन्दी का ज़िक्र	688	चन्द अह़काम	694

ग़ीबत के अस्बाब	695	चन्द अह्काम	701
ग़ीबत से बचने के त़रीक़े	695	तमस्ख़ुर के अस्बाब	701
सबक़ नम्बर : 11 चुग़ली का बयान	695	तमस्ख़ुर से बचने के त़रीक़े	701
क़ुरआन में चुग़ली का ज़िक्र	695	सबक़ नम्बर : 14 ला'नत का बयान	701
ह़दीस में चुग़ली का ज़िक्र	696	क़ुरआन में ला'नत का ज़िक्र	701
चुग़ली की ता'रीफ़	696	आयत की तफ़्सीर	702
चुग़ली की मिसालें	696	ह़दीस में ला'नत का ज़िक्र	702
चुग़ली का हुक्म	696	ला'नत की ता'रीफ़	702
चन्द अह्काम	696	ला'नत की मिसालें	702
चुग़ली करने के अस्बाब	697	ला'नत का हुक्म	702
चुग़ली से बचने के त़रीक़े	697	चन्द अह्काम	702
सबक़ नम्बर : 12 बोहतान का बयान	697	ला'नत के अस्बाब	703
क़ुरआन में बोहतान की मज़म्मत	697	ला'नत से बचने के त़रीक़े	703
ह़दीस में बोहतान की मज़म्मत	698	सबक़ नम्बर : 15 गाली का बयान	704
बोहतान की ता'रीफ़	698	क़ुरआन में गाली न देने का ज़िक्र	704
ता'रीफ़ की वज़ाह़त और मिसाल	698	आयत की तफ़्सीर	704
बोहतान का हुक्म	698	ह़दीस में गाली न देने का ज़िक्र	704
बोहतान के अस्बाब	698	गाली की ता'रीफ़	704
बोहतान से बचने के त़रीक़े	698	गाली देने की मिसालें	704
सबक़ नम्बर : 13 तमस्ख़ुर (मज़ाक़ उड़ाने) का बयान	699	गाली देने का हुक्म	705
क़ुरआन में तमस्ख़ुर का ज़िक्र	699	चन्द अह्काम	705
आयत की तफ़्सीर	699	गाली देने के अस्बाब	705
ह़दीस में तमस्ख़ुर का ज़िक्र	700	गाली देने से बचने के त़रीक़े	705
तमस्ख़ुर की ता'रीफ़	700	सबक़ नम्बर : 16 फ़ोह़्श गोई का बयान	706
तमस्ख़ुर की मिसालें	700	क़ुरआन में फ़ोह़्श गोई की मज़म्मत का ज़िक्र	706
तमस्ख़ुर का हुक्म	700	आयत की तफ़्सीर	706

ह़दीस में फ़ोह़ूश गोई की मज़म्मत का ज़िक्र	706	क़ुरआन में बद निगाही की मज़म्मत का ज़िक्र	712
फ़ोह़ूश गई की ता'रीफ़	706	आयत की तफ़्सीर	712
फ़ोह़ूश गोई का हुक्म	707	ह़दीस में बद निगाही की मज़म्मत का ज़िक्र	713
चन्द अह़काम	707	बद निगाही की ता'रीफ़	713
फ़ोह़ूश गोई के अस्बाब	707	बद निगाही की मिसालें	713
फ़ोह़ूश गोई से बचने के त़रीक़े	707	बद निगाही का हुक्म	713
सबक़ नम्बर : 17 राज़ फ़ाश करने का बयान	708	चन्द अह़काम	713
क़ुरआन में राज़ छुपाने का ज़िक्र	708	बद निगाही के अस्बाब	714
आयत की तफ़्सीर	708	बद निगाही से बचने के त़रीक़े	714
ह़दीस में राज़ छुपाने का ज़िक्र	709	सबक़ नम्बर : 20 मुदाहनत का बयान	715
राज़ फाश करने की ता'रीफ़	709	क़ुरआन में मुदाहनत का ज़िक्र	715
ता'रीफ़ की वज़ाह़त	709	आयत की तफ़्सीर	715
राज़ फ़ाश करने का हुक्म	709	ह़दीस में मुदाहनत का ज़िक्र	715
राज़ फ़ाश करने के अस्बाब	710	मुदाहनत की ता'रीफ़	716
राज़ फ़ाश करने से बचने के त़रीक़े	710	मुदाहनत का हुक्म	716
सबक़ नम्बर : 18 तजस्सुस का बयान	710	चन्द अह़काम	716
क़ुरआन में तजस्सुस का ज़िक्र	710	मुदाहनत के अस्बाब	716
आयत की तफ़्सीर	710	मुदाहनत से बचने के त़रीक़े	717
ह़दीस में तजस्सुस का ज़िक्र	710	सबक़ नम्बर : 21 धोका देही का बयान	717
तजस्सुस की ता'रीफ़	711	क़ुरआन में धोका देही की मज़म्मत का ज़िक्र	717
तजस्सुस की चन्द मिसालें	711	ह़दीस में धोका देही की मज़म्मत का ज़िक्र	718
तजस्सुस का हुक्म	711	धोका देही की ता'रीफ़	718
चन्द अह़काम	711	धोका देही की मिसालें	718
तजस्सुस के अस्बाब	712	धोका देही का हुक्म	718
तजस्सुस से बचने के त़रीक़े	712	चन्द अह़काम	718
सबक़ नम्बर : 19 बद निगाही का बयान	712	धोका देही के अस्बाब	719

धोका देही से बचने के त़रीके़	719	ज़ुल्म का हुक्म	724
सबक़ नम्बर : 22 ग़ुस्ब का बयान	719	चन्द अह़काम	724
कु़रआन में ग़ुस्ब का ज़िक्र	719	ज़ुल्म के अस्बाब	725
आयत की तफ़्सीर	720	ज़ुल्म करने से बचने के त़रीके़	725
ह़दीस में ग़ुस्ब का ज़िक्र	720	सबक़ नम्बर : 25 फ़र्ज़ इ़ल्म न सीखने का बयान	726
ग़ुस्ब की ता'रीफ़	720	कु़रआन में इ़ल्म सीखने की अहम्मिय्यत	726
ग़ुस्ब का हुक्म	720	ह़दीस में इ़ल्म सीखने की अहम्मिय्यत	726
चन्द अह़काम	720	इ़ल्म की ता'रीफ़	726
ग़ुस्ब के अस्बाब	720	इ़ल्म का हुक्म	726
ग़ुस्ब से बचने के त़रीके़	721	तरतीब के ए'तिबार से हुसूले इ़ल्म	726
सबक़ नम्बर : 23 बुख़्ल का बयान	721	फ़र्ज़ इ़ल्म न सीखने के बारे में अह़काम	727
कु़रआन में बुख़्ल का ज़िक्र	721	फ़र्ज़ इ़ल्म न सीखने के अस्बाब	727
ह़दीस में बुख़्ल का ज़िक्र	721	इ़ल्मे दीन ह़ासिल करने के त़रीके़	728
बुख़्ल की ता'रीफ़	722	सबक़ नम्बर : 26 ग़ुस्से का बयान	728
बुख़्ल की मिसालें	722	कु़रआन में ग़ुस्सा पीने की फ़ज़ीलत	728
बुख़्ल का हुक्म	722	आयत की तफ़्सीर	728
चन्द अह़काम	722	ह़दीस में ग़ुस्सा पीने की अहम्मिय्यत	729
बुख़्ल के अस्बाब	722	ग़ुस्से की ता'रीफ़	729
बुख़्ल से बचने के त़रीके़	723	ग़ुस्से का हुक्म	729
सबक़ नम्बर : 24 ज़ुल्म का बयान	723	ग़ुस्से से बचने के त़रीके़	729
कु़रआन में ज़ुल्म का ज़िक्र	723	मुन्तख़ब आयात	730
आयत की तफ़्सीर	723	ख़ुत़्बात	756
ह़दीस में ज़ुल्म का ज़िक्र	724	तफ़्सीली फ़ेहरिस्त	772
ज़ुल्म की ता'रीफ़	724	मआख़िज़ो मराजेअ़	794
ज़ुल्म की मिसालें	724		

मआख़िज़ो मराजेअ़

मआख़िज़ो मराजेअ

قرآن مجید	کلام الٰہی	****
کتاب کا نام	مصنف / مؤلف / متوفیٰ	مطبوعات
کنز الایمان	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان، متوفی ۱۳۴۰ھ	مکتبۃ المدینہ ۱۴۳۲ھ
	کتب التفسیر	
تفسیر الطبری	امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری، متوفی ۳۱۰ھ	دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۰ھ
تفسیر البغوی	امام ابو محمد حسین بن مسعود فراء بغوی، متوفی ۵۱۶ھ	دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۴ھ
التفسیر الکبیر	امام فخر الدین محمد بن عمر بن حسین رازی، متوفی ۶۰۶ھ	دار احیاء التراث بیروت ۱۴۲۰ھ
تفسیر القرطبی	علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد انصاری قرطبی، متوفی ۶۷۱ھ	دار الفکر بیروت ۱۴۲۰ھ
تفسیر البیضاوی	امام ناصر الدین عبد اللہ بن عمر بن محمد شیرازی بیضاوی، متوفی ۶۸۵ھ	دار الفکر بیروت ۱۴۲۰ھ
تفسیر مدارک	امام ابو البرکات عبد اللہ بن احمد بن محمود نسفی، متوفی ۷۱۰ھ	دار المعرفہ بیروت
تفسیر الخازن	علامہ علاء الدین علی بن محمد بغدادی، متوفی ۷۴۱ھ	المطبعۃ المیمنیہ مصر ۱۳۱۷ھ
الدر المنثور	امام جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ	دار الفکر بیروت ۱۴۰۳ھ
تفسیر عزیزی	شاہ عبد العزیز بن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، متوفی ۱۲۳۹ھ	
البحر المحیط	محمد بن یوسف الشہیر بابی حیان اندلسی، متوفی ۷۴۵ھ-	دار الکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۲۲ھ-
زاد المسیر فی علم التفسیر	امام ابو الفرج عبد الرحمن بن علی ابن جوزی، متوفی ۵۹۷ھ-	المکتب الاسلامی ۱۴۰۴ھ-
تفسیر ماوردی	امام ابو الحسن علی بن محمد ماوردی، متوفّی ۴۵۰ھ	دار الکتب العلمیہ، بیروت
روح المعانی	ابو الفضل شہاب الدین سید محمود آلوسی، متوفی ۱۲۷۰ھ	دار احیاء التراث العربی، بیروت ۱۴۲۰ھ
التفسیرات الاحمدیۃ	علامہ احمد بن ابو سعید جونپوری المعروف ملّا جیون متوفی ۱۱۳۰ھ	
روح البیان	مولی الروم شیخ اسماعیل حقی بروسی، متوفی ۱۱۳۷ھ	دار احیاء التراث بیروت
خزائن العرفان	صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی، متوفی ۱۳۶۷ھ	مکتبۃ المدینہ ۱۴۳۲ھ
تفسیر نعیمی	حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی، متوفی ۱۳۹۱ھ	
نور العرفان	حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی، متوفی ۱۳۹۱ھ	
تفسیر صراط الجنان	مفتی ابو الصالح محمد قاسم القادری مدظلہ العالی	مکتبۃ المدینہ ۱۴۳۴ھ
عجائب القرآن مع غرائب القرآن	علامہ عبد المصطفےٰ اعظمی، متوفی ۱۴۰۶ھ	مکتبۃ المدینہ
	کتب اصول التفسیر	
العجائب فی بیان الاسباب	امام الحافظ احمد بن علی بن حجر العسقلانی، متوفی ۸۵۲ھ	دار ابن الجوزی
	کتب الحدیث	
المسند	امام احمد بن محمد بن حنبل، متوفی ۲۴۱ھ	دار الفکر بیروت ۱۴۱۴ھ
صحیح البخاری	امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری، متوفی ۲۵۶ھ	دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۹ھ
صحیح مسلم	امام ابو الحسین مسلم بن حجاج قشیری، متوفی ۲۶۱ھ	دار المغنی عرب شریف ۱۴۱۹ھ
سنن ابن ماجہ	امام ابو عبد اللہ محمد بن یزید ابن ماجہ، متوفی ۲۷۳ھ	دار المعرفہ بیروت ۱۴۲۰ھ
سنن ابی داود	امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث سجستانی، متوفی ۲۷۵ھ	دار احیاء التراث بیروت ۱۴۲۱ھ
سنن الترمذی	امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی، متوفی ۲۷۹ھ	دار المعرفہ بیروت ۱۴۱۴ھ
سنن الدار قطنی	امام علی بن عمر دار قطنی، متوفی ۳۸۵ھ	مدینۃ الاولیاء
سنن نسائی	امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب نسائی متوفی ۳۰۳ھ	دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۶ھ

المعجم الکبیر	امام ابو القاسم سلیمان بن احمد طبرانی، متوفی ۳۶۰ھ	دار احیاء التراث بیروت ۱۴۲۲ھ
المعجم الاوسط	امام ابو القاسم سلیمان بن احمد طبرانی، متوفی ۳۶۰ھ	دار احیاء التراث بیروت ۱۴۲۲ھ
مسند الشامیین	امام ابو القاسم سلیمان بن احمد طبرانی، متوفی ۳۶۰ھ	مؤسسۃ الرسالۃ بیروت
المستدرک علی الصحیحین	امام ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ حاکم نیشاپوری، متوفی ۴۰۵ھ	دار المعرفہ بیروت ۱۴۱۸ھ
حلیۃ الاولیاء	حافظ ابو نعیم احمد بن عبد اللہ اصفہانی شافعی، متوفی ۴۳۰ھ	دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۹ھ
شعب الایمان	امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی بیہقی، متوفی ۴۵۸ھ	دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۱ھ
السنن الکبری	امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب نسائی، متوفی ۳۰۳ھ	دارالکتب العلمیہ ۱۴۱۱ھ-
السنن الکبری	امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی بیہقی، متوفی ۴۵۸ھ	دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۴ھ
مسند الفردوس	حافظ ابو شجاع شیرویہ بن شہر دار بن شیرویہ دیلمی، متوفی ۵۰۹ھ	دار الکتب العلمیہ بیروت
الترغیب والترھیب	امام زکی الدین عبد العظیم بن عبد القوی منذری، متوفی ۶۵۶ھ	دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۸ھ
الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان	علامہ امیر علاء الدین علی بن بلبان فارسی، متوفی ۷۳۹ھ	دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۷ھ
مجمع الزوائد	حافظ نور الدین علی بن ابی بکر ہیثمی، متوفی ۸۰۷ھ	دار الفکر بیروت ۱۴۲۰ھ
الجامع الصغیر	امام جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ	دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۵ھ
جمع الجوامع	امام جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ	دار الکتب العلمیہ بیروت
مصنف عبد الرزاق	امام ابو بکر عبد الرزاق بن ہمام بن نافع صنعانی، متوفی ۲۱۱ھ	دار الکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۲۱ھ
موطا امام مالک	امام مالک بن انس اصبحی، متوفی ۱۷۹ھ	دار المعرفہ، بیروت ۱۴۲۰ھ
الجزء المفقود من الجزء الاول من المصنف	امام ابو بکر عبد الرزاق بن ہمام بن نافع صنعانی، متوفی ۲۱۱ھ	دار الکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۲۱ھ
مشکاۃ المصابیح	علامہ ولی الدین تبریزی، متوفی ۷۴۲ھ	دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۱ھ
کشف الخفاء	شیخ اسماعیل بن محمد عجلونی، متوفی ۱۱۶۲ھ	دار الکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۲۲ھ
تاریخ بغداد	حافظ ابو بکر علی بن احمد خطیب بغدادی، متوفی ۴۶۳ھ	دار الکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۱۷ھ
ماثبت من السنۃ	شیخ محقق عبد الحق محدث دہلوی، متوفی ۱۰۵۲ھ	
کتاب الدعا	الحافظ سلیمان بن احمد الطبرانی، متوفی ۳۶۰ھ	دار الکتب العلمیۃ بیروت ۱۴۲۱ھ
صحیح ابنِ خزیمہ	امام ابو بکر محمد بن اسحاق بن خزیمہ، متوفی ۳۱۱	المکتب الاسلامی
البحر الزخار المعروف بمسند البزار	امام ابو بکر احمد عمرو بن عبد الخالق بزار، متوفی ۲۹۲ھ	مکتبۃ العلوم والحکم، المدینۃ المنورۃ ۱۴۲۴ھ
مصنف ابن ابی شیبہ	حافظ عبد اللہ بن محمد بن ابی شیبہ کوفی عبسی، متوفی ۲۳۵ھ	دار قرطبہ، بیروت ۱۴۲۷ھ
مسند الحارث	حارث بن محمد بن ابی اسامہ تمیمی، متوفّٰی ۲۸۲ھ	المدینۃ المنورہ ۱۴۱۳ھ
النہایۃ فی غریب الحدیث	مجد الدین ابو السعادات علامہ ابن اثیر جزری متوفی ۶۰۶ھ	دار احیاء الکتب العربیہ، بیروت
کنز العمال	علامہ علی متقی بن حسام الدین ہندی برہان پوری، متوفی ۹۷۵ھ	دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۹ھ
	کتب شروح الحدیث	
الاستذکار	علامہ ابن عبد البر، متوفی ۴۶۳ھ	دار الحیات التراث العربی، بیروت
عمدۃ القاری	امام بدر الدین ابو محمد محمود بن احمد عینی، متوفی ۸۵۵ھ	دار الفکر بیروت ۱۴۱۸ھ
مرقاۃ المفاتیح	علامہ ملا علی بن سلطان قاری، متوفی ۱۰۱۴ھ	دار الفکر بیروت ۱۴۱۴ھ
فیض القدیر	علامہ محمد عبد الرءوف مناوی، متوفی ۱۰۳۱ھ	دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۲ھ
اشعۃ اللمعات	شیخ محقق عبد الحق محدث دہلوی، متوفی ۱۰۵۲ھ	

مرآۃ المناجیح	حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی، متوفی ۱۳۹۱ھ	
لمعات التنقیح	شیخ محقق عبد الحق محدث دہلوی، متوفی ۱۰۵۲ھ	دار النوادر، سوریا دمشق ۱۴۳۵ھ
نزہۃ القاری	علامہ مفتی محمد شریف الحق امجدی، متوفی ۱۴۲۰ھ	
	کتب اصول الحدیث	
نخبۃ الفکر	امام الحافظ احمد بن علی بن حجر العسقلانی، متوفّٰی ۸۵۲ھ	مکتبۃ المدینۃ
	کتب العقائد	
فقہ الاکبر	امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، متوفی ۱۵۰ھ	مکتبۃ المدینۃ
شرح العقائد	علامہ مسعود بن عمر سعد الدین تفتازانی، متوفی ۷۹۳ھ	مکتبۃ المدینہ ۱۴۳۰ھ
المسامرۃ بشرح المسایرۃ	کمال الدین محمد بن محمد المعروف بابن ابی شریف، متوفی ۹۰۶ھ	مطبعۃ السعادۃ بمصر
منح الروض الازہر	شیخ علی بن سلطان المعروف بملا علی قاری، متوفی ۱۰۱۴ھ	مکتبۃ المدینہ، ۱۴۳۵ھ
شرح الصاوی علی جوہرۃ التوحید	احمد بن محمد صاوی مالکی خلوتی، متوفی ۱۲۴۱ھ	دار الاخاء
تکمیل الایمان	شیخ محقق عبد الحق محدث دہلوی، متوفی ۱۰۵۲ھ	
الصواعق المحرقۃ	حافظ احمد بن حجر مکی ہیتمی، متوفی ۹۷۴ھ	
تحفۃ المرید علی جوھرۃ التوحید	شیخ ابراہیم بن محمد بیجوری، متوفی ۱۲۷۶ھ	مکتبہ دار البیرونی، دمشق
بحر الکلام	امام میمون بن محمد نسفی حنفی رحمۃ اللہ علیہ متوفّٰی ۵۰۸ھ	مکتبہ دار الفرفور ۱۴۲۱ھ
المعتقد المنتقد	علامہ فضل الرسول بدایونی، متوفی ۱۲۸۹ھ	
جامع کرامات اولیاء	امام یوسف بن اسماعیل نبہانی، متوفی ۱۳۵۰ھ	مرکز اہلسنت برکات رضا ہند ۱۴۲۲ھ
الدولۃ المکیۃ	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان، متوفی ۱۳۴۰ھ	
جاء الحق	حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی، متوفی ۱۳۹۱ھ	
رسالہ نور مع رسائل نعیمیہ	حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی، متوفی ۱۳۹۱ھ	نعیمی کتب خانہ
الحق المبین	غزالیِ دوراں علامہ سید احمد سعید کاظمی	مکتبۃ المدینہ
تحقیقات	علامہ مفتی محمد شریف الحق امجدی، متوفی ۱۴۲۰ھ	
من عقائد اہل السنۃ	علامہ عبد الحکیم شرف قادری	
کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب	امیر اہلسنت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی	مکتبۃ المدینہ
انبیاء و اولیاء کو پکارنا کیسا؟	المدینۃ العلمیہ، دعوتِ اسلامی	مکتبۃ المدینہ
فاتحہ اور ایصالِ ثواب کا طریقہ	امیر اہلسنت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی	مکتبۃ المدینہ
	کتب الفقہ	
فتاوی قاضی خان	علامہ حسن بن منصور قاضی خان متوفی ۵۹۲ھ	
المبسوط	شمس الائمہ محمد بن احمد بن ابی سہل السرخسی، متوفی ۴۸۳ھ	دار الکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۲۱ھ
درر الحکام	علامہ قاضی شہیر ملّا خسرو حنفی، متوفی ۸۸۵ھ	
تبیین الحقائق	امام فخر الدین عثمان بن علی زیلعی حنفی، متوفی ۷۴۳ھ	دار الکتب العلمیہ، بیروت، ۱۴۲۰ھ
البدائع الصنائع	ملک العلماء امام علاء الدین ابو بکر بن مسعود کاسانی، متوفی ۵۸۷ھ	دار احیاء التراث العربی، بیروت ۱۴۲۱ھ
ہدایہ	برہان الدین علی بن ابی بکر مرغینانی، متوفی ۵۹۳ھ	دار احیاء التراث العربی، بیروت
فتح القدیر	علامہ کمال الدین بن ہمام، متوفی ۸۶۱ھ	

تنویر الابصار	علامہ شمس الدین محمد بن عبد اللہ بن احمد تمر تاشی، متوفی ۱۰۰۴ھ	دار المعرفۃ، بیروت، ۱۴۲۰ھ
البحر الرائق	علامہ زین الدین بن نجیم، متوفی ۹۷۰ھ	
رد المحتار	علامہ محمد امین ابن عابدین شامی، متوفی ۱۲۵۲ھ	دار المعرفہ بیروت ۱۴۲۰ھ
الدر المختار	علامہ محمد بن علی المعروف بعلاء الدین حصکفی متوفی ۱۰۸۸ھ	دار المعرفہ، بیروت ۱۴۲۰ھ
شرح وقایہ	علامہ صدر الشریعہ عبید اللہ بن مسعود، متوفی ۷۴۷ھ	
الفتاوی الہندیۃ	علامہ ہمام مولانا شیخ نظام متوفی ۱۱۶۱ھ وجماعۃ من علماء الہند	دار الفکر بیروت ۱۴۰۳ھ
مجمع الانہر	علامہ عبد اللہ بن محمد داماد آفندی حنفی، متوفی ۱۰۷۷ھ	دار احیاء التراث العربی
مراقی الفلاح معہ حاشیۃ الطحطاوی	علامہ حسن بن عمار بن علی شرنبلالی، متوفی ۱۰۶۹ھ	
حاشیۃ الطحطاوی	علامہ احمد بن محمد بن اسماعیل طحطاوی، متوفی ۱۲۴۱ھ	
خلاصۃ الفتاویٰ	علامہ طاہر بن عبد الرشید بخاری، متوفی ۵۴۲ھ	
الحاوی للفتاوی	امام جلال الدین عبد الرحمن سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ	دار الفکر، بیروت ۱۴۲۰ھ
الجوہرۃ النیرۃ	علامہ ابو بکر بن علی حداد، متوفی ۸۰۰ھ	
فتاویٰ تاتارخانیہ	علامہ عالم بن علاء انصاری دہلوی، متوفی ۷۸۶ھ	
نور الایضاح	علامہ حسن بن عمار بن علی شرنبلالی، متوفی ۱۰۶۹ھ	
غنیۃ المتملی	علامہ محمد ابراہیم بن حلبی، متوفی ۹۵۶ھ	
الاختیار لتعلیل المختار	ابو الفضل مجد الدین عبد اللہ بن محمد موصلی، متوفی ۶۸۳ھ	دار الکتب العلمیہ بیروت
شرح تنقیح الفصول	شیخ ابو العباس احمد بن ادریس قرافی، متوفی ۶۸۴ھ	دار الفکر، بیروت
تنقیح الفتاوی الحامدیۃ	علامہ محمد امین ابن عابدین شامی، متوفی ۱۲۵۲ھ	
حلبی کبیر	علامہ محمد ابراہیم بن حلبی، متوفی ۹۵۶ھ	
جد الممتار	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان، متوفی ۱۳۴۰ھ	مکتبۃ المدینہ،
فتاویٰ رضویہ	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان، متوفی ۱۳۴۰ھ	رضا فاؤنڈیشن
فتاویٰ افریقہ	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان، متوفی ۱۳۴۰ھ	نوری کتب خانہ
رسائل ابن نجیم	علامہ زین العابدین بن ابراہیم المعروف بابن نجیم، متوفی ۹۷۰ھ	دار الکتب العلمیہ بیروت
عمدۃ الرعایۃ	محمد عبد الحی لکھنوی ہندی، متوفی ۱۳۵۴ھ	مکتبہ امدادیہ
ملفوظات اعلیٰ حضرت	مفتی اعظم ہند محمد مصطفےٰ رضا خان، متوفی ۱۴۰۲ھ	مکتبۃ المدینہ ۱۴۳۰ھ
بہار شریعت	مفتی محمد امجد علی اعظمی، متوفی ۱۳۶۷ھ	مکتبۃ المدینہ
فتاویٰ امجدیہ	علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی، متوفی ۱۳۶۷ھ	مکتبہ رضویہ
وقار الفتاویٰ	مولانا مفتی محمد وقار الدین، متوفی ۱۴۱۳ھ	بزم وقار الدین ۲۰۰۱ء
فتاویٰ فیض الرسول	مولانا مفتی جلال الدین امجدی، متوفی ۱۴۲۲ھ	
فتاویٰ شارح بخاری	علامہ مفتی محمد شریف الحق امجدی، متوفی ۱۴۲۰ھ	مکتبہ برکات المدینہ
ہمارا اسلام	مولانا مفتی محمد خلیل خان برکاتی، متوفی ۱۴۰۵ھ	
سنی بہشتی زیور	مولانا مفتی محمد خلیل خان برکاتی، متوفی ۱۴۰۵ھ	
جنتی زیور	علامہ عبد المصطفےٰ اعظمی، متوفی ۱۴۰۶ھ	مکتبۃ المدینہ
قانونِ شریعت	شمس الدین احمد جونپوری	

نجاستوں کا بیان مع کپڑے پاک کرنے کا طریقہ	امیر اہلسنت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی	مکتبۃ المدینہ
اسلامی بہنوں کی نماز	امیر اہلسنت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی	مکتبۃ المدینہ
مختصر فتاویٰ اہلِ سنت	مجلسِ افتاء، دعوتِ اسلامی	مکتبۃ المدینہ
فیضانِ نماز	امیر اہلسنت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی	مکتبۃ المدینہ
قضاء نمازوں کا طریقہ	امیر اہلسنت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی	مکتبۃ المدینہ
نماز کے احکام	امیر اہلسنت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی	مکتبۃ المدینہ
پردے کے بارے میں سوال جواب	امیر اہلسنت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی	مکتبۃ المدینہ
	کتب اصول الفقہ	
الاشباہ والنظائر	الشیخ زین الدین بن ابراہیم الشہیر بابن نجیم، متوفی ۹۷۰ھ	دار الکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۱۹ھ
عقد الجید فی احکام الاجتھاد والتقلید	شیخ احمد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، متوفی ۱۱۷۹ھ	
مسلم الثبوت	شیخ محب اللہ بن عبد الشکور البہاری الہندی، متوفی ۱۱۱۹ھ	
	کتب التصوف	
کتاب الزھد لابن المبارک	امام عبد اللہ بن مبارک مروزی، متوفی ۱۸۱ھ	دار الکتب العلمیہ، بیروت
موسوعۃ امام ابن ابی الدنیا	امام عبد اللہ بن محمد ابو بکر بن ابی الدنیا، متوفی ۲۸۱ھ	المکتبۃ العصریہ بیروت
الرسالۃ القشیریۃ	امام ابو القاسم عبد الکریم بن ہوازن قشیری، متوفی ۴۶۵ھ	دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۸ھ
احیاء علوم الدین	امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی، متوفی ۵۰۵ھ	دار صادر بیروت ۱۴۲۰ھ
احیاء العلوم	امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی، متوفی ۵۰۵ھ	مکتبۃ المدینہ ۱۴۳۳ھ
منہاج العابدین	امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی، متوفی ۵۰۵ھ	دار الکتب العلمیہ بیروت
الکبائر	امام شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان الذہبی متوفی ۷۴۸ھ	اشاعت اسلام کتب خانہ
شرح الصدور	امام جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ	مرکز اہلسنت برکات رضا ہند ۱۴۲۳ھ
الزواجر عن اقتراف الکبائر	امام ابن حجر ہیتمی متوفی ۹۷۳ھ	دار المعرفہ بیروت ۱۴۱۹ھ
الحدیقۃ الندیۃ	سیدی عبد الغنی نابلسی حنفی، متوفی ۱۱۴۱ھ	
اصلاحِ اعمال	سیدی عبد الغنی نابلسی حنفی، متوفی ۱۱۴۱ھ	مکتبۃ المدینہ
لباب الاحیاء	امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی، متوفی ۵۰۵ھ	مکتبۃ المدینہ
اتحاف السادۃ المتقین	سید محمد بن محمد حسینی زبیدی، متوفیٰ ۱۲۰۵ھ	دار الکتب العلمیہ، بیروت
بستان الواعظین	امام ابو الفرج عبد الرحمن بن علی ابن جوزی، متوفی ۵۹۷ھ۔	دار الکتاب العربی
لواقح الانوار القدسیۃ	امام عبد الوہاب شعرانی، متوفی ۹۷۳ھ	دار احیاء التراث العربی
البدور السافرۃ	امام جلال الدین عبد الرحمن سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ	موسسۃ الکتب الثقافیہ، بیروت
سلوک اقرب السبل مع اخبار الاخیار	شیخ محقق شیخ محمد عبد الحق محدث دہلوی بخاری متوفی ۱۰۵۲ھ	فاروقی اکیڈمی
اھوال القبور	حافظ عبد الرحمن ابن رجب حنبلی، متوفی ۷۹۵ھ	دار الکتاب العربی، بیروت
التذکرۃ	شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن احمد القرطبی، متوفی ۶۷۱ھ	مکتبہ دار السلام، القاہرہ
انفاس العارفین	شیخ احمد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، متوفی ۱۱۷۹ھ	فضل نور اکیڈمی
طہارۃ القلوب	ابو محمد عبد العزیز بن احمد الدیرینی، متوفی ۶۹۷ھ	دار اسامہ، بیروت
حقائق عن التصوف	شیخ عبد القادر عیسیٰ	مکتبۃ الوطنیہ عمان

بوستانِ سعدی	شیخ شرف الدین مصلح بن عبد اللہ سعدی شیرازی، متوفی ۶۹۱ھ	انتشارات عالمگیر
منہاج القاصدین	ابو الفرج عبد الرحمن بن علی البغدادی المعروف بابن الجوزی، متوفی ۵۹۷ھ	ادارہ معارف اسلامی
عین العلم زین الحلم	شیخ محمد بن عثمان بن عمر الہندی البلخی الحنفی، متوفی ۸۳۰ھ	دار المعرفہ بیروت
مختصر منہاج العابدین	سید احمد بن زینی دحلان، متوفی ۱۳۰۴ھ	مکتبۃ المدینہ
بدشگونی	المدینۃ العلمیہ، دعوتِ اسلامی	مکتبۃ المدینہ
بدگمانی	المدینۃ العلمیہ، دعوتِ اسلامی	مکتبۃ المدینہ
	کتب السیرۃ	
دلائل النبوۃ للبیہقی	امام ابو بکر احمد بن الحسین بن علی بیہقی، متوفی ۴۵۸ھ	دار الکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۲۳ھ
دلائل النبوۃ لابی نعیم	امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی، متوفی ۴۵۸ھ	دار الکتب العلمیہ بیروت
الشفا بتعریف حقوق المصطفٰی	امام قاضی ابو الفضل عیاض مالکی، متوفی ۵۴۴ھ	مرکز اہلسنت برکات رضا ہند ۱۴۲۳ھ
الروض الانف	الامام ابو القاسم عبد الرحمن بن عبد اللہ الخثعمی السہیلی، متوفّٰی ۵۸۱ھ	دار الکتب العلمیہ بیروت
شرح الزرقانی علی المواہب	محمد زرقانی بن عبد الباقی بن یوسف، متوفی ۱۱۲۲ھ	دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۷ھ
المواہب اللدنیہ	شہاب الدین احمد بن محمد قسطلانی، متوفی ۹۲۳ھ	دار الکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۱۶ھ
مدارج النبوۃ	شیخ محقق عبد الحق محدث دہلوی، متوفی ۱۰۵۲ھ	نوریہ رضویہ ۱۹۹۷ء
سبل الہدیٰ والرشاد	امام محمد بن یوسف صالحی شامی، متوفی ۹۴۲ھ	دار الکتب العلمیہ، بیروت، ۱۴۲۸ھ
وسائل الوصول	امام یوسف بن اسماعیل نبہانی، متوفّٰی ۱۳۵۰ھ	دار المنہاج بیروت ۱۴۲۳ھ
المورد الروی فی المولد النبوی	شیخ علی بن سلطان المعروف بملا علی قاری، متوفی ۱۰۱۴ھ	
طبقات ابن سعد	محمد بن سعد الہاشمی البصری المعروف بابن سعد، متوفی ۲۳۰ھ	دار الکتب العلمیہ بیروت
سیرتِ مصطفٰے	علامہ عبد المصطفٰے اعظمی، متوفی ۱۴۰۶ھ	مکتبۃ المدینہ ۱۴۲۹ھ
سیرت الانبیاء	مفتی قاسم عطاری	مکتبۃ المدینہ
سوانح کربلا	المدینۃ العلمیہ، دعوتِ اسلامی	مکتبۃ المدینہ
برکاتِ آلِ رسول	علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی متوفی ۱۳۵۰ھ	مکتبہ قادریہ
الشرف المؤبد	علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی متوفی ۱۳۵۰ھ	دار جوامع الکلم
بہجۃ الاسرار	ابو الحسن نور الدین علی بن یوسف شطنوفی، متوفی ۷۱۳ھ	دار الکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۲۳ھ
نزہۃ الخاطر الفاتر	شیخ علی بن سلطان المعروف بملا علی قاری، متوفی ۱۰۱۴ھ	قادری رضوی کتب خانہ
تذکرہ صدر الشریعہ	امیر اہلسنت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی	مکتبۃ المدینہ
فیضان مفتی احمد یار خان نعیمی	المدینۃ العلمیہ، دعوتِ اسلامی	مکتبۃ المدینہ
سنتِ نکاح	المدینۃ العلمیہ، دعوتِ اسلامی	مکتبۃ المدینہ
	کتب التاریخ	
تاریخ الطبری	امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری، متوفی ۳۱۰ھ	دار ابن کثیر
تاریخ الخلفاء	امام جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ	قدیمی کتب خانہ
	کتب اسماء الرجال	
الاصابۃ	امام الحافظ احمد بن علی بن حجر العسقلانی، متوفّٰی ۸۵۲ھ	دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۵ھ
تذکرۃ الحفاظ	امام شمس الدین محمد بن احمد ذہبی، متوفیٰ ۷۴۸ھ	دار الکتب العلمیہ، بیروت

بستان المحدثین	سراج الہند شاہ عبد العزیز محدثِ دہلوی، متوفی ۱۲۳۹ھ	ایچ ایم سعید کمپنی
طبقات الحنابلہ	امام ابن یعلی حنبلی، متوفی ۵۲۶ھ	دار الکتب العلمیۃ، بیروت
	الکتب المتفرقۃ	
مفردات الفاظ القرآن	امام راغب ابو قاسم حسین بن محمد اصفہانی متوفی ۵۰۲ھ	دار القلم دمشق ۱۴۱۶ھ
تاریخ ابن عساکر	امام ابن عساکر علی بن حسن شافعی متوفی ۵۷۱ھ	دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ
روض الریاحین	امام عبد اللہ بن اسعد الیافعی، متوفی ۷۶۸ھ	دار الکتب العلمیہ
حجۃ اللہ البالغۃ	شیخ احمد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، متوفی ۱۱۷۹ھ	صدیقیہ کتب خانہ
الفقیہ المتفقہ	ابو بکر احمد بن علی خطیب بغدادی، متوفی ۴۶۲ھ	دار ابن جوزی
جواہر البیان فی اسرار الارکان	مولانا نقی علی خان، متوفی ۱۲۹۷ھ	والضحیٰ پبلی کیشنز
مجموع لطیف انبی	الدکتور عاصم ابراہیم الکیالی	دار الکتب العلمیۃ، بیروت، ۱۴۲۶ھ
مجموعہ رسائل اللکنوی	محمد عبد الحی لکھنوی ہندی، متوفی ۱۳۵۴ھ	انتشارات شیخ الاسلام احمد جام
شواہد الحق	امام یوسف بن اسماعیل نبہانی، متوفی ۱۳۵۰ھ	مرکز اہل السنہ برکاتِ رضا
اسلامی زندگی	حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی، متوفی ۱۳۹۱ھ	مکتبۃ المدینہ ۱۴۲۷ھ
فضائل دعا	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان، متوفی ۱۳۴۰ھ	مکتبۃ المدینہ
حدائق بخشش	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان، متوفی ۱۳۴۰ھ	مکتبۃ المدینہ
مسائل القرآن	علامہ عبد المصطفٰے اعظمی، متوفی ۱۴۰۶ھ	پروگریسو بکس اردو بازار
مقالاتِ کاظمی	غزالیِ دوراں علامہ سید احمد سعید کاظمی	مکتبہ ضیائیہ
دفاع سیدنا امیر معاویہ	مجموعہ رسائل علماء	دار الاسلام
امیر معاویہ	حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی، متوفی ۱۳۹۱ھ	
فیضانِ سنت	امیر اہلسنت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی	مکتبۃ المدینہ
نیکی کی دعوت	امیر اہلسنت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی	مکتبۃ المدینہ
آقا کا مہینا	امیر اہلسنت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی	مکتبۃ المدینہ
احترامِ مسلم	امیر اہلسنت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی	مکتبۃ المدینہ
خودکشی کا علاج	امیر اہلسنت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی	مکتبۃ المدینہ
جھوٹا چور	امیر اہلسنت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی	مکتبۃ المدینہ
آدابِ مرشد کامل	المدینۃ العلمیہ، دعوتِ اسلامی	مکتبۃ المدینہ
فیضانِ علم و علماء	المدینۃ العلمیہ، دعوتِ اسلامی	مکتبۃ المدینہ
ذوقِ نعت	شہنشاہِ سخن مولانا حسن رضا خان، متوفی ۱۳۲۶ھ	مکتبۃ المدینہ
تبرکات کا ثبوت	المدینۃ العلمیہ، دعوتِ اسلامی	مکتبۃ المدینہ
پیری مریدی کی شرعی حیثیت	المدینۃ العلمیہ، دعوتِ اسلامی	مکتبۃ المدینہ
دلچسپ معلومات	المدینۃ العلمیہ، دعوتِ اسلامی	مکتبۃ المدینہ
ماہنامہ فیضانِ مدینہ	المدینۃ العلمیہ، دعوتِ اسلامی	مکتبۃ المدینہ
	کتب اللغات	
لسان العرب	علامہ جمال الدین محمد بن مکرم ابن منظور افریقی، متوفی ۷۱۱ھ	مؤسسۃ الاعلمی للمطبوعات، بیروت
التعریفات	سید شریف علی بن محمد بن علی الجرجانی، متوفی ۸۱۶ھ	دار المنار للطباعۃ والنشر
القاموس المحیط	مجد الدین محمد بن یعقوب فیروز آبادی، متوفی ۸۱۷ھ	دار احیاء التراث العربی، بیروت ۱۴۱۷ھ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

अल मदीनतुल इ़ल्मिय्या के कुल कुतुबो रसाइल : 644 जिन के मौज़ूआ़त व ता'दाद की तफ़्सील दर्जे ज़ैल है

क़ुरआनो मुतअ़ल्लिक़ात : 39, ह़दीस व मुतअ़ल्लिक़ात : 23, फ़िक़्ह व मुतअ़ल्लिक़ात : 59, सीरतुन्नबी, फ़ज़ाइल व मनाक़िब : 12, सीरते सह़ाबा : 16, सीरते सह़ाबियात व सालिह़ात : 19, सीरते औलिया व उ़लमा : 46, तारीख़ : 04, मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत : 48, तज़्किरए अमीरे अहले सुन्नत : 11, तसव्वुफ़ व अख़्लाक़िय्यात : 117, अ़क़ाइद व मुतअ़ल्लिक़ात : 19, ता'लीमाते इस्लाम : 10, उ़लूमो फ़ुनून : 35, बयानात : 20, ना'तिया दीवान : 06, दा'वते इस्लामी व समरात : 128, मुतफ़र्रिक़ात : 32

क़ुरआन व मुतअ़ल्लिक़ात

नम्बर शुमार	किताब का नाम	सफ़ह़ात	नम्बर शुमार	किताब का नाम	सफ़ह़ात
01	अल क़ुरआनुल करीम 26 N-I	549	02	الفوزالكبير	165
03	अल क़ुरआनुल करीम 25 N-I	549	04	क़ुरआनी सूरतों के फ़ज़ाइल	17
05	अल क़ुरआनुल करीम 25-A N-I	549	06	इ़ल्मुल क़ुरआन	244
07	सूरए यासीन शरीफ़	16	08	فيضانُ التجويد	112
09 ता 14	मा'रिफ़तुल क़ुरआन (6 जिल्दें)	2425	15 ता 24	तफ़्सीरे सिरातुल जिनान (10 जिल्दें)	6487
25	कन्ज़ुल ईमान मअ़ ख़ज़ाइनुल इरफ़ान	1185	26 ता 28	पारह सेट	604
29	कन्ज़ुल इरफ़ान	1144	30	अ़जाइबुल क़ुरआन मअ़ ग़राइबुल क़ुरआन	422
31	तफ़्सीरे बैज़ावी	392	32	आयाते क़ुरआनी के अन्वार	62
33	तफ़्सीरे सूरए नूर	135	34	रहनुमाए मुदर्रिसीन	87
35	क़ुरआन सीखें और सिखाएं	120	36	मदनी क़ाइदा	48
37	फ़ैज़ाने यासीन शरीफ़ मअ़ दुआ़ए निस्फ़े शा'बानुल मुअ़ज़्ज़म	20	38	تفسيرالجلالين مع حاشية انوار الحرمين(3جلدیں)	1251
39	الأنوار الرضويه فی القواعد التفسيريه ماخوذة من الزلال الأنقى من بحر سبقة الاتقى	67			

ह़दीस व मुतअ़ल्लिक़ात

नम्बर शुमार	किताब का नाम	सफ़ह़ात	नम्बर शुमार	किताब का नाम	सफ़ह़ात
01 ता 07	फ़ैज़ाने रियाजु़स्सालिह़ीन (7 जिल्दें)	5136	08	مسند امام اعظم	660
09	जन्नत में ले जाने वाले आ'माल (اَلْمَتْجَرُ الرَّابِح فِی ثَوَابِ الْعَمَلِ الصَّالِح)	743	10	नसीह़तों के मदनी फूल ब वसीलए अह़ादीसे रसूल (اَلْمَوَاعِظ فِی الْاَحَادِیْثِ الْقُدْسِیَّة)	54
11	रियाजु़स्सालिह़ीन अ़रबी (मुन्तख़ब अब्वाब)	108	12	الاربعین النوویۃ فی الاحادیث النبویۃ	155
13	अन्वारुल ह़दीस	466	14	تیسیر مصطلح الحدیث	188
15	اَلتَّعْلِیْقُ الرَّضَوِی عَلٰی صَحِیْحِ الْبُخَارِی	458	16	निसाब उसूले ह़दीस	95
17	मुन्तख़ब ह़दीसें	246	18	مقدمۃ مشکوۃ	212
19	40 फ़रामीने मुस्त़फ़ा صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم	87	20	نزھۃ النظر شرح نخبۃ الفکر	175
21	अह़ादीसे मुबारका के अन्वार	66	22	अर्बई़ने ह़नफ़िय्या	112
23	फ़ैज़ाने चेहल अह़ादीस	120			

फ़िक़्ह व मुतअ़ल्लिक़ात

नम्बर शुमार	किताब का नाम	सफ़ह़ात	नम्बर शुमार	किताब का नाम	सफ़ह़ात
01 ता 03	बहारे शरीअ़त (3 जिल्दें)	3996	04	फ़ैज़ाने ज़कात	150
05 ता 11	جَدُّ الْمُمْتَار عَلٰی رَدِّ الْمُحْتَار (7 جلدیں)	4000	12	त़लाक़ के आसान मसाइल	30
13	الفتاوی المختارہ	135	14	चन्दा करने की शरई एह़तियातें	47
15	نور الایضاح مع حاشیۃ النور و الضیاء	392	16	करन्सी नोट के मसाइल (کِفْلُ الْفَقِیْہِ الْفَاھِم فِی اَحْکَامِ قِرْطَاسِ الدَّرَاھِم)	199
17	क़ानूने शरीअ़त	274	18	तरावीह़ के फ़ज़ाइलो मसाइल	69
19	السراجیہ	114	20	उ़श्र के अह़काम	48
21	फ़तावा अहले सुन्नत : अह़कामे ज़कात	612	22	नमाज़ में लुक़्मा देने के मसाइल	39
23	कुरसी पर नमाज़ पढ़ने के अह़काम	34	24	ह़ज व उ़म्रह का मुख़्तसर त़रीक़ा	48
25 ता 32	फ़तावा अहले सुन्नत (आठ हिस्से)	487	33	کِفْلُ الْفَقِیْہِ الْفَاھِم	74
34	फ़तावा अहले सुन्नत : अह़कामे रोज़ा व ए'तिकाफ़	34	35	फ़ैज़ाने नमाज़	49
36	मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत	243	37	टीवी और मूवी	32

38	27 वाजिबाते हज और तफ़्सीली अह़काम	205	39	اَجْلَی الْاِعْلَام	70
40	तज्हीज़ो तक्फ़ीन का त़रीक़ा	358	41	اصول الشاشی مع احسن الحواشی	299
42	تلخیص اصول الشاشی	144	43	नमाजे़ ईद का त़रीक़ा (शाफ़ेई)	63
44	नमाज़ का मुख़्तसर त़रीक़ा मअ़ 40 मस्नून दुआएं	58	45	ईदैन में गले मिलना कैसा ? (وِشَاحُ الْجِیْدِفِیْ تَحْلِیْلِ مُعَانَقَةِ الْعِیْد)	55
46	कलिमा नमाज़ कोर्स	37	47	सीटी बजाने के अह़काम	16
48	मआ़शी तरक़्क़ी का राज़ (ह़ाशिया व तशरीह़ : तदबीरे फ़लाह़ो नजात व इस्लाह़)	41	49	सुबूते हिलाल के त़रीक़े (طُرُقِ اِثْبَاتِ ہِلَال)	10
50	बा तस्वीर नमाज़	36	51	जन्नती ज़ेवर	679
52	خلاصۃ الفرائض	84	53	आ़दत के बारे में शरई अह़काम	100
54	अज़ान के फ़ज़ाइलो मसाइल (शाफ़ेई)	29	55	जुमुआ़ के फ़ज़ाइलो मसाइल (शाफ़ेई)	24
56	मय्यित के ग़ुस्ल व कफ़न का त़रीक़ा	31	57	ग़ुस्ल का त़रीक़ा (शाफ़ेई)	25
58	वुज़ू का त़रीक़ा (शाफ़ेई)	41	59	फ़ातिह़ा और ईसाले सवाब का त़रीक़ा (शाफ़ेई)	24

सीरत व तारीख़

नम्बर शुमार	किताब का नाम	सफ़ह़ात	नम्बर शुमार	किताब का नाम	सफ़ह़ात
			सीरतुन्नबी व फ़ज़ाइलो मनाक़िब		
01	सीरते मुस्त़फ़ा	875	02	सीरते रसूले अ़रबी	758
03	आख़िरी नबी की प्यारी सीरत	147	04	مولد البرزنجی	26
05	सीरतुल अम्बिया	888	06	फ़ैज़ाने मे'राज	134
07	दलाइलुल ख़ैरात	319	08	आक़ा के शहज़ादे व शहज़ादियां	137
09	19 दुरूदो सलाम	16	10	दुरूद शरीफ़ की बरकतें	16
11	नूर का खिलोना	32	12	मदनी आक़ा के रोशन फ़ैसले (اَلْبَاهِرُ فِیْ حُکْمِ النَّبِیِّ بِالْبَاطِنِ وَالظَّاهِر)	112
			सीरते सह़ाबए किराम		
01	फ़ैज़ाने सिद्दीक़े अक्बर	720	02	फ़ैज़ाने फ़ारूक़े आ'ज़म (जिल्द अव्वल, दुवुम)	1720
03	शाने सिद्दीक़े अक्बर	17	04	फ़ज़ाइले इमाम हुसैन	17

05	हज़रते अब्दुर्रहमान बिन औफ़ رضی اللہ عنہ	132	06	हज़रते अबू उबैदा बिन जर्राह رضی اللہ عنہ	60
07	हज़रते सा'द बिन अबी वक़्क़ास رضی اللہ عنہ	89	08	हज़रते तल्हा बिन उबैदुल्लाह رضی اللہ عنہ	56
09	फ़ैज़ाने सईद बिन ज़ैद رضی اللہ عنہ	32	10	हज़रते ज़ुबैर बिन अव्वाम رضی اللہ عنہ	72
11	फ़ैज़ाने अमीरे मुआविया رضی اللہ عنہ	56	12	सहाबए किराम علیہم الرضوان का इश्क़े रसूल	274
13	करामाते सहाबा	346	14	ख़ुलफ़ाए राशिदीन	341
15	सीरते अबू दरदा	75	16	मौला अली के 72 इर्शादात	17
सीरते सहाबियात व सालिहात					
01	शाने ख़ातूने जन्नत	501	02	फ़ैज़ाने उम्महातुल मुअमिनीन	367
03	फ़ैज़ाने आइशा सिद्दीक़ा	608	04	फ़ैज़ाने ख़दीजतुल कुब्रा	84
05	उम्महातुल मुअमिनीन	59	06	बारगाहे रिसालत में सहाबियात के नज़राने	48
07	सहाबियात व सालिहात और सब्र	108	08	सहाबियात और नसीहतों के मदनी फूल	144
09	सहाबियात व सालिहात और राहे ख़ुदा में ख़र्च करना	56	10	सहाबियात और इश्क़े रसूल	64
11	सहाबियात और दीन की ख़ातिर क़ुरबानियां	55	12	सहाबियात और शौक़े इल्मे दीन	55
13	अज़्वाजे अम्बिया की हिकायात	260	14	सहाबियात और शौक़े इबादत	76
15	सहाबियात व सालिहात और सब्र	108	16	फ़ैज़ाने बीबी उम्मे सुलैम	60
17	फ़ैज़ाने बीबी मरयम	91	18	सहाबियात और पर्दा	56
19	फ़ैज़ाने हज़रते आसिया	36			
सीरते औलिया व उलमा					
01	ग़ौसे पाक رحمۃ اللہ علیہ के हालात	106	02	फ़ैज़ाने ग़ौसे आ'ज़म رحمۃ اللہ علیہ	17
03	हज़रते सय्यिदुना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ رحمۃ اللہ علیہ की 425 हिकायात	590	04 ता 13	अल्लाह वालों की बातें (حلیۃ الاولیاء وطبقات الاصفیاء) (10 जिल्दें) (सीरते सहाबा व औलिया)	6209
14	फ़ैज़ाने सय्यिद अहमद कबीर रफ़ाई	33	15	اَلزَّمْزَمَۃُ الْقَمَرِیَّۃ	93
16	शाने रफ़ाई	17	17	फ़ैज़ाने दाता अली हिजवेरी	84
18	फ़ैज़ाने सुल्तान बाहू	32	19	फ़ैज़ाने बाबा फ़रीद गन्जे शकर	115
20	शाने हाफ़िज़े मिल्लत	17	21	सीरते बाबा फ़रीद	17
22	साबिर पिया कल्यरी की हिकायात	16	23	फ़ैज़ाने ख़्वाजा ग़रीब नवाज़	32

24	फ़ैज़ाने मुहद्दिसे आ'ज़म पाकिस्तान	62	25	फ़ैज़ाने पीर मेहर अ़ली शाह	33
26	फ़ैज़ाने उ़स्मान मर्वन्दी	43	27	आ'ला हज़रत की इन्फ़िरादी कोशिशें	49
28	फ़ैज़ाने बहाउद्दीन ज़करिय्या मुलतानी	74	29	शाने इमाम अह़मद रज़ा	17
30	फ़ैज़ाने ह़ज़रत साबिरे पाक	53	31	तज़्किरए सदरुल अफ़ाज़िल	25
32	फ़ैज़ाने बाबा बुल्हे शाह	75	33	फ़ैज़ाने मुफ़्ती अह़मद यार ख़ान नईमी	71
34	फ़ैज़ाने इमाम ग़ज़ाली	103	35	फ़ैज़ाने मौलाना मुह़म्मद अ़ब्दुस्सलाम क़ादिरी	70
36	फ़ैज़ाने शम्सुल आ़रिफ़ीन	79	37	तज़्किरए सदरुल अफ़ाज़िल	25
38	फ़ैज़ाने पीर पठान	64	39	फ़ैज़ाने ह़ाफ़िज़े मिल्लत	32
40	फ़ैज़ाने अ़ल्लामा काज़िमी	70	41	अ़त्तार का प्यारा	166
42	मुफ़्तिये दा'वते इस्लामी	96	43	मह़बूबे अ़त्तार की 122 ह़िकायात	208
44	करामाते ख़्वाजा	17	45	फ़ैज़ाने इमाम बुख़ारी	17
46	इर्शादाते इमाम अह़मद रज़ा	17			
			तारीख़		
01	आईनए क़ियामत	108	02	सवानेहे़ करबला	192
03	मुह़र्रम के फ़ज़ाइल	17	04	आ़शिक़ाने ह़दीस की ह़िकायात (الرحلة في طلب الحديث)	105

सीरत व मलफ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत

नम्बर शुमार	किताब का नाम	सफ़हात	नम्बर शुमार	किताब का नाम	सफ़हात
			फ़ैज़ाने मदनी मुज़ाकरा		
01	क़िस्त़ 1 : वुज़ू के बारे में वस्वसे और उन का इ़लाज	48	02	क़िस्त़ 18 : तज्दीदे ईमान व तज्दीदे निकाह़ का आसान त़रीक़ा	27
03	क़िस्त़ 7 : इस्लाहे़ उम्मत में दा'वते इस्लामी का किरदार	28	04	क़िस्त़ 2 : मुक़द्दस तह़रीरात के आदाब के बारे में सुवाल जवाब	48
05	क़िस्त़ 20 : क़ुत़्बे आ़लम की अ़जीब करामत	40	06	क़िस्त़ 10 : वलिय्युल्लाह की पहचान	36
07	क़िस्त़ 3 : पानी के बारे में अहम मा'लूमात	48	08	क़िस्त़ 22 : नज़र की कमज़ोरी के अस्बाब मअ़ इ़लाज	30

09	क़िस्त् 4 : बुलन्द आवाज़ से ज़िक्र करने में हिक्मत	48	10	क़िस्त् 23 : शरीर जिन्नात को बदी की ताक़त कहना कैसा ?	30
11	क़िस्त् 5 : गूंगे बहरों के बारे में सुवाल जवाब	22	12	क़िस्त् 24 : बच्चों की तरबियत कब और कैसे की जाए ?	32
13	क़िस्त् 25 : अम्बिया व औलिया को पुकारना कैसा ?	41	14	क़िस्त् 6 : जन्नतियों की ज़बान	31
15	क़िस्त् 26 : तोहफ़े में क्या देना चाहिये ?	41	16	क़िस्त् 19 : पीरी मुरीदी की शरई हैसिय्यत	32
17	क़िस्त् 27 : तंगदस्ती और रिज़्क़ में बे बरकती का सबब	37	18	क़िस्त् 8 : सरकार صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم का अन्दाज़े तब्लीग़े दीन	32
19	क़िस्त् 28 : हाफ़िज़ा कमज़ोर होने की वुजूहात	36	20	क़िस्त् 29 : सुल्ह करवाने के फ़ज़ाइल	44
21	क़िस्त् 9 : यक़ीने कामिल की बरकतें	32	22	क़िस्त् 30 : दिल जीतने का नुस्ख़ा	42
23	क़िस्त् 21 : सफ़रे मदीना के बारे में सुवाल जवाब	37	24	क़िस्त् 31 : जन्नत में मर्दों को हूरें मिलेंगी तो औरतों को क्या मिलेगा ?	31
25	क़िस्त् 11 : नाम कैसे रखे जाएं ?	44	26	क़िस्त् 12 : मसाजिद के आदाब	36
27	क़िस्त् 37 : सारे घर वाले नेक कैसे बनें ?	38	28	क़िस्त् 32 : ना'त ख़्वानी के मुतअ़ल्लिक़ सुवाल जवाब	36
29	क़िस्त् 14 : तमाम दिनों का सरदार	32	30	क़िस्त् 33 : बुराई का बदला अच्छाई से दीजिये	28
31	क़िस्त् 15 : अपने लिये कफ़न तय्यार रखना कैसा ?	32	32	क़िस्त् 34 : शैतान के लिये ज़ियादा सख़्त कौन ?	31
33	क़िस्त् 16 : नेकियां छुपाओ	106	34	क़िस्त् 35 : इन्सान को फ़िरिश्ता कहना कैसा ?	28
35	क़िस्त् 17 : यतीम किसे कहते हैं ?	28	36	क़िस्त् 36 : तबर्रुकात का सुबूत	30
37	क़िस्त् 13 : सादाते किराम की अ़ज़मत	30	38	क़िस्त् 41 : रफ़ीक़े सफ़र कैसा हो ?	38
39	क़िस्त् 42 : दरज़ियों के बारे में सुवाल जवाब	83	40	मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत (क़िस्त् 6) दरख़्त लगाइये सवाब कमाइये	24
41	क़िस्त् 43 : तंग वक़्त में नमाज़ का त़रीक़ा	38	42	क़िस्त् 39 : जुमुआ को ईद हो तो कैसा ?	33
43	क़िस्त् 44 : मस्जिद की सफ़ाई की फ़ज़ीलत	27	44	क़िस्त् 40 : दिल की सख़्ती के अस्बाब व इलाज	28
45	क़िस्त् 38 : छुट्टियां कैसे गुज़ारें ?	28	46 ता 48	मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत (जिल्द 1 ता 3)	1790
तज़्किरए अमीरे अहले सुन्नत					
01	क़िस्त् 1 : तज़्किरए अमीरे अहले सुन्नत	49	02	क़िस्त् 2 : इब्तिदाई हालात	48

03	क़िस्त़ 3 : सुन्नते निकाह़	86	04	क़िस्त़ 4 : शौक़े इ़ल्मे दीन	49
05	क़िस्त़ 5 : इ़ल्मो ह़िक्मत के 125 मदनी फूल	102	06	क़िस्त़ 6 : ह़ुक़ूक़ुल इ़बाद की एह़तियातें	44
07	क़िस्त़ 7 : पैकरे शर्मो ह़या	48	08	क़िस्त़ 8 : फ़ैज़ाने मदनी मुज़ाकरा	80
09	तआ़रुफ़े अमीरे अहले सुन्नत	100	10	क़ौमे जिन्नात और अमीरे अहले सुन्नत	262
11	तज़्किरए जा नशीने अ़त़्त़ार	37			

तसव्वुफ़ व अख़्लाक़िय्यात

नम्बर शुमार	किताब का नाम	सफ़ह़ात	नम्बर शुमार	किताब का नाम	सफ़ह़ात
01	منتخب الابواب من احیاء علوم الدین (عربی)	173	02	नेकियों की जज़ाएं और गुनाहों की सज़ाएं (قُرَّةُ الْعُیُوْن وَ مُفَرِّحُ الْقَلْبِ الْمَحْزُوْن)	142
03	आदाबे मुर्शिदे कामिल (मुकम्मल पांच ह़िस्से)	275	04	शर्ह़े शजरए क़ादिरिय्या	215
05 ता 06	जहन्नम में ले वाले आ'माल 2 जिल्दें (اَلزَّوَاجِرُ عَنْ اِقْتِرَافِ الْکَبَائِر)	1865	07	शरीअ़त व त़रीक़त (مَقَالِ عُرَفَاء بِاِعْزَازِ شَرْعٍ وَّ عُلَمَاء)	57
08	इस्लाह़े आ'माल जिल्द अव्वल (اَلْحَدِیْقَةُ النَّدِیَّة شَرْحُ طَرِیْقَةِ الْمُحَمَّدِیَّة)	866	09	विलायत का आसान रास्ता (तसव्वुरे शैख़) (اَلْیَاقُوْتَةُ الْوَاسِطَة)	60
10	नेकी की दा'वत के फ़ज़ाइल (اَلْاَمْرُ بِالْمَعْرُوْف وَالنَّهْیُ عَنِ الْمُنْکَر)	98	11	दुन्या से बे रग़बती और उम्मीदों की कमी (اَلزُّهْد وَ قَصْرُ الْاَمَل)	85
12	बहारे निय्यत (کتاب النیات)	159	13	मुकाशफ़तुल क़ुलूब	692
14	राहे इ़ल्म (تَعْلِیْمُ الْمُتَعَلِّم طَرِیْقَ التَّعَلُّم)	102	15	सरमायए आख़िरत	200
16	एह़याउल उ़लूम का ख़ुलासा (لُبَابُ الْاِحْیَاء)	641	17	तकब्बुर	97
18	ह़िकायतें और नसीह़तें (اَلرَّوْضُ الْفَائِق)	649	19	बद गुमानी	57
20	अच्छे बुरे अ़मल (رِسَالَةُ الْمُذَاکَرَة)	122	21	क़ब्र में आने वाला दोस्त	115
22	शुक्र के फ़ज़ाइल (اَلشُّکْرُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ)	122	23	फ़िक्रे मदीना	164
24	ह़ुस्ने अख़्लाक़ (مَکَارِمُ الْاَخْلَاق)	102	25	रियाकारी	170
26	आदाबे दीन (اَلْاَدَبُ فِی الدِّیْن)	63	27	तौबा की रिवायात व ह़िकायात	124
28	आंसूओं का दरिया (بَحْرُ الدُّمُوْع)	300	29	तरबियते औलाद	187
30	फ़ैज़ाने एह़याउल उ़लूम	325	31	शाहराहे औलिया (مِنْهَاجُ الْعَارِفِیْن)	36

32	इमामे आ'ज़म رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه की वसिय्यतें (وَصَايَا اِمَامِ اَعْظَم)	46	33	मुख़्तसर मिन्हाजुल आ़बिदीन (تَنْبِيْهُ الْغَافِلِيْن مُخْتَصَر مِنْهَاجِ الْعَابِدِيْن)	281
34	ज़ियाए सदक़ात	408	35	बेटे को नसीह़त (اَيُّهَا الْوَلَد)	64
36	जन्नत की दो चाबियां	152	37 ता 41	एह़याउल उ़लूम मुतर्जम (5 जिल्दें)	5522
42	जल्द बाज़ी के नुक़्सानात	168	43 ता 45	क़ूतुल क़ुलूब (उर्दू) (3 जिल्दें)	2176
46	क़सीदए बुर्दा से रूह़ानी इलाज	22	47	76 कबीरा गुनाह	264
48	सुन्नतें और आदाब	125	49	ख़ौफ़े ख़ुदा	160
50	बुग़्ज़ो कीना	83	51	मज़ाराते औलिया की ह़िकायात	48
52	बेहतर कौन ?	139	53	ह़िर्स	232
54	शर्ह़ुस्सुदूर (मुतर्जम)	586	55	ह़सद	97
56	152 रह़मत भरी ह़िकायात	326	57	आदाबे दुआ़	49
58	मिन्हाजुल आ़बिदीन	496	59	तक्लीफ़ न दीजिये	219
60	बात़िनी बीमारियों की मा'लूमात	352	61	एक चुप सो सुख (حُسْنُ السَّمْتِ فِي الصَّمْت)	37
62	आक़ा का प्यारा कौन ?	63	63	आख़िरत के ह़ालात (اَلْبُدُوْرُ السَّافِرَة)	816
64	वोह हम में से नहीं	112	65	जैसी करनी वैसी भरनी	110
66	आईनए इ़ब्रत	133	67	नेकियां बरबाद होने से बचाइये	103
68	बिहिश्त की कुन्जियां	249	69	बद शुगूनी	128
70	जहन्नम के ख़त़रात	207	71	गुनाहों के अ़ज़ाबात (ह़िस्सए अव्वल, दुवुम)	193
72	इस्लामी ज़िन्दगी	170	73	आसान नेकियां	192
74	राहे ख़ुदा में ख़र्च करने के फ़ज़ाइल (رَادُّ الْقَحْطِ وَالْوَبَاء بِدَعْوَةِ الْجِيْرَانِ وَمُوَاسَاةِ الْفُقَرَاء)	40	75	दीनो दुन्या की अनोखी बातें जिल्द 1 (اَلْمُسْتَطْرَف فِيْ كُلِّ فَنٍّ مُسْتَظْرَف)	552
76	ह़ुक़ूक़ुल इ़बाद कैसे मुआ़फ़ हों ? (اَعْجَبُ الْاِمْدَاد)	47	77	सायए अ़र्श किस किस को मिलेगा ? (تَمْهِيْدُ الْفَرْش فِي الْخِصَالِ الْمُوْجِبَةِ لِظِلِّ الْعَرْش)	28
78	आ'राबी के सुवालात अ़रबी आक़ा صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के जवाबात	118	79	फ़ज़ाइले दुआ़ (اَحْسَنُ الْوِعَاء لِاٰدَابِ الدُّعَاء مَعَهُ ذَيْلُ الْمُدَّعَاء لِاَحْسَنِ الْوِعَاء)	326
80	बुराइयों की मां	112	81	जामेए शराइत़ पीर	87
82	नजात दिलाने वाले आ'माल की मा'लूमात	312	83	पीर पर ए'तिराज़ मन्अ़ है	59

84	औलाद के हुक़ूक़ (مَشْعَلَةُ الْاِرْشَاد)	31	85	कामिल मुरीद	48
86	इन्फ़िरादी कोशिश	200	87	मक़्सदे ह़यात	60
88	इमामे के फ़ज़ाइल	517	89	जन्नत का रास्ता	56
90	शौहर को कैसा होना चाहिये ?	47	91	मौत का तसव्वुर	44
92	बीवी को कैसा होना चाहिये ?	45	93	प्यारे मुर्शिद	48
94	ग़ैरत मन्द शौहर	47	95	सदक़े का इन्आ़म	60
96	**अल्लाह** वालों का अन्दाज़े तिजारत	68	97	हमें क्या हो गया है ?	116
98	येह वक़्त भी गुज़र जाएगा	39	99	सह़ाबी की इन्फ़िरादी कोशिश	124
100	बेटी की परवरिश	72	101	गुनाहों की नुहू़सत	112
102	अच्छे माह़ोल की बरकतें	56	103	सूद और उस का इ़लाज	92
104	बेटे की वसिय्यत	36	105	एक ज़माना ऐसा आएगा	51
106	वालिदैन, ज़ौजैन और असातिज़ा के हुक़ूक़ (اَلْحُقُوْق لِطَرْحِ الْعُقُوْق)	125	107	फ़ैज़ाने इ़ल्म व उ़लमा (فَضْلُ الْعِلْمِ وَالْعُلَمَاء)	38
108	फ़ैज़ाने मुर्शिद	46	109	इ़ल्म व उ़लमा की शान	51
110	अख़्लाक़ुस्सालिह़ीन	78	111	उ़लमा पर ए'तिराज़ मन्अ़ है	34
112	इस्लामी शादी	202	113	सोने का अन्डा	17
114	दुआ़ क़बूल होने के अस्बाब	28	115	नेकियों के सवाबात (ह़िस्सए अव्वल)	136
116	तवक्कुल	103	117	बादशाह की सड़ी हुई लाश	17

अ़क़ाइद व मुतअ़ल्लिक़ात

नम्बर शुमार	किताब का नाम	सफ़ह़ात	नम्बर शुमार	किताब का नाम	सफ़ह़ात
01	شرح الفقه الاكبر	213	02	तह़क़ीक़ात	142
03	شرح العقائد مع حاشية جمع الفرائد	384	04	बुन्यादी अ़क़ाइद और मा'मूलाते अहले सुन्नत	135
05	किताबुल अ़क़ाइद	64	06	अ़क़ीदए आख़िरत	41
07	اعتقاد الاحباب (दस अ़क़ीदे)	200	08	اِقَامَةُ الْقِيَامَة	60
09	ईमान की पहचान (ह़ाशिया तम्हीदे ईमान)	74	10	اَلْفَضْلُ الْمَوْهَبِي	46
11	शफ़ाअ़त के मुतअ़ल्लिक़ 40 ह़दीसें	27	12	انوار المنّان	93

13	اَلدَّعْوَةُ اِلَى الْفِكْر	148	14	तम्हीदुल ईमान	77
15	ह़क़्क़ो बात़िल का फ़र्क़	50	16	अल ह़क़्क़ुल मुबीन	128
17	इ़श्क़े रसूल	54	18	गुलदस्तए अ़क़ाइदो आ'माल	244
19	फ़ैज़ाने मज़ाराते औलिया (كَشْفُ النُّوْرِعَنْ اَصْحَابِ الْقُبُوْر)	144			

ता'लीमाते इस्लाम

नम्बर शुमार	किताब का नाम	सफ़ह़ात	नम्बर शुमार	किताब का नाम	सफ़ह़ात
01	इस्लाम की बुन्यादी बातें (ह़िस्सा 1)	60	02	इस्लाम के बुन्यादी अ़क़ीदे	122
03	इस्लाम की बुन्यादी बातें (ह़िस्सा 2)	104	04	दिलचस्प मा'लूमात सुवालन जवाबन (ह़िस्सा 1)	305
05	इस्लाम की बुन्यादी बातें (ह़िस्सा 3)	352	06	दिलचस्प मा'लूमात सुवालन जवाबन (ह़िस्सा 2)	361
07	फ़ैज़ाने इस्लाम कोर्स ह़िस्सए अव्वल	79	08	माले विरासत में ख़ियानत मत कीजिये	42
09	फ़ैज़ाने इस्लाम कोर्स ह़िस्सए दुवुम	102	10	इस्लामी महीनों के फ़ज़ाइल	345

उ़लूमो फ़ुनून दर्सी कुतुब

नम्बर शुमार	किताब का नाम	सफ़ह़ात	नम्बर शुमार	किताब का नाम	सफ़ह़ात
01	مراح الارواح مع حاشیة ضیاء الاصباح	241	02	دیوانِ المتنبی مع الحاشیة المفیدة اتقان المتلقی	88
03	جامع ابواب الصرف	235	04	نصاب الصرف	343
05	دیوانِ الحماسة مع الحاشیة الجدیدة زُبْدَةُ الفَصاحة	206	06	المقامات الحریریه مع حاشیة المقالات العبیریّة	128
07	انشاء العربیه	84	08	تعریفاتِ نحویه	45
09	طریقہ جدیدہ حصہ 1,2,3	212	10	خلاصة النحو (حصہ اوّل ودوم)	212
11	خاصیات ابواب	141	12	نحو میر مع حاشیۂ نحو منیر	203
13	عنایة النحو فی شرح هدایة النحو	280	14	المحادثة العربیة	101
15	کافیه مع شرح ناجیه	252	16	نصاب الادب	184
17	شرح الجامی مع حاشیة الفرح النامی	419	18	فیض الادب (مکمل حصہ اوّل، دوم)	228
19	شرح مئة عامل	44	20	المرقاة	91

21	مئۃ عامل (فارسی ترجمہ)	22	22	شرح تہذیب	305
23	دروس البلاغة مع شموس البراعة	241	24	نصاب المنطق	168
25	تلخيص المفتاح مع شرحه الجديد تنوير المصباح	219	26	المعلقات السبع مع الحاشية الجديدة معطرات الطبع	112
27	مختصر المعانی	472	28	القطبی	223
29	المطول مع حاشية المؤول	398	30	هداية الحكمة	116
31	قصیدہ بردہ مع شرح خرپوتی	317	32	الرشیدیۃ مع الفریدیہ	127
33	اتقان الفراسة شرح ديوان الحماسه	325	34	العربیہ للطالبین جلد اول	296
35	صرف بہائی مع حاشیہ صرف بنائی	55			

बयानात वग़ैरा

नम्बर शुमार	किताब का नाम	सफ़हात	नम्बर शुमार	किताब का नाम	सफ़हात
01 ता 06	इस्लामी बयानात जिल्द 1 ता 6	2516	07	शाने मुस्त़फ़ा पर 12 बयानात	159
08	सुन्नतों भरे बयानात जिल्द अव्वल	560	09	दिल खुश करने के त़रीक़े	68
10	पैग़ामे फ़ना	48	11	फ़ैज़ाने खुत़्बाते रज़विय्या	24
12	गुलदस्तए दुरूदो सलाम	660	13	एक आंख वाला आदमी	48
14	इस्लाह़ के मदनी फूल	372	15	गुस्ताख़े रसूल का अ़मली बॉयकॉट	52
16	ग़रीब फ़ाएदे में है (बयान 1)	30	17	एह़सासे ज़िम्मेदारी	50
18	जवानी कैसे गुज़ारें ? (बयान 2)	44	19	रसाइले दा'वते इस्लामी	422
20	फ़ैज़ाने बयानाते अ़त़्त़ार जिल्द 1	609			

ना'तिया दीवान

नम्बर शुमार	किताब का नाम	सफ़हात	नम्बर शुमार	किताब का नाम	सफ़हात
01	ह़दाइक़े बख़्शिश	446	02	सामाने बख़्शिश	231
03	ज़ौक़े ना'त	319	04	क़बालए बख़्शिश	384
05	बयाज़े पाक हुज्जतुल इस्लाम	37	06	मनाक़िबे अ़त़्त़ार	164

दा'वते इस्लामी व समरात

नम्बर शुमार	किताब का नाम	सफ़हात	नम्बर शुमार	किताब का नाम	सफ़हात
01	बारह मदनी काम	72	02	मदनी दौरा	44
03	इस्लामी बहनों के 8 मदनी काम	44	04	इन्फ़िरादी कोशिश	48
05	मस्जिद दर्स	52	06	रमज़ान के सुब्हो शाम गुज़ारने का त़रीक़ा	780
07	हफ़्तावार मदनी मुज़ाकरा	72	08	तन्ज़ीमी कामों की तक़्सीम	50
09	हफ़्तावार इज्तिमाअ़	80	10	मदनी कामों की तक़्सीम के तक़ाज़े	73
11	हफ़्तावार मदनी ह़ल्क़ा	36	12	मदनी मर्कज़ की आबादकारी कैसे हो ?	64
13	सदाए मदीना	32	14	वक़्फ़े मदीना	86
15	चौकदर्स	36	16	नेक बनने और बनाने के त़रीक़े	696
17	मद्रसतुल मदीना बालिग़ान	72	18	जन्नत के त़लब गारों के लिये मदनी गुलदस्ता	470
19	इज्तिमाई सुन्नत ए'तिकाफ़ का जद्वल	195	20	फ़ैसला करने के मदनी फूल	56
21	बा'दे फ़ज्र मदनी ह़ल्क़ा	46	22	सरकार صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم का पैग़ाम अ़त्तार के नाम	49
23	मदनी इन्आ़मात	72	24	इस्लाह़ का राज़ (इस्लामी चेनल की बहारें ह़िस्सए दुवुम)	32
25	दा'वते इस्लामी की ख़िदमात	43	26	मॉडर्न नौ जवान की तौबा	33
27	मदनी क़ाफ़िला	80	28	सलातो सलाम की आ़शिक़ा	32
29	यौमे ता'त़ील ए'तिकाफ़	24	30	म्यूज़ीकल शो का मतवाला	32
31	क़ब्र खुल गई	48	32	नूरानी चेहरे वाले बुज़ुर्ग	33
33	गूंगा मुबल्लिग़	55	34	आंखों का तारा	32
35	दा'वते इस्लामी की मदनी बहारें	220	36	वली से निस्बत की बरकत	32
37	गुमशुदा दूल्हा	33	38	बा बरकत रोटी	32
39	जिन्नों की दुन्या	32	40	इग़वा शुदा बच्चों की वापसी	32
41	मैं ने मदनी बुरक़अ़ क्यूं पहना ?	33	42	ग़ाफ़िल दर्ज़ी	32
43	बा किरदार अ़त्तारी	36	44	घर दर्स इस्लामी बहनें	32
45	सिंगर की तौबा	33	46	अ़लाक़ाई दौरा (इस्लामी बहनें)	32

47	मुर्दा बोल उठा	32	48	मैं नेक कैसे बना ?	32
49	कफ़न की सलामती	32	50	शराबी, मुअज़्ज़िन कैसे बना ?	32
51	मैं ह़यादार कैसे बनी ?	32	52	बद किरदार की तौबा	32
53	चल मदीना की सआ़दत मिल गई	32	54	ख़ुश नसीबी की किरनें	32
55	बद नसीब दूल्हा	32	56	नाकाम आ़शिक़	32
57	मा'ज़ूर बच्ची मुबल्लिग़ा कैसे बनी ?	32	58	मैं ने वीडियो सेन्टर क्यूं बन्द किया ?	32
59	बे क़ुसूर की मदद	32	60	चमक्ती आंखों वाले बुज़ुर्ग	32
61	हेरोइन्ची की तौबा	32	62	ह़ैरत अंगेज़ ह़ादिसा	32
63	अ़त्तारी जिन्न का ग़ुस्ले मय्यित	24	64	नादान आ़शिक़	32
65		32	66	सिनेमा घर का शैदाई	32
67	मदीने का मुसाफ़िर	32	68	डान्सर ना'त ख़्वान बन गया	32
69	ख़ौफ़नाक दांतों वाला बच्चा	32	70	गुलूकार कैसे सुधरा ?	32
71	फ़िल्मी अदाकार की तौबा	32	72	नशेबाज़ की इस्लाह़ का राज़	32
73	सास बहू में सुल्ह़ का राज़	32	74	काले बिच्छू का ख़ौफ़	32
75	क़ब्रिस्तान की चुड़ैल	24	76	ब्रेक डान्सर कैसे सुधरा ?	32
77	फ़ैज़ाने अमीरे अहले सुन्नत	101	78	अ़जीबुल ख़िल्क़त बच्ची	32
79	क़ातिल इमामत के मुसल्ले पर	32	80	ख़ुश्बूदार क़ब्र	32
81	शराबी की तौबा	33	82	वालिदैन के ना फ़रमान की तौबा	32
83	चन्द घड़ियों का सौदा	32	84	डान्सर बन गया सुन्नतों का पैकर	32
85	सींगों वाली दुल्हन	32	86	मीठे बोल की बरकतें	32
87	भयानक ह़ादिसा	30	88	अदाकारी का शौक़ कैसे ख़त्म हुवा ?	32
89	ख़ौफ़नाक बला	33	90	डाकूओं की वापसी	32
91	पुर असरार कुत्ता	27	92	मदनी माह़ोल कैसे मिला ?	62
93	हफ़्तावार मदनी मुज़ाकरा इस्लामी बहनें	48	94	बेटे की रिहाई	56
95	चमक्दार कफ़न	32	96	दिलों का चैन	32
97	अस्लहे का सौदागर	32	98	मुख़ालफ़त मह़ब्बत में कैसे बदली ?	32

99	भंगड़े बाज़ सुधर गया	32	100	ड्रामा डायरेक्टर की तौबा	32
101	जराइम की दुन्या से वापसी	32	102	हैरत अंगेज़ गुलूकार	32
103	केनसर का इ़लाज	32	104	नूरे हिदायत	32
105	अजनबी का तोह़फ़ा	32	106	जूआरी व शराबी की तौबा	32
107	अनोखी कमाई	32	108	औबाश, दा'वते इस्लामी में कैसे आया ?	32
109	बद चलन कैसे ताइब हुवा ?	32	110	वालिदा का ना फ़रमान इमाम कैसे बना ?	32
111	बुरी संगत का वबाल	32	112	सुन्नते रसूल की मह़ब्बत	32
113	रसाइल मदनी बहार	368	114	रूह़ानी मन्ज़र	32
115	बद अत्वार शख़्स आ़लिम कैसे बना ?	32	116	राहे सुन्नत का मुसाफ़िर	32
117	झगड़ालू कैसे सुधरा ?	32	118	अराकीने शूरा की मदनी बहारें	32
119	पांच रुपै की बरकत से सात शादियां	32	120	दा'वते इस्लामी के बारे में दिलचस्प मा'लूमात	660
121	बा किरदार अ़त्तारी	32	122	घर दर्स इस्लामी बहनें	24
123	सिंगर की तौबा	32	124	अ़लाक़ाई दौरा (इस्लामी बहनें)	48
125	मफ़्लूज की शिफ़ायाबी का राज़	32	126	मदनी क़ाफ़िले वालों के लिये अनमोल तोह़फ़ा	112
127	शादी ख़ाना बरबादी के अस्बाब और उन का ह़ल	32	128	हफ़्तावार इज्तिमाअ़ (इस्लामी बहनें)	48

मुतफ़र्रिक़ात

नम्बर शुमार	किताब का नाम	सफ़ह़ात	नम्बर शुमार	किताब का नाम	सफ़ह़ात
01 ता 02	उ़यूनुल हि़कायात (मुतर्जम, हि़स्सए अव्वल, दुवुम)	825	03	काम्याब उस्ताज़ कौन ?	43
04	ताजिरों के लिये काम की बातें	60	05	नाम के अह़काम	180
06	अल मल्फ़ूज़ अल मा'रूफ़ ब मल्फ़ूज़ाते आ'ला ह़ज़रत (मुकम्मल चार हि़स्से)	561	07	आ'ला ह़ज़रत से सुवाल जवाब (اظہار الحق الجلی)	100
08	वेलन्टाइन डे (क़ुरआनो ह़दीस की रोशनी में)	34	09	खाना खाने और खिलाने के बारे में सुवाल व जवाब	40
10	अल वज़ीफ़तुल करीमा	46	11	कोरोना और दीगर वबाएं	69

12	اَلْاَرْ بَعِیْنُ النَّوَوِیَّۃ	62	13	आ़शिक़े मीलाद बादशाह	21
14	इम्तिह़ान की तय्यारी कैसे करें ?	32	15	**अल्लाह** पाक के 99 नामों की बरकतें	16
16	काम्याब त़ालिबे इ़ल्म कौन ?	63	17	सर्दी के बारे में दिलचस्प मा'लूमात	17
18	तंगदस्ती के अस्बाब	33	19	साबिर बूढ़ा	17
20	बिस्मिल्लाह शरीफ़ की बरकतें	17	21	फ़ैज़ाने रजब	17
22	फ़ैज़ाने शा'बान	17	23	अज़ान की बरकतें	21
24	रहनुमाई करने वाला भेड़िया	8	25	माहे रमज़ान और अमीरे अहले सुन्नत	28
26	वुज़ू और साइन्स (शाफ़ेई)	20	27	लालची कबूतर	8
28	काम की बातें	17	29	ह़ाफ़िज़ा कैसे मज़बूत़ हो ?	200
30	मीठी ईद और मीठी बातें	17	31	अपनी परेशानी ज़ाहिर करना कैसा ?	17
32	काम के अवराद	17			

बद मज़्हब को उस्ताद बनाना

बद मज़्हब से दीनी या दुन्यावी ता'लीम लेने की मुमानअ़त करते हुए सय्यिदी आ'ला ह़ज़रत मौलाना शाह इमाम अह़मद रज़ा ख़ान رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : ग़ैर मज़्हब वालियों (या वालों) की सोह़बत आग है, ज़ी इ़ल्म आ़क़िल बालिग़ मर्दों के मज़्हब (भी) इस में बिगड़ गए हैं। **इमरान बिन ह़ित़्त़ान रक़ाशी का क़िस्सा मश्हूर है, येह ताबिईन के ज़माने में एक बड़ा मुह़द्दिस था, ख़ारिजी मज़्हब की औ़रत** (से शादी कर के उस) **की सोह़बत में** (रह कर) مَعَاذَ الله **ख़ुद ख़ारिजी हो गया और येह दा'वा किया था कि** (उस से शादी कर के) **उसे सुन्नी करना चाहता है।** (यहां वोह नादान लोग इ़ब्रत ह़ासिल करें जो ब ज़ो'मे फ़ासिद ख़ुद को बहुत "पक्का सुन्नी" तसव्वुर करते और कहते सुनाई देते हैं कि हमें अपने मस्लक से कोई हिला नहीं सकता, हम बहुत ही मज़बूत़ हैं!) मेरे आक़ा आ'ला ह़ज़रत رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه मज़ीद फ़रमाते हैं : जब सोह़बत की येह ह़ालत (कि इतना बड़ा मुह़द्दिस गुमराह हो गया) तो (बद मज़्हब को) उस्ताद बनाना किस दरजे बदतर है कि उस्ताद का असर बहुत अ़ज़ीम और निहायत जल्द होता है, तो ग़ैर मज़्हब औ़रत (या मर्द) की सिपुर्दगी या शागिर्दी में अपने बच्चों को वोही देगा जो आप (ख़ुद ही) दीन से वासित़ा नहीं रखता और अपने बच्चों के बद दीन हो जाने की परवाह नहीं रखता। (फ़तावा रज़विय्या, 23/692)

''मस्जिद भरो तह्‌रीक मस्जिद बनाओ तह्‌रीक''

अज़ : शैखे़ त़रीक़त, अमीरे अहले सुन्नत ह़ज़रत अ़ल्लामा मौलाना अबू बिलाल मुह़म्मद इल्यास अ़त़्त़ार क़ादिरी रज़वी دامت برکاتہم العالیہ

मस्जिदें आबाद करने की फ़ज़ीलत पर मुश्तमिल तीन फ़रामीने मुस्त़फ़ा صلی اللہ علیہ والہ وسلم : (1) बेशक **अल्लाह** पाक के घरों को आबाद करने वाले ही **अल्लाह** वाले हैं। (معجم اوسط، 2/58، حدیث:2502) (2) जो मस्जिद से मह़ब्बत करता है **अल्लाह** पाक उसे अपना मह़बूब (या'नी प्यारा) बना लेता है। (معجم اوسط، 4/400، حدیث:6383) (3) जब कोई बन्दा ज़िक्र या नमाज़ के लिये मस्जिद को ठिकाना बना लेता है तो **अल्लाह** पाक उस की त़रफ़ रह़मत की नज़र फ़रमाता है, जैसा कि जब कोई ग़ाइब आता है तो उस के घर वाले उस से खुश होते हैं। (ابن ماجہ، 1/438، حدیث:800)

اَلْحَمْدُ لِلّٰہ ! आ़शिक़ाने रसूल की दीनी तह़रीक, ''दा'वते इस्लामी'' नेकी की दा'वत आ़म करने के लिये मसाजिद आबाद करने का भी अ़ज़्म रखती है, इसी मक़्सद के लिये इन्फ़िरादी और इज्तिमाई कोशिशों के ज़रीए़ आ़शिक़ाने रसूल को नमाज़े बा जमाअ़त के लिये मसाजिद का रुख़ करने की तरग़ीब दी जाती है। मुख़्तलिफ़ मसाजिद में बा'द नमाज़े फ़ज्र मदनी ह़ल्क़ा और किसी नमाज़ के बा'द दर्से फ़ैज़ाने सुन्नत की तरकीब होती है, इस के इ़लावा हफ़्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमाआ़त और मुख़्तलिफ़ मवाक़ेअ़ पर होने वाले तरबियती इज्तिमाआ़त भी मसाजिद में होते हैं, मदनी मुज़ाकरा भी मस्जिद (या'नी मदनी मर्कज़ फ़ैज़ाने मदीना) में होता है, सुन्नतों की तरबियत के लिये दुन्या भर में सफ़र करने वाले आ़शिक़ाने रसूल के मदनी क़ाफ़िले भी उ़मूमन मसाजिद ही में ठहरते हैं, जो मसाजिद आबाद करने का एक बेहतरीन ज़रीआ़ हैं। हमारे प्यारे आक़ा, मक्की मदनी मुस्त़फ़ा صلی اللہ علیہ والہ وسلم ने मस्जिदें बनाने की तरग़ीब देते हुए इर्शाद फ़रमाया : (1) जो **अल्लाह** पाक के लिये मस्जिद बनाएगा **अल्लाह** पाक उस के लिये जन्नत में घर बनाएगा। (مسلم، ص1218، حدیث:7471) (2) मस्जिदें ता'मीर करो और उन्हें मह़फ़ूज़ बनाओ। (مصنف ابن ابی شیبہ، 1/344، حدیث:9)

प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! दा'वते इस्लामी जहां ''मस्जिद भरो तह़रीक'' है वहां ''मस्जिद बनाओ तह़रीक'' भी है, दा'वते इस्लामी की ''मजलिस ख़ुद्दामुल मसाजिद'' मसाजिद की ता'मीर, आबादकारी और मस्जिद के अ़मले (Staff) के मुशाहरों (Salaries) के इन्तिज़ामात वग़ैरा के लिये कोशां है। اَلْحَمْدُ لِلّٰہ ! 2017 ई. में हिन्दुस्तान में सैंकड़ों मसाजिद ता'मीर की गईं।

कर मस्जिदें आबाद तेरी क़ब्र हो आबाद *फ़िरदौस अ़त़ा कर के ख़ुदा तुझ को करे शाद*

अपनी आख़िरत संवारने के लिये आप भी मसाजिद की ता'मीर में ह़िस्सा लीजिये। मजलिसे ख़ुद्दामुल मसाजिद (दा'वते इस्लामी) से राबित़े के लिये :

मोबाइल नम्बर : 8689811206 वॉट्सएप नम्बर : 8689811206 Email : khuddamulmasajidhind@gmail.com

(माहनामा फ़ैज़ाने मदीना, जुमादल उख़्रा, 1439/मार्च 2018)

नमाज़ के चन्द ज़रूरी मसाइल

अज़ : शैख़े त़रीक़त, अमीरे अहले सुन्नत बानिये दा'वते इस्लामी ह़ज़रत अ़ल्लामा मौलाना अबू बिलाल मुह़म्मद इल्यास अ़त्त़ार क़ादिरी रज़वी دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

ह़दीस शरीफ़ में है : जो शख़्स रुकूअ़ व सुजूद मुकम्मल नहीं करता नमाज़ उसे कहती है : "**अल्लाह** तुझे हलाक करे जिस त़रह़ तू ने मुझे ज़ाएअ़ किया, फिर उस नमाज़ को पुराने कपड़े की त़रह़ लपेट कर नमाज़ी के मुंह पर मार दिया जाता है।" (شعب الایمان،3/144،حدیث:3140ملتقطا) नीज़ एक रिवायत में है : बद तरीन चोर वोह है जो नमाज़ में चोरी करे। अ़र्ज़ की गई : नमाज़ का चोर कौन है ? फ़रमाया : वोह जो रुकूअ़ व सुजूद मुकम्मल न करे। (مسند احمد،8/386،حدیث:22705) आज कल नमाज़ में की जाने वाली उ़मूमी ग़लत़ियों (Common Mistakes) में से कुछ को मद्दे नज़र रखते हुए चन्द मदनी फूल पेशे ख़िदमत हैं : ❀ रुकूअ़ में झुकने की कम अज़ कम ह़द येह है कि हाथ बढ़ाए तो घुटनों तक पहुंच जाए जब कि मुकम्मल रुकूअ़ येह है कि पीठ सीधी बिछा दे। (बहारे शरीअ़त, ह़िस्सा : 3, 1/513 मफ़्हूमन) ❀ रुकूअ़ के लिये झुकना नमाज़ में फ़र्ज़ है और वहां कुछ ठहरना या'नी इत़्मीनान से रुकूअ़ करना वाजिब। (मिरआतुल मनाजीह़, 2/75) ❀ किसी नर्म चीज़ मसलन घास, रूई, क़ालीन वग़ैरा पर सज्दा करने की सूरत में पेशानी और नाक की हड्डी को इतना दबाना ज़रूरी है कि दबाने से मज़ीद न दबे। अगर पेशानी इतनी न दबी तो नमाज़ ही न होगी जब कि नाक की हड्डी इतनी न दबी तो नमाज़ मक्रूहे तह़रीमी होगी और उसे लौटाना वाजिब होगा। (عالمگیری،1/70) ❀ सज्दे में पाउं की एक उंगली का पेट ज़मीन पर लगना फ़र्ज़ है और हर पाउं की अक्सर उंग्लियों का पेट ज़मीन पर लगना वाजिब है। (फ़तावा रज़विय्या, 3/253 मुलख़्ख़सन) ❀ रुकूअ़ के बा'द सीधा खड़ा होना और दो सज्दों के दरमियान सीधा बैठना वाजिब है नीज़ इस दौरान कम अज़ कम एक बार سُبْحٰنَ الله कहने की मिक़्दार ठहरना भी वाजिब है। (बहारे शरीअ़त, 1/518 मुलख़्ख़सन, नमाज़ के अह़काम, स. 218) ❀ एक रुक्न में तीन मरतबा खुजाने से नमाज़ टूट जाती है, या'नी एक बार खुजा कर हाथ हटाया फिर दूसरी बार खुजा कर हटाया अब तीसरी बार जैसे ही खुजाएगा नमाज़ टूट जाएगी और अगर एक बार हाथ रख कर चन्द बार ह़रकत दी तो एक ही मरतबा खुजाना कहा जाएगा। (बहारे शरीअ़त, 1/614 मुलख़्ख़सन) ❀ इमाम से पहले मुक़्तदी का रुकूअ़ व सुजूद वग़ैरा में चला जाना या उस से पहले सर उठाना (मक्रूहे तह़रीमी है) (बहारे शरीअ़त, 1/629) ❀ नमाज़ में चेहरा फेर कर इधर उधर देखना मक्रूहे तह़रीमी है। जब कि बिग़ैर चेहरा फेरे बिला ह़ाजत इधर उधर देखना मक्रूहे तन्ज़ीही है। (बहारे शरीअ़त, ह़िस्सा : 3,1/626 मुलख़्ख़सन) (नमाज़ के मसाइल तफ़्सीलन सीखने के लिये बहारे शरीअ़त ह़िस्सा 3 और "नमाज़ के अह़काम" का मुत़ालआ़ फ़रमाइये) (माहनामा फ़ैज़ाने मदीना, शा'बानुल मुअ़ज़्ज़म 1439/एप्रिल/मई 2018)

सादगी अपनाइये

अज़: शैख़े त़रीक़त, अमीरे अहले सुन्नत ह़ज़रत अ़ल्लामा मौलाना मुह़म्मद इल्यास अ़त्त़ार क़ादिरी रज़वी دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

ह़ज़रते अ़ल्लामा इब्नुल ह़ाज رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : रसूले पाक صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم लिबास के बारे में तकल्लुफ़ न फ़रमाते बल्कि जो आसानी से मुयस्सर होता उसे ही पहन लेते। (المدخل،1/112) एक बार चटाई पर आराम फ़रमाने के सबब ह़ुज़ूरे अकरम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के जिस्मे मुबारक पर चटाई का असर ज़ाहिर हो गया था। (ترمذی،4/167،حدیث:2384) यूं सीरते मुस्त़फ़ा صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم में सादगी का पहलू नुमायां है।

तेरी सादगी पे लाखों तेरी आ़जिज़ी पे लाखों   हों सलामे आ़जिज़ाना मदनी मदीने वाले

ऐ आ़शिक़ाने रसूल ! हमें भी सरकारे मदीना صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की सीरत पर अ़मल करते हुए लिबास, खाने पीने और रहन सहन में सादगी अपनानी चाहिये। اَلْحَمْدُ لِلّٰه ! आ़शिक़ाने रसूल की मदनी तह़रीक दा'वते इस्लामी नेकी की दा'वत आ़म करने के लिये कोशिशें कर रही है और मज़्हबी त़ब्क़े को सादा लिबास में होना चाहिये क्यूं कि लोग जब किसी मज़्हबी शख़्स को शोख़ लिबास में देखते हैं तो मा'यूब समझते हैं और बातें बनाते हैं कि देखो ! मौलाना हो कर कैसे भड़कीले कपड़े पहने हुए है ! त़रह़ त़रह़ की तराश ख़राश वाले लिबास पहनने वालों को चाहिये कि सादा लिबास अपना लें, सादा लिबास की फ़ज़ीलत बयान करते हुए हमारे प्यारे नबी صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : जो बा वुजूदे क़ुदरत अच्छे कपड़े पहनना तवाज़ोअ़ (आ़जिज़ी) के त़ौर पर छोड़ देगा **अल्लाह** पाक उस को करामत का ह़ुल्ला (या'नी जन्नती लिबास) पहनाएगा। (ابوداؤد،4/326،حدیث:4778) اَلْحَمْدُ لِلّٰه ! दा'वते इस्लामी से पहले भी मेरा लिबास सादा था और मैं दा'वते इस्लामी भी सादगी के साथ ले कर चला, **अल्लाह** की रह़मत से कभी टीपटॉप का सिल्सिला भी नहीं हुवा मगर जब से दा'वते इस्लामी में मुख़्तलिफ़ रंगों के इमामे और लिबास राइज हुए हैं तो एक ता'दाद ने इमामे उतार कर अपने आप को सुन्नत से मह़रूम कर लिया है कि इमामा शरीफ़ बांधने की पाबन्दी हट गई है, जब कि इमामा शरीफ़ बांधने की पहले भी कोई सख़्त ताकीद नहीं थी सिर्फ़ तरग़ीब थी कि इमामा शरीफ़ बांधना सुन्नत है, वोह अब भी सुन्नत है और आइन्दा भी सुन्नत ही रहेगा। इसी त़रह़ लिबास में अफ़्ज़ल रंग सफ़ेद है, लेकिन मख़्सूस लिबास की वज्ह से दा'वते इस्लामी का मदनी काम करने में झिजकने वालों को क़रीब लाने की ह़िक्मते अ़मली की वज्ह से तन्ज़ीमी त़ौर पर हलके (Light) रंगीन कपड़े जो उ़लमा व मशाइख़ और मुहज़्ज़ब लोग पहनते हैं इस्ति'माल करने की इजाज़त मिली तो बा'ज़ों ने इसे फ़ेशन का शौक़ पूरा करने के लिये इस्ति'माल किया और त़रह़ त़रह़ की तराश ख़राश वाले, एक से एक चमकीले, भड़कीले और शोख़ रंग पहनने शुरूअ़ कर दिये जिन की बहारे शरीअ़त में मज़म्मत मौजूद है, यूं मुझे अज़िय्यत व सदमा पहुंचाया। اَلْحَمْدُ لِلّٰه ! मैं सादगी पसन्द करता हूं और दा'वते इस्लामी में सादगी अपनाने वालों की कमी नहीं, ऐ आ़शिक़ाने रसूल ! आप भी सादगी अपना लीजिये और दा'वते इस्लामी के चेनल, घर, दफ़्तर, बाज़ार और दीनी व दुन्यावी मह़ाफ़िल वग़ैरा सब जगह सादगी ही सादगी हो, इस सादगी की बरकत से दा'वते इस्लामी की नेकनामी में इज़ाफ़ा होगा और नेकी की दा'वत का काम मज़ीद बढ़ेगा اِنْ شَآءَ الله।

मदनी इल्तिजा : लिबास के ह़वाले से आप किसी इस्लामी भाई पर सख़्ती या त़न्ज़ न करें और न ही उस की ग़ीबतों में पड़ें, ऐसा न हो कि आप के रवय्ये की वज्ह से वोह दा'वते इस्लामी से ही दूर हो जाए बल्कि उसे नरमी के साथ ह़िक्मते अ़मली से मेरी येह तह़रीर पढ़ा दीजिये।

(माहनामा फ़ैज़ाने मदीना, शा'बानुल मुअ़ज़्ज़म 1440/एप्रिल 2019)